रजिस्ट्री सं. डी (डी एन)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1

Part I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 1990/चैत्र 9, 1912

No. 76] NEW DELHI FRIDAY MARCH 30, 1990/CHAITRA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मन्त्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1990

सार्वजनिक सूचना सं 2 आई टी सी (पी एन)/90-93

विषय .—प्रक्रिया पुस्तक, 1990-93 (खण्ड-1 एवं खण्ड-2)

फाइल सं. एच डी/1/1/90-93—इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध में प्रक्रिया पुस्तक, 1990-93 (खण्ड-1) दी गई है ।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

अध्याय-1

प्रस्तावना

उद्भव

1. भारत में आयात व्यापार नियंत्रण को द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक काल में युद्धकालीन उपाय के रूप में आरम्भ किया गया था । इस सम्बन्ध में भारत रक्षा नियमावली के अधीन प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए 20 मई, 1940 को एक अधिसूचना जारी की गई । इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा के स्रोतों को सुरक्षित करना और वास्तविक आयात पर प्रतिबन्ध लगाना था जिससे कि जलयानों के लिए उपलब्ध सीमित स्थान पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा

सके । प्रारम्भिक आदेश के अनुसार आयात की जाने वाली केवल उन 68 वस्तुओं पर नियंत्रण लागू किया गया जिनमें ज्यादातर उपभोक्ता वस्तुएं थीं । विदेशी मुद्रा के स्रोतों पर दबाव पड़ने के कारण बाद में आयात नियंत्रण अन्य वस्तुओं पर भी लागू कर दिया गया । 31 दिसम्बर, 1940 को कच्चे इस्पात और अर्धविनिर्मित इस्पात पर भी नियंत्रण लागू कर दिया गया । 15 फरवरी, 1941 को मशीन के औजारों के आयात पर भी नियंत्रण लागू कर दिया गया । 23 अगस्त, 1941, को बहुत-सी अन्य वस्तुओं को विशेषकर पूंजीगत माल और औद्योगिक आवश्यकता की वस्तुओं को भी आयात नियंत्रण की सीमा में ले लिया गया । इस प्रकार आयात नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं की सीमा बढ़ती गई। जनवरी, 1942 में कुछ और मदें भी इसकी सीमा में ले ली गईं । 1 जुलाई, 1943 को अन्तिम रूप से एक समेकित अधिसूचना जारी की गई जिसमें मशीन के औजारों के अतिरिक्त सभी नियंत्रित मदें शामिल थीं ।

विधान का विकास

2. युद्ध समाप्त होने पर भारत रक्षा नियमावली रद्द हो गई, इसलिए आयात व्यापार नियंत्रक उपबन्धों को जारी रखने के लिए सितम्बर, 1946 में आयात उपाबन्ध (जारी रखना) अध्यादेश, 1946 जारी किया गया। अन्त में इन नियमों के बदले में आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) बनाया गया जो शुरू में 25 मार्च, 1947 से तीन वर्ष के लिए लागू किया गया । तत्पश्चात्, इस अधिनियम की वैधता 5-5 वर्ष की दो अवधियों के लिए लगातार बढ़ा दी गई, जिसकी पहली अवधि छः वर्ष थी और इसके बाद दूसरी अवधि 31 मार्च, 1971 तक 5 वर्ष की थी । इसके बाद इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया । इस अधिनियम के अधीन समय-समय पर अनेक अधिसूचनाएं जारी की गईं । इनकी जगह 7 दिसम्बर, 1955 को आयात (नियंत्रण) आदेश सं. 17/55 के नाम से समेकित आदेश जारी किया गया । इस आदेश में समय-समय पर संशोधन किया गया और यह अब तक लागू है । आयात सुविधाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई करने की दृष्टि से उपाबन्ध बनाने के लिए 4 नवम्बर, 1975 का आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश 1975 (1975 की सं. 19) जारी किया गया । बाद में इस अध्यादेश के स्थान पर संसद ने आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1976 पारित किया । 30 मार्च, 1990 तक यथासंशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 को इस पुस्तक के खण्ड 2 में पुनः प्रस्तुत किया गया है ।

3. यथासंशोधित निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1988 को आयात-निर्यात नीति 1990—93 खण्ड-दो में पुनः प्रस्तुत किया गया है ।

नियंत्रण के अधीन आने वाली मदें

4. वास्तव में आजकल सभी वस्तुएं आयात नियंत्रण के अधीन हैं और इन्हें आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची 1 में शामिल कर लिया गया है । इस प्रकार की मदों का आयात करना निषेध है। लेकिन, लाइसेन्स के अनुसार अथवा उक्त आदेश के अन्तर्गत जारी किए गए सीमा शुल्क निकासी परमिट अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए खुले सामान्य लाइसेन्स या यदि वे मदें उक्त आदेश के खण्ड 11 में उल्लिखित किसी शर्त के अन्तर्गत आती हैं, तो उनका आयात किया जा सकता है । सोने, चांदी, करेंसी नोट, बैंक नोट और सिक्कों के आयात पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इंडिया का नियंत्रण है ।

आयात/निर्यात नीति

5. (1) आयात/निर्यात नीति भारत के असाधारण राजपत्र में सार्वजनिक सूचनाओं के द्वारा घोषित की जाती है। आयात-निर्यात नीति दो खण्डों में जारी की गई है। खण्ड-1 में आयात एवं निर्यात संवर्धन के लिए नीति और प्रक्रिया निहित है और खण्ड-2 निर्यात लाइसेंसिंग शर्तों के अधीन मदों के सम्बन्ध में है । ये मूल्यांकित प्रकाशन हैं और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों, प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली और सरकारी प्रकाशनों में अन्य प्राधिकारी व्यापारियों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है ।

(2) आयात एवं निर्यात संवर्धन नीतियों में स्थिरता और अविच्छिन्नता लाने के सरकार के उद्देश्य के परिणामस्वरूप इस बार आयात एवं निर्यात नीति 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1993 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए घोषित की जा रही है। लेकिन, सरकार इस नीति में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है जो कि उपर्युक्त अवधि के दौरान समय-समय पर सार्वजनिक हित में आवश्यक होते हैं । संशोधन आदि, यदि कोई हो, तो यथा पूर्व सार्वजनिक सूचनाएं/संशोधन आदेशों, आदि के माध्यम से अधिसूचित किए जाएंगे जो कि समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किए जाते हैं । उक्त नीति पुस्तक के प्रावधान समय-समय पर अधिसूचित ऐसे आशोधनों/संशोधनों के अधीन हैं ।

(3) इस पुस्तक में निहित अनुदेश और गाईडलाइन्स समय-समय पर किए गए इस प्रकार के संशोधनों/परिवर्तनों के अधीन लागू हैं ।

(4) यद्यपि यह नीति तीन वर्ष की अवधि के लिए है, लाइसेंसिंग वार्षिक आधार पर लागू रहेगा और सभी हकदारियां अब तक के रूप में, तदनुसार आंकी जाएंगी ।

(5) इस पुस्तक में जहां कहीं "वर्ष" अथवा "लाइसेंसिंग वर्ष" शब्द आते हैं, उनका अर्थ 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले 31 मार्च तक के "वित्तीय वर्ष" से लगाया जाना चाहिए ।

(6) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात सार्वजनिक सूचना जारी करके किसी भी लाइसेन्स अवधि या पण्य वस्तु के आयातकों/निर्यातकों का किसी भी श्रेणी के सम्बन्ध में

आयात लाइसेन्स जारी करने के लिए कोई भी विशेष क्रियाविधि प्रस्तुत कर सकते हैं । ऐसे मामलों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए और उन पर विचार प्रकट करने के लिए निर्धारित क्रियाविधि केवल उसी सीमा तक लागू होगी जो उस सार्वजनिक सूचना में निर्धारित की जाती है ।

आयात के देश

6. जब तक कि लाइसेंसों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, आयात के लिए लाइसेंस और खुले सामान्य लाइसेन्स और फिजी को छोड़कर संसार के किसी देश से और किसी भी देश का आयात करने के लिए वैध होंगे ।

आयात व्यापार नियंत्रण विनियमनों का अतिक्रमण

7. इस समय लागू आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 और आयात (नियंत्रण)आदेश, 1955 इस पुस्तक के खण्ड 2 में उद्धृत किए गए हैं । आयातक और अन्य सम्बद्ध व्यक्ति आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, आयात (नियन्त्रण) आदेश और निर्यात (नियन्त्रण) आदेश और इसके अन्तर्गत जारी होने वाले अन्य आदेशों में दिए गए प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि उनका किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर उन्हें सजा दी जाएगी ।

शिकायत भेजने के लिए प्राधिकृत अधिकारी

8. आयात व्यापार नियन्त्रण आदेश सं. 98/85-88 दिनांक 29-2-88, के द्वारा अधिनियम के खण्ड 6 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के खण्ड 5 के अधीन सजा योग्य किसी भी प्रकार के अपराध के सम्बन्ध में अदालत में लिखित रूप में शिकायत करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया है :—

(1) संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात (2) उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात (3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमाशुल्क के अधिकारी (4) लोहा एवं इस्पात, और लोहा एवं इस्पात विकास आयुक्त (5) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आर्थिक जुर्म स्कंध के पुलिस अधीक्षक ।

9. जुर्माने के अलावा जोकि यथा-संशोधित आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन लगाए जा सकते हैं, जारी किए गए लाइसेन्स, जैसा भी मामला हो, आयात (नियंत्रण) आदेश में उल्लिखित एक या अन्य स्थितियों में रद्द अथवा अप्रभावित किए जा सकते हैं।

आयात लाइसेन्स प्रक्रिया से छूट

प्रास प्रतिबन्धों से छूट

10. (1) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के बचत खण्ड 11 के अन्तर्गत उल्लिखित माल के आयात के लिए किसी आयात लाइसेन्स या सीमाशुल्क निकासी परमिट की आवश्यकता नहीं है ।

(2) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की बचाव कंडिका 11 (1) (ञ) उस माल के आयात के लिए आयात लाइसेंस अथवा सीमाशुल्क निकासी परमिट प्रस्तुत करने से छूट देती है जिस माल का आयात भारतीय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-20 के अधीन पुनः आयात करने पर सीमाशुल्क से विमुक्त है। पुनः आयात करने पर आयात लाइसेन्स/सीमाशुल्क निकासी परमिट प्रस्तुत करने की यह छूट उस माल के आयात पर भी लागू होगी जिसके लिए आयातक को भारतीय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-20 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क वापसी और निर्यात करने के समय उपलब्ध की गई उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के बदले में सीमा शुल्क चुकाना है ।

11. आयात (नियंत्रण), आदेश 1955 के उप-खण्ड 11 (1) (छछ) में यह दिया गया है कि उपहार के रूप में प्राप्त किए गए माल से भिन्न इस खण्ड के अन्तर्गत आयातित माल के सम्बन्ध में भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जाती हैं :—

(1) कथित उप-खण्ड में वह उपहार-पार्सल शामिल नहीं है जिसके सम्बन्ध में उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेश में रखी गई विदेशी मुद्रा के लेखे में से भुगतान किया जाता है; और

(2) विदेश में विदेशी मुद्रा का वह लेखा जो भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से परिचालित किया जा सकता है, उसके लेखाधारी व्यक्ति उक्त उप-खंड के अन्तर्गत आयातित माल के सम्बन्ध में ऐसी निधियों में से केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से, यदि अन्यथा रूप से स्वीकार्य हो, भुगतान कर सकते हैं ।

12. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के बचाव खण्ड 11 (1) के उपखंड (ज) के अनुसार सीमाशुल्क प्राधिकारियों को कार्य निष्पादन सम्बन्धी यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि निम्नलिखित किस्मों के माल के आयात को प्रत्येक माल के सामने उल्लिखित सीमा तक आयात व्यापार नियंत्रण क्रियाविधियों से छूट दी जाए :—

यात्रियों का असबाब

13. यात्री असबाब के रूप में एक व्यक्ति द्वारा आयातित मोटर वाहनों आदि से भिन्न माल के लिए आयात लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह समय-समय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए असबाब नियमों के अधीन प्राप्त सीमा तक कुछ सीमाओं/शर्तों के अधीन है। केवल ऐसी वस्तुओं के लिए यह अनुमति दी जाएगी जो असबाब नियमों के अन्तर्गत यथार्थ असबाब समझे जाएंगे ।

14. असबाब नियमों के अधीन माल के आयात के लिए सुविधाओं के ब्यौरे देते हुए संबंधित सीमाशुल्क अधिसूचना और पब्लिक नोटिस इस पुस्तक के खण्ड 2 में उद्धृत किए गए

है। पर्यटकों, कर्मीदलों के लिए लागू नियम और निवास स्थान अन्तरण नियम भी उसी में निहित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ

15. संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी और इसकी विशेष एजेन्सियां जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सीमाशुल्क कर के भुगतान से मुक्त हैं, के द्वारा माल का आयात जिसमें आयात के समय संयुक्त राष्ट्र संघ या इसकी विशेष एजेन्सियों द्वारा उनके संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकर्ताओं द्वारा या इसकी विशेष एजेन्सियों जो भी हर्ष द्वारा प्रकाशनों का आयात शामिल है।

भारतीय डाक्टरों द्वारा चिकित्सा उपस्कर का आयात

16. भारत में व्यवसाय करने के लिए विदेश से लौटने वाले भारतीय डाक्टरों (मेडिकल प्रैक्टीशनरों) को अधिकतम दो लाख रुपए के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के नए या उपयोग किए गए चिकित्सा उपस्करों की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि (1) सम्बद्ध व्यक्ति कम से कम दो वर्षों की अवधि से लगातार विदेश में रह रहा हो; (2) आयातित उपस्कर भारत में उसके अपने निजी पेशे के उपयोग के लिए अपेक्षित हों, (3) विषयाधीन उपस्कर विदेश से उसकी विदेशी मुद्रा की कमाई से खरीदा गया हो। दो लाख रुपये की अधिकतम मूल्य सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां विषयाधीन उपस्कर का उपयोग आयातक द्वारा उसके भारत लौटने से पूर्व विदेश में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

व्यवसायिकों द्वारा वैज्ञानिक औजार/उपकरणों का आयात

17. (1) भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए आने वाले उच्च योग्यता प्राप्त व्यवसायिकों को नए या उपयोग किए गए व्यवसायिक वैज्ञानिक औजारों या उपकरणों के आयात की अनुमति अधिकतम दो लाख रुपए के मूल्य तक बिना किसी आयात लाइसेंस या सीमाशुल्क निकासी परमिट के दी जा सकती है बशर्ते कि :—

(1) संबंधित व्यवसायिक कम से कम दो वर्षों की अवधि से लगातार विदेश में रह रहा हो;

(2) आयातित उपस्कर की आवश्यकता भारत में उनके निजी उपयोग के लिए हो; और

(3) उपस्कर विदेश में विदेशी मुद्रा की उसकी निजी कमाई में से खरीदा गया हो।

दो लाख रुपये की अधिकतम मूल्य सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां विषयाधीन उपस्कर का उपयोग आयातक द्वारा उसके भारत लौटने से पूर्व विदेश में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया हो।

इस उद्देश्य के लिए उच्च योग्यता प्राप्त व्यवसायिक वह व्यक्ति होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय या मान्यप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी या चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री या इसके बराबर डिग्री रखता हो और जिसने अपनी विशिष्टता के क्षेत्र में विदेश में एक साल से अधिक वैतनिक पेशा किया हो।

(2) जिस मामले में उपर्युक्त पैरा 16 और 17 (1) में उल्लिखित आयातित चिकित्सा उपस्कर/औजार का मूल्य दो लाख रुपये से अधिक होता हो, उसमें सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी करने के लिए मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को आवेदन-पत्र भेजना चाहिए। यह तभी किया जा सकता है जबकि आयातक उपर्युक्त कण्डिका 16 और 17 (1) में यथा व्यवस्थित उच्च मूल्य सीमा में छूट के लिए पात्र नहीं हों।

विदेशी पर्वतारोहण अभियान दल द्वारा असबाब के रूप में माल

18. विदेशी पर्वतारोहण अभियान दलों के सदस्यों द्वारा असबाब के रूप में आयातित माल, बशर्ते कि ऐसा माल :—

(1) सीमाशुल्क कर की भुगतान से मुक्त हो; और

(2) माल की निकासी के समय आयातक सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यह घोषणापत्र दे कि वह भारत छोड़ेगा तो गैर-उपभोज्य माल का पुनः निर्यात किया जाएगा।

टिप्पणी :—यदि आयातित माल अभियान दल के किसी एक सदस्य का नहीं है, परन्तु सारे दल का है तो दल के नेता द्वारा उपर्युक्त (2) में उल्लिखित घोषणा पत्र दिया जा सकता है; तब यह देखना उसका उत्तर-दायित्व होगा कि उसके द्वारा भारत छोड़ने के समय तक विषयाधीन माल का पुनः निर्यात कर दिया जाता है।

पेन्टिंग्स

19. चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, नेहरू हाउस, नई दिल्ली को संबोधित "शंकर्स इंटरनेशनल कम्पीटीशन की पेन्टिंग्स" के लिए बच्चों की पेन्टिंग।

धर्मार्थ संगठनों/व्यक्तियों द्वारा खाद्य पदार्थ आदि

20. जाति, धर्म या वर्ण के किसी भेद के बिना गरीबों और दरिद्रों को मुफ्त वितरण के लिए किसी विदेशी लोकोपकारी संगठन से या व्यक्तियों से मुफ्त उपहारों के रूप में किसी धर्मार्थ संगठन या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ औषधियां, कपड़े और कम्बल, अधिसूचना सं. 85/82 कस्टम, दिनांक 15 मार्च, 1982 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क से मुक्त हैं।

खाद्य पदार्थ के पार्सल

21. उपहार के रूप में विदेश से भेजे गए खाद्य पदार्थ के पार्सल।

विदेशी नागरिकों द्वारा खाद्य पदार्थ और खाद्य सामग्री

22. भारत में रहता हो परन्तु भारत का नागरिक न हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा वे खाद्य पदार्थ और खाद्य सामग्री (फल उत्पाद, अलकोहल और तम्बाकू को छोड़कर) जो अधिसूचना सं. 135-कस्टम्स दिनांक 20-6-1966 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क से मुक्त है, बशर्ते कि एक व्यक्ति जिसके साथ उस पर निर्भर कोई संबंधी न रहता हो उसके मामले में एक वर्ष में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 800/- रुपये से अधिक न हो और जिस व्यक्ति के साथ उस पर निर्भर कोई संबंधी रहता हो उसके मामले में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य एक वर्ष में 1600/- रुपये से अधिक न हो।

भारतीय रेडक्रास सोसायटी को मुफ्त उपहार

23. भारतीय रेडक्रास सोसायटी को विदेशों से प्राप्त मुफ्त उपहार बशर्ते कि एसे माल पर सीमा शुल्क छूट हो।

राहत सप्लाई और पैकेज

24. विदेशी सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए समझौते में शामिल किसी सरकारी एजेंसी या अन्य अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से समझौते में दी गई शर्तों के अधीन उपहारों के रूप में प्राप्त राहत सप्लाई और पैकेज—बशर्ते कि वे सीमा-शुल्क से मुक्त हों।

राष्ट्रीय रक्षा कोष को दान

25. राष्ट्रीय रक्षा कोष को दान में दी गई वस्तुएं या रक्षा कर्मचारियों के उपयोग के लिए भारत सरकार को दान में दी गई वस्तुएं और भारतीय रेडक्रास सोसायटी को दान में दिए गए ऊन/ऊनी वस्त्र और ऊनी परिधान, बशर्ते कि वे कस्टम अधिसूचना सं. 168, 169 और 170-कस्टम्स, दिनांक 8-11-1972 (समय-समय पर यथासंशोधित) अनुसार सीमाशुल्क से मुक्त हों।

अभिदर्शित सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों का बान्डिंग

26. सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सेन्सरशिप पुनरीक्षा या पुनः निर्यात के लिए आयात की गई और बांड में रखने के लिए अनुमित अभिदर्शित फिल्में।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को टेलीविजन/टेप रिकार्डिंग आदि का उपहार

27. टेलीविजन/टेप रिकार्डिंग, विद्युतीय रिकार्डिंग/डिस्क्स और ग्रामोफोन रिकार्ड्स के मुफ्त उपहार जिनमें कोई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है और जिनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं हो, की अनुमति आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन को है।

विदेशी प्रचारकों अर्थात् रेडियो, प्रेस, फिल्मों, दूरदर्शन दलों और दूरदर्शन कम्पनियों द्वारा उपस्करों, कोरी फिल्मों आदि का आयात

28. (1) भारत आने वाली विदेशी दूरदर्शन कम्पनियों द्वारा आयात किए गए उपस्कर और कोरी फिल्मों को आयात व्यापार नियंत्रण से छूट दी जाएगी; इसकी शर्त यह होगी कि विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग से और जहां आवश्यक हो, गृह मंत्रालय से भी निकासी प्राप्त करने के बाद, भ्रमण विदेश मंत्रालय/सूचना और प्रसारण मंत्रालय/पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित किया हो। निकासी की अनुमति देते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी आयातक से बैंक गारन्टी या अन्य जमानत के साथ इस सम्बन्ध में एक वचन-पत्र प्राप्त करेंगे कि भारत छोड़ते समय आयातक आयातित मदों का पुनः निर्यात कर देगा।

(2) भारत में फिल्मों की शूटिंग के लिए पुनः निर्यात के आधार पर विदेशी फिल्म कम्पनियों द्वारा सिनेमा उपस्कर और कोरी फिल्म के आयात को आयात व्यापार नियंत्रण प्रतिबन्ध से मुक्त किया गया समझा जाएगा, बशर्ते कि विषयाधीन आयात को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा सीमा शुल्क से छूट दे दी गई हो और इसके लिए या तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या विदेश मंत्रालय (विदेश प्रचार प्रभाग) द्वारा निकासी प्रदान कर दी गई हो।

फिल्मों का आयात

29. दूरदर्शन, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, शिवाल फिल्म सोसायटी, बम्बई और भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान द्वारा (1) उपहार के रूप में (2) उधार के आधार पर (3) विनिमय के आधार पर (फीचर फिल्मों सहित) फिल्मों का जिन मामलों में विदेश व्यापार में लगे हुए जलयान तटीय व्यापार आयात नियंत्रण प्रतिबन्ध के बिना ही अनुमित किया जाएगा।

जिन मामलों में विदेश व्यापार में लगे हुए जलयान तटीय व्यापार में हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं, उनमें पोत के भंडारगारों का हस्तान्तरण

30. उन मामलों में जहां विदेश व्यापार में लगे हुए जलयान तटीय व्यापार को हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं, उनमें जलयान के उपभोज्य भण्डार को सीमाशुल्क के भुगतान पर जलयान के साथ ही हस्तान्तरित करने की अनुमति दी जाती है।

विज्ञापन ब्लाक्स

31. प्रेषित माल के साथ विज्ञापन ब्लाक्स जो भारतीय प्रेस में विदेशी व्यापार संस्थाओं द्वारा दिए गए विज्ञापन से संबंधित समाचार प्रतिष्ठानों को निःशुल्क भेजे गये हों, बशर्ते कि उनका लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य किसी भी एक समय में 800/- रुपये से अधिक न हो।

अनुमोदन के आधार पर मरकत और अन्य बहुमूल्य रत्नों और हीरों का आयात और निकासी से पहले अन्तर्वस्तुओं की जांच

32. जल मार्ग या वायुमार्ग (डाक से भिन्न) द्वारा आयातित मरकत, हीरे और अन्य बहुमूल्य पत्थर आ पहुंचने पर निरीक्षण के लिए बांड में रखे जाते हैं। माल की वह मात्रा

जो निरीक्षण के पश्चात् अनुमोदित की जाती है, उसकी निकासी की अनुमति वैध आयात लाइसेंस के मद्दे दी जा सकती है ।

टिप्पणी—पूर्वोक्त सुविधा डाक पार्सलों द्वारा मरकतों और बहुमूल्य रत्नों के आयात के मामले में उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टल कनवेन्शन के अन्तर्गत एक पार्सल दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता अर्थात् एक भाग रख लेने और दूसरा भाग भेजने वाले को लौटा देने के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता है । इसलिए, डाक पार्सलों की अन्तर्वस्तुएं या तो स्वीकार की जा सकती है या कुल मिलाकर अस्वीकार की जाती है । लेकिन, यदि माल पाने वाला ऐसा चाहेगा तो आयातक या उसके एजेन्ट को ऐसे डाक पार्सलों की अन्तर्वस्तुओं का सीमाशुल्क प्राधिकारियों के नामें डाल दिया जाएगा और एक बार लाइसेंन्स के जाएंगी । निरीक्षण की अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय और तिथि को दी जाएगी । यदि आयातक नियुक्त समय और तिथि को निरीक्षण के लिए नहीं आता है तो पार्सल भेजने वाले को लौटा दिया जाएगा । यदि आयातक पार्सल को स्वीकार कर लेता है तो वह वैध लाइसेंस के आधार पर इसकी निकासी प्राप्त कर सकता है और पार्सल का सारा मूल्य लाइसेन्स के नामें डाल दिया जाएगा और एक बार लाइसेन्स के नामें डाला गया मूल्य रद्द नहीं किया जाएगा ।

निर्यातकों द्वारा नमूने

33. विदेश यात्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई विदेशी मुद्रा की ब्लैन्किट रिहाई के मद्दे निर्यात संवर्धन के लिए निर्यातकों द्वारा आयातित नमूने ।

लेबल, कीमत टैग और निर्यात उत्पादों के लिए ऐसी ही वस्तुएं

34. (1) भारतीय निर्यातकों को विदेशी क्रेताओं द्वारा दिए गए विशेष आदेशों के आधार पर माल पर लगाए जाने के लिए विदेशी क्रेताओं द्वारा भेजे गए लेबल, कीमत टैग और बटन और बैल्ट जैसी ट्रिमिंग सामग्री की निकासी की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि सीमाशुल्क प्राधिकारी मामले की प्रमाणिकता से सन्तुष्ट हो । इसमें मुफ्त में सम्भरित किए जाने वाले "हैंगर्स" के वे आयात भी शामिल होंगे जिनका पोशाकों के साथ पुनः निर्यात किया जाना है ।

(2) पोशाकों, सलाई से बुने हुए वस्त्रों और तैयार मदों के पंजीकृत निर्यातक जब वे बाहर से आ रहे हों तो उन्हें किसी भी आयात नियंत्रण के बिना अधिकतम 1,000 रुपये (लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य) तक के लिए असबाब के एक भाग के रूप में लेबल्स के आयात करने की अनुमति होगी ।

वाणिज्यिक नमूने/विज्ञापन सामग्री

35. वे वाणिज्यिक नमूने और विज्ञापन सामग्री, जिनका आयात 7-11-1952 को जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार सीमाशुल्क कर से मुक्त है । देखें सीमाशुल्क अधि-सूचना सं. 185 और 186 दिनांक 2-8-76 और सं. 33 दिनांक 7-2-86 ।

अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या मेलों के लिए अपेक्षित प्रदर्शन की वस्तुएं

36. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या मेलों के संबंध में अपेक्षित गैर-उपभोज्य माल के आयात की अनुमति बिना किसी आयात लाइसेन्स या सीमाशुल्क निकासी परमिट के दी जा सकती है बशर्ते कि भारत में आयात की तिथि से 6 महीनों की अवधि के भीतर विषयाधीन माल का पुनः निर्यात किया जाए और माल की निकासी के समय इस उद्देश्य के लिए एक अपेक्षित बांड और बैंक गारन्टी या सक्षम सीमाशुल्क अधिकारी की संतुष्टि के लिए कोई दस्तावेज सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजा जाए । प्रदर्शनी से संबंधित सामग्री जहां अनुमेय है, के लिए क्रियाविधि अध्याय-8 में दी गई है ।

37. प्रदर्शन की वस्तुओं से संबंधित उपभोज्य मदों जैसे मुद्रित सामग्री, पैम्फलेट, साहित्य आदि के आयात को भी आयात व्यापार नियंत्रण क्रियाविधि से छूट होगी । विज्ञापन की वस्तुओं के अतिरिक्त उपभोज्य माल की निकासी की अनुमति भी सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीमाशुल्क निकासी परमिट या आयात लाइसेन्स के बिना दी जा सकती है ।

निजी प्रदर्शनी और प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए पुनः निर्यात की शर्त के साथ आयात

38. (1) निजी प्रदर्शनी/प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए उपस्कर के आयात की अनुमति बिना किसी भी आयात लाइसेन्स सीमाशुल्क निकासी परमिट के दी जाएगी बशर्ते कि विषयाधीन माल आयात करने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर पुनः निर्यात किया जाए और संबद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारी के माध्यम से और उसके पास से माल की निकासी के समय आयातक इस उद्देश्य के लिए एक बांड और बैंक गारन्टी या साक्ष्य सीमा शुल्क अधिकारी की संतुष्टि के लिए किसी दस्तावेज का निष्पादन करे ।

(2) आयातक अगर छः महीने की निर्दिष्ट अवधि के भीतर माल को पुनः निर्यात नहीं कर पाता तो समय अवधि बढ़ाने के लिए उसे संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए जो गुण-अवगुण के आधार पर पुनः निर्यात की समय अवधि को बढ़ाने की मंजूरी पर विचार करेगा । एक वर्ष से अधिक समय अवधि बढ़ाने के अनुरोधों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात गुण-अवगुण के आधार पर विचार करेंगे और उतनी समय अवधि बढ़ाई जाएगी जितनी का वह निर्णय लेंगे ।

(3) प्रदर्शन की वस्तुओं की बिक्री, यदि अनुमेय हो तो, निर्यात के लिए अनुमति बांड अवधि के भीतर केवल वैध आयात लाइसेन्स के मद्दे दी जाएगी । यह सुविधा ऐसे वास्तविक उपयोक्ताओं को भी उपलब्ध होगी जो खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत उसी माल का आयात करने के लिए पात्र हैं ।

खुले सामान्य लाइसेन्स सं. 4 के अन्तर्गत आयात

39. यथासंशोधित खुला सामान्य लाइसेन्स सं. 4 निर्धारित शर्तों के अधीन लाइसेन्स तथा सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना कुछ मदों के आयात की अनुमति देता है। यह सुविधा निम्नलिखित प्रकार से उपलब्ध है :—

(1) सीमाशुल्क प्राधिकारी खुले सामान्य लाइसेन्स सं. 4 के अन्तर्गत अनुमेय नमूनों और विज्ञापन सामग्री की निकासी की अनुमति दे सकते हैं, चाहे सम्बन्धित आयातक को भाड़ा और बीमा खर्च क्यों न देना पड़े, बशर्ते कि नमूनों अथवा विज्ञापन सामग्री का कुल मूल्य जिसमें भाड़ा और बीमा खर्च भी शामिल हो, एक प्रेषण में खुले सामान्य लाइसेंस सं. 4 में दर्शाई गई सीमा से अधिक न हो। ऐसी परिस्थिति में, सीमाशुल्क समाहर्ता संबंधित प्रविष्ट बिल पर समुचित रूप से पृष्ठांकन करेगा ताकि आयातक भाड़ा और बीमा खर्च के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक से प्रेषण सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त कर सके।

(2) कुछ मामलों में तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वास्तविक तकनीकी और व्यापार नमूनों का आयात हवाई भाड़ा पार्सल द्वारा किया जाना चाहिए जबकि प्रेषण का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य खुले सामान्य लाइसेंस सं. 4 में निर्धारित सीमा से अधिक होता हो। वास्तविक तकनीकी और व्यापार नमूनों की निःशुल्क की गई ऐसी आपूर्ति के संबंध में यदि विदेशी संभरक बीमा और वायु भाड़े से संबंधित खर्च भी सहता है तो सीमा शुल्क प्राधिकारी निकासी की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि आयात अन्यथा रूप से खुले सामान्य लाइसेन्स सं. 4 के अन्तर्गत आता हो।

(3) यद्यपि खुले सामान्य लाइसेन्स सं. 4 में किसी विशेष प्रकार के आयातक का उल्लेख नहीं है जो कि नमूने आयात करने के लिए पात्र है यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल ऐसे आयातक जो कि उत्पादन अथवा वाणिज्यिक बिक्री अथवा माल के वितरण से संबंधित हैं वे, विदेशी संभरकों से निःशुल्क नमूने/विज्ञापन सामग्री मंगवा सकते हैं। जो आयातक उत्पादन अथवा वाणिज्यिक बिक्री अथवा वितरण से संबंधित नहीं हैं उन्हें ये रियायतें नहीं मिलेंगी। लेकिन वे निर्यात संवर्धन परिषद और निर्यात व्यापार सदन जिनके पास मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया निर्यात व्यापार सदन प्रमाण-पत्र है उन्हें सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा खुले सामान्य लाइसेन्स सं. 4 के अन्तर्गत तकनीकी और व्यापार नमूनों के आयात के संबंध में रियायत दी जाएगी।

(4) व्यापार नमूना वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध मद की बिक्री को बढ़ाने के लिए है। विनिर्माता द्वारा तकनीकी नमूने की आवश्यकता उसके अन्तिम उत्पाद(दों) के डिजाइन को सुधारने/उसका विकास करने के लिए है। फिनिश्ड उपभोज्य वस्तुओं का व्यापार नमूनों के रूप में आयात करने की अनुमति नहीं होगी। खुले सामान्य लाइसेन्स संख्या 4 के अन्तर्गत व्यापार नमूना के रूप में आयात की जाने वाली उस मद के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकारी अनुमति नहीं देगा यदि विषयाधीन मद पोतलदान के समय चालू नीति के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमेय नहीं हो। सीमा शुल्क प्राधिकारी तकनीकी नमूने के रूप में आयात की जाने वाली मद के लिए भी अनुमति नहीं देगा यदि आयातक इस मद के उत्पादन में नहीं लगा हुआ हो और न ही इस स्थिति में हो कि वह सीमा शुल्क प्राधिकारी को संतुष्ट कर सके कि विषयाधीन मद के उत्पादन के लिए उसकी योजना संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

टिप्पणी :—वास्तविक तकनीकी और व्यापार नमूनों या विज्ञापन सामग्री के कई परेषणों के आयात जो उसी संभरक द्वारा उसी प्रेषिति को भेजे जाते हैं और उसी मेल से प्राप्त होते हैं (यद्यपि प्रत्येक प्रेषण का मूल्य विशिष्टिकृत मूल्य सीमा से अधिक नहीं होता है) तो एक प्रेषण में वास्तविक तकनीकी और व्यापार सामग्री अथवा विज्ञापन सामग्री के लिए आयातों के लिए रखी गई सीमा का उल्लंघन समझा जाएगा और इसलिए खुले सामान्य लाइसेन्स में निहित सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे।

कमियों को दूर करने के लिए माल का पुनः आयात और उसके बाद पुनः निर्यात

40. भारतीय विनिर्मित माल का निर्यात और माल पाने वाले से मरम्मत और पुनः निर्यात के लिए विनिर्माता द्वारा उस माल की वापस प्राप्ति।

विदेशी तकनीशियनों द्वारा निजी असबाब के रूप में निर्माण औजारों का पुनः निर्यात के आधार पर आयात

41. (1) अध्ययन, अनुसंधान अथवा अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए भारत में आने वाले विदेशी तकनीशियन/विशेषज्ञों को भारत में उनके कार्य से संबंधित औजारों और उपस्करों को पुनः निर्यात के आधार पर सीमा शुल्क निकासी परमिट के बिना ही निकासी के लिए स्वीकृति दी जा सकती है और यह स्वीकृति ऐसी वचनबद्धता के अधीन होगी जिसे सीमा-शुल्क प्राधिकारी आवश्यक समझें।

(2) संरचना कार्य के लिए आने वाले विदेशी तकनीशियनों को संरचना कार्य के लिए आवश्यक संरचना औजार/परीक्षण उपकरण के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट के बिना ही पुनः निर्यात के आधार पर आयात करने की स्वीकृति दी जाएगी किन्तु यह

सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा मांगी जाने वाली अपेक्षाओं के अधीन होगा ।

वैज्ञानिक उपस्कर

42. वैज्ञानिक अनुसन्धान या गैर-वाणिज्यिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जिन वैज्ञानिक या शैक्षिक संस्थानों (लाभ न कमाने वाले) का अनुमोदन किया जा सकता है या कर दिया गया है, वे पुनः निर्यात की शर्त के अधीन नीचे निर्दिष्ट वैज्ञानिक उपस्कर का आयात कर सकते हैं बशर्ते कि वे उपस्कर अधिसूचना सं. 84/एफ-11/75-कस्टम-5, दिनांक 11-9-1971 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क से मुक्त हों :—

(1) वैज्ञानिक उपस्कर जैसे औजार, उपकरण, मशीन या उनके उप-साधित्र;

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित वैज्ञानिक उपस्कर के अतिरिक्त पुर्जे; और

(3) जो वैज्ञानिक उपस्कर केवल वैज्ञानिक अनुसंधान या शिक्षा के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसके रख-रखाव, जांच करने, टेस्ट करने या मरम्मत करने के लिए विशेष रूप से रूपांकित यंत्र ।

निर्यात के प्रयोजनों के लिए नमूनों को बनाने के लिए विदेशी क्रेताओं/विशेषज्ञों/सलाहकारों द्वारा सामान/औजारों का आयात ।

43. भारत आने वाले विदेशी क्रेताओं/विशेषज्ञों/सलाहकारों को जो कि निर्यात उत्पाद के नमूनों जिन्हें वे भारत से खरीदना चाहते हैं के विनिर्माता के लिए सामान/औजारों की निकासी, सीमा शुल्क निकासी परमिट के बिना अनुमति की जाए बशर्ते की ऐसे आयातित सामान/औजारों का मूल्य प्रत्येक मामले में 5000/-रु. से अधिक न हो। निकासी के समय, सीमा शुल्क प्राधिकारी आयातित माल से विनिर्मित उत्पाद (दों) को सुनिश्चित करने के लिए आयातक के पासपोर्ट में आयातित माल की मात्रा तथा मूल्य की विस्तृत जानकारी देते हुए आवश्यक प्रविष्टि करेगा ताकि आयातित मदों का पुनः निर्यात किया जा सके । परिष्कृत उत्पाद(दों) के पुन. निर्यात के मामले में छीजन आयातित माल के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक के लिए अनुमति नहीं की जाएगी ।

अध्याय 2

सामान्य लाइसेन्स क्रियाविधि

44. इस अध्याय में आयात लाइसेंस क्रियाविधि दी गई है। इस पुस्तक में दिए गए अनुदेश, सम्बद्ध आयात नीति प्रावधानों के अधीन होंगे ।

आयातकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत

45. (1) लाइसेन्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाना चाहिए ।

(2) आवेदन-पत्र को साफ और ठीक तरह भरना चाहिए । कोई भी कालम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आवेदन-पत्र के कालमों में जहां कहीं भी आवश्यक हो, वहां 'हां' या 'नहीं' या 'लागू नहीं होता है' शब्दों का इस्तेमाल करें। यदि आवेदक किसी विशेष कालम का उत्तर देने में असमर्थ हो, तो उसे उसका वास्तविक कारण बताना चाहिए ।

(3) निर्धारित प्रपत्र में सूचना सही और ईमानदारी से देनी चाहिए ।

(4) आवेदित मूल्य के आधार पर आवेदन शुल्क की अदायगी की मूल बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ भेजनी चाहिए ।

(5) सभी आवश्यक कागजात आवेदन-पत्र के साथ दिए जाने चाहिए और आवेदन-पत्र के आवरण पत्र में प्रत्येक कागजात का विवरण देते हुए उन सभी संलग्नकों के ब्यौरे देने चाहिए ।

(6) आवेदन-पत्र पर किसी प्राधिकृत व्यक्ति के कार्यालय तथा आवासीय पते और पद सहित हस्ताक्षर होने चाहिए ।

(7) आवेदक का पूरा पता साफ-साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए ।

(8) यदि लाइसेन्स प्राधिकारी की कोई सन्दर्भ संख्या है, तो उसका सही और पूरा सन्दर्भ उद्धृत करना चाहिए ।

(9) प्रक्रिया में यथाव्यवस्थित आवेदन-पत्र डाक से उपयुक्त संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा प्रायोजित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए अथवा लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा प्रायोजित प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, के कार्यालय के काउन्टर पर दिए जाने चाहिए ताकि निर्धारित अंतिम तिथि को या इससे पूर्व लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास पहुंच जाएं ।

(10) वास्तविक उपयोक्ता को एक ऐसा समेकित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें यूनिटों के लिए प्रत्येक तैयार-उत्पाद के लिए अपेक्षित कच्चे माल और संघटकों की आवश्यकता को शामिल कर लिया गया हो उसी एकक द्वारा विनिर्मित संबंद्ध अंतिम उत्पादों के लिए केवल एक ही आवेदन-पत्र भेजा जाना चाहिए ।

(11) आवेदकों को आयात किए जाने वाले माल की सूची संलग्न करते हुए यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पत्तन से माल की निकासी के समय सम्भावित असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से सूची अच्छे और टिकाऊ कागज पर तैयार की गई है । जिन यूनिटों के नाम महानिदेशालय, तकनीकी विकास के रजिस्टर में दर्ज हैं उनके आवेदकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए माल की सूची की जो प्रतियां तैयार की हैं वे महानिदेशालय, तकनीकी विकास द्वारा निकासी की गई सूची के अनुसार हैं ।

(12) आयात लाइसेंस प्राप्त करने पर, लाइसेन्सधारी को सावधानीपूर्वक इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि लाइसेन्स

सभी तरह से पूर्ण है । लाइसेन्सधारी को विशेष रूप से निम्नलिखित बातों की जांच करनी होगी :—

(क) लाइसेंस पर सही आयातक-निर्यातक कोड दिया हो;

(ख) क्या लाइसेन्स के साथ आयात के लिए स्वीकृत वस्तुओं की सूची लगी है, यदि ऐसी का उल्लंघन लाइसेंस में किया गया है ।

(ग) क्या सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर लाइसेंस प्राधिकारी ने विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किए हैं ।

(घ) क्या सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर लाइसेन्स प्राधिकारी ने सुरक्षा सील लगाई है ।

(ङ) यदि सूची में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो क्या लाइसेन्स प्राधिकारी ने विधिवत् रूप से उनको साक्ष्यांकित किया है ।

(च) क्या लाइसेन्स की दोनों प्रतियों पर लाइसेन्स प्राधिकारी की सुरक्षा सील लगाई है ।

(छ) क्या लाइसेन्स पर लगाई गई शर्तों पर लाइसेन्स प्राधिकारी ने विधिवत् हस्ताक्षर किए हैं ।

(ज) यदि लाइसेन्स में से कोई शर्त काट दी गई है, तो क्या लाइसेन्स प्राधिकारी ने उसे साक्ष्यांकित किया है ।

(झ) क्या विदेशी ऋण पर जारी किए गए लाइसेन्सों के मामले में ऋण पर लागू होने वाली शर्तों को लाइसेन्स के साथ संलग्न कर दिया गया है, यदि लाइसेन्स में इस तरह के आदेश का संदर्भ है, तो क्या ऐसी शर्तों पर लाइसेन्स प्राधिकारी ने विधिवत् हस्ताक्षर किए हैं ।

(ठ) लाइसेन्स पर या लाइसेन्स के साथ संलग्न सूची पर या लाइसेन्स के साथ नत्थी की गई शर्तों पर लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रत्येक हस्ताक्षर को विधिवत् प्रमाणित करने के लिए हस्ताक्षर के ऊपर सुरक्षा सील लगी है ।

यदि लाइसेंसधारी को यह पता लगे कि लाइसेन्स किसी भी प्रकार से अपूर्ण है, तो उसे यह बात तुरन्त सम्बन्धित लाइसेन्स प्राधिकारी के ध्यान में लानी चाहिए और लाइसेन्स प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लाइसेन्स वापस कर देना चाहिए ।

आयातक-निर्यातक कोड संख्या

46. आयातकों/निर्यातकों के लिए आयातक-निर्यातक कोड संख्या (आईईसी) को आबंटन की गई नई पद्धति वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 238-आई.टी.सी. (पी.एन.)/85-88 दि. 23-12-87 द्वारा अधिसूचित की जा चुकी है । प्रत्येक व्यक्ति को (चाहे वह अकेला व्यक्ति अथवा कोई फर्म या कम्पनी आदि हो) भारत में अथवा बाहर से माल के आयात-निर्यात के लिए कोड नम्बर की आवश्यकता होगी जब तक कि इससे छूट के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो । कोई भी सीमा शुल्क प्राधिकारी तब तक किसी व्यक्ति को भारत में अथवा बाहर से आयात-निर्यात करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उस व्यक्ति के पास वैध आयात-निर्यात कोड नम्बर नहीं होगा । अतः आयातकों/निर्यातकों को अपेक्षित कोड नम्बर को प्राप्त करने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाने के लिए परामर्श दिया जाता है । इन कोड नम्बरों को क्षेत्रीय आयात व्यापार नियंत्रण लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा आबंटित किया जाएगा । जब कभी भी किसी कम्पनी के नाम, स्वामित्व अथवा उसके गठन में कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना तुरन्त आयात-निर्यात कोड आबंटित करने वाले संबद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दी जानी चाहिए ।

(2) भारत में माल का आयात करने वाले प्रत्येक व्यक्ति (चाहे वह व्यक्ति हो, फर्म हो या कम्पनी आदि हो) को इस परिशिष्ट के प्रावधानों के अनुसार "आयातक कोड संख्या (आई. सी. एन.)" प्राप्त करना होगा । यह प्रावधान एक एजेन्ट के रूप में या प्राधिकार पत्र के धारक के रूप में, या आयात लाइसेन्स के हस्तांतरी के रूप में माल का आयात करने वाले व्यक्ति के लिए भी समान रूप से लागू होगा । इस संबंध में यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7 दिसम्बर, 1955 में एक उपबन्ध किया गया है ।

(3) सीमाशुल्क प्राधिकारी उस व्यक्ति को आयात की अनुमति नहीं देंगे जिसके पास सम्बद्ध आयात-व्यापार नियंत्रण लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा आबंटित की गई कोड संख्या नहीं होगी । संबंधित प्रविष्टि बिल में अपनी कोड संख्या उद्धृत आयातक के लिए अनिवार्य होगा ।

(4) किसी व्यक्ति को आबंटित की गई कोड संख्या उस व्यक्ति द्वारा किसी भी अन्य वस्तु के आयात के लिए वैध होगी ।

(5) निम्नलिखित मामलों में आयातकों को कोड संख्या प्राप्त करने से छूट दे दी जाएगी :—

(1) यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की बचाव धारा 11 (1) में आने वाले आयातकों को तथा यथासंशोधित निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1988 की बचाव धारा 15 के अन्तर्गत आने वाले निर्यातक ।

(2) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मन्त्रालयों/विभागों को ।

(3) अपने निजी उपयोग के लिए उस माल का आयात करने वाले व्यक्तियों को जो व्यापार या निर्माण या कृषि से संबंधित न हों ।

(6) कोड संख्या के आवंटन के लिए आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क सहित तीन प्रतियों में उस क्षेत्रीय आयात व्यापार नियंत्रण लाइसेन्स प्राधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र के प्रदेश में आवेदक रहता हो। क्षेत्रीय लाइसेन्स प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट-2 ख में निर्दिष्ट किए गए हैं।

(7) जिस कम्पनी/फर्म की ब्रांचें हों उसके, मामले में केवल कम्पनी के मुख्य कार्यालय अथवा पंजीकृत कार्यालय द्वारा ही कोड संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करना चाहिए। ब्रांच कार्यालय, मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय को आवंटित कोड संख्या का ही उपयोग करेगा।

(8) प्रत्येक नए आयात/निर्यातक के आवेदन पत्रों को जिसमें नए/प्रस्तावित औद्योगिक यूनिटें सम्मिलित हैं, आई ई. सी. नम्बर का आबंटन इस पुस्तक के पैरे—62 द्वारा गठित जांच समिति द्वारा प्रारम्भिक रूप से जांच करने के अधीन होगा।

आयातक की श्रेणी

47. (1) आयातकर्त्ताओं को लाइसेन्स जारी करने के प्रयोग के लिए निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है :—

(1) वास्तविक उपयोक्ता

(क) औद्योगिक

(ख) गैर-औद्योगिक

(2) स्टार निर्यातक सहित पंजीकृत निर्यातकर्ता अर्थात् जो पंजीकृत निर्यातकर्ताओं के लिए आयात नीति के अन्तर्गत आयात करते हैं।

(3) अन्य

(2) लाइसेन्स के आवेदन पत्रों पर सम्बद्ध लागू नीति के अनुसार विचार किया जाता है।

आवेदन-पत्र प्रपत्र

48. (1) लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में होने चाहिएं।

(2) आवेदन-पत्र सरकारी प्रकाशनों के प्राधिकृत विक्रेताओं से खरीदा जा सकता है। यदि फार्म तुरन्त उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक निर्धारित फार्म की टाइप, साइक्लोस्टाइल या मुद्रित प्रतियों का उपयोग कर सकता है।

(3) पावती और लाइसेन्स भेजने के लिए अपना पता लिखा हुआ पावती कार्ड जिसमें आवेदन पत्र का विवरण दिया गया हो और अपना पता लिखा हुआ 19 सें. मी.×11.5 सें मी. का एक कपड़े की लाइनिंग वाला लिफाफा आवेदन के साथ भेजना चाहिए। यदि लाइसेंस एवं अन्य पत्राचार द्रुतगति डाक से अपेक्षित हैं तो आवेदन शुल्क के साथ अतिरिक्त 100/- रु. बैंक रसीद/डिमांडड्राफ्ट के साथ जमा करना चाहिए तथा अग्रेषण पत्र में इसका हवाला दिया जाना चाहिए।

आवेदन-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति

49. आयात लाइसेन्स के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र या आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 या आयात (नियंत्रण आदेश), 1955 के अन्तर्गत अन्य दस्तावेज या प्रपत्र आवेदक द्वारा स्वयं या/आवेदक द्वारा विधिवत/कानूनी रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदन-पत्र/दस्तावेज/प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा धारित ऐसे कानूनी प्राधिकारी की स्थिति और स्वरूप क्या है, यह उसके पद की सरकारी मोहर और उसके पूर्ण निवास स्थान के पते के साथ स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए अन्यथा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये बातें किसी सारणीबद्ध मद के सीधे आबंटन के लिए सारणीबद्ध अभिकरण को दिए गए आवेदन-पत्रों के लिए समान रूप से लागू होती हैं।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी

50. (1) लाइसेंस प्राधिकारी का पद, क्षेत्राधिकार एवं पता परिशिष्ट-2ख में दिया गया है। जहां यथोचित स्थित हो, उसी के अनुसार ही आवेदन-पत्र इन प्राधिकारियों को देने चाहिए।

(2) पंजीकृत निर्यातक को आयात प्रतिपूर्ति लाइसेन्सों के लिए परिशिष्ट 2-ख में उल्लिखित सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी से आवेदन करना चाहिए।

(3) जब तक अन्यथा रूप से प्रावधान न हो, वास्तविक उपयोक्ता को चाहिए कि वह उसी लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन करें जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक का कारखाना स्थित है।

(4) वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) को एक से अधिक स्थानों पर स्थित होने पर सभी फैक्टरियों की जरूरतों के लिए समेकित आवेदन-पत्र देने का विकल्प होगा। ऐसे मामलों में प्रत्येक एकक की जरूरतों को समेकित आवेदनपत्र के लिए संलग्न सूची में अलग से दर्शाना चाहिए और जिसमें प्रत्येक के लिए उपभोक्ता प्रमाण-पत्र भी अलग से साथ हों। लाइसेंस प्राधिकारी जिनके क्षेत्राधिकार में पंजीकृत मुख्य कार्यालय स्थित है, को दिए गए समेकित आवेदन-पत्र के आधार पर नीति की शर्तों के अनुसार प्रत्येक एकक को उसके लिए अनुज्ञेय मूल्य/मद के लिए अलग लाइसेंस जारी किये जाएंगे।

5. जहां अकेला एकक एक से अधिक अन्तिम उत्पादों का विनिर्माण करता है वहां अन्तिम उत्पाद-वार आवेदन-पत्र देना चाहिए। यह सुविधा तब उपलब्ध होगी यदि यूनिट के पास अंतिम उत्पाद वार भिन्न मशीनरी है। लेकिन, सम्बद्ध अन्तिम उत्पादों के लिए केवल एक ही आवेदन-पत्र भेजा जा सकता है।

प्रायोजक प्राधिकारी

51. (1) प्रायोजक प्राधिकारियों की सूची परिशिष्ट-2-ग में दी गई है।

(2) लघु उद्योग यूनिटों के मामले में अनुपूरक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित उद्योग निदेशक/आयुक्त या उसके द्वारा नामित कोई ऐसा अधिकारी जो संयुक्त निदेशक से छोटे पद का न हो, के द्वारा सिफारिश किया जाना अपेक्षित है ।

(3) यदि किसी मामले में लागू नीति के अधीन प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से आयात आवेदन पत्र भेजे जाते हैं तो यूनिटों की आयात आवश्यकताओं का निर्धारण प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उनके लिए लागू आयात नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

(4) अनुपूरक आयात लाइसेन्स दिए जाने के लिए संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिशें उस पुस्तक के अध्याय–5-ख दिए गए प्रपत्र में दी जाए ।

(5) आयात आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के मामले में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) प्रायोजक प्राधिकारियों को ऐसे सामान निदेश दे सकता है जो वह वांछित या आवश्यक समझे । वह प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए की गई सिफारिशों की यह देखने के लिए कार्योत्तर जांच भी कर सकता है कि क्या वे सामान्य नीति के अनुरूप हैं ।

पंजीकरण स्कीम

52. जिन यूनिटों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेन्स या पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि समय-समय पर अपने आवेदन-पत्रों की अधिक सुविधापूर्वक निपटान के लिए वे अपने आप को सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी से पंजीकृत कराएं । जिन यूनिटों के पास प्रायोजक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स या पंजीकरण प्रमाण-पत्र हैं, वे भी अपनी अन्य आवश्यकताओं यदि कोई हों, तो उनके सम्बद्ध में ऐसा कर सकते हैं ।

53. (1) लघु उद्योगों के पंजीकरण की पद्धति 1960 से प्रचलित रही है । पैमाना आयातित निवेश की आवश्यकता वाले सभी लघु उद्योग और जो इस पद्धति के अंतर्गत आते हैं उन्हें अपने आप को सम्बद्ध राज्य के उद्योग निदेशक के पास पंजीकृत करना होता है ।

(2) वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) को इस आयात नीति के उद्देश्य के लिए राज्य के उद्योग निदेशकों के साथ स्वयं को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि कुछ मामलों में उनके आयात आवेदन-पत्रों को राज्य के उद्योग निदेशकों की सिफारिश की आवश्यकता है ।

54. आयात लाइसेन्स के लिए या सरणीबद्ध मद के आबंटन के लिए अपने आवेदन-पत्र में आवेदक को इस पद्धति के अन्तर्गत यूनिट को आबंटित पंजीकरण संख्या (और उसकी तिथि) उद्धृत करनी चाहिए । वैध पंजीकरण संख्या के बिना ऐसे आवेदन-पत्र सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिये जायेंगे । प्रत्येक लाइसेन्स प्राधिकारी और सरणीबद्ध अभिकरण को एतद्द्वारा मार्गें ऐसी सूचना मांगने के लिये प्राधिकृत किया जाता है जिसे पंजीकरण की वैधता या क्षेत्र के विषय में वह अपने आपको सन्तुष्ट करने के लिए आवश्यकता समझे ।

55. (1) राज्य उद्योग निदेशकों, लाइसेन्स प्राधिकारियों और संबद्ध सरणीबद्ध अभिकरणों को उनके क्षेत्राधिकार में लघु उद्योगों को जारी किए गए प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति भेजेंगे । राज्य के उद्योग निदेशकों द्वारा लाइसेन्सों को रद्द करने या उनमें कुछ संशोधन करने के विषय में सूचना लघु उद्योग को भेजे जाने वाले पत्र के साथ-साथ ही लाइसेन्स प्राधिकारियों और सरणीबद्ध अभिकरणों को प्रायोजक प्राधिकारियों को प्रत्येक लाइसेंसिंग अवधि के प्रारम्भ में उनके पास पंजीकृत एककों की एक अद्यतन सूची भी लाइसेन्स प्राधिकारियों और सरणीबद्ध अभिकरणों को भेजी जानी चाहिए ।

(2) यदि एक विद्यमान एकक एक नए अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिये (अतिरिक्त मशीनरी के साथ या उसके बिना) पंजीकृत हो तो राज्य के उद्योग निदेशक ऐसे नए अन्तिम उत्पाद की प्रविष्टि वर्तमान पंजीकरण प्रमाण-पत्र में करेंगे जो कि उस यूनिट के पास पहले से ही है; ऐसे मामलों में अलग पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा और सम्बद्ध यूनिट आयात लाइसेन्स के उद्देश्य के लिए विद्यमान यूनिट के रूप में समझी जाती रहेगी ।

56. यदि पंजीकरण के समय लघु यूनिट उत्पादन नहीं कर रही है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र अन्तिम जारी किया जाएगा । इसे यूनिट के उत्पादन प्रारम्भ करने पर स्थायी प्रमाणपत्र द्वारा परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

57. महानिदेशक, तकनीकी विकास की सूची से लघु पैमाना क्षेत्र को हस्तांरित की गई यूनिटों को अपने आपको तत्संबंधी राज्य उद्योग निदेशकों से शीघ्र ही पंजीकृत करा लेना चाहिए और इसी तरह इसके उलटे लघु पैमाना क्षेत्र से महानिदेशक, तकनीकी विकास को हस्तांतरित यूनिटों को । लेकिन, ऐसे मामलों में महानिदेशक, तकनीकी विकास या राज्य के उद्योग निदेशक, जो भी हो, के पास पंजीकरण के लिये पड़े हुए मामलों में संबद्ध एक वर्ष की अवधि के लिए अपनी वर्तमान स्थिति में ही आयात की सुविधा (पूंजीगत माल से भिन्न) प्राप्त करते रहेंगे ।

58. (1) लेकिन उपर्युक्त प्रावधानों की सामान्यता को ध्यान में रखे बिना गत वित्तीय वर्ष के लिए लघु पैमाने की यूनिटों के उपर्युक्त लाइसेंस पहले से उनके पास पंजीकरण प्रमाणपत्रों के आधार पर या लाइसेंसिंग अवधि में उनको जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर आवेदक द्वारा यह घोषणा प्रस्तुत करने पर प्रदान किए जाएंगे कि उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द नहीं किया गया है या वापस नहीं लिया गया है और यह कि यूनिट वास्तव में प्रचलित है ।

(2) उप-पैरा 1 में दिए गए प्रावधान सरणीबद्ध करने वाले अभिकरणों द्वारा सरणीबद्ध मदों के आबंटन के लिए भी लागू होंगे ।

आवेदन शुल्क

59. (1) आयात आवेदन-पत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए चुकाए जाने वाले शुल्क का मापक्रम आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची 3 में दिया गया है, देखिए इस पुस्तक का खण्ड-दो जिसमें सीमाशुल्क निकासी परमिटों के लिए मापक्रम भी शामिल है । प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क के भुगतान का लक्ष्य देते हुए एक वैध बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए । यदि आवेदक को आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत ऐसे भुगतान से छूट प्राप्त है तो यह स्पष्ट रूप से आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट होना चाहिए ।

(2) शुल्क चुकाने के लिए क्रियाविधि परिशिष्ट-2-ग में दी गई है ।

(3) सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण से नीति के अन्तर्गत सरणीबद्ध मद के सीधे आबंटन चाहने वाले आवेदक को शुल्क चुकाने की आवश्यकता नहीं है ।

(4) यदि अनुमेय हो तो, जमा किए गए आवेदन शुल्क की वापसी मांग के लिए अनुसरण की जाने वाली क्रिया विधि परिशिष्ट 2-ग में दी गई है ।

आयात लाइसेंसों के अनुमोदन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/तिथियां

60. (1) वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक और गैर--औद्योगिक) से विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र को प्राप्ति की अंतिम तिथि सम्बन्धित प्रयोजन अधिकारियों और सम्बन्धित लाइसेंसिंग अधिकारियों के द्वारा निम्न प्रकार से रखी जायेगी।

क्र० सं०	आवेदन पत्र का प्रकार	आवेदक पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि प्रयोजक अधिकारी द्वारा	लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा
1	2	3	4
(1)	कच्चे माल संघटक उपभोज्य और अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए	(i) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उस लाइसेंसिंग वर्ष की 31 जनवरी जिस लाइसेंस वर्ष से आवेदन पत्र सम्बन्धित था	(i) संबंधित प्रायोजक अधिकारी द्वारा विधिवत संस्तुति प्राप्त लाइसेंसिंग वर्ष 1990-91 और 1991-92 की अवधि में उस लाइसेंसिंग वर्ष का 31 मार्च जिससे आवेदन पत्र संबंधित था ।
(2)	सामान्य हकदारी के अनुसार प्रतिबन्धित/वारन्टी अतिरिक्त पुर्जों के लिए अनुपूरक लाइसेंस	शून्य	(ii) सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के साथ लाइसेंसिंग वर्ष का 31 मार्च
(3)	उपर में वर्णित हकदारी से अधिक अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए अनुपूरक लाइसेंस ।	(ii) लाइसेंसिंग वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान जिस वर्ष से आवेदन संबंधित है, लाइसेंसिंग वर्ष की 31 जनवरी ।	
(4)	कच्चे माल, संघटकों, उपभज्यों तथा अतिरिक्त पुर्जे, के आयात लाइसस लिए अनुपूरक लाइसस (वारंटी तथा बिक्री सेवा के बाद/प्रतिबंधित अतिरिक्त पुर्जों के लिए)	1992-93 के लाइसेंसिंग, वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए 15 दिसम्बर, 1992	सम्बन्धित प्रायोजिक प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित वर्ष 1992-93 के लाइसेंसिंग वर्ष के आवेदनों के लिए 15 फरवरी, 1993
(5)	वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) अनुपूरक लाइसेंस दिए जाने के लिए आवृत्ति प्रचालन	प्रायोजक अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं	उस लाइसेंसिंग वर्ष की 28 फरवरी, जिससे आवेदन-पत्र सम्बन्धित है ।
(6)	आटोमैटिक लाइसेंस	प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से, प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं	उस लाइसेंसिंग वर्ष का 30 सितम्बर जिससे आवेदन-पत्र सम्बन्धित है ।
(7)	प्रजनन के उद्देश्य से सांडों और घोड़े के बच्चों के आयात के लिए लाइसेंस	कुछ नहीं	उस लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मई, जिससे आवेदन-पत्र सम्बन्धित है ।

--------		-----------
(8) पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(9) आयात कालीन स्पेयरस के आयात के लिए लाइसेंस	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(10) व्यक्तियों द्वारा वैयक्तिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(11) अन्य	कुछ नहीं	उस लाइसेंसिंग वर्ष की 28 फरवरी, जिससे आवेदन-पत्र सम्बन्धित है ।

(2) स्टार निर्यातकों सहित पंजीकृत निर्यातकों से आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि निम्नलिखित होगी:—

क्रम सं०	आवेदन-पत्र का प्रकार	लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	2	3
(1)	आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस	निर्यात के समय की समाप्ति के उपरान्त तीन महीने की समयावधि के अंदर अथवा परेषित निर्यातों के मामले में, जैसा भी मामला हो, बिक्री की प्राप्ति की अवधि की समाप्ति से
	टिप्पणी (1) :	ऐसे मामलों में जहां बिक्री की अग्रिम प्राप्ति हो जाती है अथवा जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित आस्थगित अदायगी शर्तों के अनुसार निर्यात किया जाता है, आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आवेदन प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा की गणना वास्तविक निर्यातों के समय के संदर्भ में की जायेगी।
	टिप्पणी (2) :	आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के दिए जाने के लिए दूसरा आवेदन-पत्र तथा देर से प्रस्तुत आवेदन-पत्रों के मामलों में, पुस्तक के पैरा 304 में निहित प्रावधान लागू होंगे।
(2)	अतिरिक्त लाइसेंस	उस लाइसेंसिंग वर्ष का 30 सितम्बर जिससे आवेदन-पत्र सम्बन्धित है ।
	टिप्पणी (1) :	ऐसे मामलों में जहां निर्यात/सदन प्रमाणपत्र/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र सम्बन्धित लाइसेंसिंग वर्ष के 30 सितम्बर के बाद जारी किया जाता है वहां लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र निर्यात सदन प्रमाण-पत्र, व्यापार सदन प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तिथि से दो माह की समयावधि के अंदर प्रस्तुत करना होगा ।
	टिप्पणी (2) :	देर से प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर इस पुस्तक के पैरा में 304 निहित प्रावधानों के अनुसार विचार किया जायेगा ।
(3)	शुल्क मुक्त स्कीम/ डायमंड अग्रदाय लाइसेंस के अन्तर्गत अग्रिम/ विशेष अग्रदाय लाइसेंस ।	कुछ नहीं

3. आई.आर.एम.ए.सी. लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्र प्राप्ति की कोई अंतिम तिथि नहीं होगी ।

4. यदि उल्लिखित अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश रहता है अथवा आवेदक के सामर्थ के बाहर के कारणों से, आवेदन-पत्र उक्त अंतिम तिथि को या उससे पहले लाइसेंसिंग अधिकारी/कार्यालय में नहीं पहुंच पाता है तो आगामी कार्य दिवसों पर प्राप्त आवेदन-पत्र को उल्लिखित अन्तिम तिथि पर ही प्राप्त माना जायेगा ।

5. ऊपर निर्धारित अंतिम तिथि (यों) के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और एसे मामलों में शुल्क वापसी अनुमेय नहीं होगी ।

त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र

61. आयात आवेदन-पत्र जो (1) निर्धारित प्रपत्र में नहीं होंगे; (2) अपेक्षित आवेदन शुल्क के लिए बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ नहीं होंगे; (3) आवश्यक दस्तावेजों के साथ नहीं होंगे; (4) जिन के साथ हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के प्राधिकार को निर्दिष्ट करने वाले दस्तावेज नहीं होंगे या (5) जो नीति में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त किए जाएंगे, उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा । आवेदकों से आशा की जाती है कि वे आवेदन-पत्र के सभी कालम सत्यता-पूर्वक और उचितरूप से पूर्ण करेंगे । इन सब बातों को सुनिश्चित रूप से पूर्ण करने के लिए वे काउण्टर सहायता पद्धति से सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

आवेदन-पत्रों की प्रारम्भिक संवीक्षा के लिए स्क्रीनिंग समिति

62. (1) आयातकों/निर्यातकों के प्रत्यायक की प्रारम्भिक जांच के लिए सभी लाइसेंसिंग कार्यालयों में उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के नेतृत्व में या उससे ऊंचे अधिकारी और मुख्य नियन्त्रक आयात-निर्यात के मुख्यालय में स्क्रीनिंग समितियों का गठन किया गया है । इन समितियों के निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

1. (क) निर्यात आयुक्त-मुख्यालय के लिए

(ख) लाइसेंसिंग कार्यालय के प्रमुख-संबंधित लाइसेंसिंग कार्यालय के लिए

2. आयकर विभाग/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के प्रतिनिधि

3. तकनीकी प्राधिकरण महानिदेशक तकनीकी विकास निदेशक उद्योग के प्रतिनिधि

4. संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि

(2) नए आयातकों/निर्यातकों से निम्न श्रेणियों के प्राप्त आवेदन-पत्र या नियमित आयातकों/निर्यातकों से प्राप्त आवेदन-पत्र जो कि आयात-निर्यात नियंत्रण अधिनियम और उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत प्रतिकूल नोटिस में आये हैं । जिनका प्रत्यक्ष आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन को नहीं मालूम है, उन्हें स्क्रीनिंग समिति के प्रारम्भिक जांच से गुजरना होगा ।

(1) आयात निर्यात कोड सं. प्राप्त करने के लिए

(2) एस.पी.एस. पंजीयन संख्या प्राप्त करने के लिए

(3) शुल्क छूट स्कीम के अन्तर्गत अग्रिम विशेष अग्रदाय लाइसेंस की प्राप्ति के लिए चाहे वह अग्रिम लाइसेंसिंग समिति के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में आता हो या जहां निवेश और उत्पाद के नियम बने हुए हों ।

(4) डायमण्ड रत्न एवं आभूषणों के अग्रदाय लाइसेन्स की प्राप्ति के लिए

(3) इन स्क्रीनिंग समितियों को सचिवालय सहायता संबंधित अनुभागों, जो उपर्युक्त प्रकार के आवेदन-पत्र देखते हैं, द्वारा दी जाएगी ।

(4) स्क्रीनिंग समितियों की बैठक पखवारे में एक बार या प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार की जायेगी ।

(5) स्क्रीनिंग समितियां नए आवेदकों के प्रत्येक और वास्तविकता के बारे में आश्वस्त होने के बाद, यदि आवश्यक होगा तो संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा गुणों के आधार पर आगे जांच-पड़ताल के लिए सिफारिश किए जाने पूर्व समिति आवेदक की स्थिति की जांच करेगी ।

(6) यदि स्क्रीनिंग समिति का यह दृष्टिकोण है कि आवेदक के प्रत्ययक संतोषजनक नहीं है तो वे आवेदन-पत्र को अपील शर्त पर अस्वीकार कर सकती है ।

(7) लाइसेंसिंग कार्यालय या मुख्यालय की स्क्रीनिंग समिति के निर्णय के लिए खिलाफ अपील मुख्यालय में मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को की जा सकती है जो कि व्यथित फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दे सकते हैं फर्म चाहे तो, और अपील पर आदेश जारी कर सकते हैं ।

(8) पूर्वोक्त धारा के होते हुए भी जहां कहीं भी लाइसेंसिंग कार्यालय के प्रमुख उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात से निम्न एनरोलमेंट स्तर के न हो, आयात-निर्यात कोड नम्बर/एस.पी.एस. एनरोलमेंट नम्बर/शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत अग्रिम या विशेष अग्रदाय लाइसेंस/डायमण्ड रत्न और आभूषणों के लिए अग्रदाय लाइसेन्स देने के लिए प्राधिकृत हैं यदि वे स्वयं इस बात से सन्तुष्ट हैं कि आवेदक एक विनिर्माता/निर्यातक है। वे लिखित में आदेश दे सकते हैं कि आवेदक का केस स्क्रीनिंग समिति की पूर्व जांच की शर्ताधीन नहीं है ।

मुद्रा क्षेत्र

63. निम्नलिखित दो प्रकार के आयात लाइसेन्स जारी किए जाते हैं :—

(1) "सामान्य मुद्रा क्षेत्र लाइसेन्स" जो सभी देश से आयात के लिए वैध है, किन्तु उन देशों को छोड़कर जहां से आयात निषेध है; और

(2) "विशिष्ट लाइसेन्स" जो कि विशिष्ट वंश या देशों से आयात के लिए वैध हैं ।

लाइसेंसिंग अवधि

64. आयात एवं निर्यात नीति तीन वर्षों के लिए घोषित की गई है । लेकिन, "लाइसेंसिंग अवधि" अप्रैल से मार्च तक जारी रहेगी ।

मदों का वर्गीकरण

65. (1) इस पुस्तक के खण्ड-2 में उद्धृत आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-1 आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के नाम से जानी जाती है और इसमें आयात व्यापार के अंतर्गत आने वाले सभी मदों का वर्गीकरण दिया गया है ।

(2) इस पुस्तक के खण्ड-2 में उद्धृत आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-1 में पहली अप्रैल, 1988 से सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अनुसार (संशोधन) किया गया है । संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के 21 खण्ड हैं, जिन्हें 99 अध्यायों में उप-विभाजित किया गया है ।

दो प्रतियों में जारी किया गया लाइसेंस

66. सामान्यतः आयात लाइसेन्स की दो प्रतियां जारी की जाती हैं । इनमें से एक प्रति, जो सीमा शुल्क के प्रयोजन के लिए होती है, आयातकर्ता को आयात किए गए माल को छुड़ाने के लिए प्रविष्टि बिल के साथ सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी । दूसरी प्रति अर्थात् विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति आयातक को साख-पत्र प्राप्त करने के लिए या विदेशी मुद्रा भेजने के लिए बैंक को प्रस्तुत करनी है आयातकों को ऐसा प्रेषण करते समय मुद्रा विनियमन नियंत्रण प्रक्रिया के अनुसार प्रपत्र भरना पड़ेगा । जिन मामलों में विदेशी मुद्रा न भेजी जानी हो, उनमें लाइसेन्स को मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति जारी नहीं की जाती ।

लाइसेन्सों को संयुक्त धारक के रूप में बैंक

67. (1) जहां किसी आयातकर्ता ने किसी बैंक के माध्यम से एक अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोला हो और बाद में वह बिल की अदायगी न कर पाए और उस सम्बन्धित बैंक ने विदेशी पूर्तिकर्ताओं को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने का वचन भी दिया हो तो बैंक को आयात करने में काफी कठिनाई होती है क्योंकि उसके पास लाइसेन्स नहीं होता । ऐसी सम्भावना से बचने के लिए विनिमय बैंक या जिन प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से साख-पत्र खोला गया हो उन्हें उस सीमा तक लाइसेन्स का संयुक्त धारक समझा जाएगा, जहां तक वे वस्तुएं उस क्रेडिट के अंतर्गत आती हों, इससे बैंक विदेशी पूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए वचन का पालन कर सकता है ।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1)) में उल्लिखित मामलों में और उन मामलों में भी जहां सामान किसी बैंक या किसी राज्य वित्त निगम के पास बंधक हो और उधारकर्ता अपनी शर्तों को पूरा न करें तो जैसा भी मामला हो, बैंक या राज्य वित्त निगम के पास रखे आयातित सामान के संबंध में यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10-ग के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । ऐसे मामलों में इस पुस्तक में लिखी कार्य पद्धति के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं या राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम, राज्य लघु उद्योग या इसी प्रकार की किसी अन्य एजेन्सी को सामान बेचा जा सकता है ।

(3) इस संबंध में निम्नलिखित कार्यावधि तत्काल अपनाई जाएगी :—

(1) ऐसे मामलों में सामान की निकासी करने वाले बैंक सीमा शुल्क कार्यालय को इस आशय का प्रमाण-पत्र देंगे कि सामान का आयात कर लिया गया है और वैध आयात लाइसेन्स और पक्के अपरिवर्तनीय साख-पत्र के प्राधिकार के अधीन बैंकों या उनके एजेन्टों ने विदेशी मुद्रा प्रेषित कर दी है ।

(2) वे लाइसेन्स की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति भी प्रस्तुत करेंगे और यदि वह उपलब्ध न हो, तो वे लाइसेन्स और लाइसेन्सधारी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे ।

(3) लाइसेन्स पर पृष्ठांकन करने का प्रभाव यह होगा कि यदि धनराशि की प्रविष्टि सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में की जाएगी और उसमें इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा कि माल की निकासी बैंकों द्वारा की गई है । यदि मूल लाइसेन्सधारी आयात लाइसेन्स की सीमा शुल्क प्रति बाद में और जैसे ही प्रस्तुत करता है तो यह वस्तु स्थिति तत्काल अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी कि कुछ ऐसा सामान भी पहले ही छुड़ा लिया गया है जो लाइसेन्स में शामिल है और तब सीमा शुल्क कार्यालय उस सामान की राशि को लाइसेन्स के नामे डाल देगा ।

(4) लाइसेन्स की सीमा शुल्क प्रति के किसी अन्य पत्तन उपयोग न करने को सुनिश्चित करने हेतु बैंकों द्वारा ऐसी निकासी की सूचना लाइसेन्स के शेष मूल्य के साथ सीमा शुल्क द्वारा सभी अन्य पत्तनों को भेजी जाएगी ।

लाइसेंसों के मूल्य के नामे डालने के लिए प्रक्रिया

68. पंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों आदि के संबंध में आयात लाइसेन्सों के मूल्य नामे डालने के लिए विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट 2-थ में दी गई है ।

69. भारत अमरीका समझौते के ज्ञापन के अन्तर्गत आयात

1. भारत अमरीका के समझौते के ज्ञापन के अंतर्गत कुछ विशेष पंजीगत माल, कच्चा सामान, संघटकों आदि का आयात अमरीका के निर्यात नियंत्रण अधिनियम की शर्तधीन है। अमरीका सरकार तथा भारत सरकार के बीच समझौते ज्ञापन के संदर्भ में अमरीका संभरकों को भारतीय आयातकों द्वारा उन प्रयोजनों के लिए जिनके लिए आयात प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है तथा इन मदों के अमरीकी निर्यातकों को निर्यात लाइसेन्स प्राप्त करना होगा ।

2. उपरोक्त के अनुसरण में आयात प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित मनोनीत अथवा प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों (आई.सी.आई.ए.) की व्यवस्था की गई है :—

(1) इलैक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर बेसड सिस्टम आयात के लिए ।

(2) तकनीकी विकास महानिदेशालय संगठित सेक्टर एककों, जो इसके अधीन पंजीकृत हों (कम्प्यूटर) और कम्प्यूटर बेसड सिस्टम के आयात के अतिरिक्त) ।

(3) रक्षा मंत्रालय—केवल सुरक्षा से सम्बन्धित मदों के लिए ।

(4) मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात लघु उद्योगों तथा अन्य जो उपर्युक्त कहीं शामिल न हों ।

(5) भारत का दूतावास, वाशिंगटन, डी.सी.—उपरोक्त में से किसी के भी लिए ।

3. इन सभी मामलों में आयात प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन परिशिष्ट-2ख में दिए गए प्रपत्र में दिए जाने होंगे आयातक ऐसे आवेदन-पत्र संबंधित आयात प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों (आई.सी.आई.ए.) को करेंगे जैसा कि उपरोक्त उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट है ।

4. लघु एककों के मामले में कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर आधारित सिस्टम को छोड़कर खुले सामान्य लाइसेंस मदों के आयात के आवेदनों सहित आयात प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन डेवेलपमेंट कमिश्नर (लघु उद्योग के कार्यालय के माध्यम से दिए जाएंगे । डी.सी. (लघु उद्योग) का कार्यालय आयात प्रमाण-पत्र देने की सिफारिश करते हुए यह प्रमाणित करेगा कि आयात की जाने वाली मदें खुले सामान्य लाइसेन्स के अंतर्गत आती हैं । इस सिफारिश के आधार पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय आवेदक को आयात प्रमाण-पत्र और आयात लाइसेन्स जारी करेगा ।

5. खुले सामान्य लाइसेन्स मदों के आयात के मामले में पात्र आयातक उपरोक्त उप पैरा-2 के अनुसार आई.सी.आई.ए. को आयात प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन करेंगे । आई.सी.आई.ए. द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे तथा आयातक को सीधे ही भेजे जाएंगे तथा इसकी एक-एक प्रति (1) विदेश मंत्रालय (ए.एस.एस. अनुभाग) नई दिल्ली, (2) इलेक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली और (3) मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय (आई.पी.सेल) नई दिल्ली को भेजी जाएंगी ।

6. लाइसेन्स उपयुक्त मदों के आयात के मामले में आयात नीति और प्रक्रिया पुस्तक के अनुसार सामान्य प्रक्रिया आयात लाइसेन्स दिए जाने के लिए आयात नीति और प्रक्रिया को अपना कर संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर जारी की जाएगी । आयात लाइसेन्स दिए जाने के पश्चात उपर्युक्त उप पैरा (2) में उल्लिखित आई.सी.आई.ए. द्वारा आयात प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे ।

नई/प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों द्वारा आयात

70. नई/प्रस्तावित औद्योगिक इकाईयों जो अनुपूरक लाइसेन्स या पूंजीगत माल लाइसेन्स संबंधित लाइसेन्सिंग प्राधिकरण से प्राप्त कर रही हैं या संबंधित सरणीबद्ध एजेन्सी सरणीबद्ध मदों का आबंटन प्राप्त कर रही है को लाइसेन्स/सरणीबद्ध मदों की राशि के 25% तक की राशि की बैंक गारण्टी का बांड इस आशय से निष्पादित करना होगा कि इस बारे में वे संबंधित प्रायोजिक प्राधिकारी से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उक्त एकक में आयातित मद का उपयोग 18 माह के समय के भीतर किया था (या ऐसा बढ़ाया हुआ समय जो लाइसेन्सिंग प्राधिकारी सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा अनुमित किया गया था) आयातित माल के प्रथम परेषण की निकासी प्राप्त हो जाने की तिथि से या सरणीबद्ध मदों की वास्तविक विमुक्ति से जैसा भी मामला हो वो विनिर्माण के लिए किया है जिसके लिए सरणीबद्ध मद आबंटन/लाइसेन्स दिया गया था । ऐसा प्रमाण-पत्र उपरोक्त अनुबद्ध समय के समाप्ति के एक माह के भीतर ही देना होगा । बैंक गारण्टी सहित निष्पादित उक्त बांड प्रथम आयातित परेषण की सीमा शुल्क से निकासी से पहले या संबंधित सरणीबद्ध अभिकरण से प्रथम परेषण की वास्तविक विमुक्ति जैसा भी मामला हो, संबंधित लाइसेन्सिंग प्राधिकरण या के लाइसिंग एजेन्सी जैसा भी मामला हो द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए । इन प्रयोजनों के लिए बैंक गारण्टी और बांड का प्रोफार्मा परिशिष्ट 2-ग में दिया गया है । लाइसेन्सिंग प्राधिकारी/संबंधित सरणीबद्ध अभिकरण की संतुष्टि तथा जैसा कि इस पैरा में दिया गया है निर्यात आभार की प्रतिपूर्ति के पश्चात् ही बैंक गारण्टी सहित उक्त बांड का विमोचन करेंगे ।

पंजीकरण का पत्तन

71. आयात तथा निर्यात नीति के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक आयात लाइसेन्स, यदि अन्यथा रूप से विशिष्टिकृत नहीं हो, तो भारत में किसी भी सीमा शुल्क पत्तन (वायु सीमा शुल्क सहित) के माध्यम से माल के आयात के लिए वैध होगा । किसी भी प्रकार का पृष्ठांकन नहीं किया जाएगा या इस संबंध में इसकी आवश्यकता नहीं होगी । अतः प्रत्येक लाइसेन्सधारी को सलाह दी जाती है कि वह अपने लाइसेन्स को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और उसमें बताए गए नियम एवं क्रियाविधि के अंतर्गत पत्तन के उस उचित सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराएं जिसके माध्यम से वह आयात करना चाहता है ।

सहायक लाइसेंसिंग

72. (1) किसी एक सीमा-शुल्क भवन के विभिन्न अनुभागों के माध्यम से माल की निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए लाइसेन्सिंग प्राधिकारी वर्तमान वास्तविक उपयोक्ता लाइसेन्स के मद्दे सहायक लाइसेन्स जारी करने के अनुरोध पर विचार करेंगे। सहायक लाइसेन्स जारी करने के लिए अनुरोध उसी सम्बद्ध लाइसेन्सिंग प्राधिकारी को किया जा सकता है जिसने मुख्य लाइसेन्स जारी किया है ।

(2) हवाई अड्डों पर माल की निकासी के लिए सहायक लाइसेन्स हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क प्राधिकारी के माध्यम से माल की निकासी के लिए सहायक लाइसेन्स जारी करने के अनुरोधों पर भी विचार किया जाएगा ।

(3) सहायक लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र आवेदक को सहायक लाइसेन्स के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए :—

(1) सम्भरक देश के माल के प्रेषण/पोतलदान के लिए सहायक लाइसेन्स के आवेदन-पत्र काफी पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिएं । तथापि लाइसेन्सिंग प्राधिकारी मुख्य लाइसेन्स के समाप्त होने के बाद सहायक लाइसेन्स देने के आवेदन-पत्र पर विचार कर सकता है ताकि मुख्य लाइसेन्स की वैधता अवधि के भीतर लदान किए गए माल की लाइसेन्सधारी निकासी करने में समर्थ हो सके ।

(2) सहायक लाइसेन्स देने की सुविधा तभी दी जाएगी जब कि मूल लाइसेन्स का मूल्य 50 लाख रुपए या अधिक हो । प्रत्येक सहायक लाइसेन्स का मूल्य और इसके साथ ही साथ मुख्य लाइसेन्स में शेष रहा मूल्य 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा ।

(3) सहायक लाइसेन्स की केवल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति ही जारी की जाएगी और सहायक लाइसेन्स जारी करते समय लाइसेन्सिंग प्राधिकारी उसी पर पंजीकरण पत्तन को पृष्ठांकित करेगा । किसी भी हालत में सहायक लाइसेन्स की मुद्रा विनिमय नियंत्रक प्रति जारी नहीं की जाएगी ।

(4) जहां सहायक लाइसेन्स प्रदान किया जाए तो वह अंकित मूल्य के प्रतिबंध या मुख्य लाइसेन्स के लिए लागू किन्हीं अन्य शर्तों के अधीन होगा । आयातकों के लिए छूट है कि वे अंकित मूल्य प्रतिबंध की अनुमेय सीमा में विशेषतया वैध मदों के लिए अलग से सहायक लाइसेन्स के लिए आवेदन करें और प्राप्त करें । उन लाइसेन्स जिन पर प्रतिबंधित अनुमेय मदों का मूल्य दर्शाया गया हो मुख्य या मूल लाइसेन्स के मद्दे गैर-प्रतिबंधित मदों के लिए आयात के लिए भी वैध होगा ।

(5) सहायक लाइसेन्स के लिए आवेदन के साथ प्रत्येक सहायक लाइसेन्स के लिए रु. 100/- (केवल सौ रुपए) आवेदन-शुल्क की अदायगी की बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट लगा होना चाहिए ।

(6) सहायक लाइसेन्स की वही वैध-अवधि होगी जोकि मुख्य लाइसेन्स की है । पुनर्वैधीकरण यदि कोई हो, मुख्य या मूल लाइसेन्स के संबंध में मंजूर किया जाता है तो वह सहायक लाइसेन्स पर भी लागू होगा । लाइसेन्सिंग प्राधिकारी की सुविधा के लिए सहायक लाइसेन्स पर वैध अवधि को दर्शाएगा ।

(7) संदर्भ और जांच की सुविधा की दृष्टि से सहायक लाइसेन्स पर मुख्य लाइसेन्स की संख्या और तारीख पृष्ठांकित की जाएगी ।

जब सहायक लाइसेन्स जारी किया जाएगा तो लाइसेन्सिंग प्राधिकारी मुख्य लाइसेन्स पर उपयुक्त पृष्ठांकन करेगा । (सीमा-शुल्क उद्देश्य के लिए प्रति) और इसे सहायक लाइसेन्स के मूल्य/मदों की सीमा में उस माल की निकासी के लिए वैध करेगा ।

"स्पिलट-अप लाइसेन्स"

73. (1) लाइसेन्सिंग प्राधिकारी विभिन्न सीमा-शुल्क पत्तनों पर माल की निकासी हेतु मुख्य लाइसेन्स के मद्दे "स्पिलट अप" लाइसेन्स(सों) को जारी करने के लिए अनुरोधों पर विचार कर सकते हैं । आवेदकों को आयात लाइसेन्सों की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय "स्पिलट अप" लाइसेन्स (सों) के जारी किए जाने के लिए विशिष्ट अनुरोध करना चाहिए ।

(2) प्रत्येक "स्पिलट अप" लाइसेन्स की न्यूनतम मूल्य 25 लाख रुपए होगा ।

(3) वास्तविक उपभोक्ता लाइसेन्सों के मामले में "स्पिलट अप" लाइसेन्स (सों) जारी करते समय लाइसेन्सिंग प्राधिकारी मूल लाइसेन्स के साथ-साथ प्रत्येक "स्पिलट अप" लाइसेन्स को निम्न प्रकार से पृष्ठांकित करेगा :—

"लाइसेन्सधारी इस बात को सुनिश्चित करेगा कि मुख्य लाइसेन्स और "स्पिलट अप" लाइसेन्स(सों) दोनों के मद्दे किया गया "एकल मद" को कुल आयात निर्धारित न्यूनतम मूल्य सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और वह सम्बद्ध प्रविष्टि बिल पर इस संबंध में एक घोषणा हस्ताक्षरित करेगा ।

(4) इस मामले में जहां मुख्य लाइसेन्स किसी मद के आयात हेतु प्रतिशत मूल्य सीमा के साथ-साथ कुल मिला कर अधिकतम मूल्य सीमा दोनों के अध्यधीन वैध हो, मुख्य लाइसेन्स और प्रत्येक "स्पिलट अप" लाइसेन्स पर भी दो प्रतिशत मूल्य सीमा के अलावा, उनके संबंध में यथानुपात विशिष्ट मूल्य सीमा भी दी जाएगी, ताकि "स्पिलट अप" लाइसेन्स (सों) का मद-वार मूल्य अनुमेय सीमा से अधिक न हो ।

(5) अतिरिक्त लाइसेन्सों के मामले में संबंधित लाइसेन्सिंग प्राधिकारी "स्पिलट अप" लाइसेन्स(सों) को जारी करते समय इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ढील की सुविधा जहां कहीं अनुमेय हो उसके अंतर्गत कुल धारिता को केवल मुख्य लाइसेन्स पर ही रखा जाएगा ।

(6) उपर्युक्त "स्पिलट अप" लाइसेन्स सुविधा आर.ई.पी./स्पेशल आर.ई.पी. लाइसेन्सों, डी.टी.सी. और डायमंड आभूषण लाइसेन्सों और शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत जारी लाइसेन्सों के संबंध में उपलब्ध नहीं होगी ।

(7) प्रत्येक "स्पिलट अप" लाइसेन्स के लिए 500/- रुपए की फीस बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगी ।

प्रतिस्थापन लाइसेंस

74. (1) पहले आयात किया हुआ माल जो खराब पाया गया था या प्रयोग के लिए दोषपूर्ण पाया गया था या आयात के बाद खो गया था या नष्ट हो गया था, उस माल के बदले में आयात किए गए माल की निकासी खुले सामान्य लाइसेंस सं. 4 के अधीन अनुमेय की जाएगी बशर्ते कि उक्त खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन निर्धारित शर्तें पूर्ण कर दी गई हों। ऐसे प्रतिस्थापन आयात के संबंध पोत लदान उस तिथि से 24 मास के भीतर करना चाहिए जिस तिथि से सीमा-शुल्क द्वारा पहले हो आयात किए गए माल की निकासी की गई हो या मशीनों या उनके पुर्जों के मामलों में गारण्टी अवधि के भीतर पोत लदान करना चाहिए। उन मामलों में जहां पोत लदान 24 मास के भीतर नहीं किया गया है, सामान्यतया उस पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन, आवेदक के नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से वास्तविक कठिनाइयों वाले मामले में लाइसेंस प्राधिकारी प्रत्येक मामले के निवेदन पर गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा। ऐसे मामलों में, आवेदकों को चाहिए कि वे वही दस्तावेज प्रस्तुत करें जो आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस सं. 4 में निर्धारित किए गए हैं, और यह कारण भी बताएं कि खुले सामान्य लाइसेंस सं. 4 के अधीन क्यों नहीं किए जा सके।

(2) जिन मामलों में वास्तविक आयात होने से पहले माल का लदान या अवतरण कम मात्रा में हुआ पाया जाए या माल यात्रा में खोया गया पाया जाए और इसका पता कस्टम के माध्यम से निकासी के समय चले तो वह माल पूरा करने के लिए कोई नया लाइसेंस उन मामलों में जारी नहीं किया जाएगा जिनमें जिस आयात लाइसेंस के मद्दे आयात किया गया था वह अब भी वैध हो। ऐसे मामलों में कम मात्रा में लादे गए, कम मात्रा में अवतरित या यात्रा में खोए गए माल के बदले प्रतिस्थापन आयात कस्टम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर किए जा सकते हैं। उन मामलों में जहां कम माल के लदान का विदेशी संभरकों, जो कि बिना मूल्य के कम माल के लदान को बदलने के लिए तैयार है द्वारा सत्यापन किया गया है के लिए सीमा-शुल्क द्वारा कम माल के लदान के प्रमाण-पत्र के आधार पर सीमा-शुल्क निकासी परमिट जारी किया जाएगा। अन्य मामलों में कम मात्रा में लादे गए, कम मात्रा में उतारे गए या यात्रा में खोए गए, इनमें जो भी हो, उस माल के विषय में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नया लाइसेंस जारी किया जाएगा।

(3) उपर्युक्त उप-कण्डिका (1) और (2) में न आने वाले मामलों में प्रतिस्थापन लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी आवेदन-पत्र पर गुणवत्ता के आधार पर विचार कर सकते हैं। ऐसे आवेदन-पत्र संबद्ध आवेदकों की श्रेणी के लिए संगत प्रपत्र में दिए जाने चाहिएं।

आयात/सीमा-शुल्क निकासी परमिटों/रिलीज आदेशों की अनुलिपि प्रतियां

75. जहां लाइसेंस, (अग्रिम/अदाय लाइसेंस छोड़कर) सीमा-शुल्क निकासी परमिट या रिलीज आदेश खो जाता है या अस्थानस्थ हो जाता है तो अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन-पत्र पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी निवेदन की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट हो जाता है। सूखे मेवों के आयात के लिए, आयात लाइसेंस के मद्दे, लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी नहीं की जाएगी।

76. स्वतंत्र रूप से हस्तान्तरणीय आर. ई. पी. लाइसेंसों और अतिरिक्त लाइसेंसों के मामले में कोई अनुलिपि प्रति जारी नहीं की जाएगी। लेकिन, ऐसे मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी केवल उस स्थिति में अनुलिपि लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार कर सकते हैं जहां मूल लाइसेंस खो गया हो, या आयात तथा निर्यात नियंत्रण संगठन में अस्थानस्थ हो गया हो तो ऐसे आवेदन-पत्रों के लिए संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा निर्णय लिया जाएगा। (उन मामलों में जहां उप मुख्य नियंत्रक ही सब से बड़ा अधिकारी है, वहां जिस क्षेत्र में वह कार्यालय पड़ता है वहां के संयुक्त मुख्य नियंत्रक का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा)।

77. जिस पत्तन पर लाइसेंसधारी ने लाइसेंस पंजीकृत करवाया है, उसके संबंध में घोषणा-पत्र के साथ अनुलिपि लाइसेंस देने के लिए ऐसे आवेदन-पत्र मूल लाइसेंस/रिलीज आदेश जारी करने वाले लाइसेंस प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिएं। ऐसे आवेदन-पत्रों के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 100 रु. की बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट और परिशिष्ट 2-क में निर्धारित स्टाम्प पेपर पर उचित न्यायिक प्राधिकारी या नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र भी होना चाहिए।

78. लाइसेंस/रिलीज आदेश की अनुलिपि प्रति को अनुलिपि के रूप में चिन्हित किया जाएगा (आयात लाइसेंसों के मामले में सीमा-शुल्क निकासी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां दोनों पर) और लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट शब्दों में निम्न प्रकार से पृष्ठांकन किया जाएगा :—

चूंकि लाइसेंस/सीमा-शुल्क निकासी परमिट/रिहाई आदेश सं. . . . . दिनांक . . . . . का पूर्ण मूल्य या आंशिक मूल्य . . . . रु. तक उपयोग करने पर रद्द कर दिया गया था, इसके बदले में लाइसेंस/सीमा-शुल्क निकासी परमिट/रिहाई आदेश जारी किया गया है।

79. लाइसेंस की अनुलिपि जारी करने की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उस सीमा-शुल्क प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसके पास मूल लाइसेंस पंजीकृत कराता है। उन मामलों में जहां लाइसेंस सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाने से पूर्व खो गया है, उसकी सूचना सभी सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को भेजी जायेगी। मूल लाइसेंस रद्द करने के आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

आयात/सीमाशुल्क निकासी परमिटों/रिलीज आदेशों की अनुलिपि से आयात

80. (1) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर मूल्य के साथ जारी किए जाते हैं। आयात जिनके पास (1) आर.

ई. पी. लाइसेन्स (अतिरिक्त लाइसेंसों सहित), (2) कच्चे माल/संघटकों/उपभोज्यों/अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस तथा (3) पूंजीगत माल/हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट के लिए आयात लाइसेंसों, जो ऐसे लाइसेंसों के मद्दे एयर इण्डिया/इण्डियन एयर लाइन्स तथा इण्डियन वैसल्स जिसमें पूरे वैसल्स चार्टर्ड शामिल हैं अथवा ट्रांसशिपमेन्ट आधार पर या भारतीय शिपिंग कम्पनियों द्वारा सलोर चार्टर पर आधारित हैं और भारतीय तथा भारत में अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में वायुयान का भाड़ा चुकाते हैं, को चुकाए गए भाड़े के समतुल्य मूल्य के बराबर उस मात्रा के माल (बीमा प्रभारों सहित) का आयात अनुमित किया जाएगा। ऐसे चुकाए गए भाड़ों/प्रभारों की राशि को लाइसेन्स के नामे नहीं डाला जाएगा ताकि आयातक उस सुविधा का लाभ उठा सकें। लाए गए आयातित माल, चार्टर आधार पर जिसमें 'ट्रांसशिपमेन्ट' अथवा 'सलोर' चार्टर्ड वेसिस एयर इण्डिया/इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा सम्मिलित है, इसी प्रकार उपर्युक्त सुविधा के लिए भी पात्र होंगे।

(2) यह सुविधा इन शर्तों के अधीन होगी (1) आयात, लाइसेन्स के समस्त मूल्य से अधिक नहीं होगा (2) यदि लाइसेन्स में अलग मदों के लिए कोई अंकित मूल्य प्रतिबन्ध लगाया गया हो, तो वह बढ़ाया नहीं जाएगा, और (3) आयात संचालन हेतु अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

(3) जो लाइसेन्सधारी यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे इस विषय में लाइसेन्स प्राधिकारी से कोई पृष्ठांकन प्राप्त करें। यदि अन्यथा रूप से सही है तो इन व्यवस्थाओं के अनुसार सीमा-शुल्क प्राधिकारी आयात के लिए अनुमति देंगे। इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी भी ऐसे मामलों में विदेश में धन प्रेषण के लिए वायुयान भाड़े की धनराशि लाइसेन्स के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के नामे नहीं डालेंगे।

4. ऐसे लाइसेंसधारी जो इस सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक हैं उनके पास उनके आदेश और साखपत्र (जहां खोले गए हों) में यह स्पष्ट अनुबन्ध होना चाहिए कि विदेशी सम्भरक विदेश में एयर इण्डिया/इण्डियन एयर लाइन्स भारतीय पोत के बुकिंग कार्यालयों को यह परामर्श देगा कि प्रेषण (णों) को इस पैरे के अधीन भारत में आयात किया जा रहा/किए जा रहे हैं और इस संबंध में हवाई मार्ग बिल/पोत परिवहन बिल के ऊपरी सिरे पर सुस्पष्ट संकेत दिया जाना चाहिए। ऐसे संकेत बिल से एयर इण्डिया/इण्डियन एयर लाइन्स भारतीय पोत कम्पनी को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि प्रेषण वास्तविक रूप में उनके कैरियर/पोत द्वारा ही ले जाया गया था और न कि किसी पूलिंग व्यवस्था में एयर लाइन्स/पोत को हस्तांरित किया गया है।

5. लाइसेन्सधारक इसके लिए भी उत्तरदायी होगा कि लाइसेंसधारी उन लाइसेंस (सों) के ब्यौरे एयर इण्डिया/इण्डियन एयर लाइन्स/भारतीय पोत कम्पनी को भेजेंगे जिनके मद्दे इण्डियन एयर लाइन्स/पोत कम्पनी को सम्पर्क करने के समय आयात किया है और उसे एयर लाइन्स पोत के किसी साझीदार को हस्तांतरण करेगा। ब्यौरे नीचे दी गई सूचना स्लिप के प्रपत्र में भेजे जाने चाहिएं।

6. शुल्क छूट स्कीम के अन्तर्गत कोई लाइसेंसधारी केवल मूल्य में ही इस सुविधा को प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि लाइसेंस में निर्धारित मात्रा की सीमा में वृद्धि न हो। सीमा शुल्क प्राधिकारियों के मूल्यांकन के उद्देश्य से यदि लाइसेंस का लागत भाड़ा मूल्य ऐसे आयात के लिए पर्याप्त न हो, तो सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी लागत-बीमा-भाड़ा में मूल्य में वृद्धि करने का विचार कर सकते हैं, लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति पहले से लगाए गए निर्यात आभार के जहाज पर निःशुल्क मूल्य में अनुरूप वृद्धि के बिना विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में मूल्य में वृद्धि की मात्रा भारतीय रुपये में भुगतान की गई भाड़े की राशि तक सीमित होगी अथवा सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणीकृत लागत भाड़ा मूल्य में कमी तक होगी। इसके और संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए एयर इण्डियन/इण्डियन एयर लाइन्स/इण्डियन वैसल्स के माध्यम से आयातित माल के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में दस्तावेजी सबूत लाइसेन्सधारक द्वारा दिया जाएगा।

सूचना स्लिप

(1) लाइसेंसधारक का नाम और पता।

(2) उस आर. ई. पी./ए. यू./सी. जी. लाइसेंस की संख्या और तारीख जिसके मद्दे आयात किया गया है।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित आर. ई. पी./ए. यू./सी. जी. लाइसेंस का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित मूल्य में से निकासी के लिए पड़े/लम्बित आयात प्रेषण का मूल्य।

लाइसेन्सधारक या उसके

दिनांक :

स्थान :

पूर्तिकर्ताओं को भुगतान

81. (1) यदि खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत माल का आयात किया जाना है तो, विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत विक्रेता इस बात से संतुष्ट होने पर कि जिन वस्तुओं के आयात के लिए आदेश दिया गया है, वे वस्तुएं खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत शामिल की गयी हैं, तो उनके सम्बन्ध में वे साख-पत्र खोल सकते हैं या अन्य प्रकार से धन भेज सकते हैं।

(2) जो वस्तुएं खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत नहीं आती, उनके सम्बन्ध में जब तक आयातकर्ता के पास विदेशी मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति सहित एक वैध आयात लाइसेन्स न हो तब तक न तो साख-पत्र खोला जा सकता है और न ही विदेशी मुद्रा

भेजी जा सकती है । विदेशी मुद्रा के किसी प्राधिकृत विक्रेता को यदि विदेशी मुद्रा के प्रेषण के लिए आवेदन भेजना हो, तो लाइसेन्सधारी को चाहिए कि वह प्राधिकृत विक्रेता को लाइसेन्स की एक प्रति प्रस्तुत करें जिस पर "विदेशी मुद्रा नियंत्रक संबंधी प्रयोजनों के लिए" लिखा होना चाहिए ।

(3) यह नोट कर लेना चाहिए कि सौदे तय करने के प्रयोजन से जिस अवधि के लिए साख-पत्र खुला रखा जाना चाहिए । उसे निर्धारित करने के लिए कोई भी आयात-व्यापार समय खुले सामान्य लाइसेंस या वैध लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

लदान सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त करने से पहले कोई राशि न भेजी जाए

82. यह नोट कर लिया जाए कि यद्यपि सामान के लदान/रवानगी से पहले लाइसेंस की विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के आधार पर साख-पत्र खोला जा सकता है, लेकिन उसका प्रेषण तभी संभव होगा जब लदान संबंधी दस्तावेज प्राप्त हो चुके हों । पूंजीगत माल और भारी विद्युत संयंत्रों के लाइसेन्स के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी पूर्तिकर्ताओं को बयाने की राशि के रूप में आंशिक भुगतान करने का प्राधिकार दे सकता है ।

83. (1) आयात लाइसेन्स में दिया गया मूल्य हमेशा आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के बराबर होता है, और उसमें पूर्तिकर्ता/विनिर्माता द्वारा आयातकर्ता या एजेन्ट को दिया गया कमीशन भी शामिल होता है । सीमाशुल्क के प्रयोजनों के लिए आयात-लाइसेन्स की राशि के नामे डाले जाने वाला मूल्य, आयात की गयी वस्तुओं के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के बराबर होगा और इसका निर्धारण सीमा शुल्क प्राधिकारी करेंगे । आयात लाइसेन्स के अन्तर्गत दी गयी वस्तुओं के मूल्य की अदायगी के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियम लागू होंगे और इस राशि में विदेशी पूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं द्वारा आयातकर्ताओं/एजेन्टों को दिया जाने वाला कमीशन, छूट और इसी प्रकार की अन्य कटौतियों को शामिल नहीं किया जाएगा । अतः लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस पर इस आशय की एक शर्त विशेष रूप से लिखेगा कि इसके मद्दे किए जाने वाले प्राधिकृत भुगतान में विदेशी पूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं द्वारा भारत के आयातकर्ताओं/एजेन्टों को दिया जाने वाला कमीशन, छूट और इसी प्रकार की अन्य कटौतियां शामिल नहीं होंगी ।

टिप्पणी :—वस्तुओं के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य में जहाज के कुलियों का खर्च भी शामिल है, क्योंकि यह भी भाड़े का ही एक भाग है और ऐसे खर्च लाइसेन्स के नामे डाले जाते हैं ।

(2) यदि सामान पोत निःशुल्क भाव पर मंगाया गया हो तो लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का पूरी तरह उल्लेख नहीं हो सकता । ऐसे मामलों में, रुपयों में भुगतान करने के लिए बीमे और भाड़े की लागत के लिए कुछ गुंजाइश रखनी पड़ती है । जब भाड़े या बीमे की रकम का भुगतान भारत में रुपयों में हुआ है, तो उस राशि को विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत विक्रेता के लाइसेन्स के मूल्य में से घटा दिया जाएगा ।

सीमा-शुल्क सदनों द्वारा आयात लाइसेन्स को अनन्तिम रूप से नामे डालना

84. सीमा-शुल्क कार्यालय कभी-कभी आयातित वस्तुओं के भारित मूल्य को अनन्तिम रूप से आयात लाइसेन्सों की राशि के नामे डाल देते हैं । बाद में जांच करने के पश्चात या किसी अपील पर कोई लाइसेंस-अवधियों के बाद लदान की मात्रा कम कर दी जाती है 'भारित मूल्य' में कमी के कारण लाइसेन्स का पुनर्वैधीकरण नहीं किया जाएगा ।

विदेशों में मरम्मत होने के बाद माल का पुनः आयात

85. जो माल आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अनुच्छेद 11 (1) (ब) जो इस पुस्तक के खण्ड—दो में दर्शाए गए खुले सामान्य लाइसेन्स सं. 1 के अधीन नहीं आते हैं और जो मरम्मत करवाने और बाद में वापस मंगवाने के लिये निर्यात किए जाते हैं, उन मामलों में आयातक को पहले से ही आयात लाइसेन्स प्राप्त करना चाहिए और मरम्मत करवाने के लिए माल का निर्यात संबंध लाइसेन्स प्राधिकारी से उसके लिए पुनः लाइसेन्स प्राप्त करने के बाद करना चाहिए । जहां माल की मरम्मत करवाने के बाद पुनः आयात में विदेशी मुद्रा का भुगतान शामिल होता है, वहां मरम्मत, भाड़ा एवं बीमा की लागत के लिए प्रेषित की जाने वाली धन-राशि लाइसेंस के आवेदन-पत्र में संकेतित होनी चाहिए । तथापि, मरम्मत आदि के लिए विदेश भेजे जाने वाले उपभोक्ता ड्यूरेबलों के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

उपर्युक्त प्रावधान मरम्मत आदि के लिए बाहर भेजी गयी भारतीय मूल की मदों के लिए भी लागू होगा । लेकिन, ऐसे मामलों में महानिदेशक, तकनीकी विकास से इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा कि विषयाधीन माल की भारत में मरम्मत नहीं की जा सकती ।

टिप्पणी :—(1) उपरोक्त पैरा में निर्दिष्ट "मरम्मत" शब्द में पुनः संसाधित और उन्नयन करने को भी शामिल समझा जाए । तथापि महानिदेशक तकनीकी विकास से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक होगा कि उक्त संसाधन/उन्नयन भारत में नहीं किया जा सकता था ।

(2) आधिकृत विदेशी संवाददाताओं के मामले में व्यावसायिक उपकरणों की मरम्मत के लिए आवेदन-पत्रों पर प्रेस सूचना ब्यूरो की सिफारिश पर विचार किया जाएगा ।

निपटान गए, पुराने या पुनः ठीक किए गए माल का आयात

86. (1) 7 दिसम्बर, 1955 को यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अनुसार प्रत्येक लाइसेंस की एक शर्त यह है कि जब तक लाइसेन्स में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, जिन वस्तुओं के लिए लाइसेंस दिया गया है वे निपटान किए

गए माल से भिन्न नई वस्तुएं होंगी । निपटाने योग्य वस्तु चाहे वे नई ही क्यों न हों, उनको नई नहीं समझा जाएगा ।

(2) निपटाए जाने वाले या पुराने अथवा मरम्मत किए गए माल के आयात के लिए आवेदन मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना स्वीकार नहीं किए जाएंगे । लेकिन, मरम्मत किए गए पुराने पूंजीगत माल के आयात के लिए इस पुस्तक के अध्याय 3 में दी गई क्रिया-विधि लागू होगी ।

वास्तविक उपयोक्ता के व्यापार के नाम, गठन या स्वामित्व में परिवर्तन

87. जब तक हस्तान्तरी द्वारा पूर्ण रूप से या व्यक्तिगत रूप से हस्तान्तरक के बैध आभारों और दायित्वों को ले नहीं लिया जाता है तब तक लाइसेंसधारी के नाम गठन या स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली का अनुमोदन आवश्यक नहीं है ।

88. जहां इसके परिणामस्वरूप व्यापार क्रियाकलाप या लाइसेंसधारी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात् अंतर्गत सम्पत्ति में कोई हस्तान्तरण नहीं होता (उसके नाम में) तो वर्तमान लाइसेंस में किसी आवश्यक संशोधन के लिए इस लाइसेंसधारी को उस लाइसेंस प्राधिकारी के पास आवेदन करना चाहिए जिसने लाइसेंस जारी किया था । ऐसे निवेदन सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से किए जाने चाहिए ।

89. परिवर्तन की तिथि के बाद लाइसेंस के लिए दिए गए प्रथम आवेदन-पत्र में यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होना चाहिए कि उसके विनिर्माता के व्यापार के स्वामित्व या व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना उसके नाम में परिवर्तन हुआ है । यदि लागू आयात नीति की शर्तों के अनुसार ऐसे आवेदन-पत्र सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से न भेज कर सीधे ही लाइसेंस प्राधिकारी को भेजने की जरूरत पड़े तो वास्तविक उपयोक्ता अपने प्रमाण-पत्र के साथ प्रायोजक प्राधिकारी के लिए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रायोजक प्राधिकारी के पास वास्तविक नाम का पंजीकरण तदनुसार संशोधित कर दिया गया है ।

90. जहां वास्तविक उपयोक्ता के व्यापार के नाम में परिवर्तन होने पर या परिवर्तन हुए बिना उसके स्वामित्व या गठन (विभाजन द्वारा परिवर्तन भी उसमें शामिल है) में परिवर्तन होता है तब निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :—

(1) यदि मूल स्वामी से सम्बद्ध औद्योगिक एकक में आयातित मशीन या अन्य कोई आयातित माल रखा था तो उसे सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी से नए स्वामी या पुनः स्थापित उद्यम, जैसा भी मामला हो, व्यापार हस्तान्तरित करने की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए । मूल स्वामी को भी सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी को परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए । उस मामले में जहां किसी साझीदार के प्रवेश करने या अलग हो जाने से मृत्यु हो जाने के कारण व्यापार की व्यवस्था में परिवर्तन होता है और पुनः स्थापित फर्म उनके नाम या पते में परिवर्तन किए बिना ही सारा व्यापार संभाल लेती है तो प्रायोजक प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है । मूल फर्म को केवल परिवर्तन की सूचना लाइसेंस प्रदान करने वाले और सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों को भेजनी चाहिए ।

(2) ऊपर उल्लिखित (1) में परिवर्तन होने पर, मूल स्वामी को चाहिए कि हस्तान्तरित की जाने वाली सभी मशीनरी एवं एकक में उपयोग किए जाने के लिए आयातित सभी सामग्री को नए स्वामी या पुनः स्थापित उद्यम, जैसा भी मामला हो, के नाम में हस्तान्तरित कर दे ।

(3) जहां मूल स्वामी को आयात लाइसेंस जारी किया गया हो और उक्त लाइसेंस के मद्दे माल के आयात से पूर्व व्यापार के स्वामित्व या गठन में परिवर्तन हो जाता है, तो आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की शर्तों के अनुसार व्यापार के वास्तविक और नए स्वामी को, जिस लाइसेंस प्राधिकारी ने लाइसेंस जारी किया था, उस नए स्वामी या पुनः स्थापित उद्यम, जैसा भी मामला हो, के नाम में लाइसेंस हस्तान्तरण की अनुमति के लिए संयुक्त आवेदन-पत्र देना चाहिए। आवेदन-पत्र नए स्वामी के प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से दिया जाना चाहिए और आवेदन-पत्र में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि व्यापार के हस्तान्तरण के संबंध में वास्तविक स्वामी के लिए उचित अनुमोदन प्रायोजक प्राधिकारी से ले लिया है या नहीं जैसा कि ऊपर उपखंड (1) में बताया गया है ।

(4) यदि परिवर्तन के समय कोई उपर्युक्त लाइसेंस पास में नहीं है तो नए स्वामी या पुनः स्थापित उद्यम का जैसा भी मामला हो, परिवर्तन की तिथि के बाद लाइसेंस के लिए दिए गए प्रथम आवेदन-पत्र में यह स्पष्ट सूचित किया जाना चाहिए कि व्यापार के स्वामित्व या गठन में परिवर्तन हो चुका है यदि वर्तमान आयात नीति की शर्तों के अनुसार ऐसे आवेदन-पत्र सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी को न भेज कर लाइसेंस प्राधिकारी को सीधे ही भेजने आवश्यक हों तो आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का साक्ष्य होना चाहिए कि व्यापार के स्वामित्व या व्यवस्था के संबंध में वास्तविक स्वामी के लिए प्रायोजक प्राधिकारी का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और नए स्वामी को सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के पास विधिवत् पंजीकृत करवा दिया गया है ।

91. जहां वास्तविक उपयोक्ता फैक्टरी या आयातित मशीनरी का केवल एक ही हिस्सा हस्तान्तरित करता है या जहां वह व्यापार या फैक्टरी जिसके लिए उक्त माल आयात किया गया था, उसे बेचे बिना जब कोई वास्तविक उपयोक्ता किसी अन्य आयातित माल को बेचने का प्रस्ताव रखता है; या जहां वास्तविक उपभोक्ता अपनी फैक्टरी/विनिर्माण करने वाले एकक से संबंधित आयातित कच्चे माल, संघटक, उपभोज्य व्यापार को बेच देता है, परन्तु

खरीददार सम्बद्ध औद्योगिक सामग्री या अतिरिक्त पुर्जे प्राप्त नहीं करता है और वास्तविक उपयोक्ता को ऐसा माल दूसरा पार्टी को बेचना पड़ता है, तो ऐसी बिक्री इस अध्याय में अन्यथा रूप से निर्धारित प्रक्रिया और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10-ग द्वारा नियंत्रित होगी ।

92. प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर लाइसेंसों के हस्तान्तरण के आवेदन-पत्रों पर लाइसेंस प्राधिकारी केवल उन्हीं मामलों पर विचार करेगा जहां आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन हस्तान्तरी लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित या निलंबित या आस्थागित नहीं हुआ हो। उसी प्रकार से प्रायोजक प्राधिकारी व्यापार के हस्तान्तरण के निवेदनों पर केवल उन्हीं मामलों में विचार करेंगे जब हस्तान्तरक और हस्तान्तरी दोनों ही आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित या निलंबित या आस्थागित न किए गए हों ।

93. उपर्युक्त प्रावधान पंजीकृत निर्यातकों को जारी किए गये लाइसेंसों के लिए भी समान रूप से लागू होंगे । ये केवल आयात नीति, 1978-79 तथा इसके पश्चात् के अधीन जारी किए गए आर. ई. पी. लाइसेंसों में लागू नहीं होंगे, यदि वे स्वतंत्र रूप से हस्तान्तरणीय हों ।

आयातित माल का हस्तान्तरण करना/उधार देना

94. (1) जहां वास्तविक उपयोक्ता जिस उद्देश्य के लिए माल प्राप्त करता है, उसके लिए आयातित माल का उपयोग करने में असमर्थ होता है या आयातित माल उसकी आवश्यकताओं से अधिक है, तो वह सम्बद्ध प्रायोजक अधिकारी की लिखित अनुमति से अन्य वास्तविक उपयोक्ता को ऐसे आयातित माल को हस्तान्तरित कर सकता है या उधार दे सकता है बशर्ते कि क्रेता और विक्रेता वास्तविक उपयोक्ता (उधार देने वाला और लेने वाला) एक ही प्रायोजक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में हों । "तथापि, उन फर्मों के संबंध में जिनकी एक से अधिक यूनिट उसी ही प्रकार के उत्पाद का विनिर्माण करती है लेकिन एक ही स्थान अथवा भिन्न राज्यों में उसी प्रायोजक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में आते हैं तो उनको अपनी एक यूनिट से अन्य यूनिट/यूनिटों में ट्रांसफर करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है । तथापि इस संबंध में संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी को सूचना दी जानी चाहिए ।"

(2) वास्तविक उपयोक्ता को आयातित अधिशेष/अप्रयुक्त कच्चा माल/संघटक और उपभोज्य माल को बेचने के लिए आयात की तिथि से पांच साल व्यतीत होने के पश्चात् लाइसेंसिंग अधिकारी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि इस बारे में एक सूचना पंजीकृत डाक से संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी और संबंधित प्रायोजक अधिकारी तथा 30 दिन के भीतर वास्तविक उपयोक्ता खरीदार के प्रायोजक अधिकारी को भी देनी होगी ।

95. जहां तत्संबंधी प्रायोजक प्राधिकारी अलग-अलग हों, परन्तु संविदा करने वाले वास्तविक उपयोक्ता उसी राज्य या संघ क्षेत्र में स्थित हों, तो (राज्य) उद्योग निदेशक, आयातित माल के हस्तान्तरण करने/उधार देने की लिखित अनुमति दे सकता है और बाद में उसका अनुश्रवण भी कर सकता है ।

96. अन्य मामलों में, लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक है । हस्तान्तरण की शर्तों पर सहमत होने पर दोनों वास्तविक उपयोक्ता अर्थात् क्रेता और विक्रेता को क्रेता वास्तविक उपयोक्ता के प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से आवेदन करना चाहिए ।

97. उपर्युक्त व्यवस्थाएं खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित या सारणीबद्ध अभिकरण से प्राप्त किए गए माल के लिए भी लागू होंगी ।

पूंजीगत माल का हस्तान्तरण

98. केवल वास्तविक उपयोक्ता के नाम में आयातित पूंजीगत माल जिसमें अतिरिक्त पुर्जे उनके उपसाधित (या अनुषंगी शामिल है के हस्तान्तरण के लिए उनके आयात की तिथि से 5 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि, इसकी सूचना प्रायोजक प्राधिकारी के साथ-साथ संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को बिक्री के 30 दिन के भीतर पंजीकृत डाक से भेजी जानी चाहिए । क्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सम्बन्धित माल के खरीदने से यह अनुरक्षित/प्राधिकृत क्षमता से अधिक नहीं होगा । बशर्ते कि यह उन मामलों के लिए लागू नहीं होगा यदि कहीं द्विपक्षीय समझौते के अनुसार इस संबंध में लाइसेंस में कोई विशेष शर्त है ।

माउल्ड्स का हस्तान्तरण

99. उत्पाद विनिर्माण के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा उत्पादन इकाइयों के लिए प्रायोजक प्राधिकारी तथा मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली को सूचना देते हुए पार्ट्स मोल्ड करने/घड़ने के लिए उधार के तौर पर आयातित माउल्ड्स का हस्तान्तरण किया जा सकता है ।

अनुसूचित बैंकों द्वारा आयातित माल का निपटान

100. अनुसूचित बैंक के पास पड़े आयातित माल को सार्वजनिक क्षेत्र एजेन्सी या राज्य (लघु) औद्योगिक विकास निगम को स्थानान्तरित किए जाने के लिए प्रायोजक प्राधिकारी या लाइसेंसिंग प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उस मामले में जहां (क) जिस लाइसेन्स के मद्दे माल का आयात किया गया था उसको संयुक्तधारक के रूप में सीमा-शुल्क से माल की निकासी करवा ली हो या (ख) आयात किया गया माल बैंक के पास लाइसेंसधारी द्वारा गिरवी रखा हुआ हो और लाइसेन्सधारी विषयाधीन माल को छुड़ाने की स्थिति में न हो बशर्ते कि बैंक ने बिक्री के लिए ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया है ।

101. जब राज्य व्यापार निगम/धातु एवं खनिज व्यापार निगम या इसी प्रकार के अन्य अभिकरण बैंक से आयातित माल खरीदने के इच्छुक न हों और बैंक प्रायोजक प्राधिकारी या प्रसिद्ध अखबारों के उचित विज्ञापन के माध्यम से ऐसे माल का

कोई अन्य क्रेता नहीं ढूंढ पाता है तो बैंक माल की नीलामी की अनुमति के लिए सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क कर सकता है, बशर्ते कि लाइसेंसधारी बिक्री के लिए सहमत हो या बैंक के पास वैध संविदा सम्बन्धी शर्तों के अन्तर्गत अन्यथा रूप से माल बेचने के लिए वैध अधिकार हो ।

राज्य (लघु) औद्योगिक विकास निगम सहित सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा माल का निपटान

102. जहां कुछ वास्तविक उपयोक्ताओं की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण ने माल आयात किया हो और ये वास्तविक उपयोक्ता माल उठाने में असमर्थ हों तो लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति के बिना दूसरे वास्तविक उपयोक्ता को माल बेच सकते हैं, परन्तु उस बिक्री की सूचना इसमें बिक्री की तिथि से 30 दिनों के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों द्वारा माल का हस्तान्तरण

103. सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में दूसरे पात्र वास्तविक उपयोक्ता को, आयातित कच्चे माल, संघटक, उपभोज्य सामग्री या अतिरिक्त पुर्जे हस्तान्तरित कर सकते हैं । जो एकक हस्तान्तरणों को प्रभावी करते हैं उन्हें ऐसे हस्तान्तरण की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐसे हस्तान्तरण का विवरण रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रायोजक प्राधिकारी के साथ-साथ लाइसेंस प्राधिकारी को भी भेजना चाहिए । उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन न आने वाले मामले के लिए लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है ।

104. जहां तत्सम्बन्धी प्रायोजक प्राधिकारी अलग-अलग हों, वास्तविक उपयोक्ताओं से भिन्न को आयातित अतिरिक्त पुर्जों का निपटान कर सकते हैं बशर्ते कि उनके द्वारा इन्हें वास्तविक उपयोक्ताओं का निपटान करने के लिए सभी सम्भव उपाय किए गए हों और यह उपक्रम के मुख्य कार्यकारी द्वारा इस संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगा कि वह परियोजना जिसके लिए ये अतिरिक्त पुर्जे आयात किए गए थे पहले से ही पूर्ण हो चुकी है और आने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए किसी भी अन्य कार्य या परियोजना के लिए अब उन की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा । वह एकक जो हस्तान्तरण करता है उपर्युक्त पैरा 103 में निर्धारित किए गए के अनुसार प्रायोजक प्राधिकारियों एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को ऐसे हस्तान्तरण के ब्यौरों से अवगत कराएगा ।

105. उपर्युक्त पैरा 98 के अन्तर्गत न आने वाले पूंजीगत माल के हस्तान्तरण से सम्बन्धित मामले उपर्युक्त पैरा 94–97 और उपर्युक्त 100—104 में किए गए प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

सामान्य

106. (1) उपर्युक्त सभी मामलों में क्रेता और विक्रेता वास्तविक उपयोक्ताओं को आयातित कच्चे माल/पूंजीगत माल आदि का मूल्य निर्धारण करना चाहिए ।

(2) उन सभी मामलों में जहां उधार दिया जाता है/हस्तान्तरण होता है, क्रेता और विक्रेता दोनों वास्तविक उपयोक्ता को चाहिए कि इस तरह हस्तान्तरित किए गए/अधिप्राप्त किए गए माल की मात्रा का ब्यौरा परिशिष्ट 5-ख में निर्धारित किए गए के अनुसार आयातित माल के भण्डार की प्राप्ति और उपभोग के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट करें ।

(3) वास्तविक उपयोक्ता द्वारा खरीदे गए आयातित माल का मूल्य, उसका वर्तमान लाइसेंस यदि कोई हो तो, उसके लिए सामान्य हकदारों के लिए नामे नहीं डाला जाएगा ।

(4) अखबारी कागज उधार देने/हस्तान्तरण करने के मामले में अखबारी कागज (नियंत्रण) आदेश लागू होंगे ।

(5) उपर्युक्त कण्डिकाओं 94—105 में दर्शाए गए प्रावधान उन आयातित माल पर भी लागू होंगे जो अग्नि में नष्ट हो गए हैं अथवा उपयोग के लिए ठीक नहीं है ।

उद्योग संघ, सार्वजनिक क्षेत्र निगम और निर्यात सदनों/व्यापार सदनों के माध्यम से आयात के लिए स्कीम

107. (1) सार्वजनिक क्षेत्र निगम सहकारिता समितियों उद्योग संघ और उनके मान्यता प्राप्त निर्यात सदनों/व्यापार सदनों को लघु एककों को उनकी कच्चे माल, संघटकों, और उपभोज्य सामग्री की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अनुमति दी जाएगी । वे सम्बद्ध एककों को माल के आयात और वितरण के लिए इस प्रकार के एककों की ओर से निम्नलिखित निर्धारित प्रावधानों के अधीन समेकित लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं :—

(1) इस योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध अभिकरण (अर्थात् एक संघ, सहकारिता समिति, सार्वजनिक क्षेत्र, निगम, निर्यात सदन/व्यापार सदन) उन एककों के बारे में समेकित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जो उसी राज्य में स्थित हैं और उसी उद्योग में लगे हुए हैं जिन्हें पर्याप्त रूप से आयात की उन्हीं मदों की आवश्यकता है । आवेदन पत्र उसी क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को दिए जाएंगे जिसके क्षेत्राधिकार में औद्योगिक एकक स्थित हों । प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के एककों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र दिए जाने चाहिए ।

(2) संघों और सहकारिता समितियों के मामले में केवल उन्हीं के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्हें इस प्रयोजन के लिए सम्बद्ध राज्य उद्योग निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

(3) आवेदन-पत्र परिशिष्ट 2ग में दिए गए प्रपत्र "ट" में भेजे जाने चाहिए । इनके साथ एक सम्बद्ध एकक के ब्यौरे, उनके नाम और पते (कारखाने के पते सहित) लघु पैमाना एकक पंजीकरण की क्र. सं. विनिर्मित अंतिम-उत्पाद, प्रत्येक मामले में मद वार आवेदित मूल्य और तत्संबंधी कुल मूल्य देते हुए एक

विवरण होना चाहिए । प्रत्येक सम्बद्ध एकक द्वारा इस संबंध में एक घोषणा-पत्र भेजा जाना चाहिए कि आयातित माल का उपयोग "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अनुसार उसके अपने कारखाने में किया जाएगा। अनुपूरक लाइसेंसों के लिए अभिकरण को सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से आवेदन करना चाहिए और सपत्त प्रमाण पत्र को छोड़कर उपर्युक्त विवरण भेजे जाने चाहिए और प्रत्येक एकक के लिए एक नोट भेजा जाना चाहिए जिसमें अनुपूरक लाइसेंसों का औचित्य दर्शाया जाना चाहिए ।

(4) ऐसे समेकित आवेदन-पत्र के लिए भुगतान किए जाने वाले आवेदन पत्र शुल्क की गणना आवेदित कुल मूल्य के आधार पर की जाएगी ।

(5) इस योजना के अधीन 'नए' या 'प्रस्तावित' एकक शामिल नहीं किए जाएंगे ।

(6) सम्बद्ध आवेदक अभिकरण के नाम में आयात के लिए अनुमेय मदों की सूची और मूल्य और/या प्रत्येक मद के लिए मात्रा के साथ जारी किए जाएंगे क्योंकि लाइसेन्स का कुल मूल्य सीमाकारी तत्व होंगे ।

(7) आयात लाइसेन्स इन शर्तों के अधीन होगा कि अभिकरण उन सम्बद्ध एककों को आयातित कच्चे माल का वितरण करेगा जिनकी ओर से उसने लाइसेंस प्राप्त किया है और वितरण से रिपोर्ट संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी और संबद्ध प्रयोजक प्राधिकारी को भेजेगा ।

(2) यह योजना "सीधे" आबंटन योजना के अधीन आने वाली सरणीबद्ध मदों के आबंटन प्राप्त करने के लिए भी लागू होगी । विस्तृत जानकारी के लिए अभिकरणों को संबद्ध सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए ।

(3) यह योजना कुटीर क्षेत्र के एककों या व्यक्तिगत उपयोक्ताओं जैसे मछुए/कृषक आदि को उनके मान्यता प्राप्त संघ या सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के माध्यम से आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी लागू होगी ।

(4) उपर्युक्त ढंग से प्रदान किया गया कोई लाइसेंस/सीधा आबंटन इस शर्त के अधीन होगा कि इस प्रकार प्राप्त माल उन वास्तविक उपयोक्ताओं को अभिकरणों द्वारा आबंटित किया जाएगा जिनके नाम पर लाइसेंस/सीधे आबंटन के लिए आवेदन पत्र दिया गया था; उसके बदले में, उक्त लाइसेंस आबंटन में भाग लेने वाले प्रत्येक लघुमान एकक व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन होंगे मानो कि लाइसेंस/सीधा आबंटन उनके अपने खुद के नाम में और उनके पक्ष में किया गया था ।

(5) विकास आयुक्त (एस एस. आई.)/उद्योग निदेशक की सिफारिशों पर अखिल भारतीय उद्योग संघ के खुले सामान्य लाइसेन्स की मदों के आयात के लिए लाइसेन्स प्रदान करने के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा । आयातित माल वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन संघ के सदस्यों में वितरित कर दिया जाएगा । इस प्रावधान के तहत आवेदन-पत्र मुख्य नियन्त्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली (आयात नीति सैल) को भी भेजे जा सकते हैं । इस प्रावधान के अधीन जो संघ इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें मुख्य नियन्त्रण आयात-निर्यात नई दिल्ली के पास स्वयं को पंजीकृत कराना चाहिए ।

एजेन्टों के माध्यम से आयात

108. (1) लाइसेंसधारी को लाइसेंस द्वारा अनुमति आयात की व्यवस्था करने के लिए अपने एजेन्ट के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है । लेकिन, लाइसेंस लाइसेंसधारी के ही नाम में रहता रहेगा और लाइसेंसधारी या प्राधिकार-पत्र के धारक के कर्त्तव्यों और आभारों के सम्बन्ध में आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के अन्य प्रावधान संबद्ध व्यक्तियों पर क्रमशः लागू रहेंगे । अन्य शर्तों और कानूनी आवश्यकताओं के अधीन लाइसेंसधारी के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि वह, अपना निजी प्राधिकारपत्र निश्चित करें । परन्तु ऐसे प्राधिकारपत्र के धारक के कार्य इन बातों तक सीमित होंगे कि वह आदेश दे, साख-पत्र खोले, माल का आयात करने के लिए भुगतान के धन का परेषण करे, माल के संचालन की व्यवस्था करें और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की खण्ड 147 को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसधारी की ओर से सीमा शुल्क के माध्यम से माल की निकासी कराये और विषयाधीन लाइसेन्स के प्रचालन से सम्बन्धित किसी अन्य मामले की व्यवस्था करें, परन्तु इसके स्वामित्व को नहीं ।

(2) उपर्युक्त उप कण्डिका (1) व्यवस्थित सुविधा विदेशी मशीनरी/औजार विनिर्माता के भारतीय अभिकर्ताओं को उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगी जहां लागू सम्बद्ध आयात नीति के प्रावधानों के अधीन स्टाक और बिक्री के लिए अतिरिक्त पूर्जों के आयात के लिए ऐसे अभिकर्ताओं को लाइसेंस जारी कर दिए गए हों ।

109. (1) खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत माल का आयात करते समय कोई व्यक्ति केवल आदेश देने, माल का संचालन करने या सीमाशुल्क के माध्यम से माल की निकासी की व्यवस्था करने के लिए एजेन्ट सेवाओं का उपयोग कर सकता है, परन्तु धन परेषण के लिए या साख-पत्र खोलने के लिए नहीं । खुले सामान्य लाइसेंस की सुविधा के लिए हकदार व्यक्ति एजेन्ट के कार्य या अकार्य से उत्पन्न उन्हीं कानूनी आभारों और जुर्मानों का पात्र समझा जाएगा जिनके लिए अन्यथा रूप से वह स्वयं पात्र होता है ।

(2) निम्नलिखित मामलों में एजेन्ट भी पात्र आयातकों की ओर से साख-पत्र खोल सकते हैं और धन का परेषण कर सकते हैं :—

(1) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक या अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उच्चतर शिक्षा के संस्थानों और अस्पताल के लिए आयात करने वाले एजेन्ट ।

(2) सरकार के विभागों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अपने निजी या इनके द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों के लिए माल का आयात करने के लिए एजेन्ट।

(3) मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किए गए वैध निर्यात सदन/व्यापार सदन प्रमाणपत्रों के धारक और वास्तविक उपयोक्ताओं की ओर से माल आयात करने वाले निर्यात सदन/व्यापार सदन।

(4) राज्य के संबद्ध उद्योग निदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त और अपने सदस्यों की ओर से माल का आयात करने वाली सहकारी समितियां या वास्तविक उपभोक्ताओं के संघ।

(5) वास्तविक उपयोक्ताओं की ओर से माल आयात करने वाले सार्वजनिक उपक्रम/अभिकरण।

(3) उपर्युक्त उपकंडिका (2) में शामिल मामलों में आयातित माल सम्बन्धी सहकारी समिति/संघ या अभिकर्ता द्वारा लाभग्राही वास्तविक उपयोक्ता को दिया जाएगा। ऐसे सारे माल के वितरण का लेखा (रजिस्टर के रूप में) रखा जाना चाहिए और यह लेखा प्रत्येक समय, लाइसेंस प्राधिकारी प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) यदि आयातित माल का किसी भी तरीके से दुरुपयोग किया जाएगा तो ऐसे एजेन्ट द्वारा आयात नीति (सम्बन्धित लाइसेन्स के उपयोग के संबंध में) किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाएगा तो उपर्युक्त व्यवस्थाओं से लाइसेंसधारी को मुक्ति नहीं मिल पाएगी या किसी भी प्रकार से उसे आयात (नियंत्रक) आदेश, 1955 के अंतर्गत उत्तरदायित्वों से छुटकारा नहीं मिल जाएगा।

(5) लाइसेंस के संशोधन या पुनर्वैधीकरण के लिए सभी आवेदन केवल लाइसेंसधारी द्वारा किए जाएंगे। उसका यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे संशोधन या पुनर्वैधीकरण प्राप्त करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी के सामने लाइसेन्स प्रस्तुत करें। यह कार्य अभिकर्ता द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

सहयोगी व्यापार संस्थाएं

110 आयात/निर्यात नीति और क्रियाविधियों के उद्देश्य के लिए व्यापार संस्थाएं आपस में सहयोगी हैं या नहीं, इसका निश्चय करने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड होंगे :—

(1) दोनों व्यापार संस्थाओं का आय-कर निर्धारण संयुक्त रूप से होता हो या स्वामित्व सामान्य हो; या

(2) दोनों व्यापार संस्थाओं का आयकर निर्धारण अलग-अलग होता हो और उनका स्वामित्व सामान्य न हो;

परन्तु

(क) व्यापार संस्थाओं में से एक संस्था का साझीदार जिसका उस संस्था में प्रमुख भाग हो, वह दूसरी व्यापार संस्था का मालिक हो; या

(ख) व्यापार संस्थाओं में से एक संस्था में साझीदार या कुछ साझीदार दूसरी व्यापार संस्था में प्रमुख भाग रखता हो या रखते हों; या

(3) व्यापार संस्थाओं में से एक संस्था लिमिटेड कम्पनी हो और लिमिटेड कम्पनी का संचालक दूसरी व्यापार संस्था में मालिक के रूप में रुचि रखता हो; या

(4) व्यापार संस्थाओं में से एक संस्था दूसरी संस्था का परामर्शदाता हो या ठेकेदार हो; या

(5) व्यापार संस्थाएं मूल रूप से संचालकों के सामान्य बोर्ड सहित लिमिटेड कम्पनी हों या एक ही परिसर में स्थित पंजीकृत कार्यालयों के साथ लिमिटेड कम्पनी हों।

सनदी/लागत लेखापाल/सनदी इन्जीनियर और कम्पनी सचिव का कार्य और उत्तरदायित्व

111. (1) आयात-नीति के अंतर्गत सनदी/लागत लेखापाल/सनदी इंजीनियर और कम्पनी सचिव को विभिन्न प्रकार के दायित्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। उनसे यह आशा की जाती है कि वे संबद्ध आवेदक को ऐसे प्रमाण पत्र देते समय आवश्यक सावधानी और कर्तव्यपरायणता का उपयोग करेंगे। इस प्रकार बनाई गई सरलीकृत प्रक्रिया की सफलता उनके इस तरह के निर्धारित कार्य को करने के उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है। ऐसा करने में असमर्थ होने पर और अनुचित या गलत प्रमाण-पत्र देने पर उनके विरुद्ध आयात-निर्यात नियंत्रण विनियमों के कानूनी प्रावधानों के अधीन की गई कार्रवाई से भिन्न दण्डात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह उन सभी व्यक्तियों के लिए बराबर लागू होगा जिन्हें आयात नीति के अधीन इसी प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(2) आयात-निर्यात नीति में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं जिनके अनुसार उन आयातकों अथवा उन व्यक्तियों को उपभोग/निर्यात विवरण आदि भेजने हैं जो निर्यात सदन प्रमाणपत्र या व्यापार सदन प्रमाणपत्र या निर्यात निष्पादन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें अपने-निष्पादन व्यावसायिक सनदी लेखापाल, सनदी इंजीनियर या लागत लेखापाल या कम्पनी सचिव जो सम्बद्ध फर्म या कम्पनी या उनकी सहयोगी कम्पनी के साझीदार स्वामी या निदेशक या कर्मचारी न हों से द्वारा सत्यापित करवाने चाहिएं।

(3) आवेदक को कोई प्रमाण-पत्र जारी किए जाने से पूर्व सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव/चार्टर्ड इन्जीनियर को निम्नलिखित यथार्थताओं से संतुष्ट होना चाहिए :—

(1) आवेदक फर्म का दिए गए पते पर अस्तित्व में होना;

(2) आवेदक फर्म के मालिक/साझेदारों/निदेशकों के घर का पता/बैंक के साथ प्रमाणिकता;

(3) आवेदक फर्म द्वारा बताई गई सही विनिर्माण/व्यापारिक गतिविधियां।

लाइसेंस/रिलीज आदेश देने से इन्कार किया जाना

112. (1) लाइसेंस प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों में लाइसेंस/रिलीज आदेश देने से इन्कार कर सकता है :—

(क) यदि आवेदन-पत्र 7 दिसम्बर, 1955 के यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की किसी भी शर्त को अनुरूप न हों;

(ख) यदि आवेदन-पत्र में कोई झूठा, छलपूर्ण या भ्रामक वक्तव्य हो,

(ग) यदि आवेदक ने आवेदन-पत्र की पुष्टि में कोई ऐसा प्रलेख प्रस्तुत किया हो जो झूठा हो या जाली या फेर बदल वाला हो;

(घ) यदि लाइसेंस/रिलीज आदेश के लिए दिया गया आवेदन-पत्र किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण हो और निर्धारित नियमावली और क्रियाविधि के अनुसार न हो;

(ङ) यदि आवेदक संबंधित और लागू आयात व्यापार नियंत्रण नीति और क्रियाविधि के अनुसार लाइसेंस/रिलीज आदेश पाने का पात्र न हो;

(च) यदि आवेदक कोई ऐसा प्रलेख प्रस्तुत न कर पाए जिसे लाइसेंस प्राधिकारी ने मांगा हो;

(छ) यदि आवेदक लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अपने आवेदन-पत्र में किसी कमी को पूरा नहीं कर पाता;

(ज) यदि लाइसेंस/रिलीज आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदक ने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया हो;

(झ) यदि मद स्वदेशी तौर पर उपलब्ध है; तथा

(ञ) कोई भी अन्य कारण जिसका उल्लेख लिखित रूप में किया गया हो ।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी 7 दिसम्बर, 1955 के यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 6 की शर्तों के अनुसार भी लाइसेंस देने से इन्कार कर सकता है ।

अप्राधिकृत आयात

लाइसेंसों के अंतर्गत न आने वाले आयात

113. यदि कोई मद जिसके लिए एक लाइसेंस अपेक्षित है (सीमा शुल्क निकासी परमिट सहित) एक वैध लाइसेंस के बिना आयात की जाती है अथवा निकासी की जाती है तो आयातक माल के स्वामी के विरुद्ध सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन इस पत्र में की गई कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और इसके अधीन जारी किए गए आदेशों के प्रावधानों के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

114. आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया से संबंधित मामलों में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा दी गई व्याख्या अंतिम होगी, इन मामलों में संदेह होने की अवस्था में, सीमा शुल्क प्राधिकारियों को माल की निकासी से पूर्व आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों से परामर्श लेना चाहिए ।

संयुक्त समिति

115. वास्तविक कठिनाइयों के मामले में आयातकों की सहायता के लिए, प्रत्येक पत्तन पर लाइसेंस और सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संयुक्त समिति बनाई गई है । समिति की नियमित बैठक होती है और आयातों से पहले एवं बाद की पूछताछ और आयातकों की कठिनाइयों पर विचार करती है ।

पोतलदान से पूर्व संशोधनों के लिए निवेदन

116. यदि आयातक लाइसेंस में कोई असंगति पाता है तो उसे संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस में संशोधन के लिए तत्काल आवेदन करना चाहिए । किसी भी मामले में इस प्रकार के संशोधन के लिए संभरक को देश से माल लादे जाने/प्रेषण किए जाने से पूर्व निवेदन करना चाहिए जिससे कि यदि किसी वजह से परिवर्तन या संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है तो आयातक अपने संभरक को आवश्यक समंजन की सलाह दे सकें लाइसेंस में किसी संशोधन या पुनर्वैधीकरण चाहने वाले आवेदक को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि उस लाइसेंस के अधीन आने वाले माल को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पहले से ही लादा गया है/परेषण किया गया है या नहीं इस विषय में कोई भी भ्रामक/या गलत विवरण देने पर लाइसेंसधारी आयातक पर, आयात व्यापार नियंत्रण नियमों एवं विनियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

117. संभरण देश से माल के पोतलदान/परेषण के बाद लाइसेंस के संशोधन के लिए किए गए निवेदन, यदि कोई हो तो, को आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी सरसरी तौर पर रद्द कर सकता है ।

अप्राधिकृत आयात के लिए दण्ड

118. अप्राधिकृत आयात के संबंध में लगाया गया जुर्माना/दण्ड अधिक भी हो सकता है और यहां तक कि माल को जब्त भी किया जा सकता है या माल के आयातक/स्वामी पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है । विशेष परिस्थितियों में माल के आयातक/स्वामी को माल के पुनः लदान की अनुमति भी दी जा सकती है; परन्तु, ऐसे मामलों में भी माल का आयातक/स्वामी देय जुर्माने/दण्ड आदि का भागी होगा । इसलिए, आयातक अपने भले के लिए यह आश्वासन दें कि जो कुछ भी माल देश में वे आयात कर रहे हैं वे लाइसेंस में दिए गए ब्यौरों के बिल्कुल अनुरूप है और न तो परेषण लाइसेंस में दिए गए मूल्य या मात्रा की सीमा से अधिक है और न ही जो कुछ भी आयात के लिए प्राधिकृत किया गया है, उससे किसी भी तरह भिन्न है । खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात के संबंध में ऐसी ही सावधानियां बरतनी चाहिए ।

जब आयातक लाइसेंस प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तब माल को छोड़ना

119. उस मामले में जहां आयातित माल के लिए वैध आयात लाइसेंस रखने का दावा करता है परन्तु वह विभिन्न पत्तनों पर लाइसेंस के अधीन आने वाले माल के पहुंच जाने पर विशेष पत्तन पर सीमा शुल्क समाहर्ता को लाइसेंस प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है या अन्य किसी वजह से लाइसेंस प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है तो सीमा शुल्क समाहर्ता यदि आयातक के तर्क से संतुष्ट होता है तो जहां तक आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियमों का संबद्ध है, आयातक द्वारा बांड या परिशिष्ट 2-ज

में दिए गए प्रपत्र में गारण्टी पत्र प्रस्तुत करने पर माल की निकासी की अनुमति देगा। यह सीमा शुल्क समाहर्ता की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह बाद की तिथि को माल के लिए आयात लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए आयातक से बांड या गारण्टी पत्र स्वीकार करे या न करे।

रिलीज आदेश को रद्द करना

120. लाइसेंस प्राधिकारी आयातित माल के आबंटन के लिए जारी किए गए रिलीज आदेशों को रद्द कर सकता है या अन्यथा रूप से उन्हीं आधारों पर अप्रभावी कर सकता है जो आयात लाइसेंस को रद्द करने के लिए लागू होते हैं। रिहाई आदेश रद्द करने की कार्रवाई करने से पूर्व रिहाई आदेशाधिकारी को मामले की सुनवाई के लिए उचित अवसर दिया जाएगा।

कन्टेनरों का उपयोग

121. कम लागत पर आयात करने में देश को समर्थ बनाने के लिए लाइसेंसधारी या खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत मात्र व्यक्ति एक ही स्थान/पोतलदान के पत्तन से आरम्भ होने वाले अपने आयातों को कन्टेनरों में अधिक परिमाण में भर सकते हैं।

महामारीनाशी का आयात

122. कोई भी व्यक्ति जो खुले सामान्य लाइसेंस या लाइसेंस के अधीन भुगतान के मुद्दे या मुफ्त नमूने के रूप में या अन्यथा रूप से कीटनाशक का आयात करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह आयात के ब्यौरों को दर्शाते हुए पादप सुरक्षा सलाहकार, भारत सरकार, फरीदाबाद को इसकी सूचना भेजें। जिस प्रपत्र में यह सूचना दी जानी चाहिए उसे परिशिष्ट 2-ञ में दर्शाया गया है।

आयात/निर्यात और क्रियाविधियों के संबंध में स्पष्टीकरण :—

123. आयात-निर्यात नीति, 1990—93 के अध्याय-2 के उपाबंधों की ओर विशेष ध्यान दिलाया जाता है जो व्यक्ति आयात-निर्यात नीति और संबंधित क्रिया विधियों के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं वे क्षेत्रीय कार्यालयों के जन संपर्क अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यदि वे जन संपर्क अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें कार्यालय अध्यक्ष से मिलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आयात नीति तथा प्रक्रिया के उपबंधों अथवा किसी मदवार प्रावधान के स्पष्टीकरण मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पत्राचार परिशिष्ट-2-ट में दिए गए प्रपत्र के अनुसार पूर्ण ब्यौरे के साथ तीन प्रतियों में होने चाहिए। मद-वार आयात-नीति का स्पष्टीकरण प्राप्त करते समय साहित्य सहित, नमूना सहित, तकनीकी विशिष्टियां प्रस्तुत की जाएं।

नीति में परिवर्तनों के लिए सुझाव

124. आयात एवं निर्यात नीति में परिवर्तनों के लिए सुझाव परिशिष्ट 2-ठ में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में मुख्य नियंत्रक, आयात-नीति, नई दिल्ली को भेजे जाएं। ऐसे सुझाव पर्याप्त हाशिए के साथ पृष्ठ के एक तरफ टाईप करके तीन प्रतियों में भेजे जाएं।

जन-सम्पर्क

125. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में जन-सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। छोटे कार्यालयों में कार्यालय का प्रमुख अधिकारी यह कार्य स्वयं करेगा।

काउण्टर सहायता पद्धति

126. लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए लाइसेंस कार्यालयों में "काउण्टर सहायता पद्धति" आरम्भ की गई है। इस पद्धति के अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्रों को औपचारिक रूप से दाखिल करने से पहले उसकी तुरन्त जांच करने के लिए प्रत्येक लाइसेंस कार्यालय में काउण्टर पर कम से कम नियंत्रक के ओहदे का एक अधिकारी उपलब्ध होगा। इसलिए आवेदक काउण्टर पर ऐसे अधिकारी से संपर्क कर सकता है और विधिवत् भरा हुआ अपना आवेदन-पत्र उनको दिखा सकता है। सम्बद्ध अधिकारी आवेदन-पत्र को पढ़ेगा और यदि कोई त्रुटि होगी तो उसे आवेदक को बताएगा। आवेदन-पत्रों की पहले ही इस प्रकार जांच कर लेने से बार-बार पत्राचार करने में और आवेदन-पत्रों को निपटाने में जो विलम्ब होता है इसमें पर्याप्त कमी होगी और इससे आवेदक को सहायता मिलेगी।

127. काउण्टर पद्धति का भी छोटे प्रकार के संशोधनों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है जिसमें विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है जैसे कि टाइम संबंधी गलती को शुद्ध करना माल की सूची में शुद्धि, लाइसेंस या माल की सूची पर सुरक्षा सील लगाना या लाइसेंस पर लगाई जा रही किसी शर्त के नीचे या लाइसेंस के साथ संलग्न माल की सूची के नीचे लाइसेंस प्राधिकारी के हस्ताक्षर। ऐसे मामलों में आवेदन-पत्र उपयुक्त रसीद के बदले "काउण्टर" पर प्राप्त किए जाएंगे और आवेदक को उपर्युक्त रसीद वापस करने पर, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निश्चित तारीख दी जाएगी।

पहचान-पत्र

128. आयात लाइसेंसों/अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाने के लिए आवेदक फर्म के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निदेशक साझेदार या प्राधिकृत कर्मचारी को पहचान-पत्र जारी किया जाएगा पहचान-पत्र, परिशिष्ट-2-ड में दिए अनुसार तीन लाइसेंसिंग वर्षों के लिए जारी किए जाएंगे। वर्तमान पहचान-पत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद, आवेदन करने तथा अवधि समाप्त पहचान-पत्र मूल रूप में वापिस किए जाने पर नया पहचान-पत्र जारी किया जाएगा। परिशिष्ट-2-थ में दिए गए प्रपत्र में आवेदन-पत्र के साथ (तीन पासपोर्ट साइज) के फोटो और रु. 100/- का शुल्क तथा वैधता अवधि समाप्त मूल पहचान-पत्र साथ भेजें जोकि आवेदक फर्म द्वारा विधिवत प्रायोजित किए जाएं। दस्तावेज/आयात लाइसेंस पहचान-पत्र धारक को कम्पनी फर्म जिससे वह संबद्ध हो कि पूर्ण जिम्मेदारी और जोखिम पर दिए जाएंगे। पहचान-पत्र खो जाने पर 50/- रु. के शुल्क के भुगतान पर अनुलिपि कार्ड जारी किया जाएगा।

विलम्ब की रोकथाम

129. (1) लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों या पत्राचारों के निपटान में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। अत्यधिक विलम्ब के मामलों की सूचना जन-सम्पर्क अधिकारी को दी जा सकती है।

(2) आयात आवेदन-पत्रों पर शीघ्र कार्यवाई करने के लिए क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों में एक "समयबद्ध" निपटान पद्धति उपलब्ध है।

शिकायत सैल/समितियां

130. (1) व्यापार तथा उद्योग की शिकायतों को तत्काल दूर करने के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात के कार्यालय (मुख्यालय) उद्योग भवन, नई दिल्ली में एक शिकायत सैल की स्थापना की गई है। इन प्रयोजनों के लिए मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात की अध्यक्षता में शिकायत समिति का गठन किया गया है। इसी प्रकार, क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालयों में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की अध्यक्षता में शिकायत समितियों को गठित किया गया है। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ का एक मनोनीत प्रतिनिधि इन समितियों की बैठकों में प्रतिनिधित्व करेंगे। जहां कहीं शिकायत समिति की बैठक में विशेष निर्यात संवर्धन परिषद् से संबंधित निर्यात उत्पाद के संबंधित निर्यातक की शिकायत पर चर्चा की जानी है वहां संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधि/अधिकारी को आमंत्रित के रूप में शामिल होने की अनुमति दी जाए। व्यापार तथा उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों पर शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत सैल/समितियां द्वारा विचार किया जाएगा।

शिकायतों के लिए अभ्यावेदन दिए जाने के लिए प्रपत्र परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

(2) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली/क्षेत्रीय संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, को विलम्ब से संबंधित भेजी गई शिकायतों के शीर्ष पर "विलम्ब के विरुद्ध शिकायत" शब्द विशेष रूप से लिखे होने चाहिए। ऐसी शिकायतों पर उचित समय के भीतर कार्यवाई की जाए, इसको सुकर बनाने के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शिकायतें दो प्रतियों में भेजें।

पूछताछ स्लिप

131. यदि किसी आवेदक को उसके आवेदन-पत्र की तिथि से 15 दिनों की अवधि (संशोधन के मामले में 10 दिन) के भीतर उसके आवेदन-पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता है और वह आवेदक अपने मामले की स्थिति का पता लगाना चाहता है तो वह परिशिष्ट 2-क में दिए गए प्रपत्र में पूछताछ स्लिप भरे और उसे सम्बद्ध लाइसेंस कार्यालय के पूछताछ काउण्टर पर दे। जन-संपर्क अधिकारी/पूछताछ अधिकारी संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को तिथि और समय बताएगा। उसे सूचना एकत्र करने के लिए दी गई तिथि और समय पर कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

मुलाकात

132. सामान्य रूप से सभी मामले पत्राचार द्वारा तय कर लेने चाहिए, परन्तु अपने मामले की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवेदक द्वारा पूछताछ स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध की जा सकती है। लेकिन, जिन मामलों में पूछताछ स्लिप में दी गई सूचना से या अपील के संबंध में आवेदक संतुष्ट न हुआ हो और वह व्यक्तिगत रूप से मामले पर लाइसेंस प्राधिकारी से विचार-विमर्श करना आवश्यक समझता हो, तो वह संबद्ध अधिकारी से मुलाकात कर सकता है। उचित मामलों/परिस्थितियों में मुलाकातों के लिए उन आवेदनों पर भी विचार किया जा सकता है जिनमें आवेदक ने उपर्युक्त पैरा 131 में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग न किया हो।

133. (1) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली से और क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों से मुलाकात करने की व्यवस्था उनके निजी सचिवों के माध्यम से करनी चाहिए।

(2) अन्य अधिकारियों से मुलाकात की व्यवस्था सामान्यतः प्रत्येक कार्यालय से संबंध पूछताछ कार्यालय के माध्यम से होनी चाहिए। आवेदक को मुलाकात का उद्देश्य और अपने मामले का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र, (देखिए परिशिष्ट 2-ङ) में देना चाहिए। जन-संपर्क अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए प्रपत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से बाहर से आने वाले आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र में सूचना न देने पर मामले का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र, (देखिए परिशिष्ट 2-ङ) में देना करने का मौका दिया जाए।

(3) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या इससे ऊपर के अधिकारी आवेदक द्वारा परिशिष्ट-ङ का प्रपत्र भरे बिना भी अत्यावश्यक मामलों में मुलाकात की अनुमति दे सकते हैं।

134. जब तक अन्यथा रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, मुलाकात केवल सहायक-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या इससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा मंजूर की जाएगी। यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि मुलाकात बुक कराने वाला व्यक्ति आवेदक फर्म या कम्पनी का मालिक/साझीदार/संचालक होना चाहिए या उसका नियमित कर्मचारी होना चाहिए या वह व्यक्ति आवेदक फर्म द्वारा उस लिखित प्राधिकरण पत्र द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए जो मुलाकात बुक कराने/मांगते समय पूछताछ अधिकारी और मुलाकात अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। मुलाकात चाहने वाले व्यक्ति को ऐसी मुलाकातों से संबंधित सभी अनुदेश जो सभी लाइसेंस कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर लिखे हुए हों या अन्यथा प्रकाशित किए गए हों का अनुपालन करना चाहिए। लेकिन, आयात व्यापार नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों के कमरों में प्रविष्टि या स्टाफ के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंध पर कठोर प्रतिबंध है।

135. एक लाइसेंस प्राधिकारी अपनी निजी समझ-बूझ से उस व्यक्ति को मुलाकात के लिए मना कर सकता है जो आवेदक

फर्म या कम्पनी का मालिक/साझेदार/संचालक न हों या उसका नियमित रूप में कर्मचारी न हों चाहें, उस व्यक्ति के पास आवेदक फर्म का प्राधिकार पत्र क्यों न हो ।

अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन

अधिनियमों/आदेश(शों) के प्रावधानों के अधीन अपील और परिशोधन

136. उन मामलों में जहां आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 या आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के अधीन कोई निर्णय अथवा आदेश दिया गया है तो अधिनियम एवं संबद्ध आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अपील/पुनरीक्षण किया जा सकेगा ।

137. (1) यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के खंड-4-ट के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अधिसूचना सं. 1/84, दिनांक 21 नवम्बर, 1984 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन, निम्नलिखित अधिकारियों को माल जब्त करने या दण्ड देने के लिए प्राधिकृत करती है :—

	आयातित माल का मूल्य जिसके संबंध में अधिकार दिए गए
उपमुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात	1 लाख रुपए तक
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात	5 लाख रुपए तक
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात	कोई सीमा नहीं

(2) आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के खंड-4-ड के प्रावधानों के अनुसार :—

(क) जहां मूल आदेश उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ने पारित किए हों तब मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पास अपील की जाएगी । दूसरी अपील वाणिज्य मंत्रालय में सचिव, या संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी की अपीलीय समिति को की जाएगी ।

(ख) यदि मूल आदेश मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/अपर मुख्य नियंत्रक ने पारित किए हों तो उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित अपीलीय समिति को अपील की जाएगी, अपीलीय समिति को की जाने वाली अपील अपीलीय समिति सैल, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को संबोधित की जाए ।

138. जहां आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के अधीन उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा संयुक्त आदेश पारित किए जाएं तो पहली अपील मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/अपर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को की जाएगी और दूसरी अपील ऊपर निर्दिष्ट अपीलीय समिति को की जाएगी ।

139. (1) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 27-3-85 के द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 8(1), 8(क) या 9(1) के अधीन की गई कार्रवाई के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

(क) जहां मुख्यालय के बाहर के उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ने कोई आदेश पारित किया हो तो पहली अपील पर निर्णय संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा लिया जाएगा। दूसरी अपील अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को की जाएगी ।

(ख) जहां मुख्यालय के उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा आदेश पारित किया जाता है वहां पर प्रथम अपील मुख्यालय में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (प्रवर्तन एवं प्रशासन) को की जाएगी । द्वितीय अपील अपर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को की जाएगी ।

(ग) जहां क्षेत्रीय कार्यालयों या मुख्यालय के मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ने आदेश पारित किया हो तो पहली अपील मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को की जाएगी । दूसरी अपील सरकार के अपीलीय प्राधिकारी को की जाएगी ।

(घ) जहां आदेश मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/अपर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात ने पारित किया हो तो पहली अपील वाणिज्य मंत्रालय की अपीलीय समिति को की जाएगी ।

(2) तथापि, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात समय-समय पर विशिष्ट प्रकार के मामलों पर निर्णय देने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों को नियुक्त कर सकता है ।

(3) उपरोक्त उप पैरा (1) में दिए प्रावधानों के बावजूद भी अपीलकर्ता की अपील को दो स्थितियों से अधिक की अनुमति नहीं होगी ।

(4) अधिनियम और इसके अंतर्गत किए गए आदेश(शों) के अधीन की गई अपील के साथ निम्नलिखित सूचना देते हुए एक प्रपत्र संलग्न होना चाहिए :—

(क) वह प्राधिकारी जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है;

(ख) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी एक प्रति;

(ग) क्या अपील, लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित करने या जब्तकरण के विरुद्ध है (विवर्जन के मामले में, जिस अवधि के लिए अपीलकर्ता को लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित किया गया हो उस अवधि का भी उल्लेख किया जाए); और

(घ) अपील करने के आधार (संक्षेप में) ।

(5) जिस प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा रही है, उस अपील की एक प्रति अपीलकर्ता द्वारा इस प्राधिकारी को भी निरपवाद से भेजी जाए ।

अन्य अपीलें

140. (1) जहां कोई व्यक्ति लाइसेंस प्राधिकारी/अपील सुनने वाले प्राधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील दे सकता है । मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा इस प्रावधानों की सीमा से बाहर किए गए आवेदकों अपीलकर्ता को सरसरी तौर पर रद्द किया जा सकता है ।

(2) निम्नलिखित किस्म के मामलों में अपील पर विचार किया जाएगा :—

(क) आयात लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्र के संबंध में;

(ख) निर्यात आभार को पूरा करने के लिए या आयात लाइसेन्स के लिए लागू किसी भी शर्त के लिए आयातकों द्वारा निष्पादित विधिक करारों/बैंक गारंटी के प्रवर्तन से संबंधित मामलों में ।

(ग) इसके बाद निहित क्रियाविधि उन मामलों में भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी जिसमें निर्यातक अपने आवेदन पत्र के विरुद्ध लिए गए निर्णय से असन्तुष्ट हो और इस सम्बन्ध में अपील देना चाहता हो ।

प्रथम अपील

141. (क) जहां सहायक मुख्य नियंत्रक या उप मुख्य नियंत्रक द्वारा मूल निर्णय लिया गया है जो उस लाइसेंसिंग कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को अपील की जाएगी ।

(ख) जहां पर मूल निर्णय संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा लिया गया है तो मुख्यालय में मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा दो संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की एक समिति या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त उच्च अधिकारियों की समिति द्वारा प्रथम अपील पर निर्णय लिया जाएगा ।

द्वितीय अपील

142. यदि अपीलकर्ता उसकी प्रथम अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह अतिरिक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या मुख्यालय में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित समान पद के किसी अधिकारी के पास द्वितीय अपील कर सकता है ।

अपील प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा

143. (1) अपील जिस आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील की जा रही है उस आदेश/निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारी को दाखिल की जानी चाहिए । लेकिन, यदि अपीलीय प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अपील कर्ता पर्याप्त कारणों से निर्धारित समय में अपील नहीं कर सका तो वह अपील प्रस्तुत करने में 45 दिनों तक हुए विलम्ब को माफ कर सकता है ।

(2) निर्णय भेजते समय, लाइसेंस प्राधिकारी/अपील सुनने वाला प्राधिकारी इस बात का संकेत करेगा कि असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा किस प्राधिकारी को अपील के लिए आवेदन किया जाए ।

व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर

144. यदि कोई अपीलकर्ता या याचिकावाला उसके द्वारा दायर की गई अपील के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता है और उसने अपनी अपील में एक विवरण भेजा है या विशेष रूप से इस सम्बन्ध में संकेत किया है तो उसे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया जाए । लेकिन, यदि अपीलकर्ता/याचिकादाता उसको दिए गए मौके का लाभ नहीं उठाता है तो अपील पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर गुणवत्ता के आधार पर निर्णय दे दिया जाएगा ।

अपील के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज

145. (1) अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और विवरण दो प्रतियों में भेजे जाने चाहिए :—

(1) अपीलकर्ता का नाम और पता;

(2) आयातक/निर्यातक की श्रेणी,

(3) वह लाइसेंस अवधि जिसमें आवेदन-पत्र सम्बद्ध है;

(4) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण;

(5) मूल आवेदन-पत्र और इसके साथ भेजे गए अन्य दस्तावेजों की प्रति;

(6) निर्णय आदेश के विरुद्ध की गई अपील की एक प्रति;

(7) अपील का आधार;

(8) कोई अन्य दस्तावेज/साक्ष्य जिसके आधार पर अपील की गई है;

(9) इस कथन के साथ कि क्या अपीलकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इच्छुक है ।

(2) पहली अपील और दूसरी अपील के मामले में क्रमशः 100 रुपये और 200 रुपये की बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट शुल्क भुगतान के मुद्दे भी भेजने चाहिए ।

(3) सभी अपील पुनरीक्षा याचिकाओं के पृष्ठ के बिल्कुल ऊपर यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि यह प्रथम अपील है या द्वितीय अपील है या पुनरीक्षा याचिका है और संबंधित आवेदन की श्रेणी को भी दर्शाया जाना चाहिए ।

स्क्रीनिंग समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील

146. लाइसेंस कार्यालय अथवा मुख्य नियंत्रक आयात से निर्यात का कार्यालय मुख्यालय की स्क्रीनिंग समिति के निर्णय के

विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया में अपील मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली के मुख्यालय की स्क्रीनिंग समिति को की जा सकती है जो कि व्यथित पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकती है तथा अपील पर आदेश दे सकती है ।

लाइसेंसिंग समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपील

147. उपरोक्त प्रक्रिया संबंध लाइसेंसिंग समितियों नामशः पूंजीगत माल समिति, अग्रिम लाइसेंसिंग समिति अनुपूरक लाइसेंसिंग समिति आदि द्वारा निर्णित मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी । तथापि, क्षेत्रीय लाइसेंसिंग समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अभ्यावेदन मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय मुख्यालय की संबद्ध समितियों को किए जा सकते हैं । मुख्यालय की लाइसेंसिंग समितियों के निर्णयों के विरुद्ध अभ्यावेदन मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को किए जा सकते हैं । लाइसेंसिंग वर्ष की समाप्ति पर ऐसे किसी भी अभ्यावेदन जिनमें लाइसेंसिंग समिति द्वारा निर्णय लिया जा चुका है विचार नहीं किया जाएगा ।

निर्यात सदन/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र को अस्वीकार अथवा रद्द करने के विरुद्ध अपील

148. (1) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति के अधीन निर्यात सदन प्रमाण-पत्र/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र प्रदान करने अथवा नवीकरण करने को रद्द करने के निर्णय के विरुद्ध अपील मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय (ई. पी. 3) में निर्यात व्यापार सदन समिति को की जाएगी ।

(2) यहां उपर्युक्त पैरा 143 तथा 144 में दी गई प्रक्रिया भी लागू होगी ।

निर्यातकों के पंजीकरण/विपंजीकरण से संबंधित अपील

149. (1) यदि कोई निर्यातक इस पुस्तक के परिशिष्ट 15-क में सूचीबद्ध किसी एक पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उसे पंजीकरण अथवा विपंजीकरण से मना करने के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली में निर्यात आयुक्त को अपील कर सकता है ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त उप पैरे (1) के अधीन किए गए निर्णयों से सन्तुष्ट नहीं है तो वह अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को अपील कर सकता है ।

(3) यहां उपर्युक्त पैरा 143 तथा 144 में दी गई प्रक्रिया भी लागू होगी ।

(4) उपर्युक्त उप पैरे (1) और (2) के अनुसार अपील/अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, यदि निर्णय ऐसा ले लिया जाता है तो अपीलेंट प्राधिकारी या तो निर्यातक का स्वयं पंजीकरण करें या उसके पंजीकरण को बनाए रखे या वह पंजीकरण प्राधिकारी को ऐसे निर्यातक के पंजीकरण करने के लिए या उसका पंजीकरण बनाए रखने के लिए निदेश दे सकता है । ऐसे मामलों में पुनः पंजीकरण या इस पंजीकरण को बनाए रखना ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो निश्चित की जाएं ।

पुनरीक्षा के सामान्य अधिकार

150. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात अपनी ओर से या अन्यथा रूप में किसी निलम्बित मामले में या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किसी भी मामले पर लिए गए निर्णय के संबंध में और इसके साथ-साथ इस अध्याय के किसी भी प्रावधान के अधीन उसके द्वारा मनोनीत, नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारियों के समूह/समिति से रिकार्ड मंगवा सकता है और यदि वह उचित और न्यायसंगत समझे तो उसके संबंध में भी आदेश पास कर सकता है ।

अध्याय 3

पूंजीगत माल

प्रक्रिया

151. पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र निर्धारित किए गए अनुसार परिशिष्ट-3-क में अथवा परिशिष्ट-3-ख जैसा भी लागू हो, 6 अतिरिक्त प्रतियों के साथ आवेदन शुल्क के भुगतान की बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ पूंजीगत माल की सूची की सात प्रतियों सहित होना चाहिए । उद्गम देश/देशों का उल्लेख करने के अतिरिक्त आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित सूचना देनी चाहिए :—

(क) प्रत्येक मुख्य मद के अलग-अलग लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के साथ पूंजीगत माल की विस्तृत सूची;

(ख) (आवेदित पूंजीगत माल के आयात के देश की मुद्रा में) (1) भाड़ा और (2) लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य में शामिल किए गए बीमे के निमित्त धन राशि को या आयात के वैकल्पिक स्रोत को अलग-अलग दिखाते हुए विदेशी संभरकों के बीजक-प्रपत्र की चार साक्ष्यांकित या फोटोस्टेट प्रतियां; और

(ग) विनिर्माताओं का विवरणी पैम्फलेट (ये आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए जितना शीघ्र सम्भव हो सके प्राप्त करने चाहिए और भेजने चाहिए) ।

152. जिन मामलों में आवेदक किसी अनुमोदित वित्तीय संस्थान से पूंजीगत माल की लागत पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा का ऋण मांगना चाहता है उसमें आवेदन-पत्र में इसका उल्लेख विशेष रूप से करना चाहिए । ऐसे आवेदकों से यह आशा की जाती है कि आशय पत्र की प्राप्ति के 6 महीनों के भीतर वित्तीय संस्थान से आवेदन करें ।

आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना

153. (1) पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन-पत्र निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किए जा सकते हैं :—

(क) जिस मामले में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 40 लाख रुपये तक हो उसमें आवेदन-पत्र इस संबंधित प्राधिकारी

प्राधिकारी के द्वारा क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में लाभभोगी कारखाना या संस्था अथवा उस आवेदन में जहां कहीं दिया गया हो उसके स्थापित स्थित हो ।

(ख) पूंजीगत माल के रूप में एक लाख रुपये के मूल्य तक के उपकरण जो परिशिष्ट-8 में या आयात-निर्यात नीति, 1990—93 (खण्ड-1) में किसी अन्य स्थान पर नहीं किए गए हैं, के आवेदन-पत्र पर क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा । इससे उच्च मूल्य के आवेदन-पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाएगा ।

(2) जिस मामले में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 40 लाख रुपये से अधिक और 1.5 करोड़ रुपए तक हो, आवेदन-पत्र संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना चाहिए ।

(3) जिस मामले में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो, उसमें आवेदन-पत्र औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना चाहिए । आवेदक द्वारा ऐसे आवेदन-पत्र की एक प्रति साथ-साथ संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए जो अपनी सिफारिशों को शीघ्रता से औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजेगा । ऐसे आवेदन-पत्रों को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को पृष्ठांकित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(4) उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित श्री टावर सिस्टम उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां आयात नीति/प्रक्रिया पुस्तक में अलग किया विधि दी गई है ।

(5) उपर्युक्त शर्तें उस सीमा के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए लागू होती हैं जिस सीमा तक उनके लिए इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 171 और 172 की शर्त लागू होती है ।

(2) अधिकतम 5 लाख रुपये (लागत-बीमा-भाड़ा) मूल्य की मशीनरी के आयात के लिए वर्तमान औद्योगिक एकको के आवेदनों पर प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश के बिना ही सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है । ऐसे आवेदन-पत्र संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सीधे भेजे जा सकते हैं । लेकिन, इसके लिए देशी दृष्टिकोण से निकासी प्राप्त करनी होगी । तथापि नये/प्रस्तावित औद्योगिक एककों द्वारा संबंधित प्रयोजक प्राधिकारी के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के मूल्य (लागत बीमा भाड़ा) की मशीनरी के आयात के लिए आवेदन भिजवाया जाना अपेक्षित होगा ।

154. (1) प्रतिस्थापन, संतुलन या आधुनिकीकरण के लिए या सामान्य प्रचालन के लिए मशीनरी के आयात के लिए आवेदन करने वाले विद्यमान यूनिट जब कभी जरूरत पड़े एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक से अधिक आवेदन-पत्र भेज सकते हैं । निर्माणाधीन प्रमुख परियोजनाओं के मामले में तथा आपातकालीन परिस्थितियों अर्थात मशीनरी के खराब हो जाने पर या विशेष विदेशी ऋण को पूरा करने के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक से अधिक आवेदन-पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है ।

(2) उन मामलों में जहां एक औद्योगिक एकक एक से अधिक अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण में लगा हुआ है और उसके पास ऐसे प्रत्येक अन्तिम उत्पाद के लिए अलग-अलग औद्योगिक लाइसेंस या पंजीकरण है तो एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक बार से अधिक लागू होने वाली सामान्य प्रक्रिया प्रत्येक अन्तिम उत्पाद के लिए अपेक्षित मशीनरी के लिए भी लागू होगी ।

(3) अखबारी कागज प्रतिष्ठान एक वित्तीय वर्ष में वास्तविक आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक आवेदन-पत्र दे सकते हैं ।

155. (1) जिन मामलों में 25 लाख रुपये से अधिक लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के इलैक्ट्रानिकी परक आयात-नीति के पैरा 6 (17) में सम्मिलित दूर संचार उपस्कर को छोड़कर मदों का आयात करने की इच्छा की गई हो, उनमें इलैक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा । आयात नीति के पैरे 6 (17) के अन्तर्गत सम्मिलित दूर संचार उपस्कर के लिए दूर-संचार विभाग दूर संचार आयोग) की स्वीकृति अनिवार्य है यदि ऐसे आयात का मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक हो । इसलिए, आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय उपर्युक्त इलैक्ट्रानिकी मदों/दूर संचार उपस्कर का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अपने आवेदन-पत्र की एक प्रतिलिपि इलैक्ट्रानिक विभाग अथवा इलैक्ट्रोनिक विभाग (दूर संचार आयोग) जैसा भी मामला हो को भेजें ।

(2) जहां कागज, चीनी, इस्पात, एल्युमीनियम और सीमेन्ट उद्योगों तथा पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन रिफाइनरी तथा पैट्रो-कैमिकल्स, गैस-बेस फर्टिलाइजर्स मिश्रित फर्टिलाइजर्स रसायन, ड्रग तथा फार्मास्यूटिकल उद्योगों के लिए भी आयात किए जाने वाले पंजीगत माल में नियंत्रण और औद्योगिक इलैक्ट्रानिक उपस्कर/सब-सिस्टम शामिल हों वहां आयातों की स्वीकृति से पूर्व इलैक्ट्रानिक विभाग महानिदेशक, तकनीकी विकास से परामर्श द्वारा आयात की अनुमति देने से पूर्व विशिष्ट स्वीकृति लेना भी अनिवार्य होगा ।

156. आवेदकों द्वारा पंजीगत माल के आवेदन-पत्रों की प्रतियां महानिदेशक, तकनीकी विकास (जहां महानिदेशक तकनीकी विकास प्रायोजक प्राधिकारी नहीं हो) को देशीय क्षमता की दृष्टि से निकासी के लिए साथ-साथ भेजी जानी चाहिए । महानिदेशक तकनीकी विकास द्वारा देशीय क्षमता की दृष्टि से निकासी की स्वीकृति संबंधित पंजीगत माल समिति की बैठक में दी जाएगी ।

वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) द्वारा पूंजीगत माल का आयात सामान्य

157. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में शामिल मदों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल के वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के आवेदन-पत्र पर केवल तब विचार किया जाएगा जबकि उसको उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आशय-पत्र जारी कर दिया गया हो यदि अन्यथा रूप से अनुमति हो, तो आशय-पत्र के औद्योगिक लाइसेन्स के परिवर्तन की प्रत्याशा में पूंजीगत माल के लिए आयात लाइसेन्स भी जारी किया जा सकता है।

158. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की शर्तों से छूट वाले संस्थानों के मामले में आवेदन-पत्रों पर केवल तब विचार किया जाएगा जबकि आवेदक आवेदन-पत्र के साथ उस सम्बन्ध में एक घोषणा-पत्र ऐसी छूट के समर्थन में सरकारी अधिसूचना की संख्या और तिथि का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करें।

159. प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ औद्योगिक लाइसेन्स, आशय पत्र या पंजीकरण प्रमाणपत्र जो भी उचित हो, की फोटोस्टेट प्रति होगी।

160. जिस मामले में आशय-पत्र या औद्योगिक लाइसेन्स यह निर्धारित करता है कि संयंत्र और मशीनरी के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी, उस मामले में केवल मशीनरी के आधुनिकीकरण, बदलाई, सुरक्षा परीक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और गुण नियंत्रण उपस्कर के आयात के लिए आवेदन-पत्रों पर लागू नीति के अनुसार विचार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे उपस्कर का आयात अनुज्ञप्त अनुमोदित क्षमता से अधिक न हो।

161. जिन मामलों में पूंजीगत माल के आयात की व्यवस्था विदेशी सहयोग के अन्तर्गत की जाती है, उनमें आवेदन-पत्र के साथ सम्बन्धित सरकारी अनुमोदन की फोटोस्टेट प्रति, उसके मूल विषय और जिस विशेष धारा के अन्तर्गत आयात किया जाना है, उसका उल्लेख लगा होना चाहिए।

162. आयात-निर्यात नीति, 1990—93 के परिशिष्ट-1 भाग-ख में आने वाले पूंजीगत माल का आयात वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमेय होगी। आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खंड-1) में दिए गए के अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं का आवधिक विवरण निदेशक सांख्यिकी, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय नई दिल्ली को इस पुस्तक के परिशिष्ट-3-ख में भेजने चाहिए

163. (1) संबंधित आयात-निर्यात नीति और इस अध्याय में दिए गये प्रावधानों के अधीन पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदनों पर सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित आयात की अनिवार्यता, महानिदेशालय तकनीकी विकास द्वारा या किसी अन्य संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित आयात देशीय दृष्टिकोण से निकासी और आयात के लिए विदान करने के लिए विदेशी साधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। यूनिट द्वारा मशीनरी के आयात के मामले में जिसकी निविदा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली की प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रोजेक्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई है को स्वीकृत निविदा की सूची में दी गई मशीनरी के आयात के लिए महानिदेशक तकनीकी विकास द्वारा सूची सत्यापन की शर्त के अधीन आयात लाइसेन्स दिया जाएगा।

(2) पूंजीगत माल/हैवी इलेक्ट्रीकल प्लांट के आयात के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस "वास्तविक उपयोक्ता शर्तों" के अधीन होंगे। लाइसेन्स में सीमाकारी गुणक के रूप में मूल्य और मात्रा दोनों का उल्लेख होगा।

विज्ञापन क्रियाविधि

164. जिन मामलों में विज्ञापन प्रक्रिया से सचिव (तकनीकी विकास) और महानिदेशालय तकनीकी विकास द्वारा छूट की मंजूरी दी गई हो उनको छोड़कर 40 लाख रुपये से अधिक मूल्य के पूंजीगत माल के इच्छुक आयातक को अपनी आवश्यकताएं नीचे दिए गए तरीके से विज्ञापित करनी चाहिए ताकि इच्छुक देशी विनिर्माता पहले उत्तर दे सकें। पुरानी मशीनरी जो खुले सामान्य लाइसेन्स में नहीं आती है और उस प्रस्तावित पुरानी मशीनरी का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है उसके लिए भी विज्ञापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे मामले में विज्ञापन तुल्य नई मशीनरी के लिए होगा। अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापन में सम्बद्ध पूंजीगत माल के विशिष्टिकरण के पर्याप्त ब्यौरे, मेक, माडल और/या अन्य ब्यौरे, वितरण की वांछित अवधि और अन्य यथार्थ तथ्य जो आवेदक पसन्द करें, के ब्यौरे दिए जाएंगे। इसमें यह भी उल्लेख होना चाहिए कि सम्बन्धित डाइंग पहले ही उपलब्ध है या बाद में दी जाएगी। (केवल मुख्य मद को विज्ञापित किया जाना चाहिए अर्थात उपसाधित्र अतिरिक्त पुर्जों, औजारों आदि को छोड़कर)।

(2) जहां आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल में डी.सी. ड्राइवर्स, प्रोग्रामेबल लाजिक नियंत्रण सिस्टम, इन्स्ट्रुमेन्टेशन सिस्टम, बिजली से तोलने का सिस्टम आदि शामिल हों वहां इन मदों के पूर्ण विशिष्टिकरण विज्ञापन में दिए जाने चाहिएं ताकि देशी विनिर्माताओं से सार्थक उत्तर प्राप्त किए जा सकें। मुख्य मेकेनिकल संयंत्र के एक भाग के रूप में अपूर्ण विशिष्टिकरण के साथ या सामान्य विवरण के अन्तर्गत ऐसी मदों के आयात के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(3) परियोजना प्राधिकारी विदेश से उपकरणों की खरीद के लिए बातचीत करते समय प्रारम्भिक समय पर स्वयं ही विभिन्न उप-प्रणालियों की परिमाप प्रक्रियाएं प्राप्त करें तथा अपने विदेशी संभरकों/सहयोगियों से उप-प्रणालियों जिनका स्वदेशी प्रक्रिया से अनुकूलन किया सकता है के लिए भी आश्वासन प्राप्त करें।

165. विज्ञापन या तो (1) भारतीय व्यापार पत्रिका में या (2) भारतीय निर्यात बलेटिन में प्रकाशित होना चाहिए। प्रथम (प्रदर्शन के रूप में विज्ञापन) के सम्बन्ध में सभी समाचार भारत

सरकार मुद्रणालय, संत्रागाच्छी, हावड़ा को सम्बोधित किए जाएंगे । इसके साथ ही विज्ञापन सामग्री की एक प्रति विभागीय प्रभारी, भारत सरकार के बुक डिपो सं. 8, के एस. राय रोड, कलकत्ता-1 को भेजी जाए । द्वितीय जनरल के संबंध में प्रबंध निदेशक, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली को संबोधित किया जाना चाहिए । इंजीनियरिंग उद्योग के संघ द्वारा निकाले जा रहे जरनल में भी विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं । इस बारे में सम्पादक, इंजीनियरिंग उद्योग के संघ 23, 26, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 को पत्राचार भेजा जाना चाहिए ।

166. विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि (मांगकर्ता) आवेदक को उपलब्ध होगी । देशी विनिर्माता को आफर भेजते समय संबंधित विज्ञापन संबंधी पत्रिका का नाम और तारीख और क्रम सं. को स्पष्ट रूप में दर्शाना चाहिए । मूल आफर को विज्ञापन देने वाले के पास सीधे ही भेजा जाना चाहिए और उसकी प्रति (क) तकनीकी विकास महानिदेशालय, समन्वय अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली और (ख) डी. जी. टी. डी. के प्रायोजित निदेशालय/अन्य संबंधित प्रायोजित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकृत पावती देय डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए । विज्ञापन कर्ता (मांगकर्ता आवेदक) को विज्ञापन में डी. जी. टी. डी. के प्रायोजक निदेशालय का नाम/अन्य प्रायोजित अधिकारियों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए । प्रस्ताव में विशिष्टिकरण संबंधी विस्तृत विवरण और मद संबंधी पर्याप्त अन्य विवरण दिया जाना चाहिए जिसकी आपूर्ति देशी विनिर्माता करने की स्थिति में हो विवरण की अवधि जिसे सुनिश्चित किया जा सकता है, मूल्य और अन्य महत्वपूर्ण सूचना भी दी जानी चाहिए । अन्य वास्तविक उपभोक्ता जिनके पास अपनी आवश्यकता से सी. जी. सरप्लस है वे भी इसी प्रकार से अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं ।

167. ऊपर निर्धारित सीमा का पालन न करने पर देशी विनिर्माता/वास्तविक उपयोक्ता आगे विचार करने के लिए/प्रतिवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

168. विज्ञापन की तिथि से 45 दिन की अवधि बीत जाने के बाद इच्छुक आयातक विषयाधीन पूंजीगत माल का आयात करने के लिए सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी से लाइसेन्स के लिए आवेदन कर सकता है (यदि ऐसा आवेदन उस तारीख के 12 माह के भीतर सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी या प्रायोजक प्राधिकारी को नहीं किया जाता है और सचिव, तकनीकी विकास विभाग द्वारा उसके नाम में विशेष रूप से छूट नहीं दे दी जाती है तो विज्ञापन की प्रक्रिया दोहराई जानी चाहिए) । आयात के लिए आवेदन-पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की क्रम संख्या और तिथि प्राप्त किए गए प्रस्ताव और आवेदक द्वारा उनके अलग-अलग मूल्यांकन का उल्लेख होना चाहिए । प्रस्ताव अस्वीकार करने के कारण स्पष्ट रूप से देने चाहिए । आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन की दो फोटोस्टेट प्रतियां भी होनी चाहिएं ।

169. लेकिन विज्ञापन प्रक्रिया, सिनेमाटोग्राफिक उपस्कर, कम्प्यूटर सिस्टम और उनके अतिरिक्त पुर्जों, आविरूपों, 10% की विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ अनुमोदित होटलों द्वारा उपस्करों का आयात, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं द्वारा अपेक्षित पूंजीगत माल, अन्य वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य उच्चतर शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान या अस्पताल के लिए लागू नहीं होगी, साथ ही यह प्रक्रिया भारत में वापिस आने वाले/विदेश में रहने वाले भारतीयों पर लागू विशेष योजना पर भी लागू नहीं होगी ।

परियोजना अनुमोदन बोर्ड

170. मिश्रित प्रस्तावों अर्थात् वे प्रस्ताव जिनके पूंजीगत माल के आयात सहित एक से अधिक अनुमोदन हों, उन पर औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में परियोजना अनुमोदन बोर्ड विचार करेगा । ऐसे मामलों में आवेदनपत्र औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (सामान्य अनुभाग), उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत करने चाहिएं ।

171. (1) 5 करोड़ रुपये तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों नई परियोजना की स्थापना करने या पर्याप्त विस्तार करने से सम्बन्धित पूंजी निवेश के मामले में भी औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग शर्तें यदि कोई हों, के लिए और पूंजीगत माल के आयात के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की आवश्यकता होगी । ऐसा आवेदन-पत्र इस सचिवालय को पहले भेजना चाहिए ।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र कार्यान्वियन के अन्तर्गत सभी नई परियोजनाओं के लिए 40 लाख रुपए मूल्य तक के पूंजीगत माल के लिए आवेदन-पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिएं न कि सम्बन्धित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को, बशर्ते कि आयात के लिए विदेशी मुद्रा सरकार द्वारा परियोजना के नाम में रिहा कर दी गई हो । परियोजना प्राधिकारी को चाहिए कि वह आयात की जाने वाली मदों के सम्बन्ध में भी महानिदेशक तकनीकी विकास से देशी निकासी प्राप्त कर ले ।

172. यदि ऐसा पूंजी निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक हो जाए (उनको छोड़कर जिनके लिए विशेष क्रियाविधि निर्धारित की गई हो) तो आवेदन-पत्र सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से सचिवालय, औद्योगिक अनुमोदन, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत करने चाहिएं ।

173. लेकिन, उर्वरक परियोजना से सम्बद्ध मिश्रित प्रस्ताव परियोजना अनुमोदन बोर्ड को भेजने के बजाय उर्वरक परियोजना विषयक समर्थक समिति उर्वरक विभाग कृषि मंत्रालय नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं ।

भारी विद्युतीय संयंत्र

174. भारी विद्युतीय संयंत्र और मशीनरी जिसमें संबंधित उपस्कर और विद्युत संयंत्र के लिए अनिवार्य सामग्री भी शामिल है विद्युतीय पावर के जनरेशन या ट्रांसफोर्मेशन के आयात के लिए आवेदन पत्र निर्धारित सी. जी. प्रपत्र में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के माध्यम से उपर्युक्त पैरा 153 में बताए गए के

अनुसार सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए ।। राज्य विद्युत बोर्ड/संस्थान/परियोजना की आवश्यकताओं के लिए पूंजीगत माल के मामलों में आवेदन-पत्रों के साथ विद्युत बोर्ड/संस्थान/परियोजना से यह घोषणापत्र होना चाहिए कि इस उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा आवंटित कर दी गई है । ऐसे मामलों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इस क्षेत्र द्वारा सामान्यतः अपेक्षित मदों के लिए या तो अलग-अलग आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में या पैकेज निकासी के रूप में देशी निकासी की स्वीकृति महानिदेशक, तकनीकी विकास से प्राप्त करेगा ।

175. सामान्यः नई परियोजना स्थापित करने या वास्तविक विस्तार के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीन के वास्तविक मूल्य के आयात लाइसेंसों के आवेदनपत्रों पर निम्नलिखित एक या एक से अधिक स्वीकार्य वित्त दान के साधनों के मद्दे विचार किया जाएगा :—

(क) परियोजना की पूंजी में लम्बी अवधि के लिए विदेशी पूंजी निवेश;

(ख) भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम, बम्बई और औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली से परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा ऋण;

(ग) समय-समय पर यथा अनुमोदित और घोषित, विदेशी वित्तदान संस्थान से लम्बी अवधि के लिए विदेशी मुद्रा ऋण;

(घ) भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली द्वारा लघु पैमाना उद्योगों के लिए अपनी भाड़ा-खरीद योजना के अधीन वित्तदान किए गए आयात, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा इस उद्देश्य के लिए विधिवत अनुमोदित लीजिंग कम्पनी सहित किसी अन्य एजेंसी/कम्पनी के लिए वित्तदान किए गए आयात;

(ङ) विदेशी सरकार या वित्तीय संस्थान से भारत सरकार को ऋण जिसके मद्दे नकद लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है; और

(च) भारत सरकार और विदेशों के बीच व्यापार और भुगतान समझौते जिनके मद्दे नकद लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है ।

ऋणों के लिए पत्र-व्यवहार

176. आयातकर्ताओं द्वारा कर्जों के सम्बन्ध में विदेशी वित्त दाता संस्थाओं के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए सिद्धान्त रूप में सरकार की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । इस प्रकार के आवेदन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय को भेजे जाएं । इन आवेदनों में यह बताया जाए कि सम्बन्धित उपस्कर का मूल्य, आयात करने का प्रयोजन क्या है, उसे किस देश या किन देशों से आयात किया जाना है, उस आयातित कच्चे माल/उन संघटकों का मूल्य कितना है जिनकी यूनिट को उत्पादन आरम्भ कर देने के बाद हर वर्ष जरूरत होगी, और यदि परियोजना के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन कोई विनिर्माण लाइसेन्स प्राप्त किया गया हो, तो उस लाइसेन्स का ब्यौरा भी आवेदन-पत्र में दिया जाए ।

नकद या आस्थगित अदायगी पर स्वतंत्र साधनों के आधार पर आयात

177. यदि आयातित संयंत्र और उपकरण पर परिव्यय अपेक्षाकृत कम हो और योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप तीन वर्ष के अन्दर इससे होने वाली मुद्रा की बचत या उसकी अर्जित राशि से उसे पूरा किया जाना हो (आयात/निर्यात के वर्तमान स्तर को विधिवत् ध्यान में रखते हुए) तो नकद या आस्थगित अदायगी के आधार पर स्वतंत्र साधनों के मद्दे लाइसेन्स देने के लिए कुछ सीमा तक, आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा सकता है । सामान्यतः, सरकार अल्प या मध्यम पूर्तिकर्ता क्रेडिट शर्तों पर, आयात को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव नहीं रखती और आस्थगित भुगतान व्यवस्थाओं पर अपवाद स्वरूप मामलों में केवल तब विचार किया जाएगा जबकि सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि आयात किए जाने के लिए प्रस्तावित संयंत्र और मशीनरी में उत्पादन के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत भुगतान आभार को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होगी । इसी प्रकार जिस माल के उत्पादन के लिए संयंत्र का आयात किया जाना है उस माल के निर्यात के लिए सन्तोषजनक गारन्टी है, तो ऐसी व्यवस्था अनुमोदित की जा सकती है ।

लीजिंग कम्पनियों द्वारा वित्त पोषित पूंजीगत माल का आयात

178. सम्बद्ध आयात-निर्यात नीति और इस अध्याय के अधीन पूंजीगत माल, जिनमें वे माल भी शामिल हैं जिनका आयात खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन अनुमेय है, के आयात के लिए उन वास्तविक उपयोक्ताओं से प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों पर लीजिंग कम्पनियों द्वारा वित्तदान के लिए सुविधा, जिनके अनुच्छेद में लीजिंग को विशेष रूप से एक लक्ष्य के रूप में माना गया है, के अधीन विचार किया जाएगा जिनके पास प्रदत्त शेयर पूंजी 1 करोड़ रु. से कम नहीं है और जो स्टाक एक्सचेंज की सूची में हैं । खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन आयात के लिए अनुमित पूंजीगत माल के लिए लीज वित्त पोषित के अन्तर्गत आयात के लिए आवेदन पत्र चाहे उनका कितना भी मूल्य हो क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजनी है जबकि अन्य पूंजीगत माल के लिए (प्रतिबन्धित पूंजीगत माल को छोड़कर) आवेदन-पत्र सम्बद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने हैं । आवेदन पत्रों के साथ कम्पनियों के पंजीयक द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित अनुच्छेदों की फोटो प्रति, सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र जिसमें न्यूनतम प्रदत्त पूंजी और आरक्षित पूंजी को दर्शाया गया हो और स्टाक एक्सचेंज द्वारा इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र कि वे स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, भी भेजी जानी चाहिए । लीजिंग कम्पनी द्वारा परिशिष्ट-3ङ में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में करार और स्वीकृति पत्र के आधार पर लीजिंग कम्पनी को लाइसेंस का एक संयुक्त धारक बनाते हुए लाइसेन्स पर पृष्ठांकन किया जाएगा । वास्तविक उपयोक्ता आवेदक और लीजिंग कम्पनी दोनों लाइसेन्स पर आरोपित एवं लागू शर्तों के साथ प्रचलित नियमों एवं प्रक्रिया

के अनुपालन के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक बाध्य होंगे । सम्बन्धित लाइसेन्स प्राधिकारी के अनुमोदन से पट्टाधारी कम्पनी वास्तविक उपयोक्ता के नाम में आयातित मशीनरी से अपना अधिकार छोड़ सकती है ।

179. योजना की प्राथमिकता और प्रस्तावित वित्तपोषण की पद्धति को ध्यान में रखकर आयात लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा । नियमानुसार, आयात के वित्तीय स्रोत ऊपर के पैरा 175 में उल्लिखित विकल्पों तक सीमित होंगे । यदि योजना की उचित प्राथमिकता को न समझा गया हो और/या सरकार के पास उपलब्ध निधि को आबंटित न किया गया हो तो ऐसी योजनाओं के संबंध में आयात आवेदनपत्रों को रद्द कर दिया जाएगा ।

कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में पूंजीगत माल के आयात के लिए विशेष क्रियाविधि

180. देशी पूंजीगत माल वाले उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकताओं से सामंजस्य बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में पूंजी निवेश की कुल लागत को कम करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी परियोजनाओं/उद्योगों को आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खण्ड-1) के अध्याय-3 में अभिज्ञात की गई है । उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी में भी महत्वपूर्ण विस्तार के लिए व्यक्तियों द्वारा ली गई परियोजनाओं के लिए अधिप्राप्त किए जाने वाले वांछित सभी पूंजीगत माल के लिए विश्व निविदाएं आमंत्रित कर सकते हैं और ये निविदाएं इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना की जा सकती हैं कि पूंजीगत माल देश में विनिर्मित है या नहीं । माल आपूर्ति करने के लिए देशी विनिर्माताओं को सुअवसर प्रदान करने के लिए आवेदक को पैरा 164 में उल्लेखनीय क्रियाविधि के अनुसार भी विज्ञापन देना चाहिए, परन्तु विज्ञापन का उत्तर देने के लिए न्यूनतम 60 दिनों की अवधि दी जानी चाहिए । जहां कहीं लागू हो, विज्ञापन में पूंजीगत माल की मदें आई. एस. आई. के अनुरूप विशिष्टिकरण निर्दिष्ट होने चाहिए । लेकिन, उत्पादन लागत को कम करने और स्रोतों को आशावादिता की दिशा में ले जाने वाली प्रौद्योगिकी की उन्नति के हित में विशिष्टीकरण में अन्तर की अनुमति दी जाएगी । लेकिन विज्ञापित विशिष्टिकरण आपूर्ति के स्रोतों के केवल अनुकूल ही नहीं होने चाहिए ।

181. यदि उपर्युक्त अनुसार दिए गए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोई आवेदा हो तो उसकी प्राप्ति के बाद परियोजना प्राधिकारी अधिप्राप्त किए जाने वाले वांछित पूंजीगत माल (या तो आयातित या देशी या आयातित/देशी) के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, इन प्रस्तावों के साथ स्थलीय लागत अर्थात् लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर देशी और विदेशी बोलियों के बीच तुलना और विदेशी बोली के संबंध में उद्ग्राह्य शुल्क का एक विवरणपत्र होना चाहिए । प्रस्तावों पर सचिव (औद्योगिक विकास) की अध्यक्षता के अन्तर्गत अधिकृत समिति द्वारा विचार किया जाएगा । उपर्युक्त पैरा 155 के प्रावधान भी ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए संगत होंगे के 8 सप्ताह के भीतर समिति अपने विचारों/सिफारिशों को और सामान्य तौर पर ऐसे प्रस्तावों की प्राप्ति के 8 सप्ताह के भीतर समिति अपने विचारों/सिफारिशों को अन्तिम रूप देगी । इन विचारों/सिफारिशों में समिति के निर्णय में यथा उपर्युक्त विदेशी मुद्रा के स्रोत के साथ-साथ अपेक्षित निकासी भी शामिल होगी । सम्बद्ध आयात लाइसेंस जारी करने के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को निर्णय से सूचित किया जाएगा ।

182. उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत भारतीय परियोजना प्राधिकारियों से उपस्कर के लिए आदेश प्राप्त करने वाले भारतीय संभरकों को ऐसे पूंजीगत माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री, संघटकों, उपभोज्यों और अतिरिक्त सामान के आयात के लिए अनुमानित देशी उपलब्धता के दृष्टिकोण से किसी भी प्रतिबन्ध के बिना दी जाएगी । उपर्युक्त सुविधाएं अतिरिक्त होंगी और सामान्य नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) को उपलब्ध सुविधाओं के बदले नहीं होंगी ।

यंत्रों, परीक्षण मशीनों आदि का आयात

183. (1) यन्त्रों, परीक्षण उपस्कर, भार तोलने की मशीनें, प्रयोगशाला उपस्कर, औजारों और टैकल्स आदि के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं के आवेदनपत्र उसी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किये जायेंगे जो कि इस अध्याय में पूंजीगत माल आयातों के लिए लागू है ।

(2) ऐसे संस्थान (गैर-औद्योगिक) जिन्हें अपने स्वयं के उपयोग के लिए औजारों की आवश्यकता है वे परिशिष्ट-3-क में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं ।

वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)

184. (1) वास्तविक उपयोक्ताओं (गैर-औद्योगिक) के मशीनरी के आयात के लिए आवेदन-पत्र मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली को दिए जाते हैं । इस प्रकार के आवेदन-पत्रों पर विचार राज्य उद्योग निदेशक या राज्य या केन्द्रीय सरकार के आवेदन से संबंधित उचित प्राधिकारियों की सिफारिश पर विचार किया जाएगा । आवेदन-पत्र, जब तक अन्यथा रूप से व्यवस्था न कर दी जाए, इस पुस्तक में वास्तविक उपयोक्ताओं (गैर-औद्योगिक) के लिए निर्धारित प्रपत्र में भेजे जाने चाहिएं । इन आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय देशीय दृष्टिकोण से उपलब्धता, आयात के लिए अनिवार्यता, इस उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । यूनिट द्वारा मशीनरी के आयात के मामले में जिसकी निविदा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्दा बोली की प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रोजेक्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई है को स्वीकृत निविदा की सूची में दी गई मशीनरी के आयात के लिए महानिदेशक तकनीकी विकास द्वारा सूची सत्यापन के बाद आयात लाइसेन्स प्रदान किया जाएगा ।

(2) निर्माण संबंधी मशीनरी के आयात के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार संबंधित अभिकरणों द्वारा किया जाएगा । आवेदन-पत्र परिशिष्ट-3क में निर्धारित प्रपत्र में भेजे जाने चाहिएं और

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को संबोधित किए जाने चाहिएं, जो राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ परामर्श कर अपनी सिफारिश करेगा । आवेदक को चाहिए कि वह इस बात का उल्लेख करे कि जो उपस्कर वह आयात कर रहा है, वह किस देश से कर रहा है ।

(3) स्टूडियो उपस्कर के आयात के लिए आवेदन-पत्र पर विचार राज्य उद्योग निदेशक या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की सिफारिश पर फिल्म स्टूडियो और फिल्म प्रोसेसिंग लेबोरेट्रीज द्वारा किया जा सकता है । आवेदन-पत्र उपर्युक्त पैरा 153 में उल्लिखित लाइसेंस प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए ।

(4) रासायनिक विश्लेषण और अन्य औद्योगिक एककों द्वारा तैयार किए गए उत्पादकों की जांच पड़ताल में लगे हुए एककों के आवेदनपत्रों पर उन आवश्यक मशीनरी मशीन-औजार और उपस्करों के आयात के लिए विचार किया जाएगा जो देश में नहीं बनाए जाते । आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्र में राज्य उद्योग निदेशक के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय लाइसेन्स प्राधिकारियों को भेजे जाने चाहिएं । उद्योग निदेशक को चाहिए कि वे लाइसेंस के लिए सिफारिश करने से पहले महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली से देशी निकासी प्राप्त कर लें ।

गैस सिलिन्डरों का आयात

185. गैस सिलिन्डरों के आयात की नीति आयात-निर्यात नीति (खण्ड-1), 1990—93 के अध्याय-3 में दी गई है। पूंजीगत माल के रूप में गैस सिलन्डरों एवम् उनके संघटकों का आयात जारी रहेगा । अर्थात् :—

(1) खाली गैस-सिलिण्डरों का आयात पूंजीगत माल माना जाएगा ।

(2) गैस सहित सिलिण्डरों का आयात अनुपूरक लाइसेन्स के मद्दे संसाधित होगा। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि वे सिलिण्डर जो कि गैस के पात्र के रूप में आयात किए जाते हैं उपयुक्त सामग्री जो कि सामान्यत: गैसों के स्थानान्तरण के लिए प्रयोग में लाई जाती है के बने होने चाहिए ।

गैस, सिलिण्डरों, कन्टेनरों का पुन: निर्यात आधार पर आयात

186. (1) गैस भरे सिलिन्डर, लौटाने योग्य कोप्स और बोबिन्स, ड्रम क्लोजर्स. समुद्र में चलने वाले कन्टेनरों आदि जैसी मदें जो कि आयातित मदों की सहायक मदें हैं, उनके मामले में सीमा शुल्क प्राधिकारी, उनके पुन: निर्यात करने के तरीके के विषय से अपने आपको संतुष्ट करके उनके आयात की अनुमति बिना किसी लाइसेंस के दे सकते हैं ।

(2) ऊपर पैरा (1) में दिए गए प्रावधान उन खाली गैस सिलिण्डरों के आयात के लिए भी लागू होंगे जिनका गैस भरने के बाद निर्यात किया जाता है । आयातित सिलिण्डरों की निकासी के समय आयातक को विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर से सिलिण्डरों की उपयुक्तता के विषय में एक प्रमाणपत्र सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा अपेक्षित प्रमाण-पत्र के लिए विस्फोटक निदेशक से सम्पर्क करते समय आयातक को विषयाधीन सिलिण्डरों के ब्यौरे यह निर्दिष्ट करते हुए भेजने चाहिए :—(1) सिलिण्डरों के विनिर्माता का नाम और पता (2) वह विशिष्टिकरण जिसके सिलिण्डर समरूप हैं । (3) वह विशिष्टिकरण जिसके समरूप सिलिण्डरों में फिट किए गए वाल्व हैं और (4) सिलिण्डरों की क्रम संख्या ।

उच्च दबाव वाले खाली औद्योगिक गैस सिलिण्डरों का आयात ।

187. औद्योगिक गैस विनिर्माताओं द्वारा उच्च दाब वाले खाली औद्योगिक गैस सिलिण्डरों के किसी भी मूल्य के निहित होने पर भी आयात के आवंटन पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाएगा । आवेदन पत्र पूंजीगत माल के आयात के लिए निर्धारित प्रपत्र पर भेजे जाने चाहिएं ।

अनुमोदित होटल

188. अनुमोदित होटल अर्थात् एसे होटल जो कि इस उद्देश्य के लिए पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वे विदेशी पर्यटकों के लिए खान-पान की विशेष आवश्यकताओं के लिए अपने आवेदन पत्र पर्यटन विभाग, नई दिल्ली के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदनपत्रों को स्वीकृत करने से पूर्व उस विभाग को लाइसेंसीकृत की जाने वाली मदों के सम्बन्ध में महानिदेशक, पूर्ति एवं निपटान से आवश्यक स्वीकृति लेनी चाहिए । लाइसेंस उस धनराशि के लिए जारी किए जाएं जिसके लिए पर्यटक विभाग ने आर्थिक कार्य विभाग से परामर्श सिफारिश की हो ।

कम्प्यूटर प्रणाली (और उनके प्रारम्भिक पुर्जे)

189. (1) आयात-निर्यात 1990—93 खण्ड-एक के अध्याय-3 में कम्प्यूटर प्रणाली के आयात से संबंधित विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। आवेदन-पत्र, यदि कोई हो तो, इलैक्ट्रानिकी विभाग (कम्प्यूटर-कम्यूनिकेशन एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टेशन विंग), ए ब्लाक, सी. जी. ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 जो कि कम्प्यूटर प्रणाली के आयात के लिए प्रायोजक प्राधिकारी है, के माध्यम से भेजे जाएंगे । इस संबंध में आवेदन पत्र परिशिष्ट-3ग में दिए गए प्रपत्र के अनुसार दिया जाएगा जिसकी कार्यवाही पैरा 153 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ।

(2) संगणक प्रणाली का आयात इलैक्ट्रानिकी विभाग की सिफारिश पर निर्यात अभिमुख एककों को अनुमेय किया जाए। आवेदन-पत्र इलैक्ट्रानिकी विभाग (सी. सी. आई. विंग) में "ए" ब्लाक, सी. जी. ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के माध्यम से मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजे जाएं ।

(3) उन मामलों में जहां पर संगणक प्रणाली का आयात उन शर्तों को पूरा करने में असफल होता है जिनके अधीन आयात

अनुमेय है तो उस पर आयात एवं निर्यात नियंत्रण विनियमों आदि के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

(4) ऐसे आवेदन-पत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट 3-ग (सोफ्टवेयर नर्यात परियोजना के लिए आवेदन-पत्र) में दिए गए प्रपत्र में दिए जाने चाहिएं ।

(5) अप्रवासी भारतीयों के लिए आयात एवं निर्यात नीति 1990—93 (खण्ड-1) के अध्याय-11 में भी अलग से प्रावधान है ।

निर्यात करने वाली यूनिटों द्वारा पूंजीगत माल का आयात

190. निर्यात करने वाली यूनिटों को दी गई विशेष सुविधाओं के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिएं :—

(1) मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात कार्यालय द्वारा प्रदत्त निर्यात निष्पादन प्रमाण-पत्र की एक सत्यापित प्रति;

(2) आयात के औचित्य के साथ आयात की जाने वाली मशीनरी के पूर्ण विवरण अर्थात् निर्यातित उत्पाद;

(3) आयातित मशीनरी की अवतरण लागत तथा सुपुर्दगी की सम्भावित तिथि;

(4) इसी विशिष्टीकरण की स्थानीय मशीन का मूल्य दर्शाते हुए संविदा तथा इसकी सुपुर्दगी सारणी;

(5) आयात की जाने वाली प्रस्तावित मशीनरी की अनिवार्यता के बारे में संबंधित प्रयोजक प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र तथा आयातित और स्वदेशी मशीनरी के मूल्यों का अन्तर स्पष्ट करते हुए स्वदेशी तथा विदेशी संभरकों द्वारा उसकी सुपुर्दगी सारणी।

डीजल जनरेटिंग सेट का आयात

191. (1) डीजल जेनरेटिंग सेटों के आयात के लिए आवेदन-पत्र पूंजीगत माल के आयात के लिए परिशिष्ट-3क में उस प्रपत्र में निम्नलिखित सूचना एवं दस्तावेज के साथ मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली/एस. आई. ए. नई दिल्ली को जैसा भी मामला हो, दिए जाने चाहिएं :—

(क) जिस वास्तविक उपक्रम या संस्थान के लिए आयात करने की मांग की गई है, उसका ब्यौरा ।

(ख) विद्युत विधान के अनुसार उपयुक्त राज्य विद्युत बोर्ड से या अन्य विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण से एक "अनापत्ति प्रमाणपत्र" मूल रूप में आयात आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना चाहिए ।

(ग) आयात के लिए प्रस्तावित जनरेटिंग सेटों के रेटिंग और अन्य विशिष्टिकरण, आयात का सम्भाव्य देश; लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और वितरण अनुसूची जिस के साथ विदेशी संभरकों का मूल रूप में बीजक प्रपत्र हो ।

(घ) जिस उपक्रम/संस्थान के लिए (अब) आवेदन किया जा रहा है, उसके लिए आवेदक के पास पहले से ही किसी स्टेन्डबाई कैप्टिव जनरेटिंग क्षमता का ब्यौरा ।

(2) आवेदनपत्रों पर सामान्य क्रियाविधि के अंतर्गत विचार किया जाएगा, परन्तु जो लाइसेन्स प्रदान किया जाएगा, उसकी अवधि इस शर्त के साथ केवल 18 महीने होगी कि सम्भरकों को केवल प्रथम 6 महीनों के अन्दर आदेश दे दिए जाएंगे ।

मुद्रण मशीन का आयात

192. (1) यदि मशीनरी का मूल्य 1.5 करोड़ (लागत-बीमा-भाड़ा) रुपये से अधिक न हो तो अन्य प्रिंटिंग मशीनों आयात-निर्यात नीति, 1990—93 खण्ड-एक के परिशिष्ट-1, भाग-ख में दी गई सूची से भिन्न के आयात के लिए आवेदन-पत्र संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजने चाहिएं और यदि मशीनरी का मूल्य 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो तो आवेदन-पत्र उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, नई दिल्ली को भेजने चाहिएं ।

(2) वास्तविक उपयोक्ताओं को वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा धारित वैध-लाइसेंस के मद्दे संभरण के लिए मुद्रण मशीनरी के आयात के लिए परियोजना एवम् उपस्कर निगम लि. से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में जैसा भी मामला हो, आयात आवेदन-पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली या औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजे जाने चाहिएं ।

पुरानी मशीनरी का आयात

193. (1) 1.5 करोड़ रुपये (लागत-बीमा-भाड़ा) मूल्य तक के पुराने पूंजीगत माल (उपयोग किया हुआ) के आयात के लिए आवेदन पत्र संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिएं। इससे अधिक मूल्य के लिए आवेदन पत्र, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के औद्योगिक अनुमोदन के लिए सचिवालय को भेजे जाने चाहिएं। क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी पुराने (उपयोग किए गए) पूंजीगत माल के आयात के लिए किसी भी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं करेंगे । पैरा 164 में दिए गए के अनुसार पुरानी मशीनरी के आयात के मामले में विज्ञापन क्रिया विधि का भी अनुसरण किया जाएगा ।

(2) सात वर्ष से अधिक पुरानी मशीन जिसका सम्भावित शेष जीवन 5 वर्ष से भी कम है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(3) जिन मामलों में पुराने (उपयोग किए हुए) पूंजीगत माल के आयात की इच्छा की गई हो उनमें सम्बन्धित आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना होनी चाहिए :—

(क) स्वतन्त्र व्यवसायी उस देश के सनदी इंजीनियर या किसी भी इंजीनियरिंग संस्थान से जहां से मशीनरी

का आयात किया जाता हो, के प्रमाण-पत्र जैसा कि आवेदन-पत्र के साथ उपाबन्ध में दिया गया है ।

(ख) सनदी इंजीनियर प्रमाण-पत्र में दिए गए अनुसार आवेदक द्वारा पुरानी मशीनरी की आयु तथा सम्भावित शेष जीवन के बारे में एक वचन-पत्र दिया जाना चाहिए ।

(ग) पुराने संयंत्र और मशीनरी का पूर्ण विशेष विवरण और यदि उपलब्ध हो तो इसके फोटोग्राफ के साथ कीमत (प्रपत्र बीजक)। जहां सम्भव हो, अलग-अलग मूल्य अर्थात् पूंजीगत माल का मूल्य, पुर्जे खोलने की लागत, भाड़ा और बीमा, अलग से प्रपत्र बीजक में दिखाया जाना चाहिए ।

(घ) यदि संभरक से कोई निष्पादन गारन्टी प्राप्त की गई हो, तो उसका स्वरूप ।

(ङ) ऐसे आयातों के औचित्य में संगत सूचना, विशेषकर वे फायदे जो कि आयातित पुराने संयंत्र की शीघ्र प्राप्ति होने के कारण मूल्य में, और लागत में कमी होने से प्राप्त होंगे ।

(च) की गई व्यवथाएं/विशेष अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रस्ताव ।

टिप्पणी —खुले सामान्य लाइसेंस में शामिल मशीनरी की पुरानी मदों का आयात करने के लिए संगत आयात-निर्यात नीति के उपबन्धों का उल्लेख किया जाए ।

क्षेत्रीय दृष्टि से स्वीकृति की वैधता

194. जिन मामलों में पूंजीगत माल के आयात के लिए देशी दृष्टिकोण से निकासी कर दी गई हो, परन्तु पूंजीगत माल के लिए लाइसेंस जारी करने में वित्तीय या औद्योगिक लाइसेंस औपचारिकताओं या क्रियाविधि से संबंधित औपचारिकताओं को पूर्ण करने की प्रतीक्षा की जा रही हो तो ऐसे अनुमोदन की तिथि से अधिकतम 24 महीनों की अवधि इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए आवेदक को उपलब्ध होगी । जिस मामले में यह अवधि अपर्याप्त होगी उसमें नई निकासी मांगनी पड़ेगी । ऐसे मामलों में नए विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होगी ।

पूंजीगत माल लाइसेंस पर निर्यात शर्तें

195. पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन-पत्रों पर प्रत्येक मामले में यथानिश्चित निर्यात शर्तों के अधीन विचार किया जा सकता है; जिसके लिए यथा निर्धारित शर्तों के अनुसार विशेष विवरण और मूल्य/मात्रा के माल का निर्यात निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंसधारी को करना होगा। भूटान को निर्यात करने से निर्यात आभार से छुटकारे के लिए पात्रता प्राप्त नहीं होगी, इसी प्रकार नेपाल को भी स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में निर्यात करने से निर्यात आभार से छुटकारा नहीं मिलेगा ।

196. (1) निर्यात आभार की शर्त के साथ पूंजीगत माल के आयात के लिए जारी किया गया लाइसेंस अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के अधीन होगा कि लाइसेंसधारी निर्धारित निर्यात निष्पादन को पूर्ण करने के संबंध में एक बांड भरेगा । स्वीकृति प्रदान करते समय सक्षम प्राधिकारी बांड के समर्थन में एक बैंक गारण्टी निर्धारित कर सकता है । उस मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस जारी करने से पूर्व उपयुक्त मूल्य की बैंक गारन्टी प्राप्त करेगा । जिस प्रपत्र में लाइसेंसधारी को कानूनी समझौता देना होगा वह परिशिष्ट 3छ में प्रदर्शित है। यह स्पष्ट कर लिया जाए कि लाइसेंसधारी द्वारा यह बांड/कानूनी समझौता या तो उस क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी के साथ भरना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थित है या लाइसेंस के मद्दे आयात किए जाने वाले माल की निकासी के पत्तन पर लाइसेंस प्राधिकारी के साथ, जिस मामले में लाइसेंस प्राधिकारी निकासी के पत्तन पर सम्बन्धित लाइसेंस जारी करने वाले लाइसेंस प्राधिकारी को सम्बन्धित कागजात हस्तांतरण करेगा । लाइसेंसधारी को पूंजीगत माल लाइसेंस जारी करने वाले लाइसेंसिंग प्राधिकारी को उस लाइसेंस कार्यालय के नाम से अवगत कराना चाहिए जिसमें पूंजीगत माल लाइसेंस पर लागू निर्यात शर्तों में लाइसेंसिंग कार्यालय का नाम जहां बांड/विधिक समझौता इस आशय से निष्पादित किया जाएगा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी उस कार्यालय का नाम दर्ज कर सके । पत्तन का लाइसेंसिंग प्राधिकारी जहां बांड या विधिक करार स्वीकार किया गया है बांड या विधिक करार को निष्पादित करने के बाद उसे लाइसेंसिंग प्राधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में कारखाना स्थित है, को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगा ।

(2) उन मामलों में जहां निर्यात आभार (I) आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंस में पूंजीगत माल का आयात निहित नहीं है, (II) पूंजीगत माल के आयात में विदेशी सहयोग का अनुमोदन निहित न हो, और (III) पूंजीगत माल के आयात में डी. जी. टी. डी. पंजीकरण, संयुक्त उपक्रम स्वीकृतियां तथा अन्य स्वीकृतियां निहित नहीं हैं, पर लगाया गया है, ऐसे आभार वाली औद्योगिक यूनिटों के मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, (निर्यात आभार सैल), नई दिल्ली के अन्य विधिक करार/बांड निष्पादित करना होगा ।

197. (1) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में "निर्यात आभार कक्ष" (एक्सपोर्ट आबलिगेशन सेल) के नाम से अभिज्ञात एक कक्ष खोला गया है । जिसका कार्य उन मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई करना है जिनमें पूंजीगत माल के आयात लाइसेंस, औद्योगिक लाइसेंस या विदेशी सहयोगियों को अनुमोदन, निर्यात शर्तों के अधीन दिए जाते हैं। सम्बद्ध विनिर्माता यूनिटों को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली (निर्यात आभार कक्ष) को अपने निर्यात निष्पादन निर्दिष्ट करते हुए परिशिष्ट-3छ में दिए गए प्रपत्र में देना अपेक्षित होगा ऐसे विवरणपत्र उन विवरणपत्रों के अतिरिक्त होंगे जो यूनिट को बांड/कानूनी समझौते के अनुसरण में क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों और सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों को भेजने पड़ेंगे ।

(2) उन मामलों में जहां मूल निरुपित निर्यात का अल्प मूल्य, निरुपित निर्यात आभार के कुल मूल्य का 10% से अधिक न हो, की प्रतिपूर्ति न की जा सकी हो, आपरित शेष निर्यात आभार की राशि के बराबर आर.ई.पी./अतिरिक्त लाइसेंस के अप्रयोजित मूल्य के अभ्यर्पण आवेदनों का स्वीकार करते हुए उनके नियमित किए जाने के लिए गुण-दोषों के आधार पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात (निर्यात आभार एकक) नई दिल्ली द्वारा विचार किया जा सकता है।

198. विनिर्माता निर्यातकों द्वारा अग्रिम लाइसेंस, विशेष अग्रदाय लाइसेंस, आयात-निर्यात पास बुक आदि के मद्दे निर्यात आभार पूरा करने में किए गए निर्यातों को भी पूंजीगत माल के लाइसेंस पर लगाए गए निर्यात आभार को पूरा करने के लिए भी गिना जाएगा।

199. पूंजीगत माल के लाइसेंसों के निर्यात आभार पूर्ण करने के लिए किए गए निर्यात पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति की अनुसार आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऐसी शर्तों या प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऐसी शर्तें या प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे जो इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्र समझे गए निर्यातक भी निर्यात आभार को पूरा करने के लिए पात्र समझे जाएंगे।

200. जिस मामले में औद्योगिक यूनिट को आयातित मशीनरी की अनुमति निर्यात आभार की शर्त के अधीन दी जाए और मशीनरी के आयात के लिए यूनिट को सीधे ही आयात लाइसेन्स जारी न किया जाए, परन्तु मशीनरी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या किसी ऐसे ही अन्य एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त की यूनिट को बांड/कानूनी समझौता राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जाए तो ऐसे मामले में निर्यात आभार को पूर्ण करने के लिए से मशीनरी प्राप्त करने से पहले भरना पड़ेगा। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि को जारी किए गए आयात लाइसेन्सों के मामलों में, इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त शर्त होगी।

आयातित पूंजीगत माल का हस्तांतरण अथवा निपटान

201. इस पुस्तक के अध्याय-2 में आयातित पूंजीगत माल के हस्तांतरण/निपटान के लिए प्रक्रिया दी गई है।

छील

202. कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण या माल में केवल परिवर्तन के कारण या विशिष्टिकरण में अपेक्षाकृत छोटे-परिवर्तन के कारण, पूंजीगत माल के लाइसेन्स के लागत-बीमा-भाड़ा-मूल्य में अधिकतम 15 प्रतिशत की वृद्धि के लिए आवेदन-पत्र सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी को सीधे भेजे जा सकते हैं। यदि कोई अन्य परिवर्तन होता है तो आवेदक को केवल प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से आवेदन करना चाहिए। इस संबंध में परिशिष्ट-2 (ण) के पैरा-1 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसमें सीमा शुल्क प्राधिकारियों तथा विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों के द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आयात लाइसेन्स पर विनिर्दिष्ट विनिमय दर के आधार पर लाइसेंस के मूल्य के बराबर नामे डाला जाएगा।

अध्याय 4

आयात को सरणीबद्ध करना

203. आयात नीति, 1990-93 के परिशिष्ट-1 में सरणीबद्ध मदों की सूची दी गई है। सरकार द्वारा सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों में निर्धारित नीतियों के अनुसार संचालित की जाएगी।

204. परिशिष्ट-5, भाग-क में सूचीबद्ध मदों के मामले में, पात्र-वास्तविक उपयोक्ता अपनी 6 महीनों अथवा 12 महीनों की आवश्यकताओं को इस प्रकार पंजीकृत की गई बिक्री मूल्य की मात्रा के दो प्रतिशत के हिसाब से अथवा 200,000/- रुपये-इनमें से जो भी कम हो, पेशगी धनराशि के साथ (जहां पर एक सहकारी समिति अथवा कोई संघ अपने वास्तविक उपयोक्ता सदस्य के पक्ष में पंजीकरण करने के लिए प्राधिकृत है, पेशगी धनराशि की इसी प्रकार से गणना की जाएगी अर्थात् इस प्रकार पंजीकत किए गए माल की कुल मात्रा के लिए) पंजीकृत करा सकते हैं। लेकिन सरणीबद्ध अभिकरण अपनी स्वेच्छा पात्र व्यक्तियों से मद (दों) के संबंध में पेशगी धनराशि के लिए नहीं कह सकता है। पेशगी धनराशि नकद अथवा बैंक के माध्यम से भुगतान की जानी चाहिए, लेकिन सरणीबद्ध अभिकरण इसके बदले में अपेक्षित धनराशि की एक बैंक गारन्टी भी स्वीकार कर सकता है। आवेदन-पत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट-4 क में दिए गए प्रपत्र में दिए जाएंगे। सरणीबद्ध अभिकरण उसके द्वारा अभिज्ञात मदों के संबंध में स्वयं को आवेदक की पात्रता के बारे में अथवा आवेदक की आवश्यकता होने या आयात का प्रबंध करने से पूर्व आयातित माल के संबंध में आवेदक की आवश्यकताओं की उपयुक्तता के संबंध में, अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण ले सकता है।

205. सरणीबद्ध अभिकरण आयात के लिए व्यवस्था से पूर्व ऐसी वित्तीय सहायता जो एक बार में तीन महीनों के लिए पंजीकृत मात्रा के बिक्री मूल्य से अधिक न हो, (जो वह आवश्यक समझे) ले सकता है।

206. (क) देश में निर्मित ऐसी सरणीबद्ध मदों के मामले में वास्तविक उपयोक्ताओं से यह आशा की जाती है कि कच्चे माल, संघटकों तथा उपभोज्यों आदि की अपनी आवश्यकताओं को देशीय स्रोतों से पूरी कर लेंगे। तथापि, सरणीबद्ध एजेन्सी द्वारा केवल मांग और देशीय सप्लाई के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए आयात केवल इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि पण्यवस्तु से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन एवं विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो। किसी भी मामले में आयातित माल की सप्लाई अथवा जारी किए गए एन. ओ. सी. का मूल्य पिछले दो वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में खपत और उसके 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सरणीबद्ध

एजेन्सी को यह प्रमाणित करना होगा कि एन. ओ. सी. की मदद आयात करने के लिए निहित विदेशी मुद्रा उनको इस उद्देश्य के लिए आबंटित विदेशी मुद्रा में इसकी व्यवस्था कर ली गई है।

(ख) नई यूनिट या विद्यमान यूनिट जिनकी पूर्ववर्ती दो वर्षों में कोई भी खपत नहीं है या विद्यमान वास्तविक उपभोक्ता जिन्हें अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता है तो वे संबद्ध प्रायोजक अधिकारी द्वारा नामित किए जाने पर ही सरणीबद्ध अभिकरण को आवेदन कर सकते हैं।

(ग) नई/प्रस्तावित औद्योगिक यूनिटों को बैंक गारंटी सहित एक बांड का निष्पादन करना होगा तथा संबंधित सरणीबद्ध एजेन्सी से सरणीबद्ध मद के प्रथम परेषण की प्राप्ति से पूर्व इसे संबंधित सरणीबद्ध एजेन्सी से स्वीकृत करवाना होगा। बैंक गारंटी सहित बांड का प्रपत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट-2-ड में दिया गया है।

(घ) सरणीबद्ध एजेन्सी के पास किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर की गई अपनी आवश्यकता के बारे में उसे किसी विशिष्ट ब्राण्ड अथवा मेक की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ङ) परिशिष्ट 5-क में दिए गए आइटमों में से किसी के वितरण की अनुमति वास्तविक उपयोक्ता के अतिरिक्त अन्य को देना मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के अधिकार में होगा।

(च) मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात के कार्यालय की अनुपूरक लाइसेंसिंग समिति द्वारा सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" के मद्दे सीधे आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों पर परन्तु इस प्रयोजन के लिए सरणीबद्ध एजेन्सी को आबंटित विदेशी मुद्रा में से व्यवस्था किए बिना विचार किया जाएगा। सरणीबद्ध मदों के सीधे आयात के लाइसेन्स तभी दिए जाएंगे जब उन्हें मुख्यालय की अनुपूरक लाइसेंसिंग समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा।

207. इस प्रकार से पंजीकृत की गई मात्रा की डिलीवरी की अवधि लाइसेंस वर्ष से आगे बढ़ाई जा सकती है।

गैर—अलौह धातुएं

208. (क) ताम्बे के मामले में वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) अपनी आवश्यकताएं सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण (खनिज तथा धातु व्यापार निगम) और देशी उत्पादक सर्वश्री हिन्दुस्तान कापर लि. के पास इस प्रकार करा सकते हैं :—

खनिज तथा व्यापार धातु निगम हिन्दुस्तान कापर लि०

1	2	3
(1)	इन्सुलेटिड वाइंडिंग तार स्ट्रिप्स के विनिर्माता	(1) सभी सरकारी विभाग
(2)	दूर संचार केबल और हिन्दुस्तान केबल्स लि० के विनिर्माता	(2) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अंतर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक उद्यम।
(3)	कम्प्यूटर सेगमेंट/प्रोफाईल्स (केवल सिल्वर बेयरिंग कापर के लिए) विनिर्माता	(3) आटो अनुषंगी के विनिर्माता
(4)	स्विचगियर और ट्रांसफार्मर के विनिर्माता	(4) इन्सुलेटिड केबल के विनिर्माता
(5)	नान-सिल्वर बेयरिंग कापर के कम्प्यूटेटर सेगमेंटस प्रोफाइल्स के विनिर्माता	
(6)	मै० भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, मै० न्यू गवर्नमेंट इलैक्ट्रिक फैक्ट्री बंगलौर	
	(1) सेमिस और अलाय के विनिर्माता; (2) नंगे तांबे की तार/पट्टि	खनिज तथा धातु व्यापार निगम और हिन्दुस्तान कापर लि० प्रत्येक के साथ 50 प्रतिशत।

वि० टि०: कापर वायर राड के लिए सभी वास्तविक उपयोक्ताओं को अपनी अपनी आवश्यकताओं को केवल मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लि० के पास रजिस्टर कराना चाहिए।

209. उपर्युक्त के अलावा, वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक) को अपने अनुज्ञप्त/प्राधिकृत विनिर्माण कार्यकलापों के लिए अपेक्षित अन्य सरणीबद्ध मदों के लिए अपनी आवश्यकताएं इस पुस्तक में दिए गए तरीके और प्रपत्र के अनुसार पंजीकृत करा सकते हैं।

210. सरणीबद्ध मद के आवंटन के लिए एक वास्तविक उपयोक्ता अपनी स्वेच्छा से जब अपनी 6 महीनों अथवा 12 महीनों की आवश्यकताओं का पंजीकरण करता है तो उसे यदि सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया है, पाक्षिक अथवा मासिक आधार पर डिलीवरी के चरणबद्ध कार्यक्रम से सरणीबद्ध अभिकरण को अवगत कराना चाहिए।

(1) (क) सतत सरणीबद्ध मदें (अर्थात् वे मदें जो पूर्वगामी लाइसेंसिंग अवधि के दौरान सरणीबद्ध सूची में थी

वास्तविक उपयोक्ताओं को अपनी आवश्यकताएं पंजीकृत डाक द्वारा सम्बद्ध सरणीबद्ध अभिकरण को भेजनी चाहिए। सरणीबद्ध अभिकरण ऐसे आवेदन पत्रों की जांच करेगा और मांग का पंजीकरण करेगा तथा 30 दिनों के भीतर पेशगी धनराशि जमा कराने के लिए कहेगा। यदि सरणीबद्ध अभिकरण सप्लाई करने

में असमर्थ हैं तो वे मांग के पंजीकरण के समय इस पुस्तक के परिशिष्ट 4-ख में निर्धारित प्रपत्र में 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी करेगा और आवश्यकता की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाएगा ।

(ख) यदि सरणीबद्ध अभिकरण सप्लाई करने की स्थिति में है, तो वे वास्तविक उपयोक्ताओं की पंजीकृत मांग की सप्लाई के लिए उनके द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में सूचित करेंगे । माल की सप्लाई पेशगी धनराशि की प्राप्ति की तिथि से अधिक से अधिक 60 दिनों के भीतर आरम्भ होनी चाहिए ।

2. **नई सरणीबद्ध मदें**

यदि पंजीकरण के समय, सरणीबद्ध अभिकरण का यह अनुमान है कि निर्धारित अवधि के अंतर्गत सप्लाई के लिए व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती, तो सरणीबद्ध अभिकरण पंजीकरण के समय इस मात्रा के लिए जिसको यह सप्लाई करने के लिए असमर्थ होगा, 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी करेगा ।

(3) इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए वास्तविक उपयोक्ता सरणीबद्ध अभिकरण से मांग के पंजीकरण के पत्र की एक प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ-पत्र सहित संबद्ध दस्तावेजों के साथ मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्रों को भेजेगा ।

(4) एन. ओ. सी. के जारी करने की कोई अंतिम तिथि नहीं होगी ।

211. सरणीबद्ध अभिकरण "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी करने के लिए कोई सेवाभार नहीं लेगा ।

212. लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए सीधे आयात लाइसेंसों के विवरण सम्बद्ध सरणीबद्ध अभिकरणों को भेजे जाने चाहिए ।

213. सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा मांग को न तो पंजीकृत किया गया हो और न ही अस्वीकार किया गया हो ऐसे मामले में वास्तविक उपयोक्ता को संबंधित मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए जो इसके लिए शिकायतों को देखने के वास्ते एवं औपचारिक उपायों को करने के लिए एक अधिकारी को पदनामित करेगा ।

214. उन सभी मामलों में जहां किसी भी व्यक्ति को सरणीबद्ध मद का सीधा आयात करने की अनुमति प्रदान की जाती है, उनमें यह एक शर्त होगी कि आयात प्रक्रिया पुस्तक, 1990-93 के परिशिष्ट 1-च में निर्धारित प्रपत्र में सम्बद्ध सरणीबद्ध अभिकरण को आयात का विवरण प्रस्तुत करेगा । आयातक को निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को यह घोषणा करनी होगी कि जिस परप्रेषण की निकासी के लिए अनुरोध किया जा रहा है, उसका विवरण संबंधित सरणीबद्ध अभिकरण को भेजा जा चुका है । इन अपेक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहने पर चालू लाइसेंसों के प्रति लाइसेंसधारी को दी जाने वाली सुविधा तथा भविष्य में लाइसेंस प्रदान करने के मनाही के अतिरिक्त आयात-नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत दण्ड भुगतना होगा ।

215. संबंधित सरणीबद्ध अभिकरण के लिए यह छूट होगी कि वह भारत में आयात से पूर्व ही माल को बेच सकता है । ऐसे मामलों में संबंधित अभिकरण द्वारा जारी एतद्संबंधी प्राधिकार पत्र के आधार पर खरीददार द्वारा सीमाशुल्क से आयातित माल की निकासी का दावा किया जा सकता है ।

216. पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को अपनी इन मदों की वैध आवश्यकताओं की संबंधित सरणीबद्ध अभिकरण से प्राप्ति हेतु लाइसेंसिंग या प्रायोजक प्राधिकारी से रिलीज आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

217. वैध आयात लाइसेंस/आर. ई. पी./अतिरिक्त लाइसेंस के मामले में सरणीबद्ध अभिकरण सामग्री की सप्लाई संबंधित मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर लाइसेन्स में दी गई सीमा तक करेगा । आयात लाइसेन्स सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा संभरित किए गए माल की मात्रा और लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक नामे डाला जाएगा सरणीबद्ध एजेन्सी (सीमा शुल्क सहित) द्वारा प्रभारित मूल्य को लाइसेन्स के खर्च के नाम में डालने के प्रयोजन हेतु माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के रूप में माना जाएगा । आयात लाइसेन्स पर लाइसेन्स के मददे सरणीबद्ध एजेन्सी से प्राप्त की गई सीमा तक के लिए सरणीबद्ध मदों के सीधे आयात के लिए वैध नहीं होंगे ।

प्रायोजक प्राधिकारी को सूचना भेजना

218. प्रत्येक सरणीबद्ध अभिकरण सबद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों को उसके द्वारा किए गए सरणीबद्ध मदों की सीधे आबंटन आबंटियों के नाम, उनके पते लाइसेन्स/पंजीकरण संख्या, आबंटन/रिलीज की मात्रा और तिथि का विवरण देते हुए मासिक विवरण भेजेगा ।

अध्याय 5

कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री का आयात

वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)

219. (1) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) जैसा कि आयात-निर्यात नीति 1990-93 के अध्याय 1 में परिभाषित है, वे होते हैं जिन्हें औद्योगिक विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल के लिये कच्चे माल, संघटकों, सहायक उपकरणों, मशीनों और पूर्जों की जरूरत पड़ती है ।

(2) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के पास विनिर्माण इकाई के लिए औद्योगिक मशीनरी निजी या पट्टे के आधार पर हो सकती है । पट्टे के आधार पर प्राप्त की गई मशीनरी के मामले में वास्तविक उपयोक्ता द्वारा संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी को सूचना भेजी जानी चाहिए ।

(3) स्थूल रूप से औद्योगिक वास्तविक उपयोक्ताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् (1) तकनीकी विकास महानिदेशालय के रजिस्टरों में दर्ज अनुसूचित उद्योग, (2) अनुसूचित उद्योग जिनके नाम तकनीकी विकास महानिदेशालय के रजिस्टरों में दर्ज नहीं होते और लघु उद्योगों से इतर गैर अनुसूचित उद्योग, और (3) लघु उद्योग ।

अनुपूरक लाइसेंस

220. (1) अनुपूरक लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से प्रपत्र-क में निम्न प्रकार से दिए जाएं :—

(1) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को (क) प्रतिबंधित सूची में निर्दिष्ट मदों (परिशिष्ट-2, भाग-ख), (ख) सीमित अनुमेय मदों (परिशिष्ट-3, भाग-क), तथा लघु उद्योग यूनिटों के मामले में परिशिष्ट-3, भाग-ख में निर्दिष्ट 5 लाख रुपये मूल्य से अधिक के 0.27 मि. मी. से अधिक मोटाई के एम. एस. डिफेक्टिवस तथा वृहत औद्योगिक यूनिटों के मामले में 50 लाख रुपये, तथा (ग) उपर्युक्त (ख) में सम्मिलित 0.27 मि. मी. से अधिक मोटाई की एम. एस. डिफेक्टिवस मदों के अतिरिक्त लोहे तथा इस्पात की मदें (परिशिष्ट-3, भाग-ख में निर्दिष्ट) ।

(2) एक लाख रुपये से अधिक मूल्य संघटकों के रूप में उपकरणों (परिशिष्ट-8 में निर्दिष्ट के अतिरिक्त) के आयात के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात नई दिल्ली को ।

(3) संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक का कारखाना स्थित हो को तथा लघु उद्योग की यूनिटों के मामले में परिशिष्ट-3, भाग-ख में निर्दिष्ट 5 लाख रुपये मूल्य तक के 0.27 मि. मी. से अधिक मोटाई के एम. एस. डिफेक्टिवस तथा वृहत औद्योगिक यूनिटों के मामले में 50 लाख रुपये, तथा (ग) संघटक के रूप में अपेक्षित उपकरण (परिशिष्ट 8 में निर्दिष्ट के अतिरिक्त) जहां मूल्य एक लाख रुपये से अधिक न हो ।

(2) अनुपूरक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों पर केवल सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों की सिफारिश पर विचार किया जाएगा । आवेदन-पत्र के साथ मदों की सूची और आयात के लिए विशेष रूप से आवेदित प्रत्येक मद के मूल्य को दिया जाना चाहिए। आवेदन-पत्र देने की तिथि को हस्तगत प्रत्येक लाइसेंस के अप्रयुक्त मूल्य के साथ-साथ कच्चे माल, संघटकों उपभोग्यों, उपभोज्य औजारों या अतिरिक्त पुर्जों की अतिरिक्त या नई आवश्यकताएं होने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। अपने निर्यात निष्पादन, हस्तगत उत्पादन कार्यक्रम किसी विशेष अंतिम उत्पाद के लिए किन्हीं मदों की विशेष आवश्यकताओं, हस्तगत और पाइपलाइन आदि में स्टाक के संबंध में अपने आवेदन-पत्र के यथोचित समर्थन के उद्देश्य के लिए आवेदक जो कोई अन्य सूचना स्वयं प्रस्तुत करना चाहे, वह भी भेज सकता है । स्वदेशीकरण के चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली यूनिटों के मामले में पिछले वर्ष प्राप्त की गई प्रगति भी प्रस्तुत करनी चाहिए ।

(3) लोह तथा इस्पात की मदों तथा अलौह तथा इस्पात की मदों के लिए आवेदन अलग-अलग दिए जाने चाहिए । मदों की सूची की सात प्रतियों के साथ आवेदन-पत्र 4 प्रतियों में तथा निर्धारित प्रपत्र में सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव द्वारा प्रमाणित खपत प्रमाण-पत्र चार प्रतियों में दिए जाने चाहिएं ।

(4) लोहा तथा इस्पात की मदों के लिए आवेदन-पत्रों की दो प्रतियां विकास आयुक्त (लोह तथा इस्पात), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-700 020 तथा अन्य दो प्रतियां को संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी को भेजनी चाहिए । अलौह तथा इस्पात की मदों के लिए आवेदन-पत्रों की चार प्रतियां संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

(5) लघु उद्योग में औद्योगिक यूनिटें 25 लाख रुपये (लागत बीमा-भाड़ा मूल्य) से अधिक के आइटमों के आयात के लिए अनुपूरक लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र की एक प्रति विकास आयुक्त (लघु उद्योग), निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेजेंगे । दवाइयों तथा रसायन के आयात के लिए अनुपूरक लाइसेंस हेतु सभी आवेदक अपने आवेदनपत्र की एक प्रति रसायन एवं पैट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजेंगे ।

(6) लागू आयात नीति के अंतर्गत आयात की जाने वाली मदों की सूची में आवेदक से अपेक्षित अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त प्रत्येक मद का मूल्य, मात्रा तथा तकनीकी विशिष्टिकरण दिया जाना चाहिए । आवेदन-पत्र के साथ औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र जिसमें यह घोषणा भी लगी हो कि यह रद्द नहीं किया गया है, भी संलग्न किए जाने चाहिए । आवेदक द्वारा आयात की जाने वाली मद के लिए पूर्ण औचित्य तथा किन कारणों से स्वदेशी स्रोतों से इसे पूरा नहीं किया जा सकता, दिया जाना चाहिए । यूनिट के स्वदेशीकरण के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत होने पर, आवेदक द्वारा स्वदेशी क्षमता की मात्रा तक की उपलब्धियों की सफलताओं का विवरण देना चाहिए । यदि चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम में संशोधन हो तो उसका विस्तृत विवरण भी दिया जाना चाहिए ।

(7) यदि आयात किसी एक विशिष्ट देश से किया जाता है तो आवेदित लाइसेंस का मूल्य विदेशी मुद्रा तथा उसके समतुल्य भारतीय रुपए तथा विनिमय दर को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

(8) आवेदक यह भी उल्लेख करे कि क्या उसने अनुपूरक लाइसेंस की पुनरावर्ती सुविधा का लाभ उठाया है ।

(9) परिशिष्ट 5-ख में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की तकनीकी समीक्षा के आधार पर आयात की जरूरतों को प्रमाणित करते हुए प्रायोजक प्राधिकारी अनुपूरक लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश करेगा । इन प्रयोजनों के लिए प्रायोजक प्राधिकारी अन्य बातों के साथ मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को भी ध्यान में रखेगा । आयात की जाने वाली मदों की सूची भी प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए । प्रायोजक प्राधिकारी अपनी सिफारिशों में उन कारणों का उल्लेख भी करेगा जिनके कारण मदों का आयात अनिवार्य है तथा वास्तविक उपयोक्ता की जरूरतों को स्वदेशी क्षमता के स्रोतों या आयातों के अन्य प्राधिकृत माध्यमों से क्यों नहीं पूरा किया जा सकता है । खुले सामान्य लाइसेंस तथा सरणीबद्ध सूची के अन्तर्गत मदें सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए ।

(10) प्रायोजक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण है तथा अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त, आवेदन के लिए अपेक्षित शुल्क की रसीद, उनके द्वारा सत्यापित मदों की सूची तथा स्वदेशीकरण के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की कार्यान्वयन रिपोर्ट संलग्न की गई है । प्रायोजक प्राधिकारी को वास्तविक उपयोक्ता द्वारा अनुपूरक लाइसेंस की पुनरावर्ती सुविधा, यदि ली गई हो, को भी हिसाब में लेना चाहिए ।

(11) जिन लघु उद्योग की यूनिटों के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा अनुमोदित किया गया है उनके मामले में प्रायोजक प्राधिकारी की अनुपूरक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुसार अपनी सिफारिश विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली या उसकी ओर से लघु उद्योग विकास संगठन के माध्यम से सम्बद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजेगा ।

(12) महानिदेशक, तकनीकी विकास के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ पंजीकृत यूनिटों से अनुपूरक लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र महानिदेशक, तकनीकी विकास के उसी क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो उनको संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा । महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली के साथ पंजीकृत यूनिटों को अपने आवेदन-पत्र महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली को प्रस्तुत करने चाहिए जो कि उनको संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(13) प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा सिफारिश करने पर अनुपूरक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात की अध्यक्षता में मुख्यालय की अनुपूरक लाइसेंसिंग समिति द्वारा या संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की अध्यक्षता में क्षेत्रीय लाइसेंसिंग समितियों द्वारा विचार किया जाएगा । अनुपूरक लाइसेंसिंग आवेदन-पत्रों पर मुख्यालय की अनुपूरक लाइसेंसिंग समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होगा । इसी बारे में अभ्यावेदनों पर भी मुख्यालय की अनुपूरक लाइसेंसिंग समिति द्वारा ही विचार किया जाएगा ।

(14) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में गठित मुख्यालय की लाइसेंसिंग अनुपूरक समिति द्वारा विचार किए गए एवं अनुमोदित किए गए आवेदन-पत्रों पर आयात लाइसेंस उसी कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे । अन्य मामलों में आवेदन-पत्रों पर संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग समितियों द्वारा विचार किया जाएगा और अनुमोदित लाइसेंस संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।

टेलर मेड मदों के लिए आदेशों के निष्पादन के लिए विशेष सुविधा

221. आयात-निर्यात नीति 1990–93 (खंड-1) के परिशिष्ट-4 में सूचीबद्ध टेलर-मेड पूंजीगत माल के विनिर्माण और संभरण में लगे वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) को कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्यों के आयात के लिए अनुपूरक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से अनुपूरक लाइसेंस के लिए लागू प्रपत्र और विधि अनुसार मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली को दिए जाएंगे ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सप्लाई किए जाने वाले माल के विनिर्माण के लिए अनुपूरक लाइसेंस

222. वास्तविक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/भारतीय तेल निगम भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को सप्लाई किए जाने वाले माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्चे माल संघटकों और उपभोज्यों के आयात के लिए अनुपूरक लाइसेंस प्रदान करने के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) आवेदन-पत्रों के साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/भारतीय तेल निगम/भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में संबंधित परियोजना प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए कि संबंधित विदेशी मुद्रा की आवश्यकता तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/भारतीय तेल निगम/भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के विदेशी मुद्रा बजट से पूरी की जाएगी । आवेदकों को निगरानी के प्रयोजन के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/भारतीय तेल निगम/भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के विषय में अनुपूरक लाइसेंसों के मद्दे आयात द्वारा वास्तविक विदेशी मुद्रा उपभोग की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

नई/प्रस्तावित औद्योगिक यूनिटों द्वारा आयात

223. कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्यों के आयात के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने वाली नई प्रस्तावित औद्योगिक यूनिटों को इस पुस्तक के अध्याय-2 में निर्धारित प्रपत्र में बैंक गारण्टी के साथ एक बांड का निष्पादन करना होगा । लाइसेंस के मद्दे आयातित प्रथम परेषण की सीमा शुल्क निकासी प्राप्त करने से पूर्व नई प्रस्तावित औद्योगिक यूनिटों को निर्धारित प्रपत्र और विधि अनुसार बांड का निष्पादन करना होगा तथा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से पहले उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

आटोमेटिक लाइसेंस

224. (1) पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष के प्राप्त अनुपूरक लाइसेंस के 50 प्रतिशत मूल्य सीमा तक के आटोमेटिक प्रदान करने के लिए वास्तविक उपयोक्ता द्वारा आवेदन संबंधित क्षेत्रीय लाइ-

सेंसिंग प्राधिकारी को दिए जाएंगे । इस प्रयोजन के लिए, संबंधित वास्तविक उपयोक्ता मूल अनुपूरक लाइसेंस सहित जिसे उसने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त किया था के साथ संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में विशिष्ट अनुरोध करेगा । आटोमेटिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र क प्रपत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट 5-क में दिया गया है । आटोमेटिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनुरोध पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष में प्राप्त अनुपूरक लाइसेंसों के मूल्य के 50 प्रतिशत के मूल्य से अधिक नहीं होगा ।

(2) संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी अपने आप पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जारी अनुपूरक लाइसेंस में शामिल मदों के मूल्य और मात्रा के 50 प्रतिशत तक के मूल्य का नया लाइसेंस जारी कर देंगे । इस प्रकार जारी किए गए लाइसेंस का मूल्य संगत लाइसेंसिंग समिति के निर्णय अनुसार, प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश और स्वदेशी निकासी आधार पर अनुपूरक लाइसेंस, जिसे बाद में जारी किया गया है के मद्दे समायोजित किया जाएगा ।

(3) आटोमेटिक लाइसेंस जारी करते समय संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी पूर्व वर्ष के दौरान जारी अनुपूरक लाइसेंस पर संख्या, तिथि और लाइसेंस का मूल्य दर्शाते हुए आटोमेटिक लाइसेंस जारी करने के तथ्य का पृष्ठांकन करेगा ।

पुनरावर्ती प्रक्रिया

225. अनुपूरक लाइसेंसों की पुनरावर्ती प्रक्रिया की सुविधा लेने के लिए आवेदन उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दिए जाने चाहिए जहां से अनुपूरक लाइसेंस जारी किया गया था । पुनरावर्ती प्रक्रिया की यह सुविधा केवल पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग अवधि के लिए जारी किए गए लाइसेंसों के सम्बन्ध में उपलब्ध की जा सकती है और ऐसे आवेदन लाइसेंसिंग वर्ष की 28 फरवरी से पहले किए जाने चाहिए । आवेदन के समर्थन में, वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) को अपेक्षित धनराशि के लिए आवेदन शुल्क के साथ प्रपत्र "क" में आवेदन प्रपत्र (केवल एक प्रति सहित) के साथ मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात के कार्यालय द्वारा जारी किए गए वास्तविक निर्यातों को निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण-पत्र भेजना चाहिए । आवेदक को इस बारे में एक घोषणा यह भी देनी चाहिए कि उसी वर्ष के दौरान उनके द्वारा नए अनुपूरक लाइसेन्स के लिए कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया गया है । तथापि, नए आवेदन पत्रों के लिए यथा अपेक्षित सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित मदों पर खपत प्रमाण-पत्र की सूची भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । अनुपूरक लाइसेन्सों की पुनरावर्ती प्रक्रिया की सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) नए अनुपूरक लाइसेन्स के लिए आवेदन करने से पहले प्रथम लाइसेंस का उपयोग करेंगे । नए अनुपूरक लाइसेंस के लिए आवेदन देने के पश्चात् अनुपूरक लाइसेंस की "पुनरावर्ती प्रक्रिया" का उपयोग नहीं किया जा सकता ।

वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा खपत का लेखा रखना

226. (1) प्रत्येक वास्तविक उपयोक्ता को परिशिष्ट 8-ख में दिए गए प्रपत्र में आयातित माल के उपभोग और उपयोग का सही और उचित लेखा रखना चाहिए । लाइसेंस और खुले सामान्य लाइसेंस के आधार पर आयात किए गए माल के संबंध में या सरणीबद्ध अभिकरणों से आबंटनों के रूप में प्राप्त माल के सम्बन्ध में इस प्रकार का लेखा रखने में असमर्थ रहने पर भविष्य में लाइसेंस या आबंटन जारी करने के लिये आवेदन-पत्र उस अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना अस्वीकार कर दिये जाएंगे जो कि आवेदक के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत की जा सकती है प्रायोजक प्राधिकारी को और मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट करने का पूरा दायित्व सदैव वास्तविक उपयोक्ता पर होगा कि उसने उचित और सही लेखा रखा है और विशेष रूप से लागू वास्तविक उपयोक्ता शर्त सहित किसी भी संदेह के बिना वह अपनी सदस्यता को सिद्ध करने की स्थिति में है और यह कि जिन शर्तों के अधीन उसने आयातित माल का आयात या आबंटन या हस्तांतरण/ऋण प्राप्त किया था उससे संबंधित कानून का पूर्ण रूप से अनुपालन किया है । वास्तविक उपयोक्ता को आयातित माल के लेखे और प्राप्ति के रजिस्टरों, उपभोग और उपयोग को लाइसेंस प्राधिकारी या प्रायोजक प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को उनके द्वारा निरीक्षण करने या सत्यापन करने के लिये मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा ।

(2) व्यापार सदन, निर्यात सदन, वास्तविक उपयोक्ताओं की संस्थाएं या सहकारी समितियां या सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण जिन्हें लागू आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं को आयातित माल संरक्षण करने का कार्य सौंपा गया है, से वास्तविक उपयोक्ता द्वारा अधिप्राप्त आयातित माल भी "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अधीन होगा । ऐसे माल को अधिप्राप्ति एवं उपभोग का उचित लेखा और माल प्राप्त करने के उस स्रोत को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए रखना चाहिए जिससे माल प्राप्त किया गया था ।

(3) वास्तविक उपयोक्ताओं को उनके लिए लागू आयात नीति के अंतर्गत यूनिट द्वारा अनुपूरक लाइसेंस को पद्धति के अंतर्गत प्राप्त की गई मदों के आयात और उपभोग का अलग लेखा रखना अपेक्षित है ।

227. अन्तिम उत्पाद अनुसार और आगे के वर्षों के लिए आयातित माल की प्राप्ति, उपभोग और उपयोग के लेखे जिससे वर्ष से सम्बद्ध लेखा सम्बन्धित है, उसकी समाप्ति से कम से कम 8 साल की अवधि तक लाइसेंसधारी द्वारा सुरक्षित रखे जाएंगे ।

228. आयातित मशीनरी रखने वाले औद्योगिक यूनिट के हस्तांतरण के लिए आवेदनों पर विचार करते समय प्रायोजक प्राधिकारी स्वयं इस बात की संतुष्टि करेगा कि हस्तांतरणकर्ता द्वारा रखे गये उपर्युक्त लेखे और रजिस्टर उसी के द्वारा

सुरक्षित रखे जायेंगे या परिचय-सूची के आधार पर हस्तांतरण लेने वाले व्यक्ति को दिए जाएंगे। अपने कर्तव्यों और आभारों का उचित और पूर्णरूपेण पालन करने के लिए हस्तांतरण करने वाला और हस्तांतरण लेने वाला दोनों व्यक्ति निष्ठापूर्वक और संयुक्त रूप से कानूनन पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

लाइसेंस की स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना

229. प्रत्येक मामले में लाइसेंस प्रदान करने अथवा अस्वीकृत करने की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी को भेजी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए "लाइसेंस अग्रेषण-पत्र" की प्रति और उसके लाइसेंस मूल्य के साथ अनुमति मदों की सूची (यदि कोई हो) या अस्वीकृत-पत्र पृष्ठांकित किया जाएगा। उक्त अग्रेषण पत्र अंतिम उत्पाद को भी निर्दिष्ट करेगा।

माल के उपयोग की जांच

230. संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या उनके अधिकार क्षेत्र में वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा आयातित माल पर लगाई गई और/या लागू शर्तों के अनुसार माल का उचित उपयोग किया गया है या नहीं और क्या उन्होंने निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तरीके से आयात उपयोग का सही और उचित लेखा रखा है या नहीं। वे आयात नीति में दिए गए अनुसार एक वास्तविक उपभोक्ता से दूसरे वास्तविक उपभोक्ता को आयातित माल के अंतरण उधार के लिए आवेदनों पर स्वीकृति देने में स्वविवेक और सावधानी का भी प्रयोग करेंगे। वे सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को ऐसे मामलों की तुरन्त रिपोर्ट करेंगे जिन में वास्तविक उपभोक्ताओं ने उन शर्तों का उल्लंघन किया हो जिन शर्तों के अधीन पूंजीगत माल सहित, माल के आयात की अनुमति दी गई थी या सरणीबद्ध एजेंसियों द्वारा माल आबंटित किया गया था या अन्य प्रकार से अंतरित किया गया था/उधार दिया गया था। तब लाइसेंस प्राधिकारी चूक-कर्ता के विरुद्ध यथा अपेक्षित कार्यवाही प्रारम्भ करेगा परन्तु यह कार्यवाही उस अन्य दण्डनीय कार्यवाही के अतिरिक्त होगी जो प्रायोजक प्राधिकारी यदि कोई हो, अपने निजी अधिकार के अंतर्गत कर सकता है। इस पैरा के प्रावधान ऐसे एककों के लिए भी लागू होंगे, जिन्हें संसाधन के लिए आयातित माल दिया गया है।

231. (1) वास्तविक उपयोक्ता और पंजीकृत निर्यातकों द्वारा आयातित माल के उपयोग की जांच के लिए, लाइसेंस प्राधिकारी स्वयं या राज्य औद्योगिक निदेशक से और अन्य प्रायोजक प्राधिकारी से परामर्श कर वास्तविक उपभोक्ताओं ने जिस सीमा तक और जिस तरीके से आयातित माल का उपयोग किया है, उसकी एकदम रचनात्मक या व्यापक आधार पर जांच करेंगे और यह जांच उन शर्तों को ध्यान में रखकर करेंगे जिन शर्तों के अधीन ऐसे माल के आयात आबंटन की अनुमति दी गई थी।

(2) जहां एक वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक) को किसी भी उत्पाद के संबंध में महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली, वस्त्र आयुक्त, बम्बई या विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली या इलैक्ट्रानिक विभाग, नई दिल्ली या सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम पूरा करना है या पूरा करने की शर्त के अधीन हो तो विनिर्माण के लिए आयात लाइसेंस के मद्दे या लागू आयात नीति के अंतर्गत खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयातित संघटकों का उपयोग, पूरी तरह निर्धारित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की शर्तों का उल्लंघन करके यदि आयातित संघटकों का किसी भी प्रकार से उपयोग किया जाता है तो प्रायोजक प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपने अधिकारों का प्रयोग कर वास्तविक उपयोक्ता के विरुद्ध जो भी कार्यवाही कर सकता है उसके अलावा वास्तविक उपयोक्ता के विरुद्ध आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

232. अपराध की किस्में जिनमें आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियमों के उल्लंघन के साथ-साथ आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम या उसके अधीन जारी आदेशों का उन शर्तों का उल्लंघन भी शामिल है जिनके अधीन लाइसेंस जारी किया गया था और साथ ही लाइसेंस प्राप्त करने में या आयातित माल का आबंटन प्राप्त करने में कोई गलत अभ्यावेदन या विदेश व्यापार में अन्य कोई अपराध किया गया हो तो वह शामिल है। सीमा-शुल्क, विदेशी मुद्रा अधिनियम आदि से संबद्ध अन्य कानूनों का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

233. जहां कोई लाइसेंस/रिलीज आदेश किसी समय अस्थाई रूप से या गलती से या असावधानी से जारी किया गया है या किया गया था या लाइसेंसधारी की हकदारी से अधिक है या भ्रामक अभ्यावेदन से प्राप्त किया गया है या लागू नियमों एवं अधिनियमों के विपरीत प्राप्त किया है तो इस विषय में की जाने वाली अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना लाइसेंस प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे लाइसेंसों का मूल्य घटा दे या उस मद को या किसी अन्य मद या मदों की किसी श्रेणी के अन्तर्गत लाइसेंसधारी की बाद की हकदारी में उसे समाजित करे। यह प्रक्रिया सरणीबद्ध अभिकरणों द्वारा किए गए आबंटन के लिए लागू है।

उत्पादन विवरणिका

234. (1) सभी वास्तविक उपयोक्ताओं को मासिक विवरण (लघु उद्योग के एककों के मामलों में त्रैमासिक) अपने प्रायोजक प्राधिकारियों को भेजने चाहिए। उत्पादन की पूर्ण मासिक/त्रैमासिक विवरणी भेजने में असमर्थ एककों के नाम प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को सूचित किए जाएंगे, ऐसे दोषी एककों को आगे लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों को, इस संबंध में उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के अलावा, रद्द कर दिया जाएगा।

(2) उन मामलों में जहां आयात आवेदन-पत्र प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से दिए जाते हैं, आवेदनपत्रों पर कार्यवाही

करते समय, प्रायोजक प्राधिकारी यह भी जांच करेगा कि आवेदक ने अंतिम उत्पाद से संबद्ध पिछले वर्ष और अद्यतन वर्ष के लिए पूर्ण मासिक/त्रैमासिक विवरणी भेज दी है, जिससे आवेदन-पत्र संबंधित है और इसका अपनी सिफारिश में भी उल्लेख किया जाए।

(3) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कच्ची सामग्री, संघटकों, उपभोज्यों एवं अतिरिक्त पुर्जों का आयात करने वाले सभी वास्तविक उपयोक्ताओं को प्रायोजक प्राधिकारी को और संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ऐसे आयातों का ब्यौरा तथा मूल्य दर्शाने वाला अर्ध-वार्षिक विवरण भेजना पड़ेगा। यह विवरणी लाइसेंसिंग वर्ष के 30 सितम्बर और 31 मार्च की स्थिति के अनुसार भेजनी चाहिए प्रत्येक विवरणी संकेतित अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। इस आवश्यकता को पूरा न करने वाले वास्तविक उपभोक्ताओं के विरुद्ध आयात नियंत्रण विनियमन के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

(4) चरणवार विनिर्माण कार्यक्रम के अधीन सभी वास्तविक उपयोक्ताओं को छमाही विवरणी उन प्राधिकारियों को भेजनी होगी जिन्होंने उनके चरणवार विनिर्माण कार्यक्रम में प्राप्त देशजीकरण की प्रतिशतता निर्धारित करते हुए चरणवार विनिर्माण कार्यक्रम का अनुमोदन किया हो। इस आवश्यकता का अनुपालन न करने वाले वास्तविक उपयोक्ताओं के विरुद्ध भी आयात नियंत्रण विनियमन के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(5) लोहा इस्पात, फेरो अलाय तथा फेरस स्क्रेप का सभी आयात पोतलदान दस्तावेजों की रिपोर्ट तथा आयात के ब्यौरों की जिसमें विशिष्टीकरण प्रत्येक विशिष्टीकरण के मदवार आयातित मात्रा, एकवाइस जिसके अन्तर्गत आयात किया गया है, का मूल्य सहित प्राप्ति पर विकास आयुक्त (लोहा एवं इस्पात) कलकत्ता को भेजे जाएं।

सूची साक्ष्यांकन प्रक्रिया

235. (क) वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत उन मामलों में स्वदेशीकरण के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम हैं, संघटकों के आयात के लिए सूची साक्ष्यांकन प्रक्रिया की अनुपालन करनी अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिए वास्तविक उपयोक्ता को लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किए जाने वाले संघटकों की सूची उस प्राधिकारी के पास भेजनी चाहिए जिसने चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम स्वीकृत किया है। प्रत्येक संघटक का विवरण और उसके साथ परिशिष्ट—6 की वह क्रम सं. जिसके अन्तर्गत वह मद आती है सूची में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यह सूची पंजीकृत डाक/द्रुतगति डाक के अधीन महानिदेशक तकनीकी विकास/विकास आयुक्त (लघु उद्योग)/वस्त्र आयुक्त आदि, जैसा भी मामला हो, को भेजी जानी चाहिए। महानिदेशक तकनीकी विकास के क्षेत्रीय कार्यालयों की पुस्तकों में लिखित यूनिटों के मामलों में इस सूची को महानिदेशक, तकनीकी विकास के उसी कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। महानिदेशक, तकनीकी विकास के पास पंजीकृत यूनिट इस सूची को तकनीकी विकास महानिदेशक (आयात एवं निर्यात नीति सेल) उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजेगी। ऐसी सूचियां उस कार्यालय में प्राप्ति की तिथि दी गई पावती के बदले संबंधित प्राधिकारी के काउण्टर पर व्यक्तिगत रूप से दी जा सकती हैं। लघु उद्योग यूनिटों के मामलों में इस सूची का साक्ष्यांकन विकास आयुक्त लघु उद्योग, नई दिल्ली या उनकी ओर से लघु उद्योग विकास संगठनों द्वारा किया जाएगा। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संघटकों की सूचियां विधिवत् साक्ष्यांकित हैं या बिना किसी विलंब के हैं और आवेदक पत्र सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सूची प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर आवेदकों को लौटा दिए गए हैं।

(2) यदि वास्तविक उपयोक्ता सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित संघटकों की सूची उस तिथि से 45 दिनों के भीतर नहीं प्राप्त करता जिस तिथि को वह सूची उस प्राधिकारी द्वारा प्राप्त हुई थी, तो यह उसके लिए खुली छूट होगी कि वह उस सूची के आधार पर सूची साक्ष्यांकन की और प्रतीक्षा किए बिना सीमा शुल्क से माल की निकासी करा सकता है जो साक्ष्यांकन के लिए दी गई थी। ऐसे मामलों में, सीमाशुल्क प्राधिकारी को वास्तविक उपयोक्ता द्वारा दी गई मदों की सूची में यदि वास्तविक उपयोक्ता एक सहकारी समिति या एक संगठन है तो उसके निदेशक, स्वामी या साझीदार द्वारा हस्ताक्षरित इस बारे में एक यह स्पष्ट प्रमाण-पत्र देना चाहिए कि संबंधित सूची सम्बद्ध प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हो गई थी (प्राधिकारी का नाम और वह तिथि जिसको भेजी गई थी को निर्दिष्ट किया जाए) और वह आयातक द्वारा विशिष्टिकृत तिथि को विधिवत साक्ष्यांकित प्राप्त नहीं हुई है। सीमाशुल्क प्राधिकारी यदि आयात अन्यथा रूप से खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आता है और आयात नीति में निर्धारित अन्य शर्तों के अनुरूप है तो खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सूची में दी गई मदों की स्वीकृति देंगे।

(3) उन यूनिटों के मामले में जिनका पी. एम. पी. समाप्त हो गया है को खुले समान्य लाइसेंस के अधीन उन संघटकों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि ऐसे आयात बहुत आवश्यक हों तो पूर्ण औचित्य देते हुए अनुपूरक लाइसेन्स के लिए पूर्ण मूल्य के लिए जिनका पी. एम. पी. अवधि के दौरान स्वदेशीकरण किया जाना अपेक्षित था। ऐसी यूनिटों द्वारा आयातित खेप की निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि आयातित खेप में ऐसी मदें शामिल नहीं हैं जिनका पी. एम. पी. अवधि के दौरान आयातक द्वारा स्वदेशीकरण नियत किया गया है/किया गया था। यदि ऐसा आयात आवश्यक हो गया है तो इसके लिए वास्तविक उपभोक्ता पूर्ण औचित्य बताते हुए अनुपूरक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)

236. वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) को उद्योगों के निदेशक की अपेक्षित सिफारिश हेतु आयात आवेदनों के लिए

राज्य के उद्योग निदेशकों या किसी अन्य संबंधित राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के विभागों के पास स्वयं को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है । इस संबंध में आयात निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड-1) अध्याय-5 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है ।

अनुसंधान एवं विकास एककों को मान्यता

237. औद्योगिक संस्थानों से संलग्न ऐसे अनुसंधान एवं विकास एकक जो खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात नीति 1990-93 के लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग) तकनीकी भवन, नई महरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को निर्धारित फार्म जो कि विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं, में भेजे जाएंगे । अधिक जानकारी विज्ञान एवम् प्रोद्योगिकी अनुसंधान द्वारा प्रकाशित देशीय प्रोद्योगिकी के लिए संवर्धन एवम् सहायता के प्रकाशन में भी उपलब्ध है ।

238. लेकिन, निम्नलिखित संस्थाओं के मामले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है :—

(1) केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुसंधान विभाग और/या शिक्षण संस्था (सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को छोड़कर);

(2) सी एस आई आर, आई सी ए आर और आई सी एम आर की सभी प्रयोगशालाएं;

(3) सभी विश्वविद्यालय, आई आई टी, भारतीय विज्ञान संस्था और भारतीय खान विद्यालय धनबाद;

(4) विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के साथ परामर्श करने पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा अधिसूचित की गई अन्य संस्थायें;

(5) संसद या सम्बद्ध राज्य के विशेष अधिनियम द्वारा निर्धारित ऐसी सभी संस्थायें;

(6) औद्योगिक क्षेत्र के सभी संस्थाएं जो सी. एस. आई. आर/मंत्रालयों से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही हैं।

अध्याय-6

अतिरिक्त पुर्जों का आयात

अनुमेय अतिरिक्त पुर्जों का आयात

239. (1) अनुमेय अतिरिक्त पुर्जों के आयात से संबंधित नीति वर्तमान आयात नीति के पैरे 73 में दी गई है । वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) निकासी के समय अपने औद्योगिक लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाणपत्रों, जैसा भी उपयुक्त हों, के ब्यौरे देते हुए एक घोषणापत्र सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को देंगे और निष्ठापूर्वक इस बात की पुष्टि करेंगे कि ऐसा लाइसेंस/पंजीकरण न तो रद्द किया गया है, न वापस लिया गया है और न ही अन्य रूप से अप्रभावी किया गया है । जिन मामलों में संबंध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अलग पंजीकरण संख्या आबंटित नहीं की गई है उनमें आयातक सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि वह एक औद्योगिक यूनिट के रूप में पंजीकृत किया गया है । वास्तविक उपयोक्ता, आयात-निर्यात नीति 90-93 (खण्ड-1) के पैरे 73 में यथा-उल्लिखित सीमा-शुल्क प्राधिकारी को इस संबंध में भी एक घोषणापत्र देगा कि आयातित पुर्जे वे पुर्जे हैं जो उसके द्वारा लाइसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल को स्थापित या उपयोग में लाई जा रही मशीनरी के संचालन और रख-रखाव के लिए अपेक्षित हैं ।

(2) वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) माल की निकासी के समय शाप्स एण्ड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, सिनेमाटोग्राफिक एक्ट या उपयुक्त स्थानीय कानून के अधीन प्राप्त किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (वर्तमान समय में वैध) या लाइसेंस को मूल रूप में या उसकी फोटो प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा ।

प्रतिबंधित अतिरिक्त पुर्जे

240. (1) आयात नीति के पैरे 74 (1) में यथा अवस्थिति सामान्य हकदारी के अनुसार प्रतिबंधित अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र प्रपत्र "क" (परिशिष्ट 3क) संबद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाले लाइसेन्स, सनदी लेखापाल के प्रमाण पत्र के आधार पर दिए जाएंगे जिसमें आयातित प्लान्ट, मशीनरी और उपकरण के क्रय मूल्य को और/या इस किसी भी देश प्लान्ट, मशीनरी और उपकरण के क्रय मूल्य को दर्शाया जाएगा जिसमें लाइसेंसिंग वर्ष की पहली अप्रैल को स्थापित आयातित संघटक हों या आवेदक द्वारा उपयोग किए जा रहे हों । लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख लाइसेंसिंग वर्ष की 31 जनवरी होगी ।

(2) प्रतिबन्धित अतिरिक्त पुर्जों के लिए लाइसेंस "लाइसेंसधारक द्वारा स्थापित या प्रयुक्त पूंजीगत माल के प्रचालन और रख रखाव के लिए अपेक्षित प्रतिबन्धित अतिरिक्त पुर्जे जिसमें अनुषंगी उपस्कर, नियंत्रण और प्रयोगशाला उपस्कर और सुरक्षा उपकरण भी शामिल हैं" के सामान्य विवरण के साथ जारी किए जाएंगे । सीमाशुल्क प्राधिकारी इस घोषणा पर आयात की निकासी की अनुमति देंगे कि वास्तविक उपयोक्ता द्वारा इन आयातित "प्रतिबन्धित" अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता उसके कारखाने/स्थापना/संस्थान में स्थापित या प्रयुक्त पूंजीगत माल के प्रचालन और रख-रखाव के लिए है ।

(3) आयात-निर्यात नीति 1990-93 के उप पैरा-74 (1) में निर्दिष्टानुसार सामान्य हकदारी से ऊपर या अधिक के लिए प्रतिबंधित अतिरिक्त पुर्जों के आयात लाइसेन्स के आवेदन-पत्रों पर विचार अनुपूरक लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा ।

4. प्रतिबन्धित अतिरिक्त पुर्जों के लाइसेंस के आवेदकों को यह विकल्प है कि वे आयात नीति अप्रैल 1990 से मार्च

1993 तक के तीन वर्षों की अपनी पात्रता के लिए एक समेकित लाइसेंस का आवेदन दे सकते हैं। ऐसे लाइसेंसों की वैधता 36 महीनों की होगी तथा इन शर्तों के अधीन होगी कि लाइसेंस के मूल्य का 1/3 से अधिक एक लाइसेंसिंग वर्ष में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस शर्त पर की उनकी पात्रता का वह अप्रयुक्त हिस्सा जो पहले और/या दूसरे साल (लों) में उपयोग में नहीं लाया गया वह पूर्ववर्ती सालों में लाइसेंसिंग वैधता अवधि तक उपयोग में लाया जाएगा।

बिक्री के पश्चात् सेवा के लिए अतिरिक्त पुर्जे

241. (1) आयात नीति में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ग्राहकों के लिए आश्वासन पूरा करने बिक्री के बाद सेवाओं की व्यवस्था के लिए वांछित अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए आवेदन-पत्र संबद्ध क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी का परिशिष्ट–3-क के प्रपत्र-क में भेज सकते हैं लेकिन, इसके साथ आयात नीति के अन्तर्गत अतिरिक्त जानकारी और प्रमाण पत्र भी भेजने होंगे।

(2) इस प्रावधान के अंतर्गत जारी किये गये आयात लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

> "इस लाइसेंस के मद्दे आयातित माल का उपयोग केवल लाइसेंसधारी द्वारा निर्मित मशीनरी/उपस्कर/वाहन की सर्विसिंग और रख रखाव (चाहे वह निःशुल्क हो या मूल्य पर हो) के लिए किया जाएगा।"

(3) इस प्रावधान के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) द्वारा प्राप्त किए गए आयात लाइसेन्स के मूल्य की सूचना महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली को प्रबोधन के लिए भेजी जानी चाहिए।

(4) आवेदक को सक्षम न्यायिक प्राधिकारी शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक के सम्मुख शपथ लेकर एक शपथ-पत्र देना अपेक्षित होगा। इस शपथ पत्र में इस बारे में यह घोषणा करनी होगी कि आवेदित अतिरिक्त पुर्जे हैं जो संघटकों के रूप में आयात किए थे/जाते हैं और वास्तविक रूप में उनका उपयोग मूल मशीनरी/उपस्कर के विनिर्माण में किया गया है। आगे, आयातक आयातित अतिरिक्त पुर्जों का उनके द्वारा विनिर्मित मशीनरी/उपस्कर/वाहनों की सर्विसिंग और रख-रखाव (चाहे मुक्त या मूल्य पर) के उपयोग में समुपयोजन के लिए वचन देगा। आवेदन पत्र ऐसे सनदी या लागत लेखापाल या कम्पनी सचिव के प्रमाण पत्र के साथ भेजे जाने चाहिए जो पात्र मूल्य के अनुसार उस फर्म या उसके अनुषंगी फर्म का साझीदार या निदेशक या कर्मचारी न हो।

(5) बिक्री पश्चात् सर्विस स्पेयर्स लाइसेन्स के आवेदकों को यह विकल्प है कि वे आयात नीति के तीन साल की अवधि अर्थात् अप्रैल 1990 से मार्च 1993 तक की पात्रता के लिए एक समेकित लाइसेन्स के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे लाइसेन्स 36 माह के लिए वैध होंगे तथा इन शर्तों के अधीन होंगे कि लाइसेन्स के मूल्य का 1/3 से अधिक एक लाइसेंसिंग वर्ष में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। इस शर्त पर की उनकी पात्रता का वह अप्रयुक्त हिस्सा जो पहले और/या दूसरे साल (लों) में उपयोग में नहीं लाया गया वह परवर्ती सालों में लाइसेन्स की वैधता अवधि तक उपयोग में लाया जाएगा।

(6) चालू आयात नीति के पैरा 75 के उप-पैरा (1), और (4) के प्रावधानों के अधीन आयात किए जाने वाले अतिरिक्त पुर्जे को आयातक अपने ग्राहकों को वारन्टी कवरेज बिक्री के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास वाहनों के आयात के लिए सेवा केन्द्रों को हस्तान्तरित कर सकते हैं। आयातित अतिरिक्त पुर्जों के उचित उपयोग के लिए आयातक उत्तरदायी रहेगा।

मोटर वाहनों के अतिरिक्त पुर्जे

242. आयातक को आयातित अतिरिक्त पुर्जों की निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास वैध प्रमाणपत्र तथा मोटर सी सी पी/लाइसेन्स जारी करते समय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई पास बुक, वैध प्रमाणपत्र तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत अपेक्षित अन्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे तथा एक घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी कि इस वर्ष के दौरान प्राप्त आयातित वाहन, ट्रैक्टर के लिए उसके द्वारा किया गया कुल आयात निकासी किए जाने वाले प्रेषण सहित 10,000/-रुपये से अधिक नहीं है। उक्त सुविधा का लाभ पंजीकृत संगठनों, सहकारी समितियों, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के सदस्यों द्वारा आयातित वाहनों या कृषि संबंधी ट्रैक्टरों के लिए उनके सदस्यों के लिए मोटर वाहन तथा कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टरों के आयात की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(क) आयातित माल की निकासी के समय तथा आयात के लिए पैसे जमा करते समय संबद्ध संगठनों/सहकारी समितियों को सीमाशुल्क प्राधिकारी/विदेशी मुद्रा डीलरों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: (1) सदस्य का नाम व पता (2) वाहनों के आयात के लिए सी सी पी/लाइसेंस जारी करते समय अथवा उसके बाद किसी भी समय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई पास बुक (3) सदस्य द्वारा लिए गए आयातित मोटर वाहन/ट्रैक्टर का निर्माण वर्ष (मेक) (4) वाहन/ट्रैक्टर के पंजीकरण प्रमाणपत्र वैध है; तथा (5) संबद्ध सदस्य के लिए आयातित अतिरिक्त पुर्जों का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य। (6) संबंधित सदस्य के लिए आयातित अतिरिक्त पुर्जों का लागत बीमा भाड़ा।

(ख) इस संबंध में संगठन/सहकारी समिति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रत्येक सदस्यों से घोषणा कि उसी वित्तीय वर्ष में उसी मोटर वाहन या कृषि ट्रैक्टर के लिए पहले से ही आयातित ऐसे माल या आयात किए जाने वाले माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 10,000/- रु., 15,000/- रु. जैसी भी मामला हो से अधिक नहीं है। घोषणा में संबंधित सदस्य को यह भी घोषित करना होगा कि संबंद्ध संगठन/

सहकारी समिति ने उनको उनके मदवे आयात करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

(ग) संबंधित नियमावली के अन्तर्गत संबंधित संगठन या सहकारी समिति के वर्तमान पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र ।

243. संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी सीमा शुल्क निकासी की अनुमति देते समय पास बुक में आयातित अतिरिक्त पुर्जों का पूर्ण विवरण देते हुए तारीख सहित अपने हस्ताक्षर तथा मोहर पृष्ठांकित करें ।

नोट : पहले आयात किए गए वाहनों के मामले में संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आयातित वाहन के मालिक से प्राप्त आवेदन-पत्र के आधार पर एक पास-बुक, जारी की जाएगी ।

244. यह शर्त भी होगी कि आयातित अतिरिक्त पुर्जे आयात करने वाले संगठन/सहकारी समिति द्वारा उसी सदस्य को संगठित कर दिए जाएंगे, जिसके लिए इनका आयात किया गया था । संगठन सहकारी समिति ऐसे सभी आयातों व उनके वितरण का लेखा रखेगी (रजिस्टर के रूप में) तथा जो कि लाइसेंसिंग प्राधकारी या इससे संबंध कोई अन्य प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु हर समय उपलब्ध कराया जाएगा तथापि, ऐसे सभी मामलों में वास्तविक उपयोक्ता शर्त लागू होगी चाहे आयात सीधे ही उसी सदस्य द्वारा अपनी संकल्पशक्ति पर किया गया हो ।

245. उप पैरे के अन्तर्गत ट्रैक्टरों के लिए अतिरिक्त पुर्जों का आयात राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा अपने संबंधित राज्यों में रहने वाले ट्रैक्टर मालिकों की ओर से कर सकता है। ऐसे मामलों में उपरोक्त विस्तृत प्रक्रिया लागू नहीं होगी । तथापि, उनको संबंधित आगम बिल या नियमानुसार निर्धारित दस्तावेजों में घोषणा करनी होगी कि "वर्तमान आयात नीति के उपबन्धों के अन्तर्गत........में स्थित (राज्य संघ शासित क्षेत्र का नाम दिया जाना चाहिए) आयातित ट्रैक्टरों के मालिकों की ओर से अतिरिक्त पुर्जों का आयात किया गया है ।" यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निगम की होगी कि ट्रैक्टर मालिक जिसने उनसे माल प्राप्त किया है उन्होंने इसी लाइसेंसिंग अवधि में उपरोक्त पैरा-242 में दिए गए संगठनों/सहकारी समितियों के माध्यम से या सीधे ही आयात नहीं किया है ।

विदेशी मशीनरी/उपकरण विनिर्माताओं के भारतीय एजेन्टों द्वारा अतिरिक्त पुर्जों का आयात

246. (1) नीति के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों को देने के लिए आवेदन-पत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रमाणित वैध एजेंसी प्रमाण-पत्र की एक फोटो प्रति तथा शपत-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि आयात किये जाने वाले अतिरिक्त पुर्जे या मशीनरी से संबंधित अतिरिक्त पुर्जे उनके द्वारा या पहले वाले एजेंटों के माध्यम से आयात किए गए हैं । यदि प्रमुख सफल अभिकर्ता के साथ समझौते के बाद विद्यमान एजेंट के स्थान पर दूसरा एजेंट बदल जाता है तो आवेदक को आवेदक प्रमुख से एक पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह एक प्राधिकृत अभिकर्ता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूर्ववर्ती एजेंटों के साथ किया गया समझौता निरस्त कर दिया गया है ।

2. विदेशी मशीनरी/उपकरण विनिर्माताओं के भारतीय एजेन्टों को लाइसेंसों के आवेदनों के लिए यह विकल्प है कि वे आयात नीति, नामश: अप्रैल 1990 से मार्च 1993 के तीन वर्षों की अवधि की पात्रता के लिए एक समेकित लाइसेन्स के लिए आवेदन दे सकते हैं । ऐसे लाइसेंस 36 माह की अवधि के लिए वैध होंगे तथा इन शर्तों के अधीन होंगे कि लाइसेंस के मूल्य का 1/3 से अधिक एक लाइसेंसिंग वर्ष में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा । इन उपबन्धों के अन्तर्गत कि पात्रता का वह अप्रयुक्त हिस्सा जो पहले और/या दूसरे साल (लों) में उपयोग में नहीं लाया गया था वह परवर्ती वर्षों में लाइसेंस की वैधता अवधि में ही उपयोग में लाया जाएगा ।

अतिरिक्त पुर्जों के लिए आपाती लाइसेंस

247. (1) लागू आयात नीति के अधीन अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए आपाती लाइसेन्स के आवेदन-पत्र परिशिष्ट 3-क में दिए गए प्रपत्र-क में दिए जाने चाहिए । इसके साथ आयात किए जाने वाली मदों की सूची और मुख्य कार्यकारी अर्थात् अध्यक्ष/प्रबन्धक निदेशक/कार्यकारी निदेशक/प्रबन्धक साझीदार का निम्न प्रकार का घोषणापत्र होना चाहिए :—

"मैं घोषणा करता हूं कि अतिरिक्त पुर्जों के लिए आपाती लाइसेन्स प्रदान करने के लिए हमारे आवेदनपत्र लागू आयात नीति के समरूप हैं क्योंकि मशीनरी के उत्पादन में वास्तविक/निकटवर्ती विकार हो गया है । मैं यह भी घोषणा करता हूं कि अतिरिक्त पुर्जों के रूप में आयात किए जाने वाली मदें पूंजीगत माल की मदें नहीं हैं । निम्नलिखित कारणों से अतिरिक्त पुर्जों का आपाती आयात अनिवार्य हो गया है" :—

(स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया जाना है)

"(2) लघु उद्योग यूनिट के मामले में आवेदित मूल्य 2.5 लाख से अधिक नहीं हो और वृहत उद्योग के मामले में 5 लाख रुपए मूल्य के वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) से आपातकालीन अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए निर्धारित प्रपत्र और तरीके में आवेदन-पत्र क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजे जाने चाहिए। यदि उपर्युक्त निर्धारित सीमा से अधिक के लिए आवेदन-पत्र है तो वे मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे । 25 लाख रुपए मूल्य से अधिक के आपाती अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लाइसेंस के आवेदन के मामले में आयात लाइसेन्स तकनीकी विकास महानिदेशालय अथवा मान्यताप्राप्त इंजीनियरिंग परामर्शदात्री संगठन से अनुमोदन प्राप्ति के बाद ही जारी किए जाएंगे ।

(3) वास्तविक उपयोक्ता (गैर औद्योगिक) के मामले 20,000 रुपए मूल्य तक के आवेदन-पत्र क्षेत्रीय लाइस[illegible] प्राधिकारी

को भेजे जाएंगे । यदि 20,000 रुपए मूल्य से अधिक के लिए आवेदन-पत्र है तो वे मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात नई दिल्ली को भेजे जाएंगे ।

(4) आवेदक को, आयात के लिए आवेदित अतिरिक्त पुर्जों की स्पष्ट सूची (उपभोज्य यदि कोई हों) भेजनी चाहिए। इस पर आवेदक के कार्यालय की मोहर लगी होनी चाहिए और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापन के बाद यह जारी किए जाने वाले लाइसेंस का भाग बन जाएगी (उनकी स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना) ।

(5) बिजली के उत्पादन और वितरण में लगे हुए राज्य बिजली बोर्ड, परियोजनाएं और उपक्रम तथा सिंचाई विभाग/परियोजना प्राधिकारी को भी केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण या प्रशासनिक मंत्रालय/वित्त मंत्रालय से विदेशी मुद्रा की विमुक्ति के आधार पर खुला सामान्य लाइसेंस के अधीन आपाती अतिरिक्त पुर्जों के आयात की अनुमति दी जाएगी । यह सुविधा विभागीय उपक्रम, रेलवे तथा पोर्ट ट्रस्ट को भी उपलब्ध कराई जाएगी । इन सभी मामलों में कोई स्वदेशी क्षमता के दृष्टिकोण से अनुमति आवश्यक नहीं है । यदि अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य 25 लाख रुपए से बढ़ जाता है तो ऐसे आयातों का सूची सत्यापन तकनीकी विकास महानिदेशालय से कराया जाना होगा ।

विदेशी मशीनरी/उपकरण विनिर्माताओं के भारतीय वितरक

248. विदेशी मशीनरी/उपकरण विनिर्माताओं के भारतीय वितरकों द्वारा अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस दिए जाने के आवेदन वैध डीलरशिप प्रमाण-पत्र तथा सरकारी विभाग के प्राधिकार तथा उनके स्थान पर अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए अन्य वास्तविक उपयोक्ता द्वारा मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात, नई दिल्ली को दिए जाएंगे । भारतीय वितरकों को आयातित अतिरिक्त पुर्जों, किए गए संभरण तथा प्राप्त विदेशी मुद्रा का लेखा आयातित परेषण की निकासी की तारीख से तीन महीने के अन्दर प्रस्तुत करना होगा ।

अध्याय-7

सरकारी विभागों, विभागीय संचालित उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य विद्युत बोर्डों/परियोजनाओं/उपक्रमों द्वारा आयात

राज्य विद्युत बोर्ड/परियोजनाएं/उपक्रम

249. (1) बिजली उत्पादन और वितरण में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्ड/परियोजनाओं/उपक्रमों को पूंजीगत माल/कच्ची सामग्री/संघटकों और उपभोज्यों के आयात के लिए संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस पुस्तक के अध्याय-3 में निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने चाहिए । तथापि, उनके लिए खपत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है । आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :—

(1) पत्र की एक सत्यापित प्रति जिसमें किए जाने वाले आयात के लिए जारी की गई विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई है ।

(2) आयात किए जाने वाले प्रस्तावित माल की सूची की पांच प्रतियां (केवल पूंजीगत माल की प्रतिबंधित सूची में दर्शायी गई मदों के सम्बन्ध में महानिदेशक, तकनीकी विकास से देशी दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए); •

(3) निर्धारित आवेदन-शुल्क की अदायगी को दर्शाने वाली बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट; और

(4) आयात नीति के पैरा 6(17) में आने वाले दूरसंचार संघटकों को छोड़कर यदि आयात की जाने वाली इलैक्ट्रोनिक्स मदों का मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक हो तो इलैक्ट्रोनिकी/दूरसंचार विभाग की मंजूरी । आयात नीति के पैरा 6(17) में आने वाले आयात दूरसंचार संघटकों के लिए यदि आयात मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक हो तो दूरसंचार विभाग (दूरसंचार आयोग) की पूर्व मंजूरी होगी ।

(2) रिलीज की गई विदेशी मुद्रा एवं देशी दृष्टिकोण से उपलब्धता के आधार पर सम्बद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आयात लाइसेंस जारी किए जाएंगे ।

टिप्पणी : उपर्युक्त के अनुसार जारी किए गए लाइसेंस के मद्दे माल का आयात करने के बाद, संबंधित बोर्ड/परियोजना/उपक्रम द्वारा तुरन्त केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, नई दिल्ली को वास्तव में आयात की गई मदों की सूची भेजी जानी चाहिए ताकि देशी उपलब्धता के साथ-साथ इस प्रकार आयात की गई मदों की पुनरीक्षा प्राधिकरण द्वारा की जा सके ।

महानिदेशक, संभरण और निपटान/भारतीय रेलवे/प्रतिरक्षा संगठनों एवं आकाशवाणी/दूरदर्शन अन्य विभागीय उपक्रमों द्वारा आवंटित सरकारी ठेके/भंडार

250. महानिदेशक, संभरण और निपटान, भारतीय रेलवे, प्रतिरक्षा संगठनों आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य विभागीय उपक्रमों द्वारा व्यक्तियों या व्यापार फर्मों आदि को माल (कच्चा माल तथा पूंजीगत माल) के लिए दिए गए ठेकों के संबंध में आयात लाइसेंसों के लिए उनके आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, बशर्ते संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विदेशी-मुद्रा मुक्त की गई हो ।

251. (1). **आयात संतुति प्रमाणपत्र**

उपरोक्त मामलों में, आवेदक को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें दर्शाते हुए संबंधित विभाग से आयात संस्तुति प्रमाण-पत्र (आई.आर.सी.) प्राप्त कर लेना चाहिए :—

1. ठेके/आदेश की संख्या तथा तारीख ।
2. माल का विवरण ।
3. आयात का देश ।
4. माल का ठेका संबंधी मूल्य ।
5. माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य ।

6. माल डिलीवरी की प्रत्याशित अवधि ।

7. मांगकर्ता का नाम ।

8. वह संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत विदेशी मुद्रा मुक्त की गई है ।

9. वह स्रोत जिससे विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है और भुगतान का तरीका ।

10. आयात के लिए आवेदित माल के संबंध में महानिदेशक, तकनीकी विकास से देशीय क्षमता की दृष्टि से प्राप्त की गई निकासी की संख्या तथा तारीख ।

11. प्रतिरूप उपस्कर सहित इलैक्ट्रानिक मदों के संबंध में 5 लाख रुपये या अधिक मूल्य के लिए और जहाजी उपस्कर और उनके पुर्जों के संबंध में मूल्यों को ध्यान में न रखते हुए इलैक्ट्रानिक विभाग से जो स्वीकृति प्राप्त की गई है उसकी संख्या और तारीख ।

टिप्पणी---(क) संबंधित आयात नीति के परिशिष्ट-2, भाग-ख, 3-क, 8 और 10 की मदों के संबंध में संबंधित विभागों के लिए यह आवश्यक होगा कि आयात की सिफारिश करने से पहले वह महानिदेशक, तकनीकी विकास से स्वीकृति प्राप्त कर ले । आयात नीति के परिशिष्ट-2, भाग-ख, और परिशिष्ट-3, भाग-ख में इस्पात की मदों के मामले में भी, इसी प्रकार की स्वीकृति, इस्पात विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त की जाएगी । यदि कोई उपस्कर आयात करना होगा तो उस मामले में सभी मदों के लिए देशीय क्षमता के दृष्टिकोण से निकासी की आवश्यकता होगी और उपस्कर के प्रतिबंधित प्रकार की मदों के आयात को अनुमति नहीं होगी ।

(ख) संबंधित विभाग संगत ठेके से संबंधित सभी शर्तों के निर्णित हो जाने के बाद आयात संस्तुति प्रमाण-पत्र जारी करेगा और आयात संस्तुति प्रमाण-पत्र में इस संबंध में इंगित करेगा ।

(ग) आयात संस्तुति प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (ए. एल. अनुभाग) किसी भी समिति को निर्दिष्ट किए बिना आयात लाइसेन्स जारी कर देगा ।

(2) उपरोक्त मामलों में, जहां आवेदक ने संबंधित विभाग से आयात अनुमोदन प्रमाण-पत्र (आई. आर. सी.) प्राप्त किया है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के प्रयोजनों के लिए यदि कोई विदेशी मुद्रा की रिहाई नहीं की गई है तो अनुपूरक लाइसेंस दिए जाने की सामान्य प्रक्रिया को अपनाया जाएगा ।

252. **आवेदन का प्रपत्र और उसे भेजने का तरीका**

आयात संस्तुति प्रमाणपत्र की प्राप्ति कर लेने पर आवेदक को इस पुस्तक के परिशिष्ट-7 में दिये गए प्रपत्र "ख" में प्रत्येक संविदा/आदेश के संबंध में सभी प्रकार के माल को शामिल करते हुए एक समेकित आवेदन पत्र देना चाहिए । आवेदन पत्र के शीर्ष पर "महानिदेशक आपूर्ति और निपटान ठेका" या "रेलवे आदेश" या "प्रतिरक्षा ठेका" आदि जैसा भी मामला हो, बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए । आवेदन पत्र के साथ इसके शुल्क के भुगतान को दिखाते हुए बैंक रसीद/दर्शनी हुंडी सहित संबंधित विभाग से प्राप्त आयात संस्तुति प्रमाण-पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज होने चाहिएं और इन्हें मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात (ए. एल. अनुभाग), नई दिल्ली को भेजना चाहिए। इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि कोई नहीं होगी ।

253. **लाइसेंसिंग प्राधिकारी के लिए सूचना**

यदि किसी कारण से लाइसेंसधारी आयातित माल को उस कार्य में उपयोग करने में असमर्थ रहता है, जिस कार्य के लिए उसको लाइसेन्स जारी किया गया था और उसी अवधि के दौरान उपयोग करने में असमर्थ रहता है जो अवधि संबंधित ठेके/आदेश में निर्धारित की गई थी तो जिस उद्देश्य के लिए माल के आयात की अनुमति दी गई थी, उस उद्देश्य के लिए माल का उपयोग करने में असफल रहने के कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस संबंध में लिखित रूप में तुरंत आवश्यक सूचना देगा । इस सूचना के प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 10-ग के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करने पर विचार करे और यह कार्रवाई उस अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगी जो लाइसेंसधारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस संबंध में की जा सकती है ।

अध्याय-8

विशेष लाइसेंसिंग प्रावधान

अनुमोदित होटलों की विशेष आवश्यकताएं

254. अनुमोदित होटलों द्वारा पूंजीगत माल के आयात की क्रियाविधि अध्याय-3 में दी गई है । अनुमोदित होटलों की अन्य आवश्यकताओं के आयात के लिए क्रियाविधि लागू होगी। पर्यटक होटलों (एक से पांच स्टार तक) और भारत सरकार, पर्यटन महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित टूरिस्ट होटल भी अपनी अनिवार्य आयात की आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान विदेशी पर्यटकों से उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 10% तक के मूल्य तक डी जी टी डी से देशीय क्षमता की निकासी के बगैर पर्यटन महानिदेशक, नई दिल्ली की सिफारिशों के आधार पर आवेदन कर सकते हैं । टूरिस्ट होटलों (एक से पांच स्टार तक), रेस्टोरेन्टों तथा भारत सरकार, पर्यटन महानिदेशक नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित टूरिस्ट होटलों को कतिपय अन्य

सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जिनका विवरण आयात-निर्यात नीति, 1990–93 (खण्ड-1) के अध्याय-8 में दिया गया है ।

कार्यालय मशीनों का आयात

255. (1) इस नीति के पैरा-118 में निर्दिष्ट अन्य मदों के तथा कार्यालय मशीनों के आयात के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र परिशिष्ट 3-क के प्रपत्र तथा इसके साथ मशीन तथा अन्य सामान जिसके लिए आयात लाइसेन्स प्राप्त किया गया है/किए गए हैं या उसी लाइसेंसिंग अवधि में आयात आवेदन पत्र दिए गए हैं, की मात्रा तथा मूल्य का उल्लेख करते हुए एक घोषणापत्र संलग्न किया जाए । पिछले दो लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान किए गए आयातों की सूचना भी दी जाए । निर्यात सदन/व्यापार सदनों के मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी आयातों की अनुमति उसी अवधि में आवेदित या अनुमति उसी प्रकार के अन्य आयातों को ध्यान में रखते हुए दंगे/अन्य आयातकों के मामले में आयात किए जाने से पूर्व उसी लाइसेंसिंग वर्ष तथा पूर्व लाइसेंसिंग वर्ष में उसी प्रकार के पहले अनुमति या आवेदित किए गए आयातों को ध्यान में रखा जाएगा । आवेदनपत्र सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दिए जाएं ।

(2) सरकारी विभागों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों बीमा कम्पनियों, एयरलाइन्स, अनुसंधान एवं विकास एकक, वैज्ञानिक या अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उच्च शिक्षा के संस्थाओं और अस्पतालों के अपने निजी उपयोग के लिए कार्यालय मशीनों के आयात के लिए आवेदन-पत्र पर भी मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जा सकता है । ऐसे आवेदन-पत्रों पर देशी उपलब्धता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा ।

(3) वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है जहां ऐसे आयातों के आवेदकों के क्रियाकलापों के विषय में औचित्य दे दिए जाते हैं । आयात लाइसेन्स के लिए आवेदन करते समय आवेदक को चाहिए कि वह पहले से ही उनके द्वारा विनिर्मित और आयातित मूल मशीनों की अलग-अलग किस्म बताए और किए जाने वाले आयातों के लिए औचित्य दें । सामान्यतः आयात के लिए उनके आवेदनपत्रों पर लाइसेन्स वर्ष में विचार किया जाएगा . जिन्होंने उपर्युक्त उपपैरा (1) के अन्तर्गत पिछले दो लाइसेंसिंग वर्षों में वे पहले से प्राप्त नहीं हैं के दौरान उन मशीनों के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था ।

(4) उपर्युक्त उप पैरा दो के अंतर्गत कार्यालयों मशीनों के आयातकों के द्वारा इस नीति के अध्याय–8 में दिए गए अनुसार कार्यालय मशीनों के अतिरिक्त पुर्जे तथा उपभोग्यों के आयात की सुविधा का भी लाभ उठाया जा सकता है । कार्यालय मशीनों के आयातकों के ऐसे आवेदन पत्रों पर भी क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है । उनके मामलों में लाइसेन्स का मूल्य 10,000/- रुपए तक सीमित है । 10,000/- रुपए से अधिक मूल्य के लाइसेंस के लिए आवेदनों पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली (ए एल अनुभाग) द्वारा विचार किया जाएगा । आवेदन पत्र के साथ आवेदक को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयात की गई मशीन का विवरण तथा उनका लागत बीमा भाड़ा मूल्य का उल्लेख करते हुए एक घोषणापत्र देना होगा ।

औ. क. मा. स. के. योजना

256. (1) आई. आर. एम. ए. सी. स्कीम—आइ. आर. एम. ए. सी. (औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र) स्कीम के अन्तर्गत लाइसेन्स दिए जाने के लिए आवेदनपत्र मुख्य नियंत्रक, आयात, निर्यात, नई दिल्ली को परिशिष्ट-13 के प्रपत्र में दिए जाएं । आवेदन पत्र के साथ आयात की जाने वाली मदों की सूची भी संलग्न की जाए तथा आयात किए जाने की मात्रा तथा मूल्य का भी उल्लेख किया जाना चाहिए । खुले सामान्य लाइसेंस तथा अन्यों के अन्तर्गत मदों के आयात के लिए अलग-अलग आवेदन दिए जाए । पहले से उपयोग किए गए स्टाक की प्रतिपूर्ति के और आगे लाइसेंस पत्र दिए जा सकते हैं । ऐसे आवेदन पत्रों के साथ उपयोग किए गए लाइसेंसों, संभरित मात्रा तथा वास्तविक उपयोक्ताओं के नाम का विवरण संलग्न किया जाना चाहिए ।

समाचार-पत्र प्रतिष्ठान

257. जैसा कि प्रैस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 में परिभाषा दी गई है, समाचारपत्रों के मामले में भारत के समाचार-पत्र पंजीयक, प्रायोजक प्राधिकारी होंगे ।

258. अखबारी कागज का आयात और वितरण भारत के राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध है । समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों को अखबारी कागज की अपनी आवश्यकताओं के लिए परिशिष्ठ-8क में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में आबंटन के लिए आवेदन करना चाहिए ।

259. अखबारी कागज से अन्य आवश्यकताओं के लिए समाचार संस्थानों को अन्य वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के समतुल्य माना जाएगा ।

260. अखबारी कागज और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपर्युक्त सुविधाओं का विस्तार उन सहयोगी मुद्रणालयों के लिए भी किया जाएगा, जिन्होंने समाचारपत्रों के मुद्रण के लिए समाचारपत्रों के मालिकों के साथ लम्बी अवधि के लिए व्यवस्थाएं/ठेके कर लिए हैं । ऐसे मामलों में आवेदक को ऐसी व्यवस्था/ठेके का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए ।

261. समाचारपत्रों की साझे स्वामित्व वाली यूनिटों को एक स्थान से अधिक स्थानों पर स्थित अपनी सभी यूनिटों की आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए समेकित रूप से आवेदन करने का विकल्प है । ऐसे मामलों में प्रत्येक यूनिट की आवश्यकता को एक सूची में अलग से दी जानी चाहिए और प्रत्येक के लिए अलग शपथ प्रमाणपत्र सहित समेकित आवेदन-पत्र के साथ लगाना चाहिए । ऐसे आवेदन-पत्रों को उस संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया

जाना चाहिए जिनके क्षेत्राधिकार में उनका पंजीकृत मुख्य कार्यालय स्थित है ।

262. समाचार-पत्रों की प्रतिष्ठापनाओं द्वारा पूंजीगत माल की आवश्यकताओं के लिए अध्याय-तीन में दी गई प्रक्रिया लागू होगी ।

263. समाचार-पत्रों प्रतिष्ठानों को आयातित माल की खपत और उपयोग का एक लेखा परिशिष्ठ 8-ख में दिए गए प्रपत्र में रखना चाहिए ।

विद्युत ट्रांसफार्मरों के साथ ट्रांसफार्मरों के तेल का आयात

264. (1) ट्रांसफार्मर के साथ पहली बार भरने के लिए दिया गया तेल भी ट्रांसफार्मर का ही एक भाग समझा जा सकता है और इसकी निकासी की अनुमति ट्रांसफार्मरों के लिए जारी किए गए लाइसेंस पर दी जा सकती है । लेकिन, यह बात नोट कर ली जाए कि इस प्रकार अनुमति किए गए ट्रांसफार्मर तेल की मात्रा किसी भी परिस्थिति में ट्रांसफार्मर के टैंक की क्षमता से अधिक नहीं होगी । इस बात का सुनिश्चित कर लेना भी आवश्यक है कि तेल का आयात-बीमा-भाड़ा मूल्य और ट्रांसफार्मर का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य मिल कर ट्रांसफार्मर के लिए लाइसेंस में निर्दिष्ट लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के भीतर होना चाहिए ।

बेकार पोत भंडार की निकासी

265. बेकार पोत भंडारों की निकासी निम्नलिखित अनुसार नियंत्रित की जाएगी :—

(1) प्रत्येक मामले में 2000/- रुपए की मूल्य सीमा तक बेकार पोत भंडार की निकासी की अनुमति संबद्ध सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा सीमा शुल्क परमिट के बिना ही दी जा सकती है ।

(2) जिस मामले में पोत भंडारों का मूल्य एक समय में 2000/- रुपए से अधिक हो और विदेशी पोतों से निकासी की अनुमति दे दी हो, उस मामले में क्षेत्रीय लाइसेंस अधिकारी कस्टम द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों के बिना सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी कर सकते हैं । ऐसे सभी सीमाशुल्क निकासी परमिटों का मूल्य, संबद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मूल्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की तदर्थ उच्चतम सीमा के नामे डाल दिया जाएगा ।

(3) जिन मामलों में विदेशी पोत शामिल नहीं हैं और भंडारों का मूल्य 2000/- रुपए से अधिक है, ऐसे सभी मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों के बिना सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी कर सकते हैं ।

अभिज्ञात न किए जाने वाले या लावारिस माल, अतिरिक्त अवतरित माल, झाड़न आदि माल की स्वीकृति ।

266. (1) न पहचानने योग्य या लावारिस माल की निकासी के लिए स्टीमर के एजेन्टों से प्राप्त आवेदनपत्रों के आधार पर संबद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी कर सकते हैं । जिस मामले में ऐसे माल का मूल्य 1000/- रुपए से अधिक न हो उसमें सीमा शुल्क निकासी परमिट के बिना ही सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी की अनुमति दी जा सकती है ।

(2) अतिरिक्त संख्या में अवतरित माल की निकासी के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट प्रदान करने के लिए भी स्टीमर एजेन्ट क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों से आवेदन कर सकते हैं । उन मामलों में जहां माल का मूल्य 5,000/- रुपये है वहां वास्तविकता का सत्यापन करने के बाद मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी किया जाएगा ।

(3) सीमा शुल्क प्राधिकारी वास्तविक झाड़न (अर्थात गोदी में शेडों की झाड़न द्वारा प्राप्त माल थैलों में भरे हुए माल के अवशिष्ट) की निकासी की अनुमति आयात लाइसेंसों के बिना ही दे सकते हैं चाहे वह योग्य हो अथवा नहीं, बशर्ते कि :—

(1) झाड़न का माल एक विशेष पोत से प्राप्त हुआ है ।

(2) यदि माल शुल्क चुकाने योग्य हो तो विषयाधीन पोत के सारे सूचीबद्ध माल पर पूर्ण शुल्क चुका दिया गया हो, यदि माल मुक्त हो तो सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा सारे सूचीबद्ध माल की निकासी कर दी गई हो ।

(3) एक विशेष पोत पर अतिरिक्त माल नहीं था; और

(4) पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया हो कि झाड़न का माल यथार्थ है और गोदी के शेडों से प्राप्त किया गया है ।

(4) इन मामलों में यदि स्वीकृत किए जाने वाले माल का आयात लागू आयात नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी के माध्यम से सरणीबद्ध हो तो निकासी इस शर्त के अधीन होगी कि सरणीबद्ध अभिकरणों को माल स्थलीय लागत पर बेचा जाएगा ।

पड़ोसी देशों से आयात

267. पड़ोसी देशों से व्यापार के मामले में मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा समय-समय पर विशेष निदेश जारी किए जाएंगे ।

व्यापार समझौतों के अधीन लाइसेंस देना

268. (1) भारत सरकार ने कई विदेशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं । ये व्यापार समझौते समय समय पर परिशोधित किए जाते हैं । व्यापार समझौते के अतिरिक्त कुछ देशों के साथ विशेष भुगतान एवं व्यापार व्यवस्थाएं भी

लागू की गई हैं । इन विशेष वर्षों के साथ विशेष भुगतान और व्यापार व्यवस्थाओं के अधीन समय-समय पर लाइसेंस जारी किए जाते हैं । आयातकों को सलाह दी जाती है कि पूर्ण विवरण के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली से संपर्क करें ।

(2) अन्तर शासकीय समझौते के अधीन आने वाली मदों के आयात के मामले में किसी प्रावधान के विपरीत होते हुए भी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समझौते के अधीन आयात करने के लिए आयात लाइसेंस की व्यवस्था है, विभाग और उपक्रमों के सहित इच्छुक आयातकों को ऐसी मदों के लिए ऐसी विशेष शर्तों के साथ आयात लाइसेंस प्राप्त करने पड़ेंगे जो कि उचित समझी जाएंगी भले ही वे मद आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत अनुमति हों ।

3. आयात लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र और तरीके में मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात (सी. जी. सैल.) उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए ।

रेडियो-एक्टिव आइसोटाप्स का आयात

269. रेडियो-एक्टिव आइसोटाप्स के आयात के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, बम्बई को आवेदन किया जाना चाहिए ।

संवाददाताओं और समाचार एजेंसियों को फिल्मों के लिए सीमा-शुल्क निकासी परमिट प्रदान करना

270. नियमित संवाददाताओं/समाचार एजेंसियों द्वारा अप्रदर्शित फिल्मों के निःशुल्क आयात के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी करने के लिए प्रैस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली की सिफारिश पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा । तथापि, विदेशों में सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों के साथ जाने वाले दूरदर्शन/आकाशवाणी के संवाददाताओं और कैमरा मैन भी बिना किसी सीमाशुल्क निकासी परमिट के दूरदर्शन/आकाशवाणी के लिए एक्सपोज्ड/अनएक्सपोज्ड फिल्मों की निकासी की स्वीकृति देंगे ।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों के लिए आयातित प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री

271. (1) प्रदर्शित वस्तुओं की बिक्री अगर अनुमति दी जाती है, तो पुनः निर्यात के लिए अनुमति बंधक अवधि के भीतर केवल वैध आयात लाइसेंस के अधीन अनुमति दी जाएगी । यह सुविधा ऐसे वास्तविक उपयोक्ताओं को भी प्राप्त होगी जो खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत उसी माल के आयात के लिए पात्र हैं । आयातक के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण यदि माल की बिक्री बंधक अवधि के, अंतर्गत प्रभावित नहीं हुई है तो पत्तन प्राधिकारी अपने विवेक से बंधक अवधि में वृद्धि कर सकते हैं ।

(2) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मेले में प्रत्येक प्रदर्शक को उनकी प्रदर्शित वस्तु की बिक्री के लिए निम्न प्रकार से मेला कोटा दिया जाएगा :—

1. राष्ट्रीय स्तर पर मेले में भाग ले रहे प्रत्येक देश के लिए 7,500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के बुक किए गए स्थान के लिए जो अधिकतम 1,50,00,000/- रु. तक हो ।
2. मेलों में स्वतंत्र रूप से भाग ले रही प्रत्येक विदेशी वाणिज्यिक फर्म के लिए 4,500/- रु. प्रति वर्ग मीटर के बुक किए गए स्थान के लिए जो अधिकतम 25 लाख रुपये तक हो ।

(3) ऐसी प्रदर्शित वस्तुओं की बिक्री की क्रिया विधि नीचे दी गई है :—

(1) अगर बिक्री के लिए प्रस्तावित मशीनरी खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत अनुमित है तो लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति के बगैर कस्टम द्वारा पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को इसकी बिक्री की अनुमति दी जाएगी ।

(2) अगर खरीददार/वास्तविक उपयोक्ता के पास उक्त मशीनरी के आयात का लाइसेंस है तो आयात लाइसेंस में कटौती करके कस्टम द्वारा उस मशीनरी की बिक्री अनुमित है ।

(3) जहां बिक्री के लिए प्रस्तावित मशीनरी अनबंधित सूची या खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत नहीं है और इसका मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक के सामान्य हकदारी कोटे के भीतर पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को आयात लाइसेंस के प्रति उसकी बिक्री की अनुमति है । इन मामलों में आयात लाइसेंस देशीय क्षमता दृष्टि-कोण और अनिवार्यता प्रमाणपत्र के संदर्भ के बगैर जारी किए जाते हैं । किसी भी वास्तविक उपयोक्ता को उसी श्रेणी की एक से अधिक मशीनरी खरीदने की अनुमति नहीं है ।

(4) यदि बेची जाने वाली मशीनरी प्रतिबंधित सूची में नहीं है या खुले सामान्य लाइसेंस में नहीं है और उसका मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है किन्तु 50 लाख रुपये से कम है तो वास्तविक उपयोक्ता को बिक्री की अनुमति संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक के उचित कोटा हकदारी के भीतर आयात लाइसेंस के मदद की जाएगी । ऐसे मामलों में आयात लाइसेंस महानिदेशक, तकनीकी विकास से देशीय क्षमता और अनिवार्यता प्रमाण-पत्र के प्राप्त करने के बाद जारी किए जाते हैं । ऐसे मामलों में विज्ञापन प्रक्रिया की अनुपालना एवं पंजीगत माल के आयात के लिए निर्धारित पूंजीगत माल समिति का अनुमोदन

प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा । किसी भी वास्तविक उपयोक्ता का उसी श्रेणी की मशीनरी के एक नग से अधिक के खरीदने की अनुमति नहीं है ।

(5) उपर्युक्त (1), (3) और (4) में निर्दिष्ट मामलों में खरीददार वास्तविक उपयोक्ता को यह घोषणा देनी अपेक्षित है कि खरीदी जाने वाली मशीन उत्पादन की प्राधिकृत क्षमता से अधिक नहीं होगी और यह किसी अन्य प्रकार से औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे और यह वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा ।

(6) उपर्युक्त श्रेणी में सम्मिलित न होने वाले मामले के संबंध में सामान्य पूंजीगत माल क्रियाविधि लागू होगी और मशीन को खरीदने के लिए लाइसेंस की देने के वास्ते जैसा भी मामला हो, पूंजीगत माल तदर्थ एवं पूंजीगत माल मुख्य समितियों द्वारा विचार किया जाता है ।

(7) पात्र वास्तविक उपयोक्ता द्वारा प्रदर्शित की गई हकदारी के उचित कोटे के अंतर्गत आयात लाइसेंस देने के लिए आवेदन-पत्र या तो संबंधित देश के भारत में राजनयिक दूतावासों के माध्यम से अथवा व्यापार मेला प्राधिकरण के माध्यम से देने होंगे जो इनको समन्वित करेंगे और उन्हें मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, नई दिल्ली को प्रेषित करेंगे ।

खेल विकास के लिए खेल का सामान/उपकरण का आयात

272. (1) खेलों के सामान/उपस्कर जो देश में उपलब्ध नहीं है, उनके आयात के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के खेलों से संबंधित कार्य वाले संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों, खिलाड़ियों के महासंघों, खेलकूद क्लबों और श्रेष्ठ खिलाड़ियों से संबंधित, केन्द्र या राज्य सरकार के विभागों द्वारा विधिवत प्रायोजित और अनुशंसित आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा ।'

(2) आवेदन-पत्र आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1990–93 के परिशिष्ट-3घ में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र में संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाएं । प्रायोजक प्राधिकारी आयात के लिए सिफारिश करने से पहले महानिदेशक, तकनीकी विकास (आयात एवं निर्यात नीति सेल), उद्योग भवन, नई दिल्ली से देशी निकासी प्राप्त करेगा । आयात-निर्यात नीति, 1990–93 (खण्ड 1) पुस्तक के परिशिष्ट 11 में सूचीबद्ध मदों के संबंध में महानिदेशक, तकनीकी विकास से देशी निकासी प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा ।

(3) एक लाख रुपए से ऊपर वाले आवेदन-पत्र अन्तर-विभागीय, समिति के सामने रखे जाएंगे । ऐसे आवेदक पत्रों पर विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर ही विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसे मामलों में आयात लाइसेंस मुख्य नियन्त्रक आयात-निर्यात द्वारा आयातित उपकरण के उपयोग और वितरण के सन्दर्भ में निर्धारित शर्तों के अधीन होंगे ।

अध्याय–9

कार और वाहन का आयात

मोटरवाहनों का आयात

273. कारों एवं वाहनों के आयात के लिए नीति, आयात-निर्यात नीति (खण्ड-1), 1990—93 के अध्याय-9 में दी गई है ।

प्रक्रिया

274. आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट-9 में दिए गए प्रपत्र में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (बी. एल. अनुभाग) नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए और इसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की अदायगी का वाउचर अर्थात्—500/- रु. (अथवा भारतीय दूतावास में जमा की जाने वाली विदेशी मुद्रा में समतुल्य राशि) आवेदित कार अथवा वाहन के मूल्यों को ध्यान में न रखते हुए भेजा जाना चाहिए ।

लागू होने वाली शर्तें

275. (1) वाहन के भारत में पहुंचने के बाद उसे केवल लाइसेन्स धारक के नाम में पंजीकृत कराना चाहिए ।

(2) पत्तन पर निकासी से पूर्व लाइसेन्सधारी भारत के राष्ट्रपति के नाम में वाहन के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के लिए गणना की गई सीमा शुल्क धनराशि के बराबर के लिए स्थानीय लाइसेन्स प्राधिकारियों के पास निर्धारित प्रपत्र में एक बांड का निष्पादन करेगा । जिसमें आयात लाइसेंस–सीमा शुल्क निकासी परमिट के लिए लागू शर्तों को पूरा करने के लिए वचन दिया जाएगा और उस बांड के साथ अनुसूचित बैंक की गारन्टी भी होगी । इसके बदले में वह 'बिक्री बन्द' अवधि की मुद्रा के लिए उपर्युक्त वाहन को रहन रखने के मद्दे वाहन के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य की गणना की गई सीमा शुल्क के लिए अनुसूचित बैंक द्वारा प्रतिभूति प्रस्तुत कर सकता है । प्रारम्भ में, बांड/प्रतिभूति/कानूनी समझौता 6 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए, किन्तु लाइसेन्स/सीमा शुल्क निकासी परमिट के धारक को इसकी अवधि वृद्धि या पुनर्वैधीकरण के लिए प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति से 6 महीने पहले ऐसे समय तक के लिए बढ़ा दिया या नवीकृत किया जाएगा, जिसे लाइसेन्स प्राधिकारी आवश्यक समझे (लाइसेन्स प्राधिकारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बांड प्रपत्र में उपयुक्त आशोधन कर सकते हैं) । तथापि, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी 'बिक्री बंद' अवधि के बाद बैंक गारन्टी पर पुनः विचार करेगा । श्रेणी 'क' के मामले में 'बिक्री बंद' अवधि लागू न होगी ।

(3) लाइसेंसधारी नीचे दर्शाई गई बिक्री बन्द की अवधि (अवधियों) के भीतर लाइसेन्स प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना वाहन के स्वामित्व या कब्जे का हस्तान्तरण नहीं करेगा । यदि हस्तान्तरण अनुमति किया जाता है वह ऐसी कीमत और नियम एवं अन्य शर्तों के अधीन होगा

जो हस्तांतरी/स्वीकृत समय आदि के अनुकूल हो जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विशिष्टीकृत किया जाए । आयातकों की श्रेणियां आयात-निर्यात नीति पुस्तक के अध्याय-9 में परिभाषित की गई हैं ।

(1) **श्रेणियां ख, घ, च, छ, ज तथा झ**

बिक्री बन्द अवधि आयात किए जाने की तारीख से 5 वर्ष होगी;

(2) **श्रेणी-ग**

आयातक के भारत छोड़ने पर वाहन का पुनः निर्यात किया जाएगा किन्तु इसमें एक बार 3 मास तक की लघु विदेशी यात्रा शामिल नहीं होगी । सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा आयातक को नीचे के उप पैरा-7 में निहित शर्तों के अधीन अन्य पात्र विदेशी नागरिक को भारत में वाहन बेचने के लिए भी अनुमति दी जा सकती है या किसी अन्य व्यक्ति अभिकरण को भी ऐसी शर्तों के अधीन और अन्य शर्तें जैसे हस्तांतरी, कीमत आदि जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए ।

(3) **श्रेणी-ङ**

(क) कार विदेशी सहयोगकर्त्ताओं के कारण रोक रखी जाएगी और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी समय कार को न तो बेचा जाएगा न अन्यथा रूप से निपटाया जाएगा, बन्धक रखा जाएगा, गिरवी रखा जाएगा । लेकिन, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात आयात की तिथि से दस वर्ष बीत जाने के बाद आयातित कार की बिक्री के लिए आवेदन पर विचार कर सकते हैं । ऐसे मामलों में बिक्री के लिए कार, पहले भारतीय राज्य व्यापार निगम को प्रस्तुत करनी होगी ।

(ख) ये शर्तें उन मामलों में भी लागू होंगी जहां आयात आवेदनपत्र पहले ही जारी किया जा चुका हो लेकिन संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा बांड स्वीकार नहीं किया गया हो ।

4. श्रेणी (ख) के लाइसेंसधारी एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विदेश यात्रा पर जाते समय भारत में वाहन को नहीं छोड़ेंगे । ऐसी अनुपस्थिति में, किसी भी हालत में उस अवधि के दौरान वाहन सामान्यतः परिवार के किसी और सदस्य की सुरक्षा में छोड़ना चाहिए । यदि लाइसेंसधारक को विदेश में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जाना पड़ता है तो उसे अधिक अवधि के लिए ठहरने के कारण बताते हुए और वापस लौटने की प्रस्तावित तिथि का हवाला देते हुए उस लाइसेंस प्राधिकारी को उसकी सूचना पावती पंजीकृत डाक से देनी चाहिए जिसके पास बांड निष्पादित किया गया था । यह श्रेणी 'क' पर लागू ही होगा ।

5. एक वर्ष से अधिक विदेश में ठहरने की अवधि के लिए, लाइसेंसधारी ऐसी अधिक ठहरने की अवधि के लिए बांड की अवधि को तभी बढ़ा सकता है जब कि उसे ऐसा करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों से छूट प्राप्त हो जाए । विदेश में ठहरने की कुल अवधि यदि दो वर्ष से अधिक हो जाने की संभावना है, तो सभी मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी । ऐसा न करने पर आयातित वाहन को जब्त भी किया जा सकता है ।

6. लाइसेंसधारी को यह खुली छूट होगी कि वह सदा के लिए देश छोड़ते समय वाहन को पुनः निर्यात कर सकता है, किन्तु इसके लिए पहले से ही लाइसेंस प्राधिकारी को सूचित कर देना चाहिए ।

7. लेकिन, विदेशी राष्ट्रिक लाइसेंसधारी को यह छूट होगी कि वाहन को भारत में अन्य विदेशी राष्ट्रिक को बेच सकता है बशर्ते कि (क) लागू नीति के अधीन क्रेता स्वयं उसके आयात के लिए पात्र है, (ख) किसी भी ढंग से भारत से प्रेषण को शामिल किए बिना क्रेता ने अपने निजी फण्ड में से विदेश में उसका मूल्य और खर्च का भुगतान कर दिया हो, (ग) क्रेता उन शर्तों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हो जिनके अधीन आयात की अनुमति दी गई थी और (घ) लाइसेंस प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रेता बैंक गारन्टी सहित बांड को पूरा करता हो । खुले बाजार में आयातित कार की बिक्री की अनुमति इन शर्तों के अध्याधीन होगी कि बिक्री से प्राप्त लाभ का प्रत्यावर्तित भाग विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान में से मूल्यह्रास को कम करने के पश्चात् लैंडिड मूल्य से अधिक न हो ।

8. पत्तन पर वाहन की निकासी करने और बांड निष्पादित करने के पश्चात् लाइसेंसधारी वाहन को उतारने के पत्तन पर भारत में अपने (अभिप्रेत) निवास स्थान की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी को तत्काल ही देगा, अर्थात् जहां कार रखी जाएगी और उपयोग की जाएगी । तब उसके मामले से संबंधित बांड और अन्य कागजात उस लाइसेंस प्राधिकारी को हस्तांतरित किए जाएंगे जिसके क्षेत्राधिकार में व्यक्ति रहता है । उसके बाद सभी आगामी पत्राचार केवल उक्त प्राधिकारी के साथ होने चाहिएं और इस नीति के अन्तर्गत अधिकार और आभार का उपयोग उसके द्वारा किया जाएगा ।

9. लाइसेंसधारी से मांगे जाने पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या लाइसेंस प्राधिकारी को यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिएं कि बांड की अवधि के दौरान वाहन उसके स्वामित्व और अधिकार में रहा है । यदि मोटर वाहन अधिनियम या पुलिस से संबद्ध अन्य सरकारी प्राधिकारी (केन्द्र या राज्य) द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो वे उसकी सूचना तुरन्त मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात या संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को देगा ।

10. जिन व्यक्तियों को वाहन का स्वामित्व दिया गया हो या जो इस नीति के अधीन आयातित वाहन की खरीद की बातचीत कर रहे हों उन्हें अपने हित के लिए, इस बात का सुनिश्चय

कर लेना चाहिए कि वे ऐसा करने के लिए स्वयं स्वतन्त्र हैं अर्थात् नीति और संबद्ध बांड की शर्तों के अनुसार वाहन उनके अधिकार या स्वामित्व में हो सकता है । ऐसा करने के लिए प्रमाण का दायित्व उनके ऊपर ही होगा । इस नीति के अधीन अप्राधिकृत व्यक्तियों के अधिकार में पाए गए वाहन बिना किसी शर्त के जब्त कर लिए जाएंगे ।

अध्याय–10

उपहारों का आयात

276. उपहारों के आयात के लिए लागू नीति आयात-निर्यात नीति 1990–93 (खण्ड-1) के अध्याय-10 में दी गई है। उपहारों की मदों के आयात के बिना इस पुस्तक के परिशिष्ट-10 में दिए आवेदनपत्र में दिए जाने चाहिए ।

वीडियो टेप कैसेट रिकार्डर्स (टीवी मोनिटर कैमरा सहित अथवा रहित) का आयात

277. आवेदन-पत्र संबद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजे जाएं तथा आवेदन-पत्रों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएं :—

(1) उपहार भेजने वाले व्यक्ति का मूल रूप में पत्र;

(2) न्यायिक प्राधिकारी या नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त या भारतीय उच्चायोग दूतावास वाणिज्यिक दूतावास के सामने विधिवत् शपथ लेकर उपयुक्त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर यह दिखाते हुए आवेदक का एक शपथ-पत्र कि उपहार देने वाले व्यक्ति का आवेदक के साथ उचित रिश्ता क्या है ।

उपहार के रूप में अन्य वस्तुओं का आयात

278. (1) अन्य मामलों में उपहार के रूप में प्राप्त वस्तुओं के आयात के लिए सीमा-शुल्क निकासी परमिट देने के लिए आवेदन-पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा । व्यक्तियों, संस्थाओं और प्रतिष्ठानों में ऐसे आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा सकता है । सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन-पत्र देने से पहले विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 की व्यवस्थाओं, जब ये लागू होती हों, का अनुपालन किया जाना चाहिए ।

(2) उपहारों के रूप में अन्य वस्तुओं के आयात के लिए आवेदन-पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिएं । तथापि, निम्न प्रकार के मामलों में आवेदन-पत्र संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को भेजे जाने चाहिएं:—

(क) जबकि किसी संस्थान के मामले में उसके निजी उपयोग के लिए वस्तुओं के संबंध में मूल्य 25,000 रु. से अधिक न हो; और

(ख) जबकि किसी पंजीकृत व्यावसायिक चिकित्सक के मामले में उसके निजी व्यावसायिक उपयोग के लिए अपेक्षित उपस्करों, उपकरणों के संबंध में मूल्य 10,000 रु. से अधिक न हो ।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए वस्तुएं उपहार के रूप में प्राप्त होती हैं को छोड़कर आवेदन शुल्क निर्धारित दर के हिसाब से अदा करना जरूरी होगा । आवेदक को चाहिए कि अपने आवेदन-पत्र के साथ उपहार-दाता से प्राप्त मूल पत्र को भी भेजें ।

(4) उन संस्थाओं के मामले में जहां उपहार के रूप में दी जाने वाली वस्तु का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 2 लाख रुपये से अधिक हो, आवेदक को चाहिए कि आयात के लिए वह आवेदन पत्र के साथ जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सिफारिश ही भेजें ।

(5) उपहार के रूप में दी जाने वाली सामग्री के मूल्य के अलावा इन आवेदन-पत्रों का निर्णय करते समय जिन मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाएगा, वे होंगी उपहार के रूप में दी जाने वाली वस्तु की प्रकृति, उपहारदाता और उपहार प्राप्तकर्ता के बीच के आपसी संबंध एवं उद्देश्य जिसके लिए उस वस्तु का आयात किया जाना है । उचित मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी अन्य संबद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श कर सकता है ।

(6) जहां कहीं भी सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी किए जाएंगे वे लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन होंगे ।

अध्याय–11

विदेश से आने वाले अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को आयात के लिए सुविधाएं

279. अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्यों तथा अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ।

280. (क) पूंजीगत माल के लिए आवेदन-पत्र इस प्रयोजन के लिए प्रक्रिया पुस्तक 1990—93 में परिशिष्ट-11क में दिए जाने चाहिएं । कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य सामग्री और अतिरिक्त पुर्जों के लिए आवेदन-पत्र उस समय तक उसी प्रपत्र में भेजने चाहिएं जब तक कि आवेदक, वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए लागू सामान्य नीति नहीं अपना लेता । ये आवेदन-पत्र विशेष अनुमोदन समिति (एस. आर. आई.) औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिएं ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रपत्र-2 में 4 अतिरिक्त प्रतियों के साथ आवेदन-पत्र और विदेशी सहयोग के लिए प्रस्ताव पर भी विशेष अनुमोदन समिति (एस. आर. आई.) द्वारा विचार किया जाएगा । इस तरह अप्रवासी भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर मिश्रित आधार पर विचार किया जाएगा । जिसमें जहां आवश्यक होगा, औद्योगिक लाइसेंस जारी करना भी शामिल होगा । सरकार के निर्णय से आवेदक को 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा ।

(ग) आयातक को तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पूंजीगत माल के बेचने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी । इसके पश्चात्,

ऐसी बिक्री केवल मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति से ही दी जाएगी ।

अध्याय—12

प्रौद्योगिकी का आयात

281. प्रौद्योगिकी के आयात के लिए विस्तृत प्रावधान, आयात-निर्यात नीति 1990—93 के अध्याय-12 में दी गई हैं। ड्राइंग और डिजाइनों के आयात के लिए आवेदन-पत्र, परिशिष्ट-12 में दिए गए प्रपत्र-ठ में भेजे जाने चाहिएं ।

तकनीकी विकास निधि के अंतर्गत आयात

282. आयात के लिए आवेदन-पत्र विशेष समिति, तकनीकी विकास निधि, औद्योगिक विकास विभाग (प्राप्ति व निर्गम अनुभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली को पूंजीगत माल के आयात, विदेशी सहयोग आदि के लिए निर्धारित प्रपत्र में और अपेक्षित प्रतियों के साथ भेजने चाहिएं । इस पुस्तक की कण्डिका 154 (1) में दर्शाए गए प्रतिबंध इन मामलों में लागू नहीं होंगे । पूंजीगत माल के लिए आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क के लिए बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए । इनके साथ यूनिट को व्यापक आधुनिकीकरण योजना का विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुए और आयातित माल निर्यात विकास प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में, क्षमता के उपयोग आदि में किस प्रकार सहायता करेगा, इसका उल्लेख करते हुए एक टिप्पणी होनी चाहिए ।

283. (1) अनुमोदित परियोजनाओं के सुविधापूर्वक शीघ्र कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सरलीकरण भी आरम्भ किया गया है :—

(क) विदेशी मुद्रा का निर्धारण आयात के अनुमोदन के साथ-साथ होगा और आगे विदेशी मुद्रा का ऋण मांगने के लिए किसी क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा देशी निकासी की जाएगी और उपयुक्त मामलों में देशी निकासी की शर्त हटा दी जाएगी; और

(ग) आवेदन-पत्रों पर निर्णय 45 दिनों के भीतर दिया जाएगा; और

(2) आयात लाइसेंस मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में पूंजीगत माल सैल द्वारा दिए जाएंगे । औद्योगिक विकास विभाग अपनी सिफारिशों को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को भेजते हुए आवेदन-पत्र को उसके संलग्नकों सहित तथा आवेदन-पत्र शुल्क के लिए मूल बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट भी भेजेगा ।

ऊर्जा संरक्षण के लिए मदों का आयात

284. इस नीति के अध्याय-12 में शामिल तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए औद्योगिक यूनिटों के द्वारा अपेक्षित मदों के आयात के लिए आवेदन-पत्रों पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा महानिदेशक तकनीकी विकास, आयात तथा निर्यात, नीति सैल, उद्योग भवन, नई दिल्ली की सिफारिश के आधार पर विचार किया जाएगा ।

285. ऐसे आवेदन-पत्र जो इस योजना के अधीन अनुमोदित नहीं हैं उनके निपटान के लिए स्वत: रूप से सामान्य प्रक्रिया के अधीन विचार किया जाएगा । आवेदक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नए सिरे से फिर आवेदन करे ।

अध्याय—13

स्टाक एवं बिक्री के लिए मदें

286. ताजे फलों, सूखे मेवों तथा फोटोग्राफिक फिल्मों, अग्निशस्त्रों, विडिसाइड्स तथा स्टाक एवं बिक्री के लिए यंत्रों के अतिरिक्त पुर्जों का आयात करने हेतु आयात-निर्यात नीति 1990—93 (खंड-1) के अध्याय-13 में निर्धारित नीति के अनुसार परिशिष्ट-13क में दिए गए प्रपत्र पर आवेदन करना चाहिए ।

अध्याय—14

लघु उद्योगों के लिए सुविधाएं

287. लघु उद्योग यूनिटों की सहायता के लिए नीति के विभिन्न अध्यायों में दी गई सुविधाओं के बारे में आयात नीति अध्याय-14 में संशोधित संक्षिप्त सारांश दिया गया है । इस पुस्तक के अन्य अध्यायों में निर्दिष्टानुसार संबंधित स्कीमों के अंतर्गत आवेदन-पत्र दिए जाने हैं ।

अध्याय—15

पंजीकृत निर्यातक

पंजीकरण प्राधिकारी

288. (1) निर्यात लाभों को प्राप्त करने के लिए, निर्यातकों का पंजीकरण प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत होना अपेक्षित है । विभिन्न निर्यात उत्पादों के लिए पंजीकरण प्राधिकारियों के नाम व पते परिशिष्ट-15क में दिए गए हैं ।

(2) निर्यातक जिनके लिए कोई पंजीकरण प्राधिकारी निर्दिष्ट नहीं किया गया है वह इन पत्तनों नामश: बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में निर्यात संवर्धन अधिकारियों के साथ स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं । उनका क्रमश: पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार होगा । उत्तरी क्षेत्र के मामले में, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात, केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र, नई दिल्ली पंजीकरण प्राधिकारी होगा ।

(3) एक उत्पाद ग्रुप से अधिक मदों का निर्यात करने वाले निर्यातकों को अपने निर्यात व्यवसाय की मुख्य भाग से संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित होगा । इसके अतिरिक्त, यदि पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान सभी निर्यात उत्पादों के निर्यात का कुल जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य 10 लाख रु. तक रहा है तो भी उन्हें स्वयं को पत्तनों के निर्यात संवर्धन अधिकारियों जिनका क्षेत्राधिकार पश्चिमी, दक्षिणी एवं

पूर्वी तथा उत्तरी आंचल के लिए नामशः बम्बई, मद्रास एवं कलककत्ता तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र नई दिल्ली जिनका क्षेत्राधिकार उत्तरी आंचल है के साथ पंजीकृत कराना अपेक्षित होगा । तथापि यदि पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान सभी निर्यात उत्पादों के निर्यात का कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 10 लाख रु. से अधिक रहा है तो भी उन्हें स्वयं को भारतीय निर्यात संगठन का महासंघ, पी. एच. डी. हाउस, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली के साथ पंजीकृत करना अपेक्षित होगा ।

(4) पंजीकृत निर्यातक यदि निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन के रूप में मान्यता चाहता है तो उसे भारतीय निर्यात संगठन फेडरेशन के साथ पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा ।

(5) भारतीय निर्यात संगठन फेडरेशन सभी उत्पाद समूहों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण होगा ।

(6) भारतीय निर्यात संगठन फेडरेशन/निर्यात संवर्धन अधिकारियों/पण्य वस्तु बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण-पत्र निर्यात उत्पादों जिसके लिए पंजीकृत निर्यातक या निर्यात सदन या व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन के रूप में पंजीकरण किया गया है को स्पष्ट रूप से इंगित करेगा । निर्यात के लाभ केवल एसे उत्पादों तक सीमित रहेंगे जिनका उल्लेख संबंधित पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जारी पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण-पत्र में किया जाएगा ।

(7) जहां कहीं सरकारी अभिकरण से कानूनी पंजीकरण की आवश्यकता है, निर्यातक को इस आवश्यकता की पूर्ति अलग से करनी पड़ेगी । निर्यात सदनों/व्यापार सदनों को उन्हें निर्यात के लिए कार्यक्रम एवं विस्तृत स्कीम की प्रतियां भिजवानी अपेक्षित होंगी तथा भारतीय निर्यात संगठन फेडरेशन द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से मद-वार एवं देश-वार निर्यात की तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होंगी । उपरोक्त रिपोर्टों की एक-एक प्रति मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात (सांख्यिकी प्रभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली को भी भिजवाई जानी होगी । भारतीय निर्यात संगठन फेडरेशन तथा मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को सम्बद्ध सूचना प्रेषित करने में असफल रहने पर उसके स्टेटस को वापस ले लिया जाएगा ।

पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र

289. पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र संबद्ध पंजीकरण प्राधिकारी/निर्यात संवर्धन अधिकारी को भेजने चाहिएं । शाखाओं वाली व्यापार संस्थाओं के मामले में पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र लिमिटेड कम्पनियों के मामले में पंजीकृत कार्यालय द्वारा भेजे जा सकते हैं और अन्य के मामले में मुख्य कार्यालय द्वारा एसे मामलों में पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र इसकी शाखाओं के लिए भी वैध होगा । शाखाएं पंजीकरण के लिए अलग से भी आवेदन कर सकती हैं, एसे मामले में पंजीकरण प्राधिकारी आवेदक शाखा को एक अलग पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा; लेकिन निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन अपनी सभी शाखाओं और संबद्ध मुख्यालयों के लिए समेकित आधार को छोड़ कर अपने अतिरिक्त लाइसेंसों के लिए स्वतंत्र रूप से आवेदन-पत्र भेजने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

290. (1) पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र परिशिष्ट-15-ख में दिए गए प्रपत्र में भेजे जाने चाहिएं ।

(2) महानिदेशक, तकनीकी विकास के पास पंजीकृत से भिन्न विनिर्माताओं के मामलों में पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-पत्र का भाग-2 संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है । व्यापारी निर्यातक के मामले में, पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण-पत्र का भाग-2 भरा जाना अपेक्षित नहीं है । लेकिन विनिर्माता निर्यातकों के मामले में पंजीकरण प्राधिकारी संबद्ध राज्य उद्योग निदेशक या प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा आवेदक को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाण-पत्र के भाग-2 को स्वयं भरें । इस आधार पर, आवेदक को एक व्यावसायिक पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है । इसके बाद पंजीकरण प्राधिकारी को चाहिए कि जैसा भी मामला हो, राज्य उद्योग निदेशक या प्रायोजक प्राधिकारी से आवश्यक सत्यापन करें और उस आधार पर जो परिवर्तन आवश्यक हों उन्हें पंजीकरण-व-सदस्यता प्रमाण-पत्र में भरें और वहां से 'अनन्तिम' शब्द को भी हटा दें ।

291. पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएं :—

(1) आवेदक की वित्तीय क्षमता की पुष्टि में बैंक प्रमाण-पत्र, और

(2) विधिवत् भरे हुए भाग-1 और भाग-2 के संबंधित कालम के साथ पंजीकरण-व-सदस्यता प्रमाण-पत्र ।

पंजीकरण प्रमाण-पत्र

292. पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट-15ग में दिया गया है ।

293. यदि आवेदक विनिर्माता निर्यातक और व्यापारी निर्यातक दोनों है तो संबद्ध पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उसको एक अलग प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा । (यह स्पष्ट किया जाए कि यदि कोई विनिर्माता अन्य द्वारा विनिर्मित उत्पादों का भी निर्यात करता है, तो उसे निर्यात उत्पादों के लिए अपने आपको व्यापारी निर्यातक के रूप में पंजीकृत करवाना चाहिए) ।

पंजीकरण के लिए पात्रता

294. भूतकालीन निर्यात निष्पादन, अच्छा रिकार्ड और अनुभव रखने वाले निर्यातक जो संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्य हैं, पंजीकरण के लिए पात्र हैं । जिस आवेदक को किसी विशेष क्षेत्र में निर्यात का अनुभव नहीं है, उसका भी पंजीकरण किया जा सकता है बशर्ते कि पंजीकरण प्राधिकारी आवेदक की सामान्य वाणिज्यिक पृष्ठभूमि, उसके औद्योगिक अनुभव या अन्य क्षेत्रों में उसके निर्यात निष्पादन के विषय में संतुष्ट हो । पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण के मामले में प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 149 के अंतर्गत अपील की जा सकती है ।

पंजीकरण शर्तें

295. (क) पंजीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी शर्तों के अधीन जारी किया जाएगा जिसे पंजीकरण प्राधिकारी आवश्यक समझे। पंजीकरण की एक शर्त यह होगी कि पंजीकृत निर्यातक तिमाही के बाद के महीने के पन्द्रहवें दिन तक निर्यात का एक तिमाही विवरण-पत्र (शून्य विवरण-पत्र सहित) पंजीकरण प्राधिकारी को भेजेगा ।

(ख) निर्यात संवर्धन परिषद् या पण्य वस्तु बोर्ड द्वारा किसी मद के लिए पंजीकरण उसी मद के लिए लागू होगा जिसका पृष्ठांकन पंजीकरण एवम् सदस्यता प्रमाण-पत्र में किया गया है । यह उसके आगे उपर्युक्त कण्डिका 293 में किए गए प्रावधानों के अधीन होगा ।

(ग) जो इंजीनियरी माल और हथकरघा प्राकृतिक रेशम की तैयार वस्तुओं के अलावा वस्त्र और तैयार वस्तुओं के संघटक, प्रतिपूर्ति लाइसेंसों की मंजूरी के लिए उनके विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर निर्भर करते हुए अलग-अलग उत्पाद ग्रुपों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं, उनके मामले में पंजीकृत निर्यातक अपने आपको किसी भी संबद्ध पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत करा सकते हैं । इसी प्रकार से बहुमूल्य/कम बहुमूल्य रत्नों की बनी वस्तुएं जैसे राखदानी, कलमदान आदि जो 'हस्तशिल्प' के अंतर्गत आते हैं, उनके मामले में निर्यातकों को अपने आपको हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् से पंजीकृत नहीं कराना होगा बशर्ते कि वे रत्न व आभूषण संवर्धन परिषद् के पास पहले ही पंजीकृत हैं । यदि लाइसेंस प्राधिकारी यह निश्चित कर देता है कि हस्तशिल्प के रूप में निर्यात किया गया उत्पाद वास्तव में किसी अन्य स्थान पर वर्गीकृत है तो उस मामले में भी आवेदक यदि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ पहले ही पंजीकृत है तो अन्य पंजीकरण प्राधिकारी से पंजीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी । ई. पी. एन. एस. सामान के निर्यातक जो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् से पंजीकृत हैं उन्हें इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् से अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी ।

मिश्रित मदों के लिए पंजीकरण

(घ) जिन मिश्रित मदों में अलग-अलग उत्पाद ग्रुपों के अंतर्गत आने वाली कच्ची सामग्री अर्थात् प्लास्टिक, इंजीनियरिंग आदि हों, उनके मामले में यदि प्रयोग की गई किसी विशेष कच्ची-सामग्री का मूल्य मिश्रित मद के मूल्य से 50% अधिक हो तो इतना ही पर्याप्त होगा कि आवेदक अपने आपको मिश्रित मद की मुख्य मात्रा के संबंध में संबद्ध पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत करा लें ।

परियोजना निर्यातों के लिए पंजीकरण

(ङ) "परियोजना निर्यात" के मामले में यदि निर्यातक इंजीनियरी संवर्धन परिषद् के पास पंजीकृत है तो उसके लिए विषयाधीन परियोजना में शामिल विभिन्न पण्य वस्तुओं से संबद्ध अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य वस्तु के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होगा ।

पंजीकरण की वैधता

(च) एक बार पंजीकृत कर लिए जाने के बाद पंजीकरण चार वर्षों के लिए अथवा इसके समाप्त होने के लाइसेंसिंग वर्ष की समाप्ति तक (पंजीकरण जारी होने की तारीख से) वैध रहेगा, जब तक कि निर्यातक पंजीकृत निर्यातक के रूप में निर्यात करना बन्द न कर दे या किसी कारण से उनका नाम अपंजीकृत कर दिया जाए या वह प्रमाण-पत्र रखने के लिए अपात्र न बन जाए ।

(छ) स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र में स्थित यूनिटों के मामले में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि संबद्ध पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट होगी ।

पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र की तिथि से पहले निर्यात

296. पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र देने की तिथि से 12 महीने से कम की तिथि से पहले पंजीकृत निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता प्रदान नहीं करेंगे । इस उद्देश्य के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की लागू तिथि वह तिथि होगी जिस तिथि को पूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त किया हो । गैर-महानिदेशक तकनीकी विकास एककों के मामले में पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-पत्र के भाग-2 को भरने के प्रयोजन के लिए प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तिथि इस कण्डिका के प्रयोजन के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख ही गिनी जाएगी । 12 माह की अवधि पर पहुंचने के लिए उस महीने को उसमें नहीं गिना जाएगा जिसके दौरान पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त किया जाता है । निर्यात की जो मदें केवल विदेशी मुद्रा की वसूली के बाद प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता प्रदान करती हैं उनके संबंध में 12 महीनों की अवधि निर्यात की अवधि से गिनी जाएगी और भुगतान की वसूली की तिथि से नहीं । निर्यातकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि निर्यात प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र यथा-समय प्रस्तुत करें ।

संगठन या स्वामित्व परिवर्तन

297. (1) जिस मामले में किसी पंजीकृत निर्यातक के स्वामित्व संगठन, नाम या पते में परिवर्तन हुआ हो इसके लिए परिवर्तन की सूचना 6 महीने के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को देनी आवश्यक होगी । यह पंजीकृत-विनिर्माता-निर्यातक तथा पंजीकृत व्यापारी-निर्यातक दोनों पर ही लागू होता है । तथापि, विनिर्माता निर्यातक के मामले में पंजीकरण प्राधिकारी यह भी सत्यापित करेगा कि परिवर्तन की अनुमति प्रायोजक प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है । उपरोक्त ऐसे परिवर्तन के लिए नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी । जब

आवेदक विनिर्माता निर्यातक से व्यापारी निर्यातक या इसके विपरीत बन जाता है तो यह उस पर भी लागू होगा ।

(2) मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात के कार्यालय में निर्यात आयुक्त निर्यातक द्वारा निर्धारित समय सीमा के दौरान अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न किये जाने की देरी को योग्यता के आधार पर क्षमा कर सकते हैं ।

(3) ऐसे मामलों में जहां परिवर्तन के बारे में अपेक्षित सूचना निर्धारित/अनुमेय अवधि में प्रस्तुत नहीं की जाती है या निर्यात आयुक्त द्वारा देरी को माफ नहीं किया जाता है तो निर्यातक को नए सिरे से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा ।

निर्यातकों का विपंजीकरण

298. (1) पंजीकरण प्राधिकारी निर्धारित या अनिश्चित अवधि के लिए और एक या अधिक निर्यात उत्पादों के लिए किसी निर्यातक को निम्नलिखित मामलों में विपंजीकृत कर सकता है :—

(क) निर्यातक में पंजीकरण के लिए अपेक्षित योग्यताएं न रही हों या उसने पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन किया हो; अथवा

(ख) निर्यातक किसी अनुचित, भ्रष्ट, कपटपूर्ण कार्य में फस गया हो या किसी निर्यात आभार को पूर्ण न कर सका हो; या

(ग) निर्यातक या साझेदारी होने के नाते, भागीदार या लिमिटेड कम्पनी होने के नाते उस का पूर्णकालीन संचालक या प्रबन्ध संचालक पिछले निर्यात के लिए आबंटित किसी भी कोटे को संतोषपूर्वक उपयोग करने में असफल रहा हो ।

(2) विपंजीकृत करने से पहले निर्यातक को सामान्यत: एक कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा ।

(3) पंजीकृत निर्यातक के विरुद्ध प्राप्त किसी शिकायत के संबंध में या लिखित रूप में रिकार्ड किये जाने वाले किसी विशेष और पर्याप्त कारण के सम्बन्ध में पड़ी हुई जांच के लिए पंजीकरण प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय के अपर मुख्य नियंत्रक या निर्यात आयुक्त या सम्बन्धित संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात, निर्यातक के पंजीकरण को निर्धारित अवधि के लिए निलम्बित रख सकते हैं ।

(4) जहां निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ से और सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य वस्तु बोर्ड से भी पंजीकृत हो, तो ऐसे निर्यातकों का एफ.आई.ई.ओ. द्वारा द्वारा विपंजीकरण स्वत: ही क्रमश निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य वस्तु बोर्ड के साथ उनके पंजीकरण के लिए लागू होगा । इसी प्रकार यदि ऐसा निर्यातक, निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य वस्तु बोर्ड से विपंजीकृत है तो यह संबंधित निर्यात उत्पाद(दों) के लिए भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के साथ उसके पंजीकरण के साथ उसके पंजीकरण के लिए स्वत: लागू होगा ।

(5) जहां एक स्टार व्यापार सदन/व्यापार सदन/निर्यात सदन/पंजीकृत निर्यातक किसी भी किस्म के गलत, दुराचारी या धोखे के कार्य में फंसे होने के कारण किसी पंजीकृत प्राधिकारी या निर्यात संवर्धन परिषद् या एफ. आई. ई. ओ. या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात अपर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात या निर्यात आयुक्त या सम्बन्धित संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा विपंजीकरण कर दिया जाता है तो यह निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य वस्तु बोर्ड एफ. आई. ई. ओ. सहित सभी पंजीकरण प्राधिकारियों के साथ स्वत: विपंजीकृत समझा जाए ।

(6) जब एक कम्पनी या फर्म को पंजीकृत किया जाता है या पंजीकरण को आस्थगन में रखा जाता है तो विपंजीकरण/आस्थागन आदेश में फर्म/कम्पनी के मालिक/साझेदार/संचालक के नामों का भी उल्लेख होगा ।

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा पंजीकरण और विपंजीकरण

299. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय के अपर मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात या निर्यात आयुक्त या सम्बन्धित संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात किसी निर्यातक को पंजीकृत या विपंजीकृत कर सकते हैं या ऐसा करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को निदेश दे सकते हैं । इस उपबंध के अन्तर्गत विपंजीकरण का आदेश उपर्युक्त पैरा 298 में आने वाले कारणों से दिया जा सकता है या उन मामलों में दिया जा सकता है जिन में निर्यातक ने विदेश व्यापार से संबंधित किसी कानून, नियम या विनियमन का उल्लंघन किया हो या विदेशी पार्टी के साथ ठेके का अपर्याप्त कारणों से उल्लंघन किया हो या विदेशी एजेन्ट को देय कमीशन की धनराशि चुकाने में असमर्थ रहा हो या किसी मांगी गई सूचना या आंकड़े भेजने में असफल रहा हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण जो निगाह में आए हों ।

भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध शिकायत

300. प्रत्येक निर्यातक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में निर्यात आयुक्त द्वारा की जाएगी । चूक करने वाली यूनिटों को चेतावनी के लिए कार्रवाई की जाएगी जिससे कि समद्रपार भारतीय निर्यात की प्रतिष्ठा को कायम रखा जा सके ।

निर्यातों का प्रमाणीकरण

301. (1) पोतलदान के समय पंजीकृत निर्यातक के पास सीमाशुल्क विभाग द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत पोत परिवहन बिल की एक निर्यात संवर्धन प्रति होनी चाहिए ।

(2) पोतलदान के बाद पंजीकृत निर्यातक को सौदा तय करने और/या बिलों को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी अर्थात् बैंक को निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करते समय उससे निर्यातों को प्रमाणित कराना चाहिए। निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करते समय उसे ''एक दम'' बिक्री के आधार पर किए गए निर्यातों के लिए परिशिष्ट-15घ (उपाबन्ध-1) में दिये गये प्रपत्र 1 में और परेषण के आधार पर/अनुमोदन के आधार पर किये गये निर्यातों के लिए परिशिष्ट 15घ (उपाबन्ध-2) में दिए गए प्रपत्र-2 में एक घोषणा (तीन प्रतियों में) भरनी चाहिये और बैंक को देनी चाहिये।

(3) बैंक निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को भारतीय रुपये में प्रमाणित करेगा और निर्यात दस्तावेजों के सन्दर्भ में आवश्यक सत्यापन के बाद घोषणा पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा। बैंक यह भी सत्यापन करेगा कि पोत परिवहन बिल सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत किया गया है या नहीं। इसके पश्चात् बैंक मूल प्रमाणपत्र को बैंक द्वारा साक्ष्यांकित बीजक की सम्बन्धित प्रति के साथ सम्बन्धित पंजीकृत निर्यातक को भेजेगा। दूसरी प्रति संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को भेजेगा और तीसरी प्रति अपने रिकार्ड के लिये रख लेगा। परेषण के आधार पर/अनुमोदन के आधार पर किये गये निर्यातों के मामले में बैंक जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य को प्रमाणित करेगा, उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और प्रपत्र संख्या 2 के अनुसार प्रमाण पत्र पंजीकृत निर्यातक को केवल तब भेजेगा जबकि निर्यात बिक्री की रकम वसूल कर ली गई हो, और भारतीय मुद्रा विनियम नियंत्रण विभाग को सौंप दी गई हो। एक से अधिक माल परेषण को शामिल करने वाला बैंक प्रमाण-पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत क्रियाविधि परिशिष्ट 2-ण में दी गई है। उन मामलों में जहां बैंक ने यह सत्यापित न किया हो कि जहाजरानी बिल सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए हैं और निर्यातक सम्बन्धित जहाजरानी बिल के बजाय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित निर्यात संवर्धन प्रति प्रस्तुत करता है तो लाइसेंस प्राधिकारी उसे स्वीकार कर सकता है यदि वह अन्यथा रूप से सही हो।

(4) आयात प्रतिपूर्ति की हकदारी की गणना करने के प्रयोजन के लिए विदेशी अभिकर्ता को भुगतान कर दिए गए या भुगतान किए जाने वाले कमीशन या छूट की धनराशि निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में से काट दी जाएगी।

(5) लेकिन, हाइड्रालिक परीक्षण और पेन्ट संबंधी भाड़ों प्रबंध और जहाज कुली संबंधी भाड़ों को जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की गणना करने के लिए लेखे में लिया जाएगा। ब्याज प्रभार भी जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के एक भाग के रूप में लेखे में केवल तभी लिए जाएंगे जबकि वे बीजक में अलग से दर्शाए गए हों और बैंक में ''ब्याज प्रभार'' सहित उस धनराशि के बिल के लिए सौदा कर लिया हो।

(6) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा निर्यातों के प्रमाणीकरण के लिए ऊपर उल्लिखित क्रियाविधि निम्नलिखित मामले में लागू नहीं होगी :—

(1) सिनेमेटोग्राफिक फिल्म (अभिदर्शित),
(2) डाक पार्सलों द्वारा मूल्य देय निर्यात,
(3) पुस्तकों, पत्रिकाओं और आवधिकों के निर्यात,
(4) विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में की गई बिक्री,
(5) अग्रिम भुगतान के प्रति विदेशी पर्यटकों को कालीनों का निर्यात,
(6) विदेश में संयुक्त उद्योगों में भारतीय सामान सहयोग के मद्दे मशीनरी और उपस्कर का निर्यात।

लाइसेन्सों के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की क्रियाविधि

302. (1) एक उत्पाद वर्ग में सभी उत्पादों के निर्यात के मद्दे आयात के लिए लाइसेन्सों के लिए समेकित आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र एवं विधि अनुसार उस लाइसेन्स प्राधिकारी को दिए जाने चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में, एक लिमिटेड कम्पनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय और अन्य पंजीकृत निर्यातकों के मामले में मुख्यालय स्थित हो। लाइसेन्स प्राधिकारी के नाम और उनके क्षेत्राधिकार परिशिष्ट 2ख में संकेतित है।

(2) वे क्षेत्रीय लाइसेन्स प्राधिकारी जिन के पास सामान्य क्षेत्राधिकार है वे पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत उन के क्षेत्राधिकार में स्थित निर्यातकों के सम्बन्ध में भी आयात लाइसेन्सों के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करेंगे।

(3) लेकिन पंजीकृत ठेकों या परियोजना निर्यातों के मामले में एक उत्पाद ग्रुप से सम्बन्धित सभी निर्यातों को शामिल करने के बजाय आवेदन-पत्र ठेकेवार या उत्पादवार भरे जा सकते हैं।

(4) लिमिटेड कम्पनी या पंजीकृत निर्यातक की शाखा के लिए यह छूट होगी कि वह अपने द्वारा किए गए निर्यातों के मद्दे आयात प्रतिपूर्ति लाइसेन्स के लिए उस लाइसेन्स प्राधिकारी से आवेदन करे जिसके अधिकार क्षेत्र में शाखा स्थित है बशर्ते कि ऐसी शाखा एक निर्यातक के रूप में अलग से पंजीकृत हो या इस संबंध में एक साक्ष्य प्रस्तुत करे कि लिमिटेड कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र विषयाधीन शाखा के लिए अन्य मामलों में वैध है। इस प्रकार के मामले में आवेदन-पत्र के साथ मुख्य कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय, जो भी हो, का एक प्रमाणपत्र इस संबंध में होना चाहिए कि उसने आवेदन-पत्र में शामिल निर्यातों के मद्दे किसी प्रतिपूर्ति लाइसेन्स का न तो दावा किया है और न करेगा।

आवेदन-पत्रों की आवृत्ति

303. पंजीकृत निर्यातक को एक माह या एक तिमाही (अप्रैल—जून) आदि या एक छमाही (अप्रैल—सितम्बर) अथवा एक

साल के दौरान किए गए निर्यात के आधार पर लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए । आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र हर महीने या तिमाही या अर्ध-वार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर जैसा भी पंजीकृत निर्यातक के लिए सुविधाजनक हो, भेजे जा सकते हैं । प्रत्येक निर्यातक यह सुनिश्चित करेगा कि वह किसी क्रियाविधि को अपनाना चाहेगा और इसकी सूचना आर. ई. पी. लाइसेन्स के लिए पहला आवेदन करते समय लाइसेन्स प्राधिकारी को लाइसेंसिंग वर्ष के प्रारम्भ में भेजेगा । यदि वह किसी भी क्रियाविधि को चुनने में असमर्थ रहता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने त्रैमासिक क्रियाविधि को चुना है । (लाइसेन्स अवधि के दौरान चुनाव के परिवर्तन के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी) । परेषण/अनुमोदन के आधार पर निर्यातों के मामले में ऐसे आवेदनपत्र इसी प्रकार से वसूल की गई बिक्री की रकम के सम्बन्ध में दिए जाने चाहिएं । रत्न के लिए आर. ई. पी. के लाइसेन्स के मामले में प्रक्रिया अध्याय-21 में भी दी गई है ।

आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा

304. (1) आयात प्रतिपूर्ति के लिए आवेदनपत्र ऐसे समय में भेजना चाहिए जिससे कि वह बिक्री की रकम की प्राप्ति की अवधि के अंत होने से तीन महीने के भीतर सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी को पहुंच जाए । उन मामलों में जहां बिक्री की रकम अग्रिमरूप में प्राप्त होती है या जहां निर्यात भारतीय रिजर्व बैंक के आस्थगित भुगतान शर्तों के आधार पर किए जाते हैं तो आयात प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा की गणना वास्तविक निर्यात की अवधि के संदर्भ में की जाएगी ।

(2) यदि एक निर्यातक एक विशेष निर्यात अवधि में एक उत्पाद वर्ग के अधीन अपने निर्यात से सम्बद्ध एक समेकित आवेदन-पत्र देने के बजाए एक से अधिक आवेदन-पत्र देता है तो लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे बाद वाले आवेदनपत्र (पत्रों) पर स्वीकार्य प्रतिपूर्ति के भीतर 5% परन्तु न्यूनतम 5000/- रुपये की शर्त के अधीन की कटौती कर के विचार कर सकता है । यह कटौती उससे अतिरिक्त होगी जो कि इस पैरा के उप-पैरा (3) के अधीन उसी आवेदन-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण लगाई जाए ।

(3) लाइसेन्स प्राधिकारी उन आवेदन-पत्रों (जिसमें रत्न के लिए आर. ई. पी./अतिरिक्त लाइसेन्सों के आवेदन-पत्र भी शामिल हैं) पर भी विचार कर सकता है जो निर्धारित समय के बाद मिलें अथवा जिसमें आवेदनपत्र देने की अंतिम तारीख के बाद त्रुटियों को सुधारा गया हो, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि आवेदनपत्र देने के लिए निर्धारित तारीख से तीन महीने के अंदर आवेदनपत्र पेश कर दिया जाए अथवा आवेदन-पत्र की त्रुटियों को सुधार दिया जाए । इस अवधि के बाद प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जा सकता । लेकिन ऐसी स्थिति में संबद्ध निर्यात के मद्दे स्वीकार्य आयात-प्रतिपूर्ति मूल्य में कटौती करके इस प्रकार के आवेदनपत्रों पर गुण-दोष के आधार पर लाइसेन्स प्राधिकारी विचार कर सकता है । उक्त मामले में, मूल्य में नीचे लिखे ढंग से कटौती की जाएगी :—

(1) निर्यात अवधि के अंतिम महीने से 6 महीने के बाद किन्तु 12 महीने के अंदर की अवधि में प्राप्त आवेदनपत्र . . . . 5% कटौती ।

(2) निर्यात अवधि के अंतिम महीने से 12 महीने के बाद किन्तु 18 महीने के अंदर की अवधि में प्राप्त आवेदनपत्र . . . . 10% कटौती ।

(3) निर्यात अवधि के अंतिम महीने से 18 महीने के बाद किन्तु 24 महीने के अंदर की अवधि में प्राप्त आवेदनपत्र . . . . 15% कटौती ।

(4) निर्यात अवधि के अंतिम महीने से 24 महीने के बाद की अवधि में प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार किए बिना ही कालातीत मानकर अस्वीकार कर लिया जाएगा ।

(4) जिन उत्पादों के निर्यात के मद्दे प्रतिपूर्ति केवल विदेशी मुद्रा की वसूली के बाद अर्हता प्राप्त करती है उनसे संबंधित देर से प्राप्त/त्रुटिपूर्ण आवेदनपत्रों में उस अवधि के हिसाब से कटौती की जाएगी, जब निर्यातकर्ता के खाते में राशि जमा करायी गयी हो, निर्यात अवधि के समय से नहीं ।

(5) रत्नों और आभूषणों तथा चलचित्र फिल्मों (एक्सपोज्ड) को छोड़कर वी. पी. पी. से निर्यात किए जाने वाले अन्य उत्पादों के मामले में पोस्ट मास्टर के प्रमाणपत्र अथवा सूचना पर्ची में दी गयी भुगतान की तारीख से आवेदनपत्र देने की सीमा का हिसाब लगाया गया ।

(6) जहां आवेदनपत्र आंशिक रूप से अपूर्ण हो अर्थात कुछ पोतलदानों से संबद्ध निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत न किए गए हों तो लाइसेंस प्राधिकारी आवेदनपत्र के उस अंश के लिए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकते हैं जिसके लिए पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हों । ऐसे मामलों में उस हिस्से के दावे को अपूर्ण हिस्से के दावे के कारण न रोका जाए जिसके आवश्यक दस्तावेज भेज दिए गए हों । यह उपर्युक्त उप-पैरा (3) में यथानिर्धारित कटौती की शर्त के अधीन है ।

पोतलदान/परेषण की तिथि

305. पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत आयात प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार करने के उद्देश्य से निर्यात की संबंधित तिथि निम्नलिखित अनुसार निश्चित की जाएगी :—

(क) सागर द्वारा पोतलदानों के मामले में निर्यात की तिथि निम्नलिखित अनुसार निश्चित की जाएगी :—

(1) पोत द्वारा निर्यातित ब्रेक-बल्क कार्गो के मामले में लदान बिल की तिथि अथवा अन्तिम

रसीद की तिथि इनमें जो भी बाद में होगी, वही निर्यात की तिथि होगी ।

(2) आधानीकृत कार्गों के मामले में पोत पर आधान के लदान का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए "पोत पर लदान बिल" की तिथि ही निर्यात की तिथि होगी । लेकिन आधार में निर्यात माल के लदान की तिथि का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए "पोत-लदान के लिए, लदान बिल के लिए प्राप्त" तिथि भी निर्यात की तिथि मानी जा सकती है यदि साख-पत्र ऐसे लदान बिल की विशेष रूप से व्यवस्था करता हो । अंतरदेशीय आधान डिपो (आई डी सी) आधानों द्वारा निर्यात के मामले में निर्यात की तिथि वही होगी जो सीमा-शुल्क द्वारा निकासी के बाद आई डी सी में निर्यात माल के लदान के समय पोत परिवहन एजेन्टों द्वारा जारी किए गए लदान बिल की तिथि हो ।

(3) लैश बार्ज द्वारा निर्यात के मामले में निर्यात तिथि वही होगी जो बार्ज पर उस निर्यात माल के लदान का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए लदान बिल की तिथि हो जिसको मात-पोत पर ले जाने वाले बार्ज तक ले जाना है ।

(ख) वायुयान द्वारा निर्यात के मामले में पोतलदान की वास्तविक तारीख या तो (1) वह तारीख जिसको सीमा शुल्क का उपयुक्त अधिकारी पोतलदान बिल पर निर्यात हेतु माल की निकासी और लदान को अनुमेय करने संबंधी आदेश देता है या (2) वह तारीख जिसको सीमाशुल्क का उपयुक्त अधिकारी पोतलदान बिल पर फ्लाइट संख्या और तारीख के संकेत चिन्ह के माध्यम से माल के वास्तविक लदान को अनुमेय करता है इनमें से जो भी बाद में हो, वही मानी जाएगी । जब निर्यात के लिए परेषित माल ऐसे एयर कारगो काम्पलेक्स को सौंपा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आगे माल भेजने के लिए और उसके बाद देश से बाहर भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है तो किसी भी यानान्तरण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी यदि निर्यात करने के लिए और एयर कारगो को सौंपे गए माल को देश से बाहर निर्यात करने से पहले उतारा लेने की अनुमति नहीं दी गयी है । इस बारे में सीमाशुल्क के उपयुक्त अधिकारी द्वारा एक प्रमाण-पत्र पोत परिवहन बिल पर दिया जाना चाहिए ।

(ग) डाक पार्सल द्वारा निर्यातों के मामले में निर्यात की तिथि डाक रसीद पर अंकित तिथि द्वारा निश्चित की जाएगी ।

(घ) रेल द्वारा निर्यातों के मामले में निर्यात की तिथि रेलवे रसीद की तिथि द्वारा निश्चित की जाएगी ।

(ङ) सड़क द्वारा निर्यात के मामले में निर्यात की तिथि स्थल सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित माल भेजने की तिथि द्वारा निश्चित की जाएगी ।

आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

306. लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र सब प्रकार से पूर्ण और आवेदन शुल्क के लिए उचित धनराशि के लिए बैंक रसीद/दर्शनी हुण्डी और अन्य निर्धारित दस्तावेजों द्वारा समर्थित भेजने चाहिएं ।

307 (1) जिन निर्यातों के मद्दे आयात के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है उसका ब्यौरा निर्दिष्ट करते हुए परिशिष्ट 15-च में दिए गए प्रपत्र में प्रतिलदान के बिल की ई. पी. प्रति और निर्यातों का विवरण आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए ।

307 (2) इसके अतिरिक्त निर्यातक अपने बैंकरों के नामों की घोषणा करेगा जिनके माध्यम से उसका सारा लेन-देन होता है, साथ ही संबंधित बैंक से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा किए गए निर्यात के मद्दे निर्यात लाभों की वसूली 6 महीने से अधिक अवधि से बकाया नहीं है । बैंक के इस प्रमाण पत्र में बकाया राशि और उसकी अवधि यदि वह 6 महीने से अधिक बकाया है का भी उल्लेख किया जाना चाहिए । (प्रमाण-पत्र का प्रपत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट-15-ट में दिया गया है) यदि प्रमाण पत्र यह इंगित करता है कि कोई बकाया राशि नहीं है तो आर. ई. पी. लाइसेंस तुरन्त जारी कर दिया जाएगा । यदि बकाया राशि छः महीने से अधिक से लम्बित है और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई समय-तविध प्रदान नहीं की है तो बकाया राशि देय आर. ई. पी. लाइसेंस के मूल्य के मद्दे समायोजित कर ली जाएगी और शेष राशि बकाया राशि की वसूली के बाद समायोजित मूल्य का लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा ।

(3) तथापि, यदि निर्यात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित विशिष्ट आस्थगित भुगतान शर्तों पर किया गया है तो आर. ई. पी. लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं, बशर्ते कि निर्यातक उपरोक्त दस्तावेजों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित आस्थगित शर्तों की एक प्रति भी प्रस्तुत करता है ।

308. तथापि, काटे और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात के मामले में भी निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी :—

(1) काटे और पालिश किए हुए हीरों के निर्यातकों के मामले में जिनका विगत निर्यात निष्पादन 3 सालों से कम है, उन्हें बैंक वसूली प्रमाणपत्र के आधार पर आर. ई. पी. लाइसेंस जारी किए जाएंगे । उस मामले से जहां निर्यात अपरिवर्तनीय साख-पत्र द्वारा समर्थित है या जहां निर्यातक आर. ई. पी.

लाइसेंस के मूल्य के 30% मूल्य के लिए बैंक गारंटी देता है तो बैंक वसूली प्रमाण-पत्र पर जोर दिए बिना ही लाइसेंस जारी किया जा सकता है बैंक गारंटी उसी बैंकर द्वारा जारी की जाएगी जिसने निर्यात के दस्तावेजों का विनिमय किया है और वह एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए गारंटी देने वाले बैंक और निर्यातक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस अवधि के भीतर बैंक वसूली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर बैंक गारंटी स्वयं जब्त हो जाएगी और राशि सरकार को प्राप्त हो जाएगी । (प्रति-भूति बन्ध-पत्र का प्रपत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट-15-ठ में दिया गया है) । ऐसी सम्भाव्यता पर गारंटी को जारी किए गए लाइसेंस का मूल्य भी उसके बाद के वर्षों के मद्दे समायोजित कर लिया जाएगा ।

(2) उन निर्यातकों के मामले में जिनका निर्यात निष्पादन कम से कम 3 वर्षों का है को बैंक वसूली प्रमाण-पत्र पर जोर दिए बिना आर. ई. पी. लाइसेंस जारी किए जाएंगे । अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय पंजीकृत निर्यातक उन बैंकरों का नाम देते हुए जिनके साथ निर्यातक का लेन-देन है इस आशय के प्रमाण-पत्र के साथ कि निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के मद्दे बिक्री से लाभ की वसूली, जिनके दस्तावेजों का विनिमय उनके द्वारा किया गया था 6 माह से अधिक से बकाया नहीं है, के साथ एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करें । बैंक के प्रमाण-पत्रों में बकाया राशि और उसकी अवधि का भी उल्लेख किया जाए यदि वह 6 महीने से अधिक से बकाया है (प्रमाण-पत्र का प्रपत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट-15-ट में दिया गया है) । यदि प्रमाण-पत्र से यह स्पष्ट होता है कि 6 महीने से पहले की अवधि की कोई बकाया राशि नहीं है तो आर. ई. पी. लाइसेंस तुरन्त जारी कर दिया जाएगा । यदि बकाया राशि 6 महीने से अधिक से है तो बकाया राशि देय आर. ई. पी. लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा । लाइसेंस का समायोजित मूल्य बकाया राशि की वसूली के बाद जारी किया जाएगा ।

(3) उपर्युक्त उप-पैरा (2) में कुछ भी दिए जाने के बावजूद यदि बकाया राशि निर्यात की तीन या अधिक खेपों के लिए देय है या ऐसी बकाया राशि 50 लाख रू. से अधिक है तो निर्यातक उपर्युक्त उप-पैरा (1) की श्रेणी के अधीन शामिल माना जाएगा और आर. ई. पी. लाइसेंस जारी करने के लिए उसके आवेदन-पत्र पर ऐसे मामलों में लागू नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

309. (1) आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस को जारी करने के लिए आवेदनपत्र के साथ इस पुस्तक के परिशिष्ट-15-झ में यथा-निर्दिष्ट निर्यात उत्पादों की श्रेणी यथा दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना है ।

(2) उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त एक पंजीकृत निर्यातक/निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन ऐसे अन्य दस्तावेज/सूचना जो भी आवश्यक समझी जाए लागू आयात नीति तथा प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करेगा ।

310. निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र की एक प्रति इस आशय के घोषणा-पत्र के साथ कि इसे रद्द अथवा वापिस नहीं लिया गया है प्रस्तुत करेगा ।

निर्यात के लिए हवाई जहाज से भेजे जाने वाले माल का समेकन

311. (1) कुछ ऐसे जहाज एजेन्ट हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन परिवहन संघ (आई ए टी ए संघ) द्वारा अनुमोदन तथा प्रमुख एयर लाइनों द्वारा मान्यता प्राप्त है । प्रत्येक अनुमोदित आई ए टी ए संघ एजेन्ट का अलग आई ए टी ए संघ कोड नम्बर है । ऐसे एजेन्ट अलग-अलग निर्यातकों के लिए हवाई जहाज से भेजने के लिए माल के समेकन की व्यवस्था करते हैं । इस व्यवस्था के अन्तर्गत हवाई जहाज से विदेश को माल भेजने वाले अलग-अलग निर्यातकर्ताओं को उनके द्वारा दिए जाने वाले हवाई भाड़े में लाभ प्राप्त होगा ।

(2) इस सुविधा का लाभ उठाने वाले निर्यातकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंद्ध लदान बिल को सीमा शुल्क प्राधिकारियों से विधिवत् पारित तथा अधिप्रमाणित कराए । ऐसे अलग-अलग प्रेषण परिवहन बिलों से संबंधित सामान समेकक द्वारा इकट्ठा किया जाएगा जो आई ए टी ए संघ के अनुमोदित अभिकर्ता है । समेकक एक मास्टर हवाई बिल (एम. ए. बी.) तैयार करेगा । मास्टर हवाई बिल में यथा उल्लिखित निर्यात किये गए माल का विवरण इस प्रकार दिया जाएगा "संलग्न सूची के अनुसार समेकित माल" । मास्टर हवाई बिल में निर्दिष्ट सूची में प्रत्येक परेषण के संबंध में निर्यातकर्ता का नाम, माल का विवरण और उसकी मात्रा और वजन, लदान बिल सं. और हाउस हवाई बिल सं. दी जाएगी । हाउस हवाई बिल (एच. ए. बी.) समेकक द्वारा हर ऐसे निर्यातकर्ता को जारी किया जाएगा । जिससे संबंधित परेषणों का माल इकट्ठा किया गया है । हाउस हवाई बिल से संबंधित अलग-अलग निर्यातकर्ता के परेषण के वे सभी ब्यौरे दिए जाएंगे जो कि सामान्य हवाई बिल में दिए जाते हैं । विषयाधीन माल मास्टर हवाई बिल के आधार पर जहाज द्वारा निर्यात किया जाएगा । ऐसे निर्यातों के मामलों में जहां आयात प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए हवाई बिल प्रस्तुत किया जाता है, उनमें बैंक और लाइसेंस प्राधिकारी यदि वे अन्यथा रूप से सही हों तो स्वीकार करेंगे बशर्ते कि संबंधित एयर लाइन द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाए और उस मास्टर हवाई बिल की संख्या और तारीख का उल्लेख

कर दिया जाए जिसका वह हिस्सा है । प्रमाण पत्र इस प्रकार होना चाहिए :

इस हाउस हवाई बिल में बताया गया माल मास्टर हवाई बिल सं. दिनांक द्वारा निर्यात किया जा चुका है ।

अलग-अलग निर्यातकर्ता अपने-अपने हाउस हवाई बिल बैंक प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए बैंकों को प्रस्तुत करेंगे और जहां कहीं भी आवश्यक हो, पंजीकृत निर्यातकर्ताओं से संबंधित आयात नीति के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के दावों के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों को भी पेश करेंगे ।

(3) ऐसे मामलों में निर्यात की तारीख मास्टर हवाई बिल की तारीख मानी जाएगी जो कि संबंधित एयर लाइन द्वारा हवाई बिल में उल्लिखित की गई होगी । आयात आपूर्तियों के लिए निर्यात सामग्री का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य निकालने के लिए निर्यातकर्ता द्वारा समेकक को (आई ए टी ए संघ) एजेन्ट) अदा किए गए हवाई भाड़े की राशि को लेख में शामिल किया जाएगा । सत्यापन के लिए आई ए टी ए संघ एजेन्ट में लाइसेंस प्राधिकारियों को भारतीय हवाई सामान एजेन्ट संस्था के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं और गन्तव्य स्थानों के लिए निर्यातकर्ताओं से वसूल की जाने वाली हवाई भाड़ा दरों की अपनी प्रकाशित अनुसूचियों की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे ।

(4) उपर्युक्त पैरा 2 में बताई गई विधि के अनुसार ... में भेजे जाने वाले सामान के लिए निर्यातकों ... निर्यात ठेका निष्पादित करते समय माल पत्र में इस आशय का आवश्यक खंड भी शामिल करना चाहिए ताकि ऐसे निर्यातों ... निर्यात की राशि वसूल की जा सके ।

(5) ऐसे मामलों में निर्यातकों को अन्य सभी निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।

निर्यात के मूल बैंक प्रमाण पत्र शिपिंग बिल की ई. पी. प्रति का खोया जाना

3.2 (1) निर्यात के मूल बैंक प्रमाणपत्र अथवा लदान बिल की ई. पी. प्रति खो जाने के मामले में पंजीकृत निर्यातकों से आर. ई. पी. लाइसेंसों की मंजूरी के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर संबंधित लाइसेंसिंग कार्यालय जिसका प्रधान उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के स्तर से कम न हो और जिसके क्षेत्राधिकार में पंजीकृत कम्पनी का मुख्यालय/फर्म स्थित है, द्वारा विचार किया जाएगा । यदि किसी मामले में पात्र आवेदक का कार्यालय ऐसे लाइसेंसिंग कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है जिसका प्रधान उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के स्तर से कम का है तो उस मामले में आवेदन-पत्र सीधे ही संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त मुख्य नियंत्रक को भेजे जाएं परन्तु एक अतिरिक्त आवेदन-पत्र सहायक मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को भी भेजा जाए जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक आता है । ऐसे आवेदन-पत्रों के साथ निम्नोक्त प्रलेखों को भी संलग्न किया जाएगा ।

(1) नौवहन बिल की ई. पी. प्रति; अथवा सीमा शुल्क से या प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र कि निर्यात वास्तव में प्रभावी किए गए हैं;

(2) सभी निर्धारित प्रलेख मूल रूप में;

(3) संबंधित बैंक द्वारा खोए गए मूल प्रमाण-पत्र के बदले जारी किए गए निर्यात के बैंक प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति; अथवा सीमा शुल्क से या प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र कि निर्यात वास्तव में प्रभावी किए गए हैं;

(4) बैंक से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि उक्त निर्यातों के संबंध में विदेशी मुद्रा वसूल कर ली है;

(5) मूल बैंक प्रमाण-पत्र अथवा पोतलदान बिल की ई. पी. प्रति खोए जाने के संबंध में निर्यातक द्वारा इस वायदे के साथ एक हलफनामा कि बाद में यदि वह पाया गया तो इसे संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लौटा दिया जाएगा; और

(6) निर्यातक द्वारा इस आशय का एक क्षतिपूर्ति बाण्ड कि खोए गए बैंक प्रमाण-पत्र पर जारी आर. ई. पी. के मद्दे यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति रुपये में करेगा ।

(2) निर्यात के मूल बैंक प्रमाण-पत्र तथा पोतलदान बिल की ई. पी. प्रति दोनों के खोए जाने के मामले में कोई आर. ई. पी. लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा । संबंधित निर्यात के प्रभावी किए जाने के बैंक के प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत किए जाने पर आर. ई. पी. अनुमित किया जा सकता है ।

(3) खोए गए मूल बैंक प्रमाण-पत्र पर दावों के लिए अनुमेय समय और आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के मूल्य में कमी निम्न प्रकार से की जाएगी :—

(1) निर्यात अवधि के अंतिम महीने से 6 महीने की अवधि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर 10% तक की कटौती;

(2) निर्यात अवधि के अंतिम महीने से 6 महीने की अवधि के उपरान्त परन्तु 12 महीने के भीतर प्राप्त आवेदन-पत्रों पर 15% तक की कटौती;

(3) निर्यात अवधि के अंतिम महीने से 12 महीने की अवधि के उपरान्त परन्तु 18 महीने के भीतर प्राप्त आवेदन-पत्रों पर 20% तक की कटौती;

(4) निर्यात अवधि के अंतिम महीने से 18 महीने की अवधि के उपरान्त परन्तु 24 महीने के अंदर प्राप्त आवेदन-पत्र पर 25% तक की कटौती;

(5) निर्यात अवधि के अंतिम महीने से 24 महीने की अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन-पत्रों को "काल बाधित" रूप में सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

(3) ऐसे सभी मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी निर्यातों के मूल बैंक प्रमाण पत्र के खो जाने पर आर ई पी हकदारी पर 10 प्रतिशत कटौती लगाएंगे । यह 10 प्रतिशत की कटौती अन्य निर्धारित कटौतियों के अतिरिक्त होगी ।

निर्यात उत्पादों का वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण

313. निर्यात उत्पादों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के लिए सुझाव पूर्ण औचित्य, आयात प्रतिपूर्ति की दर के संबंध में समर्थक आंकड़े के साथ सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य वस्तु बोर्ड के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (ई.पी. सेल), नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं ।

आर. ई. पी. हकदारियों के मद्दे पूंजीगत माल का आयात

314. (1) आयात-निर्यात नीति, 1990-93 के पैरा 195 में किए गए प्रावधानों के अनुसार वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) को उपकरणों एवं उनके उपसाधित्रों गैर खुला लाइसेंस पूंजीगत माल सहित (परिशिष्ट 1 पैरा क, 2 भाग ख और 8) तथा स्वदेशी निकासी के बिना उसके द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के मद्दे जारी आर. ई. पी. लाइसेंस (सों) के मद्दे बैलेन्सिंग उपकरणों का आयात करने की अनुमति होगी । पात्र विनिर्माता-निर्यातक संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से जिसके क्षेत्राधिकार में वास्तविक उपयोक्ता की फैक्टरी स्थित है निम्नलिखित दस्तावेजों सहित संपर्क कर सकते हैं :—

(क) औद्योगिक लाइसेंस की प्रमाणित प्रति या संबद्ध औद्योगिक यूनिट के पंजीकरण की प्रमाणित प्रति।

(ख) एक मूल रूप में घोषणा कि आवेदित मशीनरी का आयात आवेदक यूनिट की लाइसेंस/स्वीकृत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सफल नहीं होगी ।

(ग) आर.ई.पी. लाइसेंसों का विवरण देने वाली विवरणी अर्थात् आर. ई. पी. लाइसेंसों का नम्बर तथा मूल्य या जिनके मद्दे लाइसेंस जारी होने हैं, उन लम्बित आर. ई. पी. आवेदन-पत्रों के ब्यौरे, जिनके मद्दे उक्त मशीनरी का आयात किया जाना है ।

(घ) आयात की जाने वाली मशीनरी का संपूर्ण ब्यौरा । (पांच प्रतियां)

(2) इन प्रावधानों के अंतर्गत एक से अधिक आर. ई. पी. लाइसेंसों को समेकित किया जा सकता है ।

(3) इन प्रावधानों के अंतर्गत मशीनरी आयात के उद्देश्य के लिए समर्पित किए जाने वाले आर. ई. पी. लाइसेंस पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन की जाने वाली तारीख को उसकी वैधता की अवधि से कम से कम तीन महीने अप्रयुक्त शेष होने चाहिए । आर.ई.पी. लाइसेंसों/आर.ई.पी. हकदारी के मद्दे जारी पूंजीगत लाइसेंस की वैधता अवधि भी वही होगी जो सामान्यतः पूंजीगत माल लाइसेंस पर लागू होती है । ऐसे पूंजीगत माल लाइसेंसों को पुनः वैधीकरण पूंजीगत माल लाइसेंसों के लिए निर्धारित नीति के अंतर्गत ही अनुमेय होगा ।

स्वदेशी सामान द्वारा आयात के सामान का प्रतिस्थापन

315. (1) वैध आर. ई. पी. लाइसेंस या वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस धारकों को स्वदेशी सामान की सप्लाई के लिए नीति आयात-निर्यात नीति के अध्याय 15 में निर्धारित की गई है ।

(2) लाइसेंस धारक से अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी, स्वदेशी उत्पादक को लाइसेंस में दिए गए या लाइसेंस में शामिल माल के विवरण को इंगित करते हुए आयात लाइसेंस के मूल्य की सीमा तक और मूल्य को घटाते हुए इस पुस्तक के परिशिष्ट 15ज में दिए गए प्रपत्र में स्वदेशी रिलीज आदेश को तीन प्रतियों में जारी करेगा ।

(3)ह स्वदेशी रिलीज आदेश की मूल प्रति आवेदक को भेजी जाएगी, दूसरी प्रति स्वदेशी उत्पादक को और तीसरी प्रति संबंधित उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में विदेशी उत्पादक की फैक्टरी स्थित है ।

(4) स्वदेशी उत्पादक माल और उसके मूल्य की प्राप्ति के लिए स्वदेशी रिलीज आदेश धारक से चुकौती प्राप्त करेगा । निकासी आदेश की मूल प्रति उसे अपने पास रख लेनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के रूप में माना जाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जिसके लिए देशी उत्पादक द्वारा माल का संभरण किया गया है या वह मूल्य होगा जो रिलीज आदेश का मूल्य है, इसमें जो भी कम हो ।

(5) स्वदेशी उत्पादक आर. ई. पी. लाइसेंसों के लिए संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में उसकी फैक्टरी स्थित है, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा :—

(1) मद के नाम उसकी गुणवत्ता तकनीकी विशेषताएं, मात्रा और मूल्य सहित किए गए संभरण का साक्ष्य दर्शाते हुए स्वदेशी रिलीज आदेश की मूल प्रति।

(2) भुगतान की प्राप्ति को इंगित करने वाला बैंक प्रमाण पत्र ।

(3) स्वदेशी उत्पादक जिन मदों के विनिर्माण के लिए प्राधिकृत है उन्हें इंगित करते हुए लघु उद्योग/महानिदेशालय तकनीकी विकास के पंजीकरण प्रमाणपत्र/औद्योगिक लाइसेंस, जैसा भी मामला हो, की प्रमाणित फोटो प्रति ।

(4) आवेदक के नाम में संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी वैध पंजीकरण व सदस्यता प्रमाणपत्र की फोटो प्रति, और

(5) यदि आयात प्रतिपूर्ति की दर माल के संयोजन/अंतर्वस्तु पर निर्भर है तो मूल माल के संयोजन/अन्तर्वस्तु के बारे में एक घोषणा पत्र ।

रोडरूम में इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् गोदाम के इंजीनियरी माल का निर्यात

316. (क) पंजीकृत निर्यातक जो पिछले लगातार तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान/विदेश में अंतिम तौर पर बिक्री के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा अनुरक्षित रोडरूम गोदाम में इंजीनियरी माल को रखने की अनुमति होगी । ऐसे निर्यात प्रारम्भ में लागू होने वाली आई. आर. दर की 80% दर पर आयात प्रतिपूर्ति लाइसेन्स के भी पात्र हैं शेष 20 प्रतिशत की हकदारी विदेशी मुद्रा की वसूली के बाद अनुमित होगी । विदेशी मुद्रा की वसूली निर्यात की तारीख से 15 महीने की अवधि के भीतर या ऐसी वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमेय तारीख तक की जाएगी ।

(2) उपर्युक्त सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी :—

(क) आवेदक को अगले तीन वर्षों की एक ठोस निर्यात योजना इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् को उनकी संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करनी होगी ।

(ख) लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा आदिक किसी प्रतिकूल बात के लिए नोटिस में नहीं आया हो या विवर्जित नहीं किया गया हो लंबित नहीं रखा गया होना चाहिए । आवेदक को इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करके आर. ई. पी. के आवेदन के साथ संलग्न करना होगा । यह सुविधा उस आवेदक को तब तक नही मिलेगी जब तक उसके ऊपर लगा विवर्जन/विलम्बन आदेश वापस नही ले लिया गया हो ।

(3) इस अध्याय में निहित संगत उपबंधों के होते हुए भी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :—

(क) आर. ई. पी. लाइसेंस लेने के लिए प्रत्येक प्रेषण हेतु निर्यात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर अलग-अलग आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करने होंगे ।

(ख) आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :—

(1) लदान बिल की ई. पी. प्रति,

(2) बीजक की बैंक प्रमाणित प्रति,

(3) करार करने वाले बैंक द्वारा प्रमाणित जी.आर.-1 फार्म की फोटो-प्रति,

(4) इस पुस्तक के परिशिष्ट 15-च के उपाबंध-5 में दिए गए प्रोफार्मा में निर्यात का अन्तिम बैंक प्रमाण-पत्र, और

(5) विदेशी मुद्रा की कमी/वसूली न होने पर तथा इस उपाबंधों के अंतर्गत प्राप्त आर. ई. पी. लाइसेंसों में मूल्यों के बीच के अंतर के बराबर का समान उत्पाद समूह का आर. ई. पी. लाइसेन्स वापस करने की एक वचनबद्धता ।

(4) किसी परेषण से संबंधित माल की विदेशी में बिक्री के बाद, आर. ई. पी. लाइसेंसों से संबंधित अंतिम तौर पर समायोजन के लिए आवेदन पत्र विदेशी मुद्रा की वसूली की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। इसे परेषण आधार पर निर्यात माना जाएगा । इसलिए निर्यात के लिए बैंक प्रमाण-पत्र सहित आवेदन-पत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट 15च के उपबंध-दो दिए गए प्रोफार्मा में भेजा जाना चाहिए ।

निर्यात ठेकों का पंजीकरण

317. निर्यात की वृद्धि को स्थायी बनाए रखने के प्रयोजन से ठेके के पंजीकरण के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है । आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खंड-1) के अध्याय 20 में इसके विवरण दिए गए हैं ।

अध्याय-16

अभिग्रहीत निर्यात

318. इस पुस्तक के अध्याय-15 में हकदारी और आयात प्रतिपूर्ति लाभ प्रदान करने के संबंध में उल्लिखित प्रकिया **"अभिग्रहीत निर्यातों" के लिए भी लागू होगी ।**

319. आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस लेने के लिए आवेदन-पत्र देने की प्रक्रिया नीचे दी गई है । परिशिष्ट-16-ङ में भेजे जाने वाले दस्तावेज दिए गए हैं ।

कर मुक्त लाइसेंसों के मद्दे की गई आपूर्ति के संबंध में आर. ई. पी. लाइसेन्स जारी करने के लिए आवेदन-पत्र देने की प्रक्रिया

320. (1) किसी मद का स्वदेशी उत्पादक उस मद को वैध कर मुक्त लाइसेंसधारी को संभरित कर सकता है, यदि उक्त मद कथित लाइसेंस पर आयात के लिए अनुमेय हो । ऐसी आपूर्ति को केवल इन उद्देश्यों के लिए "अभिगृहीत निर्यातों" के रूप में माना जाएगा (1) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन यथा अनुमेय आयात प्रतिपूर्ति, और (2) पूंजीगत माल औद्योगिक लाइसेंस या विदेशी सहयोग अनुमोदन या किसी अन्य स्कीम के अधीन स्वदेशी उत्पादकों पर लगाए गए निर्यात आभार का अनुपालन, यदि कोई हो ।

(2) उन मामलों में जहां स्वदेशी उत्पादक बेचने का इच्छुक हो और कर मुक्त लाइसेंसधारी विचाराधीन माल को खरीदने का इच्छुक हो तो कर मुक्त लाइसेंसधारी को स्वदेशी उत्पादक से प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित और उक्त लाइसेंस में शामिल माल का पूरा विवरण, मात्रा और मूल्य निर्दिष्ट करते हुए लाइसेंस जारी करने वाले लाइसेन्स प्राधिकारी से विशेष अनुरोध करना चाहिए ।

(3) ऐसे निवेदन की प्राप्ति पर लाइसेंस प्राधिकारी संभरक का नाम और पूरा पता, आपूर्ति के लिए प्रस्तावित मद का पूरा ब्यौरा, मात्रा और मूल्य दर्शाते हुए तीन प्रतियों में अग्रिम रिलीज

आदेश जारी करेगा साथ ही साथ लाइसेंसिंग प्राधिकारी कर मुक्त लाइसेंस का मूल्य इस सीमा तक कम करते हुए, मात्रा और मूल्य दर्शाते हुए डी. ई. सी. बुक के भाग-ग के नामे डालेगा । रिलीज आदेश की दो प्रतियां कर मुक्त लाइसेंसधारक को दी जाएंगी और तीसरी प्रति लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा सीधे ही स्वदेशी संभरक के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।

(4) स्वदेशी उत्पादक माल की प्राप्ति और उसके मूल्य के लिए रिलीज आदेशधारी से (भुगतान) रसीद प्राप्त करने के बाद अग्रिम रिलीज आदेश की मूल प्रति अपने पास रखेगा । उसे आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 302 के अनुसार जिस संबंध में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय स्थित है उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आपूर्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर मासिक, तिमाही/छमाही या वार्षिक आधार पर आवेदन-पत्र भेजना चाहिए । आवेदन-पत्र के साथ परिशिष्ट-16-ङ में उल्लिखित दस्तावेज/सूचना संलग्न होने चाहिएं ।

(5) आयात प्रतिपूर्ति की संगणना जहाज पर निःशुल्क मूल्य के आधार के बजाय रेल पर निःशुल्क मूल्य (निकटतम रेल हैड) के आधार पर की जाएगी ।

(6) अग्रिम विमुक्ति आदेश, जिस कर मुक्त के मद्दे यह जारी किया गया है उसकी समाप्ति की तिथि तक वैध होगा ।

(7) अग्रिम विमुक्ति आदेश, का नमूना इस पुस्तक के परिशिष्ट-15ज में दिया गया है ।

आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड-1) के पैरा 206 (ख) (ग), (घ), (झ) और (ठ) के अधीन आने वाले "अभिप्रहीत" निर्यातों" की श्रेणियों के लिए आवेदन-पत्र देने की प्रक्रिया

321. (1) आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र संबद्ध क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को भेजने चाहिएं ।

(2) आवेदन-पत्र प्राप्त भुगतानों के आधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर, मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर, परिशिष्ट-16-क और परिशिष्ट-16-ङ में निर्धारित दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र में दिया जाना चाहिए । लेकिन आयात प्रतिपूर्ति की परिगणना माल के संभरण की तारीख जिसे निर्यात तारीख के रूप में लिया जाएगा, के संदर्भ में की जाएगी, परन्तु इसमें पंजीकृत संविदाएं जिनके लिए संगत प्रावधान लागू होंगे, शामिल नहीं होगी ।

(3) उन मामलों में जहां परियोजना प्राधिकारी ने केवल आंशिक भुगतान ही किया हो परन्तु आवेदक ने किए गए पूर्ण संभरण के लिए आवेदन-पत्र दिया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी प्राप्त भुगतान की सीमा तक ही दावे पर विचार करेंगे/परियोजना प्राधिकारी द्वारा पूर्ण भुगतान किए जाने पर, आवेदक को शेष प्राप्त भुगतान के संबंध में परियोजना प्राधिकारी से एक और प्रमाण-पत्र लाइसेंस प्राधिकारी को देना चाहिए जिसके आधार पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदक को यथा स्वीकार्य पूरक आर. ई. पी. लाइसेंस जारी करेगा ।

(4) भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य बहुराष्ट्रीय अभिकरण, को की गई आपूर्तियों या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक बोली जिसके लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त किया हो, के मद्दे की गई आपूर्ति के मामले में आवेदन-पत्र मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर, भुगतान की प्राप्ति के आधार पर दिए जाएंगे । लेकिन, आयात प्रतिपूर्ति की संगणना आपूर्ति की तारीख जिसे निर्यात की तारीख के रूप में लिया जाएगा, को लागू दर पर की जाएगी परन्तु इसमें पंजीकृत संविदाएं जिनके लिए संगत प्रावधान लागू होंगे, शामिल नहीं हैं । आयात आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिए जाने चाहिएं और परिशिष्ट-16-ङ में उल्लिखितानुसार दस्तावेज संलग्न होने चाहिएं ।

(5) भारत में की गई आपूर्तियों के मामले में आयात प्रतिपूर्ति की संगणना जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बजाए रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के आधार पर की जाएगी ।

विदेशी पर्यटकों को बिक्री और दूतावासों/उच्च आयोगों में विदेशी राजनयिक कर्मियों, व्यापार प्रतिनिधियों को वाहनों सहित देश में विनिर्मित कंप्यूटर डयूरेबल्स का भारत में किया गया संभरण

322. (1) (क) पंजीकृत निर्यातक जिनके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया "प्राधिकृत मनी चेंजर्स लाइसेंस" हो वह (1) विदेशी पर्यटकों को बिक्री और (2) दूतावासों/उच्चायोगों में विदेशी राजनयिक/व्यापार प्रतिनिधियों को देश में विनिर्मित वाहनों सहित कंज्यूमर डयूरेबल्स के संभरण के मद्दे प्रतिपूर्ति लाइसेंस की मंजूरी के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि "प्राधिकृत मनी चेंजर्स लाइसेंस" के तहत अनुमेय तरीके से मुक्त विदेशी मुद्रा में अदायगी प्राप्त की जाए । भारत से बाहर बैंकों के नाम काटे गए चेकों के मामले में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि चैक की रकम वसूल कर ली गयी है । अन्य सभी मामलों में इस आशय का प्रमाण-पत्र काफी होगा कि चैक/धनराशि भारतीय मुद्रा नियंत्रण विभाग को सौंप दिए गए हैं ।

(2) वाणिज्य मंत्रालय और/या मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात यदि उचित समझें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश कर सकते हैं ।

(3) रत्नों और आभूषणों से भिन्न मदों की बिक्री के संबंध में निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी :—

(क) पंजीकृत निर्यातक को मुद्रित, क्रमानुसार संख्यांकित वाउचर बुक रखनी होगी । एक नमूना वाउचर इस पुस्तक के परिशिष्ट—16ख में दिया गया है,

(ख) प्रत्येक बिक्री वाउचर पर्यटक का नाम और राष्ट्रिकता, उसके पासपोर्ट की संख्या, बेची गयी

मद का विवरण, विदेशी मुद्रा में बिक्री का मूल्य और उसके तुल्य रुपए के संबंध में ब्यौरा दर्शाते हुए तीन प्रतियों में होगा,

(ग) मूल बिक्री वाउचर पर्यटक को उसके निजी प्रयोग के लिए दे दिया जाएगा,

(घ) वाउचर की दूसरी प्रति व्यापारी द्वारा प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ भेजी जाएगी, और

(ङ) तीसरी प्रति व्यापारी को उसके निजी रिकार्ड के लिए अपेक्षित होगी ।

(4) विदेशी मुद्रा/यात्री चैकों के बदले भारत में विदेशी पर्यटकों को रत्नों और आभूषणों की मदों की बिक्री के संबंध में पंजीकृत निर्यातक जोकि एक अनुमोदित जौहरी भी होगा, को निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा :—

(क) पंजीकृत अनुमोदित जौहरी को मुद्रित क्रमवार संख्यांकित वाउचर बुक रखना होगा जिसका ब्यौरा अग्रिम रूप से लाइसेंस प्राधिकारी को अधिसूचित होना चाहिए । वाउचर का एक नमूना परिशिष्ट 16-ग में दिया गया है ।

(ख) प्रत्येक बिक्री वाउचर चार प्रतियों में होगा जिसमें पर्यटक का नाम और उसकी राष्ट्रिकता उसके पासपोर्ट की संख्या बेची गयी रत्न और आभूषणों की मदों का विवरण, विदेशी मुद्रा में बिक्री मूल्य और पर्यटक द्वारा दिए गए विदेशी मुद्रा पर्यटक चैकों के तुल्य रुपए के संबंध में ब्यौरा उल्लिखित होगा ।

(ग) मूल बिक्री वाउचर को पर्यटक द्वारा भारत से प्रस्थान के समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को देने के लिए पर्यटक को दे देना चाहिए ।

(घ) बिक्री वाउचर की दूसरी प्रति पर्यटक को उसके निजी प्रयोग के लिए दी जाएगी ।

(ङ) बिक्री वाउचर की तीसरी प्रति जौहरी द्वारा प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ भेजी जाएगी ।

(च) चौथी प्रति जौहरी द्वारा उसके निजी रिकार्ड के लिए रख ली जाएगी ।

(5) (क) पंजीकृत निर्यातकों को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे :—

(1) क्रम संख्या,

(2) बिक्री वाउचर की क्रम संख्या,

(3) बिक्री की तारीख,

(4) विदेशी क्रेता का नाम,

(5) उसके पासपोर्ट की संख्या,

(6) बेची गई मदों का विवरण और वे किस माल से बनी हैं,

(7) रुपयों में मूल्य,

(8) अभ्यर्पित की गयी तुल्य विदेशी मुद्रा,

(9) उस बैंक का नाम जिसमें विदेशी मुद्रा पर्यटक चैकों/क्रास किए हुए विदेशी बैंक ड्राफ्ट/चैकों को जमा किया गया है,

(10) जमा करने की तारीख, और

(11) अभ्युक्तियां ।

(ख) सरकार की एजेन्सियां कभी भी रजिस्टर का निरीक्षण कर सकती हैं ।

(6) आयात के लिए आवेदन-पत्र विदेशी मुद्रा में भुगतान की प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को भेजने चाहिएं । लेकिन आयात प्रतिपूर्ति की दर बिक्री की तिथि से संबंधित होगी । आवेदन-पत्र के साथ परिशिष्ट 16-ङ में दिए गए अनुसार दस्तावेज होने चाहिएं ।

(7) रत्नों और आभूषणों से भिन्न मदों की बिक्री के संबंध में डिनर्स क्लब, मास्टर कार्ड इन्टरनेशनल और अमरीकन एक्सप्रेस इन्टरनेशनल द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों के माध्यम से किए गए भुगतान भी इस नीति के तहत और इस पैरा में निर्धारित शर्तों के अनुसार और प्राधिकृत बैंक सूत्रों के माध्यम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के साक्ष्य पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए पात्रता प्रदान करेंगे ।

लेकिन, रत्न और आभूषणों की मदों की बिक्री के संबंध में डिनर्स क्लब और अमरीकन एक्सप्रेस इन्टरनेशनल द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता प्रदान करेंगे ।

अध्याय—17

सेवाओं का निर्यात

323. आयात प्रतिपूर्ति के लाभ के लिए पात्र सेवाओं की विभिन्न किस्मों, और इन सेवाओं के मद्दे उपलब्ध आयात प्रतिपूर्ति के लाभों से संबंधित आयात नीति, आयात–निर्यात नीति पुस्तक के अध्याय 17 में दी गई है ।

324. निर्यात लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र बनाने के लिए सेवा निर्यातकों को स्वयं को किसी उपयुक्त निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य-वस्तु बोर्ड के साथ पंजीकृत कराना होगा । इस संबंध में आवश्यक विवरण इस पुस्तक के अध्याय 15 में निहित हैं ।

325. सेवा निर्यातों के मद्दे आर० ई० पी० लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन-पत्र इस पुस्तक के अध्याय—15 में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार परिशिष्ट 17 में दिए गए प्रपत्र में संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएं :—

क्र० सं०	सेवा निर्यात	दस्तावेज
1.	मैगनेटिक टेप फ्लोपी डिस्क और पेपर के माध्यम से कम्प्यूटर सौफ्टवेयर निर्यात।	(1) क्रय आदेश/संविदा की प्रति (2) किसी अनुसूचित बैंक द्वारा साक्ष्यांकित बीजक (3) बैंक द्वारा जारी किया गया विदेशी मुद्रा का प्रेषण प्रमाण पत्र (4) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा साक्ष्यांकित पोत परिवहन बिल/पी० पी० (5) जी० आर० प्रपत्र (प्रति) (6) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की संख्या और तिथि और विदेश में किए गए खर्चे के लिए रिलीज की गई विदेशी मुद्रा की धनराशी विदेश के लिए परामर्शदाताओं/निर्यातों अन्य कर्मियों के लिए भारत में चुकाई गई यात्रा धनराशि और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा को निर्दिष्ट करते हुए सनदी लेखापाल से प्रमाण पत्र और (7) विदेशी ग्राहकों के साथ हस्ताक्षर किए गए करार का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन भारतीय रिजर्व बैंक फैक्स और टेलेक्स के माध्यम में प्राप्त निर्यात आदेश को मान्यता दे सकता है परन्तु फैक्स/टेलेक्स की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर पार्टियों के बीच नियमित रूप से हस्ताक्षरित संविदा निरपवाद रूप से प्राप्त होने चाहिए।
2.	डाटा लिंक से टेलिट के माध्यम से कम्प्यूटर सोफ्टवेयर निर्यात	(1) क्रय आदेश/संविदा की प्रति (2) अनुसूचित बैंक द्वारा साक्ष्यांकित बीजक (3) बैंक द्वारा जारी किया गया धन प्रेषण प्रमाण-पत्र (4) निर्यात के लिए सोफ्टेक्स अर्थात सेटेलिट (प्रति) (5) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की संख्या और तिथि निर्दिष्ट करते हुए सनदी लेखपाल से प्रमाण-पत्र कि विदेशी खर्चों के लिए रिलीज की गई विदेशी मुद्रा की धनराशि विदेश यात्रा के लिए परामर्शदाता/निर्यातकों/अन्य कार्मिकों के लिए भारत में अदा की गई यात्रा धनराशि और अर्जित की गई कुल विदेशी धनराशि क्या हैं : (6) विदेशी ग्राहकों के साथ हस्ताक्षरित करार का भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन (भारतीय रिजर्व बैंक फैक्स या टेलेक्स के माध्यम से प्राप्त निर्यात आदेश को मान्यता दे सकता है। परन्तु इस आदेश के अनुसरण में फैक्स/टेलेक्स की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर पार्टियों के बीच नियमित रूप से हस्ताक्षरित संविदा प्राप्त होनी चाहिए।
3.	कम्प्यूटर परामर्शदात्री सेवाओं सहित परामर्शदात्री सेवायें और आयात नीति के पैरा 213 में उल्लिखित अन्य विदेशी सेवाएं	(1) क्रय आदेश संविदा की प्रति (2) अनुसूचित बैंक द्वारा साक्ष्यांकित बीजक (3) बैंक द्वारा जारी किया गया विदेशी मुद्रा धन प्रेषण प्रमाण पत्र (एफ० आई० आर० सी०) (4) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन की संख्या और तिथि विदेशी खर्चों के लिए रिलीज की गई विदेशी मुद्रा की राशि विदेश में पर्यटन के लिए परामर्शदाताओं/निर्यातों/अन्य कार्मिकों के लिए भारत में अदा की गई यात्रा राशि और कुल अर्जित विदेशी मुद्रा को निर्दिष्ट करते हुए सनदी

अध्याय—17 (समाप्त)

क्र० सं०	सेवा निर्यात	दस्तावेज
		लेखापाल से प्रमाण-पत्र (5) विदेशी ग्राहकों के साथ हस्हस्ताक्षरित करार का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन (भारतीय रिजर्व बैंक फैक्स या टेलेक्स के माध्यम से प्राप्त निर्यात आदेश को मान्यता दे सकता है परन्तु इस आदेश के अनुसरण में फैक्स/टेलेक्स की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर पार्टियों के बीच नियमित रूप से हस्ताक्षरित संविदा प्राप्त होनी चाहिए)

326. इस पुस्तक के अध्याय—15 में निहित अन्य संगत प्रावधान इस स्कीम के लिए भी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अध्याय-18

निर्यात सदन, व्यापार सदन एवं स्टार व्यापार सदन

327. निर्यात सदनों और व्यापार सदनों से संबंधित आयात नीति, आयात-निर्यात नीति 1990-93 के अध्याय-18 खण्ड 1 में दी गई है।

निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन-पत्र

328. (1) पात्र आवेदकों को अपने पत्र इस पुस्तक की परिशिष्ट 18-क में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में लाइसेंसिंग वर्ष के 30 सितम्बर को या इससे पहले मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (ई. पी.-3 अनुभाग), नई दिल्ली को भेजने चाहिए। निर्यातों का वह विवरण जिस पर आवेदन पत्र आधारित है, उस सनदी/लागत लेखापाल या कम्पनी सचिव द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो आवेदक फर्म या उसकी सहयोगी फर्म का साझीदार, निदेशक या कर्मचारी न हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के माध्यम से किए गए पात्र निर्यातों के संबंध में आवेदन-पत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होने चाहिएं।

(2) निम्नलिखित दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित, आवेदक के नाम में किए गए सीधे निर्यात को हिसाब में लिया जाएगा :—

(1) निर्यात आदेश/निर्यात संविदाए (उसके अपने नाम में)।

(2) विदेशी मुद्रा की वसूली दर्शाते हुए बैंक प्रमाण-पत्र (चाहे वे माल के विनिर्माताओं का संकेत करें या न करें) उसके स्वयं के नाम में।

(3) बीजक (चाहे वे निर्यातित माल के विनिर्माता के नाम को इंगित करें या न करें) उसके स्वयं के नाम में।

(4) राज्य व्यापार निगम के एक सहयोगी के रूप में या इसी प्रकार के अन्य सरकारी उद्यम के रूप में किए गए निर्यात भी यदि अन्य प्रकार से स्वीकार्य होंगे तो लेखे में लिए जा सकते हैं। बशर्ते कि :—

(क) विषयाधीन निर्यातों के लिए सभी आर.ई.पी. लाभ आवेदक को उपलब्ध करा दिए गए हों;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम के साथ या इसके बिना आवेदक के नाम को सम्बद्ध दस्तावेजों में किसी भी एक दस्तावेज में दिया गया हो; और

(ग) इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम का एक प्रमाण-पत्र कि आवेदक के संबंधित निर्यातों को प्रभावी करने में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

(घ) सार्वजनिक उद्यम इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करें कि स्वयं को लाभ प्राप्ति के लिए न तो इन निर्यातों को शामिल किया है और न ही करेंगे।

(3) लघु उद्योग/कुटीर क्षेत्र की यूनिटों द्वारा विनिर्मित निम्नलिखित निर्यात उत्पादों के संबंध में, यदि आवेदक संबंधित विनिर्माता (ओं) के नाम देने में असमर्थ है तो उससे इस बारे में एक घोषणा निर्यात/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार की जाए :—

(1) अगरबत्ती, धूप और सुगन्धित पदार्थ;

(2) चमड़े की वस्तुएं, परिष्कृत चमड़े और पेंट ब्रुश सहित;

(3) खेल-कूद का सामान;

(4) मसाले, करी पाउडर और पेस्ट;

(5) हस्त निर्मित गलीचे, दरियां, नमदे और कालीन;

(6) तैयार पोशाक और बनी हुई वस्तुएं;

(7) खादी;

(8) मोजे-बनियान;

(9) हथकरघा के वस्त्र;

(10) हस्तशिल्प की वस्तुएं;

(11) डिब्बाबन्द और जमाए हुए समुद्री उत्पाद;

(12) रत्न और आभूषण की मदें और

(13) ताजा फल/सब्जियां, तोड़े हुए फूल और पौधे ।

(4) यदि फर्मों/कम्पनियों की शाखाएं और जबकि निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र देने के लिए आवेदन-पत्र केवल पंजीकृत/मुख्य कार्यालय द्वारा ही दिए जा सकते हैं, परन्तु उसके लिए यह खुली छूट होगी कि वे या तो पंजीकृत मुख्य कार्यालय या उसकी किसी शाखा के नाम में निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अन्य शर्तें जिनके अधीन निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र के आवेदकों पर इस नीति के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है, अपरिवर्तनीय रहेंगी ।

अतिरिक्त/विशेष अतिरिक्त लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र

329. अतिरिक्त/विशेष अतिरिक्त लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 18-ख में दिए गए निर्धारित प्रपत्र लाइसेन्स वर्ष के 30 सितम्बर तक दिए जा सकते हैं । नए आवेदक या वे आवेदक जिनके प्रमाण-पत्र लाइसेन्स वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जाते हैं, वे सम्बद्ध निर्यात/व्यापार/स्टार व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद 2 महीने के अन्दर आवेदन कर सकते हैं । अतिरिक्त/विशेष अतिरिक्त आयात लाइसेंसों के लिए निर्यात सदनों द्वारा सभी प्रकार के आवेदन-पत्र उससे सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस अधिकारी को भेजे जाएंगे जिनके क्षेत्राधिकार में निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन का वह पता जो निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र में दिया गया है ।

रिपोर्टिंग और नियंत्रण

330. (1) प्रत्येक निर्यात/व्यापार/स्टार व्यापार सदन अपने निर्यातों, आयातों और आयातित मदों को बेचने का सत्य और उपयुक्त लेखा रखेगा । ये लेखे मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात द्वारा मनोनीत किसी भी प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए देने होंगे । वे अवधि की समाप्ति के अगले एक महीने के अन्दर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली के कार्यालय में सांख्यिकी प्रभाग में निर्यात सदन सेल को उन्हें जारी किए गए "हस्तान्तरणीय" प्रभाग में अतिरिक्त/विशेष अतिरिक्त लाइसेंसों के मददे आयातित पंजीगत माल की मदों की प्राप्ति और निपटाने से संबंधित इस पुस्तक के परिशिष्ट-18-ग में दिए गए प्रपत्र में त्रैमासिक विवरण भेजेंगे । ऐसे विवरणों की प्रति प्रत्येक उस वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के संबंधित लाइसेन्स प्राधिकारी/प्रायोजक प्राधिकारी को भी भेजी जानी चाहिए जिसको आयातित माल बेचा गया है । निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन भी भारतीय निर्यात संगठन के परिसंघ द्वारा निर्धारित पण्यवार और देशवार प्रभावित किए गए निर्यातों की अपनी विस्तृत स्कीम और निर्यातों के लिए कार्य प्रोग्राम और वार्षिक विवरणी मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात (निर्यात सदन सेल) नई दिल्ली को भेजेंगे ।

(2) निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन के गठन में कोई परिवर्तन होने पर अर्थात् उनके नाम या स्वामित्व में परिवर्तन की सूचना मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात नई दिल्ली संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को तुरन्त दी जाएगी । ऐसी स्थिति में निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन इस नीति के अंतर्गत व्यवस्थित सुविधाओं से तब तक वंचित कर दिया जाएगा जब तक कि संबंधित निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन स्थिति का नई या पुनर्गठित निकाय के नाम में मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता ।

(3) उपर्युक्त उप पैरे (1) में उल्लिखित निर्धारित रिपोर्ट और विवरणी को समय पर भेजने में निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन असफल रहने पर मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात ऐसे निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन को आगे मान्यता देने के लिए इन्कार कर सकता है ।

निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र देने से इन्कार करना और निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाणपत्रों का निरसन/निलम्बन

331. (1) यदि आवेदक ने पूर्व के तीन वर्षों में किसी भी समय आयात-निर्यात लाइसेंस में जालसाजी की है या किसी भ्रष्ट व्यक्ति के साथ भाग लिया है, या वाणिज्यिक लेन-देन में कोई धोखाधड़ी का काम किया है या किसी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करने में धोखा-धड़ी का काम किया है; या यदि आवेदक का कोई अभिकर्ता या कर्मचारी किसी भ्रष्टाचार या धोखेबाजी द्वारा आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम या आयात-निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत प्रदान किए गए लाइसेंस की किसी शर्त के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करता रहा है या आयात निर्यात नियमों का उल्लंघन करता है तो मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात उसको कारण बताओ सूचना देने के बाद निर्दिष्ट की गई अवधि के लिए और आगे निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र प्रदान करने से मना कर सकते हैं ।

(2) निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र इन स्थितियों में रद्द संशोधित या अन्यथा रूप से प्रभावित किया जा सकता है :—

(क) यदि मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात संतुष्ट हो जाता है कि यह मिथ्या तथ्य निरूपण द्वारा प्राप्त किया गया था या गलती से जारी कर दिया गया था; या

(ख) यदि निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन ने आयात-निर्यात नीति की शर्तों का उल्लंघन किया हो; या

(ग) विदेशी क्रेता से प्राप्त की गई शिकायत की जांच करने पर निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन द्वारा संविदा का उल्लंघन या उसके द्वारा अनुचित व्यापार कार्य किया गया पाया जाए; या

(घ) निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन इस नीति के अन्तर्गत या किसी भी पूर्व नीति की अवधियों

के दौरान किए गए निर्यात उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहा हो; या

(ङ) यदि निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन निर्धारित विवरण-पत्रों/विवरणी (यों) मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली या संबद्ध प्रायोजक अधिकारियों द्वारा अपेक्षित किसी सूचना को समय के भीतर भेजने में समर्थ रहा हो ।

(3) उपयुक्त कार्रवाही की जाने से पूर्व निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन के मामले की सुनवाई के लिए उचित अवसर दिया जाएगा ।

332. एक आवेदक जो निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र प्रदान करने या नवीकरण करने या निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र करने/संशोधन करने/ निलम्बन करने के लिए उसके आवेदन पत्र पर लिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उक्त निर्णय की तिथि से 45 दिनों के भीतर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन समिति में पुनरीक्षा के लिए अपील दायर कर सकता है । समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

अन्य प्रावधान

333. इस पुस्तक के अध्याय-15 में दिए गए विभिन्न प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित निर्यात सदन, तथा व्यापार सदनों पर भी लागू होंगे । निर्यात सदनों, व्यापार सदनों और स्टार व्यापार सदनों को अपने आपको भारतीय निर्यातक संगठन संघ, नई दिल्ली के साथ पंजीकृत करवाना होगा, इसलिए उनका ध्यान इस पुस्तक के अध्याय 15 के पैरा 288 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है ।

अध्याय—19

कर छूट स्कीम

334. इस स्कीम के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंसों की विभिन्न श्रेणियों के लिए नीति आयात-निर्यात नीति, 1990-93 के अध्याय-19 में दी गई है ।

335. (1) इस स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र इस स्कीम और इस अध्याय के परिशिष्ट-19-क में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दिए जाने चाहिए :—

(1) संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा आर. सी. एम. सी. की प्रमाणित प्रति ।

(2) संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति ।

(3) संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक द्वारा आवेदक अथवा समर्थक विनिर्माता(ओं), जैसा भी मामला हो, को जारी किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस की सत्यापित प्रति छूट के अधीन कार्यरत किसी यूनिट के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कारखाने ने केन्द्रीय उत्पाद विधि के अंतर्गत एक घोषणा दी है और इस घोषणा के अनुसार उल्लिखित उत्पाद उसके द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं । उत्पाद के असंगठित क्षेत्र में विनिर्माण के मामले में तथा आयात नीति के परिशिष्ट-13-ङ में निर्दिष्टानुसार, व्यापारी निर्यातकों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियों से यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

(4) आवेदन-पत्र शुल्क के भुगतान की अपेक्षित धनराशि के लिए बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट ।

(5) निर्यात आदेश तथा साख-पत्र, यदि कोई हो और जहां कहीं लागू हो; की प्रमाणित प्रति ।

(6) स्वतंत्र सनदी/लागत लेखाकार जो फर्म अथवा इसके सहयोगियों द्वारा नियोक्ता न हो, द्वारा प्रमाणित पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान निर्यात किए गए उत्पादों का ब्यौरा, मात्रा, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को दिखाने वाला एक विवरण ।

(7) इस पुस्तक के परिशिष्ट-19-क में दिए गए प्रपत्र में निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के लिए अपेक्षित प्रत्येक मद का विवरण, मात्रा और मूल्य देते हुए स्वतंत्र व्यावसायिक सनदी इंजीनियर (अथवा उत्पादन के प्रभारी मुख्य तकनीकी अधिकारी, जैसा भी मामला हो) सनदी या लागत लेखाकार से एक प्रमाण-पत्र ।

(8) अन्य निवेश का ब्यौरा जिन्हें मांगे गये लाइसेंस से इतर स्रोतों के माध्यम से आयात/अधिप्राप्त किया जाना हो । "अधिप्राप्त" शब्द का अर्थ वही होगा जो इस पुस्तक के पैरा 342 के नीचे की टिप्पणी में दिया गया है । और स्वदेशी निवेश जिसके संबंध में आवेदक शुल्क वापसी का दावा करने का इच्छुक हो ।

(9) आयात नीति के पैरा 206 (ख) (च) तथा (झ) के अनुसार संबंधित परियोजना को संभारित के मामले में परियोजना प्राधिकारी प्रमाण-पत्र ।

(2) जिन मामलों में परिशिष्ट-13ग में पहले से ही निर्धारित निवेश उत्पादन मानदण्ड के आधार पर या जिन मामलों में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली की मुख्यालय की अग्रदाय लाइसेंसिंग समिति द्वारा आवेदक के निजी मामले में किए गए अनुमोदन के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करने की मांग की जाए उनमें पैरा 335 (1)(7) के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(3) यदि इस योजना के अन्तर्गत आवेदक निर्यात किये जाने वाले उत्पाद के विनिर्माण में पूर्णतः या अंशतः शामिल नहीं है, तो उसके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के निर्माण में

शामिल विनिर्माता(ओं) का उल्लेख किया जाना अपेक्षित होगा शामिल किये गये ऐसे विनिर्माताओं को समर्थक विनिर्माता का नाम दिया जायेगा । असंगठित क्षेत्र के उत्पाद के निर्यात के मामले में, जैसा कि आयात नीति के परिशिष्ट 13-क में दिया गया है, आवेदन के लिए समर्थक विनिर्माता का नाम देना आवश्यक नहीं होगा ।

दस्तावेजीकरण (डाकूमेंटेशन)

आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण

336. (1) लाइसेंस जारी किए जाने के लिए मूल आवेदन पत्र उस संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए जो कि ऐसे अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता हो, जो उस मुख्य नियंत्रक के स्तर से कम का न हो, जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक आता है । इन प्रयोजनों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी और उसके क्षेत्राधिकार वही होंगे जिनका परिशिष्ट-2ख में उल्लेख किया गया है ।

(2) उन मामलों में जहां आवेदन-पत्र पर क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार किया जाना हो, आवेदन-पत्र चार प्रतियों में भेजा जाएगा । मूल प्रति बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित संबद्ध क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजी जाएगी और दस्तावेजों के पूर्ण सेट सहित आवेदन-पत्र की अन्य प्रतियां (1) सम्बद्ध सीमाशुल्क समाहर्ता; (2) महानिदेशक तकनीकी विकास के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय के औद्योगिक अधिकारी/इलेक्ट्रोनिक मदों के मामले में इलेक्ट्रोनिकी विभाग; तथा (3) लघु उद्योग इकाइयों के मामले में उपायुक्त (लघु उद्योग या वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक तथा वस्त्रों की मदों के मामले में उपायुक्त (लघु उद्योग); और (4) संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय की क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को भेजा जाएगा । क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति के क्षेत्राधिकार परिशिष्ट-19-ग में दिए गए हैं ।

(3) उन मामलों में जहां आवेदन-पत्रों पर मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार किया जाना हो, दस्तावेजों के पूर्ण सेट सहित मूल आवेदन-पत्र संबद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजा जाएगा । प्रत्येक आवेदन-पत्र की एक प्रति पूर्ण दस्तावेजों सहित निम्नलिखित को भेजी जाएगी :—(1) निदेशक (शुल्क वापसी), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली (2) महानिदेशक तकनीकी विकास, उद्योग भवन; तथा इलेक्ट्रोनिक मदों के मामले में इलेक्ट्रोनिकी विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली तथा (3) उपायुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली (लघु उद्योगों के मामले में); या वस्त्र आयुक्त बम्बई; और उपायुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली, वस्त्र मदों के लिए तथा (4) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय (डी. ई. एस. अनुभाग), नई दिल्ली ।

स्क्रीनिंग समिति

337. (क) उस क्षेत्राधिकार का ध्यान किये बिना जिसके अंतर्गत आवेदन पत्र पर विचार किया जाता है इस योजना के तहत प्रथम बार अथवा ऐसे निर्यातक जो यथा संशोधित आयात व निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, अथवा उसके अंतर्गत जारी आदेशों का उल्लंघन करने के कारण प्रतिकूल नोटिस में आए हैं के मामले में लाइसेन्स के लिए आवेदन करने पर इस पुस्तक के अध्याय-2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्राथमिक जांच की जायेगी । तथापि जहां क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यप्रभारी संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात संतुष्ट होगा कि ऐसी औपचारिक जांच किसी विशेष मामले में आवश्यक नहीं है, वहां वह लिखित रूप से आदेश देते हुए स्क्रीनिंग समिति से पार्टी को छूट प्रदान कर सकता है ।

आवेदन पत्रों पर विचार के लिए क्षेत्राधिकार

338. (1) जहां आयात की जाने वाली सभी मदें या तो आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट-13-ग के निवेश उत्पादन के अन्तर्गत आती हैं या फिर निजी मामलों में मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा अनुमोदित हैं, संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात/उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की अध्यक्षता में क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी आयात नीति के पैरा 231 (1), 231 (3) और 231 (4) में दिए गए अनुसार 2 करोड़ रुपये के लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक के अग्रिम/अग्रिम मध्यवर्ती/विशेष अग्रदाय लाइसेंसों के लिए दिए गए आवेदन पत्रों पर विचार करेंगे । जहां कोई निवेश उत्पादन मानक नहीं हो जैसा कि ऊपर दिया गया है, लेकिन किसी निजी मामले में निर्धारित निवेश उत्पादन मानकों के आधार पर लाइसेंस पहले ही जारी किया जा चुका है वहां क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी उसी आवेदक के पक्ष में इन मानकों पर आधारित उन्हीं मदों के लिए आकृति आधार पर 25 लाख रुपये लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक के परवर्ती लाइसेंस जारी किए जाने पर विचार कर सकते हैं बशर्ते कि ये नार्मस दूसरे नार्मस के द्वारा अथवा क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति या मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति या आयात-नीति के परिशिष्ट-13-ग में जोड़े गये द्वारा प्रतिवर्तित या प्रतिस्थापित न किए गए हों । इसमें आयात-नीति के पैरा 238 में निहित प्रावधानों के तहत पिछले निर्यात निष्पादन के आधार पर लाइसेंसों का जारी करना भी शामिल होगा ।

(2) जैसा कि ऊपर दिया गया है अग्रिम/अग्रिम मध्यवर्ती/विशेष अग्रदाय लाइसेंस तथा अग्रिम शुल्क छूट परमिटों के निम्नलिखित मामलों में क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति लाइसेंसों के लिए दिए गए ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार करेगी जो क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं :—

(1) जहां अग्रिम/अग्रिम मध्यवर्ती/विशेष अग्रदाय लाइसेंस के लिए दिया गया आवेदन पत्र 25 लाख या इससे कम रुपये के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए हो लेकिन पहले के निर्यात उत्पादों के लिए निवेश उत्पादन के आधार पर (1) मुख्य नियंत्रक

आयात-निर्यात के कार्यालय में अग्रिम लाइसेंसिंग समिति (मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति) द्वारा आवेदक के निजी मामले या (2) आयात नीति के परिशिष्ट 13-ग में निर्धारित किया गया हो,

(2) जहां अग्रिम/अग्रिम मध्यवर्ती/विशेष अग्रदाय लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र 2 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये तक के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के लिए है और (1) मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा आवेदक के निजी मामले या (2) परिशिष्ट 13-ग में आयात के लिए निर्धारित सभी मदों सहित निर्यात उत्पाद के निवेश-उत्पादन मानक निर्धारित किए जा चुके हैं ।

(3) जहां आवेदन पत्र 25 लाख रुपये मूल्य तक के शुल्क छूट प्राप्त मदों के आयात के लिए अग्रिम सीमा शुल्क परमिट दिए जाने के लिए हो,

(3) निम्न श्रेणियों के आवेदन-पत्रों पर केवल मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा ही विचार किया जाएगा :—

(1) ऊपर पैरा 338 (2) के उप पैरा (1), (2) और (3) के अन्तर्गत न आने वाले मामले ।

(2) आयात नीति के पैरा 231 (क) में दिए गए थोक कर मुक्त लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र ।

(3) आयात नीति के पैरा 253 से 256 में दिए गए ब्लैंकेट अग्रिम लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्र ।

(4) निवेश-उत्पादन नार्मस मानकों के निर्धारण के लिए आवेदन पत्र ।

अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

339. (1) जहां आवेदन-पत्र किसी मध्यवर्ती विनिर्माता द्वारा दिया जाता हो वहां आवेदक को मध्यवर्ती उत्पाद की आपूर्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्यातक को जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस में पृष्ठांकन करके दस्तावेजी प्रमाण भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने चाहिए । अन्तिम निर्यातक का क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उस उद्देश्य के लिए संगत माना जाएगा । अन्तिम निर्यातक का क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त प्रमाण पत्र जारी करने से पहले अन्तिम निर्यातक का लाइसेंस सम्बन्धित मध्यवर्ती उत्पाद के प्रत्यक्ष आयात के लिए अवैध कर दिया गया है ।

(2) ऐसे मामले में जहां अन्तिम निर्यातक के पक्ष में अग्रिम लाइसेंस तो जारी न किया गया हो लेकिन अग्रिम लाइसेंस जारी किए जाने के लिए आवेदन पत्र दे दिया गया हो, आवेदक को वहां दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि मध्यवर्ती उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशन के साथ मात्रा, मूल्य और मदों का पूर्ण विवरण निर्देशित करते हुए अन्तिम निर्यातक ने उसको फर्म आदेश दे दिया है । अग्रिम लाइसेंस के अनुमोदन के लिए अन्तिम निर्यातक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत की जानी चाहिए । आवेदक को अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेन्स को जारी करने से पूर्व सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अन्तिम निर्यातक का अग्रिम लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र अनुमोदित कर दिया गया है और अन्तिम निर्यातक को जारी किया गया अग्रिम लाइसेंस संगत मध्यवर्ती उत्पाद के प्रत्यक्ष आयात के लिए अवैध कर दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र, जैसा कि उपर्युक्त उप पैरा (1) में उल्लेख हो, सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी से प्राप्त किया जा चुका है ।

(3) अन्तिम निर्यातक द्वारा मध्यवर्ती विनिर्माता को की गई अदायगी सामान्य बैंकिंग माध्यमों से की जाएगी । बांड से विमुक्ति के समय, मध्यवर्ती विनिर्माता संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस आशय का बैंक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(4) संगत मध्यवर्ती उत्पाद के औसत पूर्व निर्यात निष्पादन के आधार पर नियमित विनिर्माता निर्यातकों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर आयात नीति के पैरा 238 (2) में निहित प्रावधानों की शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

340. कोई अंतिम रूप से नियोजक जो विचाराधीन परिणामी उत्पाद का विनिर्माता न हो परन्तु इसका स्टेटस निर्यात सदन/व्यापार सदन का हो वह भी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम की सुविधा उपलब्ध कर सकता है :—

(1) आवेदक निर्यात सदन/व्यापार सदन लाइसेंस के लिए अपने आवेदन-पत्र में उस समर्थक विनिर्माता का नाम और पता दे जो डी ई ई सी/आयात-निर्यात पास बुक में शामिल करने के लिए, अंतिम निर्यात उत्पाद में परिवर्तन के लिए मध्यस्थ विनिर्माता द्वारा संभरित मध्यस्थ माल प्राप्त करेगा; और

(2) मध्यस्थ माल मध्यस्थ विनिर्माता के कारखाने से घोषित किए गए समर्थक विनिर्माता के कारखाने का सामान्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क गेट पास और उसकी प्राप्ति के उचित रिकार्ड के तहत ले जाया जाए और उसकी खपत आदि का हिसाब मध्यस्थ विनिर्माता द्वारा रखा जाए ।

परिवर्ती लाइसेंसों का जारी किया जाना

341. (1) दूसरा या परिवर्ती लाइसेन्स जारी करने के लिए आवेदन पत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि पहले जारी किये गये लाइसेंस के सम्बन्ध में निर्यात आभार तथा अनुबन्धित निर्यात आभार समय समाप्ति में निर्यात आभार (1) पूरा न कर दिया गया हो अथवा (2) निर्यात आभार की समय सीमा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ा न दी गयी हो, अथवा (3) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 366 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित निधि से निर्यातों को नियमित न कर दिया गया हो । इन प्रयोजनों के लिए निर्यात आभार की पूर्ति के लिए किए गए

निर्यात/संभरण संबंधित पोतलदान बिल/भुगतान प्रमाण-पत्र तथा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा डी ई ई सी पर पृष्ठांकन के साक्ष्यों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

(2) इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे आवेदनों से लाइसेंस जारी किए जाने के आवेदनों पर, जिसको आयात-निर्यात नीति 1985-88 के अध्याय-15 और आयात-निर्यात नीति 1988—91 के अध्याय-20 की शर्तों के अनुसार आयात-निर्यात पासबुक लाइसेंस जारी किया गया है, केवल उन्हीं मामलों में विचार किया जाएगा जहां उन उत्पादों के लिए जिनके लिए लाइसेंस मांगा गया है, उन पासबुकों पर लागू निर्यात आभार का 75 प्रतिशत पूरा कर दिया गया है बशर्ते कि आवेदक यह वचन दे कि वह निर्यात आभारों को अनुबंधित समयावधि में पूर्ण करेगा ।

मूल्य वर्धन

342. इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस दिए जाने के उद्देश्य से मूल्य वर्धन की गणना निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क नामशः आयातित निवेशों, पूंजीगत माल के अतिरिक्त के लागत बीमा को छोड़ते हुए कि क्या इस योजना के अन्तर्गत ये निवेश आवेदक द्वारा सीधे आयात किए गए हैं अथवा/प्रणामी उत्पादों के निर्यात/संभरण तथा विनिर्माण के लिए अन्यत्र के प्राप्त किए गए हैं को ध्यान में रखते हुए की जाएगी । इन प्रयोजनों के लिए, आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में मेंडेटरी स्पेयर्स तथा पैकिंग सामग्री जिसका परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात किया जाना है को भी लागत बीमा भाड़ा में शामिल किया जाएगा । "प्रोक्योर्ड" शब्द में वे निवेश सम्मिलित होंगे जिनका आयात, आयात नीति के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न करके जिनकी आपूर्तियां बिना किसी संसाधन के दूसरों से प्राप्त की गई हैं ।

लाइसेंस के मूल्य में वृद्धि

343. मुद्रा विनिमय दरों में उच्च भाड़े या अधिक विभिन्नता, अथवा आयात के लिए अनुमित निवेश की लागत में वृद्धि के मामले में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी इस योजना के तहत जारी किए गए लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में अग्रिम लाइसेंसिंग समितियों को विनिर्दिष्ट किए बिना उनके अनुरोध किए जाने पर आगे वृद्धि कर सकता है, बशर्ते कि निर्धारित निर्यात आभार का जहाज-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य भी तदनुसार यथा अनुपात आगे बढ़ा दिया गया हो । अपवाद के मामलों में जहां लाइसेंसधारी यथार्थ और प्रामाणिक आधार पर निर्यात आभार के जहाज-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में उसी अनुपात में बढ़ाने में असमर्थ रहता है वहां एक करोड़ रुपये के लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक के लाइसेंस मूल्य के सम्बन्ध में, ऐसी वृद्धि की प्रार्थना पर विचार करने के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग समिति प्राधिकृत है बशर्ते कि ऐसी ही वृद्धि के बाद मूल्य वर्धन इस योजना में अनुबन्ध न्यूनतम मूल्य से कम न होता है । ऐसी वृद्धि जो क्षेत्रीय लाइसेंसिंग समितियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, के लिए किए गए आवेदनों पर मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

निर्यात आभार

344. (1) इस योजना के तहत जारी लाइसेन्स के साथ एक उपयुक्त निर्यात आभार होगा और उसे अनुबन्धित समय अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा । निर्यात आभार समयावधि आयात के प्रथम परेषण तिथि के 30 दिन की समाप्ति के बाद से प्रारम्भ होगी । प्रारम्भ में अस्थायी तौर पर बंधपत्र/विधिक करार के निष्पादन की तिथि वह मानी जाएगी जिससे तथापि निर्यात आभार आरम्भ होते हैं । निर्यात आभार के प्रारम्भ होने की वास्तविक तिथि प्रविष्टि या डी.ई.ई.सी. पुस्तक के प्रस्तुत किए जाने पर तय की जायेगी ।

(2) आर.पी.ए. देशों को निर्यात करने के लिए अग्रिम/ब्लैकेट अग्रिम लाइसेंस का अनुमोदन चाहने वाले निर्यातक के, आयात नीति के पैरा 234 में दी गयी विधि के अनुसार जी.सी.ए. देशों को माल निर्यात करने के लिए एक और आभार का वचन देना होगा । इस सीमा के अंतर्गत संगत अग्रिम/ब्लैकेट अग्रिम लाइसेंस पर एक शर्त लगाई जाएगी लेकिन निर्यातक को इस उद्देश्य के लिए अलग से बांड का निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं होगी और वह लाइसेंस पर लागू मूल निर्यात आभार के लिए इस पुस्तक के पैरा 348 में दी गई विधि के अनुसार बांड विधिक वचन बद्धता, जैसा भी मामला हो, का निष्पादन करेगा । तथापि, निर्यातक से अपेक्षित होगा कि वह, संगत लाइसेंस/ब्लैकेट अग्रिम लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 18 महीने की अवधि के अंतर्गत नीति के पैरा 234 (1) या (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जी.सी.ए. देशों को किए गए प्रत्यक्ष निर्यात का अपने नामे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के प्रमाण द्वारा समर्थिक एक संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करें । जी.सी.ए. देशों को किए गए ऐसे निर्यातों के मामले में लाइसेंसधारी के अनुरोध करने पर सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा, जी.सी.ए. देशों को स्वीकार किए गए निर्यातों का विवरण देते हुए इस पुस्तक के परिशिष्ट 19-घ में दिए गए प्रपत्र में एक विशेष प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा जिसको जी.सी.ए. देशों को किए गए निर्यातों के साक्ष्य के रूप में, मूल रूप से अभ्यर्थित किया जा सकता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रमाण-पत्र की अनुलिपि जारी नहीं की जाएगी ।

निर्यात/आभार अवधि में वृद्धि

345. नियमित निर्यातकों के मामले में जो कम से कम पिछले तीन वर्षों से निर्यात निष्पादन कर रहे हैं, निर्धारित अवधि में निर्यात आभार पूरा करने में असमर्थ रहे हैं उन्हें गुणावगुण के आधार पर अधिकतम तीन मास की निर्यात आभार के निष्पादन में क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है । सम्बद्ध क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति आगे 6 मास तक और वृद्धि की अनुमति दे सकती है । अन्य निर्यातकों से निर्यात आभार अवधि में वृद्धि के अनुरोध पर केवल संबद्ध क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा 6 मास की अवधि तक की वृद्धि करने पर विचार किया जा सकता है । इस वृद्धि के अनुरोध पर निर्धारित अवधि में निर्यात आभार

के निष्पादन हेतु किए गए वास्तविक निर्यात एवं उसके लिए किए गए प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा । सामान्यत: निर्यात आभार की अवधि में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि, अपवादस्वरूप प्रत्येक मामले के गुणावगुणों को ध्यान में रखकर निर्यात आभार की अवधि में आगे वृद्धि के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में मुख्यालय अग्रिम लाइसेंसिग समिति द्वारा विचार किया जा सकता है ।

निवेश-उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण

346. आयात नीति के परिशिष्ट 13-ग में कुछ निर्यात उत्पादों के निवेश उत्पादन मानदण्ड दिए गए हैं जिनके आधार पर क्षेत्रीय लाइसेंसिग प्राधिकारी अग्रिम लाइसेंसिग समितियों के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए बिना इस योजना के तहत लाइसेंस जारी कर सकते हैं तथापि, पंजीकृत निर्यातक, भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले आदेशों की प्रत्याशा में उनके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के निवेश-उत्पादन नार्मस के अनुमोदन के लिए मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली के कार्यालय में अग्रिम लाइसेंसिग समिति को आवेदन कर सकते हैं । इन प्रयोजनों के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट 19-क में दिए गए प्रपत्र में दिए जाने चाहिएं ।

तृतीय पक्षकार द्वारा निर्यात

347. (1) राज्य व्यापार निगम, या खनिज तथा धातु व्यापार निगम या निर्यात/व्यापार सदन की ओर से निर्यात/आपूर्ति करने के इच्छुक पंजीकृत विनिर्माता निर्यातक इस स्कीम के अन्तर्गत सभी शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे यदि :—

(1) ऐसा विनिर्माता राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम, निर्यात/व्यापार सदन (जिसे इसके बाद आदेश धारक कहा जाएगा) से आदेश प्राप्त करें,

(2) ऐसे निर्यात/आपूर्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों में संबंधित विनिर्माता और आदेश धारक, दोनों का नाम हो,

(3) प्रतिपूर्ति लाभ, यदि कोई हो तो उनके लिए संबंधित आवेदक विनिर्माता-निर्यातक विशेष रूप से दावा करें और संबंधित आदेश धारक (निर्यात/व्यापार सदन) ने इसे लिखित रूप में मान लिया हो,

(4) आवेदक विनिर्माता लिखित रूप में इस बात से सहमत हो जाए कि इस प्रकार प्रभावित निर्यात/आपूर्ति केवल संबंधित आदेश धारक (निर्यात/व्यापार सदन) द्वारा प्रभावित निर्यात/आपूर्ति के रूप में समझी जाएगी,

(5) विनिर्माता निर्यातक यह घोषणा करे कि वह किसी भी परिस्थिति में, इस निर्यात-आपूर्ति का दावा स्वयं अपने लिए नहीं करेगा और यह कि निर्यातों/आपूर्ति को उपर्युक्त (3) में उल्लिखित को छोड़कर इस नीति के अन्तर्गत किसी लाभ के लिए अपने निर्यातों के रूप में उसके द्वारा शामिल नहीं किया जाएगा;

(6) संयुक्त बांड/विधिक करार, जैसा भी मामला हो, आयात नीति और प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 में इस संबंध में निहित प्रावधान के अनुसार विनिर्माता और संबंधित आदेश धारक (निर्यात/व्यापार सदन) दोनों द्वारा निष्पादित किया जाए । ऐसे मामलों में, शुल्क छूट हकदारी प्रमाण-पत्र के भाग-च से संबंधित आदेश धारक (निर्यात/व्यापार सदन) के नाम में ऐसे निर्यातों/आपूर्ति को अनुमति के लिए समुचित रूप से पृष्ठांकित किया जाएगा । ऐसे मामलों में संबंधित आदेश धारक (निर्यात/व्यापार सदन) यदि इस श्रेणी के अंतर्गत लाइसेन्स पर लगाये गये निर्यात आभार को पूरा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध नीचे दिए गए पैरा-363 से 366 में व्यवस्थित अनुसार दण्डनीय कार्रवाई की जा सकती है ।

(2) पात्रता के प्रयोजनार्थ, आवेदन पत्र की तिथि को केवल निर्यात/व्यापार सदन के स्तर को ध्यान में रखा जाएगा । बाद में निर्यात/व्यापार सदन के रूप में आदेश धारक के स्तर में गिरावट होने से उनके नाम से निर्यात करने के लिए संयुक्त रूप से स्वीकृत किए गए निर्यात आभार को पूरा करने तक लाइसेंस धारक की पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

बांड/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन करना

348. (1) इस योजना के अन्तर्गत जारी लाइसेन्स के मद्दे आयात के प्रथम प्रेषण की निकासी से पूर्व लाइसेंस धारक को उस पर लगाए गए निर्यात आभार को पूरा करने के लिए और लाइसेंस पर अनुमति सीमा शुल्क छूट के लाभ के लिए इस पुस्तक में दिए गए परिशिष्ट-19ङ में निर्धारित प्रपत्र में संबंधित लाइसेंसिग अधिकारी के समक्ष एक बांड का निष्पादन करना होगा । इस पैरे में किए गए प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित मूल्य की बैंक गारण्टी के साथ पोषित बांड का निष्पादन जैसा कि नीचे बताया गया लाइसेंस धारक के निर्यात निष्पादन और स्थिति पर आधारित होगा ।

(2) एक लाइसेंस धारक जिसका तीन साल से कम का निर्यात निष्पादन रहा है को लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 50% (लघु उद्योग क्षेत्र के विनिर्माता निर्यातकों के मामले में 25%) के बराबर या देय सीमा शुल्क के 100% राशि के बराबर जो भी अधिक हो बांड के साथ बैंक गारंटी निष्पादित करनी होगी ।

(3) विनिर्माता निर्यातक, जो पिछले एक वर्ष से निर्यात निष्पादन कर रहे हैं को बांड के साथ देय सीमा शुल्क के 50% की बैंक गारंटी देने की सुविधा दी जाएगी । इसी प्रकार से विनिर्माता निर्यातक जो पिछले दो वर्षों से निर्यात निष्पादन कर रहे हैं, को बांड के साथ देय सीमा शुल्क के 25% बैंक गारंटी

देने की सुविधा दी जाएगी । तथापि यह सुविधा इस पुस्तक के परिशिष्ट 19-ज में दी गई मदों के आयात के मामले में जिसके लिए उनसे 100% बैंक गारंटी दिया जाना अपेक्षित है के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी ।

(4) निर्यात सदन, व्यापार सदन, और सरकारी क्षेत्र उद्योग संस्थान सहित पंजीकृत निर्यातक जो पिछले तीन वर्षों से निर्यात निष्पादन कर रहे हैं, को बैंक गारंटी के साथ बांड देने के बदले में विधिक वचनबद्धता देने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार विधिक वचनबद्धता निर्यात आभार के सारे मूल्य का और देय सीमा शुल्क का 100% के बराबर होगी । ऐसे मामलों में जहां लाइसेन्स द्वारा आवृत मद परिशिष्ट 19-च में भी निर्दिष्ट है, जो ऐसे पंजीकृत निर्यातकों को विधिक वचनबद्धता की सुविधा के बावजूद भी विनिर्माता निर्यातकों को ऊपर बताई राशि का बांड, परिशिष्ट 19-ज निर्दिष्ट मदों के आयात पर देय सीमा शुल्क के 25% के बराबर बैंक गारंटी सहित निष्पादित करना होगा । इन मदों के व्यापारी निर्यातकों को बांड के साथ देय सीमा शुल्क के 50% के बराबर राशि की बैंक गारंटी देनी होगी । निर्यात सदन, व्यापार सदन, पंजीकृत निर्यातकों जिनका निर्यात निष्पादन पिछले प्रत्येक पांच वर्षों में 50 लाख रु. रहा है और सरकारी उद्यमों को परिशिष्ट 19-ज में निर्दिष्ट मदों के आयात के लिए बैंक गारंटी निष्पादित करने से छूट प्रदान की जाएगी । उन्हें केवल एक विधिक वचन बद्धता ही देनी होगी ।

(5) जैसा कि ऊपर बताया गया है, विधिक वचनबद्धता की सुविधा जहां कहीं उपलब्ध है लाइसेंस धारक के पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में किए निर्यात के औसत जहाज पर नि:शुल्क मूल्य के तीन गुणे के बराबर निर्यात आभार के जहाज पर नि:शुल्क मूल्य तक सीमित होगी । शेष के लिए, यदि कोई हो तो लाइसेंस धारक को निर्यात आभार को पूरा करने के लिए उस पर देय सीमा शुल्क के 50% के बराबर बैंक गारंटी निष्पादित करनी होगी तथापि उपरोक्त सीमा क्षेत्र सार्वजनिक उद्यमों के मामले में लागू नहीं होगी ।

(6) इस पुस्तक की पैरा 354 में किए गए प्रावधानों के अधीन एडवांस रिलीज आदेश के मद्दे जहां भी लागू हो देशी संभरण 50% की बराबर गारण्टी की शर्त के अध्यधीन होगा ।

(7) (क) (1) उपरोक्त पैरा 339 के अनुसार अग्रिम लाइसेंस प्राप्त मध्यवर्ती अग्रिम लाइसेंस धारक और अंतिम निर्यातक को विधिक वचनबद्धता का बांड जैसा भी मामला हो संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी के पास अलग से निष्पादन करना होगा । जैसा कि ऊपर बताया गया है बांड या विधिक वचनबद्धता का निष्पादन निर्यातक की पूर्व स्थिति और पात्रता पर आधारित होगा । मध्यवर्ती विनिर्माता सामान्य प्रक्रिया के अनुसार बैंक गारण्टी के साथ बांड निष्पादित करेगा तथापि अंतिम उत्पादकों को निर्यात आभार अथवा प्रथमत: सीधे आयात की उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए बांड तथा बैंक गारंटी निष्पादित करनी होगी ।

(2) मध्यवर्ती उत्पाद के पूर्ण प्राप्त हो जाने पर मध्यवर्ती उत्पादक को संभरण प्राप्ति के द्वारा बढ़ी हुई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बैंक गारण्टी निष्पादित करनी होगी यदि अंतिम निर्यातक बांड/बैंक गारण्टी के स्थान पर विधिक वचनबद्धता देने का पात्र हो उसे अतिरिक्त बांड/बैंक गारंटी जैसा कि ऊपर बताया है देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ख) मध्यवर्ती विनिर्माता को बांड/बैंक गारंटी या विधिक वचनबद्धता से विमुक्त पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब (1) संभरण की मात्रा पूरी किए जाने के बाद उपरोक्त उप पैरा "क" के अनुसार अन्तिम विनिर्माता द्वारा अतिरिक्त बांड/बैंक गारंटी निष्पादित कर दी जाएगी । (2) मध्यवर्ती विनिर्माता के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी से इस आशय की पुष्टि हो जाए ।

(8) लाइसेंस पर छूट प्राप्त माल के आयात से पहले आंशिक निर्यात आभार पूरा किये जाने के मामले में बांड/विधिक वचनबद्धता मूल्य के अनुरूप इस प्रकार कम की जाएगी कि वह निर्यात आभार/सीमा शुल्क छूट के अपरिपूर्ण हिस्से को ही निरूपित करे । यदि निर्धारित निर्यात आभार आयात से पहले ही पूरा कर लिया गया हो विधिक वचनबद्धता के निष्पादन की जरूरत नहीं है । फिर भी इस प्रयोजन के लिए लाइसेंसधारक को संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी के समक्ष निर्यात आभार की आंशिक अथवा पूर्ण पूर्ति के निर्धारित निर्यात वस्तावेज और सीमा शुल्क की प्रविष्टियों सहित डी.ई.ई.सी. प्रस्तुत करनी होगी । यदि डी.ई.ई.सी. की प्रविष्टि से यह प्रमाणित हो जाता है कि निर्यात आभार की पूर्ति हो गई है, लाइसेंसधारक द्वारा इस लाइसेंस के मद्दे निष्पादित वचनबद्धता को पैरा 348 (5) में किए गए प्रावधानों के अनुसार पात्रता के लिए पुन: आंकलित किया जा सकता है ।

संयुक्त बंधपत्र/विधिक करार निष्पादित करना

349. (1) यदि आवेदक परिणामी उत्पाद का विनिर्माता/निर्यातक नहीं है तो निर्यात बांड/विधिक वचनबद्धता लाइसेंसधारी विनिर्माता/निर्यातक और विनिर्माता के समर्थक निर्यातक जिसका नाम डी. ई. ई. सी. में प्रदर्शित हो, द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए आवेदक पंजीकृत निर्यातक को उन विनिर्माता(ओं) के नाम और पते देने होंगे जिनके कारखाने (नों) में परिणामी उत्पाद विनिर्मित करने का प्रस्ताव है और उसके नाम डी. ई. ई. सी. बुक में शामिल किए जाएंगे । इस आयात नीति के परिशिष्ट 13-ङ में विशिष्टीकृत माल के व्यापारी निर्यातकों के मामले में सहायक विनिर्माता का नाम इंगित करना आवश्यक नहीं होगा तथा उस मामले में बंधपत्र/विधिक वचनबद्धता जैसा भी मामला हो, निर्यातक द्वारा स्वयं भरा जाएगा ।

(2) ऐसे मामले में, जहां पर लाइसेंसधारी विनिर्माता निर्यातक है, सम्पूर्ण कच्चे माल को संसाधित करके परिणामी उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए संपूर्ण संयंत्र नहीं है

तथा कुछ संसाधन सहायक विनिर्माता से करवाना चाहता है तो डी. ई. ई. सी. में पृष्ठांकित करने हेतु, ऐसे नाम एवं उनके पते अग्रिम तौर पर सूचित करने होंगे । ऐसे मामलों में संयुक्त बंधपत्र/विधिक वचनबद्धता जैसा भी मामला हो, का निष्पादन करना होगा । इस संबंध में उपरोक्त उप पैरा (1) में शामिल मदों के मामले में छूट दी जा सकती है

(3) राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, तथा निर्यात/व्यापार सदनों/स्टार व्यापार सदन के मामले में डी. ई. ई. सी. में जोड़ने के लिए परिणामी उत्पाद के विनिर्माताओं के नाम भी इंगित करने होंगे, लेकिन निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/एस. टी. सी./एम. एम. टी. सी. के लिए संयुक्त बंधपत्र विधिक वचनबद्धता आवश्यक नहीं होगा तथा वे स्वयं ही बंधपत्र/विधिक वचनबद्धता निष्पादित कर सकते हैं ।

डी.ई.ई.सी. बुक जारी करना

350. (1) इस योजना के अधीन लाइसेंस जारी करते हुए लाइसेंस अधिकारी साथ-साथ डी. ई. ई. सी. भी तैयार करेंगे किन्तु लाइसेंस के साथ उसका भाग-2 ही जारी किया जाएगा । डी. ई. ई. सी पुस्तक का भाग-1 अपेक्षित बांड विधिक वचनबद्धता, जैसा भी मामला हो के प्राप्त हो जाने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निष्पादित किया जाना होगा । संबंधित प्राधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से भरी हुई डी. ई. ई. सी. बुक के दोनों भाग संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निर्यात आभार के पूर्ण किए जाने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों के साथ अग्रेषित किया जाने होंगे ।

(2) जहां अग्रिम लाइसेंसधारी ने बांड/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन नहीं किया है क्योंकि उन्होंने पहले निर्यात आभार पूरे कर लिये थे और बांड/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन के लिए छूट दे दी गई थी तो संबंधित लाइसेंसधारी आयात करने के पश्चात डी. ई. ई. सी. के साथ आयातों और निर्यातों से संबंधित सीमा शुल्क प्रविष्टियों को स्वयं विधिवत भरकर सभी निर्धारित दस्तावेजों सहित अंतिम रूप में गणना के लिए संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा

पंजीकरण का पत्तन

351. इस स्कीम के अंतर्गत लाइसेंस और कर मुक्त अनिवार्यता प्रमाणपत्र पंजीकरण के एक ही पत्तन के भीतर जारी किया जाएगा और वह उस पत्तन के माध्यम से उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के आयात एवं निर्यात के लिए वैध होगा । यदि कोई आयात पंजीकरण के पत्तन से अन्य पत्तन से करना है, तो लाइसेंस धारक को उस सीमा शुल्क प्राधिकारी से सम्पर्क करना होगा जो ऐसी अनुमति दे सके और यह अनुमति उन शर्तों के अधीन होगी जो वे उपयुक्त समझें । यदि कोई निर्यात पंजीकरण के पत्तन की बजाए अन्य पत्तन से किया है तो किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है और पंजीकरण के पत्तन पर सीमा-शुल्क प्राधिकारी को निर्यात के पत्तन वाले सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सूचना दे दी जाएगी । तथापि, परिशिष्ट 13-क के रूप में संलग्न सीमाशुल्क अधिसूचना की शर्त "ड" में यथा निर्दिष्ट कुछ मदों के संबंध में आयात-निर्यात केवल उस शर्त में यथा निर्दिष्ट विशेष पत्तनों/वायु पत्तनों/अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपों से ही किया जा सकता है ।

प्राधिकार पत्र

352. इस स्कीम के अधीन जारी किए गए लाइसेंस पर प्राधिकार पत्र जारी करने की सुविधा यदि पात्र हो तो प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 108 और 109 में दिए गए प्रावधानों के होते हुए भी उन समर्थक विनिर्माता(ओं) तक सीमित रखी जाएगी जिनके नाम जारी किए गए डी. ई. ई. सी. में है । इस स्कीम के अधीन लाइसेंसधारी या डी. ई. ई. सी. में दिखाए गए समर्थक विनिर्माताओं से भिन्न किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस के मद्दे कोई भी साख पत्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यह सुविधा निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन को भी सुलभ होगी ।

आयात

353. यदि इस स्कीम के अधीन लाइसेंस के मद्दे आयात के लिए अनुमित (सरणीबद्ध एवं गैर सरणीबद्ध दोनों मदें) सामग्री राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम या अन्य निर्धारित अभिकरण के पास उपलब्ध है और जिनका आयात इस स्कीम के अधीन जारी लाइसेंस के मद्दे सप्लाई हेतु आयात नीति के पैरा 231 (6) की शर्तों के अधीन जारी थोक अग्रिम लाइसेंस के मद्दे किया गया है तो लाइसेंस धारक को यह छूट होगी कि चाहे वह इन मदों का आयात सीधे ही करे या इन अभिकरणों के वांछित स्टाक से पूर्ति करके प्राप्त करे ; इसी प्रकार यदि लाइसेंस में अनुमित सरणीबद्ध मद सरणीबद्ध अभिकरण के पास उपलब्ध है तो लाइसेंसधारक को यह छूट होगी कि वह ऐसी आपूर्ति ऐसे अभिकरण के वांछित स्टाक से प्राप्त करे । ऐसे अभिकरणों द्वारा जिस सीमा तक आपूर्ति की गई है, उसकी आवश्यक प्रविष्टियां उनके लाइसेंस और डी. ई. ई. सी. बुक में की जाएंगी । राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा सरणीबद्ध अभिकरणों को सरणीबद्ध मदों का संभरण डाई भी सेल आधार पर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

सीधे आयात के एवज में स्वदेशी संभरण

354. इस स्कीम के अंतर्गत लाइसेंसधारक के पास, संबद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले अग्रिम विमुक्ति आदेश के प्रति स्वदेशी संभरक से लाइसेंस में सम्मिलित मदों की मांग प्राप्त करने का विकल्प होगा । इस विकल्प का प्रयोग लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन के समय अथवा बाद में किया जा सकता है । ऐसे अग्रिम विमुक्ति आदेशों के प्रति इस तरह किए गए स्वदेशी संभरण "अभिप्रेत निर्यात" (डीम्ड) के रूप में समझे जाएंगे । तथापि, जब ऐसा अनुभव हो कि स्वदेशी कमियों आदि के कारण कुछ मदों का आयात आवश्यक है तो, लाइसेंसिंग प्राधिकारी इन मदों के मामले में विमुक्ति आदेश जारी करने से मना कर सकता है । अग्रिम विमुक्ति

आदेश उस पुस्तक के अध्याय 16 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी किए जाएंगे ।

लाइसेंस के जारी होने से पूर्व मदों का आयात

355. जहां निर्यातक खुले सामान्य लाइसेंस की मद अथवा अपने लाइसेंस की मदद किन्हीं अन्य मदों का आयात करने का और इस स्कीम के अधीन शुल्क छूट का दावा करने का पात्र हो, तो यह उसकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वह उस मद का अग्रिम आयात करे और शुल्क छूट स्कीम के अन्तर्गत बाद में जारी किए गए वैध लाइसेंस के मदद रखे । लेकिन, सीमा-शुल्क बांड से मद की निकासी उक्त स्कीम के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी जिसके बिना शुल्क छूट का लाभ अनुमेय नहीं होगा । आवेदक का घोषित समर्थक विनिर्माता भी, वास्तविक उपयोक्ता के रूप में खुले सामान्य लाइसेंस की मदों के आयात को प्रभावी करके, इस सुविधा का लाभ उठा सकता है और बाद में आवेदक के हक में उक्त स्कीम के अधीन जारी किए गए वैध लाइसेंस के प्रति उसकी निकासी करवा सकता है, बशर्ते कि समर्थक विनिर्माता उपरोक्त पैरा 352 की शर्तों के अनुसार आवेदक द्वारा उसके हक में जारी किए गए वैध प्राधिकार पत्र का धारक हो ।

(2) अन्य लाइसेंसों के मदद मदों के आयात के लिए उपरोक्त सुविधा इन शर्तों पर उपलब्ध होगी कि आयात के समय आंकलित उक्त लाइसेंस शुल्क छूट योजना के अंतर्गत जारी लाइसेंस के मदद निकासी के बाद पुनः आंकलित नहीं किया जाएगा । यद्यपि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक के पास प्रेषण के आगमन की तारीख को पहले ही इस स्कीम के अंतर्गत जारी वैध लाइसेंस है तो ऐसी मदें शुल्क छूट लाभों के साथ माल की निकासी से पहले सीमाशुल्क बांड में रखने पर जो दिए बिना, सीमाशुल्क द्वारा निकासी कर दी जाएगी ।

निर्यात संभरण

356. इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले निर्यातों से संबंधित पोत परिवहन बिल में ऐसी घोषणा दी जाएगी और ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा जैसा कि एक संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाए । यह प्रावधान मध्यस्थ उत्पादों के लिए जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस/विशेष अग्रदाय लाइसेंस की मदद सम्भरणों के लिए लागू नहीं होगा ।

357. विशेष अग्रदाय लाइसेंसधारक द्वारा किए गए संभरणों को डी. ई. ई. सी. के भाग 2 में संबंधित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा यह पृष्ठांकन किया जाएगा कि उसमें संकेतिक माल प्राप्त हो गया है ।

358. जब मध्यस्थ स्कीम के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंसधारक द्वारा इसी स्कीम के अधीन अन्य अग्रिम लाइसेंसधारक को संभरण किया जाता है तो उस समय सम्भरक प्राप्तकर्ता को जारी किए गए डी. ई. ई. सी. पर उसको किए गए वास्तविक संभरणों के बारे में पृष्ठांकन करेगा । इसी प्रकार प्राप्तकर्ता संभरक के डी. ई. ई. सी. पर उससे प्राप्त संभरण की स्वीकृति के बारे में उपर्युक्त पृष्ठांकन करेगा । मध्यवर्ती विनिर्माता तथा अंतिम विनिर्माता दोनों की प्रविष्टियों की पुष्टि मध्यवर्ती विनिर्माता तथा अंतिम विनिर्माता के लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मूल डी. ई. ई. सी. के साथ प्रस्तुत बैंक द्वारा सत्यापित बीजक के आधार पर की जाएगी । बैंक द्वारा सत्यापित बीजक दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । बैंक द्वारा सत्यापित विधिवत् प्रमाणित बीजक जिस पर अंतिम निर्यातक से संबंधित डी. ई. ई. सी. की संख्या तथा मध्यवर्ती विनिर्माता का आई. एस. एफ. सी. बुक नंबर निर्दिष्ट हो संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा रख ली जाएगी तथा उसी प्रकार विधिवत् प्रमाणित दूसरी प्रति मध्यवर्ती विनिर्माता को निर्यात प्रोत्साहन, यदि कोई हो, की प्राप्ति के लिए लौटा दी जाएगी । ये दस्तावेज संभरण की तिथि में 30 दिनों के अंदर-अंदर प्रस्तुत किए जाएं । यदि अंतिम निर्यातक अथवा मध्यवर्ती विनिर्माता संभरण की तारीख को लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर पाता है तो संदर्भित लाइसेंस जारी किए जाने की तिथि से 30 दिन के अंदर दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाएं । उचित मामलों में दस्तावेज 30 दिन की निर्धारित अवधि के बाद भी स्वीकार किए जा सकते हैं । निर्यातक एक ही अग्रिम लाइसेन्स में लेन-देने को इकट्ठा करने और महीने में एक बार समेकित रूप से अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के भी पात्र होंगे ।

359. उपर्युक्त उप-पैरा 357 तथा 358 में उल्लिखित पृष्ठांकन के मामले में सम्भरण की स्वीकृति पर प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 49 के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपने नाम, पद-नाम और फर्म के पूरे पतों के सहित हस्ताक्षर किए जाने हैं और उस पर कार्यालय की मोहर भी लगानी है । डी. ई. ई. सी. के सभी संगत कालम भी भरे जाने हैं । यह उन किन्हीं अन्य प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त है जो इस नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित है या जारी किए जाने हैं ।

360. यदि निर्यात आभार के पूर्ण करने के लिए पोतलदान या तो लाइसेन्स और डी. ई. ई. सी. के जारी करने से पहले या निर्यात आभार की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद प्रभावित किया जाना है, तो सीमा-शुल्क प्राधिकारी अनन्तिम पोत परिवहन बिलों पर ऐसे निर्यातों की स्वीकृति देंगे । उसके बाद यदि कोई लाइसेंस और डी. ई. ई. सी. जारी किया जाता है या इन निर्यातों को पूरा करने के लिए निर्यात आभार पूरा करने की अवधि बढ़ा दी जाती है तो संबंधित सीमा-शुल्क प्राधिकारी डी. ई. ई. सी. में उपयुक्त प्रविष्टि करके इन निर्यातों को नियमित करेंगे । बहरहाल, यदि लाइसेन्स और डी. ई. ई. सी. जारी नहीं किए जाते हैं या निर्यात आभार पूरा करने की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो अनन्तिम निर्यातों को विनियमित करने हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा और ये पृष्ठांकन रद्द कर दिए जाएंगे । संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस या समय वृद्धि से संबंधित जैसा भी मामला हो निर्यातक को भेजे गए पत्राचार की प्रति सम्बद्ध सीमा-शुल्क प्राधिकारी को पृष्ठांकित करेगा ।

361. लाइसेंसधारक के अनुरोध करने पर उसके निर्यातों की पूर्ति होने पर या ऐसी पूर्ति से पहले उसके लेखे को तय करने

के लिए, सीमा-शुल्क प्राधिकारी सम्बद्ध दस्तावेजों के साथ डी. ई. ई. सी. की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर डी. ई. ई. सी. को उसके सब भागों के सहित सामान्यतः उसे वापस लौटा देंगे ।

362. लाइसेंसधारक को निर्यात आभार को पूर्ण करने तथा बंधपत्र/विधिक वचनबद्धता की विमुक्ति के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :—

(क) लाइसेंस एवं बंधपत्र/शपथ-पत्र द्वारा सम्मिलित निर्यात आभार की अवधि के दौरान प्रभावित निर्यात को दिखाने वाला एक विवरण आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित परिशिष्ट 19-झ के उपाबंध "क" में दिए गए प्रपत्र में दिया जाए ।

(ख) प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 15-घ में निर्धारित प्रपत्र में उपर्युक्त (क) में सम्मिलित निर्यातों के संबंध में पोतपरिवहन बिलों तथा साक्ष्यांकित बैंक बीजकों सहित मूल बैंक प्रमाण-पत्र ।

अथवा

नकद/सरल भुगतान स्कीम अनुभाग द्वारा जारी किया गया निर्यात प्रमाण-पत्र ।

(ग) एक घोषणा-पत्र कि उपर्युक्त विवरण में प्रभावित और सम्मिलित निर्यात को निर्यात आभार पूर्ण करने के लिए न तो किसी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी के सम्मुख सम उपयोजित किया गया है और न ही किया जाएगा ।

(घ) अग्रिम लाइसेन्स के मद्दे पहले परेषण के आयात की तिथि को प्रमाणित करने के लिए प्रविष्टि बिल की तीन प्रतियां (फोटो प्रति सहित) ।

(ङ) यथा अपेक्षित विधिवत् भरे, सभी भागों के सहित पृष्ठांकित, हस्ताक्षरित और सील किए हुए कर छूट हकदारी प्रमाण-पत्र ।

अनुवर्ती/दण्डनीय कार्यवाई

363. जहां इस स्कीम के अधीन लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर जारी किए गए लाइसेन्स के मद्दे कोई बाण्ड/विधिक करार निष्पादित नहीं किया गया है, सम्बद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस रद्द करने के लिए लाइसेंस वापस लेने की कार्यवाई प्रारम्भ करेंगे ।

364. जहां किन्हीं मामलों में निर्यात आभार निर्धारित अवधि या सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, निर्यात आभार अवधि की समाप्ति से एक महीने पहले निर्यात आभार अवधि की समाप्ति के संबंध में निर्यातक को एक सूचना-पत्र जारी किया जाएगा । यदि निर्यात आभार को पूरा करने के लिए निर्यात पूरे नहीं किए जाते हैं तो आयात नीति और प्रक्रिया पुस्तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार दण्डनीय कार्यवाई प्रारम्भ की जाएगी ।

365. जब तक निर्यात आभार को पूरा करने के बारे में संतुष्टि-पद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता लाइसेंस प्राधिकारी नीचे पैरा 366 में निर्दिष्ट लाइनों पर निर्यात आभार की अवधि समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर लाइसेंसधारक के विरुद्ध अनुवर्ती कारवाई आरम्भ करेंगे ।

366. (1) यदि कोई लाइसेंसधारी चाहे पूरा या आंशिक रूप से निर्धारित निर्यात आभार पूरा नहीं करता है और लाइसेंस प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कर छूट प्राप्त माल बेचा नहीं गया है या घरेलू उत्पादन के लिए उसका दुरुपयोग नहीं किया गया है तो लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा कर छूट हकदारी प्रमाण-पत्र को नियमित करने या मुक्त करने के लिए निम्नलिखित कारवाई की जाएगी :—

(क) यदि निर्यात आभार मात्रा के अनुसार पूरा कर दिया गया है परन्तु मूल्य के अनुसार उसमें कमी है तो, लाइसेंसधारी को आयात नीति के परिशिष्ट 17 और पैरा 188 (4) के अनुसार किसी भी उत्पाद समूह के वैध आर. ई. पी. लाइसेंस(सों) हकदारी का उस मूल्य के बराबर अभ्यर्पण करना पड़ेगा जो मूल्य के अनुसार लगाए गए और वास्तव में प्राप्त किए गए निर्यात आभार का अंतर है ।

(ख) यदि निर्यात आभार मूल्य के अनुसार पूरा कर दिया गया है परन्तु केवल मात्रा के अनुसार उसमें कमी है तो लाइसेंसधारी से निम्नलिखित अपेक्षित होगा :—

(1) अनुमोदित निवेश-उत्पादन मानदण्डों जिनके आधार पर लाइसेंस जारी किया गया था, के अनुसार छूट प्राप्त माल की उस मात्रा पर जो असमुपयोजित मान ली गयी है, 18 प्रतिशत ब्याज के सहित सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सभी शुल्कों का भुगतान करना; और

(2) अप्रयुक्त रहे अधिक माल के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के समतुल्य वैध हकदारी/आर. ई. पी. लाइसेंस को वापस करना । लेकिन, आर. ई. पी. लाइसेंस/हकदारी की वापसी इसी निर्यात उत्पाद वर्ग के लिए हो, यदि यह कमी 10 प्रतिशत तक हो और यदि यह 10 प्रतिशत से अधिक हो तो आयात नीति के परिशिष्ट 17 की इसी क्रम सं. अथवा उप क्रम सं. के लिए हो ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त उप पैरा (1) के उद्देश्य से केवल उन्हीं आर. ई. पी. लाइसेंसों पर विचार किया जाएगा जो अभ्यर्पण की तारीख को कम से कम शेष 3 माह की अवधि के लिए वैध होंगे ।

(ग) यदि लाइसेंसधारक मात्रा और मूल्य दोनों में ही निर्यात आभार को पूरा करने में असमर्थ है तो उससे निम्नलिखित अपेक्षित होगा :—

(1) जिस आधार पर अनुमोदित निवेश-उत्पाद मानदण्डों जिनके आधार पर लाइसेंस

जारी किया गया था, के अनुसार छूट प्राप्त माल की उस मात्रा पर जो असमुयोजित मान ली गयी है, 18 प्रतिशत ब्याज के सहित सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सभी शुल्क का भुगतान करना; और

(2) उपर्युक्त पैरा (ख) (2) के अनुसार वैध आर.ई.पी./लाइसेंस हकदारी वापस करने के लिए इसके अतिरिक्त मूल्य में ह्रास के लिए उपर्युक्त पैरा (क) के अनुसार।

(2) उपर्युक्त उप-पैरा (1) में उल्लिखित मामलों में, यदि लाइसेंसधारक लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा तीन महीने की अवधि के दौरान अथवा मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली में निर्यात आयुक्त द्वारा इस प्रकार से बढ़ाई गई अवधि के दौरान उपर्युक्त कार्रवाई करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा निष्पादित बाण्ड विधिक वचनबद्धता लागू किया जाए। लाइसेंस धारक इस प्रकार चूककर्ता घोषित किया जाए जिससे कि वह इस स्कीम सहित नीति के किसी भी प्रावधान के अधीन उसको कोई भी लाइसेंस/रिलीज आदेश प्राप्त करने का कोई हक न हो। यदि लाइसेंस-धारक उपर्युक्त उप-पैरा (1) में निहित शर्तों का अनुपालन करता है तो लाइसेंसधारक को चूक-कर्ता घोषित करने का आदेश लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा वापस लिया जाए। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा सीमाशुल्क तथा उस पर देय ब्याज, यदि कोई है, तो उसका समायोजन जब्त की गई बैंक गारण्टी से किया जाएगा। उन मामलों में जहां कोई बैंक गारण्टी नहीं दी गई है या बैंक गारण्टी की राशि देय राशि को वसूल करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो लाइसेंसधारी को देय निर्यात प्रोत्साहनों में से कटौतियां करके वसूल की जाए। लाइसेंस प्राधिकारी निर्यातक की आर.ई.पी. हकदारी जो भी अर्जित की गई हो या उपर्युक्त उप पैरा (1) के अनुसरण में अभ्यर्पित किए जाने वाले लाइसेंसों की मात्रा के मद्दे भविष्य में अर्जित की जाए, को भी समंजित कर सकता है।

(3) उन मामलों में जहां लाइसेंस प्राधिकारी संतुष्ट हो कि निर्यात आभार की प्रतिपूर्ति की असफलता का कारण निर्यात की कोई भूल या कोई लापरवाही है वहां निर्यातक द्वारा निष्पादित किया गया बाण्ड/विधिक वचनबद्धता को लागू कर दिया जाएगा। लाइसेंस प्राधिकारी उपर्युक्त उप-पैरा (1) के अनुसार की गई कार्रवाई के अतिरिक्त आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त वित्तीय दण्ड दे सकते हैं।

(4) जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि छूट प्राप्त माल बेचा गया है और स्वदेशी उत्पादों के लिए इसका दुरुपयोग किया गया है वहां उल्लिखित प्राधिकारी उपर्युक्त उप पैरा (3) में उल्लिखित के अतिरिक्त वर्जित करके या आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम तथा इसके अंतर्गत जारी आदेशों के अंतर्गत अभियोजन के द्वारा कार्रवाई करें। इन मामलों में बाण्ड का निष्पादन सीमा शुल्क तथा इस पर देय ब्याज की राशि के अतिरिक्त होगा। लाइसेंसधारक को चूककर्ता घोषित करेगा और उसको इस नीति के अंतर्गत इस स्कीम के सहित लाइसेंस/रिलीज आदेश की हकदारी से विमुक्त कर दिया जाएगा।

(5) उपर्युक्त उप-पैरा-ग्राफों में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात किसी भी मामले की पुनरीक्षा कर सकते हैं और उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

रिकार्ड का रखरखाव

367. (1) प्रत्येक लाइसेंसधारक संगत वित्तीय वर्ष के लिए प्रक्रिया पुस्तक को परिशिष्ट-8 ख में दिए गए प्रपत्र में आयातित माल की खपत और उपयोग का सही और उपयुक्त लेखा रखेगा। इसकी अनुपालना में असफल रहने पर उस पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम और सीमा शुल्क विधि के अधीन दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी जो लाइसेंसधारक को सुविधा बन्द करने के अतिरिक्त होगी।

(2) यदि आयात नीति के पैरा 231 (फ) की शर्तों के अधीन थोक शुल्क मुक्त लाइसेन्स जारी किया गया है तो अपेक्षित लेखा रखने के अतिरिक्त लाइसेंसधारी संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी और मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली को डी.ई.एस. अनुभाग को किए गए आयात और लाइसेंस-धारियों को किए गए संभरण की अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

सोना और चांदी आभूषणों तथा वस्तुओं के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम

3(8. इस स्कीम के अधीन अग्रिम लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र निम्नलिखित अपवादों के साथ सामान्य प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे :—

(1) लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय में मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, चांदी/चांदी से बनी वस्तुओं के लिए आवर्ती आधार पर अग्रिम लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र, उपरोक्त पैरा 338 में निहित प्रावधानों के अनुसार संबंद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को दिया जाएगा, और

(2) निर्यात केवल पूर्ववर्ती समरूप आयात के मद्दे अनुमित किया जाएगा।

अध्याय-20
निर्यात संविदाओं का पंजीकरण

369. "निर्यात संविदा पंजीकरण" स्कीम के लाभों का पात्र होने के लिए प्रत्येक संविदा का मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है तथा उसके बाद उसे विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के पास पंजीकरण करवाना चाहिए।

370. (1) इस उद्देश्य के लिए, पंजीकृत निर्यातक को अपना आवेदन-पत्र संबंधित जोनल संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात के पास संविदा की तारीख अर्थात् निष्पादन पार्टी द्वारा जिस तारीख को प्रस्ताव स्वीकार किया है उससे 60 दिन के अंदर पहुंच जाने चाहिए। संबंधित जोनल संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात तथा उनके क्षेत्राधिकारों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

क्षेत्रीय सं० मु० नि० आ० नि०	उनका अधिकार क्षेत्र
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात, बम्बई	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवम द्वीव, दादरा व नगर हवेली, गुजरात तथा मध्य प्रदेश।
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार सिक्कम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, तथा अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह
संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात, मद्रास	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र लक्षदीप, पांडिचेरी, केरयकाल माहे तथा यमन,
संयुक्त, मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात (के० ला० क्षे०) नई दिल्ली	दिल्ली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राजस्थान, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़।

2. आवेदनपत्र निम्नलिखित दस्तावेजों द्वारा समर्थित होने चाहिए :—

(1) संविदा की सात फोटो प्रतियां।

(2) इस पुस्तक के परिशिष्ट 20 में दिए गए प्रपत्र में संविदा का सार।

(3) निर्यात-आयात बैंक या अन्य प्राधिकृत बैंक या टर्नकी परियोजना/सिविल इंजीनियरिंग संविदा के अंतर्गत संविदा के वर्गीकरण के बारे में आयात नीति के अध्याय-20 में निर्दिष्ट परियोजना प्राधिका से एक प्रमाणपत्र।

371. जोनल संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय में इस स्कीम के कार्यक्षेत्र के अनुसार दस्तावेज की जांच की जाएगी तथा सही पाए जाने पर निर्यात संविदा के पंजीकरण के लिए अनुमोदन किया जाएगा और अनुमोदन से आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा।

372. जोनल संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा अनुमोदन जारी होने की तारीख के 60 दिन के दौरान आवेदक अनुसूचित बैंक के पास मूल दस्तावेज उसकी तीन प्रतियों सहित तथा जोनल संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा दिए गए अनुमोदन की तीन प्रतियां प्रस्तुत करेगा। बैंक संविदा को उचित क्रम संख्या आबंटित कर देगा तथा मूल तथा उसकी प्रतियां दोनों पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा :—

"यह संविदा जोनल संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, ... द्वारा विधिवत् अनुमोदित बैंक . . . . की . . . . शाखा के पास पंजीकृत है तथा इस बैंक के रिकार्ड में पंजीकरण सं. . . . . तारीख . . . . के अन्तर्गत प्रविष्टि कर ली गई है। संविदा की तारीख . . . . का सत्यापन कर लिया गया है।

तारीख . . . .

बैंक की मोहर . . . .

हस्ताक्षर . . . .

नाम . . . .

पदनाम . . . .

373. यह बैंक रिकार्ड के लिए जोनल संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के अनुमोदन-पत्र तथा संविदा की एक-एक प्रति रिकार्ड में रख लेगा तथा तथा मूल संविदा, उसकी एक प्रति तथा मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का अनुमोदन-पत्र पंजीकृत निर्यातक को वापिस कर देगा तथा जिस लाइसेंसिंग प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत निर्यातक आता है उसे बैंक द्वारा पंजीकरण की पृष्ठांकित प्रति जोनल संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के अनुमोदन पत्र की एक प्रति भेजेगा। यह बैंक द्वारा पंजीकरण की तिथि से 60 दिनों के अंदर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए।

374. पंजीकृत नियंत्रक अलग से जोनल संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात द्वारा अनुमोदन-पत्र की एक प्रति तथा पंजीकृत संविदा की एक प्रति जिसपर बैंक द्वारा पंजीकरण किया गया हो, को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास भी पंजीकरण की तारीख से 60 दिनों के अंदर भेजेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी दो सूचनाओं में से जो बैंक से अथवा पंजीकृत निर्यातक से 60 दिन की निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर ली गई हो किसी एक के आधार पर इस मामले पर विचार करेगा।

375. किसी ठेके के निरस्त हो जाने के मामले में पंजीकृत निर्यातक (1) जोनल संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,

(2) लाइसेंसिंग प्राधिकारी, और (3) उस बैंक को जिसके माध्यम से ठेके को पंजीकृत किया गया है, निरस्त होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर सूचित करेगा । बैंक के लिए अलग से संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करना भी अपेक्षित होगा।

376. यदि किसी समय यह नोटिस में आता है कि ठेके का पंजीकरण गलती से हो गया था तो निर्यातक को सूचित करते हुए पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाएगा।

377. (1) कोई भी पंजीकृत निर्यातक, जो (एक) मुख्य ठेकेदार है और जिसका नाम मुख्य ठेके में दिया गया है अथवा (दो) किसी भारतीय अथवा विदेशी मुख्य ठेकेदार का एक उप ठेकेदार है और जिसका नाम मुख्य ठेके में दिया गया है वह इन प्रक्रियाओं के अनुसार निर्यात ठेकों को पंजीकृत करा सकता है।

(2) यदि कोई भारतीय उप ठेकेदार मुख्य ठेके की एक प्रति प्राप्त करने में कोई कठिनाई महसूस करता है तो उसे जोनल संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को निर्धारित रीति में उसके अपने उप ठेके के संबंध में दस्तावेजों सहित एक मुख्य ठेकेदार से इस आशय के एक प्रमाण-पत्र सहित कि उप ठेकेदार का नाम मुख्य ठेकेदार के साथ-साथ निविदा में भी दिया गया है, आवेदन करें।

378. किसी पंजीकृत ठेके के मद्दे निर्यात के संबंध में पन्जीकृत निर्यातक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित आयात नीति और प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित और साक्ष्यांकित बैंक के बीजक, बैंक का इस आशय का साक्ष्यांकन कि कथित बीजक के अंतर्गत प्रभावी निर्यात बैंक पंजीकरण संख्या और उसकी तिथि को स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए पंजीकृत ठेके के मद्दे बीजक बनाया गया है।

379. पंजीकृत ठेकों के मद्दे निर्यात के संबंध में जारी किए जाने वाले लाइसेन्सों में निम्नलिखित प्रविष्टि होगी :—

> "यह लाइसेंस उस ठेके के प्रति किए गए निर्यात के अनुसरण में जारी किया गया है जिस के लिए जोनल संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात ने पत्र सं. . . . . दिनांक . . . . द्वारा अनुमोदन दिया था और जो लाइसेंस अवधि . . . . के लिए . . . . . . बैंक के साथ सं. . . . . दिनांक . . . . के अंतर्गत पंजीकृत है।"

380 इस नीति पुस्तक के अध्याय—20 में अन्तवर्ती व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि पंजीकृत ठेके 1988–90 के दौरान किए जा चुके हैं तो पंजीकृत निर्यातक द्वारा इस आशय का लिखित विकल्प दिया जाना चाहिए कि क्या वह नियम संविदा के पंजीकरण का लाभ लेना चाहेगा। इस प्रयोजन के लिए पंजीकृत निर्यातक द्वारा व्यक्तिगत रूप से संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास एक लिखित विकल्प दिया जाना चाहिए जिसके मद्दे उसे एक रसीद जारी की जाएगी।

अध्याय 21

डायमंड, रत्न एवं आभूषण

भाग—1

डायमण्ड अग्रदाय लाइसेंस/डीटीसी अग्रदाय लाइसेंस

381. निर्धारित निर्यात आभार और बैंक गारण्टी/कानूनी वचनबद्धता (इनमें जो भी लागू हो) बाण्ड सहित डायमंड अग्रदाय लाइसेंस/डायमण्ड व्यापार कम्पनी अग्रदाय लाइसेंस जारी करने के लिए स्कीम आयात एवं निर्यात नीति, 1990—93 (खण्ड-1) के अध्याय-21 में दी गई है। इन लाइसेंसों को जारी करने के लिए आवेदन पत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट 21-क में निर्धारित प्रपत्र में भेजे जाएं। बांड और बैंक गारण्टी के लिए प्रपत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट—12-ख और 21-ग में दिए गए हैं। बांड और बैंक गारण्टी/कानूनी वचनबद्धता का मूल्य नीति पुस्तक के अध्याय-21 में निर्धारित किया गया है । निर्यात आभार को पूरा करने में चूक हो जाने के मामले में या ऐसे निर्यातकों के मामले में जो संबंधित लाइसेंस प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए निर्यात व्यापार में नियमितता नहीं दिखाते रहे हैं, उनके मामले में लाइसेंस प्राधिकारियों के लिए यह छूट होगी कि वे नीति पुस्तक के अध्याय-21 में विशिष्टिकृत पूरे मूल्य के लिए बाण्ड के साथ बैंक गारण्टी के लिए आदेश दे सकते हैं।

अपरिष्कृत हीरों के लिए थोक लाइसेंस

382. वैध आर. ई. पी. /डायमण्ड अग्रदाय लाइसेंसों के धारक जो इन अभिकरणों से पूर्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे आयात के लिए (1) हिन्दुस्तान डायमण्ड क. लि. बम्बई (2) खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली और (3) इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित कोई अन्य अभिकरण को थोक आयात लाइसेंस जारी किए जाएं। इस संबंध में नीति आयात नीति के अध्याय-21 में निर्धारित की गई है। थोक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन पत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट-21-घ में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएं।

383. आर. ई. पी./डायमण्ड अग्रदाय के वे धारक जो इन अभिकरणों से पूर्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे इन लाइसेंसों के मद्दे माल की खरीद के लिए अपने लाइसेंसों (दो प्रतियों) में और अपनी सहमति पत्रों के साथ इन अभिकरणों से संपर्क करें। यदि खरीदा जाने वाला माल आवेदक को जारी किए गए डायमण्ड अग्रदाय लाइसेंस के मद्दे है तो लाइसेन्स संबंधित अभिकरण के पास संपर्क करने से पहले क्षेत्रीय संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी के पास निर्यात आभार पूरा करने के लिए अपेक्षित बांड/कानूनी वचनबद्धता का

निष्पादन करेगा । लाइसेन्स प्राधिकारी बांड/कानूनी वचन-बद्धता के ऐसे निष्पादन से संबंधित लाइसेंस पर समुचित रूप से पृष्ठांकन करेंगे।

384. उपयोग में लाए गए लाइसेंस के नामे डालने के लिए थोक लाइसेंसधारक निम्नलिखित को पूरा करेगा।

(1) सेवा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लाइसेंस की फोटो प्रति रखेगा;

(2) यह जांच करेगा कि लाइसेंस (सीमाशुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) वैध है;

(3) यह सुनिश्चित करेगा कि अपरिष्कृत हीरों की बिक्री के मद्दे नामे डालने के लिए उन्हें भेजे गए लाइसेंसों में पर्याप्त राशि शेष है;

(4) यह सुनिश्चित करेगा कि डायमण्ड अग्रदाय लाइसेंस के संबंध में खरीददार द्वारा संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी के पास आवश्यक बांड/कानूनी वचन-बद्धता का निष्पादन कर दिया गया है;

(5) यह सुनिश्चित करेगा कि आयात लाइसेंस नामे डालने के लिए उनसे विशेष रूप से अनुरोध करते हुए अपरिष्कृत हीरों की खरीद के लिए अनुरोध पत्र दे दिये हैं (ऐसे उक्त पत्र पर किए गए हस्ताक्षर खरीददार के ऋणदाता द्वारा अधि-प्रमाणित होंगे)।

(6) यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस की दोनों प्रतियों पर निम्नानुसार पृष्ठांकन किया गया है :—

. . . . से बीजक सं. . . . .
दिनांक के तहत अपरिष्कृत हीरों की
(थोक लाइसेंस धारक का नाम)
खरीद के लिए (रुपये)
. . . . रुपये (शब्दों में) के लिए
मैसर्स . . . . के लाइसेंस का
(फर्म/कम्पनी का नाम)
उपयोग किया गया है।
लाइसेंस का शेष मूल्य . . . .
रुपए) . . . .
. . . . रुपए (शब्दों में) है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

(7) लाइसेंस को नामे डालने के लिए लाइसेंस पर यदि नई शीट लगा दी जाती है तो यह सुनिश्चय करें कि मूल लाइसेन्स के पीछे (दोनों प्रतियों पर) निम्नलिखित अभ्युक्ति दी गई है :—
"वह मूल्य जो लाइसेंस के नामे डाला गया है संलग्न शीट संख्या . . . . में उल्लिखित है।"

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

(टिप्पणी :—यदि नामे डालने का कार्य दूसरी या और अधिक नत्थी की गई शीटों पर किया जाता है तो पूर्ववर्ती संलग्न शीट में इसी प्रकार का अन्योन्य संदर्भ दिया जाना चाहिए)।

(8) ऐसे लेन देन के लिए विशेष रजिस्टर रखेगा और निष्पादित किए गए लाइसेंसों के नाम और पतों, लाइसेन्स नम्बर, तारीख आदि का विवरण, मात्रा तथा निष्पादित मूल्य, यूनिट मूल्य, प्रविष्टि नंबर का बिल तथा सीमा शुल्क सदन का नाम आदि सहित विवरण, और

(9) यह सुनिश्चिय करेगा कि उनके द्वारा रखे गये निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए :—

(1) थोक लाइसेन्स संख्या

(2) आयातित माल का विवरण

(3) आयातक/निर्यातक कोड सं.

(4) आयातित माल की मात्रा और मूल्य

(5) विदेशी संभरक का नाम

(6) वह यूनिट मूल्य जिस पर आयात किया जाता है।

(7) प्रविष्टि बिल सं. और तिथि

(8) खरीददार का नाम और पता

(9) बीजक सं. और तारीख

(10) नामे डालने से पूर्व लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य

(11) लाइसेंस पर नामे डालने डालने वाला मूल्य

(12) नामे डालने के बाद लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य

(13) बीजक सं. और तिथि

(14) बीजक की धनराशि

(15) खरीददार के हस्ताक्षर

(16) अभियुक्त, यदि कोई हो तो,

(17) फाइल सं.

385. उसके बाद थोक लाइसेन्स धारक सेवा अर्पित करने के उपयोग में लाए जाने वाले लाइसेंसों का ब्यौरा तीन प्रतियों में अपना पृष्ठांकन करते हुए मूल लाइसेंस को सहित उस संबंधित क्षेत्रीय लाइसेन्स प्राधिकारी को भेजेगा जिसमें संबंधित

थोक लाइसेन्स प्राप्त किया गया है । भेजे जाने वाले ब्यौरे का विवरण निम्नानुसार है :—

प्रपत्र

मैसर्स (थोक लाइसेंस धारक का नाम)

क्रम सं०	आवेदक का नाम व पता	बीजक सं० तिथी	लाइसेंस सं० और तिथी कार्यालय की फाईल सं०
(1)	(2)	(3)	(4)

लाईसेंस का मूल्य	प्रयुक्त मूल्य	शेष मूल्य	अभ्युक्ति
(5)	(6)	(7)	(8)

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

उपर्युक्त विवरण में दिए गए ब्यौरों का मिलान मूल लाइसेंस के साथ कर लिया गया है और सही पाया गया है और लाइसेंस पर तदनुसार प्रति हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

( )

सहायक मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक आयात एवं निर्यातक के हस्ताक्षर

386. सम्बद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी थोक लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए मूल लाइसेंसों की तुलना प्रपत्र में दिए गए विवरणों से करेंगे और यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि लाइसेंस वैध है, और सही मूल्य के लिए पृष्ठांकित किए गए हैं, इन लाइसेंसों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे । वह पार्टी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रतियों में दिए गए विवरण को भी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और मूल लाइसेंस सहित विवरण की दो प्रतियां थोक लाइसेंसधारी को वापिस कर देंगे। थोक लाइसेंस-धारक सम्बद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी से विधिवत् प्रतिहस्ताक्षर किए हुए लाइसेंस की प्राप्ति के बाद ही आवेदक को अपरिष्कृत हीरों की सुपर्दगी देगा। लाइसेंस के वापिस प्राप्त करने के बाद, एक फोटो प्रति पुन: थोक लाइसेंसधारी द्वारा रखी जाएगी।

387. थोक लाइसेंस से की गई सेवा के मूल्य की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करते समय थोक लाइसेंसधारी जिन लाइसेंसों से सेवाएं अर्पित की गई हैं उनका ब्यौरा देते हुए सम्बद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल विवरण प्रस्तुत करेगा। सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी पार्टी द्वारा दिए गए मूल विवरण की तुलना, उसके द्वारा रखी गई विवरण की प्रति से करेगा और नीति के अनुसार थोक लाइसेंस के मूल्य की प्रति-पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाई करेगा।

भाग 2

सोने/चांदी के आभूषण स्कीमों के लिए प्रक्रिया

388. निर्यातक नीति में यथा निर्धारित रत्नों के आर ई पी लाइसेंसों के लिए हकदार होंगे। अन्य सभी दस्तावेज, शर्तें आदि जो कि प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 15 में यथानिहित आर ई पी आवेदनों/लाइसेंसों के मामले में लागू हैं वे समान रूप से रत्नों के आर ई पी आवेदनों/लाइसेंसों के मामले में भी लागू होंगे। तथापि, रत्नों के आर ई पी लाइसेंस के लिए आवेदन भेजने के लिए सामान्य कटौती पर सोने चांदी और वेस्टेज के क्लेम् से संबंधित अन्य सभी हकदारी के तय हो जाने के बाद ही विचार किया जाएगा।

"रत्नों की आर. ई. पी." हकदारी परिकल्पित करने की विधि

389. (1) रत्नों के आर ई पी लाइसेंस के लिए हकदारी निम्नलिखित के लिए उपलब्ध होगी :

(1) यदि मूल्य संयोजन सादे और जड़ित सोने और चांदी के आभूषणों में, यदि कोई हो तो अभिकरण के कमीशन के भुगतान को छोड़कर क्रमश: 15% और 25% से अधिक है सोने के आभूषणों के निर्यातों पर सोने की वेस्टेज का तत्व अनुमित हो।

(2) आर. ई. पी. दर नीचे निर्दिष्ट प्रति कैरेट असली के परिणाम के अनुसार प्रति कैरेट असली के अनुसार परिवर्तन पर आधारित होगी। रत्नों की आर ई पी हकदारी के मूल्य की गणना आभूषण और वस्तुओं के निर्यात के कुल "जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य कहा जाएगा" में से निम्नलिखित नीचे दिए गए तत्वों के मूल्य "ख कहा जाएगा" में घटाकर की जाएगी, क सीमाशुल्क द्वारा यथा अनुमित जड़ित आभूषण/वस्तुओं में सोने और चांदी का अंकित मूल्य जमा निर्यातक के लिए अनुमित सोने के विनिर्माण के ह्रास का मूल्य जमा उस श्रेणी में प्रतिशतता पर पहले दो तत्वों के कुल मूल्य संयोजन जिसके अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा सोने के विनिर्माण का ह्रास अनुमित के बराबर है।

(3) बकाया "ग" कहे जाने वाले का निर्धारण करने के लिए मूल्य "ख" को मूल्य "क" में घटाया जाएगा ।

(4) रत्नों की आर ई पी हकदारी का निर्धारण करने के लिए इस बकाया मूल्य "ग" के जड़ित आभूषण

के वास्तविक भार को लेते हुए डायमण्ड अथवा बहुमूल्य स्टोन्ज अथवा दोनों (जहां कहीं लागू हों) लेकिन पृथक-पृथक के लिए प्रति कैरट वसूली तक कम कर दिया जाएगा और इसमें से सोना (केवल सोने की वेस्टेज) या चांदी के तत्व और मोतियों का भार, अर्ध-बहुमूल्य नग और कृत्रिम नग के वास्तविक भार को जहां भी लागू हो घटाया जाएगा। यह मूल्य ''घ'' के रूप में कहा जाए।

(5) मूल्य ''ग'' को मूल्य ''घ'' के साथ विभाजित करने के बाद निकाला गया मूल्य रत्नों की आर ई पी हकदारी के लिए पूर्व कैरट वसूली के रूप में परिभाषित होगी।

(6) यदि निर्यातित आभूषणों/वस्तुओं में मोती, अर्ध बहुमूल्य नग और कृत्रम नग निहित हैं, तो नीति के अध्याय-21 में तालिका-2 में यथानिहित इन मदों पर प्रतिशतता हकदारी की रत्नों की आर. ई. पी. हकदारी के कुल मूल्य का निर्धारण करने के लिए ''घ'' कहे जाने वाले उपर उल्लिखित मूल्य में जोड़ा जाएगा।

(2) कोई भी रत्नों की आर ई पी हकदारी नहीं दी जाएगी यदि 15% के मूल्य संयोजन के साथ सादे या जड़ित सोने के आभूषणों और वस्तुओं का निर्यात केवल निर्धारित सोने की वेटस्टेज के लिए हकदारी करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार 25% के मूल्य संयोजन के साथ सादे या जड़ित चांदी के आभूषण के निर्यात के मामले में रत्नों की आर.ई.पी. हकदारी नहीं दी जाएगी।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

चूंकि चांदी की वेस्टेज के लिए कोई प्रस्तावित अनुमति नहीं है तो चांदी के आभूषण के मामले में रत्नों की आर.ई.पी. हकदारी मूल्य की गणना मूल्य ''ख'' निकालने के लिए चांदी का मूल्य और उस पर मूल्य संयोजन को ध्यान में रखकर की जाएगी।

स्पष्टीकरण

(3) (1) निम्नलिखित स्पष्टीकरण सोने और चांदी के आभूषणों के संबंध में रत्नों की आर.ई.पी. हकदारी के परिकलन को बताता है :—

(क) जड़ित सोने के आभूषण :

1. सीमा शुल्क द्वारा यथा प्रमाणित आभूषणों की वस्तुओं के निर्यात की जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	2000 रुपये
2. सीमा शुल्क द्वारा यथा अनुमित आभूषणों में सोने का अंकित मूल्य	(क) 1000 रुपये
3. क्लेम किये गये और सीमा शुल्क द्वारा अनुमित किये गये सोने के विनिर्माण में ह्रास	3%
4. प्राप्त किये सोने पर मूल्य संयोजन	20%
5. सोने का मूल्य+मूल्य संयोजन	1030+1030 का 20% =1236 रुपये
6. सीमा शुल्क द्वारा यथा प्रमाणित जड़ित वस्तुओं पर जहाज पर्यन्त निःशुल्क निर्यात पर बकाया मूल्य	(ख) 764 रुपये (ग)

(ख) जड़ित चांदी के आभूषण

1 सीमा शुल्क द्वारा यथा प्रमाणित आभूषणों/वस्तुओं के निर्यात का जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य	1000 रुपये (क)
2 सीमा शुल्क द्वारा यथा अनुमित आभूषणों/वस्तुओं में चांदी का अंकित मूल्य	400 रुपये
3 सीमा शुल्क द्वारा यथा अनुमित चांदी पर मूल्य संयोजन	25%
4. चांदी का मूल्य+मूल्य संयोजन	400+400का 25%=500 रुपये (ख)
5. सीमा शुल्क द्वारा यथा प्रमाणित जड़ित वस्तुओं के लिए जहाज पर्यन्त निशुल्क निर्यातों का बकाया मूल्य	50 रुपये (ग)

(2) निर्यातक जड़ित वस्तुओं के लिए निर्यातित सोने और चांदी के आभूषणों पर क्रमशः 764/- रुपए और 500/- रुपए पर रत्नों के आर.ई.पी. लाइसेंस के लिए हकदार होंगे।

विदेशी क्रेताओं द्वारा संभरित स्वर्ण/चांदी के मदद स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों के निर्यात की स्कीम।

इस स्कीम के अन्तर्गत स्वर्ण तथा चांदी का आयात

390. (1) इस स्कीम के अधीन शुद्ध सोने तथा चांदी माउंटिंग तथा फाईंडिंग सहित के आयात की अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा मनोनीत एजेन्सी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस स्कीम के उद्देश्य के लिए जारी किए गए सामान्य या विशिष्ट विमुक्ति आदेश के आधार पर दी जाएगी। आयातित सोने तथा चांदी के प्रत्येक परेषण की निकासी के संबंध में निकासी करने से पहले हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम) मनोनीत एजेन्सी प्राधिकारियों को यह वचन देते हुए एक बाण्ड निष्पादित करेगी कि मंजिल में निर्धारित अवधि के भीतर या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा अनुमित समय के भीतर वह सोने तथा चांदी माउंटिंग तथा फाईंडिंग निवेश के रूप में तैयार आभूषणों या वस्तुओं में लगे आयातित सोने तथा चांदी की पूर्ण मात्रा को [illegible] को परिष्कृत आभूषणों अथवा वस्तुओं का निर्यात करेगी। [illegible] मनोनीत एजेंसी यह वचन भी देगी कि स्वर्ण तथा चांदी की जो मात्रा निर्यात न की गई सिद्ध हो जाएगी उस मात्रा के स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का अन्तर तथा उस पर [illegible] सीमाशुल्क भी चुकाएगी। जहां कहीं हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम मनोनीत एजेंसी के पास

सहयोगियों द्वारा प्राप्त निर्यात आदेशों के मामले में सीमा संविदा के आभारों का अनुपालन किया गया है, इस बात का सुनिश्चय करने के लिए ऐसे सहयोगियों के समरूप अलग-अलग गारंटियां प्राप्त करने का दायित्व उन्हीं एजेंसियों पर होगा ।

(2) केवल उक्त अभिकरण द्वारा या उनकी ओर से जहां निर्यात आदेश उनके द्वारा प्राप्त किए हों या उसके पात्र सहयोगियों की ओर से जहां निर्यात आदेश ऐसे सहयोगियों द्वारा प्राप्त किए गए हों तो आयातित सोने तथा चांदी की निकासी सीमाशुल्क प्राधिकारियों के माध्यम से की जाएगी । बाद के मामले में निर्यातक को मनोनीत एजेन्सी को प्रविष्टि बिल दाखिल करने के लिए और आयातित माउंटिंग तथा फाइंडिंग सहित सोने तथा चांदी की सीमाशुल्क से निकासी के लिए और साथ ही साथ सीमाशुल्क के माध्यम से अनुवर्ती निर्यातों को प्रभावी करने के लिए और सम्बद्ध जहाजरानी बिल दाखिल करने के लिए भी एक अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत करना होगा ।

(3) भारत में सोने का आयात प्राप्त करने के लिए मनोनीत एजेंसी स्वर्ण नियंत्रण प्रशासन की सामान्य अनुमति भी प्राप्त करेगी ।

(4) इस मनोनीत एजेंसी को आयातित सोना बम्बई या कलकत्ता में भारत सरकार की टकसाल में या तो उस दिन जिस दिन सीमाशुल्क के माध्यम से सोने की निकासी की गई हो या अधिक से अधिक अगले दिन जमा करना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में वह टकसाल प्राधिकारियों से उचित रसीद भी प्राप्त करेगा । चूंकि टकसाल की सुविधाएं केवल बम्बई और कलकत्ता में उपलब्ध हैं, इसलिए इस स्कीम के अधीन सोना आयात करने की अनुमति केवल इन दो स्थानों पर दी जानी चाहिए । टकसाल प्राधिकारियों द्वारा आयातित सोने को .995 की शुद्धता की मानक बारों में परिवर्तित किया जाएगा । सीमाशुल्क प्राधिकारी अनुवर्ती निर्यातों की अनुमति केवल टकसाल की रसीद के आधार पर यह संतुष्टि हो जाने के बाद देंगे कि निर्यात की जाने वाली मदों के विनिर्माण में प्रयुक्त सोने की अपेक्षित मात्रा भारत सरकार की टकसाल द्वारा प्राप्त की गई थी ।

(5) इन मामलों में आयातित चांदी तथा सोने/चांदी फाइंडिंग तथा माउंटिंग आदि मनोनीत एजेंसियों द्वारा रखी जाएगी तथा आगे दी गई प्रक्रिया के अनुसार निर्यातकों को दी जाएगी ।

(6) विदेशी क्रेताओं द्वारा संभरित मिश्र धातु, सोने, फाइंडिंग आदि के मामले में सीमाशुल्क प्राधिकारी विदेशी क्रेता द्वारा संभरित माउंटिंग तथा फाइंडिंग आदि की संख्या, भार तथा मूल्य का मनोनीत एजेंसी से प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही निर्यात अनुमित करेंगे ।

(7) जहां पर निर्यात आदेश मनोनीत एजेंसी द्वारा सीधे ही उसके नाम में प्राप्त होता है तो संबद्ध निर्यातों के लिए पोतलदान बिल सीमाशुल्क विनियमनों के अंतर्गत यथाअपेक्षित मनोनीत एजेंसी द्वारा उसके स्वयं के नाम में ही दाखिल किया जाएगा । जहां पर निर्यात आदेश मनोनीत एजेंसी के पात्र सहयोगियों के माध्यम से प्राप्त होता है तो संबद्ध निर्यातों के लिए पोतलदान बिल संबंधित सहयोगियों के लेखे में जिसका नाम और पता पोतलदान बिल में दर्शाया जाएगा, मनोनीत एजेंसी के नाम में दाखिल किया जाएगा । ऐसे पोतलदान बिल मनोनीत एजेंसी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए पृष्ठांकित भी किए जाएंगे कि निर्यात संबंधित सहयोगियों द्वारा प्राप्त आदेश के मद्दे किया गया है और मनोनीत एजेंसी के पास पंजीकृत किया गया है और जिस तारीख को उनके पास पंजीकृत किया गया था उसे देते हुए और प्रमाणित करते हुए कि निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए विषयाधीन स्वर्ण विदेशी क्रेता से प्राप्त किया गया था और भारत सरकार की टकसाल में इस तिथि (जो कि बाद में निर्धारित की जाएगी) को जमा करा दिया था । पृष्ठांकन करने से पहले निर्यातित मदों के विनिर्माण में उपयोग की गई स्वर्ण और चांदी की मात्रा और जोड़े गए न्यूनतम निर्धारित मूल्य के संबंध में मनोनीत एजेंसी को स्वयं संतुष्टि करनी होगी । ऐसे पृष्ठांकन मनोनीत एजेंसी के केवल उन मनोनीत अधिकारियों द्वारा ही किए जाएं जिनके हस्ताक्षर जांच पड़ताल के लिए सीमाशुल्क सदनों को पहले से ही भेजे जाएंगे ।

(8) अन्य बातों के साथ-साथ पोतलदान बिल में निर्यात की जाने वाली प्रत्येक मद में उपयोग किए गए सोने और चांदी के भार एवं शुद्धता और निर्यात की जाने वाली मदों के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य उस सीमाशुल्क सदन का नाम जिसके माध्यम से सोने और चांदी आदि का अनुरूप आयात किया गया था प्रविष्टि बिल और विदेशी क्रेता द्वारा संभरण किए गए सोने और चांदी की निकासी की तारीख के बारे में निर्यातक की घोषणा होनी चाहिए । पोतलदान बिल की एक अतिरिक्त प्रति भी भेजी जानी चाहिए ।

(9) लेकिन, उन मामलों में जहां पोतलदान एक ऐसे सीमाशुल्क कार्यालय के माध्यम से किया जाता है, जो सीमाशुल्क कार्यालय से भिन्न है जिसके माध्यम से सोने का अनुरूप आयात किया गया था तो लदान बिल की दो अतिरिक्त प्रतियां सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा भेजी जाने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए और यह तभी किया जाएगा जबकि उस सीमाशुल्क कार्यालय के माध्यम से पोतलदान हो जाए जिसके माध्यम से अनुरूप आयात किया गया था, यह बांड को रद्द करते समय संदर्भ हेतु होगा । (यदि निर्यात की जाने वाली सभी या कुछ मदों के संबंध में प्रयुक्त सोने और चांदी की शुद्धता एक समान है तो जैसा कि वे एक समान शुद्धता की मदें हैं, उनके विस्तृत ब्यौरे देने के बजाय सोने और चांदी का कुल वजन एवं ऐसी मदों का कुल मूल्य दें ।) जड़ित मदों के संबंध में, पोतलदान बिल में उपर्युक्त सोने और चांदी की मात्रा के साथ-साथ उनके विनिर्माण में उपयोग किए गए मणियों/रत्नों/मोतियों का विवरण/भार/मूल्य और इसके साथ-साथ सोने और चांदी में खोट मिलाने के लिए उपयोग में लाई गई किसी अन्य कीमती धातु का भार मूल्य भी दर्शाया जाना चाहिए ।

(10) इस प्रकार पृष्ठांकित प्रत्येक पोतलदान बिल केवल उस सीमा शुल्क सदन के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए ही वैध होगा जहां पर पृष्ठांकन करने वाली मनोनीत एजेंसी का कार्यालय

स्थित है । मनोनीत एजेंसी द्वारा पृष्ठांकित तिथि से सात दिनों की अवधि के लिए यह पोतलदान के लिए वैध होगा, लेकिन इसके अंतर्गत पृष्ठांकन की तिथि शामिल नहीं होगी यदि निर्यात इस अवधि के अंतर्गत नहीं किए जा सकते हों, तो निर्यातक एक नया पोतलदान बिल दाखिल करेगा । किसी भी पोतलदान बिल के संबंध में पोतलदान की अवधि में कोई भी वृद्धि अनुमेय नहीं होगी ।

(11) निर्यात के समय, निर्यातक पोतलदान बिल के साथ-साथ संबंधित बीजकों की तीन प्रतियां और सीमाशुल्क द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी को भेजेगा । निर्यात की अनुमति से पूर्व अन्य बातों के साथ-साथ उक्त प्राधिकारी :—

(1) इस बात का सत्यापन करने के लिए आवश्यक जांच करेगा कि निर्यात के लिए प्रत्येक मद में उपयोग किए गए सोने और चांदी का वजन और उसकी शुद्धता उक्त दस्तावेजों में निर्यात द्वारा की गई घोषणा के अनुसार है; और

(2) इस बात का सुनिश्चय करेगा कि सोने चांदी के आभूषणों तथा वस्तुओं के बारे में निर्धारित न्यूनतम मूल्य संयोजन की पूर्ति की गई है । सादे तथा जड़ित सोने के आभूषणों के मामले में सोने पर 15% की निर्धारित न्यूनतम सीमा से, यदि कोई है तो निर्यातक ने अधिक मूल्य दावित तो नहीं किया है, सीमाशुल्क प्राधिकारी इस बात का सुनिश्चय करेगा तथा इस स्कीम में उपलब्ध मापदण्ड के अन्तर्गत उपलब्ध अनुरूप सोने का ह्रास सुनिश्चित करेगा । सीमाशुल्क प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि सोने के आभूषणों तथा वस्तुओं में प्रयुक्त सोना तथा निर्यातक को अनुमेय सोने का ह्रास दोनों का मूल्य नीति में निर्धारित मापदण्ड तालिका के निर्धारण से कम तो नहीं आता है ।

(3) स्वयं इस बात की संतुष्टि करेगा कि निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात मूल्य (सोने और चांदी के मूल्य को घटा कर) सीमाशुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार है ।

(12) निर्यात के लिए इस प्रकार स्वीकृत सोने और चांदी की मद का भार और उसकी शुद्धता सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा संबद्ध पोत परिवहन बिल पर सत्यापित की जाएगी । सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित बीजक भी साक्ष्यांकित करेंगे और संबंधित बीजक की दो प्रतियां, अर्थात् एक प्रति उस व्यक्ति को जिसने निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत किए हों और दूसरी प्रति सीधे ही मनोनीत एजेंसी को लौटाएगा ।

(13) निर्यात की तिथि से 15 दिनों के भीतर निर्यातक मनोनीत एजेंसी के उसी कार्यालय के समक्ष निर्धारित प्रपत्र एवं विधि के अनुसार सोने की रिहाई के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसने बिल पर पृष्ठांकन किया था और उसके साथ सीमाशुल्क द्वारा साक्ष्यांकित बीजक सीमाशुल्क द्वारा अधिप्रमाणित पोत परिवहन बिल और मूल बैंक प्रमाणपत्र भी संलग्न करेगा जिसमें दस्तावेज के समझौते और उस हवाई जहाज संख्या के साक्ष्य होंगे जिसमें माल का निर्यात किया गया था । दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात नामित एजेंसी निर्यातक को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लदान बिल पर यथाप्रमाणित निर्यातित आभूषण एवं वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग की गई मात्रा तक ही सोने और चांदी कि रिहाई की स्वीकृति प्रदान करेगा ।

(14) निर्यातक निर्यात की जाने वाली मदों के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए विदेशी क्रेता द्वारा संभरित सोने/चांदी की वांछित मात्रा का अग्रिम विमुक्ति आदेश प्राप्त करने का पात्र होगा । सोने के मामले में, मनोनीत एजेंसी से प्राधिकरण के आधार पर टकसाल प्राधिकारियों से निर्यातकों द्वारा सीधे ही अपेक्षित मात्रा प्राप्त की जा सकती है । निर्यातक के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर सोने/चांदी के मूल्य तथा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम प्रमाणीकरण के आधार पर आयातित माउंटिंग तथा फाइंडिंग का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के बराबर राशि के लिए मनोनीत एजेंसी के पास एक बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी होगी तथा इसके साथ ऐसी मात्र के आयात के लिए देय सीमाशुल्क जोड़कर, वास्तविक निर्यात के पहले से ही मनोनीत एजेंसी से प्राप्त करने से पूर्व बैंक गारण्टी के प्रयोजनार्थ सोने चांदी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य संबद्ध मनोनीत एजेंसी द्वारा निर्यातक को सूचित किए गए काल्पनिक मूल्य के बराबर होगी, बैंक गारण्टी कम कर दी जाएगी । यदि मनोनीत एजेंसी संतुष्ट है कि आभूषणों एवं वस्तुओं के वास्तविक निर्यात किए गए हैं तथा निर्यातक को विमुक्त किए गए सोने/चांदी का प्रयोग अनुमेय सोने के ह्रास को जोड़कर निर्यात की जाने वाली मदों के लिए किया गया है । इस उद्देश्य के लिए संबद्ध मनोनीत एजेंसी के कार्यालय में सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा प्रमाणित बीजक, सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत पोतलदान बिल तथा मूल बैंक प्रमाणपत्र तथा वास्तविक पोतलदान के विवरण और दस्तावेजों के सौदों के प्रमाण सहित एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(15) जहां सोना/चांदी भारतीय स्टेट बैंक की सोना/चांदी वितरण सुविधाओं का प्रयोग करते हुए इस स्कीम के अंतर्गत विमुक्त की जानी है तो उपरोक्तानुसार निर्यातक को सोने/चांदी की विमुक्ति भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा द्वारा मनोनीत एजेंसी द्वारा प्राधिकरण के आधार पर की जाएगी ।

(16) जहां पर मनोनीत एजेंसी द्वारा सीधे ही निर्यात आदेश प्राप्त किया गया था तथा उनके द्वारा स्वयं ही निर्यात किया गया है तो निर्यात की गई मदों में प्रयुक्त सोने/चांदी की मात्रा प्रतिपूर्ति के लिए उनके रिकार्ड अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत देय मात्रा के लिए स्वयं को संतुष्ट करेंगे । जारी किए जाने वाले सोने और चांदी की मात्रा की गणना करने के लिए मनोनीत एजेंसी निर्यात मदों की सोने और चांदी की मात्रा के भार को निम्नलिखित में से जो उचित हो, से गुणा करेगा, जैसा

कि निर्यात की अनुमति देने वाले सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया है :—

(1) यदि घोषणा कैरेट्स में है तो उसके कैरेट्स को 24 से विभाजित करके (सोने के मामले में)

अथवा

(2) यदि घोषणा शुद्धता में है तो उसकी शुद्धता (सोने और चांदी दोनों के लिए)

टिप्पणी :—शुद्ध सोने के आंकड़े ह्रास के लिए उपलब्ध गणना करके तथा ह्रास के किसी तत्व का जोड़े बिना चांदी के आंकड़े बिना ह्रास के होंगे और इन धातुओं के एक ग्राम को ग्राम के निकटतम दसवें गुणक तक पूर्ण किया जाएगा ।

निर्यात आभार की विमुक्ति के लिए अन्तर्वर्ती कार्रवाई का रिकार्ड

391. मनोनीत एजेन्सी प्रत्येक निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए आयातित स्वर्ण और चांदी के परेषण-वार पूर्ण लेखों, ऐसे निर्यातों के मद्दे प्रभावी किए गए निर्यात तथा दी गई सोने/चांदी की मात्रा का हिसाब रखेगी । प्रत्येक तिमाही के अन्त में अर्थात् 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को मनोनीत एजेन्सी भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क के संबंधित क्षेत्राधिकार का समाहर्ता, जैसा भी मामला हो, आयात की गई सोने/चांदी की समग्र मात्रा को इंगित करते हुए, प्रभावी किए गए निर्यातों में प्रयुक्त सोने/चांदी की कुल मात्रा और इस प्रकार किए गए निर्यातों के मद्दे प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई सोने/चांदी का कुल मात्रा/माउंटिंग, फाइंडिंग आदि के संबंध में इसी प्रकार के ब्यौरे दिए जाएंगे । इन आभारों के निष्पादन के उद्देश्य से इसके द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास निष्पादित बंधपत्र के अधीन मनोनीत एजेन्सी को संबंधित सीमाशुल्क समाहर्ता को एक विवरण पत्र में बिल की प्रविष्टि सं., जिसके मद्दे संविदा के निष्पादन के लिए स्वर्ण/चांदी और माउंटिंग, फाइंडिंग्स, इत्यादि का आयात किया गया है, आयात करने की तिथि, सोने/चांदी और माउंटिंग्स, फाइंडिंग्स आदि की मात्रा, जहाजरानी बिलों की संख्या जिसके मद्दे आभूषणों/वस्तुओं के अनुवर्ती पोतलदान किए गए, निर्यात किए गए माल का ब्यौरा और संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किए गए प्रत्येक पोतलदान बिल के संबंध में सोने/चांदी की मात्रा दी जानी चाहिए । बंधपत्र के निरसन के लिए ऐसे आवेदन निर्यात किए जाने वाले सभी आभूषणों/वस्तुओं के पोतलदान के तुरन्त बाद, जिनका निर्यात एक विशेष संविदा के मद्दे किया जाना है या स्वर्ण/चांदी के विदेशी संभरक के साथ किए गए संबद्ध ठेके में नियम निर्यात अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी पहले हो, किए जाएंगे । ऐसे मामलों में जहां कहीं आभूषण/वस्तुओं का पोतलदान किसी उप सीमाशुल्क सदन के माध्यम से किया गया है जिससे उसने स्वर्ण/चांदी के अनुरूप आयात किया गया, तो मनोनीत एजेन्सी बंधपत्र को निरस्त करने के आवेदन पत्र के साथ जहाजरानी बिल की प्रतियां भी प्रस्तुत करेगी जिसके मद्दे उस सीमाशुल्क सदन से निर्यात किया गया था जिससे कि सोना/चांदी आयात किया गया था । अनुपूरक प्रक्रिया के और अधिक ब्यौरे, जांच बिन्दु और हिदायतें, यदि आवश्यक हों, तो संबंधित सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा दी जाएगी । इस प्रयोजन के लिए मनोनीत एजेंसी समाहर्ताओं के साथ संपर्क रखेगी ।

ख. विदेश में लगायी जाने वाली प्रदर्शनियों में बिक्री के लिए स्वर्ण आभूषणों और वस्तुओं के निर्यात की स्कीम

392. (1) इस स्कीम के अधीन मनोनीत एजेंसियों को संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अलावा संबंधित प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा दी गई मंजूरी का मूलपत्र या उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी । मनोनीत एजेन्सियों की मार्फत से इतर द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों के संबंध में संबंधित संयोजकों के संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी को मूलपत्र की प्रमाणित प्रति जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य मंत्रालय की मंजूरी दी गई हो, प्रस्तुत करना होगा ।

(2) निर्यात की जाने वाली प्रत्येक मद, उसका कुल भार/मूल्य और भार और उसके समग्र सोने/चांदी की मात्रा की शुद्धता के ब्यौरे साफ-साफ दिए जाएंगे/उपर्युक्त धातु मात्रा के अलावा, उनके विनिर्माण में प्रयुक्त मूल्यवान/अर्ध-मूल्यवान स्टोन/डायमण्ड कलंग्ड गोल्ड वेस्टेज का विवरण/भार मूल्य के साथ-साथ मिश्रधातु के रूप में प्रयुक्त की गई किसी अन्य बहुमूल्य धातु का विवरण/भार/मूल्य भी दिया जाएगा ।

(3) निर्यात करते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी सत्यापित करेगा कि निर्यात के लिए प्रत्येक मद में प्रयुक्त होने वाले सोने एवं चांदी का भार एवं शुद्धता पोतलदान बिल में निर्यातक द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार है ।

(4) निर्यात संवर्धन प्रयोजनों और/या विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों/व्यापारिक मेलों में अस्थायी प्रदर्शन के लिए भारतीय निर्यातकों द्वारा बहुमूल्य धात्विक आभूषणों के नमूनों का व्यक्तिगत असबाब अनुमित किया जाएगा ।

(क) प्रक्रिया वही होगी जो कि हवाई भाड़े से माल परेषित करने की है सिवाए इसके कि नमूनों के पार्सल सीमा शुल्क जांच तथा सील करने के बाद एयर लाईन की बजाए निर्यातक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रपत्र-ज में अनुरोध करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति के प्रस्तुतीकरण पर सौंप दिए जाएंगे । निर्यातक देश छोड़ते समय सीमा शुल्क प्राधिकारी को इन नमूनों के व्यक्तिगत असबाब की घोषणा अवश्य करें तथा सीमा शुल्क विभाग से आभूषण मूल्यांकन के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र का आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करें ।

(ख) नमूनों के रूप में भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेशों में भाग लेने के बाद वापिस लाए गए बहुमूल्य धात्विक आभूषणों के नमूनों के पुनः आयात के मामले में वापिस आने पर पुनः आयात की गई मदों की जांच निर्यात दस्तावेजों के साथ की जाएगी । नमूनों को सीमा शुल्क द्वारा सील कर दिया जाएगा । सील किए गए पार्सल आवश्यक मूल्यांकन के लिए सीमा शुल्क आभूषण अप्रेजर को प्रस्तुत किए जाने के लिए पार्टी को सौंप दिए जाएंगे ।

मनोनीत एजेंसियों द्वारा सोने और चांदी का आयात

393. (1) मनोनीत एजेंसियों द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में भारत में आयातित सोना पहले भारत सरकार की टकसाल में बाद में विमुक्त करने के लिए जमा किया जाएगा। मनोनीत एजेंसी को बम्बई या कलकत्ता में भारत सरकार की टकसाल में आयातित सोने को उसी दिन जमा करना होगा जिस दिन सीमाशुल्क के माध्यम से सोने की निकासी हुई है या उससे अगले दिन जमा करना होगा तथा टकसाल के प्राधिकारियों से रसीद प्राप्त करनी होगी। चूंकि टकसाल की सुविधाएं केवल बम्बई तथा कलकत्ता में ही उपलब्ध हैं इसलिए इस स्कीम के अन्तर्गत आयातित सोना केवल इन्हीं दो स्थानों पर आयात करने के लिए अनुमित किया जाना चाहिए। आयातित सोना टकसाल द्वारा .995 शुद्धता की मानक छड़ों में परिवर्तित किया जाएगा जो कि विदेश में प्रदर्शनियों में बेचे गए तथा मदों के विनिर्माण में प्रयुक्त सोने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सोने की प्रतिपूर्ति अनुमेय होगी बशर्ते कि सोने के आभूषणों तथा वस्तुओं में प्रयुक्त सोने तथा निर्यातक को अनुमेय सोने का ह्रास सहित मूल्य संयोजन नीति में निर्धारित तालिका के अनुसार ह्रास मानदंड से कम नहीं हो। जहां तक चांदी का संबंध है, यह मनोनीत एजेंसियों द्वारा इस स्कीम के अन्तर्गत आयात करके रखी जा सकती है ताकि परवर्ती प्रतिपूर्ति की जा सके।

(2) मनोनीत एजेंसियों तथा उनके सहयोगियों से भिन्न पंजीकृत निर्यातकों के मामले में जहां कहीं भी अनुमेय हो सोने एवं चांदी की प्रतिपूर्ति इस अध्याय में दिए सोने एवं चांदी के आभूषणों तथा वस्तुओं के निर्यात संवर्धन तथा प्रतिपूर्ति स्कीम की प्रक्रिया के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से अनुमेय होगी।

(3) दिये जाने वाले सोने और चांदी की मात्रा की गणना करने के लिए, मनोनीत एजेंसियां निर्यात मदों की सोने और चांदी की मात्रा के भार को निम्नलिखित में से जो भी समुचित हो, से गुना करेंगा, जो कि निर्यात की अनुमति देने वाले सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया हो :—

(1) यदि घोषणा केरेट्स में नहीं है तो उसके केरेट्स को 24 से विभाजित करके सोने के मामले में, या

(2) यदि घोषणा शुद्धता में है तो उसकी सोने और चांदी दोनों के लिए शुद्धता (शुद्ध सोने के इस प्रकार परिगणित आंकड़े एक ग्राम के दसवें भाग तक अनुमेय सोना ह्रास प्रदान करने के बाद गिने जाएंगे तथा चांदी के मामले में चांदी ह्रास के किसी तत्व को गिने बगैर समीपतम ग्राम तक)।

प्रलेखन

394. विदेश में प्रदर्शनियों में बेचे गए सोने और चांदी के आभूषणों और अन्य वस्तुओं के निर्यात के मद्दे सोने और चांदी की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे :—

(1) प्रदर्शनी के प्रयोजन के लिए किए गए निर्यात को दर्शाने वाला सीमा शुल्क द्वारा साक्ष्यांकित बीजक जिसमें आभूषणों की संरचना से संबंधित सभी विवरण जैसे वजन/सोने और चांदी का मूल्य तथा रत्न आर. ई. पी. हकदारी का दावा करने के लिए मानकीकरण वर्गीकरण के अन्तर्गत जड़ित आभूषणों सहित। इसी प्रकार क्लेम किए गए सोने के ह्रास एवं मूल्य वृद्धि का विवरण भी दिया जाना अपेक्षित होगा।

(2) निम्नलिखित से प्रमाणपत्र (I) मनोनीत एजेंसियों का प्रमाणपत्र यदि प्रदर्शनी उनके द्वारा आयोजित की गई है या (II) अन्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के मामले में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् का प्रमाणपत्र (सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक आदि द्वारा प्राप्त अनुमोदन की प्रतिलिपियों सहित) प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 21-ङ में निर्धारित प्रपत्र में विवरण देते हुए तथा अन्यों से प्रमाणपत्र देते हुए कि प्रदर्शनियों में हुई बिक्री के मद्दे भुगतान में प्रत्यावर्तित कर दिये गए हैं और भारत में मुद्रा विनिमय नियंत्रण में जमा कर दिये हैं।

(3) प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट–15-घ, उपाबंध–3 में दिये गये प्रपत्र में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति को दर्शाते हुए एक बैंक प्रमाणपत्र (आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने की समय सीमा को बैंक प्रमाणपत्र में यथा प्रदर्शित भुगतान की तारीख से गिना जाएगा)।

(4) जहां आवेदक इस वजह से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है चूंकी दस्तावेज बैंक के माध्यम से तय नहीं किए गए थे तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी उपर्युक्त (2) में संदर्भित दस्तावेज तभी स्वीकार कर सकता है यदि वे अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकृत चेनल के माध्यम से प्राप्त कर लिए गए हैं।

ग. सोने और चांदी आभूषण की निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति स्कीम।

395. (1) पात्र निर्यातक को विशेष निर्यात आदेश के मद्दे अपने नाम में सोने और/या चांदी की विशेष मात्रा की बुकिंग के लिए भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य मनोनीत अभिकरण के पास निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रतियों में आवेदन करना चाहिए। सोने की बुकिंग का आदेश देते समय निर्यातक से यह आशा की जाएगी कि अनुमित की गई वेस्टेज के परिमाप के अन्तर्गत क्लेम किए जाने के लिए प्रस्तावित वेस्टेज के तत्व को ध्यान में रखा जाए। निर्धारित वेस्टेज मापदण्ड के अन्तर्गत निर्यातक द्वारा सोने की वेस्टेज की गणना करने के पश्चात् यदि एक बार सोने की मात्रा बुक हो जाती है

तो उसके बाद निर्यातक द्वारा सोने के लेखे में और अधिक हकदारी का दावा किए जाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्यात की अग्रिम बुकिंग किए हुए सोने और चांदी का दावा करने के लिए निर्यातक को जारी किए गए विमुक्ति आदेश की प्रति पत्तन लाइसेन्स प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकारी को बैंक/मनोनीत अभिकरण की उस सम्बन्धित शाखा को भेजी जाएगी जिसने धातु की बुकिंग की थी।

(2) आवेदक खरीद किए जाने वाले सोने और चांदी की मात्रा के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित सोना और/या चांदी की सम्भावित लागत के कम से कम 20 प्रतिशत तक के तुल्य राशि को पेशगी राशि के रूप में जमा करेगा। पेशगी राशि के जरिए जमा की गई इस राशि को निर्यातक को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विमुक्ति आदेश के मद्दे भारतीय स्टेट बैंक की मनोनीत शाखा द्वारा सोने और चांदी की वास्तविक बिक्री के समय समंजित किया जाएगा। निर्यातक चाहे तो बुकिंग के अगले स्लैब की 50% या 100% मूल्य को जमा कर सकता है। ऐसे मामलों में इन पर लगने वाले ब्याज को तदनुरूप कम कर दिया जाएगा।

(3) भारतीय स्टेट बैंक/मनोनीत शाखा अगले दो कारोबार दिवस के भीतर सोने और चांदी की खरीद करेंगे और उसके बाद खरीदे गए सोने और चांदी की मात्रा और वह मूल्य जिस पर वह खरीदा गया था डालर में मूल्य को (जिसमें सोने और चांदी की खरीद की तारीख को अमरीकी डालर की टी टी बिक्री दर की व्यवस्था पर उसके तुल्य रुपये की राशि भी शामिल है) निर्दिष्ट करते हुए निर्यातक को एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा। यह वह वास्तविक लागत होगी जिस पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोना और चांदी खरीदा गया था, जमा अनुमित सेवा खर्च लेकिन बिक्री कर को छोड़कर। भारतीय स्टेट बैंक/मनोनीत एजेन्सी द्वारा लगाए गए सेवा खर्चों को मूल्य संयोजन के प्रयोजन के लिए सोने/चांदी के मूल्य के साथ शामिल किया जाएगा। बैंक द्वारा निर्यातक के आवेदन-पत्र की दूसरी और तीसरी प्रतियां, निर्यातक के लिए खरीद प्रमाण-पत्र की प्रतियों के साथ संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी और सीमाशुल्क कार्यालय को भेजी जाएंगी।

(4) इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कि आयातक द्वारा लदान एक अधिक परेषणों द्वारा किया गया है निर्यातक को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्यात प्रभावित किए गए हैं और सोने और/चांदी की सुपुर्दगी पोतलदान की तिथि से 120 दिनों की अधिकतम अवधि या बुकिंग की तिथि से 180 दिनों के भीतर इनमें जो भी पहले हो, के भीतर ले ली गई है, ऐसा न करने पर मनोनीत अभिकरण के पास जमा कर ली जाएगी। निर्यात प्रभावी करने में असफल होने पर निर्यातक के खिलाफ आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन कार्यवाई की जाएगी जो देय सीमाशुल्क की वसूली करने के अतिरिक्त होगी।

(5) निर्यातक को इस विकल्प की अनुमति भी दी जाए कि वह उस समय प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर नकद भुगतान करके, पहले ही, स्टेट बैंक आफ इण्डिया से स्वर्ण और/या चांदी की अपेक्षित मात्रा प्राप्त करले, परन्तु शर्त यह होगी कि निर्यातक, खरीद करने के दिन उस समय प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत और घरेलू मूल्य के बीच के अन्तर में खरीद के लिए प्रस्तावित स्वर्ण/चांदी की मात्रा के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के 5% को जोड़ कर उसके समतुल्य राशि की बैंक गारण्टी प्रस्तुत कर/स्टेट बैंक आफ इंडिया स्वर्ण खरीदने के दिन से 180 दिनों के भीतर पूर्ण या आंशिक निर्यात करने में असमर्थ रहने पर बैंक. बैंक गारण्टी जब्त कर लेगा। स्टेट बैंक आफ इण्डिया इस प्रकार की जब्ती करने के लिए प्राधिकृत होगा। इसके अतिरिक्त निर्यात प्रभावी करने में असफल रहने पर निर्यातक के विरुद्ध आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन कार्यवाई की जाएगी जो देय सीमाशुल्क की वसूली करने के अतिरिक्त होगी।

(6) निर्यात केवल हवाई भाड़े तथा विदेशी डाकघर (एफ. पी. ओ.) से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर तथा कोचीन के सीमा शुल्क कार्यालयों के माध्यम से अनुमित किया जाएगा।

(7) विदेशी डाकघर (एफ.पी.ओ.) के माध्यम से निर्यात के मामले में आभूषण पार्सलों का मूल्य यू.एस. डालर 50,000 तथा 0.5 कि. ग्रा. भार से अधिक नहीं होना चाहिए।

(8) निर्यातकों के समय, निर्यातक संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी को पोतपरिवहन बिल, जिस मूल्य पर भारतीय स्टेट बैंक/मनोनीत अभिकरण द्वारा सोने और/या चांदी की बुकिंग की गई है, के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक/मनोनीत अभिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र और सम्बद्ध बीजक और उसके साथ ऐसे अन्य दस्तावेज जो सीमाशुल्क द्वारा अपेक्षित हों, की तीन प्रतियां भेजेगा। अन्य बातों के साथ पोत परिवहन बिल में निर्यात की प्रत्येक मद में प्रयुक्त सोने और चांदी के भार और शुद्धता और उसके जहाज पर्यान्त निःशुल्क मूल्य के बारे में घोषणा होनी चाहिए। जड़ित मदों के मामलों में, पोतपरिवहन बिल में, इसके अतिरिक्त क्लेम की गई सोने की वेस्टेज, सोने/चांदी की मात्रा पर प्राप्त किया गया मूल्य संयोजन, विवरण,, उनके विनिर्माण में प्रयुक्त बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य नग हीरे/हीरों का भार और मूल्य और उसके साथ मिश्रधातु बनाने के लिए प्रयुक्त किसी अन्य बहुमूल्य धातु के भार/मूल्य को भी दिखाया जाना चाहिए।

(9) निर्यात की अनुमति देने से पहले, सीमाशुल्क प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी देखेंगे :—

(1) यह सत्यापन करने के लिए आवश्यक जांच कि उपर्युक्त दस्तावेजों में निर्यात के लिए प्रत्येक मद में प्रयुक्त सोने या चांदी का भार, शुद्धता निर्यातक की घोषणा के अनुसार है।

(2) यह सुनिश्चित करना कि सोने और चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के संबंध में निर्धारित न्यूनतम मूल्य संयोजन पूरा कर लिया गया है। सादा और जड़ित सोने के आभूषणों के

सम्बन्ध में यदि कोई सोने की मात्रा पर और इस स्कीम में व्यवस्थित, परिमाप के अन्तर्गत अनुमेय सोने की वेस्टेज के अनुरूप 15 प्रतिशत की न्यूनतम निर्धारित सीमा पर निर्यातक द्वारा क्लेम किए गए अधिक मूल्य संयोजन का भी पता लगाएगा। सीमाशुल्क यह भी सुनिश्चित करेगा कि सोने के आभूषणों में प्रयुक्त सोने की मात्रा जमा उसके क्लेम के मद्दे निर्यातक के लिए अनुमित सोने की वेस्टेज जो दोनों, इकट्ठी ली गई हैं, नीति में निर्धारित वेस्टेज परिमाप तालिका में व्यवस्थित तक मूल्य संयोजन प्रदान करती है।

(3) स्वयं यह संतुष्टि करेगा कि निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात मूल्य (सोने और चांदी की लागत घटाकर) सत्य है और सीमाशुल्क अधिनियम के अनुसार है।

(10) निर्यात के लिए ऐसे पास की गई मदों में सोने और चांदी की मात्रा के वजन और उसकी शुद्धता को सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा संबद्ध पोत परिवहन बिल पर प्रमाणित किया जाएगा। सीमाशुल्क संबंधित बीजक को भी साक्ष्यांकित करेगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी पोत परिवहन बिल और संबद्ध बीजक की दो प्रतियां एक प्रति निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति को और दूसरी प्रति बैंक की संबंधित शाखा/मनोनीत एजेन्सी को लौटा देगा।

विमुक्ति आदेश के लिए आवेदन-पत्र

(11) निर्यातक, निर्यात किए जाने के पश्चात् और विदेशी मुद्रा में की गई बिक्री की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना लाइसेंसिंग प्राधिकारी को विमुक्ति आदेश जारी करने के लिए निर्धारित प्रपत्र एवं विधि में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा और इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में भेजेगा :—

(1) सीमाशुल्क सत्यापित बीजक।

(2) सीमाशुल्क अधिप्रमाणीकृत पोतलदान बिल।

(3) भारतीय स्टेट बैंक/मनोनीत एजेन्सी द्वारा उसे जारी किया गया सोने/चांदी आदि के क्रय का प्रमाण-पत्र।

(12) लाइसेंसिंग प्राधिकारी दस्तावेज, क्लेम की गई मूल्य वृद्धि भी सत्यापित करेगा और विमुक्ति आदेश जारी करेगा ताकि निर्यातक विनिर्माण प्रक्रिया में इस स्कीम के छीजन मानक में दी गई सीमा तक सोने के ह्रास सहित सोने और चांदी की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सके।

(13) विमुक्ति आदेश 0.999 की शुद्धता के सोने और चांदी के अनुसार और सम्बद्ध पोतपरिवहन बिल पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा यथा प्रमाणित निर्यात के लिए पास की गई मदों के सोने और चांदी के तत्व के भार और शुद्धता के बराबर मात्रा के लिए अभिव्यक्त किया जाएगा। लाइसेंस प्राधिकारी अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक/मनोनीत एजेन्सी द्वारा जारी किया गया इस मूल्य से संबंधित प्रमाण-पत्र जिस मूल्य पर निर्यातक की ओर से सोना/चांदी खरीदा गया था, की जांच करेगा और विमुक्ति आदेश जारी करने से पहले यह सुनिश्चय करेगा कि निर्धारित मूल्य संयोजन प्राप्त कर लिया गया है। छीजन या अन्य अधिकारों के कारण अतिरिक्त मूल्य संयोजन यदि कोई हो, भी सत्यापित किया जाएगा।

(14) विमुक्ति आदेश में विशिष्टकृत की जाने वाली सोने की मात्रा की गणना के प्रयोजनार्थ लाइसेंस प्राधिकारी उस सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित जिसने निर्यात, अनुमित किया है, निर्यातित मदों की सोने की मात्रा को वजन से निम्नलिखित द्वारा, इनमें जो भी उपयुक्त हो, गुणा करेगा :—

(1) यदि घोषणा कैरेट में है तो उनका भाग 24 से विभाजित कर दिया जाए और

(2) यदि घोषणा शुद्धता में है तो उसकी शुद्धता।

(15) "मीनाकारी" मदों के मामले में शुद्ध सोने के भार में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(16) लाइसेंसिंग प्राधिकारी विमुक्ति आदेश की एक प्रति भारतीय स्टेट बैंक/मनोनीत एजेन्सी को पृष्ठांकित करेगा जो उसके क्षेत्राधिकार में स्थित है और इस स्कीम के अन्तर्गत सोने/चांदी को विमुक्त करने के लिए प्राधिकृत है।

(17) इस स्कीम के अन्तर्गत जारी किया गया विमुक्ति आदेश हस्तांतरणीय नहीं होगा। सोने/चांदी की सुपुर्दगी निर्धारित अवधि के अन्दर बैंक से ले ली जानी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक की मनोनीत शाखा/मनोनीत एजेंसी आदेश धारक को उस कीमत पर सोना और चांदी विमुक्त करेगी जो उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र में दी गई है और वह पेशगी धन निक्षेप कम करके उसके तुल्य पर ऐसी दर पर और ऐसी अवधि के लिए ब्याज वसूल करेगा जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्टकृत किया गया हो। निर्यातक को बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में सोना केवल 10 ग्राम के गुणक में ही विमुक्त किया जाएगा। इसी तरह, चांदी, सुविधा के लिए 10 ग्राम के निकट तक बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। उसी निर्यातक द्वारा उसी तारीख को और भारतीय स्टेट बैंक की उसी मनोनीत शाखा को, प्रस्तुत किए गए विमुक्ति आदेश के मद्दे अनु-आरक्षित इस प्रकार से शेष रहा हुआ कोई भी बकाया सोना चांदी विमुक्ति आदेश धारक को उसकी आगामी हकदारी के सहित उपलब्ध करेगा। भारतीय स्टेट बैंक इस संबंध में उसे प्रमाण-पत्र जारी करेगा। जिस मामले में 0.999 की शुद्धता से कम मात्रा का सोना विमुक्त किया गया हो, भारतीय स्टेट बैंक संबद्ध विमुक्ति आदेश की मात्रिक सीमा के अन्दर आवश्यक समायोजन करने का हकदार होगा।

(18) उपर्युक्त के अनुसार उचित भुगतान के मद्दे सोने और/या चांदी की खरीद के समय धारक को प्रत्येक विमुक्ति आदेश को मूल रूप में स्टेट बैंक आफ इंडिया को जमा कराना पड़ेगा।

घ. सोने और चांदी आभूषणों और वस्तुओं के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम।

396. इस योजना के अधीन प्रक्रिया इस पुस्तक के अध्याय 19 में दी गई है।

ङ. निर्यात संसाधन क्षेत्रों और शतप्रतिशत. निर्यात. अभिमुख कम्पलैक्सों से सोने और चांदी के आभूषण और वस्तुओं के निर्यात के लिए स्कीम।

निर्यात संसाधन क्षेत्रों में विनिर्माण यूनिटों के लिए स्थान और उपस्थापन।

397. (1) देश में स्थापित विशिष्टिकृत निर्यात संसाधन क्षेत्रों से सोने के आभूषणों के विनिर्माण और उत्पादन की अनुमति दी जाएगी।

(2) क्षेत्रीय विकास आयुक्त अपने क्षेत्र में ऐसी यूनिटों के संबंध में सभी समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सीमाशुल्क सुविधाएं क्षेत्र में विनिर्माण करने वाली यूनिटों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।

कम्पलैक्सों के लिए स्थान और अवसंरचनाएं

398. (1) प्रारम्भ में कम्पलैक्स पांच शहरों, दिल्ली, बंबई जयपुर, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित किए जाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्णय लिए जाने के आधार पर कम्पलैक्स अन्य शहरों में भी स्थापित किए जा सकते हैं। प्रत्येक कम्पलैक्स संबंधित राज्य सरकार से आधारभूत सुविधाओं के प्रयोजन के रूप में समर्थित होना चाहिए जैसे, स्थान, भवन, बिजली और पानी के कनेक्शनों और संचार सुविधाएं। प्रत्येक कम्पलैक्स केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकार, विनिर्माण करने वाली यूनिटों और व्यापारियों, वैयक्तिक ठेकेदारों से प्रस्तावों के संबंध में, सामान्य सुविधाओं कम्पलैक्सों और आयात-निर्यात पत्तन के बीच सामान के पोतलदान आदि के बीच समन्वय के लिए प्रायोजक एजेन्सी रखेगा। कम्पलैक्स स्थापित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संगठित स्थान चयन समिति सुरक्षा और सीमाशुल्क बन्धक प्रबन्धकों के दृष्टिकोण से नए स्थान की उपयोगिता के संबंध में अनुमोदित बोर्ड से आवश्यक सिफारिश करेगा। अनुमोदन बोर्ड स्थान की उपयोगिता के साथ कम्पलैक्स में यूनिटों की स्थापना के लिए वैयक्तिक निर्यातकों के आवेदन पत्रों पर भी विचार करेगा। निर्यातकों को सीमाशुल्क निकासी/मूल्य निर्धारण सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। कम्पलैक्स की अन्य लागत जैसे सामान्य सुविधाओं के लिए लागत कम्पलैक्स में कार्य कर रही विनिर्माण यूनिटों द्वारा वहन की जाएगी।

(2) आभूषणों और वस्तुओं के विनिर्माण के लिए विशेष निर्यात अभिमुख कम्पलैक्सों में स्थित यूनिटों के लिए विधिक करार का प्रपत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट 21-ख में दिया गया है।

399. **लाइसेंसिंग प्राधिकारी तथा उनके क्षेत्राधिकार**

1. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, बम्बई	महाराष्ट्र, गोवा, दमन तथा दियू, दादर व नागर हवेली, गुजरात तथा मध्य प्रदेश।
2. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा तथा अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह।
3. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, मद्रास	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, पाण्डिचेरी, करैकाल माहे तथा यमम।
4. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र दिल्ली)	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़।
5. उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, जयपुर	राजस्थान

400. **संबंधित स्कीमों के अंतर्गत स्वर्ण तथा चांदी देने के लिए हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम की प्राधिकृत शाखाएं :**

(1) भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम लि. 11ए, राउज एवेन्यू लेन, लोक कल्याण भवन, नई दिल्ली-110002

(2) भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम लि. 11वीं मंजिल, निर्मल बिल्डिंग, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021

(3) भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम लि., सुदर्शन बिल्डिंग, 16/ए, वाइट्स रोड, मद्रास।

(4) भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम लि., जयपुर, राजस्थान।

(5) भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम लि कलकत्ता।

401. **संबंधित स्कीमों के अंतर्गत स्वर्ण तथा चांदी बेचने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम निगम की प्राधिकृत शाखाएं :**

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
   चन्द्रलोक बिल्डिंग,
   36, जनपथ,
   नई दिल्ली।

2. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.,
   एयर इंडिया बिल्डिंग,
   6वीं तथा 7वीं मंजिल
   नरीमन प्वाइंट,
   बम्बई—400021.

3. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.,
   निलहाट हाउस,
   9वीं तथा 10वीं मंजिल,
   11, आर. एन. मुखर्जी रोड,
   कलकत्ता—700 001.

4. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.,
   चिन्याई हाउस, 7 इस्प्लनेड,
   मद्रास—600 001.

5. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.,
   के.-3 केशव पथ, अशोक मार्ग,
   सी.-स्कीम,
   जयपुर—302 001.

402. **संबंधित स्कीमों के अन्तर्गत स्वर्ण तथा चांदी जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत शाखाएं :**

1. मुख्य प्रबन्धक,
   ओवरसीज ब्रांच,
   भारतीय स्टेट बैंक,
   बम्बई।

2. मुख्य प्रबंधक,
   ओवरसीज ब्रांच,
   भारतीय स्टेट बैंक,
   कलकत्ता।

3. मुख्य प्रबंधक,
   ओवरसीज ब्रांच,
   भारतीय स्टेट बैंक,
   नार्थ बीच रोड,
   मद्रास।

4. मुख्य प्रबंधक,
   ओवरसीज ब्रांच,
   भारतीय स्टेट बैंक,
   नई दिल्ली।

5. प्रबंधक,
   भारतीय स्टेट बैंक,
   मुख्य शाखा,
   सांगानेरी गेट,
   जयपुर।

403. **संबंधित स्कीमों के अन्तर्गत स्वर्ण तथा चांदी जारी करने के लिए भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम की प्राधिकृत शाखाएं :**

1. 9, 10 तथा 11वीं मंजिल,
   विक्रम टावर,
   राजेन्द्र प्लेस,
   नई दिल्ली—110 008.

2. मित्तल टावरस,
   "ए" विंग, दूसरी मंजिल,
   नरीमन प्वाइंट,
   बैकवे रिक्लेमेशन,
   बम्बई—400 021.

3. रुबी हाउस, चौथी, पांचवीं मंजिल,
   पोस्ट बाक्स नम्बर-478,
   8, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,
   कलकत्ता—700 001.

4. चिनयाई हाउस,
   7, इस्प्लनेड रोड,
   मद्रास—600 001.

404. **संबंधित स्कीमों के अन्तर्गत स्वर्ण तथा चांदी जारी करने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण की शाखाएं :**

1. बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग,
   16 पार्लियामेंट, स्ट्रीट,
   नई दिल्ली—110 001

2. एयर इण्डिया बिल्डिंग,
   8वीं मंजिल, नरीमन प्वाइंट,
   बम्बई—400 021.

3. "शान्ति निकेतन",
   फ्लैट नम्बर-9,
   चौथी मंजिल,
   8, कामाक स्ट्रीट,
   कलकत्ता—700 017.

अध्याय 22

मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र

405. मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र/एफ. टी. जेड./ई. पी. जेड. में एक औद्योगिक एकक स्थापित करने के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्रों को, क्षेत्र के सम्बद्ध विकास आयुक्त को या वाणिज्य मंत्रालय के निर्यात संसाधन क्षेत्र अनुभाग के उप सचिव को, प्रस्तुत करने चाहिए। आवेदन पत्र संबंधित विकास आयुक्त के पास उपलब्ध हैं। आवेदन पत्रों पर वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में सम्बद्ध अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा जो कि औद्योगिक विकास विनियमन

अधिनियम के अधीन आशय पत्र/अनुमोदन पत्र देने के लिए अधिकारों का प्रयोग करेगा । अपना अनुमोदन देते समय, बोर्ड विनिर्माण की मदें, वार्षिक क्षमता, विवरण, आयात के लिए अनुमेय पूंजीगत माल की मात्रा और मूल्य निर्यातित उत्पाद के संसाधन में उपलब्ध किए जाने वाले मूल्य वर्धन की प्रतिशतता और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री के संबंध में अपेक्षित सीमाओं को निर्दिष्ट करेगा । बोर्ड पैरा 178 में यथाउल्लिखित लीजिंग कम्पनियों द्वारा वित्त पोषित आयातित पूंजीगत माल की अधिप्राप्ति के लिए आवेदनों पर विचार कर सकता है और निर्णय कर सकता है ।

406. मूल्य वर्धन की संगणना के उद्देश्य के लिए यूनिट के प्रति बहिर्गामी सभी विदेशी मुद्रा के साथ-साथ कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्यों के घरेलू टैरिफ क्षेत्र से अधिप्राप्त आपूर्ति को भी हिसाब में लिया जाएगा । मूल्य वर्धन की संगणना के लिए सूत्र ऊपर पैरा-405 में उल्लिखित आवेदन प्रपत्र में दिया गया है ।

लाइसेंस प्राधिकारी

407. निर्यात संसाधन क्षेत्रों/मुक्त व्यापार क्षेत्रों और उनसे सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारियों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

क्रम सं०	मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्रों के नाम	लाइसेंस प्राधिकारी
1.	काण्डला, मुक्त व्यापार क्षेत्र काण्डला, गुजरात	संयुक्त विकास आयुक्त/उप-विकास आयुक्त, काण्डला मुक्त, व्यापार क्षेत्र, गांधीधाम
2.	सान्ताक्रुज इलैक्ट्रानिकी निर्यात संसाधन क्षेत्र, बम्बई महाराष्ट्र	संयुक्त विकास आयुक्त/उप-विकास आयुक्त सान्ताक्रुज, इलैक्ट्रानिकी निर्यात संसाधन।
3.	फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र फाल्टा, पं० बंगाल	संयुक्त विकास आयुक्त/उप-विकास आयुक्त, फाल्टा, निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, फाल्टा, पश्चिम बंगाल
4.	मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र मद्रास, तमिलनाडु।	संयुक्त विकास आयुक्त/उप-विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात संसाधन मद्रास ।
5.	न्यू ओखला उद्योग विकास प्राधिकरण (नोएडा) निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश	संयुक्त विकास आयुक्त/उप-विकास आयुक्त, न्यू ओखला उद्योग विकास प्राधिकरण, निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, नोएडा, उत्तर प्रदेश
6.	कोचीन निर्यात संसाधन क्षेत्र, कोचीन, केरल	संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त कोचीन निर्यात संसाधन, क्षेत्र, कोचीन

पूंजीगत माल आदि का आयात

408. विकास आयुक्त इस बात का सुनिश्चय करेगा कि आयात उसी उत्पादन के उद्देश्य के लिये है जिस उत्पादन के लिये क्षेत्र में आयातक यूनिट को अनुमोदन दिया गया है ।

घरेलू टैरिफ एरिया से जोन को सप्लाई

409. निर्यात उत्पादन के लिये या निर्यात उत्पादन के सम्बन्ध में घरेलू टैरिफ क्षेत्र से कोई माल प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले क्षेत्र में स्थित यूनिटों को प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिये अपने अलग-अलग आवेदन पत्र, मदों और उनके मूल्यों को निर्दिष्ट करते हुए विकास आयुक्त के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी को भेजने चाहिए । (निर्यात उत्पादन के लिये जिस माल की आवश्यकता नहीं है उसके लिये किसी भी प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं) ।

(1) इन आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करते समय विकास आयुक्त यह देखेगा कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र से इस क्षेत्र में मांग किये गये माल के लिये सप्लाई किया जाने वाला माल निर्यात सम्बन्धी वस्तुएं बनाने के लिये आवश्यक है या नहीं और इस सामान की उन कीमतों की भी संवीक्षा करेगा जिन कीमतों पर यूनिट या सामान खरीदना चाहती है ।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी उपर्युक्त आधार पर यूनिट को प्राधिकार पत्र जारी करेगा जिससे कि क्षेत्र की यूनिट निर्दिष्ट विवरण और मूल्य का माल निर्दिष्ट अवधि के अन्दर घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्राप्त कर सके । अन्य शर्तों के साथ-साथ प्राधिकार पत्र पर यह शर्त भी लागू होगी कि सम्बन्धित माल का उपयोग मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थित प्राधिकार पत्र धारक के कारखाने में निर्यात सम्बन्धी वस्तुयें बनाने के लिये किया जायेगा । ऐसा प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ-साथ इस सम्बन्ध में लाइसेंस प्राधिकारी को एक वचन पत्र भी देगा । प्राधिकार पत्र धारक द्वारा प्राधिकार पत्र की और उक्त वचन की शर्त पूरी न करने पर उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जायेगी जो इस सम्बन्ध में की जा सकती हो ।

(3) क्षेत्र में माल लाने की अनुमति उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर दी जायेगी । क्षेत्र के अन्दर माल लाते समय सीमा शुल्क प्राधिकारी या क्षेत्र विकास आयुक्त संभरक के बीजक पर इस सम्बन्ध में पृष्ठांकन करेगा कि बीजक में दर्ज माल क्षेत्र में प्राप्त कर लिया गया है ऐसे वास्तविक मामलों में जहां विभिन्न कारणों के परिणामस्वरूप प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि समाप्ति के पश्चात जोन में सप्लाई हुई है वहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्राधिकार पत्र की वैधता को बढ़ा सकता है ।

(4) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल के संभरण के लिए ऐसे संभरण के मद्दे पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अधीन आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस की मांग की जा सकती है । इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र पैरा 407 में विनिर्दिष्ट अनुसार सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अध्याय-22 में निर्धारित प्रपत्र

में दिये जायें । आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :

(क) आवेदन के शुल्क के रूप में अदा की गई अपेक्षित धनराशि का खजाना चालान;

(ख) प्राधिकार पत्र की फोटोस्टेट/साक्ष्यांकित प्रति जिसके आधार पर सप्लाई की गई हो;

(ग) संभरक का बीजक, जिस पर क्षेत्र के सीमा-शुल्क प्राधिकारी ने यह पृष्ठांकन किया हो कि बीजक में दर्ज माल क्षेत्र में प्राप्त हो गया है ।

(घ) आयात निर्यात क्रिया विधि पुस्तक, 1990-93 में निर्धारित प्रपत्र में निर्यात किये जाने वाले माल का विवरण; और

(ङ) आर. ई. पी. लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र के प्रपत्र में संलग्न वचन/घोषणा ।

अन्य जानकारी इस क्षेत्र के विकास आयुक्त से प्राप्त की जा सकती है ।

घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल की बिक्री

410. (1) सम्बन्ध मुक्त व्यापार क्षेत्र के विकास आयुक्त की पूर्व अनुमति से ही बिक्री की जायेगी । अतः घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अपने माल को बेचने के इच्छुक एककों को विकास आयुक्त से सम्पर्क करना चाहिए । निर्यात आयुक्त को संबंधित लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उस तारीख को अनुमति लेते समय यूनिट द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में संभरित की जाने वाली मद की मात्रा तथा यूनिट द्वारा उत्पादित कुल मात्रा को दर्शाया जायेगा ।

(2) विकास आयुक्त से अनुमति लेने के पश्चात् वैध लाइसेंस/(रिलीज आदेश) के मद्दे बिक्री की जा सकती है । क्षेत्र से बाहर माल की अनुमति देने से पूर्व विकास आयुक्त सम्बद्ध आयात लाइसेंस के नामे डालेगा । इस सीमा तक आयात लाइसेंस आगे के आयात के लिये अवैध हो जायेगा ।

(3) यदि बिक्री करने के लिए प्रस्तावित माल ऐसी बिक्री की तारीख को लागू नीति के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात योग्य है तो मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र की वे यूनिट जो बिक्री का प्रस्ताव करती है, सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में घरेलू टैरिफ क्षेत्र आता है, को रिलीज आदेश जारी करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करें ।

(4) रिलीज आदेश दो प्रतियों में जारी किया जायेगा और रिलीज आदेश का मूल्य उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित विकास आयुक्त की अनुमति में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जायेगा । रिलीज आदेश की मूल प्रति मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट द्वारा रिलीज आदेश धारी की स्वीकृति लेने के बाद माल की प्राप्ति और उनके मूल्य/मात्रा के लिये रख ली जायेगी । यह सम्बद्ध एकक द्वारा निर्यात के साक्ष्य के रूप में काम आयेगी । निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के रूप में समझे जाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जिसके लिये माल का संभारण किया जायेगा या रिहाई आदेश का मूल्य, इनमें जो भी कम हो, वही होगा ।

(5) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल के क्रेता को ऐसे उत्पाद शुल्क, बिक्री शुल्क और अन्य ऐसे करों का भुगतान करना पड़ेगा जो विषयाधीन माल पर लगाये जा सकते हों । यह राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना और मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र में विनिर्मित माल की "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" में बिक्री से सम्बद्ध राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं/अनुदेशों के अधीन होगा ।

मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र में आयातित माल का हस्तांतरण

411. जहां कहीं जोन में स्थित किसी यूनिट ने अपना उत्पादन बन्द कर दिया हो तो बन्द करने के समय क्षेत्रीय विकास आयुक्त की लिखित रूप में अनुमति से और मूल्यांकन आदि के सन्दर्भ में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी की शर्तें के अधीन या तो आयात किये गये माल को पुनः निर्यात करें या घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आयातित वस्तुओं के निपटान के लिये अनुमोदन बोर्ड से अनुरोध करें । ऐसे आवेदनों पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकास आयुक्त, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, केन्द्रीय सीमा-शुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जायेगा । यदि निपटान की अनुमति दी जाती है तो वह ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी जो कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा लागू की जायेगी ।

412. उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यदि जोन से आयातित माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जाती है तो घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने वाले माल पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार शुल्क लगाया जायेगा :—

(क) पूंजीगत माल के मूल्य ह्रास पर सीमाशुल्क दर आयात के समय प्रचलित दर पर होगी बशर्ते कि उक्त माल

को कम से कम तीन वर्षों से वास्तविक उपयोग में लाया जा रहा है ।

(ख) अप्रयुक्त आयातित कच्चे माल एवं संघटकों के कर योग्य मूल्य तथा आयात के समय प्रचलित दर पर सीमाशुल्क ।

(ग) उत्पाद शुल्क छूट के अन्तर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र से अधिप्राप्त उत्पाद शुल्क योग्य माल के मामले में, मूल्य ह्रास के बिना तथा जोन की यूनिटों को सप्लाई के समय प्रचलित दर पर उत्पाद शुल्क लगाया जायेगा ।

(घ) माल पर देय बिक्री कर तथा अन्य ऐसे कर जो उगाहने योग्य हों, भी लगाये जायेंगे ।

एक क्षेत्र की यूनिट से दूसरे मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र/शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट को आपूर्ति/हस्तांतरण

413. (1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संभरक द्वारा पूरे किये जाने वाले प्रत्याशित मूल्यवर्धन, क्षेत्र में यूनिट से सामग्री को भेजने से पहले ही पूरे कर दिये गये हैं ।

(2) समय समय पर लागू अनुदेशों के अनुसार क्रेताओं के लिये निर्धारित मूल्य वर्धन के प्रयोजन को क्रेता द्वारा लेखे में लिया गया है ।

(3) शुल्कों के भुगतान के लिये, मूल संभरक उत्तरदायी होगा और इसके लिये विक्रेता और क्रेता से एक संयुक्त बन्ध-पत्र लिया जायेगा ।

(4) क्षेत्र में एक यूनिट से दूसरे निर्यात संसाधन क्षेत्र/मुक्त व्यापार क्षेत्र की यूनिट को या शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट को माल का संचालन सीमा शुल्क बन्ध-पत्र के अधीन होगा ।

(5) मूल संभरक द्वारा अन्य निर्यात संसाधन क्षेत्र/मुक्त व्यापार क्षेत्रों या 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को किए गए संभरण हस्तांतरण कर देने के बावजूद भी मूल संभरक उत्तरदायी रहेगा ।

(6) पारगमन की लागत विक्रेता द्वारा वहन की जाती है । इसी प्रकार से ऐसे संचालनों के लिये सीमा शुल्क द्वारा किये गये सभी खर्च सीमा शुल्क द्वारा घोषित वसूली की क्रियाविधि के अनुसार वसूल किये जायेंगे ।

(7) ऐसे माल के केवल एक हस्तान्तरण की अनुमति दी जायेगी और उसके पश्चात् उनसे विनिर्मित माल/उत्पादों का निर्यात किया जायेगा ।

विविध रियायतें

414. (1) देशीय विनिर्मित माल, संघटकों तथा कच्चे माल, उपभोज्यों आदि को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर की बिना अदायगी के अनुमित किया जायेगा । उन मामलों में जहां ऐसे संभरणों पर केन्द्रीय बिक्री कर की छूट न दी गई हो, वहां जोन की यूनिटों को इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया में की गई व्यवस्था के अनुसार चुकाई गई राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

(2) जोन के यूनिट समय-समय पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमित रियायत तथा छूट के भी पात्र होंगे ।

415. उनके निर्यातों के मद्दे जोन के यूनिट आर.ई.पी. लाइसेंस लाभों के भी हकदार होंगे ।

अध्याय 23

शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट स्कीम

अनुमोदित शत-प्रतिशत अभिमुख यूनिटें

416. शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट के रूप में अनुमति देने के लिए आवेदन-पत्र औद्योगिक अनुमोदन के लिए सचिवालय, उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को सम्बद्ध विदेशी सहयोग प्रपत्र के साथ जहां पर लागू हो, प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 23-क में निर्धारित प्रपत्र में भेजे जाने चाहिए। औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के अधीन आशय पत्र/अनुमति पत्र देने के लिए इन आवेदन पत्रों पर वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में एक बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा । इसका अनुमोदन देते समय, यह बोर्ड आयात के लिए अनुमति विनिर्माण की मद, वार्षिक क्षमता, विवरण, पूंजीगत माल की मात्रा और उसके साथ-साथ निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में प्राप्त किए जाने वाले मूल्य संयोजन की प्रतिशतता को भी विशिष्टिकृत करेगा ।

417. ऐसे अनुमोदन नीचे दी गई शर्तों के अधीन होंगे :—

(क) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट के सम्पूर्ण उत्पादन और परिचालन जब तक कि इसे अन्यथा रूप से इस पुस्तक में यथा उल्लिखित वास्तविक बांडिंग से विशेष रूप से छूट न मिली हुई हो, सीमाशुल्क बंधित कारखाने में होंगे । संबंधित सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ता भुगतान करने पर कारखाने के परिसर की बंधित सुविधाओं की व्यवस्था करेगा । सामान्य क्रियाविधि जो सीमाशुल्क बांडिंग के लिए लागू है वह अपनाई जाएगी जिसमें फैक्ट्री को आयात के पत्तन के लिए जाने वाले माल के लिए ट्रांजिट बांड भी शामिल है ।

(ख) पूंजीगत माल का आयात आशय पत्र अनुमति के जारी होने की तिथि से दो वर्षों के भीतर किया जाना है । यदि किसी यूनिट द्वारा पूंजीगत माल का आयात दो वर्षों की उक्त अवधि के भीतर न

किया गया हो तो उस यूनिट को सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय के पास नए सिरे से आवेदन देना पड़ेगा प्रशासनिक मंत्रालय यदि निर्धारित अवधि के भीतर पूंजीगत माल के आयात के लिए असफलता के कारणों से संतुष्ट हो जाता है तो वह बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि पहले अनुमति मूल्य से ऊपर और अधिक पूंजीगत माल का अतिरिक्त आयात अपेक्षित हो तो उस यूनिट को संगत ब्यौरों सहित सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से बोर्ड के अनुमोदन के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा।

(ग) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट द्वारा किए गए किसी भी निर्यात या सम्भरण पर कोई प्रति-पूर्ति लाभ अनुमित नहीं होगा।

(घ) निम्नलिखित को छोड़कर सम्पूर्ण उत्पादन का निर्यात किया जाएगा :—

(1) अस्वीकृत 5 प्रतिशत या बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे ही प्रतिशत को।

(2) घरेलू दर सूची क्षेत्र में प्रभावित संभरण इस नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत होगा।

(3) विश्वव्यापी निविदा शर्तों के अधीन घरेलू दर सूची क्षेत्रों में किए गए संभरण।

(ङ) खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन आयात के लिए अनुमित मदें और उन पर लागू होने वाली शर्तें आयात-निर्यात नीति में दी गई हैं। उनकी अन्य आयात की आवश्यकताओं के लिए, यदि कोई खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत न आती हो, तो सम्बद्ध यूनिट को मुख्य-नियंत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली से आयात लाइसेंस प्राप्त करना होगा। स्वदेशी उपलब्धता के दृष्टिकोण और अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(च) यूनिट को 20 प्रतिशत या ऐसे ही प्रतिशत का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य दिखाना होगा जैसा कि जो आशय पत्र/ अनुमति में दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए सभी विदेशी मुद्रा-विनिमय व्ययों के साथ-साथ कच्चे माल, संघटकों एवं उप-भोज्यों को कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री के घरेलू दर क्षेत्र से प्राप्त संभरण को ध्यान में रखा जाएगा। मूल्य जोड़ने की गणना करने का सूत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट 23-क के प्रपत्र में आवेदन-पत्र में दिया गया है।

(छ) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख स्कीम के अधीन परियोजना लगाने की इच्छुक यूनिटों को इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ माल बेचने की व्यवस्था के सहित विस्तृत तकनीकी, आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजनी होगी ताकि सरकार प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर अपने को सन्तुष्ट करने में समर्थ हो सके, परियोजना की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि इस स्कीम के अधीन केवल ऐसी परियोजनाओं का उद्यम की किस्म पर आधारित औचित्यपूर्ण वार्षिक कारोबार के प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन किया जाए। ये गाइड लाइनें समय-समय पर सरकार द्वारा निश्चित की जायेंगी।

(ज) अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय आवेदक यूनिट को जिस पूंजीगत माल का आयात करने की आवश्यकता होगी उसके सहित मदों की सूची भी भेजनी चाहिए। कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्यों और अतिरिक्त पुर्जों के सम्बन्ध में प्रत्येक मद के लिए पांच वर्षों की अवधि की आवश्यकता आयातित और स्वदेशी दोनों प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मात्रा और मूल्य का भी उल्लेख करना चाहिए। मदों की सूची में वे मदें भी होनी चाहिए जो सामान्य आयात नीति के अन्तर्गत खुले सामान्य लाइसेंस में रखी गई हैं।

(झ) इस स्कीम के अधीन अनुमोदित यूनिट संबंधित लाइसेंस प्राधिकारियों के साथ (इस पुस्तक के परिशिष्ट 23-ख में दिए गए अनुसार) बांड या विधिक करार का निष्पादन करेंगे और निर्धारित निर्यात आभार को पूरा करने का वचन देंगे। निर्यात आभार को अदा करने में असमर्थ होने पर यूनिट को आयात के समय के मूल्य और दर पर आयातित सामग्री पर सीमा-शुल्क कर का भुगतान करना होगा, जो किसी भी अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त, सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 और आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 एवं उसके अधीन जारी किए गए आदेशों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट द्वारा आयातित माल पर सीमाशुल्क कर से छूट से अन्य आदेशों के अधीन होगी जो राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अलग से जारी किए जायेंगे।

(ञ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर एक मास के भीतर संबंधित यूनिट संबद्ध लाइसेंस अधिकारियों को (1) घरेलू सूची क्षेत्र से प्राप्त सीधे ही आयातित या संभरित मदों की मात्रा और मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा या देय मूल्य, जैसा भी मामला हो); (2) देश से बाहर निर्यातित मदों की मात्रा और जहाज पर्यन्त

निःशुल्क मूल्य; (3) अनुमित स्वीकृत माल की बिक्री; (4) घरेलू दर-सूची क्षेत्र को अनुमित बिक्री; और (5) विश्वव्यापी निविदा शर्त के अधीन घरेलू दर सूची को संभरण।

(ट) यूनिट निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक प्रगति/निष्पादन रिपोर्ट भी निर्यात उत्पादन अनुभाग (शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट सैल), वाणिज्य मंत्रालय और मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात के कार्यालय में निर्यात आयुक्त को भेजेंगी। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) जहां भी एक वर्तमान औद्योगिक यूनिट, घरेलू यूनिट के साथ अनुमोदित शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट दोनों के रूप में काम कर रही हो तो इन दो यूनिटों के लिए दो स्पष्ट अलग अलग नाम रखने चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि शतप्रतिशत अनुमोदित निर्यात अभिमुख यूनिट के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसका कानूनी अस्तित्व हो। लेकिन, शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों द्वारा किये गये आयात एवं निर्यात या संभरणों को अन्य एकक/उसी फर्म/कम्पनी के एककों द्वारा किए गए से अलग दिखाना संभव होना चाहिए। ऐसे शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक चाहे उनका कोई कानूनी अस्तित्व न हो के शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के लिए विस्तृत रूप से व्यवस्थित से भिन्न इस नीति के अधीन किसी भी प्रावधान का लाभ प्राप्त करने के लिए विचार किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों को घरेलू दर सूची क्षेत्र से सम्भरण :

418. घरेलू दर सूची से संभरण निम्नलिखित प्रक्रिया से संचालित होंगे।

(क) ऐसे मामलों में संभरकों का संगत बीजक सीमा-शुल्क प्राधिकारी-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा इस संबंध में पृष्ठांकित होना चाहिए कि बीजक के अंतर्गत आने वाले माल शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा प्राप्त हो गए हैं और उस यूनिट का नाम और पता भी दिया जाना चाहिए।

(ख) जहां संबंध क्रेता यूनिट के पास उसी माल के आयात के लिए आयात लाइसेंस हों तो वहां सीमा-शुल्क प्राधिकारी बीजक पर पृष्ठांकित करते समय आयात लाइसेंस को भी सीधे आयात के लिए उस सीमा तक अवैध कर देगा जो देश में ही अभिप्राप्त है।

(ग) इस व्यवस्था के अधीन स्थानीय प्राप्त माल चाहे वे आयात लाइसेंस के मद्दे या अन्यथा रूप से प्राप्त किए गए हों, उपर्युक्त पैरा में यथा निर्धारित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय एकक द्वारा लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले लेखे में शामिल किए जायेंगे। स्थानीय प्राप्त माल का उपयोग शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के लिए निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाएगा।

(घ) माल के संभरण पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत ऐसे संभरण के मद्दे आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस यदि अन्यथा रूप से स्वीकार्य हो, मांग सकते हैं। आयात के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तरीके से संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजे जाने चाहिएं। आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :—

(1) आवेदन पत्र शुल्क के प्रति उपयुक्त धनराशि के लिए चालान।

(2) सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् पृष्ठांकित संभरक का इस संबंध में एक बीजक कि इस बीजक के अंतर्गत आने वाले माल संबद्ध क्रेता यूनिट द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं।

(3) प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित प्रपत्र में निर्यातों का एक विवरण।

(4) वह मूल्य जिसके लिए आर. ई. पी. लाइसेंस अनुमेय होंगे वह "रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य के गंतव्य स्थान" के लिए होंगे।

(ङ) ऐसे संभरणों पर आधारित आवेदन पत्र अलग से भेजे जाने चाहिए और किए गए वास्तविक निर्यातों पर आधारित दावों में शामिल नहीं होना चाहिए।

घरेलू दर-सूची में माल की बिक्री

(419. (1) घरेलू बाजार में अपने माल को बेचने के इच्छुक एककों को निर्यात आयुक्त से संपर्क करना चाहिए। उसे वैध आयात लाइसेंस या खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आने वाले के मद्दे घरेलू दर सूची क्षेत्र में संभरित की जाने वाली मद की मात्रा और यूनिट द्वारा लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उसी तारीख को यूनिट द्वारा उत्पादित उसी मद की मात्रा को भी दर्शाना चाहिए। आवेदन पत्र सीमा-शुल्क प्राधिकारी—बंधित क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(2) निर्यात आयुक्त के आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् खरीददार उस शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट के माध्यम से आवेदन पत्र दाखिल करे जिसे निम्नलिखित विधि के अनुसार ऐसे माल का संभरण करना है :—

(1) उन मदों के मामले में जिनके लिए बिक्री की प्रस्तावित तारीख को लागू आयात नीति के अधीन एक आयात लाइसेंस की आवश्यकता हो, तो ऐसी मदों की बिक्री के लिए आवेदन पत्र, घरेलू टैरिफ क्षेत्र (खरीदार) द्वारा प्राप्त वैध आयात लाइसेंस के साथ सम्बद्ध सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास दी जाए। यदि प्रस्तुत किया गया वैध आयात लाइसेंस (सों) में

शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट द्वारा बेची जाने वाली प्रस्तावित मदों के आयात शामिल हों तो संबद्ध सीमा-शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी उपर्युक्त पैरा (ख) में संदर्भित निर्यात आयुक्त की अनुमति के अनुसरण में संभरण के मूल्य को लाइसेंस (सों) पर प्रविष्ट करने और उचित रूप से नामे डालने के बाद ऐसे संभरण के लिए अनुमति देगा। लाइसेंस को नामे डालते समय विस्तृत ब्यौरे ऐसे संभरण की तारीख, मदों का विवरण, मात्रा, मूल्य और भुगतान किए गए शुल्क का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(2) यदि ऐसी बिक्री की तारीख को लागू नीति के अनुसार शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट द्वारा बेचे जाने वाले प्रस्तावित माल के लिए किसी आयात लाइसेंस की आवश्यकता न हो तो एक शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट जो बेचना चाहता हो, वह संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को रिलीज आदेश जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) रिलीज आदेश दो प्रतियों में जारी किया जाएगा और रिलीज आदेश का मूल्य उपर्युक्त पैरा 10 (ख) में उल्लिखित निर्यात आयुक्त की स्वीकृति के अनुपालन में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दाखिल किया जाएगा। माल की प्राप्ति और उसके मूल्य/मात्रा के लिए रिलीज आदेश धारक की जान पहचान करने के बाद शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक द्वारा रिहाई आदेश की मूल प्रति रख ली जाएगी। संबंध शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट द्वारा निर्यात के रूप में यह एक साक्ष्य होगा। निर्यात के उद्देश्य पर निःशुल्क मूल्य के रूप में समझे जाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जिसके लिए माल का संभरण कर दिया जाता है या रिलीज आदेश का मूल्य, इनमें जो भी कम हो, वही होगा।

उत्पादन के 25 प्रतिशत तक की विशेष अनुमति के अधीन बिक्री

420. (1) इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन घरेलू दर सूची में अपने उत्पादन का 25% तक माल बेचने की अनुमति देने के लिए शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों के आवेदनों पर राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित उपयुक्त सीमाशुल्क शुल्कों और अन्य करों के भुगतान की शर्त के अधीन मामले दर मामले पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसी बिक्री के लिए अनुमति मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली में निर्यात आयुक्त द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार दी जाएगी जो समय-समय पर निर्धारित किए जाएं।

(2) घरेलू दर-सूची क्षेत्र में माल का विक्रेता संबंधित माल पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और ऐसे अन्य शुल्क/शुल्क जो उद्ग्राह्य हों, अदा करने के लिए देनदार होगा। ऐसी बिक्री अधिसूचना की शर्त के अधीन होगी जो राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाए या उनके द्वारा समय-समय पर अन्य अधिसूचना या अनुदेश जारी किए जाएं।

कर छूट

421. कर छूट का यह लाभ शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों को अनुमित किया जाएगा जो निर्यात संवर्धन क्षेत्र मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित यूनिटों को अनुमेय है। यूनिटों द्वारा कर छूट का उपयोग उस यूनिट के उत्पादन के आरम्भ होने से पहले आठ वर्षों के दौरान पांच वर्षों के ब्लाक के लिए उनके विकल्प पर किया जा सकता है।

ग्रीन कार्ड

422. इस स्कीम के अधीन अनुमोदित यूनिट जो अपनी परियोजनाओं को स्थापित करने और उनको क्रियान्वित करने से संबंधित मामलों में वरीयता के व्यवहार की सुविधा के लिए पात्र हों, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में निर्यात आयुक्त, को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये ग्रीन कार्ड उन यूनिटों को जारी किए जाएंगे जिन्होंने अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में संबंधित आवेदन पत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट 23-ग में दिया गया है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2क

आयात-निर्यातक कोड नंबर के आवेदन का प्रपत्र

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

.........................का कार्यालय

आयात निर्यात कोड (आई० ई० सी०) के आवंटन और विद्यमान कम्पनी फर्म आदि के ब्यौरे में संशोधन के लिए आवेदन पत्र

नोट : 1. आवेदक शुल्क भुगतान के साक्ष्य के रूप में बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित निर्धारित प्रपत्र में किया जाना चाहिए।

2. आवेदन प्रपत्र साफ बड़े अक्षरों में लिखा/टाईप होना चाहिए।

3. आवेदन प्रपत्र की प्रत्येक प्रति प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

4. आवेदन पत्र के पीछे यथा-निर्धारित समर्थित दस्तावेज जहां कहीं भी लागू हों, शामिल किए जाने चाहिए।

5. आवेदन पत्र में केवल आवेदक से सम्बन्धित सूचना ही भरी जाएं शेष पर लागू नहीं अंकित कर दिया जाए।

6. क्रम संख्या 1 से 4 में आने वाली मदों के अतिरिक्त संगत मदों को भरकर आवेदक के ब्यौरों के संशोधनों को भी इस प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

1. आवेदक का स्तर [1] नई आयात-निर्यात कोड सं० के लिए [2] स्तर के संशोधन के लिए

2. कम्पनी, फर्म का नाम आदि ____________________

3. कम्पनी, फर्म आदि का पता ____________________

नगर ____________________

के० शा० प्र० ____________________

पिन कोड [| | | | |]

4 शुल्क भुगतान का विवरण :—

(1) बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट सं० ____________________

(2) जारी किए जाने की तिथि ____________________

दि०मा० मा० वर्ष वर्ष

(3) राशि (रुपयों में) ____________________

(4) जारी करने वाली ब्रांच ____________________

5. वर्तमान आयात निर्यात कोड सं० (यदि पहले आवंटित की गई है) [| | | | | | | | |]

6. वर्तमान आयात-निर्यात कोड सं० (यदि पहले आवंटित की गई है) ____________________

7. आर० बी० आई० कोड ____________________

8. कम्पनी फर्म आदि की स्थापना की तिथि ____________________

दि० दि० मा० मा० वर्ष वर्ष

परिशिष्ट 2क—जारी

9. कम्पनी/फर्म की श्रेणी कोड . . . . | 1 | सरकारी कं० | 2 | सार्वजनिक क्षेत्र लि० कं०

(कृपया उचित बक्से में निशान लगाएं) | 3 | प्राइवेट लि० कं० | 4 | स्वामित्व फर्म

| 5 | भागीदार फर्म | 6 | अन्य (कृपया निर्दिष्ट कीजिए)

10. पंजीकृत निर्यातक का प्रकार . . . . | 1 | व्यापार सदन | 2 | निर्यात सदन
(कृपया उचित बक्से में निशान लगाएं)

| 3 | व्यापारी निर्यातक | 4 | विनिर्माता निर्यातक

11. उस प्राधिकारी का नाम जिसके साथ पंजीकृत है
(केवल विनिर्माताओं के लिए लागू) . . . ——————————
(क) पंजीकरण सं०—————————— दिनांक | | | | | | | |

दिन मास वर्ष

(ख) औद्योगिक लाइसेंस सं०————(यदि कोई हो) दिनांक | | | | | | | |

दिन मास वर्ष

12. (क) क्या दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है ? यदि हां तो— | हां | | नहीं |

पंजीकरण सं०—————————— दिनांक | | | | | | | |

दिन मास वर्ष

(ख) क्या बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है ? यदि हां तो— | हां | | नहीं |

पंजीकरण सं०—————————— दिनांक | | | | | | | |

दिन मास वर्ष

13. उन स्थानों का नाम जहां शाखा है (यदि चार से अधिक हों तो अतिरिक्त शीट जोड़ें)

1. —————— 1-क. देश —————— ख. नगर ——————
2. —————— 2-क. देश —————— ख. नगर ——————
3. —————— 3-क. देश —————— ख. नगर ——————
4. —————— 4-क. देश —————— ख. नगर ——————

क्या अतिरिक्त शीट जोड़ी है ? | हां | | नहीं |

14. निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य बोर्ड/भारतीय निर्यात संगठन का महासंघ आदि के साथ पंजीकरण, यदि पंजीकृत हों के ब्यौरे (यदि एक से अधिक के साथ पंजीकृत हों तो अतिरिक्त शीट जोड़ें)

(1) क. नाम——————————ख. कोड | | अनुबन्ध में दिये गए कोड के अनुसार

परिशिष्ट 2-क—जारी

ग. पंजीकरण सं० ———————— घ. किस तारीख तक वैध है

दिन	मास	वर्ष

ङ. उस अन्तिम उत्पाद का विवरण जिसके लिए पंजीकरण है (यदि छ: से अधिक हैं तो अतिरिक्त शीट जोड़ें)

विवरण	विवरण
1. ————	4. ————
2. ————	5. ————
3. ————	6. ————

क्या अतिरिक्त शीट जोड़ी है ? (छ अन्तिम उत्पादों में अधिक के लिए) [हां] [नहीं]

(2) क्या अतिरिक्त शीट जोड़ी है ? (एक पंजीकरण प्राधिकारी से अधिक के लिए) [हां] [नहीं]

15. कानूनी अस्तित्व के निदेशकों/प्रबन्ध बोर्ड में निदेशकों/साझीदारों/स्वामियों आदि के (यदि चार से अधिक हों तो अतिरिक्त शीट जोड़ें) विवरण।

1. क. नाम . . . . . ————
   ख. पिता का नाम . . . . ————
2. क. नाम . . . . . ————
   ख. पिता का नाम . . . . ————
3. क. नाम . . . . . ————
   ख. पिता का नाम . . . . ————
4. क. नाम . . . . . ————
   ख. पिता का नाम . . . . ————

क्या अतिरिणत शीट जोड़ी है ? . . . [हां] [नहीं]

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन पत्र और इसके साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह आवेदन पत्र मेरे/हमारे द्वारा मुख्य/प्रधान कार्यालय की हैसियत से किया जाता है और मैंने/हमने मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के किसी कार्यालय में इस नाम से पहले कोई भी आयातक-निर्यातक कोड सं० प्राप्त नहीं की है या कोई आवेदन पत्र दिया है।

हस्ताक्षर (प्राधिकृत व्यक्ति) ————

नाम ————

————

कार्यालय का पूरा पता ————

————

————

निवास का पूरा पता ————

————

————

स्थान ————

दिनांक ————

संलग्न किये जाने वाले समर्थक दस्तावेज

1. बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट शुल्क भुगतान के साक्ष्य स्वरूप।
2. उचित प्राधिकारी (लघु उद्योग एकक, महानिदेशक, तकनीकी विकास आदि) द्वारा किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
3. औद्योगिक लाइसेंस की प्रति।
4. निर्यात संवर्धन द्वारा किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति यदि उसके पास पंजीकृत हों।
5. आवेदन-पत्र के हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकार पत्र ।

परिशिष्ट 2-क—जारी

क्रम संख्या पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम	कोड
(1) (2)	(3)
1. इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्	01
2. इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	02
3. रसायन और सह-उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्	03
4. मूल रसायन, भेषज एवं सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद्	04
5. प्लास्टिक एवं लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद्	05
6. चमड़ा निर्यात परिषद्	06
7. खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद्	07
8. समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्	08
9. कृषि एवं संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद्	09
10. मसाला निर्यात संवर्धन परिषद्	10
11. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्	11
12. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्	12
13. काजू निर्यात संवर्धन परिषद्	13
14. तम्बाकू बोर्ड	14
15. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्	15
16. कायर बोर्ड	16
17. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्	17
18. वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्	18
19. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्	19
20. रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्	20
21. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	21
22. पटसन आयुक्त	22
23. सिंथेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल	23
24. वनस्पति निदेशक	24
25. खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग	25
26. शेलाक निर्यात संवर्धन परिषद्	26
27. चाय बोर्ड	27
28. ओवरसीज कन्स्ट्रक्शन काउन्सिल आफ इण्डिया	28

(1) (2)	(3)
29. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्	29
30. निर्यात संवर्धन अधिकारी, बम्बई	30
31. निर्यात संवर्धन अधिकारी, मद्रास	31
32. निर्यात संवर्धन अधिकारी, कलकत्ता	32
33. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी० एल० ए०), नई दिल्ली	33
34. राज्य के उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	34
35. राज्य के उद्योग निदेशक, अरूणाचल प्रदेश	35
36. राज्य के उद्योग निदेशक, लक्षद्वीप	36
37. राज्य के उद्योग निदेशक, मणिपुर	37
38. राज्य के उद्योग निदेशक, मिजोरम	38
39. राज्य के उद्योग निदेशक, नागालैंड	39
40. राज्य के उद्योग निदेशक, त्रिपुरा	40
41. राज्य के उद्योग निदेशक, जम्मू एवं काश्मीर	41
42. राज्य के उद्योग निदेशक, गोवा	42
43. राज्य के उद्योग निदेशक, मेघालय	43
44. राज्य के उद्योग निदेशक, दमन एवं दीव	44
45. फेडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन	45
46. विकास आयुक्त, नोयडा निर्यात संसाधन क्षेत्र	46
47. विकास आयुक्त सीपज, बम्बई	47
48. विकास आयुक्त, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र गांधीधाम, गुजरात	48
49. विकास आयुक्त, फाल्टा, निर्यात संसाधन क्षेत्र, कलकत्ता	49
50. विकास आयुक्त, मद्रास, निर्यात संसाधन क्षेत्र, मद्रास	50
51. विकास आयुक्त, कोचीन, निर्यात संसाधन क्षेत्र, कोचीन	51
52. सौल्वेण्ट एक्ट्रैक्शन एसोसियेशन आफ इण्डिया	52
53. ग्राउण्डनट एक्ट्रैक्शन निर्यात उत्पादन संघ	53
54. भारत का सोयाबीन संसाधन संघ	54
55. अखिल भारतीय काटनसीड क्रशर संघ	55
56. जूट विनिर्माण विकास परिषद्	56
57. काफी बोर्ड	57

परिशिष्ट—2ख

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों की सूची (उनके डाक और तार पते तथा उनके क्षेत्राधिकार)

क्रम सं०	लाइसेंस प्राधिकारी	तार का पता	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, 4 एस्पलेनेड ईस्ट, कलकत्ता–700069	निआनिक्षेप्रा, कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और अण्डमान और निकोबार का संघ शासित क्षेत्र।
2	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, न्यू सैन्ट्रल गवर्नमेंट आफिस बिल्डिंग, एस० ई० विंग, न्यू मरीन लाईन/चर्च गेट, बम्बई–400020	निआनिक्षेप्रा, बम्बई	महाराष्ट्र, दमन, दादर तथा नगर हवेली।
3.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, 197, पीटरस रोड, रोयापेट्टा, मद्रास–600014	निआनिक्षेप्रा, मद्रास	तमिलनाडु।
4.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र, पीयरलैस भवन, 6–7 आसफली रोड, नई दिल्ली–110002	निआनिक्षेप्रा, नई दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पांच जिले अर्थात् मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्द-शहर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर।
5.	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, 117/एल/444, काकादेव, कानपुर-208025	निआनिक्षेप्रा, कानपुर	उत्तर प्रदेश, उन क्षेत्रों को छोड़कर, जो संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली और उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, वाराणसी और मुरादाबाद के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।
6.	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, 7वीं मंजिल, कावेरी भवन, पोस्ट बाक्स सं० 9688, बंगलौर–560006	निआनिक्षेप्रा, बंगलौर	कर्नाटक।
7.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात–निर्यात, "ए" ब्लाक, 11वीं मंजिल, गवर्नमेंट बहुमंजिली बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद–380001	निआनिक्षेप्रा, अहमदाबाद	गुजरात राज्य, किन्तु राजकोट और न्यू कांडला के कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले स्थानों को छोड़कर।
8.	संयुक्त मुख्य निदेशक, आयात-निर्यात, 6–4–सी, ग्रीन फील्ड पखोवाल, लुधियाना।	कोनिम्पेक्सट्रा, लुधियाना	अमृतसर जिले को छोड़कर, पंजाब।
9.	उप-मुख्य नियंत्रक आयात–निर्यात, प्राधिकरण बाजार अवाम व्यावसायिक केन्द्र, सागर सराय, गलजारीमल धर्मशाला रोड, मुरादाबाद।	कोमिपेम्क्सट्रा, मुरादाबाद	मुरादाबाद, देहरादून, उत्तर-काशी, टेहरी–गढ़वाल, गढ़-वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बिजनौर, नैनिताल और रामपुर।
10.	उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात–निर्यात, लद्दा कम्पलैक्स (प्रथम तल), 5–8–196 से 207 (बी) नामपल्लि, हैदराबाद–500001	निआनिक्षेप्रा, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, किन्तु नियंत्रक, आयात तथा निर्यात विशाखापत्तनम के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर।
11.	उप-मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात पी० बी० सं० 1129, चित्तूर रोड, एर्नाकुलम, कोचीन–6820011	निआनिक्षेप्रा, एर्नाकुलम	केरल राज्य और लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र।
12.	उप–मुख्य नियन्त्रक, आयात–निर्यात, तीसरी मंजिल, गुरुतेग बहादुर काम्प्लेक्स, न्यू मार्किट, भोपाल–46204	निआनिक्षेप्रा, भोपाल	मध्य प्रदेश।
13.	सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, सी० बी० आर० बिल्डिंग माल रोड, अमृतसर	कोनिम्पेक्सट्रा, अमृतसर	अमृतसर जिला।

परिशिष्ट—2ख—(जारी)

1	2	3	4
14.	उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005	निआनि क्षे प्रा, जयपुर	राजस्थान
15.	उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात आर० जी० बरुआ रोड, गोहाटी-781024	निआनिक्षेप्रा, गोहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मणिपुर।
16.	उप-मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात, म्युनिसिपल नं० एस एम 15/121, रिशिपट्टन मार्ग,(पहली मंजिल), सारनाथ, वाराणसी-221007 (उ०प्र०)	कोनिमनिक्स्टा, वाराणसी	वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, देवनागरिया, गोरखपुर और बस्ती।
17.	उप-मुख्य नियन्त्रक आयात-निर्यात, देसाई बिल्डिंग, भूपेन्द्र रोड, न्यू टाउन हाल, राजकोट-360001	निआनिक्षेप्रा, राजकोट	सौराष्ट्र के नाम से जाने वाले गुजरात राज्य के जिले (कच्छ को छोड़कर) और दमन और द्वीप के केन्द्र शासित प्रदेश में, द्वीप।
18.	उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, रेजिडेंसी रोड, श्रीनगर-180001	निआनिक्षेप्रा, श्रीनगरर	जम्मू और कश्मीर टिप्पणी :—शरद ऋतु में उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, रेजिडेंसी रोड, श्रीनगर द्वारा समय-समय पर की जाने वाली घोषणा के अनुसार प्रत्येक मास में 7 दिनों के लिए जम्मू (प्रदर्शनी ग्राउन्ड) में एक शिविर कार्यालय कार्य करेगा।
19.	नियन्त्रक ,आयात-निर्यात, मेरेलो बिल्डिंग, शिलांग, मेघालय-790001	निआनिक्षेप्रा, शिलांग	मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम।
20.	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, आशीर्वाद बिल्डिंग, समताप्लेज पंजिम (गोवा)-403001	निआनिक्षेप्रा, पंजिम	गोवा।
21.	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, प्रशासनिक बिल्डिंग, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र, गांधीधाम, (कच्छ)-370301	निआनिक्षेप्रा, न्यू कांडला	गुजरात का कच्छ जिला और न्यू कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र।
22.	सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, विसकोमन भवन, पटना-800001	निआनिक्षेप्रा, पटना	बिहार।
23.	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, सैक्टर 35, एस० सी० ओ०-288, चंडीगढ़-160023	निआनिक्षेप्रा, चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश और संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़।
24.	सहायक मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, चौलिया गंज, नया बाजार, कटक-753004	निआनिक्षेप्रा, पकटक	उड़ीसा।
25.	उप-विकास आयुक्त (विकास), इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र, सांताक्रुज, बम्बई	सीप्रोजोन, बम्बई	इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन सांताक्रुज, बम्बई, (सीपज)।
26.	नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात, पी० बी० नं० 14, पांडिचेरी-605001	निआनिक्षेप्रा, पांडिचेरी	पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश करैक्ल, माहे और यनम।
27.	सहायक मुख्य आयात तथा निर्यात, डोर सं० 43-9-166, प्रथम तल टी० एस० एन० कालोनी, विशाखापत्तनम-530016	निआनिक्षेप्रा, विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश का सिरिकाकुलम से विशाखापत्तनम पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी। गोदावरी जिले।
28.	सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, सनराईज बिल्डिंग, 104, विन रोड, तूतीकोरिन-628001	निआनिक्षेप्रा, तूतीकोरिन	कन्याकुमारी, तिरुनेवेली रामानापुरम, तथा मदुरै।

परिशिष्ट-2ग

आयात आवेदनपत्र शुल्क तथा अन्य आई.टी.सी. निक्षेप जमा करने/वापस लेने के लिए प्रक्रिया

शुल्क का भुगतान

(1) (क) जब तक कि आवेदक को आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के खंड 4 के अंतर्गत शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त न हो जाए, तब तक आयात लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा विधिवत मोहर लगाई हुई बैंक रसीद की दो प्रतियां होनी चाहिए जिनमें आयात (नियंत्रण) आदेश की अनुसूची-3 के अनुसार निर्धारित अनुपात में शुल्क निक्षेप का हवाला दिया गया हो। निक्षेप संगत प्रपत्र/खजाना चालान 6 के साथ साथ किया जाना चाहिए जिसमें नीचे संकेतिक अनुसार लेखा शीर्षक स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए :—

(ख) इम्पोर्ट लाइसेंस एप्लीकेशन फी-सबोर्डीनेट टू दी मेजर हैड 1453 फोरन ट्रेड एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमोशन—माइनर हैड—102—इम्पोर्ट लाइसेंस एप्लीकेशन फी होगा । बैंक रसीद में विभाग का नाम उदाहरणार्थ—"आयात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन" और आयात लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र के ब्यौरे दिए जाने चाहिएं अर्थात चालान प्रपत्र के कालम के पूरे ब्यौरे में उस लाइसेंस अवधि और मूल्य सहित माल का विवरण दिया जाना चाहिए जिसके लिए लाइसेंस मांगा गया है। बैंक रसीद संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के स्थान को बताते हुए वेतन एवं लेखा अधिकारी (आयात एवं निर्यात) के नाम में होनी चाहिए । खजाना चालान संबंध वेतन एवं लेखा अधिकारी का स्टेशन बताते हुए वेतन एवं लेखा अधिकारी (आयात एवं निर्यात) के नाम में भेजनी चाहिएं । आवेदन-पत्र में बैंक रसीद का विवरण भी दिया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत अपेक्षित शुल्क का निक्षेप किया गया है । निक्षेप सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की किसी भी उस शाखा में किया जाना चाहिए जो आवेदन शुल्क और अन्य आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेप जमा करने के लिए प्राधिकृत की गई हो। सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की उन शाखाओं की एक सूची इस परिशिष्ट में दिखाई गई है जो आवेदन-पत्र शुल्क और अन्य आयात व्यापार निक्षेप प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत की गई है। इस प्रकार का शुल्क विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में भी निष्पादित किया जा सकता है।

(ग) किसी भी मामले में शुल्क खजाने में जमा नहीं किया जाना चाहिए। खजाने की रसीद स्वीकार नहीं की जाएगी।

(घ) चालन फार्म टी आर-6 इस परिशिष्ट के उपाबंध-4 में दिया गया है।

बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम् से प्रेषण की सुविधा

(2) (क) लेकिन, यदि आवेदक किसी ऐसे जिले में स्थित है जहां सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की कोई भी प्राधिकृत शाखा नहीं है, तो उसके लिए आवेदन शुल्क और अन्य आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेपों के प्रेषण की सुविधा अनुसूचित बैंक के लिए क्रास किए गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी उपलब्ध होगी। अपेक्षित धनराशि के लिए ऐसे डिमांड ड्राफ्ट उस संबद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी के नाम में किए जाएंगे जो बैंक ड्राफ्ट को उस जगह के सेंट्रल बैंक में जमा करेगा जहां उसका बैंक खाता हो। ऐसी जगह जहां सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की कोई शाखा न हो तो लाइसेंस प्राधिकारी के नाम में प्राप्त किए गए डिमांड ड्राफ्ट सरकारी लेखे में जमा करने के लिए सम्बद्ध वेतन एवं लेखा अधिकारी को पृष्ठांकित किए जा सकते हैं । विभिन्न वेतन एवं लेखा अधिकारियों का क्षेत्राधिकार भी इस परिशिष्ट में बाद में संकेतित किया गया है।

(ख) जहां कहीं डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण की सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो क्रास डिमांड ड्राफ्ट को आवेदन-पत्र के साथ नत्थी करके संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी के पास भेज दिया जाना चाहिए ।

शुल्क के भुगतान से छूट

(3) (क) आवेदक की वे श्रेणियां जिन्हें शुल्क अदा करने से छूट मिली हुई है, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 4 में दी गई है । उन आवेदन-पत्रों पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जहां आयात किया जाने वाला माल आवेदकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, (अर्थात उन प्रयोजनों के लिए जो व्यापार अथवा विनिर्माण से संबंधित नहीं है) चाहे माल का मूल्य जो भी हो । किन्तु यह छूट कार और अन्य परिवहन के आयात के लिए लागू नहीं है ।

(ख) जहां कहीं, आवेदक को शुल्क की अदायगी से छूट मिली हुई है, उसे अपने आवेदनपत्र में बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट सं. और दिनांक से संबंधित कालम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए और जिस प्रावधान के अन्तर्गत उसको ऐसी छूट मिली हुई है, उसका भी संकेत करना चाहिए ।

जहां बैंक रसीद खो जाती है

ऐसे मामलों में जहां ऊपर धारा (1) (क) में संदर्भित बैंक रसीद की दो प्रतियां आवेदक द्वारा खो गई हों, आवेदक को इस संबंध में स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए कि संबंधित बैंक रसीद की दो प्रतियां खो गई या अस्थानस्थ हो गई है और उनका किसी अन्य तरीके से उपयोग नहीं किया गया है । आगे उसे इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि यदि बाद में बैंक रसीद की उक्त प्रतियां (या बैंक रसीद दो में से कोई एक प्रति) मिल गई तो उसे सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को

लौटा दिया जाएगा और उसका किसी भी अन्य तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा । बैंक रसीद के ब्यौरे अर्थात् लाइसेंस अवधि प्रेषित की गई धनराशि भुगतान की तिथि आदि का भी शपथ पत्र में हवाला दिया जाना चाहिए ।

आवेदन-पत्र शुल्क की वापसी

(क) आयात (नियंत्रण) आदेश की धारा 4 में विशिष्टकृत परिस्थितियों को छोड़कर, एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।

(ख) जहां आवेदक आवेदन शुल्क वापसी का हकदार है, वहां इस परिशिष्ट में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन शुल्क वापसी के लिए एक आवेदन-पत्र उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में शुल्क की अदायगी की गई है । वापसी के लिए आवेदन-पत्र देते समय, ऐसी वापसी के लिए आवेदन-पत्र के साथ बैंक रसीद (दो प्रतियां) की दोनों प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए ।

जिस मामलों में बैंक रसीद की उक्त प्रतियां लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की गई हैं, उनमें बैंक रसीद की तीसरी प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए । सभी मामलों में बैंक रसीद की तारीख और संख्या तथा जिस बैंक में शुल्क जमा किया गया है उसका नाम दिया जाना चाहिए ।

(ग) शुल्क वापसी के ऐसे मामलों में जहां धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की गई है तो इसके अतिरिक्त आवेदक को निम्नलिखित सूचना भेजनी चाहिए :—

(1) डिमांड ड्राफ्ट की सं. और जारी करने की तारीख ।

(2) उस बैंक का नाम और शाखा का पता जिसने डिमांड ड्राफ्ट जारी किया था ।

(3) वह बैंक जिसके लिए डिमांड ड्राफ्ट भेजा गया है (अर्थात् भुगतान करने वाला बैंक) ।

(4) उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम में डिमांड ड्राफ्ट देय किया गया था ।

आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर लाइसेंस अधिकारी संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी से यह सत्यापन करने के बाद धन वापसी की मंजूरी प्रदान करेगा कि विषयाधीन धनराशि भारत सरकार के लेखे में जमा करा दी गई है ।

साधारणतः शुल्क वापसी के लिए किसी भी आवेदन-पत्र को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक द्वारा शुल्क वापसी का दावा करने के पूरे कारणों का उल्लेख न किया जाए और शुल्क वापसी, जमा करने के एक वर्ष के भीतर ही मांगी गई हो । लेकिन, वास्तविक मामलों में, लाइसेंस प्राधिकारी देरी के लिए माफी दे सकते हैं किन्तु किसी भी मामले में शुल्क वापसी के लिए आवेदन-पत्र पर शुल्क वापसी का दावा करने की तिथि से तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) 1-7-1976 से पहले खजाने में जमा की गई धनराशि की वापसी के मामले में, शुल्क वापसी के लिए आवेदन-पत्र में बैंक रसीद संख्या आदि के बजाए खजाना चालान की संख्या एवं दिनांक और खजाने का नाम लिखा होना चाहिए । ऐसे मामलों में, भुगतान के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी को वापसी बिल भेजने से पहले मूल जमा धनराशि का सत्यापन किया जाना चाहिए और संबंधित खजाना अधिकारी द्वारा वापसी को नोट कर दिया जाना चाहिए ।

(ङ) शुल्क वापसी के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय, लाइसेंस प्राधिकारी आवेदक से कोई भी सूचना ब्यौरा मांग सकते हैं ।

(च) ऐसे मामलों में, जहां आवेदक से मूल बैंक रसीद खो गई हो, वहां लाइसेंस प्राधिकारी इस तथ्य के समर्थन में बैंक या वेतन एवं लेखा अधिकारी (आयात एवं निर्यात) से यह प्रमाण-पत्र भी स्वीकार कर सकते हैं कि धनराशि जमा कर दी गई है । ऐसे मामलों में, जहां मूल रसीद उपलब्ध नहीं है तो आवेदक को उपयुक्त तथा उल्लिखित ब्यौरे देते हुए शपथ-पत्र दाखिल करना पड़ेगा ।

(छ) शुल्क वापसी आदेश जारी होने की तिथि से तीन महीने तक वैध होगा । उनके पुनर्वैधीकरण का आवेदन उस प्राधिकारी द्वारा जिसने शुल्क वापसी आदेश जारी किया है, गुणता के आधार पर विचार करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है किन्तु यह शुल्क वापसी आदेश की अवधि समाप्ति की तारीख से 9 महीने से अधिक अवधि का नहीं होना चाहिए ।

(ज) ऐसे मामलों में जहां लाइसेंस प्राधिकारी शुल्क वापसी के अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं, तो वे ऐसी नामंजूरी के कारणों का उल्लेख करेंगे ।

परिशिष्ट-2ग—(जारी)

उपाबन्ध—1

आयात लाइसेंस आवेदन-पत्र के शुल्क और अन्य आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेपों के भुगतान को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत भारतीय सेंट्रल बैंक की शाखाओं की सूची

क्रम सं०	शाखा का पता	जिला
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	6-1-10631, ई, प्रथम मंजिल, राजभवन रोड, खैरातीबाग, हैदराबाद-500004	हैदराबाद
2.	पोस्ट बाक्स नं० 30, विक्टरी हाऊस, डोर नम्बर 1634-1-18, टैम्पल स्ट्रीट, काकीनाडा-533001	पूर्व गोदावरी
3.	3-1-16, राष्ट्रपति रोड, सिकन्दराबाद-500003	हैदराबाद
4.	पोस्ट बाक्स नं० 6, गोगी नैनी बिल्डिंग बी-12-319, राज रोगेश अप्पारस स्ट्रीट, विजयवाडा-520002	कृष्णा
5.	पोस्ट बाक्स नं० 22, डोर नं० 5 281, माया लता मैन रोड, राजामुन्द्री-533101	पूर्व गोदावरी
6.	बी-1 शिपयार्ड कालोनी, गांधी ग्राम, विशाखापत्तनम-533001	विशाखापत्तनम
7.	पोस्ट बाक्स नं० 65, 2918, 119, मेन रोड, विशाखापत्तनम-530001	विशाखापत्तनम
8.	पोस्ट बाक्स नं० 5, बाजार स्ट्रीट, सामरथी बिल्डिंग्स, पकाला-517112	चित्तूर
9.	18/188/बी० के० एम० स्ट्रीट, कुड्डापाह-518001	कुड्डापाह
10.	पोस्ट बाक्स नं० 22, 18/192, रसूल बाजार, करनूल-516001	करनूल
11.	22, जनाला गोदावरी स्ट्रीट, नेल्लोर-524001	नेल्लोर
12.	पोस्ट बाक्स नं० 60, राम गोपाल कम्पाउन्ड जवाहर रोड, निजामाबाद-503001	निजामाबाद
13.	एन्ना जूटर ग्रांड रोड, ओंगोल-523001	प्रकाशम
14.	पोस्ट बाक्स नं० 27, बेलन बिल्डिंग, 8-413 स्टेशन रोड, वारंगल सिटी-500002	वारंगल
	असम	
15.	रहमान मंजिल पान बाजार, गोहाटी-781001	गोहाटी
16.	मारवाड़ी पट्टा पोस्ट आफिस, रेहाबाड़, डिब्रूगढ़-786001	डिब्रूगढ़
17.	सिल्चर पोस्ट आफिस सिल्चर	कच्छार
17क.	तिनसुकिया	डिब्रूगढ़
	बिहार	
18.	बैंक मोर्ड-802156, धनबाद	धनबाद
19.	पोस्ट बाक्स नं० 14, माला रोड, बिस्तुपुर जमशेदपुर-810001	सिंहभूम
20.	पोस्ट बाक्स नं० 64, न्यू डाक बंगला रोड, पटना-831001	पटना
21.	पोस्ट बाक्स नं० 5, गोवर्धन रोड, पोस्ट आफिस, दरभंगा-846004	दरभंगा
22.	डाकखाना मधुबनी-847211, मधुबनी।	मधुबनी
23.	रामगढ़ मेंशमल हाईवे 33, डाकखाना रामगढ़ कैंट हजारीबाग	हजारीबाग
24.	पोस्ट बाक्स नं० 38, नवकेतन, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, भागलपुर-812001	भागलपुर
25.	पोस्ट बाक्स नं० 23, बाड़ी बजार, मुंगेर-811201	मुंगेर
26.	एम० जी० रोड, कटिहार-854105	कटिहार
27.	डाकखाना पूर्णिया अग्रवाल मार्किट, आर० एन० शाह चौक, पूर्णिया-854301	पूर्णिया
28.	डाकखाना, सहरसा-852201	सहरसा
29.	पोस्ट बाक्स नं० 8, मैन बाजार चौक, रक्सौल-845305	चम्पारण
30.	डाल्टन गंज इंजीनियरिंग रोड, डाल्टनगंज-822101	पालामऊ

परिशिष्ट 2ग—(जारी)

1	2	3
	गुजरात	
31.	पोस्ट बाक्स नं० 201, एम० जी० रोड, सूरत-395003	सूरत
32.	न्यू वेजीटेबल मार्किट, पोस्ट बाक्स नं० 62, बलसर-396001	बलसर
33.	कमा बिल्डिंग पानीगेट बड़ौदा-380001	बड़ौदा
34.	रूपाली सिनेमा के पास, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001	अहमदाबाद
35.	पोस्ट बाक्स नं० 505, 3/62 मांडवी टावर रोड, जामनगर-361001	जामनगर
36.	पत्तानी बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स नं० 129, एम० जी० रोड, राजकोट-360001	राजकोट
37.	हैरीस रोड, भावनगर-364001	भावनगर
38.	जावा चौक, पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, कच्छ	कच्छ
39.	जामा मस्जिद रोड, बड़ोच-392001	बड़ोच
	हरियाणा	
40.	रेलवे रोड, बहादुरगढ़-124507	रोहतक
41.	बसवे रोड, गुड़गांव-122001	गुड़गांव
42.	इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद, एन० आई० टी० 121002	फरीदाबाद
43	चौक मस्त पुरियान, अम्बाला शहर-134002	अम्बाला
44.	सब्जी मंडी, सिरसा-125055	सिरसा
	हिमाचल प्रदेश	
45.	लोअर बाजार, शिमला 171991	शिमला
	जम्मू और कश्मीर	
46.	पोस्ट बाक्स नं० 59, इंद्रा मेंशन, शालीमार रोड, रघुनाथ बाजार, जम्मूतवी-180001	जम्मू
47.	पोस्ट बाक्स नं० 91, अमीरा कादल, श्रीनगर	श्रीनगर
	कर्नाटक	
48.	पोस्ट बाक्स नं० 14, III सी० टी० एस०, नं० 1012/1 आई० बी० दाजीबेन पेथ, हुबली-5800720	धारवाड़
49.	13652, बी०, अरोड़ा बिल्डिंग, हैम्पनकटा, मंगलौर-575003	दक्षिण कनार
50.	3-4, विश्वेश्वरिया भवन, पहली मंजिल, कृष्णा राजेन्द्र सर्किल, मैसूर-570001	मैसूर
51.	सन्तोष सिनेमा काम्पलैक्स, कामागोवडा रोड, बंगलौर-560009	बंगलौर
52.	"श्री निवास" बंगलौर बिल्लेरी रोड, बिल्लेरी-583101	बिल्लेरी
53.	पहली मंजिल, सुपर मार्किट, प्लाट नं० 7 और 8, गुलबर्गा-585101	गुलबर्गा
54.	11-2-7 सुखानी बिल्डिंग, गोल थाना के पास, रायचूर-584101	रायचूर
55.	पोस्ट बाक्स नं० 60, 590 मण्डीपेट, देवगिरी-577001	चित्रदुर्गा
	केरल	
56.	पोस्ट बाक्स नं० 14, बाजार रोड, कोचीन-682002	एर्नाकुलम
57.	पोस्ट बाक्स नं० 36, न्यू कलायकाल बिल्डिंग, पहली मंजिल, टी० सी० 21/219, अपोजिट जी० पी० ओ० मेन रोड, त्रिवेंद्रम-695001	त्रिवेंद्रम
58.	पोस्ट बाक्स नं० 28, क्यू० एम० जी० 526, बी० वाई० ए०, चिन्नागदा, रेस्ट हाउस, जंक्शन-691001	क्यूलोन
59.	पोस्ट बाक्स नं० 1123 21/421 सी०, एम० जी० रोड, एर्नाकुलम, कोचीन	कोचीन

परिशिष्ट 2ग—जारी

1	2	3
	मध्य प्रदेश	
60.	पोस्ट बाक्स नं० 10, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर-474001	ग्वालियर
61.	14-न्यू मार्किट, टी० टी० नगर, भोपाल	भोपाल
62.	पोस्ट बाक्स नं० 89, जवाहर मार्ग, सियागंज, इंदौर सिटी-452001	इंदौर
63.	पोस्ट बाक्स नं० 11, 506, सराफा बाजार, जबलपुर-482001	जबलपुर
64.	पोस्ट बाक्स नं० 23, खांडवा, गवर्नमेंट हास्पिटल के सामने, खांडवा-450001	पूर्व निमार
65.	चर्च कम्पाउण्ड बस स्टेशन, बेतूल	बिटल
66.	चौबरथियां भवन, मेन रोड, पोस्ट आफिस, बालाघाट-481001	बालाघाट
67.	पोस्ट बाक्स 17, ग्रेट ईस्टर्न रोड, रायपुर-492001	रायपुर
68.	मार्फत श्री के० एन० टण्डन बिल्डिंग्स रेवा रोड, सतना-485001	सतना
69.	पोस्ट बाक्स नं० 52, पटेल भवन, बिलासपुर	बिलासपुर
70.	पोस्ट बाक्स नं० 32, सिविल सेंटर, भिलाई-490001	दुर्ग
	मेघालय	
71.	बड़ा बाजार रोड, 29, कन्टोनमेंट, शिलांग-790001	शिलांग
	महाराष्ट्र	
72.	महात्मा गांधी रोड, बम्बई	बम्बई
73.	2-5-102 स्टेशन रोड, गलमण्डी, औरंगाबाद-431001	औरंगाबाद
74	नावल्टी चेम्बर्स, ग्रांट रोड, बम्बई-400007	बम्बई
75.	129, मांडवी जानाबाई बिल्डिंग, मस्जिद बन्दर मांडवी रोड, बम्बई-400003	बम्बई
76.	मधु संचय तिलक रोड, नासिक सिटी-422001	नासिक
77.	पोस्ट बाक्स नं० 51, 317, एम० जी० रोड, कैम्प पूना (पुणे)	पुणे
78.	पोस्ट बाक्स नं० 46, गांधी भवन, "सी", 1407, लक्ष्मी पुरी, कोल्हापुर-416002	कोल्हापुर
79.	पोस्ट बाक्स नं० 20, सी० टी० एम०, 183/1, विश्राम बाग, सांगली-416416	सांगली
80.	स्टेशन रोड, नागपुर-440001	नागपुर
81.	पोस्ट बाक्स 43, बलवन्त लेन नं० 4, धुलिया-424001	धुलिया
82.	प्रकाश कुंज नव पेथ, जलगांव-425001	जलगांव
83.	क्लाथ मार्किट तजनापेथ, अकोला-444001	अकोला
84.	पृथ्वी वन्दन, गांधी चौक, योतमाल-445001	योतमाल
85.	वजीराबाद रोड, नांदेड़-431601	नांदेड़
86.	शंकर भवन, मोराय रोड, अमरावती-444601	अमरावती
87.	1-5-14 शाह रोड, लैटूर-413512	उस्मानाबाद
87क.	मराठी ग्रंथ संग्रहालय बिल्डिंग, नेताजी सुभाष बोस रोड, थाना	थाना
	उड़ीसा	
88.	प्लाट नं० 10 बी, यूनिट नं० 7, ग्राउण्ड फ्लोर सूर्यनगर, भुवनेश्वर-741001	पुरी
89.	पटेल बिल्डिंग, बक्सी बाजार, कटक-743001	कटक
90.	शर्मा बिल्डिंग, पहली मंजिल, मेन रोड, राउरकेला-760001	सुरेन्द्रगढ़
91.	म्यूनिसिपल शापिंग सेन्टर के सामने, कचहरी रोड, बालासोर-756001	बालासोर
92.	226/5, मेन रोड, बोड़ा बाजार, बेहरामपुर-760002	गंजम

परिशिष्ट 2ग—जारी

1	2	3
पंजाब		
93.	दाना मण्डी रोड, कपूरथला–144601	कपूरथला
94.	पोस्ट बाक्स नं० 55, मण्डी रोड, जालन्धर–144001	जालन्धर
95.	पोस्ट बाक्स नं० 36, निजाम रोड, लुधियाना–144101	लुधियाना
96.	पोस्ट बाक्स नं० 83, 1, क्वीन्स रोड, सिविल लाइन्स, अमृतसर–143001	अमृतसर
राजस्थान		
97.	संसार चन्द्र रोड, जयपुर–302001	जयपुर
98.	जालौरी गेट, चोपाल रोड, जोधपुर–342001	जोधपुर
99.	क्लाथ मार्किट, पाली–306401	पाली
100.	पोस्ट बाक्स नं० 21, आर्य समाज रोड, कोटा–324001	कोटा
101.	पोस्ट आफिस बाक्स नं० 22, के० ई० एन० रोड, बीकानेर–334001	बीकानेर
102.	पोस्ट बाक्स नं० 25, 10 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर–335001	गंगानगर
103.	लादिया बाजार नागोर, मारवाड़–341001	नागोर
104.	पोस्ट बाक्स नं० 49, गेट के बाहर, उदयपुर–313001	उदयपुर
तमिलनाडु		
105.	पोस्ट बाक्स नं० 190, मद्रास स्टाक एक्सचेंज बिल्डिंग, 16/17 दूसरी लाइन बीच, मद्रास–600001	मद्रास
106.	यूनाईटेड मोटर्स बिल्डिंग, 150, अविनाश रोड, कोयम्बतूर–641008	कोयम्बतूर
107.	एडीमन बिल्डिंग मद्रास (टी० एन०), पोस्ट बाक्स नं०–2719, 158, माउन्ट रोड, मद्रास–600002	मद्रास
108.	पोस्ट बाक्स नं० 43, चेम्बर हाल वैस्टर्न बानमेबर्ड रोड, त्रिचुरापल्ली–620008	त्रिचुरापल्ली
109.	54, बीच रोड, फेयर लाइट, तूतीकोरिन–628001	तिरुनेलवली
110.	377 साउथ कार स्ट्रीट, पहली मंजिल, तिरुप्पनगर–626001	रामनाथपुरम
111.	पोस्ट बाक्स नं० 8, 15, मीनाक्षी, कोविल स्ट्रीट, मदुरई–625001	मदुरई
112.	बंगलौर, बिलेरी रोड, सिपकोट फायर स्टेशन के सामने, पी० ओ० मुकुन्दपल्लीयन–635109	धर्मपुरी
त्रिपुरा		
113.	मंत्रीवाड़ी रोड, अगरतला–799001	त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश		
114.	पोस्ट बाक्स नं० 8, 161, खैरनगर बाजार, मेरठ सिटी–250002	मेरठ
115.	पोस्ट बाक्स नं० 40, 29, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001	इलाहाबाद
116.	राइट गंज, गाजियाबाद–201001	गाजियाबाद
117.	1271, मैरों बाजार, बेलनगंज, आगरा–282004	आगरा
118.	8/90 पहली मंजिल, आर्यनगर कानपुर–208002	कानपुर
119.	पोस्ट बाक्स नं० 161, 73 एम० जी० रोड, हजरतगंज, लखनऊ–226001	लखनऊ
120.	पोस्ट बाक्स नं० 78, सी० के० 39/76, चौक, वाराणसी–221081	वाराणसी
121.	वारानावल बिल्डिंग मेन रोड, नियर भारत प्रेस, भदोई–221104	वाराणसी
122.	पोस्ट बाक्स नं० 45, हास्पिटल रोड, बरेली–234001	बरेली
123.	अयोध्या द्वार, बैरिस्टर रोड, मोहल्ला पुरदिलपुर, गोरखपुर–273001	गोरखपुर
124.	होटल नटराज बिल्डिंग, दि माल, नैनीताल	नैनीताल
125.	बेलसार, मिर्जापुर–231001	मिर्जापुर
126.	पी० ओ० नं० 6, स्टेशन रोड, मुरादाबाद–244001	मुरादाबाद
पश्चिमी बंगाल		
127.	फीडर रोड, डाकखाना, दुर्गापुर–713201	बर्दवान
128.	पोस्ट बाक्स नं० 29, 18-ए, ग्रांड ट्रंक रोड, (साउथ), हावड़ा	हावड़ा
129.	पोस्ट बाक्स नं० 40, मलीद हाउस, 3, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	कलकत्ता

परिशिष्ट–2ग—जारी

1	2	3
130.	छोटा कोठी, डाकखाना, कूच बिहार–736101	कूच बिहार
131.	एम० सी० गोयनका रोड, दार्जिलिंग	दार्जिलिंग
132.	पोस्ट बाक्स नं० 29, थियेटर जलपाईगुड़ी–735101	जलपाईगुड़ी
133.	मोहोबत्ती बाल रायगंज	पश्चिमी दीनाजपुर
केन्द्र शासित प्रदेश		
दिल्ली		
134.	उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011	नई दिल्ली
गोवा दमन और दीव		
135.	स्वतंत्री पथ, वास्कोडिगामा–403802	गोवा
136.	रुआ० एलोफेसोड़ाडो एल्बुकारकयू, पणजी–403001	गोवा
पाण्डिचेरी		
137.	पोस्ट बाक्स नं० 61, 4–अम्बाला, थावियार, मदाम स्ट्रीट, पाण्डिचेरी–605001	पाण्डिचेरी,
चण्डीगढ़		
138.	एस० सी० एफ० 23, सेक्टर 15-सी, चण्डीगढ़	चण्डीगढ़

परिशिष्ट—2ग—जारी

उपाबन्ध—2

लाइसेंस प्राधिकारियों और वेतन तथा लेखा अधिकारियों (आयात एवं निर्यात) के क्षेत्राधिकार का संकेत करने वाली सूची

वेतन तथा लेखा अधिकारी बम्बई	वेतन तथा लेखा अधिकारी कलकत्ता	वेतन तथा लेखा अधिकारी मद्रास	वेतन तथा लेखा अधिकारी नई दिल्ली
1	2	3	4
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, बम्बई	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, कलकत्ता उप–मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, गोहाटी	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, मद्रास संयुक्त, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, बंगलौर	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात (सी० एल० ए०), नई दिल्ली । संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, कानपुर ।
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, अहमदाबाद	सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात-, निर्यात इम्फाल, (शिलांग)	उप मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, हैदराबाद	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, लुधियाना । उप–मुख्य नियंत्रक,
उप–मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, भोपाल उप मुख्य नियंत्रक आयात–निर्यात, राजकोट उप–विकास आयुक्त (विकास) सांताक्रूज (बम्बई)	सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, पटना	उप–मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, कोचीन–11	आयात–निर्यात, जयपुर । उप मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, वाराणसी
सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, पणजी, (गोवा)	सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, कटक (उड़ीसा)	सहायक मुख्यनियंत्रक आयात–निर्यात विशाखापत्तनम ।	उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, श्रीनगर
सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात गांधी-धाम (कच्छ)		सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, पांडिचेरी । सहायक मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात तूतीकोरिन	सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात , चण्डीगढ़ उप मुख्य नियंत्रक आयात–निर्यात मुरादाबाद सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात-अमृतसर ।

उपाबन्ध 3

शुल्क वापसी के लिए आवेदक प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना का ब्यौरा

1. खजाना बैंक रसीद बैंक ड्राफ्ट जिसके मद्दे शुल्क वापसी मांगी गई है ।

(1) खजाना रसीद बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की संख्या और दिनांक

(2) स्थान सहित बैंक/खजाने का नाम

2. उपर्युक्त कालम (1) में उल्लिखित खजाना/बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट के मद्दे भेजे जाने वाले प्रस्तावित आयात आवेदन पत्र का ब्यौरे :

(1) माल का विस्तार से विवरण

(2) माल का मूल्य

परिशिष्ट 2ग (जारी)

(3) माल का आयात व्यापार नियंत्रण वर्गीकरण

(4) लाइसेंस अवधि

(5) आयातक की श्रेणी

(6) लाइसेंस प्राधिकारी

(7) प्रायोजक प्राधिकारी (अर्थात् महानिदेशक तकनीकी विकास महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 के अनुसार प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी)

(8) क्या खजाना चालान/बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट के मद्दे कोई आयात आवेदन-पत्र या खजाना चालान/बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट में उल्लिखित मद, (मदों) और मूल्यों के आयात के लिए कोई आवेदन-पत्र प्रक्रिया पुस्तक, 1990-93 में उल्लिखित में किसी लाइसेंस प्राधिकारी/प्रायोजक प्राधिकारी को अनिवार्यता प्रमाण-पत्र आयात लाइसेंस प्रदान करने के लिए भेजा गया है या नहीं, और यदि हां तो उसकी संख्या और दिनांक बताएं ।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित किसी भी प्राधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी से आयात लाइसेंस जारी करने से संबंधित यदि कोई पत्राचार हुआ है तो उसकी संख्या और दिनांक।

4. वह खजाना चालान/बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट जिसके लिए शुल्क वापसी मांगी गई है, उसके बदले में यदि कोई नया खजाना चालान/बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट भेजा गया हो तो उसकी संख्या, दिनांक और मूल्य ।

5. खजाना चालान/बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट के निक्षेप की उचित समय के भीतर शुल्क वापसी के लिए आवेदन न करने के कारण ।

6. दावे की पुष्टि करते हुए विस्तृत कारण दिया जाए कि प्रस्तावित आयात, आवेदन पत्र उपर्युक्त पैरा 2 में बताए गए किसी लाइसेंस प्राधिकारी को क्यों नहीं भेजा गया ।

घोषणा

हम सत्यनिष्ठापूर्वक एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि हमने . . . . रुपए के लिए खजाना चालान/बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट संख्या . . . . दिनांक . . . . के मद्दे किसी भी लाइसेंस प्राधिकारी को आयात लाइसेंस या पोत लदान बिल या सीमा शुल्क निकासी परमिट के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं भेजा है ।

आवेदक के हस्ताक्षर . . . . .

साफ अक्षरों में . . . .

नाम और पता . . . .

उपबन्ध—4

ख०नि०-6

(खजाना नियम 92 देखिए)

(मुख्य पृष्ठ) चालान सं०

खजाना/उप-खजाना

————————में संदत्त नकद का चालान

. . . . भारत के स्टेट/रिजर्व बैंक

प्रेषक द्वारा भरा जाए			विभागीय आफिसर या खजाने द्वारा भरा जाए			
किसके द्वारा निविदत्त किया गया	उस व्यक्ति का नाम (या पदाभिधान) और पता जिसकी और धन संदत्त किया गया	प्रेषण की ओर/या प्राधिकारी की (यदि कोई हो) पूर्ण विशिष्टियां	रकम	लेखा शीर्षक	लेखा आफिसर जिसके द्वारा समायोजन हो सकता है	बैंकों को आदेश
नाम			रु० पै०			तारीख सही है प्राप्त करो और रसीद अनदत्त करो। (धन संदत्त करने का आदेश देने वाले आफिसर का नाम और पूरा पदाभिधान)
हस्ताक्षर		जोड़				

*रुपए (शब्दों में)	विभागीय आफिसर या खजाना आफिसर की मार्फत बैंक को किए जाने वाले प्रेषणों की दशा में प्रयुक्त किया जाए।

प्राप्त संदत्त (शब्दों में) रुपए — खजाना आफिसर

कोषपाल	लेखापाल	तारीख	अभिकर्ता या प्रबन्धक

परिशिष्ट–2घ–जारी

टिप्पणी—1. खजाने में सवाय की दशा में 500 रु० से कम राशियों की रसीदों के लिए खजाना आफिसर के हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं किन्तु केवल लेखापाल और और कोषपाल के ही अपेक्षित होंगे। सेवा डाक टिकटों के लिए संदत्त नकदी और बैंकों की रसीद प्रररूप फ० नि. 5 में दी जानी चाहिए।

2. नाविदत्त किए गए धन की विशिष्टियां नीचे दी जानी चाहिए।

3. जिन मामलों में बैंकों से प्रत्यक्ष साखअनुज्ञेय है, उनमें "लेखा शीर्षक" बैंक के दैनिक चिट्ठे की प्राप्ति पर यथास्थिति खजाना आफिसर या महालेखापाल द्वारा भरा जाएगा।

विशिष्टियां	रकम	
	रु०	पै०
सिक्के		
नोट (ब्यौरे सहित)		
चैक (ब्यौरे सहित)		
कुल रु०		

इन्डो–यू० एस० समझौता ज्ञापन द्वारा अपेक्षित 2(ए) आश्वासनों के अन्तर्गत आयात प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को आयात प्रमाण-पत्र (आई० सी०) जारी करने के लिए आवेदन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र।

1. (क) मुख्यालय के पत्ते सहित उपक्रम का नाम . . .
2. (ख) कारखाने का स्थान
2. आई०सी०आई०ए० में प्रयोजक निदेशालय का नाम . . .
3. यू० एस० नियतिक का नाम और पता . . . .
4. आयात की मदें जिनके लिए आयात-प्रमाण-पत्र अपेक्षित है . .

मद का विवरण	मात्रा	लागत	बीमा भाड़ा मूल्य

परिशिष्ट—2घ (जारी)

5. क्या निर्मण के लिए अपेक्षित है

(क) औद्योगिक लाइसेंस/एस० आई० ए० रजि०/डी० जी० टी० डी० रजि०/एस०एल०आई० रजि० . .

(ख) अन्तिम उत्पादन जैसा कि औद्योगिक लाइसेंस/एम० एस०आई रजि० में दिया गया है। . . . .

(ग) विनिर्मण की वास्तविक मद : . . .

6. क्या अनुसंधान और विकास हेतु अपेक्षित है

(क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग में किए गए पंजीकरण का वैधता सहित विवरण . . .

(ख) विशिष्ट परियोजना जिसके लिए मद आयात के लिए प्रस्तावित है। . . . .

7. क्या अन्यों के लिए अपेक्षित है (वास्तविक उपभोक्ता गैर-प्रौद्योगिक)

(क) संस्था का स्वरूप . .

(ख) फोटोकापी सहित धारित पंजीकरण प्रमाण-पत्र की किस्म

(ग) स्थानीय/म्युनिसिपल निकाय के स्वीकृत-पत्र की फोटोकापी

8. (क) उपर्युक्त 4 में दी गई मद पूंजीगत माल है या उसका भाग है। . . . . . हां/नहीं

यदि हां, तो

(ख) यदि पूंजीगत माल खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं हैं तो आयात लाइसेंस की संख्या तिथि और लाइसेंस की फोटो प्रति के साथ आवेदित मद क्रम संख्या निर्दिष्ट करते हुए सूची

(ग) यदि पूंजीगत माल खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है तो परिशिष्ट में उनकी आयात नीति का सन्दर्भ . .

(घ) जिस लाइसेंस प्राधिकरी ने आयात लाइसेंस जारी किया है उसका नाम और पूरा पता . . .

(ङ) यदि आयात लाइसेंस जारी किया जाना अपेक्षित है तो कृपया प्रस्तुत करें

(1) प्रक्रिया पुस्तक 1990—93 के परिशिष्ट-3—क के अनुसार ई (सीजी) प्रपत्र में आवेदन पत्र . . .

(2) इस आशय का एक वचनपत्र कि मद आयात-निर्यात नीति 1990-93 के परिशिष्ट-1, भाग में नहीं दी गई है और औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र/एस०आई.ए०/जी०जी०टी०डी० पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित अनुज्ञप्त विनिर्माण क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होगी।

9. (क) क्या उपर्युक्त 4 में दी गई मदें संघटक/कच्चा माल है।

यदि हां, तो

(ख) यदि खुले सामान्य लाइसेंस उसके अन्तर्गत है तो आयात नीति (1990—93) खण्ड एक में वर्गीकरण

(ग) जिस आयात नीति के तहत आयात की अनुमति दी गई थी उस का ब्यौरा (सूची के साथ अनुमोदन- पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)।

परिशिष्ट—2घ—जारी

(घ) यदि मद खुले सामान्य लाइसेंस में नहीं है तो उस आयात लाइसेंस की संख्या और तिथि का ब्यौरा जिसके तहत अनुमति दी गई थी और उसके साथ लाइसेंस की फोटो प्रति तथा सीमाशुल्क नामे डालने का विवरण . . .

(ङ) जिस लाइसेंस प्राधिकारी ने आयात लाइसेंस जारी किया है उसका नाम और पूरा पता . . .

(च) यदि आयात लाइसेंस जारी किया जाना अपेक्षित है, कृपया प्रस्तुत करें

(1) परिशिष्ट-3 क में दिए गए प्रपत्र में आयात आवेदन .

(2) आवेदित मूल्य के अनुसार अपेक्षित राशि की खजाना रसीद . . .

(3) 1990-93 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 220 (6) की शर्तों के अध्यधीन घोषणा . .

(4) प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश . .

10. आयात प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अनुरोध के समर्थन में यू०एस० संभरक से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि और यू०एस० निर्यात प्रशासन विनियमों की नियंत्रित पण्य वस्तुओं/सामग्री की सूची युक्त सन्दर्भ की संख्या आयात की जाने वाली मदें पुनः निर्यात किए जाने वाले भारतीय अन्तिम उत्पादन में संघटित की जाएगी/नहीं की जाएगी .

दिनांक—

हस्ताक्षर

पदनाम

भारतीय आयातक द्वारा वचन पत्र

उपर्युक्त मदों के आयात के लिए मैं, श्री . . . . (पदनाम), जिसको कि मैसर्स . . . . (संगठन का नाम) द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किया गया हूँ और यह एक सरकारी स्वत्व वाली संस्था/सरकार द्वारा नियंत्रित स्वत्व वाली संस्था/निजी क्षेत्र स्वत्व की संस्था है, (जो लागू न हो उसे काट दें) एतद्द्वारा वचन देता हूँ कि :—

—भारत में मद का आयात करूंगा और इसके भारत में आने से पूर्व इसे या इसके किसी भाग को किसी अन्य स्थान के लिए अनुप्रेषित नहीं किया जाएगा।

—यदि पूछा गया तो मद के अधिपत्य के सम्बन्ध में सत्यापन प्रस्तुत करूंगा।

—प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना मद का पुनः निर्यात नहीं करूंगा।

—प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना इस प्रमाण-पत्र में उल्लिखित मद (मदों) का भारत के भीतर पुनः स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा।

—अन्तिम उपयोक्ता सम्बन्धी किसी परिवर्तन के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी और उसके स्थान पर नये अन्तिम उपयोक्ता के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को यह सूचना दी जाएगी कि वह इस प्रलेख में उल्लिखित शर्तों से सहमत है।

—आयात की गई मदों को निर्यात किए जाने वाले अन्तिम उत्पादों में संघटित नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर

पदनाम

(प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)

परिशिष्ट 2 ङ

शपथ-पत्र का प्रपत्र

खो गए या अस्थानस्थ हो गए लाइसेंसों और सीमा शुल्क निकासी परिमिटों की अनुलिपियां प्राप्त करने के लिए शपथ-पत्र का प्रपत्र ।

"मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि एवं घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें . . . . से रु. . . . . के आयात/निर्यात के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या . . . . . दिनांक . . . . . . की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनियम नियन्त्रण प्रति/दोनों प्रतियां किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल उपयोग किए बिना/(सीमा शुल्क कार्यालय) . . . . के पास पंजीकृत कराने और उसका आंशिक रूप से उपयोग करने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं । कुल उपयोग जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया था वह . . . . रु. है और कुल शेष धनराशि जिसे पूरा करने के लिए अब मूल प्रति/या अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है वह . . . . रुपए है । मैं/हम आगे सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि और घोषणा करता हूं/करते हैं कि उक्त लाइसेंस मेरे/हमारे द्वारा रद्द धरोहर हस्तांतरित नहीं किया गया है यह मेरी/हमारी ओर से किसी भी अन्य पार्टी को किसी प्रयोजन और/या विचार से चाहे जो कुछ हो के लिए सौंपा नहीं गया है और अनुरोध है कि मूल लाइसेंस को रद्द किया जाए और उसके स्थान पर मैंने/हमने जिन अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन किया है वह जारी की जाए । मैं/हम इस बात से सहमत हूं/हैं और वचन देता हूं/देते हैं कि यदि मूल लाइसेंस बाद में मिल गया तो मैं/हम उसे जारी करने वाले प्राधिकारी को उसके रिकार्ड के लिए लौटा दूंगा/देंगे ।"

परिशिष्ट 2च

प्रपत्र—छ

वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से उद्योग संघ/निर्यात सदन/व्यापार सदनों द्वारा आयात करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम
   (पूरे डाक पते के साथ)
2. (क) फर्म का दर्जा क्या सार्वजनिक क्षेत्र निगम, सहकारी समिति, उद्योग का संघ, निर्यात सदन, व्यापार सदन है ।
   (ख) जैसा भी मामला हो निदेशकों, साझीदारों, स्वामियों और पदधारियों का नाम ।
   (ग) शाखाओं के ब्यौरे, यदि कोई हो तो ।
3. प्रस्तावित थोक आयात की प्राप्ति करते हुए राज्य उद्योग निदेशक द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की प्रति (यह संघ/सहकारी समितियों के मामले ही भेजना चाहिए ।)
4. अपेक्षित शुल्क का भुगतान दर्शाते हुए बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की संख्या और तारीख (बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाए) ।
5. लाइसेन्स अवधि जिसके लिए आवेदन पत्र भेजा गया है ।
6. आयात किए जाने वाले माल के ब्यौरे—
   (क) परिशिष्ट सं./क्र. सं. के साथ माल का विवरण (संपूरक लाइसेन्स के मामले में) ।
   (ख) लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य रुपए में ।
   (ग) पोतलदान का देश ।
7. उपयोक्ताओं की व्यापक श्रेणी और उनके द्वारा विनिर्मित मद, (दें) ।
   (1) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन-पत्र में दी गई सूचना ठीक है । मैं/हम भली-भांति समझता हूं/समझते हैं कि यदि प्रस्तुत की गई सूचना का कोई भी भाग गलत, झूठा या भ्रमात्मक पाया गया तो इस संबंध में जो अन्य कार्रवाई की जा सकती है उसके अतिरिक्त इस जानकारी के आधार पर किया गया कोई भी लाइसेन्स रद्द किया जा सकता है ।
   (2) पिछले लाइसेंस वर्ष के लिए एकक के पक्ष में मैंने/हमने संपूरक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है ।
   (3) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस एकक के पक्ष में यह आवेदन-पत्र दिया गया है उसने किसी भी लाइसेंस प्राधिकारी से अलग-अलग आटोमैटिक/संपूरक लाइसेंस प्राप्त नहीं किए हैं ।
   (4) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आयातित माल उस संबंधित वास्तविक उप-

योक्ता को सौंपा जाएगा जिसके पक्ष में आयात किया जा रहा है और प्रायोजक/लाइसेंस प्राधिकारियों के निरीक्षण के लिए ऐसे वितरण का उचित लेखा रखा जाएगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर . . . . . .
पदनाम . . . .
कार्यालय का पूरा नाम . . . . . .
निवास स्थान का पूरा पता . . . . .

स्थान . . . .
दिनांक . . . .

भेजे जाने वाले दस्तावेज :—

(1) आवेदन पत्र दो प्रतियों में ।

(2) आवेदन पत्र शुल्क के लिए मूल बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट ।

(3) मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र की फोटोस्टेट प्रति ।

(4) संपूरक लाइसेंस के मामले में आयात की जाने वाली मदों की सूची की सात प्रतियां ।

(5) प्रत्येक एकक से यह दर्शाते हुए एक घोषणा पत्र की वास्तविक उपयोक्ता की शर्त के अनुसार आयातित माल उसकी अपनी फैक्टरी में ही इस्तेमाल होगा ।

(6) संबद्ध एककों के ब्यौरे देते हुए एक विवरण—उनका नाम और पता (कारखाने के पते सहित) लघु उद्योग पंजीकरण की संख्या और दिनांक, विनिर्मित अंतिम उत्पाद, आपदित मूल्य ।

(7) संपूरक लाइसेंस के मामले में प्रत्येक एकक को संपूरक लाइसेंस दिए जाने का औचित्य देते हुए एक टिप्पणी ।

परिशिष्ट 2 छ

शिकायत आवेदन प्रस्तुत करने का प्रपत्र

1. व्यथित फर्म/व्यक्ति का विवरण :
   नाम :
   पता :
   फोन : /टैलेक्स /केबल
   स्थिति : व्यापार सदन/निर्यात सदन/पंजीकृत निर्यातक
   किसके साथ पंजीकृत :—
   स्थापना का वर्ष :—
   निर्यात व्यापार में प्रवेश का वर्ष :—
   निर्यात (जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य) :
   (क) गत तीन वर्षों में :
   (ख) शिकायत की अवधि में :
   निर्यात उत्पादन :

2. शिकायतों का विवरण :— विवरण दिया जाए (यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त शीट संलग्न की जाए)
   (कृपया टिक करें)
   पूंजीगत माल :
   वास्तविक उपयोक्ता
   अग्रिम लाइसेंस
   आर० ई० पी०
   निर्यात लाइसेंस
   आयात लाइसेंस
   आयात-निर्यात पास बुक
   नकद सहायता

   देरी :—

   नीति का मामला :—

   प्रक्रिया का मामला :

3. फाइल/पत्राचार आदि का विवरण :
   मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात — संख्या — दिनांक
   कार्यालय की फाइल/संदर्भ यदि कोई हो :
   आवेदन/पत्र :
   मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय/पत्तन कार्यालय का पत्राचार :

4. साक्षात्कार (किसी भी अधिकारी के साथ किए गए साक्षात्कार व उसके परिणामों का ब्यौरा दें)

5. अपील (यदि कोई हो) संख्या दिनांक निर्णय (यदि कोई हो)
प्रथम अपील :
द्वितीय अपील :

6. क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालय की शिकायत समिति :
(यदि ऐसी किसी समिति से सम्पर्क किया गया है तो विवरण दें/परिणाम बताएं)

7. अन्य अभियुक्ति/विचार बिन्दु जो आप देना चाहें :

हस्ताक्षर :
नाम साफ अक्षरों में :
पदनाम :
फोन :
कार्यालय का पूरा पता :————————
————————
————————

पाद टिप्पणी :

1. व्यथित पार्टियों को यह सलाह दी जाती है कि प्रपत्र की मूल प्रति भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ, पी० एच० डी० हाऊस, (तृतीय तल) एशियन खेल गांव के सामने, 4/2 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली–110016 को भेजें और प्रपत्र (चार प्रतियां) की एक प्रति मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय को आखिरी बार दिए गए प्रतिवेदन (चार प्रतियां) के सहित मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011 के कार्यालय मे शिकायत समिति (मुख्यालय) के पास भेजें ।

2. क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालय के सम्बन्ध से शिकायतें संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात के कार्यालयों में शिकायत समितियों को भेजी जाए और प्रति सबंधित भारतीय निर्यात संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएं जिनके पते नीचे दिए गए हैं :—

1. सचिव (उत्तरी क्षेत्र),
भारतीय निर्यात संगठन का महासंघ,
पी० एच० डी० हाउस, तृतीय मंजिल,
एशिया खेल गांव के सामने, 4/2 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
हौज खास, नई दिल्ली–110016

2. निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र),
भारतीय निर्यात संगठन का महासंघ,
ए–74, मित्तल कोर्ट, नारीमन प्वाइंट, बम्बई-400021

3. सहायक निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र),
भारतीय निर्यात संगठन का महासंघ,
30, थर्ड स्ट्रीट, वेलेस गार्डन,
फनगमबक्कम, मद्रास-600006

4. क्षेत्रीय अधिकारी (पूर्वी क्षेत्र),
भारतीय निर्यात संगठन का महासंघ,
मार्फत बंगाल वाणिज्य एवं उद्योग मंडल,
रायल एक्सचेंज,
6–नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता–700001

परिशिष्ट 2ख

(क)

माल समाशोधन के लिए बंध पत्र का प्रपत्र

यह सबको ज्ञात हो कि सीमाशुल्क कलक्टर .... ने जिसे इसमें आगे 'उक्त कलक्टर' कहा गया है और इसके अन्तर्गत सीमा शुल्क कलक्टर, ... के कर्त्तव्यों का तत्समय निर्वहन करने वाला व्यक्ति भी है इसमें आगे लिखी अनुसूची में वर्णित माल की निकासी की अनुज्ञा दे दी है अतः हम (1) .... (आयातकर्त्ता) (2) .... (प्रतिभू) भारत के राष्ट्रपति के प्रति .... रुपए की रकम का तत्समय उक्त कलक्टर को नीचे लिखी शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने के लिए स्वयं को और अपने में से प्रत्येक को तथा अपने-अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधि प्रतिनिधियों को संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध करते हैं :—

उक्त बंधपत्र की शर्त यह है कि यदि उक्त (1) .... (आयातकर्ता), इनके वारिस और प्रतिनिधि इस बंधपत्र की तारीख से एक मास के भीतर उक्त कलक्टर की अनुसूची में उल्लिखित आयात अनुज्ञप्ति का जिसके अन्तर्गत अनुसूची में उल्लिखित माल भी आता है, परिदान कर देगा या परिदान करा देगा अथवा यदि उक्त ... ... (आयातकर्त्ता), उनके वारिस या प्रतिनिधि या उनमें से कोई कलक्टर द्वारा मांग की जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति के परिदान के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से उसे ...... रु. की रकम का संदाय करेंगे या करायेंगे तो उक्त लिखित बन्धपत्र शून्य और प्रभावहीन हो जाएगा अन्यथा वह बन्धपत्र पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा, तथा इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि :—

(क) भारत के राष्ट्रपति या किसी अन्य अधिकारी की ओर से कोई प्रवृत्ति उक्त प्रतिभू, उसके वारिसों या प्रतिनिधियों को उक्त लिखित बन्धपत्र के अधीन उसके या उनके दायित्व से किसी प्रकार उन्मोचित नहीं करेगी, और

(ख) यह बन्धपत्र केन्द्रीय सरकार के आदेश से ऐसा कार्य करने के लिए निष्पादित किया गया है जिसमें जनहितबद्ध है।

निकासी किए गए माल की अनुसूची

सं० दिनांक	माल का विवरण	मात्रा	उद्गम देश	पोत लदान पत्तन	माल का मूल्य तथा तिथि

(1) (आयातकर्त्ता) (2) (प्रतिभू)

उपरिनामित व्यक्तियों ने निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और परिदान किया।

साक्षी ....

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर सहायक सीमा शुल्क कलक्टर ने स्वीकार किया।

गारन्टी पत्र का प्रपत्र

(ख)

प्रत्याभूति पत्र का प्रपत्र

सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा हम .... (आयातकर्त्ताओं) को नीचे उल्लिखित मूल आयात लाइसेंस प्रस्तुत किए बिना निम्नलिखित माल की निकासी की अनुज्ञा दिए जाने के प्रतिफल स्वरूप, हम इसके द्वारा यह वचनबद्ध करते हैं कि हम आज की तारीख से एक मास के भीतर उक्त मूल अनुज्ञप्ति पेश कर देंगे जो हम लोगों को सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है और जिसके अन्तर्गत अन्य माल के साथ हम लोगों द्वारा आयातित निम्नलिखित माल भी है और उसकी लाइसेंस सं. ...... तारीख .... है तो पुनर्वैधिकरण/उक्त अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले अन्य माल की निकासी के लिए मुख्य नियन्त्रक आयात निर्यात, नई दिल्ली/सीमा शुल्क कलक्टर .... को भेजी गई है।

प्रविष्टि बिल सं० और तिथि	माल का ब्यौरा	प्रदायकर्त्ता का नाम	मात्रा

उद्गम देश	लदान का पत्तन और दिनांक	माल का मूल्य

यदि हम ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जैसी कि सीमाशुल्क कलक्टर .... अपने स्वविवेकानुसार अनुज्ञप्ति करें (और इस सम्बन्ध में समय व्यवस्था का सार होगा)। मूल अनुज्ञप्ति पेश करने में असफल रहते हैं तो हम .... (आयातकर्त्ता) इसके द्वारा यह करार करते हैं कि जब भी हमसे ऐसा करने को कहा जाएगा हम .... रु. की रकम और उसके साथ उस जुर्माने का जो उल्लिखित माल की बाबत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा हम पर अधिरोपित किया जाए राष्ट्रपति को भुगतान करेंगे। हम और ...... (प्रतिभू) भारत के राष्ट्रपति को .... रु. की उक्त रकम और पूर्वोक्त रूप में अधिरोपित किए जाने वाले उक्त जुर्माने का सम्यक रूप से भुगतान करने की प्रत्याभूति देते हैं। यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि :—

(क) भारत के राष्ट्रपति या सरकार के किसी अन्य अधिकारी की ओर से किसी प्रवृत्ति या आयातकर्त्ता के प्रति उदारता से उक्त प्रतिभू, उनके वारिस या उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि इस करार के अधीन अपने दायित्वों से किसी प्रकार उन्मोचित नहीं होंगे, और

(ख) यह करार केन्द्रीय सरकार के आदेश से ऐसा कार्य करने के लिए किया गया है जिसमें जनहितबद्ध है।

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख

प्रतिभू के हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत किया गया।

सहायक सीमाशुल्क कलक्टर

परिशिष्ट 2क

प्रपत्र 'घ'

लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. लाइसेंसधारी का नाम और पता
2. (क) लाइसेन्स प्राधिकारी की जिस फाईल में से लाइसेंस जारी किया गया था उसकी संख्या
   (ख) लाइसेंस संख्या, तिथि एवं मूल्य
3. प्रारम्भिक/बढ़ाई गई अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय वचनबद्धता/किए गए पोत लदान का मूल्य ।
4. क्या पुनर्वैधीकरण पहले प्राप्त कर ली गई थी, तो उसका विवरण
5. आवेदित पुनर्वैधीकरण की अवधि ।
6. पुनर्वैधीकरण कराने के कारण (समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं ।
7. बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की संख्या एवं तिथि तथा उसका मूल्य
8. संलग्नकों की संख्या

टिप्पणी—50/- रुपए की बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए।

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं । मुझे/हमें ज्ञात है कि भेजे गए विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्रदान किए गए किसी भी पुनर्वैधीकरण में कोई भी विवरण या तथ्य गलत या असत्य पाया गया तो सरकार द्वारा लगाए गए किसी अन्य जुर्माने अथवा कोई अन्य कार्रवाई जो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए की जा सकती है के साथ-साथ उसे रद्द अथवा अप्रभावकारी किया जा सकता है ।

(पूरे नाम सहित हस्ताक्षर)

पदनाम. . . . .

सम्बन्ध. . . . .

कार्यालय का पूरा पता. . . . . .

निवास का पूरा पता. . . . .

स्थान. . . . .

दिनांक. . . . .

परिशिष्ट 2अ

कीटनाशक दवाइयों का ब्यौरा देने के लिए प्रपत्र

खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अथवा लाइसेंस के मद्दे भुगतान करके अथवा मुफ्त नमूने के रूप में अथवा अन्यथा रूप से कीटनाशी दवाइयों का आयात करने वाले किसी भी व्यक्ति को सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी के 15 दिनों के भीतर कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन पौधा संरक्षण सलाहकार, फरीदाबाद को निम्नलिखित ब्यौरों से सूचित करना चाहिए :—

(1) आयातक का नाम

(2) विनिर्माता का नाम

(3) संभरक का नाम

(4) तकनीकी श्रेणी की सामग्री के नाम सहित कीटनाशी दवाई का नाम एवं उसका प्रतिशत

(5) मात्रा

(6) लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य

(7) आयात का पत्तन

(8) सुपुर्दगी/निकासी लेने की तिथि

(9) पंजीकरण समिति/पी. पी. ए. द्वारा जारी की गई उनकी पंजीकरण संख्या/अनुमति का संदर्भ ।

(10) लाइसेंस की सन्दर्भ संख्या

(11) लाइसेंस का मूल्य

(12) यदि खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किया गया है, तो सम्बद्ध खुले सामान्य लाइसेंस की संख्या एवं तिथि बताएं

(13) यदि लाइसेंस का पहले उपयोग किया गया था, तो पिछले पत्राचार का सन्दर्भ दें

हस्ताक्षर. . . . .

साफ अक्षरों में नाम. . . . . .

वर्तमान पद. . . . .

कार्यालय का पूरा पता. . . . .

निवास स्थान का पूरा पता. . . . .

स्थान. . . . .

दिनांक. . . . .

परिशिष्ट 27

आयात नीति पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रपत्र

1. वास्तविक उपभोक्ता का नाम और पता
2. प्रायोजक प्राधिकारी का नाम
3. विनिर्मित उत्पाद
4. उस मद का पूर्ण ब्यौरा (विशिष्टिकरण/साहित्य/सूची पत्र सहित) जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। (रसायनों के मामले में कृपया तकनीकी नाम और पर्यायवाची नाम, यदि कोई हो तो निर्दिष्ट करें)
5. आयात नीति, 1990-93 (खण्ड-1) में मद के लिए प्रविष्टि और परिशिष्ट संख्या लिखें
6. क्या मद का पहले आयात किया गया था और यदि हां, तो किस वर्गीकरण के अन्तर्गत, अर्थात जिस प्रविष्टि सं. और परिशिष्ट संख्या के अन्तर्गत सीमा शुल्क से निकासी हुई उसका उल्लेख करें और साथ ही सीमा शुल्क द्वारा स्वीकृत वर्गीकरण भी लिखें
7. अन्तिम उपयोग से संबंधित ब्यौरे अर्थात् क्या वह कच्चा माल, संघटक, अतिरिक्त पुर्जे, टूलिंग, पैकिंग सामग्री अथवा उपभोज्य सामग्री है। (उपभोज्य सामग्री के लिए कृपया उसके उपयोग को बताएं)
8. वास्तविक उपयोक्ता के अपने विचारानुसार मांगा गया स्पष्टीकरण
9. कोई अन्य सम्बन्धित सूचना

नोट : स्पष्टीकरण अपेक्षित मदों के बारे में आवेदन करते समय लिट्रेचर/कटेलाग/तकनीकी विशिष्टिकरण तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए।

परिशिष्ट 28

प्रत्येक मद की आयात नीति में निषेध प्रतिबंधित सरलीकरण के बारे में सुझाव के प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए भेजी जाने वाली सूचना

1. (क) प्रतिवेदन देने वाली पार्टी का नाम और पता
   (ख) क्या वह वृहद या लघु उद्योग एकक है या व्यापारी है ?
2. जिस मद के लिए आयात नीति में परिवर्तन लाने के लिए सुझाव दिया गया है उसका विवरण
3. मद की वर्तमान आयात नीति
   (क) वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए
   (ख) पंजीकृत निर्यातकों के लिए
   (ग) अन्य के लिए
4. उसका अंतिम उत्पाद क्या है जिसके लिए कालम-2 में उल्लिखित मद का उपयोग किया जाना है
5. आयात शुल्क
6. देश में अनुमानित वार्षिक मांग
7. प्रतिवर्ष देशी दर पर क्षमता
8. गत तीन वर्षों के दौरान वर्तमान वर्ष की तिथि तक (वर्षवार) वास्तविक देशी उत्पादन
9. इसी प्रकार के विदेश में उत्पादित उत्पादनों की मात्रा तथा उपयोगिता की देशीय उत्पादन की तुलना में टिप्पणी
10. गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष की तिथि तक (वर्षवार) भारत में किये गए वास्तविक निर्यात
11. आयातित उत्पाद की प्रति यूनिट देश में कीमत (रुपयों में)
12. देशी उत्पाद की प्रति यूनिट थोक बाजार कीमत
13. अन्य सम्बन्धित सूचना
14. संक्षेप में सुझाव........

स्थान...............

दिनांक.............

हस्ताक्षर

(साफ अक्षरों में नाम और पदनाम)

टिप्पणी :—(1) उपर्युक्त सूचना जिस सीमा तक उपलब्ध हो, दी जायें जिससे कि सुझावों की उचित जांच की जा सके।

(2) यह प्रपत्र तीन प्रतियों में भेजा जाना चाहिए।

परिशिष्ट 2

पूछताछ/साक्षात्कार स्लिप

(जो लागू न हो उसे काट दें)

1. (1) अनुभाग का नाम जिससे पूछताछ करनी है ____________
   (2) अधिकारी का नाम जिसका साक्षात्कार करना है ____________
2. (1) आवेदन-पत्र की तारीख व संख्या ____________
   (2) माल का संक्षिप्त विवरण तथा उसका आवेदित लागत बीमा भाड़ा मूल्य ____________
   (3) आवेदन-पत्र की तारीख व संख्या जिसके द्वारा प्रायोजक/तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई है ____________
   (4) लाइसेंसिंग कार्यालय सं०, सी० आई० एण्ड ई० की रसीद संख्या/पावती संख्या/फाइल संख्या यदि कोई हो तो ____________
3. संबंधित अनुभाग अधिकारी द्वारा सूचना/स्थिति की जानकारी दिए जाने के लिए ____________
4. पूछताछ/साक्षात्कार के लिए दिया गया समय तथा तारीख ____________

दिनांक____________

हस्ताक्षर____________
नाम ____________
पदनाम तथा पता ____________
____
____

प्रतिपर्ण

क्रम सं०　　　　　　　　　　　　　　दिनांक :

1. कम्पनी/व्यक्ति का नाम ____________
2. प्रतिनिधि का नाम तथा पदनाम ____________
3. अनुभाग का नाम जहां से सूचना प्राप्त की जानी है____________
4. अधिकारी का नाम जिसका साक्षात्कार करना है____________
5. पूछताछ/साक्षात्कार के लिए दिया गया समय तथा तारीख ____________

स्थान____________
दिनांक ____________

पूछताछ अधिकारी/जन-सम्पर्क अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 2च

क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र

(कम से कम 15 रुपए के या संबंधित राज्य के स्टाम्प कलक्टर द्वारा विहित की जाने वाली रकम के न्यायिकेतर/आबंटिती स्टाम्प पत्र पर, नए/प्रस्तावित औद्योगिक यूनिट और प्रत्याभूतिदाता बैंक, जो अनुसूचित बैंक हो, द्वारा निष्पादित किया जाएगा)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

मार्फत

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक (जिस पद के अन्तर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक, या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक) आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है (वाणिज्य मंत्रालय) (पूरा पता)----

या

(संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता)।

यह विलेख एक पक्षकार के रूप में श्री/मैसर्स . . . . (नीचे दिए गए अनुदेशों के अनुसार आयात-कर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा नाम और निवास स्थान का पता) जिसे इसमें आगे "आयातकर्ता/आबंटिती" (जिसके अन्तर्गत उसके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक, सरकारी परिसमापक और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) कहा गया है, और दूसरे पक्षकार के रूप में मैसर्स (बैंक) . . . . (प्रत्याभूति बैंक का पूर्ण वर्णन और उस कार्यालय या शाखा का पूरा पता जहां से प्रत्याभूति बंधपत्र निष्पादित किया जा रहा है। (जिसे इसमें आगे प्रत्याभूतिदाता) जिसके अंतर्गत उसके उत्तर-वर्ती, सरकारी परिसमापक और प्रशासक भी हैं) कहा गया है, आज तारीख . . . . .को निष्पादित किया गया।

ऊपर नामित पक्षकार, आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, वाणिज्य मंत्रालय (जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत है (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति/सारणीबद्ध अभिकरण . . . . (संबंधित सारणी-बद्ध अभिकरण का पूरा पता और नाम) के प्रति . . . . .रु. (. . . . . .रुपये) (शब्दों और अंकों—दोनों में) का उक्त सरकार/. . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) को उसके द्वारा लिखित मांग की जाने पर संदाय करने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः वचन-बद्ध हैं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं।

1. ऊपर नामित आयातकर्ता/आबंटिती ने यथा प्रवृत्त आयात नीति और प्रक्रिया के अनुसार अनुपूरक आयात अनुज्ञप्ति/पंजीकृत माल अनुज्ञप्ति/सारणीबद्ध मदों के आबंटन के लिए आवेदन किया है।

2. सरकार ने . . . . (सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता), आयात अनुज्ञप्ति सं. . . . तारीख . . . ./आबंटन आदेश सं. . . . . . तारीख . . . ., जो . के लिए है और जिसका विनिर्देश आगे अनुसूची में किया गया है, कुछ निबंधनों और शर्तों के अधीन, मंजूर कर दी है/दिया है (जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश कहा गया है)।

3. आयातकर्ता/आबंटिती ने सरकार/सारणीबद्ध अभिकरण . . . . (पूरा नाम और पता) द्वारा पूर्वोक्त आयात अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश जारी किए जाने के लिए उसके सहमत हो जाने के प्रतिफलस्वरूप, क्षतिपूर्ति सह प्रत्याभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने का करार किया है।

4. प्रत्याभूतिदाता ने, सरकार/. . . . .(सारणी-बद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) के पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश जारी किए जाने के लिए सहमत हो जाने के प्रति-फलस्वरूप, उसके द्वारा मांग की जाने पर, प्रत्याभूति की रकम संदत्त करने का करार और वचनबंध किया है।

5. आयातकर्ता ने करार किया है कि :—

(क) उक्त अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश के जारी किए जाने की तारीख से 18 मास की अवधि के भीतर अथवा ऐसे समय के भीतर जो सरकार/. . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा पता और नाम) द्वारा मंजूर की जाए, अनुज्ञप्तिधारी/आबंटिती, अपने कारखाने में उक्त अनुज्ञप्ति/निर्मोचन आदेश के अधीन आयातित/उपाप्त सामग्री का समुचित उपयोग ऐसे उत्पादन के विनिर्माण के लिए करेगा जिसके लिए ऐसा अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश अभिप्राप्त किया गया है।

(ख) आयातकर्ता को जारी किया गया आयात अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश अंतरणीय है।

(ग) आबंटित सारणीबद्ध माल के आयात/निर्मोचित के प्रथम परेषण की निकासी अनुज्ञात किए जाने के पूर्व आयातकर्ता/आबंटिती अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश के मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर की एक बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा।

(घ) उक्त आयातकर्ता/आबंटित सरकार/

(संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा पता और नाम) को पूर्वोक्त अनुबद्ध अवधि के अवसान की तारीख से एक मास के भीतर संबंधित प्राधिकारी से

एक प्रमाणपत्र यह साबित करने के लिए प्रदत्त करेगा या कराएगा कि आयातकर्ता को स्थाई रजिस्टर मंजूर किया गया है और उसने उस उत्पाद के जिसके लिए अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश प्राप्त किया था, विनिर्माण के लिए अपने कारखाने आयातित माल का विशेषत: उचित रूप में उपयोग किया है।

(ङ) यदि आयातकर्ता/आबंटिती पूर्वोक्त बाध्यताओं की पूर्ति करने में व्यतिक्रम करता है तो उक्त बैंक प्रत्याभूति समपहृत की जा सकेगी और आयातकर्ता आबंटिती के विरुद्ध सरकार द्वारा, आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के उपबंधों तथा सरकार द्वारा उक्त आयात के संबंध में बनाए गए अन्य उपबंधों /नियमों के अधीन सरकार को प्राप्त अधिकारों के आधार पर, विधिक कार्रवाई संस्थित की जा सकेगी। उक्त समपहरण की कार्रवाई, पूर्वोक्त बाध्यता की पूर्ति की अवधि से पहले या पश्चात किसी भी समय प्राप्त की जा सकेगी।

(च) आयातकर्ता/आबंटिती यह भी करार और वचनबंध करता है कि वह आयात और निर्यात नीति के सभी सास्तिक उपबंधों/प्रक्रिया पुस्तक के सभी उपबंधों का तथा यथासंशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के सभी उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करेगा तथा उक्त उपबंधों में से किसी का भी सरकार/. . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) द्वारा विनिश्चित रूप में आश्रय लिया जा सकेगा । ऐसा विनिश्चय आयातकर्ता/आबंटिती और प्रत्याभूतिदाता के लिए अंतिम और उन पर आबद्धकर होगा उक्त बंधपत्र की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) आयातकर्ता/आबंटिती उपरोक्त सभी बाध्यताओं तथा आयात अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश में विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करेगा;

(2) प्रत्याभूतिदाता बैंक अभिव्यक्तत: और अप्रतिसंहरणीय रूप में यह वचनबंध करता है और प्रत्याभूति देता है कि यदि आयातकर्ता/आबंटिती अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश के उपबंधों, निबंधनों और शर्तों सहित अपनी बाध्यताओं या उनके किसी भाग की पूर्ति करने में असफल रहता है अथवा यदि आयातकर्ता/आबंटिती आयात अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश और यथासंशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, और संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 उसके अधीन बनाए गए नियमों के निबंधनों और शक्तियों के अधीन अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है अथवा यदि आयातकर्ता/आबंटिती की ओर से अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन किसी भी प्रकार की असफलता होती है जिसके कारण सरकार/. . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) द्वारा उक्त पूरी रकम या उसका कोई भाग उक्त किसी भी कारणवश मांगी जा सकती है, सरकार/. . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) द्वारा लिखित मांग की जाने पर प्रत्याभूति बैंक तुरंत और कोई आपत्ति या आयातकर्ता/आबंटिती को कोई निदेश किए बिना, सरकार/ (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) या ऐसे किसी अधिकारी को, जिसे इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किया है, सरकार/. . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) द्वारा आयातकर्ता/आबंटिती से मांगी गई रकम का तुरंत संदाय करेगा और . . . . . . रु. (. . . . . .रुपये) तक के संदाय की प्रत्याभूति की क्षतिपूर्ति करेगा।

(3) सरकार/. . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) के आयातकर्ता के विरुद्ध किसी अधिकार के होते भी, या आयातकर्ता/आबंटिती द्वारा किसी भी रूप में उठाए गए किसी विवाद के होते हुए भी, सरकार/. . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) प्रत्याभूतिदाता बैंक से की जाने वाली लिखित मांग में आवश्यक ब्यौरे दिए जाएंगे जैसे कि संदाय, प्रत्याभूतिदाता बैंक से पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश जिसमें उपर विनिर्दिष्ट निबंधन भी हैं, के अधीन संदाय मांगा गया है। सरकार/. . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) की उपर्युक्त ऐसी मांग प्रत्याभूतिदाता बैंक के लिए अंतिम और आबद्धकर होगी ।

(4) प्रत्याभूतिदाता बैंक, सरकार/ . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) और आयातकर्ता/आबंटिती के बीच हुए किसी ठकराव, फेरफार ने आयातकर्ता/

परिशिष्ट--2-ब (जारी)

आबंटिती पर, उसकी सहमति या ज्ञान सहित या उसके बिना किसी अनुरोध या आयातकर्ता/आबंटिती की बाध्यताओं में किसी परिवर्तन या संदाय, समय, निष्पादन या अन्यथा किसी प्रविरति से वचनबंध और गारन्टी से उन्मोचित/निर्मुक्त नहीं होगा ।

(5) प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा दी गई प्रत्याभूति उस समय तक पूर्णतया प्रवृत्त रहेगी जब तक कि पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति जिसमें ऊपर विनिर्दिष्ट निबंधन भी सम्मिलित हैं, के अधीन सारी बाध्यताएं सरकार/ . . . . संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) के पूर्णतया समाधानप्रद रूप में सम्यकतः पूरी न कर दी गई हों और सरकार/ . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) द्वारा प्रत्याभूतिदाता बैंक को इसकी रिपोर्ट न भेज दी गई हो ।

(6) आयातकर्ता/आबंटिती द्वारा ऊपर नामित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा प्रत्याभूति निरंतर क्षतिपूर्ति-सह प्रत्याभूति होगी और वह आयातकर्ता/आबंटिती या प्रत्याभूतिदाता बैंक के गठन में किसी परिवर्तन से उन्मोचित नहीं होगा । आयातकर्ता/आबंटिती और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा दिए गए इस क्षतिपूर्ति सह-प्रत्याभूति बंधपत्र द्वारा यह भी क्षतिपूरित किया जाता है कि सरकार/ . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) या सरकार/. . . . .) संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित में मांग प्राप्त होने पर प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा इस क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बन्धपत्र के अधीन तुरंत संदाय किया जाएगा ।

(7) यह क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र ऊपर नामित आयातकर्ता/आबंटिती और प्रत्याभूतिदाता बैंक ने लोकहित के कार्य के लिए निष्पादित किया है ।

(8) उपर्युक्त विधि वचनबद्ध में सरकार/ . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का नाम और पता) द्वारा मांगी गई रकम के संदाय से आयातकर्ता/आबंटिती के दायित्व पर, जिसके अन्तर्गत आयातित सामग्री के जब्त किए जाने के लिए विधि कार्यवाहियों को प्रारम्भ करना और आगे अनुज्ञप्तियां देने से इन्कार करना तथा यथा संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के उपबंधों के अधीन उन सभी अन्य दायित्वों, शास्तियां और परिणामों पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आयात व्यापार नियंत्रण विनियम और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन सरकार/ . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) द्वारा विनिश्चित किए जाएं ।

(9) यह कि उपर्युक्त नामित विधि वचनबद्ध उस समय शून्य हो जाएगा जब कि आयातकर्ता/आबंटिती की सभी बाध्यताएं सरकार/ . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) के पूर्ण और अंतिम समाधानप्रद रूप से, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, पूरी हो जाती है और जब ऐसा समाधान आयातकर्ता को सूचित कर दिया जाता है ।

(10) उपरोक्त के होते हुए भी, प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा यह प्रत्याभूति, बंधपत्र के निष्पादन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए . . . . तक प्रवृत्त रहेगी और यदि उक्त तारीख तक कोई सरकार द्वारा कोई दावा नहीं किया जाता है तो प्रत्याभूतिदाता बैंक, इस प्रत्याभूति के अधीन संदाय के सभी दायित्वों से उन्मोचित हो जाएगा । यह भी करार किया जाता है कि यदि आयातकर्ता/आबंटिती अपनी सभी बाध्यताओं का सरकार/ . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) के पूर्ण समाधानप्रद रूप में, पूर्वोक्त तारीख तक सम्यकतः उन्मोचन नहीं करता है तो प्रत्याभूतिदाता बैंक और आयातकर्ता/आबंटिती या तो सरकार द्वारा अपेक्षित रूप में किसी अतिरिक्त अवधि के लिए यह प्रत्याभूति नवीकृत और पुनरुज्जीवित कर देगा अथवा प्रत्याभूतिदाता बैंक, क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र के अवसान के पूर्व किसी भी समय, कोई आपत्ति किए बिना, ऐसी रकम का संदाय करेगा जिसकी मांग सरकार/ . . . . (संबंधित सारणीबद्ध अभिकरण का पूरा नाम और पता) करे ।

परिशिष्ट—2-ब (जारी)

इसके साक्ष्यस्वरूप उक्त पक्षकारों ने आज तारीख .... को सम्यकत: निष्पादित किया और उक्त आयातकर्ता/आबंटिती और प्रत्याभूतिदाता बैंक ने निम्नलिखित की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया :—

साक्षी*

1. ....

1. ....

(आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म या आबंटिती/आबंटिती फर्म का पूरा वर्णन)

2. ....

2. ....

इसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक अधिप्रमाणित/प्रतिज्ञान करें)

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

(प्रत्याभूतिदाता बैंक का पूरा वर्णन) राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के लिए और उसकी ओर से बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक की मुद्रा सहित ।

*साक्षी अपनी उपजीविका और पूरा पता दें ।

ऊपर निर्दिष्ट आयात अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश की अनुसूची

अनुज्ञप्ति/आबंटन आदेश की सं. और तारीख ....

मूल्य .... अनुज्ञात मात्राओं का वर्णन ।

टिप्पण

1. यदि आयातकर्ता, एक मात्र स्वत्वधारी फर्म है तो वह क्षतिपूर्ति-सह प्रत्याभूति बंधपत्र, बंधपत्र, उक्त एक मात्र स्वत्वधारी फर्म के एक मात्र स्वत्वधारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा और इसमें उसके स्थायी निवास का पता दिया जाएगा ।

2. यदि आयातकर्ता/आबंटिती कोई भागीदारी फर्म है तो क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र, ऐसी भागीदारी फर्म के नाम में, भागीदारी विलेख में विनिर्दिष्ट भागीदारी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा ।

3. यदि आयातकर्ता/आबंटिती कोई लिमिटेड कम्पनी है तो, कम्पनी की सामान्य मुद्रा के अधीन कम्पनी के निदेशक बोर्ड के संकल्प द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यकत: प्राधिकृत व्यक्ति तथा दो साक्षी इस पर हस्ताक्षर करेंगे । साक्षियों के पदनाम और पते भी दिए जाएंगे ।

परिशिष्ट-2ण

लाइसेंसों के मूल्य के बराबर लेने की प्रक्रिया

पूंजीगत माल और भारी विद्युत संयंत्र के लिए आयात लाइसेंस

1. पूंजीगत माल और भारी विद्युत संयंत्र के लिए आयात लाइसेंस जारी करते समय, लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किए जाने वाले माल के मूल्य की गणना राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-15 में अधिसूचित और आयात लाइसेंस जारी करने की तारीख को मौजूदा विनिमय दर के आधार पर करेंगे । लाइसेंस प्राधिकारी सीमा शुल्क और विनिमय बैंकों द्वारा सन्दर्भ के लिए लाइसेन्स के दस्तावेजों पर उक्त विनिमय दर का अलग से उल्लेख करेगा । सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा में व्यापार के लिए प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस, पर लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट विनिमय दर लाइसेन्स के मूल्य के बराबर ऋण देंगे ।

सीधे भुगतान क्रियाविधि के अन्तर्गत आने वाले विदेशी ऋणों पर दिए गए कच्चे माल, संघटकों और पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस

2. सीधे भुगतान क्रियाविधि के अन्तर्गत आने वाले विदेशी ऋण पर दिए गए कच्चे माल, संघटकों और पुर्जों के लिए जारी किए गए लाइसेंस के मामले में ऊपर की पैरा 1 में बताई गई क्रियाविधि अपनाई जाएगी। ये उपाबंध सीधे भुगतान क्रियाविधि के अन्तर्गत आने वाले विदेशी ऋण के लिए दिए गए अन्य लाइसेंसों पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जैसे उक्त लाइसेंसों पर लागू होते हैं ।

पंजीकृत निर्यातकर्ताओं के लिए आयात नीति के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस

3. पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति लाभों के लिए निर्यात के जहाज-पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के बराबर रुपयों की गणना खरीद निर्यात दस्तावेजों की बातचीत की तारीख को मौजूदा विनिमय दर, पर की जाएगी, केन्द्रीय दर पर नहीं, पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत जिन बैंक प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रतिपूर्ति लाभों का निर्धारण किया जाता है, वे बैंक प्रमाण-पत्र नीचे बताए गए के अनुसार तैयार किए जाएंगे :—

(क) तुरन्त बिक्री से संबंधित खरीदे गए या बातचीत से तय किए गए बिल—खरीद किए गए या बातचीत से तय किए गए बिल के मद्दे प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों की मांग (मांग पर) की खरीद दर पर निर्यातकों को चुकाई गई वास्तविक राशि ।

परिशिष्ट-2ण—(जारी)

(ख) वसूली के लिए बिल (तुरन्त बिक्री)

जिस तारीख को उन्होंने वसूली के लिए दस्तावेज भेजे यदि उस तारीख को वे बिल खरीदते/बातचीत से तय करते तो प्राधिकृत व्यापारी मांग (मांग पर) खरीद दर के अनुसार जो राशि उन्हें देता वह राशि ।

(ग) परेषण के आधार पर निर्यात :—

निर्यात आय की वसूली की तारीख को जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत टी. टी. खरीद/मांग पर खरीद दर पर प्राधिकृत व्यापारी द्वारा निर्यातकर्ता को अदा की गई राशि।

4. पंजीकृत निर्यातकर्ताओं के लिए जो बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है उसका फार्म परिशिष्ट—14घ में दिया गया है ।

5. सीमा-शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले प्राधिकृत व्यापारी नीचे के पैरा 7 में बताई गई क्रियाविधि के अनुसार आयात दस्तावेज प्रस्तुत करते समय प्रचलित विनिमय दर प्रतिपूर्ति लाइसेंस के नामे डालेंगे ।

उपर्युक्त लाइसेंसों के अलावा अन्य आयात लाइसेंस

6. (1) कच्चे माल, संघटक, उपभोज्य, अतिरिक्त पुर्जों आदि के मामलों में जहां आयातक आयात का स्रोत निर्दिष्ट करने में समर्थ हो, लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसिंग में शामिल किए गए के अनुसार, सीमा शुल्क नियम, 1962 के खण्ड 15 के अन्तर्गत राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिसूचित और आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि को प्रचलित "मुद्रा विनिमय दर" को हिसाब में लेते हुए आयात किए जाने वाले माल के मूल्य की गणना करेगा । उक्त मुद्रा विनिमय दर को सीमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय बैंकों के संदर्भ के उद्देश्य से लाइसेंस के मुख्य भाग में भी अलग से उल्लिखित किया जाएगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा आयात लाइसेन्स पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विशिष्टीकृत विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेन्स के मूल्य के लिए डेबिट करेगा ।

6. (2) अन्य मामलों में लाइसेंसिंग प्राधिकारी आयात लाइसेंस का मूल्य चालू आयात नीति के अनुसार निर्धारित करेंगे। ऐसे मामलों में लाइसेंस जारी होने की तारीख या किसी अन्य तारीख को मौजूदा विनिमय दर के अनुसार लाइसेन्स का मूल्य रुपयों में परिवर्तित नहीं करना होगा । सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले प्राधिकृत व्यापारी आयात दस्तावेज प्रस्तुत करने के समय चालू विनिमय दर पर निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार इन लाइसेंसों के नामें डालेंगे और इस बात का निश्चय करेंगे कि इस प्रकार किसी लाइसेंस के आधार पर नामे डाली गई राशि पैरा 7 में दी गई प्राधिकृत सीमा तक लाइसेंस के मूल्य के बराबर या उससे कम है ।

7. उपर्युक्त पैराग्राफ 3-6 में दिए गए आर. ई. पी. लाइसेन्स और 'अन्य' लाइसेंसों के मद्दे आयातों के मामले में, विदेशी मुद्रा के लेन-देन में प्राधिकृत व्यापारी और सीमा-शुल्क प्राधिकारी स्व-निर्णय से यदि कोई अधिक मूल्य होगा तो उसे नीचे दिए गए तरीके से माफ कर सकते हैं :—

(1) विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले प्राधिकृत व्यापारी अपरिवर्तनीय साख पत्र खोलने की तारीख को और वास्तविक प्रेषण की तारीख को मौजूदा विनिमय दर में भिन्नता होने के कारण लाइसेंस मूल्यों में हुई वृद्धि, यदि कोई हो, को माफ कर सकते हैं । यदि कोई भी अपरिवर्तनीय साख पत्र नहीं खोला गया हो, तो विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले प्राधिकृत व्यापारी पोत लदान की तारीख और प्रेषण की तारीख को विनिमय-दरों में विभिन्नता के कारण हुई वृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे माफ कर सकते हैं ।

(2) यदि आयातकर्ता लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति प्रस्तुत करे तो सीमा शुल्क प्राधिकारी जिस मूल्य के लिए विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले प्राधिकृत व्यापारी ने प्राधिकृत किया हो, उस मूल्य के बदले में माल छुड़ाने की अनुमति दे सकता है किन्तु अनुमति देते समय वह ऊपर के पैरा (1) में बताए गए के अनुसार विनिमय दरों की भिन्नता के फलस्वरूप होने वाले अन्तर की रकम को माफी का भी ध्यान रखेगा ।

(3) यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क प्राधिकारियों के सामने आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति प्रस्तुत न करे तो ये प्राधिकारी राजस्व (सीमा-शुल्क) विभाग द्वारा भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 में अधिसूचित लदान बिल पर बताई गई पोत लदान की तारीख पर मौजूदा विनिमय दर पर उधार देंगे । सीमाशुल्क प्राधिकारी सीमा शुल्क आयात पत्र प्रस्तुत करने की तारीख और पोत लदान की तारीख को मौजूदा विनिमय दरों के अन्तर के कारण लाइसेंस मूल्य में हुई वृद्धि यदि कोई हो, को माफ कर सकते हैं ।

टिप्पणी :—जिन मामलों में अनुमोदित आस्थगित भुगतान की शर्तों पर निर्यात होते हैं, उन मामलों में पैरा 3 के उद्देश्य से जिस तारीख को प्राधिकृत व्यापारी के सामने समुद्र पार के खरीददार को माल बेचने के लिए निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, उस तारीख को लागू मांग पर खरीद दर अपनाई जाएगी ।

परिशिष्ट—2ख

प्रायोजक प्राधिकारियों की सूची

उद्योग	प्रायोजक प्राधिकारी
1. महानिदेशक, तकनीकी विकास के रजिस्टर में अनुसूचित उद्योग	महा निदेशक, तकनीकी विकास
2. सभी लघु उद्योग एकक	सम्बद्ध राज्यों के उद्योगों के निदेशक (नीचे की टिप्पणी देखिए)
3. फिल्म स्टूडियो, सिनेमा घर, फिल्म संसाधन प्रयोगशाला, किराए के स्टूडियो उपकरण और फिल्म उद्योग से सम्बन्धित अन्य कोई एकक	संबंधित राज्यों के उद्योग निदेशक या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
4. काफी उद्योग/बागान	अध्यक्ष, काफी बोर्ड, बंगलौर
5. कोल लिग्नाइट एण्ड नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०	कोयला विभाग, नई दिल्ली
6. नारियल जटा उद्योग (रबड़कृत नारियल जटा उत्पाद सहित)	अध्यक्ष, नारियल जटा बोर्ड एर्नाकुलम
7. कोल्ड स्टोरेज बागवानी उत्पादों के लिए	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, फरीदाबाद
8. इलायची बागान	इलायची बोर्ड, एर्नाकुलम
9. कम्प्यूटर सिस्टम (इनके अतिरिक्त पुर्जों सहित)	इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, नई दिल्ली
10. विस्फोटक	मुख्य इन्सपेक्टर विस्फोटक, नागपुर
11. (1) मछली उद्योग (कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के अतिरिक्त, समुद्र में चलने वाले जलयान, नए तथा स्थापित एकक मछली एवं समुद्री उत्पादों के निर्यात के संसाधन में लगे हुए)	मत्स्य उद्योग के राज्य निदेशक
(2) कोल्ड स्टोरेज नए एवं स्थापित मछली जलयान तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली मत्स्य नौका, मछली एवं समुद्री उत्पादों के निर्यात के संसाधन में लगे हुए	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास-प्राधिकरण
12. मछलियों के जलपोत	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
13. फल और सब्जी परिरक्षण उद्योग	कार्यकारी निदेशक (खाद्य एवं आहार बोर्ड विभाग), नई दिल्ली
14. हथकरघा	हथकरघा के राज्य निदेशक
15. हस्त शिल्प	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
16. सिंचाई परियोजना	केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
17. भूजल सर्वेक्षण अन्वेषण एवं विकास	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सी० जी० डब्ल्यू० बी०)
18. सीसल या मनीला रेशों का प्रयोग करने वाले पटसन उद्योग रस्सा उद्योग पटसन मिलों के लिए पटसन वस्त्र, इंजीनियरी उद्योग और लकड़ी के सहायक उद्योग	पटसन आयुक्त, कलकत्ता
19. खनन (कोलरीज से भिन्न)	नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
20. अखबारी स्थापना	भारत के समाचार रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
21. पैट्रोलियम उद्योग	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली
22. फार्मास्यूटिकल उद्योग और कान्ति वर्धक उद्योग (दंत मंजन सहित)	राज्य भेषज नियन्त्रक (या राज्य सरकार के ऐसे अन्य प्राधिकारी)
23. एन० टी० पी० सी० की आवश्यकताओं को छोड़कर पावर जनरेशन, सप्लाई और डिस्ट्रिब्यूशन,	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली
24क. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन० टी० पी० सी०)	एन० टी० पी० सी० (एन० टी० पी० सी०)
25. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) के एकक–सहायक कार्यालय	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) मुख्य कार्यालय
26. (क) टाटा लोहा एवं इस्पात कम्पनी लिमिटेड (ख) विश्वेश्वरया लोहा व इस्पात कम्पनी (ग) इस्पात विभाग द्वारा सीधे प्रशासित अन्य इकाइयां (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम् को छोड़ कर)	इस्पात विभाग लोहा एवं इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली
27. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम
28. मुद्रण प्रतिस्ठान, प्रकाशन निर्माण अभिकरण, विज्ञापन अभिकरण, सर्विस स्टेशन और अन्य रख-रखाव वर्कशाप	राज्य औद्योगिक निदेशक (जो यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार के अन्य तकनीकी विशेषज्ञों से मशविरा कर सकता है)
29. (क) प्रौद्योगिकी, पूंजीगत माल और सम्बद्ध कच्चा माल, अतिरिक्त पुर्जों और संघटकों के आयात के उद्देश्य के लिए नई सामग्री के पर्याप्त विस्तार और विनिर्माण या नए औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के लिए (आशय पत्र–औद्योगिक लाइसेंसधारी) लोहा तथा इस्पात क्षेत्र की यूनिटें, (ख) टी० बी० एफ० स्कीम के अन्तर्गत आयात के लिए लोहा और इस्पात यूनिटें (ग) डिजाइन और ड्राइंग आयात करने के लिए लोहा तथा इस्पात यूनिटें	इस्पात विभाग, नई दिल्ली।

परिशिष्ट--2ख--जारी

उद्योग	प्रायोजक अधिकारी
(घ) ऊपर (क) (ख), और (ग) में इतर लोहा तथा इस्पात क्षेत्र की यूनिटों के अन्य सभी मामले	
30. रबड़ बागान	अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड, कोटायम
31. चीनी उद्योग	चीनी के मुख्य निदेशक, खाद्य विभाग, नई दिल्ली।
32. रेशम उद्योग/रेशम वस्त्र/सेरिकल्चर	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर
33. जहाजरानी उद्योग-जहाजरानी कम्पनी	
(क) समुद्र में चलने वाले पोत	जहाजरानी के महानिदेशक, बम्बई
(ख) अन्तर्देशीय वाष्प एवं मोटर वाहन	सम्बद्ध क्षेत्र के व्यापारिक समुद्री विभाग के मुख्य अधिकारी
(ग) जहाजों की मरम्मत	जहाजरानी के महानिदेशक, बम्बई
34. जलयान निर्माण (पूंजीगत माल तथा संघटक)	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
35. लवण उद्योग	लवण आयुक्त, भारत सरकार जयपुर)
36. (क) पटसन और रेशम से भिन्न वस्त्र उद्योग	वस्त्र आयुक्त, बम्बई
(ख) वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग	वस्त्र आयुक्त, बम्बई
(ग) शक्ति चालित करघा उद्योग	वस्त्र आयुक्त, बम्बई
(घ) तैयार वस्त्र (होजरी से भिन्न)	
(ङ) क्रिम्पिंग, टैक्स्चराइजिंग और ड्रा-टैक्सचराइजिंग यूनिट	
37. चाय उद्योग/बागान/चाय बैग का उद्योग	अध्यक्ष, चाय बोर्ड, कलकत्ता
38. वनस्पति	नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली
39. कुटीर उद्योग और वास्तविक उपयोक्ता सहित (गैर औद्योगिक) एकक--ऐसे मरम्मत/रख-रखाव कार्य करने वाले एकक जिनके लिए ऊपर किसी प्रायोजक प्राधिकारी का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।	राज्य उद्योग निदेशक या राज्य या केन्द्र सरकार का कोई अन्य सम्बद्ध विभाग

टिप्पणी: (1) उपर्युक्त क्रम सं० 14, 15, 18, 22, 36 और 37 के सामने दिखाए गए प्रायोजक प्राधिकारी इन उद्योगों के लघु पैमाना उद्योग एककों के सम्बद्ध प्रायोजक, प्राधिकारी होंगे।

(2) पेड़ के रबड़ को कच्चे रबड़ के रूप में बाजार के योग्य बनाने के लिए संसाधन के प्रयोजनार्थ रबड़ बागान द्वारा अपेक्षित मशीनरी के आयात के लिए बोर्ड, कोटायम, का अध्यक्ष ही प्रायोजक प्राधिकारी होगा।

(3) किशरी बनाने वाली मशीनरी के मामले में सिफारिश करने से पूर्व सम्बद्ध लाइसेंस अधिकारी कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त करेगा।

परिशिष्ट 2 थ

पहचान पत्र जारी करने के लिये आवेदन

जारी करने वाले लाइसेंसिंग कार्यालय के लिये वैध

फर्म का नाम तथा पता ____________________

____

____

____

____

फर्म द्वारा पिछली तरफ से विधिवत सत्यापित फोटो

आयातक निर्यातक कोड सं० (आई० ई० सी०) ____________________

पूरा नाम और प्रतिनिधि का आवासीय पता ____________________

____

____

____

पदनाम:

आयु :

हस्ताक्षर :

घोषणा:—

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरे हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

परिशिष्ट 2 घ—जारी

2. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस व्यक्ति के लिये पहचान-पत्र जारी करने के लिये आवेदन पत्र दिया गया है उसका दर्जा (पदनाम)——————————है। पहचान धारक द्वारा आयात और निर्यात व्यापार संगठन को दिये गये या लिये गये दस्तावेजों के सम्बन्ध में कम्पनी का उत्तरदायित्व और जोखिम सम्पूर्ण होगा।

हस्ताक्षर (प्राधिकृत व्यक्ति)

नाम (साफ अक्षरों में)

3. निर्धारित शुल्क भुगतान की बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है।

4. वैधता अवधि की समाप्ति पर मूल पहचान पत्र सं०————————दिनांक————संलग्न

पदनाम ——————

आवासीय पूरा पता: ——————

——————

——————

——————

——————

टेलीफोन नं० ——————

कार्यालय का पूरा पता: ——————

——————

——————

टेलीफोन नं० ——————

स्थान : ——————

तारीख: ——————

संलग्नक : 1.

2.

(हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति फर्म का अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी निदेशक/प्रबन्ध भागीदार/प्रोपराइटर, जैसी भी स्थिति हो/होगी)।

परिशिष्ट —3क

पूंजीगत माल (पुराने सहित, प्रोटोटाईप, उपकरण, विदेशों से मरम्मत के बाद माल का पुन: आयात, कार्यालय मशीनों व कच्चे माल संघटक, उपभोज्य और प्रतिबन्धित पुर्जो, आयाती, अतिरिक्त पुर्जो बिक्री सेवा के बाद अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिये लिये आवेदन पत्र।

(वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये)

प्रपत्र

नीति का पैरा संख्या जिसके अन्तर्गत आवेदन किया गया है।

भाग—क

लाइसेंसिंग अवधि——————

आई० ई० सी०

(जारी करने का वर्ष)

1. आवेदक/फर्म/संस्था का नाम व पता— . .

2. शाखाओं का विवरण, यदि कोई हो, सहायक कम्पनियों सहित:—

3. संघटक फैक्ट्रियों/यूनिटों के पत्ते . . .

4. लघु उद्योग/यूनिट/तकनीकी विकास महानिदेशालय/केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस की पंजीकरण संख्या तथा तारीख (प्रति संलग्न) . . .

5. विनिर्माण का अन्तिम उत्पाद तथा संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं/सक्षमता . . .

परिशिष्ट—अक (जारी)

6. डायरेक्टर/सांझीदार/प्रोपाईटर अथवा कर्त्ता के नाम, जैसा भी मामला हो। . . . .

7. अचल सम्पत्ति पर लगाई गई पूंजी . . .

(क) जमीन . . . . .

(ख) भवन . . . . .

(ग) मशीनरी/उपकरण . . . .

(क) आयातित मशीनरी (लागत बीमा भाड़ा मूल्य)

(ख) आयातित संघटकों वाली स्वदेशी मशीन (खरीद मूल्य) . . . .

(ग) अन्य स्वदेशी मशीनरी . . .

कुल रु० ————————

8. आवेदित लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य : ————————

9. भुगतान किये गये शुल्क का विवरण . . .

10. यूनिटों का विवरण जिनमें आयातित माल का उपयोग किया जाना है . . . . .

भाग ख

कच्चा माल, संघटक और उपभोज्य

1. यूनिट स्थापना की तिथि : . . . .

2. पंजीकृत अन्तिम उत्पाद जिसके लिये आवेदन दिया गया है :

3. आवेदित लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य :

(क) लोहा एवं इस्पात मदें . . . . रुपये ————

(ख) वैज्ञानिक एवं मापक यंत्र . . . रुपये ————

टिप्पणी:—प्रत्येक उपर्युक्त श्रेणी के लिये आवेदन पत्र दिया जाये।

4. आयात लाइसेंस दिया जाने के लिये आवेदित मदों का ब्यौरा:—

क्रम सं०	मदों का ब्यौरा	मात्रा	लागत बीमा भाड़ा	आयात नीति की प्रविष्टि सं०/परिशिष्ट संख्या जिसके अन्तर्गत मद आती है।
1	2	3	4	5

5. उत्पादन कार्यक्रम /अनुमोदित फेस विनिर्माण कार्यक्रम (पी० एम० पी०) जिससे आवेदन पत्र संबंधित है :

6. लाइसेंस क्षमता/पंजीकरण के अन्तर्गत आने वाली क्षमता :

क्रम सं०	मद का नाम	मद कोड	लाइसेंस क्षमता/पंजीकरण के अन्तर्गत आने वाली क्षमता	
			मात्रा (वार्षिक)	माप के यूनिट
1	2	3	4	5

7. क्या आप वास्तव में अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी० एम० पी०) के साथ जुड़े हुए है। किसी कमी के कारण सहित फेस विनिर्माण कार्यक्रम के निष्पादन का पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करें :

8. आयात लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये पुण औचित्य दिये जायें

परिशिष्ट 3 क (जारी)

9. आवेदकों द्वारा स्वदेशीय स्त्रोतों से माल प्राप्त करने के प्रयास का ब्यौरा दें। स्वदेशी उत्पादकों से प्राप्त असमर्थता पत्र की प्रति यदि कोई है तो संलग्न करें।

10. पिछले दो लाइसेंसिंग वर्षों और वर्तमान लाइसेंसिंग अवधि के दौरान जारी किये गये आयात लाइसेंस (अनुपूरक) की संख्या एवं मूल्य पुन: मुख्य लाइसेंस के पुन: प्रचालन सहित।

क्रम सं०	लाइसेंस वर्ष	लाइसेंस संख्या	जारी करने की तारीख	लाइसेंस का मूल्य रुपये में	लाइसेंस में आने वाले मदों का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6

11. अप्रयोगिक आयात लाइसेंस का ब्यौरा (अनुपूरक लाइसेंस के पुन: प्रचालन सहित)

क्रम स०	लाइसेंस सं०	जारी करने की तिथि	वर्तमान वैध लाइसेंस का बिना उपयोग किया गया मूल्य	लाइसेंस के अधीन आने वाले मदों का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6

12. (1) आवेदन की तारीख को प्रतिबन्धित/सीमित अनुमेय श्रेणी के अन्तर्गत आयातित कच्चे माल और संघटकों के हस्तगत स्टाक (मदवार विवरण सहित) का मूल्य एवं मात्रा।

(2) गत नीतियों के अन्तर्गत जारी किये गये आयात लाइसेंस के मद्दे पाइप लाईन से प्रतिबन्धित/सीमित श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आयातित कच्चे माल और संघटकों की मात्रा, स्टाक में मूल्य

13. आयात का देश . . . . . .

14. उस मामले में जहां आवेदित मूल्य 2 करोड़ रुपये से अधिक है आयात के एकान्तर तीन देशों के नाम भी निर्दिष्ट करें (आवेदित मूल्य के लिये देशवार विवरण सहित) अधिमान्यता क्रम से निम्नानुसार:—

	आयात का देश	आवेदित	लागत माल भाड़ा मूल्य
प्रथम अधिमान :			
दूसरा अधिमान :			
तीसरा अधिमान			

15. आवेदित मदों के पूर्व उपभोग के विषय में उपाबन्ध (क) गैर लोह एवं इस्पात मदों के लिये तथा उपाबन्ध (ख) (लौहा एवं इस्पात मदों के लिये) के अनुसार ब्यौरा प्रस्तुत करना है :

16 (क) पिछले वित्तीय वर्ष में यूनिट के उत्पादन का किताबी मूल्य (अर्थात उत्पादों की कारखाने में लागत) में से उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो तो, को घटाकर :

परिशिष्ट 3 क (जारी)

वर्ष	उत्पाद का नाम	उत्पादों की कारखाने में लागत
(1)		
(2)		
(3)		
कुल (1)—(2)—(3)		

17. निर्यात निष्पादन

(1) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान यूनिटवार, निर्यात उपार्जन (विवरण वर्षानुसार देते हुए)

(2) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान खर्च की गई विदेशी मुद्रा (वार्षिक विवरण सहित)

2. बिक्री के बाद सेवा के लिये अतिरिक्त पुर्जे . .

1. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कारखाने में उत्पादन का किताबी मूल्य . . . .
(सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये)

2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयातित संघटकों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य
(सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये)

(3) पूंजीगत माल/प्रोटोटाईप/उपकरण

1. आयात का प्रयोजन

2. क्या औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण अथवा विदेश सहयोग अनुमोदन निर्यात आभार से निहित है यदि हां तो क्या निर्यात आभार की प्रतिपूर्ति के लिये बांड विधिक करार निष्पादित किया गया है :

3. वर्तमान आयात के लिये वित्तीय स्त्रोत :

(क) बैंक/वित्तीय संस्था से रुपया ऋण

(ख) बैंक/वित्तीय संस्था से विदेशी मुद्रा ऋण

4. क्या विज्ञापन की प्रक्रिया यदि लागू है तो, अपनाई गई है : यदि हां तो जर्नल का नाम व तारीख जिसमें विज्ञापन दिया था और उसके परिणाम बतायें ।

5. यदि आवेदक लघु उद्योग यूनिट है तो क्या यह प्रस्तावित आयात के बाद भी वैसा ही बना रहेगा ।

6. क्या विधिक करार एम० आर० टी० पी० एक्ट के अधीन है, तो पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।

7. क्या आयातित मशीनें की स्थापना के बाद लाइसेंस की क्षमता में बढ़ोतरी होगी ।

8. आवेदित पूंजीगत माल, प्रोटोटाईप/उपकरणों का ब्यौरा :

आवेदन का नाम ____________

विनिर्माण की मदें ____________

विनिर्मित उत्पाद कोड ____________

परिशिष्ट 3 क (जारी)

क्रम सं०		आयात की मदें						
	उत्पाद कोड़	नाम और विशिष्टीकरण	मात्रा	लागत बीमा भाड़ा मूल्य	एम०/सी की शर्ते नई/पुरानी	आयात का देश तारीख	अनुमित आयात का कारण	सिफारिश की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता द्वारा छापा हुआ भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाईज कॉमोडिटि विवरण तथा कोडिंग योजना) के आधार पर दिये गये हार्मोनाईज्ड कोडिंग योजना के अनुसार।

**महा निदेशक तकनीकी विकास द्वारा भरा जाना है।

टिप्पणी:—(1) बीजक परिपत्र सहित साहित्य/पैम्फलेट/वर्गीकरण की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिये ।

(2) पुराने पूंजीगत माल के मामले में नीति अनुसार सनदी अभियन्ता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

4. विदेशों में मरम्मत/प्रक्रम/जांच के बाद माल का पुनःआयात (नीति का पैरा ————————)

		माल का विवरण			
क्रम सं०	मद	उदगम का देश	मद का मूल्य	विदेश में प्रक्रम/जांच/ मरम्मत का खर्च	भुगतान किये जाने वाले बीमा भाड़ा मूल्य

5. पुर्ननियात के आधार पर आयात
(नीति का पैरा ————————)

1. आयात का प्रयोजन :

2. मशीन की प्रतिपूर्ति के आयात के मामले मे :

(1) मूल मशीन की स्थापना की तारीख

(2) पुरानी मशीन के निपटान की व्यवस्था

(3) सम्पर्क किये गये विनिर्माताओं के नाम देते हुए स्वदेशी विनिर्माताओं से संवभित मशीन की खरीद के लिये किए गये प्रयास का विवरण

6. कार्यालय मशीन का आयात
(नीति के पैरा ————————)

(1) आवश्यक निर्यात निष्पादन के आवश्यक स्तर सहित निर्यात सदन/व्यापार सदन/राज्य व्यापार सदन के साथ आवेदन की योग्यता का आधार ।

(2) आयात की मदें:—

क्रम सं०	मद (नाम)	मात्रा नगों में	लागत बीमा भाड़ा मूल्य

1. पिछले तथा वर्तमान वर्ष में कार्यालय मशीन के लिये किया गया आवेदन/प्राप्त लाइसेंस का विवरण :

फाइल संख्या	लाइसेंस संख्या	मदों का ब्यौरा नाम/कोर	मात्रा संख्याओं में	मूल्य (रुपयों में)

टिप्पणी:—आर० ई० पी० लाइसेंस के अभ्यार्पन के मद्दे फैक्स-मशीनों के आयात के मामले में आर० ई० पी० लाइसेंस का ब्यौरा दिया जाना चाहिये ।

घोषणा

मैं/हम एतद्, द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और आयात एवं निर्यात नीति तथा प्रक्रिया पुस्तक के सम्बन्धित प्रयोजनों का पालन करने की शपथ लेता हूं/लेते हैं।

हस्ताक्षर :

नाम व पदनाम ————————

————————————

निवासीय पूरा पता————————

————————————

परिशिष्ट —3 क भाग ख का उपाबन्ध क

आवश्यकता खपत स्टाक आदि विवरण आयात एवं निर्यात नीति 1990–93 के परिशिष्ट 2 ख और 3 क) दर्शाई गई गैर लौह एवं इस्पात मदों के आयात के लिये

क्रम सं०	विशिष्टिकरण ग्रेड साइज सहित आवेदित मदों का विवरण	मद का कोड	आवेदित मात्रा (मी० टन)	आवेदित लागत बीमा भाड़ा मूल्य (रुपये)	आवेदित मदों का गत निष्पादन (मी० टन)				हौजरी स्टाक (मी० टन)		पाइपलाइन में स्टाक (मी० टन)		अप्रयुक्त हस्तगत वैध आयात
					पूर्ववर्ती वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष से पहला वर्ष						
					स्वदेशी	आयातित	स्वदेशी	आयातित	स्वदेशी	आयातित	स्वदेशी	आयातित	

टिप्पणी–1. विवरण 4 प्रतियों में भेजा जाता है।

2. परिशिष्ट-2 ख और परिशिष्ट 3 क में दी गई मदों के लिये अलग विवरण भेजा गया है।

3. विवरण आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिये और सनदी लेखापाल लागत लेखापाल कम्पनी सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिये कि विवरण सही है।

4. अप्रैल से मार्च अवधि के दौरान पूर्व खपत का विवरण दिया जाये।

परिशिष्ट 3—क, भाग–ख का उपाबन्ध ख

आवश्यकता खपत, स्टाक आदि का विवरण

(आयात नीति, 1990–93(खण्ड–1) के परिशिष्ट–2–ख और 3–ख में दी गई लोहा इस्पात मदों के लिए)

क्रम सं०	मद श्रेणी विवरण	विशिष्टिकरण ग्रेड साइज	कोड	आवेदित मात्रा मी० टन	लागत बीमा भाड़ा (रुपये)	गत खपत (मी० टन)				स्टाक (मी० टन)		पाइप लाइन में (मी० टन)		हस्तगत अप्रयुक्त वैध आयात लाइसेंस (मी०टन)
						पूर्व वर्ष		पूर्ववर्ती से पहला वर्ष						
						स्वदेशी	आयातित	स्वदेशी	आयातित	स्वदेशी	आयातित	स्व०	आ०	

टिप्पणी—1 विवरण 6 प्रतियों में भेजा जाना है।

2. कार्बन इस्पात (प्राइम) कार्बन इस्पात (पुराने डिफेक्टिव वेस्ट), मिश्र धातु (प्राइम) मिश्र धातु इस्पात (पुराने डिफेक्टिव वेस्ट) के लिये अलग विवरण भेजा जाना है।

3. उपरोक्त परिशिष्ट–क में दिये गये अनुसार

4. गत खपत ————————अप्रैल————————मार्च, ————के लिये है।

परिशिष्ट 3—क, भाग ख का उपाबन्ध—ग

आयातित कच्चे माल संघटक और उपभोज्यों की खपत को दर्शाने वाला विवरण

1. विनिर्मित अन्तिम उत्पाद :

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती दो लाइसेंसिंग वर्षों में से किसी एक के दौरान आयातित कच्चे माल, संघटक और उपभोज्यों की खपत का लागत बीमा भाड़ा मूल्य:—

(1) आयात-निर्यात, 1990-93 के परिशिष्ट—3 भाग—क के अन्तर्गत आने वाले कच्चे माल, संघटक, और उपभोज्य :.........रुपये

(2) आयात नीति 1990—93 के परिशिष्ट—3 भाग—ख में उल्लिखित लोहा एवं इस्पात की मदें ....रुपये

3. उपर्युक्त मद—3 के मद्दे निर्दिष्ट खपत की अवधि के दौरान उत्पादित का किताबी मूल्य: ....रुपये

4. निम्नलिखित में खपत के कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य का अलग-अलग ब्यौरा:

(1) आवेदकों के निजी वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों के मद्दे आयातित: ....रुपये

(2) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आवेदक द्वारा आयातित (ऐसी मदें जो पहले खुले सामान्य लाइसेंस पर थी परन्तु नीति पुस्तक 1990—93 के परिशिष्ट—3 भाग—क में है) .... रुपये

(3) अन्य प्राधिकृत स्रोतों द्वारा प्राप्त आवेदक द्वारा किया गया : ....रुपये

5. मशीनरी और उपस्कर पर पूंजी निवेश:

(1) आयातित मशीनरी (लागत बीमा भाड़ा) मूल्य ....रुपये

(2) आयातित संघटकों वाली स्वदेशी मशीनरी (क्रय कीमत) ....रुपये

(3) अन्य स्वदेशी मशीनरी (क्रय मूल्य) ....रुपये

परिशिष्ट—3ख

प्रपत्र—(सी जी)

पूंजीगत माल के आयात के लिये आवेदन-पत्र का प्रपत्र

(औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली से आवेदन करने वाले आवेदक द्वारा प्रयोग के लिए)

प्रपत्र इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ध्यानपूर्वक भरा जाना चाहिये कि यह कम्प्यूटरीकृत सूचना पद्धति में डाटा एन्टरी के लिये साधन दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जायेगा। अनेकार्थकता अस्पष्टता से आवेदनों पर कार्रवाई करने में देरी हो सकती है। प्रपत्र को भरते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिये:—

*आवेदन-पत्र केवल निर्धारित प्रपत्र में दिये जाने चाहिये। आसी के लिये यह परामर्श दिया जाता है कि आवेदक को निर्धारित आवेदन-पत्र की पहले एक प्रति समुचित रूप से एवं स्वच्छता से भर लेनी चाहिये तथा उस प्रति से अतिरिक्त जेरोक्स वांछित प्रतियां निकाली जा सकती है ताकि प्रायोजक प्राधिकारी को 7 प्रतियां प्रस्तुत कर सकें। आवेदन-पत्र की प्रत्येक प्रति स्याही से हस्ताक्षरित होनी चाहिये। आवेदक को इस बात का सुनिश्चिय करना चाहिये कि अतिरिक्त उपबन्धों में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना सहित सारी सूचना प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ समुचित रूप से नत्थी की हुई है। कृपया सभी प्रतियों में स्वच्छता का सुनिश्चय करें। आवेदन की प्रत्येक प्रति के साथ आयात किये जाने वाले माल की विस्तृत सूची के अलावा तकनीकी विकास महा निदेशालय/प्रायोजक/तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित करने हेतु आयातित माल की सूची की 5 अतिरिक्त प्रतियां संलग्न की जानी चाहिये। आवेदन की प्रत्येक प्रति अग्रेषण पत्र की प्रति सहित प्रस्तुत की जानी चाहियें। अग्रेषण पत्र में प्रस्ताव के प्रमुख मुद्दों को दिखाने के साथ-साथ प्रस्ताव के सभी प्रमुख मुद्दों की सूचना जो कि आवेदन-पत्र में विशेष रूप से शामिल नहीं की गई हो, दी जानी चाहिये।

*आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि आवेदन-पत्र भरने से पहले प्रक्रिया पुस्तक तथा आयात नीति में निहित वर्तमान अवधि के लिये अनुदेशों को पढ़ लें।

*आवेदन-पत्र कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

*मांगे गये और लागू दस्तावेजी साक्ष्य एवं सहायक दस्तावेज आवेदन प्रपत्र को प्रत्येक प्रति के साथ संलग्न किये जाने चाहिये।

केवल कार्यालय में प्रयोगार्थ :

	आवेदन सं०		तिथि (पंजीकरण)	

1 (क) आवेदक/आवेदक उपक्रम का नाम व पता
(साफ अक्षरों में)

नाम ____________________

पंजीकृत कार्यालय का पता : ____________________

आयातक निर्यातक कोड सं० (आई० ई० सी०) ____________________

डाक-पता ____________________

(ख) नीचे दिये गये प्रपत्र अनुसार स्वामी/साझीदार/बोर्ड के निदेशकों का ब्यौरा दें तथा आवेदन-पत्र की प्रत्येक प्रति के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें। यदि आवेदन किसी व्यक्ति के नाम से है तो परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये बनाई जाने वाली कम्पनी/उपक्रम के बारे में ब्यौरा दिया जाना चाहिये। ऐसे मामले में, मालिक/साझीदार या निदेशक का वर्तमान व्यवसाय भी इंगित किया जाना चाहिये।

नाम व पता	क्या भारतीय राष्ट्रिक विदेशी राष्ट्रिक या अप्रवासी भारतीय है

(सूचना परिशिष्ट सं० 1 के रूप में संलग्न की जाये)

2. क्रम का स्वरूप

(क) क्या उपक्रम है/होगा:—
(कृपया समुचित खाने को टिक करें)

(1) पब्लिक लिमिटेड कम्पनी ☐ (2) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ☐

(3) साझेदारी फर्म ☐ (4) स्वामित्व फर्म ☐

(ख) क्या आवेदक उपक्रम :
(कृपया समुचित खाने को टिक करें)

(1) केन्द्र सरकार का उपक्रम है ☐

(2) राज्य औद्योगिक विकास/पूंजी निवेश निगम सहित राज्य सरकार का उपक्रम है

(3) संयुक्त क्षेत्र की यूनिट है

(4) सरकारी क्षेत्र की यूनिट है

(5) प्राइवेट क्षेत्र यूनिट/उपक्रम है

(ग) यदि परियोजना सयुक्त क्षेत्र में है तो सहयोगी पार्टियों के नाम और पते इंगित करें।

3. क्या उपक्रम एम० आर० टी०पी० एक्ट 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत है—
कृपया समुचित खाने को टिक करें)

(1) हां　　(2) नहीं

(क) यदि उत्तर "हां" में है तो कृपया इंगित करें
(1) एम०आर०टी०पी० पंजीकरण संख्या ———————तारीख ————————
(2) ग्रुप का नाम जिससे उपक्रम सम्बन्ध रखता है।
(3) क्या स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उक्त नियमावली के अन्तर्गत वांछित निकासी/स्वीकृति कम्पनी कार्य विभाग से पहले ही प्राप्त कर ली है या इसके लिए आवेदन कर दिया है। यदि पहले से ही प्राप्त कर ली तो कृपया स्वीकृति की प्रतिलिपि आवेदन-पत्र के प्रत्येक के सैट के साथ संलग्न करें।
(सूचना उपाबन्ध II के रूप में संलग्न की जानी चाहिए)

4. क्या उपक्रम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अन्तर्गत आता है :
(कृपया समुचित खाने में टिक करें)

(1) हां　　(2) नहीं

यदि हां, कृपया इंगित करें :

उपक्रम की वर्तमान शोधित पूंजी में विदेशी इक्विटी की प्रतिशतता

5. औद्योगिक यूनिट का स्थल जिसके लिए पूंजीगत माल का आयात आवेदित है :

स्थान/शहर ———————————
ब्लाक ———————————
तहसील/तालुका ———————————
जिला ———————————
राज्य ———————————

(क) यदि स्थल केन्द्रीय पूंजी निवेश सहायता योजना के लिए पात्रता प्राप्त करते हुए किसी पिछड़े जिले/क्षेत्र में आता है तो कृपया इंगित करें कि उद्योग मंत्रालय के 27 अप्रैल, 1983 के प्रैस नोट के अनुसार श्रेणी' "क" या "ख" या "ग" में आता है।

(कृपया समुचित खाने को टिक करें)

(1) श्रेणी "क" पिछड़ा क्षेत्र ☐

(2) श्रेणी "ख" पिछड़ा क्षेत्र ☐

(3) श्रेणी "ग" पिछड़ा क्षेत्र ☐

(ख) यदि स्थल श्रेणी "क" के पिछड़े क्षेत्र में पड़ता है तो कृपया इंगित करें कि यह "बिना उद्योग जिले" में आता है :

(कृपया समुचित खाने में टिक करें)

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(ग) यदि स्थल पिछड़े क्षेत्र में नहीं आता तो कृपया निर्दिष्ट करें कि वह निम्न में आता है :—

(1) भारत की 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की मानक शहरी क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत है।

(कृपया समुचित खाने में टिक करें)

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(2) भारत की 1981 की जनगणना के आधार पर 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत है :

(कृपया समुचित खाने में टिक करें)

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

परिशिष्ट 3ख—जारी

6. आयात का उद्देश्य :
(कृपया समुचित खाने में टिक करें)

(1) नया उपक्रम

(2) वास्तविक विस्तार

(3) नई वस्तु परिवर्तन

(4) शोध

(5) तबदीली

(6) अधुनिकीकरण

(7) परीक्षण

(8) कोटि नियंत्रण

(9) प्रोटोटाईप/नमूना

(10) अनुसन्धान एवं विकास

(11) अवलम्ब/कैपटिव विद्युत उत्पादन

(12) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(7) (क) क्या परियोजना जिसके लिए पूंजीगत माल का आयात किया जाना अपेक्षित है:—
(कृपया समुचित खाने में टिक करें)

परिशिष्ट 3 ख-जारी

	पहले से ही प्राप्त	अपेक्षित	अभी आवेदन करना है
	1	2	3
1. औद्योगिक नियमावली लाइसेंस			
2. आशय पत्र			
3. एस० आई० ए० पंजीकरण			
4. निम्नोक्त के साथ पंजीकरण			
(1) तकनीकी विकास महानिदेशक			
(2) वस्त्रायुक्त			
(3) पटसन आयुक्त			
(4) लोहा एवं इस्पात विकास आयुक्त			
(5) राज्य उद्योग निदेशालय			
(6) कोई अन्य			

(कृपया निर्दिष्ट करें)

(ख) यदि पहले से ही आवश्यक अनुमोदन कर लिया है तो कृपया नीचे इंगित करें।

(1) ऐसे अनुमोदन की संख्या (एं) था तिथि(यां) तथा आवेदन की प्रत्येक प्रति के साथ उनकी फोटो कापी सलग्न करें।

सं० ———————————— तिथि ————————————

(सूचना उपबन्ध-5 के रूप में संलग्न की जाती है)

(2) अवधि, जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस /आशय पत्र/सम्बद्ध प्राधिकारी का पंजीकरण वैध है। यदि अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है या शीघ्र ही समाप्त होने वाली है तो पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन कर दिया है।

परिशिष्ट-3ख—जारी

1		3	4

(3) यदि यूनिट ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है, तो कृपया वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने की तिथि इंगित करें।

8. सम्मिलित विनिर्मित मदें और क्षमता

(क) आयात के लिए आवेदित पूंजीगत माल की सहायता से विनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित मद।

मद की क्र० सं०		विनिर्मित मद का नाम (साफ अक्षरों में)	अनुसूचित उद्योग सं०/उत्पाद कोड आवेदक द्वारा नहीं भरा जाना है)

परिशिष्ट 3ख—जारी

सम्मिलित विनिर्मित मदों की कुल संख्या

टिप्पणी—ऊपर इंगित "मद की क्र० सं० को पहचान चिन्ह उक्त विनिर्दिष्ट मद के लिए अब और उसके बाद, जहां कहीं भी लागू हों, प्रयुक्त होगा ।

ख: मदों की अनुमोदित विनिर्माण क्षमता और पूर्व प्रतिनिष्ठापित क्षमता

मद की पहचान चिह्न सं०	वर्तमान लाइसेंस पंजीकृत क्षमता	वर्तमान प्रतिस्थापित क्षमता	क्षमता की यूनिट

ग. इस पूंजीगत मालों के आवेदन पत्र में दी गई क्षमता।

मद की पहचान चिह्न संख्या	इस आवेदन में की गई क्षमता	क्षमता की यूनिट	प्रतिदिन परिकल्पित शिफ्टों की संख्या

परिशिष्ट—3ख—जारी

घ. यदि यूनिट पहले से ही उत्पादन करने में लगा है तो, कृपया सम्मिलित विनिर्मित मद के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों (वर्ष-वार) के उत्पादन की मात्रा/मूल्य को इंगित करें।

(सूचना उपाबन्ध सं० 6 के रूप में दी जाए)।

9. यदि आयात सन्तुलन प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण के लिए किया गया है तो कृपया यह बताएं कि इसके परिणाम-स्वरूप लाइसेंस अनुमानित क्षमता में कितनी वृद्धि होगी और यदि ऐसा हो तो कृपया यह भी इंगित करें कि अतिरिक्त सृजित की गई अतिरिक्त क्षमता कितनी होगी

10. क्या प्रस्तावित विनिर्मिता क्रियाकलापों में कोई विदेशी सहयोग परिकल्पित है:

(उपयुक्त खाने में टिक लगाएं)

1. हां ☐ 2. नहीं ☐

यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए—

(क) विदेशी सहयोगकर्ता का नाम और पता

नाम ————————————

————————————

पता ————————————

————————————

————————————

(ख) सहयोग का स्वरूप अर्थात् या इसमें इक्विटी सम-भागिता, तकनीकी जानकारी का आयात, परामर्शदायी या मार्केटिंग सम्मिलित है?

परिशिष्ट—3ख—जारी

(ग) क्या विदेशी सहयोग का अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है या उसके लिए आवेदन किया हुआ है, अनुमोदन की संख्या और तिथि यदि पहले ही प्राप्त कर लिया गया है तो बताएं और आवेदन के प्रत्येक सेट के साथ अनुमोदन की फोटो प्रति भी संलग्न करें। विदेशी सहयोग अनुमोदन सं० —————— तिथि——————(उपाबन्ध सं० 7 के रूप में सूचना संलग्न की जाती है) यदि अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है तो क्या आपने उसी के लिए अलग से आवेदन-पत्र दिया है। उस मामले में सन्दर्भ सं० और दिए गए आवेदन की तिथि दें।

11. क्या आयातित पूंजीगत माल के साथ प्रस्तावित विनिर्मित की जाने वाली वस्तुएं अब देश में आयात की जा रही हैं। (उपयुक्त खाने में टिक लगाएं)

1. हां ☐ 2. नहीं ☐

12. निर्यात ब्यौरे—

(क) क्या आवेदक उद्यम निर्यातों के कारोबार में कार्यरत है या निर्यातों के लिए विनिर्माण करता है और यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की जा रही मदों का उनके जहाज-पर्यन्त निशुल्क मूल्य के साथ निर्दिष्ट किया जाए।

(ख) क्या प्रस्तावित पूंजीगत माल में विनिर्मित की जाने वाली मद (मदें) निर्यात की जा सकती है। (कृपया उपयुक्त खाने में टिक लगाएं)

1. हां ☐ 2. नहीं ☐

(ग) क्या आशय पत्र/औद्योगिक अधिनियम लाइसेंस/पंजीकरण या परियोजना के लिए पहले से ही प्राप्त किए गए अनुमोदन में कोई निर्यात आभार निहित है। (कृपया उपर्युक्त खाने में टिक लगाएं)

2. हां ☐ 2. नहीं ☐

यदि हां तो लगाए गए निर्यात आभार के ब्यौरे दें और यह भी बताएं कि क्या आपने इस संबंध में पहले ही बंधपत्र/विधिक वचनबद्धता आदि का निष्पादन कर दिया है।

(घ) यदि मदें निर्यात की जा सकती हों परन्तु अभी तक कोई निर्यात आभार नहीं लगाया गया हो तो कृपया उत्पादन के मूल्य और प्रतिशतता की शर्तों के अधीन आवेदन किस सीमा तक निर्यात आभार निष्पादित कर सकता है। यदि नहीं तो यह बताया जाए कि निर्यात आभार क्यों न लगाया जाए।

13. निवेश विवरण :

(क) परियोजना की कुल अनुमानित पूंजीगत लागत रु० | | | | | | | | | | | |

परिशिष्ट–3 ख—जारी

(ख) अचल संपत्ति में लगा निवेश :

	वर्तमान (लाख रु०)	प्रस्तावित (लाख रु०)	कुल (लाख रु०)
(1) भूमि			
(2) भवन			
(3) संयंत्र और मशीनरी (1+2)			
1. स्वदेशी			
2. आयातित अवतरित लागत अर्थात् (क) + (ख)			
(क) लागत-बीमा भाड़ा-मूल्य			
(ख) शुल्क और अन्य लागत			
योग (एक से तीन)			

(ग) पूर्ण संयंत्र, और मशीनरी (वर्तमान एवं प्रस्तावित) में आयातित उपस्कर का प्रतिशत मूल्य

वर्तमान		प्रस्तावित	

(घ) यदि आवेदक उद्यम एक लघु उद्योग इकाई है, कृपया बताएं कि क्या प्रस्तावित आयात के बाद तक यह ऐसी ही रहेगी या प्रस्तावित मशीनरी के प्रतिष्ठान के बाद सीमा को पार कर जाएगी यदि लघु उद्योग इकाई के सीमा पार करने की आशा है तो निर्दिष्ट करें कि क्या सम्बन्धित प्राधिकारी से आवश्यक लाइसेंस/पंजीकरण पहले से ही प्राप्त कर लिया गया है या उद्योग निदेशक के माध्यम से आवेदन किया हुआ है। यदि ऐसा नहीं हो तो आपका कब आवेदन करने का प्रस्ताव है ।

14. परियोजना की पूंजीगत लागत और इसके वित्तपोषण की प्रक्रिया :

धनराशि (रुपयों में)

(क) प्रस्तावित परियोजना कुल अनुमानित पूंजीगत लागत

(ख) प्रस्तावित निवेश के लिए वित्त पोषण की प्रक्रिया

(1) उगाही जाने वाली प्रस्तावित शेयर पूंजी :

धन राशि (रुपयों में)

(क) प्रवर्तकों की शेयर पूंजी

(ख) वित्तीय निवेश संस्थाओं द्वारा शेयर सहभागिता

(ग) राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा शेयर सहभागिता

(घ) पब्लिक इशु के माध्यम से उगाही जाने वाली पूंजी

(ङ) अप्रवासी भारतीयों द्वार शेयर सहभागिता

(च) विदेशी सहयोग (यों) द्वारा शेयर सहभागिता

(छ) अन्य निगम निकायों द्वारा शेयर सहभागिता (अर्थात अन्तर्निगम निवेश)

(ज) अन्य स्रोत, अगर कोई है

कुल (क) से (ज)

(2) आन्तरिक संसाधन (विद्यमान उद्यम के लिए)

(3) वित्तीय संस्थाओं आदि से ऋण

15. चरणबद्ध विदेशीकरण कार्यक्रम

प्रस्तावित मदों के विनिर्माण के लिए मदों के व्यापारिक उत्पादन के प्रारम्भिक वर्ष से प्रथम 5 वर्षों का चरणबद्ध स्वदेशीकरण कार्यक्रम परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रपत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

(उपाबन्ध संख्या 8 के रूप में संलग्न करें)

परिशिष्ट–3ख—जारी

16. व्यापारिक उत्पादन के प्रारम्भिक वर्ष से प्रथम 5 वर्ष के दौरान प्रस्तावित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के आधार पर (सभी प्रस्तावित मदों को साथ-साथ विनिर्माण के लिए) उत्पादन के मूल्य में आयात की मात्रा :—

	प्रस्तावित मद (मदों) के उत्पादन का कारखाने में कुल लागत मूल्य (रुपयों में)	लागत-बीमा-भाड़ा- मूल्य का प्रतिशत	
		प्रस्तावित मदों के उत्पादन के लिए कारखाने में आयातित संघटकों का लागत मूल्य	प्रस्तावित मद (मदों) के उत्पादन के लिए कारखाने में आयातित कच्चे माल का लागत मूल्य
प्रथम वर्ष			
द्वितीय वर्ष			
तृतीय वर्ष			
चतुर्थ वर्ष			
पंचम वर्ष			

17. प्रथम पांच वर्षों की अवधि में शेष भुगतान पर प्रभाव (कच्चे माल संघटकों के निर्यात और आयात के मामलों में व्यापारिक उत्पादन के प्रारम्भ होने वाले वर्ष से प्रारम्भ करते हुए । लेकिन मशीनरी और उपकरण के आयात तथा विदेशी सहयोगियों को भुगतान के कारण अनुमानित भुगतान का गणना करने के लिए उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सभी भुगतान 5 वर्षों तक कर दिये जाने की संभावना है)

धनराशि (समतुल्य रुपयों में)

(क) निर्यात आभार के अन्तर्गत निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य पर आधारित प्राप्त विदेशी मुद्रा

(ख) विदेशी मुद्रा बहिर्गमन

धनराशि (समतुल्य रुपयों में)

1. मशीनरी और उपकरण का आयात

2. कच्चे माल का आयात

परिशिष्ट–3ख—जारी

3. संघटकों का आयात

4. लाभों का देश प्रत्यावर्तन और विदेशी सहयोगियों को लाभ

5. सहयोगियों की एकमुश्त रायल्टी, तकनीकी जानकारी, शुल्क आदि प्रकार से किया जाने वाला अन्य भुगतान

(ग) प्राप्ति बहिर्गमन से निवल विदेशी मुद्रा (क—ख)

18. प्रतिस्थापन के मद्दे आयात के मामले में कृपया परिशिष्ट सं० 2 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार प्रस्तावित प्रतिस्थापनीय उपकरण का विवरण प्रस्तुत करें)।
(उपाबन्ध संख्या 9 के रूप में संलग्न की जाने वाली सूचना)

19. आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल की सूची का विवरण :

(क) परिशिष्ट सं० 3 में दिए गए प्रपत्र में आयात किए जाने वाले प्रस्तावित पूंजीगत माल का पूर्ण विवरण। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि आयात के लिए आवेदित माल की सूची में दिया गया उपकरण का विवरण विज्ञाप्ति विनिर्देशों के ठीक अनुरूप होना चाहिए, यदि लागू है।
(उपाबन्ध सं० 10 के रूप में संलग्न की जाने वाली सूचना)

(ख) परिशिष्ट-3 के अनुसार उपकरण की विस्तृत सूची को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त आयात किए जाने वाले उपकरण का व्यापक विवरण नीचे दिया जाना चाहिए।

1. मशीनरी, उपकरणों का व्यापक विवरण :

मद की क्रम सं०	मदों का व्यापक विवरण (बड़े अक्षरों में)	मद कोड

परिशिष्ट–3ख—जारी

सम्मिलित मदों की कुल संख्या

टिप्पणी : आयात की मदों की पहचान के लिए बाद में कालमों में कृपया उपर्युक्त क्रम सं० का ही प्रयोग करें।

(2) मात्रा और आयात का देश:

19 (ख) (1) के अनुसार मद की क्रम सं०	मात्रा	मात्रा की यूनिट	आयात का देश

परिशिष्ट 3 (ख)—जारी

(3) विदेशी मुद्रा में लागत बीमा भाड़ा मूल्य :

19 (ख) (1) के अनुसार मद की क्रम सं०	विदेशी मुद्रा का नाम	विदेशी मुद्रा में लागत-बीमा भाड़ा मूल्य	विदेशी विनिमय दर (रु० 100 के-समतुल्य)

(ग) आवेदन पत्र में दी गई मदों का लागत-बीमा भाड़ा (भारतीय मूल्य रुपयों में)

20. (क) कृपया पूंजीगत माल आयात के वित्त पोषण के वांछित स्रोत (तों) अर्थात द्विपक्षी ऋण, वित्तीय संसाधनों से आदि को इंगित करें ।

परिशिष्ट—3ख—जारी

(ख) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 5 वर्षों में आवेदक कंपनी द्वारा उपयोग किया गया विदेशी मुद्रा ऋण :

राशि

क. सीधे बाह्य वाणिज्यिक

ख. वित्तीय संसाधनों से विदेशी मुद्रा ऋण;

ग. संभरकों द्वारा

घ. द्विपक्षी ऋणों के अधीन ऋण

राशि	मुद्रा	स्वीकृति संख्या	तिथि

ङ. अन्य श्रोत (कृपया विवरण दें)

(ग) क्या पूंजीगत माल के आयात में विदेशी मुद्रा में स्थापना शुल्क की अदायगी भी सम्मिलिति है :
(कृप्या उचित खाने में टिक लगाएं)

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

यदि हां, भुगतान की जाने वाली राशि।

विदेशी मुद्रा का नाम राशि

यह भी निर्दिष्ट करें कि ये शुल्क वर्तमान आवेदन-पत्र में सम्मिलित है या इनके लिए प्रशासनिक मंत्रालय/प्रायोजिक प्राधिकारी को अलग से आवेदन किया जाना है।
(कृपया नोट कर लें कि लिए प्राय: प्रशासनिक मंत्रालय/प्रायोजक प्राधिकारी को अलग से आवेदन किया जाना अपेक्षित है)

(घ) मशीनरी की स्थिति, अर्थात नई, पुरानी अथवा मरम्मत की गई:
(कृपया उचित खाने में चिन्ह लगाएं)

नई ☐ पुरानी ☐

यदि पुरानी या मरम्मत की गई हो तो, कृपया परिशिष्ट-4 में दिए गए प्रपत्र में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करें।
(उपाबंध 11 के रूप में सूचना संलग्न की जाती है)

(ङ) संबंध पूंजीगत माल के आयात की निकासी/पहले ही प्राप्त/आवेदन किए गए प्राप्त किए गए लाइसेंसों का विवरण :

लाइसेंस सं०	तिथि	मूल्य	वित्तपोषण के स्रोत	आयात के स्रोत

परिशिष्ट-3 ख--जारी

(च) क्या इस आवेदन पत्र में आने वाले सभी पूंजीगत माल आवेदक की परियोजना के लिए आयातित मशीनरी के लिएसारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। या परियोजना के लिए आगे और पूंजीगत माल का आयात परिकल्पित है? कृपया अतिरिक्त आवश्यकता निर्दिष्ट करें और यह भी स्पष्ट करें कि आयात के लिए खंडों में आवेदन क्यों किया जा रहा है।

21. (1) इस परियोजना के लिए संपर्क किए गए स्वदेशी विनिर्माताओं के नाम एवं पते बताते हुए मशीनों का स्वदेशी विनिर्माताओं से प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्नों और उनके परिणामों का विवरण दें। (सूचना उपाबन्ध सं० 12 के रूप में संलग्न की जानी है)

(2) रुपए में भुगतान वाले क्षेत्र से आयात न कर सकने का औचित्य बताते हुए एक नोट के साथ रुपए में भुगतान वाले क्षेत्र से मशीनरी आयात करने के लिए किए गए प्रयत्नों का विवरण। (कृपया उपाबन्ध 13 के रूप में संलग्न की जानी है)

(3) कृपया प्रपत्र बीजक और अन्य संगत पत्राचार द्वारा विधिवत समर्थित विदेशी संभरकों से प्राप्त बोलियां/कोटेशनों की मुख्य विशेषताओं को देते हुए एक तुलनात्मक विवरण सहित अधिक प्रतियोगी बोलियों को प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 से 4 नामी विनिर्माताओं (रुपए में भुगतान वाले क्षेत्र से भिन्न यदि मदें गैर-रुपए भुगतान वाले क्षेत्र के देशों से आयात की जानी है) से किए गए संपर्क के प्रयासों से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करें। (सूचना उपाबन्ध सं० 14 के रूप में संलग्न किया जाना है)

(4) कृपया आयात किए जाने वाले माल का पूरा विवरण देते हुए साहित्य/पैम्फलेट/विशिष्टिकरण की प्रतियां प्रस्तुत करें। (सूचना उपाबन्ध सं० 15 के रूप में संलग्न करें)

22. संलग्न समर्थक दस्तावेजों/सूचना का ब्यौरा आवेदन पत्र की प्रत्येक प्रति के साथ संलग्न किए जाने वाले समर्थक दस्तावेजों/सूचना : संलग्न है लागू नहीं है

(क) मूल बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट
सं०------------------तिथि------------------
मूल्य------------------------------------रुपए
[ ] [ ]

(ख) उपाबन्धों में संलग्न अन्य दस्तावेजों और सूचना की सूची :

उपाबन्ध सं०	वह कालम जिसमें सूचना/दस्तावेज संबंधित हैं	सूचना का संक्षिप्त विवरण	उचित बाक्स में टिक करें संलग्न	लागू नहीं
1	2	3	4	5
			[ ]	[ ]
1.	(ख)	बोर्ड के स्वामियों/साझीदारों/निदेशकों के ब्यौरे		
2.	(क) (3)	कंपनी कार्य विभाग से एम० आर० टी० पी० निकासी की प्रति	[ ]	[ ]

परिशिष्ट-3ख—जारी

1	2	3	4	5
3	6 (9)	प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 के परिशिष्ट 3-क के अनुसार आदिरूपों के आयात से संबंधित प्रपत्र	☐	☐
4	8(11)	डीजल जनरेटिंग सैट के आयात के मामले में राज्य बिजली बोर्ड से मूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र/मूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उसकी फोटो-प्रतियां आवेदन पत्र की प्रत्येक प्रति के साथ संलग्न की जानी हैं।	☐	☐
5	7(ख)(i)	औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र/प्रायोजक प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण-पत्र की फोटो/साक्ष्यांकित प्रति अतिरिक्त शर्तों, यदि कोई निर्धारित की गई हों की सूची संलग्न करें।	☐	☐
6	8(च)	निहित विनिर्माण की मदों के सम्बन्ध में (यदि यूनिट वाणिज्यिक उत्पादन पहले से कर रही है) पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) उत्पादन की मात्रा/मूल्य का विवरण।	☐	☐
7	10(ग)	यदि परियोजना में विदेशी सहयोग लिया गया है तो विदेशी सहयोग के लिए सरकार की स्वीकृति की फोटो साक्ष्यांकित प्रति।	☐	☐
8	15	वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के वर्ष से आरम्भ होने वाले पहले पांच वर्षों की प्रस्तावित मदों के लिए चरणबद्ध स्वदेशी कार्यक्रम।	☐	☐
9	18	प्रतिस्थापन की जाने वाली मशीनरी/उपस्कर (प्रतिस्थापन के लिए आयात के मामले में) की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में मूल रूप से सनदी इंजीनियर का प्रमाण पत्र।	☐	☐
10	19(क)	आयात के लिए प्रस्तावित पूंजीगत माल की सूची/आवेदन-पत्र की प्रत्येक प्रति के साथ सूची की प्रति संलग्न करने के अतिरिक्त सूची की पांच प्रतियां महानिदेशक तकनीकी विकास के उद्देश्यार्थ आवेदन-पत्र के सहित महानिदेशक तकनीकी विकास/प्रयोजक प्राधिकारी के उद्देश्यार्थ आवेदन-पत्र की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाए।	☐	☐
11	20(ख)	यदि पुरानी/मरम्मत की हुई मशीनरी का आयात किया जाना है तो वर्तमान प्रक्रिया पुस्तक में यथापेक्षित निर्धारित प्रपत्र में सनदी इंजीनियर से मशीनरी की आयु, उसकी वर्तमान स्थिति, मूल और वर्तमान मूल्य और लगभग संभावित आयु को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र।	☐	☐
12	21(1)	स्वदेशी विनिर्माताओं से सम्बन्धित मशीनें प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण।	☐	☐

परिशिष्ट-3ख --जारी

1		2	3	4
13	21(2)	रुपए के भुगतान वाले क्षेत्र से मशीनरी का आयात करने के लिए किए गए प्रयासों से संबंधित पत्राचार की प्रतियों के साथ रुपयों के भुगतान वाले क्षेत्र के देशों से आयात करने में असफलता का औचित्य देते हुए एक नोट सहित ।		
14	21(3)	आयात की जाने वाली मशीनरी के ब्ल्यूप्रिन्ट/ड्राइंग प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास विदेशी सम्भरक से की गई पूछताछ और उनके उत्तरों की साक्ष्यांकित फोटो प्रतियां ।		
15	21(4)	आयात की जाने वाले माल का पूरा विवरण देते हुए साहित्य/पम्फलेट/विशिष्टिकरण की प्रतियां ।		
16		विज्ञापन/पूछताछ के मद्दे प्राप्त/उत्तरों का तालिका में विवरणों/विवरण में प्रस्तावित आयात किए जाने वाले उपस्कर की प्रत्येक मद के सम्बन्ध में स्वदेशी विनिर्माता से प्राप्त बोलियों/प्राप्तियों को स्वीकार न करने का पूर्ण औचित्य दिया जाना चाहिए ।		
17		विदेशी मुद्रा में आयात किए गए जाने वाले माल का लागत-बीमा-भाड़ा/जहाज पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य बीजक की तिथि और उसकी वैधता को निर्दिष्ट करते हुए विदेशी मशीनरी के सम्भरक (कों) से वैध प्रपत्र बीजक (कें) ।		
18		भारतीय व्यापार पत्रिका/भारतीय निर्यात बुलेटिन में विज्ञापन की तिथि ।		
		खण्ड——————तिथि——————		
19		प्रशासनिक मंत्रालय के पास पंजीकृत अनुसंधान और विकास संस्थान/प्रयोगशाला के मामले में पंजीकृत प्रमाण-पत्र की फोटो/साक्ष्यांकित प्रति ।		
20		आयातित ड्राइंग और डिजाइन के आधार पर पूंजीगत माल को तैयार करने के लिए किए गए प्रयास और उनके परिणामों पर एक विस्तृत नोट ।		

घोषणा :

1. मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन-पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों/विवरण में दी गई सूचना मेरे/हमारे उत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है।

2. मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस माल के आयात के लिए आवेदन किया गया है वह उसका उपयोग ——————————————(अन्तिम उत्पाद (दों) का नाम बताने के लिए है और उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 या सरकार द्वारा अनुमोदित) के अधीन अनुज्ञप्ति क्षमता के लिए है।

3. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आयात की जाने वाली मशीनरी औद्योगिक लाइसेंस पंजीकरण सं०———— दिनांक——————————————— के अधीन स्वीकृत क्षमता से अधिक क्षमता में नहीं करूंगा/करेंगे। यदि क्षमता में कोई वृद्धि हुई है तो कृपया क्षमता में वृद्धि का अनुमान बताएं।

परिशिष्ट-3ख—जारी

4. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आधुनिकीकरण कोटि नियंत्रण उपस्कर आदि के लिए अपेक्षित अनुमोदित क्षमता होगी और मैं/हम लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के लिए किसी विनिर्माण सुविधाओं को प्राप्त नहीं करूंगा/करेंगे।

5. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि वर्गीकृत सही क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना पर लगाए गए प्रतिबन्ध की नीति का उलंघन नहीं करूंगा/करेंगे।

6. (1) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि या तो मैं/हम आवेदक कम्पनी या कोई भी साझीदार/निदेशक यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत विवर्जन/निलम्बन/आस्थगन सूची के अन्तर्गत नहीं रखे गए हैं।

(2) मैं/हम एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम या आवेदक कम्पनी के कोई भी निदेशक/साझीदार विवर्जन निलम्बन/आस्थगन के अन्तर्गत रखी गई किसी अन्य कम्पनी के निदेशक/साझीदार/स्वामी नहीं हैं।

हस्ताक्षर (प्राधिकृत व्यक्ति) . . . .
नाम (बड़े अक्षरों में) . . . .
पदनाम . . . .
पूर्ण आवासीय पता . . . .
पूरा सरकारी पता . . . .
स्थान . . . .
तिथि
(हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति
प्रक्रिया पुस्तक के अनुसार देखे जाएं) . . . . . .

प्रपत्र का उपाबन्ध

(प्रपत्र का कालम-15)

वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के वर्ष से आरम्भ होने वाले पहले 5 वर्षों के दौरान चरणबद्ध मदों के लिए चरणबद्ध स्वदेशी कार्यक्रम।

(यह सूचना, जो प्रत्येक प्रस्तावित मद के लिए अलग से दी जानी अपेक्षित है, नीचे दिए गए प्रपत्र के अनुसार भेजी जाए और इस आवेदन पत्र के लिए अलग उपाबन्ध के रूप में संलग्न करें)

1. मदवार विवरण

(क) विनिर्माण की मद का नाम . . . . .

(ख) मद की क्रम सं० (जैसा कि कालम 8 में दिया गया है)

(ग) वर्षानुसार विवरण

	वर्ष				
	1	2	3	4	5
(1) उत्पादन की मात्रा					
(2) उत्पादन का अनुमानित कारखाना मूल्य (रुपए में) (शुद्ध उत्पाद शुल्क सहित)					
(3) आयातित संघटकों का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य . . .					
(4) आयातित कच्चे माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य . .					
(5) यदि उपर्युत (1) में दी गई सभी सामग्री आयात की गई है तो उत्पाद का लागत-बीमा-भाड़ा-मूल्य (रुपये में)					
(6) यदि आयातित उत्पाद अर्थात् (3)/(5) 100 के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए आयातित संघटकों के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य का प्रतिसंवाय					

परिशिष्ट-3ख—जारी

(7) यदि आयातित उत्पाद अर्थात् (4)/(5)100
के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के आयातित कच्चे माल के
लागत-भाड़ा-बीमा मूल्य का प्रतिशतांश

2. इसी प्रकार के प्रपत्र का प्रयोग करते हुए (निहित विनिर्माण की प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग) वर्षवार विवरण दें अर्थात् नाम प्रथम पांच वर्षों के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले सभी आयातित संघटकों की मात्रा और मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य)।

3. इसी प्रकार के प्रपत्र का प्रयोग करते हुए (निहित विनिर्माण की प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग) वर्षवार विवरण दें अर्थात् नाम, प्रथम पांच वर्षों के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले सभी आयातित कच्चे माल की मात्रा और (लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य)।

प्रपत्र का उपाबन्ध सं० 2

(प्रपत्र का कालम—18)

प्रतिस्थापन के मद्दे आयातों के मामले भरा जाना है।

(क) प्रतिस्थापित किया जाने वाला वर्तमान उपस्कर नया उपस्कर जो पुराने उपस्कर का प्रतिस्थापन होगा

अयस्क का नाम	स्थापित करने की तारीख	निर्धारित क्षमता	उपस्कर का नाम	विनिर्माण की तारीख	निर्धारित क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ख) वर्तमान मशीन के निपटान की व्यवस्था

(ग) उपस्कर प्रतिस्थापन की शर्त पर सनदी इंजीनियर का प्रमाणपत्र।

प्रपत्र का उपाबन्ध सं० 3

(प्रपत्र का कालम 19(क)

आयात के लिए आवेदित पूंजीगत माल का ब्यौरा :

मद का विवरण	कम्प्यूटर कोड सं०	मात्रा	प्रपत्र बीजक के अनुसार विदेशी मुद्रा में मूल्य मूल देश		
		उपस्कर का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	अतिरिक्त पुर्जे	भाड़ा	भाड़ा मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(आवेदक को आवेदित उपस्करों की सूची विज्ञापित विशिष्टि करणों से पूर्णतया मिलती है)।

प्रपत्र का उपाबन्ध सं० 4

प्रपत्र का कालम 20(घ)

पुरानी मशीनों के आयात के लिए सनदी इंजीनियरी के प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र

1. निरीक्षण की गई मशीनरी का ब्यौरा :

(1) तकनीकी विशिष्टिकरण के साथ विवरण/मशीनरी का तकनीकी पेम्फलेट/फोटोग्राफ भी संलग्न किया जाए

(2) देश और विनिर्माता का नाम

(3) मशीनों की क्रम सं०/अन्य पहचान चिह्न

(4) विनिर्माण का वर्ष

(5) वर्तमान विक्रेता के द्वारा मशीन की खरीद का वर्ष/क्या वह मशीन नई अथवा पुरानी खरीदी गई थी?

परिशिष्ट–3 ख—जारी

2. निरीक्षण का स्वरूप

(1) क्या मशीनरी का निरीक्षण प्रचलन स्थिति में किया गया था ?

(2) किए गए परीक्षणों के तकनीकी ब्यौरे/परीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जाए।

(3) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय अपनाए गए मानक

3. सनदी इंजीनियर की टिप्पणी/मूल्यांकन

(1) यदि कोई मुख्य सुधार किया गया हो/मरम्मत की गई हो तो उसकी लागत देते हुए उस फर्म के नाम और दिनांक की सूचना दें जिसने सुधार किया है/मरम्मत की है।

(2) मशीनरी की वर्तमान स्थिति और उसकी सम्भावित शेष आयु।

(3) निरीक्षण की गई मशीनरी में कौन सी तकनीकी उत्पादकता शामिल है, अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में उपलब्ध अद्यतन मशीनरी के साथ तुलना में प्रकाश डालते हुए प्रौद्योगिकी अन्तर का भी उल्लेख करें।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में ऐसी नई मशीनरी का अनुमानित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।

(5) सम्भरक द्वारा मांगी गई कीमत के औचित्य पर टिप्पणी और ऐसे मत के लिए आधार

(1) हस्ताक्षर

(2) नाम और पता

(3) शैक्षिक योग्यता

(4) व्यावसायिक संस्था/संगठन की सदस्यता

परिशिष्ट–3 ग

कम्प्यूटर/कम्प्यूटर सब सिस्टम/कम्प्यूटर बेस्ड सिस्टम के आयात के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

फाइल सं० ....

टिप्पणी :

1. यदि पूरी सूचना नहीं दी जाएगी तो आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. सभी ब्यौरे प्रपत्र के दिए गए स्थान के भीतर भरे जाने चाहिए। केवल अपवाद स्वरूप मामलों में इसी साइज के अतिरिक्त सम्बन्धित पृष्ठ जोड़े जाएं।
3. इसकी एक प्रति काफी है।
4. उपभोक्ता द्वारा या तो घर में अथवा कम्प्यूटर रख-रखाव निगम द्वारा रखे जाने वाले आयातित कम्प्यूटर सिस्टम/कम्प्यूटर से सम्बन्धित उपस्कर।
5. आयात करने के लिए प्रस्तावित मद सम्बन्धित तकनीकी साहित्य और बीजक-प्रपत्र की एक प्रति आवेदन-पत्र के साथ लगाई जानी चाहिए।

विषय :

....

....

........................द्वारा

........................का आयात

प्रेषक (विदेशी सम्भरक)

नाम ....

पता ....

....

....

माध्यम (भारतीय अभिकर्ता) :

नाम ....

पता ....

....

परिशिष्ट–3 ग—जारी

कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क/
लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य ....

1. उपभोक्ता की संदर्भ सं० ....

2. उपभोक्ता संगठन का नाम.................आई०ई०सी०. ....

3. पता : ....
....
....
.... पिन कोड ....

4. सम्पर्क व्यक्ति : ....
....
....
................पिन कोड ....

5. आयात की जाने वाली कम्प्यूटर की मदें (आकृति विवरण के सहित)

क्रम सं०	मॉडल सं०	विवरण	मात्रा सं०	जहाज पर्यन्त निःशुल्क/लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य	उद्गम देश	
					नाम	कोड

6. अतिरिक्त पुर्जे, औजार और परीक्षण उपस्कर (लागत) ....रुपए

7. दस्तावेजीकरण और प्रशिक्षण खर्च ....रुपए

8. भारतीय रुपए में एजेंसी का देय कमीशन/सेवा खर्च और भारतीय ऐजेंट का कार्य ....रुपए

9. संगठन की भूमिका

10. उपस्कर के अन्तिम उपयोग का स्पष्ट रूप से विवरण देते हुए प्रस्तावित कम्प्यूटर मदों के आयात के लिए औचित्य :

11. क्या श्रम मंत्रालय से इसकी स्वीकृति लेना अपेक्षित है? [हां] [नहीं]
यदि हां, तो पत्र की प्रति संलग्न करें।

12. सक्षम प्राधिकारी से बजट सम्बन्धी व्यवस्था कर ली गई .... रुपए

13. क्या कोई स्वदेशी सिस्टम आपकी आवश्यकता पूरी कर सकता है? [हां] [नहीं]

यदि हां, तो उसके कारण और आपके द्वारा स्वीकार किए गए सिस्टम का तुलनात्मक विवरण संलग्न किया जाना चाहिए।

14. क्या वर्तमान आयात विद्यमान कम्प्यूटर सिस्टम के संवर्द्धन के लिए है? [हां] [नहीं]
यदि हां, तो कृपया निर्दिष्ट करें

(क) विद्यमान कम्प्यूटर सिस्टम के सम्पूर्ण सिस्टम की आकृति :

(ख) संवर्धन :

(ग) आयात और प्रस्थापन की तिथि : आयात की तिथि प्रस्थापन की तिथि

(घ) मूल्य : जहाज पर्यन्त निःशुल्क ....रुपए
लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य ....रुपए

(ङ) चालू वर्ष के दौरान आगे किया गया कोई विकास :

परिशिष्ट 3 ग—जारी

15. आश्वासन अवधि (महीने)

16. आश्वासन के बाद रखरखाव खर्च : पहला वर्ष....................

दूसरा वर्ष ....

तीसरा वर्ष....................

17. आयात की जाने वाली प्रस्तावित मदों का तकनीकी साहित्य और प्रपत्र बीजक संलग्न करना है।

क्र० सं०	साहित्य का नाम	मात्रा (संख्या)	मूल्य

18. माल की सूची, प्रपत्र, बीजक-साहित्य और अन्य समर्थक दस्तावेजों के सहित प्रपत्र 'ई'' में सी० जी० अप्रवासी भारतीय (यथा लागू) आयात लाइसेंस आवेदन पत्र।

संदर्भ सं० ....

आवेदन-तिथि ....

फाइल सं० ....

19. [1] घर में उपयोकता द्वारा [2] सी० एम० सी० द्वारा रखे जाने वाला कम्प्यूटर सिस्टम/सम्बन्धित उपस्कर।

20. क्या कोई अतिरिक्त शीट संलग्न है ? [हां] [नहीं]

21. शुल्क भुगतान का विवरण

(1) बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संख्या ——————————

(2) जारी करने की तारीख ——————————————

दिन मास वर्ष

(3) मूल्य (रुपयों में)

(4) जारी करने वाली शाखा ——————————————

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. आवेदन पत्र फीस के लिए अपेक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट। [हां] [नहीं] [ ]

2. यदि लागू हो तो श्रम मंत्रालय की स्वीकृति। [हां] [नहीं] [ ]

3. आयात की जाने वाली कम्प्यूटर मदों का तकनीकी की साहित्य सूची पैम्फलेट। [हां] [नहीं] [ ]

4. आयात की जाने वाली मदों का प्रपत्र बीजक (7 प्रतियां) [हां] [नहीं] [ ]

परिशिष्ट-3 ग— जारी

5. यदि कोई स्वदेशी सिस्टम आवश्यकता को पूरा कर सकता है तो उसका औचित्य और स्वीकार किए गए सिस्टम का तुलनात्मक विवरण संलग्न किया जाना है।

हां	नहीं	

6. यदि आवेदक अप्रवासी भारतीय (एन० आर० आई०) है तो आयात लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र माल की सूची, प्रपत्र बीजक, साहित्य और अन्य समर्थक दस्तावेजों सहित प्रपत्र "ई" में सी० जी० एन० आर० आई० में दिया जाना है।

हां	नहीं	

उपयोक्ता के हस्ताक्षर ....

कार्यालय की मोहर ....

स्थान ....

दिनांक ....

घोषणा :

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मुझे/हमें आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस दिये जाने के लिये निलम्बित नहीं किया गया है।

उपयोक्ता के हस्ताक्षर ....

कार्यालय की मोहर ....

स्थान ....

दिनांक ....

आवेदित लाइसेंस का विवरण :

(लाइसेंस जारी करने वाले कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

(1) सेक्टर टाइप . . . . नाम ________ कोड | | |

(2) आयातक की श्रेणी . . . . नाम ________ कोड | | |

(3) लाइसेंस की श्रेणी . . . . नाम ________ कोड | | |

(4) संविदा की किस्म . . . . नाम ________ कोड | | |

(5) संसाधनों के प्रकार . . नाम ________ कोड | | | |

परिशिष्ट-3 ग—(जारी)

(6) मुद्रा क्षेत्र . . . . . | 1 | सामान्य | 2 | विशिष्ट

(7) आयात की जाने वाली वस्तु की पूंजी . . . नाम ______ कोड | | |

(8) नागरिकता स्थिति . . . . | 1 | भारतीय | 2 | अप्रवासी भारतीय

साफ्टवेयर निर्यात की परियोजना की स्कीम के अधीन कम्प्यूटर/कम्प्यूटर सिस्टम/कम्प्यूटर सब-सिस्टम के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र

टिप्पणी

1. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरने से पहले साफ्टवेयर निर्यात परियोजना के लिये लाइसेंसिंग अनुदेश और नीति को ध्यानपूर्वक पढ़ें । आवेदन पत्र सुपाठ्य और सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिये ताकि पत्राचार विलम्ब और अस्वीकृति से बचा जा सके ।
2. आवेदन पत्र कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि/ऋण स्कीम के मामले में अप्रवासी भारतीय द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए ।
3. मांगे गये और यथा लागू साक्ष्य और समर्थक दस्तावेज इस आवेदन पत्र के साथ लगे होने चाहिएं ।
4. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र को दो प्रतियां इलैक्ट्रानिकी विभाग, कम्प्यूटर निदेशालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली, को भेजी जानी आवश्यक है ।

1. आवेदक का विवरण

1.1 नाम ______ आई० ई० सी० ______

1.2 पंजीकृत पता ______

______

______

______ पिन ______

1.3 पत्राचार का पता ______

______

______ पिन ______

1.4 टेलीफोन टेलैक्स :

2. संगठन की किस्म

2.1 क्या कम्पनी | 1 | प्राइवेट | 2 | साझेदार | 3 | प्राइवेट लिमिटेड

| 4 | पब्लिक लिमिटेड है ।

परिशिष्ट-3-ग—जारी

2.2 क्या उपक्रम अधिनियम के अधीन पंजीकृत है | हां | नहीं |

2.3 लिमिटेड कम्पनी के मामले में पूंजीगत निवेश का ब्यौरा :

(1) प्राधिकृत पूंजी : ------------------------------रुपये

(2) जारी की गई पूंजी : ------------------------------रुपये

(3) अंशदायी पूंजी : ------------------------------रुपये

(4) यदि कोई विदेशी शेयर है, : ------------------------------रुपये

(5) विदेशी शेयर की प्रतिशतता : ------------------------------%

2.4 मालिकों/साझीदारों निदेशकों का नाम :

(पांच से अधिक के मामले में अतिरिक्त शीट लगाएं) :

1. ------------------------------ 2. ------------------------------

3. ------------------------------ 4. ------------------------------

5. ------------------------------

| हां | नहीं |

3. तकनीकी समर्थता :

कम्प्यूटर परियोजना प्रस्थापना आदि के कम्पनी के पूर्ववर्ती रिकार्ड को शामिल करें।

3.1 क्या संगठन ने घरेलू कम्प्यूटर अनुभव के लिये पहले कोई निर्यात किया है, कृपया निम्नलिखित विवरण देते हुए परियोजना की सूची प्रस्तुत करें (एक से अधिक के लिये अतिरिक्त शीट संलग्न कर)।

(क) नाम और संक्षिप्त विवरण ।

(ख) भारत सरकार के अनुमोदन आदि का विवरण ।

(ग) परियोजना का मूल्य ------------------------------रुपये।

(घ) कार्य की किस्म।

(ङ) क्या आपने गत वर्षों में साफ्टवेयर निर्यात के लिये कम्प्यूटर सिस्टम का आयात किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :

(1) आयात का वर्ष------------------------------

(2) आयात लाइसेंस सं०------------------------------

(3) आयातित मद का विवरण :

क्या अतिरिक्त शीट संलग्न की है | हां | नहीं |

3.2 निम्नलिखित का ब्यौरा देते हुए बतायें कि आप निर्यात सौदा कैसे प्राप्त करेंगे :

(क) परिचालन का क्षेत्र :

(ख) परियोजनाओं के निष्पादन की पद्धति :

(ग) बाजार बनाने की पद्धति :

(घ) कर्मचारियों के परिचय, प्रशिक्षण और नियोजित करने का कार्यक्रम :

4. आयातित कम्प्यूटर को उपयोग करने की योजना

4.1 कम्प्यूटर की स्थापना कहां की जानी है :

परिशिष्ट—3ग—(जारी)

4.2 कम्प्यूटर समय और निर्यात, परियोजना में लगाये जाने वाले कर्मचारियों का संभावित अनुपात:

4.3 लिये जाने वाले घरेलू कार्य की किस्म और ब्यौरा

5. साफ्टवेयर निर्यात का विवरण :—

1	2

5.1 प्राप्त किये गये पक्के के आदेशों का कुल मूल्य
(समर्थक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें)

अमरीकी डालर	रुपये

5.2 सम्भावित आदेशों का कुल मूल्य

अमरीकी डालर	रुपये

5.3 5 वर्षों के लिये वर्षवार निर्यातों से संभावित विदेशी मुद्रा अर्जन :—

क्रम सं०	वर्ष	1 अमरीकी डालर	2 रुपये	कुल मूल्य
1.		1	2	
2.		1	2	
3.		1	2	
4.		1	2	
5.		1	2	

5.4 कृपया बतायें कि निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिये प्रस्तावित कम्प्यूटर उपस्कर का आयात क्यों अनिवार्य है।

5.5 कृपया बतायें कि निर्यात स्थानीय उपलब्ध या प्रस्तावित कम्प्यूटर के उपयोग द्वारा क्यों नहीं पूरा किया जा सकता है।

5.6 कृपया कम्प्यूटर लागू करने के लिये निर्यात कार्यकलाप क्षेत्र की योजनाबद्ध किस्म, निर्दिष्ट, सहयोगी कम्पनियों, एजेण्टों आदि द्वारा किये गये आरम्भिक मार्किट अध्ययन के परिणाम और उनके ब्योरे बतायें।

5.7 कृपया उस विदेशी फर्म का विवरण निर्दिष्ट करें जिससे आपने साफ्टवेयर निर्यात के लिये सम्पर्क किया है।

परिशिष्ट—3 ग—जारी

6. आयात करने के लिये प्रस्तावित कम्प्यूटर सिस्टम की आकृति :—

6.1 माडल सं० टाइप/सं० मात्रा आदि सहित आकृति का विवरण :

क्रम सं०	मद का विवरण	मॉडल/टाइप	सं० में मात्रा	रुपये में मूल्य	उद्गम देश		पोत लदान का देश	
					नाम	कोड	नाम	कोड

6.2 (क) सिस्टम की लागत (जहाज पर्यन्त निशुल्क)— रु० ....

(ख) भाड़ा रु० ....

(ग) बीमा रु० ....

(घ) कुल लागत बीमा भाड़ा रु० ....

6.3 कृपया निर्दिष्ट करें कि प्रस्तावित कम्प्यूटर नया है या पुराना

1	पुराना	2	नया

(अगर पुराना है तो उसका विवरण)

6.4 एजेन्सी कमीशन अधिप्राप्य शुल्क (अगर देय है)

देश	मुद्रा	एजेन्सी कमीशन	रुपये 100/- बराबर

7. सिस्टम का रख-रखाव द्वारा किया जायेगा। 1. ने 2. विदेशी कम्पनी

8. कृपया निर्दिष्ट कीजिये कि आप सोफ्टवेयर निर्यात प्रोजेक्ट में पूंजी लगायेंगे :—

8.1 विदेशी एक्विटी रु० ....

(1) उपयोग किया हुआ अनुमानित धन रु० ....

(2) शेष उपलब्ध रु० ....

8.2 अप्रवासी भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा निवेश रु० ....

8.3 सम्भरक ऋण रु० ....

8.4 निजी विदेशी मुद्रा ऋण रु० ....

8.5 आई० एफ० सी०/आई० सी० आई० सी० आई०/राज्य वित्तीय निगमों से ऋण रु० ....

8.6 देशी संसाधन रु० ....

9. यदि कम्प्यूटर सिस्टम की ऋण योजना के अधीन आयात करने का प्रस्ताव है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें ?

9.1 विदेशी फर्म का नाम और पता जो कम्प्यूटर सिस्टम को ऋण पर दे रही है :—

(क) नाम ....

(ख) पता ....

..........पिन कोड ....

9.2 विदेशी फर्म का विवरण ?

9.3 सोफ्टवेयर का तकनीकी विवरण जिन्हें निर्यात के लिये विकसित करना है

(क) सोफ्टवेयर विकास का क्षेत्र ————————————————————

(ख) अन्य विवरण।

9.4 ऋण/सोफ्टवेयर निर्यात संविदा की अवधि:————————————————————महीने।

नोट : कृपया सोफ्टवेयर के निर्यात के लिये आवेदक द्वारा विदेशी फर्म से किये गये समझौते और कम्प्यूटर सिस्टम को ऋण पर देने की उनकी वचनबद्धता की प्रति संलग्न करें।
कृपया सोफ्टवेयर निर्यात संविदा की समाप्ति के बाद कम्प्यूटर सिस्टम के संभरक को उसे लौटाने पर आवेदक के शपथ-पत्र को संलग्न करें।

10. क्या आपका ओवरसीज कम्यूनिकेशन डाटा लिंक के माध्यम से सोफ्टवेयर का निर्यात करने का प्रस्ताव है।

[हां] [नहीं]

अगर हां, तो संचार मंत्रालय/एवं तार विभाग से हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां प्रस्तुत कीजिये।

11. भुगतान किये गये शुल्क का विवरण

(1) बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट . . . . .

(2) जारी करने की तिथि

(3) राशि रुपयों में . . . .

(4) जारी करने वाली शाखा

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. क्या कम्पनियों की पूर्ववर्ती परियोजनाओं क्या संलग्न है।
प्रतिस्थापनाओं आदि का रिकार्ड संलग्न है? पृष्ठ सं०

[हां | नहीं] [ ]

2. क्या संगठन का कोई पूर्ववर्ती निर्यात ऋण के अन्तर्गत है?
यदि है, तो क्या विवरण संलग्न किया गया है?

[हां | नहीं] [ ]

3. क्या यू० एस० डालर में फर्म के आर्डर के कुल मूल्य
का समर्थन करने वाले दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न है ?

[हां | नहीं] [ ]

4. क्या यू० एस० डालर में अनुमानित आर्डरों के कुल मूल्य
के लिय आशय पत्र की प्रतियाँ संलग्न हैं?

[हां | नहीं] [ ]

परिशिष्ट 3ग--जारी

5. क्या बीजक पत्र संलग्न किया गया है?

हां	नहीं	

6. क्या तकनीकी साहित्य/प्रस्तावित आयात की जाने वाली मदों का ब्यौरा संलग्न है?

हां	नहीं	

7. क्या कम्प्यूटर प्रणाली ऋण के अधीन आयात करने का प्रस्ताव है?

हां	नहीं	

यदि हां तो (क) क्या कम्प्यूटर प्रणाली की (ऋण पर देने वाली विदेशी फर्म और उद्यम के साथ संविदा की प्रति संलग्न है?

हां	नहीं	

(ख) क्या सोफ्टवेयर निर्यात संविदा के समाप्त होने के बाद कम्प्यूटर प्रणाली को उसके संभरक को लौटाने की आवेदक की वचन बद्धता संलग्न है?

हां	नहीं	

8. क्या फर्म कम्यूनिकेशन डाटा लिंक के माध्यम से साफ्टवेयर का निर्यात करने की इच्छुक है ?

हां	नहीं	

यदि है तो, क्या संचार मंत्रालय डाक एवं तार विभाग से हुए पत्राचार की प्रतियां संलग्न है?

हां	नहीं	

9. क्या आवेदन शुल्क हेतु अपेक्षित मूल्य की बैंक रसीद डिमांड ड्राफ्ट संलग्न है ?

हां	नहीं	

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मुझे आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के अधीन आयात लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित नहीं किया गया है।

स्थान--------------------- हस्ताक्षर-------------------

दिनांक--------------------- नाम साफ अक्षरों में------

परिशिष्ट–3ग—जारी

आवेदित लाइसेंस का ब्यौरा:
(जारी करने वाले कार्यालय द्वारा भरा जाए)

1. सेक्टर टाइप नाम ——————————————कोड [ ]

2. आयातक की श्रेणी नाम——————————————कोड [ ]

3. लाइसेंस की श्रेणी नाम——————————————कोड [ ]

4. समझौते का प्रकार नाम——————————————कोड [ ]

5. संसाधनों के प्रकार नाम——————————————कोड [ ]

6. मुद्रा क्षेत्र [1] सामान्य [2] विशिष्ट

7. आयात वस्तु की श्रेणी नाम——————————————कोड [ ]

8. नागरिकता [1] भारतीय [2] अप्रवासी भारतीय

परिशिष्ट–3 (घ)

खेलकूद के सामान के आयात के लिए पत्र का प्रपत्र
(केन्द्र/राज्य सरकार के खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग जैसा भी मामला हों, के माध्यम में दिया जाएं)

भाग–1

आई० ई० सी० ——————

1. आवेदक का नाम:

2. आयात किए जाने वाले माल का ब्यौरा:

क्रम सं० मद मात्रा लागत बीमा भाड़ा मूल्य

3. संस्थान संचालित है: केन्द्रीय/राज्य सरकार/निगम/धर्मार्थ संस्थान/अन्य (नाम दिया जाना है)

4. सरकार से प्राप्त अनुदान का विवरण ऐजेन्सी राशि (रुपयों में)

5. अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों का विवरण जिसमें भाग लिया अथवा ट्राफी जीती गई (केवल व्यक्तिगत खिलाड़ी) खेल ट्राफियां

6. आयात के औचित्य

7. यदि आयात निःशुल्क हो तो दाता का विवरण दें:

8. भुगतान किए गए शुल्क का विवरण:

घोषणा

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है और आयात किए गए जाने वाले माल का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिन के लिए उसका आयात किया जाना है तथा न ही इसे बेचा जाएगा और न ही किसी अन्य पार्टी द्वारा इसे प्रयोग में लाने के लिए किया दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर————————

नाम साफ अक्षरों में————————

स्थान

पदनाम ————————

दिनांक:

निवास का पूरा पता————————

दस्तावेज संलग्न किए जाएं

भाग—2

(प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा दो प्रतियों में भरा जाए)

1. सिफारिश किए गए माल का विवरण:

क्रम सं०	विवरण/नाम	मात्रा नगों में	मूल्य (रुपयों में)	शर्त, यदि कोई लगाई जानी है
1				
2				

2. क्या स्वदेशी निकासी प्राप्त की गई है, जहां कहीं आवश्यक हों हां नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा किए गए विवरण सत्यापित किए गए हैं और उन्हें सही पाया गया है ।

प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सील

परिशिष्ट—3—ङ

पट्टा कंपनी से सहमति पत्र का प्रपत्र

मैंने/हमने————————(वास्तविक उपभोक्ता का नाम और पता) निम्नलिखित पूंजीगत माल का आयात करने का निर्णय लिया है (ब्यौरे दिए जाने हैं)

पट्टा कम्पनी अर्थात्, मैसर्स ————————(पट्टा कम्पनी का नाम)द्वारा वित्तदान किया जाना है ।————————

————————के साथ (पट्टा कंपनी का नाम)————————(दिनांक) को हमारे द्वारा निष्पादित किए गए एक पट्टा करार में उल्लिखित शर्तों के अधीन उपरोक्त कंपनी आयात का वित्तदान करने के लिए सहमत हुई है । पट्टा करार की एक प्रति इसके द्वारा साथ संलग्न है ।

मुझे/हमें पट्टा वित्तदान स्कीम के अंतर्गत उपर्युक्त पूंजीगत माल के का आयात करने की अनुमति दी जाए)

मैं/हम————————(पट्टा कंपनी का नाम) निम्नलिखित पूंजीगत माल के आयात को वित्तदान करने के लिए सहमत हो गए हैं :—

(ब्यौरे दिए जाने हैं)

मैसर्स ————————(वास्तविक उपयोक्ता का नाम)————————(दिनांक) को निष्पादित किए गए पट्टा करार में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

मैं/हम अपने आपको जब और जैसे लाइसेंस जारी किया जाएगा उसकी शर्तों की अनुपालना करने के लिए बाध्य हूं/हैं ।

पट्टा कंपनी का नाम और पता

परिशिष्ट—3अ

आयात एवं निर्यात नीति 1990–93 (खण्ड–1) तथा परिशिष्ट 6 में उल्लिखित के अनुसार रिटर्न

प्रपत्र

दिन मास वर्ष

समाप्त छमाही के लिए रिटर्न

1. क्रम सं०

2. आयातक का नाम एवं पूरा पता
   (यदि संभव हो पिन कोड सं० सहित)

3. जहां मशीन प्रतिष्ठापित की गई है, उस स्थान का पूरा पता:

परिशिष्ट—3 क जारी

4. आयातक का कोड

5. प्रयातित पूंजीगत माल का विवरण

6. (क) मात्रा

(ख) मात्रा की यूनिट

7. आयात की लागत—बीमा भाड़ा मूल्य (हजार रुपए में)

8. अभ्युक्तिः

टिप्पणी: कृपया एक खाने में केवल एक मात्रा सहित अक्षर अथवा एक नम्बर ही लिखें। उदाहरणार्थ निदेशक, सांख्यिकी, मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात, उद्योग भवन नई दिल्ली–110011 को निम्न प्रकार लिखें :—

नि	दे	श	क	सां	ख्यि	की	मु	ख्य		
नि	यं	त्र	क	आ	या	त	ए	वं		
नि	र्या	त	उ	द्यो	ग	भ	व	न		
न	ई	दि	ल्ली	—	1	1	0	0	1	1

उदाहरण के लिए 31–3–90 को समाप्त छमाही की रिटर्न निम्न प्रकार होगी :—

दिन		मास		वर्ष	
3	1	0	3	9	0

परिशिष्ट-3-छ

विधिक करार का प्ररूप

(निर्यात बाध्यता के निष्पादन के लिए)

कम्पनियों की दशा में लागू

यह करार एक पक्षकार के रूप में . . . . .जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन नियमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय . . . . में है । (जिसे इसमें आगे "कम्पनी" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद-उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच तारीख . . . . . 199 . . को किया गया ।

भागीदारी फर्म की दशा में लागू ।

प्रबन्ध भागीदारों का नाम . . . . का पुत्र है, (ख) . . . . (भागीदार का नाम) जो . . . . का पुत्र है, (ग) . . . . भागीदारों का नाम जो . . . . का पुत्र है, आदि जो . . . . के नाम और अभिनाम से, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय . . . . में है । (जिसे इसमें आगे "फर्म" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं) कारोबार कर रहे हैं और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख . . . . 199 . . . . . को किया गया ।

एकमात्र स्वत्वधारी, स्वत्वधारी की दशा में लागू

यह करार एक पक्षकार के रूप में . . . . (एक मात्र स्वत्वधारी, स्वत्वधारियों का, के नाम) जो . . . का पुत्र है और . . . . नाम और अभिनाम से, जो एकमात्र स्वत्वधारी, स्वत्वधारी फर्म है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय . . . . में है (जिसे इसमें आगे "फर्म" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं), कारोबार कर रहा है और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख . . . . 199 . . . को किया गया ।

कम्पनी, फर्म को . . . . . . रुपए के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के संयंत्र मशीनरी और उपस्कर के आयात के लिए आयात अनुज्ञप्ति सं. . . . . तारीख . . . . . . मंजूर की गई है और, या (सरकार ने कम्पनी, फर्म . . . . (विदेशी फर्म का नाम) को सर्वश्री . . . . के साथ उसके प्रस्तावित विदेशी विनिधान, तकनीकी सहयोग व्यवस्था के निबंधन और शर्तें संसूचित कर दी है . . . . .इस सम्बन्ध में देखिए . . . . ।

और, या सरकार ने कम्पनी फर्म को औद्योगिक अनुज्ञप्ति पर्याप्त विस्तार क्षमता की मंजूरी के उसके प्रस्ताव को स्वीकृत के निबन्धन और शर्तें संसूचित कर दी है । इस सम्बन्ध में देखिए तारीख . . . . का आशय पत्र संख्या . . . . .

संयंत्र और उपस्कर के लिए उक्त आयात अनुज्ञप्ति विदेशी सहयोग के अनुमोदन, औद्योगिक अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या आशयपत्र की एक शर्त के रूप में सरकार ने यह अनुबन्ध किया है कि फर्म के लिए आवश्यक है कि वह . . . . . . .रुपए की विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष . . . . वर्ष की अवधि में उपार्जित करेगा अथवा . . . . . . वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाए । यह संशोधन इस करार का भाग रूप समझा जाएगा । (प्रत्येक मामले में ठीक-ठीक शर्त का अनुमोदन पूंजीगत माल समिति, विदेशी विनिधान बोर्ड अनुज्ञापन समिति द्वारा किया जाएगा) ।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि :—

1. कम्पनी, फर्म . . . . वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाए । (यह संशोधन इस करार का भाग रूप समझा जाएगा) प्रति वर्ष अपने उत्पादन (उत्पादों) अर्थात् . . . . जिनका मूल्य . . . . लाख रुपए से कम न हो । जो उसके उत्पाद के . . . . प्रतिशत से कम न हो) का उस समय निर्यात करके . . . . रुपए की विदेशी मुद्रा उपार्जित करेगी जब तक कि निर्यातों से प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा-उपार्जन की राशि . . . . रुपए नहीं हो जाती है ।

भूटान को किए गए निर्यात, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे और यदि नेपाल और अफगानिस्तान को मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान से भिन्न भुगतान पर निर्यात किए जाते हैं तो वे निर्यात, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे । यदि विदेशी सहयोग के लिए कोई करार हुआ है तो उसको भंग करते हुए किए गए निर्यात भी, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे ।

2. ऊपर वर्णित निर्यात संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने, उत्पादन के प्रारंभ होने के पश्चात् अठारहवें मास से प्रारंभ होना चाहिए । (संयंत्र को औद्योगिक लाइसेंस में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर चालू कर दिया जाएगा) यह आवश्यक है कि उत्पादन तारीख . . . . से प्रारम्भ हो जाए । कम्पनी, फर्म अपने मुद्रित पत्तशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचन-बद्ध होगी जिसमें आयात लाइसेंस के आधार पर संयंत्र और

परिशिष्ट-3-छ (जारी)

उपस्कर के चालू किए जाने की सही तारीख दी गई हो और जिस पर, यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर और कम्पनी, फर्म के विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप से किए गए प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर कम्पनी, फर्म की सामान्य मुद्रा, रबर स्टाम्प अंकित होगी। कम्पनी, फर्म यह प्रमाणपत्र संयंत्र और उपस्कर के उक्त रूप में चालू होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगी।

अथवा

कम्पनी, फर्म अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचनबद्ध होगी जिसमें संयंत्र और उपस्कर के लिए आयात लाइसेंस, विदेशी सहयोग के अनुमोदन, उद्योग (विकास और विनियम अधिनियम, 1956 के अधीन लाइसेंस या आशयपत्र के आधार पर उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के प्रारम्भ की सही तारीख दी होगी और जिस पर, यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर और फर्म के विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप से किए गए प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर फर्म की प्राधिकारिक मुद्रा अंकित होगी। फर्म यह प्रमाणपत्र उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के इस प्रकार प्रारम्भ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर देगी।

3. कम्पनी, फर्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर एक रिपोर्ट, मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात (निर्यात लाइसेंस सैल), नई दिल्ली को देगी और उसकी एक प्रति संबंधित संयुक्त, उप मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को और एक प्रति वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात उत्पादन अनुभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजेगी। इस रिपोर्ट में पूर्व वित्तीय वर्ष या इसके खण्ड 2 के अनुसार निर्यात शर्त के लागू होने के प्रथम वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष के एक भाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टयां दी जाएंगी :—

(क) उत्पादित प्रत्येक मद की बाबत (परिमाण के अनुसार) उत्पादन जो व्यवसाय किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किया गया हो जो कम्पनी, फर्म या उसकी संबद्ध संस्था का निदेशक, भागीदार या उसका कर्मचारी नहीं हो, किन्तु वह कम्पनी, फर्म का कानूनी लेखा परीक्षक हो;

(ख) निर्यात (परिमाण) और पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अनुसार) और साथ ही निर्यात किए गए माल की विशिष्टियां और उसके परिमाण और पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विशिष्टियां और उन देशों के नाम जिनको निर्यात किए गए हैं, जो किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हो जो कम्पनी, फर्म या उसकी संबद्ध संस्था का निदेशक, भागीदार या कर्मचारी नहीं हो; किन्तु कम्पनी, फर्म का कानूनी लेखा परीक्षक हो;

(ग) यूनिट द्वारा उत्पादन की कारखाने द्वारा लागत जिसमें से उत्पाद शुल्क, यदि को हो, घटा दिया गया हो, जो (व्यवसायरत) किसी ऐसे लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो जो कम्पनी, फर्म का भागीदार या उसका कर्मचारी नहीं हो। प्रमाण-पत्र में वह (व्यवसायरत) लागत लेखापाल यूनिट उत्पादित सभी मदों के उत्पादन की कुल कारखाना-द्वारा लागत भी उसमें से उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, घटा कर प्रदर्शित करेगा।

4. फर्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः मास के भीतर मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली या संबंधित संयुक्त, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को इस विनिर्दिष्ट निर्यात आभार की पूर्ति में पूर्व वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के मद्दे वसूल की गई विदेशी मुद्रा प्रदर्शित करने वाले बैंक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां और अन्य ऐसे दस्तावेज भी भेजेगी जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या संबंधित संयुक्त, उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात इस करार के निबंधक और शर्तों की पूर्ति में पूर्व वर्ष में उपार्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मांगे।

5. कुल निर्यात आभार उत्पादित सभी मदों के उत्पादन की कुल कारखाना द्वारा लागत में से उत्पाद शुल्क, यदि को हो, घटाकर निकाले गए मूल्य के, जो (व्यवसायरत) लागत लेखापाल द्वारा प्रमाणित हो, अनुसार अवधारित की जाएगी। परिमाण के अनुसार वस्तुतः किए गए निर्यातों की भी (व्यवसायरत) लागत लेखापाल द्वारा प्रमाणित कारखाने द्वारा लागत को उसमें से उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो घटाकर हिसाब में लेकर मूल्य में परिवर्तित किया जाएगा यदि निर्यात की गई मदों के उत्पादन को कारखाने द्वारा लागत की प्रतिशतता के रूप में उस निर्यात आभार की प्रतिशतता के बराबर है जो पक्षकार/लाइसेंसधारी पर (परिणाम के अनुसार अधिरोपित की गई है तभी यह समझा जाएगा कि फर्म ने अपने निर्यात का निर्वहन किया है)।

6. यदि किसी वर्ष विशेष में फर्म अपने उत्पादन के . . . . प्रतिशत का निर्यात करने में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है या असमर्थ है तो उस दशा में कम्पनी, फर्म संबंधित संयुक्त, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली, को पत्र द्वारा मांग कर उक्त पत्र की तारीख से तीस दिन के भीतर भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, परियोजना एवं उपस्कर निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम को अन्य ऐसे व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय को, जिसे सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली निर्देशित करे। (जिसे इसमें आगे 'अभिकरण' कहा गया है), अभिकरण द्वारा निर्यात के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित . . . . के संबंध में वार्षिक वचनबद्धता, आभार और उनके वास्तविक निर्यात (जो . . . . प्रतिशत से अधिक नहीं होगी) के बीच का अंतर ऐसी कीमतों पर सौंप देगी जो वह विदेशों में प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी, फर्म इसके साथ ही इतनी

रकम का जो, निर्यात आभार के 5 प्रतिशत के बराबर किन्तु 5 लाख रु. से अधिक न हो, भुगतान अभिकरण को, परिनिर्धारित नुकसान के रूप में करेगी । अभिकरण उक्त . . . . के निर्यात और उसके विक्रय आगम की वसूली के पश्चात् यथासंभव शीघ्र फर्म का ऐसे निर्यात पर अभिकरण द्वारा उपार्जित वास्तविक विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपए, उसमें से ऐसे व्यय (जिसके अंतर्गत अभिकरण का सामान्य कमीशन भी है) काट कर देगा जो अभिकरण ने किए हैं । यदि इस प्रकार मनोनीत अभिकरण परिनिर्धारित नुकसानी से अधिक व्यय करता है जो कि संबद्ध अभिकरण को दिए गए माल की बिक्री, निपटान मूल्य के मद्दे किसी भी कारणों से समेकित नहीं किए जा सकते हैं, तो इस प्रकार किया गया अधिक व्यय सरकार द्वारा कम्पनी से पुनः प्राप्त किया जाएगा ।

जहां निर्यात आभार की पूर्ति नहीं की जाती है वहां परिनिर्धारित नुकसानी की रकम उत्पादन की कारखाना द्वारा कमीशन में से उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, घटाकर उसके आधार पर परिकलित की जाएगी । वस्तुतः कौन-सा माल सौंपा जाएगा यह बात सरकार द्वारा चुने गए निर्यात अभिकरण के विकल्प पर छोड़ दी जाएगी और सौंपे जाने वाले माल का कुल मूल्य फर्म द्वारा उत्पादित मदों के उत्पादन की कुल कारखाना—द्वारा लागत और वस्तुतः निर्यात की गई या निर्यात की जाने वाली मदों के उत्पादन की कारखाना द्वारा लागत में से उत्पाद शुल्क यदि कोई है, घटाकर आने वाली रकम के बीच का अंतर निकाल कर किया जाएगा ।

उक्त आधार पर परिकलित रकम का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए या किसी स्कीम के अधीन (सीधे ही या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से किए गए) ऐसे निर्यातों पर किन्हीं फायदों का दावा करने के लिए नहीं किया जाएगा ।

7. अनुबंधित वार्षिक निर्यात वचनबद्धता, आभार और किए गए वास्तविक निर्यात के बीच के अंतर को प्रतिरूपित करने वाला मूल्य और/या परिणाम और परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में, वार्षिक निर्यात आभार के 5 प्रतिशत, को प्रतिरूपित करने वाली रकम का भी अवधारण संयुक्त, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली और उक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम और कम्पनी पर आबद्धकर होगा । मूल्य और/या परिमाण का अवधारण करते समय उक्त प्राधिकारी यदि आवश्यक समझे तो अपने विवेकानुसार फर्म को ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जो वह कम्पनी, फर्म इस प्रयोजन के लिए मूल्य और परिमाण के अवधारण के समर्थन में दे सकती है ।

8. यदि किसी वर्ष कम्पनी, फर्म इसमें अभिकथित निबंधों और शर्तों में अपेक्षित अपने उत्पादन के . . . . . प्रतिशत से अधिक . . . . का निर्यात करती है तो ऐसा आधिक्य पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) में कमी, यदि कोई हो में से पूरा किया जा सकेगा ।

9. यदि किसी वर्ष कम्पनी, फर्म अपने आभारों की पूर्ति में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है तो केवल उस दशा को छोड़कर जिसमें ऐसे आभार की पूर्ति सरकार की किसी विधि, आदेश, उद्घोषणा विनियम या अध्यादेशों के कारण नहीं हो पाई थी या विलंब से हो पाई थी, सरकार को यह हक और स्वतंत्रता होगी कि वह फर्म द्वारा उत्पादित . . . . का उस सीमा तक कब्जा ले जो उक्त खंड 7 में उल्लिखित है और अन्य ऐसी कार्रवाई करे जो वह परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने के अतिरिक्त आवश्यक समझे । सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किया गया आदेश अंतिम और फर्म पर आबद्धकर होगा और फर्म ऐसे आदेश का अशर्त अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध है । लेकिन, वह आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और इसके अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अधीन की गई किसी अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना होगा । कम्पनी द्वारा परिनिर्धारित नुकसान का भुगतान न करने पर ऐसे परिनिर्धारित नुकसान कम्पनी को किसी भी देय नकद अनुदान से पुनः प्राप्त किए जाएंगे ।

10. इस विलेख या इसके अधीन निष्पादित किसी दस्तावेज पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है तो वह अनन्य रूप से कम्पनी, फर्म द्वारा किया जाएगा ।

निगमित कम्पनी की दशा में लागू ।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस पर सामान्य मुद्रा लगा दी गई है तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री . . . . ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर . . . . की सामान्य मुद्रा लगा दी गई है तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री . . . . ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

इस विलेख में नामित कम्पनी की सामान्य मुद्रा इस पर (1) . . . . के लिए और उनकी ओर से श्री . . . . निदेशक . . . . .

(1)

हस्ताक्षर
(निवास स्थान का पता)

और (2) . . . . के लिए और उनकी ओर से,
श्री . . . ., निदेशक

हस्ताक्षर
(निवास स्थान का पता)

(2)

की उपस्थिति में लगाई गई है
और ये निदेशक कम्पनी के निदेशक . . . .

परिशिष्ट-3 छ (जारी)

कोर्ट की तारीख . . . . को

हुए अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा इस प्रयोजन

के लिए सम्यक् रूप से

प्राधिकृत किए गए हैं और इन्होंने

1. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

2. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए उनकी ओर से

श्री . . . . .ने

1. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

2. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

1. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

2. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

भागीदारी फर्म की दशा में लागू

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर फर्म की रबड़ मोहर लगा दी गई है तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री . . . . ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

फर्म की रबड़ की मोहर

नाम . . . . (क) हस्ताक्षर . . . .

(क) प्रबंध भागीदार . . . . (ख) हस्ताक्षर . . . . . .

(निवास स्थान का पता)

(ख) भागीदार

नाम . . . . (ख) हस्ताक्षर . . . .

(निवास स्थान का पता)

(ग) भागीदार

नाम . . . . (ग) हस्ताक्षर . . . .

(निवास स्थान का पता)

साक्षी

1. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

2. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

भारत के राष्ट्रपति के लिए उनकी ओर से

श्री . . . . ने

1. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

2. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

एकमात्र स्वत्वधारी/एकमात्र स्वत्वधारी के नाम या सभी स्वत्वधारी फर्म की स्वत्वधारियों के नाम . . . .

. . . . दशा में लागू।

. . . .

. . . .

फर्म की रबड़ की मोहर

(निवास स्थान का पता/पते)

साक्षी

1. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

2. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

भारत के राष्ट्रपति के लिए उनकी ओर से

श्री . . . . ने

1. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

2. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

बंधपत्र/करार के निष्पादन के विषय में मार्गदर्शन के लिए टिप्पण

(i) विधिक करार भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अधीन संबंधित राज्य में लागू पर्याप्त मूल्य के न्यायकेतर स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(ii) विधिक करार पर निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत दो निदेशकों के और दो साक्षियों के हस्ताक्षर होने चाहिएं, तथा उनके पदनाम और पते लिखे जाने चाहिएं और कम्पनी की सामान्य मुद्रा लगाई जानी चाहिए।

(iii) विधिक करार के प्रत्येक पृष्ठ पर कंपनी के दो निदेशकों/फर्म के सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए।

(iv) कंपनी जिस पत्र के साथ विधिक करार आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक/अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजती है उनमें इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि निदेशकों और साक्षियों के हस्ताक्षर तथा लगाई गई सामान्य मुद्रा असली है या नौटरी पब्लिक से प्राप्त उस आशय का एक प्रमाणपत्र भेजा जाए ।

परिशिष्ट 3–छ का उपाबन्ध

उत्पादन/निर्यात निष्पादन आदि के उत्पादन फैक्ट्री पर मूल्य को दिखाने वाला विवरण

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को निष्पादित विधिक करार के अनुसार (पुस्तक के पैरा 197 के संदर्भ में) .... वित्तीय वर्ष के लिए

1. फर्म का नाम
2. निर्यात आभार के अन्तर्गत यूनिट का स्थल
3. आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस/विदेशी सहयोग का अनुमोदन
   महानिदेशालय तकनीकी विकास के पंजीकरण की सं० और तिथि
4. मुख्य नियंत्रक, आयात/निर्यात द्वारा स्वीकार्य कानूनी करार की स्वीकृति की संख्या और तिथि
5. उत्पादन/अतिरिक्त उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि
6. निर्यात आभार प्रारम्भ करने की तिथि और उसकी अवधि
7. निर्यात आभार की शर्तें

उत्पादन आंकड़े

क्रम संख्या	निर्यात आभार के अधीन विनिर्मित मद (मदें)	कुल उत्पादन	कुल उत्पादन	अतिरिक्त उत्पादन (जहां लागू हो)	उत्पादन का फैक्ट्री पर मूल्य उत्पादन शुल्क को छोड़कर यदि कोई हो	कालम 3(ग) के अनुसार उत्पादन की प्रति यूनिट लागत
1	2		(3क)	(3ख)	(3ग)	(3घ)

लगाया गया निर्यात आभार और निम्नलिखित के अनुसार पूरा करने की शर्तें			निम्नलिखित के अनुसार किया गया वास्तविक निर्यात		कालम 5(क) के अनुसार किए गए निर्यातों की संख्या मात्रा को रुपया मूल्य में परिवर्तित करके 5(क) की मात्रा के साथ गुणा करके कालम 3(घ) के अनुसार उत्पादन का फैक्ट्री पर मूल्य	निम्नलिखित के अनुसार निर्यात आभार के मद्दे निर्यातों में अधिशेष कमी	
उत्पादन/अतिरिक्त उत्पादन की प्रतिशतता	मात्रा	मूल्य	मात्रा	रुपए		मात्रा	मूल्य (रु०)
4(क)	4(ख)	4(ग)	5(क)	5(ख)	6	7(क)	7(ख)

देशों के नाम जिन्हें निर्यात किया गया हो	निर्यात से प्राप्त की गई राशि			अभ्युक्तियां, यदि कोई हों
	किए गए निर्यातों हेतु भारतीय रुपए में कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	निर्यातों के लिए कालम 9 (क) के मद्दे भारतीय रुपयों में जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की वास्तविक प्राप्ति	यदि ख की अधिप्राप्ति (क) के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से कम है, तो कमी के कारण और शेष को प्राप्त करने हेतु किए गए उपाय	
8	9(क)	9(ख)	9(ग)	10

परिशिष्ट—3छ का उपाबन्ध (जारी)

तृतीय निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र
(स्वत्वत्याग प्रमाण–पत्र)
मुख्य/संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात–निर्यात

————————————

————————————

————————————

महोदय,

1. हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि हमने मैसर्स .... द्वारा विनिर्मित निर्यातों के मद्दे कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

2. हमें मैसर्स .... के निर्यात आभार के मद्दे उपरोक्त निर्यात को हिसाब में लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।

3 हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स .... के बीजक के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार प्राप्त सारा माल हमने अपने विभिन्न बीजकों के अधीन निर्यात कर दिया है।

4. हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त निर्यात के मद्दे हमने विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली थी।

5. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि आयात नियंत्रण आदेश 1955 के अधीन उपरोक्त निर्यात की सम्पूर्ण अवधि के दौरान हमें लाइसेंसों/आर० ई० पी० लाभों आदि को प्राप्त करने से विवर्जित नहीं किया गया है।

6. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमें—कार्यालय द्वारा आयातक–निर्यातक आई ई सी कोड नं० आबंटित की गयी है।

भवदीय,
कार्यालय सील आदि सहित
पार्टी का नाम

(उपरोक्त प्रमाण–पत्र पार्टी के मुद्रित पत्र शीर्ष पर दिया जाना चाहिए)

————————————————————————

परिशिष्ट 4—क

सरणीबद्ध करने वाले अभिकरणों द्वारा सरणीबद्ध की गई मदों के आबंटन के लिए आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम ....

2. पूरा डाक पता ....

3. कारखानों के स्थान का पता ....

4 उद्योग का नाम ....

5. विनिर्मित अन्तिम उत्पाद का नाम ....

6. क्या यूनिट लघु उद्योग क्षेत्र/तकनीकी विकास महानिदेशालय/गैर तकनीकी विकास महानिदेशालय/गैर–लघु उद्योग है ....

7. जहां कहीं लागू हो, प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा आबंटित पंजीकरण, संख्या/उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए लाइसेंस सं० एवं दिनांक ....

8. अपेक्षित, सरणीबद्ध मदों के ब्यौरे (इस्पात और फेरो अलाय/मद के सम्बन्ध में) विस्तृत विशिष्टीकरण, और साइज आदि के ब्यौरे के साथ

9. अपेक्षित सरणीबद्ध मदों की मात्रा/लागत–बीमा–भाड़ा मूल्य ....

10. यदि माल निश्चित चरणों में मंगवाना हो, यदि कोई हो तो ....

11. (1) मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि जिन वस्तुओं के आबंटन के लिए यह आवेदन पत्र दिया गया है, उन वस्तुओं को उपर्युक्त पते पर पंजीकृत हमारी अपनी फैक्ट्री .... के विनिर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा (तैयार उत्पाद का नाम निर्दिष्ट करना है) जिसके लिए मैंने हमने .... के पास पंजीकरण करा रखा है पंजीकरण न तो वापस किया गया है और न ही रद्द किया गया है और न ही निलम्बित किया गया है।

(2) मैं/हम क्रम सं० 5 पर उल्लिखित माल का विनिर्माण करने के लिए विधिवत् पंजीकृत/अनुमित हूं/हैं और मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि क्रम सं० 8 पर उल्लिखित सरणीबद्ध मदों का क्रम सं० 5 पर उल्लिखित माल के उत्पादन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यकता है।

परिशिष्ट—4—क—जारी

(3) मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि हमें माल, आबंटित किया गया तो उसे उपर्युक्त वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए हमारी फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा और, यह इस्तेमाल औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुसार होगा और इसकी थोड़ी सी मात्रा भी किसी अन्य पार्टी को बेची नहीं जाएगी और न ही किसी अन्य पार्टी को इसे इस्तेमाल करने या किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।

(4) मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मांगी गई मात्रा/मांगे गए मूल्य के समान से (लाइसेंसिंग वर्ष के लिए) हमारी अधिक से अधिक 12 मास की जरूरत पूरी की जाएगी।

(5) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही हैं। मैं/हम यह अच्छी तरह जानता हूं/जानते हैं कि यदि इस विवरण में दिया गया कोई ब्यौरा असत्य, गलत या भ्रामक पाया गया हो तो इस आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर मुझे/हमें आबंटित किया गया सामान न केवल जब्त किया जाएगा बल्कि यथा-संशोधित आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन अन्य समुचित कार्रवाई भी की जाएगी।

(6) मैं/हम यह बात भी भली भांति समझता हूं/समझते हैं कि सरणीबद्ध मदों का आबंटन आयात व्यापार नियन्त्रक विनियमावली के अधीन सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के माध्यम से किया जाता है और मुझे/हमें इस प्रकार का कच्चा माल रिलीज करने की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर या इसमें माल का दुरुपयोग किए जाने पर यथासंशोधित आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके उपबन्धों और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार मेरे/हमारे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

(7) मैंने/हमने आयात-निर्यात नीति/प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 में दिए गए उपबन्ध नोट कर लिए हैं।

(8) मुझे/हमें लाइसेंसिंग वर्ष के लिए आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 8 के अधीन अपात्र घोषित नहीं किया गया है।

1. हस्ताक्षर और तारीख...............
2. स्पष्ट अक्षरों में नाम...............
3. कार्यालय का पूरा पता...............
4. रिहायशी पता...............

स्थान :
दिनांक :

परिशिष्ट—4ख

वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा सरणीबद्ध मदों के सीधे आयात के लिए सरणीबद्ध अभिकरणों द्वारा "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए प्रपत्र

(सरणीबद्ध अभिकरण का नाम और पता)

सं. ....

दिनांक ......

सेवा में,

लाइसेंसिंग प्राधिकारी

विषय :—........ के सीधे आयात के लिए (मद का नाम निर्दिष्ट करें) : अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

जबकि मैसर्स........

(आवेदक का नाम और पता)

ने अपने पत्र सं. .... दिनांक .... आयात एवं निर्यात नीति, 1990-93 (खण्ड 1) के परिशिष्ट-5 भाग क/भाग ख में क्रम सं. .... में निहित .... रु मूल्य के .... (मात्रा) के आवेदन के लिए एक मांग (मद का नाम, आकार एवं विशिष्टीकरण के साथ यदि कोई हों) पंजीकृत कराई है और जबकि हम प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 के .... पैरा 210 के अनुसार 60 दिनों की अवधि के भीतर और सप्लाई के लिए .... इन कारणों से व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं हमें एतद्द्वारा.. .... मात्रा के सीधे मैसर्स ....

(आवेदक का नाम और पता)

द्वारा .... रुपए लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और मद का (आकार एवं विशिष्टीकरण के साथ यदि कोई हों) आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा हमें इस प्रयोजन के लिए आबंटित मुद्रा में से जुटाई गई है।

3. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल तीन महीनों के लिए वैध है।

दिनांक

भवदीय,
हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम कार्यालय मोहर के साथ)

प्रति :—

(1) मैसर्स ....

(आवेदक का नाम और पता)

आयात एवं निर्यात नीति, 1990-93 (खण्ड 1) और प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित आयातों के और सम्बद्ध प्राधिकारियों को भेजे जाने चाहिएं।

(2) सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय।

परिशिष्ट—4 ग

सरणीबद्ध मदों के सीधे आयात के लिए शपथ-पत्र का प्रपत्र

जबकि मैसर्स . . . . के . . . .
(कम्पनी का नाम और पता) (बैंक का नाम)
मैं/हमने . . . . की
(मद का विवरण, मात्रा और अन्य ब्यौरे)
सप्लाई के लिए मेरी/हमारी मांग . . . . को
सरणीबद्ध अभिकरण का नाम
पंजीकृत डाक रसीद सं. . . . . दिनांक . . . . द्वारा अपने पत्र सं. . . . . दिनांक . . . . द्वारा भेजी है व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की है ।

2. जबकि मेरी/हमारी आवश्यकता . . . .
(सरणीबद्ध अभिकरण का नाम)
द्वारा . . . . को पंजीकृत की गई है ।
(दिनांक)

3. जबकि मैं/हमने पेशगी धनराशि क्रास चैक/बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी सं. . . . . दिनांक . . . . . . द्वारा . . . . से/के नाम . . . .
(बैंक का नाम) (दिनांक)
को जमा कर दी है ।

4. जबकि मुझे/हमसे . . . . द्वारा
(सरणीबद्ध अभिकरण)
वित्तीय व्यवस्थाएं करने के लिए नहीं पूछा/पूछा गया था देखें पत्र सं. . . . . विनांक . . . . . . और मैं/हमने . . . . द्वारा
(वित्तीय व्यवस्था के ब्यौरे)
अपेक्षित वित्तीय व्यवस्थाएं कर ली हैं, सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा धनराशि के भुगतान की तिथि दी जानी चाहिए।

5. जबकि मैसर्स . . . .
(सरणीबद्ध अभिकरण)
पेशगी धनराशि/संतोषजनक वित्तीय व्यवस्था करने (इनमें से जो भी बाद में हो) के संबंध में मांग के पंजीकरण/नकद भुगतान/क्रास चैक की वसूली के 60 दिनों के भीतर सप्लाई करने में असफल रहे हैं।

6. मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा एवं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 के पैरा 210 में यथा व्यवस्थित पंजीकृत मांग के 50 प्रतिशत तक के सीधे आयात लाइसेंस देने के लिए शर्तों का पालन किया है।

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण ठीक है और कुछ भी छिपाया नहीं है। मैं/हम पूर्ण रूप से समझता हूं/समझते हैं कि यदि यह पाया गया कि प्रस्तुत किए गए विवरण पत्र में कोई विवरण या तथ्य गलत या झूठा है तो प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के आधार पर मुझे/हमें जारी किया गया आयात लाइसेंस यथासंशोधित आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और इसके अधीन जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पूरा पता . . . .
घर का पूरा पता . . . .

मेरे समक्ष आज . . . . दिनांक 199 को शपथ ली गयी।

नाम तथा मोहर . . . . . .

शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक/प्रथम अधिकारी श्रेणी मजिस्ट्रेट ।

**सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा धनराशि के भुगतान की तारीख यहां दी जाए ।

परिशिष्ट—4ब

सारणीबद्ध अभिकरणों द्वारा माल आयात करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

प्रपत्र—ज

1. आवेदक का नाम————————————आई० ई० सी०————————
2. पता ————————
————————
————————
पिन कोड ————————
3. भुगतान किए गए शुल्क का विवरण :
(1) बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संख्या————————
(2) जारी करने की तारीख..............................
(3) राशि (रुपयों में)..............................
(4) जारी करने वाली शाखा..............................
4. वह लाइसेंसिंग अवधि जिसके सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिया गया है————————
5. आयात किए जाने वाले माल का विवरण :

क्र०सं०	माल का विवरण		परिमाप की यूनिट	मात्रा	रुपये में मूल्य (लागत बीमा भाड़ा)	उद्‌गम का देश		पोतलदान का देश	
	नाम	मद कोड				नाम	कोड	नाम	कोड

6. आयात के लिए वित्तीय अनुमति

क्या विदेशी मुद्रा स्वीकृत हो गई है — हां / नहीं
यदि हां, तो ब्यौरा दें
(स्वीकृति की मूल प्रति संलग्न करें)

1 — वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

2 — किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी की गई विदेशी मुद्रा

जारी की गई विदेशी मुद्रा की धनराशि————————रुपये में

7. क्या आवेदक द्वारा उपर्युक्त 6 के मद्दे कालम 5 में यथा उल्लिखित उसी क्रम सं० के अधीन कोई आवेदन पत्र पहले भी दिया है,

यदि हां, तो विवरण दें — हां / नहीं

8. आवेदित लाइसेंस के ब्यौरे
(1) सेक्टर टाइप————————कोड

परिशिष्ट—4ध—जारी

(2) आयातक श्रेणी ———————————————— कोड [|]

(3) लाइसेंस श्रेणी ———————————————— कोड [|]

(4) समझौते का स्वरूप ———————————————— कोड [|]

(5) संसाधनों का स्वरूप ———————————————— कोड [| |]

(6) मुद्रा क्षेत्र [1] सामान्य [2] विशिष्ट

(7) आयातित वस्तु की श्रेणी

नाम कोड [|]

————————

(8) नागरिकता की स्थिति [1] भारतीय [2] अप्रवासी भारतीय

9. आवेदन-पत्र के साथ संलग्न संलग्नकों का पूरा ब्यौरा नीचे दिए गए विवरण में भेजना चाहिए (प्रत्येक दस्तावेज की प्रति उपक्रम के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा सत्यप्रति के रूप में साक्ष्यांकित होनी चाहिए)

क्रम सं०	दस्तावेज
(1)	
(2)	
(3)	

(1) मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है।

(2) मैं/हम भली प्रकार समझता हूं/समझते हैं कि प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर मुझे/हमें दिए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है यदि उसमें दिया गया विवरण गलत या भ्रामक पाया जाए तो इस बारे में की जाने वाली अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) मैं/हम आगे यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हम इस आवेदन-पत्र में आवेदित विवरण के माल के सम्बन्ध में सरणीबद्ध अभिकरण के रूप में आयात लाइसेंस के लिए प्रहर्तांप्राप्त है।

(4) मुझे/हमें आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस दिए जाने के लिए बहिष्कृत नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ————————

साफ अक्षरों में नाम ————————

पदनाम ————————

कार्यालय का पूरा पता ————————

आवास का पूरा पता ————————

स्थान ————————

तिथि ————————

संलग्नकों की सूची

परिशिष्ट—4क

सरणीबद्ध एजेंसियों के पते

1. बालमेर लारी एण्ड कं०,
21, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता—700001
2. केन्द्रीय सिल्क बोर्ड,
यूनाइटेड मन्शन्स,
दूसरी मंजिल,
39, महात्मा गांधी मार्ग,
बंगलोर—560001
3. भारतीय कापस निगम,
एयर इण्डिया बिल्डिंग,
12वीं मंजिल, नारीमन प्वाइंट,
बम्बई—400021
4. भारतीय खाद्य निगम,
16—20, बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली—110001
5. भारतीय पटसन निगम,
1, शेक्सपीयर सरणी,
कलकत्ता—700016
6. भारतीय तेल निगम,
इण्डियन आयल भवन,
जनपथ, नई दिल्ली—110001
7. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम,
(एम०एम०टी०सी०),
एक्सप्रेस बिल्डिंग,
9—10 बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली—110002
8. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०,
(एस० टी० सी०),
"चन्द्र लोक", 37—जनपथ,
नई दिल्ली—110001
9. धातु कतरन व्यापार निगम, 225—ई,
आचार्य जगदीश बोस रोड,
कलकत्ता—700001
10. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम,
शिव सागर एस्टेट,
'डी' ब्लाक, 5वीं मंजिल,
डा० एनी बेसेंट रोड, वोर्ली,
बम्बई—400018
11. स्टील अथारिटी आफ इंडिया
हंसालय बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली—110002
12. इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०
डाकघर पैट्रोकेमिकल्स जिला बड़ौदा—391346
(गुजरात)
13. इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलाजी डिपार्टमेंट,
कारपोरेशन लि०, अकबर होटल एनेक्सी,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली—110021
14. हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन लि०,
कुन्दन हाउस, 16 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019

परिशिष्ट—4ख

सारणीबद्ध मदों के सम्बन्ध में सीधे आयात को दिखाने वाला विवरण

लाइसेंसधारी का नाम और पता	जिन लाइसेंसो के मद्दे सरणीबद्ध मदें आयात की गई हैं उनकी संख्या दिनांक इत्यादि का विवरण	सरणीबद्ध मदों का ब्योरा	सरणीबद्ध मदों की मात्रा और मूल्य	उन निदेशों सम्भरकों का नाम जिनसे कालम 4 में उल्लिखित सरणीबद्ध मदें आयात की गई हैं	वह यूनिट मूल्य जिस पर मद आयात की गई है।	प्रविष्टि बिल की संख्या और सीमा शुल्क कार्यालय	अभियुक्ति

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण में दिए गए ब्यौरे जहां तक मेरी/हमारी जानकारी है, ठीक हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं/हम, यह मानता हूं/मानते हैं कि यदि कोई भी सूचना गलत या भ्रामक पाई गई तो मेरे/हमारे विरुद्ध आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

नाम.......................
पदनाम.......................
दिनांक.......................
आयातक का नाम ....
स्थान.......................
....

परिशिष्ट—5क

आटोमेटिक लाइसेंस दिए जाने के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

____

____

____

(सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी का पदनाम तथा पता)

विषय :—अवधि के लिए आटोमेटिक लाइसेंस दिए जाने के लिए।

महोदय,

मैं/हम एतद् द्वारा आयात-नीति तथा प्रक्रिया 1990–93 के अन्तर्गत स्वीकार्य मूल्य के आटोमेटिक लाइसेंस दिए जाने के लिए अनुरोध करता हूं/करते हैं।

2. इन प्रयोजनों के लिए अनुपूरक लाइसेंस के दिनांक——————के आवेदन-पत्र की एक प्रति जिनकी मूल प्रति प्रायोजक प्राधिकार नाम के माध्यम से भेजी गई है। इसके साथ संलग्न की जा रही है।

3.——————————द्वारा जारी——————————रु० मूल्य का (सीमाशुल्क तथा विदेशी मुद्रा दोनों प्रयोजनार्थ) मूल अनुपूरक लाइसेंस संख्या——————दिनांक——————भी इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

4. विधिवत प्रमाणित निर्यात निष्पादन प्रमाण पत्र संख्या——————दिनांक——————————की फोटो प्रति भी इसके साथ संलग्न (निर्यात करने वाले यूनिटों के मामले में भेजी जानी है) की गई है।

अनुलग्नकों की सूची

1.——————————

2.——————————

3. ——————————

परिशिष्ट—5ख

अनुपूरक लाइसेंस देने के लिए संस्तुति के मामलों में प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र

1. (क) प्रायोजक प्राधिकारी का नाम।
   (ख) आवेदित यूनिट का नाम।
2. अंतिम उत्पाद।
3. क्या लघु उद्योग क्षेत्र यूनिट या वृहद उद्योग क्षेत्र की है?
4. क्या नई यूनिट या प्रस्तावित यूनिट का वर्तमान यूनिट है?
5. लाइसेंसिंग वर्ष जिससे आवेदन पत्र सम्बन्धित है।
6. आयात आवेदन-पत्र की तारीख
7. प्रायोजक प्राधिकारी की संस्तुति

क्रम सं०	विशिष्टीकरणों, ग्रेडों एवं आकारों सहित मद का ब्यौरा	विशिष्ट प्रविष्टि सं०/नीति की परिशिष्ट सं० जिसमें वह मद आती है	मात्रा	लागत	लागत बीमा भाड़ा (मूल्य रु० में)	आयात के लिए विशिष्टीकृत देश का नाम
		कुल				

(मदों की अधिक संख्या के मामले में, उपर्युक्त विवरण देने वाली मदों की सूची अलग से लगाई जाए)।

परिशिष्ट—5ख (जारी)

8. पी० एम० पी०

(क) क्या पी० एम० पी० अनुमोदितानुसार संस्तुति है (हां या नहीं)

(ख) 1 करोड़ एवं अधिक रुपयों के लिए संस्तुति के सम्बन्ध में जहां 1982–83 के दौरान या बाद में पी० एम० पी० अनुमोदित की गई थी उस मामले में निम्नलिखित का उल्लेख करें :—

(1) पी० एम० पी० का वर्ष जिसमें संस्तुति सम्बन्धित है।

(2) पी० एम० पी० में परिकल्पित आयात की मात्रा (प्रतिशत में)

(3) संस्तुति की जा रही आयात की मात्रा (प्रतिशत में)

(4) अन्तराल का संक्षिप्त कारण, यदि कोई हो।

9. सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत सत्यापित संस्तुति की गई मदों (एम० टी०) की विगत खपत (स्टील एवं गैर स्टील) दोनों मदों के लिए प्रस्तुत किया जाना है :

मद	1989–90 देशीय आयातित	1990–91 देशीय आयातित

10. संस्तुति मदों का वर्तमान वर्ष एवं पूर्व वर्ष के दौरान किया गया आयात (मात्रा/मूल्य)

क. खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन

ख. अनुपूरक लाइसेंसिंग/पुनरावर्ती के अधीन

11. आर० पी० ए० से आयात की संभावना यदि, है, मदों का नाम इंगित किया जाना चाहिए :

12. संक्षेप में संस्तुति के औचित्य/आधार।

13. विधिवत रूप से साक्ष्यांकित मदों की सूची संलग्न की जानी है।

हस्ताक्षर ————————

सक्षम प्राधिकारी का नाम————————

कार्यालय की सील/मोहर————————

प्रायोजक प्राधिकारी का नाम एवं पूरा आवासीय पता ————————

फाइल सं०————————

तिथि ————————

अनुलग्नकों की सूची :

(आयात आवेदन-पत्र चलान, रसीद, मदों की साक्ष्यांकित सूची आदि)

सेवा में,

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय (आई० पी० सैल)
उद्योग भवन, नई दिल्ली।

या

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी

(जहां संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की अध्यक्षता में क्षेत्रीय अनुपूरक लाइसेंसिंग समिति कार्य कर रही है)
जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट—7

महानिदेशक तकनीकी विकास /रिलवे/रक्षा के लिए आवेदन पत्र

महानिदेशालय, संभरण और निपटान/रिलवे/रक्षा/आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभागीय तौर से चलाए जाने वाले उपक्रम संविदाओं के लिए आवेदन पत्र

प्रपत्र –ख

1. आवेदक का नाम————————————————आई० ई० सी० सं०————
   (1) पूरा पता ————————
   ————————
   ————————
   ————————
   ————————
   (2) राज्य का नाम————————
2. भुगतान किये गये शुल्क का विवरण :
   (1) बैंक ड्राफ्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या————————
   (2) जारी करने की तारीख————————
   (3) राशि रुपयों में————————
   (4) जारी करने वाली शाखा————————
3. वह लाइसेंस अवधि जिसके संबंध में आवेदन-पत्र दिया गया है : ————————
4. आयात किए जाने वाले माल के ब्यौरे :—

क्र० सं०	मद का नाम	मद कोड	परिमाप का यूनिट	मात्रा	लागत-बीमा भाड़ा मूल्य (रु० में)	उद्गम का देश		पोतलदान का देश	
						नाम	कोड	नाम	कोड
1.									
2.									

5. आयात किए जाने वाले माल का कुल लागत-बीमा भाड़ा मूल्य————————रुपए
6. यदि पोतलदान उस देश से भिन्न देश से किया जाता है जिसमें माल का उद्गम हुआ है तो उसके लिए औचित्य का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए ।
7. प्रस्तुत की जाने वाली सामान्य सूचना :
   (क) भारत में कारोबार की स्थापना की तिथि
   (ख) उपक्रम की किस्म, क्या

1	सार्वजनिक लि० कम्पनी	2	प्राइवेट लि० कम्पनी
3	स्वामित्व फर्म	4	व्यक्तिगत फर्म
5	हिन्दू अविभाजित परिवार उपक्रम	6	व्यक्तियों का निजी निकाय, संस्था
7	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		

परिशिष्ट—7—जारी

(ग) जैसा भी मामला हो निदेशक, साझीदार, कर्ता का नाम

1 ———————— 2 ————————

3 ———————— 4 ————————

5 ————————

(घ) शाखाओं या सहयोगी कम्पनियों का विवरण (नाम और स्थान)

(1) भारत में :

(2) विदेश में :

8. आवेदन पत्र के साथ नत्थी किए गए संलग्नकों का पूरा विवरण (प्रलेख की प्रत्येक प्रति सत्य प्रति के रूप में चिन्हित होनी चाहिए और उसमें नीचे आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए)।

घोषणा :

(1) मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है। मैं/हम यह भली प्रकार से समझता हूं/समझते हैं कि प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर मुझे/हमें दिए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है यदि उसमें दिखाया गया विवरण और तथ्य गलत और भ्रामक पाए गए और इसके अतिरिक्त मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार कोई भी अन्य दण्ड दे सकती है।

(2) मुझे/हमें आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस दिए जाने में बहिष्कृत नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ————————

साफ अक्षरों में नाम ————————

पदनाम : ————————

पूरा पता (1) कार्यालय (2) निवास स्थान

————————

स्थान ————————

तिथि ————————

अपेक्षित दस्तावेज :—

	क्या संलग्न है		पृष्ठ संख्या	
1. आवेदन पत्र तीन प्रतियों में	हां	नहीं		
2. आवेदन शुल्क की अपेक्षित धनराशि के लिए बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट	हां	नहीं		
3. औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र	हां	नहीं		
4. महानिदेशक तकनीकी विकास की स्वीकृति	हां	नहीं		
5. आयात सिफारिश करने वाला प्रमाण पत्र	हां	नहीं		
6. मांगे गए माल की सूची की सात प्रतियां	हां	नहीं		

परिशिष्ट 7—जारी

7. आवेदित लाइसेंस का विवरण
लाइसेंस जारी करने वाले कार्यालय
द्वारा भरा जाने वाला

(1) सैक्टर टाइप	नाम ______	कोड	[ ][ ]			
(2) आयातक श्रेणी	नाम ______	कोड	[ ][ ]			
(3) लाइसेंस की श्रेणी	नाम ______	कोड	[ ][ ]			
(4) समझौते की किस्म	नाम ______	कोड	[ ][ ]			
(5) स्रोतों की किस्म	नाम ______	कोड	[ ][ ]			
(6) मुद्रा क्षेत्र			1	सामान्य	2	विशेष
(7) आयात वस्तु की श्रेणी	______	कोड	[ ]			
(8) नागरिकता की स्थिति			1	भारतीय	2	अप्रवासी भारतीय

परिशिष्ट—8 क

समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लिए अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

फार्म—1

1. आवेदक का नाम ______ आई०ई०सी० ______
2. समाचार पत्र का नाम/पत्रिका ______
   अवधि ______
   भाषा का नाम ______
3. पूरा डाक पता ______
   ______
   ______
   पिन कोड ______
4. (क) वह तिथि जिससे समाचार पत्र/पत्रिका नियमित रुप से प्रकाशित हो रही है : ______
   (ख) भारत के समाचार-पत्र पंजीयक द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या ______
   (ग) जिलाधीश के पास अद्यतन दाखिल किए गए घोषणा पत्र की तिथि : ______
5. फर्म का स्वरुप :
   (क) कम्पनी/फर्म का स्वरुप :

1	सार्वजनिक लि० कम्पनी	2	निजी लि० कम्पनी	3	स्वामित्व वाली फर्म	4	व्यक्तिगत फर्म
5	हिन्दू अविभाजित परिवार	6	व्यक्तियों का निजी निकाय/संस्था	7	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		

परिशिष्ट—8 क जारी

(ख) निदेशकों/साझीदारों आदि का नाम
(5 से अधिक व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शीट लगाएं)

1. ——————— 2. ———————

3. ——————— 4. ———————

5. ———————

6. 12 मास के लिए अपेक्षित अखबारी कागज की मात्रा/मूल्य

मापक यूनिट	12 मास के लिए अपेक्षित मात्रा

7. (क) चरणबद्ध सुपुर्दगी की आवश्यकता ———————
(ख) प्राधिकृत अभिकर्ता का नाम ———————

8. जिन अखबारों/पत्रिकाओं का आवेदक मालिक है उनके नाम और ब्यौरे :—

समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का शीर्षक	भाषा	अवधि	प्रकाशन का स्थान	क्या अखबारी कागज सरकार द्वारा प्राप्त किया जा रहा है

9. समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के लिए प्रति प्रकाशन दिन, प्रसारण आदि का ब्यौरा :—
(क) प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि ———————
(ख) मुद्रण के लिए प्रस्तावित प्रतियों की औसतन संख्या ———————
(ग) पृष्ठों की औसतन संख्या ———————
(घ) समाचार पत्र/पत्रिकाओं के एक पृष्ठ का औसतन क्षेत्र (वर्ग से०मी० में) ———————
(ङ) प्रकाशन के दिनों की संख्या ———————

10. अखबारी कागज का विवरण
(चमकीले, गैर-चमकीले और नेपा को अलग-अलग निर्दिष्ट करें)

(क) गत वर्ष की खपत

मद सं०	अखबारी कागज की किस्म	मात्रा टनों में	स्रोत	मूल्य, (लागत-बीमा-भाड़ा) रुपयों में

(ख) लाइसेंसिंग वर्ष के लिए अपेक्षित :

मद सं०	अखबारी कागज की किस्म	मात्रा टनों में	स्रोत	मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा) रुपयों में

परिशिष्ट–8क—जारी

11. अन्तिम वर्ष जिसमें आर० एन० आई० के कार्यालय से अखबारी कागज ले लिया गया था

12. (क) मशीन की किस्म (अर्थात रोटरी/फ्लैटेड/लैटर प्रैस) ——————

(ख) अपेक्षित रीलों/शीटों का आकार ——————

घोषणा :—

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपयुक्त विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मुझे/हमें भलीभांति ज्ञात है कि यदि इस विवरण पत्र में दिया गया कोई भी विवरण या तथ्य गलत या झूठा पाया गया तो मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार जो अन्य जुर्माना लगाएगी या अन्य कार्रवाही करेगी उसके अतिरिक्त प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें किया गया आबंटन रद्द किया जा सकता है ।

2. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि अखबारी कागज, यदि आबंटित किया गया तो उसका उपयोग उपयुक्त पते पर हमारे प्रेस/परिसर स्थापनाओं में होगा ।

3. मैं/हम यह भली-भांति समझता हूं/समझते हैं कि सरणीबद्ध मदों का आबंटन आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन सरणीबद्ध एजेंसी के माध्यम से किया जाता है और जिन शर्तों पर उपयोग के लिए ये मदें रिलीज की जाती हैं उनका उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के उपबन्धों और उसके अधीन जारी किए गए समय-समय पर यथा-संशोधित आदेशों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

4. मैंने/हमने आयात नीति/प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 में निहित सम्बद्ध प्रावधानों को नोट कर लिया है ।

5. मुझे/हमें आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस दिए जाने के लिए विवर्जित नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर——————
साफ अक्षरों में नाम——————
पदनाम
निवास स्थान का पूरा पता ——————
——————
——————

स्थान——————

तिथि: ——————

आवेदित लाइसेंसों का ब्यौरा:

(लाइसेंस जारी करने वाले कार्यालय द्वारा भरा जाए)

(1) सैक्टर टाइप —————— कोड [ ]

(2) आयातक श्रेणी —————— कोड [ ]

(3) लाइसेंस श्रेणी —————— कोड [ ]

(4) स्थापना की किस्म —————— कोड [ ]

(5) संसाधनों की किस्म —————— कोड [ ]

(6) मुद्रा क्षेत्र | | सामान्य | 2 | विशिष्ट

(7) आयात पण्यवस्तु की श्रेणी —————————— कोड | |

(8) नागरिकता स्थिति | 1 | भारतीय | 2 | अप्रवासी भारतीय

परिशिष्ट 8—ख

वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा आयातित कच्चे माल/संघटकों के उपभोग एवं स्टाक के रखरखाव का रजिस्टर
(समाचार पत्र संस्थानों से भिन्न)

क्रम० सं०	मद का विवरण	पावतियां		उन आयात लाइसेंसों/रिलीज आदेशों/खुले सामान्य लाइसेंस या सारणीबद्ध करने वाले अभिकरण द्वारा सीधे आबंटन के ब्यौरे जिनके मद्दे आयात किए गए हैं/आबंटित किए गए हैं।	यदि माल किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया हो तो प्राधिकृत स्रोत का नाम और पता	प्रविष्टि बिल संख्या और दिनांक विक्रय बिल सं० और दिनांक एवं ग्रेड आर० आर० सं० एवं दिनांक जिसके अन्तर्गत माल वितरण के पतन से या माल प्राप्त करने की जगह से फैक्ट्री के स्थान पर छोड़ा गया है।
		अवशेष	प्राप्त किए गए नए स्टाक की मात्रा			
1	2	3	4	5	6	7

दिनांक	मात्रा	निर्गम (उपभोग)				
		वह अन्तिम उत्पाद जिसमें उपयोग किया गया है/फार्मास्यूटिकल एकक के मामले में बैच संख्या प्रदर्शित किया जाना है।	उपभोग किए गए आयातित माल में से उत्पादित माल।	प्राधिकृत विधि से अन्य को अपवर्तित मात्रा	इतिशेष	अभ्युक्तियां
8	9	10	11	12	13	14

परिशिष्ट–8–ग

मान्यता प्राप्त घुड़शालाओं/अलग-अलग प्रजनकों द्वारा प्रजनन उद्देश्य के लिए घोड़ों के आयात के लिए

आवेदन-पत्र

भाग-1

आई०ई०ओ० ——————————

1. आवेदक का नाम और पूरा पता ——————————

2. एकड़ में क्षेत्र सहित घुड़शाला के स्थान का पता ——————————

3. भारतीय घुड़शाला के धारक को आर०डब्ल्यू० आई०टी०सी०द्वारा जारी या कृषि मंत्रालय के पास पंजीकृत पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सं० एवं तारीख ——————————

(फोटो प्रति संलग्न करें)

4. निदेशकों, साझीदारों, प्रोपराइटरों एवं कर्ता जैसा भी मामला हो का नाम और पता ——————————

5. इसी प्रकार की श्रेणी के माल के लिए अन्य आवेदन पत्रों का ब्यौरा ——————————
(फाइल संख्या का उल्लेख करें)

भाग 2

1. प्रजनन घुड़शाला में उपलब्ध पशुओं की संख्या ——————————
कुल संख्या

पशुओं का विवरण	घुड़शाला की सम्पत्ति		दूसरों से सम्बन्धित		मालिक का नाम एवं पता
	1 आयातित	2. भारतीय	1 आयातित	2. भारतीय	
1. सांड					
2. बच्चे प्रजनन करने वाली घोड़ी					
3. एक से दो वर्ष के बच्चे					
4. बछड़ी					
5. बछड़ा					
6. छोटी बछड़ी					
कुल	1	2	1	2	

2. पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान उत्पन्न घोड़ों की संख्या
प्रथम वर्ष ——————————
द्वितीय वर्ष ——————————

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन ——————————

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित उत्पादन ——————————

परिशिष्ट–8–ग (जारी)

5. आयात किए जाने वाले पशुओं का विवरण :—

श्रेणी	पशुओं की संख्या	लागत-बीमा भाड़ा मूल्य	उत्पत्ति का मूल देश		पोत लदान का देश		उत्पत्ति के मूल देश से भिन्न देशों से पोत-लदान के कारण
			नाम	कोड	नाम	कोड	
1.							
2.							
3.							

6. पिछले 5 वर्षों की अवधि के दौरान प्राप्त आयातों तथा
जारी किए गए लाइसेंसों/सीमाशुल्क परमिटों का विवरण :—

लाइसेंसिंग अवधि	जारी लाइसेंस/सीमाशुल्क परमिट			आयातित पशु	पशुओं का विवरण	देश जहां से आयात किया गया
	नाम	तिथि	मूल्य	लागत बीमा भाड़ा मूल्य-आयात तिथि		

7. अब आवेदित आयातित स्टाक (कों) को रखने का पता मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की लिखित अनुमति के बिना स्टाक का स्थान नहीं बदला जाएगा ____________________

8. आवेदित लाइसेंस का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य ____________________

9. भुगतान किए गए आवेदन शुल्क का विवरण :

(1) बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट सं० ____________ (2) दिनांक ____________

(3) राशि रुपयों में ____________ (4) जारी करने वाली शाखा ____________

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक है और आयातित माल का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उनका आयात किया गया है और किसी अन्य पार्टी को न तो बेचा जाएगा और न प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

हस्ताक्षर ____________

साफ अक्षरों में नाम ____________

पदनाम ____________

पूरा आवासीय पता ____________

स्थान ____________

तिथि ____________

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण का सत्यापन किया गया और सही पाया गया है। आवेदित किए गए घोड़ों के आयात की एतद्द्वारा सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर ____________

साफ अक्षरों में नाम ____________

पदनाम ____________

निदेशक, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवा

परिशिष्ट—8—च

तकनीकी/डिजाइनिंग और इन्जीनियरिंग फर्म/प्रिंटिंग प्रेसों के लिए तदर्थ लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र

भाग—1

लाइसेंसिंग अवधि———————————

आई० ई० सी०

1. आवेदन फर्म का नाम व पता ———————

———————————————

———————————————

———————————————

2. शाखाओं और सहयोगी कम्पनियों का ब्यौरा (नाम व स्थिति) :—

3. फैक्ट्री/यूनिट का नाम :—

4. एस०एस०आई०/डी०जी०टी०डी/औद्योगिक लाइसेंस की पंजीकरण सं० और तारीख (प्रति संलग्न करें) :—

5. निदेशकों/साझीदारों, प्रोपराइटरों या कर्त्ताओं, जैसा भी मामला हो, के नाम :—

6. मशीनरी और उपकरणों पर पूंजी निवेश :—

(क) आयातित मशीनरी (ला०बी०भा०मूल्य) :——

(ख) देशी मशीनरी जिसमें आयातित कम्पोनेंट्स हों (खरीद मूल्य) :—

(ग) अन्य देशज मशीनरी :—

कुल : रु० ———————————————

7. आवेदित लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य :—

8. अदा की गई फीस का विवरण —

भाग—2

क. कार्यालय उपकरण के लिए

1. (क) पिछले वित्तीय वर्ष, अप्रैल-मार्च के दौरान विदेश में ग्राहकों को प्रदान की गई तकनीकी परामर्शी सेवा द्वारा या विदेश में निर्माण कार्य द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा। (माल के निर्यात के मद्दे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में विस्तार से विवरण दिया जाना चाहिए, तकनीकी परामर्शी सेवा के माध्यम से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का पूरा ब्यौरा अलग शीट पर मद-दर-मद प्रस्तुत किया जाना चाहिए) अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि का विवरण समर्थित होना चाहिए और यह उस बैंक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से ऐसी आय इस देश में प्राप्त हुई है।

क्रम सं०	परामर्शी/निर्माण कार्य का विवरण	वह देश जहां कार्य किया गया			अर्जित विदेशी मुद्रा	
		नाम	कोड	मुद्रा	राशि	धनराशि रु० के समतुल्य

अर्जित विदेशी मुद्रा की कुल राशि रु० ———————————————

(ख) आवेदन-पत्र के अन्तर्गत निर्यात पर विदेशी एजेंट को दी जाने वाली (निर्यातक द्वारा बाद की तारीख को) दलाली की धनराशि या दी गई छूट या देय छूट

विदेशी मुद्रा में : ———————————

समतुल्य रुपयों में: ———————————

परिशिष्ट—8—च (जारी)

ख. संविदा के निष्पादन के लिए अपेक्षित मदों के प्रयोजनार्थ :

1. संविदा प्रदान करने वाले परियोजना प्राधिकारी का नाम

2. परियोजना का नाम जिसके लिए आयातित उपकरण अपेक्षित हैं। ——————————

3. संविदा के अनुसार प्रदान किए गए कार्य की प्रकृति ——————————

4. संविदा के निष्पादन हेतु आयातित मदें

क्रम सं०	मद का नाम	मद कोड	यूनिट	मात्रा	ला०बी०भा० मूल्य (रु०)	उत्पत्ति का देश		पोतलदान का देश	
						नाम	कोड	नाम	कोड

5. आयात की जाने वाली मदों का ला०बी० भा० मूल्य ——————————
विदेशी देश का नाम —————— विदेशी मुद्रा में ला०बी० भा० मूल्य ——————
अंकों में ला०बी०भा० मूल्य —————— शब्दों में ला० बी० भा० मूल्य ——————

6. आवेदित लाइसेंस का ला० बी० भा० मूल्य ——————————
(क) विदेशी मुद्रा ——————————
(ख) रुपयों में ——————————

7. स्वदेशी राशि रु० ——————————

8. संविदा का कुल मूल्य
(देशी उपकरण सर्विसिंग प्रभार इत्यादि)

घोषणा :

1. मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि:

(1) चालू लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान आयात लाइसेंस के लिए कोई और आवेदन पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को नहीं दिया गया है या भविष्य में दिया जाएगा, (2) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण सत्य और सही है, (3) यदि लाइसेंस दिया जाता है तो माल की खपत केवल अपने कार्यालय में ही करेंगे तथा इसका कोई भाग बेचा नहीं जाएगा या न ही किसी अन्य पार्टी को इ‍ा प्रयोग में लाने दिया जाएगा।

2. मैं/हम यह भली भांति जानता हूं/जानते हैं कि प्रस्तुत किए गए विवरण असत्य हैं या झूठ हैं, तो आवेदन-पत्र के आधार पर हमें जारी किए गए किसी लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है या अप्रभावी किया जा सकता है या मामले की परिस्थितियों के अनुसार अन्य कोई कार्यवाही की जा सकती है जो सरकार मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपित करें।

3. मुझे/हमें आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस दिए जाने से विवर्जित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ——————————
नाम साफ अक्षरों में ——————————
पदनाम ——————————
आवासीय पता ——————————
——————————
——————————
——————————

स्थान : ——————————

तारीख : ——————————

परिशिष्ट—8–घ (जारी)

ग (परियोजना प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है) (जहां कहीं लागू हो)

1. उस परियोजना की अनुमानित लागत जिसके लिए संविदा की गई है : ____________

2. संगत परियोजना के लिए सरकार द्वारा यथा अनुमोदित परियोजना प्राक्कलनों में इंगित विदेशी मुद्राओं की कुल धनराशि : ____________

3. क्या आयात के लिए अपेक्षित मदें परियोजना प्राक्कलनों में इंगित हैं और क्या यह उसमें उल्लिखित है कि इन मदों का आयात करना अपेक्षित है : हां नहीं

4. क्या माल की आयात संयंत्र (परियोजना) की प्रारम्भिक स्थापना के लिए या वर्तमान संयंत्र के विस्तार के लिए किया जा रहा है ?
   1 संयंत्र (परियोजना) की प्रारम्भिक स्थापना के लिए
   2 मौजूदा संयंत्र के विस्तार के लिए

5. क्या रियोजना प्राधिकारी ने यह सिफारिश की है कि माल की सूची सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के खण्ड–16 के शीर्षक सं० 84.66 के अन्तर्गत शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए "परियोजना आयात" के रूप में पृष्ठांकित की जानी है। हां नहीं

हस्ताक्षर————————

नाम (साफ अक्षरों में) ————————

आवासीय पूरा पता————————

————————

————————

स्थान : ————————

तारीख :————————

संलग्नकों की सूची ————————

परिशिष्ट—8–ङ

निर्यातकों द्वारा अपेक्षित पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक तथा अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए आयात नीति के परिशिष्ट—12 निर्दिष्ट उत्पादों के तदर्थ लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र का प्रपत्र।

1. आवेदक का पूरा नाम तथा पता
2. आई० ई० सी० नम्बर
3. फर्म का स्वरूप
   क्या फर्म :—

1	सार्वजनिक	2	निजी
3	स्वामित्व वाली	4	हिन्दू अविभाजित परिवार
5	व्यक्ति का बाडी/संस्थान	6	अन्य कृपया निर्दिष्ट करें

परिशिष्ट—8—ङ (जारी)

4. निदेशकों, मालिकों, साझेदारों अथवा कर्ता का नाम व निवास स्थान का पता, जैसा भी मामला हो (पांच से अधिक व्यक्तियों के मामले में अतिरिक्त शीट संलग्न करें) :

5. भुगतान किए गए शुल्क का विवरण :—

(1) बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या

(2) जारी करने की तिथि

(3) राशि (रुपयों में)

(4) जारी करने वाली बैंक की शाखा

(5) आवेदित लाइसेंस (सों) का लागत बीमा भाड़ा मूल्य रुपयों में (शब्दों व अंकों दोनों में)

(6) आयात नीति के परिशिष्ट-12 में निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात का विवरण :—

क्र० सं०	निर्यातित उत्पाद का विवरण	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य	निर्यात का देश
	कुल रु० :		

6. आवेदन द्वारा आवृत निर्यातों के विदेशी एजेन्टों को भुगतान किए गए अथवा किए जाने वाले कमीशन अथवा रियायत की राशि (निर्यातक द्वारा बाद में दी जाने वाली)

विदेशी मुद्रा में समतुल्य रुपयों में

7. किए गए निर्यातों की पुष्टि के लिए निर्यात दस्तावेजों की सूची :—

(1) निर्यातक द्वारा प्रमाणित बीजक नम्बर तथा तिथि

(2) सीमा शुल्क द्वारा प्रमाणित मूल लदान बिल की प्रति संख्या तथा तिथि :—

(3) मूल बैंक प्रमाण-पत्र संख्या तथा तारीख

8. आवेदित लाइसेंस के मद्दे आयात की जाने वाली मदों की सूची :—

क्रम सं०	मद का विवरण	मद कोड	यूनिट	मात्रा	लागत बीमा भाड़ा मूल्य (रुपयों में)	निर्यात का देश
1	2	3	4	5	6	7

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं :—

(1) कि वर्तमान लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान आयात के लिए न तो कोई और आवेदन पत्र दिया गया है और न भविष्य में दिया जाएगा,

(2) कि इस आवेदन में दिया गया उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है,

(3) यदि लाइसेंस दिया गया है तो माल मेरी/हमारी फैक्ट्री में ही उपयोग में लाया जाएगा तथा इसका कोई अंश बेचा नहीं जाएगा अथवा किसी अन्य पार्टी को उपयोग में लाए जाने के लिए नहीं दिया जाएगा,

(4) कि मैं/हम यह अच्छी प्रकार समझते हैं कि इस आवेदन-पत्र के आधार पर यदि कोई भी विवरण या तथ्य गलत/झूठा पाया गया तो मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार जो अन्य जुर्माना लगाएगी या अन्य कार्रवाई करेगी उसके अतिरिक्त प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें जारी किया गया लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावी किया जा सकता है।

(5) कि मुझे/हमें आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस दिए जाने के लिए विवर्जित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ....

स्थान ....

साफ अक्षरों में नाम—————

दिनांक ....

पदनाम —————

निवास का पता—————

नोट: (1) आवेदन मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात, नई दिल्ली को दिया जाए।

(2) एक लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान केवल एक ही आवेदन-पत्र दिया जाए।

परिशिष्ट-9

कार और अन्य वाहनों का आयात सभी श्रेणियों के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम और पूरा पता
   (1) विदेश में (क) कार्यालय (ख) निवास (2) भारत में
2. राष्ट्रीयता
3. पद/व्यवसायिक स्थिति
4. भारत में शाखाओं का विवरण और पूरा पता
5. भारत में कार की जरूरत का उद्देश्य
6. वाहन का मेक और माडल :—
   (1) इंजिन सं० (2) चेसिस सं० (3) मेक (4) माडल
   (5) उपसाधित्र जैसे कि ए० सी०/रेडियो/कैसेट प्लेयर यदि कोई हो
   (6) लागत बीमा भाड़ा मूल्य
7. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण
8. खरीद की रसीद और प्रोफार्मा बीजक पंजीकरण प्रमाण-पत्र
9. पोतलदान की प्रस्तावित तिथि
10. पोतलदान का देश
11. जहाज से उतारने का पत्तन
12. यदि कार पहले ही आयात कर ली गई हो तो बताएं कि क्या कार/वाहन भारत में लाया जा चुका है।
13. ट्रिपटाईकु/कासेट—बी पैसेज के अन्तर्गत
    यदि हां तो बताएं—
    कासेट का नम्बर
    कासेट की वैधता
    (फोटोस्टेट प्रति संलग्न)
14. वाहन की खरीद के लिए भुगतान की विदेशी मुद्रा का स्रोत (केवल जहां लागू हो) (साक्ष्य के लिए मूल दस्तावेज संलग्न करें)
15. क्या पिछले वर्षों में (भारत में स्थित विदेशी कम्पनियों के लिए 10 साल) या चालू लाइसेंसिंग वर्ष में आवेदक/पत्नी/पति/आश्रित ने कार या अन्य वाहन आयात किया है यदि हां तो पूरा विवरण दें।

    मैकमाडल इंजिन सं० चेसिस सं०
    लागत बीमा भाड़ा मूल्य—
    आयात की तिथि—
    सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० और तिथि—

श्रेणी क, ख और ग के लिए
(क) विदेश यात्रा का उद्देश्य
(ख) निरन्तर निवास की अवधि

घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है और मैं यह भली-भांति समझता हूं कि उपर्युक्त विवरण के आधार पर मुझे दिए गए किसी लाइसेंस/सीमाशुल्क परमिट को रद्द किया जा सकता है। यदि यह पाया गया कि उसमें दिया गया विवरण या तथ्य गलत या झूठा है तो यह इस किसी अन्य जुर्माने या अन्य कारवाई के अतिरिक्त होगा जो मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार कर सकती है।

स्थान — हस्ताक्षर ....
दिनांक — स्पष्ट अक्षरों में नाम ....
संलग्नक — निवास का पूरा पता ....

परिशिष्ट-9—(जारी)

प्रत्येक वाहन के साथ आवेदन शुल्क सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया की किसी भी प्राधिकृत शाखा में जमा कराए 500/- रु० की चालान रसोद या विदेश में स्थित भारतीय दूतावास में 500/-रु० जमा कराने की रसीद या मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली के नाम का बैंक ड्राफ्ट आवेदन-पत्र के साथ होना चाहिए।

आवेदन पत्र के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज—

श्रेणी "क" *(भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो स्थायी निवास के लिए लौट रहे हों)	(1) निर्धारित प्रपत्र में नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र। (2) पासपोर्ट (साक्ष्यांकित प्रति) (3) मूल रूप में क्रय रसीद; तथा (4) विदेश में पंजीकरण की बुक
श्रेणी "ख" भारतीय नागरिकों से विवाहित विदेशी नागरिक (उपहार के मामले में)	(1) उनके माता-पिता से उपहार की अप्रार्थित प्रकृति घोषित करते हुए पुष्टिकरण पत्र (मूल रूप में) (2) विवाह के प्रमाण-पत्र की फोटोस्टेट प्रति (3) दाता की वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंकर का प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) (4) आवेदक और स्थायी रूप से भारत के बसे हुए व्यक्ति दोनों से स्टैम्प कागज पर मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के सामने शपथ लेते हुए एक शपथ-पत्र कि उन्होंने पहले किसी अन्य कार का आयात नहीं किया है। (5) आवेदक और उसके पति के विवाह के समय राष्ट्रीयता को दर्शाते हुए पासपोर्ट की फोटो प्रति। यदि पति के पास पासपोर्ट न हो तो राष्ट्रीयता को दर्शाते हुए घोषणा पत्र देना चाहिए।
श्रेणी "ग" भारत में सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में नियुक्त रोजगार वाले विदेशी नागरिक	(1) भारत में नियुक्ति की अवधि दर्शाते हुए नियोक्ता का प्रमाण-पत्र (मूल में) (2) कार का प्रोफार्मा बीजक स्वनियोजित विदेशी नागरिक :— (1) आवेदक के व्यवसाय का स्वरूप और आयात के औचित्य के कारण को बताते हुए राज्य/केन्द्रीय सरकार का प्रमाण पत्र। (2) विदेशी मुद्रा में पूरे स्थल अवतरित मूल्य (अर्थात् सीमाशुल्क सहित) को पूरा करने के लिए घोषणा। (3) आवेदक की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हुए विदेशी बैंकर का प्रमाण-पत्र। अन्य विदेश निर्यात (सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-राजनीतिक घर पर आधारित स्टाफ) (1) संबंधित सरकारी विभाग/दूतावास से कार्य/नियुक्ति का काम का पूरा विवरण और संभावित अवधि दर्शाते हुए प्रमाण-पत्र।
श्रेणी "घ" विदेशी संस्था की शाखा/कार्यालय (निगम अथवा अन्य)	(1) विदेशी प्रमुख से प्रमाण-पत्र कि कार के उतरने तक पूरी लागत देंगे। (2) भारत में संबंधित शाखा कार्यालय खोलने को सरकार या आर० बी० आई० की अनुमति की फोटोस्टेट प्रति।
श्रेणी "ङ" विदेशी सहयोग पाने वाली रुपया कम्पनियां	(1) विदेशी प्रमुख से प्रमाण-पत्र कि कार के उतरने तक पूरी लागत देंगे।

परिशिष्ट-9—(जारी)

(2) जिन शर्तों के अनुसार विदेशी विशेषज्ञ/तकनीशियन निदेशक समय–समय पर भारत आएंगे उस तकनीकी सहयोग करार की फोटो प्रति।

(3) भारत सरकार के पत्र की प्रति कि इस करार को भारतीय रिजर्व बैंक ने रिकार्ड में रख लिया है या फाईल कर लिया है।

(4) भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई विदेशी सहयोग के अनुमोदन की फोटोस्टेट प्रति।

श्रेणी "च"
विदेशी समाचार एजेंसियों के अधिकृत पत्रकार/संवाददाता (आवेदन पत्र प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा आएंगे)

(1) विदेशी नियोक्ता का पत्र कि वे वाहन उतरने तक की पूरी लागत देंगे (अंग्रेजी संलग्न होनी चाहिए)

श्रेणी "छ"
एयर कम्पनियों द्वारा आयात

(1) आवेदन पत्र नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा उनकी सिफारिश के साथ आना चाहिए।

श्रेणी "ज"
विदेश में संविदा निष्पादित करने वाली भारतीय फर्में—

(1) संविदा/संयुक्त उद्यम को भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के सहमति पत्र की फोटोस्टेट प्रति

(2) कार/कारों को विदेश में खरीदने की भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति।

(3) प्रमाण-पत्र/दस्तावेजी साक्ष्य कि यह कि विदेश में संविदा/कार्य समाप्त हो गया है।

(4) परियोजना स्थल पर आयात के लिए प्रस्तावित कार(रों) का उपयोग किए जाने का प्रमाण-पत्र।

श्रेणी "झ"
भारत में पुण्यार्थ और धर्म धर्मार्थ संस्थाएं

(1) दाता का मूल पत्र

(2) संबंधित सरकारी प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संस्था सुस्थापित तथा बिना जाति रंग तथा धर्म के भेद के सामाजिक लाभार्थ कार्य कर रही है।

(3) यह घोषणा कि वाहन एक उपहार है तथा उसके प्रयोजन के लिए भारत से कोई विदेशी मुद्रा का प्रेषण नहीं किया जा रहा है।

(4) विदेशी सहयोग (विनियमन), अधिनियम, 1986 के अधीन गृह मंत्रालय की आवश्यक निकासी के सम्बन्ध में पत्र की फोटो प्रति।

श्रेणी "ञ"
विदेशी सरकार की अवैतनिक कौंसिल

(1) आवेदन-पत्र विदेश मंत्रालय के माध्यम से उनकी सिफारिश के साथ आना चाहिए।

श्रेणी "ट"
पर्यटक होटलों/यात्रा एजेन्टों द्वारा आयात

(1) आवेदन-पत्र महानिदेशक, पर्यटन, नई दिल्ली के माध्यम से होना चाहिए।

(2) यात्रा एजेन्टों के मामले में पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में यात्रा एजेन्ट के रूप में की गई सेवाओं के बदले वास्तविक अर्जित विदेशी मुद्रा का बैंक का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-9 का उपाबन्ध-1

शपथ-पत्र का परिपत्र

भारत में स्थायी रूप से निवास के लिए आने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा निष्पादित किया जाने वाला शपथ-पत्र का प्रपत्र

मैं (नाम ....) सुपुत्र .... निवासी .... भारतीय/ .... पासपोर्ट सं० .... का धारक दिनांक .... एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं और पुष्टि करता हूं

1. कि मैं भारतीय मूल का .... नागरिक हूं।

2. कि मैं .... से लगातार विदेश में रह रहा हूं और पिछले दो वर्षों से मैं/मेरे पति/मेरी पत्नी .... में .... पदनाम .... के रूप में नियुक्त हूं।

इस अवधि के दौरान में निम्नलिखित पदों पर भारत में गया था। **

(1)

(2)

(3)

3. कि मैं भारत में स्थायी निवास के लिए ...... (माह/वर्ष) भारत लौट रहा हूं या मैं भारत में स्थायी निवास के लिए .... को आ चुका हूं।

4. कि आयात के लिए प्रस्तावित वाहन मैंने .... को .... से खरीदा है। इसका भुगतान मैंने अपने/पत्नी/पति की आय से किया है। निकासी के पश्चात कार मेरे नाम में पंजीकृत होगी।

अभिसाक्षी

टिप्पणी—जो लागू न हो उसे काट दें।

आशय का दस्तावेजी साक्ष्य कि आप भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं, प्रस्तुत करना होगा।

**आगमन और प्रस्थान की वास्तविक तिथि भी देनी चाहिए।

परिशिष्ट-9 का उपाबन्ध-2

निजी असबाब के रूप में कार आदि के आयातक के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बन्धपत्र के प्रपत्र का नमूना

यह सब को ज्ञात हो कि हम (1) ...... जो ...... के हैं (जिन्हें इसमें आगे "आयातक" कहा गया है) और इस अभिव्यक्ति में उसके/उनके उत्तराधिकारी, प्रबन्धक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी और अनुमत्त समनुदेशित शामिल और (2) .... जो ....के हैं (जिसे इसमें आगे "जमानती" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसके/उनके उत्तराधिकारी, प्रबन्धक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं) भारत के राष्ट्रपति के प्रति .... रुपये की रकम मांगी जाने पर बिना आपत्ति के संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को चुकाने के लिए आज तारीख .... के इस विलेख द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग आबद्ध हैं।

जबकि संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात भारत सरकार. . .....(जो यहां उक्त संयुक्त, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में संदर्भित किए गए हैं, जिस अभिव्यक्ति में वह व्यक्ति शामिल है, जो वर्तमान में संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात. . . . .का कार्यभार संभाल रहे हैं) .. .. जो कि पूर्ण रूप से नीचे की अनुसूची में वर्णित है और जिसका आयातक द्वारा भारत में आयात किया गया है, को निकासी की अनुमति दे दी है।

अब उपर लिखित बन्धपत्र की शर्त यह होगी कि :—

1. यदि उपर्युक्त आयातक इस देश में प्रस्थान करते समय कार का पुनः निर्यात करना है तो छः महीने से अधिक अवधि के लिए विदेश जाते समय भारत में कार छोड़ने की आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेता है; और

2. यदि उपर्युक्त आयातक कार को न तो बेचेगा, न रहन, बन्धक रखेगा या उपर्युक्त कार का कब्जा छोड़ेगा या कार को अन्यथा रूप से बेचेगा, तो उपर लिखित बन्धपत्र अमान्य और अप्रभावी हो

जाएगा, अन्यथा रूप से यह कायम रहेगा और पूर्ण रूप से लागू रहेगा और एतद्द्वारा दोनों के बीच यह पूर्ण सहमति हुई है और निम्नलिखित घोषणा की है :—

(क) कि ऊपर लिखित बन्ध पत्र उपर्युक्त ....के आयात करने की तिथि से ....वर्षों की अवधि के लिए पूर्ण रूप से लागू रहेगा और प्रभावित और आगे ऐसी अवधि के लिए इसे पुनः नवीकृत समझा जाएगा जिसे संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले जितने समय के लिए उचित समझे।

(ख) आयातक के खिलाफ बंधपत्र के लागू करने से भारत के राष्ट्रपति की ओर से कोई भी स्थगन कार्य या छूट (चाहे वह जमानती की जानकारी या सलाह के बिना या सहित हो) से उपर्युक्त बंधपत्र के दायित्व से कथित जमानती को किसी प्रकार से विमुक्त नहीं किया जाएगा।

(ग) यह कि यह बंधपत्र केन्द्रीय सरकार के आदेश के अन्तर्गत उस कार्यालय के लिए किया गया है जो सार्वजनिक हित में है।

(घ) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जब कभी यह साक्ष्य मांगा जाए कि कार आयातक के कब्जे और स्वामित्व में है तब आयातक इसका साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(ङ) विदेश जाते समय आयातक कार को भारत में उस अल्पावधि यात्रा के सिवाय नहीं छोड़ेगा जिसकी अनुमति कार को अपने निकट संबंधियों के पास छोड़ने के लिए लाइसेन्स प्राधिकारियों से प्राप्त की जाएगी।

(च) बंधपत्र के नियम एवं शर्तों का किसी प्रकार उल्लंघन करने पर आयातक बन्धपत्र की धनराशि के भुगतान के लिए उसकी कुल देनदारी यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत व्यवस्थित दण्ड के लिए उत्तरदायी होगा।

निकासी के लिए माल की अनुसूची
गवाहों के रूप में पार्टियों के हस्ताक्षर

.. ..का ...दिन ..
.... की उपस्थिति में उपर्युक्त आयातक द्वारा हस्ताक्षरित .. ..
. . . . . . की उपस्थिति में उपर्युक्त जमानती द्वारा हस्ताक्षरित .. ..
भारत के राष्ट्रपति की ओर से .... द्वारा स्वीकृत।

परिशिष्ट—10

प्रपत्र छ

उपहार के रूप में वस्तुओं के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट का आवेदन पत्र
(आवेदन पत्र की केवल एक प्रति अपेक्षित है)

1. आवेदक का नाम और पता ______
2. दाता का नाम ______
3. राष्ट्रीयता ______
   (क) पता ______
   (ख) व्यवसाय ______
4. आवेदक द्वारा प्राप्त उपहारों का मूल्य तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी सीमाशुल्क निकासी परमिट का विवरण (लंबित आवेदन पत्रों का भी उल्लेख करें)

क्र० सं०	सीमाशुल्क निकासी परमिट की संख्या	सीमाशुल्क निकासी परमिट की तारीख	मद नाम	मद कोड	मापक युनिट	मात्रा	लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य रुपयों में

परिशिष्ट—10 (जारी)

5. एफ० सी० आर० ए०, एफ० ई० ए० आर० के अधीन पंजीकरण संख्या
वर्तमान लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए अन्य आवेदन-पत्र का ब्यौरा :

क्र० सं०	आवेदन की तिथि	आवेदित मद	मात्रा नगों में	मूल्य रुपयों में	उपहार का उद्देश्य	कार्यालय जहां आवेदन किया	आवेदन की संदर्भ संख्या

6. संस्थान/न्यास समितियों आदि के मामले में कृपया बताएं :
(1) क्या यह किसी सरकारी प्राधिकारी के पास पंजीकृत है? यदि हां, तो पंजीकरण/मान्यता प्रमाण-पत्र की उचित अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें ।

हां	नहीं

7. क्या वह बिना जाति, रंग-भेद अथवा मूलवश आदि पर विचार किए निःशुल्क वितरण या केवल संस्था/न्यास आदि के प्रयोग के लिए हैं :

हां	नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर ————————————
आवेदक का पूरा पता————————————
पदनाम ————————————
संबंध ————————————
पूरा आवासीय पता ————————————

स्थान ————————
दिनांक ————————

अपेक्षित दस्तावेज:—	क्या संलग्न किया गया है	पृष्ठ सं०
1. दाता का नाम	हां/नहीं	
2. मद के बारे में मुद्रित पत्र/पैम्फलैट तथा बीजक प्रपत्र	हां/नहीं	
3. राज्य/केन्द्र सरकार की सिफारिश (यदि उपहार, दान, सहायता का लागत बीमा–भाड़ा मूल्य एक लाख रु० से अधिक है)।	हां/नहीं	
4. दाता के न्यायिक प्राधिकारी या नोटरी पब्लिक का कमीशन या भारतीय उच्चायुक्त/उच्चायोग/कन्सुलेट के द्वारा विधिवत् सांख्यांकित शपथ-पत्र या नियोक्ता के प्रमाण-पत्र को उपहार उसके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा से लिया गया है तथा (उपहारों) का मूल्य 5000/- रुपए से अधिक है ।	हां/नहीं	
5. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अनुज्ञा की फोटो प्रति जहां कहीं अपेक्षित हो ।	हां/नहीं	
6. सरकारी प्राधिकारी के पास पंजीकरण के मामले में पंजीकरण पत्र की फोटो प्रति साथ लगाई जानी चाहिए	हां/नहीं	

परिशिष्ट--11-क

प्रपत्र—पूंजीगत माल (एन० आर० आई०)

विशेष सुविधाओं के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

(सात प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

1. आवेदक के ब्यौरे:

1.1 नाम————————————आई० ई० सी०————————

1.2 आवासीय देश में पता ————————————

————————————

————————————

————————————

————————————

1.3 वर्तमान राष्ट्रीयता

1.4 भारत में पता, यदि कोई है ————————————

————————————

————————————

————————————

पिन

1.5 पत्राचार के लिए डाक पता ————————————

————————————

————————————

————————————

——————पिन——————

1.6 भारत में लौटने की अनुमानित तिथि ——— ——— ———

दिन मास वर्ष

2. प्रस्तावित संस्था का प्रकार (1) पंजीकरण का पत्तन, अपेक्षित है या नहीं।

2.1 क्या संस्था

1	सार्वजनिक लि० कम्पनी	2	प्राइवेट लि० कम्पनी	3	स्वामित्व फर्म	4	व्यक्तिगत फर्म	5	हिन्दू अविभाजित परिवार

6	व्यक्तियों का निजी निकाय/संस्था	7	अन्य ...... (कृपया निर्दिष्ट करें)

परिशिष्ट —11 क–(जारी)

2.2 लिमिटेड कम्पनी के मामले में पूंजीगत स्वरूप के ब्यौरे (रु० लाखों में)

(क) प्राधिकृत ______________________

(ख) निर्गम ______________________

(ग) अभिदत्त ______________________

2.3 मालिकों/साझेदारों/निदेशकों के नाम व पता :
(पांच से अधिक व्यक्तियों के मामले में अतिरिक्त शीट संलग्न करें)

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम (30 चार)	अनिवासी/निवासी भारतीय	एन / आर	पता
		एन आर		
		एन आर		

क्या अतिरिक्त शीट संलग्न की है ? हां नहीं

3. प्रस्तावित औद्योगिक यूनिट के ब्यौरे

3.1 प्रस्तावित यूनिट का नाम और स्थान

(1) नाम

(2) स्थान

(क) स्थान ______________________

(ख) जिला ______________________

(ग) राज्य ______________________

3.2 (1) क्या आपने यूनिट के पंजीकरण के लिये समुचित प्राधिकारी को आवेदन किया है। हां नहीं

(2) यदि हां, तो किसे आवेदन किया है : ______________________

(3) यदि नहीं, तो आप ऐसा कब करना चाहते हैं ______________________

3.3 विनिर्माण की प्रस्तावित मदें एवं वार्षिक क्षमता :

क्रम सं०	मद का नाम	मद कोड	प्रस्तावित क्षमता		
			मापक यूनिट	मात्रा	मूल्य (रु० लाखों में)

परिशिष्ट 11क—(जारी)

3.4 आयातित कच्चे माल एवं संघटकों का प्रतिवर्ष का अनुमानित आवश्यकता :

क्रम सं०	वर्ष	मद का नाम	मद कोड	मापक यूनिट	मात्रा	मूल्य (रुपयों में)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

3.5 आयात प्रतिस्थापन के लिये चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम; 5 वर्ष के ब्यौरे प्रस्तुत करें।

क्रम सं०	वर्ष	विनिर्माण की मद	वार्षिक उत्पादन			आयातित माल (अर्थात्, कुल आयातित कच्चे माल एवं संघटकों का योग) के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य का प्रतिशत
			विनिर्माण की यूनिट	मात्रा	फैक्टरी बाह्य मूल्य (रु० लाखों में,)	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

3.6 क्या प्रस्तावित विनिर्मित मदें निर्यात की जा सकती है ?

हां	नहीं

यदि हां तो,

क्या आप निर्यात आभार का वचन दे सकते हैं ?

हां	नहीं

यदि हां तो,

(1) निर्यात कर सकने वाले उत्पादन का प्रतिशत————————

(2) उत्पादन के कितने मूल्य के औसत तक निर्यात करने का वचन दे सकते हो?————————

3.7 यूनिट में रखे जाने वाले प्रस्तावित स्टाफ तथा श्रमिक?

(क) प्रबन्धकीय

(ख) पर्यवेक्षीय:

(1) तकनीकी

(2) गैर तकनीकी

(ग) लिपिक वर्गीय:

(घ) श्रमिक :

(1) कुशल

(2) अर्ध कुशल

(3) अकुशल

योग :

4. पूंजीनिवेश

4.1 कुल प्रस्तावित पूंजीनिवेश (भूमि, भवन निर्माण तथा मशीनरी में) रुपयों में

(1) भूमि तथा भवन निर्माण : रुपये : ————————

(2) मशीनरी रुपये : ————————

योग रुपये : ————————

परिशिष्ट 11 क—(जारी)

4.2 निम्नलिखित में अनिवासी भारतीय द्वारा पूंजी निवेश :

(1) पूंजीगत माल के आयात के लिये वित्तपोषण (रुपये में)

(2) नकद परेषण : रुपये————

योग : रुपये : ————

5. आवेदित पूंजीगत माल का ब्यौरा :

5.1 क्रम सं०	मद का नाम	मद कोड	मापक यूनिट	मात्रा	जहाज पर्यन्त निःशुल्क (मूल्य (रुपयों में)	उत्पत्ति का देश	
						नाम	कोड

कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य रुपयों में————

5.2 प्रारम्भिक अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य (जहाज पर्यन्त निःशुल्क रुपये) ————

5.3 अनुमानित भाड़ा ; ————

5.4 कुल बीमा : ————

5.5 (1) कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य————
(5.1+5.2+5.3+5.4)

(2) विदेशी मुद्रा में : मुद्रा का नाम————राशि ————

(3) मुद्रा विनियम की दर तथा विदेशी मुद्रा का रुपये में परिवर्तन :————विदेशी मुद्रा————रुपये

5.6 मशीनरी की हालत क्या नई/
पुरानी या मरम्मत की हुई है

[1] नई [2] पुरानी [3] मरम्मत की हुई

5.7 क्या वर्तमान आवेदन-पत्र में आवेदित मदों के अतिरिक्त परियोजना के लिये पूंजीगत माल के आयात का आगे भी विचार है।

[हां] [नहीं]

6. आयात लाइसेंस (सों) को जारी करते समय प्रयोग में लाने के लिये विशिष्ट सूचना

6.1 माल की निकासी के लिये पंजीकरण का पतन नाम————कोड [ ]

6.2 लाइसेंस के लिये वांछित वैधता अवधि (महीनों में)

6.3 क्या "परियोजना आयात" के रूप में सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिये रियायती दर प्राप्त करने के लिये पृष्ठांकन की आवश्यकता है : [ ]

7. भुगतान किये गये शुल्क का विवरण :—

(1) बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट ···················· (2) जारी करने की तिथि

दिन मास वर्ष

(3) राशि रुपयों में ···················· (4) जारी करने वाली शाखा ····················

8. समर्थित दस्तावेज/सूचना के ब्यौरे

क्या संलग्न है पृष्ठ सं०

(1) बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में [हां] [नहीं] [ ] [ ]

परिशिष्ट 11 क—जारी

(2) प्रत्येक प्रमुख मद के अलग-अलग लागत-बीमा भाड़ा मूल्य का विवरण देते हुए पूंजीगत माल की विस्तृत सूची की सात प्रतियां

हां	नहीं		

(3) प्रपत्र बीजक की प्रमाणित या फोटोस्टेट प्रति/लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य में शामिल (1) भाड़ा (2) बीमा का अलग-अलग मूल्य देते हुए माल के मूल्य में समर्थन में अन्य प्रलेखी प्रमाणों की चार प्रतियां

हां	नहीं		

(4) आयात किये जाने वाले माल का पूर्ण ब्यौरा देते हुए साहित्य/पैम्फलेट/विशिष्टियों की प्रतियां

हां	नहीं		

(5) यदि पुरानी/मरम्मत की गई मशीनरी को आयात करना है तो सनदी इंजीनियर से मशीनरी की आयु, वर्तमान स्थिति, वास्तविक एवं वर्तमान स्थिति, वास्तविक अनुमानित समाप्त न हुई अवधि को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र

हां	नहीं		

(6) यदि उत्पादन की प्रस्तावित मद के लिये अपेक्षित विदेशी सहयोग की आवश्यकता है:—

हां	नहीं		

(1) विदेशी सहयोग के लिये सरकार के अनुमोदन का प्रलेखी प्रमाण-पत्र यदि पहले ही प्राप्त कर लिया हो।

हां	नहीं		

(2) विदेशी सहयोग के लिये आवेदन पत्र

(7) शपथ पत्र/औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित/फोटोस्टेट प्रति

हां	नहीं		

(8) भारतीय दूतावास द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की मूल प्रतिलिपि यह प्रमाणित करते हुए कि उक्त व्यक्ति अनिवासी भारतीय हैं।

हां	नहीं		

परिशिष्ट 11 क—(जारी)

घोषणा

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।
2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस माल के आयात के लिये आवेदन पत्र दिया गया है उस का उपयोग केवल——————(अन्तिम उत्पाद का नाम) के उत्पादन के लिये किया जायेगा।
3. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि संयंत्र तथा मशीनरी कच्चे माल/संघटकों के रूप में या अन्य रूप में लाई गई विदेशी मुद्रा देश से बाहर प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी।
4. मैं/हम अपनी यूनिट का सीमाशुल्क निकासी परमिट के जारी होने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों से पंजीकरण प्राप्त कर लूंगा/लेंगे।
5. मैं/हम आयातित मशीनरी को 5 वर्ष की अवधि के दौरान बिक्री नहीं करूंगा/करेंगे।
6. लगाई जा रही मशीनरी प्रस्तावित औद्योगिक यूनिट में ही प्रयोग में लाई जायेगी तथा उसी उद्देश्य के लिये प्रयोग में लाई जायेगी जिसके लिये इसकी अनुमति दी गई है।
7. मैं/हम——————वर्ष की अवधि के दौरान स्थाई तौर पर बसने के लिये भारत लौट आऊंगा/आयेंगे।
8. मुझे/हमें आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस की प्राप्ति से विवर्जित नहीं किया गया है।
(जो लागू न हो उसे काट दें)।

हस्ताक्षर ——————————
नाम ——————————
पदनाम ——————————
पूरा आवासीय पता ——————————
——————————

स्थान ....
तिथि ....

आवेदित लाइसेंस के ब्यौरे :
(लाइसेंसिंग कार्यालय द्वारा भरा जाये)

(1) सैक्टर टाइप : ——————नाम——————कोड [|]

(2) आयातक श्रेणी : ——————नाम——————कोड [|]

(3) लाइसेंस श्रेणी : ——————नाम——————कोड [|]

(4) समझौते का प्रकार : ——————नाम——————कोड [|]

(5) संसाधनों का प्रकार : ——————नाम——————कोड [|]

(6) मुद्रा क्षेत्र [1] सामान्य [2] विशिष्ट [ ] [ ]

(7) आयातित पण्य वस्तु की श्रेणी———————— नाम ——————————————कोड [ ] [ ]

(8) नागरिकता स्थिति [1] भारतीय [ ] अनिवासी भारतीय

परिशिष्ट—12

डिजाइन और ड्राइंग के आयात के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

प्रपत्र—ठ

1. आवेदक/कम्पनी का नाम——————————————————2. आई० ई० सी०——————
3. आवेदक/कम्पनी का पता ——————————————————
पिन ——————————————————
4. विनिर्माण की वह रूप रेखा जिसके लिए ड्राइंग अपेक्षित है :
(1) (क) विद्यमान कारोबार/विनिर्माण की मदें——————————————————

(ख) यदि कोई हो तो उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम लाइसेंस सं०——————दिनांक——————

(2) क्या ऊपर उल्लिखित मद/मदें विदेशी सहयोग से विनिर्मित की जा रही हैं ?

[हां] [नहीं]

यदि हां तो कृपया प्रत्येक सहयोग के ब्यौरे दें :

	सहयोगी का नाम	सहयोगी की किस्म
1.		[1] तकनीकी [2] वित्तीय
2.		[1] तकनीकी [2] वित्तीय
3.		[1] तकनीकी [2] वित्तीय
4.		[1] तकनीकी [2] वित्तीय
5.		[1] तकनीकी [2] वित्तीय
6.		[1] तकनीकी [2] वित्तीय

परिशिष्ट—12—जारी

3. (क) क्या उस विनिर्माण कार्यक्रम के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र प्राप्त किया गया है जिसके लिए डिजाइन और ड्राइंग आयात की जानी है?

| हां | | नहीं |

यदि यह मद उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आती है तो कृपया संदर्भ दें :—

सं०————————————दिनांक————————————

या

(ख) यदि महानिदेशक तकनीकी विकास के पास पंजीकृत है तो कृपया संदर्भ दें।

सं०————————————दिनांक————————————

या

(ग) क्या प्रस्तावित विनिर्माण कार्यक्रम लघु उद्योग में चलाया जाएगा?

यदि हां तो कृपया पंजीकरण संख्या लिखें | हां | | नहीं |

सं०————————————दिनांक————————————

4. (क) वह प्रस्ताव और पूर्ण औचित्य दें जिसके लिए डिजाइन और प्रलेखनों का आयात अपेक्षित है :—

प्रस्ताव : ————————————————————————

————————————————————————

औचित्य : ————————————————————————

————————————————————————

(ख) कृपया संरचना करने के लिए प्रस्तावित मशीनरी का विशेष ब्यौरा दें :

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

(ग) कृपया बताएं कि इन डिजाइन और ड्राइंग के आधार पर संरचना किए जाने वाली प्रस्तावित मशीनरी :

| 1 | कैपटिव उपयोग | 2 | बिक्री के लिए उत्पादन |

(घ) (1) यदि संरचना की जाने वाली मशीनरी कैपटिव उपयोग के लिए है तो कृपया उस मशीनरी का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य बताएं, यदि वह आयात की जानी थी————————————रुपये

(2) आयातित डिजाइन और ड्राइंग की सहायता से स्वदेशी रूप से संरचना किए जाने वाले उपस्कर में आयात की मात्रा क्या है? ————————————रुपये

(3) आयातित डिजाइन और ड्राइंग की सहायता से स्वदेशी रूप से संरचित उपस्कर का लागत बीमा-भाड़ा-मूल्य क्या होगा? ————————————रुपये

(4) यदि यह पूर्ण रूप से आयात किया जाता तो इस उपस्कर का मूल्य क्या होगा?

————————————रुपये

3. वार्षिक उत्पादन का अनुमानित मूल्य :—

उत्पादन का वर्ष	मात्रा	कारखाना मूल्य (लाख रुपए में)	यदि कोई हो तो आयातित संघटकों के पहुंचने तक के मूल्य को घटाने के बाद कारखाना मूल्य
पहला वर्ष			
दूसरा वर्ष			
तीसरा वर्ष			
चौथा वर्ष			
पांचवां वर्ष			

परिशिष्ट—12—जारी

4. कारखाने का स्थान :-

तहसील————————जिला————————राज्य ————

5. निम्नलिखित पर किया जाने वाला अतिरिक्त पूंजीनिवेश :

(1) भूमि————————(2) भवन ————

(3) मशीनरी————————रुपये

(क) आयातित ————————रुपये (ख) स्वदेशी ———— रुपये

6. चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का ब्यौरा अर्थात् कच्चे माल और संघटकों में आयात की मात्रा और स्वदेशी मात्रा जो उत्पादन में जाएगी ।

वर्ष	आयात की मात्रा	स्वदेशी मात्रा
पहला वर्ष		
दूसरा वर्ष		
तीसरा वर्ष		
चौथा वर्ष		
पांचवा वर्ष		

7. उस विदेशी सम्भरक का नाम और पता जिससे भारतीय कम्पनी डिजाइन और ड्राइंग प्राप्त करना चाहती है :

नाम ————————

पूरा पता ————————

————————

————————

8. डिजाइन और ड्राइंग की खरीद करने के लिए शर्तें :—

(1) डिजाइन और प्रलेखन/जानकारी फीस रुपए में विदेशी मुद्रा में

(2) कृपया बताएं कि क्या देय और उपर्युक्त (1) के सामने निर्दिष्ट धनराशि सम्भरक को देय वास्तविक धनराशि को निरूपित करती है या करों सहित है और इसलिए करों की राशि को घटाने के बाद देय है । हां नहीं

9. समझौते के अनुसरण में डिजाइन और ड्राइंग की पूर्ति के अतिरिक्त विदेशी पार्टी द्वारा दी जाने वाली विशेष सेवाएं क्या हैं ?

————————

————————

10. कृपया बताएं, क्या संभरक उस तकनीकी जानकारी उत्पाद डिजाइन/इंजीनियरी डिजाइन को आवश्यकता पड़ने पर उन शर्तों पर अन्य भारतीय पार्टियों को भी उपलब्ध कराने के लिए सहमत है जो विदेशी संभरक सहित सभी अन्य सम्बद्ध पार्टियों द्वारा परस्पर स्वीकार की जाएं और जिनका सरकार अनुमोदन करें । हां नहीं

11. क्या आवेदक ने पहले डिजाईन और ड्राइंग का आयात किया है । हां नहीं

यदि हां तो ऐसे आयातित डिजाइन और ड्राइंगों के ब्यौरे और सम्बद्ध अनुमोदन पत्र की संख्या और दिनांक ।

(क) डिजाइन और ड्राइंग का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य————————रुपये

(ख) अनुमोदन पत्र की संख्या————————

(ग) अनुमोदन पत्र की तिथि————————

12. अन्तर्गस्त प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अनुसंधान और विकास के लिए आवेदक का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है कृपया संक्षिप्त विवरण दें :—

————————

————————

————————

घोषणा :— (1) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

(2) मुझे/हमें आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस दिए जाने के लिए वंचित नहीं किया गया है

आवेदक पार्टी के हस्ताक्षर————————

पदनाम ————————

पूरा आवासीय पता————————

————————

स्थान :————————

तिथि: ————————

आवेदित लाइसेंस का विवरण :
(लाइसेंसिंग कार्यालय द्वारा भरा जाए)

(1) सेक्टर टाइप ———————————— कोड : [ ][ ]
नाम

(2) आयातक श्रेणी ———————————— कोड : [ ][ ]
नाम

(3) लाइसेंस श्रेणी ———————————— कोड : [ ][ ]
नाम

(4) समझौते का स्वरूप ———————————— कोड : [ ][ ]
नाम

(5) संसाधनों की किस्म ———————————— कोड : [ ][ ]
नाम

(6) मुद्रा क्षेत्र [1] सामान्य [2] विशिष्ट

(7) अयातित पण्यवस्तु की श्रेणी ———————————— कोड : : [ ][ ]
नाम

(8) नागरिकता की स्थिति [1] भारतीय [2] अप्रवासी भारतीय

परिशिष्ट—13 क

स्टाक और बिक्री के लिए आवेदन पत्र

भाग—क

लाइसेंसिंग अवधि

आई० ई० सी०:—

1. आवेदक का नाम और पता :—
2. निदेशक, सांझीदार/प्रोपराइटर्स या कर्ता जैसा भी मामला हो, का नाम
3. शाखाओं के नाम :—
4. स्थापना की तिथि :—
5. व्यापार का प्रकार :—

6. पंजीकरण सं० (पंजीकरण-प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न) :—
7. आवेदित लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य
8. अदा किए गए शुल्क का विवरण :—
9. आयात किए जाने वाले माल का विवरण :—

क्रम सं०	माल का विवरण	मात्रा	माल की लागत	बीमा भाड़ा मूल्य

भाग—ख

1. पुस्तकों के आयात के लिए . . . .

(क) पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान का अधिकृत लागत लेखा, जो आवेदक फर्म का सांझीदार, निदेशक कर्मचारी या इससे सम्बन्ध रखने वाला न हो, का खरीददारी व्यवसाय प्रमाण पत्र ।

(ख) सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल, जो आवेदक फर्म या इसकी सहयोगी संस्थाओं का सांझीदार/निदेशक या कर्मचारी न हो, से एक प्रमाण पत्र जिसमें सनदी लेखापाल के पंजीकरण और संख्या के साथ पूर्व वर्ष के दौरान डीलर द्वारा प्रकाशित और उनके द्वारा वस्तुत: बेची गई पत्रिकायें, सामायिक पत्रिकायें, तकनीकी और गैर तकनीकी पुस्तकों सहित खरीददारी व्यवसाय दिखाया गया हो ।

भाग—ग

2. मेवे और मसालों के आयात हेतु . . . .

(क) प्रविष्टियों का मूल बिल

(ख) सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल, जो आवेदक फर्म या इसकी सहयोगी संस्थाओं का सांझीदार/निदेशक या कर्मचारी न हों, से एक प्रमाण पत्र जिसमें मेवों, काजू, तथा छुआरे के सम्बन्ध में आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य और 1972–73 से आवेदन पत्र से सम्बन्धित अवधि के पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष तक के किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने निजी नाम में आवेदक द्वारा दी गई तिथियां दिखाई गयी हों।

(ग) आयातों का विवरण जिसमें प्रविष्टि के बिलों की संख्यायें और तिथियां और सम्पुष्टि के सीमाशुल्क सदन का नाम दिया गया हो और प्रविष्टि मूल बिल भी साथ में दिए गए हों।

(घ) प्रविष्टि के मूल बिलों की प्रस्तुति न होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इसकी हानि की प्रतिष्ठापना के लिए सहवर्ती साक्ष्य देना होगा।

भाग—घ

3. मशीनरी/उपस्कर विनिर्माण के आयात के लिए . .

(क) भारतीय एजेन्ट या विदेशी मशीनरी/औजार विनिर्माताओं के रूप में पूर्ववर्ती अवधि के दौरान आवेदक द्वारा या उसके माध्यम से आयातित मशीनरी/उपस्कर का विवरण ।

परिशिष्ट—13क (जारी)

(ख) जहां पोतलदान ऐसे देश से होना है जो उस देश से भिन्न है जिसमें दिया गया माल उत्पादित हो, वहां उसके कारणों का पूर्व विवरण दिया जाना चाहिए।

भाग—ङ

4. युद्धोपकरणों के आयात के लिए . . . (क) फायर आरम डीलर्स लाइसेंस की संख्या, तिथि और वैधता :

(ख) पीयर आरम डीलर्स लाइसेंस को जारी करने वाला प्राधिकारी

(ग) युद्धोपकरणों (देशी या आयातित) का विगत तीन वर्षों का बिक्री व्यवसाय, नीति के अनुसार सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र संलग्न।

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त कथन सत्य और सही है। मैं/हम इस बात को पूर्ण रूप से समझते हैं कि यदि यह पाया गया कि भरे गए तथ्यों का कोई भी कथन गलत या झूठा है तो भरे गए कथनों के आधार पर मेरे/हमारे लिए अनुमोदित कोई भी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हर सरकार मुझे अन्य प्रकार से भी दण्डित कर सकती है।

मुझे/हमको आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के तहत आयात लाइसेंस प्राप्त करने से कभी वंचित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर :—

साफ अक्षरों में नाम :—

परिशिष्ट—13ख

खुले सामान्य लाइसेंस के तहत पुस्तकों का आयात करने वाले पुस्तक विक्रेताओं द्वारा उन लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजने के लिए त्रैमासिक विवरणी का प्रपत्र जिनके क्षेत्राधिकार में वे आते हैं।

1. पुस्तक विक्रेता का पूरा नाम और पता (पंजीकृत कार्यालय)
2. आयात निर्यातक कोड स० :
3. आयात की गई पुस्तकों का ब्यौरा :

लाइसेंसिंग वर्ष की तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून, और उससे आगे	लाइसेंसिंग वर्ष	आयात की गई पुस्तकों का ब्यौरा						उद्गम देश
		तकनीकी			गैर-तकनीकी			
		पुस्तकों के शीर्षक	संख्या	लागत-बीमा भाड़ा मूल्य (रु०)	पुस्तकों के शीर्षक	संख्या	लागत बीमा भाड़ा मूल्य (रु०)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

कुल मूल्य
तकनीकी रु०
गैर तकनीकी रु०
सब मिलाकर मूल्य रु०

4. आयातक पुस्तक विक्रेता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट—13ख (जारी)

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आयातों का ऊपर उल्लिखित ब्यौरा आयात सम्बन्धी दस्तावेजों से विधिवत सत्यापित कर लिया है और वह सही और सत्य है और यह कि कुछ भी छिपा कर नहीं रखा गया है।

आयातक पुस्तक विक्रेता के हस्ताक्षर

नोट :—यह विवरण क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास जिसके अधिकार क्षेत्र में आयातक पुस्तक विक्रेता स्थित है, पुस्तकों के आयात किए जाने वाली तिमाही की समाप्ति के 30 दिन के अन्दर पहुंच जाना चाहिए। इस निर्धारित अवधि के अन्दर विवरण न भेज सकने पर आयातक-निर्यातक कोड नम्बर रद्द किया जा सकता है तथा अन्य कोई कारवाई आयात (नियंत्रण) विधि, नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत की जा सकती है।

परिशिष्ट—15क

पंजीकरण करने वाले प्राधिकारियों की सूची

क्रम सं०	निर्यात उत्पाद	पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम	पंजीकरण करने वाले मुख्य कार्यालय का पता	पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी का क्षेत्रीय कार्यालय, यदि कोई हो, पता
1	2	3	4	5
1.	इंजीनियरिंग सामान : जंगावरोधी इस्पात उत्पाद, अभ्रक, गढ़ा हुआ अभ्रक, अभ्रक आधारित उत्पाद अभ्रक पावडर, अभ्रक छीजन, संसाधित अभ्रक तथा निर्माण सेवाओं में काम आने वाला सामान	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद	वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 14/1 बी, एजरा स्ट्रीट, (तृतीय तल) कलकत्ता-700001	(1) कामर्स सेंटर (द्वितीय तल), तारदेव रोड, बम्बई-400034 (2) कसामाई बिल्डिंग (प्रथम तल), 612, अन्ना सलाई, मद्रास। (3) सूर्य किरण, चौथा तल, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2.	इलैक्ट्रानिक माल ब्लैंक/अनरिकार्डिड आडियो/वीडियो कैसेटस/कार्टरिजिस प्रि-रिकार्डिड आडियो/वीडियो कैसेटस/कार्टरिजिस सहित कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा संबंधित सेवाएं।	इलैक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद	कमरा नम्बर 109, लोधी होटल, नई दिल्ली-110003	
3.	रसायन और संबद्ध उत्पाद, नामतः शीशा और शीशे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन पेन्ट, रबड़ उत्पाद इसमें टायर और ट्यूब भी शामिल हैं, कागज और कागज के उत्पाद, पुस्तकों जर्नल्स और आवधिक पत्रिकाएं, दियासलाई, आतिशबाजी तथा विस्फोटक पदार्थ, सीमेंट ऐस्बेस्टोस तथा सीमेंट उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद मारबल पौलिस्टर चिप्स, एडहेसिव शीलेक कम्पाउण्ड हीरे और अभ्रक गढ़े हुए अभ्रक पर आधारित उत्पादों को छोड़कर सभी खनिज, परमाणु खनिज सभी रूपों में ग्रेनाइट जोकि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और हारमोनाइज्ड सिस्टम पर आधारित भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अन्तर्गत आते हैं नमक एल्यूमिनिया (उत्पादों के अलावा) अल्युमिना (सभी रूपों में) सम्मिलित हैं।	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद	14/1 बी, एजरा स्ट्रीट, दूसरी मंजिल कलकत्ता-700001	(1) रशीद मेंशन, 622, अन्ना रोड, मद्रास-600006। (2) डी-17, कामर्स सेन्टर तारदेव रोड, बम्बई-400034 (3) लक्ष्मी निवास, 8, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001

परिशिष्ट–I 5क–जारी

1	2	3	4	5
4.	मूल रसायन नामश: औषधियां, औषध और सूक्ष्म रसायन रंग, मध्यवर्ती अल्कोहल तथा कोलतार रसायन, कार्बनिक रसायन, एग्रो रसायन, ग्लिसरीन, साबुन, अपमार्जक, कान्तिवर्धक एवं प्रसाधन, संसाधिक सिल बत्ती, अगरबत्ती सुगंधित तेल, डिहाइड्रेटेड कल्चर मीडिया, एवं अपरिष्कृत दवाइयां	मूल रसायन, औषध और कास्मेटिक निर्यात संवर्धन परिषद्	मांसग कैसटल (चौथीमंजिल), 7, कूपरेज रोड, बम्बई 400001	(1) 23/1 एवं 2, छठी मेन रोड, तीसरा क्रास, गांधी नगर, बंगलौर 560009 (2) कनकरिया एस्टेट, 9वीं मंजिल, 6—लिटल रसैल स्ट्रीट, कलकत्ता 700071
5.	प्लास्टिक, खिलौने, पोलिएस्टर फिल्म एवं अनुषंगी उत्पाद, मानव बाल और मानव बाल से बनी वस्तुएं।	प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद	तुलसियानी चैम्बर्स, 6ठा मंजिल, प्लाट नं० 212, ब्लाक–3, 612 और 615 बैकने रिक्लेमेशन, नरीमन प्वाइंट, बम्बई 400021	(1) सायर मेंशन 123, माउन्ट रोड, मद्रास-600006 (2) 14/1 बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता 700001
6	परिष्कृत चमड़ा और चमड़े से बना सामान, क्रोम द्वारा कमाया हुआ नील चमड़ा एवम् खाल, क्रोम द्वारा कमाया हुआ चमड़ा एवं खाल और क्रोम द्वारा कमाया हुआ पपड़ी दार चमड़ा एवं खाल और पूर्वी भारत के पपड़ी दार चमड़े।	चमड़ा निर्यात परिषद	लेदर सेंटर, 53 लिन्डहम्म्स, रोड पेरियामेट, मद्रास-600003	(1) 15/46 सिविल लाइन्स, पोस्टबाक्स, नं० 198, कानपुर 208001 (2) 220, निरजाब, दूसरी मंजिल, 99, सुभाष रोड, बम्बई 400002 (3) मोती जुग हाउस, आक्लैन्ड प्लेस, ग्राउन्ड फ्लोर, कलकत्ता 700017 (4) 6 जी-6 एच गोपाला टावर राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008।
7.	खेल का सामान	खेल–सामान निर्यात संवर्धन परिषद्,	आई०ई० 16, झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली-110001	
8.	मत्स्य, मत्स्य मील और मत्स्य उत्पाद	दी मैरीन प्रोडक्टस एक्सपोर्ट डवलपमेंट अथारिटी	कोलियर एस्टेट, एम० जी० रोड, पोस्ट बाक्स सं० 1708, कोचीन–682016	(1) छठा तल, रिजेम्ट चेम्बर्स जमनालाल बजाज मार्ग, नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई-400021 (2) 4/बी, मारुथी बिल्डिंग चौथा तल, 12, लाउडोन स्ट्रीट, कलकत्ता-700017 (3) सी० फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, आल इंडिया बिल्डिंग पेरूमानूर जेटी वेलिंग्डन आईलैण्ड, कोचीन-682003 (4) इंडियन चेम्बर बिल्डिंग इस्प्लेनेड, मद्रास-600001 उपक्षेत्रीय कार्यालय (1) एडेनवाला बिल्डिंग सुभाष रोड, वेरावल, 362265 (गुजरात) (2) सेंट्रल मार्किट के सामने भाइट शाप बिल्डिंग, मंगलौर-575001 (3) मीरा फ्लोरस, प्रथम तल गोमास्ता स्ट्रीट के पास, इनफस, पणजी (गोआ)–403001 (4) नम्बर 15–13–3, कृष्णा नगर, विशाखापत्तनम-530002 (5) थिरूवारुल, 24, चिदम्बरम नगर, दूसरी गली, तूतीकोरिन-628008 (6) जुबली बिल्डिंग, प्रथम तल चिनक्काडा, क्यूलोन-691001

परिशिष्ट–15क—जारी

1	2	3	4	5
				(7) जयदेव नगर, ल्यूइस रोड, भुवनेश्वर-751002 क्षावर संवर्धन कार्यालय 101, निर्मल टावर बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
9.	संसाधित खाद्य पदार्थ	कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	105, नई दिल्ली हाऊस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001	
10.	पशु/कुक्कुट चारा कम्पाउन्ड आम की गुठली का तेल साल के बीज का तेल चावल की भूसी का सत और निस्सारण की अन्य मदें जो और कहीं उल्लिखित न हों, कोकुम फैट, धूपा फैट और नीम आयल	दि सोलवेंट ऐक्स-ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया	142 जोली मेकर चेम्बर सं० 2, 14वीं मंजिल, 225, नरीमन प्वाइन्ट, बम्बई-400021	
11.	मूंगफली निस्सारण	दि ग्राउण्ड नट एक्सट्रैक्शन एक्सपोर्ट डिवेलेपमेंट एसोसिएशन	142, मित्तल टावर ए विंग 14वीं मंजिल, नरीमन प्वाइन्ट बम्बई-400021	
12.	सोयाबीन निस्सारण आटा	सोयाबीन प्रोसेस्सर एसोशिएशन आफ इंडिया	इंदौर	
13.	बिनौलों का निस्सारण	आल इंडिया काटनसीड क्रशर्स एसोसिएशन	बम्बई	
14.	करी पाउडर और पेस्ट स्पाइसिज आयल एवं ओलियो रेजिंस, ब्रांडनाम के अन्तर्गत एक किलो ग्राम या उससे कम के उपभोक्ता पैकिटों में साबुत मसाले अथवा पिसे हुए और थोक से साबुत अथवा पिसे हुए मसाले	स्पाइसिज बोर्ड	के० सी० एवेन्यू, सेंट विन्सेन्ट क्रास रोड, पी० बी० नं० 1909 एर्नाकुलम, कोचीन-682018।	
15.	हस्तशिल्प	हथकरघा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद्	6, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, बसन्त बिहार, नई दिल्ली-110057	
16.	हस्तनिर्मित ऊनी चटाइयां, गलीचे, दरियां, कालीन और नमदे जिसमें हस्तनिर्मित रेशमी चटाइयां शामिल हैं।	कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद	एफ-22/4, शर्मा मार्किट नोएडा, जिला गाजियाबाद (उ० प्र०)	कलील भवन, (प्रथम तल), मर्याद पट्टी, आवोली जिला वाराणसी (उ० प्र०) कार्यालय: बी-2/21 शापिंग कम्पलैक्स सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
17.	काजू की गिरी	काजू निर्यात संवर्धन परिषद्	वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम-6	
18.	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	तम्बाकू बोर्ड	गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश	(1) कार्पोरेट चैम्बर, 7वीं मंजिल। 5-न्यू मैरिन लाइन्स, बम्बई-400020
19.	ऊनी कपड़ा, होजरी निटवियर और मिश्रित रेशों से बना कपड़ा और मशीन से बने हुए ऊनी कालीन, गलीचे और दरियां फ्लैक्स यार्न और फ्लैक्स उत्पाद	ऊनी तथा ऊनी सामान निर्यात संवर्धन परिषद्	714, अशोक एस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001	(2) 714/3, गुरुदेव नगर, पोखावाल रोड, लुधियाना
20.	नारियल जटा	नारियल जटा बोर्ड	पोस्ट बाक्स नं० 1752, एर्नाकुलम, (केरल)	
21.	सूती वस्त्र	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्	इंजीनियरिंग केन्द्र, 5वीं मंजिल, 9 मैथ्यू रोड, बम्बई-400004	
22.	सिले सिलाए वस्त्र, ऊनी वस्त्र और चमड़ा, जूट रेशम, और सन के वस्त्रों को छोड़कर	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्	सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 58-नेहरू प्लेस, नई-दिल्ली-110019	टैक्सटाइल सेंटर, प्रथम मंजिल, पूसा स्ट्रीट, पी० डी० मैलो रोड, बम्बई-400009

परिशिष्ट—15क—जारी

1	2	3	4	5
23.	सभी प्राकृतिक रेशम के वस्त्र, तैयार वस्तुएं पोशाकें और मशीन से बुनी हुई दरियां	भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्	62-मित्तल चेंबर, नारीमन प्वाइंट, बम्बई-400021	
24.	रत्न और आभूषण	रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्	डी–15कामर्स सेंटर, चौथी मंजिल, तारदेव रोड, बम्बई-400034	(1) राजस्थान चेंबर भवन, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-302003 (2) हाई टावर नुगमबाक्कम हाई रोड, जगन्नाथ स्ट्रीट,मद्रास-400034 (3) निर्मल टावर, 10वीं मंजिल, 26–बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
25.	चलचित्र फिल्म (अनावरित) कथाचित्र, वृत्तचित्र, विज्ञापन फिल्में समाचार फिल्में और दूरदर्शन फिल्में	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम		
26.	प्राकृतिक रेशे के उत्पाद (नारियल जटा उत्पादों को छोड़कर)	(1) जूट आयुक्त कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम तथा असम में रहने वाले निर्यातकों के लिए		कलकत्ता
		(2) जूट उत्पाद विकास परिषद् नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश गुजरात, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में रहने वाले निर्यातकों के लिए		नई दिल्ली
		(3) जूट उत्पाद विकास परिषद् हैदराबाद, आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र तथा संघ शासित क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली स्थित निर्यातकों के लिए		हैदराबाद
		(4) जूट विनिर्माता विकास परिषद् मद्रास, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी स्थित निर्यातकों के लिए		मद्रास
27.	गैर-सेल्युलोसिक उत्पाद	संश्लिष्ट और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	रेशम भवन, 78, वीर नारिमन रोड, बम्बई-100020	(1) ब्लाक न० 3 ई रेशम भवन, लाल दरवाजा सूरत। (2) 33-हुकम सिंह रोड, अमृतसर
28.	सेल्युलोसिक उत्पाद	संश्लिष्ट और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्	रेशम भवन, 78, वीर नारिमन रोड, बम्बई-400028	(1) ब्लाक नं० 3ई, रेशम भवन, लाल दरवाजा, सूरत। (2) 33-हुकम सिंह रोड, अमृतसर
29.	सूती सेल्यूलोसिक रेशे के सूत/नाइलन पोलिएस्टर रेशे या सूत के मिश्रण से बने मिश्रित उत्पाद	संश्लिष्ट और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्	रेशम भवन, 678, वीर नारीमन रोड बम्बई-400020	(1) ब्लाक नं० 3ई-रेशम भवन, लाल दरवाजा सूरत। (2) 33-हुकुम सिंह रोड, अमृतसर
30.	वनस्पति	वनस्पति निदेशक	वनस्पति वनस्पति तेल और वसा, खाद्य एवं नगर आपूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली	

परिशिष्ट-15-क—(जारी)

2	3	4	5
31. खादी अर्थात् भारत में हथकरघे पर बनाया हुआ सूती सिल्क से या भारत में हाथ से कते हुए ऊनी धागे से या किसी दो या ऐसे सभी धागों के मिश्रण से बनाया हुआ कोई भी वस्त्र (तैयार पोशाकों और खादी से बनी हुई अन्य वस्तुओं सहित)	खादी और ग्रामोद्योग आयोग,	ग्रामोदय, 3-इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) बम्बई-4400056	
32. फोटोग्राफिक सैट फिल्में और माइक्रो फिल्में	रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्	14/1, बी, एजरा स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-1	
33. सभी रूपों में लाख	शैलाक निर्यात संवर्धन परिषद्	कलकत्ता	
34. ऐक्रिलिक से बुने हुए कपड़े	ऊनी एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्	714-अशोक इस्टेट, 24-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।	(1) चर्च गेट चेम्बर, 7वीं मंजिल, न्यू मैरिन लाइन्स, बम्बई-400020 (2) 714/3, गुरुदेव नगर, पोखावाल रोड, लुधियाना
	अथवा संश्लिष्ट और रेशम वस्त्र निर्यात संवर्धन वस्त्र	रेशम भवन, 78-वीर-नारिमन रोड, बम्बई-400020	(1) ब्लाक नं० 3-ई, रेशम भवन लाल दरवाजा सूरत। (2) 33-हुकुमसिंह रोड, अमृतसर
35. चाय	चाय बोर्ड	14, विपलावी त्रैलोक्य महाराज सारणी (ब्राबोर्न रोड), कलकत्ता-700001	
36. काफी	काफी बोर्ड	नं० 1, डा० अम्बेदकर विधि, बंगलौर-500001	
37. इलायची	स्पाइसिज बोर्ड	के० सी० एवेन्यू, सेन्ट विंसेन्ट क्रास रोड, पी०बी० नं० 1909, एर्नाकुलम, कोचीन-682018	
38. ओवरसीज कंस्ट्रक्शन एण्ड सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स	ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काऊंसिल आफ इण्डिया	कामर्स सेंटर, सातवीं मंजिल, जे दादाजी रोड, तारदेव, बम्बई-400034	
39. हस्तशिल्प उत्पाद उपर्युक्त क्रम सं० 19, 21 एवं 29 में शामिल हथकरघा उत्पाद और जूट-कपास ब्लेंडिड हैण्डलूम फैब्रिक्स	हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्	रशीद मेन्शन, 622 अन्ना सलाईपोस्ट बैग 461, मद्रास-600006	XVI-784-785, देशबन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग नई दिल्ली-110005
40. वे मदें जिनके लिए कोई भी पंजीकृत प्राधिकारी निर्धारित नहीं किया गया है।	निर्यात संवर्धन अधिकारी	बम्बई, मद्रास और कलकत्ता (क्रमश: पश्चिमी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र) संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) नई दिल्ली (उत्तरी आंचल के लिए)।	
41. निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सभी मदों के निर्यातक: (रत्न तथा आभूषण मदों के सिवाय) (1) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (2) अरुणाचल प्रदेश (3) लक्षद्वीप	राज्य औद्योगिक निदेशक या संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसके लिए नामित कोई अन्य अधिकारी		

परिशिष्ट-15क—जारी

1	2	3	4	5
	(4) मणिपुर			
	(5) मिजोरम			
	(6) नागालैण्ड			
	(7) त्रिपुरा			
	(8) जम्मू तथा कश्मीर			
	(9) गोवा			
	(10) मेघालय			
	(11) दमन तथा दीयु			
42.	निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन	(1) भारतीय निर्यातकों के संगठन का महासंघ (एफआईईओ)	पी० एच० डी० हाउस, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली	
43.	एक से अधिक निर्यात उत्पाद ग्रुप के निर्यातक, जिनका जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य 10 लाख रुपए तक है	(1) संबंधित निर्यात पण्य संवर्धन परिषद्/निर्यात व्यापार की मुख्य धारा से संबंधित वस्तु बोर्ड, तथा		
		(2) निर्यात संवर्धन अधिकारी	बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता (क्रमशः पश्चिमी दक्षिणी तथा पूर्वी आंचलों के लिए) संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात (के० ला० क्षेत्र०) नई दिल्ली (उत्तरी आंचल के लिए)	
44.	एक से अधिक निर्यात उत्पाद ग्रुप के निर्यातक, जिनका जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य 10 लाख से अधिक है।	(1) संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद/निर्यात व्यापार की मुख्य धारा से संबंधित पण्य वस्तु बोर्ड, तथा		
		(2) भारतीय निर्यातकों के संगठन का महासंघ (एफ आई०ई०ओ०)	पी० एच० डी० हाउस, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया हौज खास, नई दिल्ली	
45.	मुक्त व्यापार क्षेत्रों, निर्यात संसाधित क्षेत्रों में स्थित यूनिटें			
46.	सार्वजनिक उपक्रम, राज्य के स्वामित्व या नियंत्रित निगम, सरकार अथवा सरकारी विभाग द्वारा स्थापित विधिक निकाय	संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् पण्यवस्तु बोर्ड या		
		भारतीय निर्यातकों के संगठन का महासंघ	पी० एच० डी० हाउस, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली	
		नोट : भारतीय निर्यातकों के संगठन के महासंघ के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का पंजीकरण उन्हीं उत्पादों के लिए वैध होगा जिनका उल्लेख पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण-पत्र में किया गया है		

परीशिष्ट—15ख

उपाबन्ध-1

पंजीकरण के लिए आवेदनपत्र का प्रपत्र

(सिविल इंजीनियरिंग तथा निर्माण फर्मों के लिए पंजीकरण के अतिरिक्त)

सेवा में

....

....

(संबंधित निर्यात परिषद्)

महोदय,

विषय : पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति के अधीन पंजीकरण।

कृपया उपर्युक्त नीति के अधीन नीचे क्रम सं. 7 के सामने उल्लिखित उत्पाद ग्रुप पण्यवस्तु के लिए हमें विनिर्माता निर्यातक/व्यापारी निर्यातक के रूप में पंजीकृत करें।

1. (क) पंजीकृत कार्यालय, मुख्यालय और शाखाओं का नाम (तार का पता और टेलीफोन नम्बर)।

(ख) क्या कम्पनी स्वामित्व/साझेदारी या निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी या सहकारी विपणन समिति आदि है। (मालिकों/साझेदारों/निदेशक/प्रबन्ध निदेशकों के नाम और स्थायी पते दिए जाने चाहिए)।

(ग) उन सहयोगी फर्मों के नाम जिनके लिए आवेदक निर्यात व्यवसाय में एजेंट के रूप में कार्य करता है।

2. (1) आवेदक के बैंकर का नाम और पता।

(2) वित्तीय स्थिति को प्रमाणित करने वाला बैंकर का प्रमाणपत्र संलग्न करें।

3. (1) भारत में व्यवसाय/फैक्ट्री स्थापित करने की तारीख।

(2) निर्यात व्यवसाय आरम्भ करने की तारीख।

4. क्या उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्त है/महानिदेशक तकनीकी विकास/राज्य उद्योग निदेशक या किसी अन्य प्रायोजक प्राधिकारी के पास पंजीकृत है। यदि हां, तो लाइसेन्स/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या एवं दिनांक का उल्लेख करें।

5. यदि कोई हो तो, पिछले वर्षों के दौरान किए गए निर्यात (जिन उत्पाद के पंजीकरण की मांग की गई है और अन्य उत्पाद जो योजना के अन्तर्गत नहीं हैं, उनका उल्लेख किया जाना चाहिए)।

वर्ष	ब्यौरा	मूल्य	प्रमुख देश जिन्हें निर्यात किया गया
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

6. जहां कोई निर्यात न हुआ हो, तो जिस मद का निर्यात किया जाना है उसकी पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आंतरिक बिक्री का ब्यौरा ऊपर की क्रम सं 5 के नीचे दी गई सारणी में दिया जाए।

7. वे निर्यात उत्पाद जिनके सम्बन्ध में पंजीकरण की मांग की गई है (यहां पर आयात नीति में दिए गए उत्पादों की क्रम सं. का उल्लेख करें)।

8. यदि आप व्यापारी निर्यातक हैं तो कृपया बताएं कि जिन विनिर्माताओं के उत्पादन का निर्यात किया जाना है तो उनके मामले में की गई व्यवस्था का उल्लेख करें।

9. यदि किसी अन्य निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य वस्तु बोर्ड के साथ पंजीकरण किया गया है तो पंजीकरण प्राधिकारी और पंजीकरण संख्या और जिस निर्यात उत्पाद के लिए पंजीकरण किया गया है, उनका नाम बताएं।

10. हम सत्यनिष्ठापूर्वक कहते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सच और सही है और हम बिना किसी प्रतिबन्ध के नीचे दी गई शर्तें स्वीकार करते हैं :—

(1) हम सभी निर्यातों के लिए दिए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की शर्तों का पालन करेंगे।

(2) आयात लाइसेंसों का उन्हीं कार्यों के लिए उपयोग करेंगे जिनके लिए वे जारी किए गए हैं और जिन शर्तों पर उन्हें जारी किया गया है।

(3) पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा विहित आचरण का पालन करेंगे।

(4) पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्यात की न्यूनतम मूल्य की शर्तों से सहमत हैं और उनका पालन करेंगे।

(5) हम पंजीकरण प्राधिकारी को नियमित रूप से तिमाही के बाद वाले मास की 15 तारीख तक

निर्यातों के विवरण भेज देंगे, चाहे वह विवरण शून्य क्यों न हों ।

11. हम यह भी समझते हैं कि ऊपर दिए गए वचन का पालन न करने पर हमारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है ।

भवदीय,

स्पष्ट अक्षरों में नाम . . . .

पदनाम . . . .

पूरा पता . . . .

स्थान . . . . (1) सरकारी . . . .

तारीख . . . . (2) निवास . . . .

उपाबन्ध—2

सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण फर्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,

ओवरसीज कन्सट्रक्शन कौंसिल आफ इण्डिया,
कामर्स सेन्टर, 7वीं मंजिल,
जे, दादाजी राड, तारदेव,
बम्बई—400 064.

विषय :—पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति के अधीन पंजीकरण ।

प्रिय महोदय,

कृपया हमें उक्त नीति के अधीन सिविल इंजीनियर/निर्माण फर्म के रूप में, पंजीकरण करें । हमने निम्नलिखित विषय में भी विशेषता प्राप्त की है :—

(1) पंजीकृत कार्यालय, मुख्यालय और शाखाओं का नाम और पता (तार का पता और टेलीफोन नम्बर) ।

(2) व्यवसाय आरम्भ करने की तारीख ।

(3) क्या स्वामित्व/साझेदारी कम्पनी या निजी/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या सहकारी विपणन समिति आदि है ।

(4) स्वामी/साझीदारों/निदेशकों/प्रबन्ध निदेशकों के नाम और उनके निवास के स्थायी पते ।

(5) आवेदक जिन सहयोगी फर्मों के निर्यात व्यवसाय के एजेंट के रूप में कार्य करता है, उन फर्मों के नाम ।

(6) फर्म की पूंजी का स्वरूप (प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी) ।

(7) आवेदक के बैंकर (बैंकरों) का नाम और पता । (आवेदक के बैंकरों से उसकी वित्तीय स्थिति को प्रमाणित करने वाला प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए) ।

(8) पिछले 5 वर्षों में किए गए सिविल इंजीनियरी/निर्माण कार्य का मूल्य (प्रत्येक वर्ष में किए गए कार्य और उसके मूल्य का ब्योरा अलग-अलग दिखाया जाए) भारत में और भारत से बाहर किए गए कार्य का ब्योरा अलग अलग दिखाया जाए ।

(9) पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए मुख्य निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्योरा । इनके लिए अलग से दिखाया जाए (क) बांध और बैरेज (ख) बिजली घर (थर्मल और हाइडिल) (ग) ऊपर दिए गए निर्माणों के अलावा औद्योगिक निर्माणकार्य (घ) सड़कें और पुल (ट) सुरंग (च) गोदी बन्दरगाह (छ) मल व्यवस्था (सीवर) और जल पूर्ति प्रणाली (ज) बहुमंजिली इमारतें और नगर क्षेत्र (झ) इस्पात के ढांचे बनाना और निर्माण कार्य ।

वर्ष	काम का नाम	काम का मूल्य	जिस ग्राहक के लिए काम किया गया उसका नाम और पता
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(10) क्या फर्म किसी इंजीनियरी सामान बनाने वाली यूनिट के रूप में भी पंजीकृत है, यदि हां तो प्रायोजक प्राधिकारी (महानिदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग निदेशक, वस्त्र आयुक्त आदि का उल्लेख किया जाना है) से लाइसेंस लेने/पंजीकरण करने की संख्या और दिनांक ।

(11) कम्पनी द्वारा नियुक्त तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्मिकों के ब्यौरे (नीचे दिए गए प्रपत्रों में ब्यौरेवार विवरण संलग्न किया जाए) ।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	आयु	योग्यता	अनुभव
1	2	3	4	5
1.				
2.				

परिशिष्ट-15ग—(जारी)

(12) फर्म के संयंत्र और मशीनों की सूची (मशीनें, इनकी खरीद की तारीख और वर्तमान खाता/मूल्य का ब्यौरा देते हुए विवरण प्रस्तुत किया जाए)।

(13) आगामी तीन वर्षों के लिए निर्यात कार्य करने के बारे में वचनबद्धता/परियोजित ब्यौरा।

वर्ष	किए जाने वाले काम की किस्म	मूल्य
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

(14) मान्यता प्राप्त निकायों/औद्योगिक संघों की सदस्यता के ब्यौरे।

हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सच और सही है और हम बिना किसी प्रतिबन्ध के नीचे दी गई शर्तें स्वीकार करते हैं :—

(क) हम अपने सभी निर्यातों के लिए दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों का पालन करेंगे।

(ख) आयात लाइसेंसों का उन्हीं कार्यों के लिए उपयोग करेंगे जिनके लिए वे जारी किए गए हैं और जिन शर्तों पर इन्हें जारी किया गया है, उन शर्तों का भी पालन करेंगे।

(ग) हम पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा विहित आचरण का पालन करेंगे।

(घ) हम पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्यात के न्यूनतम मूल्य की शर्तों से सहमत हैं और उनका पालन करेंगे।

(ङ) हम पंजीकरण प्राधिकारी को नियमित रूप से तिमाही विवरण अगले महीने की 15 तारीख तक चाहे शून्य प्रतिलाभ क्यों न हों, भेजेंगे।

हम यह भी समझते हैं कि ऊपर दिए गए वचन का पालन न करने पर हमारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

भवदीय,

स्पष्ट अक्षरों में नाम . . . .

पदनाम . . . .

कार्यालय का नाम . . . .

निवास का पता . . . .

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-पत्र

भाग—1

(आवेदक द्वारा भरा जाना है)

1. आवेदक का नाम
2. क्या मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय/शाखा कार्यालय है।
3. यदि मुख्यालय हो तो शाखाओं और पंजीकृत कार्यालयों के नाम और पते दें।
4. आवेदक का पता
   (1) डाक का पता
   (2) तार का पता
   (3) फैक्ट्री का पता, यदि कोई हो।
5. क्या व्यापारी निर्यातक है या विनिर्माता निर्यातक है।
6. जिन निर्यात उत्पादों के लिए पंजीकरण मांगा है उनका विवरण।
   (1) विनिर्मित वस्तुओं का विवरण (यदि कोई हो)—
   (2) निर्यातित माल का विवरण . . . .
7. व्यवसाय की स्थापना का वर्ष . . . .
8. भागीदारों/निदेशकों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रोपराइटरों के नाम

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई जानकारी सच और सही है जिन शर्तों के अधीन पंजीकरण/सदस्यता प्रदान की गई है मैं/हम उन शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं/देते हैं।

नाम स्पष्ट अक्षरों में . . . .

पदनाम . . . .

निवास का पता . . . .

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

भाग—2

1. प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा आवंटित पंजीकरण संख्या/फैक्ट्री संख्या
2. विनिर्मित माल का ब्यौरा।
3. पूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख।

(यदि महानिदेशालय, तकनीकी विकास की यूनिटें हों तो पंजीकरण प्राधिकारी भरें और यदि अन्य यूनिटें हों तो प्रायोजक प्राधिकारी भरें)।

पंजीकरण प्राधिकारी/प्रायोजक

प्राधिकारी के हस्ताक्षर . . . .

स्पष्ट अक्षरों में नाम . . . .

पदनाम . . . .

मोहर . . . .

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

भाग—3

(इस पर संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी हस्ताक्षर करें)

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म पंजीकृत निर्यातकर्ताओं के लिए आयात नीति के अधीन नीचे बताए गए ब्यौरे के अनुसार पंजीकृत है :—

(1) जिस माल के लिए पंजीकरण हुआ है उसका विवरण

(2) पंजीकरण के लिए पूरी तरह से भरे हुए आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख

(3) पंजीकरण संख्या

(4) विनिर्माता/निर्यातकर्ता या व्यापारी निर्यातकर्ता*

यह प्रमाणपत्र पंजीकरण से सम्बद्ध योजना में निर्धारित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) . . . .

. . . . तक वैध/नवीकृत

दिनांक . . . .

पदनाम . . . .

मोहर . . . .

दिनांक . . . .

*जो लागू होता हो उसे स्पष्टतः बताएं ।

इस प्रमाणपत्र में किए गए संशोधनों के पृष्ठांकन के लिए स्थान ।

परिशिष्ट—15ख

उपाबन्ध-1

निर्यात का बैंक प्रमाण-पत्र

(तुरन्त बिक्री के आधार पर निर्यात के लिए)

प्रपत्र संख्या—1

आई० ई० कोड————

सेवा में————(लाइसेंस प्राधिकारी का नाम, और पता)

हम————(निर्यातकों के नाम और पते) एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार वसूली/लेन देन/खरीद के लिये परक्राम्य निर्यात बिल————(बैंक का नाम और पता अर्थात् शाखा या नगर) को अग्रेषित किया है:—

बीजक		सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत पोतलदान बिल की निर्यात संवर्धन प्रति		सीमा शुल्क द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत पोतलदान बिल में दिए गए माल का विवरण	आर०ई०पी० कोड	नकद प्रतिपूर्ति सहायता कोड	लदान बिल/डाक पार्सल रसीद/हवाई मार्ग बिल		माल का गंतव्य स्थान	
संख्या	तारीख	संख्या	तारीख				संख्या	तारीख	देश का नाम	देश का कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्ट-13ष—जारी

बिल के लागत बीमा भाड़ा/लागत और भाड़ा/जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की धनराशि (विदेशी मुद्रा से)	लागत-बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा/जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के परिवर्तन के लिए अपनाई गई दर	बिल के लागत-बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा/जहाज पर निःशुल्क मूल्य के बराबर भारतीय रुपयों में राशि (कालम 13 में दिखाई दर से परिवर्तित किए गए रुपए)	लदान बिल/भाड़ा/बीमों के अनुसार भारतीय रु० में भाड़े की राशि	बीमा कम्पनी के बिल/रसीद के अनुसार भारतीय रु० में बीमें की राशि	भारतीय रुपए में चुकाए गए/चुकाने योग्य कमीशन/छूट की राशि	भारतीय रुपए में जहाजपर्यन्त निःशुल्क मूल्य (कालम 14 में से कालम 15, 16 और 17 का जोड़ घटाया जाए)	जी०आर०आई० पीपी प्रपत्र संख्या	अग्रिम लाइसेंस सं० (यदि लागू हो)
12	13	14	15	16	17	18	19	20

हम आगे यह घोषणा करते हैं:—

(1) उपर्युक्त ब्योरे सही हैं और तुरन्त हुई बिक्री से संबंधित हैं (इन निर्यातों से संबंधित बीजक की प्रतियां संलग्न हैं)।

(2) यह निर्यात लिमिटेड कम्पनी/पंजीकृत निर्यातक के मुख्यालय/शाखा कार्यालय द्वारा किया गया है।

**(3) (क) शाखा कार्यालय उस लाइसेंस प्राधिकारी के नाम निर्यात सहायता के लिये आवेदन भेजेगा जिसके क्षेत्राधिकार में वह शाखा कार्यालय स्थित है।

(ख) जिस लाइसेंस देने वाले उपर्युक्त प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में लिमिटेड कम्पनी का मुख्यालय हो उस प्राधिकारी को कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय निर्यात सहायता के लिये आवेदन भेजेगा।

———————————

(निर्यातक के हस्ताक्षर)

*लागत-बीमा-भाड़ा, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बीजक में बताई गई विदेशी मुद्रा भारतीय रुपए में बनाए गए बीजक के संबंध में कालम 12 और 13 न भरे जाएं)।

**जो विकल्प लागू न हो उसे काट दें।

तुरन्त बिक्री के आधार पर खरीदे गए, बातचीत के द्वारा तय किये गये माल का बिल: खरीद, बातचीत की तारीख को चालू मांग खरीद दर पर प्राधिकृत व्यापारियों पर।

वसूली के लिये भेजा गया बिल (तुरंत बिक्री):—जिस तारीख को वसूली के लिये दस्तावेज भेजे गये उस तारीख को चालू मांग खरीद दर पर प्राधिकृत व्यापारियों पर।

बैंक प्रमाण-पत्र

विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंक को दिया गया कोड नम्बर———————————

संदर्भ सं०———————————

तारीख———————————

स्थान———————————

1. प्रमाणित किया जाता है कि हमने ऊपर के कालम 12 में बताई गई राशि के लिये मेसर्स ——————————द्वारा आहारित उक्त प्रलेखनीय निर्यात बिल, बातचीत द्वारा तय किया है, खरीदा है, वसूली के लिये भेजा है और ——————————कालम 13 में बताई गई परिवर्तन की दर का सत्यापन किया है। हमने ऊपर कालम 18 में बताए गए जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का नीचे दिये गये दस्तावेजों से भी सत्यापन किया है:—

(i) लदान बिल/डाक पार्सल/हवाई मार्ग बिल।

(ii) बीमा पालिसी/कवर/बीमा रसीद।

परिशिष्ट—15ण—जारी

(iii) हमने यह भी सत्यापित कर लिया है कि संबंधित पोत लदान बिल में दर्शाए गए के अनुसार सम्बद्ध संगत रसीद की तिथि————————है (तिथि दी जारी है)

(iv) हमने यह भी सत्यापित कर लिया है कि प्रक्रिया पुस्तक 1990—93 के पैरा 305(घ) के अनुसार निर्यात की तिथि————————है

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निर्यातक द्वारा यथा घोषित कमीशन की धनराशि जो अदा कर दी गई है/जो अदा की जानी है अर्थात् रुपए————(अंकों तथा शब्दों) का जो आर प्रपत्र के साथ सत्यापन कर लिया है और यह सही है।

*केवल वायु मार्ग द्वारा किये गये निर्यातों पर ही लागू।

————————

————————

(बैंकरों के हस्ताक्षर)

बैंकरों का पूरा पता————————

(शाखा और नगर)————————

कार्यालय की मोहर

उपाबन्ध—2

निर्यात का बैंक प्रमाण-पत्र

(परेषण के आधार पर रत्न और आभूषण से इतर उत्पादों के लिए)

आई० ई० कोड————————

फार्म संख्या—2

सेवा में————————(लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

हम————————(निर्यातकों के नाम और पते) एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने परेषण के आधार पर निर्यात किया है और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार हमने इन निर्यातों के मद्दे पूरा मूल्य प्राप्त कर लिया है:—

अस्थायी बीजक		बीजक			सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत पोतलदान बिल की निर्यात संवर्धन प्रति		माल का विवरण जैसा कि सीमा-शुल्क अधि-प्रमाणित पोतलदान बिल दिया गया है	आर० ई० पी० कोड	नकद प्रति-पूर्ति सहायता कोड	लदान बिल/डाक पार्सल रसीद/हवाई मार्ग बिल	
संख्या	तारीख	संख्या	तारीख	विदेशी मुद्रा में मूल्य	संख्या	दिनांक				संख्या	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

माल का गंतव्य स्थान देश		बिल के लागत-बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा/जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की धनराशि (विदेशी मुद्रा में)*	लागत-बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा/जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के परिवर्तन के लिए अपनाई गई दर @	बिल के लागत-बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा/जहाज पर निःशुल्क मूल्य के बराबर भारतीय रुपए में धनराशि (कालम 16 में दिखाई दर से परिवर्तित किए गए रुपए) @	लदान बिल/भाड़ा बीमों के अनुसार भारतीय रुपये में भाड़े की राशि	बीमा कम्पनी के बिल/रसीद के अनुसार भारतीय रुपये में बीमें की राशि	कमीशन/छूट (भारतीय रुपए में चुकाए गए/चुकाने योग्य)
नाम	कोड						
13	14	15	16	17	18	19	20

परिशिष्ट—15ब—जारी

भारतीय रुपए में जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (कालम 17 में से कालम 18,19, 20 का जोड़ घटा दें)	बिक्री आय की वसूली की तारीख	जी आर आई/पी पी/ प्रपत्र संख्या	अग्रिम लाइसेंस सं० (यदि लागू हो)
21	22	23	24

हम आगे घोषणा करते हैं कि :—

(1) उपर्युक्त ब्यौरे सही हैं और परेषण की बिक्री से संबंधित हैं (इन निर्यातों से संबंधित बीजक की प्रतियां संलग्न हैं)।

(2) (क) निर्यात लिमिटेड कम्पनी/पंजीकृत निर्यातक के मुख्यालय/शाखा कार्यालय द्वारा किया गया है और (क) शाखा कार्यालय उस लाइसेंस प्राधिकारी को निर्यात सहायता के लिए आवेदन भेजेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह शाखा कार्यालय स्थित होगा।

या

(ख) जिस उपर्युक्त लाइसेंसिंग प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में लिमिटेड कम्पनी का मुख्यालय/कार्यालय आता है, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय उसी को निर्यात सहायता के लिए आवेदन भेजा जाएगा।**

(निर्यातक के हस्ताक्षर)

*लागत-बीमा-भाड़ा, लागत और भाड़ा, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बीजक में यथा उल्लिखित विदेशी मुद्रा (भारतीय रुपए में बनाए गए बीजकों) के संबंध में कालम 15 और 16 नहीं भरे जाने हैं।

@वसूली की तारीख को मौजूद प्राधिकृत व्यापारी के टी/टी खरीद/मांग खरीद की चालू दर, जैसा भी मामला हो।

**जो विकल्प लागू न हो उसे काट दें।

उपाबन्ध—2

बैंक प्रमाण-पत्र

विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी ——————

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंक को दिया गया कोड ——————

संदर्भ सं० ——————

तारीख ——————

स्थान ——————

1. हम पुष्टि करते हैं कि ——————(भारतीय रुपए में बनाए गए बीजकों के संबंध में कालम 15 या कालम 17 में दर्शाई गई धनराशि) उक्त प्रेषण के लिए अनुमोदित तरीके से तिथि* ——————को हमें प्राप्त हो गई है। हमें निम्नलिखित के संदर्भ में कालम 21 में दर्शाए गए जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का सत्यापन कर लिया है :—

(i) लदान बिल डाक पार्सल रसीद/हवाई मार्ग बिल

(ii) बीमा पालिसी/कवर/बीमा रसीद

(iii) हमने यह भी सत्यापित कर लिया है कि संगत पोतलदान बिल में यथा संकेतिक सम्बद्ध संगत रसीद की तिथि ——————है तारीख दी जानी है।

**(iv) हमने यह यह भी सत्यापित कर लिया है कि प्रक्रिया पुस्तक, 1990—93 के पैरा-305(ख) के अनुसार निर्यात की तिथि ——————है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निर्यातक द्वारा ऊपर यथा घोषित कमीशन की धनराशि जो अदा की गई है/अदा की जानी है अर्थात् रुपए—————— (अंकों तथा शब्दों में) का जी आर० प्रपत्र के साथ सत्यापन कर लिया गया है और वह सही पाया गया।

*विदेश स्थित बैंक द्वारा प्राप्त करने/परेषण करने के लिए बीजक की तारीख : ——————

(बैंकरों के हस्ताक्षर)

*केवल वायु मार्ग द्वारा किए गए निर्यातों पर ही लागू।

बैंकरों का पूरा पता——————

(शाखा एवं नंबर) ——————

कार्यालय मोहर

परिशिष्ट 15-घ—(जारी)

उपाबन्ध-3

भुगतान का बैंक प्रमाण-पत्र

(परेषण के आधार पर रत्न और आभूषणों के निर्यात के लिए और विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में माल की बिक्री के लिए)

आई० ई० कोड————————

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स————————————द्वारा दूसरे देशों को किए गए आई० ई० कोड के निर्यात के लिए नीचे दिए गए बिलों का लेन-देन कर लिया गया है और हमें अनुमोदित तरीके से मुद्रा विनियम नियंत्रण नियमावली के अनुसार नीचे दी गई राशि प्राप्त हो गई है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं इसकी अदायगी अपरिवर्तनीय रुपया लेखे में या अन्य विशेष द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अनुसार प्राप्त नहीं हुई है।

क्र० सं०	बीजक सं०	बीजक तिथि	निर्यात की तारीख	निर्यातित माल का विवरण	आई पी कोड	लदान बिल/डाक रसीद और/या हवाई मार्ग बिल सं०	लदान बिल/डाक रसीद और/या हवाई मार्ग बिल तिथि	निर्यातक द्वारा घोषित माल का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	किस देश/किन देशों को निर्यात किया गया नाम (मों)	किस देश/किन देशों को निर्यात किया गया कोड (डों)	किस तारीख को बैंक भुगतान प्राप्त हुआ था*	निर्यातक के लेखे में विदेशी मुद्रा की रकम जमा होने की वास्तविक तारीख	यदि बिल की आंशिक अदायगी की गई हो जिस बीजक के लिये अदायगी प्राप्त हुई हो उसकी लाट सं०	प्राप्त राशि (रु० में)	भारत में जी० आर० आई०/पी०पी० प्रपत्र सं०	भारत में जी० आर० आई०/पी०पी० प्रपत्र तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

यह प्रमाणित किया जाता है कि जी० आर० प्रपत्र में दिये गये के अनुसार अदा किए गए/अदा किए जाने योग्य कमीशन की धनराशि———— रु० है (अंकों तथा शब्दों में)

विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिया गया कोड ————————

संदर्भ ————————

तारीख ————————

स्थान ————————

प्रबन्धक के हस्ताक्षर
बैंक का प्राधिकृत अधिकारी
कार्यालय की मोहर

टिप्पणियां :—

(1) बैंक के प्रमाणपत्र पर बैंक के कार्यालय की मोहर लगी होनी चाहिए।

(2) बिल की पूरी राशि की वसूली के बाद ही यह प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। तथापि, बिल में आने वाली खेपों के मद्दे आंशिक अदायगी की प्राप्ति के मामले में प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।

*वसूली करने वाले/भेजने वाले विदेश स्थित बैंक द्वारा अदायगी की सूचना देने की तारीख।

परिशिष्ट 15-ख--(जारी)

उपाबन्ध–4

विदेशी पर्यटकों को बिक्री के बाद प्राप्त माल के निर्यात के लिये भुगतान का प्रमाण पत्र

आई० ई० कोड————————

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स——————————————————द्वारा विदेशी पर्यटकों को बेचे गए माल के लागत-बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा/जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के निम्नलिखित बिलों के मद्दे भुगतान की गई रकम मुद्रा नियंत्रण विनियमावली के अनुसार अनुमोदित तरीके से हमें प्राप्त हो गई है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इसकी अदायगी अपरिवर्तनीय रुपया लेखे में या किसी विशेष द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हुई है।

क्रम सं०	बीजक सं०	बीजक तिथि	निर्यात की तारीख	निर्यातित माल का विवरण	आर ई पी कोड	लदान बिल डाक रसीद और/या हवाई मार्ग बिल सं०	लदान बिल डाक रसीद और/या हवाई मार्ग बिल तिथि	दिया गया भाड़ा प्रभार	दिया गया बीमा प्रभार	माल का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	जैसा भी मामला हो बैंक में मुद्रा बैंक ड्राफ्ट या चैक जमा करने की तिथि	भारत में प्राप्त राशि (रु० में)	रकम वसूली की तारीख	जी आर आई/पी पी फार्म संख्या	जी आर आई/पी पी फार्म तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को
आबंटित कोड—————————
संदर्भ संख्या ——————————
तारीख ——————————
स्थान ——————————

प्रबन्धक के हस्ताक्षर
बैंक का प्राधिकृत अधिकारी
कार्यालय की मोहर

टिप्पणी:—बैंक के प्रमाण-पत्र पर बैंक के कार्यालय की मोहर लगी होनी चाहिए।

*यह केवल उस व्यक्तिगत चैक के बारे में लागू होगी जो विदेशी पर्यटक द्वारा विदेशी पर्यटक बैंक से भुनाया गया हो।

उपाबन्ध-5

निर्यात का अनन्तिम बैंक प्रमाण-पत्र

रोटर डेम पर इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद गोदामों का निर्यात के लिए

आई० ई० कोड————————

सेवा में————————(लाइसेंस प्राधिकारी का नाम और पता)

——————————

परिशिष्ट–15 ख–उपाबन्ध–5—(जारी)

हम——————————————————————(निर्यातकों के नाम और पते) एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने नीचे दिये गये ब्योरे के अनुसार वसूली/लेन/देन/खरीद के लिये प्रलेखनीय निर्यात बिल——————————बैंक का नाम और पता (अर्थात् शाखा या नगर) को अग्रेषित किया है :—

बीजक: संख्या	बीजक: तारीख	सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत पोतलदान बिल की निर्यात संवर्धन प्रति: संख्या	सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत पोतलदान बिल की निर्यात संवर्धन प्रति: तारीख	सीमाशुल्क द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत पोत लदान बिल में दिए गए माल	आर० ई० पी० कोड	नकद प्रतिपूर्ति सहायता कोड	लदान बिल/डाक पार्सल रसीद/हवाई मार्ग बिल: संख्या	लदान बिल/डाक पार्सल रसीद/हवाई मार्ग बिल: तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

माल का गन्तव्य स्थान: देश का नाम	माल का गन्तव्य स्थान: देश का नाम	बिल के लागत-बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की धनराशि (विदेशी मुद्रा में)	लागत-बीमा भाड़ा/लागत और भाड़ा जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के परिवर्तन के लिए जी०आर०1 फार्म में दिये गए अनुसार अपनाई गई दर	बिल के लागत-बीमा-भाड़ा लागत और भाड़ा जहाज पर निःशुल्क मूल्य के बराबर भारतीय रुपयों में राशि (कालम 13 में दिखाई दर से परिवर्तित किए गए रुपये)	लदान बिल/भाड़ा मीमो के अनुसार भारतीय रुपये में भाड़ा राशि	बीमा कपनी के बिल/रसीद के अनुसार भारतीय रुपये में बीमे की राशि	भारतीय रुपये में चुकाए गए/चुकाने योग्य, कमीशन/छूट की राशि	भारतीय रुपये में जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य कालम 14 में से कालम 15, 16 और 17 का जोड़ घटाया जाए	जी०आर० आई०/पी० पी० प्रपत्र संख्या	अग्रिम लाइसेंस सं० तथा तिथि (यदि लागू हो)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

हम आगे यह घोषणा करते हैं कि :—

(1) उपर्युक्त ब्यौरे सही हैं और तुरन्त हुई बिक्री से संबंधित हैं (इन निर्यातों से संबंधित बीजक की प्रतियां संलग्न हैं।)

(2) यह निर्यात लिमिटेड कम्पनी/पंजीकृत निर्यातक के मुख्यालय/शाखा कार्यालय द्वारा किया गया है।

**(3) (क) शाखा कार्यालय इस लाइसेंस प्राधिकारी के नाम निर्यात सहायता के लिए आवेदन भेजेगा जिसके क्षेत्राधिकार में वह शाखा कार्यालय स्थित है।

अथवा

(ख) निर्यात सहायता के लिये आवेदन पत्र लिमिटेड कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय द्वारा और अन्य मामलों में मुख्यालय द्वारा उपर्युक्त अधिकारी को भेजे जायेंगे जिसके क्षेत्राधिकार में वह आती हैं।

————————

(निर्यातक के हस्ताक्षर)

*लागत-बीमा-भाड़ा, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बीजक में बताई गई विदेशी मुद्रा (भारतीय रुपये में बनाए गए बीजक के संबंध में कालम–12 और 13 में न भरे जाएं)।

**जो विकल्प लागू न हो उसे काट दें।

उपाबन्ध—5

बैंक प्रमाण-पत्र

विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी ——————————————————————————
रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा बैंक को दिया गया कोड नम्बर——————————————————————————

संदर्भ संख्या ——————————
तारीख ——————————
स्थान ——————————

1. प्रमाणित किया जाता है कि हमने ऊपर के कालम 12 में बताई गई राशि के लिये मैसर्स ——————————————द्वारा आहारित उक्त प्रलेखनीय निर्यात बिल, बातचीत द्वारा तय किया हैं/खरीदा हैं/वसूली के लिये भेजा है और——————————कालम 13 में बताई गई परिवर्तन की दर का सत्यापन किया है। हमने ऊपर कालम 18 में बताए गए जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का नीचे दिये गए दस्तावेजों से भी सत्यापन किया है :——

(1) लदान बिल/डाक पार्सल रसीद/हवाई मार्ग बिल।

(2) बीमा पालिसी/कवर/बीमा रसीद।

(3) हमने यह भी सत्यापित कर लिया है कि संबंधित पोत लदान बिल में दर्शाए गए के अनुसार सम्बद्ध संगत रसीद की तिथि————है। (तिथि दी जानी है)।

*(4) हमने यह भी सत्यापित कर लिया है कि प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 के पैरा 305(ख) के अनुसार निर्यात की तिथि————है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निर्यातक द्वारा यथा घोषित कमीशन की धन राशि जो अदा कर दी गई है/जो अदा की जानी है अर्थात् रुपये——————————————(अंकों तथा शब्दों) का जी० आर० प्रपत्र के साथ सत्यापन कर लिया है और यह सही है।

*केवल वायु मार्ग द्वारा किए गए निर्यातों पर ही लागू।

——————————
——————————
(बैंकरों के हस्ताक्षर)

बैंकरों का पूरा पता ——————————
(शाखा और नगर) ——————————
(कार्यालय की मोहर)

परिशिष्ट 15—क

इक्विटी सहभागिता के अधीन निर्यात का विवरण

सेवा में

——————————————————————————
(लाइसेंस प्राधिकारी का नाम और पता)

हम——————————————————————————(निर्यातकर्ता का नाम और पता) एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार——————————(लाइसेंस अवधि) के दौरान समान हिस्सेदारी के अधीन निर्यात किया है:——

बीजक संख्या और तारीख	माल का विवरण	लदान बिल पी० पी० रसीद/हवाई बिल की संख्या और तारीख	माल का गंतव्य स्थान	लागत-बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बिल की राशि	भाड़े की राशि	बीमे की राशि	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बराबर राशि	जी०आर० आई०/पी० पी० फार्म संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								

परिशिष्ट—15.ङ (जारी)

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण एवं वित्तीय सूचना मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है सभी निर्धारित रजिस्टर*/और रिकार्ड रखा गया है और वित्तीय सूचना उनसे ली गई है यह और रखे गये रजिस्टर एवं रिकार्ड के अनुसार है।

मैं आगे यह भी सत्यापित करता हूं कि मैं इस विवरण की जांच करने एवं उस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं।

मैं/हम यह पूरी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि ऊपर दी गई कोई सूचना यदि असत्य एवं गलत सिद्ध होती है तो मैं/हम किसी दण्ड अथवा विधि में निर्धारित किसी अन्य प्रकार से या अन्यथा रूप से दण्ड का भागी होऊंगा/होंगे।

हस्ताक्षर . . . .

निर्यातक का नाम . . . .

कार्यालय का पता . . . .

आवास का पूरा पता . . . .

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

*यदि कोई दस्तावेज/रजिस्टर नहीं रखे गए हैं तो वे नीचे दिखाए जाएं :—

(1)

(2)

(3)

(4)

सनदी लेखापाल, लागत-लेखापाल, कम्पनी सचिव का प्रमाणपत्र

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स . . . . के . . . . से . . . . की अवधि के/. . . . . की समाप्त अवधि/वर्ष के निर्धारित रजिस्टरों और उपयुक्त रिकार्डों की भी जांच कर ली है और एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं/करते हैं कि :—

(1) मैसर्स . . . . द्वारा वित्त वर्ष (वर्षों) के दौरान भागीदारी के अधीन विवरणी में आयुक्त निर्यात प्रभावी किया गया—

(2) आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं और मेरे/हमारे द्वारा उनकी जांच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है— सम्बद्ध आयात-निर्यात नीति** के अनुसार पात्रताएं और निर्यात आदेश/संविदा, पोतलदान बिल, डिलीवरी बीजक, लदान बिल (और/या वायुमार्ग बिल/पी. पी. रसीद), सीमा शुल्क/सत्यापित बैंक बीजक बैंक प्रमाण पत्र, उनके अपने नाम में विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए गए भुगतानों के साक्ष्य पत्र और संबंधित लेखा पुस्तकें;

(3) सम्बद्ध रजिस्टर मेरे/हमारे हस्ताक्षर/मोहर के अन्तर्गत अधिप्रमाणित किए गए हैं;

(4) उपर्युक्त विवरण पत्र में दी गई वित्तीय सूचना संबंधित रजिस्टरों और रिकार्डों के अनुसार है यह सूचना निर्यातक द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में संयोजित कर ली गई है, और यह सत्य एवं सही भी है;

(5) यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तुत की गई सूचना हर तरह से सत्य एवं सही है, इसका कोई भी भाग गलत अथवा भ्रामक नहीं है और न ही कोई संबंधित सूचना छिपाई अथवा रोकी गई है;

(6) मैं और न ही मेरे भागीदार में से कोई भी, उपर्युक्त नामित संस्था अथवा इसके संबंधित उद्यमों का भागीदार, निदेशक अथवा कर्मचारी है;

(7) मैं/हम यह अच्छी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि यदि इस प्रमाण-पत्र में उल्लिखित कोई विवरण गलत अथवा असत्य सिद्ध होता है तो मेरे/हमारे खिलाफ कोई भी ऐसी दाण्डिक या अन्य परिणामी कार्रवाई की जा सकती है जो विधि में निर्धारित या अन्यथा रूप से उपयुक्त हो।

(हस्ताक्षर और मोहर)

हस्ताक्षरकर्ता की सील

(सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम . . .

पूरा पता . . . .

सदस्यता संख्या . . . . .

स्थान :

दिनांक :

**यदि उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित कोई दस्तावेज या रिकार्ड नहीं रखे गए/दिए गए हैं,/जांच किए गए या सत्यापित किए गए हैं तो उन्हें नीचे विशिष्टिकृत किया जाए।

परिशिष्ट–15च

पंजीकृत निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात के मद्दे माल के आयात के लिए आवेदन-पत्र
आई ई कोड तथा जारी करने का वर्ष

1. आवेदक का नाम तथा पता
2. आर० सी० एम० सी० स० तथा तारीख
(फोटो प्रति लगाए)
3. एस० पी० एस० सं०, यदि कोई हो
4. निर्यात अवधि
5. उत्पाद समूह
6. आवेदित लाइसेंस का लागत भाड़ा मूल्य
7. अदा किया गया आवेदन–शुल्क का ब्यौरा
8. किए गए निर्यात का ब्यौरा
(संलग्न विवरण के अनुसार)
9. यदि निर्यात अग्रिम/पास बुक/विशेष अग्रदाय/अग्रदाय लाइसेंस अग्रिम रिलीज आदेश के मद्द है तो लाइसेंस सं० तथा तारीख, मूल्य तथा लाइसेंसिंग कार्यालय की फाइल संख्या दी जाए ।

परिशिष्ट 15च (जारी)

स्वीकृत निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के बदले माल का आयात करने के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र 11"×14"

(कार्यालय के प्रयोगार्थ)

आवेदन की तारीख ——————————

फाइल नं० : ——————————

1. *(आयातक-निर्यातक कोड:———— 2. भारतीय रिज़र्व बैंक कोड:———— 3(क) नामांकन (सं०) यदि कोई है————

(ख) वैधता तक 4. नाम तथा डाक पता————

5. निर्यात अवधि (से)————(तक)———— 6. उत्पादन मुख कोड————नाम ————

7. किए गए निर्यात का ब्यौरा————

7(क) जहाजरानी बिल सं०/डाक रसीद नम्बर	जहाजरानी बिल की तिथि/डाक रसीद की तिथि	यदि नकद प्रतिपूर्ति सहायता लाभ बाद में दावित किए जाते है तो नकद प्रतिपूर्ति कोड	पूर्ववर्ती मामले की फाइल नं० (पूरक दावा के लिए)	निर्यातित उत्पाद का ब्यौरा	कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क (रु० में)	दावित आर० ई० पी० लाइसेंस (रु०)	मात्रा **यूनिट कोड यूनिट का नं०

7(ख) जहाजरानी बिल डाक रसीद में एस एन	निर्यात की तिथि	आर ई पी कोड	फाइल नं० (अन्य लाभों के लिए पहले से ही जमा दस्तावेजों के मामले में)	जी० आर० पी० पी० सं०	आई० टी० सी० कोड (समन्वित)	देश का डाक	आर० ई० पी० की दर	नई पुरानी दर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क हकदारी (रु०)	पहले से ही दावित आर० ई० पी० लाइसेंस (रु०)	आर० ई० पी० लाइसेंस जारी (रु०) (कार्यालय में प्रयोगार्थ)

7(क)

7(ख) ————————————————

7(क) ————————————————

7(ख) ————————————————

7(क) ————————————————

7(ख) ————————————————

7(क) ————————————————

परिशिष्ट 15च (जारी)

7(ख) ____________________

7(क) ____________________

7(ख) ____________________

7(क) ____________________

7(ख) ____________________

7(क) ____________________

7(ख) ____________________

*मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए जाने पर भरा जाए।

*यूनिट कोड: नम्बर 01, जोड़ा—02, दर्जन—03, गुरुस—04, संख्या में—सौ—05, संख्या में हजार—06, ग्राम—11 किलोग्राम—12, मीट्रिक टन—13, कैरेट—14, इंच—21, फुट—22, गज—23 मीटर—24 वर्गइंच—31, वर्गफुट—32, वर्गगज—33, वर्गमीटर—34, क्यूबिक इंच—41, क्यूबिक फुट—42, क्यूबिक गज—43, क्यूबिक मीटर—44, लीटर—51, युग्म—61, पैक—62, सैट—63

***यदि परिशोधित दर और मदों के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाता है तो "नया" लिखें अन्यथा "पुराना" लिखें।

(दर में या आयात प्रतिपूर्ति की मद में परिवर्तन होने की तारीख से एक वर्ष/90 या 30 दिन जैसा भी मामला हो के भीतर निर्यातित उत्पादों के लिए लागू)।

सभी तारीखें दिदि—मामा—वव के रूप में दी जानी चाहिए जोकि दिदि—दिन, मामा—मास और वव-वर्ष को सम्बोधित करता है।

परिशिष्ट 15ख—(जारी)

वचन/घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक यह वचन देता हूं/देते हैं/घोषणा करता हूं/करते हैं :—

(1) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन-पत्र में दिए गए विवरण एवं घोषणा मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा इसमें कुछ भी छिपाया या रोक रखा नहीं गया है।

(2) मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि इस आवेदन-पत्र में दी गई सूचना गलत या अनुचित या भ्रामक पाई गई तो इस आवेदन-पत्र के आधार पर दिया गया कोई भी लाइसेंस, इस संबंध में की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त मुझे/हमें या मुझे/मेरे नामांकित व्यक्ति को भविष्य में देय आयात लाइसेंसों के मद्दे समंजित करवा लिया जाएगा।

(3) कि कालम क्रम सं. 9 में निर्दिष्ट अग्रिम लाइसेंस के अतिरिक्त इस आवेदन पत्र में शामिल निर्यातों के मद्दे आयात लाइसेंस के लिए कोई अन्य आवेदन नहीं किया है या भविष्य में किया जाएगा।

(4) कि परेषण/पार्सल लौटा दिए गए हैं। यदि परेषिती द्वारा किसी भी समय निर्यातित माल लौटा दिया जाता है या यदि माल को बेच दिया जाता है, निर्यात की तारीख के 6 मास के दौरान या भारतीय रिजर्व-बैंक द्वारा अनुमित अवधि तक किसी प्राधिकृत माध्यम से भुगतान नहीं कराया जाता है तो उसके एक मास के अन्दर लाइसेंस प्राधिकारी को आवश्यक सूचना प्रेषित कर दी जाएगी तथा इस आवेदन पत्र के आधार पर प्रदान किया गया कोई भी लाइसेंस, इस संबंध में की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त मुझे/हमें देय आगामी आयात लाइसेंसों के मद्दे समंजित करवा लिया जाएगा। इस आवेदन में शामिल निर्यात के संबंध में यदि किसी भी समय विदेशी खरीददार को कोई जुर्माने या क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाएगी तो उसके एक मास की अवधि के अन्दर एतद् संबंधी सूचना लाइसेंस प्राधिकारी को दे दी जाएगी।

(5) यदि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा छानबीन के परिणामस्वरूप इस आवेदन-पत्र के मद्दे मुझे/हमें कोई भी फालतू लाइसेंस जारी किया/पाया गया, तो वह किसी श्रेणी के अन्तर्गत मुझे/हमें देय आगामी लाइसेंसों के मद्दे समंजित कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई इस संबंध में की जाने वाली अन्य किसी भी कार्रवाई के अतिरिक्त होगी।

(6) मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि यदि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत या अनुचित या भ्रामक पाई गई तो इस आवेदन पत्र के आधार पर दिया गया कोई भी लाइसेंस इस संबंध में की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अलावा रद्द या प्रभावहीन कर दिया जाएगा।

(7) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि निर्यातित पत्रिकाओं/आवधिकों/पुस्तकों (पाठ्यपुस्तकों और हार्ड बाउन्ड बुक्स से भिन्न) के लिए वसूल किए गए मूल्य अधिकतम 40% डिस्काउन्ट घटाकर सूचीबद्ध विदेशी मूल्यों से कम नहीं थे। जिन मामलों में कोई विदेशी मूल्य सूचीबद्ध नहीं थे, उनमें सूचीबद्ध भारतीय मूल्य से कम पत्रिकाओं/आवधिकों/पुस्तकों (पाठ्य पुस्तकों और हार्ड-बाउण्ड बुक्स से भिन्न) को अधिकतम 40 प्रतिशत सामान्य व्यापार डिस्काउन्ट घटाकर सरकारी मुद्रा विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया था। पाठ्य पुस्तकों और हार्ड बाउण्ड बुक्स के मामलों में 50 प्रतिशत तक व्यापार डिस्काउन्ट की अनुमति है।

(8) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि वे आंकड़े जिनके आधार पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए यह आवेदन-पत्र दिया गया है, उनमें केवल आन्तरिक उपयोग के लिए निषेध किताबों/पत्रिकाओं/आवधिकों के निर्यात शामिल नहीं हैं।

(9) मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि निर्यात पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत से कम कीमत पर नहीं किए गए हैं।

(10) मैंने/हमने अपने निर्यातों को बीजक से कम या बीजक से अधिक नहीं रखा है।

(11) मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि आवेदक के स्थान पर इस विवरण को सत्यापित और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं।

हम पूर्ण रूप से जानता हूं/जानते हैं कि उपर्युक्त विवरण में दी गई कोई भी सूचना यदि असत्य एवं गलत सिद्ध होगी तो मैं/हम कानून में निर्धारित किसी भी दण्ड या अन्यथा रूप से उल्लिखित दण्ड के भागी होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर . . . .
साफ अक्षरों में नाम . . . .
पदनाम . . . .
कार्यालय का पूरा पता . . . .
घर का पूरा पता . . . .
. . . .
. . . .

स्थान . . . .
दिनांक . . . .

परिशिष्ट— 15छ

आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत निर्यात निष्पादन प्रमाण-पत्र देने के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक एकक का नाम और पता
2. आवेदक के कारखाने का नाम
3. औद्योगिक लाइसेंस या प्रायोजिक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र या उद्योग निदेशक द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और दिनांक
4. निर्यात संवर्धन परिषद् या अन्य सम्बन्धित निर्यात संवर्धन पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा आवेदक को विनिर्माता निर्यातक के रूप में जारी किए गए निर्यात संवर्धन परिषद् पंजीकरण यदि कोई हो, की संख्या और दिनांक
5. अन्तिम उत्पाद
6. एकक की अनुज्ञप्ति क्षमता
7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विनिर्मित उत्पादों के उत्पादन का वास्तविक मूल्य (सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उत्पादन लागत, मूल्यह्रास, ब्याज, लगाने वाले शुल्क एवं कर और लाभ इत्यादि सहित)
8. पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आवेदक द्वारा विनिर्मित और निर्यात किए गए उपर्युक्त क्रम संख्या 5 में उल्लिखित अनुमेय निर्यातों के जहाज पर्यन्त निशुल्क कुल मूल्य को निम्नलिखित अनुसार अलग से दिया जाना है —
   (क) आवेदक यूनिट के अपने नाम में किया गया निर्यात;
   (ख) निर्यात सदन/व्यापार-सदन/स्टार व्यापार सदन के माध्यम से किया गया निर्यात; और
   (ग) व्यापारी निर्यातक और अन्यों के माध्यम से किया गया निर्यात।
9. उपर्युक्त क्रम सं० 8 पर उत्पादन के वास्तविक मूल्य का उपर्युक्त तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष का उपर्युक्त क्रम सं० 9 के मामले में उत्पाद के निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का प्रतिशत।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस विवरण में दिए गए ब्यौरे सही हैं और किसी भी बात को छुपाया नहीं गया है या रोका नहीं गया है कि सभी निर्धारित रजिस्टर एवं रिकार्ड रखे गए हैं और इसमें से वित्तीय सूचना ली गई है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि

(1) वह माल जिसका निर्यात उपर्युक्त क्रम संख्या 8 में यथा वर्जित नहीं किया गया था और जिसका निर्यात ऊपर बताए गए के अनुसार दूसरों के माध्यम से किया गया था वह वास्तव में मेरे/हमारे द्वारा विनिर्मित था और इसके समर्थन में संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य मेरे/हमारे पास हैं जिन्हें मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा और/या संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने का मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं और ऐसा करने में असमर्थ होने पर हमारे विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई की जा सकती है।

(2) मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि मैं आवेदक के स्थान पर इस विवरण को सत्यापित और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं।

(3) मैं/हम पूर्ण रूप से जानता हूं/जानते हैं कि उपर्युक्त विवरण में दी हुई कोई भी सूचना यदि असत्य एवं गलत सिद्ध होगी तो मैं/हम कानून में निर्धारित किसी भी दण्ड या अन्यथा रूप से लिखित दण्ड के भागी होऊंगा/होंगे।

हस्ताक्षर————————

निर्यातक का नाम ————————

कार्यालय का पूरा पता ————————

दिनांक : निवास का पूरा पता————————

स्थान :

*यदि कोई दस्तावेज अथवा रिकार्ड नहीं रखे गए हैं तो उनके बारे में नीचे उल्लेख करें।

1

2

3

4

परिशिष्ट–15 (जारी)

सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव का प्रमाण-पत्र

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स . . . . के . . . . की अवधि के/(. . . . . की समाप्त अवधि/वर्ष के निर्धारित रजिस्टरों और उपयुक्त रिकार्डों की भी जांच कर ली है और एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं/करते हैं कि ।

(1) मैसर्स . . . . ने

(आवेदक का पूरा पता)

निर्यात निष्पादन प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए दिए गए विवरण के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए ऊपर उल्लिखित उत्पाद (जो आयात निर्यात नीति, 1990—93 (खण्ड I) के परिशिष्ट 12 में शामिल नहीं है) का निर्माण किया है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि फर्म/कम्पनी द्वारा उनके अपने ही नाम से निर्यात किए गए या सीधे निर्यात में तथा इनमें उनके द्वारा किसी अन्य के स्थान पर या किसी सार्वजनिक एजेन्सी (केन्द्र या राज्य) के माध्यम से तृतीय पार्टी के लिए निर्यात या सरणीबद्ध एजेंसी जहां कोई भी स्वत्वत्यागक नहीं दिया गया है, के लिए किए गए निर्यात सम्मिलित नहीं हैं;

(2) आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं और मेरे/हमारे द्वारा उनकी जांच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है—सम्बद्ध आयात-निर्यात नीति के अनुसार पात्रताएं और निर्यात आदेश/संविदा, पोत लदान बिल, डिलीवरी बीजक, लदान बिल (और/या वायुमार्ग बिल), पी. पी. रसीद/सीमा शुल्क/सत्यापित बैंक बीजक, बैंक प्रमाण पत्र और सम्बन्धित लेखा पुस्तकें, अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस, आर. ई. पी. लाइसेंस, सम्बद्ध वर्ष में जारी की गई आयात-निर्यात पासबुक, यदि कोई हो;*

(3) सम्बद्ध रजिस्टर मेरे/हमारे हस्ताक्षर/मोहर के अन्तर्गत अधिप्रमाणित किए गए हैं;

(4) उपर्युक्त विवरण पत्र में दी गई वित्तीय सूचना सम्बन्धित रजिस्टरों और रिकार्डों के अनुसार है, यह सूचना निर्यातक द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में समाविष्ट कर ली गई है, और यह सत्य एवं सही भी है;

(5) यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तुत की गई सूचना हर तरह से सत्य एवं सही है; इसका कोई भी भाग गलत अथवा भ्रामक नहीं है; और न ही कोई सम्बन्धित सूचना छिपाई अथवा रोकी गई है;

(6) मैं और न ही मेरे भागीदार में से कोई भी, उपर्युक्त नामित संस्था अथवा इसके सम्बन्धित उद्यमों का भागीदार, निदेशक अथवा कर्मचारी हूँ ।

(7) मैं/हम यह अच्छी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि यदि इस प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई विवरण गलत अथवा असत्य सिद्ध होता है तो यह मुझे/हमें किसी ऐसे दण्ड अथवा अन्य परिणाम, जैसा कि विधि में निर्धारित है या अन्यथा रूप से उपयुक्त है, के लिए भागीदार करेगा ।

(हस्ताक्षर और मोहर)
हस्ताक्षरकर्ता की सील
(सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव)
हस्ताक्षरकर्ता का नाम . . . .
पूरा पता . . . .
सदस्यता सं. . . . .

स्थान

दिनांक :

*यदि उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित कोई दस्तावेज और रिकार्ड नहीं व्यवस्थित किए गए/दिए गए हैं, जांच किए गए या सत्यापित किए गए हैं तो उन्हें नीचे विशिष्टिकृत किया जाए ।

1.
2.
3.
4.

टिप्पणी —(1) विवरण के सभी पृष्ठ सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव द्वारा प्रमाणित होने चाहिए जो संबद्ध निर्यातक या उसकी सहयोगी फर्म का भागीदार, निदेशक या कर्मचारी न हो ।

(2) इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित निर्यात लेखे में लिए जाएंगे :—

(1) आयात-निर्यात नीति (खण्ड-1) 1990—93 के परिशिष्ट 12 में शामिल निर्यात उत्पादों के अतिरिक्त सभी निर्यात ।

(2) स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में नेपाल और भूटान को निर्यात ।

(3) क्रम संख्या 8 के निर्यातों के कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में मुक्त व्यापार क्षेत्र/व्यापार संसाधन क्षेत्र तथा शत प्रतिशत निर्यात अभिग्रहीत निर्यातों और आयात-निर्यात नीति 1990—93 के पैरा 200 के अनुसार स्वदेशी रिजीज आदेश के मद्दे किए गए संभरण का मूल्य शामिल नहीं होगा ।

परिशिष्ट 15–ज

अग्रिम/देशी माल के लिए रिलीज आदेश का प्रपत्र

देशी उत्पादक का नाम . . . . .
निर्गमन का कार्यालय . . . . .

भारत सरकार
वाणिज्य मंत्रालय

. . . .
. . . . के नाम में
(नाम तथा पता)

सं० . . . . दिनांक . . . . जारी किए गए अग्रिम/विशेष अग्रदाय/आर ई पी वास्तविक उपयोगिता लाइसेंस सं० के मद्दे . . . . का सभरण।

सेवा में,

सर्वश्री, ...

(आवेदक का नाम तथा पता)

विषय :—देशी उत्पादक सर्वश्री . . . . द्वारा

(नाम तथा पता)

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आप के आवेदन पत्र/पत्र दिनांक . . . . के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि आप नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार उपर्युक्त अग्रिम/विशेष अग्रदाय/आर ई पी वास्तविक उपयोगिता लाइसेंस के मद्दे देशी उत्पादित माल का सम्भरण प्राप्त करने के लिए सर्वश्री . . . . से सम्पर्क स्थापित करें :—

क्रम संख्या	माल का विवरण तकनीकी विशेषताओं सहित	मात्रा		मूल्य	
		अंकों में	शब्दों में	अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

2. यह अग्रिम/देशीय रिहाई आदेश उपर्युक्त ब्यौरों के अनुसार माल का संभरण प्राप्त करने के लिए उक्त उल्लिखित देशी उत्पादक को मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. यह रिहाई आदेश जारी होने की तारीख से ------- अवधि तक के लिए वैध होगा।

4. इस रिहाई आदेश के धारक द्वारा प्राप्त माल उन्हीं शर्तों के अधीन होगा जो उस आयात लाइसेंस के लिए लागू है जिसके मद्दे यह अग्रिम/देशीय रिहाई आदेश जारी किया गया है।

5. सीमित करने वाला कारक मूल्य अथवा मात्रा तथा मूल्य दोनों उन मामलों में होगा जहां इन दोनों का संकेत किया गया है।

भवदीय

नियंत्रक, आयात निर्यात
कृते संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

सील . . . .

अग्रिम/देशीय रिहाई सूचना सं. . . . .

टिप्पणी :—सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि उपर्युक्त तकनीकी विशेषताओं के माल के विवरण में दर्शाया गया मूल्य और मात्रा अग्रिम लाइसेंस/विशेष अग्रदाय लाइसेंस/आर ई पी/वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस में निर्धारित शर्तों के अनुसार है।

पृष्ठांकन सं. . . . . दिनांक . . . . . .

(1) संयुक्त/उप/सहायक मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात—
. . . . स्वदेशी उत्पादक के लाइसेंसिंग अधिकारी का नाम और पता

(2) सर्वश्री . . . . .को

(देशी उत्पादक का नाम तथा पता)

आवश्यक कार्रवाई के लिए।

नियंत्रक, आयात निर्यात
कृते उप/संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

परिशिष्ट 15 ज—(जारी)

		उपर्युक्त माल अग्रिम/देशीय रिहाई आदेश के अधीन संभरित माल का विवरण			
क्रम सं०	माल का विवरण तकनीकी विशेषताओं सहित	संभरित मात्रा		संभरित माल का मूल्य	
		अंकों में	शब्दों में	अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

हम उपर्युक्त ब्यौरों के अनुसार माल के संभरण की पुष्टि करते हैं।

हस्ताक्षर ....
(देशी उत्पादक का नाम तथा पता)

हम उपर्युक्त ब्यौरों के अनुसार माल की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं।

हस्ताक्षर ....
(अग्रिम/देशीय रिहाई सूचना के धारक का नाम तथा पता)

परिशिष्ट 15—झ

निर्यात उत्पाद की श्रेणी/निर्यात के तरीके और आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

क्रम सं०	निर्यात उत्पाद की श्रेणी/निर्यात के तरीके	आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
1	2	3
	(1) पैरा 301 (6) में उल्लिखित उत्पादों से भिन्न उत्पादों का निर्यात।	(1) निर्यातों का बैंक प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) (2) बीजक की बैंक साक्ष्यांकित प्रति। लदान बिल की ई० पी० प्रति
	(2) रत्न व आभूषण और सिनेमैटोग्राफिक, फिल्मों (अभिदर्शित) से भिन्न उत्पादों का मूल्य देय डाक पार्सलों (वी० पी० पी०) द्वारा निर्यात।	(1) माल, अलग-अलग मद का वजन और वास्तव में निर्यात किए गए माल के कुल वजन का विवरण देते हुए सीमा-शुल्क द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित बीजक; (2) सम्बन्धित डाक रसीद या उसकी फोटो स्टेट प्रति या डाक घर द्वारा जारी किया गया डाक से भेजने का प्रमाण-पत्र; (3) पोस्ट मास्टर का भुगतानों का प्रमाण-पत्र या एक सूचना पर्ची जो मूल्यदेय डाक पार्सल (वी० पी० पी०) द्वारा किए गए निर्यातों की रकम पर देने वाले भारतीय प्राप्तकर्ता को डाक विभाग द्वारा दी गई हो; और (4) अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं जो नीचे क्र० सं० (14) में इंगित की गई हैं।
	(3) उन पंजीकृत निर्यातकों द्वारा डाक द्वारा पुस्तकों और समाचार पत्रों का किया गया निर्यात जिनको पी० पी० औपचारिकताओं का पालन किए बिना अपने निर्यात करने की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है, या	(1) डाक रसीद या डाक घर द्वारा जारी किया गया डाक का प्रमाण पत्र या जिन मामलों में मूल डाक रसीद आयातक को भेज दी गई हो, उनमें कोई अन्य साक्ष्य। साधारण डाक द्वारा निर्यात के मामले

परिशिष्ट 15क—(जारी)

1	2	3
	सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से ऐसी ही औपचारिकताओं के बिना प्रेषिती को सीधे ही दस्तावेज भेजने की अनुमति दी गई है।	में यदि निर्यातक डाक से भेजने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है तो डाक खर्चों के पूर्ण ब्यौरे, निर्यातों की तिथियों और निर्यातों के ब्यौरे देते हुए सनदी लेखपाल का एक प्रमाण-पत्र डाक घर द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के बदले में प्रस्तुत करना चाहिए। (2) निर्यातों, भाड़े आदि के ब्यौरे देते हुए हुए सनदी लेखपाल का एक प्रमाण-पत्र। (3) सनदी लेखपाल द्वारा प्रमाणित बीजक। (4) जिन मामलों में आवेदक उपर्युक्त (1) से (3) तक के दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ न हो, और निर्यातित माल के मद्दे उसने भुगतान पहले ही प्राप्त कर लिया हो, उनमें लाइसेंस प्राधिकारी निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार कर सकता है अर्थात:— (क) निर्यात किए गए प्रत्येक प्रकाशन का नाम, किए गए निर्यातों का मूल्य और विषयाधीन परेषणों पर किए गए डाक खर्च की कुल धनराशि का संकेत करते हुए सनदी लेखापाल से एक प्रमाण-पत्र; (ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित निर्यातों को शामिल करते हुए विदेशी मुद्रा में भुगतान की प्राप्ति के समर्थन में एक बैंक प्रमाण-पत्र; और (ग) इस सम्बन्ध में आवेदक की यह घोषणा कि उसने उस विदेशी मुद्रा वसूली के आधार पर अलग से आर० ई० पी० लाइसेंस के लिए न तो दावा किया है और न करेगा जिससे उपर्युक्त (ख) में बैंक प्रमाण पत्र संबंधित है।
	(4) जिन पंजीकृत निर्यातकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पी० पी० औपचारिकताओं से छूट नहीं दी गई है, उनके द्वारा पुस्तकों, समाचार पत्रिकाओं और आवधिकों का डाक द्वारा निर्यात :—	(1) मूल डाक रसीद या उसकी फोटो स्टेट प्रति या डाक घर द्वारा जारी किया गया डाक से भेजने का प्रमाणपत्र। साधारण डाक द्वारा निर्यात के मामले में यदि निर्यातक डाक से भेजने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो डाक खर्चों के पूर्ण ब्यौरे निर्यात की तिथियां और निर्यात के ब्यौरे देते हुए लेखापाल से एक प्रमाण-पत्र भेजना चाहिए। (2) पी० पी० फार्म संख्याएं निर्दिष्ट करते हुए सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित बीजक। (3) विदेशी मुद्रा में भुगतान की रसीद और संबंधित पी० पी० फार्म संख्या निर्दिष्ट करते हुए बैंक प्रमाण-पत्र (पी० पी० फार्म के बिना साधारण डाक

परिशिष्ट 15-ख—(जारी)

1	2	3
		द्वारा किए गए 50/- रुपए से कम के निर्यात इस क्रियाविधि के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता प्रदान नहीं करेंगे)।
(5)	जिन पंजीकृत निर्यातकों को जी० आर० प्रपत्र की औपचारिकताओं का पालन किए बिना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयात की अनुमति दे दी गई है, या उन्हें अपने प्रलेखों को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भेजे बिना सीधे ही परेषिती को भेजने की अनुमति है, उनके द्वारा जल/वायु मार्ग द्वारा पुस्तकों और समचार पत्र पत्रिकाओं का निर्यात :—	(1) सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित बीजक। (2) लदान-वायुमार्ग बिल। (3) सम्बन्धित जी० आर० प्रपत्रों के मद्दे रखी गई निर्यात रकमों की वसूली से संबंधित निर्यातक के बैंक/सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक विवरण पत्र। लेकिन, जिन मामलों में निर्यातकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से जी० आर० औपचारिकताओं से छूट का सामान्य परमिट प्राप्त कर लिया हो, उनमें (निर्यातकों) के लिए जी० आर० प्रपत्र संख्याएं निर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसके बजाए वे सनदी लेखापाल/निर्यातक के बैंक द्वारा जारी किए गए विवरणपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सामान्य परमिट संख्या उद्धृत कर सकते हैं। (4) लदान बिल की ई० पी० प्रति।
(6)	रत्न व आभूषणों और सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों अभिदर्शित) से भिन्न उत्पादों का पंजीकृत डाक द्वारा निर्यात—	(1) निर्यातक के बैंक द्वारा जारी किया गया निर्यात का बैंक प्रमाणपत्र (मूल रूप में) (2) माल, अलग-अलग मद का वजन और वास्तव में निर्यात किए गए माल के कुल वजन का विवरण देते हुए सीमा-शुल्क द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित बीजक। (3) डाक रसीद या जिन मामलों में डाक रसीद परेषिती को भेज दी गई हो, उसमें स्पष्ट रूप से डाक रसीद संख्या, दिनांक और धनराशि निर्दिष्ट करते हुए और प्रेषिती को डाक रसीद भेज दी गई है यह प्रमाणित करते हुए निर्यातक के बैंक या डाक निरूपक विभाग द्वारा किया गया प्रमाणपत्र। (4) अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं जो नीचे क्र० सं० (14) में इंगित की गई हैं।
(7)	(i) व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा विदेशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए माल का निर्यात--	माल का पूरा विवरण, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, भारतीय निर्यातक का नाम, बिक्री की तिथि और यह प्रमाणित करते हुए कि विषयाधीन बिक्री के मद्दे भुगतान भारत को भेज दिया गया है और भारतीय मुद्रा विनियम नियंत्रण को सौंप दिया गया है, निर्दिष्ट करते हुए व्यापार मेला प्राधिकरण से एक प्रमाणपत्र/आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बिक्री की तिथि से गिनी जाएगी।
	(ii) निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा, विदेश में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए माल का निर्यात --	(1) माल का पूर्ण विवरण, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और भारतीय निर्यातक का नाम, बिक्री की

परिशिष्ट 15 ग—(जारी)

1	2	3
		तिथि निर्दिष्ट करते हुए और विषयाधीन बिक्रियों के मद्दे भुगतान भारत को भेज दिया गया है और भारतीय मुद्रा विनियम नियंत्रण विभाग को सौंप दिया गया है, यह प्रमाणित करते हुए निर्यात संवर्धन परिषद् से एक प्रमाण पत्र। (2) विदेशी मुद्रा में भुगतान की प्राप्ति को निर्दिष्ट करते हुए बैंक प्रमाण पत्र। परिशिष्ट-15घ (अनुबन्ध-3) में दिया गया बैंक प्रमाणपत्र का प्रपत्र उचित आशोधनों के साथ उपयोग किया जाए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा बैंक प्रमाण पत्र में यथाप्रदर्शित भुगतान की तिथि से गिनी जाएगी। (3) जिस मामले में आवेदक इस कारण से बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो कि दस्तावेज बैंक के माध्यम से नहीं भेजे गए थे, उसमें लाइसेंस प्राधिकारी उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज इस शर्त पर स्वीकार कर सकता है कि अन्य साक्ष्य के आधार पर वह इस बात से संतुष्ट है कि विषयाधीन माल के लिए भुगतान प्राधिकृत सूत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
	(iii) व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा भारतीय विनिर्माताओं/निर्यातकों को सीधे भाग लेने के लिए अनुमति दिए जाने पर उनके द्वारा विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/नुमाइशों में बेचे गए माल का निर्यात।	(1) माल का पूर्ण विवरण, जहाज़ पर निशुल्क मूल्य, भारतीय निर्यातकों का नाम, बिक्री की तिथि दर्शाते हुए व्यापार मेला प्राधिकरण से प्रमाणपत्र। (2) विदेशी मुद्रा में भुगतान की रसीद दर्शाने वाला बैंक प्रमाण-पत्र परिशिष्ट 15घ (उपाबन्ध-3) में दिए गए प्रमाण पत्र का प्रपत्र उचित संशोधनों के साथ उपयोग में लाया जा सकता है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा की गणना बैंक प्रमाण पत्र में दर्शाई गई तारीख से की जाएगी।
(8)	उन मान्यताप्राप्त समाचार कैमारामैनों द्वारा समाचार फिल्म और टी० वी० फिल्मों का निर्यात जिन्हें जी० आर०/पी० पी० औपचारिकताओं का अनुपालन करने से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छूट प्रदान की गई है :—	(1) वायुमार्ग बिलों की सत्यापित प्रतियों के साथ अपेक्षित वायुमार्ग बिल संख्या दर्शाते हुए निर्यातित समाचार फिल्मों/टी० वी० फिल्मों की सूची, (2) विदेशी मुद्रा की रसीद दर्शाने वाला बैंक प्रमाण-पत्र, (3) आवेदक की घोषणा कि उसने उपर्युक्त (2) में रखे गए बैंक प्रमाण पत्र के लिए विदेशी मुद्रा वसूली के आधार पर अलग-अलग प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए दावा नहीं किया है और न किया जाएगा, (4) लदान बिल की ई० पी० प्रति।
(9)	ऊनी कालीनों का निर्यात जिस के लिए विदेशी पर्यटकों से (क) विदेशी मुद्रा पर्यटक चेकों, (ख) क्रास्ड विदेशी बैंक ड्राफ्ट, और (ग) विदेशी बैंकों के नाम व्यक्तिगत चैक के रूप में, भुगतान स्थानीय रूप में (पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में) प्राप्त किए जाते हैं :—	(1) परिशिष्ट-15घ (उपाबन्ध-4) में दिए गए प्रपत्र में निर्यातक के बैंक द्वारा जारी किया गया भुगतान का प्रमाणपत्र (मूल रूप) में, (2) बैंक का साक्ष्यांकित बीजक,

परिशिष्ट 15-ञ—जारी

1	2	3
		(3) डाक से निर्यातकों के मामले में मूल डाक रसीद, (4) लदान बिल की ई० पी० प्रति, (5) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विक्रेता को जारी किये गए मानी चेंजर्स लाइसेंस की एक प्रति।
(10)	महासागर भाड़ा आधानों की बिक्री के मामले में	(1) विदेशी क्रेता से प्राप्त किया गया आदेश, (2) बेचे गए माल और उसके मूल के ब्यौरे देते हुए बैंक द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित बीजक, (3) विदेशी क्रेता या भारत में उनके अधिकृत एजेंट द्वारा प्राप्त किए गए माल का साक्ष्य, और (4) परिशिष्ट-15घ, उपाबन्ध-2 (प्रपत्र-2) में दिए गये प्रपत्र में बैंक प्रमाण-पत्र (मूल में) पोत-लदान बिल के अभाव में जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की वसूली को बैंक द्वारा बीजक के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है।
(11)	विदेश में संयुक्त उद्यमों में भारतीय साम्य सहयोग शेयर के मद्दे मशीनरी और उपस्कर का निर्यात :—	(1) बीजक की प्रति/बीजक में एक अभ्युक्ति होनी चाहिए अर्थात् "वाणिज्य मंत्रालय के पत्र संख्या ··· दिनांक ·······द्वारा यथा अनुमोदित संयुक्त उद्यम, सर्वश्री ···········संयुक्त उद्यम का (स्थान और देश का नाम) के नाम में साम्य सहयोग करने के लिए निर्यात।" (2) निर्यातों के लागत बीमा भाड़ा/लागत और भाड़ा/जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, यदि कोई किया गया हो तो भाड़ा और बीमा खर्च, परिशिष्ट-15 ङ में दिए गए के अनुसार जी० आर० प्रपत्र आदि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखापाल का मूल रूप में प्रमाण-पत्र। (3) साम्य सहयोग के रूप में उपयोग किए जाने के लिए निर्यातों के मूल्य की अनुमति देते हुए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी की एक प्रति। (4) लदान बिल की ई० पी० प्रति।
(12)	विदेश में निर्माण कार्य करने के लिए अर्जित विदेशी मुद्रा :—	(1) निर्माण की धनराशि को प्रदर्शित करते हुए मूल रूप में बैंक प्रमाण-पत्र; (2) परामर्श समझौते का अनुमोदन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र की संख्या और तिथि, यदि कोई हो; (3) विदेशों में इंजीनियरों/अन्य भ्रमण आदि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा की धनराशि जिसके साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परमिट की संख्या और तिथि हो; और (4) लदान बिल की ई० पी० प्रति;

1	2	3
		(5) कार्मिकों की यात्रा बुक करने के लिए भारत चुकायी गई यात्रा की धनराशि :। उपर्युक्त (2) से (4) तक के ब्यौरे सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
(13)	विदेश में निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रदर्शन कक्ष में प्रदर्शित माल की बिक्री :—	ऐसे मामलों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज वही होंगे जो उपर्युक्त क्र० सं० (7) में निर्दिष्ट किए गए हैं, वे इस आशोधन के साथ होंगे कि निदेशक, व्यापार, प्रदर्शनी प्राधिकरण प्रमाणपत्र के बजाय सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् का प्रमाणपत्र होना चाहिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बिक्री की तिथि में गिनी जाएगी।
(14)	उपर्युक्त क्रम संख्या (2) (6) के अन्तर्गत आने वाले रत्न और आभूषण और सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों से भिन्न उत्पादों का मूल्य देय पार्सलों या रजिस्टर्ड डाक द्वारा निर्यात	
	(1) यदि निर्यात का जहाज का पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 10,000/- रुपए से कम हो।	(1) बैंक साक्ष्यांकित बीजक।
	(2) यदि निर्यात का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, 10,000/- रुपए या इससे अधिक हो।	(2) सीमाशुल्क साक्ष्यांकित बीजक।

टिप्पणी :—(1) (क) यदि निर्यात पार्सल का मूल्य 10,000/- रुपए (जहाज पर्यन्त निःशुल्क) या इसके अधिक हो, तो निर्यातक को डाक पार्सल के साथ बीजक की दो प्रतियों और पी० पी० फार्म की मूल प्रति देनी होगी। विदेश डाक सेवा कार्यालय या वायु पत्तन छटनी कार्यालय मे सीमाशुल्क प्राधिकारी, पार्सलों की अन्तर्वस्तु, उनकी मात्रा और मूल्य की संवीक्षा करने के बाद मूल पी० पी० फार्म और बीजक की केवल एक प्रति को साक्ष्यांकित करेगा। विधिवत् साक्ष्यांकित मूल पी० पी० फार्म सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा सीधे ही भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाएंगे। सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा बीजक सम्बधित निर्यातक को सौंपने के लिए डाक विभाग के पास वापस कर दिए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए, यदि उसी परिसर में कोई डाक सेवा का मल्यांकन विभाग नहीं है तो स्वयं के पते वाला एक लिफाफा जिस पर रजिस्ट्रेशन और भेजने वाले के

परिशिष्ट 15-ख—जारी

1	2	3
		प्रेषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त डाक टिकटें लगी हुई हों, वी० पी० पी०/रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सलों के साथ संलग्न किया जाएगा। अन्य निर्धारित दस्तावेजों सहित बीजक की साक्ष्यांकित प्रति निर्यात प्रोत्साहन मांगने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को भेजी जाएगी। (ख) निर्यातकों को उनके निजी हित के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे प्रधान विदेश डाक कार्यालयों अर्थात बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद, जयपुर, बंगलौर, कोचीन और श्रीनगर से अपने निर्यात पार्सल बुक करें। यदि यहां ऊपर निर्दिष्ट किए गए स्थानों से भिन्न स्थानों पर स्थित डाक कार्यालयों में पार्सल बुक किए जाएंगे तो यह निर्यातक के अपने जोखिम पर होगा और यदि किसी में भी दस्तावेज खो जाएंगे/अस्थानस्थ हो जाएंगे तो किसी भी परिस्थिति में निर्यात प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। (ग) यदि निर्यात पार्सल का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, 10,000/- रुपए से कम है तो निर्यात प्रोत्साहन सीमाशुल्क साक्ष्यांकित बीजकों के बजाय बैंक साक्ष्यांकित बीजकों के आधार पर अनुमित किया जाए। अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।
15.	रत्न तथा आभूषण (सोना/चांदी और सोना चांदी जड़ित आभूषण के अलावा)	(1) निर्यात का बैंक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) (2) बैंक साक्ष्यांकित बीजक (3) सीमाशुल्क साक्ष्यांकित बीजक (4) पोतलदान बिल/मूल डाक पार्सल रसीद की ई० पी० प्रति (5) माल के प्रेषक के आधार पर निर्यात के मामले में इस पुस्तक के परिशिष्ट-15घ उपाबन्ध-3 में दिए गए प्रपत्र में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र।
16.	सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों (प्रदर्शित) टी० वी० फिल्मों, समाचार फिल्मों और मूक समाचार फोटो के निर्यातक।	(1) परिशिष्ट-15घ (उपाबन्ध-3) में दिए प्रपत्र में बैंक प्रमाणपत्र जिसमें विदेशी मुद्रा की वसूली तथा निर्यातित माल के ब्यौरों का उल्लेख हो (निर्यातक द्वारा अग्रिम लाइसेंस प्राप्त करने के मामलों में बैंक प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्यात आभारों को पूरा करने संबंधी प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए। (2) लदान बिल की ई० पी० प्रति (3) बैंक द्वारा विधिवत सत्यापित बीजक।

परिशिष्ट—15-क

आर० ई० पी० लाइसेंस के मद्दे पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का पूरा नाम—

2. आई० ई० सी०—

3. पत्र व्यवहार का पता—

पिन कोड :

4. यूनिट का पता :

पिन कोड

5. विनिर्मित उत्पादों की नामावली :

6. आवेदक द्वारा चुने हुए उत्पादों का स्वयं निर्यात करने के मद्दे प्राप्त आर० ई० पी० लाइसेंसों का विवरण :—

क्रम० सं०	आर० ई० सी० लाइसेंस की संख्या	आर० ई० पी० लाइसेंस जारी करने की तारीख	मूल्यों रुपयों में

7. आयात की जाने वाली मदों का विवरण :

क्रम सं०	मद का नाम	मद का कोड	मात्रा	मूल्य (लागत बीमा भाड़ा)

8. आवेदन किए गए लाइसेंस का ब्यौरा :—

(1) सैक्टर टाईप— कोड :

(2) आयातक की श्रेणी — कोड :

(3) लाइसेंस की श्रेणी — कोड :

(4) समझोते की किस्म — कोड :

(5) संसाधनों के प्रकार — कोड :

(6) मुद्रा क्षेत्र 1 सामान्य 2 विशिष्ट

(7) आयातित वस्तु की श्रेणी — कोड :

परिशिष्ठ 15-ञ—जारी

(8) नागरिकता | 1 | भारतीय | 2 | अप्रवासी भारतीय

9. घोषणा :

(1) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आयात की जाने वाली मशीनरी आयात-निर्यात नीति, 1990–93 के (खंड-1) के परिशिष्ट–1 भाग "क" परिशिष्ट-2ख तथा परिशिष्ट-8 में नहीं दी गई है और प्रश्नाधीन आवेदित मशीनरी अनुज्ञप्त/अनुमित उत्पादन मात्रा से अधिक नहीं होगी।

(2) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण जहां तक मुझे/हमें जानकारी है और विश्वास है, सत्य और सही है, मुझे/हमें यह पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर मुझे/हमें जो लाइसेंस प्रदान किया गया है, यदि उस विवरण में कोई तथ्य गलत या झूठा पाया गया तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह कार्रवाई उस अन्य दंड के अतिरिक्त होगी जो मामलों की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार लगा सकती है।

हस्ताक्षर——————————

साफ अक्षरों में नाम :

पदनाम : ——————————

स्थान :

कार्यालय का पूरा पता——————————

दिनांक :

निवास स्थान का पूरा पता——————————

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

1. प्रायोजन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस का सम्बद्ध औद्योगिक यूनिट के पंजीकरण की प्रमाणित प्रति :
2. पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण–एवं– सदस्यता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित/फोटोस्टेट प्रति।
3. आर० ई० पी० लाइसेंस का ब्यौरा देने वाला विवरण अर्थात् उनकी संख्या और मूल्य या विचाराधीन आर० ई० पी० आवेदन-पत्रों का ब्यौरा जिनके मद्दे लाइसेंस अभी जारी किए जाने हैं, जिनके मद्दे विचाराधीन मशीनरी आयात की जानी है।
4. आयात की जाने वाली मशीनरी का पूरा विवरण।

परिशिष्ट 15-ट

निर्यात मूल्य की प्राप्ति के लिए बैंक का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स——————————का लेखा हमारे पास है और विदेशी निर्यात दस्तावेजों पर हमारे माध्यम से बातचीत कर रहे हैं आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

(क) हमारे माध्यम से किए गए संगत निर्यात की तारीख 6 महीनों की अवधि के बाद निर्यात बिलों पर कोई बकाया प्राप्ति की वसूली नहीं है।

(ख) हमारे माध्यम से किए गए निम्नलिखित विदेशी निर्यात बिलों पर निर्यात मूल्य की प्राप्ति संगत निर्यात की तारीख से 6 महीनों की अवधि के बाद भी नहीं की गई है।

क्रम सं०	जी० आर०-1 फार्म सं० एवं तिथि	पोतलदान बिल सं० पी० पी० सं० एवं तिथि	पूर्व जारी किए हुए बैंक प्रमाण-पत्र की संदर्भ सं०/तिथि	राशि	क्या निर्यात मूल्य की प्राप्ति में समय वृद्धि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। यदि हां, तो वह अवधि कब तक बढ़ाई गई है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

उपर्युक्त सूचना हमारे पास उपलब्ध रिकार्ड एवं फर्म द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है।

हस्ताक्षर——————————

स्थान——————————

नाम ——————————

दिनांक——————————

पदनाम ——————————

बैंक की सील——————————

नोट :—जो लागू न हों उसे कृपया काट दें

परिशिष्ट 15-ठ

कटे हुए और पालिश किए हुए हीरे के निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्ररूप ।

(आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा, जो कि अनुसूचित बैंक होना चाहिए कम से कम 15/-रुपए के मूल्य तथा संबद्ध राज्य के स्टाम्प कलक्टर द्वारा या विहित रकम के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर निष्पादित किया जाएगा) ।

भारत के राष्ट्रपति

मार्फत

मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक (इस पद के अंतर्गत संयुक्त मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक/उपमुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक/मुख्य आयात-निर्यात के कर्त्तव्यों के अनुपालन के लिए तत्समय प्राधिकृत किए गए समझे जाएंगे) ।

वाणिज्य मंत्रालय (पूरा पता) . . . . पिन कोड. . . . . .(जिसे इसमें सरकार कहा गया है) यह विलेख. . . .तारीख को. . . . . .निष्पादित किया गया । (नीचे दिए गए अनुदेशानुसार पूर्ण पते सहित आयातकर्ता, आयातकर्ता फर्म का पूरा विस्तृत नाम) जिसे इसमें इसके पश्चात् "निर्यातकर्ता" कहा गया है (जिसके अंतर्गत उसके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक, शासकीय परिसमापक और अनुज्ञात समनुदेशित सभी सम्मिलित समझे जाएंगे) इसके प्रथम पक्षकार हैं और पते सहित उस प्रत्याभूतिदाता बैंक का पूरा विस्तृत वर्णन जिसके पते सहित उस प्रत्याभूतिदाता बैंक का पूरा विस्तृत वर्णन जिसके द्वारा यह प्रत्याभूतिदाता बंधपत्र निष्पादित किया जा रहा है जिसे इसके पश्चात् प्रत्याभूतिदाता कहा गया है और इस पद के अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी शासकीय परिसमापक और प्रशासक भी सम्मिलित समझे जाएंगे) इसके दूसरे पक्षकार हैं ।

ऊपर नामित पक्षकार आयातकर्ता और बैंक संयुक्ततः और पृथकतः मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक और/या वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को मांग की जाने पर. . . . . रु. (अंकों और शब्दों में) की राशि का संदाय करने के लिए दृढ़तापूर्वक आबद्ध होंगे ।

उक्त आयातकर्ता ने. . . . . रुपए मूल्य की एक प्रतिपूर्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है और आयात नीति में उस निमित्त उल्लिखित स्कीम के अधीन रफ हीरे आयातित करना चाहता है और आयातकर्ता आयात-निर्यात के मूल्य के सम्यकतः और यथासमय वसूली से संबंधित सभी बाध्यताओं की पूर्ति के लिए सरकार को एक क्षतिपूर्ति-सहप्रत्याभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमत है ।

उक्त स्कीम के निबंधनों के अनुसार आयात करने के लिए आयातकर्ता को सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर की जाने के प्रतिफलस्वरूप प्रत्याभूतिदाता ने, सरकार द्वारा मांग की जाने पर, उक्त प्रत्याभूत रकम का संदाय करने का वचनबंध किया है ।

आयातकर्ता ने करार किया है कि :—

(क) अनुज्ञप्ति मंजूर करने से पूर्व या अनुज्ञा देने से पूर्व निर्यात की तारीख से छह मास के भीतर लागत बीमा भाड़ा के. . . . . .प्रतिशत विदेशी मुद्रा में बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत किया जाना है। उक्त बैंक प्रत्याभूति पूर्ण रूप में समहृत हो जाने के लिए दायी होगी या ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक/बैंकों/अनुसूचित बैंक/बैंकों के निर्यात आगमों, जिनके माध्यम से निर्यात दस्तावेजों के बारे में बातचीत की गई थी, उपाप्त कमी के बराबर रकम होगी ।

(ख) अनुबंधित ज्ञापन अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर (जो निर्यात की तारीख से छह मास की है), विदेशी मुद्रा मूल्य के ज्ञापन का एक विवरण संबद्ध संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात/उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को प्रस्तुत करेगा और ऐसी जानकारी की विशिष्टियां और अन्य ब्यौरे, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा ।

(ग) यदि आयातकर्ता, स्कीम के अधीन ज्ञापन करने या जानकारी प्रस्तुत करने या बाध्यताओं को पूरा करने में व्यतिक्रम करता है तो आयातकर्ता सरकार के प्रति आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 और सरकार द्वारा उक्त आयात के संबंध में बनाए गए अन्य उपबंधों/नियमों के उपबंधों के अधीन दायी होगा ।

(घ) आयात-निर्यात नीति/प्रक्रिया पुस्तक के सभी दाण्डिक उपबंधों और आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके अधीन बनाए गए नियम आयातकर्ता के विरुद्ध लागू किए जाएंगे, यदि वह व्यतिक्रम करता है जिनके बारे में सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा जो अंतिम और आबद्धकर होगा ।

(ङ) आयातकर्ता और आगे सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि सरकार आयात प्रतिपूर्ति अनुज्ञप्ति के मूल्य को जो वह भावी. . . . . . .रुपए तक जो इस क्षतिपूर्ति-सहप्रत्याभूति बंधपत्र पर आधारित जारी किए जाने वाले आयात प्रतिपूर्ति अनुज्ञापत्र के मूल्य के बराबर है, के कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात पर हकदार हो, काट ले, यदि वह निर्यात आगमों के आपन के साक्ष्यस्वरूप दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करता है ।

(च) ऊपर नामित आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदता बैंक द्वारा यह क्षतिपूर्ति सह-प्रत्याभूति बंधपत्र ऐसे कार्य के प्रयोजनार्थ निष्पादित किया गया है जिसमें लोकहित अंतर्वलित है ।

उपर्युक्त बंधपत्र की निम्नलिखित शर्तें हैं :—

(1) आयातकर्ता सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन सरकारी बाध्यताओं, आयात अनुज्ञप्ति में विनि-

परिशिष्ट-15ठ-जारी

र्दिष्ट शर्तों तथा ऊपर विनिर्दिष्ट अनुबंधों में सम्मिलित अन्य अनुबंधों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा ।

(2) प्रत्याभूतिदाता बैंक अभिव्यक्त रूप में और अप्रतिहस्तांतरणीय रूप में वचनबद्ध करता है और प्रत्याभूति देता है कि यदि आयातकर्ता अनुबंधित अवधि के भीतर निर्यात विक्रय आगमों या विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रेषणों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने में, जो अपेक्षित हो, असफल रहता है या आयातकर्ता, अनुज्ञप्ति और आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन बनाए गए नियमों और यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित कोई जानकारी नहीं देने में असफल रहता है या अनुज्ञप्ति/स्कीम आदि में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन आयातकर्ता की किसी भी प्रकार की असफलता पर सरकार किसी भी ऐसे कारण के लिए उक्त रकम पूर्णतः तथा भागतः मांग सकती है और सरकार द्वारा लिखित में मांग किए जाने पर प्रत्याभतिदाता बैंक तुरन्त अविलंब या आयातकर्ता के प्रति निर्देश किए बिना, सरकार को या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को सरकार द्वारा आयातकर्ता से मांग की गई राशि का संदाय करेगा और अधिकतम...... रु. तक का संदाय गारण्टी करने के लिए क्षतिपूर्ति भी करेगा ।

(3) सरकार की प्रत्याभूतियता में मांग, सरकार की रकम की हकदारी के बारे में अंतिम, आवद्धकर और निर्णायक होगी और प्रत्याभूतिदाता बैंक इस बात के होते हुए भी संदाय करेगा कि सीधे आयातकर्ता के विरुद्ध सरकार का कोई अधिकार है या यह कि आयातकर्ता ने किसी भी रूप में कोई विवाद उत्पन्न कर दिया है।

(4) प्रत्याभूतिदाता बैंक, सरकार और आयातकर्ता के बीच हुए किसी ठहराव, फेरफार से आयातकर्ता पर, उसकी सहमति या ज्ञान सहित या उसके बिना किसी अनुग्रह या आयातकर्ता की बाध्यताओं में किसी परिवर्तन या संदाय, समय, निष्पादन में या अन्यथा किसी प्रविरति से इस वचनबंध और प्रत्याभूति से उन्मोचित/निर्मुक्त नहीं होगा ।

(5) आयातकर्ता, यथापूर्वोक्त निर्यात बाध्यता के लिए किया गया वचनबंध पूरा न किए जा सकने की दशा में उक्त आयातकर्ता संबद्ध संयुक्त/उप मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक या मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक, नई दिल्ली की मांग के अनुसार इस प्रत्याभूति की रकम तुरंत संदत्त या निक्षिप्त करेगा । ऐसी मांग के बारे में सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(6) इस क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र के अधीन सरकार द्वारा प्रत्याभूतिदाता बैंक से मांगी गई रकम के संदाय से आयातकर्ता के, किसी अन्य कार्यवाही जिसमें आयातित सामग्री के अधिग्रहण संबंधी विधिक कार्यवाहियों के संस्थापन पर और आगे और अनुज्ञप्तियां देने से इंकार तथा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के उपबंधों के अधीन, आयात व्यापार नियन्त्रण विनियम और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा यथा विनिश्चित दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(7) ऊपर नामित क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र आयातकर्ता या प्रत्याभूतिदाता बैंक की सभी बाध्यताओं के ऊपर यथा विनिर्दिष्ट सरकार के पूर्णतया और अन्तिम समाधानप्रद रूप में पूरे कर दिए जाने और सरकार द्वारा उसकी संसूचना प्रत्याभूतिदाता बैंक को भेज दिए जाने पर, शून्य ही समझा जाएगा ।

(8) क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र और आयातकर्ता तथा प्रत्याभूतिदाता बैंक की बाध्यताएं उसके निष्पादन की तारीख से एक वर्ष तक पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहेंगी और यदि आयातकर्ता की सारी बाध्यताएं उक्त अवधि में सरकार के पूर्णतया और अन्तिमतया समाधानप्रद रूप में सम्यकतः उन्मोचित नहीं होती हैं तो प्रत्याभतिदाता बैंक और आयातकर्ता इस क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र की विधिमान्यता की अवधि को, सरकार द्वारा यथाअपेक्षित अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत और पुनः प्रवर्तित करने का करार करते हैं और वचनबंध करते हैं ।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर नामित पक्षकारों ने यह बंधपत्र तारीख . . . . को निष्पादित हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किया और ऊपर नामित आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में परिदत्त किया गया :—

साक्षी

1. 1. . . . . (आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूर्ण विस्तृत वर्णन)

(प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा अधिप्रमाणित/प्रतिज्ञान किया जाएगा) ।

परिशिष्ट—15ठ—(जारी)

2

1 2. . . . . (प्रत्याभूतिदाता बैंक का पूर्ण और विस्तृत वर्णन)

. . . . (राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित) बैंक की ओर से बैंक की मुद्रा सहित बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा

2. *साक्षियों का व्यवसाय और पूरा पता भी लिखें ।

टिप्पणी

आयातकर्ता और बैंक के लिए :—

1. यदि आयातकर्ता एकमात्र स्वत्वधारी फर्म हो तो स्वत्धारी फर्म के एकमात्र स्वामी द्वारा अपना स्थायी निवासीय पता देते हुए निष्पादित किया जाएगा ।

2. यदि आयातकर्ता भागीदारी फर्म हो तो यह क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र भागीदारी फर्म के नाम में, भागीदारी विलेख में विनिर्दिष्ट सभी भागीदारों द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

3. यदि आयातकर्ता लिमिटेड कम्पनी हो तो यह क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र, लिमिटेड कम्पनी के कार्यपालक निदेशक या बंधपत्र निदेशक द्वारा कम्पनी की मुद्रा सहित, निष्पादित किया जाएगा ।

परिशिष्ट—16क

आई. बी. आर. डी./आई. डी. ए./ए.डी.बी./द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं और संयुक्त राष्ट्र संगठनों आदि को स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/भारत का गैस प्राधिकरण लि./आयल इंडिया लि. को भारत में किए गए संभरण के सम्बन्ध में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रपत्र—1-क

आई. बी. आर. डी./आई. डी. ए./ए. डी. बी. द्विपक्षीय/बहुपक्षीय/अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को भेजे गए माल के लिए परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला भुगतान का प्रमाण-पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित और बीजक सं. . . . . .दिनांक . . . . .में वर्णित मात्रा और मूल्य का माल हमें दिनांक, ...(संभरण की तारीख निर्दिष्ट कीजिए) को क्रय आदेश सं. . . . . .दिनांक . . . . के मद्दे संभरित किया गया है। और हमने संभरकों अर्थात् सर्व-श्री. . . . . .को . . . . . . रुपये (शब्दों में) की धनराशि दिनांक. . . . .(भुगतान की तारीख निर्दिष्ट कीजिए) को चुका दी है जो कि संविदा के अनुसार संभरित किए गए मूल्य का . . . . .प्रतिशत है आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि संभरण हमारे द्वारा ली जा रही परियोजना में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बोली के मद्दे प्राप्त की गई संविदा की शर्तों के अनुसार किया जाता है और यह परियोजना पूर्ण रूप से आई. बी. आर. डी./आई. डी. ए./ए. डी. बी./द्विपक्षीय/बहुपक्षीय से सहायता प्राप्त है। हमने बीजक में दर्शाई गई कीमत पर निर्धारित स्थान पर माल को स्वीकार कर लिया है।

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .
परियोजना का नाम . . . .

स्टेशन :
दिनांक :

भेजे गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .
परियोजना का नाम . . . .

स्थान :
दिनांक :

नोट : यह प्रमाणपत्र परियोजना के मुख्य कार्यकारी इंचार्ज द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। सम्बद्ध अथवा एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जो कि इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो।

प्रपत्र 1—ख

(1) आई. बी. आर. डी./आई. डी. ए./ए.डी.बी./द्विपक्षीय/बहुपक्षीय/अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को उन उप-ठेकेदारों द्वारा, जिनका नाम मुख्य ठेके में है, सप्लाई किए गए माल के लिए परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले भुगतान का प्रमाण-पत्र

(2) ओ. एन. जी. सी./जी. ए. आई. एल./ओ.आई. एल. द्वारा उप-संविदाकार को जिसका नाम मुख्य संविदा में निर्दिष्ट है को संभरण के भुगतान के लिए दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स . . . . (मुख्य ठेकेदार) का मैसर्स . . . . .एक भारतीय उप-ठेकेदार है। मुख्य ठेकेदार का ठेका हमने सं. . . . . दिनांक . . . . .द्वारा स्वीकार किया है। उप-ठेकेदार का नाम मुख्य ठेके में ही शामिल है और विवरण, मात्रा और माल का मूल्य जो कि अब हमें सप्लाई किया गया है मुख्य ठेके में पहले से ही दर्शाया गया है । ये आपूर्तियां मुख्य ठेके में दिए गए विशिष्टिकरणों के अनुरूप है ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नीचे यथा निर्दिष्ट और बीजक सं. . . . . . . दिनांक . . . . . में वर्णित मात्रा और मूल्य के माल/उपकरण हमें दिनांक. . . . . (संभरण की तारीख निर्दिष्ट कीजिए) को क्रय आदेश सं. . . . . .दिनांक. . . . . .के मद्दे संभरित किया गया है और हमने संभरकों अर्थात् मैसर्स . . . . .को . . . . .रुपये (शब्दों में . . . . .) की धनराशि दिनांक . . . .(भुगतान की तारीख निर्दिष्ट कीजिए) को चुका दी है जो कि संविदा के अनुसार संभरित किए माल/उपकरण के मूल्य का . . . . .प्रतिशत है।

आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि संभरण हमारे द्वारा ली जा रही परियोजना में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बोली के मद्दे प्राप्त की गई संविदा की शर्तों के अनुसार किया जाता है बीजक में बताए गए मूल्य पर हमारे द्वारा स्वीकार किए गए मूल्य तथा आपूर्तियों के साथ की गई संविदा की शर्तें। हम सन्तुष्ट हैं कि आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर की गई हैं अथवा यह आगे प्रमाणित किया जाता है कि आपूर्तियां संविदाओं की शर्तों के अनुसार की गई हैं । और यह परियोजना . . . . .पूर्ण रूप से आर. बी. आई. डी./आई.डी.ए./ए.डी.बी./द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता द्वारा पूर्ण वित्त-पोषित है। हमने बीजक में दर्शाई गई कीमत पर निर्धारित स्थान पर माल को स्वीकार कर लिया है।

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .
परियोजना का नाम . . . .

स्थान :
दिनांक :

सप्लाई किए गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .
परियोजना का नाम . . . .

स्थान :
दिनांक :

नोट : इस मामले में प्रपत्र 1-ङ पूर्णतः लागू है।

प्रपत्र—1-च

आई. बी. आर. डी./आई. डी. ए./ए. डी. बी./द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए मुख्य संविदाकार/परियोजना प्राधिकारी द्वारा उप-संविदाकार द्वारा भेजे गए माल के किए गए भुगतान का प्रमाण-पत्र (1) जिसका नाम मुख्य ठेके में दिया गया है लेकिन मुख्य ठेकेदार द्वारा उप-संविदाकार को भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा **में किया गया है, या (2) जिसका नाम मुख्य ठेके में नहीं दिया गया है।**

मुख्य संविदाकार द्वारा उप-संविदाकार को जारी किए जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि . . . . परियोजना (परियोजना का नाम) के सम्बन्ध में ठेका संख्या . . . . .दिनांक . . . . हमें दिया गया है। परियोजना प्राधिकारी . . . . (परियोजना प्राधिकारी का नाम) है तथा परियोजना आई. बी. आर. डी./आई. डी. ए./ए. डी. बी./द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित है। आदेश/उप-संविदा सं. . . . . .दिनांक. . . . . . के द्वारा मैसर्स . . . . .हमारे उपसंविदाकार हैं। नीचे वर्णित और बीजक सं. . . . . .दिनांक . . . . में वर्णित मात्रा तथा मूल्य का माल हमें/परियोजना प्राधिकारियों को दिनांक . . . . .को क्रय आदेश सं. . . . दिनांक . . . . .के मद्दे सप्लाई किया गया है तथा हमने उपसंविदाकार, नामशः मैसर्स . . . . को . . . . .की राशि मुक्त विदेशी मुद्रा दिनांक. . . (भुगतान की तारीख निर्दिष्ट कीजिए) . . . . बैंक (प्राधिकृत बैंक का नाम विनिर्दिष्ट कीजिए) के माध्यम से चुका दी है जो कि संविदा की शर्तों के अनुसार संभरित माल/उपकरण के मूल्य का . . . . प्रतिशत है।

भेजे गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .

मुख्य संविदाकार का नाम तथा पता. . . . .
परियोजना का नाम . . . .

स्थान :
दिनांक :

परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि माल, जिसका विवरण, मात्रा तथा मूल्य ऊपर दिया गया है. . . . . .परियोजना (परियोजना का नाम निर्दिष्ट कीजिए) के निष्पादन के लिए अपेक्षित है तथा हमें मुख्य संविदाकार ने/द्वारा संभरित किया गया है। उक्त परियोजना का ठेका मैसर्स . . . .(मुख्य संविदाकार) को दिया गया है।

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .
परियोजना का नाम . . . .

स्थान :
दिनांक :

परिशिष्ट 16क—जारी

नोट : यह प्रमाणपत्र परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अथवा संबद्ध एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जोकि इसके लिए उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्रपत्र—1-घ

आई. बी. आर. डी./आई. डी. ए./ए. डी. बी./द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए बैंक द्वारा उप संविदाकार द्वारा संभरित माल के भुगतान के लिए जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र (1) जिसका नाम मूल बैंक में दिया गया है लेकिन भुगतान मुख्य संविदाकार द्वारा उप संविदाकार को मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया है (2) जिसका नाम मूल ठेके में उल्लिखित नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित मात्रा तथा मूल्य का माल मैसर्स ....(परियोजना प्राधिकारी का नाम) संभरित किया गया है और संभरक अर्थात् ....को उपर्युक्त माल के मद्दे ....रुपए (रुपए शब्दों में ....) की धनराशि का भुगतान किया गया है। आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान मैसर्स . . . . . (मुख्य संविदाकार का नाम निर्दिष्ट कीजिए) के द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा चैक/भुगतान आदेश/डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. . . . . दिनांक. . . . . को . . (विदेशी मुद्रा का नाम (निर्दिष्ट कीजिए) में किया गया और विदेशी मुद्रा को रुपए में बदलने के लिए निर्धारित ओ. डी. विक्रेता दर. . . . रुपए है।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....
बैंक की मोहर ....

स्थान :
दिनांक :

सप्लाई किए गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....
बैंक की मोहर ....

स्थान :
दिनांक :

प्रपत्र—1ङ

ओ. एन. जी. सी./जी. ए. आई. एल./आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी किया जाने वाला भुगतान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित और बीजक सं. . . . . .दिनांक . . . में वर्णित मात्रा और मूल्य के माल/उपकरण हमें दिनांक. . . . . (संभरण की तारीख निर्दिष्ट कीजिए) को क्रय आदेश सं. . . . . . . दिनांक ...... के मद्दे संभरित किया गया है और हमने संभरकों अर्थात् सर्वश्री .... को ...... रुपये (शब्दों में . . . .) की धनराशि दिनांक . . . . . . (भुगतान की तारीख निर्दिष्ट कीजिए) को चुका दी है जोकि संविदा के अनुसार संभरित किए गए माल/उपकरण के मूल्य का ....प्रतिशत है। आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि आपूर्ति संभरकों के साथ की गई संविदा दिनांक ....के अनुसार है और बीजक में दर्शाई गई कीमत पर हमारे द्वारा आपूर्ति स्वीकार कर ली गई है।

हम इस बात से सन्तुष्ट है कि संभरक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर किया गया है।

हस्ताक्षर ....
नाम...............
पदनाम ....
सील ....

स्टेशन :
दिनांक :

भेजे गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....
परियोजना का नाम ....

स्टेशन :
दिनांक :

टिप्पणी (1) यह प्रमाण-पत्र सम्बद्ध परियोजना के मुख्य कार्यकारी द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित किसी वरिष्ठ अधिकारी जिसके नाम, पदनाम एवं नमूना हस्ताक्षर सम्बद्ध पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को परिपत्रित किए जाते हैं द्वारा जारी किया जाए। अधिकारियों के नामों में परिवर्तन के लिए समय रहते परामर्श भेजने का उत्तरदायित्व अनन्य रूप से सम्बद्ध परियोजना प्राधिकरणों पर होगा। किसी नकद सहायता का भुगतान अथवा गलत प्रमाण-पत्रों के मद्दे स्वीकृत प्रतिपूर्ति लाइसेंसों अथवा ऐसे किसी अधिकारी द्वारा अन्यथा रूप से जारी किए गए लाइसेंसों के लिए परियोजना प्राधिकरणों को पूर्णरूप से और अनन्य रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

प्रपत्र—1-च

(1) जिन उप-संविदाओं का नाम मुख्य संविदा में है परन्तु मुख्य संविदाकार ने उप-संविदाकार को भुगतान मुक्त विदेशी

परिशिष्ट—16क—जारी

मुद्रा में किया है (2) जिनका नाम मुख्य संविदा में नहीं है उप-संविदाकारों द्वारा की गई आपूर्ति के लिए ओ. एन. जी. सी/जी.ए.आई.एल./आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किया जाने वाला भुगतान प्रमाण-पत्र ।

मुख्य संविदाकार द्वारा उप संविदाकार को जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना (परियोजना का नाम) .... के संबंध में संविदा सं. ... दिनांक .... हमें दी गई है। परियोजना प्राधिकारी (परियोजना प्राधिकारी का नाम) मैसर्स ....हमारा उप-संविदाकार है। देखिए आदेश/उप संविदा सं ...... दिनांक . . . . नीचे वर्णित और बीजक सं. . . दिनांक ....में वर्णित मात्रा और मूल्य का माल हमें/परियोजना प्राधिकारी को क्रय आदेश सं. . . . .दिनांक .... के मद्दे संभरित किया गया है और हमने अपने संभरकों अर्थात् मैसर्स. . . . .को बैंक द्वारा (प्राधिकृत बैंक का नाम निर्दिष्ट कीजिए) मुक्त विदेशी मुद्रा में ..... रु. की धनराशि दिनांक ....(भुगतान की तिथि निर्दिष्ट कीजिए) को चुका दी है जो कि संविदा के अनुसार संभरित किए गए माल/उपकरण का ....प्रतिशत है।

सप्लाई किए गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य

हस्ताक्षर . . . .
नाम ....
पदनाम ....
मुख्य संविदाकार का नाम
और पता ....
परियोजना का नाम ....

स्थान ....
दिनांक ....

ओ. एन. जी. सी./जी. ए. आई. एल./आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माल जिसका विवरण, मात्रा और मूल्य ऊपर निर्दिष्ट किया जा चुका है, परियोजना .... (परियोजना का नाम निर्दिष्ट कीजिए) के निष्पादन के लिए आवश्यक है और मुख्य संविदाकर से/के द्वारा हमें संभरित किया जा चुका है । ऊपर उल्लिखित परियोजना मैसर्स .... (मुख्य संविदाकार) को दी जा चुकी है । हम सन्तुष्ट हैं कि संभरण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर किया गया है ।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....
परियोजना का नाम ....

स्थान . . . .
दिनांक . . . .

टिप्पणी :—नीचे दिया गया प्रपत्र 1-ड इस मामले में पूर्णतः लागू है ।

प्रपत्र—1छ

उप संवीदाकारी (1) जिनका नाम मुख्य संविदा में है लेकिन मुक्त विदेशी मुद्रा में मुख्य संविदाकारी द्वारा उप-संविदाकारी को भुगतान किया जाता है अथवा (2) जिनका **नाम संविदा में नहीं है द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम/भारतीय तेल प्राधिकरण/आयल इंडिया लिमिटेड को किए गए संभरण के लिए बैंकों द्वारा जारी किया जाने वाला भुगतान का प्रमाण-पत्र ।**

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित मात्रा और मूल्य का माल .... (परियोजना प्राधिकारी का नाम) को संभरित किया गया है और संभरक अर्थात् मैसर्स .... को उपर्युक्त माल के मद्दे .... रु. (शब्दों में ....) की धनराशि का भुगतान किया गया है । आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान मैसर्स .... (मुख्य संविदाकार का नाम) के द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में चैक/पे आर्डर/डिमान्ड ड्राफ्ट सं. .... दिनांक .... (विदेशी मुद्रा का नाम) के लिए किया गया है तथा विदेशी मुद्रा को रुपए में बदलने के लिए अपनाई गई ओ. डी. क्रेता दर .... है ।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....
बैंक की मोहर ....

स्थान ....
दिनांक ....

संभरित किए गए माल का विवरण, मात्रा तथा मूल्य

....
....

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .
बैंक की मोहर. . . . . . .

स्थान. . . . . . .
दिनांक. . . . . . .

परिशिष्ट—16 क—जारी

प्रपत्र—2

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

हम, सर्वश्री. . . . . .अपने आवेदन पत्र दिनांक. . . . . के संबंध में. . . . . को . . . . को भेजे गए माल. . . . .
(खरीदने वाले का नाम) (माल का विवरण)
के मद्दे वचन देते हैं कि :—

(1) गारन्टी अवधि के दौरान उपस्कर के असन्तोषजनक कार्य अथवा संविदात्मक समझौते के अनुसार खराब पुर्जों के प्रतिस्थापन पर यदि कभी भविष्य में हमें क्रेता अर्थात्. . . . . .को कोई धनराशि वापस करनी पड़ेगी तो ऐसी वापसी की तारीख से एक महीने के अन्दर हमें लाइसेंस प्राधिकारी को पूर्ण विवरण के साथ सूचना भेजनी होगी ।

(2) हमारे द्वारा परियोजना अधिकारी को वापस की गई धनराशि के संबंध में आनुपातिक धनराशि हम लाइसेंस प्राधिकारी को लौटा देंगे ।

हस्ताक्षर . . . .
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)
पदनाम . . . .

स्थान. . . . .
दिनांक. . . . .

प्रपत्र—3

घोषणा

(क) हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि :—

(क) दिनांक. . . . . के आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण ठीक है;

(ख) आवेदन पत्र में उल्लिखित माल हमारे द्वारा प्राप्त की गई संविदा की शर्तों के अनुसार. . . . . को भेजा गया है ।

(ग) इन आपूर्तियों के मद्दे भुगतान प्राप्त किया गया में प्राप्त किया गया है; और

(घ) आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर की गई है ।

हस्ताक्षर . . . .
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)
पदनाम . . . .
आवेदक फर्म का नाम. . . . . . .

स्थान. . . . .
दिनांक. . . . .

(ख) हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि :—

(क) दिनांक. . . . . .के आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण ठीक है;

(ख) आवेदन पत्र में उल्लिखित माल हमारे द्वारा प्राप्त की गई संविदा की शर्तों के अनुसार. . . . . को भेजा गया है ।

(ग) इन आपूर्तियों के मद्दे भुगतान प्राप्त किया गया है, और

(घ) आपूर्ति ओ. एन. जी. सी./भारतीय गैस प्राधिकरण लि./आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा की गई संविदा के अनुसार की गई है देखें उनका पत्र सं. . . . .

नाम . . . .
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)
पदनाम . . . .
आवेदक फर्म का नाम. . . . . .

दिनांक. . . . .
हस्ताक्षर . . . .

प्रपत्र—4(क)

संयुक्त राष्ट्रसंघ अथवा संबद्ध बहुराष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरण, मात्रा और मूल्य का माल जो कि आवेदन पत्र दिनांक . . . . में दिया गया है, भारत में हमारे सहायता कार्यक्रमों में उपयोग के लिए सर्वश्री. . . . . .द्वारा भेजा गया है और हमने संभरक को स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में पूर्ण भुगतान कर दिया है । हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि वह माल अपने निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा बल्कि हमारी वचनबद्धता के अनुसार भारत में केवल सहायता कार्यक्रमों के लिए ही उपयोग किया जाएगा । हम सन्तुष्ट हैं कि माल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर भेजा गया है। माल दिनांक. . . . .(माल भेजने की तारीख) को भेजा गया था और भुगतान दिनांक. . . . . .(भुगतान की तारीख) को किया गया था ।

हस्ताक्षर . . . .
नाम. . . . .
पदनाम . . . .

भेजे गए माल का विवरण, मात्रा एवं मूल्य

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .

स्थान . . . .
दिनांक . . . .

प्रपत्र 4 (ख)

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बोली के अंतर्गत स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए भारत में अभिप्रायत संभरण के मद्दे खरीद करने वाले अभिकरण द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिए गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य के अनुसार आवेदन पत्र दिनांक . . . . में दिए गए के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बोली के मद्दे हमको सर्वश्री . . . . के द्वारा संभरित किया गया है और हमने संभरक को स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में पूर्ण भुगतान कर दिया है। माल दिनांक . . . . (संभरण की तिथि को संभरित किया गया था। और दिनांक . . . . (भुगतान की तारीख) को भुगतान किया गया था।

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .

स्थान . . . .
दिनांक . . . .

संभरित किए गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .

स्थान . . . .
दिनांक . . . .

प्रपत्र 5

संयुक्तराष्ट्र संघ आदि को किए गए संभरणों के संबंध में बैंकों द्वारा भुगतान के लिए जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित मात्रा और मूल्य का नाम . . . . (संयुक्त राष्ट्र संघ आदि का नाम) को संभरित किया गया है और संभरक अर्थात् . . . . को उपर्युक्त माल के मद्दे . . . . रुपए (शब्दों में . . . .) की पूर्ण धनराशि का भुगतान किया गया है। आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान . . . .

(संयुक्त राष्ट्र संघ आदि का नाम)

के द्वारा स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा अर्थात् (विदेशी मुद्रा की धनराशि और विदेशी मुद्रा को रुपए में बदलने के लिए अपनाए गए ओ. डी. विक्रेता दर को निर्दिष्ट करें) में किया गया है।

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .
बैंक की मोहर . . . .

स्थान . . . .
दिनांक . . . .

भेजे गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .
बैंक की मोहर . . . .

स्थान . . . .
दिनांक . . . . . .

परिशिष्ट 16-ख

विदेशी पर्यटकों/विदेशी राजनयिक दूतावास/उच्चायोग में व्यापार प्रतिनिधि को की गई बिक्री का वाउचर

(1) जिस पर्यटक/विदेशी राजनयिक/दूतावास/उच्चायोग में व्यापार प्रतिनिधि को माल बेचा गया हो उसका नाम और राष्ट्रीयता

(2) पर्यटक के पासपोर्ट की संख्या

(3) बेची गई वस्तु का विवरण (जिस सामग्री से वह वस्तु तैयार की गई हो उसका उल्लेख करें)

(4) विदेशी मुद्रा में बिक्री मूल्य और उसके बराबर भारतीय रुपए

(5) पर्यटक आदि द्वारा दी गई विदेशी मुद्रा और यात्री चैक का विवरण

पर्यटक के हस्ताक्षर	व्यापारी निर्यातक के हस्ताक्षर	पंजीकरण संख्या

टिप्पणी :—कृपया इस विषय में सम्बन्धित शर्तें पन्ने के दूसरी ओर पढ़ें

(1) विदेशी पर्यटक आदि को भेजी जाने वाली प्रति (सफेद)

(2) आयात लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ भेजी जाने वाली प्रति (पीली)

(3) व्यापारी के पास रखी जाने वाली प्रति (गुलाबी)

(4) रत्न तथा आभूषणों के मामले में पास पोर्ट के साथ एक प्रति संलग्न की जाए (ग्रीन)।

नोट :—इस वाउचर के द्वारा खरीदी गई रत्न तथा आभूषणों की वस्तुएं बेचना, उपहार में देना अथवा अन्य व्यक्ति को भारतीय सीमा के अन्दर अन्य प्रकार से निपटाना पूर्ण रूप से निषेध है।

परिशिष्ट—16ग

भारत में विदेशी पर्यटकों/राजनयिक कार्मिकों/दूतावासों/उच्चायोगों में व्यापार प्रतिनिधियों को माल की बिक्री के लिए बैंक प्रमाण-पत्र

आई० ई० कोड ....

प्रमाणित किया जाता है कि हमें .... विदेशी पर्यटकों/राजनयिक कार्मिकों/दूतावासों, उच्चायोगों में व्यापार प्रतिनिधियों को बेचे गए कालीन से प्राप्त बिलों की मैसर्स .... द्वारा अदा की गई रकम मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अनुमोदित तरीके से प्राप्त हो गई है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इसकी अदायगी किसी द्विपक्षीय करार के तहत अपवितर्नीय रुपया लेखे के अनुसार प्राप्त नहीं हुई है।

क्र० सं०	बिक्री वाउचर/कैश मैमो		बेची गई वस्तुओं का ब्यौरा	आर०ई०पी० कोड	माल का जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य	बैंक में विदेशी मुद्रा/यात्री चैक/कैडिट कार्ड बैंक ड्राफ्ट या चैक जैसा भी मामला हो को जमा करने की तारीख	रिहा की गई विदेशी मुद्रा के समतुल्य	*भुगतान वसूली की तारीख
	सं०	दिनांक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिया गया कोड
संदर्भ सं० ....
दिनांक ....
स्थान ....

(प्रबंधक के हस्ताक्षर)
बैंक का प्राधिकृत अधिकारी
कार्यालय मोहर

*यह केवल विदेशी बैंकों के नाम व्यक्तिगत बैंकों के मामलों में लागू है।

परिशिष्ट—16घ

विदेशी पर्यटकों/राजनयिक कार्मिकों/दूतावासों/उच्चायोगों में व्यापार प्रतिनिधियों को की गई बिक्री का विवरण

फर्म का नाम और पता

———— ————————————अवधि के दौरान विदेशी पर्यटकों/राजनयिक कार्मिकों/दूतावासों/उच्चायोगों में व्यापार प्रतिनिधियों को की गई बिक्री का विवरण जिसके लिए आयात लाइसेंस लिया जा रहा है:—

क्रम सं०	पर्यटक को बेचा गया उत्पाद (जिस उत्पाद समूह के अन्तर्गत बेचा गया है वह उत्पाद समूह संख्या उसकी क्रम सं० बताए)	बिक्री वाउचर कैश मोमै आदेश की संख्या और तारीख	बेचे गए उत्पादों का विवरण	बेची गई वस्तुएं जिनकी प्रतिपूर्ति का दावा किया गया हो और उनका रुपयों में पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य	वे मदें जिनके लिए यहां प्रतिपूर्ति का दावा किया गया हो उनके लिए वसूल की गई विदेशी मूद्रा के बराबर रुपए (बी०/सी०से आंकड़े)	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य जिस पर हकदारी का दावा किया जाना हो (वह मूल्य कालम 5 और 6 में बताए गए दोनों मूल्यों से कम होना चाहिए)	अभुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2.							
3.							
4.							

टिप्पणी: (1) कालम 7 में दिए गए मूल्यों को जो दिया जाना चाहिए।
(2) जिस व्यक्ति ने आवेदन फार्म पर आवेदक के रूप में हस्ताक्षर किए हों वही व्यक्ति ब्यौरे के विवरण पर भी हस्ताक्षर करे।

परिशिष्ट—16—ङ

आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

अभिगृहीत निर्यात की श्रेणी	प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
1	2
(क) कर मुक्त स्कीम के अधीन जारी किए गए कर मुक्त लाइसेंसों के मद्दे की गयी आपूर्ति	(1) बैंक का साक्ष्यांकित बीजक (2) आपूर्तियों के तथ्यों के रूप में अग्रिम विमुक्ति आदेश की मूल प्रति (3) सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य वस्तु बोर्ड द्वारा जारी किए गए वैध पंजीकरण एवं सदस्यता की फोटो प्रति । (4) संभरक के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति । (5) उत्पाद शुल्क गेट पास की सत्यापित प्रति (यदि उत्पाद शुल्क वापस लेने के लिए दावा किया जाता है ।)
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली आई० बी०आर०डी०/आई०डी० ए०/ए०डी०बी० द्वारा सहायतार्थ परियोजनाओं और/या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रिया या सीमित निविदा के अन्तर्गत बहु-पक्षीय/द्विपक्षीय विदेशी अभि-करणों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं और प्राकृतिक तेल एवं गैस निगम/भारतीय गैस लिमिटेड/भारतीय तेल लि० को भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर किए गए संभरण	(1) परिशिष्ट—16 क से सम्बद्ध प्रपत्र—1 में परियोजना प्राधिकारी के बैंक द्वारा जारी किया गया भुगतान प्रमाण-पत्र । (2) परियोजना अधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित बिक्री बीजक । (3) परिशिष्ट—16क के प्रपत्र—2 से आवेदक द्वारा बचनबद्धता पत्र । (4) परिशिष्ट—16क से सम्बद्ध प्रपत्र—3 में आवेदक द्वारा घोषणा ।
(ग) मुक्त विदेशी मुद्रा के मद्दे या वायु मार्ग कार्यक्रम और अन्य बहुराष्ट्रीय अभिकरणों के अन्त-र्गत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर संयु-क्त राष्ट्र संगठनों के लिए किए गए सम्भरण और प्रतियोगी बोली प्रक्रिया में मद्दे भारत में किए गए अन्य संभरण ।	(1) क्रेता अभिकरण द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित बीजक (2) परिशिष्ट—16क में दिए गए प्रपत्र—2 में आवेदक द्वारा वचनबद्धता । (3) परिशिष्ट—16क में दिए गए प्रपत्र—3 में आवेदक द्वारा घोषणा । (4) परिशिष्ट—16क में दिए गए प्रपत्र—4 में क्रेता अभिकरण का प्रमाण-पत्र (5) परिशिष्ट—16क में दिए गए प्रपत्र—5 में प्राप्त किए गए भुगतान के सम्बन्ध में बैंक प्रमाण-पत्र ।
(घ) (1) जहाजी सामान और अन्य माल (भाड़ा आधानों को छोड़कर) के रूप में विदेशी पोत परिवहन कम्पनियों को किए गए माल का संभरण । (2) विदेश जाने वाले (1) भारतीय पोत परिवहन कम्पनी के जलयानों (2) एयर इंडिया और (3) इंडियन एयर लाइन्स को भारत में पोत स्टोर्स के लिए किए गए संभरण	(1) विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा के विनिमय प्राप्त भारतीय रुपए की प्राप्ति से सम्बन्धित बैंक प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) (2) बैंक सांख्यांकित बीजक (3) विदेशी पोत परिवहन कम्प-नियों को किए गए भुगतान के सम्बन्ध में सीमा शुल्क द्वारा विधिवत अधिप्रमा-णित पोत परिवहन वायुमार्ग बिल की एक प्रति । (4) जहां सीमा शुल्क अधि प्रमा-णित पोत परिवहन वायुमार्ग बिल उपलब्ध नहीं हो उसके बदले में सीमाशुल्क 'अनुमति आदेश' । (5) यदि किसी मामले में आवेदक उपर्युक्त (1) और (2) पर दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हैं तो उसके बदले में सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत प्रति हस्ता-क्षरित पोत परिवहन कम्पनी एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइन्स या उनके एजेन्ट से यह एक प्रमाण-पत्र कि (क) बिल (जिसमें पूरे ब्यौरे निर्दिष्ट किए जाने चाहिए) का भुगतान ऐसी कम्पनी एयर लाइन के भाड़ा उपार्जन विदेशी मुद्रा आबटन में से अदा किया गया है, और (ख) इस व्यय को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित विवरण के मासिक विवरण में दिखाया गया हैं या दिखाया जाएगा ।

1	2
(ङ) समुद्रगामी पोतों के लिए भारतीय पोत कारखानों के लिए जुड़नार मदें (पूंजीगत माल की किस्म के) का संभरण	(1) भारतीय पोत कारखाना निर्मित समुद्रगामी पोत परिवहन से जुड़नार मदों की पूर्ति के मुद्दे भुगतान की प्राप्ति को प्रमाणित करते हुए बैंक प्रमाणपत्र ।
	(2) बैंक साक्ष्यांकित संभरक बीजक
(च) विदेशी राजनयिक कार्मिकों—दूतावासों—उच्चायोगों में व्यापार प्रतिनिधियों को देश में विनिर्मित वाहनों सहित कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का संभरण	(1) आवेदन शुल्क के लिए उपयुक्त राशि के लिए बैंक रसीद डिमांड ड्राफ्ट जिस में निम्नलिखित का ब्यौरा हो:—
	(क) पर्यटक विदेशी राजनयिक कार्मिक/व्यापार प्रतिनिधि का नाम और राष्ट्रीयता
	(ख) उस के पासपोर्ट की संख्या (ग) विदेशी बैंक के नाम लिखित यात्री चैक-क्रास्ड विदेशी बैंक ड्राफ्ट वैयक्तिक चैक के ब्यौरे (घ) बेची गई वस्तुओं का विवरण और (ङ) प्रत्येक वस्तुओं के मूल्य का ब्यौरा और (च) सम्बन्धित दूतावास उच्चायोग से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र कि सम्बन्धित व्यक्ति उन के साथ कार्य करता है बिक्री वाउचर/कैश मीमो की सत्यापित प्रतियां ।
	(2) परिशिष्ट—16—ग में निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार बैंक प्रमाण—पत्र जिसमें संगत बिक्री वाउचर/कैश मीमो की संख्या और तिथि को निर्दिष्ट किया गया हो और विदेशी बैंक के नाम लिखित संगत विदेशी मुद्रा यात्री चैक/क्रोस्ड विदेशी बैंक ड्राफ्ट/वैयक्तिक चैकों की भारतीय मुद्रा विनिमय नियंत्रण की प्राप्ति और अभ्यार्पण को दिखाया गया हो । (विदेशी बैंकों के नाम वैयक्तिक चैकों के मामले में बैंकों को यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि चैकों की आय को मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर लिया है) और
	(3) बिक्री का एक विवरण जिस में बिक्री वाउचर/कैश मीमो की संख्या और तिथि बेची गई वस्तुओं का विवरण अभ्यर्पित की गई विदेशी मुद्रा का रुपयों में मूल्य यात्री चैकों/विदेशी बैंक ड्राफ्ट/वैयक्तिक चैकों का अभ्यार्पण करने की तिथि और वैयक्तिक चैकों के मामले में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की तिथि परिशिष्ट—16—घ में दिए गए नमूना प्रपत्र के अनुसार ।
(छ) मुक्त विदेशी मुद्रा के मुद्दे यात्रियों को कर मुक्त दुकानों पर बेचे गए माल की बिक्री ।	(1) भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी०सी०) से कैश मीमों की संख्या और तिथि, बेची गई मद का नाम और माडल, यदि कोई हो) बेची गई मद की मात्रा और प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा की राशि को निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण—पत्र ।
टिप्पणी :	यह विवरण मदवार तैयार किया जाना चाहिए और यह कर मुक्त दुकान के प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित और निर्यातक (दुकान) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा विवरण के अन्त में निम्नलिखित प्रमाण—पत्र दिया जाना चाहिए । इस विवरण में बताया गया विवरण सत्य और सही है और विवरण में दिखाई गई विदेशी मुद्रा की राशि वास्तविक रूप से प्राप्त कर ली गई है और हवाई अड्डे पर स्टेट बैंक काउन्टर पर जमा करा दी गई है । (आवेदन—पत्र के साथ कैश मीमो भेजने की आवश्यकता नहीं है) ।
(ज) रत्न और आभूषण के अतिरिक्त विदेशी पर्यटकों को मदों की बिक्री ।	(1) (क) पर्यटक का नाम और राष्ट्रीयता (ख) पर्यटक के पासपोर्ट की संख्या (ग) विदेशी बैंक के नाम

2	3	4	5	6	7	8
			लिखित यात्री चैक/क्रोस्ड विदेशी बैंक ड्राफ्ट/वैयक्तिक चैक के ब्यौरे (घ) जिस माल से बेची वस्तुएं तैयार की गई हैं उस का विस्तृत विवरण (ङ) प्रत्येक वस्तुओं के मूल्य का ब्यौरा देते हुए बिक्री वाउचर/कैश मीमों की सत्यापित प्रतियां।		(3) परिशिष्ट-16घ में दिए गए प्रपत्र के अनुसार बिक्री वाउचर/कैश मीमो का विवरण और उसकी संख्या और तिथि, जिस माल से बेची गई वस्तुएं तैयार की गई हैं उसको विशिष्टकृत करते हुए विवरण अभ्यर्पित विदेशी मुद्रा का मूल्य रुपयों में यात्री चैकों/विदेशी बैंक ड्राफ्ट/वैयक्तिक चैकों का अभ्यार्पण करने की तिथि और वैयक्तिक चैकों के मामले में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की तिथि देते हुए बिक्री का विवरण।	
			(2) परिशिष्ट-16-ग में निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार बैंक प्रमाण-पत्र जिसमें संगत बिक्री वाउचर/कैश मीमो को निर्दिष्ट किया गया हो, और विदेशी बैंक के नाम लिखित संगत विदेशी मुद्रा यात्री चैक/क्रास्ड विदेशी बैंक ड्राफ्ट/वैयक्तिक चैकों की भारतीय मुद्रा विनियम नियंत्रण को प्राप्ति और अभ्यार्पण को दिखाया गया हो। (विदेशी बैंकों में वैयक्तिक चैकों के मामले में बैंकों को यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि चैकों की आय को मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियम के अनुसार विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर लिया है), और	(झ) रत्न और आभूषणों की मदों की विदेशी पर्यटकों को बिक्री	(1) बेची गई मदों का पूरा विवरण भारतीय रुपए में उनका मूल्य, विदेशी पर्यटकों के ब्यौरे, उसके पासपोर्ट की संख्या, भुगतान की प्रक्रिया और यात्री चैकों की विदेशी मुद्रा की धनराशि को देते हुए बिक्री वाउचरों की तीन प्रतियां। (2) यात्री चैकों के मद्दे विदेशी पर्यटकों को दी गई बिक्री से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के साक्ष्य के रूप मे मूल रूप में बैंक प्रमाण-पत्र।	

परिशिष्ट-17

पंजीकृत निर्यातकों द्वारा किए गए सेवा निर्यात के मद्दे प्रतिपूर्ति लाइसेंस देने के लिए आवेदन का प्रपत्र

आयात निर्यात कोड एवं जारी करने का वर्ष

1. आवेदक का नाम व पता
2. पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न)
3. निर्यात अवधि
4. निदेशक/भागीदार/मालिक का नाम, जैसा भी मामला हो
5. अचल परिसम्पत्ति पर पूंजीगत निवेश :—
   (क) मशीनरी/उपस्कर आयातित स्वदेशी
   (ख) भूमि और भवन
6. आवेदित लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य
7. भुगतान किए गए आवेदन शुल्क का ब्यौरा

परिशिष्ट–17 (जारी)

8. (1) अप्रैल 19·········मार्च 19·········के दौरान किए गए सेवा निर्यात का विवरण

क्र० सं०	निर्यातित सेवा का विवरण	क्रय आदेश/संविदा (विदेशी ग्राहक का नाम/पता सहित संक्षिप्त विवरण दें)	पोतलदान बिल/पी०पी० सं० एवं दिनांक	बीजक सं० और दिनांक	निर्यात का देश	अर्जित विदेशी मुद्रा			
						मुद्रा एवं राशि	समतुल्य रुपया	जी०आर० आई०/ पी०पी० संख्या	एफ०आई० आर०सी० सं० और दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(2) (क) अर्जित विदेशी मुद्रा की कुल राशि . . . . रु०

(ख) निर्यातक द्वारा विदेशी अभिकर्ता(ओं) को दिया गया या (बाद में) देने योग्य कमीशन या छूट की कुल राशि . . . . रु०

(ग) विदेशों में भ्रमण हेतु भारत में सलाहकार/विशेषज्ञ/अन्य कर्मियों को दी गई यात्रा राशि . . रु०

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के साथ विदेश में विदेशी मुद्रा में अन्य खर्चे . . रु०

(ङ) कुल अर्जित विदेशी मुद्रा . . . . रु०

9. आर० ई० पी० लाइसेंस हेतु हकदारी . . . . रु०

10. संलग्न दस्तावेजों की सूची:—

(1) क्रय आदेश/संविदा की प्रति

(2) बैंक द्वारा सत्यापित बीजक।

(3) बैंक द्वारा जारी विदेशी मुद्रा परेषण प्रमाण पत्र (एफ० आई० आर० सी०)

(4) विदेश में खर्च के लिए रिलीज की गयी विदेशी मुद्रा की राशि, विदेश की यात्रा के लिए परामर्शदाता/विशेषज्ञ/अन्य कार्मिकों को अदा की गयी यात्रा राशि और कुल विदेशी मुद्रा को निर्दिष्ट करते हुए सनदी लेखापाल का प्रमाण-पत्र;

(5) विदेशी ग्राहक के साथ हस्ताक्षरित करार का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन/भारतीय रिजर्व बैंक फैक्स या टेलेक्स के माध्यम से प्राप्त आदेश/संविदा को मान्यता दे सकता है परन्तु इसके अनुसरण में इन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर पार्टियों के बीच नियमित रूप से हस्ताक्षरित आदेश/संविदा होनी चाहिए।

(6) संबंधित निर्यात परिषद द्वारा जारी आर०सी० एम०सी० की प्रति।

वचनबद्धता/घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा विधिवत रूप से यह घोषित करता हूं/करते हैं:—

(1) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और न कोई संबंधित सूचना छिपाई गई है और न रोकी गई है।

(2) मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि इस आवेदन पत्र के आधार पर यदि प्रस्तुत की गई सूचना का कोई भाग गलत, झूठा या भ्रमात्मक पाया गया तो इस सूचना के आधार पर जारी किया गया लाइसेंस मेरे/हमारे/हमारे द्वारा नामांकित व्यक्ति को भविष्य में दिए जाने वाले लाइसेंस में काट लिया जायेगा/रद्द कर दिया जायेगा। यह उस अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगी जो इस सम्बन्ध में की जा सकती है।

(3) यह कि इस आवेदन पत्र में निहित निर्यात के मद्दे आयातित लाइसेंस के लिए अन्य कोई भी आवेदन पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही भविष्य में प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) यदि इस आवेदन पत्र के अन्तर्गत किए गए निर्यात के लिए कभी भी कोई जुर्माना या क्षति के कारण विदेशी क्रेता को कोई राशि दी गई हो तो इसकी सूचना इसके एक महीने के अन्दर ही लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दे दी जायेगी एवं इस आवेदन पत्र के मद्दे जारी किए गए आयात लाइसेंस के मूल्य को भविष्य में मुझे/हमें देय आयात लाइसेंस में काट लिया जाएगा यह कार्रवाई उस अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगी जो इस सम्बन्ध में की जा सकती है।

(5) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा की गई संवीक्षा के परिणाम स्वरूप इस आवेदन पत्र के मद्दे कोई अधिक लाइसेंस मुझे/हमें जारी किया गया पाया जाएगा तो अतिरिक्त लाइसेंस को भविष्य में मुझे/हमें किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले उस लाइसेंस में से काट लिया जाए जो मुझे/हमें भविष्य में देय हो, यह कार्रवाई उस अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगी जो इस सम्बन्ध में की जा सकती है।

(6) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सूचना का कोई भी भाग गलत झूठा या भ्रामत्मक पाया गया तो इस आवेदन पत्र के आधार पर जारी किया गया लाइसेंस उस अन्य की जाने वाली कार्रवाई के अतिरिक्त रद्द कर दिया जाएगा या अप्रभावी कर दिया जाएगा जो इस सम्बन्ध में की जा सकती है।

(7) मैंने/हमने अपने निर्यातों को बीजक से कम या बीजक अधिक नहीं रखा है।

(8) मैं आगे प्रमाणित/सत्यापित करता हूं कि मैं आवेदक की ओर से इस विवरण की जांच करने एवं हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं।

मैं/हम यह अच्छी तरह समझता हूं/समझते हैं कि उपर्युक्त विवरण में दी गई कोई भी सूचना यदि गलत तथा असत्य होगी तो मेरे/हमारे विरुद्ध कोई भी ऐसा दण्ड अथवा अन्य परिणाम सम्बन्धी कार्रवाई की जा सकती है जो कि विधि में निर्धारित हो या अन्यथा उपर्युक्त हो।

स्थान: आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम साफ अक्षरों में

पदनाम

कार्यालय का पूरा पता :

निवास का पूरा पता :

परिशिष्ट—18 क

निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र देने के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. आई० ई० कोड नम्बर
2. फर्म का नाम व पता पिन कोड
3. आवेदन पत्र किसके लिए है
4. संस्था का स्वरूप
5. निर्यातक का स्तर
6. स्थापना की तिथि
7. पंजीकरण सं०/आयात लाइसेंस संख्या व तारीख
8. भारतीय निर्यातकों के संगठन का महासंघ (फियो) आर० सी० एम० सी० सं०
   जारी किए जाने की तिथि समाप्ति तिथि
9. बैंकर
10. निदेशकों, मालिकों, साझेदार(रों) या कर्ता का नाम जैसा भी मामला हो ।
11. मुख्यालय
    भारत में शाखाएं
    सहयोगी कम्पनियां
    विदेश में शाखाएं
12. निर्यात सदन/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र संख्या तथा तारीख यदि पहले हो तथा वह तारीख जिस तक वैध है :—
    क्रम सं० प्रमाण-पत्र संख्या से तक

13. निर्यात/विदेशी मुद्रा की निवल प्राप्ति का विवरण
    (प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के लिए अलग विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं)

(क) निर्यातों का विवरण:— लाइसेंसिंग वर्ष————

निर्यातों की श्रेणी	निर्यातित मदों का विवरण	आयात नीति के परिशिष्ट–17 में निर्यात उत्पादों की क्रम संख्या	निर्यातित माल के उत्पादक का नाम और पता	उस देश का नाम जिसको निर्यात किया गया	निर्यातित माल का पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) गैर लघु उद्योग					
(2) लघु उद्योग/कुटीर उद्योग					
(3) प्रयुक्त प्राप्तियां					

(ख) विदेशी मुद्रा की निवल प्राप्ति का विवरण

————————लाइसेंसिंग वर्ष

निर्यातों की श्रेणी	उपर्युक्त विवरण (क) में कुल पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान जारी किए गए सभी श्रेणियों के अग्रिम, अग्रदाय हीरों के अग्रदाय हीरा व्यापार निगम तथा आयात निर्यात पासबुक सहित (विशेष अग्रदाय आयात-निर्यात पासबुक के अतिरिक्त) आर ई पी लाइसेंस यदि कोई हो, (हीरा व्यापार निगम अग्रदाय लाइसेंसों के मामले में, संगत लाइसेंसिंग वर्ष के अन्तिम दिन या उससे पूर्व किए गए सभी प्रेषणों के आधार पर उपयोग किए गए मूल्य) का कुल लागत-बीमा भाड़ा मूल्य	लाइसेंसिंग वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी लाइसेंसों के मूल्य का उक्त साल के दौरान जारी लाइसेंसों कुल लागत भाड़ा मूल्य में से निकाल दिया जाए जैसा की आयात नीति के पैरा 218(2) (क) के नीचे टिप्पणी-2 में विकल्प दिया गया है।	चालू लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान जारी लाइसेंसों के कुल लागत भाड़ा मूल्य में तत्काल पिछले लाइसेंसिंग वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान जारी लाइसेंसों के मूल्य को शामिल किया जाए जैसा कि आयात नीति के पैरा 218(2)(क) के नीचे टिप्पणी, 2 में विकल्प दिया गया है।	विदेशी मुद्रा की निवल वसूली या कालम 2 में से घटायें कालम 3 (कालम 4क को शामिल न करके पर कालम 5ख को शामिल करके)	विदेशी मुद्रा की निवल प्राप्ति कालम-2 के मूल्य से कालम-3 का मूल्य घटाया जाए	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) गैर लघु उद्योग							
(2) लघु उद्योग/कुटीर उद्योग							
(3) अदृश्य प्राप्तियां							

14. सीधे निर्यात किए गए तथा जारी किए गए लाइसेंस/उनकी पात्रता का ब्यौरा :

लाइसेंसिंग वर्ष————————

भाग—1

निर्यात अवधि	निर्यात मदें	निर्यात का जहाज पर निःशुल्क मूल्य	परिशिष्ट—17 की क्रम संख्या	परिशिष्ट-17 के अनुसार आर० ई० पी० की दर	कालम-5 के अनुसार आर० ई० पी० लाइसेंस की पात्रता का मूल्य	जारी किए गए आर० ई० पी० लाइसेंस तथा संख्या, तारीख व लागत बीमा भाड़ा मूल्य	पात्रता की बकाया राशि यदि कोई है (कालम-6 कालम-7)
1	2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट 18क— (जारी)

भाग—2

लाइसेंस की राशि	संख्या व तारीख	लागत बीमा भाड़ा मूल्य	निर्यात की मदें	लगाया गया ई०सी० मूल्य	किया गया निर्यात जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य	अधिक निर्यात यदि कोई है	अधिक निर्यात पर आर०ई० पी०पात्रता का मूल्य	मूल्य वर्धन की मात्रा दरों में	परिशिष्ट—17 के अनुसार आर०ई०पी० दर	पात्रता जारी किए गए विशेष आर०ई०पी० का कुल मूल्य	भाग—1 के कालम—3— भाग 2 में कालम—6 का योग	पात्रता जारी किए गए लाइसेंस का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य (भाग—1 का 7+8 भाग—2 का 3+8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. भाग (क)												
2. भाग (ख)												

टिप्पणी :—

(1) सीधे निर्यात जिनके मद्दे आर० ई० पी० लाइसेंस जारी किए गए, पात्रता यदि जारी नहीं किया है भाग—1 में निर्दिष्ट किया जाए।

(2) अग्रिम, आयात एवं निर्यात पास बुक, डी०टी०सी० अग्रदाय तथा अन्य अग्रदाय लाइसेंसों के मद्दे किए गए निर्यात का ब्यौरा, विवरण के भाग दो में दिए जाएं।

(3) भाग 2 के कालम—1 में श्रेणीवार लाइसेंसों का ब्यौरा दें अर्थात अग्रिम आयात एवं निर्यात पास बुक, अग्रदाय तथा डी०टी०सी०।

(4) लाइसेंसों के मद्दे किए गए निर्यात का ब्यौरा (वर्तमान वर्ष में जारी किए गए आर० ई० पी० में प्रतिबिम्बित) भाग 2(क) के सामने दर्शाया जाए (क) पूर्व वर्षों में लगाए गए तथा वर्तमान वर्ष में पूर्ति किए गए निर्यात आभार के मद्दे किए गए निर्यातों का ब्यौरा भाग 2 (ख) में दर्शाया जाए।

(5) जहाज नि:शुल्क मूल्य में कमीशन शामिल नहीं होना चाहिए।

(6) यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्यात का जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का योग तथा जारी किए गए लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य/पात्रता विवरण में दिए गए कुल निष्पादन के मूल्यों से मेल खाता है?

(7) यह स्टेटमेंट सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं, कि उपरोक्त विवरण पत्र और वित्तीय सूचना मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है, कि सभी निर्धारित, रजिस्टर और रिकार्ड रखे गए हैं और इस तरह रखे गए रजिस्टरों और रिकार्ड्स में से वित्तीय सूचना ली गई है और उन्हीं के अनुसार है।

मैं/हम आगे घोषणा करता हूं/करते हैं —

(1) विदेशी मुद्रा की कुल वसूली मूल्य निर्यात का जहाज—पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य जिसके आधार पर इस विवरण पत्र में निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण—पत्र के हेतु दावा किया है, हमारे प्रत्यक्ष निर्यात है। निर्यात आदेश/ठेका, बैंक प्रमाण—पत्र, पोत लदान, बिल और बीजक केवल हमारे ही नाम में है (यदि बीजक में निर्यातित माल के विनिर्माता का नाम दिया गया हो तो उसका उल्लेख किया जाएगा)।

(2) हमारे द्वारा एस०टी०सी०/एम०एम०टी० सी० के सहायकों के रूप में किए गए निर्यातों के मामले में, प्रक्रिया पुस्तक 1990—93 परिशिष्ट—18 में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया गया है। ऐसे निर्यात, जिनके लिए एस० टी० सी०/एम० एम० टी० सी० ने दावे नहीं किए हैं और जिन्हें निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण पत्र के रूप में ये अपने निर्यातों के रूप में परिकलित नहीं करेंगे, उन निर्यातों पर हमारे द्वारा आर० ई० पी० लाभ प्राप्त कर लिए गए हैं या कर लिए जायेंगे/———————————दस्तावेजों में हमारे नाम एस० टी० सी०/एम०एम०टी० सी० के नाम के साथ या उनके नाम के बिना है। एस० टी० सी०/एम० एम० टी० सी० से प्राप्त इस उद्देश्य का एक प्रमाण—पत्र संलग्न है।

परिशिष्ट—18क (जारी)

(3) विवरण-पत्र में दिखाया गया जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य अदा किए गए अथवा किए जाने वाली आढ़त से अलग हैं।

(4) निर्यातों का जहाज-पर्यन्त-नि:शुल्क मूल्य उन वस्तुओं से संबंधित है जिन्हें विदेश में प्रेषिती द्वारा लौटाया नहीं गया।

(5) निर्यातों के मामले में बिक्री से लाभ जिसका जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य/विदेशी मुद्रा की कुल वसूली का दावा किया गया है की वसूली कर ली गई है तथा वेस अवधि के अंतिम वर्ष में किए गए निर्यातों के मामले में, जिनके मामले में बिक्री से लाभ की वसूली नहीं की गई है, के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिक्री से लाभों की प्राप्ति के लिए समय सीमा में वृद्धि की अनुमति दे दी गई है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त उत्पादों, जो कि लघु एककों द्वारा विनिर्मित हैं, के जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य/विदेशी मुद्रा की कुल वसूली प्राप्ति में केवल लघु उद्योग एककों द्वारा विनिर्मित मदें ही शामिल हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिखाए गए उत्पादों के जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य/विदेशी मुद्रा की वास्तविक वसूली में आयात-नीति के अध्याय 22, 23 और 16 में यथा परिभाषित मुक्त व्यापार क्षेत्र/[illegible]ाधन क्षेत्र और शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों में विनिर्मित और उनसे निर्यातित उत्पादों का जहाज पर्यन्त नि:शुल[illegible]शी मुद्रा की वास्तविक वसूली और आयात नीति के अध्याय 15 के पैरा 200 के अनुसार अभिग्रहीत निर्यात तथा देशज स[illegible]ल नहीं हैं।

मैं आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मैं आवेदक की ओर से इस विवरण-पत्र पर सत्य[illegible] एवं हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं।

मैं/हम अच्छी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत की गयी सूचना यदि गलत या असत्य सिद्ध हुई तो यह मुझे/हम किसी दण्ड और अन्य परिणाम जो कि कानून में निर्धारित या अन्यथा रूप से उल्लिखित हों, के लिए उत्तरदायी बना देगा।

हस्ताक्षर ————————————

निर्यातक का नाम ————————————

कार्यालय का पूरा पता————————————

————————————

पूरा आवासीय पता ————————————

————————————

स्थान :

दिनांक :

टिप्पणी (1) यह आवेदन-पत्र साझीदार/स्वामी/प्रबंध निदेशक, कम्पनी संचालक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है। यदि यह प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है तो उसके लिए मुख्तारनामा भेजा जाना चाहिए।

*यदि कोई दस्तावेज नहीं रखा गया है तो उसका नीचे उल्लेख किया जाए :—

1.

2

सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स————————————के————————————की अवधि के ————————————की समाप्ति अवधि/वर्ष के निर्धारित रजिस्टरों/रिकार्डों की भी जांच कर ली है और एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं/करते हैं कि :—

"(1) मैसर्स————————(आवेदक का पूरा नाम तथा पता) ने आवेदन पत्र की क्रम संख्या 10 में दिए विवरण, में उल्लिखित प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों के लिए निवल विदेशी मुद्रा की वसूली कर ली है।"

(2) क्रम संख्या 13 में दिए गए विवरण में शामिल निर्यातों के मामले में बिक्री से लाभों की वसूली की जा चुकी है तथा वेस अवधि के अंतिम वर्ष में किए गए निर्यात के मामले में जिसके लिए बिक्री से लाभ की वसूली अभी तक नहीं की जा सकी है के लिए बिक्री से लाभ की वसूली की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ा दी गई है।

परिशिष्ट–18क (जारी)

(3) आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं और मेरे/हमारे द्वारा उनकी जांच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है नामत :—
सम्बद्ध आयात-निर्यात नीति के अनुसार पत्रिकाएं और निर्यात आदेश/संविदा पोतलदान बिल, लदान बिल (और/ या वायुमार्ग बिल/पी० और रसीद/सीमा शुल्क/सत्यापित बैंक बीजक बिक्री के लाभ की उपयोगिता दर्शाते हुए बैंक प्रमाण-पत्र उनके अपने नाम में विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए गए भुगतानों के साक्ष्य पत्र और सम्बन्धित वर्ष में जारी की गई अग्रिम/अग्रदाय हीरा/हीरा व्यापार निगम अग्रदाय सहित लाइसेंस, आयात-निर्यात पासबुक, विशेष अग्रदाय आयात-निर्यात पास बुक के अतिरिक्त), यदि कोई जारी की गई हो, तथा जारी किए गए आर० ई० पी० लाइसेंस या उनके लिए पात्रता, संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान तथा संबंधित आयात-निर्यात नीति के अनुसार पात्रता।

(4) क्रम संख्या 14 में दिए गए विवरण को सत्यापित कर दिया गया है तथा सही पाया गया।

(5) संबन्धित रजिस्टर मेरे/हमारे हस्ताक्षर मोहर के अन्तर्गत अधिप्राणित किए गए हैं।

(6) उत्पादों (विवरण में शामिल) की विदेशी मुद्रा में जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/वास्तविक वसूली मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्यात संसाधन क्षेत्र, शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों में विनिर्मित और उनसे निर्यातित उत्पादों और अध्याय 22, 23, 16 यथा परिभाषित : अभिग्रहीत निर्यातों और उसके साथ-साथ आयात नीति के अध्याय 15 के पैरा 200 के अनुसार किए गए स्वदेशी सम्भरण शामिल नहीं हैं।

(7) लघु उद्योग/कुटीर उद्योग की यूनिटों द्वारा विनिर्मित उत्पादनों का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और उससे विदेशी मुद्रा की निवल प्राप्ति जैसा कि निर्यात/विदेशी मुद्रा की निवल प्राप्ति विवरण में दिखाया गया है, ठीक है।

(8) उपयुक्त विवरण में दी गई वित्तीय सूचना सम्बन्धित रजिस्टरों और रिकार्डों के अनुसार है। यह सूचना नियोजक द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में समायोजित कर ली गई है और यह सत्य एवं सही भी है।

(9) यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तुत की गयी सूचना हर तरह से सत्य एवं सही है; इस का कोई भी भाग गलत अथवा भ्रामक नहीं है और न ही कोई संबंधित सूचना छिपाई अथवा रोकी गयी है।

(10) मैं और न ही मेरे भागीदार में से कोई भी उपर्युक्त नामित संस्था अथवा इसके सम्बन्धित उद्यमों का भागीदार निदेशक अथवा कर्मचारी है।

(11) मैं/हम यह अच्छी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि यदि इस प्रमाण-पत्र में उल्लिखित कोई विवरण गलत अथवा असत्य सिद्ध होता है तो यह मुझे/हम किसी ऐसे दण्ड अथवा अन्य परिणाम जैसा कि विधि में निर्धारित है या अन्यथा रूप से उपयुक्त है, के लिए उत्तरदायी करेगा।

हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
और मोहर/सील
(सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल)
(कम्पनी सचिव)
हस्ताक्षरकर्ता का नाम————————
पूरा पता ————————
सदस्यता सं० ————————

स्थान :
दिनांक :

**यदि उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित कोई दस्तावेज और रिकार्ड व्यवस्थित नहीं किए गए/नहीं किए गए हैं जांच या सत्यापित नहीं किए गए हैं तो उनका उल्लेख नीचे किया जाए।

1.
2.
3.
4.

टिप्पणी :—(1) प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 के अध्याय-19 के पैरा 347 के उल्लेखानुसार आवेदक के घोषणा पत्र तथा सनदी लेखापाल के प्रमाण-पत्र में संदर्भित 'सीधे निर्यात' में निर्यात, यदि कोई हो, शामिल होंगे।

(2) क्रम सं० 13 (ख) के अन्तर्गत कालम 3 के सम्बन्ध में (क) लाइसेंस सं० दिनांक और इसका मूल्य जहां लाइसेंस पहले ही दे दिए गए हैं, और (ख) निर्यात की अवधि, निर्यातित उत्पाद का विवरण, निर्यात का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, आयात प्रतिपूर्ति की दर और आयात हकदारी के मूल्य का विस्तृत ब्यौरा समय-समय पर प्रस्तुत करना चाहिए।

परिशिष्ट 18-ख

अतिरिक्त/विशेष अतिरिक्त लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम और पता ....
2. पार्टी का स्वरूप, क्या लिमिटेड कम्पनी अथवा स्वामित्व कम्पनी, साझेदारी अथवा हिन्दु अविभाजित परिवार है ....
3. निदेशक, साझेदार, स्वामी अथवा कर्त्ता जैसा भी मामला हो, का नाम ....
4. मुख्यालय/शाखाओं अथवा सहयोगी कम्पनियों का विवरण (नाम तथा पता) ....
   (क) भारत में
   (ख) विदेश में
5. आयात-निर्यात संगठन संघ द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और दिनांक (पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी है)
6. निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र की संख्या तथा दिनांक और जिस तिथि तक वैध है
7. पात्रता के लिए अर्हता प्राप्त उत्पादों के निर्यात का विवरण

वर्ष (पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्ष अलग-अलग)	निर्यात की गई मद का विवरण	आयात नीति के परिशिष्ट 17 के अनुसार निर्यात की गई मद की क्रम सं०	निर्यातों का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	अग्रिम, अग्रदाय (डायमण्ड/हीरा व्यापार निगम अग्रदाय सहित) एवं आयात-निर्यात पासबुक (विशेष अग्रदाय आयात-निर्यात पास बुक रहित) यदि कोई जारी किया गया है, के साथ-साथ जारी किए गए आर०ई०पी० लाइसेंसों या पूर्ववर्ती दो वर्ष के दौरान श्रेणीवार उनके लिए पात्रता रखने वाले लाइसेंसों का कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।	विदेशी मुद्रा की निवल प्राप्ति (कालम 4 में दिए गए मूल्य में से कालम-5 का मूल्य घटा दिया जाना चाहिए)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7

8. लाइसेंस अवधि जिसके लिए अतिरिक्त/विशेष अतिरिक्त लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है।
9. आवेदित लाइसेंस का मूल्य (जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य)
10. आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों का पूर्ण विवरण।

वचनबद्धता/घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त विवरण-पत्र और वित्तीय सूचना मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है, यह भी कि सभी निर्धारित रजिस्टर और रिकार्डस रखे गए हैं और इस तरह रखे गए रजिस्टरों और रिकार्डस में से वित्तीय सूचना दी गई है और उन्ही के अनुसार है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिए गए उत्पादों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/विदेशी मुद्रा की कुल प्राप्ति में विनिर्मित उत्पादों और आयात नीति के अध्याय-22 और 23 में दिए गए मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र और शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/विदेशी मुद्रा की कुल प्राप्ति शामिल नहीं है।

परिशिष्ट 18–ख—(जारी)

मैं/हम आगे यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त निर्दिष्ट उत्पादों की बिक्री से लाभ की वसूली की जा चुकी है।

मैं आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मैं आवेदक की ओर से इस विवरण पत्र पर सत्यापन करने एवं हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं।

मैं/हम अच्छी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत की गई कोई सूचना यदि गलत या असत्य सिद्ध हुई तो यह मुझे/हमें किसी दण्ड और अन्य परिणाम जो कि कानून में निर्धारित या अन्यथा रूप से उल्लिखित हों, के लिए उत्तरदायी बना देगा।

हस्ताक्षर ....
निर्यातक का ....
पूरा पता ....
पूरा आवासीय पता ....
....

स्थान :
दिनांक :

*यदि कोई रिकार्ड नहीं रखा गया हो तो उसका नीचे उल्लेख करें :—

1.
2.
3.
4.

सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव का प्रमाण पत्र

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स .... के .... से .... की अवधि के .... की समाप्त अवधि/वर्ष के निर्धारित रजिस्टरों और उपर्युक्त रिकार्डों की भी जांच कर ली है और एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं/करते हैं कि :—

(1) मैसर्स .... द्वारा

(आवेदक का नाम तथा पूरा पता)

1990–93 की आयात एवं निर्यात नीति अध्याय 18 की शर्तों के अनुसार संबंधित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात सदन/व्यापार सदन-प्रमाण-पत्र की पात्रता दिए जाने के लिए निर्यातों के मूल्य का कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की गणना करने के पश्चात् और उनमें से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम, अग्रदाय हीरों/हीरा व्यापार निगम के अग्रदाय सहित तथा आयात निर्यात पास बुक (विशेष अग्रदाय आयात-निर्यात पास बुक के अतिरिक्त), जारी, यदि कोई हो, आर ई० पी० लाइसेंस के साथ या उसके लिए पात्रता के साथ आयात हकदारियों के कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य को घटा कर आवेदन-पत्र की क्रम संख्या 10 की विवरणी में विशिष्टीकृत तीनों वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष की कुल विदेशी मुद्रा विनिमय की प्राप्ति कर ली है तथा उनके द्वारा इन निर्यातों के लिए बिक्री से लाभ की वसूली पहले ही प्राप्त की जा चुकी है।

(2) आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं और मेरे/हमारे द्वारा उनकी जांच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है :—

निर्यात आदेश/संविदा, पोतलदान बिल, लदान बिल (और/या वायुमार्ग बिल/पी० पी० रसीदें) सीमा शुल्क/सत्यापित बैंक बीजक, बिक्री से लाभ दर्शाते हुए बैंक प्रमाण पत्र उनके नाम में विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए गए भुगतानों के साक्ष्य पत्र और संबंधित लेखा पुस्तकें, अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस (डायमण्ड/हीरा व्यापारी निगम अग्रदाय सहित)/आयात-निर्यात पास बुक (विशेष अग्रदाय आयात-निर्यात पास बुक रहित), यदि कोई जारी की गई हो, सम्बद्ध आयात-निर्यात नीति के अनुसार जारी किए गए आर०ई० पी० लाइसेंस या उनके लिए पात्रता।

(3) विवरण में शामिल उत्पादों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/विदेशी मुद्रा की वसूली में विनिर्मित उत्पादों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और आयात नीति के अध्याय—22 और 23 में यथापरिभाषित मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र और शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य शामिल नहीं है।

(4) सम्बद्ध रजिस्टर मेरे/हमारे हस्ताक्षर/मोहर के अन्तर्गत अधिप्रमाणित किए गए है।

परिशिष्ट 18-(ख)—जारी

(5) उपर्युक्त विवरण पत्र में दी गई वित्तीय सूचना संबंधित रजिस्टरों और रिकार्डों के अनुसार है, यह सूचना निर्यातक द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में संयोजित कर ली गई है, और यह सत्य एवं सही भी है।

(6) यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तुत की गई सूचना हर तरह से सत्य एवं सही है; इसका कोई भी अंश अलग अथवा भ्रामक नहीं है और न ही कोई संबंधित सूचना छिपाई अथवा रोकी गई है।

(7) मैं और न ही मेरे भागीदार में से कोई भी, उपर्युक्त नामित संस्था अथवा इसके संबंधित उद्यमों का भागीदार, निदेशक अथवा कर्मचारी हूँ।

(8) मैं/हम यह अच्छी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि यदि इस प्रमाण-पत्र में उल्लिखित कोई विवरण गलत अथवा असत्य सिद्ध होता है तो यह मुझे/हमें किसी ऐसे दण्ड अथवा अन्य परिणाम, जैसा कि विधि में निर्धारित है या अन्यथा रूप से उपयुक्त है के लिए भागीदार करेगा।

हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर/सील

____

____

(सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव)
हस्ताक्षरकर्ता का नाम

____

पूरा पता

____

सदस्यता सं०

____

स्थान :
दिनांक :

यदि उपर्युक्त कालम (2) में उल्लिखित कोई दस्तावेज या रिकार्ड रखे नहीं गए हैं/प्रस्तुत नहीं किए गए हैं/जांचे नहीं गए हैं/सत्यापित नहीं किए गए हैं तो उनका नीचे उल्लेख किया जाए :—

1.

2.

3.

4.

टिप्पणी :—(1) आयात नीति के अध्याय—18 में दी गई परिभाषा के अनुसार पूर्ववर्ती दो लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान अनुमेय निर्यात उत्पादों का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य जिनकी बिक्री से लाभ की वसूली की जा चुकी है।

(2) सं० और तिथि, लाइसेंसिंग प्राधिकारी का नाम जिसने पिछले दो लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान पात्रताओं और लागत-बीमा—भाड़ा मूल्य की सभी श्रेणियों के अग्रिम, अग्रदाय (डायमण्ड/हीरा व्यापार निगम अग्रदाय सहित) एवं आयात-निर्यात पास-बुक (विशेष अग्रदाय आयात-निर्यात पास बुक रहित), यदि कोई जारी की गई हो और जारी किए गए आर० ई० पी० लाइसेंस।

सामान्य अनुदेश : आवेदन-पत्र भरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

कालम—3 : 1. निर्यात सदन, 2. व्यापर सदन के लिए

कालम—4 : संबंधित नम्बर दें।
(1. सार्वजनिक लि०, 2. निजी लि० कम्पनी, 3. सांझेदारी, 4. स्वामित्व, 5. हिन्दू अविभाजित परिवार फर्म)

कालम—5 : संबंधित नम्बर दें।
1. विनिर्माता निर्यातक (एस० एस० आई०)
2. विनिर्माता निर्यातक (बृहद स्केल), 3. व्यापारी निर्यातक।

कालम—11 : पूरा पता भी लिखें।

संलग्नक : (1) भारतीय निर्यातकों के संगठन का महासंघ द्वारा जारी आर० सी० एम० सी० की फोटो प्रति।
(2) लघु पैमाना उद्योग/महानिदेशक तकनीकी विकास पंजीकरण प्रमाण-पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस की फोटो प्रति।

परिशिष्ट—18 ग

निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन मैसर्स :———
द्वारा आयातित माल के आयात और निपटान के लेखों से संबंधित तिमाही विवरण

आयातक कोड नं० ....

मार्च/जून/सितम्बर/दिसम्बर को समाप्त होने वाली तिमाही का विवरण ....

आयातित माल का विवरण	आई०टी० सी०रिवीजन-2 की सातवीं डिजिट कोड सं०	स्टाक के अभिशेष का लागत—बीमा—भाड़ा मूल्य	अहस्तान्तरणीय अतिरिक्त लाइसेंसों के मद्दे आयात किए गए माल का लागत—बीमा-भाड़ा मूल्य	कालम 2 एवं 3 का योग	लाइसेंस सं० और तिथि जिसके मद्दे कालम 4 में दिया गया माल आयात किया गया	रिपोर्टाधीन तिमाही के दौरान निपटाए गए माल का लागत—बीमा—भाड़ा (मूल्य): वास्तविक उपयोक्ताओं को उनका नाम और पते सहित और उनके द्वारा विनिर्मित माल का विवरण	रिपोर्टाधीन तिमाही के दौरान निपटाए गए माल का लागत—बीमा—भाड़ा (मूल्य): अन्यों के स्वामित्व में विनिर्माण प्रतिष्ठानों में निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन के अपने लेखों में निर्यात उत्पादन के लिए और विनिर्मित माल का विवरण	तिमाही के अन्त में शेष स्टाक	अभ्युक्तियां
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स्थान: निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन का नाम ————————

तिथि : ————————

हस्ताक्षर ————————

टिप्पणी : (1) तिमाही के दौरान लेन-देन न होने पर भी तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

परिशिष्ट—19—क

कर छूट स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

नोट :—आवेदन भरने से पूर्व कृपया आवेदन-पत्र के अन्त में दिए गए निदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

संदर्भ सं० तारीख

भाग—1

1. आई० ई० कोड नम्बर :

2. नाम :
पता :

3. आवेदन का कारण:

4. निर्यातक का स्तर

5. फर्म का स्वरूप

6. निर्यात/व्यापार सदन जारी किए जाने की तिथि वैधता समाप्ति की तिथि

7. आर० सी० एम० सी० सं० जारी किए जाने की तिथि वैधता समाप्ति की तिथि

8. विनिर्माता/सहायक विनिर्माता, विवरण :—

9. यूनिट का प्रकार पंजीकरण सं० तिथि

10. कुल जहाज पर्यन्त मूल्य :

11. कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य

12. मूल्य संवर्धन का प्रतिशत

13. आवेदन शुल्क :

14. बैंक रसीद सं० व तारीख

15. जारी करने वाला बैंक:

16. पंजीकरण का पत्तन :

17. नार्मस की तिथि :

18. यदि नार्मस ए० एल० सी०/आर० ए० एल० सी० द्वारा निर्धारित किए गए हैं तो संबंधित फाइल संख्या दें।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी

ए०एल०सी०/आर० ए०एल० सी०

19. आवेश का प्रकार

20. भुगतान का तरीका

परिशिष्ट 19-क—जारी

21. निर्यात/संभरण आदेश सं० दिनांक

22. निर्यात/संभरण आदेश का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य :

23. उसी आदेश के मद्दे यदि पहले ही निर्यात/संभरण किया जा चुका हो तो उसका मूल्य यदि कोई हो।

24. निर्यात/संभरण आदेश का कुल मूल्य :

25. कमीशन की राशि, यदि कोई हो :

26. विदेशी क्रेता/परियोजना प्राधिकारी का नाम :

27. निर्यात/संभरण का देश/स्थान :

28. निर्यात/संभरण की डिलीवरी अवधि

29. यदि निर्यात/संभरण एस० टी० सी०/एम० एम० टी०सी० अथवा निर्यात/व्यापार/स्टार व्यापार सदन की ओर से प्रभावी किया जाना है तो निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार का नाम और पता दें।

निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन का नाम तथा पता	तारीख

(कार्यालय द्वारा भरे जाने के लिए)

फाईल संख्या लाइसेंस संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम तथा हस्ताक्षर

30. सहायक विनिर्माता का नाम व पता यदि कोई हों

31. फैक्ट्री का पता (सहायक विनिर्माता का पता विनिर्माता निर्यातक के मामले में)

32. निदेशकों मालिकों/साझेदारों या कर्त्ता का/के नाम एवं पते

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

परिशिष्ट 10क—(जारी)

33. सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्ष का निर्यात/संभरण

क्रम सं०	वर्ष	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य
1.		
2.		
3.		

34. यदि आवेदक निर्यात उत्पादन कार्यक्रम पर आधारित है तो आयात-निर्यात नीति के पैरा-238 के अनुसार विस्तृत विवरण दें।

(1) पूर्व तीन वर्षों का निर्यात संवर्धन :

क्रम सं०	वर्ष	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य
1.		
2.		
3.		

35. यदि आवेदन संभरण आदेश के मद्दे है तो निम्न विवरण दें (विशेष अग्रदाय लाइसेंस)

1. किसी परियोजना के अन्तर्गत क्रेडिट वित्त पोषित है :
2. किस प्रक्रिया द्वारा आर्डर प्राप्त किया जाता है :
3. अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली/सीमित निविदा आयात-निर्यात नीति के पैरा 206 के किस उप-पैरा के अन्तर्गत माल कवर होता है संबंधित परियोजना प्राधिकारी :

(2) क्या अब आवेदित निर्यात उत्पाद(दों) के लिए चालू वित्त वर्ष/गत वर्ष के दौरान कोई लाइसेंस जारी किया गया है, यदि हां तो निम्न विवरण दें:

क्रम सं०	लाइसेंस सं० तथा तिथि	लागत बीमा भाड़ा मूल्य	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	निर्यात आभार पूर्ति का प्रतिशत

36. इस आवेदन के मद्दे प्रणामी उत्पाद(दों) के विनिर्माण में फ्लो चार्ट की सहायता से आवृत्त विनिर्माण गतिविधियों की प्रक्रिया का उल्लेख करें।

परिशिष्ट 10क—(जारी)

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

37. आवेदित लाइसेंस के ब्यौरे

(1) सैक्टर टाइप——————नाम——————कोड

(2) आयातक श्रेणी——————नाम——————कोड

(3) लाइसेंस श्रेणी——————नाम——————कोड

(4) समझौते का प्रकार——————नाम——————कोड

(5) संसाधनों का प्रकार——————नाम——————कोड

(6) मुद्रा क्षेत्र 1 सामान्य 2 विशेष

(7) आयातित पण्य वस्तु की श्रेणी——————नाम——————कोड

(8) नागरिकता स्थिति 1 भारतीय 2 अप्रवासी भारतीय

(9) सीमाशुल्क पंजीकरण का पतन——————नाम——————कोड

भाग 2

(क) निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का ब्यौरा (परिणामी उत्पाद) :—

क्रम सं०	परिणामी उत्पाद		तकनीकी विशेषताएं गुण	कुल मात्रा	माप के यूनिट		कुल जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य	मात्रा का प्रति यूनिट जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य	आर० ई० पी० दर
	परिणामी उत्पाद का नाम	कोड			नाम	कोड			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

परिशिष्ट 19 क—(जारी)

(ख) करमुक्त आयात के लिए आवेदित सामग्री के ब्यौरे (मदवार व्यवस्थित):

क्रम सं०	आयातित मद		तकनीकी विशेषताएं गुण	कुल मात्रा	माप के यूनिट		कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य	कुल सीमा शुल्क जिसके लिए छूट मांगी गई है	सीमा शुल्क की दर	आयात का प्रस्तावित देश
	आयातित मद नाम	कोड			नाम	कोड				

(ग) प्रत्येक प्रकार के निर्यात उत्पाद के लिए अलग-अलग व्यवस्थित और प्रदर्शित :

क्रम सं०	परिणामी उत्पाद		अपेक्षित मद		परिणामी उत्पाद के लिए अपेक्षित प्रति इकाई मात्रा	आवश्यकता का उद्देश्य	दावा किए गए छीजन (प्रतिशत)	वसूली योग्य छीजन उप-उत्पाद		
	परिणामी उत्पाद	भाग-2क की संख्या	नाम	भाग-2ख में क्रम संख्या				नाम	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(घ) अन्य सामग्री का ब्यौरा जिनका उत्पादन में इस्तेमाल किया जाना है तथा जिसका लाइसेंस, जिसके लिए वर्तमान आवेदन पत्र दिया गया है में उल्लिखित स्रोत को छोड़कर अन्य स्रोत से आयात अधिप्राप्ति की जानी है :—

क्रम सं०	परिणामी उत्पाद		आदान की मदें		मात्रा तकनीकी विशेषताएं	आयातित मदें		स्वदेशीय विनिर्माण		माप के यूनिट	
	परिणामी उत्पाद का नाम	भाग-2क की क्रम-संख्या	नाम	कोड		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	नाम	कोड
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

परिशिष्ट 19ग—(जारी)

(ङ) कर-छूट स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंसों का ब्यौरा :

लाइसेंस विवरण						निर्यात आभार प्रतिपूर्ति की दर		निर्यात आभार अवधि के समाप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति	निर्यात आभार पूर्ण न किए जाने के कारण
क्रम सं०	लाइसेंस का प्रकार	लाइसेंस संख्या तथा तारीख	ई/एप्र आदेश अथवा ईपीपी	लागत सीमा भाड़ा मूल्य	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	मात्रा अनुसार	मूल्य अनुसार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि यह लाइसेंस प्रदान किया गया तो माल का उपयोग केवल कच्ची सामग्री संघटकों या उपसाधित्रों के रूप में मेरे/हमारे कारखाने में या इस उद्देश्य के लिए मनोनीत निर्माता के कारखानों में खपत के लिए किया जाएगा और उसका कोई भी भाग न तो बेचा जाएगा और न किसी अन्य पार्टी को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी ।

2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त ब्यौरे मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं/हम यह भली-भांति समझता हूं/समझते हैं कि यदि इसमें कोई भी कथन या तथ्य गलत या झूठा पाया गया तो सरकार जो जुर्माना लगाएगी या मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो कार्रवाई करेगी उसके अतिरिक्त प्रस्तुत के आधार पर मुझे/हमें प्रदान किया गया कोई भी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या अप्रभावित किया जा सकता है ।

3. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आदेश/संविदा आवेदन-पत्र में दिए गए उत्पादों के संभरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियों के मद्दे प्राप्त की गई है । परियोजना प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है । (केवल विशेष लाइसेंस के लिए लागू है)।

हस्ताक्षर ——————————
साफ अक्षरों में नाम——————————
पदनाम ——————————
निवास स्थान का पता ——————————

स्थान ——————————
दिनांक ——————————

(सनदी अभियन्ता द्वारा भरा जाए)

मैंने आवेदक कंपनी के कच्चे माल संघटकों और उपभोज्य सामग्री की आयात संबंधी आवश्यकता की उनके तकनीकी विवरण/विशिष्टिकरण और आयात की प्रत्येक मद के आधार पर मात्रा की जाँच कर ली है और उपभोग के उचित तकनीकी मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए और संबधित डिजाईनों और ड्राईंग की तकनीकी समीक्षा के बाद में एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि वे सभी प्रकार से सही हैं और........................के लिए निर्यात संविदाओं के निष्पादन के लिए उनकी वास्तव में आवश्यकता है ।

मदों की सूची........................पृष्ठ और........................रुपए कुल मूल्य की........................मदें शामिल हैं ।

हस्ताक्षर........................
नाम ....
पदनाम ....
पता ....
जिस संस्था के अधीन अधिकृत है उसका नाम और पता........................
....
सामूहिक सदस्यता की संदर्भ संख्या और दिनांक ....

स्थान ....
दिनांक ....

परिशिष्ट 10-क—(जारी)

सामान्य अनुदेश

1. आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व वर्तमान अवधि के लिए प्रक्रिया पुस्तक तथा आयात-निर्यात नीति में दिए लाइसेंसिंग अनुदेशों को पढ़ें ।

2. आवेदन साफ अक्षरों में अथवा टाईप करके दिया जाए।

3. आवेदन–पत्र के सभी कालम पूर्ण तथा सुपाठ्य होने चाहिएं ।

4. मूल बैंक ड्राफ्ट सहित, मूल आवेदन पत्र का सैट केवल संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ही दिया जाए चाहे मामला क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति/अग्रिम लाइसेंसिंग समिति के अनुमोदन के लिए ही हो ।

5. आवेदन में दिए गए सभी मूल्य भारतीय रुपयों में ही होने चाहिएं ।

6. कृपया मद कोड लिये के आयात-निर्यात नीति देखें। यदि मद कोड नीति में नहीं मिलता है तो कालम में "एन/ए" विशिष्ट रूप से लिखें।

7. माप के यूनिट के लिये निम्नलिखित नाम और कोड प्रयोग करें:—

नम्बर–01, पेपर–02, दर्जन–03, ग्रास–04, नगों में सौ–05, नगों में हजार–06, ग्रा०–11, किलोग्राम–12, मीट्रिक टन–13, कैरट–14, इंच–21, फुट–22, गज–23, मीटर–24, वर्ग इंच–31, वर्ग फुट–32, वर्ग गज–33, वर्ग मीटर 3–4, क्यूबिक इंच–41, क्यूबिक फुट–42, क्यूबिक यार्ड–43, क्यूबिक मीटर–44, लीटर 51, स्पूल्ज–61, पैक्स–62, सैट–63।

8. निम्नलिखित कोड तथा नाम प्रयोग करें:—

क्रम सं० 3 के लिये— 1. अग्रिम लाइसेंस, 2, मध्यवर्ती अग्रिम लाइसेंस, 3. विशेष अग्रदाय लाइसेंस, 4. अग्रिम सीमा शुल्क निकासी परमिट, 5. अग्रिम रिहाई आदेश, 6. विशेष अग्रदाय रिहाई आदेश।

क्रम सं० 4 के लिये— 1. व्यापार सदन, 2. निर्यात सदन, 3. व्यापारी निर्यातक, 4. विनिर्माता निर्यातक, 23. व्यापार निर्यातसदन, 24, विनिर्माता निर्यात सदन।

क्रम सं० 5 के लिए— 1. सरकारी कंपनी, 2, सार्वजनिक लि० कंपनी, 3. निजी लि० कंपनी, 4. स्वामित्व फर्म, 5. साझेदारी फर्म, 6. एच० यू० एफ०, 7. अन्य ।

क्रम सं० 7 के लिए— निर्यात उत्पादों के मामले में संबंधित निर्यात संवर्धन/परिषद्/बोर्ड की आर० सी० एम० सी० संख्या दी जाए ।

क्रम सं० 8 के लिए— 1. महानिदेशक तकनीकी विकास, 2. लघुपैमाना उद्योग, 3. अन्य ।

क्रम सं० 12 के लिए— कमीशन को घटाकर कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के संदर्भ में मूल्य संवर्धन की गणना की जाए ।

क्रम सं० 17 के लिए— 1. कोई नार्मस तय नहीं, 2. परिशिष्ट–13–ग में दी गई नार्मस के अनुसार, 3–मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित नार्मस के अनुसार, 4–क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित नार्मस के अनुसार, 5–आयात–निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 346 के अनुसार व्यक्तिगत मामले में मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति के द्वारा पहले ही अनुमोदित नार्मस के अनुसार ।

क्र० सं० 19 के लिए— 1. निर्यात आदेश, 2. निर्यात उत्पादन कार्यक्रम, 3. संभरण आदेश,

क्रम सं० 20 के लिए— 1. अग्रिम भुगतान, 2. अपरिवर्तन साख–पत्र, 3. साख–पत्र 4. दस्तावेजों के मद्दे, 5. स्वीकृत दस्तावेजों के मद्दे भुगतान ।

9. निदेशक/साझेदार/कर्ता अथवा मुख्तारनामे के संकल्प के अनुसार प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन–पत्र पर हस्ताक्षर किया जाए ।

10. यदि किसी कालम संख्या के सामने दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं हो तो संबंधित जानकारी 18.4×29.7 सें० मी० की अलग शीट पर संलग्न करें ।

11. प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला सनदी अभियन्ता आवेदक का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारी उपक्रम के मामले में प्रमाण–पत्र उस सनदी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है जो कि कंपनी का कर्मचारी है।

परिशिष्ट 19 क—(जारी)

12. रासायनिक उद्योग के मामले में, प्रमाण-पत्र आवेदक फर्म के मुख्य कैमिस्ट/कैमिकल इंजीनियर तथा सनदी, लेखापाल अथवा लागत लेखापाल अथवा कम्पनी सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया जा सकता है।

13. वस्त्र उद्योग के मामले में प्रमाण-पत्र आवेदक यूनिट के उत्पादन के इन्चार्ज मुख्य तकनीकी अधिकारी तथा सनदी लेखापाल अथवा लागत लेखापाल अथवा कम्पनी सचिव द्वारा संयुक्त रूप से दिया जा सकता है।

संलग्नकों की सूची (केवल प्रमाणित प्रतियाँ ही लगायें)।

1. पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण-पत्र।
2. बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट।
3. निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र।
4. निर्यात आदेश/साख/पत्र परियोजना प्राधिकारी प्रमाण-पत्र।
5. मुख्य इंजीनियर द्वारा प्रमाणित फ्लो चार्ट सहित विनिर्माण प्रक्रिया।
6. परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
7. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस तथा शुल्क छूट प्रमाण-पत्र।
8. मात्रा दर्शाते हुए सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित पूर्व तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान निर्यातित निर्यात उत्पादों का विवरण तथा जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य।
9. बोर्ड संकल्प अथवा मुख्तारनामा, यदि आवेदन-पत्र निदेशक/साझेदार/मालिक/कर्त्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है।

परिशिष्ट 19ख

परियोजना प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स . . . . को क्रय आदेश सं. . . . . . . दिनांक . . . . के मद्दे . . . . . . रु. . . . . (रु. शब्दों में) के कुल मूल्य के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, मूल्य एवं मात्रा के माल की आपूर्ति हेतु ठेका दिया गया है।

आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :—

(1) आपूर्ति भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्राप्त कार्यक्रमों और अन्य बहुराष्ट्रीय अभिकरणों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर मूल्य मुक्त विदेशी मुद्रा में चुकायी जानी है।

(2) ठेके के अधीन आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के तहत भारत में आई. बी. आर. डी./आई. डी. ए./ए. डी. बी. सहायता प्राप्त परियोजनाओं को की जानी है तथा आर्डर के आयात की मात्रा . . . . रु. में इस प्रकार है।

(3) ठेके के अधीन की जाने वाली आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा बोली/सीमित निविदा के मद्दे ऐसे बहुपक्षीय/द्विपक्षीय सहायता के अधीन लागू प्रक्रिया के तहत भारत और विदेश दोनों पार्टियों की संविदाएं अनुमित करते हुए डी. ई. सी. एफ./जर्मनी (एफ. आर. जी.) सहायता, के. एफ. डब्ल्यू./यू. एस. ए./सऊदी फण्ड फोर डेवेलपमेंट/कुवैत फण्ड फोर अरब इकोनोमिक डेवेलपमेंट/आबूधाबी फण्ड फोर अरब इकोनोमिक डेवेलपमेंट/ओपेक फण्ड के माध्यम आई. एफ. ए. डी./येन-क्रेडिट के माध्यम वित्तपोषित की जा रही है। आर्डर की आयात मात्रा . . . . रु. में इस प्रकार है।

(4) निर्यात संवर्धन क्षेत्र/मुक्त व्यापार क्षेत्र 100% निर्यात अभिमुख यूनिट में यूनिटों को किये जाने वाले संभरण ठेके के अन्तर्गत होगी तथा ठेका आयात निर्यात नीति 1990–93 के अध्याय 22/अध्याय 23 में निर्धारित नीति के अनुसार होगा।

(5) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लि./भारतीय गैस प्राधिकरण लि. को दिये जाने वाले सम्भरण ठेके के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर है। आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आयात आदेश . . . . रुपये तक है तथा अपेक्षित निहित विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली गई

परिशिष्ट 18ख—(जारी)

है और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लि./भारतीय का गैस प्राधिकरण आबंटन की विदेशी मुद्रा खाते में डाल दी गई है।

2 आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि . . . . .के प्रति (परियोजना का नाम) ठेका सं. . . . . दिनांक . . . . मैसर्स . . . . भारतीय विदेशी ठेकेदार को दिया गया है तथा उप ठेकेदार जिसका नाम मुख्य ठेके में शामिल है/मुख्य ठेके में शामिल नहीं है। निम्नलिखित माल का विवरण, मात्रा और मूल्य . . . . रु. (शब्दों में) . . . . का कुल मूल्य उप ठेकेदार द्वारा नीति पुस्तक के पैरा 208(1) और 208(2) के अनुसार सम्भरित किया जाना है। आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उप ठेकेदार द्वारा माल के प्रति अदायगी भारतीय मुद्रा में हमारे द्वारा सीधे तौर पर/मुक्त विदेशी मुद्रा में विशेष ठेकेदारों द्वारा की जायेगी। इस संभरण में निहित आयात की मात्रा में . . . . रु. है।

की जाने वाली संभरण का विवरण :—

सम्भरण की मदों का विवरण	मात्रा सम्भरित की जाने वाले माल का मूल्य

हस्ताक्षर . . . .

नाम व पदनाम . . . .

परियोजना का नाम . . . . . .

सील : . . . .

स्थान :

दिनांक :

नोट :—

(1) जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

(2) यह प्रमाण पत्र सम्बद्ध परियोजना के मुख्य कार्यकारी या इस कार्य के लिए उसके द्वारा विशेष तौर पर प्राधिकृत/मनोनीत किसी वरिष्ठ अधिकारी जिसके नाम, पदनाम, संबद्ध पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारी को परिपत्रित किये गये हैं, द्वारा जारी किया जाये। अधिकारियों के नामों में परिवर्तन के लिए समयोचित परामर्श भेजने का उत्तरदायित्व अनन्य रूप से संबद्ध परियोजना प्राधिकारियों पर होगा।

परिशिष्ट—19ग

अग्रिम लाइसेंसिंग समितियों के क्षेत्राधिकार

समिति	जहां स्थित हैं	क्षेत्राधिकार
1. मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति	मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली।	सभी संघ शासित प्रदेश एवं राज्य।
2. क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति, बम्बई	संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय, बम्बई।	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केन्द्र शासित प्रदेश गोआ, दमन, दियु और दादरा तथा नगर हवेली।
3. क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति, मद्रास	संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय, मद्रास।	तमिलनाडु, केरल, केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, कराएकल, माहे और यमन तथा लक्षद्वीप।
4. क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति, कलकत्ता	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, कलकत्ता।	पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और केन्द्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
5. क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति, नई दिल्ली	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र), नई दिल्ली।	हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली।
6. क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति, बंगलौर	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, बंगलौर	कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश.

परिशिष्ट 19-य

संयुक्त मुख्य/उप मुख्य/सहायक मुख्य/नियंत्रक आयात निर्यात का कार्यालय ।

1990—93 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 344(2) के अनुसार निर्यात का प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री————————————————————
ने अधोलिखित निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्रों को किया है तथा इसे नकद प्रतिपूर्ति सहायता/आर० ई० पी० लाइसेंस के प्रयोजनार्थ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

क्रम सं०	निर्यात की तिथि	पोतलदान बिल सं० एवं तारीख	बीजक सं० बैंक एवं तिथि	प्रमाण पत्र सं० एवं तिथि	निर्यात किया गया उत्पाद	निर्यात का देश	निर्यात का एफ० ओ० बी० मूल्य	ओ० आर० आई० पी० पी० सं० एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट:—यह प्रमाण पत्र "मूल रूप में" केवल एक बार ही जारी किया जाये एवं उसके उपरान्त ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र जारी न किया जाये।

सन्दर्भ सं० ————————

दिनांक ————————

सर्वश्री ————————

————————

————————

को जारी

सहायक मुख्य/नियंत्रक आयात निर्यात
कृते संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

परिशिष्ट 19-ब

निर्यात बाध्यताओं के लिए शुल्क-छूट स्कीम जिसके अन्तर्गत अन्तः कालीन अग्रिम अनुज्ञप्ति भी है, के अधीन निष्पादित किया जाने वाला क्षतिपूर्ति एवम् प्रत्याभूति बंधपत्र का प्ररूप

(कम से कम 15 रु. मूल्य के या उतनी रकम के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर, जितनी संबंधित राज्य के स्टाम्प कलक्टर द्वारा विहित की जाए, आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक, जो अनुसूचित बैंक हो, द्वारा निष्पादित किया जाएगा) ।

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

मार्फत

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक (जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात-निर्यात उप मुख्य नियंत्रक या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है), वाणिज्य, (पूरा पता) . . . .

यह विलेख एक पक्षकार के रूप में श्री/मैसर्स . . . . . 'आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा नाम और नीचे दिए गए अनुदेशों के अनुसार निवास (स्थान का पता), जिसे इसमें आगे "आयातकर्ता (जिसके अन्तर्गत उसके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक, सरकारी परिसमापक और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे (कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में मैसर्स (बैंक) . . . .) प्रत्याभूतिदाता बैंक का पूर्ण वर्णन और उस कार्यालय या शाखा का नाम जहां प्रत्याभूति बंधपत्र निष्पादित किया जा रहा है) जिसे इसमें आगे प्रत्याभूतिदाता) जिसके अंतर्गत उसके उत्तरावर्ती, सरकारी परिसमापक और प्रशासक भी हैं, कहा गया है, के बीच आज तारीख . . . . को निष्पादित किया गया ।

ऊपर नामित पक्षकार, आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, वाणिज्य मंत्रालय (जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत है) के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति के प्रति, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा

परिशिष्ट-19-क (जारी)

गया है . . . . रु. (. . . . . . रुपए) (शब्दों और अंकों दोनों में) जो सीमाशुल्क के 100% के या अनुज्ञप्ति के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 50% के दोनों में से जो भी कम है समतुल्य है (का उक्त सरकार को उसके द्वारा लिखित मांग की जाने पर, संदाय करने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः वचनबद्ध है और दृढ़तापूर्वक आबद्ध है ।

1. ऊपर नामित आयातकर्ता ने, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क-छूट-स्कीम के अधीन शुल्कमुक्त अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है ।

2. सरकार ने आयातकर्ता को विनिर्दिष्ट मदों का आयात करने की अनुज्ञा दे दी है और पूर्वोक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों पर मदों के आयात के लिए, ... रु. (. . . . . रुपए) (शब्दों और अंकों दोनों में) मूल्य का अग्रिम/विशेष अग्रदान अनुज्ञप्ति अग्रिम निर्मुक्ति आदेश सं. . . . . तारीख . . . . . . जारी करने के लिए सहमत हो गयी है तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की यथासंशोधित अधिसूचना सं. तारीख के अधीन जारी किया गया शुल्क-छूट-हकदारी प्रमाणपत्र सं. . . . . . तारीख . . . . भी जारी कर दिया है इसे इसमें आगे "छूट प्राप्त सामग्री" कहा गया है ।

3. आयातकर्ता ने करार किया है कि वह छूट प्राप्त सामग्री का प्रयोग मध्यवर्ती उत्पादों के जिनका वर्णन शुल्क छूट हकदारी/प्रमाण-पत्र में किया गया है और जिनका मूल्य . . . . रु. है तथा जिनका प्रदाय व अंतिम आयातकर्ता को करेगा, विनिर्माण के लिए करेगा ।

4. आयातकर्ता ने, सरकार द्वारा अग्रिम/विशेष अग्रदाय अनुज्ञप्ति/अग्रिम निर्मुक्ति आदेश जारी करने के लिए सहमत हो जाने के प्रति फलस्वरूप, ... रु. की निर्यात बाध्यता सहित (कमीशन निकालकर) क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने का करार किया है । अग्रिम मध्यवर्ती अनुज्ञप्ति के मामले में इसका लोप कर दिया जाए । निर्यातकर्ता ने इसमें ऊपर उल्लिखित निर्यात बाध्यता की रकम के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी करार किया है ।

5. प्रत्याभूतिदाता ने, उपरोक्त अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के लिए सरकार के सहमत हो जाने के फलस्वरूप उसकी मांग पर प्रत्याभूति रकम का संदाय करने का करार और वचनबद्ध किया है ।

6. और जबकि आयातकर्ता इससे सहमत है कि :—

(क) की तारीख से . . . . मास के अन्दर

(1) प्रथम परेषण के आयात के पश्चात् 30 दिन

अथवा

(2) सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा माल की प्रदाय, इसमें जो भी पहले हो ।

अथवा

आगे उस समय तक जिसे उपर्युक्त निर्दिष्ट (आगे परिणामी उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) शुल्क मुक्त प्रमाण-पत्र में यथा विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती उत्पादों की आपूर्ति के लिए परिणामी उत्पाद के अनुरूप माल के निर्यात की अनुमति दी जाए और उपर्युक्त अधिसूचना के अधीन भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर (नेपाल में यदि मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान नहीं किया गया है अथवा भूटान उक्त अनुज्ञप्ति तथा शुल्क मुक्त प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुसार एवं सभी शर्तों के अनुसार एवं अन्य सभी शर्तों के पूरा करने पर अपेक्षित अग्रिम मध्यवर्ती अनुज्ञप्ति के मामले में परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में समुपयोजन के लिए "अंतिम निर्यातकर्ता" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए :—

(1) उपर्युक्त अधिसूचना में उल्लिखित और

(2) जिसकी शर्त के अनुसार सीमाशुल्क के कलक्टर द्वारा माल की निकासी की अनुमति दी गई थी ।

(ख) आयातकर्ता को जारी की गई आयात अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी ।

(ग) आयात के प्रथम परेषण की निकासी अनुज्ञात किए जाने से पूर्व, ... रुपए के बराबर मूल्य की या संदेय सीमाशुल्क के . . . रु. के बराबर रकम के लिए (जिसकी संगणना प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 348 के अनुसार की जाएगी) एक बैंक-प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा । उक्त बैंक प्रत्याभूति, पूर्णतः या उसमें हुई कमी के बराबर, उस दशा में समहृत की जा सकेगी जब आयातकर्ता यथा अनुबद्ध अपनी निर्यात बाध्यता पूरी नहीं करता है ।

(घ) उक्त आयातकर्ता, निर्यात बाध्यता पूरी की जाने की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक मास के भीतर आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य/उप मुख्य नियंत्रक को उक्त शुल्कछूट हकदारी प्रमाणपत्र पूर्णतः भरकर, पृष्ठांकित करके और उस पर हस्ताक्षर करके तथा अन्य यथापेक्षित दस्तावेज, परिदत्त करेगा या करवाएगा ।

(ङ) आयातकर्ता यह भी करार और वचनबद्ध करता है कि शुल्क छूट प्रमाणपत्र के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शर्तों में वर्णित निर्यात बाध्यता पूरी करने में आयातकर्ता द्वारा व्यतिक्रम किए जाने

परिशिष्ट–19–क (जारी)

की दशा में उसके विरुद्ध सरकार द्वारा, आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के उपबन्धों तथा सरकार द्वारा उक्त आयात के संबंध में बनाए गए अन्य उपबंधों/नियमों के अधीन सरकार को प्राप्त अधिकारों के आधार पर, विधिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी। आयातकर्ता यह भी करार करता है कि अधिग्रहण की सरकार निर्यात बाध्यता अवधि पूरी होने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय अधिहरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगी।

(च) आयातकर्ता के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अधीन सीमाशुल्क या अन्य शुल्क शामिल और उस पर ब्याज आदि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

(छ) आयातकर्ता, आयात निर्यात नीति/प्रक्रिया पुस्तक तथा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके अधीन बनाए गए उन नियमों के सभी दांडिक उपबन्धों का पालन करने का करार करता तथा वचनबंध करता है, जो व्यतिक्रम होने की दशा में प्रवृत्त किए जा सकेंगे जैसा कि सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए और वह विनिश्चय, आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता के लिए अंतिम और आबद्ध कर होगा।

अतः उपरोक्त बंधपत्र की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) आयातकर्ता, शुल्क-छूट स्कीम और आयात निर्यात नीति में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों तथा शुल्क-छूट प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट अनुबंधों सहित अन्य अनुबंधों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा।

(2) प्रत्याभूतिदाता बैंक अभिव्यक्त रूप से और अप्रतिसंहरणीय रूप से यह वचनबंध करता है और प्रत्याभूति देता है कि यदि आयातकर्ता, शुल्क-छूट-स्कीम हकदारी प्रमाणपत्र में अनुबद्ध शर्तों सहित शुल्क-छूट-स्कीम के अधीन बाध्यताओं को पूर्णतः या भागतः पूरी करने में असफल रहता है या आयातकर्ता, शुल्क-छूट स्कीम या अनुज्ञप्ति/शुल्क छूट-हकदारी प्रमाणपत्र के निबंधनों और शर्तों और यथासंशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा आयात (नियंत्रण) आदेश और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या अनुज्ञप्ति/स्कीम आदि में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन आयातकर्ता की ओर से कोई अन्य असफलता होती है, जिससे कि उक्त राशि के बारे में किसी भी कारणवश सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः मांग की जाए, सरकार द्वारा लिखित रूप में मांग की जाने पर, हम प्रत्याभूतिदाता बैंक, रोध आपत्ति और आयातकर्ता को मामला निर्देशित किए बिना आयातकर्ता से सरकार द्वारा इस निमित मांगी गई कोई राशि सरकार को या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को संदत्त करेंगे और सरकार की अधिकतम .... रु. तक के संदाय की क्षति पूर्ति करेंगे।

(3) ऐसे किसी अधिकारी के होते हुए भी, जो सरकार को आयातकर्ता विरुद्ध प्राप्त हो या आयातकर्ता द्वारा किसी भी रूप में खड़े किए गए किसी भी विवाद के होते हुए भी सरकार अपनी लिखित मांग में प्रत्याभूतिदाता बैंक के लिए यह आवश्यक ब्यौरा देगी कि मांग ऊपर विनिर्दिष्ट निबंधनों सहित पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति/शुल्क-छूट स्कीम के निबंधनों और शर्तों के अधीन प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा संदाय किए जाने के लिए की गई है और सरकार की ऐसी पूर्वोक्त मांग प्रत्याभूतिदाता बैंक के लिए अंतिम और उस पर आबद्धकर होगी।

(4) सरकार और आयातकर्ता के बीच किसी ठहराव या परिवर्तन से या प्रत्याभूतिदाता बैंक की सहमति या या ज्ञान के बिना सरकार की ओर से आयातकर्ता के प्रति कोई उदारता बरती जाने या उसकी बाध्यताओं में कोई परिवर्तन किए जाने या संदाय, समय, पालन या अन्यथा के संबंध में कोई प्रविरति की जाने से प्रत्याभूतिदाता बैंक, इस वचनबद्ध और प्रत्याभूति से उन्मोचित या निर्मुक्त नहीं होगा।

(5) प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा दी गई यह प्रत्याभूति तब तक विधिमान्य और पूर्णतः अवस्त बनी रहेगी जब तक की ऊपर यथा विनिर्दिष्ट निबंधनों सहित पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति/शुल्क-छूट हकदारी प्रमाण-पत्र के अधीन सभी बाध्यता को, सरकार के पूर्ण समाधानप्रद रूप में परी नहीं कर दी जाती और उक्त समाधान के बारे में प्रत्याभूतिदाता बैंक को सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं कर दी जाती।

(6) आयातकर्ता द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति बंधपत्र और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा दी गई प्रत्याभूति निरन्तर क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति होगी और आयातकर्ता या प्रत्याभूतिदाता बैंक के गठन में किसी परिवर्तन से उन्मोचित नहीं होगी। इस क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बैंक द्वारा यह भी करार किया जाता है कि इस क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र के अधीन सरकार को प्रत्याभूति बैंक द्वारा संदाय, इस निमित सरकार से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित मांग होते ही, तुरन्त कर दिया जाएगा।

परिशिष्ट-19ङ-(जारी)

(7) यह क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र उपरोक्त आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा सरकार के लिए निष्पादित किया गया है जिसमें जनता हित बंध है ।

(8) उपरोक्त क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र के अधीन सरकार द्वारा प्रत्याभूतिदाता बैंक से मांगी गई राशि के संदाय का प्रभाव, आयातकर्ता के विरुद्ध की जा सकने वाली ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा जिसमें आयातित सामग्री की जब्ती के लिए विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करना, और अनुज्ञप्ति देने से इंकार करना और अन्य सभी ऐसे दायित्व और दायित्व और शक्तियां तथा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 (अद्यतन) के उपबंधों के अधीन परिणाम सम्मिलित हैं, जो आयात व्यापार नियंत्रण विनियमन और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं ।

(9) उपरोक्त क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र, तब शून्य हो जाएगा जब आयातकर्ता या प्रत्याभूतिदाता बैंक की उसमें वर्णित सभी बाध्यताएं ऊपर यथा विनिर्दिष्ट सरकार के पूर्ण और अंतिम समाधानप्रद रूप में पूरी हो जाती हैं और जब ऐसे समाधान हो जाने के बारे में सरकार प्रत्याभूतिदाता बैंक को संसूचित कर देती है ।

(10) उपरोक्त के होते हुए भी इसके अधीन प्रत्याभूतिदाता बैंक की प्रत्याभूति . . . . तक (बंध पत्र के निष्पादन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः प्रवृत्त रहेगी और यदि उक्त तारीख तक सरकार कोई दावा नहीं करती है, तो प्रत्याभूतिदाता बैंक, इस प्रत्याभूति के अधीन संदाय करने के दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा । यह भी करार किया जाता है कि यदि उक्त तारीख तक उस आयातकर्ता की सरकार के सम्पूर्ण और अंतिम समाधानप्रद रूप में सभी बाधाओं का सम्भवतः उन्मोचन नहीं होता है तो प्रत्याभूतिदाता बैंक और आयातकर्ता इस प्रत्याभूति की विधिमान्यता को उतनी अवधि के लिए नवीकृत कर देंगे या बढ़ा देंगे जितनी सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए या प्रत्याभूतिदाता बैंक क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र के अवसान से पूर्व किसी भी समय, कोई आपत्ति किए बिना ऐसी किसी रकम का संदाय करेगा जिसकी मांग सरकार द्वारा की जाती है ।

इसके साक्ष्यस्वरूप आज तारीख . . . . को इसके पक्षकारों ने इस सम्भवतः निष्पादित किया ।

ऊपर नामित आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक ने निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में इसे पर हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और साक्षी परिदान किया :—

1.
2.

1. . . . .
(आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा वर्णन)
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक के समक्ष अधिप्रमाणित/प्रतिज्ञान किया जाएगा।

1.
2.

2. . . . .
(आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा वर्णन)
(प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक के समक्ष अधिप्रमाणित/प्रतिज्ञान किया जाएगा)।

1.
2.

3. . . . .
(प्रत्याभूतिदाता बैंक का पूरा वर्णन/राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक के लिए और उसकी ओर से बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक की मुद्रा)।

*साक्षियों को अपनी वृत्ति और पूरा पता लिखना चाहिए ।

आयातकर्ता और बैंक के लिए

टिप्पण :

1. यदि आयातकर्ता, एकमात्र स्वत्वधारी फर्म है तो यह प्रतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र, उक्त एकमात्र स्वत्वधारी फर्म के एकमात्र स्वत्वधारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा और उसमें उसके अस्थायी निवास का पता दिया जाएगा ।

2. यदि आयातकर्ता कोई भागीदारी फर्म है तो यह क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र, भागीदारी विलेख ने विनिर्दिष्ट भागीदारों के माध्यम से भागीदारी फर्म में निष्पादित किया जाएगा ।

3. यदि आयातकर्ता कोई लिमिटेड कम्पनी है तो क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र पर कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प द्वारा इस प्रयोजन के के लिए सम्भवतः प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा और उसके दो साक्षी होंगे जिनका पदनाम और पता दिया जाएगा तथा उस पर कम्पनी की मुद्रा भी लगाई जाएगी ।

परिशिष्ट—19ख

शुल्क-छूट-स्कीम के अधीन निष्पादनीय विधिक बंधपत्र का प्रारूप

(कम से कम 15 रु. मूल्य के या उतनी रकम के न्यायिकतर स्टाम्प पत्र पर, जितनी संबंधित राज्य के स्टाम्प कलक्टर द्वारा विहित की जाए, आयातकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाएगा)।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,
मार्फत

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक (जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी सम्मिलित समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है), वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 001)।

यह विलेख श्री/मैसर्स . . . . (आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा नाम और नीचे दिए गए अनुदेशों के अनुसार निवास स्थान का पूरा पता) जिसे इसमें आगे "आयातक" जिसके अंतर्गत उसके वारिस, उत्तराधिकारी प्रशासक, और अनुज्ञात समनुदेशिती भी सामने समझे जाएंगे, कहा गया है, के द्वारा आज तारीख . . . . . . जो निष्पादित किया गया।

ऊपर नामित पक्षकार, आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय (जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत है) के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति के प्रति, जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' कहा गया है . . . . . . रु. (. . . . . रु.) (शब्दों और अंकों दोनों में) का उक्त सरकार को उसके द्वारा लिखित मांग करने पर संदाय करने को वचनबद्ध है और दृढ़तापूर्वक आबद्ध है।

1. ऊपर नामित आयातकर्ता ने, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क-छूट स्कीम के अधीन शुल्क मुक्त अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है।

2. सरकार ने आयातकर्ता की विनिर्दिष्ट मदों, जिसे इसमें आगे "छूट प्राप्त सामग्री" कहा गया है, का आयात करने की अनुज्ञा दे दी है और पूर्वोक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों और शर्तों पर मदों के आयात के लिए, ... रु. (. . . . . रुपए) (शब्दों और अंकों दोनों में) मूल्य का अग्रिम/विशेष : अग्रदाय अनुज्ञप्ति/अग्रिम निर्मुक्ति आदेश सं. . . . . तारीख . . . . जारी करने वाले के लिए सहमत हो गई है तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. . . . . शुल्क तारीख . . . . (अवमान) के अधीन जारी किया गया शुल्क-छूट-हकदारी प्रमाण-पत्र सं. . . . . तारीख . . . . भी जारी कर दिया है।

3. और आयातकर्ता ने सरकार द्वारा यथा उपरोक्त . . . . . रुपए की निर्यात बाध्यता का अग्रिम/विशेष अग्रदाय अनुज्ञप्ति/अग्रिम निर्मुक्ति आदेश जारी करने के लिए सहमत होने के प्रतिफलस्वरूप एक क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने का करार किया है। निर्यातकर्ता ने इसमें ऊपर उल्लिखित निर्यात बाध्यता की रकम के बराबर विदेशी मुद्रा पूर्वोक्त स्कीम के उपबंधों के अनुपालन में अर्जित करने का भी करार किया है।

4. आयातकर्ता ने, यह करार किया है कि—

(क) (1) प्रथम परेषण के आयात के 30 दिनों के पश्चात्, या

(2) समन्वय अभिकरण द्वारा सामग्रियों के प्रदाय की तारीख से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो . . . मास की भीतर,

या

उसने अतिरिक्त समय में जो मंजूर किया जाए, वह ऊपर निर्दिष्ट शुल्क-छूट प्रमाण-पत्र में यथा विनिर्दिष्ट और पूर्वोक्त अधिसूचना में अपेक्षित अंतिम उत्पाद के अनुरूप माल का (जिसे इसमें आगे "अंतिम उत्पाद" कहा गया है) और पूर्वोक्त अधिसूचना के अधीन अपेक्षित भारत से बाहर (नेपाल और भूटान में किसी स्थान को छोड़कर, यदि मुक्त विदेशी मुद्रा में संदाय नहीं किया जाता है)। किसी स्थान को पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति और शुल्क-छूट-हकदारी प्रमाण-पत्र की शर्तों और निबंधनों के अनुसार निर्यात करेगा और निम्नलिखित उन सभी अन्य निर्बंधनों और शर्तों को पूरा करेगा :—

(1) जिनका उल्लेख पूर्वोक्त अधिसूचना में किया गया है, और

(2) जिनके अधीन सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा माल की निकासी अनुज्ञात की गई है।

(ख) आयातकर्ता को जारी की गई आयात अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी।

(ग) आयात के प्रथम परेषण की निकासी अनुज्ञात किए जाने के पूर्व अनुज्ञप्ति/निर्मुक्ति आदेश के लागत-बीमा माल भाड़ा के . . . . रुपए के बराबर रकम के लिए या संदाय सीमा शुल्क के . . . . रुपए की बराबर रकम के लिए इसमें जो भी अधिक हो, एक विधिक बंधपत्र प्रस्तुत करेगा। उक्त विधिक बंधपत्र पूर्णतः

परिशिष्ट 19-च (जारी)

या उसमें हुई कमी के बराबर, उस दशा में समाहृत की जा सकेगी, यदि आयातकर्ता यथा अनुबंध अपनी निर्यात बाध्यता पूरी नहीं करता है ।

(घ) उक्त आयातकर्ता निर्यात बाध्यता पूरी करने की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक मास के भीतर आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य/उप मुख्य नियंत्रक को उक्त शुल्क-छूट-हकदारी प्रमाण-पत्र पूर्णतः भरकर, पृष्ठांकित करके और उस पर हस्ताक्षर करके तथा अन्य विहित दस्तावेज परिदत्त करेगा या करवाएगा, जैसी भी अपेक्षा की जाए ।

(ङ) आयातकर्ता यह भी करार करता है और वचन देता है कि शुल्क-छूट प्रमाण-पत्र के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शर्तों में वर्णित निर्यात बाध्यता पूरी करने में आयातकर्ता के व्यतिक्रम पर उसके विरुद्ध सरकार द्वारा, आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के उपबंधों तथा सरकार द्वारा उक्त आयात के संबंध में बनाए गए अन्य उपबंधों नियमों के अधीन सरकार को प्राप्त अधिकारों और आयातित सामग्री को समपहृत करने के लिए विधिक कार्यवाही की जा सकेगी । आयातकर्ता यह भी करार करता है कि ऐसी कार्यवाही सरकार द्वारा निर्यात बाध्यता अवधि पूरी होने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय प्रारम्भ की जा सकेगी ।

(च) आयातकर्ता के विरुद्ध सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन सीमा शुल्क या अन्य शुल्क/शास्ति और उस पर ब्याज आदि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा सकेगी ।

(छ) आयातकर्ता आयात और निर्यात नीति/प्रक्रिया पुस्तिका तथा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके अधीन बनाए गए उन नियमों के सभी दाण्डिक उपबंधों का पालन करने का करार करता है तथा वचन देता है, जो व्यतिक्रम होने की दशा में प्रवृत्त किया जा सकेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए और यह विनिश्चय, आयातकर्ता के लिए अंतिम और आबद्धकर होगा।

उपरोक्त बंधपत्र की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) आयातकर्ता, शुल्क छूट स्कीम और आयात निर्यात नीति में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों तथा शुल्क छूट, प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अनुबंधों सहित अन्य अनुबंधों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा ।

(2) प्रत्याभूतिदाता बैंक, अभिव्यक्त, रूप से और अप्रतिसंहरणीय रूप से यह वचन देता है और प्रत्याभूति देता है कि यदि आयातकर्ता, शुल्क-छूट स्कीम, हकदारी प्रमाण-पत्र में अनुबद्ध शर्तों सहित शुल्क-छूट स्कीम के अधीन बाध्यताओं को पूर्णतः या भागतः पूरी करने में असफल रहता है या आयातकर्ता शुल्क-छूट-स्कीम या अनुज्ञप्ति-शुल्क-छूट-हकदारी प्रमाण-पत्र के निबंधनों और शर्तों और यथा संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या अनुज्ञप्ति/स्कीम आदि में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन आयातकर्ता की ओर से कोई अन्य असफलता होती है, जिससे कि उक्त राशि के बारे में किसी भी कारणवश सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः मांग की जाए, सरकार द्वारा मांग की जाने पर, हम आयातकर्ता अविलंब और किसी अन्य प्राधिकारी को मामला निर्देश किए बिना, आयातकर्ता से सरकार द्वारा इस निमित्त मांगी गई कोई राशि सरकार को या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को संदत्त करेंगे और अधिकतम ..... रु. तक के संदाय को प्रत्याभूति क्षतिपूरित करेंगे ।

(3) आयातकर्ता द्वारा किसी भी रूप में खड़े किए गए किसी विवाद के होते हुए भी सरकार की लिखित मांग, आयातकर्ता से आवश्यक ब्यौरे का यह कथन करेगी कि इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट निबंधनों सहित पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति-शुल्क-छूट स्कीम के निबंधनों और शर्तों के अधीन आयातकर्ता से संदाय की मांग की जाती है और सरकार की ऐसी पूर्वोक्त मांग, आयातकर्ता के लिए अंतिम और उस पर आबद्धकर होगी ।

परिशिष्ट 19-च (जारी)

(iv) यदि आयातकर्ता उपर्युक्त रूप से उसके द्वारा वचनबद्ध निर्यात बाध्यता को पूरा करने में समर्थ नहीं है तो उक्त आयातकर्ता सम्बन्धित आयात और निर्यात संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली के अनुदेशों पर आयातकर्ता के पास बची अप्रयुक्त छूट प्राप्त सामग्री को ऐसे किसी भी अभिकरण को (जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक भी है) जिसे सरकार नाम निर्दिष्ट करे, किसी भी रीति में व्ययन के लिए सौंप देगा और ऐसे विक्रय से प्राप्त/वसूल की गई रकम को, उक्त अभिकरण के साधारण कमीशन की और उपगत किए गए व्ययों की कटौती करने के पश्चात सरकार के पास निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए जमा करा दिया जाएगा। उक्त कीमत की बाबत ऐसे अभिकरण का विनिश्चय अन्तिम और आयातकर्ता पर आबद्धकर होगा।

(v) आयातकर्ता साथ-साथ यह भी वचनबंध करता है कि वह उपरोक्त आयात अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट मूल्य के समतुल्य राशि के अतिरिक्त या उक्त अनुज्ञप्ति के अनुसार आयात किए गए माल की सीमा तक राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, सरकार को परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में संदाय करेगा और इस बाबत आयात और निर्यात संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक का विनिश्चय अन्तिम होगा और आयातकर्ता पर आबद्धकर होगा।

(vi) यह कि आयातकर्ता द्वारा किया गया उपरोक्त वचन-बंध चालू रहेगा और आयातकर्ता के गठन में किसी परिवर्तन से भी उन्मोचित नहीं होगा। सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित मांग के प्राप्त होने पर आयातकर्ता तुरन्त सरकार को संदाय करके क्षतिपूर्ति करेगा।

(vii) यह कि उपरोक्त नामित आयातकर्ता द्वारा यह वचनबंध इस कार्य के प्रयोजन के लिए जिसमें जनता हितबद्ध है, निष्पादित किया जाता है।

(viii) उपर्युक्त विधिक वचनबंध में सरकार द्वारा मांगी गई रकम के संदाय से आयातकर्ता के दायित्व पर, जिसके अन्तर्गत आयातित सामग्री के जब्त किए जाने के लिए विधिक कार्यवाहियों को प्रारम्भ करना और आगे अनुज्ञप्तियां देने से इन्कार करना तथा यथा संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधि-नियम, 1947 और यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के उपबन्धों के अधीन उन सभी अन्य दायित्वों, शास्तियों, और परिणामों पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आयात व्यापार नियंत्रण विनियम और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अधीन सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं।

(ix) यह कि उपर्युक्त नामित विधिक वचनबद्ध उस समय शून्य हो जाएगा जब कि आयातकर्ता की सभी बाध्यताएं सरकार के पूर्ण और अन्तिम समाधानप्रद रूप से, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, पूरी हो जाती है और जब ऐसा समाधान आयातकर्ता को सूचित कर दिया जाता है।

(x) जब तक सरकार का सम्यक और पूर्ण रूप से आयातकर्ता की सभी बाध्यताओं की बाबत समाधान नहीं हो जाता तब तक यह विधिक वचनबद्धता और इसके अधीन आयातकर्ता की बाध्यताएं पूर्णतया प्रवृत्त रहेंगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप यह विलेख ऊपर नामित आयातकर्ता ने तारीख——————————को सम्यक रूप से निष्पादित किया। ऊपर नामित आयातकर्ता ने निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए, इस पर मुद्रा लगाई और इसे परिदत्त किया :

*साक्षियां :—

1. —————————— (आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा वर्णन)

2. —————————— (प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा अधि-प्रमाणित/प्रतिज्ञान किया जाएगा।

*साक्षियों को अपनी वृत्ति और पूरा पता लिखना चाहिए।

टिप्पणी :—

(1) यदि आयातकर्ता एकमात्र स्वत्वधारी फर्म है तो यह विधिक वचनबंध उक्त एक मात्र स्वत्वधारी फर्म के एकमात्र स्वत्वधारी द्वारा, उसके माता-पिता का नाम और निवास स्थान का पूरा पता देते हुए निष्पादित किया जाएगा।

(2) यदि आयातकर्ता एक भागीदारी फर्म है तो यह विधिक वचनबंध पत्र विनिर्दिष्ट किए गए भागीदारों या प्रबंधक भागीदार, यदि भागीदार विलेख में ऐसा विनिर्दिष्ट किया गया है, के माध्यम से भागीदारी फर्म के नाम से, निष्पादित किया जाएगा।

(3) यदि आयातक/निर्यातक लि. कम्पनी है तो कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड के संकल्प द्वारा इस उद्देश्य के लिए विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति, विधिक वचन-बद्धता पर हस्ताक्षर करेगा, उस पर कम्पनी की सामान्य मोहर और दो साक्षियों के हस्ताक्षर और पते होंगे।

परिशिष्ट 19-छ

लागत बीमा भाड़ा मूल्य/निर्यात आभार अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

सन्दर्भ संख्या — दिनांक

1. आयात-निर्यात कोड संख्या — लाइसेंस का प्रकार

लाइसेंस संख्या दिनांक — नाम:—
पता :—

सी० ई० ई० सी० संख्या दिनांक . . . .

यदि आवेदन–पत्र/ए० एल० सी०/आर० ए० एल० सी० द्वारा सिफारिश किया गया है तो संबंधित फाइल सं० (ए० एल० सी० /आर० ए० एल० सी०) लाइसेंसिंग प्राधिकारी . . . .

आयातित माल के प्रथम परेषण की निकासी की तिथि: . .

निर्यात आभार अवधि की समाप्ति की तिथि :

किए गए आयातों का प्रतिशत — मात्रानुसार प्रतिशत — मूल्यानुसार प्रतिशत

वास्तविक आयातों के सन्दर्भ में किए गए निर्यातों का प्रतिशत — मात्रानुसार प्रतिशत — मूल्यानुसार प्रतिशत

लगाए गए निर्यात आभार मात्रानुसार के सन्दर्भ में किए गए प्रतिशत निर्यातों का प्रतिशत . . . . . . — मूल्यानुसार प्रतिशत

भाग-1

प्रदान की गई समय वृद्धि . . . .

किस अवधि तक समय वृद्धि चाहिए . . .

निर्यात आभार अवधि में वृद्धि मांगे जाने के विस्तृत औचित्य :

निर्यात आभार की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए निर्यातों का विवरण

आयात की मद	निर्यात की जाने वाली कुल मात्रा	वास्तव में निर्यात की मात्रा	लगाया गया कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	किये गये निर्यात का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य
1	2	3	4	5

परिशिष्ट 19-छ (जारी)

क्या निर्यात आभार की पूर्ति न किए जाने के कारण
कारण बताओ नोटिस, समपहरण आदेश, अथवा चूककर्ता अथवा विभागीय
आदेश अथवा अन्य कोई कार्रवाई की गई है, विवरण दें।

भाग-2

मूल लागत बीमा भाड़ा मूल्य	प्रस्तावित लागत बीमा भाड़ा मूल्य
मूल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	प्रस्तावित जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य
मूल मूल्य संवर्धन (%)	प्रस्तावित मूल्य संवर्धन (%)

किए जाने वाले शेष निर्यातों का विवरण

आयात की मद	डी० ई० ई० सी० बुक भाग-ग में क्रम सं०	यूनिट कोड	आयात की जाने वाली मात्रा	उपलब्ध लागत बीमा भाड़ा मूल्य
1	2	3	4	5

कुल ——————

मुद्रा दर/निवेश मूल्य		आयात के लिए अपेक्षित कुल संशोधित मूल्य		भाड़ा	कालम 8 से 10 का जोड़
आवेदन के समय	अब	उतार-चढ़ाव के आधार पर	निवेश के समय		
6	7	8	9	10	11

कुल ——————

हस्ताक्षर——————
नाम——————
पदनाम तथा सील ——————

नोट:—1. आवेदन-पत्र के साथ डीईईसी बुक तथा लाइसेंस की एक-एक प्रति संलग्न की जाए।

2. आवेदन-पत्र निदेशक/साझेदार/मालिक/कर्ता अथवा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे संकल्प अथवा मुख्तारनामे के आधार पर प्राधिकृत किया गया हो।

3. भाग—1—निर्यात आभार अवधि में वृद्धि के लिए लागू
भाग—2—लागत बीमा भाड़ा मूल्य बढ़ाए जाने के लिए लागू (संबंधित भाग ही भरा जाए)

4. मूल्य संवर्धन की गणना कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में से कमीशन घटाकर की जाए, यदि कोई हो।

परिशिष्ट 19—ज

संवेदनशील मदों की सूची

1. पोलिएस्टर स्टेपल फाईबर/स्पन और फिलामेंट यार्न/फैब्रिक्स
2. नाईलोन फाईबर/फिलामेंट यार्न/फैब्रिक्स . . .
3. एक्रिलिक फाइबर/फिलामेंट यार्न/फैब्रिक्स . .
4. सिन्थेटिक वेस्ट . . . .
5. रा सिल्क/सिल्क यार्न/सिल्क फैब्रिक्स . . .
6. स्टेनलेस स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स . . .
7. वाइट कार्ड बोर्ड और आइवरी बोर्ड . . .
8. कापर/ब्रास/ब्रास स्क्रेप . . . .
9. जी० पी० शीट्स . . . .
10. कैसेट्स (वीडियो और आडियो) . . .
11. पी० वी० सी० लैदर क्लाथ . . . .
12. जिप फास्टनर्स/स्नेप फास्टनर्स . . . .
13. खजूर का तेल/खजूर की गिरी का तेल, पाम स्टीयरिन और नारियल का तेल . . . .
14. पोलिस्टर वेस्ट/सिंथेटिक वेस्ट/नाइलोन वेस्ट/सिंथेटिक फाईबर

पारशिष्ट 19—झ

निर्यात का विवरण

क्रम सं०	निर्यात की तिथि	निर्यातित माल का विवरण	निर्यात उत्पाद का वर्गीकरण	मात्रा	रुपयों में वसूल किया गया पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	जिस देश को निर्यात किया गया है	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8

कुल रु० ————————

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि इस विवरण में दी गई सूचना ठीक है ।

लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर————
हस्ताक्षरकर्ता का नाम ————————
पूरा पता————————
————————————
आर० सी० एम० सी० नं०———दिनांक———

परिशिष्ट—20

निर्यात संविदाओं के सारांश का प्रपत्र

1. पंजीकृत निर्यातक का नाम और पता
2. निर्यात संवर्धन प्राधिकारी/निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य वस्तु बोर्ड द्वारा पंजीकरण की संख्या और जारी करने की तिथि क्या ये वास्तविक अथवा अभिग्रहीत निर्यात है ?
3. उस विदेशी क्रेता का नाम व पता जिसके साथ ठेके का निष्पादन किया गया है (अभिग्रहीत निर्यातों के मामले में प्रायोजक प्राधिकारी का नाम तथा पता)
4. (क) क्या यह संविदा टर्नकी परियोजना है अथवा (ख) सिविल निर्माण संविदा है अथवा (ग) दीर्घ विनिर्माण अनुसूची पूंजीगत माल से संबंधित है अथवा आयात नीति के अध्याय–20 के अनुसार दीर्घ गैस्टेशन अवधि वाला विदेशी कन्सल्टेंसी सर्विस कन्टैक्ट है ?
5. क्या आवेदक मुख्य अथवा उप संविदाकार है ?
6. यदि आवेदक भारतीय उप संविदाकार है तो :—
   (क) क्या भारतीय उप-संविदाकार का नाम निविदा तथा मुख्य संविदा में है ?
   (ख) क्या उक्त दस्तावेजों में भारतीय उप-संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं/माल का विवरण मूल्य तथा मात्रा दी गई है ?
   (ग) क्या भारतीय उप-संविदाकार द्वारा भुगतान सीधे ही विदेशी क्रेता से प्राप्त मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त की गई है ?
   (घ) क्या भुगतान भारतीय रुपयों में सीधे ही सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारी से अथवा विदेशी क्रेता से विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जा रहा है ?
7. क्या संविदा में किसी भी स्टेज पर पुन: समझौते की कोई शर्त रखी गई है ? यदि हां तो विवरण दें ।
8. क्या संविदा में निर्यात/संभरण के लिए मूल अनुबंधित माल की मात्रा में परिवर्तन अथवा निर्यात/संभरण किए जाने वाले माल की मात्रा के पुन: समझौते के बारे में कोई शर्त रखी गई है ?
9. यदि यह अभिग्रहीत निर्यात का मामला हो तो बताएं कि (1) क्या संविदा आई०बी०आर०डी०/आई०डी०बी०/ए०डी०बी० अनुदान आई०बी०आर०डी०/आई०डी०बी०/ए०डी०बी० अनुदान प्राप्त परियोजना के संभरण के लिए है अथवा संविदा बहुदेशीय अथवा द्विदेशीय विदेशी सहायता द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को अथवा ओ० एन० जी० सी०/जी०ए०आई० एल०/ओ० आई० एल० को किए जाने वाले संभरण के लिए है अथवा (2) विश्वव्यापी अथवा सीमित निविदा आमंत्रित करके निर्मित संविदा है।
10. ओ० एन० जी० सी०/जी० ए० आई० एल०/ओ० आई० एल० की संभरण के मामले में क्या अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर किए जाने का प्रस्ताव है ?
11. निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का विवरण . .
12. निर्यात संभरित किए जाने वाले उत्पादों का मूल्य . .
13. डिलीवरी की अवधि का ब्यौरा . . . .
14. भुगतान की शर्तें . . . . . .
15. संविदा की तिथि . . . . . .

टिप्पणी:—प्रत्येक उप-ठेकेदार के सम्बन्ध में उपर्युक्त सूचना अलग से दी जानी होगी ।

पंजीकृत निर्यातक के नियुक्त
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और मोहर

परिशिष्ट—21क

हीरों/हीरा व्यापार कम्पनी अग्रदाय लाइसेंस देने के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

भाग—1

1. आवेदक का नाम और पता

2. उद्योग का नाम

   (1) कारखाने का पता और स्थान

   (2) उसमें विनिर्मित अन्तिम उत्पाद

3. फर्म का स्वरूप, क्या पब्लिक कम्पनी या प्राइवेट लि. कम्पनी या साझेदारी फर्म या हिन्दू अविभाजित परिवार है।

4. जैसा भी मामला हो हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में निदेशक, साझीदारों, मालिक या कर्त्ता के नाम।

5. क्या आप विनिर्माता निर्यातक/व्यापारी निर्यातक/निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन है ?

6. उत्पाद ग्रुप जिसके लिये परिशिष्ट 17 खण्ड-2 में क्रम सं./उपक्रम सं. के साथ पंजीकृत किया।

7. निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य वस्तु बोर्ड/एफ. आई. ई. ओ. द्वारा जारी किये गये पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और दिनांक और वह तिथि जब तक यह वैध है (प्रमाणपत्र की फोटो स्टेट सत्यापित प्रति संलग्न करें)।

8. यदि निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन है, तो निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाणपत्र की संख्या और तिथि दर्शायें और वह तिथि भी बतायें जब तक यह वैध है। (प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट सत्यापित प्रति संलग्न करें)।

9. यदि विनिर्माता निर्यातक है तो निम्नलिखित द्वारा आबंटित पंजीकरण सं. दें :—

   (1) महानिदेशक, तकनीकी विकास की सूची की फर्मों के मामले में महानिदेशक, तकनीकी विकास।

   (2) लघु उद्योग एककों के मामले में राज्य के उद्योग निदेशक।

   (3) विनिर्माता के रूप में एकक को पंजीकृत करने के लिये कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी।

10. यदि निर्यात/संभरण किसी निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन की ओर से किया जाता है, जैसा कि आयात निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड 1) के अध्याय 21 में यथा-निर्धारित किया गया है, तो सम्बद्ध निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन का नाम और पता। (निर्यात/व्यापार सदन द्वारा निर्यात/व्यापार सदन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न की जानी है)।

11. आवेदन शुल्क के भुगतान की बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट सं. और दिनांक बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न की जानी है।

12. (1) आवेदित लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य।

   (2) आयात किये जाने वाले माल का ब्यौरा (आयात की जाने वाली प्रत्येक मद का पूर्ण ब्यौरा, मात्रा, लागत बीमा भाड़ा मूल्य दें)।

भाग—2

1. क्या यह आवेदन पत्र एक विशिष्ट निर्यात आदेश के मद्दे दिया गया है। यदि हां तो बतायें :—

   (1) निर्यात आदेश (शों) के अन्तर्गत निर्यात की मदें (निर्यात आदेशों की प्रति संलग्न करें)।

   (2) जहाज पर निशुल्क मूल्य।

   (3) विदेशी क्रेता का नाम और पता और निर्यातक देश।

   (4) निर्यात आदेश (शों) के अन्तर्गत आने वाले निर्यात उत्पाद (दों) के विवरण की अवधि।

   (5) क्या विचाराधीन निर्यात आदेश (शों) के मद्दे कोई निर्यात पहले ही किये गये हैं। यदि हां, तो उसका जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य बतायें।

   (6) भुगतान की विधि बतायें (अपरिवर्तनीय साख पत्र के मामले में फोटो स्टेट प्रति संलग्न करें)।

   (7) आवेदन पत्र के अंतर्गत निर्यातों पर विदेशी अभिकर्ता को भुगतान की गई या देय कमीशन या छूट की धन राशि।

2. यदि निर्यात किए जाने वाले उत्पाद (दों) और आयात की जाने वाली मदें मात्रा/लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के रूप में पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के पूर्णतया अनुरूप है तो बताएं :—

   (1) परिशिष्ट 17 खण्ड-2 की क्रम सं. और उप क्रम सं. (2) आयात प्रतिपूर्ति की दर।

भाग—3

1. यदि आवेदित आयात लाइसेंस एक विशिष्ट निर्यात आदेश के मद्दे नहीं किया गया तो उसे बताएं :—

   (क) निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का ब्यौरा, मात्रा और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य।

(ख) यदि निर्यात किए जाने वाले उत्पाद और आयात की जाने वाली मदें मात्रा/लागत-भाड़ा-बीमा मूल्य के रूप में आयात नीति के परिशिष्ट 17 खण्ड-2 के पूर्णतया अनुरूप हैं तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात उत्पादों और निर्यातों के जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का उत्पादवार ब्यौरा देते हुए एक विवरण संलग्न करें ।

भाग—4

1. भूतकालीन निष्पादन :—

(1) पिछले निर्यातों का ब्यौरा दें : निम्नलिखित ब्यौरे देते हुए विवरण संलग्न करें :—

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए निर्यात उत्पाद का विवरण ।

(ख) उपर्युक्त (1) की विषय में निर्यात का जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य (उत्पादवार) ।

(ग) 1988-91 की आयात नीति के परिशिष्ट 17 के अधीन है तो निर्यातित उत्पाद वर्गीकरण और आयात प्रतिपूर्ति की दर ।

(घ) निर्यात किए जाने वाले उत्पाद की वह मात्रा जिसके लिए अग्रदाय लाइसेंस अपेक्षित है ।

(ङ) आवेदक द्वारा निर्यातित उसी उत्पाद के अद्यतन निर्यात का एकक मूल्य (निर्यात की तिथि भी लिखें) ।

(2) क्या गत वर्षों में कोई अग्रदाय/हीरा अग्रदाय/हीरा व्यापार कम्पनी कोई अग्रदाय लाइसेंस जारी किया गया था ।

(3) यदि हां, तो क्या लाइसेंस के मद्दे निर्यात आभार अभी भी बाकी है ।

(4) यदि निर्यात आभार या तो अंश में या पूरे रूप में पूरा करना बाकी है तो कृपया नीचे लिखे अनुसार उसका ब्यौरा दें :—

(क) लाइसेंस सं. और दिनांक

(ख) लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

(ग) निर्धारित निर्यात आभार का लाइसेंस-वार मूल्य

(घ) निर्यात आभार को पूरा करने के लिए अनुमित समय सीमा

(ङ) प्रत्येक लाइसेंस के मद्दे पहले ही पूरे किए गए निर्यात आभार का मूल्य

(च) निर्यात आभार को पूरा नहीं करने के कारण ।

(5) अप्रयुक्त अग्रदाय/हीरा अग्रदाय/हीरा व्यापार कम्पनी अग्रदाय लाइसेंस का कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य जिसके मद्दे आयात नहीं किया गया है ।

(6) हीरों/हीरा व्यापार कम्पनी अग्रदाय लाइसेंस का कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य, जिसके लिए आयात आवेदन-पत्र लाइसेंस प्राधिकारियों के पास पड़े हुए हैं ।

2. संलग्न दस्तावेजों की सूची ।

भाग—5

घोषणा

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि यह लाइसेंस प्रदान किया जाता है तो यह माल कच्चे माल के उपभोग के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा ।

2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है । मैं/हम पूर्ण रूप से समझता हूं/समझते हैं कि यदि यह पाया गया कि प्रस्तुत किए गए विवरण में कोई विवरण या तथ्य गलत या झूठ है तो प्रस्तुत किए गए कोई विवरण के आधार पर मुझे/हमको जारी किया गया कोई भी लाइसेंस उस अन्य जुर्माने या अन्य कार्यवाई को ध्यान में रखे, बिना रद्द किया जा सकता है या अप्रभावी किया जा सकता है जो सरकार इस संबंध में मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करें ।

हस्ताक्षर . . . . . .

साफ अक्षरों में नाम . . . . .

पदनाम . . . .

निवास का पूरा पता

स्थान :

दिनांक . . . . . .

परिशिष्ट 21-ख—(जारी)

हीरा अग्रदाय अनुज्ञापन स्कीम/डी.टी.सी. अग्रदाय अनुज्ञापन स्कीम के अधीन निष्पादित किया जाने वाला निर्यात बाध्यताओं का क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र प्रारूप

(आयातकर्ता और प्रत्यभूतिदाता बैंक द्वारा, जो कि अनुसूचित बैंक होना चाहिए कम से कम 15 रुपए के मूल्य तथा संबंध राज्य के स्टाम्प कलक्टर द्वारा यथा विहित रकम के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर निष्पादित किया जाएगा) ।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

मार्फत

मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक (इस पद के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक/उप मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक या ऐसा कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसे संयुक्त मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक/उपमुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक के कर्त्तव्यों के अनुपालन के लिए तत्समय प्राधिकृत किए गए सम्मिलित समझे जाएंगे)

वाणिज्य मंत्रालय (पूरा पता) . . . .

पिन कोड

परिशिष्ट 21—ख—(जारी)

यह विलेख तारीख को निष्पादित किया गया ।

(नीचे दिए गए अनुदेशानुसार पूर्ण पते सहित आयातकर्ता, आयातकर्ता फर्म का पूरा विस्तृत नाम) जिसे इसमें इसके पश्चात "आयातकर्ता" कहा गया है (जिसके अन्तर्गत उसके अनुज्ञप्त उत्तराधिकारी, प्रशासक, शासकीय परिसमापक और अनुज्ञात समनुदेशित सभी सम्मिलित समझे जाएंगे इसके प्रथम पक्षकार है, और

(कार्यालय या शाखा के पूरे पते सहित उस प्रत्याभूतिदाता बैंक का पूरा विस्तृत वर्णन जिसके द्वारा यह प्रत्याभूति बंधपत्र निष्पादित किया जा रहा है जिससे इसमें इसके पश्चात प्रत्याभूतिदाता कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी शासकी परिसमापक और प्रशासक भी सम्मिलित समझे जाएंगे) इसके दूसरे पक्षकार हैं ।

ऊपर नामित पक्षकार संयुक्त और पृथकतः मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक, वाणिज्यक मंत्रालय के (इस पद के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक उप मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक या ऐसा कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसे संयुक्त मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक/उपमुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक के (जिसे इसमें इसके पश्चात सरकार कहा गया है) कर्तव्यों के अनुपालन के लिए तत्समय प्राधिकृत किया जाए, सम्मिलित समझे जाएंगे) माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति के प्रति, सरकार द्वारा लिखित मांग की जाने पर सरकार को—रु. (अंकों और शब्दों में) की राशि का संदाय करने के लिए दृढ़तापूर्वक आबद्ध होंगे।

ऊपर नामित आयातकर्ता के भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हीरा अग्रदाय अनुज्ञापन स्कीम/डी. टी. सी. अग्रदाय अनुज्ञापन स्कीम के अधीन हीरा अग्रदाय अनुज्ञप्ति/डी. टी. सी. अग्रदाय अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है ।

सरकार के आयातकर्ता को आकर्तित और बिना जड़े हीरों) संक्षिप्त में 'अपरिष्कृत हीरों' के रूप में विनिर्दिष्ट को आयात करने के लिए अनुज्ञात किया है और पूर्वोक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर — अंक और शब्द दोनों में मूल्य की उक्त मद के आयात के लिए हीरा/डी. टी. सी. अग्रदाय अनुज्ञप्ति सं. तारीख जारी करने का करार किया है ।

आयातकर्ता ने सरकार के उपर्युक्त रकम—रुपए की निर्यात बाध्यता के लिए हीरा/डी. टी. सी. अग्रदाय अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सहमत होने के प्रतिफलस्वरूप क्षतिपूर्ति सह बंधपत्र प्रस्तुत करने का करार किया है । आयातकर्ता ने ऊपर वर्णित निर्यात बाध्यता की रकम के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी करार किया है ।

प्रत्याभूतिदाता, ने सरकार के उपर्युक्त अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के प्रतिफलस्वरूप सरकार द्वारा मांग किए जाने पर प्रत्याभूत रकम का संदाय करने का करार और वचनबंध किया है ।

और आयातकर्ता निर्यात बाध्यता को निष्पादित करने और — — रुपए तक विदेशी मुद्रा वसूल करने के लिए सहमत हो गया है ।

और आयातकर्ता ने करार किया है कि :—

*(क) प्रथम परेषण के आयात के 30 दिन के पश्चात की तारीख से छह मास के भीतर वे निर्धारित मूल्य के प्रेषणों/सीमाशुल्क, जो भी अधिक हो, के अनुसार हकदारी अर्जित करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा, जी. सी. ए. देशों (सिवाय नेपाल और भूटान में किसी स्थान के यदि मुक्त विदेशी मुद्रा में संदाय न किया गया हो) को कर्तित और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात द्वारा अर्जित करेगा तथा पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति हीरा अग्रदाय अनुज्ञापन स्कीम के निबंधनों और शर्तों के अनुसार शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगा और वे सब निबंधन और शर्तें पूरा करेगा जिनके अधीन रहते हुए सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा माल की निकासी अनुज्ञात की गई थी । इस प्रयोजन के लिए अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा को सीमाशुल्क या प्रेषण मूल्य, जो भी अधिक हो, के अनुपात में; कर्तित और पालिश किए गए हीरों के निर्यात के परिणामस्वरूप होने वाले विदेशी मुद्रा अन्तर्वाह के रूप में परिभाषित किया गया ।

(ख) आयातकर्ता को जारी की गई हीरा अग्रदाय-अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगी ।

*(ग) आयात के प्रथम परेषण की निकासी अनुज्ञात किए जाने के पूर्व, आयातकर्ता, अनुज्ञप्ति के लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य के . . . . रुपए के बराबर की रकम की बैंक प्रत्याभूति देगा । यदि आयातकर्ता यथा अनुबंधित निर्यात बाध्यता को पूरा नहीं करता है तो उक्त बैंक प्रत्याभूति पूर्णतया या कम पड़ने वाली राशि के बराबर की रकम समपहृत कर ली जाएगी ।

*(घ) उक्त आयातकर्ता, निर्यात बाध्यता पूरी करने की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से एक मास के भीतर प्रेषणों का एक विवरण तथा किए गए निर्यात के संबंध में, निर्यात किए गए माल की विशिष्टियां उनकी मात्रा और पोत पर्यन्त भाड़ा मूल्य, जिसे देश को निर्यात किया गया है, आदि संबंधित संयुक्त/उप मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक को भेजेगा ये सारे आंकड़े कंपनी कार्य विभाग द्वारा यथा अनुमोदित तथा सम्यकतः प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे ।

*(ङ) उक्त आयातकर्ता, निर्यात बाध्यता पूरी होने की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक

मास के भीतर संयुक्त, मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात/उप मुख्य आयात और निर्यात/नियंत्रक को निर्यात साक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय या अनुसूचित बैंक से मूल प्रमाणपत्र परेषित करेगा या करवाएगा जिसमें निर्यात बाध्यता पूरी करने के लिए कर्तित और पालिश किए गए हीरों के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा वर्णित हो। वह, इस क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र के निबंधों और शर्तों को पूरा करने के लिए अर्जित विदेशी मुद्रा समर्थन में संयुक्त-उप मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक द्वारा मांगे जाने वाले अन्य दस्तावेज भी परेषित करेगा या करवाएगा।

अथवा

**आयातकर्ता ने करार किया है कि वह आयात अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता के दौरान . . . . रुपए के (फलक पर निःशुल्क) निर्यात बाध्यता का पालन करेगा और विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगा। यह रकम प्रत्येक साइट के आधार पर संगणित की जाएगी तथा उसका उक्त अनुज्ञप्ति पर सम्यक्‌ पृष्ठांकन किया जाएगा और 18 मास की अवधि के लिए, इसमें से जो भी अधिक है, संगणना की जाएगी। अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित प्रत्येक साइट के साथ एक निर्यात बाध्यता संलग्न होगी जिसकी आयातकर्ता द्वारा पूर्ति, निम्नलिखित शर्तों पर कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात द्वारा ऐसे पृष्ठांकन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, की जाएगी :—

(क) (1) आयातकर्ता, जी. सी. ए. देशों को उपर्युक्त प्रत्येक आयात किए जाने के चार मास की अवधि के भीतर कटे हुए और पालिश किए गए हीरों के निर्यात द्वारा, प्रत्येक साइट के विप्रेषण या सीमा-शुल्क निर्धारण-मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार उपार्जित करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा और शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगा। भूटान को किया जाने वाला निर्यात, बाध्यता के मोचन के लिए अर्हित नहीं होगा और नेपाल को किया जाने वाला निर्यात, यदि उसके लिए संदाय मुक्त विदेशी मुद्रा से भिन्न रूप में किया जाता है तो वह भी, निर्यात बाध्यता के मोचन के लिए अर्हित नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए उपार्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा को सीमा-शुल्क या हीरों के प्रत्येक साइट के सीमाशुल्क या विप्रेषण मूल्य के अनुपात में, इनमें से जो भी अधिक हो, काटे गए और पालिश किए गए हीरों के निर्यात के परिणामस्वरूप देश में आने वाली विदेशी मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है।

(2) यह कि उपर्युक्त निर्यात बाध्यता, प्रत्येक परेषण के आयात किए जाने की तारीख से प्रारम्भ होगी।

**(ख) यह कि आयातकर्ता को जारी की गई उक्त डी. टी. सी. अग्रदाय अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय है।

**(ग) आयात के प्रत्येक परेषण की निकासी अनुज्ञात की जाने से पूर्व, आयातकर्ता, अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित प्रत्येक साइट के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के. . . . . . . .बराबर रकम के लिए एक बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा। उक्त बैंक प्रत्याभूति या उसका कम पड़ने वाला भाग समपहृत किया जा सकेगा यदि आयातकर्ता यथा अनुबंधित अपनी निर्यात बाध्यता को पूरी नहीं करता है।

**(घ) यह कि आयातकर्ता वचनबंध करता है कि वह प्रत्येक पृष्ठांकित साइट के लिए विप्रेषण का पृथक विवरण, मास की 5 तारीख तक संबंधित आयात-निर्यात संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक को, किए गए निर्यात के बारे में भेजने के लिए आबद्ध है। इस विवरण में निम्नलिखित विशिष्टियां की जाएगी, अर्थात् निर्यात किए गए माल की विशिष्टियां उनकी मात्रा और (फलक पर निःशुल्क) मूल्य, वह देश जिसका निर्यात किया गया है आदि। इन सभी आंकड़ों को कंपनी कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित कोई प्राधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट सम्यक्तः प्रमाणित करेगा।

**(ङ) उक्त आयातकर्ता आयात-निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/उप मुख्य नियंत्रक को, निर्यात बाध्यता की पूर्ति की पूर्वोक्त अवधि के अवसान की तारीख से एक मास के भीतर उक्त शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र उसके सभी भाग सम्यक्‌तः भरे, पृष्ठांकित और हस्ताक्षरित रूप में उक्त शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र तथा यथा अपेक्षित अन्य विहित दस्तावेजें परिदत्त करेगा या कराएगा।

(च) आयातकर्ता यह और करार तथा वचनबद्ध करता है कि, यदि आयातकर्ता हीरा/डी. टी. सी. अग्रदाय अनुज्ञप्ति स्कीम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शर्तों में उपवर्णित पूर्ण निर्यात बाध्यता को पूरा करने में या पूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में व्यतिक्रम करता है तो सरकार आयातकर्ता के विरुद्ध, आयात और निर्यात, (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण), आदेश, 1955 और उक्त आयात से संबंधित, सरकार द्वारा बनाए गए अन्य उपबन्धों/नियमों के अधीन, सरकार को उपलब्ध अन्य अधिकारों को जब्त करने की विधिक कार्यवाई संस्थित कर सकेगी।

परिशिष्ट-21 ख—(जारी)

आयातकर्ता यह भी करार करता है कि सरकार, निर्यात बाध्यता की अवधि के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय जब्ती की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगी।

(ज) आयातकर्ता यह और करार और वचनबद्ध करता है कि वह उसके विरुद्ध लागू किए जाने वाली आयात और निर्यात नीति प्रक्रिया पुस्तक तथा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उन शास्तिक उपबन्धों का पालन करेगा जो भी सरकार विनिश्चित करे जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

उपर्युक्त बंधपत्र की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(i) आयातकर्ता सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन सरकारी बाध्याओं, आयात अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा ऊपर विनिर्दिष्ट अनुबंधों में सम्मिलित अन्य अनुबंधों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा।

(ii) प्रत्याभूतिदाता बैंक व्यक्त रूप में और अप्रति-स्तांसणीय रूप में वचनबद्ध करता है और प्रत्याभूति देता है कि यदि आयातकर्ता द्वारा अग्रदाय अनुज्ञापन स्कीम के अधीन बाध्यताओं जिनमें अनुज्ञप्ति में अनुबंधित शर्तें भी हैं को पूर्णतया या भागतः पूर्ण करने में असफल रहता है अथवा आयातकर्ता अनुज्ञप्ति और आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन बनाए गए नियमों और यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित कोई जानकारी नहीं दे पाता अथवा अनुज्ञप्ति/स्कीम आदि में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन आयातकर्ता की किसी भी प्रकार की असफलता पर सरकार किसी भी ऐसे कारण के लिए उक्त रकम पूर्णतया या भागतः मांग सकती है और सरकार द्वारा लिखित में मांग किए जाने पर प्रत्याभूति-दाता बैंक तुरन्त अविलम्ब या आयातकर्ता के प्रति निर्देश किए बिना सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, आयातकर्ता से सरकार द्वारा मांगी गई किसी राशि का संदाय करेगा और अधिकतम . . . . रुपए तक के संदाय को प्रत्याभूत करने के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।

(iii) सरकार के आयातकर्ता के विरुद्ध किसी अधिकार के होते हुए भी, या आयातकर्ता द्वारा किसी भी रूप में उठाए गए किसी विवाद के होते हुए भी, सरकार प्रत्याभूतिदाता बैंक से ही की जाने वाली लिखित मांग में आवश्यक ब्यौरे दिए जाएंगे जैसे कि संदाय, प्रत्याभूतिदाता बैंक से पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति जिसमें ऊपर विनिर्दिष्ट निबंधन भी हैं, के अधीन संदाय मांगा गया है। सरकार की उपर्युक्त ऐसी मांग प्रत्याभूति-दाता बैंक के लिए अन्तिम आबद्धकर होगी।

(iv) प्रत्याभूतिदाता बैंक, सरकार और आयातकर्ता के बीच हुए किसी ठहराव, फेरफार से आयातकर्ता पर, उसकी सहमति या ज्ञान सहित या उसके बिना किसी अनुग्रह या आयातकर्ता को बाध्यताओं में किसी परिवर्तन या संदाय, समय, निष्पादन या अन्यथा किसी प्रविरति से इस वचनबंध और गारंटी से उन्मोचित/निर्मुक्त नहीं होगा।

(v) प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा दी गई प्रत्याभूति उस समय तक पूर्णतया प्रवृत्त रहेगी जब तक कि पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति जिसमें ऊपर विनिर्दिष्ट निबंधन भी सम्मिलित हैं, के अधीन सारी बाध्यताएं सरकार के पूर्णतया समाधानप्रद रूप में सम्यक्तः पूरी न कर दी गई हों और सरकार द्वारा प्रत्याभूतिदाता बैंक को इसकी रिपोर्ट न भेज दी गई हो।

(vi) आयातकर्ता द्वारा ऊपर नामित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा प्रत्याभूति निरन्तर क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति होगी और वह आयातकर्ता या प्रत्याभूतिदाता बैंक के गठन में किसी परिवर्तन से उन्मोचित नहीं होगा। आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा दिए गए इस क्षतिपूर्ति सह-प्रत्याभूति बंधपत्र द्वारा यह भी क्षतिपूर्ति किया जाता है कि सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित में मांग प्राप्त होने पर प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा इस क्षतिपूर्ति-सहप्रत्याभूति बंधपत्र के अधीन तुरन्त संदाय किया जाएगा।

आयातकर्ता द्वारा यथापूर्वोक्त किया गया निर्यात बाध्यता वचनबद्ध पूरा न किए जा सकने की दशा में उक्त आयातकर्ता संबद्ध संयुक्त उप-मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक या मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक नई दिल्ली के आदेशानुसार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी अभिकरण को, आयातकर्ता द्वारा अप्रयुक्त रह जाने वाली सामग्री, के द्वारा किसी भी रीति से व्यय किए जाने के लिए सौंप

परिशिष्ट—21 ख—(जारी)

होगा । ऐसे विक्रय से वसूल की गई रकम सामान्य कमीशन और उक्त अभिकरण द्वारा उपगत अन्य खर्चे काटकर निर्यात बाध्यता पूरी करने के लिए सरकार के पास जमा कर दी जाएगी ।

(viii) आयातकर्ता उपर्युक्त के अतिरिक्त, साथ-साथ उक्त अनुज्ञप्ति के विरुद्ध आयातित माल की सीमा तक या ऊपर निर्दिष्ट आयात अनुज्ञप्ति के मूल्य के बराबर रकम, जो भी अधिक हो, का परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में सरकार को संदाय करने का भी वचनबंध करता है। इस संबंध में संयुक्त मुख्य आयात और निर्यात नियन्त्रक/उप मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक का विनिश्चय आयातकर्ता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

(ix) ऊपर नामित आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा यह क्षतिपूर्ति सह-प्रत्याभूति बंधपत्र ऐसे कार्य के प्रयोजनार्थ निष्पादित किया गया है जिसमें लोकहित अन्तर्वलित है ।

(x) इस क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र के अधीन सरकार द्वारा प्रत्याभूतिदाता बैंक से मांगी गई रकम के संदाय से आयातकर्ता के किसी अन्य कार्रवाई जिसमें आयातित सामग्री के अधिग्रहण संबंधी विधिक कार्यवाहियों के संस्थापन पर और आगे और अनुज्ञप्तियां देने से इंकार तथा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के उपबंधों के अधीन, आयात व्यापार नियंत्रण विनियम और सीमाशुल्क अधिनियम, के उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा यथा विनिश्चित दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(xi) ऊपर नामित क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र, आयातकर्ता या प्रत्याभूतिदाता बैंकों की सभी बाध्यताओं के ऊपर यथा विनिर्दिष्ट सरकार के पूर्णतया और अंतिमतः समाधानप्रद रूप में पूरे कर दिए जाने और सरकार द्वारा उसकी संसूचना प्रत्याभूतिदाता बैंक को भेज दिए जाने पर, शून्य हो जाएगा ।

(xii) क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र और आयातकर्ता तथा प्रत्याभूतिदाता बैंक की बाध्यताएं पांच वर्ष तक पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहेंगी और यदि आयातकर्ता की सारी बाध्यताएं उक्त अवधि में सरकार के पूर्णतया और अंतिमतया समाधानप्रद रूप में सम्यकतः उन्मोचित नहीं होती है तो प्रत्याभूतिदाता बैंक और आयातकर्ता इस क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र की विधिमान्यता की अवधि, को, सरकार द्वारा यथाअपेक्षित और अवधि के लिए नवीनकृत और पुनः प्रवर्तित करने का करार करते हैं और वचनबंध करते हैं ।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर नामित पक्षकारों ने यह बंध पत्र तारीख . . . . को निष्पादित हस्ताक्षरित, मोहरबंद किया और ऊपर नामित आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में परिदत्त किया गया :—

साक्षी :—*

1. . . . . 1. . . . . . . (आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा वर्णन) (प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा अधिप्रमाणित/प्रतिज्ञान किया जाएगा)

2. . . . .

1. . . . . 2. . . . . . . (प्रत्याभूति दाता बैंक का पूर्ण और विस्तृत वर्णन) राष्ट्रीकृत / अनुसूचित बैंक—बैंक की मुद्रा सहित बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ।

2. . . . .

*साक्षी अपनी उपजीविका और पूरा पता दें ।

टिप्पणी

आयातकर्ता और बैंक के लिए :—

1. यदि आयातकर्ता एकमात्र स्वत्वधारी फर्म हो तो यह क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र उक्त एकमात्र स्वत्वधारी फर्म के एकमात्र स्वामी द्वारा अपना स्थायी निवासीय पता देते हुए निष्पादित किया जाएगा ।
2. यदि आयातकर्ता भागीदारी फर्म हो तो यह क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र भागीदारी फर्म के नाम में भागीदारी विलेख में विनिर्दिष्ट भागीदारों द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।
3. यदि आयातकर्ता लिमिटेड कम्पनी हो तो यह क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र, लिमिटेड कम्पनी के कार्यपालक निदेशक या प्रबंध निदेशक द्वारा कम्पनी की मुद्रा सहित, निष्पादित किया जाएगा ।
4. *हीरा अग्रदाय अनुज्ञप्तियों से संबंधित है ।
**डी. टी. सी. अग्रदाय अनुज्ञप्ति से संबंधित है ।
(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

परिशिष्ट—21-ग

विधिक वचनबंध

हीरों की अग्रदाय-अनुज्ञप्तियों/डी. टी. सी. अग्रदाय अनुज्ञप्तियों के लिए विधिक वचनबन्ध का प्ररूप

(15 रु. मूल्य के या उतनी रकम के न्यायिकेत्तर स्टाम्प पत्र पर जितनी उस संबंधित राज्य के स्टाम्प कलक्टर द्वारा, जहाँ बंधपत्र निष्पादित किया जा रहा है, विहित की जाये, आयातकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।)

सेवा में,

भारत का राष्ट्रपति

मार्फत

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात-निर्यात उप-मुख्य नियंत्रक या कोई ऐसा अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी सम्मिलित समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप-मुख्य नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है) ।

वाणिज्य मंत्रालय . . . . (पूरा पता) पिन कोड ।

1. यह विलेख श्री/मैसर्स . . . . आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा नाम और नीचे दिए गए अनुदेशों के अनुसार (निवास स्थान का पता) जिन्हें इसमें आगे "आयातकर्ता" (जिसके अन्तर्गत उसके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक, सरकारी परिसमापक और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जायेंगे) कहा गया है, के द्वारा आज तारीख . . . . को निष्पादित किया गया :

2. ऊपर नामित पक्षकार, आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, वाणिज्य मंत्रालय (जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप-मुख्य नियंत्रक या ऐसा कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी सम्मिलित समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप-मुख्य नियंत्रक के कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत है) के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति, के प्रति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है), की लागत बीमा और भाड़ा रेखा मूल्य सहित . . . . . . रु. (शब्दों और अंकों, दोनों में) रकम का उक्त सरकार को उसके द्वारा लिखित मांग किए जाने पर संदाय करने के लिए वचनबद्ध है और दृढ़तापूर्वक आबद्ध है ।

ऊपर नामित आयातकर्ता ने आयात और निर्यात नीति, 1990—93 के अधीन अपरिष्कृत (रफ) हीरों के आयात करने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है ।

सरकार ने उक्त हीरों का आयात करने के लिए आयातकर्ता को अनुज्ञा दे दी है और उसे एक आयात अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सहमत हो गई है तथा सरकार ने आयातकर्ता को उक्त आयात और निर्यात नीति में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों पर . . . . रु. तारीख . . . . . . अपरिष्कृत (रफ) हीरों के आयात के लिए मूल्य की . . . . रुपये (शब्दों और अंकों, दोनों में) की एक अनुज्ञप्ति सं. . . . . भी मंजूर कर दी है ।

सरकार द्वारा यथा उपरोक्त आयात अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के प्रतिफलस्वरूप, आयातकर्ता एक विधिक करार करने के लिए सहमत हो गया है ।

*आयातकर्ता ने, आयात अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के या प्रथम प्रेषण के आयात की तारीख के 30वें दिन से 6 मास के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो . . . . रु. (पोत पर्यन्त निःशुल्क) सीमा तक की निर्यात बाध्यता विदेशी मुद्रा का वसूली का पालन तराशे गए और पालिश किए गए हीरों का निर्यात नीचे दी गई शर्तों पर करके पूरा करने का करार किया है ।

*(क) आयातकर्ता, जी. सी. ए. देशों को छः मास की यथा उपर्युक्त प्रत्येक आयात किये जाने के चार मास की अवधि के भीतर तराशे और पालिश किये गये हीरों के निर्यात द्वारा, विप्रेषण या सीमा-शुल्क निर्धारण मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार उपार्जित करने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने का और शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का वचन देता है । भूटान को किया जाने वाला निर्यात, बाध्यता के मोचन के लिये अर्हित नहीं होगा और अफगानिस्तान और नेपाल को किया जाने वाला निर्यात, यदि उसके लिये संदाय मुक्त विदेशी मुद्रा से भिन्न रूप में किया जाता है, तो वह भी, निर्यात बाध्यता के मोचन के लिये अर्हित नहीं होगा । इस प्रयोजन के लिये उपार्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा को सीमा-शुल्क या हीरों के विप्रेषण मूल्य के अनुपात में, इनमें से जो भी अधिक हो, तराशे गये और पालिश किये गये हीरों के निर्यात के परिणामस्वरूप देश में आने वाली विदेशी मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है ।

*(ख) यह कि उपर्युक्त निर्यात बाध्यता, प्रत्येक प्रेषण के आयात किये जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रारम्भ हो जायेगी ।

*(ग) यह कि आयातकर्ता यह वचन देता है कि वह निर्यात बाध्यता की उक्त अवधि की समाप्ति से एक मास के भीतर विप्रेषणों का एक विवरण सम्बन्धित आयात और निर्यात संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक को, किये गये निर्यात की बाबत, अर्थात् निर्यात किये गये माल की विशिष्टियां उसकी मात्रा और पोत पर्यन्त भाड़ा

परिशिष्ट 21-ग (जारी)

मूल्य, जिस देश को निर्यात किया जा रहा है उसका नाम आदि के बारे में भेजने के लिये आबद्ध है। इन सभी आंकड़ों को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा यथा अनुमोदित सम्यक् रूप से प्राधिकृत चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

*(घ) आयातकर्ता यह और वचन देता है कि वह उपरोक्त छः मास के पर्यवसान की तारीख के पश्चात् एक मास के भीतर संबंधित आयात और निर्यात संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक को किसी राष्ट्रीयकृत या अधिसूचित बैंक से, निर्यात साक्ष्य के रूप में मूल प्रमाण-पत्र, जिनमें निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने के लिये तराशे और पालिश किये गये हीरों को निर्यात करने से प्राप्त विदेशी मुद्रा दर्शित की गई हो, और इस करार के निबन्धनों और शर्तों को पूरा करने में उपार्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में, आयात और निर्यात, संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक द्वारा मांग किये जाने पर, साक्ष्यस्वरूप ऐसे अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा।

या

**तथापि निर्यातक आयात लाइसेंस की वैधता के दौरान . . . . रु. (पोत पर्यन्त निःशुल्क) की सीमा तक की निर्यात बाध्यता विदेशी मुद्रा की वसूली का या प्रत्येक साइट के आधार पर संगणित निर्यात बाध्यता का, जो उक्त अनुज्ञप्ति पर सम्यकतः पृष्ठांकित की जाएगी और प्रथम प्रेषण की तारीख के 30वें दिन से छः मास की अवधि तक संगणित की जाएगी, इनमें से जो भी अधिक हो, पालन करने के लिए सहमत है।

**(क) आयातकर्ता जी. सी. ए. देशों को यथा उपर्युक्त प्रत्येक आयात किए जाने के चार मास की अवधि के भीतर तराशे और पालिश किए गए हीरों के निर्यात द्वारा प्रत्येक साइट/सीमा शुल्क निर्धारण मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो, के विप्रेक्षण के, अनुसार हकदारी उपार्जित करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने का और शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का वचन देता है। भटान को किया जाने वाला निर्यात बाध्यता के मोचन के लिए अर्हित नहीं होगा और अफगानिस्तान और नेपाल को किया जाने वाला निर्यात, यदि उसके लिए संदाय मुक्त विदेशी मुद्रा से भिन्न रूप में किया जाता है तो वह भी उक्त निर्यात बाध्यता के मोचन के लिए अर्हित नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए उपार्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा को, सीमाशुल्क या प्रत्येक साइट के सीमाशुल्क विप्रेषण मूल्य के अनुपात में इनमें से जो भी अधिक हो, तराशे गए और पालिश किए गए हीरों के निर्यात के परिणामस्वरूप देश में आने वाली विदेशी मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है।

**(ख) यह कि उपर्युक्त निर्यात बाध्यता, प्रत्येक प्रेषण के आयात किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रारम्भ हो जाएगी।

**(ग) यह कि आयातकर्ता यह वचन देता है कि वह/वे/प्रत्येक पृष्ठांकित साइट के लिए उक्त साइट के पांचवें मास तक संबंधित आयात और निर्यात संयुक्त, उप-मुख्य नियंत्रक, को किए गए निर्यात की बाबत, अर्थात निर्यात किए गए माल की विशिष्टियां, उसकी मात्रा और पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, जिस देश को निर्यात किया जा रहा है उसका नाम आदि की, बाबत में पृथकतः एक विप्रेषण-विवरण भेजने के लिए आबद्ध है। इन सभी आंकड़ों को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा यथा अनुमोदित सम्यक् रूप से प्राधिकृत चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

**(घ) आयातकर्ता यह और वचनबद्ध करता है कि यह, उपरोक्त चार मास के पर्यवसान की तारीख के पश्चात् एक मास के भीतर संबंधित आयात और निर्यात संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक को किसी राष्ट्रीयकृत या अधिसूचित बैंक से निर्यात साक्ष्य के रूप में मूल प्रमाण-पत्र जिनमें निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने के लिए तराशे और पालिश किए गए हीरों को निर्यात करने से प्राप्त विदेशी मुद्रा दर्शित की गई हो, और इस करार के निबन्धनों और शर्तों को पूरा करने के उपार्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में, आयात और निर्यात, संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक द्वारा मांग किए जाने पर, साक्ष्य स्वरूप ऐसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(ङ) आयातकर्ता यह और करार करता है और वचन देता है कि, यदि आयातकर्ता उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट शर्तों को और आयात अनुज्ञप्ति या विदेशी मुद्रा की वसूली में उपवर्णित न्यूनतम निर्यात बाध्यता को पूरा करने में व्यतिक्रम करता है तो सरकार आयातकर्ता के विरुद्ध, आयात और निर्यात, (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1988 के उपबन्धों के अधीन और अपरिष्कृत हीरों के उक्त आयात से संबंधित, सरकार द्वारा बनाये गये अन्य उपबन्धों/नियमों के अधीन, सरकार को उपलब्ध अन्य अधिकारों आयातित सामग्री को जब्त करने की विधिक कार्रवाई संस्थित कर सकेगी।

(च) आयातकर्ता यह और करार करता है और वचनबद्ध करता है कि वह उसके विरुद्ध लागू किए जाने वाली आयात और निर्यात नीति के सभी उन शास्तिक उपबन्धों का पालन करेगा जैसा भी सरकार द्वारा

परिशिष्ट 21-ग--(जारी)

विनिश्चित किया जाये जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

उपरोक्त विधिक करार की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) यह कि आयातकर्ता सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन सभी बाध्यताओं का और आयात अनुज्ञप्ति और उपरोक्त अन्य अनुबन्धों में अनुबद्ध सभी शर्तों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करेगा ।

(2) यदि आयातकर्ता, उपर्युक्त रूप में उसके द्वारा वचनबद्ध निर्यात बाध्यता को पूरा करने में समर्थ नहीं है तो उक्त आयातकर्ता सम्बन्धित आयात और निर्यात, संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली के अनुदेशों पर आयातित सामग्री को राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम या ऐसे किसी भी अन्य अधिकरण को, (जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक भी हैं), जिसे भी सरकार नाम निर्दिष्ट करे, (जिसे इसमें इसके आगे "अभिकरण" कहा गया है) ऐसी कीमत पर निर्यात के लिये सौंप देगा, जो कीमत राज्य व्यापार निगम या कोई अन्य सरकारी अभिकरण विदेश से प्राप्त कर सके और इस प्रकार विक्रय से वसूल की गई रकम को, उक्त अभिकरण के साधारण कमीशन की और उपगत किये गये व्ययों की कटौती करने के पश्चात्, सरकार के पास निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिये जमा करा दिया जायेगा । उक्त कीमत की बाबत ऐसे अभिकरण का विनिश्चय अन्तिम और आयातकर्ता पर आबद्धकर होगा ।

(3) इसके अतिरिक्त, आयातकर्ता साथ-साथ यह भी वचनबद्ध करता है कि वह उपरोक्त आयात अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट मूल्य के समतुल्य राशि का या उक्त अनुज्ञप्ति के अनुसार आयात किये गये माल की सीमा तक की राशि का, इन में से जो भी अधिक हो, सरकार को परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में संदाय करेगा और इस बाबत आयात और निर्यात संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक का विनिश्चय अन्तिम होगा और आयातकर्ता पर आबद्धकर होगा ।

(4) ऐसे किसी अधिकार के होते हुए भी जो सरकार को आयातकर्ता के विरुद्ध प्रत्यक्षतः हो या आयातकर्ता द्वारा किसी भी रूप में उठाये गये किसी विवाद के होते हुए भी, सरकार की लिखित मांग आयातकर्ता ने इस आवश्यक विवरण को यह उल्लेख करेगी कि आयातकर्ता से, इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट निबन्धनों सहित, पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के तथा ऊपर निर्दिष्ट डी. टी. सी. अग्रदाय अनुज्ञापन स्कीम के निबन्धनों और शर्तों के अधीन, संदाय की मांग की जाती है और सरकार की ऐसी उपरोक्त मांग अन्तिम होगी और आयातकर्ता पर आबद्धकर होगी ।

(5) वह वचनबद्ध तब तक विधिमान्य और पूर्णतः प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उपरोक्त अनुज्ञप्ति और डी. टी. सी./हीरा अग्रदाय स्कीम के अधीन, जिसके अन्तर्गत ऊपर यथा विनिर्दिष्ट निबन्धन भी हैं, सभी बाध्यताएं सम्यक रूप से सरकार के समाधानप्रद रूप में जो कि अन्तिम होगा, पूरी नहीं हो जाती और जब तक उक्त स्कीम के अधीन आयातकर्ता द्वारा किये गये सभी वचनों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता है । ऊपर नामित आयातकर्ता द्वारा यह भी करार किया जाता है कि यह अपेक्षित है कि वह इन बाध्यताओं का निर्वहन सरकार के पूर्ण समाधानप्रद रूप में करे और तब तक ऐसा करे जब तक कि सरकार आयातकर्ता को अपने उक्त समाधान की रिपोर्ट न दे दे ।

(6) यह कि आयातकर्ता द्वारा किया गया उपरोक्त वचनबन्ध निरन्तर चालू रहेगा और आयातकर्ता के गठन में किसी परिवर्तन से भी उन्मोचित नहीं होगा । आयातकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति का यह भी वचन दिया जाता है कि सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित मांग के प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर संदाय कर दिया जायेगा ।

(7) यह कि उपरोक्त नामित आयातकर्ता द्वारा यह वचनबन्ध इस कार्य के प्रयोजन के लिये, जिसमें जनता हितबद्ध है, निष्पादित किया जाता है ।

(8) इस वचनबन्ध द्वारा सरकार को गारण्टीकृत रकम के संदाय से आयातकर्ता के उस दायित्व पर, जिसके अन्तर्गत आयातित सामग्री के जब्त किये जाने के लिये विधिक कार्यवाहियों को प्रारम्भ करना और आगे अनुज्ञप्तियां देने से इन्कार करना भी आता है, तथा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 और निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1988 के उपबन्धों के अधीन उन सभी अन्य दायित्वों, शास्तियों और परिणामों पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आयात व्यापार (नियंत्रण) विनियम, के उपबन्धों के अधीन सरकार द्वारा विनिश्चित किये जायें ।

(9) जब तक कि सरकार का सम्यक और पूर्ण रूप से आयातकर्ता की सभी बाध्यताओं की बाबत समाधान नहीं हो जाता, तब तक यह वचनबन्ध और बाध्यतायें पूर्णतया प्रवृत्त रहेंगी ।

इसके साक्ष्य स्वरूप यह विलेख ऊपर नामित आयातकर्ता ने तारीख . . . . को सम्यक रूप से निष्पादित किया । ऊपर नामित आयातकर्ता ने निम्नलिखित साक्षियों की

उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किये, इस पर मुहर लगाई और इसे परिदत्त किया :

साक्षी

आयात कर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूर्ण और विस्तृत विवरण प्रथम श्रेणी-मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा अधिप्रमाणित/प्रतिज्ञात किया जायेगा ।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से
मेरे द्वारा स्वीकृत

( )

आयात और निर्यात नियंत्रक
आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य
नियंत्रक की ओर से

1. यदि आयातकर्ता एक मात्र स्वत्वधारी फर्म है तो यह वचनबद्ध उक्त एक मात्र स्वत्वधारी फर्म के एक मात्र स्वत्वधारी द्वारा, उसके माता-पिता का नाम और निवास स्थान का पूरा पता देते हुए निष्पादित किया जाएगा ।

2. यदि आयातकर्ता एक भागीदारी फर्म है तो यह वचन-बद्ध विनिर्दिष्ट किये गये भागीदार या प्रबन्धक भागीदार, यदि भागीदार विलेख में ऐसा विनिर्दिष्ट किया गया है, के माध्यम से भागीदारी फर्म के नाम से, निष्पादित किया जायेगा ।

3. यदि आयातकर्ता एक लिमिटेड कम्पनी है तो यह वचनबद्ध लिमिटेड कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक या कार्यपालन निदेशक द्वारा कम्पनी की मुद्रा के साथ निष्पादित किया जायेगा ।

4. हीरा अग्रदाय लाइसेंस से सम्बद्ध
डी. टी. सी. अग्रदाय लाइसेंस से सम्बद्ध
(जो लागू न हो उसे काट दें)

परिशिष्ट—21-च

अपरिष्कृत हीरों के लिए थोक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम और पता ____________

2. प्रतिष्ठान का स्वरूप, क्या सार्वजनिक या प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी या साझेदारी या स्वामित्व वाली या हिन्दू अविभाजित परिवार वाली ____________

3. निदेशकों, साझीदारों स्वामित्व या कर्ता का नाम जैसा भी मामला हो ____________

4. स्वामित्व/साझेदारी फर्म को प्राईवेट लिमिटेड कं० के परिवर्तन के मामले में (i) पूर्व फर्म का नाम (ii) पुरानी फर्म के स्वामित्व/साझेदार नई कम्पनी में हिस्सों की प्रतिशतांश ____________

5. (1) क्या पंजीकृत विनिर्माता निर्यातक, व्यापारी निर्यातक या निर्यात/व्यापार/स्टार व्यापार सदन हैं ? ____________
(जो भी लागू हों उसे इंगित करें)

(2) वैद्य पंजीकृत प्रमाणपत्र की संख्या और तिथि/उसकी प्रमाणित प्रति ____________

(3) यदि निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन है तो निर्यात/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र की संख्या और तिथि और वह तिथि जिस तक वैद्य है । ____________
(उसकी फोटोस्टेट/प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6. गत 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात का कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य । ____________

7. थोक लाइसेंस के ब्यौरे यदि कोई पहले से ही प्राप्त किए हों । ____________

परिशिष्ट—21घ—(जारी)

8. यदि ऊपर (7) का उत्तर हां में है तो दिए गए आर० ई० पी०/डायमंड अग्रदाय लाउसेंस की संख्या और मूल्य को इंगित करें (आर० ई० पी लाईसेंस और डायमंड अग्रदाय लाइसेंसों के लिएं अलग आंकड़े दिए जाएं । ————————

9. आवेदित लाइसेंस के मूल्य का लागत बीमा भाड़ा मूल्य ————————

10. आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संख्या और तिथि (मूल बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किए जाएं) ————————

हस्ताक्षर ————————
साफ अक्षरों में नाम ————————
पद ————————
पूरा सरकारी पता ————————
पूरा आवासीय पता ————————
————————
————————

स्थान :————————

दिनांक :————————

वचन बद्धता/घोषणा पत्र

मैं/हम सत्य निष्ठा से बचन देते हूं/घोषणा करते हैं कि————————

(1) इस आवेदन पत्र के अधीन आने वाले निर्यातों के मद्दे अपरिष्कृत हीरों के लिए थोक लाइसेंस के लिए कोई अन्य आवेदन पत्र न तो दिया गया है या न तो दिया जाएगा ।

(2) (क) निर्यातों का ऊपर उल्लिखित कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य हमारे सीधे निर्यात हैं, और
(ख) इसमें अपरिष्कृत हीरों का पुनः निर्यात शामिल नहीं है ।

(3) हम थोक लाइसेंस के जारी करने की तारीख से 12 मास के भीतर कम से कम थोक लाइसेंस के मूल्य के बराबर मूल्य के लिए आर० ई० पी०/डायमंड अग्रदाय लाइसेंस को सेवित करेंगे जिसके असमर्थ होने पर आयातित अपरिष्कृत हीरे पुनः निर्यात किए जाएंगे और संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को थोक लाइसेंस अभ्यर्पित कर दिया जाएगा यदि किसी मामले में आयातित अपरिष्कृत हीरे पुनः निर्यात नहीं होते है तो सेवित न किए गए आयातित अपरिष्कृत हीरों को मूल्य का समंजन न दिए गए आयातित हीरों के दो गुने तक हीरों के लिए वैध आर० ई० पी० लाइसेंसों के अभ्यर्पण द्वारा किया जाएगा ।

(4) मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार इस आवेदन पत्र में दिए गए ब्यौरे और विवरण सही है और इसमें कुछ भी छुपाया या छोड़ा नहीं गया है ।

(5) यदि इस आवेदन पत्र में दी गई कोई सूचना गलत या असत्य या भ्रामक पाई जाती है तो इस आधार पर इस आवेदन पत्र पर दिया गया कोई भी लाइसेंस इस आशय के लिए की जाने वाली किसी अन्य कारवाई के होते हुए भी रद्द किया जाएगा या अप्रभावी कर दिया जाएगा ।

(6) निर्यातों का बीजक न तो कम है या अधिक है ।

(7) म आवेदक के नाम से इस विवरण को सत्यापित करने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं ।

(8) मैं/हम पूर्णतया समझता हूं/समझते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण में कोई भी सूचना यदि गलत या झूठी सिद्ध हुई तो मैं/हम किसी भी दण्ड या कानून या अन्य रूप से आवश्यक जैसा भी मामला हो, निर्धारित परिणामों के लिए उत्तरदायी हूंगा/होंगे।

हस्ताक्षर ————————
साफ अक्षरों में नाम ————————
पद ————————
पूरा सरकारी पता ————————
आवासीय पता ————————
————————
————————

स्थान ————————

तारीख ————————

संलग्नकों की सूची ————————

परिशिष्ट—21ङ

प्रदर्शनियों में स्वर्ण/चांदी आभूषणों और वस्तुओं के निर्यात के स्वर्ण/चांदी की प्रतिपूर्ति हकदारी के लिए भेजने के लिए

पात्रता-प्रमाणपत्र

दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रदर्शनी में बीजक सं०————————दिनांक.........के मद्दे बेचे गए वास्तविक माल का ब्यौरा निम्न-प्रकार है और आयात एवं निर्यात नीति, 1990-93 के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तित की गई और भारतीय मुद्रा विनिमय नियंत्रण को वापस कर दी गई है।

1. भारतीय निर्यातक का नाम
2. प्रदर्शनी लगने की
   (1) तिथि————————————से————————तक
   (2) स्थान————————————————
3. किसके द्वारा आयोजित की गई।
4. बैंक गारन्टी का ब्यौरा यदि कोई हो।
5. निर्यात बीजक के अनुसार स्वर्ण/चांदी का मूल्य।

जड़ित वस्तुओं के ब्यौरे

क्रम सं०	नग	विवरण	कुल भार (ग्राम)	निवल भार (ग्राम)	प्रतिपूर्ति के लिए बुकिंग दर के आधार पर स्वर्ण/चांदी का मूल्य	हीरे/अर्द्ध-बहुमूल्य/सिंथेटिक स्टोन-/मोती जड़ित वस्तुओं के प्रकार का विवरण	बहुमूल्य	कैरट में नग भार	जड़ित वस्तुओं का मूल्य रुपए में	वास्तविक विक्रय मूल्य एवं विक्रय की तिथि	विनिर्माण प्रभार	कालम 6 के अनुसार स्वर्ण/चांदी की दर अर्थात मूल्य	विदेशी मुद्रा में विक्रय मूल्य	प्रत्यावर्तित जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य	क्रम सं० 13 में दिए अनुसार मूल्य के संबंध में प्राप्त मूल्य संवर्धन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

हस्ताक्षर ————————

नाम ————————

पदनाम ————————

दिनांक ————————

मोहर ————————

नोट—(क) स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों तथा वस्तुओं आदि के लिए अलग-अलग प्रमाण-पत्र भरे जायें।

परिशिष्ट 21-च

स्वर्ण तथा/या चांदी के आभूषणों तथा वस्तुओं के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख विशेष प्रक्षेत्रों की स्थापना के लिए स्कीम के अधीन स्थापित एककों के लिए विधिक करार का प्रारूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में मैसर्स .... जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के तारीख 31 दिसम्बर, 1980 के संकल्प सं. 8(15)/78/ई.पी. में यथा परिभाषित 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक के रूप में स्वर्ण तथा/या चांदी के आभूषणों तथा वस्तुओं के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख विशेष प्रक्षेत्रों की स्थापना के लिए स्कीम के अधीन स्थापित एक एकक है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... पर है (जिसे इसमें आगे "एकक" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख.... को किया गया।

सरकार ने स्वर्णाभूषणों के विनिर्माण के लिए ...... स्थित निर्यातोन्मुख विशेष प्रक्षेत्र में (जिसे इसमें आगे "निर्यात प्रक्षेत्र" कहा गया है) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक की स्थापना के लिए निबंधन और शर्तें, एकक को भेज दी हैं, देखिये तारीख.........का पत्र सं.......और एकक ने उक्त निबंधनों और शर्तों को तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित उक्त स्कीम को (जिसे इसमें आगे सामूहिक रूप से "स्कीम" कहा गया है) सम्यक्तः स्वीकार कर लिया है, देखिए उसका तारीख .... का पत्र सं. ....

एकक को संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के आयात के लिए.......रु. के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए आयात अनुज्ञप्ति सं........तारीख ...... और कच्ची सामग्री, संघटक और खपत योग्य सामान के आयात के लिए......रु. के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए आयात अनुज्ञप्ति सं........... तारीख .... मंजूर की गई है।

एकक को भारतीय स्टेट बैंक अथवा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई कोई अन्य एजेन्सी की मार्फत .... रु. मूल्य के............. किलो. स्वर्ण तथा/या चांदी का निर्मुक्ति-आदेश जारी किया गया है।

और यूनिट ने ......कि. ग्रा. की मात्रा और...... ....रु. के मूल्य के लिए सोने 0.999 उत्तमता के गोले को छोड़कर का सीधे आयात किया है।

एकक को आयात शुल्क से मुक्त पूंजीमाल, कच्ची सामग्री और संघटक आदि आयात करने की अनुज्ञा दी गई है।

एकक को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संदाय किए बिना ..... रु. मूल्य का देशी पूंजी माल, संघटक और कच्ची सामग्री क्रय करने की अनुज्ञा दी गई है।

एकक को दी गई अनुज्ञप्ति/निर्मुक्ति आदेश को सरकार द्वारा अनुबंधित एक बड़ी शर्त यह है कि एकक.... वर्ष की अवधि के दौरान स्वर्ण और/या चांदी के आभूषणों के शत-प्रतिशत उत्पादन का निर्यात करके विदेशी मुद्रा उपार्जित करेगा। उक्त अवधि सरकार द्वारा अनुज्ञात उत्पादन अवधि के पूरा होने के पश्चात पहले दिन से (जिसे इसमें आगे "निर्यात तारीख" कहा गया है) आरम्भ होगी।

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है, अर्थात :—

1. एकक उक्त स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए (सरकार द्वारा समय-समय पर यथा उपान्तरित) ... पर स्थित निर्यात प्रक्षेत्र में बंधपत्रित रूप से कार्य करेगा और उक्त स्कीम का यथाधतः अनुपालन करते हुए अपने उत्पादन का शत प्रतिशत निर्यात करेगा। यदि किसी कारणवश एकक का बंधपत्र रद्द कर दिया जाता है तो वह उक्त निर्यात प्रक्षेत्र में कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा।

2. एकक उपरोक्त नियत तारीख से आरम्भ होने वाली ......वर्ष की अवधि तक अपने उत्पादन का शत-प्रतिशत निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा। निर्यात संबंधी यह बाध्यता निर्यात संबंधी किसी अन्य बाध्यता के, जो किसी अन्य आधार पर एकक पर अधिरोपित की गई है या की जा सकती है, अतिरिक्त या उससे ऊपर होगी।

स्पष्टीकरण : इस करार के प्रयोजन के लिए—

( ) विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए किए गए निर्यात को ही निर्यात बाध्यता से उन्मोचन प्राप्त होगा।

(ii) किसी विदेशी को रुपयों में भुगतान या रुपयों में ठहराव के आधार पर किए गए निर्यात को ऐसा निर्यात नहीं माना जाएगा जिसके लिए निर्यात बाध्यता से उन्मोचन प्राप्त होता है। (ऐसे देशों में नेपाल, भूटान भी सम्मिलित) है;

(iii) एकक द्वारा विनिर्मित स्वर्ण और/या चांदी के आभूषण के यथापूर्वोक्त निर्यात को ही, न कि किसी अन्य उत्पाद के निर्यात को, निर्यात बाध्यता से उन्मोचन प्राप्त होगा।

3. एकक शत प्रतिशत निर्यात के लिए उत्पादन आरम्भ करने की तारीख, ऐसी तारीख के एक मास के भीतर, संबद्ध संयुक्त/उप-मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक को सूचित करेगा।

4. एकक निर्यात उत्पादन आरम्भ होने के ठीक पश्चात वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से आरम्भ होने वाली तीन मास की अवधि के भीतर संयुक्त/उप-मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक

परिशिष्ट 21-च—(जारी)

की प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां अगर ऐसी अन्य दस्तावेजों जो उक्त प्राधिकारी द्वारा मांगी जाएं, प्रस्तुत करेगा जिनमें एकक द्वारा उक्त अवधि के दौरान किए गए आयात निर्यात, भारतीय स्टेट बैंक अथवा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई कोई अन्य एजेन्सी द्वारा दिए गए और देशी टैरीफ क्षेत्र से क्रय किए गए स्वर्ण और/या चांदी की गई आपूर्ति की बाबत निम्नलिखित ब्यौरा दिया गया होगा अर्थात :—

(क) (i) पूंजी माल, संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर, और

(ii) कच्ची सामग्री, संघटक और खपत योग्य सामग्री की मात्रा, विनिर्देश और लागत बीमा भाड़ा मूल्य;

(ख) देश में ही उत्पादित (i) संयंत्र मशीनरी और उपस्कर; और (ii) कच्ची सामग्री, संघटक और खपत योग्य सामग्री की मात्रा; विनिर्देश और मूल्य;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक अथवा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई कोई अन्य एजेन्सी द्वारा निर्मुक्ति आदेश के अधीन निर्मुक्ति स्वर्ण और/या चांदी की मात्रा और मूल्य;

(घ) यूनिट द्वारा सीधे आयात किए सोने चांदी और सोने/चांदी की फाइंडिंग की मात्रा, मूल्य और विवरण;

(ङ) . . . . . .के निर्यात की मात्रा, विनिर्देश और मूल्य । एकक इसी प्रकार के प्रमाण पत्र और ऐसी अन्य दस्तावेज उक्त प्राधिकारी को. . . . . .वर्ष की अवधि तक, प्रतिवर्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर प्रस्तुत करता रहेगा ।

5. यदि एकक अपने द्वारा हाथ में लिए गए निर्यात कार्य को पूर्वोक्तानुसार पूरा करने में असमर्थ है तो एकक संबद्ध आयात-निर्यात संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक के आदेशानुसार, सरकार को उतने सीमा-शुल्क का संदाय करेगा जितना एकक को दी गई अनुमति के निबंधानुसार उसे आयात के लिए अनुज्ञात किए गए संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर तथा कच्ची सामग्री संघटकों और खपत योग्य माल की मदों पर सुसंगत समय पर उद्ग्रहणीय होता। एकक उस अवधि के दौरान उसके द्वारा क्रय किए गए देशी संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर तथा कच्ची सामग्री, संघटक और खपत योग्य माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क की रकम का भी संदाय करेगा। एकक इसके अतिरिक्त, परिनिर्धारित नुकसानी या, जिसकी रकम मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएगी, भी उसी समय सरकार को संदाय करेगा । परिनिर्धारित नुकसानी की रकम संयुक्त/उप मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक या मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक द्वारा अवधारित की जाएगी और उक्त अधिकारी के अनुदेश अंतिम और एकक पर आबद्धकर होंगे । यदि उक्त प्राधिकारी, परिनिर्धारित नुकसानी की सीमा का अवधारण करते समय आवश्यक समझता है तो एकक को अपने तक प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा ।

6. एकक को, जब तक सरकार विनिर्दिष्टतः अनुज्ञात न करे, निर्यात उत्पाद का देशी बाजार में व्यय न करने की किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। एकक इस बात का आश्वासन और वचन देता है कि उसके विनिर्माण की कोई वस्तु (जिसमें विनिर्माण किए जा रहे, या आंशिक रूप से विनिर्मित उत्पाद या बेकार उत्पाद भी सम्मिलित हैं) देशी टैरिफ क्षेत्र में न तो विक्रय की जाएगी और न ही अन्यथा रूप में उसका व्यय किया जाएगा ।

7. यदि एकक पूर्वोक्तानुसार अपने हाथ में लिया गया निर्यात कार्य ऐसी दशा में पूरा करने में असफल रहता है, जहां ऐसे कार्य की पूर्ति सरकार की किसी विधि आदेश, उद्घोषणा विनियम या अध्यादेश के कारण निवारित हो जाती है या विलम्ब हो जाता है, तो सरकार निर्यात या निर्यात योग्य माल के व्ययन के ढंग के संबंध में एकक को कोई निर्देश दे सकती है और एकक उनका पालन करने के लिए आबद्ध होगा । इसका किसी ऐसी अन्य कार्रवाई पर, जो एकक के विरुद्ध निर्यात और आयात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों के उपबंधों के अधीन की जा सकती है कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

8. इस करार के अधीन सरकार को देय कोई सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क भी वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के उपबंधों के अनुसार और/या सरकार से एकक को शोध्य किसी अन्य संदाय से, वसूलीय होगा ।

9. इस विषय में सरकार द्वारा जारी किया गया कोई आदेश अंतिम और आबद्धकर होगा और एकक वचन देता है कि वह ऐसे किसी आदेश का अशर्त पालन करेगा ।

10. इस दस्तावेज या उसके अधीन निष्पादित अन्य दस्तावेजों पर संदेय स्टाम्प शुल्क एकक द्वारा वहन किया जाएगा ।

11. इस करार की कोई बातें—

(i) उक्त स्कीम को समय-समय पर उपांतरित करने और/या ऐसे उपांतरित किसी स्कीम को उस रूप में, कार्यान्वित करने से सरकार को विवर्जित नहीं करेगी मानो वह इस करार की तारीख को प्रवृत्त रही हो;

(ii) ऐसे उपबंधों के जहां तक वे एकक को अन्यथा लागू होते हों, पालन से एकक को निर्मुक्त नहीं करेगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर. . . . . .को सामान्य मुद्रा लगाई गई और उसकी ओर से. . . . . .ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए ।

ऊपर निर्दिष्ट एकक की सामान्य मुद्रा . . . .

हस्ताक्षर

परिशिष्ट 21-ख—(जारी)

निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई :—

(i) श्री. . . . .

(ii) . . . . . .(निवास स्थान)

(i) श्री . . . .

(ii) . . . .(निवास स्थान)

. . . . .निदेशक ने,

जिन्हें. . . . . . . .कम्पनी

के निदेशक बोर्ड की

तारीख. . . . . . . .की

बैठक में पारित संकल्प

द्वारा इस प्रयोजन

के लिए सम्यकत:

प्राधिकृत किया गया है,

निम्नलिखित की

उपस्थिति में हस्ताक्षर

किए

1. . . . .(नाम, पदनाम और पता)

2. . . . .(नाम, पदनाम और पता)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

1. . . . .(नाम, पदनाम और पता)

2. . . . .(नाम, पदनाम और पता)

छूट प्राप्त सामग्री

1. आयातित संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर सं. . . . .
   सामग्री का वर्णन : लागत बीमा भाड़ा मूल्य

2. आयातित कच्ची सामग्री, संघटक और खपत योग्य माल
   सं.
   वर्णन
   तकनीकी विशेषताएं
   लागत बीमा भाड़ा मूल्य

3. देश में उत्पादित और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संदाय किए बिना क्रय किए गए संयंत्र मशीनरी और उपस्कर और कच्ची सामग्री, संघटक और खपत योग्य माल
   सं.
   वर्णन
   तकनीकी विशेषताएं
   मूल्य

4. निर्यात किया जाने वाला पारिणामी उत्पाद
   सं.
   वर्णन
   क्वालिटी
   तकनीकी विशेषताएं
   मात्रा
   पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य

परिशिष्ट—22

मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संवर्धन क्षेत्र में यूनिटों को घरेलू टैरिफक्षेत्र से आपूर्ति के बदले आयात प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए

आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम

2. पूरा डाक पता

3. सप्लाई किए जाने वाले माल का ब्यौरा, (विवरण, मात्रा और उसका मूल्य)

4. पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में माल की क्रम संख्या

5. सप्लाई किस अवधि के दौरान की गई थी?

6. मांगी गई आयात प्रतिपूर्ति

7. (क) पंजीकरण प्रमाण पत्र की सं. और तारीख (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए)

(ख) क्या आवेदक का नाम विनिर्माता-निर्यातक के रूप में अथवा व्यापारी निर्यातकर्ता के रूप पंजीकृत है :—

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

वचन/घोषणा

मैं/हम निष्ठापूर्वक यह वचन देता हूं/देते हैं यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि :—

(1) उपर्युक्त ब्यौरे सही हैं।

परिशिष्ट 22--(जारी)

(2) हमने जो ठेके लिए हैं, उनकी शर्तों के अनुसार इस सप्लाई पत्र में उल्लिखित सामान ब्रांड सप्लाई किया गया है।

(3) सामान की पूर्ति निर्यात मूल्यों पर की गई है।

(4) इस आवेदन पत्र में उल्लिखित सामान के निर्यात के आधार पर आयात लाइसेंस लेने के लिए कोई दूसरा आवेदन पत्र नहीं दिया गया है और न ही भविष्य में दिया जायेगा।

(5) परेषण पार्सल लौटाया नहीं गया है/लौटाए नहीं गए हैं। यदि किसी समय किसी परेषिती द्वारा कोई निर्यातित सामान लौटाया जाएगा तो सामान लौटाने के एक महीने के अन्दर जोन के विकास आयुक्त को आवश्यक सूचना भेज दी जाएगी और विकास आयुक्त लाइसेंस प्राधिकारी विकास सूचित करेगा कि इस सम्बन्ध में जो अन्य कोई कार्रवाई की जा सकती हो उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस की राशि मुझे/हमें या मेरे/हमारे नामित व्यक्तियों को भविष्य में मिलने वाले आयात की राशि में से घटा दी जाए।

(6) यदि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी समय समीक्षा करने पर यह मालूम हो जाए कि इस आवेदन के आधार पर मुझे/हमें लाइसेंस की राशि से अधिक अदायगी की गई है, तो अधिक अदा की गई राशि को मुझे/हमें या मेरे/हमारे नामित व्यक्तियों को भविष्य में किसी भी वर्ग के अन्तर्गत मिलने वाले लाइसेंसों अदायगियों की राशि में समायोजित किया जाएगा, किन्तु इस सम्बन्ध में की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(7) मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं यदि यह पता चले कि इस आवेदन-पत्र में दी गई कोई सूचना गलत है या ठीक नहीं है या भ्रामक है, तो इस आवेदन के आधार पर दिया गया लाइसेंस इस सम्बन्ध में की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रद्द कर दिया जाएगा।

(8) मैंने/हमने बीजक में निर्यात किए जाने वाले सामान की मात्रा कम या ज्यादा नहीं पायी है।

हस्ताक्षर . . . .
नाम (स्पष्ट शब्दों में) . . . . . .
पदनाम . . . .
पूरा नाम और पता . . . .
आवेदक फर्म का नाम . . . . .

परिशिष्ट 23--क

शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट स्कीम के अन्तर्गत आशय/अनुमति पत्र का आवेदन पत्र

(वेतन तथा लेखा अधिकारी औद्योगिक विकास निगम नई दिल्ली के नाम 14 अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना है अनुमति के पत्र के लिए 1,000 रुपये तथा आशय/औद्योगिक लाइसेंस के पत्र के लिए 2,500 रु० आवेदन शुल्क दिया जाना है)।

टिप्पणी: यह प्रपत्र शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए लाइसेंस या अनुमति देने के लिए आवेदन पत्र के लिए उपयोग में लाया जाना है।

1. आवेदकों का नाम और पता

2. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम और पता
   (ii) मालिकों, साझीदारों या निदेशकों के मंडल के नाम और पते उनके रोजगार के संपूर्ण ब्यौरों के साथ।

3. क्या उपक्रम एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 के अंतर्गत पंजीकृत है, यदि हां तो कृपया बताएं।
   (1) जिसके संदर्भ में पंजीकृत किया गया है उसके खंड 20 का उपखंड अर्थात खंड 20 (क) और (ख)
   (2) पंजीकरण संख्या और दिनांक
   (3) क्या एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 के खंड 21 या 22 के अधीन कंपनी कार्य विभाग को अनुमति देने के लिए कोई आवेदन पत्र दिया गया है यदि हां, तो कृपया संक्षिप्त ब्यौरे दें, यदि नहीं तो कृपया आवेदन पत्र न देने के कारण बताएं।

परिशिष्ट 23-क—(जारी)

(4) यदि एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया गया है तो कृपया कंपनी के विभाग द्वारा जारी की गई कारण बताओ सूचना की सं० एवं तिथि बताएं, यदि कोई हो तो कृपया यह बताएं कि आपने इस संबंध में उस विभाग को प्रतिवेदन दिया है, यदि हाँ, तो कब ?

(5) क्या आवेदक फर्म/उपक्रम एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अनुसार एक प्रभावशाली उपक्रम है? यदि ऐसा है तो कृपया बताएं ।

(क) उत्पादन की मदें जिनके कारण उपक्रम, "प्रभावी" उपक्रमों की श्रेणी में आता है ।

(ख) ऐसी मदों से संबंधित पिछले चार कैलेण्डर वर्षों के वार्षिक उत्पादन के आंकड़े ।

4. पूंजीगत रूप-रेखा

(क) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनियों के मामले में

1. विद्यमान	विद्यमान	प्रभावित
प्राधिकृत पूंजी		
एकत्रित पूंजी		
पूंजी प्रदत्त		
(क) विदेशी होल्डिंग		
(1) सीधी भागीदारी		
(2) अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी		
(3) कुल (1) और (2)		
(ख) भारतीय होल्डिंग		
(1) उधार		
(2) कंपनी		
(3) ऋण औचित्य का अनुपात		

(ग) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1918 के अधीन पंजीकृत से भिन्न कंपनियों के मामले में

(1) उधार ली हुई को छोड़कर स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी

(2) प्रत्येक भागीदार के शेयर्स

(3) उधार . . . . .

5. (क) क्या प्रस्तावित निवेश एक नए उपक्रम (एन० यू०) के लिए है या नई वस्तु (एन० ए०) के विनिर्माण के लिए है या वर्तमान उपक्रम में निर्यात के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक विस्तार (एस० ई०) के लिए है ।

(ख) यदि निवेश एक नए उपक्रम द्वारा लिए जाने का प्रस्ताव है तो कृपया मालिकों, साझीदारों या निदेशकों के मंडल के नाम उनके पते और व्यवसाय के पूरे ब्यौरे के साथ बताएं ।

(1)	(2)	(3)
(ग) पूंजीगत ढांचे के ब्यौरे जैसे सदस्यों द्वारा वसूल की जाने वाली पूंजी राज्य या केन्द्रीय सरकार और अन्यों द्वारा दिया गया भार		
6. प्रस्तावित निवेश के लिए वित की प्रक्रिया जिसमें निम्नलिखित के ब्यौरे शामिल हैं ।		
(1) आवेदक एवं उनके समर्थकों द्वारा वृद्धि की जाने वाली पूंजी		
(2) वित्तीय संस्थाओं से ली जाने वाली सहायता, यदि कोई हो तो, उसके ऋण, अन्डराईटिंग में इक्विटी में भागीदारी आदि ब्यौरे सहित		
(3) और अन्य स्रोतों से		
7. (क) प्रस्तावित कारखाना		
तहसील		
जिला		
राज्य		
(ख) क्या तहसील/जिला सरकार की ओर से सब-सिडी के लिए पात्र पिछड़ा क्षेत्र अधिसूचित है । . . .		
(ग) (1) क्या प्रस्तावित स्थान मानक शहरी क्षेत्र की सीमा के भीतर आया है जैसा कि शहर की 1981 की भारत की जनगणना में निश्चित किया गया है, और उसकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक है . . .		
(2) 0.5 मिलियन से अधिक की जनगणना वाले शहर की नगरीय सीमा के भीतर जैसा कि 1981 की भारत की जनगणना में निश्चित किया गया है . . .		

8. (क) विनिर्माण की मदें और क्षमताएं जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है 1 . . . . . .

क्रम सं०	वर्ष	विनिर्माण की मद	जिस उद्योग से संबंधित है	क्या आवेदक के पास मद के विनिर्माण के लिए लाइसेंस है, यदि है तो वर्तमान लाइसेंस क्षमता	संयंत्र और मशीनरी अधिकतम समयोजक के आधार पर प्रस्तावित वार्षिक प्रतिष्ठापन क्षमता	निर्यात का जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम						
दूसरा						
तीसरा						
चौथा						
पांचवां						

(ख) कारखाना मूल्य . . . .

(1) वर्तमान में विनिर्मित मदों का वार्षिक उत्पादन

(2) निर्यात हेतु विनिर्मित प्रस्तावित मदों का वार्षिक उत्पादन

परिशिष्ट 23-क—(जारी)

9. पूंजीगत माल, कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य और अतिरिक्त पुर्जों की अनुमानित आवश्यकता

(क) पूंजीगत माल की आवश्यकता

आयातित माल			देशी माल	
प्राप्त किए जाने वाले	पूंजीगत माल की मदें	क्षमता मात्रा सी०आई०एफ० मूल्य (लाख रुपयों में)	प्राप्त किए जाने वाले पूंजीगत माल की मदें	क्षमता मात्रा मूल्य (लाख रुपयों में)
(यदि आवश्यक हो तो सूची संलग्न की जाए)			(यदि आवश्यक हो तो सूची संलग्न की जाए)	
पहले वर्ष दूसरे वर्ष	योग			योग

नोट : आयातित पुराने पूंजीगत माल के मामले में उत्पादन का वर्ष तथा शेष आय का उल्लेख किया जाए।

(ख) कच्चे माल की आवश्यकता :

आयातित				देशी माल			
वर्ष	कच्चे माल का नाम	मात्रा	सी०आई०एफ० मूल्य (लाख रुपयों में)	वर्ष	कच्चे माल का नाम	मात्रा	मूल्य (लाख रुपए में)
पहले वर्ष				पहले वर्ष			
दूसरे वर्ष				दूसरे वर्ष			
तीसरे वर्ष				तीसरे वर्ष			
चौथे वर्ष				चौथे वर्ष			
पांचवे वर्ष		योग		पांचवें वर्ष		योग	

(ग) संघटकों की आवश्यकता

आयातित माल				देशी माल		
वर्ष	संघटक का नाम	मात्रा	सी०आई०एफ० मूल्य (लाख रुपयों में)	संघटक का नाम	मात्रा	मूल्य (लाख रुपयों में)
पहले वर्ष				पहले वर्ष		
दूसरे वर्ष				दूसरे वर्ष		
तीसरे वर्ष				तीसरे वर्ष		
चौथे वर्ष				चौथे वर्ष		
पांचवे वर्ष		योग		पांचवे वर्ष	योग	

(घ) उपभोज्यों की आवश्यकता

आयातित			देशी माल		
उपभोज्य (यों) का नाम	मात्रा	सी०आई०एफ० मूल्य (लाख रुपयों में)	उपभोज्य (यों) का नाम	मात्रा	मूल्य (लाख रुपयों में)
पहले वर्ष			पहले वर्ष		
दूसरे वर्ष			दूसरे वर्ष		
तीसरे वर्ष			तीसरे वर्ष		
चौथे वर्ष			चौथे वर्ष		
पांचवे वर्ष	योग		पांचवे वर्ष		योग

परिशिष्ट 23-क—(जारी)

(ङ) अतिरिक्त पुर्जे(ओं) की आवश्यकता

आयातित			देशी माल		
अतिरिक्त पुर्जों का नाम	मात्रा	सी०आई०एफ० मूल्य (लाख रुपयों में)	अतिरिक्त पुर्जों का नाम	मात्रा	सी०आई०एफ० मूल्य (लाख रुपयों में)
पहले वर्ष			पहले वर्ष		
दूसरे वर्ष			दूसरे वर्ष		
तीसरे वर्ष			तीसरे वर्ष		
चौथे वर्ष			चौथे वर्ष		
पांचवे वर्ष	योग		पांचवे वर्ष	योग	

10. निश्चित परिसम्पत्तियों की आवश्यकताएं निम्नलिखित फार्मों में निर्दिष्ट किजिए

निश्चित परिसम्पत्तियां	वर्तमान	प्रस्तावित
(क) भूमि		
(ख) भवन		
(ग) मशीनरी		
(1) स्वदेशी		
(2) आयातित		

11. क्या कोई विदेशी सहयोग (चाहे वित्तीय, तकनीकी, विपणन या परिकल्पित परामर्शीय) है? . . .

यदि ऐसा है तो, निम्नलिखित विवरण दीजिए :—

(1) (विदेशी सहयोग कर्त्ताओं) का नाम और पता .

(2) विदेशी सहयोग का स्वरूप . . .

(3) विदेशी सहयोग की शर्तें . . .

(4) करार में अनुमानित कटौती जिसके लिए रायल्टी भुगतान प्रतिबन्धित किया जाएगा . . .

12. क्या निर्माण सी० एस० आई० आर० द्वारा स्थापित किन्हीं प्रयोगशालाओं द्वारा या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृत आधार पर या उद्योगों/उपक्रमों की ओर से इन प्रयोगशालाओं द्वारा उपक्रमित प्रायोजित अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीक पर आधारित है। यदि उत्तर हां में है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कीजिए ?

13. क्या आप निर्यात अथवा निर्यात के लिए निर्माण के व्यवसाय में लगे हुए हैं और यदि ऐसा है तो पिछले तीन महीनों में निर्यात की मदों को उनके एफ० ओ० बी० मूल्य के सहित निर्दिष्ट कीजिए ?

परिशिष्ट 23क—(जारी)

14. (क) उपक्रमों के प्राधिकृत उत्पादन पर आपके द्वारा प्राप्त किए गए मूल्य योग की निम्नतम प्रतिशतता क्या होगी (घरेलू रूप से प्राप्त कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्यों को गणनीय मूल्य योग के लिए आयात समझा जाएगा) मूल्य योग प्रतिशतता के परिकलन के लिए :

$$\text{सूत्र}—\frac{\text{क}-(\text{ख}^1+\text{ख}^2)\times 100}{\text{क}}$$

जहां क=उत्पादन के पिछले पांच वर्षों में निर्यातों का प्रतिशत मूल्य और

ख=(1) संघटकों, उपभोज्यों पूंजीगत माल, अतिरिक्त पुर्जों आदि के निर्यात, स्वामित्व अदायगी आदि विदेशी सहयोगकर्ताओं को निर्यातों के आस्थगित भुगतानों तथा विदेशी मुद्रा का कोई अन्य बाह्य दबाव आदि विदेशी ऋणों पर देय ब्याज तथा जाने वाली सभी विदेशी मुद्रा योग

(2) घरेलू शुल्क पद्धति के क्षेत्रों से आयातित कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्यों के पहले पांच वर्षों के उत्पादन की आवश्यकताओं का मूल्य ('क' का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए)

(ख) 5 वर्षों में निर्यातों का कुल जहाज पर्याप्त निः शुल्क मूल्य के संबंध में विदेशी मुद्रा प्राप्तियों का प्रतिशत क्या होगा अर्थात्

$$\frac{\text{क}—\text{ख}(1)\times 100}{\text{क}}$$

15. (क) पहले पांच वर्षों में विदेशी मुद्रा का उपार्जन कुल उत्पादित निर्यातों के पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष, एफ०ओ०बी० मूल्य पर आधारित विदेशी मुद्रा का उपार्जन . .

(ख) विदेशी मुद्रा बाहर भेजने के लिए

(1) मशीनरी और उपस्करों का आयात . .

(2) कच्चा माल और संघटकों का आयात . .

(3) अतिरिक्त पुर्जों और उपभोज्यों का आयात .

(4) स्वदेशी कच्चा माल संघटक तथा उपभोज्य .

(5) विदेशी सहयोगकर्ताओं को लाभांशों का प्रत्यावर्तन

(6) रायल्टी . . . .

(7) एकमुश्त जानकारी शुल्क . . .

(8) डिजाइन तथा ड्राइंग शुल्क . . .

(9) विदेशी तकनीशियनों को भुगतान

(10) विदेश में भारतीय तकनीशयनों के प्रशिक्षण का भुगतान

(11) निर्यात आदि पर दलाली . . .

(12) बाह्यीय वाणिज्यिक लेन-देन/आस्थगित भुगतान हुंडियों (विवरण दिया जाए) पर देय ब्याज की राशि

परिशिष्ट 23-क—(जारी)

(13) अन्य कोई भुगतान . . .

(ग) पांच वर्षों में विदेशी मुद्रा का अर्जन . .

16. पानी की सप्लाई

(1) क्या शहर और स्टाफ क्वाटरों और फैक्टरी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है (मात्रा दिखाएं)

(2) क्या वह सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा

17. विद्युत सप्लाई — कि० वा० में भार कि० वा० में अधिकतम आवश्यकता

(क) प्रस्तावित परियोजना के लिए विद्युत की कुल आवश्यकता

(ख) उपर्युक्त विद्युत कहां कहां से प्राप्त की जानी है, अलग-अलग दिखाएं

1. अपना जनरेटिंग स्टेशन . . .

2. सार्वजनिक सप्लाई से . . .

(ग) अगर अपना स्टेशन है तो चलाए जा रहे प्लांट का ब्यौरा

(घ) यदि प्रस्ताव गहन विद्युत का है तो विद्युत की 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष की मांग की मात्रा तथा मूल्य दिया जाए। प्राप्ति का सूत्र भी बताया जाए . . .

18. यातायात

परिष्कृत उत्पाद और कच्ची सामग्री संचालन के लिए रेल यातायात की आवश्यकताएं संलग्न प्रपत्र में निर्दिष्ट करें .

19. ईंधन

ईंधन की आवश्यकता के विवरण : कोयले/ईंधन की आवश्यकता संलग्न प्रपत्र में दिखाएं

20. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नियोजित किए जाने वाला प्रस्तावित स्टाफ/श्रमिक

विवरण	वर्तमान	प्रस्तावित	कुल
(क) प्रबन्धकीय			
(ख) पर्यवेक्षीय :			
(1) तकनीकी . . .			
(2) गैर-तकनीकी			
(ग) लिपिकीय			
(घ) श्रमिक	वर्तमान	प्रस्तावित	कुल
कुशल			
अर्द्धकुशल			
अकुशल .			
(ङ) अन्य श्रेणियां : यदि कोई हैं ? .			
कुल			

21. क्या कोई अपेक्षित संघटक लघु और अनुषंगी एककों को दिए जाने का प्रस्ताव है, और यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा दें। विवरण में इस बात को निर्दिष्ट करें कि क्या लघु/अनुषंगी एकक(कों) आवेदक/उद्यम के सहायक हैं या उसके द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित की जा रही है, और किए जाने वाले संघटकों का नाम और उत्पादन की कुल अनुमानित कीमत में उनके हिस्से का प्रतिशत

परिशिष्ट 23-क—(जारी)

22. क्या कोई सह-उत्पादों का उत्पादन होगा ? यदि हां तो, उत्पाद की प्रकृति, मूल्य इत्यादि के ब्यौरे दें; इसका भी संकेत करें कि क्या इसका निर्यात किया जाएगा या इसका निपटान घरेलू रूप में किया जाएगा।

23. फिनिश्ड उत्पाद की प्रोसेसिंग के दौरान कच्ची सामग्री/संघटकों को अनुरूप स्क्रैप/वेस्ट की प्रतिशतता। ऐसे मामलों में इसकी प्रतिशतता, मात्रा तथा मूल्य और कैसे इसका निपटान किया जाएगा, का विवरण दें। . . . .

24. फिनिश्ड उत्पादों के सब-स्टैन्डर्ड माल या रिजैक्ट्स की अनुरूप प्रतिशतता क्या होगी ? ऐसे मामलों में इसकी प्रतिशतता, मात्रा तथा मूल्य और कैसे इसका निपटान किया जाएगा उसका विवरण दें . . . . . .

25. विनिर्माण के लिए अपनाई जाने वाली क्रिया का संक्षिप्त विवरण और उसे अपनाने के तथ्य . .

26. संबंधित राज्य में लागू प्रदूषण विरोधी नियमों की व्यवस्था सहित बहिस्राव और गैसों को पानी और मिट्टी में निपटाने के लिए सुरक्षित रूप में छोड़ने के लिए प्रस्तावित उपाय .

27. आशयपत्र/अनुमति पत्र जारी होने की तारीख से उत्पादन प्रारंभ करने के लिए अनुमानित अपेक्षित समय . . .

28. क्या आवेदक को शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट निर्यात संसाधन क्षेत्र स्कीम/घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए साधारण औद्योगिक लाइसेंस स्कीम के अधीन अब तक कोई औद्योगिक लाइसेंस या आशय पत्र/अनुमति पत्र जारी किया गया है। यदि हां, तो ऐसे सभी आशय पत्रों, औद्योगिक लाइसेंस के कार्यान्वियन में प्रगति, मदों का विनिर्माण, और उसको जारी किए गए प्रत्येक औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र की सन्दर्भ संख्या और जारी करने की तिथि के पूर्ण विवरण। क्या आवेदक पार्टी द्वारा आशय पत्र/अनुमति के लिए दिया गया कोई आवेदन पत्र अनिर्णित है ? यदि हां, तो विनिर्माण की मदों, प्रस्तावित क्षमता, क्षमता स्थिति और निवेश सहित उनका विवरण दें। . . .

29. आवेदन की तिथि से पिछले 3 वर्षों में लगातार 90 दिनों की अवधि तक बन्द रही औद्योगिक उपक्रम जो आवेदकों के नियंत्रण में या जिस प्रबन्ध के साथ आवेदक का संबंध था उसके विवरण दें। उसके बन्द होने के कारण तथा उसको पुनः चालू करने के लिए प्रबन्ध द्वारा उठाए गए कदम और औद्योगिक उपक्रम की वर्तमान स्थिति को भी बताएं . . . .

30. (क) अपने आवेदन के लिए अनुकूल कारणों को बताएं। इन कारणों में स्कीम के कार्यान्वियन के लिए उपक्रम आवेदक के प्रबन्धकीय तकनीकी और वित्तीय स्रोतों, अनुभव, तकनीकी क्षमता के साथ-साथ मार्किट सर्वेक्षण और पूर्ण घोषणा, जीवन क्षमता, तकनीक–आर्थिक पहलू के प्रारंभिक अध्ययन पर भी प्रकाश डालें। उससे उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार इत्यादि वृहत विस्तार के मामले में आर्थिक पैमाने सहित जो बात बहुत विस्तार को प्रदान करने के पक्ष में है उन पर भी प्रकाश

परिशिष्ट 23-क—(जारी)

डालें। उपक्रम या आवेदक के वित्तीय स्रोत और प्रस्तावित निवेश का वित्तदान करने के तरीके का भी विस्तार से वर्णन किया जाए . . . . .

(ख) परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न की जाए। प्रस्तावित मार्किटिंग व्यवस्थाओं को भी इंगित किया जाए।

(ग) निर्यात के देश . . . .

31. (क) क्या आवेदक या उपक्रम या उपक्रम के किसी साझेदार/निदेशक जो दूसरी कम्पनी या उसके संबंधित उद्योग का साझीदार या निदेशक है, को आयात व्यापार नियंत्रण के नियमों या सीमा शुल्क नियमों को भंग करने के लिए वर्जित किया गया चेतावनी दी गई है? . . . .

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उसका ब्यौरा दें।

32. (क) क्या आवेदक या उपक्रम या उसका कोई साझीदार/निदेशक जो दूसरी कम्पनी या उसके सहायक उपक्रम का साझीदार/निदेशक भी है, को कोई अनुमति पत्र/आशय पत्र/लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित किया गया है या स्थगन रखा गया है?

(ख) क्या आवेदक या उपक्रम या उसका कोई साझीदार/निदेशक जो दूसरी कम्पनी या उसके सहायक उपक्रम का साझीदार/निदेशक भी है, को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस से कोई लाइसेंस/आशय पत्र/अनुमति पत्र प्राप्त करने से विवर्जित किया गया है ?

(ग) यदि भाग (क) और/या (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उसका विवरण दें। . . . .

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त विवरण जहां तक मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास है; सत्य और सही है। मैं/हम यह पूर्णतया समझता/समझते हैं कि प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्रदान किया गया कोई भी आशय पत्र/अनुमति पत्र, यदि उस विवरण में दिया गया कोई भी तथ्य गलत या झूठा पाया गया तो मामले की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस सम्बन्ध में जो कोई अन्य दण्ड देगी या कोई और कार्यवाही करेगी इसके साथ-साथ उसे रद्द किया जा सकता है या निष्क्रिय किया जा सकता है।

(पूरे नाम सहित हस्ताक्षर)

पदनाम ______________

सम्बन्ध ______________

पूरा पता ______________

____

कम्पनी की सील/मोहर— ______________

स्थान :

तिथि :

नोट : आवेदन-पत्र आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कानूनी रूप से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

1. अप्रत्यक्ष लाभ के लिए भागीदारी का अभिप्राय हिस्सेदारों की सूची की वे कम्पनी हैं जिनमें अप्रवासी हिस्सेदारी है। इसके लिए केवल समपूंजी के 5 प्रतिशत और अधिक के मुख्य हिस्सों का विवरण किया जाएगा।

2. कृपया उद्योग मंत्रालय की 6-2-1973 की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना की अनुसूची 6 का अवलोकन करें।

(शत-प्रतिशत निर्यात–मद संख्या 18 से संबंधित प्रपत्र)

——————के विनिर्माण के लिए कच्चे माल और परिष्कृत सामान को संचालित करने के लिए मैसर्स —————— की रेल यातायात की आवश्यकताओं को दिखाने वाला विवरण :—

उपक्रम का वास्तविक स्थान और उसका रेलवे स्टेशन	विनिर्मित की जाने वाली वस्तुएं	अगले कुछ वर्षों में हर वर्ष रेल द्वारा परिष्कृत उत्पादों की संचालित की जाने वाली अपेक्षित टनों में मात्रा		कालम 3 में दिए गए अनुसार प्रत्येक दिन के आधार पर उन मुख्य रेलवे स्टेशनों/क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए जहां माल जाना है, के लिए यातायात का दिशावार ब्रेक डाउन	प्रत्येक कच्चे माल का नाम
		वार्षिक संचालन (टन)	प्रतिदिन औसत (टन)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(क)					
(ख)					
(ग)					

स्टेशनों और क्षेत्रों आदि का उल्लेख करते हुए प्रत्येक कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत	प्रत्येक कच्चे माल की मात्रा		माल भेजने और प्राप्त करने वाले स्टेशनों पर अपेक्षित विशेष प्रकार के वैगनों सहित विशेष सुविधाओं, यदि कोई हों, का संक्षिप्त विवरण	रेल यातायात की आवश्यकताओं से सम्बन्धित कोई अन्य सूचना
	वार्षिक संचालन (टन)	प्रतिदिन औसत (टन)		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(क)				
(ख)				
(ग)				

(शत-प्रतिशत निर्यात–मद संख्या 19 में निर्दिष्ट प्रपत्र)

कोयले/कोक की आवश्यकताओं का विवरण :—

मैसर्स

उपक्रम का वास्तविक स्थान और उसका रेलवे स्टेशन	अपेक्षित कोयले/कोक इत्यादि का ग्रेड और श्रेणी		प्रति मास कोयले/कोक की आवश्यकता की मात्रा		स्टेशन और क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए आपूर्ति तिथि का स्रोत	प्रारम्भ किए जाने की तिथि	प्रयोग में लाए गए जलनशील उपस्कर की किस्म
	कोयला	कोक	कोयला	कोक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

परिशिष्ट–23ख

शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट के लिए कानूनी करार का प्रपत्र

वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के संकल्प सं. 8(15) 78-ई. पी. दिनांक 31-12-80 में यथापरिभाषित 100% निर्यात अभिमुख एकक सर्वश्री .... जो इस करार का पक्ष है जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है (जिसे इसके बाद 'एकक' कहा जाये जिसकी अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हैं) और भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद "सरकार" कहा जाये जिसकी अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हैं) और जो दूसरा पक्ष है के बीच दिनांक .... 199 को एक करार किया जाये ।

जबकि सरकार के पत्र सं. .... दिनांक .... के अनुसार एकक को .... को विनिर्माण करने के लिये 100% निर्यात अभिमुख एकक स्थापित करने के लिये बता दिया है और एकक ने अपने पत्र संख्या .... दिनांक .... के अनुसार उक्त नियम तथा शर्तों को विधिवत स्वीकार कर लिया है।

और जबकि एकक को संयंत्र मशीनों और उपकरण के आयात के लिये .... रुपये के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के लिये लाइसेंस सं. .... दिनांक .... और कच्चे माल, संघटकों तथा उपभोज्य सामग्री के आयात के लिये .... रु. के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के लिये आयात लाइसेंस सं. .... दिनांक .... प्रदान कर दिये गये हैं ।

और जबकि एकक को पूंजीगत माल, कच्चे माल और संघटकों आदि के आयात के लिए आयात से छूट देते हुए आयात करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

और जबकि एकक को बिना किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान किए .... रुपये मूल्य के लिए देशी पंजीगत माल, संघटकों और कच्चे माल की खरीद के लिये अनुमति प्रदान कर दी गई है ।

और जबकि एकक को प्रदान किये गये लाइसेंस की एक शर्त के अनुसार सरकार ने यह निर्धारित किया है कि एकक को .... की अवधि से .... की अवधि तक के वर्षों के दौरान अपने निर्यात उत्पाद का 100 प्रतिशत उत्पादन/निर्यात करके विदेशी मुद्रा अवश्य रूप से अर्जन करनी चाहिए जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत निश्चित अवधि के पूर्ण होने के पहले दिन से लागू होगी (जिसे इसके बाद "निर्धारित तिथि" कहा जाय) और जिसमें .... प्रतिशत की कटौती भी शामिल होगी ।

अब करार इस प्रकार होगा ।

1. यूनिट .... **अवधि से** .... तक की अवधि के वर्षों के दौरान अपने .... उत्पादन का 100 प्रतिशत निर्यात करके विदेशी मुद्रा का अर्जन करेगा और यह अवधि यथा उल्लिखित उत्पादन के .... प्रतिशत की कटौती के लिये स्वीकृति प्रदान करने की निर्धारित तिथि से गिनी जायेगी । भूटान को किये गये निर्यात, निर्यात आभार के विमोचन के लिए पात्र नहीं होंगे और इस प्रकार यदि अफगानिस्तान और नेपाल को भी मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान से भिन्न निर्यात किये जायेंगे तो वे भी पात्र नहीं होंगे । यह निर्यात आभार एकक पर और किसी भी आधार पर लगाये गये या लगाये जाने वाले किसी भी निर्यात आभार के अतिरिक्त होगा ।

2. यूनिट 100 प्रतिशत निर्यात के लिये उत्पादन होने की तारीख से एक महीने के भीतर इसकी सूचना सम्बद्ध संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को देगा ।

3. यूनिट तीन मास की अवधि के भीतर जो कि वित्तीय वर्ष के पहले दिन से लेकर निर्यात उत्पादन को आरम्भ करने के बाद से होगी, संयुक्त/उप मुख्य नियन्त्रक को एक मूल प्रमाण-पत्र और उक्त प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसमें एकक द्वारा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से किये गये आयातों/निर्यातों और बिक्री के ब्यौरे भी निम्नलिखित अवधि के दौरान भेजे जायेंगे ।

(क) (1) पूंजीगत माल संयंत्र मशीनरी और उपकरण और (2) कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री की मात्रा, विशिष्टीकरण तथा लागत बीमा भाड़ा-मूल्य ।

(ख) स्वदेशी उत्पादित (1) संयंत्र, मशीनरी और उपकरण और (2) कच्चे माल, संघटकों एवं उपभोज्य सामग्री की मात्रा, विशिष्टीकरण तथा मूल्य ।

(ग) ...... के निर्यात की मात्रा विशिष्टीकरण और लागत बीमा-भाड़ा-शुल्क मूल्य ।

यूनिट इसी प्रकार के प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज उक्त प्राधिकारी को .... वर्षों की अवधि के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में तीन मास के भीतर भेजेगा ।

परीशिष्ट-23 ख—(जारी)

4. यदि यूनिट उक्त उल्लिखित निर्यात आभार को पूरा नहीं कर पाता हो तो यूनिट को सम्बद्ध संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के अनुदेशों के अनुसार सरकार को उस समय आयात लाइसेंस की शर्तों के अनुसार आयात के लिए स्वीकृत संयंत्र, मशीनरी और उपकरण और कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री पर लगाई जाने वाली सीमा शुल्क कर की धनराशि का भुगतान करना होगा और साथ ही साथ इस अवधि के दौरान खरीदे गये देशी संयंत्र, मशीनरी और उपकरण और कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री पर लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क की धनराशि का भी भुगतान करना होगा। यूनिट को इसके अतिरिक्त निर्धारित क्षति जो कि मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निश्चित की जायेगी। वह धनराशि भी सरकार को देनी होगी। निर्धारित क्षति का निश्चय संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा किया जायेगा और उक्त प्राधिकारी का अनुदेश यूनिट के लिये अन्तिम और बाध्य होगा। निर्धारित क्षति का सुनिश्चय करते समय उक्त प्राधिकारी यदि आवश्यक समझे तो यूनिट को व्यक्तिगत रूप में सुनवाई के लिये भी अवसर प्रदान करेगा।

5. जब तक सरकार द्वारा विशेष रूप से स्वीकृति न दी जाये यूनिट को किसी भी हालत में निर्यात उत्पाद को घरेलू बाजार में बेचने की स्वीकृति नहीं होगी।

6. उक्त उल्लिखित वचनबद्ध निर्यात आभार को पूरा करने में असमर्थ होने की स्थिति में जिसमें कानून, आदेश, घोषणा, विनियमन या सरकार के अध्यादेश के कारण ऐसे निर्यात आभार को पूरा करने में असमर्थ होना शामिल नहीं है, सरकार को निर्यात माल का किसी भी प्रकार से निपटान करने के संबंध में यूनिट को निदेश जारी करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी और यूनिट को ऐसे अनुदेशों का हर प्रकार से पालन करना पड़ेगा। यह आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) विनियमनों और किसी भी नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यूनिट के विरुद्ध की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगा।

7. इस करार के अधीन सरकार को जिस तारीख को भुगतान देय हो जायेगा कोई भी सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क तथा आयात/संभरण की तारीख से 18 प्रतिशत ब्याज वसूली के किसी भी वसूली के अन्य स्रोत को ध्यान में रखे बिना और/या सरकार से यूनिट द्वारा वसूल की जाने वाली कोई भी राशि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार वसूल की जाएगी।

8. इस सम्बन्ध में जारी किये गये किसी भी अन्य आदेश का यूनिट पालन करेगा और यूनिट ऐसे आदेश का बिना किसी शर्त के अनुपालन करने के लिये वचनबद्ध है।

9. इस दस्तावेज पर या निष्पादित किए जाने वाले अन्य किसी भी दस्तावेज पर स्टाम्प कर यूनिट द्वारा दिया जायेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर ....की सामान्य मोहर लगाकर दी गई है और .... के लिये और उनकी ओर से अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इनके सामने नाम
सहित यूनिट की इस पर
सामान्य सील
लगा दी गई है।

हस्ताक्षर ....

(1) श्री .... (1)
(निवास का पता)

निदेशक और (2) श्री ....(2)
(निवास का पता),

..................तारीख को हुई बैठक में कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर के संकल्प द्वारा और इस प्रयोजन के लिए विधियत् प्राधिकृत निदेशक जिसने ... . के सामने हस्ताक्षर किये हैं।

1. .... (नाम, पदनाम और पता)
2. .... (नाम, पदनाम और पता)

भारत के राष्ट्रपति की ओर
से .... की
उपस्थिति में श्री ....
द्वारा हस्ताक्षरित

1. .... (नाम, पदनाम और पता)
2. .... (नाम, पदनाम और पता)

छूट प्राप्त माल

1. आयातित संयंत्र, मशीनरी और उपकरण

सं. माल का विवरण लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य

2. आयातित कच्चे माल, संघटक और उपभोज्य सामग्री

सं. विवरण तकनीकी विशेषताएं लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना देशीय उत्पादित और खरीदे गए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण और कच्चे माल, संघटक और उपभोज्य सामग्री।

सं. विवरण तकनीकी विशेषताएं मूल्य

4. निर्यात किए जाने वाले परिणामी उत्पाद

सं. विवरण क्वालिटी तकनीकी विशेषताएं मात्रा रेल पर निःशुल्क मूल्य

परिशिष्ट-23ग

शत्-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट स्कीम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड जारी करने/नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र

1. अनुमोदित शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट का नाम और पता

2. जारी किए गए आशय पत्र/अनुमति पत्र का नम्बर तथा तारीख (प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए)

3. विनिर्माण की मद एवं क्षमता

4. किस तारीख तक आशय पत्र/अनुमति पत्र वैध है ? वैध है ?
(वृद्धि पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए, यदि कोई हो)

5. क्या अनुमोदित शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट का नाम परिवर्तित किया गया है ? यदि ऐसा है तो, प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय से जारी पत्र की प्रति संलग्न करें ।

6. उस लाइसेंस प्राधिकारी का नाम, संदर्भ संख्या तथा तारीख जिसके साथ शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट के रूप में विधिक करार निष्पादित किया गया है तथा स्वीकृत किया गया है ।
(स्वीकृत पत्र की प्रति संलग्न करें) ।

7. क्या ग्रीनकार्ड के नवीकरण के लिए अनुरोध किया गया है ? यदि ऐसा है तो उसका विवरण (मूल ग्रीन-कार्ड संलग्न किया जाना चाहिए) ।

8. आशय पत्र/अनुमति पत्र को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा ।

9. क्या यूनिट नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्र पर तिमाही प्राप्ति/निष्पादन रिपोर्ट वाणिज्य मंत्रालय/निर्यात आयुक्त को भेज रही है। यदि ऐसा है तो, भेजी गई अंतिम रिपोर्ट इसकी प्रतिलिपि सहित संलग्न की जानी चाहिए ।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि जहां तक मेरी/हमारी जानकारी/विश्वास है उपर्युक्त विवरण/दस्तावेज सही एवं सत्य हैं तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम आवेदक की ओर से इस विवरण को सत्यापित एवं हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं/हैं ।

मुझे/हमें पूर्णतया ज्ञात है कि उपर्युक्त विवरण में दी गई कोई भी सूचना यदि गलत या असत्य पाई जाती है तो मेरे/हमारे विरुद्ध विधि द्वारा स्थापित या अन्यथा अपेक्षित कोई भी दण्ड या परिणामी कार्रवाई की जाएगी तथा ग्रीनकार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

कार्यालय का पूरा पता

फैक्टरी का पूरा पता

स्थान

तारीख

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 2-ITC(PN)/90—93
New Delhi, the 30th March, 1990

Subject : Hand Book of Procedures, 1990—93 (Volume I & II)

File No. HB/1/1/90-93.—The Hand Book of Procedures, 1990—93 (Volume I) is contained in the Annexe to this Public Notice.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

CHAPTER I

INTRODUCTION

Origin

1. Import Trade Control was introduced in India as a war time measure in the early period of the Second World War. A notification regarding this was issued on May 20, 1940, in exercise of the powers conferred under the Defence of India Rules. The primary objective of this notification was to conserve foreign exchange resources and to restrict physical imports so as to reduce the pressure on the limited available shipping space. Under the initial order, the import of only 68 commodities, mainly consumer goods, were brought under control. Subsequently, as foreign exchange resources came under pressure, import control was extended to other commodities as well. On December 31, 1940, unmanufactured and semi-manufactured steel were brought under control. On February 15, 1941, the import of machine tools was controlled. On August 23, 1941, many other commodities particularly capital goods and other industrial requirements were brought within the purview of import control. This process of increasing the coverage under the import control continued. In January, 1942, some more items were brought under its purview. Finally, on July 1, 1943, a consolidated notification was issued covering all the controlled items, except machine tools.

Development of the Legislation

2. After the end of the war, the Defence of India Rules lapsed and hence in September, 1946, the Emergency Provisions (Continuance) Ordinance 1946, was promulgated to continue Import Trade Control provisions. This was ultimately replaced by the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) which came into force with effect from 25th March, 1947, initially for a period of three years. Thereafter, the validity of this Act was extended for two successive terms of five years each, one term of six years and a further term of five years upto March 31, 1971. Thereafter, this Act was extended for an indefinite period. Several notifications had, from time to time, been issued under this Act. These were replaced by consolidated Order called the Imports (Control) Order No. 17/55, dated December 7, 1955. This Order, as amended from time to time, continues to be in force. On November 4, 1975 the Imports & Exports (Control) Amendment Ordinance, 1975 (No. 19 of 1975) was promulgated with a view to making provisions for stringent action for misuse of import facilities. The Ordinance was later replaced by the Imports & Exports (Control) Amendment Act, 1976 as passed by Parliament. The Imports and Exports (Control) Act, 1947, and the Imports (Control) Order, 1955, as amended upto 30th March, 1990 are reproduced in Volume II of this book.

3. The Exports (Control) Order, 1988 as amended, is reproduced in Import and Export Policy (Volume II), 1990—93.

Items Under Control

4. At present, Import Control covers practically all articles and these are included in Schedule I to the Imports (Control) Order, 1955. The import of such items is prohibited except under and in accordance with a licence or a Customs Clearance Permit issued under the said Order or an Open General Licence issued by the Central Government, or if they are covered by any of the savings mentioned in Clause 11 of the aforesaid Order. Import of gold, silver, currency notes, bank notes and coins is controlled by the Reserve Bank of India, under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

Import, Export Policy

5. (1) The Import/Export Policy is announced by means of Public Notices in the Gazette of India Extraordinary. The Import-Export Policy has been issued in two Volumes. Volume I contains the Policy for Import and Export Promotion and Volume II contains the policy and procedure in respect of items subject to export licensing. These are priced publications and are available for sale with the regional licensing authorities, the Controller of Publications, Delhi and other authorised dealers in Government publications.

(2) The Import and Export Policy will be for the three years period from 1st April, 1990 to 31st March 1993 in consonance with the Government's objective of bringing in stability and continuity of Import and Export Promotion policies. However, the Government reserves the right to make amendments/changes in this policy which may become necessary in public interest from time to time during the above period. Amendments etc., if any, will be notified, as usual, by means of public notices/amendment orders, etc. by the Chief Controller of Imports and Exports from time to time. The provisions of the above policy book are subject to such amendments/changes as and when notified.

(3) Instructions and guidelines contained in this book are applicable subject to such amendments/changes as may be made from time to time.

(4) Although this policy is for three years period, the licensing will continue to be on annual basis and all entitlements worked out accordingly, as hitherto.

(5) Wherever the word "year" or "licensing year" appears in this book, they should be construed to mean "financial year" beginning from 1st April to 31st March.

(6) The Chief Controller of Imports and Exports may, by issuing a Public Notice, evolve any special procedure for the issue of import licences in respect of any licensing period or commodity or any category of importers. In such cases the prescribed procedure for submission of applications and their processing, will be applicable only to the extent laid down in such Public Notice.

Countries of Import

6. Unless otherwise provided therein, Licences for import, including Open General Licences, will be valid for import, from any country in the world except South Africa and Fiji.

Breaches of Import Trade Control Regulations

7. The Imports and Exports (Control) Act, 1947 and the Imports (Control) Order, 1955 now in force, are reproduced in Volume II of this book. Importers and other concerned should carefully read the provisions made in the Imports and Exports (Control) Act, the Imports (Control) order and the Exports (Control) Order and other orders flowing therefrom, any breach of which is punishable under law.

Officers authorised to file complaints

8. The Central Government, in exercise of the powers conferred on it by Section 6 of the Act, vide Import Trade Control Order No. 98/85—88 dated 29th February, 1988 has authorised the following officers to make complaints in writing in courts in respect of any offence punishable under Section 5 of the Act :—

(i) Joint Chief Controllers of Imports and Exports, (ii) Deputy Chief Controllers of Imports and Exports, (iii) Customs Colectors and the Officers of Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962), (iv) Development Commissioner for Iron & Steel and Deputy Development Commissioner for Iron & Steel, (v) Superintendents of Police in the Economic Offences Wing of the Central Bureau of Investigation.

9. Besides the penalities which can be imposed under Imports & Exports (Control) Act, as amended and the Customs Act, 1962, licences issued may be cancelled or otherwise made ineffective under one or the other of the circumstances mentioned in the Imports (Control) Order, as the case may be.

EXEMPTION FROM IMPORT LICENSING PROCEDURES

Exemption from Import Restrictions

10. (1) No import licence or Customs Clearance Permit is required for the import of goods, mentioned under the Savings Clause 11 of the Imports (Control) Order, 1955.

(2) The Savings Clause 11 (1) (j) of the Imports (Control) Order, 1955 exempts from production of Import Licence or Customs Clearance Permit for the import of goods which are exempt from customs duty, on re-importation under Section 20 of the Indian Customs Act, 1962. This exemption from production of Import Licence/Customs Clearance Permit, on re-importation, will also cover the import of goods where the importer has to pay customs duty in lieu of duty drawback and exemption of excise/customs duty availed of at the time of exportation, as provided for in Section 20 of the Indian Customs Act, 1962.

11. It has been provided in sub-Clause (11 (1) (gg) of the Imports (Control) Order, 1955 that payments in respect of goods imported thereunder, other than those received as gifts, will be remittable through authorised dealers in foreign exchange with the permission of the Reserve Bank of India. In this connection, the following points are clarified :—

(i) The said Sub-Clause does not cover import of a gift parcel in respect of which the payment is made out of a foreign currency account maintained abroad by the recipient of the gift; and

(ii) Persons holding foreign currency accounts abroad, which can be operated with the permission of the Reserve Bank of India, can pay out of such funds in respect of goods imported under the said Sub-Clause, if otherwise admissible, only with the permission of the Reserve Bank of India.

12. In-terms of the Sub-Clause (h) of Savings Clause 11 (1) of the Imports (Control) Order, 1955, executive instructions have been issued to the Customs authorities to exempt the import of the following types of goods from import trade control procedures to the extent mentioned against each.

Passengers' Baggage

13. Goods other than motor vehicles, etc. imported by a person as passenger baggage are exempt from the necessity of an import licence, subject to certain limitations/conditions, to the extent admissible under the Baggage Rules issued by the Central Board of Excise and Customs from time to time. Only such articles as are considered *bona fide* baggage under the Baggage Rules in force will be given this consideration.

14. The relevant Customs Notifications and Public Notices giving the details of the facilities for the import of goods under the Baggage Rules have been reproduced in Volume II of this book. The rules applicable to tourist, crew as well as the Transfer of Residence Rules are also contained therein.

United Nations Organisation

15. Imports of goods by officials of the United Nations Organisation and its specialised agencies who are exempt from payment of Customs duty under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, including the import of publications of the United Nations Organisation or its specialised agencies by the agents of the U.N.O. or its specialised agency, as the case may be, at the time of importation.

Import of Medical Equipment by Indian Doctors

16. Indian Doctors (medical practitioners) returning from abroad, to set up practice in India may be allowed to import medical equipment, whether new or used, of c.i.f. value not exceeding Rs. two lakhs provided (i) the person concerned has been living abroad continuously for a period of not less than two years;

(ii) the imported equipment is required for his own professional use in India and (iii) the equipment in question has been purchased out of his foreign exchange earnings abroad. The maximum value limit of Rs. two lakhs will not apply in cases where the equipment, in question, has been used abroad by the importer for at least one year prior to his departure to India.

Import of Instruments/Apparatus by Professionals

17. (1) Highly qualified professionals returning to India for permanent settlement, may be allowed to import professional instruments or apparatus, whether new or used without the requirements of any import licence/CCP upto a value not exceeding Rs. two lakhs provided :—

(i) the professional concerned has been living abroad continuously for a period of not less than 2 years;

(ii) the imported equipment is required for his own use in India; and

(iii) the equipment has been purchased out of his own foreign exchange earnings abroad.

The maximum value limit of Rs. two lakhs will not apply in cases where the equipment, in question, has been used abroad by the importer for at least one year prior to his departure to India.

For this purpose, highly qualified professional will be a person who holds a post-graduate degree or its equivalent in science, technology, engineering economics, management, accountancy or medicines from an Indian University or a foreign recognised University and has held a paid job abroad in this field of specialisation for over one year.

(2) Where the value of imported medical equipment/apparatus referred to in paras 16 and 17 (1) above exceeds Rs. two lakhs, applications may be made, for issue of CCPs. to the CCI&E, New Delhi, if the importer is not eligible to the relaxation in the upper value limit as provided for in paras 16 and 17(1) above.

Goods as Baggage by Foreign Mountaineering Expedition teams

18. Goods imported as baggage by the members of Foreign Mountaineering Expedition Teams, provided such goods are :—

(i) exempt from payment of Customs duty; and

(ii) the importer gives a declaration to the Customs authority at the time of clearance that the non-consumable goods shall be re-exported, when he leaves India.

Note : If the imported goods do not belong to any individual member of the expedition team, but belong to the team as a whole, the declaration referred to in (ii) above may be given by the leader of the team ; it will then be his responsibility to see that the goods in question are re-exported by the time he leaves India.

Paintings

19. Children's paintings for the "Shanker's International Competition for Paintings," addressed to the Children's Book Trust, Nehru House, New Delhi.

Food-stuffs, etc. by Chairtable Organisations/Individuals.

20. Articles such as food-stuffs, medicines, clothing and blankets which are exempt from Customs duty in terms of Notification No. 85/82-Cus, dated 15th March, 1982 (as amended from time to time) received by any charitable organisation or any individual as free gifts from any philanthropic organisation or individuals abroad, for free distribution to the poor and needy without any distinction of caste, creed or colour, Food Parcels.

21. Food parcels sent from abroad as gifts.

Food-stuffs etc. and provisions by Foreign Citizens

22. Food-stuffs and provisions (excluding fruit products alcohol and tobacco) which are exempt from Customs duty in terms of Notification No. 135-Customs dated 20-6-1966 (as amended from time to time) as in force, by a person residing in India but not being a citizen of India, provided the c.i.f. value in a year does not exceed Rs. 800/- in the case of a person having no dependent relative living with him and Rs. 1,600/- in the case of a person having a dependent relative living with him.

Free Gifts to Indian Red Cross Society

23. Goods received as free gifts by the Indian Red Cross Society from abroad, provided such goods are exempt from Customs duty.

Relief supplies and packages

24. Relief supplies and packages, received as gifts through a Government Agency or any other approved agency covered by an agreement, entered into by the Government of India with a foreign Government—subject to the terms and conditions laid down in the agreement provided they are exempt from Customs duty.

Donations to National Defence Fund

25. Articles donated to the National Defence Fund or to the Government of India for use of the Defence personnel, and wool/woollen fabrics and woollen apparel donated to the Indian Red Cross, provided the same are exempt from Customs duty in terms of Customs Notification Nos. 168, 169 and 170 Customs dated 8-11-1972 (as amended from time to time).

Bonding of exposed cinematographic films

26. Exposed films imported and allowed to be bonded for preview of censorship or re-export by the Customs authorities.

Gifts of T.V./Tape Recording, etc. to AIR and Doordarshan

27. Free gifts of T.V./tape recordings, electrical recordings/discs and gramophone records, involving

no foreign exchange to the All India Radio or Doordarshan.

Import of Equipment, Raw-fins etc by Foreign Publicists like Radio, Press, Films, Television Teams and Television Companies.

28. (1) Equipment and raw-films imported by foreign TV companies coming to India will be exempted from ITC restrictions provided the visit is sponsored by the Ministry of External Affairs/Ministry of Information and Broadcasting/Department of Tourism, after obtaining clearance from the External Publicity Division of the Ministry of External Affairs and also the Ministry of Home Affairs where necessary. While allowing clearance, the Customs Authorities will obtain an undertaking from the importer, with a bank guarantee or other surety, to the effect that the imported items will be re-exported by the importer while leaving India.

(2) Import of cine-equipment and raw-films by foreign film companies on re-export basis, for shooting of films in India will be treated as exempt from import trade control restrictions, provided the import, in question, has been exempt from Customs duty by the Ministry of Finance (Department of Revenue) and has been cleared either by the Ministry of Information and Broadcasting or by the Ministry of External Affairs (External Publicity Divisions).

Import of Films

29. Import of Films (i) as gifts, (ii) on loan basis or (iii) on exchange basis (including feature films) by Doordarshan, the National film Archives of India, Children's Film Society, Bombay and Film and Television Institute of India, will be allowed without Import control restrictions.

Transfer of ship stores in cases where the vessels engaged on foreign trade are transferred to coastal trade

30. In cases where the vessels engaged on foreign trade are transferred to coastal trade, the consumable stores on board the ship are allowed to be transferred with the vessel on payment of Customs duty.

Advertisement Blocks

31. Consignment containing advertisement blocks supplied free of charge to newspaper establishments pertaining to the advertisements made by foreign concerns in the Indian Press, provided their c.i.f. value does not exceed Rs. 800/- att any one time.

Imports of Emeralds and other Precious Stones and Diamonds on Approval Basis and Examination of Contents Before Clearance

32. Emeralds, diamonds and other precious stones imported by sea or air (otherwise than by post) and bonded on arrival for the purposes of inspection, such quantities of goods as are approved after inspection may be allowed to be cleared against valid import licences.

Note : The aforesaid facility would not be available in the case of imports of emeralds and precious stones by post parcels, as under the Universal Postal Convention, a parcel cannot be spilt up into two i.e. one part to be retained and the other part to be returned to the sender. The contents of the post parcel can, therefore, either be accepted or rejected *in toto*. However, the importer or his agent will be given facilities to inspect the contents of such post parcels under Customs supervision, if the addressee so desires. The inspection will be allowed at the time and date specified by the Customs authority. If the importer does not turn up for inspection at the appointed time and date, the parcel will be returned to the sender. If the importer accepts the parcel, he can secure its clearance against a valid licence and the value of the parcel as a whole will be debited to the licence and the debit once raised against the licence will not be revoked.

Samples by Exporters

33. Samples imported by exporters for export promotion against blanket release of foreign exchange granted by the Reserve Bank of India for travel abroad.

Labels, Price tags and like articles for export products

34. (1) Supplies made by foreign buyers, of labels, prices tags and trimming materials like buttons and belts to be attached to the goods against specific orders placed by them on Indian exporters, may be allowed clearance, provided the Customs authorities are satisfied with the bona fides of the case. This will also cover import of 'hangers' supplied free of charge, to be re-exported with garments.

(2) Registered Exporters of garments, knitwears and made-ups coming from abroad may be allowed, as a part of their baggage, labels upto a maximum value of Rs. 1,000 (cif), without import control restrictions.

Commercial samples/Advertising material

35. Commercial samples and advertising material, import of which is exempt from Customs duty under and in accordance with the International Convention drawn up at Geneva on 7-11-1952, vide Customs Notifications No. 185 and 186 dt. 2-8-76 and No. 33 dt. 7-2-86.

Exhibits required for International/National Exhibitions or Fairs

36. Import of non-consumable goods required in connection with international/national exhibitions or fairs approved by the Trade Fair Authority of India, or the Central Government may be allowed without any import licence or C.C.P. provided the goods in question are re-exported within a period of six months from the date of import into India and a requisite bond and a bank guarantee or an instrument to the satisfaction of the competent Customs Officer for the purpose are furnished at the time of clearance of goods, to the Customs Authorities. The procedure for sale of exhibits, where allowed, has been given in Chapter VIII of this book.

37. Import of consumable items such as printed materials, pamphlets, literature, etc. pertaining to exhibits, will also be exempt from import trade control

procedure. In addition to advertising articles, consumable goods may be allowed clearance by Customs without the requirement of C.C.P. or an import licence.

Import for Private Exhibitions and Demonstration Purposes with Conditions of Re-export

38. (1) Import of equipment for private exhibition/demonstration purposes will be allowed without any import licence/CCP, provided the goods in question are re-exported within a period of six months from the date of import, and the importer executes a bond and bank guarantee or an instrument to the satisfaction of the competent Customs Officer, for this purpose at the time of clearance of goods through the Customs authorities concerned.

(2) If the importer is unable to re-export the goods within the stipulated period of six months, he may apply for extension to the Customs Authority concerned, who can consider grant of extension in the period of re-export on merits, upto one year only. Requests for further extension beyond one year may be allowed by the CCI&E on merits upto such period as the CCI&E may determine.

(3) The sale of exhibits, if allowed, will be permitted only against a valid import licence within the bond period allowed for export. This facility will also be available to such Actual Users who are allowed to import the same goods under Open General Licence.

Imports under OGL No. 4

39. Open General Licence No. 4, as amended permits import of certain goods without licence or Customs Clearance Permit, subject to the conditions laid down therein.

This facility is available as follows :—

(i) Customs authorities may allow clearance under OGL No. 4 of permissible samples and advertising matter even if the importer concerned may have to pay for freight and insurance charges, provided the overall value of the samples or advertising matter, including freight and insurance charges, does not exceed the limits indicated in OGL No. 4, in one consignment. In such an event, the Collector of Customs will suitably endorse the relative Bill of Entry to enable the importer to secure remittance facilities from the Reserve Bank of India in respect of the freight and insurance charges.

(ii) In certain cases, import of *bona fide* technical and trade samples have to be effected by air freight parcels to meet urgent requirements whereby the c.i.f value of the consignment exceeds the limit prescribed in OGL No. 4. In respect of such supplies of *bona fide* technical and trade samples made free of charge, if the foreign supplier also bears the expenses relating to insurance and air freight, the customs authorities may allow clearance provided the import is otherwise covered by OGL No. 4.

(iii) Though OGL No. 4 does not specify any particular types of importers who are eligible to import the samples, it is clarified that only such importers as are connected with the production or commercial sale or distribution of goods are expected to be supplied with free samples/advertising materials by the foreign suppliers. Importers who are not connected with the production or commercial sale or distribution will not be allowed these concessions. However, the Export Promotion Councils and Export and Trading Houses holding Export/Trading House Certificates issued to them by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi may be allowed thte concession regarding the import of technical and trade samples under OGL No. 4 by the customs authorities.

(iv) A trade sample is intended to promote sale of the concerned item for commercial purposes. A technical sample is required by a manufacturer for improvement/development of the designs of his end-product(s). Import of finished consumer articles will not be allowed to be imported as trade samples. The customs authorities will not allow an item sought to be imported as a trade sample under OGL No. 4, if the import of such item is not permissible for import under the policy in force at the time of shipment of the item in question. The customs authorities will also not allow an item sought to be imported as a technical sample if the importer is not engaged in the production of that item and is also not in a position to satisfy the customs authorities that his scheme for production of the item, in question, has been approved by the sponsoring authority concerned.

Note :—Import of several consignments of *bona fide* technical and trade samples or advertising matter sent by the same supplier to the same consignee and received by the same mail (although each consignment does not exceed the specified value limits), will tantamount to circumvention of the ceiling placed for imports of *bona fide* technical and trade matter or advertising matter in one consignment and will not, therefore, qualify for the concession in OGL.

Re-import of goods for removal of defects and subsequent re-export

40. Goods of Indian manufacture exported and received back by the manufacturer from the consignee for repair and re-export.

Import of erection tools by foreign technicians as personal baggage on re-export basis

41. (1) Foreign technicians/experts coming to India for study, research or other approved programmes may be allowed clearance, without Customs Clearance Permit, of tools and equipments relevant to their assignment in India, on re-export basis, subject to such undertakings as the customs authorities may require.

(2) Foreign technicians coming to India for erection work may be allowed clearance, without Customs Clearance Permit, of essential erection tools/testing equipment required for erection work, on re-export basis, subject to such undertakings as the customs authorities may require.

Scientific equipment

42. Scientific or educational institutions (non-profit making) as may be or have been approved by the Ministry of Human Resource Development, New Delhi for the purpose of scientific research or education of non-commercial nature can import, subject to re-export condition, the scientific equipment specified below, provided they are exempt from Customs duty in terms of Notification No. 84/F11/75-Customs-5 dated 11-9-1971 (as amended from time to time) ;—

(i) Scientific equipment *viz.* instruments, apparatus, machines or accessories thereof;

(ii) Spare parts of scientific equipment referred to in (i) above; and

(iii) Tools specially designed for the maintenance, checking, gauging or repair of scientific equipment which are used solely for purposes of scientific research or education.

Import of Materials/Tools by Foreign Buyers/Experts/Consultants for getting samples produced for export purposes

43. Foreign buyers/experts/consultants coming to India may be allowed clearance without Customs Clearance Permit of materials/tools required for producing samples of the export products which they propose to buy from India, provided the value of such imported materials/tools shall not exceed Rs. 5000/- in each case. At the time of clearance, Customs Authorities will make necessary entries in the Passport of the importer giving details regarding the description, quantity and value of goods imported so as to ensure re-export of the items imported or of the product (s) manufactured out of the imported material. In the case of re-export of finished product(s) allowance for wastage not exceeding 10% of the value of imported goods will be allowed.

CHAPTER II

GENERAL LICENSING PROCEDURE

44. This chapter deals with import licensing procedure. The instructions contained in this book will be subject to the provisions of the relevant import policy.

Important Hints to Importers

45. (i) Application for licence should be made in the prescribed form.

(ii) Application form should be filled neatly and accurately. No column should be left blank. The words "yes" or "no" or "not applicable" can be used against the columns in the application form wherever necessary. If the applicant is not able to give answer to any particular column, he should give a positive reason for the same.

(iii) The information in the prescribed form should be given faithfully and correctly.

(iv) The original Bank Receipt/Bank Draft showing payment of application fee on the value applied for should be attached to the application.

(v) All the required documents should be attached to the application and all the enclosures to the application should be detailed in the covering letter of the application, giving particulars of each document.

(vi) The application should be signed by an authorised person who should give his official and residential address and the position held by him.

(vii) Postal address of the applicant should be given completely and neatly.

(viii) The correct and complete reference number, if any of the licensing authority should be quoted.

(ix) Application should be sent by post to the appropriate licensing authority or sponsoring authority concerned as provided in the procedure, or delivered at the counter in the office of the licensing authority or the sponsoring authority, as the case may be, so as to reach the licensing authority on or before the prescribed last date.

(x) Actual User should submit a consolidated application covering the requirements of unit in respect of raw materials and components for each end-product. For related end-products manufactured by the same unit, a single application should be made.

(xi) While furnishing the lists of goods sought to be imported, the applicants should ensure that the lists are prepared on a good and durable paper in order to avoid probable inconvenience at the time of clearance of goods at the Customs. In the case of units borne on the books of the D.G.T.D., the applicants should ensure that the extra copies of the list of goods prepared by them for submission to the licensing authority are strictly in accordance with the list cleared by the D.G.T.D.

(xii) On receiving an import licence, the licensee should carefully check whether the licence received by him is complete in all respects. In particular the licensee should check whether :—

(a) The licence bears the correct Importer-Exporter Code Number (IEC).

(b) The licence is accompanied by the list of items permitted for import, if such list has been referred to in the body of the licence.

(c) Each page of the list has been duly signed by the licensing authority.

(d) Each page of the list bears the security seal affixed by the licensing authority.

(e) The changes, if any, made in the list have been duly attested by the licensing authority.

(f) Both the copies of the licence bear the security seal affixed by the licensing authority.

(g) The conditions imposed on the licence have been duly signed by the licensing authority.

(h) The condition, if any, deleted from the licence has been attested by the licensing authority.

(i) In the case of licences issued against foreign credits, the conditions applicable to the credit have been attached to the licence, if there is a reference to such attachment in the body of the licence and such conditions have been duly signed by the licensing authority.

(j) Every signature of the licensing authority appearing on the licence, or on the list attached to licence, or on the conditions attached to the licence, has been duly authenticated by a security seal affixed above signature.

If the licensee finds that the licence is deficient in any respect he should immediately bring the matter to the notice of the licensing authority concerned and return the licence to the licensing authority for doing the needful.

Importer-Exporter Code Number

46. (1) The new system of allotment of Importer-Exporter Code Number (IEC) to the importers/exporters, has been notified under the Ministry of Commerce Public Notice No. 238-ITC/PN/85-88 dated 23-12-87. Every person (whether an individual or firm or company etc.), importing or exporting goods into or from India will require a Code Number unless specifically exempted by the Chief Controller of Imports & Exports. The Customs Authority will not allow any person to import or export goods into or from India unless such person holds a valid Importer-Exporter Code Number. Therefore, Importers/Exporters are advised to take early steps to obtain the required Code Number. Code Numbers will be allotted by the Regional Import Trade Control Licensing Authorities. Whenever there is a change in name, ownership or constitution of a concern, the same should be intimated immediately to the licensing authority concerned from whom IEC Number was obtained.

(2) Every person (whether an individual, a firm or company etc.), importing goods into India or exporting goods from India shall be required to obtain "Importer and Exporter" Code Number (IEC). This will equally apply to a person importing or exporting goods as an agent or as holder of Letter of Authority, or as a transferee of an import licence. A provision to this effect has been made in the Imports (Control) Order, 1955 dated the 7th December, 1955, as amended.

(3) The Customs authorities shall not allow import or export to a person who is not in possession of Importer and Exporter Code Number allotted by the import trade control licensing authority concerned. It shall be compulsory for the importer/exporter to quote his Code Number in the relevant Bill of Entry.

(4) Code Number allotted to a person will be valid, for import/export of any commodity by that person.

(5) In the following cases, the importers/exporters will be exempt from obtaining Code Numbers :—

(i) Importers covered by Saving Clause 11 (1) of the Imports (Control) Order, 1955, as amended and exporters covered by savings clause 15 of the Exports (Control) Order, 1988, as amended.

(ii) Ministries/Departments of Central or a State Government.

(iii) Persons importing/exporting goods for their personal use, not connected with trade or manufacture or agriculture.

(6) Application for allotment of Code Numbers should be made, in triplicate, in the prescribed form with the prescribed fee to the regional import trade control licensing authority in the territorial jurisdiction of which the applicant is situated. The territorial jurisdiction of the regional licensing authorities is indicated in Appendix II-B of this book .

(7) In the case of a company/firm, having branches only the Head Office or Registered Office in the case of a Company should apply for allotment of Code Number. The branch offices will use the code number allotted to the Head Office/Registered Office.

(8) Applications of every new Importer/Exporter, including a New/Proposed Industrial Unit, for allotment of IEC number will be subjected to a preliminary scrutiny by the Screening Committee constituted vide para 62 of this Book.

Categories of Importers

47. (1) For the purpose of licensing, the importers are divided into the following broad categories :—

(i) Actual Users

(a) Industrial

(b) Non-Industrial

(ii) Registered Exporters, including 'star' Exporters, i.e., those who import under the import policy for registered exporters.

(iii) Others.

(2) Applications for licences are considered in terms of the relevant policy in force.

Application Form

48. (1) Applications for licences are required to be made on prescribed forms.

(2) Application forms can be obtained from authorised dealers in Government publications. If the forms are not readily available, the applicants can use their own typed, cyclostyled or printed copies of the prescribed forms.

(3) Applicants should enclose a self-addressed Post Card acknowledgement showing particulars of application etc. and a self-addressed cloth-lined envelope of size 19 cm x 11.5 cm. for expeditious issue of acknowledgement and despatch of licence. In case the licence and other correspondence is required by speed post, a sum of Rs. 100/- in addition to the application fee will have to deposited along with the bank receipt/demand draft and a specific reference may be made in the forwarding letter.

Persons Authorised to Sign Application

49. Every application for an import licence or other document or form under the Imports and Exports (Control) Act, 1947, or the Imports (Control) Order, 1955 should be signed by the applicant himself or by a person duly/legally authorised by the applicant to do so. The position or nature of such legal authority held by the person signing the application/document/form should be clearly given therein, alongwith the official stamp of his connected status and his complete residential address. Otherwise such application/document/form will receive no consideration by the licensing authority. These requirements apply equally to applications made to canalising agencies for direct allotment of any canalised item.

Licensing Authorities

50. (1) The designation, areas of jurisdiction and address of the licensing authorities are given in Appendix II-B. Applications should be submitted to these authorities, depending upon the location of the applicant.

(2) Registered Exporters should also apply for import replenishment licences to the respective licensing authorities mentioned in Appendix II-B.

(3) Actual user should apply to the licensing authority under whose jurisdiction the factory of the applicant is located, unless otherwise provided.

(4) Actual Users (Industrial) have the option to submit consolidated applications covering requirements of all their factories located at more than one place. In such cases the requirement of each unit should be separately given in a list appended to the consolidated application, together with separate consumption certificates for each. On the basis of the consolidated application made to the licensing authority within whose jurisdiction the Registered/Head Office is situated, separate licences will be issued, in terms of the policy, to each unit for the value/items admissible to it.

(5) Where a single unit manufactures more than one end-product, the application should be made end-product-wise. This facility will be available if the unit has separate machinery end-product-wise. For related end-products, however, a single application should be made.

Sponsoring Authorities

51. (1) A list of Sponsoring Authorities is given in Appendix II-P.

(2) In the case of small scale units applications for grant of supplementary licences are required to be recommended by the concerned Director/Commissioner of Industries or any officer not below the rank of Joint Director nominated by him.

(3) In cases where the import applications are to be routed through the sponsoring authorities under the import policy in force, the assessment of the import requirements of the units will be made by the sponsoring authority having regard to the import policy applicable thereto.

(4) The recommendations of the sponsoring authority concerned for grant of supplementary import licence will be given in the proforma as laid down in Appendix V-B of this Book.

(5) In the matter of processing of import applications, the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi may give such general directions to the sponsoring authorities for Small Scale Industries as he considers desirable or necessary. He may also make a check *ex-post-facto*, of the recommendations for issue of licences made by the sponsoring authorities to see whether they conform to the general policy.

Scheme of Registration

52. Units which are not required to secure industrial licences or registration certificates under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 are advised to get themselves registered with the concerned sponsoring authorities, for the more convenient disposal of their application from time to time. Even such units as are holding a licence or registration certificate under the said Act may do so in respect of their other requirements, if any.

53. (1) The scheme of registration of small scale industries has been in vogue since 1960. All small scale industries, requiring imported inputs are covered by it and have to get themselves registered with the concerned State Director of Industries.

(2) Actual Users (Non-Industrial) are not required to get themselves registered with the State Director of Industries, for the purpose of import policy, although, in certain cases, their import applications require the recommendation of the State Director of Industries.

54. The registration number and date thereof allotted to the unit under the scheme should be quoted by the applicant in his application for an import licence or the allotment of a canalised item. In the absence of a valid registration number, such applications will be liable to be rejected. Every licensing authority and canalising agency is hereby authorised to call for such further information as it deems necessary to satisfy itself about the validity or scope of the registration.

55. (1) The State Director of Industries will send to the licensing authorities and canalising agencies concerned, a copy each of the registration certificates issued to small scale units in their jurisdiction. Intimation about their cancellation or any amendment therein should be sent by them to the licensing authorities and canalising agencies simultaneously with the communication made by them to the small scale units. Sponsoring authorities should also send, at the beginning of each licensing period, an upto-date list of units registered with them to the licensing authorities and canalising agencies.

(2) Where an existing unit is registered for the manufacture of a new end-product (with or without additional machinery), the State Director of Industries will enter such new end-product in the existing registration certificate already held by the same unit; in such cases, separate registration certificate will not be issued and the unit concerned will continue to

be treated as an existing unit for the purpose of import licensing.

56. If at the time of registration, a small scale unit is not in production, it would be issued a provisional certificate of registration. This would be replaced by a Permanent Certificate of registration when the unit has gone into production.

57. Units transferred from the list of DGTD to the Small Scale Sector should get themselves registered at the earliest with respective State Director of Industries and vice-versa. However, in such cases, pending registration with the DGTD or the State Director of Industries, as the case may be, the unit concerned will continue to have the import facilities (other than Capital Goods) in their present status for a period of one year.

58. (1) Without prejudice to the generality of the above provision, however, import licences for the current licensing period will be granted to small scale units on the basis of registration certificates already held by them or issued to them in the preceding year, on production of a declaration from the applicant that his registration certificate has not been cancelled or withdrawn or suspended and that the unit is actually in operation.

(2) The provisions made in Sub-para (1) will also apply to the allotment of canalised items by canalising agencies.

Application Fees

59. (1) The scale of fees payable for different types of import applications, including those for Customs Clearance Permits, is given in the Schedule III to the Imports (Control) Order, 1955 in Volume II of this book. Every application form should be accompanied with a valid Bank Receipt/Demand Draft evidencing the payment of the prescribed fee. If the applicant is exempt from such payment of fee under Imports (Control) Order, 1955, this should be clearly brought out in the application itself.

(2) The procedure for payment of fees is given in Appendix, II-C.

(3) No fees need be paid by an applicant seeking direct allotment of a canalised item, under the policy, from a canalising agency.

(4) The procedure to be followed for claiming refund of application fee once deposited, if admissible, is given in Appendix II-C.

Last Date(s) for filing Application for Grant of Import Licences

60. (1) The last date for the receipt of application, by the concerned sponsoring authorities and the concerned licensing authorities from Actual Users (Industrial as well as Non-Industrial) in respect of various types of applications will be as under :—

Sl. No.	Type of Application	Last date of receipt of application	
		By sponsoring authority	By licensing authority
1	2	3	4
(1)	Supplementary licence for import of raw materials, components, consumables.	31st January of the licnesing year to which the application pertains during the licensing years 1990-91 and 1991-92.	31st March of the licensing year to which the application pertains during the licensing years 1990-91 and 1991-92 duly recommended by the sponsoring authority concerned.
(2)	Supplementary licence for restricted spares/warranty spares as per normal entitlement.	—	31st January of the licensing year duly recommended by the sponsoring authority concerned.
(3)	Supplementary licence for import of restricted spares/ warranty spares over and above the normal entitlement.	31st Janaury of the licensing year to which the application pertains during the licensing years 1990-91 and 1991-92.	31st March of the licensing year duly recommended by the sponsoring authority concerned.
(4)	Supplementary licence for import of raw materials components, consumables and spares (for warranty or after sales service/restricted spares).	15th December, 1992, for the application pertaining to the licensing year 1992-93.	15th February, 1993, for the application pertaining to the licensing year 1992-93, duly recommended by the sponsoring authority concerned.
(5)	Repeat operation of Supplementary Licence granted to Actual Users (Industrial).	Not required to be submitted through the sponsoring authority.	28th February of the licensing year to which the application pertains.
(6)	Automatic licence	Not required to be submitted through the sponsoring authority.	30th September of the licensing year to which the application pertains.
(7)	Licence for import of stallion and broodmares for breeding purposes.	Nil	31st May of the licensing year to which the application pertains.
(8)	Licence for import of capital goods	Nil	Nil
(9)	Licence for import of emergency spares	Nil	Nil
(10)	Licence for import by individuals of articles meant for their personal use.	Nil	Nil
(11)	Others	Nil	28th February of the licensing year to which the application pertains.

(2) Last date for receipt of applications from Registered Exporters including 'Star' Exporters will be as under :—

S. No.	Type of application	Last date of receipt of application by the licensing authority.
(1)	Import Replenishment Licences	Within a period of three months from the end of the period of export or from the end of the period of receipt of sale proceeds in the case of consignment exports, as the case may be. Note (1) : In cases where the sale proceeds are received in advance or where exports are made on RBI approved deferred payment terms, the time limit for submission of applications for import replenishment licences will be reckoned with reference to the period of actual exports. Note (2) : In the case of second application and late applications for grant of import replenishment licences, the provisions contained in para 304 of this Book will be applicable.
(2)	Additional licences	30th September of the licensing year to which application pertains. Note (1) : In cases where Export Houses certificate/Trading House certificate is issued after the 30th September, of the licensing year concerned, the application for grant of licence has to be made within two months from the date of issue of the Export House certificate/Trading House certificate. Note (2) : Late applications will be dealt with as per the provisions contained in para 304 of this Book.
(3)	Licences under the Duty Exemption Scheme/Diamond Imprest Licences.	Nil.

(3) There will be no last date for receipt of applications for IRMAC licence.

(4) If the last date prescribed happens to be a public holiday or for reasons beyond the applicant's control, the applications cannot reach the licensing authority/office on or before the said the last date, the application received on the following working day may be treated as received on the prescribed last date.

(5) The application received after the prescribed last date(s) indicated as above, shall be rejected and no refund of fee will be permissible in such cases.

Deficient Applications

61. Import applications which are not (i) in the prescribed form; (ii) accompanied by Bank Receipt/Demand Draft for the requisite application fee; (iii) accompanied by the necessary documents; (iv) accompanied by necessary documents setting out the authority of the persons signing it; or (v) received after the last date prescribed in the Policy, are liable to be rejected. Applicants are expected to complete all columns in the application form truely and properly. They may take the help of the Counter Assistance System to make sure that all these requirements are met.

Screening Committee for Preliminary Scrutiny of Applications

62. (1) Screening Committees have been set up at the licensing offices headed by DCCIE or above and the Headquarters office of the Chief Controller of Imports and Exports for preliminary scrutiny of credentials of importers/exporters. The committees shall consist of the following members :

(1) (a) Export Commissioner—For Headquarters Office

(b) Head of the licensing office—For the licensing office concerned

(2) Representative from Income Tax Department/Central Excise Department.

(3) Representative of Technical authority—D.G.T.D./Director of Industries.

(4) Representative of respective export Promotion Council.

(2) The following categories of applications received from new importers/exporters or from regular importers/exporters who have come to adverse notice on account of prima facie violation of the Import-Export (Control) Act and orders issued thereunder, whose credentials are not known to the Import and Export Trade Control Organisation shall be subject to a preliminary scrutiny by the Screening Committee :—

(i) for grant of Importer-Exporter Code Number;

(ii) for grant of SPS Enrolment Number;

(iii) for grant of Advance/Special Imprest Licence under Duty Exemption Scheme, whether falling in the monetary jurisdiction

of advance Licensing Committee or where input/out-put norms are fixed; and

(iv) for grant of Imprest Licence for diamonds, gems and jewellery.

(3) The secretarial assistance to the Screening Committee will be provided by the Section handling the above mentioned types of applications.

(4) The Screening Committee shall meet once in a fort-night or as the need may be felt depending upon the number of applications.

(5) The Screening Committee shall satisfy itself about the credentials and bonafides of the new applicants and shall check up, if desired, the status of the applicant before recommending the case for further examination either by a Committee or on merits by the licensing officer concerned.

(6) If the Screening Committee takes a view that the credentials of an applicant are not satisfactory, it shall recommend rejection of the application, with an appeal clause.

(7) The appeal against the decision of the Screening Committee of the Licensing Office or of the Headquarters Office shall lie to the Screening Committee at the Headquarters Office of the Chief Controller of Imports & Exports, which shall give an opportunity of personal hearing, if so desired by the aggrieved party, and pass an order on the appeal.

(8) Notwithstanding the aforesaid provisions, whenever the Head of the Licensing office not below the rank of DCCIE authorised to grant Importer— Exporter Code Number/SPS Enrolment Number/Advance or Special Imprest licence under Duty Exemption Scheme/Imprest licence for diamonds, gem and jewellery, is personally satisfied about the standing of the applicant as a manufacturer/exporter, he may order in writing that the applicant's case need not be subject to the prior scrutiny by the Screening Committee.

Currency Areas

63. Import Licences of the following two types are issued :—

(i) "General Currency Area Licences" which are valid for import from all countries except those from which import is prohibited; and

(ii) "Specific Licences" which are valid for import from specified country or countries.

Licensing Period

64. Import & Export Policy has been announced for three years. However, the "licensing period" will continue to be from April to March.

Classification of terms

65.(1) The Schedule I to the Imports (Control) Order, 1955, reproduced in Volume II of this book, commonly known as the I.T.C. Schedule, contains the classification of all the articles that enter into the import trade.

(2) With effect from 1st April, 1988 the Schedule I to the Imports (Control) Order, 1955 reproduced in Volume II of this book has been revised in alignment with the First Schedule of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1985. The Revised ITC Schedule contains 21 sections sub-divided into 99 Chapters.

Licence Issued in Duplicate

66. Import licences are generally issued in duplicate. One of the copies known as the Customs Purposes copy is to be presented by the importer along with the bills of entry, to the Customs authorities for obtaining clearance of the goods imported. The other copy i.e., the Exchange Control copy is to be presented by the importer to the Bank for the purpose of opening a letter of credit or making remittance of foreign exchange. Importers are required to fill up forms as per the Exchange Control Manual while making such a remittance. Where no remittance of foreign exchange is involved, the exchange control copy of the licence is not issued.

Banks as Joint Holders of Licences

67. (1) When an importer opens an irrevocable letter of credit through a bank and later fails to honour his bills, the bank concerned which is committed for the payment of the exchange to the foreign suppliers, finds itself in difficulty to import as it is not the licence holder. As a safeguard against this contingency, the exchange bank or authorised dealer through whom the letter of credit is opened is considered as a joint holder of the licence to the extent of the goods covered by the credit which would thus enable the bank to honour its commitments with foreign supplier.

(2) In the types of cases referred to in sub-para (1) of this paragraph and also in cases where the goods are pledged with a Bank or a State Finance Corporation and the borrower does not meet his obligation, the imported goods lying with the Bank or the State Finance Corporation, as the case may be, will be dealt with in accordance with the provisions of Clause 10-C of the Imports (Control) Order, 1955 as amended. In such cases, sale of goods to Actual Users or S.T.C./M.M.T.C./State Small Industries Corporation, or any other similar agency, may also be effected in terms of the procedure laid down in this book.

(3) In this respect the following procedure will be observed with immediate effect :—

(i) The Bank clearing the goods in such cases will provide the Customs certificate to the effect that the import has been made and that foreign currency has been remitted by the Bank or its agents under the authority of valid import licence and a confirmed irrevocable letter of credit;

(ii) They will also produce the exchange control copy of the licence or if this is not available they will furnish full particulars of the licence and of the licensee;

(iii) At the time of clearance, the value of the goods will be debited in the licence register maintained by the Customs House with an

indication that clearance has been effected by the Banks. If and when the Customs copy of the import licence is produced subsequently by the original licensee the fact that some of the goods falling under licence have already been cleared will become immediately apparent and the Customs House will then endorse necessary debit on the licence itself; and

(iv) To ensure that the Customs copy of the import licence is not utilised at some other port, intimation of such clearance by banks will be sent by the Customs to all other ports giving the balance for which the licence is valid.

Procedure for Raising Debit to the Value of Licences

68. Detailed procedure for raising debit to the value of Import licences in respect of Capital Goods, raw materials, components, spares etc. is given in Appendix II-O.

Imports under Indo-US MOU

69. (1) Under Indo-US Memorandum of Understanding import of certain specified capital goods, raw materials, components etc., is subject to U.S. Export Control Regulations. US suppliers of such items are required to obtain an export licence for the purpose of which import certificates are required to be sent by the Indian importers to the US supplier in accordance with the Memorandum of Understanding between the Governments of India and the United States.

(2) In pursuance of the above, arrangements have been made for issue of import certificates by the following designated Import Certificate Issuing Authorities (I.C.I.A.) :—

(i) The Department of Electronics for import of computer and computer based systems.

(ii) The Directorate General of Technical Development—for organised sector units registered under it. (Except for import of computers and computer based systems).

(iii) The Ministry of Defence—for defence related items.

(iv) The Chief Controller of Imports and Exports—for small scale industries and entities not covered above.

(v) The Embassy of India, Washington, DC—on behalf of any of the above.

(3) Request for grant of Import Certificate, in all cases, is to be made in the Proforma laid down in Appendix II-D. Such request would be submitted by the importers, to the concerned Import Certificate Issuing Authorities (I.C.I.A.), as specified in sub-paragraph (2) above.

(4) In case of small scale units, request for grant of import certificate for import of OGL items, other than computers and computer based systems, may be submitted through the office of Development Commissioner (Small Scale Industries). The Office of DC-(SSI) would recommend grant of import certificate, certifying that the items sought to be imported is under OGL. Based on this recommendation, the Office of the CCI&E will issue import certificate to the applicant.

(5) In the case of import of OGL items, the eligible importers (other than SSI units) will apply for import Certificate to be issued by the I.C.I.A.'s designated in sub-para (2) above. The import Certificate will be issued by the I.C.I.A.'s and despatched directly to the importer with a copy to (1) Ministry of External Affairs (AMS Section), New Delhi, (2) Deptt. of Electronics, New Delhi, and (3) Office of the Chief Controller of Imports & Exports (I.P. Cell), New Delhi.

(6) In the case of import of licensable items, the normal procedure as per the Import Policy and the Hand Book of Procedures will be followed for grant of import licence on the basis of the recommendations of the sponsoring authority concerned. Import Certificate would be issued by the I.C.I.A's designated in sub-para (2) above after grant of import licences.

Imports by New/Proposed Industrial Units

70. New/Proposed Industrial Units getting supplementary licence or capital goods licence from the licensing authority concerned or obtaining allotment of canalised items from the canalising agency concerned, will have to execute a bond with Bank guarantee to the extent of 25% of the value of the licence/canalised items to the effect that it shall produce a certificate from the sponsoring authority concerned that the said unit has actually utilised the imported items for the manufacture of the product for which the licence/allotment of canalised items was obtained within a period of 18 months (or such extended period, as the licensing authority/canalising agency concerned may allow), from the date of obtaining customs clearance of the first consignment of the imported goods or of actual release of the canalised items as the case may be. Such certificate will have to be produced within one month of the expiry of the aforesaid stipulated period. The said bond with the Bank guarantee duly executed will have to be got accepted from the licensing authority concerned or the canalising agency, as the case may be, before obtaining customs clearance of the first import consignment or of obtaining actual release of the first consignment from the canalising agency concerned, as the case may be. The proforma of the bond with Bank guarantee for this purpose is laid down in Appendix II-N. The said bond with bank guarantee will be redeemed only after the fulfilment of the obligation laid down in this para to the satisfaction of the licensing authority/canalising agency concerned.

Port of Registration

71. Every import licence granted under the Import-Export Policy will, unless specified otherwise, be valid for import of the goods through any of the Customs Ports (including Air Customs) in India. No endorsement would be made or is necessary to such effect. Hence, each licence-holder is advised to get his licence registered in accordance with the Customs Act, 1962 and the rules and procedures thereunder, with the appropriate Customs authority of the port through which he intends to effect import.

Subsidiary Licences

72. (1) In order to facilitate the clearance of goods through different sections of the same Customs House, the licensing authorities will consider requests for the issue of subsidiary licences against an existing Actual-User licence. The requests for issue of subsidiary licence can be made only to the licensing Authority concerned who issued the main licence.

(2) Subsidiary licences for clearance of goods at air ports—Requests for issue of Subsidiary licences will also be considered for the clearance of goods through the Customs authorities at the airports.

(3) Applications for subsidiary licences—The following points should be borne in mind by the applicant while applying for subsidiary licences :—

(i) Applications for subsidiary licences should be made sufficiently in advance of the despatch/shipment of goods from the supplying country. A licensing authority may, however, consider an application for the grant of a subsidiary licence after the expiry of the main licence only to enable the licensee to clear goods shipped within the validity period of the main licence.

(ii) The facility of the grant of subsidiary licences will be given only when the value of the original licence is for Rs. 50 lakhs or above. The value of each subsidiary licence as well as the value left over in the main licence shall not be for less than Rs. 10 lakhs.

(iii) Only Customs purpose copies of the subsidiary licence will be issued and the licensing authority, while issuing the subsidiary licence, will endorse the Port of Registration on the same. Under no circumstances Exchange Control copy of the subsidiary licence will be issued.

(iv) Subsidiary licences, where granted, will be subject to face value restrictions or any other conditions applicable to the main licence. It is open to the importers to apply for and obtain separate subsidiary licence specifically valid for the items with face value restrictions upto the permissible limits. These licences showing the value of restricted items permissible against the main or original licence will also be valid for import of non-restricted items.

(v) The applications for subsidiary licences should also be accompanied by Bank receipt/bank draft showing the payment of the prescribed application fees of Rs. 100/- for each subsidiary licence.

(vi) Subsidiary licence will have the same period of validity as the main licence. The revalidation, if any, granted in respect of the main or original licence will also apply to the subsidiary licence. For facility of clearance, the licensing authorities will indicate the period of validity on the subsidiary licence.

(vii) The number and date of the main licence will be endorsed on the subsidiary licence for facility of reference and check.

While issuing a subsidiary licence, the licensing authority will make a suitable endorsement on the main licence (Customs Purpose copy) making it invalid for clearance of goods to the extent of the value/items of the subsidiary licence.

'Split-up' Licences

73. (1) The licensing authority may consider requests for issue of 'Split-up' licence(s) against a main licence, for clearance of goods at different Customs ports. The applicants should make specific requests for issue of 'Split-up' licence(s) at the time of submitting applications for grant of import licences.

(2) Each 'Split-up' licence will have a minimum value of Rs. 25 lakhs.

(3) In the case of Actual Users licences, while issuing 'split-up' licence(s), the licensing authority will endorse the main licence as also each 'split-up' licence, as under :—

"The licensee shall ensure that total import of a 'single item' against the main licence and the 'split-up' licence(s) put together shall not exceed the maximum value limit laid down, and shall subscribe a declaration to this effect on the relevant bill of entry."

(4) In cases where the main licence is valid for import of an item subject to both percentage value limit, as well as the overall maximum value limit, the main licence and also each 'split-up' licence will, apart from the percentage value limit, bear the proportionate specific value limit also, so that 'split-up' licence(s) do not result in the itemwise value exceeding the permissible limits.

(5) In the case of Additional Licences, the licensing authority concerned will ensure at the time of issuing split-up licence(s), that the total entitlement under the facility of flexibility, wherever permitted will be retained on the main licence only.

(6) The facility of split-up licences, as above, will not be available in the case of REP/Special REP licences, DTC and Diamond Imprest licences and licences issued under the Duty Exemption Scheme.

(7) A fee of Rs. 500/- for each 'split-up' licence is payable by way of bank receipt/bank draft.

Replacement Licences

74. (1) Goods imported in replacement of those previously imported which have been found to be defective or otherwise unfit for use, or have been lost or damaged after import, would be allowed to be cleared under Open General Licence No. 4 provided the conditions stipulated under the said OGL are fulfilled. In respect of such replacement imports, the shipment should be made within 24 months from the date of clearance of the previously imported goods through the Customs or within the guarantee period in the case

of machines or parts thereof. Cases, where shipments for replacement have not been made within 24 months will not normally be considered. However, in cases of genuine hardship for reasons beyond the control of the applicants, licensing authority may consider such requests on the merit of each case. In such cases, the applicants should produce the same documents as have been laid down for import under OGL No. 4, and should give reasons for which import could not be made under OGL No. 4.

(2) In cases, where the goods have been found short-shipped, short-landed or lost in transit prior to actual import and are detected as such at the time of clearance through the customs, no fresh licence will be issued to cover the goods, in cases in which the import licence against which import was made is still valid. In such cases, replacement imports in lieu of the goods short-shipped, short-landed or lost in transit can be made on the strength of the certificate issued by the Customs authorities. In cases, where the goods short shipped are certified by the foreign supplier, who has agreed to replace the goods short shipped free of cost, customs clearance Permit will be issued on the basis of certificate from customs about the goods short shipped. In other cases, a fresh licence will be issued by the concerned licensing authority on production of documentary evidence about the goods short-shipped, short-landed or lost in transit as the case may be.

(3) In the cases not covered by sub-para (1) and (2) above licensing authority may consider, on merits applications for issue of replacement licences. Such applications may be made in the form relevant to the category of the applicant concerned.

Duplicate Copies of Import Licences/Customs Clearance Permits/Release Orders

75. Where a Licence (including an Advance/Imprest licence), Customs Clearance Permit or Release Order is lost or misplaced, an application for grant of duplicate copy thereof will be considered only if the licensing authority concerned is satisfied about the bonafides of the request. No duplicate copy of licence will be issued against import licence for import of dry fruits.

76. No duplicate licence will also be granted in respect of freely transferable REP licences and Additional Licences. However, the licensing authority may, in such cases, entertain application for the grant of duplicate licences in cases where the original licence has been lost or misplaced in the Import & Export Trade Control Organisation. Such applications will be decided at a level not below that of a Joint Chief Controller of Imports & Exports; in the case of offices headed by Deputy Chief Controllers, the approval of the Joint Chief Controller in the concerned region will be obtained.

77. Applications for grant of duplicate licences should be made to the licensing authority who issued the original Licence/Release Orders together with declaration about the port at which it had been registered by the licence holder. Such application should be accompanied by Bank Receipt/Demand Draft of Rs. 100/- towards application fee and an affidavit on a stamp paper in the form prescribed in Appendix II-E, duly sworn in before a Judicial Authority or Notary Public or Oath Commissioner.

78. The duplicate copy of the Licence/Release Order will be marked 'Duplicate' (on both the customs and the exchange control copies in the case of import licences) and endorsed by the issuing authority, in block letters as follows :—

"The Licence/Customs Clearance Permit/Release Order has been issued in lieu of Licence/Customs Clearance Permit/Release Order No................ dated............since cancelled to the extent of full value or partly utilised value of Rs...............

79. Intimation about the issue of duplicate copy of the licence will be sent by the licensing authority to the customs authority where the original licence has been registered. In cases, where the licence has been lost before registering with the Customs authority, the intimation will be sent to all the Customs authorities. The order of cancellation of the original licence will be published in the Gazette of India.

Imports Through Air India/Indian Airlines/Indian Vessels

80. (1) Import licences are issued with value on c.i.f. basis. Importers holding (i) REP licence (including Additional licences), (ii) Actual User licences issued for import of raw-materials/components/consumable/spares; and (iii) import licence for Capital Goods/Heavy Electrical Plant, who import their goods against such licences through Air India/Indian Airlines/Indian Vessels, including vessels chartered in full or on "trans-shipment" basis or on "slot" charter basis by Indian Shipping Companies and pay the amount towards freight charge in India in non-convertible Indian rupees will be allowed to import, higher quantity of goods having a value inclusive of insurance charges equal to such freight charges paid. The amount paid towards such freight charges will not be debited to the above to enable the importer to take advantage of the above mentioned facility. The imported goods carried, similarly on chartered basis including "trans-shipment" or "slot" chartered basis by Air India/Indian Airlines will also qualify for the above mentioned benefit.

(2) This facility will be subject to the condition that (i) the imports shall not exceed the overall value of the licence, (ii) the face value restrictions, if any, on individual items in the licence will not be exceeded; and (iii) other conditions governing the import will remain unchanged.

(3) It will not be necessary for licence holders who want to avail of this facility to obtain an endorsement from the licensing authority to this effect. The Customs authorities will allow the import in pursuance of these provisions, if otherwise in order. Similarly, the authorised dealers in foreign exchange will also not debit the amount of air freight in such cases to the c.i.f. value of the licence for the purpose of remittance abroad.

(4) Licence holders who want to avail of this facility should have a clear stipulation in their order and letter of credit (where opened) that the foreign supplier should advise booking offices of Air India/Indian Air-

lines/Indian vessels abroad that the consignment(s) was/were being imported into India under this para and a bold indication to this effect should be made on top of the Airway/Shipping Bill. Such an indication on the bill will enable Air India/Indian Airlines/ Indian Shripping Company to ensure that the consignment was actually carried by their carrier/vessel and not transferred to a partner airline/vessel in any pooling arrangement.

(5) It shall be obligatory on the licence holders to furnish to Air India/Indian Airlines/Indian Shipping Company the particulars of the licence(s) against which the import is made while approaching the Indian Airlines/Shipping Company and not transferred to a partner airlines/vessel. The particulars should be furnished in the proforma of the Intimation Slip given below.

(6) A licence holder under the Duty Exemption Scheme can also avail of this facility only terms of value, provided the quantity limits prescribed in the licence are not exceeded. For the purpose of assessment by Customs authorites, if the CIF value of the licence is not found adequate to cover such imports, the licensing authority concerned may consider the request for enhancement in CIF value, only on CUSTOM PURPOSE COPY of the licence, without corresponding enhancement in the FOB value of export obligation already imposed. The extent of enhancement in the value in such cases, would be restricted to the freight amount paid in Indian Rupees or the shortfall in CIF value certified by Customs authorities, whichever is less. A documentary evidence to this effect and in support of having imported the goods through Air India/Indian Airlines/Indian vessels to the satisfaction of the licensing authority concerned shall have to be produced by the licensee.

INTIMATION SLIP

(1) Name & address of the licence-holder.

(2) Number and date of REP/AU/CG licence against which the import has been made.

(3) C.I.F. value of the REP/AU/CG licence referred to in (2) above.

(4) Value of the import consignment awaiting clearance, out of the value mentioned in (3) above.

Signature of the licence-holder
or his authorised representative

Date————

Payment to Suppliers

81. (1) When goods are to be imported under an Open General Licence, authorised dealers in foreign exchange have been permitted to open letters of credit or make remittances to cover the imports on their being satisfied that the goods ordered are covered by the Open General Licence.

(2) With regard to goods not covered by an Open General Licence, no letters of credit can be opened or remittances of foreign exchange made unless the importer is in possession of a valid import licence with exchange control copy. When applying to an authorised dealer in foreign exchange for remittance of foreign exchange, the licence holder should produce before him the copy of the licence marked 'for exchange control purposes'.

(3) It should be noted that in opening any letter of credit, the date of expiry of the O.G.L. or the valid licence should be kept in view for determining the period for which the letter of credit should be kept open for negotiation.

No Remittances in Advance of the Receipt of the Shipping Documents

82. It may be noted that whereas letter of credit can be opened on the basis of the exchange control copy of the licence in advance of the shipment/despatch of goods, remittances can be made only on receipt of shipping documents. In the case of licences for Capital Goods and Heavy Electrical Plant, however, a part payment may be authorised by the Reserve Bank of India as an earnest money payable to the foreign suppliers.

83. (1) The value shown in an import licence is always the c.i.f. value of the goods to be imported and it includes commission allowed by the supplier/ manufacturer to the importer or agent. The value debitable to an import licence, for Customs purposes will be the c.i.f. value of goods imported as assessed by the Customs authorities. The remmitance against goods covered by the import licence would however, be governed by the Exchange Control Regulations and it will exclude commission, discount like rebates allowed by the foreign suppliers/manufacturers to the importer/agent. Therefore, the licensing authority will specially endorse a condition on the licence to the effect that payment authorised to be made against it shall not cover commission, discount or like rebates allowed by foreign supplier/manufacturer to the importers/agents in India.

Note : The c.i.f. value of the goods also includes stevedoring charges, as it forms a part of the freight and such charges are debitable to the licence.

(2) The c.i.f. value cannot also be used to the full extent if the stores are shipped f.o.b. In such an event, a margin has to be left to cover the cost of insurance and freight to be paid for in rupees. When either the freight or insurance is paid in rupees in India, the amounts will be deducted from the value of the licence by the authorised dealer in foreign exchange.

Provisional Debiting of Import Licences by Customs Houses

84. Import licences are sometimes debited with Loaded values of the imported goods by Customs Houses on a provisional basis. On subsequent verification or on appeal, the quantum of loading is some times reduced after several licensing peariods. Revalidation of a licence on account of reduction in the "loaded value" will not be granted.

Re-import of Goods after Repairs Abroad

85. In case of goods which are not covered by savings (1) (j) of clause 11 of the imports (control) Order, 1955 and OGL No. 4 as given in volume II of this book and which are exported for repairs and subsequent return, and importer should secure an import licence in advance and the goods for repairs should be exported only after obtaining the licence for their re-import from the licensing authority concerned. Where the re-import of articles after repairs involves foreign exchange, the amount to be remitted towards the cost of repairs, freight and insurance be indicated in the applications for licence. However, consumer durables will not be allowed to be sent abroad for repairs.

The above provisions will also apply to items of Indian origin sent abroad for repairs etc. But in such cases a certificate from DGTD would be necessary to the effect that the goods, in question, cannot be repaired in India.

Note : (1) The word "repairs" appearing in the above para should be construed to include re-processing and/or upgradation also. A certificate from DGTD, however, will be necessary to the effect that such re-processing/upgradation can not be carried out in India.

(2) In the case of accredited foreign correspondents, such requests for repairs of professional equipment will be considered on the recommendations of the Press Information Bureau.

Import of Disposal, Second-hand or Re-conditioned goods

86. (1) In terms of the Imports (Control) Order 1955, dated the 7th December, 1955, as amended, it is a condition of every licence that the goods for the import of which the licence is granted shall be new goods, other than disposal goods unless otherwise stated in the licence. Disposal goods, even if new will not be treated as new goods.

(2) Requests for import of disposal or second-hand or reconditioned goods shall not be entertained except with the prior approval of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi. For import of reconditioned second-hand Capital Goods, however, the procedure laid down in Chapter III of this Book will be applicable.

Change in the Name, Constitution or Ownership of Actual User Business

87. Approval of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, is not necessary for effecting a change in the name, constitution or ownership of a licence holder so long as the legal obligations and liabilities of the transferer are fully and individually taken over by the transferee.

88. Where the change of name results in no change in the business/activities or the identity of licence holder i.e. in effect there is no transfer of property involved, the licence holder (in his new name) should apply to the licensing authority which has issued the licence, for necessary amendment of any current licence. Such request should be made through the sponsoring authority.

89. In his first application for a licence made after the date of change, it should be expressly brought out that there has been a change in name without any change in the ownership or constitution of his manufacturing business. If in terms of the import policy in force, such application is required to be made direct to the licensing authority, and not through the sponsoring authority concenrned, the Actual User should produce with his application a certificate of the sponsoring authority to the effect that the registration with the sponsoring authority in the original name has been amended accordingly.

90. Where there is a change in the ownership of constitution (including a change by division) of an Actual User's business, with or without a change in the name of the business, the following provisions will apply :—

(i) If the original owner has had imported machinery or any other imported goods in the industrial unit concerned, he should obtain the prior permission of the sponsoring authority concerned for transfer of the business in favour of the new owner or the reconstituted concern, as the case may be. The intimation about the change should also be sent by the original owner to the licensing authority concerned. In cases where there is a change in the constitution of business by admission or retirement or death of a partner and the reconstituted firm takes over the business as a whole without any change in its name or address, the prior permission of the sponsoring authority will not be necessary. The original firm should only send an intimation about the change to the licensing and the sponsoring authorities concerned.

(ii) In the event of change referred to in (i) above, the original owner should transfer in favour of the new owner or the reconstituted concern, as the case may be, all the machinery and other material imported for use in the unit sought to be transferred.

(iii) Where an import licence had been issued to the original owner, and before the importation of the goods against the said licence, the change in ownership or constitution takes place, the original and the new owner of the business should make a joint application to the licensing authority, which had issued the licence, for permission to transfer the licence in favour of the new owner or the reconstituted concern, as the case may be in terms of the Imports (Control) Order, 1955. The application should be made through the sponsoring authority of the new owner and it should be expressly stated in the application whether the approval of the

sponsoring authority appropriate to the original owner has been obtained in regard to the transfer of business as stated in sub-clause (i) above.

(iv) If there is no unutilised licence in hand at the time of change, the new owner or the reconstituted concern, as the case may be, should in the first application for a licence made after the date of change expressly indicate that there has been a change in the ownership or constitution of the business. If in terms of the Import-Export Policy in force, such applications are required to be made direct to the licensing authority and not through the sponsoring authority concerned, an evidence should, wherever necessary, be produced with the application to the effect that prior approval of the sponsoring authority of the original owner has been obtained in regard to the change in ownership or constitution and new owner has been duly registered with the sponsoring authority concerned.

91. Where an Actual User transfers only a part of the factory or imported machinery or where any other imported materials are proposed to be sold by an Actual User, without selling his business or factory for which the goods in question were imported; or where an Actual User sells his factory/manufacturing business, but the purchaser is not acquiring the imported raw materials, components, consumables or spares belonging to the industrial unit concerned and the Actual User has to sell such materials to another party, such sales will be governed by the procedure otherwise laid down in this Chapter and by Clause 10-C of the Imports (Control) Order, 1955.

92. Application for transfer of licences as above made on the recommendations of the sponsoring authority will be considered by a licensing authority only in cases where the transferee is not debarred or suspended or in abeyance from receiving licences under the Imports (Control) Order, 1955. In the same manner, a sponsoring authority will consider requests for transfer of business only in cases where both the transferor and the transferee are not debarred or suspended or in abeyance from receiving licence under the Imports (Control) Order, 1955.

93. The above provisions will equally apply to import licences issued to Registered Exporters, except in respect of REP licences issued under the Import Policy 1978-79 and onward, if they are freely transferable.

Transfer/L[illegible]ing of Imported Goods

94. (1) [illegible]here an Actual User is unable to utilise the import[illegible] goods for the purpose for which he secured the [illegible]oods or the imported material is surplus to his need[illegible] he may transfer or loan such imported material to another Actual User with the written permission of the sponsoring authority concerned, provided both the buyer and the seller (lender and loanee) actual users are under the jurisdiction of the same sponsoring authority. However, in respect of those firms having more than one unit manufacturing the same product but located in the same or different States within the jurisdiction of the same sponsoring authority, no prior permission is required for transfer of imported goods from one unit to another unit/units owned by them. Intimation to this effect, however, should be sent to the concerned sponsoring authority.

(2) No permission of the Licensing Authority will be necessary for the disposal of surplus/obsolete raw materials, components and consumables imported by an Actual User after a period of five years has lapsed from the date of their import. An intimation should, however, be sent by registered post to the Licensing Authority as well as the sponsoring authority concerned, and also the sponsoring authority of the buyer Actual User within 30 days of the sale.

95. Where the respective sponsoring authorities are different, but the contracting Actual Users are situated in the same State or Union Territory, the (State) Director of Industries may grant the permission in writing for transfer/loan of the imported material and also monitor it thereafter. He will also inform the sponsoring authorities concerned *ex-post-facto*.

96. In other cases, prior written permission of the licensing authority is mandatory. After agreeing upon the terms of the transfer, the two Actual Users *i.e.* the buyer and the seller, should apply through the sponsoring authority of the buyer actual user.

97. The above provisions will be equally applicable to material imported under Open General Licence or obtained from a Canalising Agency.

Transfer of Capital Goods

98. No permission of the licensing authority will be necessary for the transfer of imported Capital Goods, including spares, accessories (or attachment) thereof in favour of actual user only after a period of five years has elapsed from the date of their import. An intimation should, however, be sent by Registered Post to the sponsoring authority as well as the licensing authority concerned within 30 days of the sale. It will be for the buyer to ensure that by purchasing the goods in question he will not exceed the licensed/authorised capacity. Provided that this would not apply to cases where there is a specific condition in the licence in this regard pursuant to bilateral agreement.

Transfer of Moulds

99. Transfer of imported moulds on loan basis to jobbing units can be made by the Actual Users, for getting parts moulded/fabricated for the products manufactured, under intimation to Sponsoring Authority and also the office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

Disposal of Imported Goods by Scheduled Banks

100. No permission is required either of the sponsoring authority or the licensing authority for the transfer of imported goods lying with a Scheduled Bank to a Public Sector agency or a State (Small) industries Development Corporation in a case where

(a) it has cleared the goods from the customs as the joint holder of a licence against which the goods had been imported or (b) the goods imported had been pledged with the bank by the licence holder and the licence holder is not in a position to take over the goods in question, provided the bank has acquired a legal right to the sale.

101. In case the STC/MMTC or any other similar agency is not willing to purchase the imported goods from the bank and the bank has not been able to find out any Actual User willing to purchase such goods, through the sponsoring authority or through suitable advertisement in the newspaper of repute, the bank can approach the concerned licensing authority for permission to auction the goods, provided the licence holder agrees to the sale or the bank has otherwise the legal right to sell the goods under the valid contractual terms.

Disposal of Goods by Public Sector Agencies including State (Small) Industries Development Corporations

102. Wherever a public sector agency had imported the goods on behalf of certain Actual Users and these Actual Users failed to lift the material, it can sell the imported material to another Actual User, without the permission of the licensing authority, but intimation of such sale should be sent to the licensing authority within 30 days from the date of the sale.

Transfer of Goods by Public Sector Industrial Undertakings

103. Industrial undertakings in the public sector may transfer the imported raw material, components, consumables or spares to another eligible Actual User in the public or private sector. The unit which effects the transfer should, within 30 days from the date of such transfer, send by Registered Post, the particulars of such transfer to the sponsoring authority as well as the licensing authority concerned. In cases not covered by the above provisions, prior written permission of the licensing authority is mandatory.

104. However, public sector industrial undertakings may dispose of imported spares to other than actual users provided all possible efforts have been made by them to dispose them of to actual users, subject to the production of a certificate by the Chief Executive of the undertaking to the effect that the project for which those spares, were imported has already been completed and the same are not required or any other work or project for a period of next five years. In such cases, prior approval of the administrative Ministry concerned shall be necessary. The unit which effects the transfer shall inform the particulars of such transfers to the sponsoring and licensing authorities in the manner as laid down in Para 103 above.

105. Cases pertaining to the transfer of capital goods not covered by para 98 above will be governed by the provisions made in paras 94—97 and 100—104 above.

General

106. (1) In all the above cases, the buyer and the seller Actual Users should settle the price of sale of the imported raw materials/Capital Goods etc.

(2) In all cases where the loan/transfer takes place, both the buyer and the seller Actual User should enter the particulars, including the quantity of material so transferred/procured in the registers maintained for receipt and consumption of stock of imported material as prescribed in Appendix VIII-B.

(3) The value of the imported material bought by an Actual User will not be debited to his existing licence if any/normal entitlement.

(4) In the case of loaning/transfer of newsprint, the provisions of the Newsprint (Control) Order shall be applicable.

(5) The provisions made in paras 94—105 above will also apply to imported goods which are damaged in fire or otherwise rendered unfit for use.

Scheme for Imports through Association of Industry/Public Sector Corporations and Export Houses/Trading Houses

107. (1) A Public Sector Corporation, Cooperative Societies, Associations of industry and recognised Export-Houses/Trading Houses will be allowed to provide assistance to small scale units in meeting their import requirements of raw materials, components and consumables. They can obtain consolidated import licences on behalf of such units, for import and distribution of the material to the units concerned, subject to the provisions laid down hereunder :—

(i) Under this scheme, the agency concerned (i.e. an Association, Cooperative Society, Public Sector Corporation, Export House/Trading House) will make consolidated applications in respect of units situated in the same State and engaged in the same industry, requiring substantially the same items of import. Applications will be made to the regional licensing authority under whose jurisdiction the industrial units are situated. Separate applications should be made for units in each State/Union territory.

(ii) In the case of Associations and Cooperative Societies, applications will be entertained only from those which have been recognised by the concerned State Director of Industry for this purpose.

(iii) Application should be made in the form "M" appearing in Appendix II-F. It should be accompanied by a statement giving the particulars of the units concerned, their name and address (including factory address), the number and date of SSI registration, the end-products manufactured, the value applied for item-wise in each case, and the respective aggregate values. There should also be a declaration of each unit concerned to the effect that the material imported shall be used in its own factory as per "Actual User" condition. For sup-

plementary licences, the agency should apply through the sponsoring authority concerned with all the above particulars, except that, instead of the consumption certificate, a note giving the justification for supplementary licence should be given for each unit.

(iv) Application fees payable of such consolidated applications will be calculated in relation to the aggregate value applied for.

(v) Under this scheme, 'new' or 'proposed' units will not be covered.

(vi) Import licences will be issued in the name of the applicant agency concerned, with a list of items allowed for import and the value and/or quantity for each item, the limiting factor being the over-all value of the licence.

(vii) Import licence shall be subject to the condition that the agency shall distribute the imported material to the units concerned, on whose behalf it has obtained the licence, and report the distribution to the licensing authority and the sponsoring authority concerned.

(2) This scheme will also apply for obtaining allotments of canalised items covered by " direct" allotment scheme. For further details, the agencies should contact, the canalising agency concerned.

(3) This scheme will also apply for meeting the requirements of cottage sector units or individual users such as fishermen/farmers etc. through their recoganised Associations or Public Sector Corporations only.

(4) Any licence granted/direct allotment made as above is subject to the condition that the materials so secured shall be distributed by the agency to the Actual Users (Industrial) on whose behalf the application for a licence/direct allotment had been made; in turn, every small scale unit participating in the said licence or allotment, shall individually be subject to the Actual User condition, as if the licence/direct allotment had been granted in its own name and favour.

(5) Applications for grant of licences for import of O.G.L. items shall be considered from All India Associations of industry on the recommendation of the DC(SSI)/Director of Industries. The imported material shall be distributed to the members of the Association subject to Actual User condition. Applications under this provision may be made to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi (Import Policy Cell). Association which wish to avail of the facility under this provision should gift themselves registered with the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

Import Through Agentst

108. (1) The licence holder can appoint another person as his agent for arranging the imports permitted by the licence. The licence should, however, continue to be in the name of the licence-holder and the provisions of the Imports (Control) Order, 1955, in regard to the duties and obligations of the licence-holder or Letter of Authority holder will continue to apply respectively to the persons concerned. Subject to these conditions and legal requirements, it will be open to the licence-holder to decide upon his own form of Letter of Authority. But the functions of the holders of such Letter of Authority shall be limited to place orders, to open Letters of Credit, to make remittance of payment for importing the goods, to arrange movement and to clear the same through the Customs having regard to Section 147 of the Customs Act, 1962, on behalf of the licence and other related matters connected with the operation of the licence in question, but not its ownership.

(2) The facility provided in sub-para (1) above will not be available to Indian agents of foreign machinery/instruments manufactures, in the case of licences issued to such agents for import of spares for stock and sale, under the provisions of the relevant import policy in force.

109. (1) A person effecting imports under an Open General Licence may utilise the service of an agent only for the purpose of placing an order, arranging movement or clearing the goods through customs, but not for effecting remittances or opening letter of credit. The person entitled to the facility of the Open General Licence will be liable to the same legal obligations and penalties arising out of the agent's action or inaction under law, as he himself would be otherwise.

(2) In the following cases, the agents can also open Letters of Credit and make remittances on behalf of eligible importers :—

(i) Agent importing goods for scientific or research laboratories, institutions of higher education and hospitals, recognised by the Central or a State Government.

(ii) Agents importing goods for Government departments, public sector enterprise owned or controlled by Government, Central or State and statutory bodies set up by an Act of Parliament.

(iii) Export Houses/Trading Houses holding valid Export House/Trading House certificates issued by the Chief Controller of Imports & Exports and importing goods on behalf of Actual Users.

(iv) Co-operative Societies or Associations of Actual Users recognised by the concerned State Director of Industries and importing goods on behalf of their members.

(v) Public Sector Undertakings/agencies importing goods on behalf of Actual Users.

(3) In cases covered by sub-para (2) above the imported goods shall be delivered by the concerned Co-operative Society/Association or the agent, to the beneficiary Actual User. An account (in the form of a register) should be kept of all such imports and distribution and it shall be available for inspection by the licensing authorities and sponsoring authorities at all times.

(4) The above arrangement will confer no immunity on the licence-holder, or in any way, absolve him from any of the responsibilities under the Imports (Control) Order, 1955, were the imported goods to be misutilised in any manner or were there to be any violation of the Import Policy (in regard to utilisation of the connected licence) made by such an agent.

(5) All requests for amendment or revalidattion of a licence shall be made by the licence-holder only; it will also be his responsibility to produce the licence before the licensing authority for getting such amendment or revalidation effected. This function cannot be performed by the agent.

Associate Concerns

110. For the purpose of Imports & Exports Policy and procedure, the following will be the criteria for determining whether any two concerns are associates :—

(i) The two concerns are assessed to Income-tax jointly or have common ownership; or

(ii) The two concerns are assessed to Income-tax separately and have no common ownership; but

(a) a partner in one of the concerns having a major share therein is the proprietor of the other; or

(b) a partner or set of partners in one of the concerns has/have a major share in the other; or

(iii) One of the concerns is a limited company and a director of the limited company has interest in the other concern as proprietor; or

(iv) One of the concerns is a consultant to or a contractor of the other; or

(v) the concerns are limited companies with substantially common Boards of Directors or with registered offices located at the same premises.

Role and Responsibility of Chartered/Cost Accountants, Chartered Engineers and Company Secretaries

111. (1) Chartered/Cost Accountants, Chartered Engineers and Company Secretaries have been entrusted with responsible functions under the Import Policy in various regards. It is expected of them that they will exercise due care and diligence in furnishing such certificates to the applicants concerned. It is on their responsible discharge of the functions so set down that the success of the liberalised procedure depends. Failure on their part to do so and furnishing of incorrect or an improper certificate will render them liable to penal action under law apart from the action that may be taken under the penal provisions of Import-Export control regulations. This will equally apply to all other persons to whom similar responsibility has been entrusted under the Import Policy.

(2) The import-export policy contains various provisions according to which consumption/export statements etc., to be furnished by importers or those applying for the Export House Certificate or Trading House Certificate or Export Performance Certificate have to get their performance certified by a Chartered Accountant or Chartered Engineer or Cost Accountant or Company Secretary in practice, who is not a partner or proprietor or a director or an employee of the concerned firm or company or its associates.

(3) Before issuing any certificate in favour of the applicant concerned, the Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary/Chartered Engineer should satisfy himself about the correctness of the following :—

(i) the existance of the applicant firm at given address;

(ii) residential address/credibility with the Bank of the owners/partners/Directors of the applicant firm;

(iii) The manufacturing/trading activities being undertaken by the applicant firm.

Refusal of Licence/Release Order

112. (1) A licensing authority may refuse to grant a licence/release order :—

(a) if the application does not conform to any provision of the Imports (Control) Order, 1955 dated the 7th December, 1955, as amended;

(b) if such application contains any false or fraudulent or misleading statement;

(c) if the applicant uses in support of the application any document which is false or fabricated or which has been tampered with;

(d) if the application for the licence/release order is defective or incomplete and does not conform to the prescribed rules and procedure;

(e) if the applicant is not eligible to the grant of licence/release order in accordance with the relevant Import Trade Control Policy and procedure in force;

(f) if the applicant fails to produce any document that is called for by the licensing authority;

(g) if the applicant has failed to make up a deficiency in his application within the time limit indicated by the licensing authority;

(h) If the applicant has used any unfair means in obtaining a licence/release order;

(i) If the item is available indigenously; and

(j) any other reason to be recorded in writing.

(2) A licensing authority will also refuse to grant a licence under the provisions of clause 6 of the Imports (Control) Order, 1955 dated the 7th December, 1955, as amended.

UNAUTHORISED IMPORTS

Imports not covered by Licences

113. If any article, requiring a licence (including Customs Clearance Permit), is imported or sought to be cleared without a valid licence, the importer/owner of the goods will be liable to appropriate action under the provisions of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and the Orders issued thereunder without prejudice to any action that may be taken in this behalf under the Customs Act, 1962.

114. As in the matters relating to import-export policy and procedure the interpretation given by the Chief Controller of Imports & Exports is final. In case of doubt regarding these matters, the customs authorities should consult the Import Trade Control authorities before clearance of the goods.

Joint Committee

115. In order to help the importers in case of genuine difficulties a Joint Committee of the Licensing and the Customs authorities has been set up at each port. The Committee meets regularly and deals with both pre and post-importation enquiries and difficulties of importers.

Requests for amendment to be made before Shipment

116. If the importer finds any discrepancy in a licence, he should immediately apply to the licensing authority concerned for an amendment in the licence. The request for such an amendment should in any case be made before the goods have been shipped/despatched from the supplying country so that if, for any reason the change or amendment is not permitted, the importer may be able to advise his suppliers to make the necessary adjustment. In seeking any amendment or revalidation of a licence, it should clearly be pointed out by the applicant whether or not shipment/despatch of goods covered thereby has already been made, either wholly or partly. Any misleading or wrong statement in this behalf will render the licensee/importer liable to action under the Import Trade Control rules and regulations.

117. The requests, if any, for amendment of a licence made after the shipment/despatch of the goods from the supplying country are liable to be summarily rejected by the I.T.C. auhtorities.

Penalty for Unauthorised Imports

118. The fine/penalty imposed in respect of unauthorised imports is likely to be heavy and may lead to even confiscation of the goods or prosecution of the importer/owner of the goods. In special circumstances the importer/owner of the goods may be allowed to re-ship goods, but in such cases also, the importer/owner of the goods will be liable to pay fine/penalty etc. Therefore, the importers should, in their own interest, ensure that what is being imported by them into the country, is in strict conformity with the licence description in every respect and that the consignment is neither in excess of the licensed value or quantity limitations nor different in any way from what is authorised to be imported. Similar precautions should be taken in respect of import under O.G.L.

Clearance of Goods when the Importer is unable to Produce the Licence

119. In case where an importer claims to have a valid import licence to cover the goods imported by him but is unable to produce the licence to the Collector of Customs at a particular port owing to simultaneous arrival of the goods covered by the licence at different ports, or for any other reason the Collector of Customs may, if he is satisfied with the plea put forward by importer permit clearance of the goods in so far as Import Trade Control Regulations are concerned on the importer executing a bond or a letter of guarantee in form given in Appendix II-H. It is as the discretion of the Collector of Customs either to accept the bond or the letter of guarantee from the importer, for the production of the import licence for the goods at a later date.

Cancellation of Release Order

120. The licensing authority may cancel a Release Order issued for allotment of imported goods or otherwise render it ineffective on the same grounds as are applicable to cancellation of an import licence. Before taking action to cancel the Release Order, a reasonable opportunity of being heard in the matter will be given to the Release Order holder.

Containers Use

121. In order to enable the country to effect import at economic cost, the licence holders or persons eligible to effect imports under Open General Licence may bulk their imports originating from the same source/port of shipment, in containers.

Import of Pesticides

122. Any person importing pesticides under O.G.L. or a licence, against payment or as free sample, or otherwise should inform the Plant Protection Adviser to the Government of India, Faridabad, giving the particulars of the import made. The Proforma in which intimation should be sent is given in Appendix II-J.

Clarification on Import/Export Policy and Procedures

123. Attention is specially invited to the provisions of Chapter II of the Import and Export Policy, 1990—93. Persons who wish to have any guidance in regard to the Import and Export Policy and the connected procedures can approach Public Relation Officers in the Regional Offices. If they are not satisfied with the information given by the Public Relation Officer, they would be given an opportunity of meeting the Head of the Office. Clarifications of any provision in the Import Policy and Procedure or any item-wise entry may be obtained from the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi. Requests in all cases of clarifications may be made duly accompanied by complete details in the proforma prescribed in Appendix II-K of this Book in triplicate. While seeking clarification on Item-wise import policy, pertinent information, technical specifications as well as literature should also be furnished.

Suggestions for change in Policy

124. Suggestions for change in the Import and Export Policy may be forwarded to the CCI&E, New Delhi, in the prescribed form given in Appendix II-L. Such suggestions may be submitted, in triplicate.

Public Relations

125. Public Relation Officers have been posted at the headquarters and the regional offices of the Chief Controller of Imports and Exports. In smaller offices, the head of the office will himself perform this function.

Counter Assistance System

126. For speedly disposal of applications for licences, the "Counter Assistance System" has been introduced in the licensing offices. Under this system, officers not below the rank of a Controller will be available at the counter in each licensing office to undertake a quick scrutiny of the application for a licence before it is formally filed. Applicants can, therefore, approach such officers at the counter and show their applications to them, duly filled in. The officer concerned will go through the application and point out to the applicant if there are any deficiencies in it. This sort of prior scrutiny of the application will undoubtedly help the applicants, thus minimising considerably further correspondence and delay in disposal.

127. Counter system can also be availed of for amendment of a minor nature, which does not require detailed examination such as request for correction of typographical mistake, correction in the list of goods, affixing security seal on the licence or on the list of goods or the signature of the licensing authority below any condition imposed on the licence or on the list of goods attached to the licence. Applications in such cases will be received at the "Counter" against a proper receipt and the applicant will be given a definite date for collecting back the licence, on surrender of the said receipt.

Identity Cards

128. To facilitate collection of Import Licences/other documents. Identity Cards will be issued to the Chairman/Managing Director, Director, Partner or authorised employee of the applicant firms. The Identity Card will be issued for a period of three licensing years. After the expiry of the existing validity of an Identity Card, a fresh Identity Card will be issued on receipt of an application and surrender of the expired Identity Card in original. Application alongwith three Passport Size Photographs and a fee of Rs. 100/- and also the expired Identity Card in original may be made in the format as Provided in Appendix II-Q in this book, duly sponsored by the applicant firm. The documents/Import Licence(s) will be delivered to the holders of the Identity Card on thte entire responsibility and risk of the Company/firm, which he represents. In case of loss of Identity Card, a duplicate Card will be issued on payment of a fee of Rs. 50/-.

Checks on Delays

129. (1) Every effort is made to avoid delay in the disposal of applicants for licences or correspondence. Cases of inordinate delays may be brought to the notice of Public Relation Officer.

(2) For expeditious processing of import applications, a system of "time-bound" disposal exists in the regional licensing offices.

Grievance Cell Committees

130. (1) For speedy redressal of grievances of trade and industry a Grievance Cell has been set up in the Headquarters office of the Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhavan, New Delhi. For this purpose, Grievance Committee has been set up with the Chief Controller of Imports and Exports, as chairman. Similarly, Grievance Committee have been constituted at Regional Licensing Offices headed by the Heads of the Offices as chairman. One nominee of Federation of Indian Exporters Organisation will represent the trade in such Committees. The representatives/Officials of the concerned Export Promotion Council may be allowed to attend as invitees whenever a grievance from an exporter relating to export products concerning a particular Export Promotion Council is discussed in the Grievence Committee. The representations/complaints received from the trade and industry shall be considered by the Grievence Cell/Committee to remove the grievances. The meetings of the Committee will be held regularly on a particular day of the month which will be notified for each Committee by the concerned offices of CCI&E. The proforma for submission of representation of grievance is given in Appendix-II-G.

(2) Complaints regarding delay addressed to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi/Regional Joint Chief Controllers of Imports & Exports, should be specifically marked Complaints against delay at the top of the communication containing the complaint. In order to facilitate timely action on such complaints, the applicants are advised to send their complaints in duplicate.

Enquiry Slip

131. Where an applicant does not receive a reply to his application within a period of 15 days from the date of its submission (10 days in cases of amendment/revalidation) and the applicant desires to find out the position of his case, he may fill up the enquiry slip form, given in Appendix II-M, and hand it over to the enquiry counter in the concerned licensing office. The Public Relation Officer/Enquiry Officer will intimate the date and time to the applicant for obtaining the relevant information. He should call at the office on the given date and time to collect the information.

Interviews

132. Ordinarily all matters should be settled by correspondence but the applicant may also avail of the facility of enquiry slip for ascertaining the position of his case. However, in cases, were an applicant considers it necessary to discuss in person with the Licensing Officer, after not being satisfied with the information given in the enquiry slip or regarding an appeal, he may book an interview with the officer concerned. Requests for interviews will, in suitable cases/situations, be entertained even where the appli-

cant has not made use of the facility available in para 131 above.

133. (1) Interview with the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi and the heads of regional licensing offices should be arranged through their private secretaries.

(2) Interviews with other officers should generally be booked through the Enquiry Officers attached to each licensing office. The applicant should give the purpose of interview and the particulars of his case in the prescribed proforma vide Appendix II-M. The proforma need not be filled in for interview with Public Relation Officers. Applicants, particularly from outstation may be granted interview on the same day on request giving the particulars of the case without filling in the prescribed proforma.

(3) Officers of the rank of Jt. C.C.I.&E. or above in the office of Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi may allow interviews in urgent cases without the applicant having to fill in the proforma in Appendix-II-M.

134. Except where otherwise authorised, interviews will be granted only by officers of the rank of Assistant Chief Controller of Imports and Exports or above. It should be noted that the persons desiring to book an interview should be proprietor/partner/director of the applicant firm or company, or a person in its regular employment or a person duly authorised by the applicant firm by a written letter of authority which should be produced before the enquiry officer and the interviewing officers at the time of booking/seeking interview. The person seeking interview should comply with all the instructions concerning such interviews displayed on the notice boards in all the licensing offices or otherwise published. Entry into the rooms occupied by the clerical establishments or personal contact with the staff of the Import Trade Control Organisation is, however, strictly prohibited.

135. A licensing authority may, at its discretion refuse interview to a person not being the proprietor/partner/director of the applicant firm or company or in its regular employment even though he may be holding a letter of authority from the applicant firm.

APPEAL, REVISION AND REVIEW

Appeal and Revision Under the Provisions of the Act/Order(s)

136. In cases where a decision or order has been made under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 or the Imports (Control) Order, 1955, an appeal/revision shall lie in accordance with the provisions contained in the Act and the Order.

137. (1) In exercise of the powers conferred by Sub-section (b) of Section 4K of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, as amended, the Central Government vide Notification No. 1/84 dated the 21st November, 1984 in exercise of the powers has authorised the following officers to adjudge confiscation or impose penalty, subject to the limits specified :—

	Value of the imported goods in relation to which the powers may be exercised.
Deputy Chief Controller of Imports & Exports	Upto Rs. One lakh
Joint Chief Controller of Imports & Exports	Upto Rs. Five lakhs
Chief Controller of Imports & Exports/ Additional Chief Controller of Imports and Exports.	No limit.

(2) In terms of the provisions made under Section 4 M of the Imports and Exports (Control) Act 1947 where the original order has been passed :—

(a) by a Deputy Chief Controller/Joint Chief Controller, then the appeal shall lie with the Chief Controller of Imports and Exports/Addl. Chief Controller of Imports and Exports. The second appeal shall be with the Appellate Committee consisting of Secretary, two Joint Secretaries and Chief Vigilance Officer in the Ministry of Commerce.

(b) by the Chief Controller of Imports and Exports/Additional Chief Controller of Imports and Exports, then the appeal shall lie with the Appellate Committee referred to in sub-para (a) above. Appeals to the Appellate Committee may be addressed to the Appellate Committee Cell, Ministry of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi.

138. Where a combined order under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order, 1955 has been passed by a Deputy Chief Controller of Imports and Exports, the first appeal shall lie with the CCI&E/Addl. CCI&E and the second appeal shall lie with the Appellate Committee referred to above.

139. (1) In exercise of the power conferred by sub-clause (2) of clause 10 of the Imports (Control) order 1955, the Central Government has vide its notification dated 27-3-1985 constituted the authorities for the purpose of hearing appeals against the action taken under clauses 8(1), 8A or 9(1) of the Imports (Control) order, 1955 :

(a) where the order is passed by a Deputy Chief Controller of Imports and Exports outside the Headquarters, the first appeal shall be decided by the respective regional Joint Chief Controllers of Imports and Exports. The second appeal shall lie with the Addl. Chief Controller of Imports and Exports.

(b) Where the order has been passed by a Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Headquarters, the first appeal shall lie with the Joint Chief Controllers of Imports and Exports (Enforcement-cum-Adjudication) at the Headquarters. The Second appeal shall lie with the Addl. Chief Controller of Imports & Exports.

(c) Where the order has been passed by a Joint Chief Controller of Imports and Exports either in the regional offices or at Headquarters office of CCI&E, the first appeal shall lie with the CCI&E/Addl. CCI&E. The second appeal shall lie with the Appellate Authority in the Government.

(d) Where the order has been passed by CCI&E/Addl. CCI&E, the first appeal shall lie with the Appellate Committee in the Ministry of Commerce.

(2) However, the CCI&E may designate, from time to time, appellate authorities for deciding specific types of cases.

(3) Notwithstanding the provisions contained in the sub-para (1) above, the appellant shall be allowed not more than two stage of appeal.

(4) The appeal made under the provisions of the Act and the order(s) made thereunder should be accompanied by a proforma giving the following information :—

(a) Authority against whose decision appeal is preferred;

(b) A copy of the order appealed against;

(c) Whether the appeal is against debarment or suspension from receiving licences (in the case of debarment, the periods for which appellant has been debarred from obtaining licences may also be indicated); and

(d) The grounds of appeal (in brief).

(5) A copy of the appeal should invariably be sent by the appellant to the authority against whose decision the appeal is made.

Other Appeals

140. (1) Where a person is not satisfied with the decision of a licensing authority/appellate authority, he may prefer an appeal against the said decision in accordance with the provisions hereinafter stated. Requests/representations made to the office of the Chief Controller of Imports & Exports outside the scope of these provisions are liable to be summarily rejected.

(2) Appeal will be entertained in the following types of cases :—

(a) in respect of an application for import licence;

(b) in cases relating to enforcement of legal agreements/bank guarantees executed by importers for the fulfilment of export obligations or any other condition applicable to an import licence.

(c) The procedures hereinafter contained will also apply—*Mutatis mutandis*— to cases in which an exporter being aggrieved with a decision taken on his application seeks to prefer an appeal.

First Appeal

141. (a) Where the original decision has been taken by the Asstt. CCI&E or Dy. CCI&E, the first appeal will lie with the Jt. CCI&E exercising administrative control over the said licensing office;

(b) Where the original decision has been taken by the Jt. CCI&E, the first appeal will lie with the Committee of two Jt. CCI&Es or officers of higher rank appointed for the purpose by the CCI&E in his Headquarters office.

Second Appeal

142. If the appellant is not satisfied with the decision of the Appellate Authority on his first appeal, he may prefer a second appeal to the Additional CCI&E or an officer of equivalent rank appointed for the purpose by the CCI&E in his Headquarters Office.

Time Limit for filing

143. (1) An appeal should be filed with the authority concerned within 45 days from the date of receipt of the order/decision appealed against. However, the appellate authority may condone delay not exceeding 45 days in submission of the appeal if it is satisfied that the same could not be filed within the stipulated period for adequate reasons.

(2) While communicating the decision the licensing authority appellate authority shall indicate the authority to whom appeal review may be preferred by the aggrieved person.

Opportunity for Personal Hearing

144. If an appellant or a petitioner desires to be heard in person in connection with the appeal application, filed by him, and he has filed a statement or has made specific mention as such in his appeal, an opportunity for personal hearing may be afforded to him. However, if the appellant/petitioner does not avail of the opportunity given to him, the appeal shall be decided on merits on the basis of the material available on record.

Documents tto accompany Appeal

145. (1) The following documents and particulars should be submitted with the appeal in duplicate :—

(i) Name and address of the appellant,

(ii) Category of importer/exporter;

(iii) Licensing period to which application pertained;

(iv) Brief description of goods to be imported;

(v) Copy of the original application and other documents furnished with it;

(vi) A copy of the decision/order appealed against;

(vii) Grounds of appeal;

(viii) Any other documents/evidence on which appellant relies; and

(ix) Statement whether the appellant desires to be heard in person.

(2) In the case of first appeal and second appeal, a bank receipt/demand draft of Rs. 100/- and Rs. 200/- respectively towards payment of fees, should also be furnished.

(3) All appeals should clearly indicate at the top, whether it is first appeal or second appeal and the category of the applicant concerned.

Appeal against the decision of Screening Committee

146. Appeal in the prescribed manner against the decision of the Screening Committee in the licensing office or at Headquarters Office of the Chief Controller of Imports and Exports, shall lie to the Screening Committee in Headquarters Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi which shall give an opportunity of personal hearing, if so desired by the aggrieved party, and pass an order on the appeal.

Representation against Licensing Committee Decisions

147. The above-mentioned appeal procedure will not be applicable in respect of cases decided by the respective licensing committees, namely C.G. Committee, Advance Licensing Committee, Supplementary Licensing Committee, etc. However, representations against the decisions of the regional licensing committees can be made to the respective Committees at Headquarters Office of the Chief Controller of Imports & Exports. Representation against the decision of Headquarters Licensing Committee can be made to Chief Controller of Imports and Exports. No such representation will be entertained after the expiry of the licensing year in which the decision in question is taken by a licensing committee.

Appeal against Refusal or Cancellation of Export House/Trading House Certificate

148. (1) Appeal against a decision rejecting an application for the grant or renewal or cancellation of the Export House Certificate/Trading House Certificate under the Import Policy for Registered Exporters will lie to the Export House/Trading House Committee in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports (EP.III).

(2) The procedures in paras 143 and 144 above will also be applicable here.

Appeal Relating to Registration/De-registration of Exporters

149. (1) Where an exporter is not satisfied with the decision of a Registering Authority listed in Appendix XV-A, refusing to register him or de-register him, he may prefer an appeal to the Export Commissioner in the Office of Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

(2) Any person aggrieved by the decision of the appellate authority taken under sub-para (1) above, may make an appeal to the Addl. Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

(3) The procedures in paras 143 and 144 above will also be applicable here.

(4) On consideration of appeal representation in terms of sub-paras (1) and (2) above, if it is so decided, the appellate authority may either himself register the exporter, or restore registration or he may direct the registering authority to re-register such exporter or restore his resgistration. The re-registration or restoration of registration in such cases will be subject to such condition(s) as may be decided.

General Power of Review

150. The Chief Controller of Imports & Exports may also on his own motion or otherwise call for the records of any case pending with or decided by an officer subordinate to him, including any officer or, group/Committee of officers nominated, appointed or authorised by him under any of the provisions of this Chapter and pass such orders as he may consider fit and just.

CHAPTER III

CAPITAL GOODS

Procedure

151. Applications for import of Capital Goods should be made in the Form laid down in Appendix III-A or Appendix III-B, as may be applicable together with six additional copies of applications and seven copies of the list of Capital Goods along with the Bank Receipt/Demand Draft towards the payment of the application fee. Besides giving the country/countries of origin, the following information should accompany the application :—

(a) Detailed list of Capital Goods with a break-up of the individual c.i.f. value of each major items.

(b) The attested or photostat copy of the proforma invoice(s), in quadruplicate, of the foreign supplier(s), separately showing the amount(s), on account of (i) freight, and (ii) insurance included in the c.i.f. value(s) quoted (in the currency of the country of import of the Capital Goods, applied for); or alternative source of import; and

(c) Manufacturer's illustrated pamphlet(s) (These should be procured and furnished as far as possible to expedite disposal of applications).

152. Where the applicant proposes to seek a foreign exchange loan from an approved financial institution for meeting the cost of the Capital Goods, this should be specifically mentioned in the application. Such applicants are expected to apply to the financial institution within 6 months of the receipt of the Letter of Intent.

Submission of applications

153. (1) Applications for imports of Capital Goods other than instruments may be made in the following manner.

(i) (a) Where the c.i.f. value is upto Rs. 40 lakhs, it should be made through the concerned sponsoring authority to the regional licensing

authority within the area of whose jurisdiction the beneficiary factory or institution is located, except where otherwise provided in this Chapter.

(b) Applications for import of instruments as C.G. which are not appearing in Appendix 8 or elsewhere of the Import & Export Policy (Vol.I) 1990—93 will be considered by the Regional Licensing Authorities upto a value of Rs. one lakh. Applications for a higher value will be considered by the CCI&E, New Delhi.

(ii) Where the c.i.f. value is above Rs. 40 lakhs and upto Rs. 1.5 crores, the application should be made through the concerned sponsoring authority to the Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhawan, New Delhi.

(iii) Where the c.i.f. value is more than Rs. 1.5 crores, the application should be made to the Secretariat for Industrial Approvals, Department of Industrial Development, New Delhi. A copy of the application should be sent by the applicant simultaneously to the sponsoring authority concerned who will expeditiously forward his recommendation to the Secretariat for Industrial Approvals (Copies of such applications need not be endorsed to the Chief Controller of Imports & Exports).

(iv) The three tier system mentioned in the above para will not be applicable in respect of cases where a separate procedure has been laid down in the Import Policy/Hand Book.

(v) The above provisions will apply to all public sector enterprises, except to the extent of paras 171 and 172 of this Hand Book.

(2) Applications from the existing Industrial units for import of machinery of a value not exceeding Rs. 5.0 (five) lakhs (cif) may be considered by the regional licensing authorities concerned without the recommendations of the sponsoring authority. Such applications can be sent direct to the licensing authority concerned. These will, however, be subject to indigenous clearance being obtained. The new/proposed Industrial Units will, however, be required to send their applications for import of machinery of a value not exceedings Rs. 5.0 (five) lakhs (cif) through their sponsoring authority concerned.

154. (1) An existing unit applying for import of machinery for replacement, balancing, modernisation or for normal operations can make more than one application in one licensing year as and when the need arises. In the case of major projects under construction, and in order to meet an emergency situation like breakdown or in response to a specific foreign credit, more than one application made will also be considered in one licensing year depending upon the actual need.

(2) In cases where an industrial unit is engaged in the manufacture of more than one end-product having separate industrial licence or registration for each such end-product, the normal procedure of applying more than once in one licensing year will be applicable to the machinery required for each end-product.

(3) Newspaper establishments can also make more than one application in a licensing year depending upon the actual need.

155. (1) In cases where electronic items, but excluding telecommunication equipment covered by para 6(17) of import policy, exceeding a c.i.f. value of Rs. 25 lakhs are sought to be imported, prior clearance of the Deptt. of Electronics, New Delhi shall be necessary. For telecommunication equipment covered under para 6(17) of import policy, prior clearance of Deptt. of Telecommunications (Telecommunication Commission) will be essential if the value of such imports exceeds Rs. 25 lakhs. Applicants are, therefore, advised that while submitting applications to the licensing authorities concerned they should simultaneously send a copy of their application to the Department of Electronics or to the Department of Telecommunications (Telecommunication Commission), as the case may be, giving full particulars of the above electronic items/ telecommunication equipment.

(2) Where Capital Goods to be imported for paper, sugar, steel, aluminium and cement industry and also for Power Generation, Transmission and Distribution, Refineries and Petro-chemicals, Fertilizers including gas based fertilizers, Chemicals, Drugs and Pharmaceuticals industries include control and industrial electronic equipment/Sub-system, a specific clearance of the Deptt. of Electronics (in consultation with DGTD) would also be necessary before allowing import.

156. Copies of all C.G. applications should be sent by the applicant simultaneously to the DGTD even where the DTD is not the sponsoring authority for giving indigenous clearance, DGTD will give indigenous clearance in the meeting of the C.G. Committee concerned.

Import of Capital Goods by Actual Users (Industrial) General

157. An application by an Actual User (Industrial) for Capital Goods for the manufacture of items covered by the Industries (Development and Regulation) Act, 151 will be entertained only after the Letter of Intent has been issued by the Ministry of Industry, New Delhi. The import licence for Capital Goods may also be issued, if otherwise admissible, in anticipation of the conversion of Letter of Intent into an Industrial Licence.

158. In the case of undertakings exempt from the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, applications will be entertained with a declaration only from the applicant to that effect, quoting the number and date of the Government Notification in support of such exemption.

159. Every application shall be accompanied by a photostat copy of Industrial Licence, Letter of Intent or Registration Certificate as appropriate.

160. Where the Letter of Intent or the Industrial Licence stipulates that no import of plant and machinery shall be allowed, applications for import of machinery for modernisation, replacement, safety-testing, pollution control and quality control equipment only may be considered in accordance with the

policy in force in this regard, provided the import of such equipment does not add to licensed/approved capacity.

161. In case where the import of Capital Goods is arranged under foreign collaboration, the application should be accompanied by a photostat copy of the relevant Government approval, the text thereof and citing the particular clause under which the import is sought to be made.

162. Import of Capital Goods appearing in Appendix 1, Part-B of Import & Export Policy, 1990—93, will be allowed to Actual Users under Open General Licence, subject to the conditions prescribed therein. The Actual Users should furnish periodical returns, as provided in the Import-Export Policy 1990—93 (Vol. 1) to the Director of Statistics, Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, as given in Appendix III-F of this book.

163. (1) Subject to the provisions made in the relevant Import & Export Policy and in this Chapter, applications for import of Capital Goods would be considered on the basis of the essentiality for import certified by the sponsoring authority concerned, the clearance from indigenous angle given by the DGTD or other technical authority concerned and availability of foreign exchange resources to finance the import. In the case of import of machinery by the units, whose tender has been accepted by the project authority under the procedure of international competitive bidding, import licence will be issued for the items of machinery listed in the aceepted tender provided such list is duly attested by DGTD.

(2) All licences issued for import of Capital Goods/Heavy Electrical Plant shall be subject to Actual User condition. The licence will indicate both value and quantity of goods as limiting factors.

Advertisement Procedures

164. (1) Except where a waiver from advertisement procedure has been granted by Secretary (Technical Development) & DGTD, the intending importer of capital goods valued at more than Rs. 40 lakhs should advertise his requirement in the manner given below, so as to enable interested indigenous manufactures to respond thereto first. The advertisement procedure will also be followed for import of second hand machinery which are not on OGL and where the value of second hand machinery proposed to be imported is more than Rs. 10 (ten) lakhs. In this case the advertisement shall be for a comparable new machinery. The advertisement shall give, *inter alia* sufficient details of the specifications, make, model and/or other particulars of the Capital Goods concerned, the desired period of delivery and any other material factor which the applicant would like to mention. It should state whether the connected drawings are already available or could be provided (only the main item should be advertised i.e. excluding accessories, spares, toolings, etc.).

(2) Where Capital Goods to be imported incorporate DC drives, programmable logic control systems, instrumentation systems, electonics weighing systems ete. full specifications of these items should be stated in the advertisement, so that a meaningful response could be obtained from the indigenous manufacturers, such items will not be allowed for import with ineomplete specifications or under general description as part of the main mechanical plant.

(3) The projects, while negotiating for procurement of equipment from abroad should at initial stage itself obtain process parameters of various sub-systems and also get assurance from their collaborators/foreign suppliers to integrate the sub-systems which can be procured indigenously. While advertising their requirement the projects should indicate complete specifications/process parameters of various sub-systems of the plant/equipment proposed to be imported by them.

165. The advertisement should be published either in the (i) Indian Trade Journal or (ii) Indian Export Bulletin. All correspondence in respect of the first (as a display advertisement) shall be addressed to the General Manager, Government of India Press, Santragachi Howrah Simultaneously, a copy of the advertisement material may be sent to the Depot Incharge, Government of India Book Depot, No 8, K S Roy Road, Calcutta-1. In the case of the second journal, the Managing Director, Trade Fair Authority of India, Administration Building, Lal Bahadur Shastri Marg, New Delhi, should be addressed. The advertisement can also be published in the journal brought out by the Confederation of Engineering Industry. The correspondence should be addressed to the Editor, Confederation of Engineering Industry, 23 26 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003.

166 The period of 45 days from the date of publication of the advertisement shall be available to the (Indenting) applicant. The indigenous manufacturers while sending offer should clearly indicate the Sl. No., Date and Name of the Journal of the concerned advertisement. The original offer should be sent to the advertiser directly and copy should be sent to (a) Directorate General of Technical Development, Coordination Section, Udyog Bhavan, New Delhi and (b) Sponsoring Dte. of DGTD/other Sponsoring authorities concerned: all by registered A/D within the prescribed time limit. The adveriser (Indenting applicant should clearly mention name of the sponsoring Dte. in DGTD other sponsoring authorities in the advertisement The proposal should give detailed specifications and sufficient other particulars of the items which the indigenous manufacturers are in a position to supply, the period of delivery that can be assured, prices and other material information. Other actual users having C. G. surplus to their own requirements may also send their proposal like-wise.

167. The failure to adhere to the limit set above will disqualify an indigenous manufacturer/Actual Users from further consideration/representation.

168 After a period of 45 days from the date of advertisement has elapsed, the intendig importer may apply to the licensing authority concerned for a licence to import the Capital Goods in question (The procedure of advertisement should be repeated unless it is specially exempted in his favour by the Secretary, Department of Technical Development, if such

application is not made within twelve months of that date.). The import application should state the serial number and date of publications of the advertisement, offers received and their individual appreciation by the applicant. Reasons for rejection should be given clearly. Two photostat copies of the advertisement should also accompany the application.

169. The advertisement procedure will however, not apply to Cinematographic equipment, computer systems and their spares, proto-types, import of equipment by approved hotels within 10% of foreign exchange earnings. Capital Goods required by any Research and Development Laboratory, other scientific and research institution, any institution of higher education or a hospital that is recognised by the Central or State Government as well as to the special schemes applicable to Indians returning from/residing abroad.

Project Approval Board

170 Composite proposals, that is to say, those having more than one approval, including import of Capital Goods will be considered by the Project Approval Board in the Secretariat for Industrial Approvals. The application in such cases should be made to the Secretariat for Industrial Approvals (Coordination Section), Ministry of Industry.

171. (1) Investment in public sector enterprises (related to the setting up of a new project or substantial expansion) upto Rs. 5 crores will also require the approval of the Project Approval Board to Industrial licence, foreign collaboration terms, if any, and Capital Goods import. Such applications should be made to that Secretariat first.

(2) For all new projects under implementation in the public sector, the import applications for Capital Goods even up to Rs. 40 lakhs in value should be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, and not to the regional licensing authority concerned, provided foreign exchange to cover the import has been released by Government in favour of the project. The project authority should also take indigenous clearance from the DGTD for the items sought to be imported.

172. If such investment exceeds Rs. 5 crores (other than those for which special procedure has been prescribed), the application should be submitted to the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry only through the administrative Ministry concerned.

173. Composite proposals relating to Fertilizer Projects may, however, be submitted to the Empowered Committee on Fertiliser Projects, Department of Fertilisers, Ministry of Agriculture.

Heavy Electrical Plant

174. Applications for import of heavy electrical plant and machinery, including cognate equipment and materials essential for power plants (generation or transformation of electric power), should be made in the prescribed C G form through the Central Electricity Authority, New Delhi, to licensing authority concerned as in para 153 above. In the case of C. G. requirements of State Eelectricity Board/Undertakings/Projects, the applications should also be accompanied by a declaration from the State Electricity Board/Undertaking/Project that foreign Exchange has been allocated for the purpose. In such cases indigenous clearance will be obtained by the Central Electricity Authority from D. G .T. D. either in respect of individual applications or as package clearance for items generally required by this sector.

175. Normally, applications for import licences for substantial values of plant and machinery, which are required for the setting up of new projects or for substanial expansion will be considered only against one or more of the following acceptable means of financing :—

(a) Long term foreign investment in the capital of the projects;

(b) Foreign exchange loans for the project from the Industrial Credit and Investment Corporation of India, Bombay and the Industrial Finance Corporation, New Delhi;

(c) Long term foreign exchange loans from financing institutions abroad as approved and announced from time to time;

(d) Imports financed by the National Small Industries Corporation of India, New Delhi under their hire-purchase scheme for small scale industries or financed by any other agency/company including leasing company;

(e) Loans to the Government of India from foreign governments or financial institutions against which cash licences can be granted; and

(f) Trade and Payments agreements between the Government of India and foreign countries against which cash licensing can be granted.

Negotiations for Loans

176. Direct negotiations of loan by importers with foreign financing institutions require the prior approval in principle of Government. Such requests should be addressed to the Administrative Ministry concerned indicating the value of the equipment, the purpose for which it will be imported, the proposed country or countries of import, the value of imported raw materials/components that will be required annually after going into production, and the particulars of the manufacturing licence, if any, under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 that may be held for the project.

Imports against Free Resources on Cash or Deferred Payment Basis

177. When the outlay on imported plant and equipment is relatively small, and is likely to be covered by saving or earning of foreign exchange (having due regard to the existing level of imports/exports) as a result of the implementation of the scheme within a period of three years, it may be pos-

sible to consider applications, to a limited extent, for licensing against free resources, on cash basis, or on deferred payment basis. In general, Government do not propose to encourage import on short or medium term suppliers' credit and deferred payment arrangements will only be considered in exceptional cases when the Government are satisfied that the savings of foreign exchange resulting from the output of the plan and machinery proposed to be imported will be more than sufficient to meet the payment liability. Similarly, such arrangements may be approved if there is a satisfactory guarantee for the exports of goods for the production of which the plant is to be imported.

Import of Capital Goods financed by Leasing Companies

178. Subject to the provisions made in the relevant Import & Export Policy and in this Chapter, applications from Actual Users will also be considered for import of capital goods including those, import of which is under OGL, under the facility for financing by a leasing company whose Articles provide specifically leasing as one of the objectives; who have a paid up share capital of not less than Rs. 1 crore, and are listed on the Stock Exchange. For capital goods allowed for import under OGL, application for import under lease financing is to be made to the regional licensing authority irrespective of value involved whilst for other capital goods (excluding restricted capital goods), applications are to be made to the concerned licensing authority. Applications should also be accompanied by photocopy of Articles duly attested by Registrar of Companies; Chartered Accountant Certificate indicating the minimum paid up Capital and reserves and certificate from Stock Exchange to the effect that they are listed in the Stock Exchange. The licence will be endorsed making the leasing company a joint holder of the licence on the basis of the agreement and the consent letter in the prescribed form as given in the Appendix-III-E by the leasing company. Both the Actual User Applicant and the leasing company shall be jointly and severally liable to comply with the conditions imposed and applicable to the licence and the rules and procedures in force. The leasing company can relinquish its rights on the imported machinery in favour of the actual user, with the approval of the licensing Authority concerned

179. Applications for import licences will be considered having regard to the priority of the schemes and the method of financing proposed. As a rule, the source of financing of the imports will be limited to the alternatives indicated in paragraph 175 above. If the scheme is not considered to be of sufficient priority and/or if funds available with the Government cannot be allocated, import applications in respect of such schemes will be rejected.

Special Procedure for Import of Capital Goods in respect of certain Industries

180. The need for reducing the overall cost of investment in industry of national priority, consistent with the requirements of offering protection to the indigenous capital goods industry has been recognised and the list of such projects/industries has been identified in Chapter III of the Import & Export Policy 1990—93, (Vol.I). Persons undertaking projects for substantial expansion in any of these fields may invite global tenders for all the capital goods intended to be procured, irrespective of the fact whether they are manufactured indigenously or not. In order to afford an opportunity to the indigenous manufacturers to supply the goods, the applicant should also advertise as per the procedures laid down in Para 164, but should give a minimum period of sixty days for responding to the advertisement. The advertisement should indicate the items of Capital Goods conforming to I.S.I. specifications wherever applicable. Deviations will however, be permitted in the interest of upgrading of technology directed to reducing production cost and optimisation of resources. However, the advertised specifications should not be tailored to suit only particular source(s) of supply.

181. After receipt of the offers, if any, in response to the advertisement made as above, the project authorities may submit their proposals, as to the Capial Goods desired to be procured (either imported or indigenous or imported/indigenous) along with statement of comparison between the indigenous and the overseas offers on the basis of landed cost i.e., c.i.f. plus duty leviable in respect of the latter. The proposals will be considered by the Empowered Committee under the Chairmanship of Secretary (Industrial Development). The provisions of para 155 will also be relevant to the consideration of such proposals. Within eight weeks of their receipt in the normal course, the committee will finalise their views/recommendations including the requisite clearance, together with source of foreign exchange as appropriate in their judgement. The decision will be communicated to the Chief Controller of Imports & Exports for the issue of connected import licences.

182. Indigenous suppliers of equipment securing orders from Indian project authorities under the above scheme will be permitted to import raw materials and components required for the manfacture of such Capital Goods without any restriction from the angle of indigenous availability. The above facilities would be additional and not in lieu of the facilities available to Actual Users (Industrial) under the general policy.

Import of Instruments, Testing Machines etc.

183. (1) Applications form Actual Users for import of instruments, testing equipment weighing machines, laboratory equipment tools and tackles etc. will be governed by the same procedure as is applicable to C.G. imports laid down in this Chapter.

(2) Institutions (Non-Industrial) requiring instruments for their own use may apply in the application from prescribed for them in Appendix III-A.

Actual Users (Non-Industrial)

184. (1) Applications for import of machinery from Actual Users (Non-Industrial) are to be made to Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi. Such applications will be considered on the recommendation to the State Director of Industries or any other appropriate authority in the State or the Central Government, concerned with the applicant. Applications should be made in the form prescribed for

Actual Users (Non-Industrial) in this Book, unless othrewise provided. While dealing with these applications, the availability from indigenous angle, the essentiality for import, the availability of foreign exchange for the purpose and other relevant considerations will be kept in view. In the case of import of machinery by the units, whose tender has been accepted by the project authority under the procedure of international competitive bidding, import licence will be issued for the items of machinery listed in the accepted tender provided such list is duly attested by DGTD.

(2) Applications for import of construction machinery will be considered from construction agencies. The applications should be made in form laid down in Appendix III-A and addressed to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi. The applications should be made through the State Director of industries who will make his recommendation in consultation with the concerned department of State Government. The applicant should also indicate the country from which the equipment is sought to be imported.

(3) Applications for import of studio equipment may be considered from film studios and film processing laboratories on the recommendation of the State Director of Industries or National Film Development Corporation. Applications should be made to the licensing authorities referred to in para 153.

(4) Applications from the units engaged in chemical analysis and testing of the products manufactured by other industrial units, will be considered for the import of essential machinery, machine tools and equipments which are not produced indigenously. The applications should be made to the regional licensing, authorities concerned in the prescribed from thorough the State Director of Industries. The Director of Industries should obtain indigenous clearance from the DGTD New Delhi before recommending a licence.

Import of Gas Cylinders

185. Policy for import of gas cylinder is given in Chapter III of the Import and Export Policy (Vol. I) 1990-93. The import of gas cylinders as C.G. as well as component shall continue, i.e. :

(i) import of empty gas cylinders will be counted as C.G.

(ii) import of cylinders with gas will be processed through supplementary licensing. However, it is clarified that cylinders which are to be imported as containers of gas should be made of the appropriate material which is normally used for transporting such gases.

Import of Gas Cylinders, Containers, etc. on Re-export Basis

186. (1) In the case of items like gas cylinders filled with gas, returnable cops and bobbins, drum closures, ocean going containers etc. which are accessories to the imported items, the customs authorities may allow import without a licence, after satisfying themselves about the manner of their re-export.

(2) The provision in sub-para (1) will also apply to the import of empty gas cylinders which are to be re-exported after being filled with gas. At the time of clearance of the imported cylinders, the importer will be required to produce to the customs authorities a certificate of suitability of the cylinders from the Director of Explosives, Nagpur. While approaching the Director of Explosives for the required certificate, the importer should furnish particulars of cylinders, in question, indicating (i) the name and address of the manufacturer of the cylinders, (ii) specifications to which the cylinders conform, (iii) specification to which the valves fitted to the cylinders conform and (iv) serial number of the cylinders.

Import of Empty High Pressure Industrial Gas Cylinders

187. Application for import of empty high pressure Industrial gas cylinders by industrial gas manufacturers will be considered by Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, irrespective of the value involved. The applications should be made in the form prescribed for import of Capital Goods.

Approved Hotels

188. Approved hotels i.e. those which are recognised for this purpose by the Department of Tourism may submit their applications for specialised requirements for catering to foreign tourists to the CCI&E New Delhi, through the Department of Tourism, New Delhi. That Department before recommending the applications, should take necessary clearance from the DGTD in respect of the items to be licensed. Licences may be issued for the amount recommended by the Department of Tourism, in consultation with the Department of Economic Affairs.

Computer Systems (and their initial spares)

189. (1) Chapter III of the Import & Export Policy 1990—93 (Vol. I) provides details regarding import of computer systems. Applications, wherever required will have to be submitted through the Department of Electronics (Computer, Computer-Communication and Instrumentation Wing), A-Block, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, which is the sponsoring authority for the import of computer system. Application in this regard is to be made in the format as given in Appendix III-C, which will be dealt with in accordance with the procedure laid down in para 153.

(2) Import of computer system may be allowed to export-oriented units on the recommendation of the Department of Electronics. The application will be made through the Department of Electronics (CCI Wing), 'A' Block, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi to the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, Udyog Bhawan, New Delhi.

(3) In cases where the importer of a computer system fails to comply with the conditions subject to which the import is allowed, he will be liable to action under the Import & Export Control regulations, etc.

(4) Application should be made in the form given in Appendix III-C (Application for the Software Export Project) of this Book,

(5) For non-resident Indian there is also a separate provision in Chapter XI of the Import & Export Policy, 1990—93, (Vol. I).

Import of Capital Goods by Exporting Units

190. In addition to the documents prescribed applications for import of capital goods under the special facilities for exporting units should be accompanied by the following documents :—

(i) a certified copy of the Export Performance Certificate granted by the office of CCI&E;

(ii) complete details of the machinery to be imported justifying its import vis-a-vis exported products;

(iii) landed cost and the schedule date of delivery for the imported machinery;

(iv) quotation giving the cost of the indigenous machinery of the same specifications and its delivery schedule.

(v) certificate of the sponsoring authority concerned regarding the essentiality of the machinery proposed to be imported and also indicating clearly the price difference between the imported and the indigenous machinery as also the delivery schedule quoted by the indigenous as well as the foreign supplier.

Import of Diesel Generating Sets

191. (1) Applications for import of diesel generating sets may be made to the Chief Controller of Imports & Exports New Delhi/SIA, New Delhi as the case may be in the manner and form prescribed for import of Capital Goods given in Appendix III-A accompanied by the following additional information and documents :—

(a) Particulars of the actual undertaking or institution for which the import is sought to be made.

(b) No objection certificate from the appropriate State Authority or other Power Supply Authority in terms of electricity status should be produced, in original, alongwith the import application.

(c) Ratings and other specifications, probable country of imports, c.i.f. value and delivery schedule of the Diesel Generating Set(s) proposed to be imported together with proforma invoices, in original, of the foreign suppliers.

(d) Particulars of any stand-by captive generating capacity already with the applicant for the undertakings/institutions for which the application is being made (now).

(2) Applications will be considered under the normal procedure but the import licence that might be granted will be valid for a period of 18 months only with the added conditions that orders shall be placed with the suppliers within the first six months only.

Import of Printing Machinery

192. (1) Applications for import of printing machinery other than listed in Appendix 1, Part-B of Import & Export Policy, 1990—93 (Vol. I) should be made through the sponsoring authority concerned to the Chief Controller of Imports & Exports. New Delhi, where the value of the machinery to be imported does not exceed Rs. 1.5 crores (c.i.f.) and to Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry, New Delhi, where the value exceeds Rs. 1.5 crores.

(2) Applications from Projects and Equipments Corporation Ltd. will also be considered for import of printing machinery for supply to actual users against valid licences held by the actual users. In such cases also import applications should be made to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, or the Secretariat for Industrial Approvals, as the case may be.

Import of Second-hand Machinery

193. (1) Applications for import of second-hand (used) Capital Goods for a value upto Rs. 1.5 crores (c.i.f.) should be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi through the sponsoring authority concerned. Applications of a higher value should be made to the Secretariat for Industrial Approvals Ministry of Industry, New Delhi. The regional import licensing authorities will not entertain any application for import of second-hand (used) Capital Goods. Advertisement procedure in respect of import of second-hand machinery as given in para 164 will also be followed.

(2) Request for import of second-hand machinery which is older than 7 years and have less than 5 years expected residual life will not normally be considered.

(3) In cases where second-hand (used) Capital Goods are sought to be imported, the relevant application must be accompanied also by the following documents/information :—

(a) A certificate from a professional independent Chartered Engineer/or any institution of Engineers in the country from which machinery is imported in the proforma annexed with the Application form.

(b) Applicants shall also give a declaration in respect of the age and residual life of the second-hand machinery as given in the Chartered Engineer certificate.

(c) Complete specifications of the second-hand plant and machinery and price (proforma invoice) togather with its photographs, if available, break-up of the price i.e., price of the capital goods, cost of dismantling, freight and insurance to be shown separately in the proforma invoice, wherever possible.

(d) The nature of performance guarantee, if any obtained from the supplier.

(e) Relevant information in justification of such imports, specially the advantage that would accrue in price, and cost reduction due to early delivery of the imported second-hand plant.

(f) Arrangements made/proposed for critical spare parts.

Note :—For importing second-hand-items of machinery covered by Open General Licence, reference may be made to the relevant provision in the Import-Export policy.

Validity of Indigenous Clearance

194. In cases where indigenous clearance for the import of Capital Goods is given, but the issue of the Capital Goods licence is to await completion of financial or industrial licensing formalities or other procedural formalities, a maximum period of 24 months shall be available to the applicant from the date of such approval for their completion. Where this period is inadequate, fresh clearance will have to be sought. In such cases, a fresh advertisement will not be necessary.

Export Conditions on C.G. Licences

195. Applications for import of Capital Goods may also be considered subject to export conditions as may be decided in each case, requiring the licensee to export goods of a specified description and value/quantity within a specified time limit and subject to such other conditions as may be prescribed. Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation as also exports to Nepal if made otherwise than in free foreign exchange.

196. (1) A licence issued for import of Capital Goods with an export obligation will be subject to the condition, inter alia, that the licensee shall execute a bond/legal agreement in regard to the fulfilment of prescribed export performance. The competent authority while granting approval may prescribe a bank guarantee in support of a bond. In that event the licensing authority shall obtain a bank guarntee of the appropriate amount before issue of the licence. The form in which the licensees will be required to give the legal agreement appears in Appendix III-G. It may be clarified that the bond/legal agreement may be executed by the licensee either with the regional licensing authority under whose jurisdiction the licensee is situated or with the licensing authority at the port of clearance of the goods to be imported against the licence in which case the licensing authority at the port of clearance will transfer relevant papers to the licensing authority issuing the licence concerned. The licensee should intimate to the licensing authority issuing the C.G. licence, the name of the licensing office where he will execute the bond/legal agreement to enable the licensing authority to incorporate the name of that office in the export condition imposed on the C.G. licence. The licensing authority at the port where the Bond or the Legal Agreement is accepted, will forward the Bond or the Legal Agreement after execution to the Licensing Authority under whose jurisdiction the main factory of the licensee is located, for follow-up action.

(2) In cases where export obligation is imposed on (i) Letter of Intent/Industrial Licenses is not involving import of capital goods, (ii) foreign collaboration approval not involving import of capital goods and (iii) DGTD registration, Joint ventures sanctions and other sanctions not involving import of Capital Goods, the obligatory industrial units shall execute legal agreement/bond with the Chief Controller of Imports and Exports (Export obligation cell), New Delhi.

197. (1) A special Cell "Export Obligation Cell" has been set up in the office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi to co-ordinate follow-up action in cases where Capital Goods import licences, Industrial licences or approvals to foreign collaborations are issued subject to export conditions. The manufacturing units concerned will be required to furnish periodical returns to the Chief Controller of Imports and Exports (Export Obligation Cell) Udyog Bhavan, New Delhi indicating their export performance in the form given in Appendix III-G. Such returns shall be in addition to the returns which the unit will be required to furnish to the regional licensing authorities in pursuance of the bond/legal agreement, and to the administrative Ministries concerned.

(2) In cases, where the export obligation originally stipulated is not fulfilled up to small value not exceeding 10% of the total value of the export obligation so stipulated, requests for regularisation there of may be considered on merits by the Chief Controller of Imports and Exports (Exports Obligation Cell), New Delhi, by accepting the surrender of the unutilised value of REP/Additional licence equal to an amount of the export obligation remaining unfulfilled.

198. Exports made in fulfilment of export obligation against advance licences, special imprest licence, Import-Export Pass Book etc. by manufacturer-exporters will also be counted towards discharge of the export obligations imposed on Capital Goods licence.

199. The exports made in fulfilment of the export obligation on C. G. licences will be eligible for the grant of import replenishment licences in accordance with the import policy for registered exporters, subject to such conditions or restrictions as may be stipulated in this regard. "Deemed" exports which qualify for import replenishment in the Import Policy for Registered Exporters will also qualify for discharge of export obligation.

200. Where an industrial unit is allowed imported machinery subject to an export obligation and direct import licence for import of machinery is not issued to the unit but the machinery is obtained through National Small Industries Corporation or any other similar agency, the bond/legal agreement for fulfilment of the export obligation in such a case shall be executed by the unit before it obtains machinery from NSIC etc. The import licence issued to the NSIC, etc. in such cases will bear a suitable condition to this effect.

Transfer or Disposal of Imported Capital Goods

201. The procedure for transfer/disposal of imported Capital Goods is given in Chapter II of this field.

Flexibility

202. Applications for increase in the c.i.f. value of a C.G. licence by not more than 15% on account of an escalation in price or a mere change in the model or a relatively minor specification may be made directly to the licensing authority concerned. If any other changes are involved, the applicant should apply to the licensing authority concerned only through the sponsoring authority. In this connection, attention is also drawn to para 1 of Appendix II-O, according to which customs authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence at the exchange rate specified by the licensing authority on the import licence.

CHAPTER IV

CANALISATION OF IMPORTS

203. Appendix 5 of the Imports & Exports Policy, 1990—93 (Vol.-I), enumerates the list of canalised items. Their import will be governed by the policies laid down by Government in the administrative Ministries concerned.

204. In the case of items listed in Appendix 5, Part A, the eligible Actual Users may register their six months requirements or twelve months requirements with the concerned canalising agency, together with earnest money calculated at two per cent of the sale value of the quantity so registered, or Rs. 2,00,000/- whichever is less (Where a Co-operative Society or an Association is authorised to register the requirements on behalf of its member Actual Users, the earnest money shall be still calculated likewise, i.e. for the total quantity of material so registered). However, the canalising agency in its direction may not ask for earnest money in respect of item(s) from the eligible persons. The earnest money should be paid in cash or through Bank Draft but the canalising agency may also accept in lieu thereof, a bank guarantee of the required amount. The application shall be made in the form given in Appendix IV-A of this Book. The canalising agency may, in respect of items as identified by it, seek additional information or clarification, required for satisfying itself about the eligibility of the applicant or the reasonableness of his requirements in respect of the imported material, before agreeing to register his requirement or arranging the imports.

205. The canalising agency may take such financial cover as it considers necessary before arranging the imports, not exceeding the sale value of the quantity registered for three months at a time.

206. (a) In the case of such canalised items as are produced indigenously, the actual users are expected to meet their requirements of raw materials, components and consumables etc. from indigenous sources. However, imports will be resorted to by the Canalising Agency, only to meet the gap between the demand and indigenous supply, subject to availability of foreign exchange and approval by the Administrative Ministry concerned with the commodity. The supply of imported material or the value of NOC issued should not exceed the consumption in any one of the two previous financial years plus 25% thereof. (The Canalising Agency has to certify that the foreign exchange involved in the import against NOC has been provided for out of the allocation made to them for this purpose).

(b) New units or existing units which had no consumption in any of the previous two years or existing Actual Users as are in need of additional quantities may apply to the Canalising Agency concerned, only after their demands are sponsored by the concerned sponsoring authorities.

(c) New/proposed industrial units will have to execute a bond with bank guarantee, and get the same accepted from the canalising agency concerned, before obtaining the first consignment of canalised items from the canalising agency concerned. The proforma of the bond with bank guarantee has been laid down in Appendix II-N of this book.

(d) No person registering his requirement with the Canalising Agency will have the right to ask for a particular Brand or Make.

(e) It will be open to CCI&E to allow the distribution of any item in Appendix 5A to other than Actual User.

(f) Applications for direct import licences against the NOC's issued by the canalising agencies but without providing for foreign exchange out of the allocation to the canalising agency for the purpose, will be considered by the supplementary licensing committee in the office of the Chief Controller of Imports and Exports. Licence for direct import of the canalised items will be issued only if such applications are cleared by the Headquarters Supplementary Licensing Committee.

207. The period for delivery of the quantity so registered may extend beyond the licensing year.

Non-Ferrous Metals

208. In the case of copper, eligible Actual Users (Industrial) may register their requirements with the canalising agency (MMTC) and the indigenous producer, M/s. Hindustan Copper Ltd., as under :—

M.M.T.C.	Hindustan Copper Ltd.
(1) Manufacturers of insulated Winding Wires/Strips	(1) All Government Departments.
(2) Manufacturers of telecommunication cables and M/s. Hindustan Cables Ltd.	(2) All Central/State/Public Enterprises, other than those under MMTC.
(3) Manufacturers of commutator segments/profiles (for silver bearing copper only)	(3) Manufacturers of auto-ancillaries.
(4) Manufacturers of Switchgears and Transformers.	(4) Manufacturers of Insulated Cables.
(5) Manufacturers of commutator segments/profiles of non-silver bearing copper.	
(6) M/s. Bharat Heavy Electrical Ltd., M/s New Government Electric Factory, Bangalore.	
(i) Manufacturers Semis and Alloys. (ii) Bare Copper Wires/Strips.	50% each with MMTC and HCL.

N.B. For copper wire rods, all Actual Users should register their requirements with M/s. Hindustan Copper Ltd. only.

209. Save as above, Actual Users (Industrial) may register their requirements for the other canalised items needed for their licensed/authorised manufacturing activities in the manner and form prescribed in this book.

210. An Actual User, while registering his six months or 12 months requirements, in his discretion, for allotment of a canalised item, should indicate to the canalising agency the phased programme of delivery on a bimonthly basis or monthly basis if so laid down by the canalising agency.

(i) (a) *On-going canalised items* (i.e. item which were in the canalised list during the preceding licensing period).

The Actual Users should send their requirements to the canalising agency concerned by registered post. The canalising agency will scrutinise such applications and register the demand and ask for deposit of earnest money within 30 days. In case the canalising agencies are not able to make supplies, they will issue 'No Objection Certificate' in the form prescribed in Appendix IV-B of this book at the time of registration of demand, i.e., the NOC will be issued within a period of 30 days from the date of receipt of requirement.

(b) In case the canalising agency is in a position to make the supplies, they will send a communication to the Actual Users indicating the arrangements made by them for supply of the registered demand. The supply of the goods should commence latest within 60 days from the date of receipt of earnest money.

(ii) *Newly canalised items*

If at the time of registration, the canalising agency is of the opinion that arrangement could not be made for supplies within the stipulated period the canalising agency will issue the NOC at the time of registration for the quantity which it would not be able to supply.

(iii) In order to avail of this facility the Actual Users will make applications in the prescribed form to the CCI&E, New Delhi with the relevant documents alongwith an affidavit in the prescribed form with a copy of the letter of registration of demand from the canalising agency.

(iv) There will be no last date for issue of NOC.

211. Canalising agencies will not levy any service charge for issue of NOC.

212. Details of direct import licences issued as per provisions made above should be reported to the canalising agencies concerned by the licensing authorities.

213. In case the demand is neither registered nor rejected by the canalising agency, the Actual User should approach the concerned administrative Ministry, who will designate an officer to look into the complaints and take corrective measures.

214. In all cases where direct import of a canalised item is allowed to any person, it shall be a condition that the importer shall furnish particulars of the imports made to the canalising agency concerned in the prescribed proforma appearing in Appendix-IV F of the Hand Book of Procedures, 1990—93. At the time of clearance the importer will be required to declare to the Customs that these particulars regarding the consignment sought to be cleared have been sent to the concerned canalising agency. Failure to comply with this requirement will entail penal action under the Imports Control Regulations, besides the stoppage of the facility to the licence holder against current licences and denial of further licences to him.

215. It shall be open to the canalising agency concerned to sell the goods before their importation into India. In such cases, the clearance of the imported goods through the Customs may be claimed by the purchaser on the basis of an authorisation issued by the agency concerned to that effect.

216. No Release Orders will be required by eligible Actual Users from the licensing or sponsoring authority for obtaining their legitimate requirements of these items from the canalising agency concerned.

217. In the case of valid REP/Additional Licence the canalising agency will supply the material up to the extent covered by the licence at a price fixed by the concerned Pricing Committee. The import licence will be debited by the canalising agency to the extent of the quantity and the c.i.f. value of the goods supplied. The value charged by the canalising agency (excluding customs duty) will be treated as the c.i.f. value of goods for the purpose of debit to the licence. The import licence will cease to be valid for direct import of canalised items to the extent supplies have been obtained from the canalising agency against the licence.

Intimation to Sponsoring Authorities

218. Each canalising agency will send to the sponsoring authorities concerned, monthly statement of the direct allotment made by it of canalised items, giving the names of the allottees, their addresses, licence/registration numbers, quantities and dates of allotment/release.

CHAPTER V

IMPORT OF RAW MATERIALS, COMPONENTS AND CONSUMABLES

Actual Users (Industrial)

219. (1) Actual Users (Industrial), as defined in Chapter I of Import and Export Policy 1990—93, are those who require raw materials, components, accessories, machinery and spare parts for their own use in an industrial manufacturing process.

(2) Industrial machinery held by an Actual User (Industrial) in his manufacturing unit may be on ownership or on lease basis. In the case of machinery held on lease, an intimation should be given by the Actual User to the sponsoring authority concerned.

(3) Broadly speaking there are three categories of industrial actual users, viz., (i) scheduled industries borne on the registers of the Directorate General of Technical Development (ii) scheduled industries not borne on the registers of the Directorate General of Technical Development and non-scheduled industries other than small scale industries, and (iii) small scale industries.

Supplementary Licences

220. (1) Application for grant of Supplementary licence should be made in Form in Appendix V-A through concerned sponsoring authority in the following manner :—

(i) to the Chief Controller of Imports & Exports for (a) items appearing in the Restricted List (Appendix 2 Part B); (b) Limited Permissible items (Appendix 3, Part A) and MS Defectives of thickness above 0.27 mm appearing in Appendix 3, Part B of a value higher than Rs. 5 lakhs in the case of Small Scale Units and Rs. 50 lakhs in the case of large scale units; and (c) Iron and Steel items (appearing in Appendix 3, Part B) other than MS Defective of thickness above 0.27 mm covered by (b) above.

(ii) to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi for import of instruments (other than those appearing in Appendix 8) as components where the value exceeds Rs. 1 lakh.

(iii) to the concerned licensing authority, within the area of whose jurisdiction the factory of the applicant is located for (a) Limited Permissible Items (Appendix 3, Part A) and MS Defectives of thickness above 0.27 mm appearing in Appendix 3, Part B upto a value of Rs. 5 lakhs in the case of Small Scale Units and Rs. 50 lakhs in the case of large scale units, and (c) instruments (other than those in Appendix 8) required as a components where the value does not exceed Rs. 1 lakh.

(2) Applications for supplementary licences will be considered only on the recommendation of the concerned sponsoring authorities. This should be accompanied by the list of items and the value of each item specifically sought to be imported. The reasons for additional or new requirements, of raw materials, components, consumables, consumable tools, or spares should be clearly set out together with the unutilised value of each of the licences in hand as on the date of the application. Any other information which the applicant would himself like to present in regard to his export performance production programme in hand, special requirements of any items for particular end products, stocks in hand and in the pipe line etc., for the purposes of proper appreciation of his application, may also be sent. In the case of units under phased manufacturing programme of indigenisation, progress achieved in the last year should also be furnished.

(3) Applications for Iron and Steel items and Non-Iron & Steel items should be made separately. Applications should be submitted in quadruplicate along with 7 copies of the list of items and consumption certificate (in quadruplicate) duly certified by the Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary in the prescribed form.

(4) Two copies of application for Iron & Steel items should be sent to the Development Commissioner (Iron and Steel), 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Calcutta-700020 and the other two copies forwarded to the concerned sponsoring authority. All the 4 copies of the application for Non-Iron & Steel items should be sent to the concerned sponsoring authority.

(5) Industrial Units in SSI sector shall send one copy of the application for Supplementary licence for import of items valued Rs. 25 lakhs (cif) or more to the Development Commissioner (Small Scale Industries), Nirman Bhavan, New Delhi. All applicants shall send one copy of their application for Supplementary licence for import of drugs, drug intermediates and chemicals to Ministry of Chemicals and Petroleum, New Delhi.

(6) The list of items sought to be imported should indicate value, quantity and technical specifications of each item besides other information which the applicant is required to furnish in terms of Import Policy in force. Copy of the industrial licence/registration certificate as well as a declaration that the same has not been cancelled should accompany the application. Applicants should give full justifications for seeking import of the items and why the requirements cannot be met from indigenous sources. In the case of units under the Phased Manufacturing Programme of indigenisation, the applicant should indicate the extent of indigenisation achieved. If there is a revision of Phased Manufacturing Programme, details thereof should also be furnished.

(7) If the import is form a specified country, the value of licence applied for should be indicated both in foreign exchange and rupee equivalent thereof, along with exchange rate.

(8) Applicants should also indicate whether they have availed of the facility of repeat operation of supplementary licences.

(9) The Sponsoring Authority would recommend grant of Supplementary Licence, certifying the essentiality of import, on the basis of technical scrutiny of the application in the form prescribed in Appendix V-B. For this purpose the Sponsoring Authority would keep in view, among others, the guidelines issued by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, from time to time. The list of items to be imported should also be certified by the sponsoring authority. Sponsoring Authority will also indicate in their recommendations reasons for which import of the items is essential and why the requirements of the Actual User cannot be met from the indigenous sources or other authorised channels of imports. Items under Open General Licence and Canalised List should be excluded.

(10) The Sponsoring Authority should ensure that the application is complete in all respects and is accompanied by, amongst others, the application fee of the requisite amount, the list of items duly attested by them and a report on the implementation of the Phased Manufacturing Programme of indigenisation.

The sponsoring authority should take into account facility of the repeat operation of supplementary licence, if availed of by the actual user.

(11) In the case of Small Scale units whose Phased Manufacturing Programme has been approved by DC(SSI), the sponsoring authority shall forward the recommendation for grant of supplementary licence as per the approved Phased Manufacturing Programme to the licensing authority concerned through the DC(SSI), New Delhi, or the Small Industries Dev. organisations on his behalf.

(12) Application for Supplementary licence from units registered with the regional office of DGTD should be submitted to the same regional office of DGTD for onward transmission to the licensing authorities concerned. Units registered with DGTD, New Delhi, should submit their application to the Directorate General Technical Development, New Delhi.

(13) Applications for Supplementary licences on being recommended by the sponsoring authority will be considered by the Headquarters Supplementary Licensing Committee headed by the Chief Controller of Imports & Exports or the Regional Supplementary Licensing Committees headed by the Joint Chief Controller of Imports & Exports. The decision taken by the Headquarters Supplementary Licensing Committee on a supplementary licensing application shall be final. The representations in this regard will also be considered by the Headquarters Supplementary Licensing Committee.

(14) In respect of applications considered and approved by the Headquarters Supplementary Licensing Committee in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, import licences will be issued from that Office. In other cases applications will be considered by the respective Regional Supplementary Licensing Committees and where approved, licences will be issued by the regional licensing authority concerned.

Special Facility for Execution of Orders for Tailor-made Items

221. Applications for grant of Supplementary licences for the import of raw-materials components and consumables to Actual Users (Industrial) engaged in the manufacture and supply of tailor-made capital goods listed in Appendix 4 of Import and Export Policy (Volume I), 1990—93 will be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, through the sponsoring authority in the form and manner applicable to supplementary licence.

Supplementary Licence for manufacture of goods to be supplied to ONGC

222. Applications for grant of supplementary licences from Actual Users (Industrial), for import of raw-material, components and consumables required for manufacture of goods to be supplied to ONGC/OIL/GAIL, shall be accompanied by a certificate from the project authority concerned in ONGC/OIL/GAIL, certifying inter-alia that the connected foreign exchange requirement will be met from the foreign exchange budget of ONGC/OIL/GAIL. The applicants will be required by ONGC/OIL/GAIL to submit monthly reports of actual foreign exchange utilisation by way of imports against supplementary licences, for the purpose of monitoring.

Imports by New/Proposed Industrial Units

223. New/Proposed Industrial Units getting an import licence for import of raw materials, components, consumables, will have to execute a bond with bank guarantee in the form prescribed in Chapter II of this Book. Before obtaining the Customs clearance of the first consignment imported against the licence, new/proposed Industrial units will have to execute. The bond in the prescribed form and manner as laid down in Appendix II N in this book and get the same accepted from the licensing authority concerned.

Automatic Licences

224. (1) Applications for grant of Automatic licence to the extent of not more than 50% of the value of the Supplementary licence obtained by an Actual User in the previous licensing year will be made to the Licensing authority concerned, who issued the Supplementary licence in the previous year. For this purpose, Actual Users concerned will make a specific request in the prescribed form to the licensing authority concerned and the same shall be accompanied with a copy of the application for grant of Supplementary licence which is also being routed through the sponsoring authority, concerned and alongwith the Supplementary licence in original, obtained during the previous year. The form of the application for grant of Automatic licence is laid down in Appendix V-A of this Book. The request for grant of Automatic licence will be for a value of not more than 50% of the value of the Supplementary licences obtained in the previous licensing year.

(2) The licensing authority concerned will automatically issue a fresh licence valued not more than 50 per cent of the value and quantity of the items covered by the Supplementary licence issued during the previous year. The value of the licence so issued will be adjusted against the Supplementary licence which is issued subsequently, on the basis of recommendation of the Sponsoring Authority and indigenous clearance, as per decision of the relevant Licensing Committee.

(3) At the time of issue of Automatic licence, the Licensing authority concerned will endorse on the Supplementary licence issued during the previous year the fact of issue of automatic licence, giving number, date and value of licence.

Repeat Operation

225. Requests for availing of the facility of Repeat Operation of Supplementary Licences should be made to the Licensing Authority from where the Supplementary Licence was issued. This facility of 'Repeat Operation' can be availed of only in respect of the licences issued for the previous licensing period and such requests should be made before the 28th February of the licensing year. In support of the request, the Actual User (Industrial) should furnish a copy of the Export Performance Certificate (indicating physical exports) issued by the Office of the CCI&E with the application Form (one copy only) alongwith the application fee of the required amount. The applicant should also furnish a declaration to the effect that he has not made any application for fresh Supplementary Licence during the same year. However, the list of items and consumption certificate

certified by the Chartered Accountant as required for a fresh application will not be required to be furnished. Actual Users (Industrial) interested in availing of the facility of the Repeat Operation of the Supplementary Licences, should first avail of the same before applying for a fresh Supplementary Licence. After an application for fresh Supplementary Licence is made, 'Repeat Operation' of Supplementary Licence cannot be availed of.

Actual Users to Maintain Account of Consumption

226. (1) Every Actual User should maintain a true and proper account of the consumption and utilisation of imported goods in the proforma given in Appendix VIII-B. In the event of his failure to maintain account in this manner in respect of any goods imported against a licence including OGL or received as allotments from canalising agencies, the application for issue of further licences or allotments will be liable to rejection without prejudice to any other action under law that may be taken against him. The onus will at all times be on the Actual User to satisfy the sponsoring authority as well as the Chief Controller of Imports & Exports or other licensing authority that he has done so and is in a position to prove his bonafides, including the Actual User condition specifically applicable beyond reasonable doubt and that he has fully abided by the law and each one of the conditions subject to which he secured the imports or allotments or transfer/loan of imported goods. The Actual User shall be required on demand to produce the accounts and registers of receipts, consumption and utilisation of imported materials maintained by him, to the licensing authority or sponsoring or any other Government Authority authorised by the Chief Controller of Imports & Exports to inspect or verify them.

(2) Imported goods procured by the Actual User from Trading Houses, Export Houses, Associations or Cooperative Societies of Actual Users or public sector agencies, which have been assigned the role of supplying imported inputs to Actual Users under the Import Export policy in force, shall also be subject to Actual User condition. Proper account of procurement and consumption of such goods should also be maintained indicating clearly the source from which goods were received.

(3) Actual Users are required to maintain a separate account of import and consumption of items received under the system of Supplementary licences obtained by the unit under the import policy in force for Actual Users.

227. The accounts of receipts, consumption and utilisation of imported materials end product-wise shall be maintained and preserved by the licensee for a period of at least 8 years, commencing from the expiry of the year to which the relevant account pertains.

228. While considering requests for transfer of an industrial unit having imported machinery, the sponsoring authority will satisfy itself that the above accounts and registers maintained by the transferor will either continue to be preserved by him as above or be handed over to the transferee against a detailed acquittance. Both the transferor and transferee shall nonetheless be fully responsible, severally and jointly, in law for the proper and full discharge of their duties and obligations.

Intimation of Grant/Rejection of Licence

229. While considering requests for transfer of an licence in every case will be sent by the licensing authority to the sponsoring authority concerned. For this purpose, a copy of the licence forwarding letter together with the value of the licence and the list of items allowed (if any) or rejection letter will be endorsed. The said forwarding letter will also indicate the end-product.

Check on Utilisation

230. The sponsoring authorities concerned will check up whether in their jurisdiction the imported materials have been properly used by the Actual Users in terms of conditions imposed and/or applicable and whether they have maintained a true and proper account of import and consumption, in the form and manner prescribed. They will also exercise diligence and care in agreeing to requests for transfer/loan of imported material from one Actual User to another as provided in the policy. They will promptly report to the licensing authority concerned such cases in which the Actual Users have contravened the conditions subject to which the goods including Capital Goods were allowed for import or allotted by canalising agencies or otherwise transferred/lent. The licensing authority will then initiate action as required against the defaulter, but without prejudice to (other) penal action which the sponsoring authority can take under its own powers, if any. The provisions of this para also extend to such units to whom the imported material has been given for processing.

231. (1) In order to check proper utilisation of imported materials by Actual Users and Registered exporters the licensing Authority may, in consultation with State Directors of Industries and other sponsoring authorities, or on its own carry out the necessary verification on random or selective or comprehensive basis of the extent and the manner in which an Actual User has utilised the imported goods having regard to the condition subject to which the import/allotment of such goods was allowed.

(2) Where an Actual User (Industrial) is or has been subject to a phased manufacturing programme in respect of any product, as laid down by the DGTD, New Delhi, or the Textile Commissioner, Bombay or the Development Commissioner (SSI), New Delhi or the Department of Electronics, New Delhi or the sponsoring authority concerned, the components imported by such Actual User against an import licence or under OGL under the import policy in force, for manufacture of such products, shall be utilised by the Actual User concerned strictly in accordance with the terms and conditions of such phased manufacturing programme. Any utilisation of imported components in contravention of the approved phased manufacturing programme will render the Actual User liable to action under the import trade control regulations without prejudice to any other action that the sponsoring authority can take under its own powers.

232. The type of offences which, *inter alia*, would constitute breach of import trade control regulations would include violation of any provisions of the Imports & Exports (Control) Act or the Orders issued thereunder, or a condition subject to which a licence is issued as well as any misrepresentation in obtain-

ing a licence or allotment of imported materials or any other malpractice indulged in foreign trade. Action may also be taken for violation of any other Law pertaining to customs, foreign exchange regulations etc.

233. Where a licence/Release Order has or has been issued at any time provisionally or through error or inadvertance or is in excess of the licence holder's entitlement or has been obtained by misrepresentation or contrary to rules and regulations in force it will be open to the licensing authority to set off the value of such licence or adjust the same against the licence holder's subsequent entitlement under any category for that item or any other item, or items, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf. This applies to allotment made by canalising agencies also.

Production Returns

234. (1) All Actual Users should send monthly (quarterly in the case of SSI units) production returns to their sponsoring authorities. The names of units failing to submit complete monthly/quarterly production returns will be intimated by the sponsoring authorities to the licensing authorities concerned. Applications for further licences in the case of such defaulting units will be liable to be the rejected, without prejudice to any other action that may be taken against them in this behalf.

(2) Cases in which the import applications are made through the sponsoring authorities, while processing the applications, the sponsoring authorities will also check whether the applicant has furnished to them complete monthly/quarterly production returns for the earlier year and uptodate return for the year in respect of the end-product, to which the import application pertains and state it in its recommendation.

(3) All actual users importing raw materials, components, consumables and spares under Open General Licence, are required to send half-yearly returns indicating the description and the value of such imports to the sponsoring authority and licensing authority concerned. These returns shall be furnished as on 30th September and 31st March of the licensing year. Each return shall be furnished within 15 days from the close of the period indicated. Actual Users failing to comply with this requirement will also be liable to action under the import control regulations.

(4) All actual users subject to phased manufacturing programme are required to send half-yearly returns to the authority which approved the phased manufacturing programme setting out the percentage of indigenisation achieved in his phased manufacturing programme. Actual users failing to comply with this requirement will also be liable to action under the import control regulations.

(5) All importers of Iron & Steel, ferro alloys and ferrous scraps shall invariably on receipt of shipping documents report the details of import to the Development Commissioner (Iron & Steel), Calcutta giving specifications, quantity imported against each specification, value and the end-use for which the import is made.

List Attestation Procedure

235. (1) Actual Users (Industrial) are required to follow the List Attestation Procedure for import of components under Open General Licence, in cases where there is a Phased Manufacturing Programme of indigenisation. For this purpose the Actual User should send a list of components sought to be imported under Open General Licence during the licensing year to the Authority which approved the Phased Manufacturing Programme. Description of each component as well as the serial No. of Appendix-6 under which it falls should be indicated in the list. The list should be sent under Registered Post (AD)/Speed Post, to the DGTD/DC(SSI)/Textile Commissioner, etc., as the case may be. In the case of units borne on the books of the Regional Offices of DGTD, list should be sent to the same office of DGTD. Units registered with the Director General, Technical Development, New Delhi should send the list to DGTD (Import & Export Policy Cell), Udyog Bhavan, New Delhi. Such lists may also be delivered personally at the counter of the concerned authority against acknowledgement bearing the date of receipt in that office. In the case of SSI units the list attestation is to be done by the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi or the Small Industries Development Organisation on his behalf. The authority approving a Phased Manufacturing Programme will ensure that lists of components are duly attested with or without deletions and returned to the applicants within a period of 45 days from the date of the receipt of the list by the concerned authority.

(2) Where the Actual User does not receive the list of components duly attested by the concerned authority within 45 days of the date on which the list was received by that authority, it will be open to him to get the goods cleared from the Customs on the basis of the list that was given for attestation without waiting further for list attestation. In such a case the list of items, presented by the Actual User to the Customs Authority, should bear a clear certificate thereon signed by the Director, Proprietor or partner or the office bearer where the Actual User is a Co-operative Society or an Association to the effect that the list in question was received in the office of the concerned authority (name of the authority, date on which submitted, to be indicated) and the same duly attested, has not been received as on date specified by the applicant. The Customs Authority will allow clearance of the items appearing in the list under Open General Licence, if the import is otherwise covered by Open General Licence and conforms to other conditions laid down in the Import Policy.

(3) In the case of units whose PMP is over, they will not be allowed to import under OGL the components which were required to be indigenised during the period of PMP. Such units shall furnish to the customs authorities at the time of clearance of the imported consignment a declaration to the effect that the imported consignment does not include the items which have been/were scheduled to have been indigenised by the importer during the period of PMP. Should such imports become necessary, the Actual User may apply for a Supplementary Licence giving full justification.

Actual Users (Non-Industrial)

236. Actual Users (Non-Industrial) are not requried to get themselves registered with the State Director of Industries, for the purpose of import policy, although, in certain cases, their import applications require the recommendation of the State Director of Industries or any other concerned Department of State or Central Government. In this connection attention is also drawn to Chapter V of Import and Export Policy, 1990—93 (Vol. I).

Recognition of Research and Development Units

237. Such of the Research and Development Units attached to industrial undertakings as are desirous of getting the benefits of imports under OGL in terms of Import & Export Policy, 1990–93 may make an application for recognition by the Central Government to the Secretary, Ministry of Science and Technology, (Department of Scientific and Industrial Research) Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110 016, in the prescribed form which may be obtained from the Deptt. of Scientific and Industrial Research. Further details are also available in the Publication "Promotion and Support to Indigenous Technology" published by the Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi.

238. However in the case of following institutions, no separate recognition from the Department of Science and Technology would be necessary :—

(i) Departments of Central Government, Research and/or Training Institutes under the Central or State Governments (other than Public Sector Undertakings);

(ii) All Laboratories of CSIR, ICAR and ICMR;

(iii) All Universities, IITs, Indian Institute of Science, and Indian School of Mines, Dhanbad;

(iv) Any other Institutions so notified by the Chief Controller of Imports and Exports in consultation with the Department of Science and Technology;

(v) All such Institutions set up by specific statute of Parliament or the State concerned; and

(vi) All associations in the Industrial Sector getting grants-in-aid from CSIR/Ministries.

CHAPTER VI

IMPORT OF SPARES

Import of Permissible Spares

239. (1) The policy regarding import of permissible spares is given in para 78 of the current Import Policy. Actual Users (Industrial) will furnish to the customs authorities, at the time of clearance a declaration giving particulars of their Industrial Licences/Registration Certificates, as appropriate and solemnly affirming that such Licence/Registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made inoperative. In case where separate Registration number is not allotted by the sponsoring authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the Customs authorities that he is registered as an industrial unit. The Actual User will also furnish a declaration to the customs authority that the spares imported are those required for operation and maintenance of the machinery installed or in use by him as on 1st April of the licensing year as referred to in Para 78 of the Import & Export Policy (Vol. I) 1990—93.

(2) Actual Users (Non-Industrial) shall, at the time of clearance of the goods, furnish to the Customs authorities the original or a photostat copy of the (currently valid) Registration Certificates or licences held by them under the Shops and Establishments Act, Cinematographic Act or appropriate local statute.

Restricted Spares

240. (1) Applications for licences for import of restricted spares as per the normal entitlement as provided in Para 79 of the Import Policy may be made to the regional licensing authority concerned in Appendix III-A. Licences will be granted on the basis of Chartered Accountant Certificate indicating the CIF value of the imported plant, machinery and equipment and/or the purchase price of any indigenous plant, machinery and equipment having imported components installed or in use by the applicant, as on 1st April of the licensing year. The last date for receipt of applications by the licensing authority shall be the 31st January of the licensing year.

(2) Licences for 'restricted' spares will be issued with the general description—"Restricted spares required for operation and maintenance of the capital goods installed or used by the licence holder, including spares of ancillary equipment, control and laboratory equipment and safety appliances". The customs authority will allow clearance of the imports on a declaration that these imported 'restricted' spares are required for operation and maintenance of the capital goods installed or used by the Actual User in his factory/establishment/institution.

(3) Request for grant of licences for import of restricted spares, over and above the normal entitlement will be considered under the Supplementary Licensing Procedures, as mentioned in para 79 of the Import & Export Policy, 1990—93, Vol-I.

(4) Applicants for restricted spares licence have the option to apply for a consolidated licence covering the entitlement for the three year period of the import policy i.e. from April, 1990 to March, 1993. Such licence will have the validity period of 36 months and will be subject to the condition that not more than 1/3rd of the value of the licence can be used in a year subject to the condition that the portion of the entitlement unused in respect of first and/second year(s) can be utilised in the subsequent year but within the overall period of validity of the licence.

Spares for After-sales Service

241. (1) Applications for the licences for import of spares required for providing warranty coverage/

after sale service to customers in accordance with the provision made in the import policy may be made to the regional licensing authority concerned in the form as given in Appendix III-A, but with the additional information and certificates as required under the import policy.

(2) Import licences issued under this provision will be subject to the following condition :—

"The goods imported against this licence shall be used only for servicing and maintenance (whether free of cost or at a price) of the machinery/equipment/vehicles manufactured by the licensee.".

(3) Value of import licences received by Actual User (Industrial) under this provision should be intimated by them to the DGTD, New Delhi, for monitoring purposes.

(4) The applicant shall be required to furnish an affidavit sworn before the competent judicial authority/the Oath Commissioner/the Notary Public. The affidavit shall contain a declaration to the effect that the spares applied for are those which were/are imported as components and actually used in the manufacture of the original machinery/equipment. Further, the importer shall undertake to utilise the imported spares only for servicing and maintenance (whether free of cost or at a price) of machinery/equipment/vehicles manufactured by them. Applications should also be accompanied by a certificate from a Chartered or Cost Accountant or Company Secretary who is not a partner or a director or an employee of the applicant firm or its associate, as to the eligible value.

(5) Applicants for After-sale Service Spares Licence have the option to apply for a consolidated licence covering the entitlement for the three year period of the Import Policy, i.e. from April, 1990 to March, 1993. Such licences will have the validity period of 36 months and will be subject to the condition that not more than 1/3rd of the value of the licence can be used in a year subject to the condition that the portion of the entitlement unused in respect of first and/or second year(s) can be utilised in the subsequent year but within the overall period of validity of the licence.

(6) Spares imported under the provisions of Para 80 of the Current Import Policy can be transferred by the importers to their service centres authorised for the purpose of providing warranty coverage or after sales service to their customers. The importer shall remain accountable for proper utilisation of the imported spares.

Motor Vehicle Spares

242. At the time of clearance of the imported spares, the importer should furnish to the customs authorities the Pass Book issued by the licensing authority at the time of issue of CPP/licence for import of the vehicle: the valid registration and other certificates under the Motor Vehicles Act, 1939, and also a declaration that the total imports made by him during the year have not exceeded Rs. 10,000/- or Rs. 5000/- per imported motor vehicle or tractor, as the case may be, including the consignments to be cleared. This facility can also be availed of through the registered associations, co-operative societies, State Agro Industries Development Corporation having owners of imported vehicles or agricultural tractors as their members, for import of spare parts of motor vehicles and agricultural tractors on behalf of their members. At the time of clearance of the imported goods and at the time of remittance towards imports, the concerned Association/Co-operative Societies shall produce the following documents to the Customs authorities/foreign exchange dealers :—

(a) A list of the members on whose behalf the import has been made, giving (i) the name and address of the member, (ii) Pass Book issued by the licensing authority at the time of issue of the CCP/licence for import of vehicle, or at any time thereafter, (iii) make of the imported motor vehicle/tractor owned by the member, (iv) No. and date of registration certificate of the vehicle/tractor, (v) the date upto which the registration certificate is valid and (vi) the c.i.f. value of spares imported for the member concerned.

(b) A declaration from each member duly counter-signed by the Association/Co-operative Society, to the effect that the c.i.f. value of such goods already imported and proposed to be imported during the same financial year for the same motor vehicle or agricultural tractor, does not exceed Rs. 10,000/- or Rs. 5,000/- as the case may be. In the declaration the members concerned should also state that he has authorised the Association/Co-operative Society concerned to effect imports on his behalf.

(c) The current valid certificate of registration of the concerned Association or Co-operative Society under the relevant statute.

243. The customs authority concerned shall endorse the full details of the imported spares in the Pass Book at the time of allowing customs clearance, under his dated signature and stamp.

Note : In the case of a vehicle imported in the past, a Pass Book will be issued by the licensing authority concerned, on receipt of an application from the owner of the imported vehicle.

244. It shall be a condition that the imported spares shall be supplied by the importing Association/Co-operative Society to the individual members for whom the import is made. The Association/Co-operative Society shall keep an account (in the form of a register) of all such imports and distribution and it shall be available for inspection by the licensing authority or any other authority concerned in this behalf at all times. The Actual User condition shall, however, apply in all such cases, as if the import had been made by the individual members on their own volition directly.

245. Import of spares for tractors may also be undertaken by the State Agro-Industries Corporation, on behalf of individual tractor owners in their respective States. In their case the detailed procedure outlined above will not apply. They will, however, declare in the relevant Bill of Entry, or any other documents prescribed by rules that "the spares have

been imported on behalf of individual owners of imported tractors situated in (name of State/Union Territory to be given) under the provisions of the import policy in force." It will be the responsibility of the Corporation to ensure that the individual tractor owners who obtain supplies through them do not separately import themselves directly or through Associations/Co-operative Societies referred to in para 242 above, during the same licensing period.

Import of spares by Indian agents of foreign machinery/Instruments manufactures

246. (1) Applications for the grant of import licences under the import policy should be accompanied by a photo-copy of the valid agency certificate duly attested and also by an affidavit by the applicant to the effect that the spares proposed to be imported are related to the machinery imported by or through him or by the earlier agents. In case an existing agent has been replaced by another agent as per an agreement with the principals, successor agent applicant will furnish a letter from the principals stating that he is the authorised agent and confirming that the agreement with the previous agent stands terminated.

(2) Applicants for licences to Indian Agents of foreign machinery/instruments manufacturers have the option to apply for a consolidated licence covering the entitlement for the three years period of the import policy, i.e., from April, 1990 to March, 1993. Such licences will have validity period of 36 months and will be subject to the conditions that not more than 1/3rd of the value of the licence can be used in a year subject to the provision that the portion of the entitlement unused in respect of first and/or second year(s) can be utilised in the subsequent year but within the overall period of validity of the licence.

Emergency Licences for Spares :

247. (1) Applications for emergency licences for import of spares under the import policy in force should be made in the form as given in Appendix III-A. It should be accompanied by a list of the items sought to be imported and a declaration of the Chief executive i.e. Chairman/Managing Director/Executive Director/Managing Partner, as under :—

> "I declare that our application for the grant of emergency licence for spares is in conformity with the import policy in force as there has been an actual/imminent breakdown of production machinery. I also declare that the items sought to be imported as spares are not Capital Goods items. The emergent import of spares has been necessitated because of the following :
>
> (Broad particulars of the situation to be given)"

(2) Applications for import of emergency spares from Actual Users (Industrial), in the form and manner prescribed above should be made to the regional licensing authority concerned if the value applied for does not exceed Rs. 2.5 lakhs in the case of small scale units and Rs. 5 lakhs in the case of large scale units. Applications where the value exceeds the limits prescribed above should be made to the Office of the CCI&E, New Delhi. In the case of an application for the licence for import of emergency spares exceeding Rs. 25 lakhs, in value, import licence will be issued after obtaining the recommendation of DGTD or of reputable engineering consultancy organisation.

(3) In the case of Actual Users (Non-industrial), applications of a value up to Rs. 20,000 should be made to the regional licensing authority concerned. Applications where the value exceeds Rs. 20,000 should be made to the Office of the CCI&E, New Delhi.

(4) The applicant should furnish a list—in fair, of the spares (and consumables, if any), sought to be imported. This should be stamped by the Official seal of the applicant and after due attestation by the licensing authority will form part of the licence to be issued (without going into their indigenous availability angle).

(5) State Electricity Boards, Projects and Undertakings engaged in production and distribution of electricity, and also Irrigation Department/Project Authority will be allowed import of emergency spares under OGL on the basis of release of foreign exchange from the Central Electricity Authority or the Administrative Ministry/Ministry of Finance. This facility will also be available to departmentally run undertakings, Railways and Port Trusts. In all these cases, no indigenous clearance will be necessary. Such imports will however, require list attestation by DGT&D if value of spares exceeds Rs. 25 lakhs.

Indian Distributors of Foreign Machinery Instruments Manufacture :

248. Application for grant of licences for import of spares by Indian Distributors of foreign machinery/instruments manufacturers, accompanied by valid dealership certificates and authorisation from the Government departments and other Actual Users for import of spares on their behalf, should be made to the CCI&E, New Delhi. The Indian distributors will be required to furnish an account of spares imported; supplies made and foreign exchange earnings within three months of the date of clearance of the imported consignment.

CHAPTER VII

GOVERNMENT DEPARTMENTS, DEPARTMENTALLY RUN UNDERTAKINGS AND PUBLIC SECTOR ENTERPRISES

State Electricity Boards/Projects/Undertakings

249. (1) State Electricity Boards/Projects/Undertakings in the public sector and engaged in the production and distribution of electricity should submit their applications for import of capital goods, raw material, components and consumables in the prescribed form to the licensing authority concerned. However, there is no need for them to submit consumption certificate. Applications should be accompanied by the following documents :—

(i) An attested copy of the letter containing the sanction of release of foreign exchange to cover the imports sought to be made;

(ii) Five copies of the list of goods proposed to be imported (indigenous clearance should be obtained from DGTD).

(iii) A Bank Receipt/Demand Draft showing the payment of prescribed application fee; and

(iv) Clearance of Department of Electronics if the value of electronic items excluding telecommunications equipment covered under para 6(17) of the Import Policy, to be imported exceeds Rs. 25 lakhs. For telecommunication equipment covered under para 6(17) of the Import Policy prior clearance of Department of Telecommunications (Telecommunication Commission) will be essential if the value of such imports exceeds Rs. 25 lakhs.

(2) Import licences will be issued by the licencing authority concerned on the basis of foreign exchange release and indigenous clearance.

NOTE : After the import of goods against the licence issued as above, the Board/Project/Undertaking should promptly send to the Central Electricity Authority, New Delhi, the list of items actually imported to enable the Authority to undertake review of the items so imported vis-a-vis indigenous availability.

Govt. Contracts/Stores ordered by the Director-General of Supplies and Disposals/Indian Railways/ Defence Organisations/AIR/Doordarshan and Other departmentally run undertakings

250. Special arrangements have been made to deal with applications for import licences by persons or firms, etc. to cover goods (raw materials and capital goods) in respect of which a contract/order has been placed on them by the Director-General of Supplies and Disposals, Indian Railways, Defence Organisations, A.I.R., Doordarshan and other departmentally run undertakings provided the foreign exchange has been released by the administrative Ministry concerned.

251. (1) *Import Recommendation Certificate* :— In the above cases the application should obtain from the appropriate Department concerned, an Import Recommendation Certificate (IRC) showing inter-alia :

(i) The number and date of the Contract/ Order.

(ii) Description of goods.

(iii) Country of import.

(iv) Contractual value of goods.

(v) CIF value of goods.

(vi) Expected period of delivery.

(vii) Name of the indentor.

(viii) Number and date under which foraign exchange has been released.

(ix) Source from which foreign exchange is provided and mode of payment.

(x) Reference number and date under which indigenous clearance has been obtained from the DGTD in respect of goods sought to be imported.

(xi) Reference number and date under which the clearance has been obtain from the Department of Electronics in respect of electronic items including facsimile equipment for a value of Rs. 5 lakhs or more and marine equipment and parts thereof in respect of value involved.

NOTE : (a) In respect of items appearing in Appendices 2 Part-B, 3 Part-A, 8 and 10 of the relevant import policy, it will be necessary for the Department concerned, to obtain clearance from the DGTD, before recommeding the import. For steel items appearing in Appendix 2 Part-B and Appendix 3 Part-B of Import Policy a similar clearance will be obtained from the Department of Steel, New Delhi. In respect of equipment, if any, sought to be imported indigenous clearance will be necessary for all items, and restricted type of equipment will not be allowed.

(b) The concerned department will issue the IRC after all the terms and conditions pertaining to the relevant contract have been finalised and an indication to this effect will be given in the I.R.C.

(c) On receipt of the I.R.C., CCI&E (A.L. Section) will issue the import licence without reference to any committee.

(2) In the above cases, where the applicants have obtained from the appropriate department concerned, an Import Recommendation Certificate (IRC), normal procedure for grant of supplementary licence, will be applicable if no foreign exchange is released for the purpose by the Administrative Ministry concerned.

252. *Form and manner of application.*—On receipt of the Import Recommendation Certificate, the applicant should make out a consolidated application in respect of each contract/order covering all goods in the Form 'B' given in Appendix VII to this Book. On top of the application "DGS&D Contract" or "Railways Order" or "Defence Contract" etc. as the case may be, should be written in block letters. Applications should be made to the CCI&E (A.L. Section) New Delhi, alongwith Import Recommendation Certificate from the concerned Department and other relevant documents including Bank Receipt/ Demand Draft showing payment of application fee. There shall be no last date for receiving applications under this category.

253. *Intimation to Licensing Authority.*—If, for any reasons, the licensee is unable to utilise the imported material for the purpose for which the licence has been issued to him and during the period stipulated in the relevant contract/order, he shall immediately send the necessary intimation to this effect in writing to the licensing authority concerned, stating the circumstances in which he has failed to utilise the goods for the purpose for which the import was allowed. On receipt of such intimation, the licensing authority may consider initiating action under Clause

10-C of the Imports (Control) Order, 1955, as amended with ny other action that may be taken or any other person in this behalf.

CHAPTER VIII

Special Licensing Provisions

Special Requirements of Approved Hotels

254. The procedure for the import of Capital Goods by the approved hotels is given in Chapter III. Same procedure will be applicable for the import of other requirements of the approved hotels. Tourist hotels (one star to five star) and the Tourist hotels approved by the Director General of Tourism, Government of India, New Delhi, covering their essential import requirements can also apply on the recommendations of Director General of Tourism, New Delhi, without indigenous clearance from DGTD upto a value not exceeding 10 per cent of foreign exchange earned by them from foreign tourists during the preceding licensing year. Certain other facilities to tourist hotels (one star to five star), restaurants and the tourist hotels approved by the Director General of Tourism, Government of India, New Delhi, are also available, details of which are given in Chapter VIII of the Import & Export Policy, 1990—93 (Volume-1).

Import of Office Machines

255. (1) Application for licence for the import of Office Machines and other items specified in para 118 of the Policy should be made in form given in Appendix III-A and should be accompanied by a declaration indicating the quantity and value of the machine and other materials for which import licences have been obtained or import applications have been made during the same licensing period. Information about imports made during preceding two licensing year should also be furnished. The licensing authority will allow imports only after taking into account similar imports already allowed or applied for in the same period in the case of Export Houses/Trading Houses. In the case of o r importers similar imports already allowed or applie or in the previous licensing year and in the same licensing year will be taken into consideration before allowing imports. Applications should be made to the Regional Licensing Authorities concerned.

(2) Application for import of Office Machines may also be considered by Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, from Government Departments, Banks, Public Enterprises, Insurance Companies, Air Lines, R&D Units, Scientific or Research Laboratories. Institutions of Higher Education and Hospitals for their own use. Such applications will be considered on merits having regard to indigenous angle.

(3) Applications may also be considered from Chambers of Commerce and Industry where the activities of the applicants justify such import. While applying for an import licence the applicant should also furnish the number of office machines of the same type already available with him both of indigenous manufacture and of imported origin separately and give justification for the import sought to be made. Normally, applications for import will not be entertained from those in the licensing year who obtained licence for the same machine(s) in any of the two previous licensing years, if they are not already eligible under sub-para 1 above.

(4) Facility for import of spares and consumable tools for office machines as given in Chapter 8 of the Import Policy can also be availed of by importer of Office Machine under sub-para 2 above. Such applications may also be considered by the Regional Licensing Authorities from the importers of the office machines. In their case the value of the licence will be limited to Rs. 10,000/-. Requests for licences exceeding a value of Rs. 10,000/- will be considered by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi (AL Section). Along with the application, the applicant should furnish a declaration indicating the description of machines and their c.i.f. value, imported during the last three financial years.

IRMAC Scheme

256. Applications for the grant of a licence under the IRMAC Scheme (Industrial Raw Materials Assistance Centre Scheme) should be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, in Form given in Appendix XIII. The application must be accompanied by a list of items proposed to be imported and must indicate the quantities and values sought to be imported. Separate applications should be made for import of items under Open General Licence and others. Applications for subsequent licences can be made to replenish the stocks already serviced. Such applications must be accompanied by a statement giving details of the licences serviced, the quantity supplied and the names of the actual users.

Newspaper Establishments

257. In the case of Newspapers, as defined by the Press and Registration of Books Act, 1867, the sponsoring authority will be the Registrar of Newspapers for India.

258. Import and distribution of newsprint continues to be canalised through the State Trading Corporation of India. Newspaper establishments should apply for their requirements of newsprints in the prescribed form for allotment thereof, given in Appendix VIII-A.

259. For their requirements other than newsprint, the Newspaper establishments will be treated on par with the other Actual Users (Industrial).

260. The above facilities for newsprint and other requirements will also be extended to Associate Press which have entered into long term arrangements/contracts with the owners of newspapers for the printing of their newspapers. In such cases, the applicant should produce satisfactory evidence of such arrangement/contract.

261. Common ownership unit of newspapers have the option to submit consolidated applications covering requirements of all their units located at more than one place. In such cases the requirement of each unit should be separately given in a list appended to the consolidated application. together with separate

consumption certificate for each. Such applications should be made to the Regional Licensing Authority within whose jurisdiction the respective registered Head Office is situated.

262. For requirements of capital goods by newspapers establishments, the procedure as given in Chapter III would be applicable.

263. Newspapers establishments should maintain an account of consumption and utilisation of imported materials in the proforma given in Appendix VIII-B.

Import of Transformer Oil together with power Transformers

264. Oil supplied for the first filling along with the transformer may be treated as part of the transformer and its clearance allowed against licences issued for transformers. It may, however, be noted that the quantity of transformer oil so allowed shall not in any case exceed the capacity of the tank of the transformer. It is also necessary to ensure that the c.i.f. value of the oil plus the c.i.f. value of the transformer should be covered by the c.i.f. value specified in the licence for transformer.

Clearance of Condemned Ship Stores

265. The clearance of condemned ship stores shall be regulated as under :—

(i) Clearance of condemned ships stores upto a value limit of Rs. 2,000/- in each case may be allowed by the Collector of Customs concerned without a Customs Clearance Permit.

(ii) In cases where the value of condemned ships stores exceeds Rs. 2,000/- at a time and clearance is allowed from foreign vessels, the regional licensing authorities may issue Customs Clearance Permit without Exchange Control copies on the basis of Customs assessed value. The value of all such Customs Clearance Permits shall be debited to CCI&E's ad-hoc ceiling by the licensing authorities concerned.

(iii) In all other cases, where foreign vessels are not involved and the value of stores exceeds Rs. 2,000/-, the licensing authorities may issue Customs Clearance Permits without exchange control copies.

Clearance of Unidentifiable or Unclaimed Cargo, Excess Landed Cargo, Sweepings etc.

266. (1) The regional licensing authorities concerned may issue Customs Clearance Permits against applications received from Steamer agents, for the clearance of unidentifiable or unclaimed cargo. Where the value of such goods does not exceed Rs. 1000/- clearance may be allowed by the customs without CCP.

(2) Steamer Agents may also apply to the regional licensing authorities for the grant of Customs Clearance Permits for clearance of excess landed cargo. In cases, where the value of the cargo exceeds Rs. 5,000/- the CCP will be issued by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi after verifying bonafide of the goods from the customs concerned.

(3) Customs authorities may allow clearance without import licences, of bonafide sweepings (i.e. remnants of the bagged cargo obtained by sweeping of the shed in the Docks), whether dutiable or not, provided :—

(i) the sweepings are all from one particular ship;

(ii) the duty, where leviable, has been paid in full on all manifested consignments of similar goods from the ship in question, or in the case of duty-free goods, where all manifested consignments of similar goods have been cleared by the Customs;

(iii) there was no excess cargo on the particular ship; and

(iv) it has been certified by the Port Trust Authority that the sweepings are genuine and obtained from sheds in the Docks.

(4) In these cases, where the goods to be cleared are canalised for import through a public sector agency under the Import Policy in force, the clearance of the goods shall be subject to the condition that the goods shall be sold to the canalising agencies concerned at landed cost.

Imports from neighbouring countries.

267. In case of Trade with neighbouring countries special instruction may be issued by the CCI&E from time to time.

Licensing under Trade Agreements

268. (1) The Government of India have signed Trade Agreements with a number of foreign countries. These Trade Agreements are revised from time to time. In addition to the Trade Agreements, special payments and trade arrangements have also been worked out with respect to some of the countries. Licences under the special payments and trade arrangements with these particular countries are issued from time to time. For particulars, the importers are advised to contact the CCI&E, New Delhi.

(2) Notwithstanding any provision to the contrary, in case of import of items covered by Inter-Governmental Agreement which inter-alia provides for an import licence for imports under the Agreement, intending importers including Government Departments and Undertakings shall be required to obtain import licence for such items with such special conditions as may be deemed necessary, even though the items are allowed for import under Open General Licence.

(3) Applications for grant of import licence should be made in the prescribed form and manner to the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, (C.G. Cell), Udyog Bhavan, New Delhi.

Import of Radio-Active Isotopes

269. Requests for import of Radio-Active Isotopes should be made to the Department of Atomic Energy, Bombay.

Grant of CCPs for Films to News Correspondents and News-Agencies

270. Import of unexposed films, free of charge, by regular news correspondents/news-agencies will be

considered by the licensing authorities for issue of a CCP on the recommendations of the Press Information Bureau, New Delhi. However, newsmen and cameramen of Doordarshan/AIR accompanying the official delegations abroad will be allowed clearance of exposed/unexposed films meant for Doordarshan/AIR without any CCP.

Sale of Exhibits imported for National/International Exhibitions/Fairs organised by the Trade Fair Authority of India

271. (1) The sale of exhibits, if allowed will be permitted only against a valid import licence within the bond period allowed for re-export. This facility will also be available to such Actual Users as are eligible to import the same goods under OGL. If sale of goods is not effected within the bond period due to circumstances beyond the control of the importer, the Customs authorities may allow extension of bond period at their discretion.

(2) 'Fair Quota' will be granted by the 'Trade Fair Authority of India', New Delhi to each exhibitor in the fair for sale of their exhibits as follows :—

(i) Rs. 7,500/- per square metre of space booked subject to a maximum of Rs. 1,50,00,000/- for each country participating in the Fair at National level.

(ii) Rs. 4,500/- per square metre of space booked subject to a maximum of Rs. 25 lakhs for each foreign commercial firm participating independently in the Fair.

(3) The procedure for sale of such exhibits is given below :—

(i) If the machinery proposed for disposal is allowed under OGL, its sale will be permitted by Customs to eligible Actual Users without the permission of the licensing authority.

(ii) If the buyers/actual users hold import licences for the machinery in question, the sale of that machinery is allowed by the Customs by debiting to the import licence.

(iii) Where the machinery sought to be sold is not in the restricted list or on Open General Licence and its value does not exceed Rs. 10 lakhs the sale is allowed to eligible Actual Users against import licences within the fair quota entitlement of the international exhibitors concerned. Import licences in such cases are issued without reference to the indigenous angle and essentiality certificate. No Actual User is permitted to buy more than one No. of machinery of the same category.

(iv) Where the machinery sought to be sold is not in the restricted list or on open general licence and its value exceeds Rs. 10 lakhs but does not exceed Rs. 50 lakhs, the sale is allowed to actual users against import licences within the fair quota entitlement of the international exhibitors concerned. Import licences in such cases are issued after obtaining indigenous clearance and essentiality certificate from the D.G.T.D. The advertisement procedure and approval of Capital Goods Committee prescribed for import of capital goods will not be required to be followed in such cases. No actual user is permitted to buy more than one number of the machinery of the same category.

(v) In the cases referred to in (i), (iii) and (iv) above, the buyer Actual User is required to give a declaration to the effect that the machinery sought to be purchased will not increase the authorised capacity of production and it will not in any other way violate the industrial licensing policy regulations and shall be subject to Actual User condition.

(vi) In respect of cases not covered by the aforesaid category, the normal CG procedure will apply and applications for grant of licences for the purchase of the machinery are considered by the CG Ad-hoc and CG Main Committees, as the case may be.

(vii) Application by eligible Actual User, for grant of import licence within the fair quota entitlement of the exhibitor is to be made either through the diplomatic missions in India of the country concerned or to the Trade Fair Authority which will co-ordinate and forward the same to CCI&E, New Delhi.

Import of Sports Goods/Equipment for Development of Sports

272. (1) Applications for import of sports goods/equipment not indigenously available will be considered from Central and State Government Organisations dealing with sports, Educational Institutions/Universities, Associations of sportsmen, Sports Clubs and eminent sportsmen, duly sponsored and recommended by the Central or State Government Department concerened.

(2) Applications may be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi in the form prescribed for this purpose in Appendix III-D of the Hand Book of Procedures, 1990-93 through the concerned sponsoring authority. The sponsoring authority, before recommending the import, will obtain indigenous clearance from DGTD (Import & Export Policy Cell), Udyog Bhavan, New Delhi. In respect of the items listed in Appendix 11 of the Import and Export Policy, 190-93 (Vol. I), it will not be necessary to obtain indigenous clearance from DGTD

(3) Applications involving value beyond rupees one lakh will be placed before the Inter-Departmental Committee. Such applications will be considered having regard to the availability of foreign exchange.

(4) Import licences in such cases will be subject to such conditions as may be specified by the Chief Controller of Imports and Exports with regard to the use and distribution of the imported equipment.

CHAPTER IX

IMPORT OF CARS AND VEHICLES

Import of motor vehicles

273. Policy for the import of cars and vehicles is laid down in Chapter IX of Import and Export Policy 1990-93 (Vol. I).

Procedure

274. Application for import licence/CCP should be made to the Chief Controller of Imports & Exports (B.L. Section), New Delhi in the form given in Appendix IX together with the voucher of the payment of the application fee prescribed namely Rs. 500/- (or equivalent amount in foreign exchange to be deposited in the Indian Embassy), irrespective of the value of the car or vehicles applied for.

Conditions applicable

275. (1) On its arrival in India, the vehicle should be got registered in the name of the licence-holder only.

(2) Before clearance at Port, the licence-holder wil execute, in the form prescribed, a Bond for an amount equal to the customs assessed c.i.f. value of the vehicle, in favour of the President of India, with the local licensing authority, undertaking to fulfil the conditions applicable to the import licence/CCP, supported by a guarantee of a Scheduled Bank. Alternatively, he may furnish a surety by a Scheduled Bank for the customs assessed c.i.f. value of the vehicle against Mortgage of the said vehicle for the currency of the 'No Sale' period. The bond/Surety/legal agreement should be valid for a period of six years initially, but the licence/CCP holder would be obliged to get it extended or renewed for such further period as the licensing authority may require, six months prior to the expiry of the initial period. (The licensing authority can make suitable modification in the bond form to meet individual requirements). However, the Bank Guarantee will be redeemed by the concerned Regional Licensing Authority after the expiry of the 'No Sale' period. The "No Sale" period will not be applicable in the case of category 'A'.

(3) The licence holder shall not, within the "No Sale" period(s) set down below, transfer, howsoever, the ownership of possession of the vehicle without the written prior permission of the licensing authority. The transfer, if permitted shall be subject to such price and terms and other conditions as to the transferee/time allowed etc., as may be specified by the licensing authority (categories of the importers are defined in Chapter IX of Import-Export Policy Book)

(i) **Categories B,D,F,G,H, and I—**

The 'no sale' period shall be 5 years from the date of importation;

(ii) **Category C—**

The vehicle shall be re-exported when the importer leaves India except for a short visit abroad not exceeding 3 months at a time. The importer may also be permitted by the licensing authority concerned to sell the vehicle in India to another eligible foreign national subject to the conditions indicated in sub-para (7) below or to any other person/agency subject to such terms and other conditions as to the transferee, price etc. as specified by the licensing authority.

(iii) **Category E—**

(a) The car shall be held on account of the foreign collaborators and shall not be sold or otherwise disposed of or possession parted with or pledged, mortgaged or hypothecated, at any time, without the prior written permission of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, and subject to such conditions as may be laid down. However, CCI&E may consider request for sale of imported car, provided ten years have elapsed since the date of import. In such cases the car shall be required to be offered for sale first to the State Trading Corporation of India.

(b) This condition shall also apply to all cases in which import licences have already been issued but the bond has not yet been accepted by the concerned licensing authority.

(4) Licence holders of category (B) shall not leave the vehicle in India while going abroad on visits likely to exceed one year. In any case the vehicle should normally be in the custody of another member of the family only during such absence. If the licence holder has to go abroad for more than one year, he should report the matter by Registered Post A.D., to the licensing authority with whom the Bond had been executed giving reasons for his (extended) stay and the proposed date of return. This will not apply to Category 'A'.

(5) For periods of stay abroad exceeding one year, the licence holder would be obliged to extend the bond period by the period of such overstay, unless the licensing authority exempts him from doing so. In case the total period of stay abroad is likely to be more than two years, prior written permission of the licensing authority would be mandatory in all cases. Failure to do so would entail the confiscation of the imported vehicle.

(6) The licence holder will be free to re-export the vehicle in the event of his leaving the country for good but he should keep the licensing authority informed before hand.

(7) A foreign national licensee will, however, have the option to sell the vehicle in India to another foreign national provided (a) the buyer is eligible himself to its import, under the policy in force, (b) its price and connected expenditure is paid by the buyer from his personal funds abroad without, in any way involving remittances from India, (c) the buyer undertakes to abide by the same conditions subject to which the import had been allowed and (d) the buyer executes a bond backed by a bank guarantee to meet these requirements to the satisfaction of the Licensing Authority. Sale of the imported car in the open market may be permited subject to the conditions that the repatriable portions of the sale proceeds does not exceed the landed cost paid in foreign exchange minus the depreciation.

(8) After the vehicle is cleared at the port and the bond has been executed, the licence holder will immediately keep the licensing authority at the port of disembarkation of the vehicle, informed of his (intended) regular address in India i.e. the place where the car will be kept and used. The bond and other papers relating to his case will then be transferred to the licensing authority under whose jurisdiction the said address would be situated. There after all further correspondence should be with the later authority only and the rights and obligations under the policy would be exercisable by him.

(9) The licence holder should produce, on demand evidence satisfactory to the Chief Controller of Imports and Exports or to the licensing authority to prove that vehicle continues to be in his ownership and possession during the period. If any violation is found by any other Government authority (Central or State) concerned with the Motor Vehicle Acts, or the Police, they will report to the Chief Controller of Imports and Exports of the Licensing Authority concerned immediately.

(10) Persons given possession of or negotiating the purchase of a vehicle imported under this policy should, in their own interest, ensure that they are themselves free to do so, i.e. the vehicle can be in their possession or ownership in terms of this policy and relative Bond. The onus of proof will be on them to do so. Vehicles found in the possession of unauthorised persons under this policy will be liable to confiscation unconditionally.

CHAPTER X

IMPORT OF GIFTS

276. The policy applicable to the import of gifts is given in Chapter X of the Import & Export Policy, 1990—93 (Volume-I). Applications for import of items of gifts should be made in the form as laid down in Appendix X of this book.

Import of Video tape/cassette records (with or without TV/monitor/camera)

277. Applications may be made to the regional licensing authorities concerned, and should be accompanied by the following documents :—

(i) Donor's letter in original.

(ii) An affidavit of the applicant, on stamped paper of the appropriate value, duly sworn in before a judicial authority or Notary Public or Oath Commissioner or Indian High Commission/Embassy/Consulate showing the exact relationship of the donor with the applicant.

Import of other articles as gifts

278. (1) In other cases, application for the grant of Customs Clearance Permits for import of articles received as gift will be considered on merits. Such applications may be considered from individuals, institutions and establishments. The provisions of Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 should be complied with wherever they are attracted before applying for CCP.

(2) Applications may be made for the import of other articles as gifts to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi. However, in the following types of cases, applications may be made to the regional licensing authority concerned :—

(a) where the value does not exceed Rs. 25,000 in the case of institution, in respect of articles for its own use; and

(b) where the value does not exceed Rs. 10,000 in the case of a registered medical practitioner in respect of equipment/Instruments required for his own professional use.

(3) The application fee will be required to be paid at the prescribed rate, except in the case of articles which are received as gift by an individual for his pesonal use. The applicant should also furnish with his application the original letter received from the donor who is making the gift.

(4) In the case of institutions where the c.i.f. value of the article to be gifted exceeds Rs. 2 lakhs, the applicant should also produce the recommendation from the State Government or the Central Government, as the case may be, in support of the request for import.

(5) Apart from the value of the articles to be gifted, other consideration that will be taken into account while deciding these applications, will be the nature of the article offered as gift, the relationship between the donor and the recipient, and the purpose for which an article is sought to be imported. In appropriate cases, the licensing authority may consult other Ministries concerned.

(6) Customs Clearance Permits, whenever issued will be subject to such conditions as may be imposed by the licensing authority.

CHAPTER XI

IMPORT FACILITIES FOR NON-RESIDENT INDIANS/PERSONS OF INDIAN ORIGIN RETURNING FROM ABROAD

279. Non-resident Indians/persons of Indian origin are given certain special facilities in the matter of import of Capital Goods, raw materials, components, consumables and spares.

280. (a) Applications for the import of Capital Goods should be made in the form given in Appendix XI-A of the Hand Book of Procedures, 1990—93. Applications for import or raw materials, components, consumables and spares should also be made in the same form till such time the applicant switches over to the normal Policy applicable to Actual Users. These applications should be made to Special Approvals Committee (NRI), Department of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi.

(b) Applications for the grant of industrial licence in the prescribed form IL duly filled in with 14 spare copies and proposal for foreign collaboration, will also be considered by the Special Approvals Committee (NRI). Every proposal so received from non-

resident Indian/person of Indian origin would be considered on a composite basis including issue of industrial licences, where necessary. Government's decision will be communicated to the applicant within a period of 45 days.

(c) No permission to sell the Capital Goods will be allowed for a period of 5 years from the date of import. Thereafter, such sale may be made only with the prior permission of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi.

CHAPTER XII

IMPORT OF TECHNOLOGY

281. Detailed provisions for Import of Technology are given in chapter XII of the Import and Export Policy, 1990—93 (Vol. I). Applications for import of Drawings & Designs are to be made in Form-L given in Appendix XII of this book.

Imports under Technical Development Fund

282. Application for import should be made to the Special Committee for Technical Development Fund Department of Industrial Development (R & I Section), Udyog Bhavan, New Delhi in the prescribed form for C.G. imports, foreign collaboration, etc. and in the requisite number of copies. An application for Capital Goods should be accompanied by Bank Receipt/Demand Draft for the prescribed application fee. They should be accompanied by a note explaining the comprehensive modernisation scheme of the unit and how the imported inputs will aid export development, technological upgradation, capacity utilisation etc.

283. (i) To facilitate expeditious implementation of the approved projects, the following simplification has also been introduced :—

(a) foreign exchange allocation will be simultaneous with the approval of import and no further procedure for seeking foreign exchange loan will be necessary;

(b) all indigenous clearance will be given by the sponsoring authorities and in appropriate cases indigenous clearance condition would be waived; and

(c) decision on applications will be given within 45 days.

(ii) Import Licences will be granted by the office of the CCI&E. Department of Industrial Development while sending their recommendations to the CCI&E will also send a copy of the application form alongwith its enclosures including Bank receipt/Demand draft towards the application fee, in original.

Import of items for energy conservation

284. Applications for the import of items required by industrial units for energy conservation and covered by Chapter XII of the Policy will be considered by CCI&E, New Delhi on the recommendation of DGTD, Import and Export Policy Cell, Udyog Bhavan, New Delhi.

285. Such applications as are not approved under this scheme will be automatically considered for disposal under the normal procedure. It would not be necessary for the applicant to apply afresh.

CHAPTER XIII

ITEMS FOR STOCK AND SALE

286. Applications for import of Dry Fruits, Spices and Photographic Films, Ammunition, weedicides and spare parts of machinery of stock and sale as per policy given in Chapter XIII of Import & Export Policy, 1990—93 (Vol. I) should be made in Form given in Appendix XIIIA.

CHAPTER XIV

FACILITIES FOR SMALL SCALE INDUSTRIES

287. In order to assist the Small Scale units the facilities mentioned in the various chapters of the Policy have been briefly outlined in Chapter XIV of the Import Policy 1990—93 (Vol. I), Applications under the respective Schemes are to be made as specified in the other Chapters of this Book.

CHAPTER XV

REGISTERED EXPORTERS

REGISTRATION OF EXPORTERS

Registering Authorities

288. (1) In order to be able to obtain export benefits, exporters are required to be registered with the registering authorities. The names and addresses of Registering Authorities for different export products are given in Appendix XV-A.

(2) Exporters for whom no registering authority has been specified can get themselves registered with the Export Promotion Officers at the ports, namely, Bombay, Madras and Calcutta. They will have jurisdiction over Western, Southern and Eastern zones respectively. In respect of the Northern zone, the registering authority will be the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Central Licensing Area, New Delhi.

(3) Exporters exporting products covered by more than one product group are required to get themselves registered with an Export Promotion Council related to their main line of export business. In addition, in case the total f.o.b. value of exports of all the export products during the preceding licensing year is upto Rs. 10 lakhs, they are also required to get themselves registered with the Export Promotion Officers at the ports, namely, Bombay, Madras and Calcutta with their jurisdiction over Western Southern and Eastern Zones respectively and with the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Central Licensing Area, New Delhi, with his jurisdiction over Northern Zone. However, in case the total f.o.b. value of exports of all the export products during the preceding licensing year in more than Rs. 10 lakhs, they are also required to get themselves registered with FIEO, PHD House, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi.

(4) A registered exporter seeking recognition as an Export House/Trading House/Star Trading House has to be registered with the Federation of Indian Export Organisations.

(5) The FIEO will be the registering authority for all product groups.

(6) The Registration-cum-Membership Certificate issued by FIEO/Export Promotion Council, Officers/ Commodity Boards shall clearly indicate the export products for which registration as a registered Exporter or Export House or Trading House or Star Trading House is being allowed. The export benefits shall be restricted to only such products which are indicated on the RCMC's issued by the registering authorities concerned.

(7) Where registration is required under any statute with a Government agency, such requirement would have to be complied with separately by the exporter. Export Houses, Trading Houses/Star Trading Houses will be required to send to them copies of their detailed schemes and action programme for export and quarterly and annual returns of exports commodity-wise and country-wise, in the manner as may be prescribed by FIEO from time to time. They are also required to send a copy of the reports, as mentioned hereinabove, to the Chief Controller of Imports & Exports (Statistical Division), Udyog Bhavan, New Delhi. Failure to submit the relevant information to FIEO and the CCI&E will make them liable to withdrawal of such status.

Application for Registration

289. Application for registration should be made to the concerned Registering Authority/Export Promotion Officer. In the case of concerns having branches, the application for registration can be made by the registered office in the case of limited companies and head office in the case of others. A registration certificate issued to the registered office/ head office in such cases will also be valid for its branches. The branches can also apply separately for registration, in which case the Registering Authority will issue a separate registration certificate to the applicant branch; this will, however, not make Export Houses/ Trading Houses/Star Trading Houses eligible to make independent applications for their additional/Special Additional licences except on a consolidated basis for all their branches and the head office concerned.

290. (1) The application for registration should be made in the form appearing in Appendix XV-B.

(2) In the case of manufacturers, other than those registered with the DGTD, Part II of the Registration-cum-Membership certificate has to be filled in by the sponsoring authority concerned. In the case of merchant exporters, Part II of the Registration-cum-Membership certificate is not required to be filled. In the case of manufacturer-exporters, the registering authority may, however, itself fill in Part II of the certificate on the basis of the Registration certificate issued to the applicant by the State Director of Industries or the sponsoring authority concerned. Based on this, a provisional registration-cum-membership certificate may be issued to the applicant. Thereafter, the registering authority should carry out necessary verification from the State Director of Industries or the sponsoring authority, as the case may be, and make such further changes as may be necessary on that basis on the registration-cum-membership certificate and also delete the word provisional therefrom.

291. The application for registration should be accompanied by the following documents :

(i) Bank certificate in support of the applicant's financial soundness; and

(ii) Registration-cum-membership certificate form with Part I and the relevant columns of Part II duly filled in.

Registration Certificate

292. The form of registration certificate is given in Appendix XV-C.

293. If an applicant is both a manufacturer-exporter as well as a merchant-exporter, separate certificates will be issued to him by the registering authority concerned. (It may be clarified that if a manufacturer also exports products manufactured by others, he should get himself registered as a merchant-exporter for such export products).

Eligibility for Registration

294. Exporters who are members of the E.P. Council concerned having a past export performance, a good record and experience, are eligible for registration. An applicant having no previous experience of exports in a particular line may also be registered if the registering authority is satisfied about the general commercial background of the applicant, his industrial experience or export performance in other lines. Appeal in the matter of registration by a Registering Authority can be made in terms of para 149 of the Hand Book.

Conditions of Registration

295. (a) A registration certificate will be issued subject to such conditions as the registering authority concerned may consider necessary. One of the conditions of registration shall be that the Registered Exporter shall furnish quarterly returns of exports including "nil" returns to the registering authority by the fifteenth day of the month following the quarter.

(b) The registration of an item by an Export Promotion Council or Commodity Board will hold good for that item only which is endorsed on the RCMC. This is further subject to the provisions made in para 293 above.

(c) In the case of components of engineering goods and handlooms (fabrics and made-ups other than natural silk made-ups) which, for the purpose of grant of replenishment licences, are classified under different product groups depending upon the raw material used in their manufacture, the Registered Exporters can get themselves registered with any one of the concerned registering authorities. Similarly, in the case of made-up articles of precious/semi-precious stones like ash trays, penholders, etc. which fall under 'Handicrafts', it would not be necessary for

the exporters to get themselves registered with Export Promotion Council for Handicrafts in case they are already registered with the Gem & Jewellery Export Promotion Council. Also, in a case where the licensing authority decides that the product exported as Handicrafts is actually classifiable elsewhere, the applicant, if he is already registered with the Export Promotion Council for Handicrafts, will not be required to produce registration with the other Registering Authority. Further, exporters of E.P.N.S. wares registered with Export Promotion Council for Handicrafts will not be required to be registered separately with Engineering Export Promotion Council.

Registration for composit items

(d) In case of composite items which contain raw materials falling under different products groups, say Plastics, Engineering etc., if the value of a particular raw material used is more than 50% of the value of the composite item, it is enough if the exporter registers himself with Registering Authority concerned with the major content of the composite item.

Registration for Project Exports

(e) In the case of "project exports", if the exporter is registered with the Engineering Export Promotion Council, it will not be necessary for him to get registration with other Export Promotion Councils/Commodity Boards concerned with various commodities covered by the project in question.

Validity of registration

(f) Once an exporter has been registered, the registration shall remain valid for four years (from the date of issue) and upto the end of the licensing year during which it expires, unless the exporter registered ceases to exist, or his name is de-registered for any reason or he becomes ineligible to hold the certificate.

(g) In the case of units situated in Free Trade Zones/Export Processing Zones, the registration certificate will have a period of validity as indicated by the Registering Authority concerned.

Exports prior to Date of Application for Registration

296. Exports made by a Registered Exporter before a date earlier than 12 months prior to date of application for registration will not qualify for import replenishment. For this purpose, the effective date of submission of the application will be the date on which a complete application is received. (In the case of non D.G.T.D. units, the date of receipt of the application by the sponsoring authority for the purpose of filling up Part II of the Registration-cum-Membership Certificate will be taken as the date of application for Registration for the purpose of this para). For reckoning the period of 12 months, the month, during which the application for registration is received, will not be taken into account. Again, in respect of export of items which qualify for replenishment only after realisation of foreign exchange, the period of 12 months will reckon from the period of export and not from the date of realisation of payment. Exporters, in their own interest, are advised to make applications in time so as to enable them to avail of the export incentives.

Change in Constitution or Ownership

297. (1) Where there is any change in the ownership, constitution, name or address of any Registered Exporter, it shall be obligatory on his part to intimate the change to the registering authority within six months. This applies to both registered manufacturer-exporters and registered merchant-exporters. In the case of manufacturer-exporters, however, the registering authority will also verify whether the permission of the sponsoring authority in regard to the change has been obtained. Such changes as mentioned above will not require any fresh registration. This is also applicable in cases where the applicant becomes a mechant-exporter from the status of manufacturer exporter or vice-versa.

(2) The Export Commissioner in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports may condone on merits the delay on the part of the exporter for sending requisite intimation within the prescribed time limit.

(3) In cases where the requisite intimation about the change is not sent within the prescribed/permitted time or the delay is not condoned by the Export Commissioner, the exporter shall have to apply for fresh registration.

De-registration of Exporters

298. (1) The Registering Authority may de-register an exporter for a specified or indefinite period for one or more export products where the exporter :—

(a) has ceased to have the qualification required for registration or the conditions of registration have been violated;

(b) has indulged in any form of unfair, corrupt or fraudulent practice, or failed to fulfil any export obligation; or

(c) has failed or being a partnership, any of its partners has failed, or being a limited company, any of its whole time or Managing Director has failed, to utilise satisfactorily any quota allocated for export earlier.

(2) An exporter will ordinarily be given a show-cause notice, before he is de-registered.

(3) Pending enquiries into any complaint received against a registered exporter, or for any other good and sufficient reason to be recorded in writing, the Registering Authority or the Chief Controller of Imports & Exports or the Additional Chief Controller of Imports and Exports or the Export Commissioner in the office of the CCI&E or the concerned Joint Chief Controller of Imports & Exports may keep the operation of the registration of an exporter under suspension for a specified period.

(4) Where an Export House/Trading House/Star Trading House is registered with the Federation of Indian Export Organisations and also with the respective Export Promotion Council/Commodity Board, the de-registration of such exporters by FIEO will apply automatically to his registration with the respective Export Promotion Council/Commodity Board. Likewise, if such an exporter is de-registered by the Export Promotion Council/Commidity Board, it will automatically apply for his registration with the FIEO for the respective export product(s).

(5) Where a Star Trading House/Trading House/Export House/registered exporter is de-registered for malpractices by any registering authority of Export Promotion Council or FIEO or by CCI&E or the Additional Chief Controller of Imports & Exports or the Export Commissioner or the concerned Joint Chief Controller of Imports & Exports for having indulged in any form of unfair corrupt or fraudulent practices or fail to fulfil any export obligation, it shall automatically stand de-registered with all other registering authorities including Export Promotion Councils/Commodity Boards/FIEO.

(6) Where a company or a firm is de-registered or its registration is kept under suspension, the de-registration/suspension order will also mention the names of proprietors/partners/directors of the firm/company.

Registration and De-registration by the Chief Controller of Imports and Exports

299. The Chief Controller of Imports and Exports, the Additional Chief Controller of Imports and Exports or the Export Commissioner in the office of the CCI&E or the concerned Joint Chief Controller of Imports & Exports may register or de-register an exporter or direct the registering authority to do so. De-registration under this provision may be ordered for reasons covered under para 298 above, or in cases where the exporter has committed breach of any law, rule or regulation pertaining to foreign trade or for inadequate reasons, commits a breach of a contract with a foreign party or fails to pay the amount of commission payable to foreign agent, or has failed to supply any information or data required from him or for any other reason to be recorded.

Complaints against Indian Exporters

300. Complaints received against individual exporters will be investigated by the Export Commissioner in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi. Appropriate action will be taken against the defaulting units and steps taken to preserve the image of Indian exports overseas.

Certification of Exports

301. (1) At the time of shipment, a Registered Exporter should have the export promotion copy of the shipping bill duly authenticated by the Customs.

(2) After shipment, the Registered Exporters should have the exports certified by an authorised dealer in foreign exchange at the time of presentation of export documents to such dealer i.e., the bank, for the purpose of negotiation and/or collection of bills. While presenting the export documents, he should fill in and give to the bank the declaration (in triplicate) in Form I as in Appendix XV-D (Annexe I), for exports made on "out right" sale basis and in Form II in Appendix XV-D (Annexe II) for exports on consignment basis/approval basis.

(3) The bank will certify the f.o.b. value of exports in Indian rupees and countersign the declaration after necessary verification with reference to the export documents. The bank will also verify whether the shipping bill has been duly authenticated by the Customs authority. The bank will then pass on the original certificate with the relevant copy of the bank attested invoice to the Registered Exporters concerned, the duplicate to the licensing authority concerned, and the triplicate will be retained by the bank for its record. In the case of exports made on consignment basis/approval basis, the bank will certify the f.o.b. value and countersign and pass on the certificate as in Form No. II, to the Registered Exporter, only after the export sale proceeds have been realised and surrendered to the Indian Exchange Control. A bank certificate covering more than one consignment may also be entertained. The detailed procedure in this regard is given in Appendix II-O. In cases where the bank has not verified that the shipping bill has been duly authenticated by the customs authorities and the exporter instead produces the export promotion copy of the relevant shipping bill duly authenticated by the customs, the licensing authority may accept the same, if otherwise in order.

(4) Amount of commission or discount paid or payable to foreign agent shall be deducted from the f.o.b. value of exports for the purpose of calculating the import replenishment entitlement.

(5) However, hydraulic testing and painting charges, handling and stevedoring charges will be counted for calculating f.o.b. value. Interest charges will also be counted as part of f.o.b. value only if the same is shown seperately in the invoice and the bank has negotiated the bill for an amount including the "interest charge".

(6) The procedure outlined above for certification of exports by the authorised dealers in foreign exchange will not apply in the case of the following :—

(i) Cinematographic films (exposed);
(ii) Exports by Value Payable Post parcel;
(iii) Export of books, journals and periodicals;
(iv) Sales made at international exhibitions abroad;
(v) Export of carpets to foreign tourists against advance payment;
(vi) Export of machinery and equipment against Indian equity participation in joint ventures abroad.

Procedure for Submission of Application for Licences

302. (1) Consolidated applications for import licences against export of all the products in a product-group should be made in the prescribed form and manner to the licensing authority under whose jurisdiction the registered office, in the case of a limited company, and head office in the case of other registered exporters, is situated. The names and jurisdiction of the licensing authorities are indicated in Appendix II-B.

(2) The regional licensing authorities having normal territorial jurisdiction for dealing with import applications, will also deal with applications for import licences under the import policy for Registered Exporters in respect of exporters situated in their jurisdiction.

(3) In the case of registered contracts or project exports, application could, however, be filed contract-wise or project-wise, instead of covering all the exports belonging to a product-group.

(4) It will be open to a branch of a limited company or of a Registered Exporter to apply for an import replenishment licence against the exports effected by it, to the licensing authority within whose jurisdiction the branch is situated, provided that such branch is separately registered as an exporter or produces evidence to the effect the registration certificate issued to the registered office of the limited company/head office in other cases is also valid for the branch in question. The application in such types of cases should be accompanied by a certificate of head office or the registered office as the case may be, to the effect that it has not claimed and will not claim any replenishment licence against the exports covered by the application.

Frequency of Applications

303. A Registered Exporter should apply for a licence based on exports made during a month or a quarter (April–June etc.) or half year (April–September) or a year (April–March). Applications for import replenishment licence may be made every month or per quarter or per half year or on yearly basis as may be found convenient by the registered exporter. Each exporter will decide which procedure he would like to opt for and intimate this to the Licensing Authority at the time of his first application for an REP licence at the beginning of the licensing year. If he fails to do so, he will be taken to have opted for the quarterly system. (No change in option will be allowed in the course of the licensing period). In the case of exports on consignment/approval basis, such applications should likewise be made in respect of sale proceeds realised. The procedure in the case of Gem REP licences is outlined in chapter XXI.

Time Limit for Submission of Applications

304 (1) Applications for import replenishment licence should be made so as to reach the licencing authority concerned within a period of three months from the end of the period of export or from the end of the period of receipt of sale proceeds in the case of consignment exports, as the case may be. In cases where the sale proceeds are received in advance or where exports are made on R.B.I. approved deferred payment terms the time limit for submission of applications for import replenishment will be reckoned with reference to the period of actual export.

(2) If an exporter makes more than one application, instead of making a consolidated application pertaining to his exports in a product group in a particular export period, the licensing authority may entertain such subsequent application (s) by imposing a cut of 5% subject to a minimum of Rs. 5,000/- in the admissible replenishment. This amount of cut will be in addition to the cut that may have to be imposed on the same application on account of delay in submission of the application under sub-para (3) of this paragraph.

(3) Applications received (including those for Gem REP Additional/Special Additional Licences) after the prescribed time limit, or in respect of which deficiencies, if any, are made up after the time limit prescribed for submission of applications, may also be considered by the licensing authorities provided the applications are received or the deficiencies are made up within a period of three months after the expiry of the time limit for submission of the applications. The applications received thereafter will be liable to be rejected. The licensing authorities may, however, consider such applications on merits, subject to a cut in the value of import replenishment admissible against the exports in question. The extent of cut in the value that may be imposed in such cases will be as under :—

(i) Applications received after a period of 6 months from the last month of the export period, but within 12 month—5 per cent cut.

(ii) Applications received after a period of 12 months from the last month of the export period, but within 18 months—10 per cent cut.

(iii) Applications received after a period of 18 months from the last month of the export period, but within 24 months—15 per cent cut.

(iv) Applications received after a period of 24 months from the last month of the export period will be summarily rejected as time barred.

(4) The above cuts in respect of delayed/deficient applications against exports of products which qualify for replenishment only after realisation of foreign exchange will be applied with reference to the period during which the payments are credited to the exporter's account and not with reference to the period of exports.

(5) In the case exports by V.P.P. of products other than Gem & Jewellery and Cinematographic Films (exposed), the time limits for submission of applications will be reckoned with reference to the date of payment as given in the Post Master's Certificate or the intimation slip.

(6) Where an application is partly incomplete i.e. export documents in respect of some of the shipments have not been produced, the licensing authority may dispose of that part of the application in respect of which complete documents have been produced by issuing the import replenishment licence to the applicant. In such cases, part of the claim which is supported by all the necessary documents may not be held up on account of the part claim which is incomplete. This is subject to the cuts prescribed in sub-para (3) above.

Date of Shipment/Despatch

305 For the purpose of considering applications for import replenishment under the import policy for Registered Exporters, the relevant date of export will be determined as under :—

(a) In the case of shipment by sea, the date of export will be determined as follows :—

(i) In the case of break-bulk cargo exported by ship, the date of export will be the date of bill of lading or the date of mate receipt, whichever is later.

(ii) In the case of containerised cargo, the date of export will be the date of 'On-board Bill of Lading' evidencing the loading of the container on the ship. However, the date of "Received for shipment Bill of Lading" evidencing the date of loading of the export goods into the container may also be taken as the date of export if the L/C specifically provides for such Bill of Lading. In the case of export by containers from Inland Container Depot (ICD), the date of export will be the date of bill of lading issued by the shipping agents at the time of loading of the export goods in the ICD after customs clearance.

(iii) In the case of export by Lash barges, date of export will be the date of the bill of lading evidencing loading of the export goods on board the barge which is to be carried to the barge carrying mother ship.

(b) In the case of export by air, the relevant date of shipment is either (i) the date on which the appropriate officer of customs makes the order permitting clearance and loading of the goods for export on the shipping bill; or (ii) the date on which the appropriate officer of customs permits physical loading of goods by way of a notation of flight number and date on the shipping bill, whichever is later. When consignments for exports are handed over to air cargo complexes which are not international airports for onward transmission to the International airports and then out of the country, no transhipment certificate shall be required if the cargo meant for exports and handed over to the air cargo complexes is not allowed to be withdrawn before its exports out of the country. A certificate to this effect should be given on the shipping bill by the appropriate officer of customs.

(c) In the case of exports by post-parcel, the date of export will be determined by the date stamped on the postal receipt.

(d) In the case of exports by rail, the date of export will be determined by the date of RR (Railway Receipt).

(e) In the case of exports by road, the date of export will be determined by the date on which the goods crossed the Indian border as certified by the Land Customs Authorities.

Documents to be submitted with Application

306. Applications for licences should be made complete in all respects, supported by a Bank Receipt/Demand Draft for the appropriate amount towards the application fee, and other prescribed documents.

307. (1) Alongwith the application, the applicant should furnish E.P. copy of the shipping Bill and a statement of exports in the form given in Appendix XV-F indicating the particulars of exports against which the import application is made.

(2) In addition, the exporter shall furnish a declaration giving the names of his bankers through whom his entire transactions are effected, accompanied by a certificate from the concerned banks to the effect that realisation of export proceeds against exports done by him are not outstanding for a period of more than six months. The certificates from the banks shall also indicate the amount of outstanding & their period, if it is more than six months. (A proforma of the certificate is given in Appendix XV-K of this book.) In case the certificates indicate that there are no outstandings, the REP licence would be issued straight away. In case outstandings are due for more than six months and no extension has been granted by RBI, then the outstanding amount would be adjusted against the value of REP licence due & for the balance amount, the REP licence would be issued. The adjusted value of the licence would be issued after the realisation of outstanding amount.

(3) However, in the case of exports made on specific RBI approved deferred payment terms, the REP licences may be issued provided the exporter, alongwith the aforesaid documents, also furnish a copy of RBI approval for deferred payment terms.

308. However, in the case of export of cut & polished diamonds, the following procedure shall also apply :—

(i) In case of exporters of Cut & Polished Diamonds having less than 3 years past export performance, REP licence will be issued on the basis of bank realisation certificate. In case of exports backed by irrevocable letters of credit, or where the exporter gives a bank guarantee for a value of 30% of the value of the REP licence, licence may, however, be issued without insisting on bank realisation certificate. Bank Guarantee shall be issued by the banker who has negotiated the documents of exports and shall be valid for a period of one year. The guarantor bank and the exporters shall undertake the responsibility of producing the bank realisation certificate within this period, failing which the bank guarantee would automatically be forefeited and the amount realised to the Government. (A proforma of the Indemnity-cum-Guarantee Bond is given in Appendix XV-L of this Book). In such a party would also be adjusted against his eventuality, value of the licence issued to the subsequent claims.

(ii) In case of exporters having a minimum 3 years export performance, REP licences will be issued without insisting on bank realisation certificate. While submitting his application the registered exporter shall furnish a declaration giving the names of the bankers' with whom the exporter deals with, alongwith Bankers' Certificates to the effect that realisation of sale proceeds against exports made by exporter, whose documents were negotiated by them, are not outstanding for a period of more than 6 months. The certificates from the banks shall also

indicate the amount of outstandings and their period, if it is more than 6 months. (A proforma of the certificate is given in Appendix XV-K of this book). In case the certificates indicate that there are no outstandings for a period beyond 6 months, the REP licence would be issued straight away. In case outstandings are due for more than 6 months, then the outstanding amount would be adjusted against the value of REP licence due and for the balance amount, the REP licence would be issued for the balance value. The adjusted value of the licence would be issued after the realisation of outstanding amount.

(iii) Notwithstanding any thing contained in sub-para (ii) above, if the outstandings are due for three or more consignments of exports, or such outstandings exceed Rs. 50 lakhs, the exporter shall be deemed to have been covered under the category of sub-para (i) above, and his applications for issue of REP licences shall be regulated in accordance with the policy applicable in such cases.

309. (1) The category of export products and the documents to be submitted alongwith the application for issue of import replenishment licence, have been indicated in Appendix XV-I of this book.

(2) In addition to the documents mentioned above, a Registered exporter/Export/Trading/Star Trading House will also be required to furnish any other documents/information as may be considered necessary by the licensing authority or is required in terms of the relevant Import Policy and Procedures in force.

310. Export Houses/Trading Houses/Star Trading Houses should produce with their import application, a copy of the Export House/Trading House/Star Trading House Certificate issued by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, with a declaration that it has not been cancelled or withdrawn.

Consolidation of Export Cargoes

311. (1) There are cargo Agents approved by the International Airports Transport Association (IATA) and recognised as such by leading Airlines. Each approved IATA Agent has got a separate IATA Code number. Such agent consolidates air cargoes for individual exporters. Under this arrangement individual exporters sending goods abroad by air have an advantage in air-freight to be paid by them.

(2) An exporter who avails of this facility will continue to be required to have the relevant shipping bill duly passed and authenticated by the customs authorities. The cargoes pertaining to such individual shipping bills will be collected by the consolidator who is an approved IATA Agent. The consolidator will prepare one Master Airways Bill (M.A.B.). The description of exported goods as mentioned in the Master Airways Bill will be 'Consolidation cargo' as per list attached. The list referred to in the Master Airways Bill will contain in respect of each consignment the name of the exporter, the description of goods and their quantity and weight, shipping bill number and House Airways Bill Number. The House Airways Bill (H.A.B.) will be issued by the consolidator to each of the exporters from whom the cargo has been collected pertaining to the respective consignments. The House Airways Bill will contain all the particulars of the consignments of the individual exporter concerned which are given in normal Airways Bill. The goods in question will be exported by air on the basis of the Master Airways Bill. In respect to such exports the banks and the licencing authorities in cases where an Airways Bill is required to be produced for claiming import replenishment will accept the House Airways Bill if otherwise in order provided it is certified by the Airlines concerned indicating the number and the date of the Master Airways Bill of which it is a part. The certificate should be as under :—

"The goods covered by this House Airways Bill have been exported *vide* Master Airways Bill No. .... dated ....

The individual exporters will produce their respective House Airways Bills to the banks for issue of bank certificate and also to the licensing authorities, wherever necessary for claiming benefits under the import policy for Registered exporters.

(3) The date of export in such cases will be taken as the date of the Master Airways Bill as mentioned by the Airlines concerned in the relevant House Airways Bill. For the purpose of calculating the FOB value of exports, for import replenishment purposes, the amount of air freight paid by the exporter to the Consolidator (IATA agent) will be taken into account. for the purpose of verification, the IATA agents will furnish to the licensing authorities, through the Air Cargo Agents Association of India, the copies of their published schedule of airfreight rates to be charged from exporters in respect of different commodities and destinations.

(4) In respect of cargoes moving in cosolidation as indicated in sub para 2 above, the exporter should have the necessary clause to this effect incorporated in the letter of credit at the time of conclusion of export contract in order to ensure realisation of export proceeds against such export.

(5) The exporters in such cases will be required to furnish all the other prescribed documents.

Loss of Original Bank Certificate of Exports/E.P. Copy of the Shipping Bill

312. (1) In the case of loss of original Bank Certificate of exports or E.P. copy of the shipping Bill, applications for grant of REP licences may be considered from the Registered exporters by the concerned licensing offices headed by an officer not below the rank of a Dy. Chief Controller of Imports & Exports, within whose jurisdiction the Registered/Head Office of the company/firm is located. In case the office of the eligible applicant falls within the jurisdiction of a licensing office which is headed by an officer below the rank of Dy Chief Controller of Imports and Exports, the application shall be made directly to the concerned Zonal Joint Chief Controller of Imports & Exports, but one additional application may be sent to the Asstt. Chief Controller of Imports & Exports, in whose jurisdiction the applicant

falls. Such applications shall be accompanied by the following documents :—

(i) EP Copy of the shipping bill or a certificate from the customs certifying that exports have, in fact, been made;

(ii) All the prescribed documents in original;

(iii) Duplicate copy of the 'Bank Certificate of export' issued in lieu of the original lost, by the concerned bank or a certificate from the customs certifying that exports have, in fact, been made;

(iv) A certificate from the bank certifying that the foreign exchange against the exports in question has been realised;

(v) An affidavit by the exporter about loss of original bank certificate or E.P. copy of the shipping Bill and promising that the same would be surrendered to the concerned licensing authority in case the same is subsequently found; and

(vi) An Indemnity Bond by the exporter to the effect that he would indemnify the Government for the financial loss, in rupees, if any, on account of REP licences issued against the lost Bank Certificate.

(2) In case both original Bank Certificate of Exports and E.P. copy of the shipping Bill are lost, no REP licence(s) shall be allowed.

(3) The time allowed for preferring claims in such cases and the extent of cut in the value of the Import Replenishment licence will be as under :—

(i) Applications received upto a period of 6 months from the last month of the export period—10 per cent cut.

(ii) Applications received after a period of 6 months from the last month of the export period but within 12 months—15 per cent cut.

(iii) Applications received after a period of 12 months from the last month of the export period but within 18 months—20 per cent cut.

(iv) Applications received after a period of 18 months from the last month of the export period but within 24 months—25 per cent cut.

(v) Applications received after a period of 24 months from the last month of the export period shall be summarily rejected as "time-barred."

Classification/Re-classification of Export-Products

313. Suggestions for classification/re-classification of export products can be made to the Chief Controller of Imports & Exports (E.P. Cell), New Delhi, through the Export Promotion Council/Commodity Board concerned, with full justification, supporting data with regard to rate of import replenishment and the imported materials required for use in its manufacture.

Import of Capital Goods against REP entitlements

314. (1) An Actual User (Industrial) may be allowed to import non-OGL capital goods including instruments & accessories thereof (other than those included in Appendices 1 Part A, 2 Part B and 8) and balancing equipment against REP licence(s) issued to him against his own exports of the products manufactured by him without indigenous clearance, in accordance with the prorvisions contained in para 195 of the Import & Export Policy, 1990-93. Eligible manufacturer-exporters may approach the licensing authority concerned, in whose juridiction the factory of the Actual User is located, with the following documents :—

(a) A certified copy of the Industrial Licence or Registration of the industrial unit concerned;

(b) A declaration, in original, that the import of the machinery applied for shall not result in exceeding the licensed/approved production capacity of the applicant unit;

(c) A statement giving the details of REP licences i.e. their number, date and value or the particulars of pending REP applications against which licences have yet to be issued, against which the machinery, in question, is sought to be imported;

(d) Complete description of the machinery to be imported (5 copies).

(2) More than one REP licence can be consolidated for this purpose.

(3) The REP licences to be surrendered for the purpose of machinery import under these provisions should have an unutilised balance of at least three months in their period of validity, as on the date on which they apply for import of Capital Goods. The CG licence issued against surrender of REP licences/REP entitlement will be given normal validity period as applicable to CG licences. Such CG licences may also be allowed revalidation as per the policy applicable for Capital Goods licences.

Substitution of Import content by indigenous materials

315. (1) The policy for supply of indigenous Materials to holders of valid REP licence or Actual User licence has been laid down in Chapter XV of the Import & Export Policy.

(2) On receipt of the request from the licence holder, the licensing authority concerned will issue an indigenous Release Order, in triplicate, in the form given in Appendix XV-H of this book, on the indigenous producer indicating the description of goods as given in the licence or covered by the licence, quantity and the value, and to reduce to that extent the value of the import licence.

(3) The original copy of he indigenous Release order will be sent to the applicant, second copy to indigenous producer and the third copy will be sent to the licencing authority in whose jurisdiction the factory of the indigenous producer is located.

(4) The indigenous producer shall obtain the acquittance of the Indigenous Release Order holder for

the receipt of the goods and the value thereof. The original of the release order should be retained by him. The value to be treated as the f.o.b. value of exports for this purpose will be the value for which the goods are supplied by the indigenous producer or the value of the Release Order, whichever is lower.

(5) The indigenous producer shall submit the application for grant of REP licences to the licensing authority concerned within whose jurisdiction his factory is located, accompained by the following documents :—

(i) Original copy of the Indigenous Release Order evidencing the supplies made with the name of the item, its quality, technical specifications, quantity and value;

(ii) Bank certificate indicating the receipt of payments;

(iii) Certified photocopy of the SSI/DGTD Registration Certificate/Industrial licence, as the case may be, indicating the items which the indigenous producer is authorised to manufacture;

(iv) Photocopy of the valid Registration-cum-Membership Certificate issued by the concerned Export Promotion Council in favour of the applicant; and

(v) A declaration about the composition/contents of the base material in case import replenishment rate is dependent upon the composition/contents of the material.

Export of Engineering goods to Engineering Export Promotion Council Warehouse at Rotterdam

316. (1) A Registered Exporter having a continuous export performance during the past hree licensing years is allowed to stock for ultimate sales abroad his engineering goods in the Rotterdam warehouse maintained by EEPC. Such exports will also qualify for import replenishment licences initially at the rate of 80% of the IR rate applicable. The balance 20% entitlement will be permitted after relisation of foreign exchange. The foreign exchange shall be realised within a period of 15 months from the date of export or upto the time permitted for such realisation by the Reserve Bank of India.

(2) The above facility will be subject to the following conditions :—

(a) The applicant should submit a concrete export plant for the next 3 years to the Engineering Export Promotion Council, to the satisfaction of EEPC;

(b) The applicant should not have come to any adverse notice or have been debarred/kept in abeyance by the licensing authorities. A certificate to this effect will be obtained by the applicant from the EEPC and enclosed with the application for REP. (This facility will not be available to an applicant as long as debarment/abeyance order is not lifted/withdrawn).

(3) Notwithstanding the relevant provisions contained in this chapter, the following procedure shall apply :—

(a) The application, alongwith the prescribed fee, for REP licence will be submitted separately for each consignment, within a period of six months from the date of exports.

(b) The application shall be accompanied by the following documents :—

(i) EP Copy of the Shipping Bill;

(ii) Bank attested copy of the invoice;

(iii) Photo-copy of GR-I form duly certified by the negotiating Bank;

(iv) Provisional bank certificate of export in the proforma reproduced at Annexe V to Appendix XV-D of this book; and

(v) A bond undertaking to surrender REP licences of the same product group equivalent to the difference between value of REP licences obtained under these provisions and shortfall/non-realisation of foreign exchange.

(4) After the sale of goods abroad pertaining to a consignment, the application for final adjustment relating to REP licences shall be made within a period of six months from the date of realisation of foreign exchange. This would be treated as exports on consignment basis and, therefore, the application shall be accompanied by the Bank certificate of export in the proforma reproduced at Annexe II to Appendix XV-D of this Book.

Registration of Export Contracts

317. In order to provide stability for the growth of exports, a scheme is in operation for Registration of contracts. The details are given in chapter XX of the Import & Export Policy, 1990—93 (Volume-I).

CHAPTER XVI

DEEMED EXPORTS

318. The procedure prescribed in Chapter XV of this book with regard to entitlement and grant of import replenishment benefits shall apply, mutatis mutandis, to "Deemed Exports" also.

319. The procedure to be followed for making application for the grant of import replenishment licences are outlined below. The documents to be furnished are indicated in Appendix XVI-E.

Procedure for submission of applications for issue of REP licences in respect of supplies made against Duty Free licences

320. (1) The indigenous producer of any item can supply that item to a person holding a valid Duty Free licence, if the said item is permitted for import on the said licence. Such supply will be tareated as "Deemed Exports" only for the purposes of (i) import replenishment as admissible under the import

policy for Registered Exporters, and (ii) the discharge of export obligation, if any, imposed on the indigenous producer under the Capital Goods/Industrial Licence or approval of foreign collaboration or any other scheme.

(2) In case where the indigenous producer is willing to sell and the Duty Free Licence holder is willing to purchase the goods, in question, the Duty Free licence holder should make a specific request to the licensing authority which issued the licence, indicating the full description, quantity and the value for which the goods covered by the said Licence are proposed to be procured from the indigenous producer.

(3) On receipt of such request, the licensing authority will issue the Advance Release Order, in triplicate, indicating the name and full address of the supplier, full description, quantity and the value of the goods proposed to be supplied. The licensing authority will simultaneously debit Part 'C' of the D.E.E.C. Book, indicating both the quantity and value, reducing to the extent the value of the Duty Free Licence. Two copies of the release order will be given to the Duty Free Licence holder and the third copy will be sent by the licensing authority directly to the licensing authority of the indigenous supplier.

(4) The Original of the Advance Release Order should be retained by the indigenous producer after obtaining the acquittance of of the Release Order holder for the receipt of the goods and the value thereof. He shall submit application for issue of import replenishment licences on monthly, quarterly, half yearly or yearly basis within the prescribed time limit on the basis of date of supplies to the licensing authority concerned within whose jurisdiction his registered office/head office, as per para 302 of this Handbook, is situated. The application should be accompanied by the documents/information indicated in Appendix XVI-F.

(5) The import replenishment will be calculated on the basis of F.O.R. value (nearest Rail head) instead of f.o.b. value.

(6) The Advance Release Order shall be valid upto the date of expiry of the Duty Free Licence against which it is issued.

(7) The specimen of the Advance Release Order has been given in Appendix XV-H of this book.

Procedure for submission of applications against exports covered by Paras 206 (b), (c), (f), (i) and (l) of the Import & Export Policy 1990–93 (Vol. I)

321. (1) Application for import replenishment licences should be made to the regional licensing authorities concerned.

(2) Applications should be made in the prescribed form alongwith the documents prescribed in Appendix XVI-A and XVI-E on monthly, quarterly, half yearly or yearly basis within the prescribed time limit, on the basis of payment received. The import replenishment will, however, be calculated with reference to the date of supply of the material which will be taken as the date of export, except in the case of registered contracts for which the relevant provisions will apply.

(3) In cases where the project authority has made only part payment but the applicant has field his application against the full supplies made, the licensing authority will consider the claim only to the extent of the payment received. After the project authority makes the final payment, the applicant should then produce a further certificate from project authority in respect of the balance payment received on the basis of which, the licensing authority will issue supplementary REP licence to the applicant as may be admissible.

(4) In the case of supplies made to the U.N. Organisation or other multinational agencies, or supplies made in India against international competitive biding for which the payment is received in free foreign exchange, the application may be made on monthly, quarterly or half yearly basis, within the prescribed time limit, on receipt of payment. The import replenishment will, however, be calculated at the rate applicable on the date of supply which will be taken as the date of export except in the case of a registered contract for which the relevant provisions will apply. The import application should be made in the prescribed form and supported by the documents indicated in Appendix XVI-F.

(5) The import replenishment will be calculated in the case of the supplies made in India on the basis of F.O.R. value (nearest rail head) instead of f.o.b. value.

Sale to foreign tourists & supplies made in India of indigenously maunfactured consumer durables including vehicles to the foreign diplomatic personnel, trade representatives in Embassies/High Commissions

322. (1) A registered exporter who possesses an "Authorised Money Changers' Licence" issued by the Reserve Bank of India, will be eligible for grant of Replenishment licence against (i) sale to foreign tourists & (ii) supply of indigenously manufactured consumer durables including vehicles to the foreign diplomatic personnel/Trade Representative in Embassies/High Commissions; provided the payments are received in free foreign exchange in the manner permissible under the "Authorised Money Changers' licence". In the case of cheques drawn on Banks outside India, a certificate from the authorised dealer in foreign exchange to the effect that the proceeds of the cheque have been realised, should be produced. In all other cases, a certificate that the cheque/amount have been surrendered to the Indian Exchange Control, would be sufficient.

(2) Ministry of Commerce and/or the Chief Controller of imports & Exports may recommend cancellation of the licence issued by the Reserve Bank of India, if deemed justified.

(3) In respect of sales of items other than Gem & Jewellery, the following procedure will apply :—

(a) The Registered Exporter will be required to maintain printed, serially numbered voucher books. A specimen voucher is given in Appendix XVI-B to this Book;

(b) Each sale voucher will be in triplicate showing details regarding the name and nationality of the tourist, his/her passport number, description of items sold, the sale value in foreign exchange and the rupee equivalent details thereof;

(c) The original sale voucher will be handed over to the tourist for his own use;

(d) The duplicate copy of the voucher will be sent by the dealer alongwith the application for replenishment licence at the time of its submission; and

(e) The triplicate copy will be retained by the dealer for his record.

(4) In respect of the sale of Gem & Jewellery items, to foreign tourists in India against foreign currency/traveller's cheques, the following producer is to be adopted by the registered exporter, who shall also be an approved jeweller :—

(a) Registered approved jeweller will be required to maintain printed, serially numbered voucher books the particulars of which should be noified in advance to the licensing authority. A specimen voucher is in Appendix XVI-B;

(b) Each sale voucher will be in quadruplicate showing details regarding the name and nationality of the tourists his/her passport number, description of the gem and jewellery item sold, the sale value in foreign exchange and the rupee equivalent details of the foreign currency traveller cheques given by the tourist;

(c) The original sale voucher should be handed over to the tourist for being given to the Customs authority at the time of his departure from India;

(d) The duplicate copy of the sale voucher will be handed over to the tourist for his own use;

(e) The triplicate copy of the sale voucher will be sent by the jeweller alongwith the application for replenishment licence at the time of its submission; and

(f) The fourth copy will be retained by the jeweller for his record.

(5) (A) The Registered Exporters will be required to maintain a register containing the following particulars :—

(i) Serial Number;

(ii) Number of the sale voucher;

(iii) Date of sale;

(iv) Name of the foreign purchaser;

(v) His/Her Passport number;

(vi) Description of the item sold and the material of which made;

(vii) Value in rupees;

(viii) Equivalent foreign exchange surrendered;

(ix) Name of the bank in which foreign currency traveller's ch[illegible]es/crossed foreign bank drafts/cheques deposited;

(x) Date of deposit; and

(xi) Remarks.

(B) The register will be open to inspection by Government Agencies.

(6) Import applications should be made to the licensing authority concerned within the prescribed period after receipt of payment in foreign exchange. The rate of import replenishment will, however, be related to the date of sale. The applications should be accompanied by the documents as given in Appendix XVI-E.

(7) In respect of sale of items other than Gem & Jewellery payment made through credit cards issued by Diner's Club, Master Card International and American Express International will also be eligible for import replenishment under this policy subject to the terms and conditions laid down in this para & on evidence of receipt of foreign exchange through authorised banking channel. However, in respect of sale of Gem & Jewellery items, payment made through credit cards issued by Diner's Club and American Express International will be eligible for import replenishment.

CHAPTER XVII

EXPORT OF SERVICES

323. The Import policy relating to the different types of services eligible for the benefit of import replenishment and the import replenishment benefits available against hes services, is contained in Chapter XVII of the Import and Export Policy.

324. In order to be eligible to obtain exports benefits, the services exporters are required to register themselves with the appropriate Export Promotion Council/Commodity Board. Necessary details in this regard are contained in Chapter XV of this Book.

325. Applications for the issue of REP licences against services exporters should be submitted to licensing authorities concerned in the form as shown in Appendix XVII and as per the procedure laid down in Chapter-XV of this book. The applications should be accompanied by the following documents :—

Sl. No.	Service Exports	Documentations
(1)	(2)	(3)
1.	Computer soft-ware (i) exports through magnetic tapes, floppy discs, and paper.	Copy of purchase order/Contract, (ii) invoice attested by a Scheduled Bank, (iii) foreign exchange inward remittance certificate (FIRC) issued by the Bank, (iv) Shipping Bill/PP form attested by competent authorities, (v) GR form (copy) (vi) Chartered Accountant Certificate indicating the number and date of RBI approval and amount of foreign exchange released for expenses abroad, passage money paid in India for consultants experts/other personnel for travel abroad and net foreign

Sl. No.	Service Exports	Documentations
(1)	(2)	(3)
		exchange earned, and (vii) RBI approval of the agreement signed with the overseas client (RBI may take cognizance of the export order received through Fax and Telex but this should invariably be followo by a regular signed contract between parties within 15 days of the receipt of the Fax/Telex).
2.	Computer soft-ware exports through data/link satellite.	(i) Copy of purchase order contract, (ii) invoices attested by a Scheduled Bank, (iii) foreign exchange inward remittance certificate (FIRC) issued by the Bank, (iv) SOFTEX form for export via satellite copy, (v) Chartered Accountant Certificate indicating the number and date of RBI approval, and amount of foreign exchange released [for expenses abroad, passage money paid in India for consultants/experts/other personnel for travel abroad and net foreign exchange earned, and (vi) RB approval of the agreement signed with the overseas client (RBI may take cognizance of the export order received through Fax or Telex but this should invariably be followed by a regular signed contract between parties within 15 days of the receipt of the Fax/Telex.
3	Consultancy services including Computer consultancy and other overseas services referred to in para 213 of the Import Policy.	(i) Copy of purchase order/s contract, (ii) invoices attested by a Scheduled Bank, (iii) foreign exchange inward remittance certificate (FIRC) issued by the Bank, (iv) Chartered Accountant Certificate indicating the number and date of RBI approval, and amount of foreign exchange released for expenses abroad, passage money paid in India for the consultant/experts/other personnel for travel abroad and net foreign exchange earned, and (v) RBI approval of the agreement signed with the overseas client (RBI may take cognizance of the export or order received through Fax or Telex but this should invariably be followed by a regular signed contract between parties within 15 days of the receipt of the Fax/Telex.

326. The other relevant provisions contained in Chapter-XV of this Book shall apply mutatis-mutandis to this Scheme also.

CHAPTER XVIII

EXPORT HOUSES, TRADING HOUSES AND STAR TRADING HOUSES

327. The import policy relating to Export Houses, Trading Houses and Star Tranding Houses is given in Chapter XXVIII of the Import and Export policy 1990—93 (Vol. 1).

Applications for Export House/Trading House/Star Trading House Certificate

328. (1) Eligible applicants should submit their applications to the CCI&E (E.P. III Section), New Delhi, on or before 30th September, of the lcensing year in the prescribed form as given in Appendix XVIII-A of this book. The statement of Exports on which the application is based should be certified by a chartered/Cost Accountant or company Secretary, who is not a partner, Director or an employee of the applicant firm, or its associates. In respect of the eligible exports made through a Public Sector Enterprise, the application should be supported by a certificate from the Public Sector Enterprise.

(2) Direct exports made in the name of the applicant, as evidenced by the following documents will be counted :—

(i) Export orders/export contracts (in his own name).

(ii) Bank certificates showing realisation of foreign exchange (whether or not they indicate the name of the manufacturer of the goods exported) in his own name.

(iii) Invoices (whether or not they indicate the name of the manufacturers of the goods exported) in his own name.

(iv) Exports made as an associate of the state Trading Corporation or other similar public sector enterprise may also be counted if such exports are otherwise acceptable provided —

(a) all the REP benefits on the exports in question have been made available to the applicant.

(b) the name of the applicant appears in any of the relevant documents, with or without the name of the public Sector Enterprise,

(c) the Public Sector Enterprise certifies that the applicant has made a significant effort in effecting the connected exports, and

(d) the Public Sector Enterprise gives a declaration to the effect that they have neither included, nor will include these exports, for obtaining these benefits themselves.

(3) In respect of the following export products manufactured by SSI/Cottage Sector Units, if the applicant is unable to give the names of the manufacturer(s) concerned, a declaration to this effect

from him may be accepted, for the purpose of determining his eligibility for the Export/Trading/Star Trading House Certificate :—

(i) Agarbattis, Dhoop and incense;

(ii) Leather manufactures including finished leather and paint brushes;

(iii) Sports goods;

(iv) Spices and curry powder and pastes;

(v) Hand made carpets, druggets, durries, namdhas and rugs;

(vi) Ready-made garments and made-up articles;

(vii) Khadi;

(viii) Hosiery;

(ix) Handloom fabrics;

(x) Handicrafts;

(xi) Canned and frozen marine products;

(xii) Gem & Jewellery items; and

(xiii) Fresh fruits/vegetables, cut flowers and decorative plants.

(4) In the case of firms/companies having Branches, while the application for the grant of Export House/Trading House/Star Trading House Certificate may be made only by the Registered/Head office it will be open to them to have the Export House/Trading House/Star Trading House Certificate issued either in the name of the Registered/Head office or in the name of any of its Branches. Other conditions subject to which an application for export House/Trading House/Star Trading House Certificate can be entertained under this policy, will remain unchanged

Applications for Additional/Special Additional Licences

329. Applications for Additional/special Additional licences may be made in the prescribed form as given in Appendix XVIII-B of this Book up to 30th September of the licensing year. Fresh applicants, or those whose certificate expire on 31st March of the licensing year may apply for grant of Additional/Special Additional licences, within 2 months after securing the relevant Export House/Trading House/Star Trading House certificate. All applications for Additional/Special Additional licences shall be made to the licensing authority concerned within the area of whose jurisdiction the address in the Export House/Trading House/Star Trading House Certificate is shown.

Reporting and Control

330. (1) Every Export/Trading/Star Trading House shall maintain true and proper accounts of its exports, imports and disposal of imported items. These accounts shall be open for inspection by any authority nominated by CCI&E. They shall furnish to the Export House Cell in Statistical Division, office of CCI&E, New Delhi, within one month following the close of the period, quarterly statements in the form given in Appendix XVII-C of this Book pertaining to receipt and disposal of imported items against "Non-transferable Additional/Special Additional Licences' issued to them. Copies of such Statements should also be sent to the licensing authority/sponsoring authority concerned of each of the actual user (industrial) to whom the imported goods have been disposed of. Export Houses/Trading Houses/Star Trading Houses will also send to the CCI&E (Export House Cell), New Delhi, copies of their detailed schemes and action programmes for export and Annual Returns of exports effected, commodity-wise and country-wise prescribed by the FIEO.

(2) Any change in the constitution, name or ownership of an Export House/Trading House/Star Trading Houses shall be forthwith intimated to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, and the licensing authority concerned. In such an event, the Export House/Trading House/Star Trading House shall cease to enjoy the facilities provided under the policy, until and unless the connected Export House/Trading House/Star Trading House status has been got approved by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, in favour of the new or reconstituted body.

(3) In the event of default on the part of an Export/Trading House/Star Trading House in submission of the prescribed reports and returns referred to at sub-para (1) above in time. Chief Controller of Imports and Exports may refuse to grant further recongnition to such an Export House/Trading House/Star Trading House.

Refusal to grant Export House/Trading House/Star Trading House Certificates and cancellation suspension of Export House/Trading House/Star Trading House Certificates.

331. (1) If the applicant has on any occasion during the previous three years, tampered with the import/export licence; or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in its commercial dealings or in obtaining any licence ; or if any agent or employee of the applicant has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining the licence, under the Imports and Exports (Control) Act or any condition of licence granted under Import/Export Control Order or commits a breach of Imports and Exports Trade Regulation, the Chief Controller of Imports and Exports may refuse to grant a further Export House/Trading House/Star Trading House Certificate for a period to be specified, after giving a Show Cause Notice.

(2) An export House/Trading House/Star Trading House Certificate may be cancelled, amended, or otherwise rendered ineffective :—

(a) if the Chief Controller of Imports and Exports is satisfied that it had been obtained by misrepresentation or issued by oversight ; or

(b) if the Export House/Trading House/Star Trading House commits a breach of the Import-Export Policy ; or

(c) if the Export House/Trading House/Star Trading House is found, on a complaint received from a foreign buyer, to have committed a breach of contract or indulged in unfair trade practices ; or

(d) if the Export House/Trading House/Star Trading House fails to discharge an export obligation undertaken by it, under this Policy or any policy for earlier periods ; or

(e) if the Export House/Trading House/Star Trading House fails to furnish in time the prescribed statements/returns or any other information required by Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi or the sponsoring authority concerned.

(3) A reasonable opportunity of being heard in the matter will be given to the Export House/Trading House/Star Trading House before action as above is taken.

332. An applicant who is not satisfied with the decision taken on his application for the grant of Export House/Trading House/Star Trading House Certificate or for cancellation/amendment/suspension of Export House/Trading House/Star Trading House Certificate can file an appeal to the Export House/Trading House/Star Trading House Committee in the office of the Chief Controller of Imports and Exports within 45 days of the date of the said decision. The decision of the Committee shall be final.

Other Provisions

333. The different provisions given in Chapter XV of this Book will also apply, *mutatis mutandis,* to the Export Houses, Trading Houses and Star Trading Houses. Export Houses, Trading Houses and Star Trading Houses have to register themselves with the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, and their attention is, therefore, invited to the provisions in para 288 of Chapter XV of this Book.

CHAPTER XIX

DUTY EXEMPTION SCHEME

334. The Import Policy relating to different categories of licences issued under this scheme is given in Chapter XIX of the Import and Export Policy, 1990—93.

335. (1) Applications for the issue of licences under this Scheme should be made in accordance with the provisions made therein and in this Chapter in the form given in Appendix XIX-A, supported by the following documents :—

(1) Certified copy of the RCMC issued by the Registering authority concerned.

(2) Certified copy of the registration certificate issued by the sponsoring authority concerned.

(3) A certified copy of the Central Excise Licence issued by the Superintendent of Central Excise concerned to the applicant or the supporting manufacturer(s), as the case may be. In respect of a unit working under exemption, a certificate from the concerned Sunperintendent of Central Excise to the effect that the factory has filed a declaration under the Central Excise Law and as per the declaration the products mentioned are manufactured by it. In case of products manufactured in the unorganised sector and as covered by Appendix 13-E of the Import Policy, it will not be necessary for a Merchant Exporter to produce these certificates from the Central Excise Authorities.

(4) Bank receipt/demand draft for the requisite amount towards payment of application fees.

(5) Certified copy of the export order and letter of credit, if any wherever applicable.

(6) Statement showing the quantity, f.o.b. value and description of the products exported during the preceding three licensing years duly certified by an independent Chartered/Cost Accountant who is not employed by the firm or associates.

(7) A certificate from an independent professional Chartered Engineer (or Chief Technical Officer incharge of production/Chartered or Cost Accountant, as the case may be), giving the description, quantity and value of each item required for the products to be exported in the form given in Appendix XIX-A of this Book.

(8) Details of other inputs proposed to be imported/procured (the term) "Procured" would have the same meaning as defined in Para 342 of this Book through sources other than the licence sought for and indigenous inputs in respect of which the applicant intends to claim Duty Drawback.

(9) Project Authority certificate in the case of supplies to the project covered vide Para 206 (b), (f) and (i) of the Import Policy.

(2) In cases where applications are sought to be considered on the basis of input-output norms already prescribed in Appendix-13-C or as approved in individual case of the applicant by the Headquarters Advance Licensing Committee in the Office of the CCI&E, New Delhi, submission of a certificate as per Sub-Para 335 (1) (7) will not be necessary.

(3) In case the applicant under this Scheme is not involved partially or totally in the manufacture of the product to be exported, he is required to indicate the names of manufacturer(s) involved in the manufacture of the product to be exported Such manufacture (s) involved would be termed as supporting manufacturer(s). In case of export product in the unorganised sector, as identified in Appendix 13-E of the Import Policy the applicant will not be required to indicate the name of the supporting manufacturer.

Submission of application :

336 (1) The original application for issue of licences should be sent to the licensing authority concerned headed by an officer not below the level of Deputy Chief Controller of Imports & Exports in whose jurisdiction the applicant is located. The licensing authorities and their jurisdiction for this purpose will be same as specified in Appendix II-B.

(2) In cases where the application is to be decided by Regional Advance Licensing Committees, the application will be submitted in quintuplicate. The original will be submitted to the Regional licensing authority concerned alongwith the Bank receipt/Demand Draft, as application fee and the other copies of the application alongwith full set of documents should be forwarded to the (1) Collector of Customs concerned ; (2) Industrial officer of the concerned Regional office of the DGTD and Deptt. of Electronics in case of Electronics items (3) DC(SSI) in the case of SSI units ; or Dy. Director of the regional office of the Textile Commissioner and DC(SSI) for Textile items and (4) Office of the Jt. CCI&E, of the Regional Advance Licensing Committee, concerned. The Jurisdiction of the Regional Advance Licensing Committees is given in Appendix XIX-C.

(3) In cases where the applications are to be decided by the Headquarters Advance Licensing Committee, the original applications will be forwarded to the Regional licensing authority concerned. One copy each of the application alongwith a full set of documents should be forwarded to (1) Director (Drawback), Ministry of Finance, Deptt. of Revenue, Jeewandeep Bldg., New Delhi; (2) DGTD, Udyog Bhawan, New Delhi and Deptt. of Electronics, Lok Nayak Bhavan, New Delhi, in case of Electronics items; (3) DC(SSI), Nirman Bhawan, New Delhi, in the case of SSI Units; or Textile Commissioner, Bombay and DC(SSI), New Delhi, for Textile items; and (4) Office of the Chief Controller of Imports and Exports, (DES Section), New Delhi.

Screening Committee

337. Irrespective of the jurisdiction under which application is under consideration, an applicant, seeking a licence under this Scheme for the first time or those exporters who have come to adverse notice on account of violation of Imports & Exports (Control) Act and orders issued thereunder, will be subjected to preliminary scrutiny by the Screening Committee as per the procedure laid down in Chapter II of this book. However, where the JCCI&E in-charge of the Regional Office is satisfied that such formal screening is not required in a particular case, he may exempt the party from screening procedure by an order recorded in writing.

Jurisdiction for consideration of applications

338. (1) Where all the items sought for import are covered either by the input-output norms as specified in Appendix 13-C to the Import Policy or approved in individual cases by the Hqrs. Advance Licensing Committee in the Office of CCI&E, New Delhi the regional licensing authorities headed by Jt. CCI&E/Dy. CCI&E will consider applications for Advance/Advance Intermediate/Special Imprest Licences covered by Para 231(i), 231(iii) and 231(iv) of the Import Policy upto a c.i.f. value of Rs. 2 crores. Where no such input-output norm as mentioned above exist but a licence has earlier been issued based on the input-output norms fixed in an individual case by the Regional Advance Licensing Committe, then the Regional Licensing Authority may consider issue of subsequent licences on repeat basis for the same items based on these norms in favour of the same applicant upto a c.i.f. value of Rs. 25 lakhs, provided these norms have not been reversed or substituted by other norms, either by the Hqrs. Advance Licensing Committee or added to Appendix 13-C of the Import Policy. This will also include issue of licences on past export performance basis under the provision contained in Para 238 of the Import Policy.

(2) The Regional Advance Licensing Committee will consider applications for licences which are beyond the jurisdiction of Regional Licensing Authorities as explained above in respect of Advance/Advance Intermediate/Special Imprest Licence and Advance Customs Clearance Permits in the following types of cases :—

(i) Where the application for Advance/Advance Intermediate/Special Imprest Licence is for a c.i.f. value of Rs. 25 lakhs or below but no input-output norms have been fixed for the export product earlier either in (i) individual case of the applicant by Advance Licensing Committee in the Office of CCI&E New Delhi (Hqrs. Advance Licensing Committee) or (ii) Appendix 13-C of the Import Policy.

(ii) Where the application for Advance/Advance Intermediate/Special Imprest Licence is for a c.i.f. value of more than Rs. 2 crores but upto Rs. 5 crores and input-output norms have been fixed for the export product covering all the items sought for import either in (i) individual case of the applicant by the Hqrs. Advance Licensing Committee or (ii) Appendix 13-C.

(iii) Where the application is for an Advance Customs Clearance Permit involving import of items free of cost upto a value of Rs. 25 lakhs.

(3) The following categories of applications will be considered only by the Hqrs. Advance Licensing Committee :—

(i) Cases not covered by sub-paras (i), (ii) and (iii) of Para 338 (2) above.

(ii) Applications for Bulk duty free licences covered by Para 231(v) of the Import Policy.

(iii) Applications for issue of Blanket Advance Licence covered by Paras 253 to 256 of the Import Policy.

(iv) Applications for fixation of input-output norms.

Procedure for obtaining Advance Intermediate Licence

339 (1) Where the application is sought to be made by an intermediate manufacturer, it should be accompanied by documentary evidence by way of

endorsement in the advance licence issued to the ultimate exporter in regard to the supply of the intermediate product by the applicant. A certificate from the Regional Licensing Authority of the ultimate exporter would be considered as relevant for the purpose. The Regional Licensing Authority of the ultimate exporter will ensure that the licence of the ultimate exporter is made invalid for direct import of intermediate product concerned before issuing a certificate mentioned above.

(2) In case, where the Advance Licence has not yet been issued, in favour of the ultimate exporter, but the application for issue of advance licence has been submitted, the applicant should produce documentary evidence to the effect that a firm order has been placed on him by the ultimate exporter indicating the full details of quantity, value and items with technical specifications of the intermediate product. A copy of the application submitted by the ultimate exporter for grant of advance licence should also be submitted. Before issue of the advance intermediate licence to the applicant, the concerned licensing authority must ensure that the advance licence application of the ultimate exporter has been approved and the Advance licence issued to the ultimate exporter has been made invalid for the direct import of the relevant intermediate product and certificate to that effect as mentioned in sub-para (1) above has been received from the concerned Regional Licensing authority.

(3) The payment from the ultimate exporter to the intermediate manufacturer shall be made through the normal banking channels. At the time of redemption of the bond, the intermediate manufacturer shall produce evidence from the bank to this effect to the concerned licensing authority.

(4) Application from regular manufacturer exporters will also be considered based on average past export performance of the relevant intermediate product in terms of provision contained in Para 238 (2) of the Import Policy.

340. An ultimate exporter not being a manufacturer of the resultant product in question but holding the status of an Export House/Trading House and Merchant Exporters having an average export performance of Rs. 1 crore during the preceding two licensing years can also avail of the facility of Advance Intermediate Licensing Scheme subject to the fulfilment of the following conditions :—

(i) The applicant in his application for the licence declares the name and address of the supporting manufacturer who will receive the intermediate goods supplied by the intermediate manufacturer for conversion into the ultimate export product, for inclusion in the DEEC ; and

(ii) The Intermediate goods are moved from the factory of the intermediate manufacturer directly to the factory of the declared supporting manufacturer under usual Central Excise Gate Passes and appropriate records of their receipts and their consumption etc. are maintained by the intermediate manufacturer.

Issue of subsequent licences

341. (1) Request for the issue of a second or subsequent licences will not be entertained unless export obligation in respect of a licence issued earlier and in respect of which the stipulated export obligation period has expired, (1) has been fulfilled or (2) the period of export obligation has been extended by the competent authority or (3) exports have been regularised in the prescribed manner as per the provisions contained in Para 366 of the Hand Book. For this purpose, exports supplies made in fulfilment of the export obligation as evidenced by the relevant Shipping Bills/payment certificate and endorsement made on the DEEC book by the competent authorities will be taken into consideration.

(2) Request for issue of a licence under the Scheme from an applicant who is in receipt of an Import-Export Pass Book Licence issued in terms of Chapter XV of the Import-Export Policy, 1985—88 or Chapter XX of the Import-Export Policy, 1988—91 will be considered only in cases where 75% of the export obligation imposed on these Pass Book licences have been fulfilled for those products for which licence is sought for, provided the applicant gives an undertaking for fulfilment of the stipulated export obligation within the stipulated time period.

Value Addition

342. The Value addition for the purpose of grant of licences under this Scheme will be calculated taking into account the f.o.b. value of exports vis-a-vis the c.i.f. value of all imported inputs other than capital goods, taken together, irrespective of the fact whether these inputs are imported directly by the applicant under this Scheme or imported/procured otherwise, for manufacture and export/supply of the resultant product. For this purpose, the c.i.f. value of imports will also include the c.i.f. value of mandatory spares and packing materials to be exported alongwith the resultant product. The term 'procured' would include those inputs, import of which is made under any other provision of the Import Policy not directly by the applicant but the supplies of which are obtained from others as such, without any processing.

Enhancement of licence value

343. In case of higher freight or upward variation in exchange rates or increase in the cost of inputs allowed for import, the licensing authorities may, without a reference to the Advance Licensing Committees, on request, enhance the c.i.f. value of the licence issued under this Scheme, provided the f.o.b. value of export obligation prescribed is also correspondingly enhanced on pro-rata basis. In exceptional cases, where the licence holder is unable to give the enhancement in the f.o.b. value of export obligation in the same proportion for bonafide and genuine grounds, the Regional Advance Licensing Committee is authorised to consider the request of such enhancement in respect of licence value upto a c.i.f. value of Rs. 1 crore provided the value addition after such enhancement does not fall below the stipulated minimum prescribed in this Scheme. Request for such enhancement beyond the jurisdiction of the Regional Advance Licensing Committees will be considered by the Hqrs. Advance Licensing Committee.

Export obligation

344. (1) A licence issued under the Scheme shall bear a suitable export obligation and the same has to be fulfilled within a stipulated period. The export obligation period will commence from the expiry of 30 days from the date of import of the first consignment. Initially, on a provisional basis, the date of execution of bond/legal undertaking will be treated as the date from which export obligation begins. The exact date of commencement of export obligation will, however, be determined on submission of the actual Bill of Entry or the DEEC Book.

(2) An exporter seeking the grant of Advance/Blanket Advance Licence for export to RPA countries has to undertake a further obligation to export goods to GCA countries in the manner as prescribed in Para 234 of the Import Policy. To this extent, a condition will be imposed on the relevant Advance/Blanket Advance Licence but the exporter need not execute any separate bond for this purpose and the Bond/LUT, as the case may be, for the original export obligation imposed on the licence will be executed by him in the manner laid down in Para 348 of this Book. However, the exporter would be required to submit a satisfactory evidence of direct exports made to GCA countries in accordance with the provision containd in Para 234 (i) or (ii) of the Policy supported by a proof of realisation of foreign exchange in his own name, within a period of 18 months from the date of issue of the relevant Advance/Blanket Advance Licence. For such exports to GCA countries, the licence holder, on request, will be issued a specific certificate in the form as per Appendix-XIX-D of this Book by the licensing authority concerned stating therein the details of exports made to the GCA countries, as admitted, which may be surrendered in original as an evidence of export having been made to GCA countries. It is clarified that no duplicate of the above certificate will be issued under any circumstances.

Extension in Export obligation period

345. In cases, where the regular exporters having a minimum three years past export performance, are unable to fulfil the stipulated export obligation within the prescribed period, the Regional Licensing Authorities may consider, on merits, extension in the export obligation for a period not exceeding three months and the concerned Regional Advance Licensing Committee may consider further extension upto six months. Request for extension in the export obligation period from other exporters can be considered only by the concerned Regional Advance Licensing Committee upto a period of six months. Request for extension in fulfilment of export obligation will be considered taking into account the exports actually made and efforts made in fulfilment of export obligation within the stipulated period. Normally, no further extension in the period of export obligation would be granted. However, in exceptional cases, the Hqrs. Advance Licensing Committee in the Office of CCI&E, New Delhi may consider grant of further extension in the export obligation period, on the merits of each case.

Fixation of Input-Output Norms

346. Appendix 13-C of the Import Policy gives input-output norms of some of the export products on the basis of which licences under this Scheme can be issued by the Regional Licensing Authorities without a need to place the same for the consideration of the Advance Licensing Committees. A registered exporter may, however, apply to the Hqrs. Advance Licensing Committee in the Office of the CCI&E, New Delhi for approval of the input-output norms in respect of the product to be exported by him, in anticipation of the orders to be obtained in future. For this purpose, applications should be made in the form given in Appendix-XIX-A.

Third Party Exports

347. (1) A registered manufacturer-exporter doing exports/supplies on behalf of STC/MMTC or Export/Trading House will also be eligible to apply for licences under this Scheme subject to fulfilment of the conditions:—(i) such manufacturer receives an order from the STC/MMTC or Export/Trading House who is the recipient of the original order (hereinafter termed as order holder), (ii) all the documents relating to such export/supply show the names of both the manufacturer and the order holder concerned; (iii) replenishment benefits if any are claimed exclusively by the applicant manufacturer-exporter, and the order holder concerned agrees to this in writing; (iv) the applicant manufacturer agrees in writing that he export/supply so effected shall be treated as the export/supply of the order holder concerned only; (v) the manufacturer-exporter gives a declaration that he shall not claim under any circumstances, these exports/supplies as his own except in case of exports through STC/MMTC, and that these exports/supplies shall not be included by him as his exports for any benefits under the Policy except the one referred to in (iii) above, and (vi) a joint bond/legal undertaking, as the case may be, is executed by both the manufacturer and the order holder concerned in accordance with the provisions contained in this regard in the Hand Book of Procedures. In such cases, Part-F of the DEEC will be suitably endorsed to allow exports/supplies on behalf of the order holder concerned. Such order holder concerned will also be liable to the penal action as provided in Paras 363 to 366 in this Chapter if export obligation imposed on the licence under this category is not fulfilled.

(2) For the purpose of eligibility, the status of the Export/Trading House on the date of application will only be considered. Subsequent loss of status by the order holder as Export/Trading House will not affect the eligibility of the licence holder to export through them, till the fulfilment of the Export obligation which has been jointly accepted.

Execution of Bond/Legal Undertaking

348. (1) Before clearance of the first consignment of import against a licence issued under this Scheme, the licence holder shall be required to execute a bond with the concerned licensing authority in the prescribed form given in Appendix XIX-E of this Book for fulfilment of the export obligation imposed and also to cover the Customs duty exemption benefits permitted on the licence. The bond so executed

should be backed by bank guarantee for requisite value as per the provisions of this Para, depending on the status and export performance of the licence holder, as explained below.

(2) A licence holder having less than three years export performance to his credit shall furnish a bank guarantee alongwith a bond for an amount equal to 50% (25% in the case of manufacturer-exporters in the Small Scale Sector) of the c.i.f. value of the licence or for an amount equal to 100% of the Customs duty payable, whichever is higher.

(3) Manufacturer-exporters having past export performance during the preceding one year may be allowed the facility of bank guarantee for 50% of the Customs duty payable alongwith a Bond. Similarly, manufacturer-exporters having past export performance during the preceding two licensing years may be given the facility of bank guarantee for 25% of the Customs duty payable alongwith the Bond. This facility will, however, not be available in respect of items of import covered by Appendix XIX-H of this Book for which they will be required to give 100% bank guarantee.

(4) Registered exporters who have been exporting regularly during the preceding three licensing years including Export Houses and Trading Houses and public sector undertakings will be permitted to give legal undertaking in lieu of bond backed by bank guarantee in the prescribed form given in Appendix XIX-F. The legal undertaking so given will however, cover the entire value of the export obligation and 100% of the Customs duty payable. In case an item covered by the licence is also specified in Appendix XIX-H, notwithstanding the facility of legal undertaking given to such registered exporters, the manufacturer-exporter would be required to furnish a bond for a value as explained above, with bank guarantee equivalent to 25% of the Customs duty payable on import of items covered by this Appendix. The merchant exporters in respect of these items shall be required to give bank guarantee equivalent to 50% of the Customs duty payable alongwith the Bond. Export Houses/Trading Houses, registered exporters having a minimum export performance of Rs. 50 lakhs during each of the preceding five licensing years and public undertakings will be exempted from furnishing bank guarantee even for items appearing in Appendix XIX-H and they will be required to give only a legal undertaking.

(5) The facility of legal undertaking, wherever available, as explained above, will be limited upto the f.o.b. value of the export obligation equivalent to three times the average f.o.b. value of exports made by the licence holder during the preceding three licensing years. For the balance if any, the licence holder shall be required to execute a bond to cover the export obligation backed by bank guarantee equivalent to 50% of the Customs duty payable thereon. The above limits will, however, not be applicable in the case of the public sector undertakings.

(6) Indigenous supplies obtained in terms of provisions contained in Para 354 against Advance Release Orders will be subject to bank guarantee wherever applicable, equivalent to 50% of the normal rate.

(7) (a)(i) An intermediate advance licence holder and the ultimate exporter in receipt of Advance licence in terms of Para 339 above will be required to execute separate bonds or legal undertakings, as the case may be, with the respective licensing authorities. The execution of the bond or legal undertaking will depend on the status and past performance of the individual exporter as explained above. While the Intermediate manufacturer shall execute the Bond with Bank Guarantee as per the normal procedure, the ultimate exporter shall execute the bond and bank guarantee covering the export obligations upto the extent of his liabilities for direct imports at the first instance. He will furnish additional bank guarantee to cover the liabilities arising out of the supplies received from the intermediate manufacturer after complete receipt of the intermediate product.

(ii) In case the ultimate exporter is eligible to give a legal undertaking in place of a bond/bank guarantee, he will not be required to give any additional bond/bank guarantee as mentioned above.

(b) Redemption of bond/bank guarantee or legal undertaking of the intermediate manufacturer shall be considered only (i) after the entire quantum of supplies have been made and an additional bond/bank guarantee as mentioned in sub-para (a) above is executed by the ultimate manufacturer; and (ii) a confirmation to that effect issued by the concerned Licensing authority of the intermediate manufacturer,

(8) Where the export obligation prescribed on a licence has been fulfilled in part before import of the exempt materials involved, the bond/legal undertaking will be correspondingly reduced in value so that it represents only the unfulfilled part of the export obligation/Customs duty exemption. If the export obligation prescribed has been met in full before any import takes place, execution of a bond/legal undertaking will not be necessary. For this purpose, however, the licence holder will have to produce to the licensing authority concerned prescribed export documents to prove such partial or total fulfilment of export obligation alongwith the DEECs showing Customs entries. In case export obligation has been fulfilled as evidenced from the DEEC entries, the legal undertaking executed by the licence holder against this licence may be recredited in value towards the eligibility entitlement for subsequent licences as provided in Para 348(5).

Execution of Joint Bond Legal Undertaking

349. (1) If the applicant is not a manufacturer-exporter of the resultant product, the bond/legal undertaking shall be executed jointly by the licence holder and his supporting manufacturer whose name appears in the DEEC. For this purpose, the applicant registered exporter will have to indicate the name(s) and address(es) of the supporting manufacturer(s) in whose factory(ies) resulting product(s) are proposed to be manufactured and their name(s) will be included in the DEEC. In the case of merchant exporters where the supporting manufacturers are not from the organised sector in respect of products specified in Appendix 13-E of the Import Policy, it is not necessary to indicate the names of supporting manufacturers. In that case the bond/legal undertaking, as the case may be, will be executed by the exporter himself.

(2) In cases where the licence holder is a manufacturer-exporter and does not have the integrated plant for processing and conversion of the entire raw material into the resultant product, and is required to get some processing done by a supporting manufacturer, the names of such manufacturers with addresses will have to be initimated, in advance, for endorsement in the DEEC book. In such cases, the joint bond/legal undertaking, as the case may be, will have to be executed. Exception in this regard is allowed as per sub-para (1) explained above.

(3) In the case of STC, MMTC and Export/Trading/Star Trading Houses also the name's of manufacturers where the resultant products are to be manufactured will have to be indicated for inclusion in the DEEC but it will not be necessary for the Export/Trading/Star Trading Houses/STC/MMTC to execute a joint bond/legal undertaking and they may execute the bond/legal undertaking themselves.

Issue of DEEC Book

350 (1) The Licensing Authority while issuing a licence under this Scheme will also simultaneously prepare the connected DEEC but issue only Part-II thereof alongwith the licence. Part-I of the DEEC book will be issued after the necessary bond/legal undertaking, as the case may be, is executed with the licensing authority as per the procedure prescribed. Both the Parts of the DEEC duly completed in all respects by the concerned authority will have to be surrendered to the licensing authority concerned alongwith the prescribed documents in evidence of fulfilment of the export obligation imposed on them.

(2) Where a licence holder has not executed the bond legal undertaking as he has already fulfilled the export obligation in full and a waiver for execution of the bond/legal undertaking has been given, the licence holder concerned shall, after effecting imports, submit the DEEC with all the entries complete in all respects duly filled in alongwith all the prescribed documents to the licensing authority concerned for final accounting.

Port of Registration

351. The licence and the DEEC under this Scheme will be issued with a single port of registration and will be valid for imports and exports of the items covered by them through this port. If any import is to be effected from a port other than the port of registration, the licence holder will have to approach the concerned Customs authority who may grant such permission subject to such conditions as they may deem fit. In case of exports through a port other than the port of registration, no prior permission will be necessary and the Customs authority at the port of registration will be kept informed of the exports by the Customs authority at the port of exports. However, in respect of certain items as specified in condition (e) to the Customs Notification appended as Appendix 13-A of the Import policy, the import and export can be only from the specified Ports/Airport/Inland Container Depots as specified in that condition.

Letter of Authority

352. On a licence issued under this Scheme, the facility of issuing letter of authority, if eligible, will be restricted to supporting manufacturer(s) whose name(s) appear(s) in the DEEC issued, notwithstanding the provision in paras 108 and 109 of the Hand Book. No letter of credit shall be allowed to be opened against a licence issued under this scheme by a person other than the licensee or the supporting manufacturers shown in the DEEC. This facility will also be available to Export/Trading/Star Trading Houses.

Imports

353. In case the materials permitted for import against a licence under this Scheme (both canalised and non-canalised items) are available with STC, MMTC or any other designated agency, import of which has been made against a Bulk Advance Licence issued in terms of Para 231 (vi) of the Import Policy for supply against licences issued under this Scheme, it will be open to the licence holder either to import these items directly or obtain supplies from the bonded stocks of these agencies. Similarly, in case a canalised item permitted in the licence is available with the canalising agency, it will be open to the licence holder to obtain such supplies from the bonded stocks of such canalising agencies. To the extent such supplies have been obtained, necessary entries will be made in the licence and the DEEC Book by such agencies. STC, MMTC and canalising agencies are authorised to supply the canalised items on high seas sale basis.

Indigenous supplies in lieu of Direct Imports

354. A licence holder under this Scheme will have the option to obtain his requirements of items covered by the licence from an indigenous supplier against an Advance Release Order to be issued by the licensing authority concerned. The option can be exercised either at the time of the application for issue of the licence or subsequently. Indigenous supplies so made against such Advance Release Orders will be treated as "deemed exports". However, when it is felt that imports of certain items are necessary due to domestic shortages, etc., the licensing authorities may decline to issue release orders in the case of such items. The Advance Release Order will be issued in accordance with the procedure laid down in Chapter XVI of this book.

Import of items in advance of issue of licence

355 (1). Where the exporter is otherwise eligible to import an OGL item or other items against his own licences and also claim duty exemption benefits under this Scheme, it will be open to him to import such items in advance under OGL or against his own licences and keep the same in Customs Bond for getting clearance against a valid licence issued subsequently under Duty exemption Scheme. Clearance of the items from the Customs Bond can, however, be effected after obtaining the licence under the said Scheme and without which the benefit of duty exemption will not be admissible. The declared supporting manufacturer of the applicant can also avail of this facility by effecting imports of OGL items as an Actual User and get the same cleared subsequently against a valid licence issued under the said Scheme in favour of the applicant, provided the supporting manufacturer holds a valid letter of authority issued by the applicant in his favour in terms of para 352 above.

(2) The facility of the aforesaid provision for import of items against other licences will be available subject to the condition that the licence in question debited at the time of import will not be re-credited after clearance made against a licence issued under Duty Exemption Scheme. It is, however, clarified that in case the applicant is already in possession of a valid Licence issued under the said scheme on the date of arrival of the consignment, then such items will be cleared by the Customs with duty exemption benefits without insisting on keeping the goods in the Customs Bond before clearance.

Exports/Supplies

356. The shipping bill relating to exports covered by this Scheme will bear such declarations and follow such procedures as may be laid down by the Customs authority concerned. This provision will not apply to supplies against Advance licences issued for Intermediate products/Special Imprest Licences.

357. Supplies effected by the Special Imprest licence holder will be endorsed by the project authority concerned on the DEEC-Part II. for having received the goods indicated therein.

358. In case of supplies made by-an Intermediate manufacturer to an ultimate exporter under the Advance Intermediate Licensing Scheme, the supplier will make an endorsement in Part-D of the DEEC book of the ultimate exporter about the actual supplies made by the intermediate manufacturer. Similarly, the ultimate exporter will make suitable endorsement in Part-F of the DEEC book of the Intermediate manufacturer about the acceptance of supplies made by the intermediate manufacturer. The entries both in the case of intermediate manufacturer and ultimate exporter will further be authenticated by the licensing authority of either the intermediate manufacturer of the ultimate exporter based on the bank attested invoices produced alongwith the original DEEC Book. The bank attested invoice will be produced in duplicate. While one copy of the Bank attested invoice duly authenticated indicating the relevant DEEC Book number of the ultimate exporter and also the DEEC Book number of the Intermediate manufacturer, will be retained by the licensing authority concerned, the other copy with similar authentication will be handed over to the Intermediate manufacturer for claiming export incentives, if any. These documents must be submitted within a period of 30 days from the date of such supplies. In case, the ultimate exporter or the Intermediate manufacturer is not in receipt of a licence on the date of such supplies, the documents must be submitted within a period of 30 days from the date of issue of the licence in question. The documents may also be accepted even after the stipulated period of 30 days in genuine cases. The exporters will also be eligible for clubbing transactions in the same Advance Licence and submit the required documents in consolidated form once a month.

359. In the case of the endorsement referred to in paras 357 and 358 above, the acceptance of supplies will have to be signed by the authorised person vide para 49 of the Hand Book with his name, designation and full address of the firm alongwith the official stamp. All the relevant columns in the DEEC have also to be filled in. This will be without prejudice to any other certificates which are prescribed and required to be issued under the provisions of this Policy.

360. If a shipment is sought to be effected in discharge of export obligation either before the issue of the licence and the DEEC or after expiry of the stipulated period of export obligation, the Customs authority will allow such exports on provisional shipping bills. Subsequently, if licence and the DEEC are issued or the period of fulfilment of export obligation is extended to cover these exports, the Customs authority concerned will regularise these exports by making suitable entry in the DEEC. If, however, a licence and DEEC are not issued or period of fulfilment of export obligation is not extended, the provisional exports will not be eligible for regularisation and these endorsements made will be cancelled. The licensing authority concerned will suitably endorse a copy of the communication addressed to the exporter, to the Customs authority concerned regarding such issue of licence or extension, as the case may be.

361. At the request of the licence holder, on completion of his exports or for settling his accounts before such completion, the Customs authorities will normally return the DEECs with all parts filled in within 30 days from the date of receipt of DEECs with the connected documents.

362. As evidence of fulfilment of export obligation and for redemption of bond/legal undertaking, the licensee will be required to submit the following documents :—

(a) A statement of exports signed by the applicant in the form given in Appendix XIX-I showing exports effected during the period of export obligation covered by the licence and bond/undertaking.

(b) Original Bank Certificates in the form prescribed in Appendix XV-D of the Handbook, shipping Bills and Bank attested invoices, relating to exports covered by (a) above.

OR

Certificates of exports issued by the Cash/SPS Section.

(c) A declaration that exports effected and covered by the statement as above had not been or will not be utilised for fulfilment of export obligation before any other licensing authorities.

(d) Triplicate copy of the Bill of Entry (alongwith a photo copy) to prove the date of import of the first consignment against the licence.

(e) Duty Exemption Entitlement Certificate with all parts duly filled in, endorsed, signed and sealed as required.

(f) Foreign exchange realisation certificate from the concerned Bank or the payment certificate, as the case may be.

Follow-up/Penal Actions

363. Where any bond/legal undertaking has not been executed against a licence issued under this Scheme within the validity of the licence, the licensing authority concerned will initiate action for calling back the licence for cancellation.

364. In cases, where the export obligation has not been fulfilled within the stipulated period or as extended by the competent authority, a cautionary letter about the expiry of the export obligation period will be issued to the exporter one month before the expiry of the export obligation period. If the exports have not been completed in fulfilment of the export obligation, penal actions as provided in the Import Policy and the Hand Book will be initiated.

365. Unless satisfactory evidence is produced about the fulfilment of export obligation, the licensing authorities shall initiate follow-up action against the licence holder within 30 days from the date of expiry of the export obligation period on the lines indicated in Para 366 below.

366 (1). If a licence holder fails to discharge the prescribed Export Obligation, either in full or in part and the licensing authority is satisfied that the exempt material has not been sold or misutilised for domestic production, the following action may be taken by the Licensing authority to regularise and discharge the DEEC :—

(a) If the export obligation has been fulfilled in terms of quantity but there is a shortfall in terms of value, the licence holder shall be required to surrender valid REP licence(s)/entitlement of any product group as per Appendix 17 and para 188 (4) of Import Policy, for a value equivalent to the difference in the export obligation imposed and actually achieved in value terms.

(b) If the export obligation has been fulfilled in terms of value but there is a shortfall only in terms of quantity, the licence holder shall be required—

(i) to pay to the Customs Authorities all duties alongwith 18% interest on such quantity of the exempt materials as are deemed to have remained unutilised as per approved input-output norms on the basis of which the licence was issued, and

(ii) to surrender valid REP licence/entitlement equivalent to the c.i.f. value of the excess material left unutilised. However, the surrender of REP licence/entitlement may be for the same export product group if the shortfall is upto 10% and for the same Sl. No. or sub-Sl. No. of Appendix 17 of the Import Policy, if it is more than 10%.

(c) If the licence holder is not able to fulfil the export obligation both in terms of quantity and value, he shall be required—

(i) to pay to the Customs Authorities all duties alongwith 18% interest on such quantity of the exempt materials as are deemed to have remained unutilised as per approved input-output norms on the basis of which the licence was issued ; and

(ii) for the shortfall in quantity, to surrender valid REP licence/entitlement as per (b) (ii) above, and in addition for the shortfall in value, as per (a) above.

(2) In cases referred to at sub-para (1) above, if the licence holder fails to act as above when directed by the licensing authority within a period of 3 months or such further period as extended by the Export Commissioner in the office of the CCI&E, New Delhi, the bond/legal undertaking executed by him may be enforced. The licence holder may be declared a defaulter thereby disentitling him to secure any licences/release orders under any provisions of the import policy including this Scheme. This order declaring the licensee defaulter may be withdrawn by the licensing authority on the licensee fulfilling the conditions prescribed in sub-para (1) above. The Customs duties and the interest payable thereon would be adjusted from the forfeited Bank Guarantee, if any, by the licensing authority. In cases where no Bank Guarantee has been furnished or the amount of the Bank Guarantee is not sufficient to cover the amount payable, recovery may also be made from the export incentives due to the licence holder. The licensing authority may also adjust the REP entitlement of the exporter which might have been earned or may be earned in future against the quantum of such licences to be surrendered as per sub-para (1) above. It is clarified that for the purpose of sub-para (1) above, only those REP licences which have a balance validity period of at least 3 months on the date of surrender, will be taken into account.

(3) In cases where the licensing authority is satisfied that the failure in the fulfilment of the export obligation has been on account of any lapse or any slackness on the part of the exporter, the bond/legal undertaking executed by the exporter shall be enforced. The licensing authority, in addition to taking action as in sub-para (1) above, may also impose a suitable fiscal penalty under the Imports and Exports (Control) Act.

(4) Where the licensing authority is satisfied that the exempt material has been sold or misutilised by diverting it for domestic production, the said authority shall take action for debarment and prosecution under the Imports and Exports (Control) Act and Orders issued thereunder in addition to the action enumerated in sub-para (3) above. In such cases, the enforcement of the bond would be in addition to the recovery of

customs duty and interest thereon. The licensee shall be declared a defaulter dis-entitling him to any licences/release orders under the Import Policy including this Scheme.

(5) Notwithstanding anything contained in the above sub-paragraphs, the Chief Controller of Imports and Exports may review any case and pass appropriate orders.

Maintenance of Records

367. (1) Every licence holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of imported goods in the proforma given in Appendix VIII-B of the Hand Book for the relevant financial year. Failure to comply with this requirement shall entail penal action under the Imports and Exports (Control) Act, and Customs Laws, besides stoppage of the facility to the licence holder.

(2) In case of Bulk Duty Free licence issued in terms of Para 231 (v) of the Import Policy in addition to maintaining the requisite account, the licence holder shall furnish a half-yearly statement of imports effected and supplies made to licence holders under this Scheme to the licensing authority concerned and DES Section in the Office of CCI&E, New Delhi.

Advance Licensing Scheme for Gold and Silver jewellery and articles

368. The applications for Advance Licences under this Scheme will be governed by these general provisions with the following exceptions :—

(1) Application for licences shall be submitted to the Headquarter's Advance Licensing Committee in the Office of the CCI&E. However, application for advance licence for silver/silver articles on repeat basis may be submitted to the regional licensing authorities concerned, in accordance with the provisions contained in para 338 above.

(2) Export will be allowed only against prior corresponding imports.

CHAPTER XX

REGISTRATION OF EXPORT CONTRACTS

369. Every contract to be eligible for the benefits of the scheme of "Registration of Export Contracts" must be approved by the concerned Zonal Joint Chief Controller of Imports & Exports and thereafter registered with an authorised dealer in foreign exchange.

370. (1) For this purpose, the registered exporters should send their applications to the concerned Zonal Joint Chief Controller of Imports & Exports, within 60 days from the date of the contract i.e. the date on which the offer is accepted by the concluding party. The name of the concerned Zonal JCCI&Es and their jurisdiction is indicated below :—

Name of the Zonal JCCI&E	Area of their jurisdiction
Jt. CCI & E, Bombay.	Maharashtra, Goa, Daman & Diu, Dadra and Nagar Haveli, Gujarat and Madhya Pradesh.
Jt. CCI&E, Calcutta	West Bengal, Orissa, Assam Bihar, Sikkim, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura and Andaman & Nicobar Islands.
Jt. CCI&E, Madras	Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra pradesh, Union Territory of Lakshadweep, Pondicherry, Karaikal, Mahe and Yaman.
Jt. CCI&E(CLA), New Delhi.	Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Chandigarh.

(2) The application should be accompanied by the following documents :—

(i) Seven photocopies of the contract;

(ii) An abstract of the contract in the proforma appearing in Appendix XX of this book;

(iii) A certificate from the EXIM Bank or other authorised Bank or the project authority, referred to in Chapter-XX of the Import Policy about the categorisation of the contract coming under turnkey project/Civil Engineering Contract.

371. The Zonal Joint Chief Controller of Imports and Exports will scrutinise the documents with reference to the scope of the scheme and, if found in order, will accord its approval to the Registration of export contract. The approval will be communicated to the applicant.

372. Within 60 days from the date of issue of the approval by the Zonal JCCI&E, the applicant will submit to the Scheduled Bank, the original documents alongwith three copies thereof and also three copies of the approval accorded by the Zonal JCCI&E. The Bank will allocate a proper serial number to the contract and make the following endorsement on both the original and the copies :—

"This contract duly approved by the Zonal Joint Chief Controller of Imports & Exports,———— has been registered with the Bank of ———— Branch ———— and entered in the records of this Bank under Registration No.———— Dated ———— The date of contract has been verified to be ————"

Signature ————

Name ————

Designation ————

Date

Stamp of the Bank

373. The Bank will retain one copy each of the Zonal Jt. CCI&E's approval letter and the contract for record and will return the original contract, one copy thereof and Zonal Jt. CCI&E's approval letter to the registered exporter and forward one copy bearing the endorsement of registration by the Bank alongwith a copy of Zonal JCCI&E's approval letter directly to the licensing authority within whose jurisdiction the registered exporter is situated. This must reach the licensing authority concerned within sixty days from the date of registration by the bank.

374. Separately, the registered exporter may also send a copy each of the Zonal JCCI&E's approval letter and of the registered contract bearing endorsement of registration by the Bank to the licensing authority concerned within sixty days from the date of registration. The licensing authority will consider the case on the basis of any of the two intimations, whether from the Bank or the Registered Exporter, having been received within the stipulated period of 60 days.

375. In the event of cancellation of the contract, the registered exporter shall inform the (i) Zonal JCCI&E, (ii) the licensing authority and (iii) the bank through whom the contract has been registered, within 15 days from the date of cancellation. Separately, the bank will be required to inform the licensing authority concerned.

376. If at any time, it is noticed that the contract was registered inadvertently, the registration will be cancelled under intimation to the exporter.

377. (1) Any registered exporter who is (i) the main contractor and whose name appears in the main contractor (ii) the sub-contractor of an Indian or foreign main contractor and whose name appears in the main contract, can register the export contracts in accordance with these procedures.

(2) If the Indian sub-contractor has difficulty in securing a copy of the main contract, he may also apply to the Zonal JCCI&E, in the prescribed manner alongwith the documents relating to his own sub-contract together with a certificate from the main contractor to the effect that the name of the sub-contractor appeared in the tender as well as the main contract.

378. In respect of exports against a registered contract, the registered exporters must ensure that the Bank's attested invoice, required to be produced under the connected Import Policy and Procedures, bears the attestation of the Bank to the effect that the exports effected under the said invoice have been made against the said registered contract quoting the relevant Bank registration No. and the date thereof clearly.

379. The licences to be issued in respect of exports against registered contracts will have the following inscription :—

"This licence has been issued in pursuance of exports against contract for which approval was given by the Zonal JCCI&E *vide* letter No. .... dated .... and registered with the ...... Bank *vide* No. .... dated ....for the licensing period ....

380. In the Transitional Arrangements in Chapter XX of the policy book, it has been provided that in the case of registered contracts entered during 1988-90, the registered exporters should give their option in writing as to whether they would like to avail the benefit of registration of export contracts For this purpose, the registered exporter should personally hand over written option to the licensing authority concerned against which a receipt will be issued to him.

CHAPTER XXI

DIAMONDS, GEM AND JEWELLERY

PART I

DIAMOND IMPREST LICENCES/DTC IMPREST LICENCES

381. The scheme for issue of Diamond Imprest Licences/DTC Imprest Licences with prescribed export obligation and Bond with Bank Guarantee/LUT (whichever is applicable) has been given in Chapter XXI of the Import & Export Policy, 1990—93 (Vol. I). Applications for issue of these licences may be submitted in the form prescribed in Appendix XXI-A of this book. The proforma for Bond with Bank guarantee and LUT is given in Appendix XXI-B and XXI-C of this book. The value of the bond and bank guarantee/LUT has been prescribed in Chapter XXI of the policy book. In case of default in fulfilling the export obligation or in the case of exporters who have not been regularly established in export trade to the satisfaction of the licensing authorities concerned, it will be open to the licensing authorities to ask for a bond with bank guarantee for the full value specified in Chapter XXI of the policy book.

Bulk licence for rough diamonds

382. Bulk import licences may be issued for import of unset and uncut diamonds to (i) Hindustan Diamond Co. Ltd., Bombay; (ii) MMTC, New Delhi; and (iii) Any other agency duly approved by the Government for this purpose for sale to holders of valid REP/Diamond Imprest Licences. The policy in this regard has been laid down in Chapter XXI of the Import Policy. Applications for issue of bulk licences may be submitted in the form prescribed in Appendix XXI-D of this book.

383. REP/Diamond Imprest licence holders who wish to receive supplies from these agencies may approach them alongwith their licences (in duplicate) and letters indicating their consent to purchase the materials against these licences. In case the material sought to be purchased is against a Diamond Imprest Licence issued to the applicant, the licence holders shall execute the requisite bond/legal undertaking for fulfilling the export obligation with the regional licensing authority concerned before approaching the agency concerned. The licensing authority will suitably endorse the licence relating to such execution of bond/legal undertaking.

384. For debiting the licence serviced, the bulk licence holder will :—

(i) keep a photo-copy of the licence to be serviced;

(ii) check that the licence (customs copy and exchange control copy) is valid;

(iii) ensure that there is sufficient balance in the licences submitted to him for debit against sale of rough diamonds;

(iv) ensure that in respect of Diamond Imprest Licence, the necessary bond/LUT has been executed by the purchaser with the licensing authority concerned;

(v) ensure that the purchaser has given the request letter for purchase of rough diamond specifically requesting them to debit import licences (The signature on the said letter would be authenticated by the bankers of the purchaser);

(vi) ensure that both copies of the licence are endorsed as under :—

"Licence of M/s. ———————— (name of the firm/company) utilised for Rs. ——— (Rs. in words ————————) for purchase of rough diamonds from ———— (name of the Bulk licence holder) vide Invoice No. ——— dated ——— Balance value of licence is Rs. ——— (Rs. in words ————————).

Authorised Signatory"

(vii) ensure, in case a new sheet is pasted on the licence for debiting the licence, that the following remarks are made on the back of the original licence (both copies) :—

"The value to which the licence is debited on ———— is mentioned in the sheet No. ——— attached.

Authorised Signatory"

NOTE :—In case of debits made in the second or subsequent attached sheets, similar cross-reference should be made in the preceding attached sheet).

(viii) maintain special registers for such transactions and submit details including the name and address of the licence serviced, particulars of the licence No., date etc. serviced, quantities and values serviced, unit price, Bill of Entry No. and name of Customs attached sheet).

(ix) ensure that the special register maintained by them should be updated and should have the following information :—

(1) Bulk licence No.

(2) Description of goods imported.

(3) Importers/exporters code No.

(4) Quantity and value of goods imported.

(5) Name of the foreign suppliers.

(6) Unit price at which items are imported.

(7) Bill of entry No. and date.

(8) Name and address of the purchaser.

(9) Invoice No. and date.

(10) c.i.f. value of licence before debit.

(11) Value of debit on licence.

(12) c.i.f. value of licence after debit.

(13) Invoice No. and date.

(14) Amount of invoice.

(15) Purchaser's signature.

(16) Remarks, if any.

(17) File No.

385. Thereafter, the Bulk licence holder would submit the details of the licences to be serviced, in triplicate, along with the original licences carrying his endorsement to the regional licensing authority concerned from whom the bulk licence in question has been obtained. The details to be furnished are as under :—

PROFORMA

M/s. (Name of the Bulk Licence Holder) :—

Sl. No.	Name & Address of the applicant	Invoice No. & date	Licence No. & date Office file No.
1	2	3	4

Licence Value	Value utilised	Balance Value	Remarks
5	6	7	8

(Signature of Authorised Person)

Details in the above statement have been compared with the original licences and found correct and the licences have been accordingly countersigned.

(Signature of Asstt. Chief Controller/ Controller of Imports & Exports)

386. The regional licensing authority concerned would compare the original licences submitted by the bulk licence holder with the details given in the proforma and after ascertaining that the licences are valid and endorsed for the correct value, they will countersign these licences. They will also countersign the statement submitted by the party in the prescribed proforma in triplicate and return two copies of the statement along with the original licences to the bulk licence holder. The bulk licence holder would deliver the rough diamonds to the applicant only after the receipt of the licences duly countersigned from the licensing authority concerned. After receipt back of the licence, a photo-copy will again be kept by the bulk licence holder.

387. The bulk licence holder while applying for replacement of the value of the bulk licence serviced should submit the original statement signed by the licensing authority concerned giving details about

the licences serviced. The licensing authority concerned would compare the original statement submitted by the party with the copy of the statement retained by them and would do the needful for replenishment of the value of the bulk licence, as per policy.

PART II

PROCEDURE FOR GOLD/SILVER JEWELLERY SCHEMES

388. The exporters shall be entitled to Gem REP licences as laid down in the Policy. All other documents, conditions etc. which are applicable in the case of REP applications/licences as contained in Chapter XV of the Hand-Book shall equally apply in the case of Gem REP applications/licences. The usual cuts for late submission of application for Gem REP licence will however be considered after settlement of all other entitlements relating to gold silver and wastage claims.

Method of Computing 'Gem REP' Entitlement

389. (1) The entitlement for Gem REP licence shall be available :

(i) when value addition is more than 15% and 25% in the case of plain and studded gold and silver jewellery respectively, after excluding the agency commission paid, if any, and element of gold wastages allowed on gold jewellery export,

(ii) the REP rate will be based on conversions in terms of per-carat realisation in accordance with the scale of per-carat realisation indicated hereunder. The value of Gem REP entitlement will be calculated from out of the total f.o.b. value of export of jewellery and articles (called A) *minus* value of the following elements below (called B); B is equal to the value of gold and silver in the studded jewellery/articles as admitted by customs *plus* value of gold manufacturing loss allowed to the exporter *plus* the value addition on the total of first two elements at the percentage in the category under which gold manufacturing loss is allowed by customs,

(iii) the value 'B' will be deducted from the value 'A' to determine the remainder called 'C',

(iv) for determining the Gem REP entitlement this remainder value 'C' will be reduced to per-carat realisation for diamonds or precious stones or both (wherever applicable) but separately, by taking the actual weight of the studded jewellery *minus* the actual weight of gold (exclusive of gold wastage) or silver element and weight of pearls, semi-precious stones and synthetic stones, where-ever applicable. This value may be called as 'D',

(v) the value arrived at by dividing the value 'C' with value 'D' will be termed as per-carat realisation for Gem REP entitlement,

(vi) in case the exported jewellery/article also contains pearls, semi-precious stones and synthetic stones, the percentage entitlement on these items, as contained in Table II in Chapter XXI of the policy, shall be added to the above-mentioned value called 'D' to determine the overall value of Gem REP entitlement.

(2) No Gem REP entitlement will be provided where export is made of plain or studded gold jewellery and articles with value addition of 15% only after providing for prescribed gold wastages. Similarly no Gem REP entitlement will be provided in case of export of plain or studded silver jewellery and articles with value addition of 25%.

Explanatory Note : As no silver wastage is to be allowed, value of Gem REP entitlement in the case of silver jewellery will be calculated by considering the value of silver and value addition thereon for arriving at the value 'B'.

Illustrations

(3) (i) The following illustration will explain the computation of Gem REP entitlement in respect of gold and silver jewellery :—

Studded Gold Jewellery

1.	f.o.b. value of export of jewellery articles as certified by customs	Rs. 2000 (A)
2.	Face value of gold in the jewellery articles as admitted by customs	Rs. 1000
3.	Gold manufacturing loss claimed and allowed by customs	3%
4.	Value addition on gold realised . .	20%
5.	Value of gold + Value addition . .	1030+20% of 1030 =Rs. 1236 (B)
6.	Remaining value of f.o.b. export on studdings as certified by Customs . . .	Rs. 764 (C)

Studded Silver Jewellery

1.	f.o.b. value of export of jewellery/articles as certified by Customs	Rs. 1000 (A)
2.	Face value of silver in the jewellery/articles as admitted by Customs . .	Rs. 400
3.	Value addition on silver realised . .	25%
4.	Value of silver + Value addition . .	400+25% of 400 =Rs. 500 (B)
5.	Remaining value of f.o.b. exports on studdings as certified by Customs .	Rs. 500 (C)

(ii) The exporter will be entitled to Gem REP licence for studdings on Rs. 764 and Rs. 500 respectively on Gold and Silver Jewellery exported.

Scheme for export of gold and silver jewellery against gold/silver supplied by the Foreign Buyer

Import of Gold and Silver under the scheme

390. (1) The import of pure gold and silver including mountings and findings will be allowed by the Customs authorities only to the nominated agency on the basis of an Exemption Order, whether specific or general, issued by the Reserve Bank of India for the purpose of this scheme. Before clearance of each consignments of imported gold and silver, the HHEC/nominated agency will execute a bond with the Custom authorities, undertaking export of gold and silver equivalent to the entire quantity of the imported gold and silver including mountings and findings as inputs in the finished jewellery or articles within the period stipulated in the contract or within such further time as may be allowed by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi. The concerned nominated agency will also undertake to pay the difference between the indigenous and international prices of gold and silver *plus* the Customs duty deviable on that quantity which is not proved to have been exported. Where the Export Orders are received by the eligible associates of the HHEC/nominated agency, it will be for these agencies to secure corresponding guarantees from their associates separately to ensure compliance with contractual obligations.

(2) The imported gold and silver shall be cleared through the customs authorities only by the nominated agency either on their own behalf where the export order is received by them or on behalf of their eligible Associates where the Export Orders have been received through such Associates. In the latter case the exporter shall authorise a nominated agency to act as its agent to file the Bill of Entry, to clear the imported gold and silver including mountings and findings from Customs and to file the relevant Shipping Bill for making the corresponding exports through Customs.

(3) The nominated agency will obtain general permission from the Gold Control Administration for receiving the gold etc., on import into India.

(4) The nominated agencies shall be required to deposit the imported gold in the Government of India Mint, at Bombay or Calcutta either on the same day on which the gold is cleared through the Customs or, at least by the following day, and to obtain proper receipt from the Mint Authorities. As mint facilities exist only at Bombay and Calcutta the gold imported under this scheme should be allowed to be imported only at these two places. The imported gold will be converted by the Mint Authorities into Standard bars of .995 purity. The corresponding exports will be allowed by the Customs authorities only after being satisfied on the basis of the Mint Receipt that the required quantity of gold used in the manufacture of the items sought to be exported was received by the Government of India Mint.

(5) In the case of imported silver and gold/silver findings and mountings etc. these will be retained by the nominated agency and release to the exporters in accordance with the procedure laid down hereunder.

(6) In respect of gold alloys, findings etc., supplied by the foreign buyer, Customs authorities will allow exports only on the production of certificate from nominated agency indicating the number, weight and value of the mountings and findings etc. supplied by the foreign buyer.

(7) Where the Export Order is received by the nominated agencies directly in their own names, the Shipping Bill for the relevant exports will be filed by them in their own names as required under the Customs regulations. Where the Export Order has been received through eligible Associates of the nominated agency, the Shipping Bill for the relevant exports will be filed in the name of the nominated agency on account of the concerned Associates whose names and addresses will also appear on the relevant Shipping Bill. The Shipping Bill shall also contain an endorsement by the nominated agency certifying that the export is being made against an order received through the concerned Associate giving the date on which it was registered with the nominated agency and certifying that the gold/silver etc., for the execution of the Export Order in question was duly received from the foreign buyer. Before making the endorsement, the nominated agencies will satisfy themselves about the quantity of gold and silver used in the manufacture of items to be exported and the fulfilment of prescribed minimum value addition. The endorsement may be made by the designated officers of the nominated agencies whose signatures will be deposited with customs beforehand for verification.

(8) The Shipping Bill should *inter-alia* contain the exporter's declaration about the weight and purity of gold and silver used in each item to be exported together with f.o.b. value of the items exported, name of the Customs House through which the corresponding import of gold and silver etc. was effected, the Bill of Entry and the date of clearance of gold and silver supplied by the foreign buyer. An extra copy of the Shipping Bill should also be furnished.

(9) Where shipments are made through a Customs House other than the Customs House through which the corresponding import of gold and silver was effected, 2 extra copies of the Shipping Bill should be filed for being sent by the Customs House after shipment of goods to the Customs House through which the corresponding import was made for reference at the time of cancellation of the bond. (If the purity of gold and silver used is the same in respect of all or some of the items made out from each of these metals for export, the exporter may give the total weight of gold and silver and the total value of such similar items which are of the same purity, instead of giving their details item-wise.) In the case of studded items, the Shipping Bill should show in addition to gold and silver content as above, gold wastage claimed, value addition achieved on gold/silver content, the description, weight/value of the precious/semi-precious stones/diamonds/pearls used in their manufacture, as well as the weight/value of any other precious metal used for alloying the gold/silver.

(10) Each Shipping Bill as endorsed will be valid for exports only through the Customs House located at the place where the office of the nominated agency which made the endorsement is situated. It will be valid for shipment for a period of 7 days from the date of the endorsement by the nominated agency including the date on which the endorsement was made. If the exports cannot be made within this

period, the exporter should file a fresh Shipping Bill No extension in the period of shipment will be allowed in respect of any Shipping Bill.

(11) At the time of export, the exporter shall present to the concerned Customs authorities along with the Shipping Bill three copies of the connected invoice as well as other documents that may be required by the Customs. Before allowing exports, the said authorities will *inter alia* :—

(i) Do the necessary checks to verify that the weight and purity of gold and silver used in each item for export is as per the exporter's declaration in the said documents; and

(ii) Ensure that the prescribed minimum value addition in respect of gold and silver jewellery and article has been fulfilled. In respect of plain and studded gold jewellery the customs will also ascertain the excess value addition if any over the minimum prescribed limit of 15% on gold content and the corresponding gold wastages available under the scale provided in the scheme. The custom will ensure that the element of gold used in the gold jewellery and articles *plus* the gold wastage allowed to the exporter taken together give the value addition not lower than provided in the wastage norms table prescribed in the policy.

(iii) Satisfy itself that the export value (*minus* the cost of gold and silver) declared by the exporter is true and in ac— nce with the Customs Act and Foreig —xchange Regulation Act.

(12) The weight, the purity of gold and silver content of the items so passed for export will be verified by the Customs authorities on the relevant Shipping Bills. The customs authorities will also attest the connected invoice and return two copies of the Shipping Bill and the connected invoice—one copy of it to the person who presents the export documents and the other copy to the office of the nominated agency directly.

(13) The exporter shall within 15 days from the date of export submit to the same office of the nominated agency which endorsed the Shipping Bill, applications in the prescribed form and manner for release of gold and silver mountings, findings etc. as the case may be attaching thereto the customs attested invoice, customs authenticated shipping bill and the Bank Certificate in original in evidence of negotiation of documents and flight No. by which the consignment was exported. The nominated agency will, after verifying the documents, release the gold and silver etc., to the exporter to the extent admissible on the manufactured jewellery and article exported as certified by the Customs on the Shipping Bill.

(14) The exporter will also be eligible for advance release of the required quantity of gold/silver etc. supplied by the foreign buyer for use in the manufacture of items sought to be exported. In the case of gold, the required quantity can be obtained directly by the exporters from the Mint Authorities on the basis of authorisation from the nominated agency. The exporter will have to furnish a Bank Guarantee to the nominated agency for an amount equal to the cost of gold/silver at international price, and c.i.f. value of imported mountings and findings on the basis of HHEC certification + Customs Duty payable for import of such quantity, before obtaining the same from the nominated agency in advance of physical exports. The international price of gold/silver for the purpose of Bank Guarantee will be the notional price as conveyed to the exporter by the concerned nominated agency. The Bank Guarantee will be redeemed only when the nominated agency is satisfied that the physical exports of jewellery and articles have been made and the gold/silver released to the exporter has been used in the manufacture of items exported after accounting for permissible gold wastages. For this purpose, the exporter will submit to the concerned Office of the nominated agency, an application in the prescribed form attaching thereto the customs attested invoice, the customs authenticated shipping bill and the Bank Certificate in original, evidencing the negotiations of the documents and the details of actual shipment.

(15) Where the gold/silver is to be released under the Scheme by using the gold/silver distribution facilities of the State Bank of India, gold/silver will be released to the exporter as above, on the basis of the authorisation by the nominated agency to the concerned branch of the SBI.

(16) Where the Export Order was secured directly by the nominated agency and exports were made by them on their own, the quantity of gold and silver used in the items exported will be taken by the nominated agencies on their records for replenishment after having satisfied themselves with respect of quantity to which they are entitled to under the scheme. For the purpose of calculating the quantity of gold and silver to be issued, the nominated agency will multiply the weight of the gold or silver content of the exported item as certified by the Customs authorities which allowed the export by the following whichever is appripriate :—

(i) Its caratage (in case of gold) divided by 24 if the declaration is in carats, or

(ii) Its fineness (for both gold and silver) if the declaration is in fineness.

NOTE :—(The figures of pure gold so calculated after providing for wastage and that of silver without any element of wastages will be rounded to the nearest 10th of a gram, and to the nearest gram respectively for these metals.)

Regard of Transaction for Discharge of Export Obligation

391. The nominated agency shall maintain complete account, consignment-wise, of the gold and silver imported for execution of each export order, the exports effected and the quantity of gold/silver released against such exports. At the end of each quarter viz., 30th June, 30th September, 31st December and 31st March, the nominated agency shall submit a report to the Reserve Bank of India, Ministry of Commerce, the Chief Controller of Imports and Exports and Jurisdictional Collector of Central Excise and Customs, as the case may be, indicating the total quantity of gold/silver imported, the total quantity of gold/silver used in exports effected and the total quantity of gold/

silver released as replenishment against exports thus effected. Similar details will be furnished in respect of mountings, findings, etc. In order to get a discharge of its obligations under the bond executed by it with the Customs authorities the nominated agency will furnish to the concerned Collector of Customs a statement indicating the Bill of Entry No. against which gold/silver and mountings, findings, etc., were imported execution of the contract, date of importation, quantity of gold/silver and mountings, findings, etc. imported, number of each of the Shipping Bills against which corresponding shipments of ornaments/articles were made, description of the goods exported and the gold/silver content in respect of each Shipping Bill as certified by the concerned Customs authorities. Such applications for the cancellation of bond will have to be made immediately after the completion of the shipment of all the ornament/articles to be exported against a particular contract or the expiry of the period of export stipulated in the relevant contract with the foreign supplier of gold/silver whichever is earlier. In cases where any of the shipments of ornaments/articles are made through a Custom House other than the one through which the corresponding import of gold/silver was effected, the nominated agency, with their application for cancellation of the bond, will also furnish copies of the Shipping Bills against which exports are effected through Custom House other than the one through which gold/silver was imported. Further details of supplementary procedure, checks and instructions, if necessary, would be furnished by the Collector of Customs concerned. The nominated agency would, for this purpose get in touch with the Collectors.

B. Scheme for Export of Gold and Silver Jewellery and Articles for sale at exhibition abroad

392. (1) Under this scheme the nominated agencies will produce to the customs authority concerned, the letter in original or its certified copy, containing Government's approval to the holding of the exhibition concerned besides approval by RBI. In respect of exhibitions organised other than through the nominated agencies, the organisers concerned will have to produce to the Customs Authority concerned a letter in original or a certified copy containing the approval of the Reserve Bank of India and the Ministry of Commerce.

(2) The description of each item exported, its total weight/value and the weight and purity of its total gold/silver content shall be clearly declared. In the case of studded items, in addition to metal content as above, gold wastage claimed, the description/weight/value of the precious/semi-precious stones/diamonds/pearls used in their manufacture as well as the description/weight/value of any other precious metals used for alloying shall also be given.

(3) At the time of export the Customs authorities will verify that the weight and purity of gold and silver used in each item for export is as per the exporter's declaration in the relevant Shipping Bill.

(4) Personal carriage of precious metal jewellery samples by Indian Exporters for export promotion purposes and/or temporary display at trade fair and exhibitions held abroad may be permitted :

(a) The procedure will be the same as for despatch of goods by air freight except that the sample parcels after Customs examination and sealing are handed over to the exporter and not to the airlines on production of the necessary RBI permission granted against submission of the RBI Form J. The exporter must declare personal carriage of such samples to the Customs authorities while leaving the country and obtain necessary endorsement on the Export Certificate issued by Jewellery Appraiser of the Customs Department.

(b) In case of re-import of precious metal jewellery sent as samples for participation in trade fair/exhibitions abroad or brought back by the Indian exporter when taken as samples, on arrival the items re-imported will be verified alongwith export documents. The samples would thereafter be sealed by customs. The sealed parcel would be handed over to the party for presenting to the Customs Jewellery Appraiser for necessary appraisal.

Import of Gold and Silver by nominated agencies

393. (1) The gold imported into India as replenishment by nominated agencies will be first deposited with the Government of India Mint for subsequent release. The nominated agencies shall be required to deposit the imported gold in the Government of India Mint at Bombay or Calcutta either on the same day on which the gold is cleared through the Customs or at the latest by the following day and to obtain a proper receipt from the Mint authorities. Since Mint facilities exist only at Bombay and Calcutta, the gold imported under this scheme should be allowed to be imported only at these two places. The imported gold will be converted by the Mint into standard bars of 1995 purity for being used as replenishment for the gold used in items manufactured and sold in the Exhibitions abroad. The replenishment of gold will be permitted provided the element of gold used in the gold jewellery and articles *plus* the gold wastage allowed to the exporter taken together give the value addition not lower than provided in the wastage norms Table prescribed in the Policy. As regards silver, the same will be imported and retained by the nominated agencies for subsequent replenishment in accordance with the scheme.

(2) In the case of Registered Exporters other than the nominated agencies and their associates, replenishment of gold and silver wherever admissible will be through the State Bank of India in accordance with the procedure for the Gold and Silver Jewellery and Articles Export Promotion & Replenishment Scheme detailed in this Chapter.

(3) For the purpose of calculating the quantity of gold and silver to be issued, the nominated agencies will multiply the weight of the gold and silver content of the exported item as certified by the Customs authorities which allowed the export by the following whichever is appropriate :—

(i) In the case of gold, its caratage divided by 24, if declaration is in carats, or

(ii) Its fineness (for both gold and silver) if the declaration is in fineness. (The figure of pure gold so calculated will be rounded to

the nearest 10th of a gram, after providing of gold wastage admissible and for silver to the nearest gram without any element of silver wastage.)

Documentation

394. The following documents will be submitted for claiming replenishment of gold & silver against export of gold and silver ornaments and articles sold at exhibition abroad :—

(1) Customs attested invoice representing the exports made for the purpose of exhibition containing all relevant details relating to composition of jewellery, such as weight/value of gold and silver and studdings under standardised classification for claiming Gem REP entitlement. Similarly details of gold wastages claimed and value addition will be required to be given.

(2) Certificate from (i) the nominated agencies in respect of exhibition conducted by them or (ii) Gem and Jewellery Export Promotion Council for exhibitions conducted by others (together with copies of approval of the Government/Reserve Bank of India etc., obtained) and indicated the particulars as per form prescribed in Appendix-XXI-E of the Hand Book, certifying, among others that the payment against sales in exhibitions has been repatriated to India and surrendered to the Indian Exchange Control.

(3) Bank certificate in the Form given in Annexe-III to Appendix-XV-D of the Hand Book indicating the receipt of payment in foreign exchange. (The time limit for submission of an application will be reckoned from the date of payment as shown in the bank certificate.)

(4) Where an applicant is unable to produce bank certificate as the documents were not negotiated through the bank, the licensing authority may accept the documents in (2) above if it is satisfied on the basis of other evidence that the payment for the goods in question has been received through authorised channels.

C. Gold and Silver Jewellery Export Promotion and Replenishment Scheme

395. (1) The eligible exporter should apply in triplicate in prescribed form with the designated branch of the State Bank of India or any other designated agency for booking of specified quantity of gold and/or silver on his behalf, against a specific export order. While ordering the booking of gold the exporter will be expected to take into consideration the element of wastage proposed to be claimed under the scale of wastages provided. Once the quantity of gold has been booked after accounting for gold wastages by the exporter under the wastage norms prescribed, no further excess entitlement on account of gold will be allowed to be claimed by the exporter subsequently. A copy of Release Order issued to the exporter for claiming the gold and silver booked in advance of export will be sent by the Port Licensing Authorities to the concerned designated branch of the bank/designated agency which had booked the metal.

(2) The applicant will deposit as earnest money, an amount at least equivalent to 20% of the notional price of gold and/or silver fixed by the State Bank of India for the quantity of gold and silver sought to be purchased. This amount by way of earnest money will be adjusted at the time of actual sale of gold and silver by the State Bank of India/designated agency against Release Order issued by the Licensing Authority concerned to the exporter. The exporter at his option may also deposit at the next slabs of 50% or 100% of the price of booking. The element of interest leviable will be correspondingly reduced in such cases.

(3) The State Bank/designated agency will purchase gold and silver within the next two business days and issue thereafter a certificate (serially numbered) to the exporter indicating the quantity of gold and silver purchased and the price in dollars (including the rupee equivalent at the ruling T.T. selling rate of US dollars on the date of purchase of gold and silver) at which purchased. This price shall be actual price at which gold and silver is purchased by the SBI *plus* service charge permitted but exclusive of sales tax. The service charges levied by the State Bank of India/designated agency will be included with the price of gold/silver for the purposes of value addition. The duplicate and triplicate copies of exporter's application together with copies of certificate of purchase for the exporter will be sent by the Bank to the concerned Licensing Authority and Customs House.

(4) The exporter will have to ensure that exports are effected and delivery of gold and/or silver taken within a maximum period of 120 days from the date of shipment or 180 days from the date of booking whichever is earlier, irrespective of the fact that the exporter has made shipments in more than one consignment, failing which he will be liable to forfeiture of earnest money deposit upto 20% made with the nominated agency. Failure to effect export will render the exporter liable to action under the Import (Control) Order, 1955 in addition to recovery of Customs duty payable.

(5) The exporters may also be allowed the option to obtain the requisite quantity of gold and/or silver from the State Bank of India in advance at the then prevailing international price on cash payment, provided the exporter submits a bank guarantee of an amount equal to the difference between the then prevailing international price and the domestic price on the day of purchase *plus* 5% of the international price of the quantity of gold proposed to be purchased. For failure to effect the exports in full within 180 days from the date of purchase of gold/silver from State Bank of India by the exporter, the Bank would forfeit the bank guarantee. The State Bank of India would be authorised to effect this forfeiture. Further, failure to effect export will render the exporter liable to action under the Import (Control) Order, 1955, in addition to the recovery of Customs duty payable.

(6) Exports will be allowed by Air Freight and Foreign Post Officer (FPO) through the Customs House at Bombay, Calcutta, Madras, Delhi, Jaipur, Bangalore and Cochin.

(7) In case of exports through Foreign Post Office (FPO), the value of the jewellery parcels shall not exceed US $ 50,000 and 0.5 kg. by weight.

(8) At the time of exports, the exporter shall present to the concerned customs authorities, the Shipping Bill, cerificate issued by the State Bank of India/designated agency in regard to the price at which booking of gold and/or silver has been done by the Bank/designated agency and three copies of the connected invoice as well as such other documentation which may be required by the Customs. The shipping Bill should inter-alia contain the exporter's declaration about the weight and the purity of gold and silver used in each item of export and the f.o.b. value thereof. In the case of studded items the shipping Bill should show besides above, gold wastage claimed, value addition achieved on gold/silver content, the description, weight and value of the precious/semi precious stones/diamonds/Pearls used in their manufacture as well as the weight/value of any other precious metal used for alloying.

(9) Before allowing the export, the customs authority will inter-alia :—

(i) Do the necessary check to verify that the weight, purity of gold or silver used in each item for export is as per the exporter's declaration in the said documents;

(ii) Ensure that the prescribed minimum value addition in respect of gold and silver jewellery and article has been fulfilled. In respect of plain and studded gold jewellery the customs will also ascertain the excess value addition claimed by the exporter if any over the minimum prescribed limit of 15% on gold content and the corresponding gold wastages admissible under the scale provided in the scheme. The Customs will ensure that the element of gold used in the gold Jewellery plus the gold wastage allowed to the exporter against his claim, taken together give a value addition not lower than provided in the wastage norms table prescribed in the policy.

(iii) Satisfy itself that the export value (minus the cost of gold and silver) declared by the exporter is true and in accordance with the Customs Act.

(10) The weight and purity of gold and silver content of the item so passed for exports will be certified by the customs on the relevant shipping bill. The customs authorities will also attest the connected invoice. The customs will return two copies of the shipping bill and the connected invoice, one copy to the person who presents the export documents and the other copy to the concerned branch of the bank/designated agency.

Application for Release Order

(11) The exporter shall, after the exports have been made, and without waiting for the realisation of sale proceeds in foreign exchange submit to the licensing authority an application in the prescribed form and manner for the issue of a release Order and attach thereto in original the :—

(1) customs attested invoices;

(2) customs authenticated shipping bill;

(3) certificate of purchase of gold/silver etc., issued to him, by the State Bank of India/designated agency.

(12) The licensing authority will also verify the documents, value addition claimed and issue Relese Order so as to enable the exporter to secure the replenishment of gold and silver including the loss of gold in the manufacturing process to the extent provided in the wastage norms in this scheme.

(13) The Release Order will be expressed in terms of gold and silver of 0.999 fineness, and for a quantity equivalent to the weight and purity of gold and silver content of the items passed for the exports as certified by the customs authorities on the relevant shipping bill. The licensing authority will scrutinise among other documents the certificate issued by State Bank of India/designated agency regarding price at which it purchased gold/silver on behalf of the exporter and before issuing the Release Order ensure that the prescribed minimum value addition has been achieved by the exporter in transaction. The excess value addition claimed if any on account of wastage and other entitlements will also be verified.

(14) For the purpose of calculating the quantity of gold and silver to be specified in the Release Order, the licensing authority will multiply the weight of the gold content of the exported items, as certified by the customs authority, which allowed the export by the following whichever is appropriate :

(i) Their cartage divided by 24 if the declaration is in carats or

(ii) Their fineness, if the declaration is in fineness.

(15) In the case of "Meenakari" items, no deduction will be made in the weight of pure gold.

(16) The licensing authority will endorse a copy of the Release Order to the SBI/designated agency branch, located within the area of its jurisdiction which is authorised to released gold/silver under the scheme.

(17) The Release Order issued under the scheme shall not be transferable. The delivery of gold/silver must be secured from the bank within the period prescribed. The designated branch of the SBI/designated agency will release the gold and silver to the Release Order holders at the price indicated in the certificate issued by it and will also recover interest on the rupees equivalent less the earnest money deposited at such rate and for such period as specified by the Government. The gold will be released as replenishment to the exporter by the bank in multiples of 10 gms. only Similarly silver will be replenished by the bank upto the nearest 10 gms. for the purposes of convenience. Any balance of gold and silver left unserviced against the Release Order presented by the same exporter on the same date and to the same designated branch of SBI shall be available to the Release Order holder alongwith his future entitlement. The SBI will grant him a certificate to that effect. Where gold of quality less than 0.999 fineness is released, SBI will be entitled to make necessary adjustments but within the quantitative limit of the connected Release Order.

(18) Every release order shall be surrendered by the holder in original to the SBI at the time of purchase of gold and/or silver as above against proper

D. Scheme of advance licensing for Gold and Silver Jewellery Articles

396. The procedure under this scheme has been given in Chapter XIX of this book.

E. Scheme for export of gold and silver jewellery and articles from export processing zones and from 100% export oriented complexes

Location and Infrastructure for Manufacturing Units in EPZ.

397. (1) Gold Jewellery manufacture and production will be allowed from specified Export Processing Zones set up in the country.

(2) The Development Commissioner of the zone would be responsible for all coordination in respect of such units in his zone.

(3) Customs facilities would be provided free of charge to the manufacturing units in the Zone.

Location and Infrastructure for Complexes

398. (1) To start with, Complexes will be set up in five cities, namely, Delhi, Bombay, Jaipur, Calcutta and Madras. Complexes can also be set up in other cities on the basis of a decision taken by the Ministry of Commerce. Each Complex would have to be supported by the State Government concerned in terms the provision of infrastructural facilities such as site, building electricity and water connections and communications facilities. Each complex is to have a Sponsoring Agency to coordinate between the various departments of the Central Government, the State Government, the manufacturing units and the trade, in respect of proposals from individual enterpreneurs, common facilities, transhipment of goods between the Complexes and the port of import/export, etc. The Site Selection Committee constituted by the Ministry of Commerce for a complex to be set up will make the necessary recommendation to the Board of Approval regarding suitability of a new site from the point of view of security and Customs bonding arrangements. The Board of approvals will decide on suitability of the site, as also on the applications of individual exporters, for the setting up of units in the Complex. Customs clearance/appraisal facilities will be extended free of charge to the exporters. Other costs of the Complex such as for common facilities will be shared by the manufacturing units operating in the complex.

(2) The Form of Legal Agreement for units set up in Special Export Oriented Complex for manufacture of jewellery and articles is given in Appendix XXI—F of this Book.

399. Licensing Authorities and their Jurisdiction

1.	Jt. CCI & E, Bombay	Maharashtra, Goa, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli,, Gujarat and Madhya Pradesh.
2.	Jt. CCI & E, Calcutta	West Bengal, Orissa, Assam Bihar, Sikkim, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura and Andaman & Nicobar Islands,
3.	Jt. CCI & E Madras	Tamil Nadu, Kerala, Karnataka Andhra Pradesh, Union Territory of Lakshadweep, Pondicherry, Karaikal, Mahe and Yamah.
4.	Jt. CCI & E, (CLA) Delhi.	Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Chandigarh.
5.	Dy. CCI & E, Jaipur	Rajasthan.

400. *The Branches of Handicrafts and Handloom Exports Corporation under the respective scheme*

(i) HHEC of India Limited,
11-A, Rouse Avenue Lane,
Lok Kalyan Bhavan,
New Delhi-110 002.

(ii) HHEC of India Limited.
11th Floor, Nirmal Building,
Nariman Point,
Bombay-400021.

(iii) HHEC of India Limited,
Sudarshan Building,
16/A, Whites Road,
Madras.

(iv) HHEC of India Limited,
Jaipur.

(v) HHEC of India Limited,
Calcutta.

401. *The Branches of State Trading Corporation of India authorised for release of Gold & Silver under the respective schemes*

(1) STC of India Ltd.,
Chandralok Building,
36, Janpath,
New Delhi.

(2) STC of India Ltd.
Air India Building,
Nariman Point,
Bombay-400 021.

(3) STC of India Ltd.,
Nihat House,
9th & 10th Floor,
11, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-700001.

(4) STC of India Ltd.,
Chennai House,
7, Esplanade Road,
Madras-600 001.

(5) STC of India Ltd.,
K-3, Keshav Path, Ashok Marg,
C-Scheme, Jaipur-303001.

402. *The Branches of State Bank of India authorised for release of Gold and Silver under the respective schemes*

(i) The Chief Manager,
Overseas Branch,
State Bank of India,
Bombay.

(ii) The Chief Manager,
Overseas Branch,
State Bank of India,
Calcutta.

(iii) The Chief Manager,
Overseas Branch,

State Bank of India,
North Beach Road,
Madras.

(iv) The Chief Manager,
Overseas Branch,
State Bank of India,
New Delhi.

(v) The Manager,
State Bank of India,
Main Branch,
Sanganiri Gate,
Jaipur.

403. *The Branches of Minerals and Metals Trading Corporation of India authorised for release of Gold and Silver under the respective schemes*

(i) 9, 10 & 11th Floors,
Vikram Tower,
Rajendra Place,
New Delhi-110008.

(ii) Mittal Towers,
'A' Wing 2nd Floor,
Nariman Point,
Backbay Reclamation,
Bombay-400 021.

(iii) Ruby House, 4th, 5th Floors,
Post Box No. 478,
8, India Exchange Place,
Calcutta-700 001.

(iv) Chennai House,
7, Esplanade Road,
Madras-600 001.

404. *The Branches of Trade Development Authority authorised for release of Gold and Silver under the respective schemes*

(i) Bank of Baroda Building,
16, Parliament Street,
New Delhi-110001.

(ii) Air India Building,
8th Floor, Nariman Point,
Bombay-400021.

(iii) "Shantiniketan",
Flat No. 9, 4th Floor,
8, Camac Street,
Calcutta-700017.

CHAPTER XXII

FREE TRADE ZONES/EXPORT PROCESSING ZONES

405. Applications for approval for setting up an industrial unit in a Free Trade Zone/Export Processing Zone (FTZ/EPZ) should be submitted to the concerned Development Commissioner of the Zone or to the Deputy Secretary, EPZ Section, Ministry of Commerce. The application forms are available with the Development Commissioner of respective Zones. Decision on the applications will be taken by the concerned Board of Approvals (Board) headed by Additional Secretary, Ministry of Commerce, which will exercise powers for grant of Letters of Intent/Letters of Approval under the Industrial Development Regulations Act. While giving its approval, the Board will also specify the item of manufacture, annual capacity, description, quantity and value of capital goods allowed for import, the percentage of value addition that is to be achieved in the processing of the product to be exported and limitation as may be necessary in regard to sale in the Domestic Tariff Area (DTA). The Board may also consider and decide on the applications for the procurement of imported capital goods financed by leasing companies as laid down in para 178.

406. For the purpose of calculation of value addition, all foreign exchange outgo attributable to the unit as well as supplies procured from domestic tariff area of raw materials, components and consumables shall be taken into account. The formula for calculation of value addition is given in the application form mentioned in para 405 above.

Licensing Authorities

407. The names of FTZs and EPZs and the licensing authorities concerned are indicated below :—

Sl. No.	Name of the Free Trade Zone/Export Processing Zone	Licensing Authority
(1)	(2)	(3)
1.	Kandla Free Trade Zone, Kandla, Gujarat.	Jt/Dy. Development Commissioner Kandla Free Trade Zone, Gandhidham.
2.	Santacruz Electronics Export Processing Zone, Bombay, Maharashtra.	Jt/Dy. Development Commissioner, Santacruz Electronics Export Processing Zone, Bombay.
3.	Falta Export Processing Zone, Falta, West Bengal.	Jt/Dy. Development Commissioner Falta Export Processing Zone Falta, West Bengal.
4.	Madras Export Processing Zone, Madras, Tamil Nadu.	Jt/Dy. Development Commissioner, Madras Export Processing Zone, Madras.
5.	NOIDA Export Processing Zone, NOIDA, Uttar Pradesh.	Jt/Dy. Development Commissioner, NOIDA Export Processing Zone, NOIDA, Uttar Pradesh.
6.	Cochin Export Processing Zone, Cochin, Kerala.	Jt/Dy. Development Commissioner, Cochin Export Proessing Zone, Cochin.

Import of Capital Goods etc.

408. The Development Commissioner of the Zone will ensure that the imports are meant for the purpose of production of items which have been approved by the Board on the basis of details furnished in the application.

Supplies from the Domestic Tariff Area to the Zone

409. Units located in the Zone desiring to procure any goods from DTA for export production or in connection with export production should make separate applications to the licensing authority, through the Development Commissioner for obtaining Letter of Authority, indicating the items and their value. (No

letter of authority will be required for such goods which are not required for export production).

(i) While dealing with such applications the Development Commissioner will see whether the supplies sought to be made in the Zone from the DTA are essential for export production and will also scrutinise the prices at which the materials, in question, are sought to be purchased.

(ii) Based on the above, the licensing authority will issue a letter of authority to enable the unit in the Zone to obtain supplies of goods of specified description and value from DTA within a specified period. The letter of authority will, inter-alia, be subject to the condition that the goods, in question, shall be utilised in the factory of the letter of authority holder in the zone for export production. An undertaking to this effect shall also be given by the applicant to the licensing authority alongwith his application for such letter of authority. Failure on the part of the letter of authority holder to comply with the conditions of the letter of authority and the terms of the said undertaking shall render him liable for such action as may be taken against him in this regard.

(iii) The goods will be allowed entry into the Zone on the strength of the said letter of authority. At the time of entry of the goods into the Zone, the Customs authority or the Development Commissioner of the Zone will endorse the supplier's invoice to the effect that the goods covered by the invoice have been received in the Zone. The validity of the letter of authority may be extended by the licensing authority in genuine cases where the supplies are received in the Zone after the expiry of the validity of the letter of authority, for various reasons.

(iv) The supplier of the goods from DTA can claim import replenishment licence under the Import Policy for Registered Exporters against such supplies. Applications in this regard should be made to the licensing authority concerned as specified in para 407 in the form prescribed in Appendix XXII. The applications should be supported by the following documents :—

(a) Challan for the requisite amount to wards payment of application fees;

(b) Photostat/attested copy of the letter of authority on the basis of which the goods, in question, were supplied;

(c) Supplier's invoice duly endorsed by Customs authorities in the Zone to the effect that the goods covered by the invoice have been received in the Zone;

(d) A statement of exports in the form prescribed in the Hand Book of Procedures, 1990—93; and

(e) An undertaking/declaration in the form appended to the form of application for REP licences.

Further details may be ascertained from the Development Commissioner of the Zone.

Sale of Goods in Domestic Tariff Area

410. (1) The sale shall be effected only with the prior permission of the Development Commissioner of the concerned Export Processing Zone/Free Trade Zone. The unit desiring to sell its goods to the Domestic Tariff Area should, therefore, approach the Development Commissioner. The unit should, while seeking permission also indicate the quantity of the item sought to be supplied in DTA and the total quantity of the same item produced by the unit, as on date, during the concerned licensing year, to the Development Commissioner.

(2) After obtaining the permission from the Development Commissioner, the sale can be effected against valid licence/Release Order. The Development Commissioner will debit the connected import licence before the goods are allowed to be taken out of the Zone. To this extent, the import licence shall cease to be valid for further imports.

(3) If the material(s) proposed to be sold is importable under OGL in accordance with the policy in force on the date of such sale, the unit in the FTZ/EPZ which proposes to sell may prefer an application for issue of Release Order to the licensing authority concerned, in whose jurisdiction the DTA unit lies.

(4) The Release Order will be issued in duplicate and the value of Release Order will be entered by the licensing authority in the permission accorded by the Development Commissioner and referred to in para (1) above. The original of the Release Order shall be retained by the FTZ/EPZ unit after obtaining the acquittance of the Release Order holder for the receipt of goods and the value/quantity thereof. This will serve as an evidence of export by the concerned unit. The value to be treated as f.o.b. value of exports will be the value for which the goods are supplied or the value of the Release Order, whichever is lower.

(5) The purchaser of the goods in the Domestic Tariff Area shall be liable to pay the excise duty, sales tax and such other taxes as may be leviable on the goods in question. This shall be subject to the Notifications issued by the Department of Revenue, New Delhi and such other Notifications or instructions as may be issued by them from time to time in regard to the sale of goods manufactured in Free Trade Zone/Export Processing Zone, in the Domestic Tariff Area.

Transfer of Goods imported in the FTZ/EPZ

411. Where a unit situated in the Zone has closed down its operations, it may either re-export the imported goods lying with it at the time of closure, with the written permission of the Development Commissioner of the Zone and subject to clearance of the customs authorities with reference to the valuation etc., or may make a request to the Board of Approval for disposal of imported goods in the DTA. Such requests will be considered by the Board of Approval on the recommendations of the Development Commissioner, the CCI&E, the CBEC and the concerned administrative departments. The permission for disposal if granted, will be subject to such conditions as the Board of Approval may impose.

412. In the event of goods imported into the Zone being allowed to be transferred to the DTA in the manner prescribed above, the duties will be levied in the following manner on the goods to be transferred to the DTA :—

(a) Customs duties on capital goods on the depreciated value but at rates prevalent at the time of import provided that the said goods have been in actual use for a period of at least three years;

(b) Customs duties on unused imported raw materials and components on the assessable value and at rates prevalent at the time of import;

(c) In respect of excisable goods procured from the DTA under excise duty exemption, excise duty to be levied without depreciation and at the rates prevailing at the time of supply to the Zone units;

(d) Sales Tax and such other taxes as may be leviable on the goods will also be paid.

Supplies/Transfer from zone Unit to Unit in another Free Trade Zone/Export Processing Zone/100% EOU

413. (1) It shall be ensured that the value addition expected to be fulfilled by the supplier has already been fulfilled by him before the material leaves the unit in the Zone.

(2) The value of these goods is accounted by the buyer for the purpose of value addition prescribed for him in accordance with the instructions in force from time to time.

(3) For payment of duties, the *original supplier* will be liable, and for this purpose a joint bond will be taken from the seller and the buyer.

(4) Movement of materials from a unit in the zone to a unit in another EPZ/FTZ or 100% EOU will be under Customs bond.

(5) The liability of the original supplier will remain notwithstanding the supplies/transfers effected by him to units in other EPZs/FTZs or 100% EOUs.

(6) Transit cost is to be borne by the seller. Similarly, all expenses incurred by the Customs on account of such movements will be recovered as per procedure of Recovery to be announced by the Customs.

(7) Only one such transfer of goods shall be allowed and thereafter the goods/products manufactured therefrom shall be exported.

Miscellaneous concessions

414. (1) Indigenously manufactured capital goods, components and raw materials, consumables, etc. will be allowed without payment of Central Excise Duty and Central Sales Tax. In the event of the Central Sales Tax not being exempted on such supplies, the amounts paid will be reimburseable to the zone units as per procedures laid down in this regard.

(2) The zone units will also be eligible to the concessions and exemptions allowed under the MRTP Act and Income Tax Act from time to time.

415. The Zone units will not be eligible for import replenishment benefits in respect of their exports.

CHAPTER XXIII

100% EXPORT ORIENTED UNITS SCHEME

Approved 100% Export Oriented Units

416. Applications for approval as a 100% Export Oriented Unit should be submitted to the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry, Udyog Bhavan, New Delhi in the form prescribed in Appendix XXIII-A of the Hand Book alongwith relevant Foreign Collaboration form where applicable. These applications will be considered by a Board of Approvals headed by the Commerce Secretary for grant of Letter of Intent/Letter of Permission under the Industrial Development Regulations Act. While giving its approval, the Board will also specify the item of manufacture, annual capacity, description, quantity and value of capital goods, allowed for import, as well as percentage of value addition to be achieved in the products to be exported.

417. Such approvals will be subject to the conditions given below :—

(a) The entire production and operation of 100% Export Oriented Unit shall be in a customs bonded factory unless otherwise specifically exempted from physical bonding as laid down in this Chapter. The Collector of Customs/Central Excise concerned will provide the bonding facilities for the factory premises on payment. The normal procedure that is applicable for Customs bonding will be followed including transit bond for the purpose of goods being taken from the port of importation to the factory.

(b) Import of capital goods permitted is to be effected within two years from the date of issued of the letter of Intent/Permission. In cases where the capital goods have not been imported by the unit within the said period of two years, the unit will have to apply afresh to the Administrative Ministry concerned. The Administrative Ministry, if satisfied with the reasons for failure to import Capital Goods within the stipulated period, will obtain the approval of the Board. In case any additional import of Capital Goods over and above value permitted initially is required, the unit will have to apply afresh to Board of Approvals, through the Administrative Ministry concerned alongwith relevant details.

(c) No replenishment benefits would be admissible on any export or supplies effected by a 100% Export Oriented Unit.

(d) The entire production shall be exported except (i) rejects upto 5% or such percentage as may be fixed by the Board; (ii) supplies effected in the Domestic Tariff Area as per provisions of Policy and (iii) supplies effected in the Domestic Tariff Area under global tender conditions.

(e) The items permitted for import under OGL and the conditions applicable thereto are contained in the relevant OGL given in Vol. II of this book. For their other import requirements, if any, not covered under

OGL, the unit concerned will have to obtain import licence from the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi. Applications will be considered on merits, having regard to indigenous angle and other conditions.

(f) The unit will have to show a minimum value addition of 20% or such percentage as mentioned in the Letter of Intent/Permission. For this purpose, all foreign exchange out-go as well as supplies procured from the Domestic Tariff Area of raw materials, components and consumables shall be taken into account. The formula for calculation of value addition is given in the application form in Appendix XXIII-A of this Book.

(g) Units desirous of setting up projects under the 100% Export Oriented Units Scheme will, henceforth, have to submit detailed techno-economic feasibility reports, including marketing arrangements alongwith their application so that Government is able to satisfy itself on the basis of viability of the proposed project. With a view to ensuring viability of projects, it has been decided to approve, under the scheme, only such projects as offer a reasonable annual turn-over, depending on the nature of the venture. These guidelines will be decided by Government from time to time.

(h) While applying for approval, the applicant unit should also furnish the list of items including capital goods, it will need to import. In respect of raw materials, components, consumables and spares, etc. the requirements (imported and indigenous both) covering a period of five years in respect of each item should be given. The quantity and value should also be mentioned in respect of each item. The list of items should also include items which have been placed under Open General Licence under the normal Import Policy.

(i) A unit approved under this Scheme shall execute a Bond or legal agreement (shown in Appendix XXIII-B of this Book) with the licensing authority concerned undertaking to fulfil the export obligation prescribed. Failure to discharge the export obligation will render the unit liable to payment of Customs duty on the material imported at the value and at the rate as applicable at the time of import without prejudice to any other actions that may be taken under the Customs Act, 1962 and the Imports and Exports (Control) Act, 1947 and the orders issued thereunder. Exemption from Customs duty on imports by 100% Export Oriented Units will be subject to such other orders as may be issued separately by the Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi.

(j) Within a month of the close of each financial year, the unit concerned shall furnish an annual account to the concerned licensing authority in regard to (i) quantity and value (e.i.f. or the price paid, as the case may be) of items directly imported or supplies obtained from the domestic tariff area, (ii) the quantity and f.o.b. value of items exported outside, the country; (iii) sales of rejects permitted; (iv) sales permitted to domestic Tariff Area; and (v) supplies to Domestic Tariff Area under the global tender condition.

(k) Units shall also furnish quarterly progress/performance reports in the prescribed pro-forma to the Export Production Section (100% EOU Cell) Ministry of Commerce and to the Export Commissioner in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports. Failure to do so will involve deterrent penal action.

(l) Wherever an existing industrial unit is operating both as domestic unit as well as an approved 100% Export Oriented Unit. it should have two distinctly different names for the two units. It is clarified that it is not necessary for the approved 100% Export Oriented Unit to have a separate legal entity. However, it should be possible to distinguish the import and export or supplies effected by the 100% EOUs from those made by the other unit/units of the same firm/company. The 100% Export Oriented Unit, though not having separate legal entity, would not be eligible to be considered for the benefits of any provisions under this policy other than those expressly provided for 100% EOUs.

Supplies from Domestic Tariff Area to 100% EOUs

418. The supplies from the Domestic Tariff Area shall be governed by the following procedure :—

(a) The suppliers' relevant invoice in such cases should be got endorsed by the Customs/Central Excise authorities to the effect that the goods covered by the invoice have been received by the 100% Export Oriented Unit concerned giving the name and address of that unit.

(b) Where buyer's unit concerned has an import licence for the import of the same goods, the Customs authority endorsing the invoice will also debit the import licence making it invalid for direct import of goods to the extent procured locally.

(c) The goods obtained locally under this provision whether against in import licence or otherwise shall be included in the account to be furnished by the unit to the licensing authority at the end of each financial year as laid down in paras above. The goods thus obtained locally shall be used for export production in accordance with the provisions laid down for a 100% Export Oriented Unit.

(d) The supplier of the goods can claim, if admissible otherwise, import replenishment licences under the import policy for Registered Exporters against such supplies. Import applications should be made to the licensing authorities concerned in the prescribed form and manner. The application

should be supported by the following documents :—

(i) Challan for the requisite amount towards application fee;

(ii) Supplier's invoice duly endorsed by the Customs authority to the effect that the goods covered by the invoice have been received by the buyer unit concerned.

(iii) A statement of exports in the form prescribed in the Hand Book of Procedures.

(iv) The value or which REP licence will be admissible will be FOR destination.

(e) Applications based on such supplies should be made separately and not included in the applications based on physical exports.

Sale of Goods in the Domestic Tariff Area

419. (1) The unit desiring to sell its goods in the domestic market should approach the Export Commissioner. It should also indicate the quantity of the items sought to be supplied in the domestic tariff area against valid import licence, or covered under OGL and the total quantity of the same item produced by the unit, as on date during the licensing year. The application should be certified by the Officer of the Customs/Central Excise Incharge of the bonded area.

(2) After obtaining the permission from the Exprot Commissioner the purchaser may prefer an application through the 100% EOU which is to supply such goods in the following manner :—

(i) In respect of items which require an import licence under the Import Policy in force on the proposed date of sale, applications for sale of such items may be preferred to the Customs/Central Excise Officer concerned alongwith valid import licence held by the Domestic Tariff Area Unit (purchaser). If the valid import licence(s) produced cover(s) import of items proposed to be sold by the 100% EOU, the Customs/Central Excise Officer concerned will allow such supplies to the unit in the DTA after suitably debiting the licence(s) (on both copies) making an entry of the value of supplies in the permission of the Export Commissioner referred to in paras above. The details like the date of supply, description of items quantity, value and duty paid should be indicated while debiting the licence(s).

(ii) If the material(s) proposed to be sold by the 100% EOUs does/do not require any import licence in accordance with the policy in force on the date of such sale, a 100% EOU which proposes to sell may prefer an application for issue of Release Order to the licensing authority concerned.

(iii) The Release Order will be issued in duplicate and the value of the Release Order will be entered by the Licensing Authority in the permission of the Export Commissioner referred to in sub-para (1) above. The original of the Release Order shall be retained by the 100% EOU after obtaining the acquittance of the Release Order holder for the receipt of goods and the value/-quantity thereof. This will serve as an evidence of export by the concerned 100% EOU. The value to be treated as f.o.b. value of exports will be the value for which the goods are supplied or the value of the Release Order, whichever is lower.

Sale under Special Permission upto 25% of Production

420. (1) Requests from 100% EOUs would be considered, case by case on merits, for grant of permission to sell upto 25% of their production in the DTA under OGL issued for this purpose subject to payment of appropriate Customs duties and other duties as notified by Department of Revenue. Permission for such sale will be granted by the Export Commissioner in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, Udyog Bhawan, New Delhi in accordance with the guidelines that may be prescribed from time to time.

(2) The purchaser of the goods in the DTA shall be liable to pay excise duty, sales tax and such other taxes/duties as may be leviable on the goods in question. Such sale shall be subject to the notification as may be issued by the Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi or such other notification or instructions as may be issued by them from time to time.

Tax Holiday

421. The benefit of tax holiday will be extended to 100% export oriented units as is admissible to units located in the Export Processing Zones/Free Trade Zones. The tax holiday can be availed of by the units at their option for a block of five years during the first eight years from the commencement of production of the units.

Green Cards

422. For facilitating the units approved under this scheme to be eligible for priority treatment in matters relating to setting up and implementation of their projects they can apply for Green Cards to the Export Commissioner in the office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi. These Green Cards will be issued to those units which have taken effective steps for implementation of their projects. The Application Form for obtaining Green Cards is given in Appendix XXIII-C to this Book.

APPENDIX. II-A

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE ——————————————

APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF IMPORTER/EXPORTER CODE (IEC) AND MODIFICATION OF PARTICULARS OF AN EXISTING COMPANY, FIRM ETC.

Note : 1. Application must be made in the prescribed form duly accompanied by Bank Receipt/Demand Draft evidencing payment of fee.

2. Application form should be neatly typed/handwritten in bold capital letters only.

3. Each copy of the application form should be signed in ink by the authorised person.

4. Supporting documents as specified on the reverse of the application must be included wherever applicable.

5. Items of information relevant to applicant should only be filled and remaining items may be marked not applicable (NA)

6. Modifications of particulars of the applicant should also be furnished on this form by filling the relevant items in addition to items appearing at Sl. no. 1 through 5.

1. Application Status . . . . (1) For new IEC (2) For status modification

2. Name of the Company, Firm etc. . . . .

3. Address of the Company, Firm etc. . . . .
....
CITY..
STATE/U.T. ....
PIN | | | | | | |

4. Particulars of Fees Paid:
(i) Bank receipt/Demand Draft No. . . . .
(ii) Date of Issue . . . .
DD/MM/YY
(iii) Amount (in Rs.) . . . .
....
(iv) Branch of Issue . . . .

5. Existing IEC (if previously allotted) . | | | | | | | | | | |

6. Existing I.C.N. (if previously allotted) . . . . | | | | | | | |

7. R.B.I. Code . . . . | | | | | | | | |

8. Date of establishment of the Company, Firm etc. . | | | | | | | | |
d d m m y y y y

9. Category code of the Company, Firm (Please Tick appropriate box) . . . . .
(1) Government Co. [ ] (2) Public Ltd. Co. [ ]
(3) Private Ltd. Co. [ ] (4) Proprietary Firm [ ]
(5) Partnership Firm [ ] (6) Others (Pl. Specify) [ ]

APPENDIX II-A (*contd.*)

10. Type of Registered Exporter (Please Tick appropriate box)
(1) Trading House [ ] (2) Export House [ ]
(3) Merchant Exporters [ ] (4) Manufacturer Exporter [ ]

11. Name of the Authority with which registered (applicable to Manufacturers only) (SSI/DGTD etc.) ______
(a) Registration No. ______ Date [d d m m y y]
(b) Industrial Licence No. (if any)______Date [d d m m y y]

12. (a) Whether registered under Shop & Establishment Act ? If yes. [y] [n]
Registration No.______Date [d d m m y y]

(b) If no.
Whether registered under Sales Tax Act?
If yes. [y] [n]

Registration No.______Date [d d m m y y]

13. Names of places where branch offices are located (add extra sheet if more than four)

In India	Abroad	
1. ______	1. a. Country______	b. City ______
2. ______	2. a. Country______	b. City ______
3. ______	3. a. Country______	b. City ______
4. ______	4. a. Country______	b. City ______

Whether extra sheet is added [y] [n]

14. Details of registration with Export Promotion Council/Commodity Board/FIEO etc, if so registered (add extra sheet if registered with more than one)

(i) a. Name______b. code [|] (as per codes given in the annexe)

c. Registration No.______d. Date till regn. is valid. [d d m m y y]

e. Details of end products for which registered (add extra sheet if more than six products)

Description	Description
1. ______	4. ______
2. ______	5. ______
3. ______	6. ______

Whether extra sheet is added (for more than six and products) [y] [n]

(ie) Whether extra sheet is added (for more than one registering authority) [y] [n]

APPENDIX II-A (*contd.*)

15. Details of Directors/Partners/Proprietors etc. in the board of directors/management of the legal entity:
(add additional sheet if more than four)

1. (a) Name . . . .
   (b) Father's Name . . . .
   (c) Residential address . . . .

2. (a) Name . . . .
   (b) Father's Name . . . .
   (c) Residential address . . . .

3. (a) Name . . . .
   (b) Father's Name . . . .
   (c) Residential address . . . .

4. (a) Name . . . .
   (b) Father's Name . . . .
   (c) Residential address . . . .

Whether extra sheet is added? . . . . . . [y] [n]

1. I/We hereby declare that the information given in the application and document attached herewith are true and correct to the best of my/our knowledge & belief and nothing has been concealed.

2. I/We hereby declare that this application is made by me/us in capacity as Head/Principal office and I/We have not obtained or applied for any Importer/Exporter Code previously in this name from any office of the CCI&E.

Signature (Authorised person)————————

Name ————————

Designation ————————

Full Office Address ————————

————————

————————

Full Residential Address ————————

————————

————————

Place————————

Date————————

SUPPORTING DOCUMENTS TO BE ATTACHED

1. Bank Receipt/Demand Draft evidencing payment of fee.
2. Copy of registration with appropriate authority (SSI, DGTD etc.).
3. Copy of Industrial Licence.
4. Copy of registration with Export Promotion agency, if so registered.
5. Letter of authorisation in favour of signatory of application.

ANNEXE TO APPENDIX II-A (*Concld.*)

Sl. No.	Name of Registering Authority	Code
1.	Engineering Export Promotion Council	01
2.	Electronics & Computer Software Export Promotion Council	02
3.	Chemicals & Allied Prodcuts Export Promotion Council	03
4.	Basic Chemicals, Pharmaceuticals & Cometics E.P.C.	04
5.	Plastic & Linoleum E.P.C.	05
6.	Council for Leather Exports	06
7.	Sports Goods E.P.C.	07
8.	Marine Products E.DA.	08
9.	Agricultural & Processed Food E.D.A.	09
10.	Spices Board	10
11.	Handicrafts E.P.C.	11
12.	Carpet E.P.C.	12
13.	Cashew E.P.C	13
14.	Tobacco Board	14
15.	Wool & Woollens E.P.C.	15
16.	Coir Board	16
17.	Cotton Textiles E.P.C.	17
18.	Apparels E.P.C.	18
19.	The Indian Silk E.P.C.	19
20.	Gem & Jewellery E.P.C.	20
21.	National Film Development Corporation	21
22.	Jute Commissioner, Calcutta	22
23.	Synthetic & Rayon Textiles E.P.C.	23
24.	Director of Vanaspati	24
25.	Khadi & Village Industries Commission	25
26.	Shellac E.P.C.	26
27.	Tea Board	27
28.	Overseas Construction Council of India	28
29.	Handloom E.P C.	29
30.	Export Promotion Officer, Bombay	30
31.	Export Promotion Officer, Madras	31
32.	Export Promotion Officer, Calcutta	32
33.	Joint CCI&E (CLA), New Delhi	33
34.	State Director of Industries, Andaman & Nicobar Islands	34
35.	State Director of Industries, Arunachal Pradesh	35
36.	State Director of Industries, Lakshadweep	36
37.	State Director of Industries, Manipur	37
38.	State Director of Industries, Mizoram	38
39.	State Director of Industries, Nagaland	39
40.	State Director of Industries, Tripura	40
41.	State Director of Industries, Jammu & Kashmir	41
42.	State Director of Industries, Goa	42
43.	State Director of Industries, Meghalaya	43
44.	State Director of Industries, Daman & Diu	44
45.	Federation of Indian Export Organisation	45
46.	Development Commissioner, NOIDA Export Processing Zone	46
47.	Development Commissioner, SEEPZ, Bombay	47
48.	Development Commissioner, Kandla FTZ, Gandhidham, Gujarat	48
49.	Development Commissioner Falta EPZ Calcutta	49
50.	Development Commissioner, Madras EPZ Madras	50
51.	Development Commissioner, Cochin EPZ, Cochin	51
52.	The Solvent Extractors Association of India	52
53.	The Groundnut Extraction Export Development Association	53
54.	Soyabeen Processors Association of India	54
55.	All India Cottonseed Crushers Association	55
56.	Jute Manufacturers Development Council	56
57.	Coffee Board	57

APPENDIX II-B

LIST OF REGIONAL LICENSING AUTHORITIES (WITH THEIR POSTAL AND TELEGRAPHIC ADDRESSES) AND JURISDICTION

Sl. No.	Licensing authority	Telegraphic Address	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports 4, Esplanade East, Calcutta-700069.	CONIMPEXTRA CALCUTTA	West Bengal, Sikkim and Union Territory of Andaman & Nicobar.
(2)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, New Central Govt. Offices Building, S.E. Wing, New Marine Lines, Churchgate, Bombay-400020.	CONIMPEXTRA BOMBAY	Maharashtra, Daman, Dadra and Nagar Haveli.
(3)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, 197, Peters Road, Royapetah, Madras-600014.	CONIMPEXTRA MADRAS	Tamil Nadu except Kanyakumari, Tirunelvell, Ramanathapuram & Madurai.
(4)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, (Central Licensing Area), Peerless Bhawan, 6-7, Asaf Ali Road, New Delhi-10002.	CONIMPEXTRA NEW DELHI	Delhi, Haryana and five districts of Uttar Pradesh, namely Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar and Saharanpur.

APPENDIX II-B (*Contd.*)

Sl. No.	Licensing Authority	Telegraphic Address	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, 117/L/444, Kakadeo, Kanpur-208025.	CONIMPEXTRA KANPUR	Uttar Pradesh except those areas which are under the jurisdiction of Jt. Chief Controller of Imports & Exports (CLA), New Delhi and Dy. Chief Controllers of Imports & Exports Varanasi, and Moradabad.
(6)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, 7th Floor, Caveri Bhawan, P.B. No. 9688, Bangalore-560006.	CONIMPEXTRA BANGALORE	Karnataka.
(7)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, 'A' Block, 11th Floor, Govt. Multistoreyed Building, Laldarwaja, Ahmedabad-380001.	CONIMPEXTRA AHMEDABAD	Gujarat State excluding areas falling under the jurisdiction of Rajkot and New Kandla offices.
(8)	The Joint Chief Controller of Imports & Exports, 6-IV-C, Green Field, Pakhowal, Road, Ludhiana.	CONIMPEXTRA LUDHIANA	Punjab excluding the Distt. of Amritsar.
(9)	The Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Pradhikaran Bazar Avam, Vyaivsayk Kendra, Sagar Sarai, Gulzari Mal Dharmsala Road, Moradabad.	CONIMPEXTRA MORADABAD	Moradabad, Dehradun, Uttarkasi, Tehri-Garhwal, Garhwal, Chamoli, Pithoragarh, Almora, Bijnaur, Nainital and Rampur.
(10)	The Deputy Chief Controller of Imports & Exports, Latha Complex (1st Floor), 5-8-196 to 207 (B), Nampally, Hyderabad-500001.	CONIMPEXTRA HYDERABAD	Andhra Pradesh excluding areas in the jurisdiction of Assistant, Chief Controller of Imports & Exports, Visakhapatnam.
(11)	The Deputy Chief Controller of Imports and Exports, P.B. No. 1129, Chittoor Road, Ernakulam, Cochin-682011.	CONIMPEXTRA ERNAKULAM	Kerala and union Territory of Lakashadweep.
(12)	The Deputy Chief Controller of Imports & Exports, IIIrd Floor, Guru Teg Bahadur Complex New Market, Bhopal-462003.	CONIMPEXTRA BHOPAL	Madhya Pradesh
(13)	The Deputy Chief Controller of Imports & Exports, Udyog Bhavan, Tilak Marg, Jaipur-302005.	CONIMPEXTRA JAIPUR	Rajasthan.
(14)	The Deputy Chief Controller of Imports and Exports, R.G. Baruah Road, Guwahati-781024.	CONIMPEXTRA GAUHATI	Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur.
(15)	The Deputy Chief Controller of Imports & Exports, Municipal No. SN. 15/121 Rishipattan Marg (1st Floor) Sarnath, Varanasi-221007 (U.P.)	CONIMPEXTRA VARANASI	Varanasi, Mirzapur, Ghazipur, Jaunpur, Azamgarh, Baila, Deoria Gorakhpur and Basti.
(16)	The Deputy Chief Controller of Imports & Exports, Residency Road, Srinagar-180001.	CONIMPEXTRA SRINAGAR	Jammu & Kashmir [Note—During winter, a camp office will function at Jammu (Exhibition Grounds), for seven days in each month as per announcement to be made from time to time by Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Srinagar.]
(17)	The Deputy Chief Controller of Imports & Exports, Desai Building, Bhupindra Road, New Town Hall, Rajkot-360001.	CONIMPEXTRA RAJKOT	The District of Gujarat State known as Saurashtra (excluding Kutch) and Diu in the Union Territory of Daman and Diu.
(18)	The Deputy Development Commissioner (Development), Electronics Exports Processing Zone, Santa Cruz, Bomby.	SEEPROZONE BOMBAY	Electronics Exports Processing Zone Santa Cruz, Bombay (SEEPZ).
(19)	The Assistant Chief Controllor of Imports & Exports, Morello Building, Shillong, Meghalaya-790001.	CONIMPEXTRA SHILLONG	Meghalaya, Tripura and Mizoram.
(20)	The Asstt. Chief Controller of Imports & Exports, CBR Building, Mall Road, Amritsar.	CONIMPEXTRA AMRITSAR	Amritsar District.
(21)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Ashirwad Building, Samta-Imez Panjim (Goa)-403001	CONIMPEXTRA PANJIM	Goa.
(22)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Administrative Building, Kandla Free Trade Zone, Gandhidham (Kutch-370301).	CONIMPEXTRA GANDHIDHAM	Kutch District of Gujarat and New Kandla Free Trade Zone.
(23)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Biscomann Bhavan, Patna-800001.	CONIMPEXTRA PATNA	Bihar
(24)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Sector-35 SCO-288, Chandigarh-160023.	CONIMPEXTRA CHANDIGARH	Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh.
(25)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Chauliagunj, Naya Bazar Cuttack-753004.	CONIMPEXTRA CUTTACK	Orissa.
(26)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, P.B.No. 14 Pondicherry-605001.	CONIMPEXTRA PONDICHERRY	Union Territory of Pondicherry, Karaikal Mahe and Yanam.
(27)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Door No. 43-9-166, First Floor, T.S.N. Colony, Visakhapatnam-530016.	CONIMPEXTRA VISAKHAPATNAM	The District of Srikakulam, Visakhapatnam, East Godavari and West Godavari of Andhra Pradesh.
(28)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Sunrise Building, 104, Beach Road, Tuticorin-628001.	CONIMPEXTRA TUTICORIN	Kanyakumari, Tirunelveli, Ramanathpuram and Madurai.

APPENDIX II-C

THE PROCEDURE FOR DEPOSIT/REFUND OF IMPORT APPLICATION FEE AND OTHER ITC DEPOSITS

PAYMENT OF FEES

(i) (a) Unless an applicant is exempt from payment of fees under Clause 4 of the Imports (Control) Order, 1955, every application for an Import Licence/CCP should be accompanied by two copies of Bank Receipt duly stamped by the Central Bank of India indicating the deposit in accordance with the prescribed scale of fees indicated in the Schedule III of the Imports (Control) Order. The deposits should be made alongwith the relevant form/T. R.6 clearly indicating the head of account as mentioned below :—

(b) 1453 Foreign Trade and Export Promotion—Minor Head 102—Import Licence application fee. The bank receipt must show the name of the department viz., "Import and Export Trade Control Organisation" and particulars of the application for the grant of import licence namely, description of goods for which the licence is applied for with their value and the licensing period, in the column "full particulars" in the form. The Bank Receipt should be drawn in favour of Pay & Accounts Officer (Imports & Exports), indicating the station of the Pay & Accounts Officer concerned Application must also, contain details of the bank receipt under which the reuisite fee has been deposited. The deposits should be made in any one of the branches of Central Bank of India which have been authorised to receive application fee and other ITC deposits. A list of branches of the Central Bank of India which have been so authorised to receive the application fees and other ITC deposits is mentioned in this Appendix. Such fees can also be deposited with Indian Mission abroad.

(c) In no case the fees should be deposited in a Treasury. Treasury Receipt will not be accepted.

(d) The specimen of the form TR-6 is reproduced in Annexe IV in this Appendix.

FACILITY OF REMITTANCE THROUGH A BANK DEMAND DRAFT

(ii) (a) However, where the applicant is located in a place which does not have any authorised branch of the Central Bank of India, the facility of remittance of application fee and other ITC deposits through a crossed demand draft on a scheduled bank will also be available. Such demand drafts for the requisite amounts should be made out in favour of the concerned licensing authority who will deposit the bank drafts in the Central Bank at the same station where the licensing authority has bank account. At places where there is no branch of the Central Bank of India, demand drafts received in favour of the licensing authority can be endorsed to the Pay & Accounts Officer concerned for credit to Government account. The jurisdiction of the various Pay and Accounts Officers is also indicated later in this Appendix.

(b) Wherever the facility of remittance through demand draft is availed, the crossed demand draft should be enclosed with the application and sent to the licensing authority concerned.

EXEMPTION FROM PAYMENT OF FEES

(iii) (a) The categories of applicants who have been exempted from payment of fees is given in clause 4 of the Imports (Control) Order, 1955. Also, no fees is leviable on application where the goods sought to be imported are required for personal use of the applicants (i.e. for purposes not connected with the trade or manufacture), irrespective of the value of such goods. This exemption, however, is not applicable to import of cars and other vehicles.

(b) Wherever. the applicant is exempt from payment of fees, he should clearly state so in his application in the column pertaining to bank receipt/bank draft No. and date indicating the provision under which he is so exempt.

WHERE BANK RECEIPT IS LOST

(iv) In cases where the applicant has misplaced the two copies of Bank Receipt referred to Clause (i)(a) above, the applicant should file an affidavit on the Stamped Paper to the effect that the two copies of Bank Receipt in question have been lost or misplaced and have not been utilised in any other manner. Further, he should also mention that if the said two copies of Bank Receipt (or any one of the two copies of the Bank Receipt) are found subsequently they shall be returned to the licensing authority concerned and shall not be utilised in any other manner. The Particulars of the Bank Receipt i.e. licensing period; the amount remitted, the date of payment etc. should also be stated in the affidavit.

REFUND OF APPLICATION FEES

(a) Application fee once deposited is not refundable, except in the circumstances in clause 4 of the Imports (Control) Order.

(b) Where the applicant is eligible for refund of application fee, an application for refund in the prescribed form given in this Appendix may be submitted to the licensing authority within whose jurisdiction the fee was paid. While making an application for refund, both the copies of Bank Receipt (two copies) should be enclosed with the application for such refund.

In cases, where the said copies of Bank Receipt have been enclosed with the application for the Licence, the third copy of the Bank Receipt may be furnished. In all the cases, number and date of the Bank Receipt and the name of the Bank where the fee was deposited should be given.

(c) In cases of refund of fees where the amount had been deposited by means of a bank draft, in addition the applicant should furnish the :—

- (i) Demand draft No. and date of issue.
- (ii) Name of bank and address of branch which issued the demand draft.
- (iii) The bank on which the demand draft was made (i.e. the paying bank).
- (iv) The name of the person in whose favour the demand draft was made payable.

The licensing authority on receipt of application shall pass refund after they have verified from the Pay and Accounts Officers concerned that the amount in question has been credited to the Government of India.

Normally, no application for refund will be entertained unless detailed reasons for claiming the refund are mentioned by the applicant and the refund is sought to be made within one year of the deposit. However, for genuine reasons, the licensing authorities may condone the delay but in no case shall an application for refund of fees be entertained after the expiry of three years from the date on which the right to have refund of fees accrued.

(d) In case of refund of fees where the amount had been deposited in the Treasury before 1-7-76 the number and date of the Treasury Challan and the name of Treasury should be quoted on the application for refund instead of the Bank Receipt number etc. In these cases, original credit should be got verified and the fact of refund got noted by the concerned Treasury Officer before submission of the Refund Bill to Pay & Accounts Officer for Payment.

(e) While considering refund applications, the licensing authorities may call for any information/details from the applicant.

(f) In cases, where the applicant has lost the original bank receipt the licensing authority may accept a certificate from the bank or Pay and Accounts Officer (Imports & Exports) in support of the fact that the amount had been deposited. In such cases, where the original receipt is not available the applicant will be required to file an affidavit containing same particulars as mentioned above.

(g) Refund order of fees will be valid for three months from the date of issue. Request for revalidating the same may be considered on merit by the authority which issued the refund order for a period not exceeding nine months from the date of expiry of the refund order.

(h) In cases where the licensing authority rejects the request for refund, it would indicate the reasons for such rejection.

APPENDIX II-C (*Contd.*)

ANNEXE-I

LIST OF THE CENTRAL BANK OF INDIA BRANCHES AUTHORISED TO RECEIVE PAYMENTS FOR IMPORT LICENCE APPLICATION FEE AND OTHER IMPORT TRADE CONTROL DEPOSITS

Sl. No.	Address of the Branch	District
1	2	3
ANDHRA PRADESH		
1.	6-1-10631E, Ist Floor Raj Bhawan Road, Khairatabad, Hyderabad-500004.	Hyderabad
2.	P.B. No. 30, Victory House, Door No. 1634-1-18, Temple Street, Kakinada, 533001.	East Godavari
3.	3-1-16, Rastrapathi Road, Secunderabad-500003.	Hyderabad
4.	P.B. No. 6, Gogineni Buildings, B-12-319, Raja Rangaish Apparas Street, Vijayawada-520001.	Krishna
5.	P.B. No. 22, Door No. 5/281, Bhaya Lata Main Road, Rajahmundry-533101.	East Godavari
6.	B.I. Shipyard Colony, Gandhigram, Visakhapatnam-533001.	Visakhapatnam
7.	P.B. No. 65, 2918, 119 Main Road, Visakhapatnam-53000.	Visakhapatnam
8.	P.B. No. 5, Bazar Street, Samarthi Building, Pakala-517112.	Chittoor
9.	18/188/B.K.N. Street, Cuddapah-518001.	Cuddapah
10.	P.B. No. 22, 18/192, Rashool Bazar, Kurnool-516001	Kurnool
11.	22, Jannalgadavari Street, Nellore-524001.	Nellore
12.	P.B. No. 60 Ramgopal Compound, Jawahar Road, Nizamabad-503001.	Nizamabad
13.	Ratna Jutter, Grand Trunk Road, Ongole-523001.	Prakasham
14.	P.B. No. 27, Balan Villa, 8/413, Station Road, Warangal City-500002.	Warangal
ASSAM		
15.	Rahman Manzil Pan Bazar, Guwahati-781001.	Guwahati
16.	Marwaripatty P.O. Rehabari, Dibrugarh-786001.	Dibrugarh
17.	Silchar P.O. Silchar.	Cachar
17-A.	Tinsukia	Dibrugarh
BIHAR		
18.	Bank North-802156, Dhanbad.	Dhanbad
19.	P.B. 14, Main Road, Bistupar Jamshedpur-810001,	Singhbhum
20.	P.B. No. 64, New Dak Bunglow, Road, Patna-831001.	Patna
21.	P.B. No. 5, Gobardhan Road, P.O. Darbhanga-846004.	Darbhanga
22.	P.O. Madhubani-847211, Madhubani.	Madhubani
23.	Samgarh National Highway-33, P.O. Ramgarh Cantt. Hazaribagh.	Hazaribagh
24.	P.B. No. 38, Navketan, Dr. Rajendra Prasad Road, Bhagalpur-812001.	Bhagalpur
25.	P.B. No. 23, Bari Bazar, Monghyr-811201.	Monghyr
26.	M.G. Road, Katihar-854105.	Katihar
27.	P.O. Purnea Agarwal Market, R.N. Shaw Chowk Purnea-854301.	Purnea
28.	P.O. Saharsa-852201	Saharsa
29.	P.B. No. 8, Main Bazar, Chow, Raxaul-845305,	Champaran
30.	Daltonganj Engineering Road, Daltonganj-822101.	Palamau
GUJARAT		
31.	P.B. No. 201, M.G. Road, Surat-395003.	Surat
32.	New Vegetable Market, P.B. No. 62, Bulsar-396001.	Bulsar
33.	Kala Building Panigate, Baroda-380001.	Baroda
34.	Near Rupallee Cinema Lal Darwaja, Ahmedabad-380001.	Ahmedadad
35.	P.B. No. 505, 3/62, Mandvi, Tower Road, Jamnagar-361001.	Jamnagar
36.	Pattani Building, P.B. No. 129, M.G. Road, Rajkot-36000.	Rajkot
37.	Haris Road, Bhavnagar-364001	Bhavnagar
38.	Zanda Chowk, Port Trust Building Kutch	Kutch
39.	Jama Masjid Road, Bharuch-392001.	Bharuch
HARYANA		
40.	Railway Road, Bahadurgarh-125407.	Rohtak
41.	Basi Road, Gurgaon-122001	Gurgaon
42.	Industrial Area, Faridabad-N.I.T-121002.	Faridabad.
43.	Chowk Mast-Purian, Ambala City-134002.	Ambala
44.	Subzi Mandi, Sirsa-125055.	Sirsa
HIMACHAL PRADESH		
45.	Lower Bazar, 171991, District Simla.	Simla

APPENDIX II-C—(*Contd.*)

ANNEXE I—(*Contd.*)

1	2	3
	JAMMU AND KASHMIR	
46.	P.B. No. 59, Indra Mansion, Shalimar Road, Raghunath Bazar, Jammu Tawi-18000.	Jammu
47.	P.B. No. 91, Amira Kadal, Srinagar.	Srinagar
	KARNATAKA	
48.	Post Box No. 14, III/C.T.S. No. 1012/I-B, Dajiban Peth. Hubli-580020.	Dharwar
49.	13652-B, Arouza Building, Hampankatta, Mangalore-575003.	South Kanara
50.	3-4, Visveshwariah Bhawan, Ist Floor, Krishna Rajendra Circle, Mysore-570001.	Mysore
51.	Santosh Cinema Complex, Kamagowada Road, Bangalore-560009.	Bangalore
52.	Srinivaro, Bangalore-Bellary Road, Bellary-583101.	Bellary
53.	Ist Floor, Super Market, Pot No. 7 & 8, Gulbarga-585101.	Gulbarga
54.	II-2-7, Sukhant Building' Near Gole Thana, Raichur-584101.	Raichur
55.	Post Box No. 60, 590, Mand ipet, Devangere 577001	Chitradurga
	KERALA	
56.	P.B. No. 14, Bazar Road, Cochin-682020.	Ernakulam
57.	Post Box No. 36, New Kulathunkal Building, Ist Floor, T.C. 21/219, (Opp. G.P.O. Main Road, Trivandrum-695001.	Trivandrum
58.	Post Box No. 28, O.M.G. 526, V.Y.A. Chinnakada, Rest House, Junction-691001.	Quilon
59.	Post Box No. 1123, 21/421-C, M.G. Road, Ernakulam (Cochin).	Cochin
	MADHYA PRADESH	
60.	Post Box No. 10, Jayendra Ganj, Laskar, Gwalior-474001.	Gwalior
61.	14, New Market, T.T. Nagar, Bhopal.	Bhopal
62.	Post Box No. 89, Jawahar Marg, Siyaganj, Indore City-452001.	Indore
63.	Post Box No. 11, 506, Sarafa Bazar, Jabalpur-482001.	Jabalpur
64.	Post Box No. 23, Khandwa, Opp. Govt. Hospital, Khandwa-450001.	East Nimar
65.	Church Compound Bus Station, Betul.	Betul
66.	Chouwradia Bhavan, Main Road, P.O. Balaghat-481001.	Balaghat
67.	Post Box No. 17, Great Eastern Road, Raipur-492001.	Raipur
68.	C/o Shri K.N. Tandons Buildings, Rewa Road, Satna-485001.	Satna
69.	Post Box No. 52, Patel Bhavan, Bilaspur.	Bilaspur
70.	Post Box No. 32, Civil Centre, Bhilai-490001.	Durg
	MEGHALAYA	
71.	Bara Bazar Road, 29, Cantonment, Shillong-790001.	Shillong
	MAHARASHTRA	
72.	Mahatma Gandhi Road, Bombay.	Bombay
73.	2-5/102, Station Road, Gulmandi, Aurangabad-431001.	Aurangabad
74.	Novelty Chambers, Grant Road, Bombay-400007.	Bombay
75.	129, Mandvi Janabai Building, Masjid Bunder, Mandvi Road, Bombay-400003.	Bombay
76.	Madhu Sanchaya Tilak Road, Nasik City-422001.	Nasik
77.	Post Box No. 51, 317, M.G. Road, Camp, Pune (Poona).	Pune
78.	Post Box No. 46, Gandhi Bhavan, "C" 1407, Laxmi Puri, Kolhapur-416002.	Kolhapur
79.	Post Box No. 20, C.T.S. 183/I, Vikhar Bhag, Sangli-416416.	Sangli
80.	Station Road, Nagpur-440001.	Nagpur
81.	Post Box No. 43, Balwant Lane No. 4, Dhulia-424001.	Dhulia
82.	Prakash Kunj, Nav Peth, Jalgaon-425001.	Jalgaon
83.	Cloth Market Tajnapeth, Akola-444001.	Akola

APPENDIX II-C—(*contd.*)

ANNEXE I—(*contd.*)

1	2	3
84.	Prithvi Vandhan, Gandhi Chowk, Yeotmal-445001.	Yeotmal
85.	Vazirabad Road, Nanded-431601.	Nanded
86.	Shakar Bhavan, Morai Road, Amravati-444601.	Amravati
87.	1/5-14, Shah Road, Latur-413512.	Osmanabad
87-A.	Marathi Grantha, Sangrahalaya Building, Netaji Subhash Bose Road, Thane.	Thana Dist. Thana
ORISSA		
88.	Plot No. 106/B, Unit No. VII, Ground Floor, Suryanagar (Bhubaneshwar).	Puri
89.	Patel Building, Baxi Bazar, Cuttack-743001.	Cuttack
90.	Sharma Building, 1st Floor, Main Road, Rourkela-760001.	Surendergarh
91.	Opp. Municipal Shopping Centre Katchehri Road, Balasore-756001.	Balasore
92.	226/5, Main Road, Baura Bazar, Berhampur-76002.	Ganjam
PUNJAB		
93.	Dana Mandi Road, Kapurthala-144601.	Kapurthala
94.	Post Box No. 55, Mandi Road, Jullundur-144001.	Jullundur
95.	Post Box No. 36, Nizam Road, Ludhiana-144101.	Ludhiana
96.	Post Box No. 83, 1, Queens Road, Civil Lines, Amritsar-143100.	Amritsar
RAJASTHAN		
97.	Sansar Chandra Road, Jaipur-302001.	Jaipur
98.	Jalori Gate, Chopans Road, Jodhpur-342001.	Jodhpur
99.	Cloth Market, Pali-306401.	Pali
100.	Post Box No. 21, Arya Samaj Road, Kotah-324001.	Kotah
101.	Post Box No. 22 K.E.N. Road, Bikaner-334001.	Bikaner
102.	Post Box No. 25 10, Public Park Sriganganagar-335001.	Ganganagar
103.	Ladia Bazar, Nagaur, Marwar-341001.	Nagaur
104.	Post Box No. 49, Outside Gate, Udaipur-313001.	Udaipur
TAMIL NADU		
105.	Post Box No. 190, Madras Stock, Exchange Building, 16/17, 2nd Line Beach, Madras-600001.	Madras
106.	United Motors Buildings, 150, Avinash Road, Coimbatore-641008.	Coimbatore
107.	Addision Building, Madras (N) Post Box No. 2719, 158 Mount Road, Madras-600002.	Madras
108.	Post Box No. 43, Opp. Thever Hall, Western Boule Vard Tiruchirappalli-620008.	Tiruchirapalli
109.	54, Beach Road, Fair Light, Tuticorin-628001.	Tirunelveli
110.	377 South Car Street, Ist Floor, Virudhunagar-626001.	Ramanathapuram
111.	Post Box No. 8 15, Meenakshi, Kovil Street, Madurai-625001.	Madurai
112.	Bangalore-Bellary, Road, Opp. SIPCOT, Fire Station Post Office, Mookundapalli-635109.	Dharmapuri
TRIPURA		
113.	Mantribari Road, Agartala-799001.	Tripura
UTTAR PRADESH		
114.	Post Box No. 8, 161, Khair Nagar, Bazar, Meerut City-250002.	Meerut
115.	Post Box No. 40, 29, Mahatma Gandhi Marg, Allahabad-211001.	Allahabad
116.	Wright Ganj, Ghaziabad-201001.	Gaziabad
117.	1271, Bhairon Bazar, Belanganj, Agra-282004.	Agra
118.	8/90, Ist Floor, Arya Nagar, Kanpur-208002.	Kanpur
119.	Post Box No. 161. 73, Mahatama Gandhi Road, Hazarat Ganj, Lucknow-226001.	Lucknow

APPENDIX II-C (*Contd.*)

ANNEXE I—(*Contd.*)

1	2	3
120.	Post Box No. 78, C. K. 39/76, Chowk, Varanasi-221081.	Varanasi
121.	Baranawal Building, Main Road, Near Bharat Palace, Bhadohi-221104	Varanasi
122.	Post Box No. 45, Hospital Road, Bareilly-234001.	Bareilly
123.	Ayodhya Dar Barrister Road, Mohalla Purdilpur, Gorakhpur-273001.	Gorakhpur
124.	Hotel Natraj Building, The Mall, Nainital.	Nainital
125.	Beltar, Mirzapur-231001.	Mirzapur
126.	Post Box No. 6, Station Road, Moradabad-244001.	Moradabad
	WEST BENGAL	
127.	Feeder Road, Post Office Durgapur-713201.	Burdwan
128.	Post Box No. 29, 18/A, Grand Trunk Road, South Howrah.	Howrah
129.	Post Box No. 40, Malced House, 3, Netaji Subhash Road, Calcutta.	Calcutta.
130.	Chhota Kothi Post Office, Cooch Behar-736101.	Cooch Behar
131.	N. C. Goenka Road, Darjeeling.	Darjeeling
132.	Post Box No. 29, Theatre Road, Jalpaiguri-735101.	Jalpaiguri
133.	Mohowbati, Raiganj.	West Dinajpur
	UNION TERRITORIES	
	DELHI	
134.	Udyog Bhawan, New Delhi-110011.	New Delhi
	GOA, DAMAN AND DIU	
135.	Swantantry Path, Vas-code-Gama-403802.	Goa
136.	Rua Alfesoda de Albuquarque, Panjim-403001.	Goa
	PONDICHERRY	
137.	Post Box No. 61, 4, Ambalathadair Madam Street, Pondicherry-605001.	Pondicheri
	CHANDIGARH	
138.	S. C. F. 23, Sector 15/C, Chandigarh.	Chandigarh

APPENDIX II-C (*Contd.*)

ANNEXE II

LIST INDICATING THE JURISDICTION OF THE LICENSING AUTHORITIES AND PAY & ACCOUNTS OFFICERS (Imports & Exports)

PAO, BOMBAY	PAO, CALCUTTA	PAO, MADRAS	PAO, NEW DELHI
Jt. CCI & E, Bombay.	Jt. CCI & E, Calcutta.	Jt. CCI & E, Madras.	Jt. CCI & E (CLA), New Delhi.
Jt. CCI & E, Ahmedabad.	Dy. CCI & E, Gauhati.	Jt. CCI & E, Bangalore.	Jt. CCI & E, Kanpur.
Dy. CCI & E, Bhopal.	Asstt. Chief Controller I & E, Imphal (Shillong).	Dy. CCI & E, Hyderabad.	Jt. CCI & E, Ludhiana.
Deputy Chief Controller I & E, Rajkot.	Asstt. Chief Controller I & E, Patna.	Dy. CCI & E, Cochin.	Deputy CCI & E, Varanasi.
Dy. Development Commissioner (Development) Santacruz (Bombay).	Asstt. Chief Controller I & E, Cuttack (Orissa).	Asstt. Chief Controller I & E, Visakhapatnam.	Dy. CCI & E, Jaipur.
Asstt. Chief Controller I & E, Panjim (Goa).		Asstt. Chief Controller I & E, Pondicherry.	Deputy Chief Controller I & E, Srinagar.
Asstt. Chief Controller I & E, Gandhidham (Kutch).		Asstt. Chief Controller I & E, Tuticorin.	Dy. Chief Controller I & E, Moradabad.
			Asstt. Chief Controller I & E, Chandigarh.
			Asstt. CCI & E, Amritsar.

APPENDIX II-C (Contd.)

ANNEXE III

DETAILS OF INFORMATION REQUIRED TO BE FURNISHED BY APPLICANT FOR REFUND OF APPLICATION FEE

1. TREASURY/BANK RECEIPT/BANK DRAFT AGAINST WHICH REFUND IS CLAIMED.

(i) No. & date of Bank Receipt/Demand Draft.

(ii) Name of the bank/treasury with location.

2. DETAILS OF IMPORT APPLICATION PROPOSED TO BE SUBMITTED AGAINST THE BANK RECEIPT/BANK DRAFT MENTIONED IN COLUMN (1) ABOVE.

(i) Description of goods in detail.

(ii) Value of the goods.

(iii) ITC Classification of the goods.

(iv) Licensing period.

(v) Category of importer.

(vi) Licensing authority.

(vii) Sponsoring Authority (i.e. DGTD, DGS&D, certifying authority) in terms of Hand Book of Procedures, 1990–93.

(viii) Whether or not any import application against the Bank receipt/Demand draft or any application for import of item(s) and value mentioned in Bank receipt/Demand draft addressed to any licensing authority mentioned in Hand Book of Procedures, 1990–93 sponsoring authority for grant for an essentiality certificate/import licences and if so, No. and date thereof may be furnished.

3. No. and date of communication, if any, received in connection with issue of import licence from any of the authority in para 2 above and licensing authority.

4. No./date and value of fresh Bank receipt/Demand draft if submitted in lieu of Bank receipt/Demand draft for which refund is required.

5. Reasons for not applying for refund within a reasonable time of the deposit of the Bank receipt/Bank draft.

6. Detailed reasons substantiating the claim as to why the proposed import application was not submitted to any of the licensing authority stated in para 2 above.

DECLARATION

We hereby on solemn affirmation declare that we have not submitted any application for the import licence or shipping bill or Custom Clearance Permit to any licensing authority against the Bank receipt/Draft No. .... dated .... for Rs. ....

Signature of the Applicant
Name in Block Letters and Address

APPENDIX II-C (*Concld.*)

ANNEXE-IV

T.R. 6
(TREASURY RULE 92)

TREASURY/SUB-TREASURY

CHALLAN NO.

Challan of Cash paid into the State/Reserve Bank of India at............

TO BE FILLED IN BY THE REMITTER					To be filled in by the Department Officer of the Treasury		
By whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full Particulars of the remittance and of authority (if any)	AMOUNT Rs.	P.	Head of Account	Accounts Officer by whom adjustable	Order to the Bank*
Name							Date Correct Receipt and grant receipt (Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in)
Sig.		Total*					

*(In words) Rupees

*To be used only in the case of remittance to the Bank through departmental Officer or the Treasury Officer.

Received payment (in words) Rupees

Treasury Officer

Treasurer Accountant Date Agent

NOTE :—1. In the case of Payment at the Treasury, receipts for sums less than Rs. 50,000 do not require the Signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer. Receipts for cash and cheques paid for service postage stamps should be given in form T.R. 5.

2. Particulars of money tendered should be given below.

3. In case where direct credits at the Bank are permissible the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer, or the Accountant General as the case may be, on receipt of the Bank's Daily Sheet.

PARTICULARS	AMOUNT Rs.	P.
Coins		
Notes (with details)		
Cheques (with details)		
Total Rs.		

APPENDIX II-D

PROFORMA TO BE SUBMITTED BY THE APPLICANT TO THE IMPORT CERTIFICATE ISSUING AUTHORITY FOR ISSUE OF IMPORT CERTIFICATE (IC) UNDER INDO-US MOU REQUIRING 2(A) ASSURANCES

1. (a) Name of the undertaking with address of Head Office

   (b) Location of factory

2. Name of the sponsoring Directorate in ICIA :

3. Name and address of the US Exporter

4. Items of import for which import certificate is required :

Details of item	Quantity	CIF Value

5. *If required for manufacture*

   (a) Details of the industrial licence/SIA Regn./DGTD Regn./SSI Regn.

   (b) End Product as given in the industrial Licences/SSI Regn.

   (c) Actual item of manufacture :

6. *If required for R&D*

   (a) Details of the Registration with Department of Science and Technology alongwith validity.

   (b) Specific project for which the item is proposed for import.

7. *If required for other Actual Users (Non-Industrial)*

   (a) Nature of the concern.

   (b) Type of Regn. certificate held with photocopy thereof.

   (c) Photocopy of permission letter of the local/municipal body.

8 (a) Is the item given in 4 above a capital good or a part thereof. YES/NO

If Yes

   (b) If CG is under non-OGL then the details of import licence No. and date alongwith photocopy of the licence with list indicating the serial No. of the item sought for.

   (c) If CG under OGL the import policy Reference in Appendix.

   (d) Name of the licensing authority with full address who has issued the import licence.

   (e) If import licence is required to be issued, please furnish

      (i) Application in Form as per Appendix III-A of the Hand Book of Procedures, 1990–93.

      (ii) An undertaking that the item is not appearing in Appendix I Part A of the Import and Export Policy, 1990–93, and there will not be increase in the manufacturing capacity beyond the licensed capacity indicated in the Industrial licence/letter of intent/S.I.A./D.G.T.D. registration certificate.

APPENDIX II-D (*contd.*)

9. (a) Is the *items given in* 4 above a component/Raw material. YES/NO.

If Yes

(b) If under OGL classification in Import policy 1990–93. (Vol.-I).

(c) Details of the IP under which import was allowed (enclose copy of the letter of approval alongwith list).

(d) If non-OGL the details of the import licence No. and date under which permitted alongwith a photo-copy of the licence and debit statement of customs.

(e) Name and full address of the Licensing Authority who has issued the Import Licence.

(f) If import licence is required to be issued, please furnish

(i) import application in Form as given in Appendix IIIA.

(ii) T.R for, the requisite amount as per the applied value.

(iii) Declaration in terms of Paragraph 220(6) of the Hand Book of Procedures for 1990–93.

(iv) Recommendation of the sponsoring authority.

10. Copy of the letter from the US supplier in support of the request for IC and the reference No. of the controlled commodity/munitions list of the US Export Administration Regulations.

The items being imported will be/will not be integrated into Indian end-products to be re-exportet.

Signatures

Date

Designation

UNDERTAKING BY THE INDIAN IMPORTER

In order to import above items I, Shri ....(designation) duly authorised by M/s. ....(Name of the Organisation), a Government entity/Government controlled entity/private sector entity. (Delete which is not applicable) hereby undertake :

— To import the item into India and not to redirect it or any part of it, to another destination before its arrival in India.

— To provide, if asked, verification that possession of item was taken.

— Not to re-export the item without any written approval of Certificate Issuing Authority.

— Not to transfer within India the item(s) specified in this certificate without the written approval of the Certificate Issuing Authority.

— To obtain permission in writing from the Certificate Issuing Authority prior to any change in end-user which shall be preceded by the ned enuser notifying the Certificate Issuing Authority that he/she agrees to the conditions contained in this document.

— The items being imported will/will not be integrated into Indian end-products to be exported

Signatures

Designation

(To be signed by authorised representative)

APPENDIX II-E

FORM OF AFFIDAVIT

FORM OF AFFIDAVIT FOR OBTAINING COPIES OF LICENCES AND CUSTOMS CLEARANCE PERMITS WHICH ARE LOST OR MISPLACED.

"I/We hereby solemnly affirm and declare that Customs purpose copy/exchange purpose copy/both, of licence No. .... dated .... issued to me/us for the import/export of .... from/to...... has been lost/misplaced without having been registered with any customs authority and utilised at all/after having been registered with........ (Customs House) .... and utilised partly, the total amount for which the licence was issued is Rs. ....and the total amount for which the original copy/or duplicate is now required is to cover the balance of Rs. .... I/We further solemnly affirm and declare that the said licence has not been cancelled, pledged, transferred or handed over by me/us or on my behalf to, any other party for any purpose/consideration whatsoever and request to cancel the original licence *in lieu* of which the duplicate copy has been applied for by me/us. I/We agree and undertake to return the original licence, if traced later, to the issuing authority for record.

APPENDIX II-F

FORM-M

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT BY ASSOCIATION OF INDUSTRY/EXPORT HOUSE/TRADING HOUSE ON BEHALF OF ACTUAL USERS

1. Name of applicant.
   (with full postal Address)

2. (a) Nature of concern whether public Sector Corporation, Co-operative Societies, Association of Industry, Export House, Trading House.

   (b) Name of Directors, Partners, Proprietors, Office bearers, as the case may be.

   (c) Details of branches, if any.

3. Copy of certificate issued by the State Director of Industries authorising the proposed bulk import. (This should be produced in the case of association cooperative societies).

4. Number and date of bank receipt/Demand Draft showing payment of the requisite fees (Bank receipt/Demand Draft may be attached).

5. Licensing period for which the application has been made.

6. Particulars of the goods to be imported :—

   (a) Description of goods with Appendix No./Serial No. (in case of supplementary licence).

   (b) CIF value in Rupees.

   (c) Country of shipment.

7. Broad category of users and the item(s) manufactured by them.

(i) I/We hereby declare that information given in the application form is correct. I/We fully understand that any licence issued on the basis of this information will be liable for cancellation in addition to any other action that may be taken in this behalf, if it is found that any part of the information furnished is incorrect/false or misleading.

(ii) I/We did not obtain Supplementary licence on behalf of the units for the preceding licensing year.

(iii) I/We hereby declare that the units on whose behalf this application has been made, have not obtained Supplementary licences separately from any licensing authority.

(iv) I/We hereby declare that materials to be imported will be distributed to the Actual Users concerned, on whose behalf the import is being made and a proper account of such distribution will be maintained for the inspection of sponsoring/licensing authorities.

Signature of the Applicant..........
Designation..........
Full Residential Address..........
Full official address..........

Place................

Date.................

Documents to be furnished :—

(1) Application in duplicate.

(2) Original Bank Receipt & Demand Draft for application fee.

(3) Photostat copy of recognition certificate.

(4) Seven copies of the list of items to be imported, in the case of supplementary licence.

(5) A declaration from each unit concerned to the effect that the material imported shall be used in its own factory as per Actual User condition.

(6) A statement giving the particulars of the units concerned, their names and address (including factory address) number and date of SSI Registration, the end-products manufactured, value applied for.

(7) In case of Supplementary licence a note giving the justification for Supplementary licence may be given for each unit.

APPENDIX II-G

PROFORMA FOR SUBMISSION OF GRIEVANCE REPRESENTATION

1. Particulars of aggrieved firm/individual
   Name : . . . .
   Address : . . . .
   Telephone No. :————/Telex :————/Cable :————
   Status : . . . . Trading House/Export House/Registered Exporter
   Registered with : . . . .
   Year of establishment :. . . . .
   Year of commencement of export business . . . . .
   Exports (F.O.B. Value) :
   (a) During the last three years : . . . . . .
   (b) In relation to the Grievance . . . . . .
   Product(s) exported : . . . .

2. Grievance pertains to : Details may be mentioned use additional sheets, if required)
   (Please tick)
   Capital Goods : . . . . Delay :
   Actual User . . . .
   Advance Licence : . . . .
   REP :. . . . . Policy matter :
   Export licence : . . . .
   Import licence : . . . .
   Import-Export passbook : . . . . Procedural matter :
   Cash Assistance : . . . .
   Any other matter : . . . .

3. Particulars of file/correspondence, etc. :
File/reference of O/o CCI&E, if any : . . . . . . Number Date
Application/letter : . . . .
Communication from O/o CCI&E/Post Office : . . .

4. Interview (Please mention particulars of interview with any officer and the outcome) : . . . .

5. Appeal (if any) : . . . . Number Date Decision (if any)
First appeal : . . . .
Second appeal : . . . .

6. Grievance Committee of regional licensing office . . . (particulars/result may be mentioned if such a Committee has been approached) :

7. Any other remarks/point that you may wish to state : . .

Signature
Name in Block Letters
Designation :
Telephone :
Full official address :

Foot-Note : 1. Aggrieved parties are advised to send original copy of the proforma to FIEO, PHD House (3rd Floor), Opposite Asian Games Village, 4/2, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016, with copy of the proforma (in quadruplicate) alongwith copies (in quadruplicate) of the representations last made to the O/o the CCI&E, to the Grievance Committee (Headquarters), in the O/o the CCI&E, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

2. Grievance in respect of Regional Licensing Offices, may be sent to the Grievnace Committees in the respective Offices of Jt. CCI&Es, and copy forwarded to Regional Office of Federation of Indian Export Organisations concerned whose address is given below :

1. Secretary (Northern Region) Federation of Indian Export Organisations', PHD House (3rd Floor), Opposite Asian Games Village, 4/2, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016.
2. Director (Western Region) Federation of Indian Export Organisations, A-74, Mittal Court, Nariman Point, Bombay-400021.
3. Assistant Director (Southern Region) Federation of Indian Export Organisations, Nungambakkam, Madras-600006.
4. Regional Officer (Eastern Region) Federation of Indian Export Organisations, C/o. Bengal Chamber of Commerce and Industry, Royal Exchange, 6, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001

APPENDIX II-H

(A)

FORM OF BOND FOR CLEARANCE OF GOODS

Know all men by these presents that whereas the Collector of Customs .... hereinafter referred to as 'said Collector' which expression shall include the person for the time being performing the duties of the Collector of Customs .... has permitted the clearance of the goods in the schedule hereunder written. We(1) .... (importers) (2) .... (surety) do hereby bind ourselves and each of us and each of our heirs, executors, administrators and legal representatives, jointly and severally with the President of India to pay the said collector for the time being the sum of Rs.............. subject to the conditions written herein below :—

Now the conditions of the above written bond are such that if the said (I) .... (importers), their heirs and representatives shall deliver or cause to be delivered to the said Collector within one month from the date hereof the import licence referred to in the Schedule to cover the goods referred to in the schedule or if the said .... (importers), their heirs or representatives or any of them shall in lieu of the delivery of such licence upon demand by the said Collector pay or cause to be paid to him on behalf of the President of India the sum of Rs............ then the above written bond shall be void and of no effect, otherwise the bond will be and remain in full force and virtue, and it is hereby declared that :

(a) Any forbearance on the part of the President or any other officer shall not in any way release the said surety, his heirs and representatives from his or their liability under the above written bond; and

(b) that this bond is entered into under the orders of the Central Government for the performance of the act in which the public are interested ;

Schedule of Goods cleared

No. Date	Description of goods	Qty.	Country of origin	Port of shipment	Value of Goods

(1) (Importers)

(2) (Surety)

Signed, sealed and delivered by the above named in the presence of :

Witness ....

Acceptance for and on behalf of the President of India

Assistant Collecor of Customs

(B)

FORM OF THE LETTER OF GUARANTEE

In consideration of the Collector of Customs allowing us .... (importers) to clear the undermentioned goods without production of the original import licence mentioned below, we hereby undertake to produce within the month from this date the said original licence already granted to us by Government to cover *inter alia* the undermentioned goods mported by us bearng licence No. .... date .... which .... has been sent to the Chief Controller of Importis and Export., New Delhi/Collector of Customs.... .... for revalidation/clearance of other goods covered by the said licence.

Bill entry No. and date	Description of goods	Supplier's Name	Quantity	Country of Origin	Port of Shipment and Date	Value of Goods

In the event of our failure to produce the original licence within the period specified above or within such extended time as the Collector of Customs .... may in his absolute discretion allow (and in this respect time shall be the essence of arrangement), we .... (importers) hereby agree to pay to the President of India the sum of Rs. .... whenever called upon to do so together with such penalty as may be imposed on us by the Customs authorities in respect of the above mentioned goods. We and .... (surety) guarantee to the President of India due payment of the said sum of Rs. .... and the said penalty so to be imposed as aforesaid. And is agreed and declared that:

(a) Any forbearance or indulgence to the importer on the part of the President of India or any officer of Government shall not in any way release the said surety, their heirs, successors, or legal representative from their liability to this agreement.

(b) This agreement is entered into under the orders of the Central Government for the performance of act in which the Public are interested.

Signature of Importers ....

Date ....

Signature of Surety ....

Accepted for and on behalf of the President of India,
Assistant Collector of Customs

APPENDIX II-I

FORM F

FORM OF APPLICATION FOR REVALIDATION OF LICENCE

1. Name and full address of the license.
2. (a) File No. of the Licensing Authority from which the licence was issued.
   (b) Licence No., date and value.
3. Value for which irrevocable commitment/shipment made during the initial/extended period.
4. whether revalidation obtained earlier, if so, details thereof.
5. Period of revalidation applied for.
6. Reason for seeking revalidation (supporting documents to be furnished).
7. No. & date of Bank Receipt/Demand Draft and Value thereof
8. List of enclosures.

Note: Bank Receipt/Demand Draft for Rs. 100/- must be enclosed.

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any revalidation granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or being made ineffective in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

(Signature with full name) ....
Designation ....
....
Relationship ....
Full official address ....
Full Residential address ....
Place ....
Date ....

APPENDIX II-J

PROFORMA FOR FURNISHING DETAILS OF PESTICIDES

Any person importing pesticides, under O.G.L., or a licence, against payment or as free sample or otherwise, should inform the Plant Protection Adviser, Faridabad, under the Ministry of Agriculture, New Delhi, within 15 days of clearance through customs, with following particulars :—

(i) Name of the importer.
(ii) Name of the manufacturer.
(iii) Name of the supplier.
(iv) Name of Pesticide including the name of technical grade material and the percentage thereof.
(v) Quantity.
(vi) C.I.F. value.
(vii) Port of import.
(viii) Date of taking delivery clearance.
(ix) Reference to their registration No./permission issued by the Registration Committee/PPA.
(x) Reference No. of the licence.
(xi) Value of licence.
(xii) If imported under OGL, give No. and date of the relevant OGL.
(xiii) If the licence was utilised earlier, reference to earlier communication.

Signature.......................
Name in Block Letters..........

Place :
Date :

Position Held ....
Full Official address ....
Full residential address ....

APPENDIX II-K

PROFORMA FOR SEEKING CLARIFICATIONS ON IMPORT POLICY

1. Name and address of the Actual User.
2. Name of the Sponsoring authority.
3. Product manufactured.
4. Complete description (including specifications/literature/catalogue, if available) of the item for which a clarification is required. (In the case of Chemicals, please give technical name and synonyms, if any).
5. Indicate the entry and Appendix No. for the item in the Import & Export Policy, 1990-93 (Vol. I)
6. Whether the item was earlier imported and, if so, under what classification, i.e. give Entry No. and Appendix No. under which cleared by the Customs, alongwith the classification accepted by the Customs.
7. Details regarding end use i.e. whether raw material, component, spare, tooling packing material or consumable. (For consumable, please indicate the process in which used).
8. Clarificaton sought by the Actual User with their views.
9. Any other relevant information.

Note : The application is to be furnished in triplicate with literature/catalogue/technical specifications of the item requiring clarification.

APPENDIX II-L

INFORMATION TO BE SUPPLIED FOR CONSIDERING REPRESENTATIONS SUGGESTING BAN/RESTRICTION/ LIBERALISATION IN THE IMPORT POLICY OF INDIVIDUAL ITEMS

1. (a) Name and address of the party making the representation.
   (b) Whether it is large scale or S.S.I. unit or a trader?
2. Description of the item for which change in import policy is suggested.
3. Existing import policy of the item.
   (a) For Actual Users.
   (b) For Registered Exporters.
   (c) For others.
4. End-product(s) for which the item mentioned in column 2 above is used.
5. Import duty.
6. Estimated annual domestic demand in the country.
7. Indigenous rated capacity per annum.
8. Actual indigenous production during the last three financial year and current year to-day (year-wise).
9. Comments on quality and suitability of the indigenous production in comparison to identical product manufactured abroad.
10. Actual imports into India during the last three financial years and current year to-date (year-wise).
11. Landed cost (in Rs.) per unit of imported product.
12. Wholesale market price per unit of indigenous product.
13. Any other relevant information.
14. Suggestion in brief.

Signature
(Name in Block letters and designation)

Place :

Date :

Note :

(1) The above information may be given to the extent available to enable proper examination of the suggestion.

(2) This proforma should be sent in triplicate.

APPENDIX II-M

ENQUIRY/INTERVIEW SLIP

(Strike out whichever is not applicable)

1. (i) Name of the Section from whom enquiry is to be made .
   (ii) Name of the Officer to be interviewed . . . .
2. (i) Date and Number of application . . . .
   (ii) Brief descripton of goods and their cif value applied for . . . .
   (iii) Number and Date under which the application has been recommended by the Sponsoring/Technical Authority . ...
   (iv) Receipt Number/Acknowledgement No./File No. if any of the Licensing Office/CCI&E . . . .
3. Information/position to be given by the concerned Section Officer . . . .
4. Date and time for enquiry/interview given . . . .

Signature : ....

Name : ....

Designation : ....

and Address : ....

Date : ....

COUNTERFOIL

Sl. No. Date

1. Name of the Company/Individual . . . .
2. Name and Designation of the representative . . . .
3. Name of the Section from whom the information is to be obtained . . . .
4. Name of the Officers to be interviewed . . . .
5. Date and time of enquiry/interview . . . .

Signature of the
Enquiry Officer/P.R.O.

Place...................
Date...................

APPENDIX II-N

FORM OF INDEMNITY-CUM-GUARANTEE BOND

(To be executed by the new/proposed industrial unit and the Guarantor Bank, which should be a Scheduled Bank, on a non-judicial stamp paper of minimum value of Rs. 15/- or any amount as may be prescribed by the Stamp Collector of respective State Governments)

To

The President of India

Through

The Chief Controller of Imports and Exports (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E).

Ministry of Commerce (full address)................... or the ....(full name and address of the canalising agency concerned)........... ....

This DEED executed on .... day .... of .... month .... (full expanded name of the importer/importer-firm with complete residential address, as per the instructions given below, hereinafter referred to as 'Importer'/'Allottee' which expression shall be deemed to include the heirs, successor, administrators, official liquidator and permitted assigns, administrator partly of the first part and .... (full expanded description of the Guarantor Bank with complete address of the office or Branch from which the guarantee bond is being executed), hereinafter referred to as 'Guarantor', which expression shall be deemed to include the successors, official liquidator and administrators, party of the second part.

The above named parties are jointly and severally held firmly bound to the President of India through the Chief Controller of Imports & Exports, Ministry of Commerce (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E, hereinafter called the Government)/the canalising agency .... (full name and address of the canalising agency concerned) for the sum of Rs ....(in figures and words) to be paid to the Government/.................. (full name and address of the canalising agency concerned) on written demand.

WHEREAS the above named Importer/Allottee has applied for Supplementary Import Licence/CG Licence/allotment of canalised items (delete whatever is not applicable) in accordance with the import policy and procedures in force.

2. WHEREAS the Government .... (full name and address of the canalising agency) has granted Import Licence No. .... dated .... Allotment order No. .... dated .... for Rupees (in figures and words) specified in the Schedule hereunder written (hereinafter referred to as 'Licence'/'Allotment order') subject to certain terms and conditions.

3. AND WHEREAS the Importer/Allottee has agreed to furnish an indemnity-cum-guarantee bond in consideration of the Government/canalising agency (full name and address) .... agreeing to issue Import Licence/Allotment Order, as aforesaid.

WHEREAS the Guarantor has agreed and undertaken to pay the guaranteed amount on demand by the Government/ .... (full name and address of the canalising agency) in consideration of their agreeing to issue the aforesaid Licence/Allotment order.

5. AND WHEREAS the importer has agreed that :—

(a) within a period of 18 months from the date of issue of the said Licence/Allotment Order or such further time as may be granted by the Government/ .... (full name and address of the canalising agency concerned) Licensee/Allottee shall properly utilise the material imported/procured against the Licence/Release Order in his/their factory for the manufacture of the product for which the Licence/Allotment Order was obtianed.

(b) The Import Licence/Allotment Order issued to the importer shall be non-transferable.

(c) Before the clearance of the first consignment of import/release of the allotted canalised goods is allowed, the Importer/Allottee shall furnish a Bank Guarantee for an amount equal to 25% of the value of the Licence/Allotment Order.

(d) The said Importer/Allottee shall procure and deliver or cause to be procured and delivered to the Government/...................... (full name and address of the canalising agency concerned) within one month from the date of the expiry of the aforesaid stipulated period, a certificate of sponsoring authority concerned to prove that the importer has been granted permanent registration and has actually utilised properly imported goods in his/their own factory for te manufacture of the product for which the Licence/Allotment Order was obtained.

APPENDIX II-N (*contd.*)

(e) In the event of the Importer's/Allottee's default in fulfilling the aforesaid obligations, the said bank guarantee shall be liable to be forfeited and the Importer/Allottee shall be liable to the Government/ .... (full name and address of the canalising agency) instituting legal action against him/them for confiscation of the imported/allotted goods and for such other rights available to the Government/.................. (full name and address of the canalising agency) under the provisions of Imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended, and Imports (Control) Order, 1955, as amended, and other provisions/rules formulated by the Government relating to the said import. The said confiscation proceedings may be initiated at any time before or after the period for the fulfilment of the aforesaid obligations.

(f) The Importer/Allottee further agrees and undertakes to abide by all the penal provisions of Import & Export Policy/Hand Book of Procedures as also under the Imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended and Rules framed thereunder to be invoked against him/them in the case of default as may be decided by the Government .... (full name and address of the canalising agency) which decision shall be final and binding on the Importer/Allottee and the guarantor.

NOW, THE CONDITIONS OF THE ABOVE BOND ARE AS FOLLOWS :—

(i) that the Importer/Allottee shall faithfully comply with all the obligation as aforesaid and the terms and conditions specified in the Import Licence/Allotment Order;

(ii) that the guarantor bank, do hereby expressly and irrevocably undertake and guarantee and if the Importer/Allottee fails to fulfil the whole or part of the obligations including the terms and conditions stipulated in the licence/allotment order or if the Importer/Allottee is not able to furnish any information required under the terms and conditions of the Import Licence/Allotment order and the Rules framed under the Imports & Exports (Control) Act, 1947, as amended, and Imports (Control) Order, 1955, as amended, or the rules framed thereunder or if there is any other failure of any kind what-so-ever on the part of the Importer/Allottee under the terms specified in the Licence/Allotment Order, whereby the said amount be demanded by the Government/............. (full name and address of the canalising agency concerned) or to any officer authorised by said reasons on the written demand of the Government/ .... (full name and address of the canalising agency concerned), the Guarantor Bank, shall, forthwith without any demur or without reference to the Importer/Allottee pay to the Government/..................... (full name and address of the canalising agency concerned) or to any officer authorised by the Government in this behalf such sum demanded the Government/.......................... (full name and address of the canalising agency concerned) from the Importer/Allottee and also indemnify to guarantee to the payment upto maximum of Rs. .... (in figures and words).

(iii) that notwithstanding any right Government/...... (full name and address of the canalising agency concerned) may have directly against the Importer, or notwithstanding any dispute raised by the Importer/Allottee, the written demand of the Government/.................. (full name and address of the canalising agency concerned), shall state necessary details to the Guarantor Bank that the payment is demanded from the Guarantor Bank, under the terms and conditions of the aforesaid Licence/Allotment Order including the terms specified herein-above and such above demand by the Government/.................... (full name and address of the canalising agency concerned) shall be final and binding upon the Guarantor Bank.

(iv) that the Guarantor Bank, shall not be discharged or released from this undertaking and the guarantee by any arrangement, variations between the Government/ .... (full name and address of the canalising agency concerned) and the Importer/Allottee, any indulgence to the Importer/Allottee by the Government with or without the consent or knowledge or any alteration in the obligations of the Importer/Allottee, or any forbearance whether as to a payment, time, performance or otherwise.

(v) that this guarantee by the Guarantor Bank shall remain valid and in the full force until all the obligations and conditions under the aforesaid Licence/Allotment Order including the terms as specified above are duly accomplished to the full, specification of the Government/................ .... (full name and address of the canalising agency concerned) and till the said satisfaction is reported by the Government/........... .... (full name and address of the canalising agency) to the Guarantor Bank.

(vi) That the above named indemnity bond by the Importer/Allottee and the guarantee by the Guarantor Bank shall be continuing indemnity-cum-guarantee bond by the Importer/Allottee and shall not be discharged by any change in the constitution of the Importer or of the Guarantor Bank. It is further indemnified by this Indemnity-cum-Guarantee Bond by the Importer and the Guarantor Bank that the payment by the Guarantor Bank to the Government/....................... (full name and address of the canalising agency concerned) under this indemnity-cum-guarantee bond shall be made forthwith on the receipt of the written demand of the Government/............(full name and address of the canalising agency) or any officer authorised by the Government in this behalf.

(vii) that this indemnity-cum-guarantee bond is executed by the above named Importer/Allottee and the Guarantor Bank for the purposes of the act involving public interest.

(viii) that the payment of the amount demanded by the Government/ .... full name and address of the canalising agency) under this Indemnity-cum-guarantee bond, Guarantor Bank shall not effect liability of the Importer/Allottee to any other action including the initiation of the legal proceedings for confiscation of the imported/allotted material and refusal of further licences and all other liabilities and penalties and the consequences under the provision of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended, Imports (Control) Order, 1955, as amended, but may be decided by the Government/.................. .... (full name and address of the canalising agency) under the Import Trade Control Regulations.

(ix) that the above named indemnity-cum-guarantee bond shall be void after all the obligations of the Importer/Allottee or the Guarantor Bank herein are fulfilled to the full and final satisfaction of the Government/........................ (full name and address of the canalising agency concerned) as specified above and when such satisfaction is communicated to the Guarantor Bank by the Government/..................... (full name and address of the canalising agency concerned).

(x) Notwithstanding the above, this guarantee by the Guarantor Bank hereunder shall remain in force till .... for a period of 3 years from the date of execution of the bond and if no claim is made by the Government within the said date the Guarantor Bank will be discharged of all the

liabilities of payment under the guarantee. It is further agreed that in the event of all the obligations of this Importer/Allottee being not duly discharged to the full and final satisfaction of the Government/..................... (full name and address of the canalising agency concerned) by the aforesaid date, the Guarantor Bank and the Importer/Allottee shall either review and revive the validity of this guarantee for a further period as may be required by the Government, or the Guarantor Bank shall pay at any time prior to the expiry of the indemnity-cum-guarantee bond without any demur, the amount as may be demanded by the Government .... (full name and address of the canalising agency concerned).

IN WITNESS WHEREOF the above named parties hereto have duly executed this bond of this ....day of ....Nineteen ...., signed, sealed and delivered by the above named Importer/Allottee and the Guarantor Bank in the presence of:

Witnesses*

1. ——————

1. —————— (full expanded description of the Importer/Importer firm or Allottee/Allotte Firm.

2. ——————

(To be authenticated/affirmed by 1st Class Magistrate/Notary Public)

2. ——————

2. .... (full expanded description of the Guarantor Bank)——— for and on behalf of the nationalised/scheduled Bank by the authorised officer of the Bank with the Seal of the Bank.

*Witnesses should also give their occupation and full address.

SCHEDULE OF IMPORT LICENCE/ALLOTMENT ORDER REFERRED TO ABOVE

No. and date of the Licence/allotment order	Value	Description of the quantities permitted

NOTE :

For the importer and the Bank :

1. If the Importer/Allottee is a sole proprietory firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed by the sole-proprietor of the said sole proprietory firm along with his permanent residential address.

2. If the Importer/Allottee is a partnership firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed in the name of the partnership firm through the partners to be specified in the partnership deed.

3. If the Importer/Allottee is a limited company, the bond is to be signed by the person duly authorised for the purpose by a resolution of Board of Directors of the Company under common seal of the company along with two witnesses with their designation and address.

APPENDIX II-O

PROCEDURE FOR RAISING DEBIT TO THE VALUE OF LICENCES

Import Licence for Capital Goods and Heavy Electrical Plant

1. While issuing import licences for Capital Goods and Heavy Electrical Plant the licensing authorities will calculate the value of the goods to be imported as covered by the licence by taking into account the 'exchange rate' notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962, and prevailing on the date of issue of the import licence. The said exchange rate will also be separately mentioned by the licensing authority on the body of the licence for the purpose of reference by the customs and the exchange banks. The customs authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence at the exchange rate specified by the licensing authority on the import licence.

Import Licences for raw materials, components and spares issued against Foreign Credits by Direct Payment Procedure

2. The procedure as indicated in paragraph 1 above will also apply to import licence for raw materials, components and spares issued against foreign credits covered by Direct Payment Procedure. These provisions will equally apply to any other licences issued agianst foreign credits covered by Direct Payment Procodure.

Import replenishment licences issued under the import policy for Registered Exporters

3. For the purpose of REP benefits under the Import Policy for Registered Exporters the rupee equivalent to the f.o.b. value of export will be calculated by taking into account the 'exchange rate' prevalent on the date of purchase/negotiation of export documents and not at the central rate as hitherto adopted: Bank certificates on the basis of which REP benefits will be determined under the Import Policy for Registered Exporters will be prepared on the following basis :—

(a) *Bills purchased or negotiated in respect of outright sale*

The actual amounts paid at the authorised dealers O.D. (on demand) buying rate to the exporter by the authorised dealers agianst the bill purchased or negotiated.

(b) *Bills for collection (outright sale)*

Amount which the authorised dealer would have paid applying the O.D. (on demand) buying rate on the date they send the documents for collection had they purchased/negotiated the bills on that date.

(c) *Exports on consignments basis*

The amount paid by the authorised dealer to the exporters at the authorised T-T buying/O.D. buying rate as the case may be on the date of realisation of export proceeds.

4. The forms of bank certificate which Registered Exporters will be required to produce are given in the Appendix XV-D.

5. The Customs authorities and the authorised dealers in foreign exchange will debit the REP licences at the exchange rate current at the time of presentation, of import documents in accordance with the procedure described in para 7 below.

Import Licences other than those mentioned above

6(1) . In the case of raw materials, components, consumables, spares, etc. where the importer is able to indicate the

APPENDIX II-O (*contd.*)

source of Import, the licensing authority will calculate the value of the goods to be imported as covered by the licence by taking into account the 'exchange rate' notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962, and prevailing on the date of issue of the import licence. The said exchange rate will also be separately mentioned by the licensing authority on the body of the licence for the purpose of reference by the Customs and the exchange banks. The Customs authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence at the exchange rate specified by the licensing authority on the import licence.

6(2). The value of the import licences in such cases will be determined in terms of rupees by the licensing authorities in accordance with the import policy in force. Such cases will not involve any conversion of the value of the licence into rupees taking into account the exchange rate prevalent on the date of issue of the licence or on any other date. The Custom authorities and the authorised dealers in foreign exchange will debit these licences at the exchange rate current at the time of presentation of import documents in accordance with the prescribed procedures and ensure that the amounts so debited are within the value of the licence/export to the extent authorised in para 7.

7. In case of imports against REP licences and 'other' licences referred to in paragraphs 3-6 above, the authorised dealers in foreign exchange and the Customs authorities may, in their discretion, condone the excess value, if any, in the manner indicated below :—

(i) the authorised dealers in foreign exchange may condone the excess, if any, in the licence value at the time of remittance, resulting from a variation between the exchange rate prevalent on the date of opening of the irrevocable Letter of Credit and the exchange rate on the date of actual remittance. If no irrevocable Letter of Credit has been opened, the authorised dealer in foreign exchange may condone the excess, if any, as a result of a variation between the exchange rate prevalent on the date of shipment and the exchange rate on the date of remittance.

(ii) If the Importer, produces the Exchange Control copy of the licence, the custom authorities may allow clearance of the goods for the value for which remittance has been authorised by foreign exchange dealer by taking into account the condonation on account of variations in exchange rates as indicated in (i) above.

(iii) if the Importer does not produce Exchange Control copy of the Import licence before the Customs authorities, such authorities will debit the exchange rate as notified by the Deptt. of Revenue (Customs) under section 15 of the Indian Customs Act, 1962 on the date of shipment indicated on the bill of lading. The excess, if any, in the licence value, resulting from a variation between the exchange rate prevalent on the date of presentation of the Customs Bill of Entry and the exchange rate on the date of shipment, may be condoned by the Customs authorities.

NOTE :—In case of exports taking place on an approved deferred payments terms, the O.D. (on demand) buying rate applicable on the date of shipping documents are submitted to the authorised dealers for despatch to the overseas buyers, may be adopted for the purpose of para 3 above.

APPENDIX II—P

LIST OF SPONSORING AUTHORITIES

	Industry	*Sponsoring Authority*
1.	Scheduled industries borne on the registers of DGTD	DGTD
2.	All SSI units	Director of Industries of the concerned State, (See note below).
3.	Film studios, cinema houses, film processing laboratories, studio-equipment hirers and any other unit related to the film industry.	Director of Industries of the concerned State or National Film Development Corporation.
	Coffee Industry/Plantations	Chairman, Coffee Board, Bangalore.
5.	Coal, Lignite and Neyveli Lignite Corporation Limited	Deptt. of Coal, New Delhi.
6.	Coir Industry (including rubberised coir products)	Chairman, Coir Board, Ernakulam.
7.	Cold Storages (for Horticultural Products)	Agricultural Marketing Adviser, Govt. of India, Faridabad.
8.	Cardamom Plantations	Cardamom Board, Ernakulam.
9.	Computer system (including their spares)	Deptt. of Electronics, New Delhi.
10.	Explosives	Chief Inspector of Explosives, Nagpur.
11.	(1) Fishing industry (other than cold storage facilities, sea going vessels, new and existing units which are engaged in processing fish and marine products for exports)	State Director of Fisheries.
	(2) Cold storage, new and existing units which are engaged in processing of fish and marine products for exports including fishing vessels and deep sea fishing trawlers.	The Marine Products Exports Development Authority
12.	Fishing trawlers	Ministry of Surface Transport.
13.	Fruits and vegetables Preservations Industry	Executive Director (Department of Food and Nutrition Board), New Delhi.
14.	Handlooms	State Director of Handlooms.
15.	Handicrafts	Development Commissioner (Handicrafts).
16.	Irrigation Projects	Central Water Commission, New Delhi.
17.	Ground Water Surveys, Exploration & Development	Central Ground Water Board (C.G.W.B.) under the Ministry of Water Resources, New Delhi.

APPENDIX II-P (*contd.*)

Industry	*Sponsoring Authority*
18. Jute Industry, Rope Industry using sisal or manila fibres, jute-textile engineering industry and wooden accessory industry for Jute mills	Jute Commissioner, Calcutta.
19. Mines (other than collieries)	Controller, Indian Bureau of Mines, Nagpur.
20. News paper establishments	Registrar of Newspapers for India, New Delhi.
21. Petroleum Industry	Ministry of Petroleum, New Delhi.
22. Pharmaceutical Industry and cosmetics (including tooth powder) industry	State Drugs Controller (or other such authority of the State Govt.)
23. Power Generation, supply and distribution except requirements of N.T.P.C.	Central Electricity Authority, New Delhi.
24. National Thermal Power Corporation, (NTPC)	Corporate Office of the N.T.P.C. Ltd.
25. Units/Subsidiaries of Steel Authority of India Limited (SAIL)	Steel Authority of India Ltd. (SAIL), Head Office.
26. (a) Tata Iron and Steel Company Limited (b) Visvesvaraya Iron & Steel Limited (c) Other units directly administered by the Deptt. of Steel (excluding Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam)	Department of Steel, Ministry of Steel and Mines, New Delhi.
27. Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam	Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam.
28. Printing establishments (other than DGTD units) publishers, construction agencies, advertising agencies, service Stations and other maintenance workshops.	State Director of Industries (who may, if necessary, consult other technical experts of the State Government).
29. (a) Units in Iron and Steel Sector (holding letters of intent/industrial Licences) for setting up new industrial undertakings or substantial, expansion and manufacture of new articles for the purposes of import of technology, capital goods and connected raw materials, spares and components. (b) Units in Iron and Steel Sector for imports under TDF scheme (c) Units in Iron and Steel Sector for imports of designs and drawings (d) Other units in Iron and Steel Sector for all issues other than	Deptt. of Steel, New Delhi.
(a), (b) and (c) above	Development Commissioner for Iron and Steel Calcutta.
30. Rubber Plantations	Chairman Rubber, Board, Kottayam.
31. Sugar Industry	Chief Director of Sugar, Deptt. of Food, New Delhi
32. Silk Industry/Silk Fabrics/Sericulture	Central Silk Board, Bangalore.
33. Shipping Industry/Shipping Companies	
(a) Sea-going vessels	Ministry of Surface Transport
(b) Inland steam and motor vessels	- Do.-
(c) Ship repairs	Director General of Shipping, Bombay.
34. Ship building (Capital Goods and Components)	Ministry of Surface transport.
35. Salt Industry	Salt Commissioner, Govt. of India, Jaipur.
36. (a) Textile Industry other than jute and silk (b) Textile engineering industry (c) Powerloom Industry (d) Readymade garments (other than hosiery) (e) Crimping, Texturising and Draw-Texturising units	Textile Commissioner, Bombay.
37. Tea Industry/Plantation/Tea bag Industry	Chairman, Tea Board, Calcutta.
38. Vanaspati	Department of Civil Supplies and Co-operation New Delhi.
39. Units including Cottage Industry and A.U. (Non-industrial) —(Service maintenance) jobbing units, for which no sponsoring authority has been specifically mentioned above.	State Director of Industries or any other concerned Depart ment of State or Central Government.

Note ;— (1) The sponsoring authorities shown against S. Nos. 14, 15, 18, 22, 36 and 37 above will also be the sponsoring authorities in respect of SSI units of these industries.

(2) The Chairman, Rubber Board, Kottayam, will also be the sponsoring authority for import of machinery required by Rubber Plantation for the purpose of Processing rubber from trees to marketable form as raw rubber.

(3) In case of fishnet making machinery the sponsoring authority concerned will obtain clearnace of the Ministry of Agriculture New Delhi, before making recommendation.

APPENDIX II-Q

APPLICATION FOR ISSUE OF IDENTITY CARD

VALID FOR THE LICENCING OFFICE OF ISSUE ONLY

Photo duly attested by the firm on reverse.

Name and Address of the firm. ————————

Importer/Exporter Code Number (IEC) ————————

Full Name and Residential Address of the Representative: ————————

Designation : ————————

Age : ————————

Signature : ————————

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

2. I/We declare that the person in whose favour application for issue of Identity Card has been made holds the status of————————. The Company takes the entire responsibility and risk in respect of the documents given to or taken from the I&ETC Organisation by the holder of the Identity Card.

3. The bank receipt/demand draft in payment of the prescribed fee is enclosed.

4. The Identity card dated————expired in validity is sent herewith in original.

Signature (Authorised person) : ————————

Name (in Block Letters) ————————

————————

Designation :

Full Residential Address :————————

————————

————————

Encls : 1.

Telephone No. ————————

Full Official Address :————————

————————

2.

Telephone No. ————————

Place : ————————

Date : ————————

The Person authorised to sign will be Chairman/Managing Director/Executive Director/Managing Partner/Proprietor of the firm as the case may be

APPENDIX III-A

APPLICATION FOR IMPORT OF CAPITAL GOODS (INCLUDING SECOND HAND), PROTOTYPES, INSTRUMENTS. RE-IMPORT OF GOODS AFTER REPAIRS ABROAD, OFFICE MACHINE AND IMPORT OF RAW MATERIALS, COMPONENTS, CONSUMABLES, RESTRICTED SPARES, EMERGENCY SPARES, AND AFTER SALES SERVICE SPARES

(FORM FOR ACTUAL USERS)

Para No. of the Policy under which the application is made.

PART 'A'

Licensing period.————

I.E.C.
(Year of issue)

1. Name and address of the applicant/firm/Institution: . .
2. Details of branches, if any, including associated companies .
3. Address of constituent factories/Units . . . .
4. Registration No. & Date of SSI, DGTD/Industrial Licence Recognition by Central/State Government (copy enclosed)
5. End product to be manufactured and capacity/services being rendered by the institution. . . . .
6. Name of Directors, Partners, Proprietors or Karta as the case may be . . . .
7. Capital investment on fixed assets . . . . .
   A. Land . . . .
   B. Buildings . . . .
   C. Machinery/equipments . . . . .
      (a) Imported machinery (CIF value)
      (b) Indigenous machinery having imported components (purchase price)
      (c) Other indigenous machinery . .

   Total Rs. ....
8. CIF value of Licence applied for . . . .
9. Particulars of fees paid: . . . .
10. Particulars of units in which imported materials is to be used.

PART 'B'

I. Raw materials, components and consumables

1. Date of establishment of the unit.
2. Registered end product for which the application is made.
3. *CIF value of the licence applied for:—*
   (a) Iron and Steel Items. Rs ————
   (b) Non-Iron and Steel items. Rs. ————
   (c) Scientific and Measuring instruments. Rs. ————

   Note:—Separate application should be filed for each of the above category.

APPENDIX III-A—(contd.)

PART 'B'—(contd.)

4. *Details of the items applied for grant of import licence* :

Sl No.	Description of the item	Quantity	CIF Value	Entry No./Appx. No. of the Import Policy by which the item is covered.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

5. Production programme/approved phased Manufacturing Programme (PMP) to which the application relates.

6. *Licensed Capacity/Capacity covered by registration* :

Sl. No.	Name of the item	Item Code	Licensed Capacity/Capacity covered by Registration	
			Quantity (Annual)	Unit of Measurement.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. Are you actually adhering to the approved phased manufacturing programme (PMP)? Also furnish full details on the performance of PMP, including reasons for slippages, if any.

8. Full justification for grant of import licence may be furnished.

9. Details of the efforts made by the applicant to procure the material from indigenous sources may be indicated. Authenticated copies of regret letters, if any received from the indigenous producers may be enclosed.

10. Number and value of (Supplementary Import Licence(s) issued for last two licensing periods and current licensing period (including repeat operation of the Supplementary Licence):—

Sl. No.	Licensing Year	Licence Number	Date of Issue	Value of licence Rs.	Brief Description of the items covered by the licence
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

11. Details of unutilised import licences (including repeat operation of the Supplementary Licences):—

Sl. No.	Licence No.	Date of issue	Unutilised value of the valid licence in hand	Brief description of the items covered by the licence
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

12. (i) Stocks in value and quantity of imported raw-materials and components falling under restricted/limited permissible category in hand (with itemwise details), on the date of application.

(ii) Stocks in value and quantity of imported raw-materials and components falling under restricted/limited permissible category in the pipeline against import licence issued in the past

APPENDIX III-A—(contd.)

PART 'B'—(contd.)

13. Country of import.

14. In case where the value applied for exceeds Rs. 2 Crores also indicate three alternate countries of import (with country-wise details of the value applied for) in the order of preference, as under:—

Country of Import	CIF Value applied for
1	2
First preference	
Second preference	
Third preference	

15. Details about past consumption of the items applied for may be furnished as per Annexe 'A' (for Non-Iron and Steel items) and Annexe 'B' (for Iron and Steel items).

16. (a) Ex-factory value of production of the unit in the preceding three financial years less excise, if any:—

Year	Name of the product	Ex-factory value of production
1	2	3
(i)		
(ii)		
(iii)		
Total (i) + (ii) + (iii)		

17. Ex rtPerformance

(i) Export earnings unit-wise during the last 3 financial years (with year-wise details).

(ii) Foreign exchange expenditure during the last 3 financial years (with year-wise details).

II. *Spares for After-Sales-Service*

1. Ex-factory value of production of machinery during the last three financial years (C.A. Certificate enclosed.)

2. C.I.F. value of imported components during the last three financial years.

(C.A. Certificate enclosed.)

III. *Capital Goods/Proto Types/Instruments*

1. Purpose of Import.

2. Whether the Letter of Intent/Industrial Licence/Regn. or Foreign Collaboration approval contains any Export Obligation and if so, whether a Bond/Legal undertaking in fulfilment of E.O. has been filed.

3. Source of Finance for the present imports.

(a) Rupee loan from Bank/Financial Institution.

(b) Foreign exchange loan from Bank/Financial Institution.

APPENDIX III-A—(contd.)

PART 'B'—(contd.)

4. Whether the advertisement procedure, if applicable has been followed ? If so, name and date of the Journal in which advertisement appeared and results thereof.
5. If the applicant is an SSI Unit whether it will continue to remain so after proposed imports.
6. If the undertaking is under MRTP Act, attach Regn. Certificate.
7. Whether the licensed capacity will be exceeded after installation of the imported machines?
8. Details of C.G., prototype/Instrument applied for:

Name of the applicant................

Item of manufacture.................

Manufactured Product Code................

Sl. No.	Item of Import				Condition of m/c. New/Old	Country of Import	Reasons for allowing Import**	Date of recommendation**
	Product Code*	Name & Specification	Qty.	CIF Value				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*As per Harmonised coding system given in Indian Trade Classification (Based on Harmonised Commodity description & Coding system) printed by Dte. General of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta-1.

**To be filled in by D.G.T.D.

Notes— 1. Copies of Literature/Pamphlets/Specification alongwith proforma invoice to be enclosed.

2. In the case of Second Hand Capital Goods, Chartered Engineer Certificate as per Policy to be enclosed.

IV. *RE-IMPORT OF GOODS AFTER REPAIRS/PROCESSING/TESTING ABROAD* (Para........of the Policy)

DESCRIPTION OF GOODS :

S. No.	Item	Country of origin	Value of the item	Processing/Testing/ Repair Charges abroad	Cost of Freight and insurance to be paid
1	2	3	4	5	6

V. *IMPORT ON RE-EXPORT BASIS* (Para....... of the Policy).

1. Purpose of import.
2. In case of importat of machine for replacement.

(i) Date of installation of original machine

(ii) Arrangements for the disposal of old machines

(iii) Details of the efforts made for procuring the machines in question from indigenous manufacturers indicating the name of the manufactures contacted.

VI. *IMPORT OF OFFICE MACHINE* (Para....... of the Policy)

(i) Basis of elegibility of applicant export House/ Trading House/Star Trading House with necessary level of export performance.

(ii) Item of Import.

S. No.	Item (Name)	Qty. in numbers	C.I.F. Value
1	2	3	4

1. Particulars of licences received/applications made for office machines in the previous and current year.

File No.	Licence No.	Details of items (Name/Code)	Qty. in No.	Value in Rs.
1	2	3	4	5

NOTE : In case of import of Fax-machine against surrender of REP Licences details of REP Licences are to be given.

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements and information are true and correct to the best of my knowledge and belief and undertake to abide by the relevant provisions of the Import and Export Policy and the Hand Book.

Place :

Date :

Details of enclosures :

Signature

Name and designation

Full residential address.

APPENDIX III-A—(contd.)

PART 'B'— (contd.)

ANNEXE—A

STATEMENT OF REQUIREMENT, CONSUMPTION STOCKS ETC.

For Import of Non-Iron & Steel Items appearing in Appendix 2-B & 3-A to the Import & Export Policy, 1990—93, (Vol. I)

Sl. No.	Description of the Items applied for alongwith specifications/ grades/Sizes	Code of Items	Quantity applied for (MT)	C.I.F. Value applied for (Rs.)	Past Consumption (MT) of the Items applied for				Stock in Hand (MT)		Stock in Pipeline (MT)		Un-utilised valid import licence in hand (MT)
					Preceding Year		Year before Preceding year		IND	IMP	IND	IMP	
					IND	IMP	IND	IMP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Note :

1. Statement to be submitted in 6 Copies.
2. Separate statements should be submitted for the items appearing in Appendix 2-B & Appendix 3-A.
3. Statement should be signed by the applicant and should be duly certified as correct by a Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary.
4. Past Consumption is to be for the period April to March.

APPENDIX III-A— (*contd.*)

Part 'B'— (*contd.*)

ANNEXE—B

STATEMENT OF REQUIREMENT, CONSUMPTION, STOCKS ETC.

For Iron & Steel items appearing in Appendix 2-B and 3-B to the Import & Export Policy, 1990—93, (Vol. I)

Sl. No.	Description of Items/Category	Specification/ Grade/ size	Code	Quantity applied for (MT)	CIF value in Rs.	Past Consumption (MT)				Stock (MT)		In Pipeline (MT)		Utilised valid import Licence in hand (MT)
						Preceding Year		Year before preceding		Indigenous	Imported	Indigenous	Imported	
						Ind.	Imp.	Ind.	Imp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Note : 1. Statement to be submitted in 6 Copies.

2. Separate statement to be submitted for carbon steel (prime), Carbon steel (Seconds/defective/waste), alloy Steels (prime) and alloy steels (Seconds/defective/waste)
3. The Statement should be signed by the applicant and should be duly certified as correct by a Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary.
Past consumption is to be for the period April—March.

APPENDIX III-A— (concld.)

PART-'B'—(concld.)

ANNEXE 'C'

STATEMENT SHOWING CONSUMPTION OF IMPORTED RAW MATERIALS, COMPONENTS AND CONSUMABLES

1. End Products Manufactured . . . . . .

2. CIF Value of consumption of imported raw materials, Components and consumables during either of the preceding two licensing years in respect of :—

   (i) Raw materials, components and consumables covered by Appendix 3 part-A of Import & Export Policy Book for 1990—93 (Vol. I) . . . . Rs ....

   (ii) Iron & Steel items mentioned in Appendix 3 Part-B of Import & Export Policy for 1990—93 (Vol. I) . . Rs...............

3. Book Value of production turned out during the period of consumption indicated against item 3 above . . . . Rs...............

4. Break-up of the total C.I.F. value of Consumption into :

   (i) Imported against applicants own Actual User Licences . Rs...............

   (ii) Imported by the applicant under OGL (Items which were earlier on OGL but are in Appendix 3 Part A of Import & Export Policy 1990—93) (Vol. I) . . . . . . Rs...............

   (iii) Procured by the applicant from other authorised sources . Rs...............

5. Capital investment on Machinery and equipment :

   (i) Imported machinery (CIF) Value . . . . . . Rs...............

   (ii) Indigenous machinery having imported components (purchase price) . . . . Rs...............

   (iii) Other indigenous Machinery (Purchase Price) . . . Rs...............

APPENDIX III—B

APPLICATION FORM FOR IMPORT OF CAPITAL GOODS

FORM 'E' (CG)

(To be used by the applicant applying to Secretariat for Industrial Approvals, Department of Industrial Development, New Delhi)

The form may be filled in with care keeping in view the fact that it will be used as a source document for data entry into computerised information system. Ambiguities or lack of clarity may lead to delays in processing the application. The following points may be kept in mind while filling in the form:—

*Application must be made in the prescribed form only. For the sake of simplicity, it is suggested that the applicant may first fill in one copy of the prescribed application form properly and legibly, and then get the required number of additional xerox copies made out for submission of 7 copies to the sponsoring authority. Each copy of the application form should be signed in ink. The applicant must ensure that all the relevant information including that required to be furnished in separate annexes is properly tagged to each copy of the application to be submitted. Please ensure clarity in all copies. Besides enclosing a copy of the detailed list of goods to be imported with each copy of the application 5 additional copies of the list of goods should be furnished for attestation by the DGTD sponsoring/technical authority. Each copy of the application should be submitted alongwith a copy of the forwarding letter. The forwarding letter besides highlighting all the salient features of the proposal may also include information on any other important aspects of the proposal not specifically covered in the application form.

*Applicants are advised to read the Instruction for the current period as mentioned in Hand Book of Procedures and Import-Export Policy before filling up the application form.

*The application should be signed only by the authorised representative of the company.

*Documentary evidence and supporting documents asked for and applicable must be enclosed with each copy of the application form.

APPENDIX III-B—(contd.)

FOR OFFICIAL USE ONLY

Appl. No. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Date (Regn.)— ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1. (a) Name & Address of the applicant/applicant undertaking (IN BLOCK LETTERS).

Name . . . . ______

Registered Office Address . . . . ______

Postal Address . . . . ______

Importer-Exporter Code Number (IEC) . . . . . . ______

(b) Give the particulars of Proprietor/Partners/Directors of the Board as per the format given below and attach the same as an annexe to each copy of the application. If the application is in the name of an individual, the particulars should pertain to the company/undertaking proposed to be formed to implement the project. In that case the present occupation of Proprietor/Partners or Directors may also be indicated.

Name and address	Whether Indian National, Foreign National or Non-Resident Indian.

(Information to be attached as annexe No. I).

2. NATURE OF CONCERN :

(a) Whether the undertaking is/would be a :—
(Please tick the appropriate box)

(1) Public Ltd. Company . . . . ☐

(2) Private Ltd. Company . . . . ☐

(3) Partnership Firm . . . . ☐

(4) Proprietory Firm . . . . . . ☐

(b) Whether the applicant undertaking is a :
(Please tick the appropriate box)

(1) Central Government undertaking . . . . . ☐

(2) State Govt. Undertaking including State Indl. Development/Investment Corporation . . ☐

(3) Joint Sector Unit . . . . ☐

(4) Co-operative Sector Unit . . . . . . ☐

(5) Private Sector Unit/Undertaking . . . . . ☐

(c) If the Project is in the Joint Sector, please indicate names and addresses of the parties associated . . . . ______

APPENDIX III-B—(contd.)

3. Whether the undertaking is registered under the MRTP Act, 1969, (Please tick the appropriate box) . . . . . (1) Yes ☐ (2) No ☐

(a) If the answer is 'Yes', please indicate :

(i) MRTP Regn. No...Date.............................

(ii) Name of the Group to which the undertaking belongs.

(iii) Whether clearance/permission required under the said Act for implementing the scheme has already been obtained from the Department of Company Affairs or has been applied for. Please attach a copy of the clearance, if already obtained, with each set of the application.—

(Information to be attached as annexe No. II)

4. Whether the undertaking is covered under the Foreign Exchange Regulation Act (FERA) : (Please tick the appropriate box) (1) Yes ☐ (2) No ☐

If Yes, please indicate . . . .

The percentage of foreign equity in the existing paid up capital of the undertaking . . . . ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

5. Location of the industrial unit for which Import of CG is applied :

Place/Town	
Block	
Tehsil/Taluk	
District	
State	

(a) If the location falls in a backward district/area qualifying for Central Scheme of investment subsidy, please indicate whether the same is Category "A" or "B" or "C" in terms of Industry Ministry's Press Note of 27th April, 1983,

(Please tick the appropriate box)

(1) Category "A" backward area . . . . ☐

(2) Category "B" backward area . . . . ☐

(3) Category "C" backward area . . . . ☐

(b) If the location falls in category "A" backward area, please indicate whether it is in a "No Industry District" :

(Please tick the appropriate box)

(1) Yes ☐ (2) No ☐

(c) If the location is not in a backward area please indicate whether the same falls in :

(1) Standard urban area limits of a city having population of more than one million as per 1981 Census.

(Please tick the appropriate box)

(1) Yes ☐ (2) No ☐

(2) Municipal Limits of a city having population of more than five lakhs as per 1981 Census :

(Please tick the appropriate box)

(1) Yes ☐ (2) No ☐

APPENDIX III-B (*Contd.*)

6. Purpose of Import :

(Please tick the appropriate box(es)

(i) New Undertaking	☐
(ii) Substantial Expansion	☐
(iii) New Article/Diversification	☐
(iv) Balancing	☐
(v) Replacement	☐
(vi) Modernisation	☐
(vii) Testing	☐
(viii) Quality Control	☐
(ix) Prototype/Sample	☐
(x) Research and Development	☐
(xi) Stand-by/Captive Power Generation	☐
(xii) Others (Please specify)	☐

7. (a) State whether for the project for which capital goods to be imported are required you have :-

(Please tick the appropriate box)

	Already Obtained	Applied for	Yet to apply
(1) Industrial Act Licence (s)	☐	☐	☐
(2) Letter(s) of Intent	☐	☐	☐
(3) SIA Registration	☐	☐	☐
(4) Registration with			
(i) DGTD	☐	☐	☐
(ii) Textile Commissioner	☐	☐	☐
(iii) Jute Commissioner	☐	☐	☐
(iv) Development Commissioner for Iron and Steel	☐	☐	☐

APPENDIX III—B (*Contd.*)

(Plebse tick the appropriate box)

(v) State Directorate of Industries . . . . . ☐ ☐ ☐

(vi) Any Other . . . . ☐ ☐ ☐
(Please specify)

(b) If necessary approval(s) have already been obtained, please indicate below:—

(i) The number(s) and date(s) of such approval(s) and also enclose photocopies of the same with each copy of the application :

No. . . . . Date. . . . .

(Information to be attached as annexe No. V)

(ii) The period for which industrial licence/letter of intent/Registration with the concerned sponsoring authority is valid. If the validity has already expired or is about to expire shortly, please indicate if you have applied to the concerned authority for renewal of the same.

(iii) If the unit has already gone into production, please indicate the date of commencement of commercial production.

8. Items of manufacture involved and capacity :

(a) Items proposed to be manufactured with the help of capital goods applied for import.

Sr. No. of Item	Name of item of manufacture (IN CAPITAL LETTERS)	Sch. Industry No./Product Code (not to be filled in by the applicant)
☐☐	______________________	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐☐	______________________	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐☐	______________________	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐☐	______________________	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐☐	______________________	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐☐	______________________	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐☐	______________________	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Total number of items of manufacture involved ☐ ☐

NOTE : The 'Sr. No. of Item', as indicated above will be used as 'Identification No., for the item of manufacture now ownards, wherever applicable.

APPENDIX III—B (*Contd.*)

(b) Approved Manufacturing Capacity of the items and capacity already installed :

Identification number of Item	Present Licensed/Registered Capacity	Present installed Capacity	Unit of Capacity
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____

(c) Capacity covered by this C. G. application

Identification number of Item	Capacity Covered by this application	Unit of Capacity	Assumed No. of shifts per day
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____	____
☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	____	____

(d) If the unit is already in production, please indicate the quantity/Value of production during the last 3 years (year-wise) in respect of the item of manufacture involved.

(Information to be attached as annexe No. VI)

9. If the import is for balancing/replacement/modernisation, please state whether it will result in an increase in licensed/approved capacity, and if so, indicate how much additional capacity would be created.

10. Whether any foreign collaboration is envisaged for the proposed manufacturing activity :

(Please tick the appropriate box)

(1) Yes ☐ (2) No ☐

If yes, furnish the following details :

(a) Name and address of the foreign collaborator :

Name . . . . ____

____

Address . . . . ____

____

____

APPENDIX III-B (*Contd.*)

(b) Nature of collaboration i.e. whether it involves equity participation, import of technical know-how consultancy or marketing.

(c) Indicate whether necessary approval of foreign collaboration has already been obtained or is applied for. If already obtained, indicate number and date of the approval and also enclose photocopy of the approval with each set of the application.

F.C. Approval Number.................................... Date....................................

(Information to be attached as annexe No. VII)

If not yet obtained indicate whether you have submitted separate application for the same. In that case, give reference number and date of the application made.

11. Whether the articles proposed to be manufactured with imported C.G. are presently being imported in the country.

(Please tick the appropriate box)

(1) Yes ☐ (2) No ☐

12. EXPORT DETAILS :

(a) Whether the applicant undertaking has been engaged in the business of exports or manufacture for export and if so, indicate the items being exported alongwith their FOB value during the last 3 years.

(b) Whether the item(s) to be manufactured, with C.G. proposed to be imported are exportable.

(Please tick the appropriate box)

(1) Yes ☐ (2) No ☐

(c) Whether the Letter of Intent/Industrial Licence/Registration or the Foreign Collaboration approval already obtained for the project, contains any export obligation.

(Please tick the appropriate box)

(1) Yes ☐ (2) No ☐

If yes, furnish details of the export obligation imposed and also indicate whether you have already executed Bond/legal undertaking etc. in this regard.

(d) If the items are exportable but no export obligation has been imposed so far, please indicate the extent to which the applicant can undertake an export obligation in terms of the percentage and value of production. If not, please explain why the export obligation cannot be undertaken.

13. INVESTMENT DETAILS :

(a) Total estimated capital cost of the project : Rs. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

(b) Investment in fixed assets :

	Existing (Rs. lakhs)	Proposed (Rs. lakhs)	Total (Rs. lakhs)
(1) Land . . .	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(2) Building . . .	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(3) Plant & Machinery Total (i+ii) . .	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(i) Indigenous . . .	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(ii) Imported-landed cost i.e. (a)+(b)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(a) CIF value . .	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(b) Duty and other costs .	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Total (1 to 3) . .	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

(c) Percentage value of imported equipment (CIF) in the total plant & machinery (Existing & Proposed).

Existing ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Proposed ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

(d) If the applicant undertaking is small scale unit, please indicate whether it will continue to remain so after the proposed import, or will exceed the limit after installation of the proposed machinery. In case the SSI limit is expected to be exceeded indicate whether necessary licence/registration from the concerned authority has already been obtained or has been applied for through the Director of Industry. If not when do you propose to apply.

APPENDIX III-B (*Contd.*)

14. Capital Cost of the project and its financing pattern.

	Amount (in Rupees)
(a) Total estimated capital cost of the proposed project	□□□□□□□□□□

(b) Financing pattern for the proposed investment :

(i) Share capital proposed to be raised :

	Amount (in Rupees)
(a) Share capital of promotors (resident Indians)	□□□□□□□□□□
(b) Share participation by Financial/Investment Institutions	□□□□□□□□□□
(c) Share participation by the State/Central Government	□□□□□□□□□□
(d) Capital to be raised through public issue . . .	□□□□□□□□□□
(e) Share participation by Non-resident Indians . .	□□□□□□□□□□
(f) Share participation by foreign collaborator(s) . .	□□□□□□□□□□
(g) Share participation by other corporate bodies (i.e. inter-corporate investment)	□□□□□□□□□□
(h) Other sources if any	□□□□□□□□□□
Total (a) to (h)	□□□□□□□□□□
(ii) Internal Resources (for existing undertaking) . .	□□□□□□□□□□
(iii) Loans from financial institutions etc.	□□□□□□□□□□

15. Phased indigenisation programme

Phased indigenisation programme for the proposed items of manufacture during the first 5 years starting from the year of commencement of commercial production may be furnished as per the form at given in annexe I to the form.

(Information to be attached as annexe No. VIII)

16. Import content in the value of production (for all proposed item of manufacture taken together) on the basis of proposed phased manufacturing programme during the first five years, starting from the year of commencement of commercial production :

	Total estimated ex-factory value of production of the proposed item (s) (in Rupees)	Percentage of CIF value of: Imported components to ex-factory value of production of proposed items	Percentage of CIF value of: Imported raw materials to ex-factory value of production of proposed item(s)
1st Year	□□□□□□□□□□□	□□□ □□	□□□ □□
2nd Year	□□□□□□□□□□□	□□□ □□	□□□ □□
3rd Year	□□□□□□□□□□□	□□□ □□	□□□ □□
4th Year	□□□□□□□□□□□	□□□ □□	□□□ □□
5th Year	□□□□□□□□□□□	□□□ □□	□□□ □□

APPENDIX III-B (*Contd.*)

17. Effect on balance of payments during the first 5 years.

(Beginning from the year of starting commercial production in case of exports and imports of raw materials/components. For working out estimated payments on account of import of machinery and equipment and payment to foreign collaborators, however, all payments expected to be made upto the 5th year of production may be taken into Account).

Amount (in Rupees equivalent).

(A) Foreign exchange earnings based on FOB value of exports covered by export obligation . . . .

(B) Foreign exchange outgo on :

(i) Import of machinery and equipment . . . . . .

(ii) Import of raw materials . . . .

(iii) Import of Components . . . .

(iv) Repatriation of dividends and profits to foreign collaborator .

(v) Other payments to collaborator by way of lumpsum, royalty, technical know-how fee, etc. . . . .

(C) Net foreign exchange inflow/outgo (A—B) . . . . .

18. In case of import against replacement, please furnish details of the equipment proposed to be replaced as the format given in Annexe No. II.

(Information to be attached as annexe No. IX).

19 Details of list of Capital Goods to be imported:

(A) Full details of the capital goods, proposed to be imported may be furnished as per the format given in the Annexe No. III, In this connection, it may be noted that the description of equipment given in the list of goods applied for import must conform exactly to the specifications advertised, if applicable.

(Information to be attached as annexe No. X).

(B) Besides furnishing detailed list of equipment as per Annexe III, broad details of the equipment proposed to be imported may be indicated below:

(*i*) Broad description of machinery/equipments.

Sr. No. of Item	Broad description of Items (IN CAPITAL LETTERS)	Item Code
1	2	3
	*	
	*	
	*	

APPENDIX III-B (*Contd.*)

1	2	3
	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
	*	

Total number of items involved

NOTE :—Please use the above serial no. in subsequent columns to identify the items of import

(ii) Quantity and country of Import :

Sr. No. of Item as per 19B) ((i)	Quantity	Unit of quantity	Country of import

APPENDIX III-B (*Contd.*)

(iii) CIF Value in Foreign Exchange :

Sr. No. of Items as per 19(B) (i)	Name of Foreign Currency	CIF value in Foreign Currency	Foreign Exchange Rate (equivalent to Rs. 100/)
☐ ☐		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

(C) Total CIF value of Items covered in application (In Indian Rupees)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

20. (A) Please indicate preferred source(s) of financing CG Imports i.e. bilateral credit, loan from financial institutions etc.

(B) Foreign Currency loan availed of by the applicant company during the last 5 years under following heads:

Amount

(a) Direct external commercial borrowings . . . .

(b) Foreign Currency Loans from financial institutions .

(c) Suppliers credits . . . .

(d) Borrowing under bilateral credits:

Amount	Currency	Sanction No.	Date

(e) Other Sources (Please specify) . . . . .

(C) Whether Import of CG involves payment of erection charges in foreign exchange :

(Please tick the appropriate box)

(1) Yes ☐ (2) No ☐

If yes, indicate the amount payable :

Name of Foreign Currency Amount

Also indicate whether these charges are included in the present application or are to be applied for separately to the Administrative Ministry/Sponsoring Authority

(Please note that normally a separate application is required to be made to Administrative Ministry/sponsoring Authority for this).

(D) Condition of machinery i.e. whether new, second hand or re-conditioned

(Please tick the appropriate box)

New : ☐ Second Hand: ☐

If second hand or re-conditioned, please furnish detailed information in the format given in Annexe No. IV.

(information to be attached as annexe No XI)

APPENDIX III-B (*Contd.*)

(E) Details of connected CG import clearance/licences already received/applied for/procured.

Licence No.	Date	Value	Source of financing	Source of Import

(F) Whether the capital goods covered by this application would meet the applicant's entire reqirement of imported machinery for the project. If further import of capital goods is envisaged for the project, please indicate additional requirement and also explain why the imports are being applied for piecemeal.

21. (i) Furnish details regarding efforts made for procuring the machines in question from indigenous manufacturers, indicating the names and addresses of the manufacturers contacted for the purpose and the results thereof.

(Information to be attached as annexe no. XII).

(ii) Please furnish details regarding efforts made to import machinery from Rupee Payment Area alongwith a note giving justification fornot being able to import from RPA.

(Information to be attached as annexe No. XIII)

(iii) Please furnish details regarding efforts made to contact at least 3 to 4 reputed manufacturers (other than RPA, if the items are to be imported from non-RPA countries) to obtain the most competitive offers alongwith a comparative statement giving salient features of the offers/quotations received from the foreign suppliers duly supported by proforma invoice and other relevant correspondence.

(Information to be attached as annexe no. XIV).

(iv) Please furnish the copies of literature/pamphlets/specifications giving complete details of goods to be imported.

(Information to be attached as annexe no. XV).

22. Details of Supporting Documents/Information Attached.
Supporting documents/information to be attached with each copy of the application :

	Enclosed	Not Applicable
(A) Original Bank Receipt/Demand Draft No....................... Date..........................Value Rs....................	☐	☐

(B) List of other documents and information attached in annexes.

Annexe No.	Column to which the information/document relates	Brief particulars of the information	Tick the appropriate box: Attached	Tick the appropriate box: Not applicable
1	2	3	4	5
I	1 (b)	Particulars of proprietor/partners/directors of the boards.	☐	☐
II	3 (a)(iii)	Copy of MRTP clearance from Department of Company Affairs.	☐	☐
III	6 (ix)	Proforma regarding import of prototype as per Appendix III-H of Hand Book of Procedures 1990-93.	☐	☐
IV	6 (xi)	In case of imports of DG set original NOC from the SEB. Besides furnishing original NOC, photo copies of the same may be attached to each copy of the application.	☐	☐
V	7 (B)(i)	Photostat/attested copy of Industrial Licence/Letter of Intent, Registration Certificate from Sponsoring Authority together with the list of additional conditions, if any, stipulated therewith.	☐	☐
VI	8 (D)	Statement of quantity/value of production during the last three years (yearwise) in respect of items of manufacture involved (in case the unit has already gone into commercial production).	☐	☐
VII	10(c)	If the project also involves foreign collaboration, photostat/attested copy of Government's approval for Foreign collaboration.	☐	☐
VIII	15	Phased indigenisation programme for the proposed items of manufacture during the first five years starting from the year of commencement of commercial production.	☐	☐
IX	18	Chartered Engineer's Certificate in original regarding present condition of machinery/Equipment to be replaced. (in case of imports forre placements).	☐	☐

APPENDIX III-B (*Contd.*)

1	2	3	4	5
X	19(A)	List of Capital Goods proposed to be imported. Besides enclosing a copy of the list with each copy of application, additional copies of the list may be furnished with the copy of the application meant for DGTD/sponsoring authority with the application meant for DGTD.	☐	☐
XI	20(D)	If second hand/reconditioned machinery is to be imported, a certificate certifying age of machinery, its present condition, original and present value and probable expected life, from the Chartered Engineer in the prescribed format as required in terms of current Hand Book of Procedures.	☐	☐
XII	21(i)	Details of efforts made for procuring the machines in question from indigenous manufacturers.	☐	☐
XIII	21(ii)	Copies of correspondence regarding efforts made to import Machinery from Rupee Payment Area alongwith a note giving justification for not being able to import from RPA countries.	☐	☐
XIV	21(iii)	At tested/photostat copies of enquiries made to foreign suppliers and their replies where efforts have been made to obtain Blue Prints/Drawing of equipments of machinery sought to be imported.	☐	☐
XV	21(iv)	Copies of Literature/Pamphlets/Specifications giving complete details of goods to be imported.	☐	☐
XVI		Tabular Statement of Responses received against advertisement/enquiries. The statement should contain full justification for not accepting offers/received from indigenous manufacturers in respect of each item of equipment proposed to be imported.	☐	☐
XVII		Valid Proforma Invoice(s) from the Foreign machinery supplier(s) indicating CIF/FOB value of the goods to be imported in foreign currency, date of invoice and its validity.	☐	☐
XVIII		Copy of the advertisement in Indian Trade Journal/Indian Export Bulletin/CEI Journal.	☐	☐
		Volume.................. Date..................	☐	☐
XIX		Photostat/attested copy of Registration Certificate in case of Research and Development Institute/Laboratory registered with the Administrative Ministry.	☐	☐
XX		A detailed not on the efforts made to fabricate the capital goods on the basis of the imported Drawings & Designs and results thereof.	☐	☐

DECLARATION :

1. I/We hereby declare that the information given in the application of documents/statements attached herewith are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.
2. I/We hereby declare that the goods for import of which the application has been made shall be used only for manufacture of..[indicate name of end product(s) and for the capacity licensed under the Industries (Development & Regulation) Act 1951 or approved by the Government].
3. I/We hereby declare that the machinery to be imported shall not add to the capacity beyound the capacity approved under Industrial Licence/Registration No.......................dated................ ....(In case there would be any increase in capacity, please give estimated increase in capacity).
4. I/We hereby declare that items required for modernisation, quality control equipments etc. shall not add to the capacity beyond the approved capacity and I/We shall not undertake any manufacturing facilities for items reserved for small scale sector.
5. I/We hereby declare that the new capacity will not be in violation of the policy of restriction placed on the establishment of industries in the classified Urban areas.

APPENDIX III-B—(*Contd.*)

5. (i) I/We hereby declare that either I/We, the applicant company or any of its partners/Directors are/arenot put under the debarment/suspension/abeyance list under the Imports (Control) Order, 1955, as amended.

(ii) I/We hereby declare that I/We or any of the Directors/Partners of the applicant Company are not the Directors/Partners/Proprietors of any other Company placed under debarment/suspension/abeyance.

SIGNATURE (AUTHORISED PERSON) . . . ______________________

NAME (IN BLOCK LETTERS) . . . . . . ______________________

DESIGNATION . . . . ______________________

FULL RESIDENTIAL ADDRESS . . . . . ______________________

FULL OFFICIAL ADDRESS . . . . . ______________________

PLACE..........................

DATE...........................

(The person authorised to sign may be seen as per Hand Book of Procedures)

(ANNEXE I to the Form)

(Col. 15 of the Form)

Phased indigenisation programme for the proposed items during the first 5 years starting from the year of commencement of commercial production :

(This information, which is required to be given separately for each proposed item of manufacture may be furnished as per the format given below and attached as a separate annexure to this application).

I. ITEM-WISE DETAILS :

(a) Name of item of manufacture . . . . . .

(b) Serial No. of the item . . . .
(as given against Col. 8)

(c) Year-wise details :

	Year				
	I	II	III	IV	V
(i) Quantity of production					
(ii) Estimated ex-factory Value (in Rs.) of production (net of excise duties).					
(iii) C.I.F. value (in Rs.) of imported components .					
(iv) C.I.F. value (in Rs.) of imported raw materials .					
(v) CIF value (in Rs.) of the product, if the entire quantity given in (i) above were to be imported					
(vi) Percentage of CIF value of imported components to CIF value of product, if imported, i.e. (iii)/(v) *100					
(vii) Percentage of CIF value of imported raw materials to CIF value of product if imported, i.e. iv/v* 100.					

II. Give year-wise details, viz., name(s), quantity and value (CIF) of all imported components to be used during the first five years separately for each item of manufacture involved by using a similar format.

III Give year-wise details, viz name(s), quantity and value (CIF), of all imported raw materials to be used during the first five years separately for each item of manufacture involved by using a similar format.

APPENDIX III-B (*Concld.*)

(ANNEXE II to the Form)
(Col. 18 of the Form)

To be filled in case of imports against replacement.

(a) Existing Equipment to be replaced			New equipment which would replace old equipment		
Name of equipment	Date of installation	Rated capacity	Name of equipment	Date of Manufacture	Rated capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(b) Arrangement for the disposal of existing machine.

(c) Certificate from the Chartered Engineer on the condition of equipment to be replaced.

(ANNEXE III to the Form)
[Col. 19 (A) of the Form]

Details of Capital Goods applied for import.

Description of Items	Computer Code No.	Quantity	Value in foreign exchange as per proforma invoice				
			F.O.B. value of equipment	Initial Spares	Insurance & freight	Total C.I.F. Value	Country of Origin
1	2	3	4	5	6	7	8

(The applicants should note that the list of equipment applied for import must conform exactly to the specifications advertised).

(ANNEXE IV to the Form)
[Col. 20(D) of the Form]

FORM FOR CHARTERED ENGINEERS CERTIFICATE FOR IMPORT OF SECOND HAND MACHINERY

1. DETAILS OF MACHINERY INSPECTED :
   - (i) Descripton with technical specification. Technical pamphlets/photograph of the machinery may also be enclosed.
   - (ii) Name of the manufacture, with country.
   - (iii) Serial No/other identification mark of the machines.
   - (iv) Year of manufacture.
   - (v) Year of the purchase of the machine by the present seller. Whether the machine was purchased new or used?

2. NATURE OF INSPECTION :
   - (i) Whether the machinery was inpsected in working condition
   - (ii) Technical details of tests carried out. A copy of the test report may be enclosed.
   - (iii) National/International Standards followed for the inspection.

3. COMMENTS/ASSESSMENT OF THE CHARTERED ENGINEER :
   - (i) Information on major reconditioning/repairs if any, carried out giving cost, name of the firm which carried out reconditioning/repairs and the date.
   - (ii) Present condition of the machinery and its expected residual life.
   - (iii) What generation of technology is involved in the machinery inspected? A comparison with latest machinery available in the international market, highlighting the technological gaps may also be made.
   - (iv) Estimated CIF value of equivalent new machinery in the international market
   - (v) Comments on reasonableness of price asked for by the suppliers and the basis for such opinion.

(1) Signature....................

(2) Name and address...................

(3) Educational Qualification...........

(4) Member of Professional Institution/Organisation...................

APPENDIX III-C

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF COMPUTER/COMPUTER SUB SYSTEMS/ COMPUTER BASED SYSTEM

File No.——

NOTE :

1. Application will not be considered, if complete information is not provided.
2. All details should be provided with in the space allotted on form. Only in exceptional cases additonal Pages of same sizes may be attached.
3. One copy of this is sufficient.
4. Imported Computer system/computer related equipment to be maintained either in house by the user or by Computer Maintenance Corporation.
5. Technical literature on the proposed item to be imported and a copy of Proforma Invoice must be enclosed with the application.

Subject : Import of ——————————

——————————

by ——————————

From (Foreign Suppliers) :
Name ——————————
Address ——————————
——————————
——————————

Through (Indian Agent) :
Name ——————————
Address ——————————
——————————
——————————

As a total FOB/CIF Value——————————

1. User reference No. . . . . ——————————
2. Name of the User Organisation . . . . . . —————————— IEC : ————
3. Address . . . . ——————————
——————————
——————————
————Pin Code————
4. Contact person . . . . ——————————
——————————
——————————
————Pin Code————

5 Computer items (with configuration details) to be imported:

Sl. No.	Model No.	Description	Quantity (Numbers)	FOB/CIF Value	Country of Origin	
					Name	Code

6. Spares, Tools & Test Equipment (Cost) : . . . . Rs. ————
7. Documentation & Training Charges : . . . . . . Rs. ————
8. Agency commission/service charges payable in Indian Rupees and the role of Indian Agents . . . . Rs. ————
9 Background of the Organisation

APPENDIX III-C—(*Contd.*)

10. Justification for the import of proposed computer items clearly explaining the end-use of the equipment . . . . .

11. Is clearance from Ministry of labour required ? If yes, attach copy of the letter . . . . Y N

12. Budgetary provision from the competent Authority : . . Rs. ____________

13. Whether any indigenous system can meet your requirement ? Y N

If yes, reasons thereof and a comparative statement of system considered by you should be enclosed.

14. Is the present import for augmentation of existing computer system ? . . . . Y N

If yes, please indicate

(a) Complete system configuration of the existing computer system . . . .

(b) Reference : . . . .

(c) Date of import & Installation . . . . . . Date of import ____________ Date of Installation ____________

(d) Value :

FOB . . . . Rs ____________

CIF . . . . Rs. ____________

(e) Any further augmentation envisaged during the current financial year . . . .

15. Warranty Period (months) . . . . ____________

16. Maintenance Charges after Warranty :

1st year . . . . ____________

2nd year . . . . ____________

3rd year . . . . ____________

17 Technical literature on the proposed items to be imported and copy of proforma invoice are to be enclosed.

Sl. No.	Title of literature	Qty. (Nos.)	Value

18. Import licence application in form 'E' CG/NRI (as applicable) together with list of goods, proforma invoice, literature and other supporting documents :

Reference No. . . . . ____________

Date applied . . . . ____________

File No. . . . . ____________

19. Computer system/related equipment to be maintained by . 1 In House by User 2 CMC

20. Is any extra sheet attached ? . . . . . . Y N

21. PARTICULARS OF FEES PAID :

(i) Bank Receipt/Demand Draft No : . . ; ____________

(ii) Date of Issue . . . . ; ____________

DD MM YY

(iii) Amount (in Rs.) . . . . ; ____________

(iv) Branch of issue . . . . ; ____________

APPENDIX III-C (*contd.*)

DOCUMENTS TO BE ENCLOSED	Whether	Enclosed	Page No.
1. Bank Receipt/Demand Draft of requisite amount towards the application fee	Y	N	
2. Clearance from Ministry of Labour, if applicable	Y	N	
3. Technical literature/catalogues/Pamphlets of Computer items to be imported	Y	N	
4. Proforma Invoice (Seven copies) of the items to be imported	Y	N	
5. If any indigenous system can meet the requirement then the reasons thereof and comparative statements of the system considered is to be enclosed	Y	N	
6. In the case of an applicant being Non-Resident Indian (NRI) the import licence application in form "E" CG/NRI together with list of goods, proforma invoice, Literature and other supporting documents are to be enclosed	Y	N	

Signature of the user : ——————

Official Seal :

Place :——————

Date :——————

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.
I/We have not been debarred from receiving the import licence under the Imports (Control) Order, 1955

Place :——————

Signature of the user :——————

Date :——————

Official Seal :

PARTICULARS OF LICENCE APPLIED FOR
(To be filled by licence issuing Office)

(i) Sector Type . . . . . . Name ———————— Code [ ][ ]

(ii) Category of Importer . . . . . Name ———————— Code : [ ][ ]

(iii) Category of licence . . . . . Name ———————— Code : [ ][ ]

(iv) Type of settlement . . . . . . Name ———————— Code : [ ][ ]

(v) Type of Resources . . . . . . Name ———————— Code : [ ][ ]

(vi) Currency area . . . . [1] General [2] specific

(vii) Category of Import Commodity . . . . Name ———————— Code : [ ][ ]

(viii) Citizenship Status . . . . . . [1] Indian [2] Non—resident Indian

APPENDIX III-C—(*contd.*)

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF COMPUTER/COMPUTER SUB-SYSTEMS UNDER THE SCHEME OF PROJECT OF SOFTWARE EXPORT

NOTE :

1. Applicants are advised to read the licensing Instructions and policy on software export project before filling up the application form. The application should be legible and complete in all respects to avoid correspondence/delay and rejection.
2. The application should be signed by the authorised representative of the company/the non-resident Indian in case of loan scheme.
3. Documentary evidence and supporting documents asked for and as applicable must accompany this application.
4. Two copies of application, complete in all respects, need to be submitted to Department of Electronics (Computer Directorate) Lok Nayak Bhavan, New Delhi.

1. PARTICULARS OF APPLICANT :

1·1 Name . . . . ——————————IEC ——————

1·2 Registered Address . . . . ——————————

——————————

——————————

——————————

——————————

——————————

——————————

——————————PIN ——————

1 3 Correspondence Address . . . . ——————————

——————————

——————————

——————————

——————————PIN ——————

1·2 Telephone : —————— Telex ——————————

2. NATURE OF ORGANISATION :

2·1 Whether the concern is :

[1] Public Ltd. Co. [2] Private Ltd. Co. [3] Proprietary Firm [4] Individual Firm

[5] Hindu Undivided Family [6] Body/Association of Individuals [7] Others : (Pl. specify)

2·2 Whether the undertaking is registered under the Act . . [Y] [N]

2·3 In case of Limited companies, details of capital structure

(i) Authorised Capital . . . . Rs. ——————————

(ii) Issued Capital . . . . Rs. ——————————

(iii) Subscribed Capital . . . . Rs. ——————————

(iv) Foreign Shareholding, if any . . . . . . ——————————

(v) Percentage of Foreign shareholding . . . . ——————————

APPENDIX III-C (*Contd.*)

2·4 Names of proprietors/Partners/Directors : . . . .
(in case of more than five, attach extra sheet)

1. ____________ 2. ____________

3. ____________ 4. ____________

5. ____________

Whether extra sheet attached ? . . . . . | Y | | N |

3. TECHNICAL CAPABILITY :
(Include company's previous record of computer projects Installation etc.)

3·1 If the organisation has previous export for domestic computer experience please provide list of projects giving following details (attach extra sheet for more than one)

(a) Title and brief description . . . . . .

(b) Details of Government of India's approval etc

(c) Value of project . . . . Rs____________

(d) Nature of work . . . .

(e) Have you imported in past a computer system for software export ? If so, give following details :

(i) Year of Import . . . . ____________

(ii) Import Licence No . . . . ____________

(iii) Description of the item imported . . .
Is extra sheet attached ?. . . . . . . | Y | | N |

3·2 Describe how you plan to achieve the export commitments give details of : . . . .

(a) Region of operation . . . .

(b) Method of execution of projects : . . . . .

(c) Marketing methods . . . .

(d) Programme of introduction, training and deployment of personnel : . . . .

4. **PLAN OF UTILISATION OF IMPORTED COMPUTER :**

4·1 Where will the computer be installed . . . . .

4·2 Expected proportion of computer time and personnel to be engaged in export projects.

4·3 Nature and details of domestic work to be undertaken

5. **SOFTWARE EXPORT DETAILS :**

5·1 Total value of firm orders received
(extra copies of supporting documents)

1	2
US$	Rs.

5·2 Total value of anticipated orders :

US$	Rs

APPENDIX III-C—(*contd.*)

5·3 Exports expected foreign exchange earnings yearwise for 5 years :

Sl. No.	Year (Financial)	(1) US$	(2) Rs.	Total Value
1.		1	2	
2.		1	2	
3.		1	2	
4.		1	2	
5.		1	2	

5·4 Please indicate why import of the proposed computer equipment is essential for fulfilling the export orders .

5.5 Please explain why exports cannot be achieved by using locally available or installed computers . .

5·6 Please describe the planned nature of export activities areas of computer application, results of initial market studies conducted by the specified time and detail of associated companies, agents etc. . . . . .

5·7 Please indicate details of foreign firm with whom you are in contact of software export : . . . . .

6. CONFIGURATION OF THE COMPUTER SYSTEM PROPOSED TO BE IMPORTED :

6·1 Detail configuration with model No./Type No. quantity etc. . . . .

Sl. No.	Description of the item Model/type	Quantity in No.	Value in Rs.	Country of Origin		Country of Shipment	
				Name	Code	Name	Code
1.							
2.							

6·2 (a) Cost (F.O.B.) of the system . . . . . Rs.__________

(b) Freight . . . . Rs.__________

(c) Insurance . . . . Rs.__________

(d) Total CIF Cost . . . . Rs.__________

6.3 Please indicate whether the proposed computer system is new or old . . . . . .
(In case of old, details thereof)

1	Old	2	New

6·4 Agency Commission/procurement fee (if payable)

Country	Currency	Agency Commission	Rs. 100/- Equal

7. The system will be maintained by

1	Indian Company	2	Foreign Company

APPENDIX III-C (*Contd.*)

8. Please indicate the plan to finance the software export project :

8·1 Foreign equity : . . . . Rs. ____________

(1) Approved amount Utilised : . . . . . Rs. ________(i) Balance available Rs.________

8·2 Investment on non-resident Indian Nationals . Rs. ____________

8·3 Supplier Credit . . . . Rs. ____________

8·4 Private Foreign Exchange Loan . . . . . Rs. ____________

8·5 Borrowing from IFC/ICICI/State Financial Corporations . . . . Rs. ____________

8·6 Indigenous Resources . . . . Rs. ____________

9. In case Computer System is proposed to be Imported under Loan Scheme then please also furnish the following :

9·1 Name, Address of the foreign firm, who is giving the computer system on loan : . . . . . . ____________

(a) Name . . . . ____________

(b) Address . . . . ____________

____

____

____

____

9·2 Details of the foreign firm : . . . . .

9·3 Technical details of software to be developed for export . . . .

(a) Area of software development : . . . . . ____________

(b) Other details . . . . ____________

9·4 Duration of loan/software export contract : . . . ____________month

NOTE :—

Please attach the copy of software export contract entered by the applicant with the foreign firm and their undertaking to loan the computer system.

Please attach applicant's undertaking on return of the computer system to its supplier after expiry of the software export contract.

10. Do you propose to undertake software export through overseas communication data link If yes, then furnish copies of correspondence with Ministry of Communication/P & T Department. [Y] [N]

11. PARTICULARS OF FEES PAID :

(i) Bank Receipt/Demand Draft . . . . ____________

(ii) Date of Issue . . . . ____________
DD MM YY

(iii) Amount (in Rs.) . . . . Rs.____________

(iv) Branch of Issue . . . . ____________

APPENDIX III-C (*Contd.*)

DOCUMENTS TO BE ENCLOSED :

	Whether Enclosed		Page No.
1. Has companies previous record of computer projects, installations owned etc. enclosed ?	Y	N	
2. Has the Organisation any previous export in its credit ? If yes, has the details been enclosed ?	Y	N	
3. Are copies of supporting documents for total value of firm orders received in US $ /Rs attached ?	Y	N	
4. Are copies of letter of intent for total value of anticipated orders in US $/Rs. attached ?	Y	N	
5. Has proforma invoice been attached ?	Y	N	
6. Are technical literature/details of the items proposed to be imported enclosed ?	Y	N	
7. Is the computer system proposed to be imported under loan Scheme ?	Y	N	
If yes, (a) Is the copy of contract with foreign firm and their undertaking to loan the computer system enclosed ?	Y	N	
(b) Is the applicant's undertaking on return of the computer systeme to its supplier after expiry of the software export contract enclosed ?	Y	N	
8. Is the firm interested in undertaking software export through Overseas communication data link ?	Y	N	
If yes, are the copies of correspondence with Ministry of Communication/ P& T Department enclosed?	Y	N	
9. Is the Bank Receipt/Demand Draft of requisite amount towards the application fee enclosed ?	Y	N	

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statement are true and correct to the best of my/our Knowledge and belief.
I/We have not been debarred from receiving the Import licence under the Imports (Control) Order, 1955.

Place:—————— Signature ——————

Date :—————— Name in Block letters——————

PARTICULARS OF LICENCE APPLIED FOR

(To be filled by licence issuing office)

(i) Sector Type . . . . Name ——————Code [ ][ ]

(ii) Category of Importer . . . . Name ——————Code [ ][ ]

(iii) Category of licence . . . . Name ——————Code [ ][ ]

APPENDIX III-C (*Concld.*)

(iv) Type of settlement . . . . Name ——————————Code [|]

(v) Type of Resources . . . . Name ——————————Code [|]

(vi) Currency Area . . . . [1] General [2] Specific

(vii) Category of Import Commodity . . . . . . Name —————————— Code [|]

(viii) Citizenship Status . . . . [1] Indian [2] Non-resident Indian

APPENDIX III-D

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF SPORTS GOODS

(To be routed thurough Department of Sports & Youth Affairs of the Central/State Government or as the case may be)

PART-I

IEC

1. Name & address of the applicant :
2. Particulars of goods to be imported :

S. No.	Item		QTY.		CIF Value

3. The institution is managed by . . . . Central/State Govt./Corporation/Municipality/Charitable Institution/Others (Name to be specified)
4. Particulars of Government Grants received, if any .. . . Agency Amount (Rs,)
5. Details of the International/National, games in which participated and Trophies Won (Individual sportsmen only) . Tournament Trophies
6. Justification for import . . . .
7. If the import is free of charge, give details of the donor .
8. Particulars of fees paid . . . .

DECLARATION

1. I/WE hareby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and the goods imported will be utilised for the purpose for which it is imported and shall not be sold or permitted to be used by any other party

Place : Signature :
Date : Name (IN BLOCK LETTERS)
Documents to be enclosed : Designation :
(Full residential address)

PART II

(To be filled by the sponsoring authority in duplicate)

1. Particulars of goods recommended

Sl. No.	Description/name	Quantity in Nos.	Value in Rupees	Conditions, if any to be imposed

Whether indigenous clearance has been obtained, wherever necessary . . . . [Y] [N]

Certified that Statements made by the applicant have been verified and found correct.

Signature of the
Sponsoring Authority
Seal :

APPENDIX III-E

FORM OF CONSENT LETTER FROM LEASING COMPANY

I/We ———————— (Name and address of the Actual User) have decided to import the following Capital Goods : (details to be given) to be financed by the leasing company viz. M/s. ———————— (name of the leasing company). The aforesaid company has agreed to finance the import on terms and conditions mentioned in a lease agreement executed by us on.... (date) with ———————— (name of the leasing company) A copy of the lease agreement is annexed hereto.

I/We may be allowed to import the aforesaid Capital Goods under lease financing scheme.

Lessee

I/We ———————— (Name of the leasing company) have agreed to finance the Import of the folowing Capital Goods :

(details to be given)

by M/s. ———————— (name of the Actual User) on terms and conditions mentioned in the lease agreement executed on ———————— (date) copy of which is annexed hereto.

I/We bind myself/ourselves to comply with conditions of the licence as and when issued.

Name and address of the leasing company

APPENDIX III-F

(Return in terms of conditions appearing in Appendix 6 of the Import & Export Policy 1990—93 (Vol-I)

PROFORMA

Return for the half year ending — Day | Month | Year

1. Sl. Number

2. Name and full address of the importer (with PIN code if possible).

3. Full address of the premises where the machine has been installed

APPENDIX III-F (*Concld.*)

4. Importers—Exporters Code (IEC)

5. Description of capital goods imported

6. (a) Quantity

(b) Unit of Quantity

7. C.I.F. value of imports (in Rupees thousand)

8. **Remarks :**

Note : Please insert only one alphabet or one number or one punctuation mark in one box, e.g. Director of Statistics, Office of the Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhavan, New Delhi 110011 will be inserted as follows :

D	I	R	E	C	T	O	R		O	F

S	T	A	T	I	S	T	I	C	S		O	F	F	I	C	E

O	F		T	H	E		C		I	E	F		C	O	N	T	R	O

L	L	E	R		O	F		I	M	P	O	R	T	S		A	N	D

E	X	P	O	R	T	S		U	D	Y	O	G		B	H	A	V	A	N

N	E	W		D	E	L	H	I	—	1	1	0	0	1	1

For example for the return for the half year ending 31-3-90 please insert as follows :

Day		Month		Year	
3	1	0	3	9	1

APPENDIX III-G

FORM OF LEGAL AGREEMENT

(For execution involving export obligation)

Applicable in the case of companies

AN AGREEMENT MADE this ...... day of ...... between ...... a company incorporated under the companies Act, 1956 and having its Registered Office at........ (hereinafter referred to as 'THE COMPANY'—which expression shall include its successors and assignees) of the one Part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as 'GOVERNMENT' which expression shall include his successors in office and assignees) of the other Part.

Applicable in the case of Partnership Firm

An aggreement made this .... day of .... 199 between (a) (name of the Managing Partner)........ .... S/o .... (b) (Name of the partner) .... S/o .... (c) (Name of the partner) .... S/o .... etc. carrying on the business in the name and style of .... a partnership firm registered under Indian Partnership Act and having its Registered Office at .... (hereinafter referred to as 'THE FIRM' which expression shall include its successors and assignees) of the one part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as 'GOVERNMENT' which expression shall include his sucessors in office and assignees of the Other Part.

Applicable in the case of sole proprietor/proprietary firm.

An agreement made this .... day of .... 199..........beetween (name/names of the sole proprietor/properietors) .... S/o .... carrying on the business in the name and style of ...... a sole proprietor/proprietary firm registered under the Indian Partnership Act, and having its registered office at .... (hereinafter referred to as 'THE FIRM' which expression shall include its successors and assignees) of the one part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as 'GOVERNMENT' which expression shall include his successors in office and assignees) of the other part.

Whereas the Company/Firm has been granted an Import Licence No. .... dated .... for import of Plant, Machinery and equipment of the cif value of ....

AND/OR WHEREAS government have communicated vide .... to the Company/Firm ....the terms and conditions to their proposed foreign investment/technical collaboration arrangement with M/s. ....

AND/OR WHEREAS Government have communicated to the Company/Firm vide letter of Intent No. .... dated .... the terms and conditions of acceptance to their proposal for a grant of Industrial Licence/substantial expansion of capacity.

AND WHEREAS as a condition of the said import licence for Plant and Equipment/approval of foreign collaboration/licence under the Industries Act or Letter of Intent, the Government has stipulated that the Company/Firm must earn foreign exchange to the extent of Rs. .... lakhs annually/over the period of .... years or by exporting .... per cent of its production of .... annually for .... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties which amendment shall be deemed to form a part of this agreement (The precise condition would be approved in each case by the C.G. Committee/Foreign Investment Board/Licensing Committee).

Now, it is hereby agreed and declared by and between parties hereto as follows :—

1. The Company/Firm shall earn foreign exchange to the extent of Rs. .... (Rupees ....) by exporting (not less than Rs. .... lakh/) per cent of its product(s) namely .... annually for .... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties which amendment shall be deemed to form a part of this agreement. This export obligation shall be in addition and over and above any other export obligation (except export obligation against Advance/Imprest Licences) that might have been or may be imposed on the Company on any other ground. Export to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation and Export to Nepal and Afghanistan if made otherwise than against payment in free foreign exchange will not qualify for redemption of export obligations. Exports made in breach of the foreign collaboration agreement if any will also not qualify for redemption of export obligation.

2. The abovementioned export must must commtnce from eighteenth month after the commissioning of the Plant and Equipment/Commencement of production. The Plant shall be commissioned within thedate specified in the Industrial Licence. The production must commence on and from the ....

The Company/Firm shall undertake to furnish a certificate in its printed letter head, giving the correct date of commissioning of Plant and Equipment against the Import Licence signed by its Chief Engineer or Works Manager, as the case may be and duly countersigned by the legally authorised persons of the Company/Firm and under its common seal/rubber stamp within 30 days from the date of such commissioning.

OR

The Company/Firm shall undertake to furnish a certificate on its printed letter head giving the correct date of commencement of production or additional production against the import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/licence under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 or Letter of Intent, signed by the Chief Engineer or Works Manager as the case may be and duly countersigned by the legally authorised person of the company/firm and under its common seal/rubber stamp within 30 days from the date of such commencement of production or additional production.

3. The company/firm shall furnish a report within thirty days of the close of each financial year to the Chief Controller of Imports and Exports (Export Obligation Cell), New Delhi or to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports with a copy to the Government of India in the Ministry of Commerce (Export Production Section) New Delhi in respect of the previous financial year (or part of financial year for the first year of operation of the export condition as per clause 2 hereof) the undermentioned information and particulars namely :—

(a) Production (in terms of quantity as well as book value in respect of each item produced duly certified by a Chartered Accountant who is not a Director/Partner or an employee of the company/firm or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the company/firm.

(b) Exports (in terms of quantity and f.o.b. value) with particulars of goods exported, their quantity, f.o.b. value and countries to which exported, duly certified by a Chartered Accountant who is not a Director/Partner or an employee of the company/firm or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the company/firm.

(c) Ex-Factory cost of production by the unit, less excise duty, it any, in respect of each item produced duly certified by a Cost Accountant (in practice) who is not a director or an employee of the company/firm. In the certificate the Cost Accountant (in practice) shall also indicate the total ex-factory cost of production of all the items produced by the unit less excise duty, if any.

APPENDIX III-G (Contd.)

4. The Company/Firm shall also submit to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi or to the concerned Joint Deputy Chief Controller of Imports and Exports within six months of the close of each financial year, bank certificate in original showing realisation of foreign exchange against export made during the previous year in fulfilment of the export obligation specified herein and such other documents as may be demanded by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi or the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports as further evidence in support of the foreign exchange earned in the previous year in fulfilment of the terms and conditions of this agreement.

5. The total export obligation will be determined in terms of value by taking the total ex-factory cost of production of all the items produced, less excise duty, if any, as certified by Cost Accountants (In practice). The exports actually made in terms of quantity will also be converted into value by taking the ex-factory cost of production of the items exported as certified by the Cost Accountant (In practice) less excise duty, if any. If the ex-factory cost of production of the items exported as a percentage of the total ex-factory cost of production of all the items produced by the Company/Firm is equal to the percentage of export obligation as imposed on the party/licence in terms of quantity then only the company/firm would be deemed to have discharged the export obligation.

6. If in any given year, the Company/Firm fails and/or neglects or is not able to export goods worth Rs. .... lacs/.......... per cent of its output then in such an event the Company/Firm shall on being called upon to do so by the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports or Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi by a letter hand over within thirty days from the date of the said letter to the State Trading Corporation of India Ltd./Projects and Equipments Corporation/Minerals & Metals Trading Corporation or such other person, firm or body corporate as the Government or the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi may nominate (hereinafter referred to as 'THE AGENCY') the difference between the stipulated annual commitment/obligation and actual exports of .... produced during the year (subject to a maximum of .... per cent) for that particular year for export by the Agency at such prices, as it is able to obtain abroad, he Company/Firm shall in addition pay simultaneously a sum equal to 5 per cent of the export obligation subject to a maximum of Rs. 5 lakhs by way of liquidated damages to the Agency. The Agency after export and realisation of sale proceeds of the aforesaid .... as expeditiously as possible shall give to the Company/Firm rupee equivalent of the net foreign exchange earned by the Agency on such export after deducting such expenses (including the Aency's normal commission) which have been incurred by the Agency.

Where the export obligation is not fulfilled the amount of liquidated damages will be calculated on the basis of the ex-factory cost of production less excise duty, if any. The actual goods to be handed over will be left to the choice of the export agency selected by Government and the total value of the goods to be handed over will be determined by taking the difference between the total ex-factory cost of production of the items produced by the Company and the ex-factory cost of production of the Items actually exported or to be exported less excise duty, if any.

The amount calculated on the abovementioned basis will not be used for any other purpose or for claiming any benefits on such exports effected directly or through the State Trading Corporation of India Limited, (or any other agency) under any Scheme. If the agency so nominated incurs expenses in excess of the liquidated damages which cannot be adjusted for any reasons against the sale/disposal value of goods supplied to the agency concerned/such excess expenditure shall be recoverable by the Government from the company/firm.

7. The value and/or the quantity representing the difference between the stipulated annual export commitment/obligation and the actual exports made and also the amount representing 5 per cent of the annual export obligation by way of liquidated damages shall be determined by the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports or the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi and the decision made by any of the said authorities shall be final and binding on the Company/Firm. While determining the value and/or quantity the said authority may in his discretion if considered necessary, give an opportunity to the Company/Firm to produce such evidence as it can in support of the determination of the value and quantity for this purpose.

8. If in any year the Company/Firm exports .... in excess of .... per cent of its output/in excess of Rs. .... as required in terms of the condition laid down herein, such excess, may be set off against the shortfall if any, in subsequent year(s).

9. In the event of the Company/Firm failing and/or neglecting to fulfil the obligations on its part in any year, save and except only when the fulfilment of such obligations was prevented or delayed, because of or due to any law, order, proclamation, regulation or ordinance of the Government, the Government will be entitled and be at liberty to take possession of .... produced by the Company/Firm to the extent indicated in Clause 7 above and take such other action as it may consider necessary in addition to recovering liquidated damages. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding on the Company/Firm which herby undrtakes to comply unconditionally with such an order. This shall, however, be without prejudice to any other action that may be taken under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and the order issued thereunder. In the event of the failure of the Company/Firm to pay the liquidated damages on demand such liquidated damages shall also be recoverable from any Cash Assistance payable to the Company/Firm.

10. The stamps duty, if any, chargeable on these presents or any documents executed hereunder shall be borne exclusively by the Company/Firm.

Applicable in the case of limited companies

In witness whereof the Common Seal of .... has been hereunto affixed and for and on behalf of the President of India Shri .... has set and subscribed his hands hereunto.

Common seal of the named
Company has been affixed
hereunto in the presence of

(1) ....
(Residential Adress)

Director & (i) Shri ... .(ii) ....
(Residential Address)

Director ....

who have been duly authorised
for the purpose by a resolution
of Board of Directors of the
Company passed at the meeting
held on .... and who have
signed in the presence of:

1. .... (Name, Designation & Address)

2. .... (Name, Designation & Address)

signed for and on behalf
of the President of India
by Shri..................
in the presence of

1 ... . (Name, Designation & Address)

2. .... (Name, Designation & Address).

Applicable in the case of Partnership Firm

In witness whereof the Rubber Stamp of Firm has been hereunto affixed and for and on behalf of the President of India, Shri .... has set and subscribed his hand hereunto.

Rubber Stamp of the Firm

Name............ (a) Signature

(a) Managing Partner

(Residential Address) (a) Signature

(b) Partners

Name.......... (b) Signature

(Residential Address)

(c) Partner

Name............ (c) Signature

(Residential Address)

WITNESS

1. .... (Name, Designation & Address)

2. .... (Name, Designation & Address) signed for and on behalf of the President of India by Shri................ in the presence of :

1. .... (Name, Designation & Address)

2. .... (Name, Designation & Address)

Applicable in the case of Sole Properietor/Properietary Firm.

Name of the Sole Proprietor or Name of the Proprietors

.... Rubber Stamp of the Firm

(Residential Address/Addresses)

WITNESS.

1. .... (Name, Designation & Address)

2. .... (Name, Designation & Address) signed for and on behalf of the President of India by Shri................

1. .... (Name, Designation & Address)

2. .... (Name, Designation & Address)

Note for guidance in the matter of executing of bonds/agreement :

(i) Legal Agreement is to be signed on a non-judicial stamp paper of adequate value as applicable in the State concerned under the Indian Stamp Act.

(ii) Legal Agreement is to be signed by two Directors duly authorised by the Board of Directors and two witnesses with their designation, and address and common seal of the company (to be affixed).

(iii) Each page of the Legal Agreement is to be signed by two Directors/all Partners of the Company/Firm.

(iv) In the covering letter under which the legal agreement is sent by the company to the CCI&E/Licensing authority, it should be mentioned that the signatures of the Directors and witnesses and the common seal affixed are genuine or a certificate to that effect from a Notary Public should be sent.

ANNEXE TO APPENDIX III—G

STATEMENT SHOWING THE PRODUCTION/EX-FACTORY COST OF THE PRODUCTION/EXPORT PERFORMANCE ETC.

(AS PER THE LEGAL AGREEMENT EXECUTED WITH CCI&E)

(Reference Para 197 of this Book)

FOR THE FINANCIAL YEAR——————

1. Name of the firm . . . .
2. Location of the Unit under export obligation . . .
3. No. & Date of Letter of Intent/Industrial Licence/Approval of Foreign Collaboration/D.G.T.D. Registration . . .
4. Number and date of acceptance of the Legal Agreement by C.C.I. & E . . . .
5. Date of Commencement of Production/Additional Production
6. Date of commencement of Export Obligation and its duration
7. Conditions of export obligation . . . . . .

Sl. No.	Item(s) of manufacture under export obligation	PRODUCTION DATA			
		Total production	Additional production (Where applicable)	Ex-Factory Cost of production, exclusive of excise duty, if any.	Per Unit Cost of production as per Col. (3c)
1	2	3(a)	3(b)	3(c)	3(d)

ANNEXE TO APPENDIX III-G—*(Contd.)*

Export obligation imposed and to be met in terms of			Actual exports made in terms of		Quantity of the exports made as in Col. 5(a) converted into Rupee value by multiplying quantity of 5 (a) with ex-factory cost of production as per Col. 3(d)	Excess showing fall in exports against the export obligation imposed in terms of	
Percentage of Production/additional Production	Quantity	Value (Rs.)	Quantity	Value (Rs.)		Quantity	Value (Rs.)
4(a)	4(b)	4(c)	5(a)	5(b)	(6)	7(a)	7(b)

Name of the Countries to which exported	Amount realised by exports			Remarks, if any
	Total FOB value in Indian Rupees for the Exports made	Actual realisation of FOB value in Indian Rupees against Col. 9(a) of the exports	If realisation at (b) is less than FOB value at (a) the reasons for difference and steps taken to realise the balance	
8	9(a)	9(b)	9(c)	10

PRESCRIBED PROFORMA IN RESPECT OF THIRD PARTY EXPORTS (DISCLAIMER CERTIFICATE)

THE CHIEF/JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

____

____

____

Dear Sir,

1. It is hereby declared that we have not claimed any benefits against the exports manufactured by M/s................ ....

2. We have no objection if the above exports are taken against the export obligation of M/s............................

3. We hereby certify that the entire goods as per statement attached received under invoices of M/s.............. .... has been exported by us under our various invoices.

4. We hereby certify that the foreign exchange against the above exports was received by us.

5. We hereby declare that we have not been debarred from receiving licences/REP Benefits etc. during the entire period covered by the above exports under Imports (Control) Order, 1955.

6. We hereby declare that Importer/Exporter code number (IEC) has been allotted to us by the office of...........

Yours faithfully,

Name of the Party with Office Seal Etc.

(The above certificate is to be given on printed letter head of the party).

APPENDIX IV-A

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF CANALISED ITEMS BY THE CANALISING AGENCIES

1. Name of the applicant . . . .
2. Full Postal Address . . . . . .
3. Address of location of Factory . . . . . .
4. Name of the Industry . . . .
5. Name of end-product manufactured . . . . .
6. Whether SSI/DGTD/Non-DGTD/Non-SSI unit . .
7. Registration No. allotted by the sponsoring authority/licence No. and date of issue by the Ministry of Industry, wherever applicable . . . .
8. Description of canalised Item(s) required. With detailed specification and sizes etc. in case of steel and ferro-alloy items. . . . .
9. Quantity/C.I.F. value of canalised item(s) required . .
10. Phased delivery requirements, if any . . . . .
11. (i) I/We hereby declare that the goods for the allotment of which this application has been made are meant for use in our own factory at the above-mentioned address, for the manufacture of..

....

(Name of end-product to be indicated)

for which I/We registered with..and

(Name of Registration/sponsoring Authority)

the registration has not been cancelled or withdrawn or suspended.

(ii) I/We have been duly registered/licenced to manufacture the goods mentioned at Serial No. 5 and I/We declare that the canalised item(s) mentioned at Serial No. 8 is/are essentially required for the production of goods as mentioned at Serial No. 5.

(iii) I/We hereby declare that if goods are allocated to us, the same shall be utilised only in our factory for manufacture of goods indicated above and in accordance with the conditions of the Industrial Licence/Registration Certificate and no portion thereof will be sold to or permitted to be used by any other party or for any other purpose.

(iv) I/We certify that the quantity/value asked for is to meet our requirements for a period not exceeding 12 months for the licensing year....................................

(v) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that the material allocated to me/us on the basis of the statements furnished in this application is liable to confiscation without prejudice to any other action that may be taken under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 as amended and Orders issued thereunder if it is found that any statement or facts indicated herein are incorrect or false or misleading.

(vi) I/We also fully understand that the allocation of canalised item(s) through the canalising agency is made under the Import Trade Control Regulations and violation of the condition on which such goods are released to us or any misuse of such goods will attract the provisions of Imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended and orders issued thereunder.

(vii) I/We have noted the relevant Provisions contained in the Imports-Exports Policy/Hand Book of Procedures, 1990—93.

(viii) I/We have not been debarred under Clause 8 of Imports (Control) Order, 1955 for the licensing year...........

Signature with date..............................

Name ....

(In BLOCK LETTERS)

Full Official Address..........................

....

Place.................................

Full Residential Asddress......................

Date.................................

....

APPENDIX IV-B

PROFORMA FOR ISSUE OF/NO OBJECTION CERTIFICATE/BY CANALISING AGENCIES FOR DIRECT IMPORT OF CANALISED ITEMS BY ACTUAL USERS

....

(Name and Address of Canalising Agency)

No.................... Date.......................

To,

The Licensing Authority,

Subject : No objection Certificate for direct Import of..................................

(Name of item to be indicated)

Dear Sir,

Whereas M/s...

(Name and Address of the applicant)

vide their letter No...dated.......................................have registered a demand for allotment of (quantity) of..

(name of item with size and specification, if any)

ANNEXE TO APPENDIX IV-B (*Concld.*)

valued at Rs.. ....which is covered by Serial No..............................in Appendix 5, Part A/Part B of the Import and Export Policy, 1990-93 (Vol. I), and whereas we are not in a position to make arrangement for import and supplies within a period of 60 days in accordance with para 210 of the Hand Book of Procedures. 1990-93 for the reason(s) ....
We hereby have no objection to issue of licence for direct import of...quantity item (with size and specification, if any) and c.i.f. value of Rs.............................by M/s,..
....

(Name and Address of the applicant)

2. It is certified that the Foreign Exchange involved for the above import has been provided for out of the allocation made to us for this purpose.

3. This 'No Objection Certificate' is valid for three months only.

Place...................................
Date...................................

Yours faithfully
....
Signature
Name and Designation........................
with Office Seal. ....

Copy to :

(i) M/s...

(Name and Address of the applicant)

Details of Imports should be reported to the concerned authorities, as required under the provision of the Import & Export Policy, 1990—93 (Vol. I) and the Hand Book of Procedures, 1990-93.

(ii) The Administrative Ministry concerned.

APPENDIX IV-C

FORM OF AFFIDAVIT FOR APPLYING FOR DIRECT IMPORT OF CANALISED ITEM

Whereas I/We of M/s...

(Name and Address of the Company)

....have *vide* our letter No..........................
Dated..sent under Registered Post vide Postal Receipt No................
Dated..delivered personally on, vide receipt No...........................
Dated..placed with...
....our demand for

(Name of the canalising agency)

supply of...

(Description, quantity and other particulars of the Item)

2. Whereas my/our requirement has been registered by..

(Name of the canalising agency)

on...................................

(Date)

3. Whereas I/We have deposited earnest money by crossed** cheque/Bank Draft/Bank Guarantee/No...................
....dated...................................drawn on/from
....(Name of the Bank)..........................
on...................................

(Date)

4. Whereas I/We was/were not asked/asked by the...

(Canalising Agency)

to make financial arrangements vide letter No..................................dated..
and I/We have made the required financial arrangement by...

(Details of financial arrangements)

5. Whereas M/s...have

(Canalising Agency)

failed to make supplies within 60 days of registration of demand/payment of cash/realisation of crossed cheque in respect of earnest money/ making of satisfactory financial arrangement (whichever is later).

6. I/We hereby solemnly affirm and declare that I/We have fulfilled the conditions for grant of direct import licence covering 50 per cent of the registered demand, as provided in para 210 of the Hand Book of Procedures, 1990-93.

I/We hereby solemnly declare that the above statements are true and nothing has been concealed. I/We fully understand that the Import licence granted to me/us, on the basis of the affidavit, is liable to be cancelled, without prejudice to any other action that may be taken under the Imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended and Orders issued thereunder, if it is found that any of the statement of facts therein are incorrect or false or misleading.

Signature of ....
the deponent.
Name..
Full Official Address ....
....
Full Residential Address ....
....

Sworn before me on...............................day of .... 19 .

Name &.......................................
Seal of
Oath Commissioner/Notary Public/First Class Magistrate.

**The date of realisation of the money by the canalising agency should be given.

APPENDIX IV-D

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF GOODS BY CANALISING AGENCIES

FORM — J

1. Name of the applicant . . . . ________ ________IEC________
2. Address . . . . ________

Pin Code................

3. Particulars of Fee Paid :
   (i) Bank Receipt/Demand Draft . . . . . No. ________
   (ii) Date of Issue . . . . ________
   (iii) Amount in Rupees . . . . ________
   (v) Branch of Issue . . . . ________
4. Licensing period in respect of which the application is made ________
5. Particulars of goods to be imported :

Sl. No.	Description of goods		Unit of measurement	Quantity	Value (C.I.F.) in Rupees	Country of Origin		Country of shipment	
	Item Name	Code				Name	Code	Name	Code

6. Financial authorisation for import :

Whether foreign exchange released . . . . . . Y N

If yes, give details . . . .
(Attach original copy of sanction)

Foreign Exchange released by . . . . 1 Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs).

2 Any other authority.

Amount of foreign exchange released in . . . . . Rs.________

7. Has any application for item under the same Sr. No. as mentioned in column 5 already made by the applicant against 6 above . . . . Y N

If yes, give details . . . .

8. PARTICULARS OF LICENCE APPLIED FOR :
   (To be filled by Issuing Office)

   (i) Sector Type . . . . Name ________ Code
   (ii) Category of Importer . . . . Name ________ Code
   (iii) Category of Licence . . . . Name ________ Code
   (iv) Type of Settlement . . . . Name ________ Code
   (v) Type of Resources . . . . Name ________ Code
   (vi) Currency Area . . . . 1 General 2 Specific
   (vii) Category of Imports Commodity . . . . . Name ________ Code
   (vii) Citizenship Status . . . . 1 Indian 2 Non-resident Indian

APPENDIX IV-D *concld.*

9. Full details of the enclosures attached with the application should be furnished in the statement below. (Every copy of the documents should be attested as true copy by a responsible officer of the undertaking).

Sl. No.	Name of the documents.	Page No
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		

(i) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

(ii) I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statements furnished is liable to cancellation without prejudice to any other action that may be taken in this behalf if the statements or facts therein are incorrect or false.

(iii) I/We further declare that I/we qualify for an Import licence as a canalising agency in respect of goods of description applied for in this application.

(iv) I/We have not been debarred from receiving the import licence under the Imports (Control) Order, 1955.

Signature....................................

Name —————————————

(IN BLOCK LETTERS)

Designation —————————————

Full Official Address—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

Full Residential Address—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

Place—————————————

Date—————————————

List of Enclosures :-

APPENDIX IV-E

ADDRESSES OF CANALISING AGENCIES

1. Balmer Lawrie & Company,
21, Netaji Subhash Road,
Calcutta-700001.

2. Central Silk Board,
United Mansion, 2nd Floor,
39, Mahatma Gandhi Road,
Bangalore-560 001.

3. Cotton Corporation of India,
Air India Building,
12th Floor, Nariman Point,
Bombay-40 0021.

4. Food Corporation of India,
16-20, Barakhamba Road,
New Delhi-110001.

5. Jute Corporation of India,
1, Shakespeare Sarani,
Calcutta-700016.

6. Indian Oil Corporation,
Indian Oil Bhavan,
Janpath,
New Delhi-110 001.

7. Minerals and Metals Trading Corporation of India
(MMTC), "Express Building,,
9-10, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110002.

8. State Trading Corporation of India Ltd.,
(STC), 'Chandralok,,
36, Janpath, New Delhi-110 001.

9. Metal Scrap Trade Corporation,
225/E, Acharya Jagadish Bose Road,
Calcutta-700001.

10. National Film Development Corporation,
Shiv Sagar Estate,
'D', Block, 5th Floor,
Dr. Annie Besant Road, Worli,
Bombay-400018.

11. Steel Authority of India,
Hansalaya Building,
Barakhamba Road,
New Delhi-110001.

12. Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd.,
Post Office Petro Chemicals,
Distt. Baroda-391 346 (Gujarat).

13. Electronics Trade and Technology Development
Corporation Ltd.,
Akbar Hotel Annexe,
Chanakya Puri,
New Delhi-110021.

14. Hindustan Vegetable Oils Corporation Ltd.,
Kundan House,
16, Nehru Place,
New Delhi-110 019.

APPENDIX IV—F

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF DIRECT IMPORT IN RESPECT OF CANALISED ITEMS

Name and Address of the licence	Particulars of licence(s) No. date etc. against which canalised items have been imported	Description of the canalised item	Quantity and value of canalised item	Name of foreign supplier from whom the canalised item referred to in Col. 4 have been imported	Unit price at which the item was imported	Bill of Entry No. and the name of Customs House	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

I/We hereby declare that the particulars given in the above statement are true to the best of my/our knowledge and nothing has been concealed. I/We understand that if any information is found to be incorrect it will render me/us liable for action under I.T.C. Regulations.

Name..................................
Designation ....
Address of the Importer ....

....

....

Place.................................

Date.................................

APPENDIX V-A

FORM OF APPLICATION FOR GRANT OF AUTOMATIC LICENCE

To

The.........................

....

....

(Designation & address of the licensing authority concerned)

Subject :—GRANT OF AUTOMATIC LICENCE FOR THE PERIOD..............

Sir,

I/We hereby request for grant of Automatic licence for a value as admissible under the Import Policy and Procedure, 1990-93.

2. For this purpose, a copy of the Supplementary licence application dated.........................original of which has been sent through the sponsoing authority, namely.......................................is sent herewith.

3. Original Supplementary licence No......................dated.........................valued for Rs.......... (both for customs purposes and foreign exchange purposes) issued by.......................... . . .. (designation and address of the licensing authority) is also sent herewith.

4. A photocopy of the Export Performance Certificate bearing No...........................dated................. duly attested is also sent herewith (to be sent only in the case of exporting units).

Yours faithfully,

(Full Name and Address of the Applicant)

....

List of enclosures :

1. ....

2.......................................

3.......................................

APPENDIX V-B

PROFORMA TO BE FILLED IN BY THE SPONSORING AUTHORITY FOR RECOMMENDING CASES FOR GRANT OF SUPPLEMENTARY IMPORT LICENCES

1. (a) Name of the Sponsoring Authority . . . . .
   (b) Name of the Applicant unit . . . . . .
2. End Product(s) . . . .
3. Whether Small Scale or large scale Unit . . . . .
4. Whether new unit or proposed unit or existing unit . .
5. Licensing year to which the application pertains . .
6. Date of Import application . . . .
7. Recommendation of the Sponsoring Authority :

Sl. No.	Description of the item alongwith specifications grades and sizes	Specific Entry No./Application No. of the policy by which the item is covered	Quantity	C.I.F. value in Rs.	Name of the specific country of Import
1	2	3	4	5	6
	Total				

(In the case of large No. of items, a separate list of items giving the above particulars may be attached).

8. Phased Manufacturing Programme (PMP) :
   (a) Is the recommendation as per approved PMP (Yes or No)
   (b) In respect of the recommendation for Rs. 1 crore and above where PMP was approved during 82-83 onwards indicate the following:—
      (i) Year of PMP to which the recommendation relates
      (ii) Import content envisaged in PMP (%) . .
      (iii) Import content being recommended (%) . .
      (iv) Brief reasons for variation if any . . .
9. Past consumption of the items recommended (MT) duly certified by CA (to be furnished both for steel and Non-steel items) :

Item	1989-90		1990-91	
	Indigenous	Imported	Indigenous	Imported
1	2	3	4	5

10. Imports made during current year and previous year (Quantity /value) of the items recommended :
    A. Under OGL . . . .
    B. Under supplementary licencing /Repeat operation thereof
11. Possibility of Imports from RPA and if so, names of items to be indicated . . . .
12. Basis/justification of the recommendation in brief . .
13. List of items duly attested to be enclosed . . .

Signature ....
Name of the
Competent Officer.............................
Official Seal/Stamp ....
Name and
Full Address of the
Sponsoring Authority ....
File No.......................................
Date ....

List of the enclosures attached.
(Import application, TR. attested list of items, etc.)

To

*The Office of the CCI & E (I. P. Cell).
Udyog Bhavan, NEW DELHI.
OR
*The Regional Licencing Authority,
(Where Regional SLC headed by Jt. CCCI & E is functioning)

*Strike out whichever is not applicable.

APPENDIX VII

APPLICATION FOR DG&SD/RAILWAY/DEFENCE/
AIR/DOORDARSHAN AND OTHER DEPARTMENTALLY-RUN
UNDERTAKING CONTRACTS

FORM "B"

1. Name of Applicant . . . . ———————— IEC No. ————
   (i) Full Address . . . . ————————
   ————————
   ———————— Pin code ————
   (ii) Name of State . . . . ————————

2. Particulars of Fees paid :
   (i) Bank receipt/Demand Draft No. ————
   (ii) Date of issue ————
   (iii) Amount Rs. ————
   (iv) Branch of issue ————

3. Licensing period in respect of which application is made :

4. PARTICULARS OF GOODS TO BE IMPORTED

Sl. No.	Item Name	Item Code	Unit of Measurement	Quantity	CIF Value Rs.	Country of Origin		Country of Shipment	
						Name	Code	Name	Code

5. Total CIF value of goods to be imported . . . . . Rs. ————

6. Where shipment is to be effected from country different from the country in which the goods originated, full statement of reasons for the same should be given :

7. General information to be furnished :
   (a) Date of establishment of business in India
   (b) Nature of the concern. Whether the concern is :

1	Public Ltd. Co.	2	Private Ltd. Co.
3	Proprietry Firm	4	Individual Firm
5	Hindu undivided family	6	Body/Assocation & Individual
7	others (Pl. specify)		

   (c) Name of Directors, Partners, Karta as the case may be.
   1. ———— 2. ————
   3. ———— 4. ————
   5. ————

   (d) Details of branches or associated companies (name and location)
   (i) In India . . . .
   (ii) Abroad . . . .

8. Full details of the enclosures attached with the application (every copy of the documents should be marked as a true copy and signed beneath by the applicant) . . . . . .

APPENDIX VII (*Concld.*)

DECLARATION :

(i) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/we fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation in addition to any other penalty that the Government may impose having regard to the circumstances of the case, if it is found that any statements of facts there in are incorrect or false.

(ii) I/We have not been debarred from receiving the import licence under the Imports (Control) Order, 1955.

Signature ————————
Name in Block Letters————
Designation ————————
Full Address :
(i) Official ————————
(ii) Residential————————

Place————————
Date————————

DOCUMENTS REQUIRED	WHETHER-ENCLOSED		PAGE NO.
1. Application in triplicate	Yes	No	
2. Bank receipt/demand draft for requisite amount of application fee	Yes	No	
3. Industrial Licence/Registration Certificate	Yes	No	
4. DGTD clearance	Yes	No	
5. Import Recommendation Certificate	Yes	No	
6. Seven copies of the list of goods sought for	Yes	No	

9. PARTICULARS OF LICENCE APPLIED FOR :
(To be filled by licence issuing Office)

(i) Sector type . . . . Name ————————Code :

(ii) Category of Importer . . . . Name ————————Code :

(iii) Category of Licence . . . . Name ————————Code :

(iv) Type of Settlement . . . . Name ————————Code :

(v) Type of Resources . . . . Name ————————Code :

(vi) Currency Area . . . . 1 General 2 Specific

(vii) Category of Import Commodity . . . . . Name ————————Code :

(viii) Citizenship Status . . . . 1 Indian 2 Non-resident Indian

APPENDIX VIII—A

APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINT FOR NEWSPAPERS/PERIODICALS

FORM 1

1. Name of Applicant . . . . ________________ IEC :________________

2. Name of the newspaper/periodical . . . . . . ________________

   Periodicity . . . . ________________

   Language . . . . ________________

3. Full postal address . . . . ________________

   ____

   ______PIN______

4. (a) Date from which Newspaper/Periodical is regularly published . . . . ________________

   (b) Registration No. as given by Registrar of Newspapers of India . . . . ________________

   (c) Date of filling the latest declaration with District Magistrate . . . . ________________

5. Nature of concern

   (a) Whether the concern :

1	Public Ltd. Co.	2	Private Ltd. Co.	5	Hindu Undivided Family
3	Proprietary firm	4	Individual firm	6	Body/Association of Individuals
				7	Others (Pl. Specify)

   (b) Names of Directors/Partners etc. (Attach extra sheet for more than five persons)

   1. ________________ 2. ________________

   3. ________________ 4. ________________

   5. ________________

6. Quantity/Value of newsprint required for 12 months

Unit of Measurement	Quantity Required for 12 months

7. (a) Phased delivery requirement . . . . . . ________________

   (b) Name of the agent authorised . . . . . . ________________

8. Name and other particulars of newspapers/periodicals owned by the applicant:—

Title of Newspapers/ Periodicals	Language	Periodicity	Place of Publication	Whether getting newsprint through government

APPENDIX VIII-A (*Contd.*)

9. Particulars of circulation etc. per publishing day for the newspaper/periodicals :

(a) Date of proposed publication . . . . . ——————————

(b) Average number of copies proposed to be printed . ——————————

(c) Average number of pages . . . . ——————————

(d) Average area of one page of newspaper/periodical (in sq. cm.) . . . . ——————————

(e) Number of publishing days . . . . ——————————

10. Particulars of newsprint . . . .
(Specify glazed, un-glazed and Nepa separately)

A. Consumed during the preceding year.

Item No.	Type of newsprint	Quantity in tonnes	Source	Value (c.i.f.) in Rs.

B. Required for the licensing year.

Item No.	Type of newsprint	Quantity in tonnes	Source	Value (c.i.f.) in Rs.

11. Last licensing year in which newsprint has been taken from the office of R.N.I. . . . . ——————————

12. (a) Type of Machine (i.e. Rotary/Flated/Letter Press) . ——————————

(b) Size of reels sheets required . . . . ——————————

DECLARATION

1. I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any allotment made to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of statements of facts therein are incorrect or false.

2. I/We declare that newsprint, if allotted, will be used in our Press/Premises/Establishments at the above mentioned address.

3. I/We also fully understand that the allocation of canalised item(s) through the canalising agency is made under the Import/Trade Control regulations and violation of the condition on which such goods are released to us or any misuse of such goods will attract the provisions of Imports and Exports (Control) Act, 1947 and orders issued thereunder as amended from time to time.

4. I/We have noted the relevant provisions contained in the Import Policy/Hand Book of Procedures, 1990—93.

5. I/We have not been debarred from receiving the import licence under the Imports (Control) order, 1955.

Signature ——————————

Name in Block Letters——————————

Designation ——————————

Full Residential Address ——————————

——————————

——————————

Place——————————

Date——————————

APPENDIX VIII-A (*Concld.*)

PARTICULARS OF LICENCE APPLIED FOR :

(To be filled by licence issuing office)

(i) Sector Type . . . . Name ——————Code

(ii) Category of . . . . Name ——————Code

(iii) Category of Licence . . . . Name ——————Code

(iv) Type of Settlment . . . . Name ——————Code

(v) Type of Resources . . . . Name ——————Code

(vi) Currency Area . . . . : 1 General 2 Specific

(vii) Category of Import Commodity . . . . Name ——————Code

(viii) Citizenship Status . . . . : 1 Indian 2 Non-resident Indian

APPENDIX VIII-B

REGISTER FOR MAINTENANCE OF CONSUMPTION AND STOCKS OF IMPORTED RAW MATERIALS/ COMPONENTS BY THE ACTUAL USERS

(Including Newspaper Establishment)

Sl. No.	Description of items	Receipts		Particulars of import licences/release order/OGL or direct allotment by canalising agency against which imported/allotted	Name & Address of authorised source if goods obtained from any other source	BE. No. & Date of Sale Note No., Invoice No. & Dt and Gr/RR No. and Dt., under which goods trasported from the Port of landing or place of receiving goods to the factory site.	Date	Qty	Issue (Consumption)				Remarks
		Opening balance	Qty. of fresh Stock received						end-products in which used Batch No. also to be shown in the case of pharmaceutical unit.	Qty. produced out of imported raw material consumed	Qty. diverted to others in an authorised manner	Closing balance	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13

APPENDIX VIII-C

Application for Import of Horses for Breeding purposes by Recognised Stud Farms/Individuals Breeders

Part-I

I.E.C. No. ______________

1. Name and Full address of applicant . . . . . ______________
2. Address of Location of Stud Farm with area in acres . . ______________
3. No. & Date of registration Certificates issued by RWITC, keeper of Indian stud farm or with Min. of Agriculture . . . . ______________
(Photocopy enclosed)
4. Name & Address of Director, Partners, Proprietor or Karta as the case may be . . . . ______________
5. Details of other applications for the goods of the same category (File No. to be given) . . . . ______________

Part-II

1. No. of animals available with the Breeding stud farm . . . . ______________
Total Nos. . . . .

Description of Animals	Stud Farms Property		Belonging to others		Name & address of the owners
	1. Imported	2. Indian breed	1. Imported	2. Indian breed	
1. Stallions					
2. Broodmares					
3. Yearlings					
4. Foals					
5. Colts					
6. Fillies . . .					
Total	1.	2.	1.	2.	

2. No. of horses produced annually during the last financial year . . . . Ist year ______________
IInd year ______________
3. Actual Production in the current financial year . . . . ______________
4. Estimated Production in the Current financial year . . . ______________
5. Particulars of animals to be imported :—

Class	No. of animals	CIF value in Rs.	Country of Origin		Country of Shipment		Reason for shipment from a Country different from country of origin
			Name	Code	Name	Code	
1.							
2.							
3.							

6. Particulars of licences/CCP's issued and imports effected during the last 5 years period :—

Licensing Period	Licence/CCP issued		Imported Animals		Description of animals	Country from where imported
	No. Date	Value Rs.	CIF Value	Date of Imp.		

APPENDIX VIII-C (*contd.*)

7. The address at which the intended imported stock, now applied for will be kept. Location of the stock, will not be changed without the written permission of the CCI&E . . . . . ____________

8. CIF value of licence applied for . . . . Rs.____________

9. Particulars of application fee paid :
   (i) Bank Receipt/D.D. No. . . . . ____________
   (ii) Date . . . . ____________
   (iii) Amount . . . . Rs.____________
   (iv) Branch of Issue . . . . ____________

Declaration :

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and the goods imported will be utilised for the purpose for which they are imported and shall not be sold or permitted to be used by any other party.

Signature : ____________
Name (in block Letters) ____________
Designation ____________
Full Residential Address ____________

Place ____________

Date____________

Certified that the statements made by the applicant have been verified and found correct. The import of horses applied for is hereby recommended.

Signature ____________

Name in block Letters ____________

Designation ____________
Director of Animal Husbandry and Veterinary Services.

APPENDIX VIII-D

APPLICATION FORM FOR AD-HOC LICENCE TO TECHNICAL/DESIGN AND ENGINEERING FIRMS/ PRINTING PRESSES

PART I

Licensing Period ____________

1. Name and address of the applicant firm . . . . . . I.E.C.
____
____

2. Details of branches and associates companies . . . . . (names and location)

3. Address of Factory/Unit . . . .

4. Regn. No. & Date of SSI, DGTD/Industrial licence . . . (copy enclosed)

5. Names of Directors, Partners, Proprietor or Karta as the case may be :

6. Capital investment on machinery and equipment. . . .
   (a) Imported machinery . . . . (cif value)
   (b) Indigenous machinery having imported components . . (Purchase price)
   (c) Other indigenous machinery . . . . . .
   Total . . . . Rs. ____________

7. **C.I.F. Value of licence applied for . . . .**

8. **Particulars of fees paid . . . .**

APPENDIX VIII-D (*Contd.*)

PART II

A. For Office equipment

1. (a) Details of foreign exchange earned during the previous financial year April-March, on technical consultancy services rendered to clients abroad or for doing construction work abroad. (Foreign exchange earned against export of goods should be extended, full details of foreign exchange earning through technical consultancy services should be furnished in a separate sheet item by item). The statement should be supported and the amount of foreign exchange earned certified by the Bank through which such earning & were received into this country.

Sl. No.	Description of consultancy/construction work	Country where work done		Foreign exchange earned		
		Name	Code	Currency	Amount	Equivalent
1	2	3	4	5	6	7

Total amount of foreign exchange earned : Rs. ——————

(b) The amount of commission or discount paid or payable (at a later date by the exporter) to the foreign agent on the export covered by the application.

In Foreign Exchange :——————

In Equivalent Rs. : ——————

B. For items required for execution of the contract

1. Name of the Project Authority awarding the contract . . .
2. Name of the project for which imported equipment is required . . . . ——————
3. Nature of the work assigned as per the contract . . . ——————
4. Items to be imported for execution of the contract . .

Sl. No.	Item Name	Item Code	Unit	Qty.	C.I.F. (Rs.)	Country of origin		Country of shipment	
						Name	Code	Name	Code

5. CIF Value of the items to be imported :

Foreign Currency Name——————

CIF value in figure Rs. ——————

CIF value in Foreign Currency ——————

CIF value in words Rupees ——————

6. C.I.F. value of licence applied
   (a) Foreign Currency . . . . . .
   (b) In Rupees . . . . . .
7. Indigenous content . . . . . . Rs.——————
8. Total value of the contract (indigenous equipment, servicing charges etc.) . . . . . .

DECLARATION :

1. I/We hereby declare :—(i) that no other application for import licence has been made or will be made in future to the licensing authority during the current licensing year; (ii) the statement made in this application are true and correct to the best of my knowledge and belief; (iii) if the licence is granted, the goods will be utilised only in our office and no portion thereof will be sold or permitted to be used by any other party.

APPENDIX VIII-D (*concld.*)

2. I/We fully understand that any licence granted to us on the basis of this application is liable to cancellation, or being made in effective in addition to any other penalty that the government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of these statements or facts therein are incorrect or false.

3. I/We have not been debarred from receiving the import licence under the Imports (Control) Order, 1955.

Signature ——————

Name in Block letters ——————

Designation ——————

Residential Address ——————

——————

Place ——————

Date ——————

C. (To be furnished by Project Authority wherever applicable)

1. Estimated cost of the project for which contract has been awarded . . . . ——————

2. Total amount of foreign exchange indicated in the project estimated as approved by the Government for the relevant project . . . . ——————

3. Whether the items sought for import were indicated in the project estimate and whether it was mentioned therein that these items need to be imported . . . . . .

Y	N

4. Are the goods being imported for initial setting up of the plant (project) or expansion of the existing plant . . . .

1	2
Initial setting up of the plant (project)	Expansion of the existing plant

5. Does the Project Authority recommend that the list of goods is to be endorsed as "Project Imports, to avail of the benefit of concessional rate of duty under the heading No. 84.66 of Section XVI of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)"

Y	N

Signature ——————

Name ——————

(In Block letters)

Full Residential

Address ——————

——————

——————

List of Enclosures :——————

Station——————

Date——————

APPENDIX VIII-E

FORM OF APPLICATION FOR AD-HOC LICENCE FOR IMPORT OF CAPITAL GOODS, INSTRUMENTS, COMPONENTS AND SPARES REQUIRED BY THE EXPORTERS OF PRODUCTS APPEARING IN APPENDIX 12 OF THE IMPORT POLICY

1. Full name & address of the applicant . . . . . .

2. IEC Number . . . .

APPENDIX VIII-E (*Contd.*)

3. Nature of concern : . . . .

whether the concern is :

1 Public Limited Company	2 Private Limited Company
3 Properietory company	4 Hindu Undivided Family Firm
5 Body/Association of individuals	6 Others (please specify)

4. Names and residential address of Proprietor or Karta, as the case may be, Partners, Directors (attach extra sheet for more than five persons):—

5. Particulars of fees paid :

(i) Bank receipt/Demand Draft No. . . . . .

(ii) Date of issue . . . .

(iii) Amount (Rs.) . . . .

(iv) Branch of the Bank of issue . . . . . .

(v) c.i.f. Value in Rupees of the licence(s) applied for . . (both in words and figures)

(vi) Details of exports of products appearing in Appendix 12 of the Import Policy :—

S. No.	Description of the product exported	FOB value	country to which exported
1			
2			
3			
	Total	Rs.	

6. The amount of commission or discount paid or payable (at a later date by the exporters) to the foreign agents on the exports covered by the application :

In foreign exchange — In equivalent Rs.

7. List of export documents evidencing exports furnished :

(1) Invoice No. and date duly authenticated by the exporter

(2) Original Customs authenticated copy of shipping bill, No. and date . . . .

(3) Original Bank certificate number and date . . .

8. List of items sought to be imported against the licence applied for :

S. No.	Description of item	Item Code	Unit	Quantity	C.I.F. value (Rs.)	Country to which exported
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

DECLARATION :

I/We hereby declare as under :

(1) that no other application for import has been made or will be made in future during the current licensing year.

(2) that the statements made in this application are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

APPENDIX VIII-E (contd.)

(3) that if the licence is granted the goods will be utilised in my/our factory and no portion thereof will be sold or permitted to be used by any other party.

(4) that I/we fully understand that any licence granted to me/us on the basis of this application is liable to cancellation or being made ineffective in addition to any other penalty that the Government may impose or any other that may be taken having regard to the circumstances of the case, if it is found that any of these statements or facts stated therein are incorrect or false.

(5) that I/we have not been debarred from receiving the import licence under the Imports (Control) Order, 1955, as amended.

Signature ——————————

Name in Block letter ——————————

Designation ——————————

Residential address ——————————

Place ——————————

Date ——————————

Note : (1) The application be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

(2) Only one application will be made against exports during a licensing year.

APPENDIX IX

IMPORT OF CARS AND OTHER VEHICLES

Application form for all Categories

1. Name & full address of the applicant . . . . .
   (i) abroad; (a) official (b) residential
   (ii) In India :
2. Nationality . . . .
3. Designation/professional Status . . . . . .
4. Details of Branches in India with full address . . .
5. Purpose for which Car is needed in India . . . .
6. Make and Model of Vehicle
   (i) Engine No.
   (ii) Chasis No.
   (iii) Make
   (iv) Model
   (v) Accessories like A/C/Radio/Cassette player, if any
   (vi) cif value
7. Details of application fee paid . . . . . .
8. Purchases Receipt and proforma invoice Registration certificate
9. Proposed date of shipment . . . .
10. Country of Shipment . . . .
11. Port of disembarkation . . . .
12. In case car is already imported, please state whether the car/vehicle has been brought into India . . . . .
13. Under Tryptyque/carnet-D ? Passege
    If Yes, give :— . . . .
    (a) No. of carnet
    (b) Validity of carnet
    (photocopy enclosed)

APPENDIX IX (*contd.*)

14. Sources of payment if foreign exchange for purchase of the vehicle (attach documentary evidence in original wherever applicable) . . . .

15. Full particulars of Car/vehicle already imported of any by the applicant/wife/husband/dependent in the preceding five years (10 years in the case of foreign companies in India) or has been made in the current licensing year.

Make
Model
Engine No.
Chasis No.
CIF Value
Date of Import
CCP No.,& date

For categories A, B & C.

(a) purpose of visit abroad . . . .

(b) Duration of continuous stay . . . . . .

DECLARATION

I hereby declare that the above statement are true to the best of my knowledge and belief and I fully understand that any licence/CCP claimed or granted to me on the basis of the above statement is liable to cancellation. In addition to any other penalty that the Government may, impose or any other action that may be taken having regards to the circumstances of the case if it is found that any of the Statements or facts therein are incorrect or false.

Signature————————————

Name————————————
(In block letters)

(Full residential address)

Place————————————

Dated the————————————

Enclosures————————————

Applcation to be accompanied by T.R. for Rs. 500/- deposited with the authorised branches of Central Bank of India or Receipt for Rs. 500/- deposited with Indian Embassy abroad or Demand Draft drawn in favour of Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, as application fees for each vehicle.

Documents to be enclosed with the application :—

(Indian nationals & foreign nationals of Indian origin, returning for permanent settlement)

Category 'A'

(i) An affidavit in the prescribed proforma, duly notorised.

(ii) Passport (attested copy)

(iii) Purchase receipt in original; and

(iv) Book of registration abroad.

Category 'B' : Foreign nationals married to Indian nationals (in case of gifts).

(i) Confirmatory letter from the parent declaring the unsolicited nature of the gift (in original).

(ii) Photostat copy of the marriage certificate.

(iii) Banker's certificate regarding financial status of the donor (in original)

(iv) An affidavit on stamped paper sworn before a magistrate or Oath Commissioner of Notary Public both from the applicant and her husband, affirming that they are permanently settled in India and have not imported any other car previously.

(v) Photostat copy of passport of applicant and her husband showing the nationality at the time of their marriage. If husband has no passport he should give a declaration showings nationality.

Category 'C' : Foreign nationals employed in India in Public or Private Sectors.

(i) Employer's certificate showing the period of assignment in India (in original) :

(ii) Proforma Invoice of the car.

Self-employed foreign nationals :—

(i) State/Central Government certificate stating the nature of the applicants profession and reasons justifying import.

(ii) Declaration to meet full landed cost (i.e, including customs duty) in foreign exchange

(iii) Foreign banker's certificate showing applicant's financial status.

APPENDIX IX (*Contd.*)

Category 'C' : (cont.) Other foreign experts (under aid programmes) non-diplomatic home based staff.

(i) Certificate of assignment/employment from concerned government department/embassy with general particulars of work and likely tenure (in original).

Category 'D' : Branches/Offices of foreign Institutions (corporate or otherwise).

(i) Certificate from foreign principals to the effect that full landed cost of the car will be borne by them (in original).

(ii) Photostat copy of approval of Government or RBI for opening branch office in question, in India.

Category 'E' : Rupee companies having foreign collaboration.

(i) Certificate from foreign principals to the effect that full landed cost of the car will be borne by them.

(ii) Photostat copy of the technical collaboration agreements in terms of which foreign experts/technicians Directors are required to visit India from time to time.

(iii) Photostat copy of letter from the Government that agreement has been taken on record or has been filed with the RBI.

(iv) Photostat copy of approval of Government/RBI for the foreign collaboration.

Category 'F' : Accredited journalists/correspondents of foreign news agencies (applications are to be routed through Press Information Bureau).

(i) Letter from overseas employers that full landed cost of vehicle will be borne by them (English Translation to be attached).

Category 'G' : Import by Air Companies.

(i) The application should be routed through the Deptt. of Civil Aviation with their recommendation.

Category 'H' : Indian firms executing contracts abroad.

(i) Photostat copy of Letter of RBI/Govt. of India sanctioning the contract/Joint Venture.

(ii) Sanction of RBI conveying approval to purchase of car/cars abroad.

(iii) Certificate/documentary evidence to show that contract/job work abroad has been completed.

(iv) A certificate stating that the car(s) proposed to be imported has/have been used on the project site.

Category 'I' : Charitable and Missionary Institutions in India.

(i) Donor's letter in original.

(ii) Certificate from concerned Govt. authority to the effect that the institution is an established one, and has been functioning for the benefit of the community, irrespective of the consideration of caste, colour or creed.

(iii) Declaration that vehicle in question is a gift and no remittance in foreign exchange from India for the purpose is involved.

(iv) Photo copy of letter from the Ministry of Home Affairs regarding necessary clearance under the foreign contribution (Regulation) Act, 1976.

Category 'J' : Honorary Consuls of foreign Governments.

(i) The application should be routed through the Ministry of External Affairs with their recommendation.

Category 'K' : Import by Tourist Hotels/Travel Agents.

(i) The application should be routed through Director General of Tourism, New Delhi.

(ii) In case of Travel Agents, bank certificate evidencing the amount of net foreign exchange earned during the preceding licensing year on account of services rendered by them as Travel Agents.

ANNEX—I

FORM OF AFFIDAVIT

FORM OF AFFIDAVIT to be executed by Indian Nationals/Foreign Nationals of Indian origin coming to India for permanent settlement.

I (Name..), S/o ....
resident of ....
holding Indian/....................................Passport No..............................dated ....
do hereby declare and affirm as under :—

1. That I am a....................................Citizen of Indian origin.*

APPENDIX IX (*Contd.*)

2. That I have continuously been residing abroad since..................and since last two years I/my spouse have been employed as............................with..During this period
(Designation) (Name of employer)

I visited India on following occasions :—**

(i)

(ii)

(iii)

3. That I shall be returning to India for permanent settlement in...........(month/year) or I have already returned to India for permanent settlement on........................

4. That the vehicle proposed to be imported by me has been purchased on.. ....firm .... The payment for the car has been made out of my own/my spouse's earnings and the car will be registered in my name after its clearance.

DEPONENT.

Note : Strike out whatever is not applicable.

*Documentary evidence to your claim that you are Foreign National of Indian Origin should be furnished.

**The exact dates of arrival and departure should be given.

ANNEXE II TO APPENDIX IX

SPECIMEN BOND FORM TO BE EXECUTED BY IMPORTERS OF CARS ETC. AS PERSONAL BAGGAGE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that We (1) .... of .... (hereinafter called the importer which expression shall where the context so admits include his/their respective heirs, executors, administrators and legal representatives/successors and permitted assignees) and (2) .... of .... (hereinafter called the 'surety' which expression shall where the context so admits include his/their respective heirs, executors, administrators and legal representatives/successors and permitted assignees are held and firmly bound jointly and severally unto the President of India to pay to the President of India through the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports .... for the time being on demand and without demur the sum of Rs. .... for which payment will and trully to be made, we bind ourselves firmly by these presents).

Dated this the .... day of .... 19 ...... Whereas the Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports, Government of India.

(herein referred to as the said Joint/Dy. Chief Controller of Imports & Exports which expression shall include the person for the time being performing the duties of the Joint/Dy. Chief Controller of Imports & Exports ......) has permitted clearance of ......more fully described in the Schedule hereunder written, imported in India by the importer.

Now the condition of the above written bond are such that :—

1. If the said importer re-exports the car at the time of his leaving from this country or had taken prior permission of I.T.C. authority for leaving the car in India while proceeding abroad for a period exceeding six months.

and

2. If the said importer shall not sell, pledge, mortgage, hypothencate or part with the possession of the said car or otherwise dispost of the car, then the above written bond shall be void and of no effect otherwise the same shall be and remain in full force and virtue. And it is hereby fully agreed and declared between the parties as follows :—

(a) That the above written bond shall remain in full force and effect for the period of .... years from the date of importation of the said .... and shall be deemed to be renewed for such further period as the Joint/Dy. Chief Controller of Imports & Exports may require any time before the expiry of the said period;

(b) Any forebearance, act or omission on the part of the President of India to enforce the bond against the importer (whether with or without the knowledge or consent of the surety) shall not in any way release the said surety from his liability under the above written bond;

(c) That this bond is entered unto under the order of the Central Government for the performance of an act in which the Public are interested;

(d) The importer shall produce evidence that the car is in his possession and ownership whenever demanded by the Chief Controller of Imports and Exports or any licensing authority; and

(e) The importer shall not leave the car in India while going abroad except on short visits for which permission from the licensing authorities shall be obtained for leaving the car with the close relations;

(f) Any breach of terms and conditions of this bond will rendered the importer liable to penalties as provided under the Imports (Control) Order. 1955, as amended, over and above his liability for payment of the amount of the bond.

SCHEDULE OF GOODS FOR CLEARANCE

AS WITNESS THE hands of the parties the .... days of .... 19 ....

Signed by the above named importer in the presence of .... Signed by the above named surety, in the presence of ....
Accepted by ....
for and on behalf of the President of India.

APPENDIX X

APPLICATION FOR CCPs FOR IMPORT OF ARTICLES AS GIFTS

(Only one copy of the application is repuired)

1. Name and address of the applicant . . . . . . ______________________

____

2. Donor's Name . . . . ______________________

____

3. Nationality . . . . ______________________

(a) Address . . . . ______________________

____

(b) Occupation . . . . ______________________

4. Value of gift(s) received by the applicant & details of CCPs issued during current financial year : (also mention the pending application).

Sl. No.	CCP No.	CCP's Date	Item Name	Item Code	Unit of measurement	Qty.	CIF Value in Rs.
1.							
2.							
3.							

5. Registration No. under FERA, 1973.
Details of any other applications filed during current Licensing year :

Sl. No	Date of application	Item applied for	Qty. in Nos.	Value in Rs.	Purpose of gift	Office where applied	Reference No. of Application
(a)							
(b)							
(c)							

6. In the case of Institution, Trust, Association and Societies etc. Please state :

(i) Whether it is registered with any Govt. Authority If so, a properly authenticated copy of the registration/recognition certificate may be furnished. Y N

7. Is it for free distribution without consideration of caste, colour and race for is it only for use by the institution, trust etc.

Signature of applicantion ______________________

Full Name of applicant ______________________

Designation ______________________

Relationship ______________________

Full Residential Address ______________________

____

Place :______________________

Date :______________________

DOCUMENTS REQUIRED : Whether Enclosed Page No.

1.	Donor's letter (In original)	Yes/No
2.	Printed Catalogue/Pamphlets of Items and Proforma Invoice	Yes/No
3.	State/Central Govt. recommendation . . . (if CIF value of gift/donation exceeds Rs. 1 Lakh).	Yes/No
4.	Affidavit of the donor duly attested by a Judicial Authority or a Notary Public or Oath Commissioner or Indian High Commission/Embassy/Consulate or a Certificate from his employer that the gift is out of the foreign exchange earning of the donor, if the value of the gift(s) is more than Rs. 5000/-.	Yes/No
5.	Photocopy of Permission under Foreign Exchange Regulation Act, 1973 wherever required.	Yes/No
6.	In case registered with Authority, Photocopy of the registered letter should be enclosed.	Yes/No

APPENDIX XI-A

FORM-CG (NRI)

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF CAPITAL GOODS BY NON-RESIDENT INDIANS/PERSONS OF INDIAN ORIGIN RETURNING FROM ABROAD UNDER THE SPECIAL FACILITIES

(Seven Copies to be submitted)

1. PARTICULARS OF THE APPLICANT :

1·1 Name . . . . ____________ IEC ____________

1·2 Address in the country of Residence . . . . . ____________

____

____

____

1·3 Present Nationality . . . . ____________

1·4 Address in India, if any . . . . ____________

____

____

____________PIN____________

1·5 Postal address for correspondence . . . . . ____________

____

____

____

____________PIN____________

____

1·6 The approximate date by which proposed to return to India DD MM YY

2 NATURE OF THE PROPOSED CONCERN (1) Port of registration required or not.

2·1 Whether the concern is . . . .

1	Public Ltd. Co.	2	Pvt. Ltd. Co.	3	Proprietary Firm	4	Individual Firm
5	Hindu Undivided Family	6	Body/Associations of Individuals	7	Others— (Pl. Specify)		

2·2 In case of limited company details of capital structure (Rs. in Lakhs)

(a) Authorised . . . . ____________

____

(b) Issued . . . . ____________

____

(c) Subscribed . . . . ____________

____

APPENDIX XI A (*contd.*)

2·3 Name and address of the Proprietors/Partners/Directors ;

(Attach extra sheet for more than five persons)

Sl. No.	Name of the person (30 char)	Non-Resident N / Resident Indian R	Address
		N | R	
		N | R	

Whether extra sheet attached . . . . Y N

3. PARTICULARS OF THE PROPOSED INDUSTRIAL UNIT :

3·1 Name and location of the proposed unit :

(i) Name . . . . ____________

(ii) Location . . . . ____________

(a) Place . . . . ____________

(b) District . . . . ____________

(c) State . . . . ____________

3·2 (i) Have you applied to the appropriate authority for the registration of the unit ? . . . . Y N

(ii) If yes, to whom applied . . . . ____________

(iii) If not, when do you propose to do so. . . . ____________

3·3 Proposed item of manufacture and annual Capacity :

Sl. No.	Item Name	Proposed capacity		
		Unit of measurement	Quantity	Value (Rs. Lakhs)
1				
2				
3				

APPENDIX XI-A (*Contd.*)

3·4 Estimated requirement of Imported raw materials and Components per annum :

Sl. No.	Year	Item Name	Item Code	Unit of Measurement	Quantity	Value (inRs.)
1						
2						
3						
4						
5						

3·5 Phased manufacturing programme for Import substitution :
(Furnish details for 5 years)

Sl. No.	Year	Item of manufacture	Annual production			Percentage of c.i.f. value of imported content (i.e. total of all imported raw material & components)
			Unit of manufacture	Quantity	Ex-factory value (Rs. lakhs)	
1						
2						
3						
4						
5						

3·6 Whether the articles proposed to be manufactured can be exported? Y N

If yes.

Can you undertake export obligation? . . . . . Y N

If yes,

(i) Percentage of production that you can export . .

(ii) What percentage of value of production that you under take to export? . . . .

3·7 Staff and labour proposed to be employed in the unit? . .

(a) Managerial . . . .

(b) Supervisory :

(i) Technical . . . .

(ii) Non-Technical . . . .

(c) Clerical . . . .

(d) Labour . . . .

(i) Skilled . . . .

(ii) Semi-Skilled . . . .

(iii) Unskilled . . . .

Total . . . .

APPENDIX XI-A (*Contd.*)

4. INVESTMENT :

4·1 Total proposed investment (in land, building and machinery) in Rs. . . . .

(i) Land and building . . . . Rs. ——————

(ii) Machinery . . . . Rs. ——————

Total . . . . Rs. ——————

4·2 Non-Resident Indian Investment in the form of : . . .

(i) Financing the import of Capital goods . . . . . Rs. ——————

(ii) Cash remittances . . . . Rs. ——————

Total . . . . Rs. ——————

5 DETAILS OF CAPITAL GOODS APPLIED FOR :

5·1

Sl. No.	Item Name	Item Code	Unit of Measurement	Quantity	FOB value (in Rs.)	Country of origin	
						Name	Code

Total F.O.B. Value . . . . Rs. ——————

5·2 Value of initial Spares (FOB) . . . . Rs. ——————

5·3 Estimated freight . . . . Rs. ——————

5·4 Total Insurance . . . . Rs. ——————

5·5 (i) Total C.I.F. Value . . . . Rs. ——————
(5·1+5·2+5·3+5·4)

(ii) In Foreign Exchange . . . . Currency Name —————— Amount ——————

(iii) Rates of exchange and conversion of Rupees into foreign exchange . . . . —————— F.E. —————— Rs.

5·6 Condition of machinery whether new/Second hand or reconditioned? . . . . [1] New [2] Second hand [3] Reconditioned

5·7 Whether any further import of capital goods are envisaged for the project in addition to the item covered in the present application . . . . [Y] [N]

6. SPECIFIC INFORMATION FOR USE ON IMPORT LICENCE(S TO BE ISSUED

6·1 Port of registration for clearance of goods . . . . : Name —————— Code [ ][ ]

6·2 Validity period required for the import licence (months). . —————— Code [ ][ ]

6·3 Endorsement to avail concessional Rate of duty as "PROJECT IMPORTS" required . . . . ——————

7. PARTICULARS OF FEES PAID :

(i) Bank receipt/Demand Draft No.——————

(ii) Date of issue—————— DD MM YY

(iii) Amount Rs.——————

(iv) Branch of Issue——————

APPENDIX XI-A (*Contd.*)

8. DOCUMENTS TO BE ENCLOSED :

Document	Whether Enclosed		Page No.
1. Bank Receipt/Demand Draft in original	Y	N	
2. Seven copies of the detailed list of capital goods with a break up of the individual c.i.f. value of each major item.	Y	N	
3. The attested or photostat copy of the performa invoice/ other documentary evidence in quadruplicate in support of value of goods showing separately in the amount(s) of (i) freight, (ii) insurance included in the c.i.f. value(s).	Y	N	
4. Copies of literature/Pamphlets/Specifications giving complete details of goods to be imported.	Y	N	
5. If second hand/reconditioned machinery is to be imported, a certificate certifying machinery's age, present condition, original and present condition, original probable unexpired life from the chartered engineer.	Y	N	
6. If the proposed item of manufacture required foreign collaboration :	Y	N	
(i) Documentary evidence showing Government approval for foreign collaboration if already obtained.			
(ii) Application for Foreign Collaboration. . . .	Y	N	
7. Attested/photostat copy of Letter of Intent/Industrial Licence/ Registration Certificate.	Y	N	
8. Original copy of the Certificate from Indian Embassy certifying that the person is a Non-resident Indian.	Y	N	

DECLARATIONS

1. I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.
2. I/We hereby declare that the goods of imports of which the application has been made shall be used only for the manufacture of———————————— (Name of the end products)
3. I/We declare that neither of the foreign exchange earning brought in the form of plant and machinery, raw materials/components or otherwise invested would be repatriated out of the country.
4. I/We shall get the unit registered with the concerned authorities within one year from the date of issue of CCP.
5. I/We shall not sell the imported machinery for a period of five years.
6. The machinery shall be used in the industrial unit proposed to be set up and for the purpose for which the Import is allowed.
7. I/We shall return to India for permanent settlement within a period of————————————
8. I/We have not been debarred from receiving the Import Licence under the Imports (Control) Order, 1955.

(Strike out whichever is not relevant)

Signature ————————

Name ————————

Designation ————————

Full Residential Address ————————

————————

————————

Place :

Date :

APPENDIX XI-A (*Concld.*)

PARTICULARS OF LICENCE APPLIED FOR :

(To be filled by the licence issuing office)

(i) Sector Type . . . . Name ________________ Code [ ]

(ii) Category of Importer . . . . Name ________________ Code [ ]

(iii) Category of Licence . . . . Name ________________ Code [ ]

(iv) Type of Settlement . . . . Name ________________ Code [ ]

(v) Type of Resources . . . . Name ________________ Code

(vi) Currency Area . . . . [1] General [2] Specific

(vii) Category of Import Commodity . . . . . . Name ________________ Code [ ]

(viii) Citizenship Status . . . . [1] Indian [2] Non-resident Indian

APPENDIX XII

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF DESIGNS AND DRAWINGS

FORM—L

1. Name of the applicant/Company : ________________

2. IBC :________________

3. Address of the applicant/Company : ________________

____

____

PIN ________________

4. Line of Manufacture for which the Drawings are required

(i) (a) Existing business/Items of manufacture : ________________

____

(b) Industries (Development and Regulations) Act, Licence if any

No. ________________ Date ________________

(ii) Is/are the item/items mentioned above being manufactured with foreign collaboration.

[Y] [N]

APPENDIX XII (*Contd.*)

If so, please give particulars of each collaboration :

Name of collaborator	Nature of Collaboration
1.	1 Technical 2 Financial
2.	1 Technical 2 Financial
3.	1 Technical 2 Financial
4.	1 Technical 2 Financial
5.	1 Technical 2 Financial
6.	1 Technical 2 Financial

(iii) (a) Has any industrial licence/letter of intent been obtained for the manufacturing programme for which designs and drawings are to be imported? Y N

If the item is covered by the Industries (Development & Regulation) Act, please quote reference :
No. ———— Date ————
OR

(b) If registered with the DGTD, please quote reference :
No. ———— Date ————
OR

(c) Whether the proposed manufacturing programme would be in the small scale sector? Y N

If yes, please quote registration number

No. ———— Date ————

(iv) (a) Purpose and full justification for which imports of designs and documentation is required :

PURPOSE :————

JUSTIFICATION : ————

(b) Please indicate specific details of the machinery proposed to be fabricated

————

(c) Please indicate whether the machinery proposed to be fabricated on the basis of these designs & drawings is for 1 Captive use 2 Production for sale

(d) (i) If the machinery to be fabricated is for captive use, please indicate the CIF cost of the same machinery, if it were to be imported : Rs. ————

(ii) What is the import content of the equipment to be fabricated indigenously with the help of the imported designs and drawings? Rs. ————

(iii) What will be the cif value of the equipment fabricated indigenously with the help of imported designs and drawings? Rs. ————

(iv) What will be the value of the equipment if it were fully imported? Rs. ————

APPENDIX XII (*contd.*)

3. Estimated value of annual production :—

Year of Production	Quantity	Ex-factory value (Rs. in lakhs)	Ex-factory value after deducting landed cost of imported components, if any
1st year			
2nd year			
3rd year			
4th year			
5th year			

4. Location of Factory :
Tehsil : ——————— Distt : ——————— State : ———————

5. Additional investment to be made on :
(i) Land ——————— (ii) Building ———————
(iii) Machinery Rs. ———————
(a) Imported Rs. ——————— (b) Indigenous Rs. ———————

6. Details of phased manufacturing programme i.e. the import content and indigenous content of raw materials and components which will go into the production.

Year	Import Content	Indigenous content
1st year		
2nd year		
3rd year		
4th year		
5th year		

7. Name and address of the Foreign Supplier from whom the Indian Company proposes to obtain-design & drawings :

Name : ———————

Complete Address : ———————

———————

———————

———————

8. Terms for the purchase of Designs and Drawings :
(i) Designs and documentation/know-how fees — In Rs. ——— In foreign currency ———

(ii) Please indicate whether the amount payable and indicated against (i) above represents NET amount payable to the supplier or is inclusive of taxes and hence payable after deduction of taxes — Yes / No

9. What are the specific services to be rendered by the Foreign party in addition to supply of Designs and Drawings in pursuance of agreement?
———————
———————

10. Please indicate if the foreign supplier is aggreable to the technical know-how product design/engineering design being also available to other Indian parties should it become necessary on terms and conditions as mutually agreeable to all parties concerned including the foreign supplier and subject to the approval of the Government. — Y / N

APPENDIX XII (*contd.*)

11. Has the applicant imported designs and drawings earlier? | Y | N |

If yes, details of Designs and Drawings so imported and No. and date of relevant approval letters.

(a) CIF value of the Designs and Drawings: Rs. ——————

(b) No. of approval letter : ——————

(c) Date of approval letter : ——————

12. What steps does the applicant propose to take for research and development in respect of the technology involved & give brief details.

——————

——————

——————

——————

——————

DECLARATION

(i) I/We hereby declare that all the statements furnished above are true to the best of my knowledge and belief.
(ii) I/We have not been debarred from receiving the import licence under the Imports (Control) Order, 1955.

Signature of Applicant Party——————

Designation ——————

Full Residential Address ——————

Place : ——————

Date : ——————

PARTICULARS OF LICENCE APPLIED FOR

(To be filled by licence issuing office)

(i) Sector Type : Name ——————Code : [|]

(ii) Category of Importer Name ——————Code : [|]

(iii) Category of Licence Name ——————Code : [|]

(iv) Type of Settlement Name ——————Code : [|]

(v) Type of Resources: Name ——————Code: [|]

(vi) Currency Area :

[1] General [2] Specific

(vii) Category of Import Commodity : Name ——————Code: [|]

(viii) Citizenship Status

[1] Indian [2] Non resident Indian

APPENDIX XIII—A

APPLICATION FOR STOCK AND SALE

PART A

Licensing period

IEC :

1. Name & address of the applicant . . . . . .
2. Name of Directors, partners/proprietors or Karta as the case may be . . . .
3. Names of Branches . . . .
4. Date of establishment . . . .
5. Nature of Busniess . . . .
6. Registration No. (Copy of Regn. certificate enclosed) . .
7. CIF Value of licence applied for . . . . .
8. Particulars of fees paid . . . .
9. Particulars of goods to be imported . . . . . .

S. No.	Description of goods	Quantity	Cif value of goods
1	2	3	4

PART B

I. For import of Books

(a) Purchase turnover during the preceding financial year (enclose) certificate of Chartered/Cost Accountant who is not a partner, a Director or an employee of the applicant firm or its associates.)

(b) Certificate from the Chartered Accountant/Cost Accountant who is not a partner/director/or employee of the applicant firm or its associates giving purchase turnover including journal, periodicals, technical and non-technical books published by the dealer and actually sold by them during the preceding year with registration number of Chartered Accountant.

PART C

II. For import of Dry Fruits and Spices.

(a) Original bill of Entries.

(b) A certificate from Chartered Accountant or Cost Accountant who is not a partner, Director or an empoyee of the applicant firm or its associates indicating the cif value of imports in respect of dry fruits. Cashew nuts and dates made by the applicant in his own name during any of the financial years from 1972-73 to preceding licensing year of the period to which the application relates.

(c) Statement of imports giving the numbers and dates of bills of Entry and the name of customs house of clearance accompanied by original bills of entry.

(d) In the absence of original bill(s) of entry, collateral evidence to establish its loss, to the satisfaction of the licensing authority.

PART D

III. For import of machinery/equipment manufacture.

(a) Details of the machinery/instrument imported by the applicant or through him during the prescribed period as an Indian Agent or foreign machinery/instrument manufacturers.

(b) Where shipment is to be effected from a country different from the country in which the given goods originated, full Statement of reasons for the same should be given.

APPENDIX XIII-A (*contd.*)

PART E

IV. **For import of Ammunition.**

(a) Fire Arm Dealers Licence No. date and validity.

(b) Issuing authority of fire arms, Dealers licence.

(c) Past three years sales turn over of ammunition (Indigenous & Imported) attach Chartered Accountant certificate as per Policy.

DECLARATION

I/We hereby declare that the above Statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statements furnished is liable to cancellation in addition to any other penalty that the Government may impose having regard to the circumstances of the Case, if it is found that any statement of facts therein are incorrect or false

I/We have not been debarred from receiving the import licence under the Imports (Control) Order, 1955.

Signature :

Name in block letters :..................

....

APPENDIX XIII B

FORM OF QUARTERLY RETURN BY BOOK SELLERS IMPORTING BOOKS UNDER OGL TO THE REGIONAL LICENSING AUTHORITY WITHIN WHOSE JURISDICTION THE IMPORTER IS LOCATED.

1. Full name and address of the Book-Seller (Registered office)
2. IEC Number :
3. Details of Books imported :—

Quarter of the licensing year i.e. April—June and onwards.	Licensing year	Particulars of books imported						Country of origin
		Technical			Non-technical			
		Title of the Books	Quantity in number	Value in c.i.f. (Rs.)	Title of the Books	Quantity in number	Value in c.i.f. (Rs.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Total Value :

Technical Rs :

Non-Technical Rs. :

Grand Total Rs. :

4 Signature of the Importer—Book-seller :

DECLARATION

I/We hereby declare that the above mentioned details of imports have been duly verified from the documents of imports and are true and correct and that nothing has been concealed/suppressed.

Signature of the Importer—Book-seller....

Note :— This return has to reach the regional licensing authority within whose jurisdiction the importer—book-seller is located, within 30 days from the end of the quarter in which the books are imported. Failure to send the return within the stipulated period is liable to cancellation of the Importer—Exporter Code Number and other action that may be taken under the Import (Control) Law, Rules, and Regulations.

APPENDIX XV-A

LIST OF REGISTERING AUTHORITIES

Sl. No	Export Product	Name of the Registering Authority	Address of the main office of the Registering Authority	Name of the Regional Offices, if any, of the Registering Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Engineering goods : Stainless Steel products, mica, Fabricated Mica, Mica based Products, mica powder, mica scrap, processed mica, and Construction Services.	Engineering Export Promotion Council	World Trade Centre, 14/1-B, Ezra Street (3rd Floor), Calcutta-700 001.	1. Commerce Centre (2nd Floor), Tardeo Road, Bombay-400034. 2. Kannammai Building (1st Floor) 612, Annasalai, Madras. 3 Surya Kiran, 4th Floor, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.
2.	Electronic goods, including blank/ unrecorded audio/video Cassettes/ Cartridges, pre-recorded audio/ video Cassettes/Cartridges, Computer soft-ware and related services.	The Electronics and Computer Software Export Promotion Council.	Room No. 109, Lodhi Hotel, New Delhi-110 003.	
3.	Chemicals and Allied Products, namely, Glass and Glassware, Ceramics, Paints, Rubber Products including tyres and tubes, paper and paper products, including books, journals and periodicals, Safety matches, Fire-works and explosives, Cements, asbestos and Cement products, Wood Products, Marble Chips, Polyester chips, Adhesive Shallac Compound, all minerals excluding diamonds and mica-fabricated mica and mica based products but including processed minerals, atomic minerals, granite in all forms covered under Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and the Indian Trade Classification based on harmonised system; salt, aluminium (other than products) Alumina (all forms).	Chemicals and Allied Products Export Promotion Council.	14/1B, Ezra Street, 2nd Floor, Calcutta-700 001	1. Rasheed Mansion, 622, Anna Road, Madras-600 006. 2. D/17, Commerce Centre, Tardeo Road, Bombay-400 034. 3. Lakshmi Niwas, 8, Shaheed Bhagat Singh Marg, New Delhi-110 001.
4.	Basic Chemicals, namely, Drugs, Pharmaceuticals and Fine Chemicals, Dyes, Intermediates, Alcohol and Coal Tar Chemicals, Organic Chemicals, Agro Chemicals, Glycerine, Soaps, Detergents, Cosmetics & Toiletries, Processed Talc, Agarbatti, Essential Oils, Dehydrated Culture media and Crude Drugs.	Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmatics Export Promotion Council.	Jhansi Castle (4th Floor), 7, Cooperage Road, Bombay-400 001.	1. 23/1 & 2, 6th Main Road, 3rd Cross, Gandhi Nagar, Bangalore-560 009. 2. Kankaria Estate, 9th Floor 6, Little Russel Street, Calcutta-700 071.
5.	Plastics, Toys, Polyester Film & Allied Products, Human Hair & Human Hair Products.	Plastics and Linoleum Export Promotion Council.	Tulsiani Chambers, 6th Floor Plot No. 212, Block III, 612 & 615, Backbay Reclamation, Nariman Point, Bombay-400 021.	1. Sire Mansion, 123, Mount Road, Madras-600 006. 2. 14/1-B, Ezra Street, Calcutta-700 001.
6.	Finished leather and leather goods, chrome tanned blue hides & skins, chrome-tanned hides and skins,, chrome tanned crust leather, E.I. tanned hides & skins and E.I. crust leather.	Council for Leather Exports.	Leather Centre, 53, Sydenhams Road, Periamet, Madras-600 003.	1. 15/46, Civil Lines, Post Box No. 198, Kanpur-208001. 2. 220, Niranjab, 2nd Floor, 99, Subhash Road, Bombay-400 002.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. Motijug House, Aukland Place, Ground Floor, Calcutta-700 017. 4. 6-G-6H, Gopala Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008.
7.	Sports Goods	Sports Goods Export Promotion Council.	1E/6, Jhandewalan Extension, New Delhi-110001.	
8.	Fish, Fish meal and Fish Products	The Marine Products Export Development Authority.	Collis Estate, M.G. Road, 3B, No. 1708, Cochin-682 016.	1. 6th Floor, Regent Chambers, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Bombay-400021. 2. 4/B, Maruthi Building 4th Floor, 12, Loudon St., Calcutta-700 017. 3. Seafood Exporters Association of India Building, Near Perumanoor Jetty Willingdon Islands, Cochin-682003. 4. Indian Chamber Building Esplanade, Madras-600001. **Sub-Regional Offices** 1. Adenwala Building, Subhash Road, Veraval-362 265 (Gujarat). 2. Opposite Central Market, Bright Shop Building Mangalore-575 001. 3. Mira Floors, 1st Floor, Near Gomanta, St. INEX Panaji-403 001, Goa. 4. No. 15-13-3, Krishnanagar, Visakhapatnam-530 002 5. Thiruvarul, 24-Chadambaram Nagar, 2nd Street, Tuticorin-628 008. 6. Jubilee Building, 1st Floor Chinnakada, Quilon-691 001. 7. Jayadev Nagar, Lewis Rd. Bhubaneswar-751 002. **Trade Promotion Office** 101, Nirmal Tower, Barakhamba Road, New Delhi-110001.
9.	Processed Foods	Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority.	105, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110 001.	—
10.	Animal/Poultry food compound, mango kernel oil, salseed oil, rice bran extraction, and other items of extractions not mentioned elsewhere, Kokum fat, Dhupa fat and neem oil.	The Solvent Extractors Association of India.	142, Jolly Maker Chamber No. 2, 14th Floor, 225, Nariman Point, Bombay-400021.	
11.	Groundnut extraction	The Groundnut Extractions Export Development Association.	142, Mittal Tower A Wing, 14th Floor, Nariman Point, Bombay-400021.	—
12.	Soyabean Extraction/meal	Soyabean Processors Association of India.	Indore	—
13.	Cottonseed Extraction	All India Cottonseed Crushers Association.	Bombay.	

APPENDIX XV-A (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Curry powder & paste spices, oils & Oleoresins, Spices whole or ground in consumer packs of 1kg. or less under brand names and spices whole or ground in bulk.	Spices Board.	K.C. Avenue, St. Vincent Cross Road, P.B. No. 1909, Ernakulam, Cochin-682018.	
15.	Handicrafts	Export Promotion Council for Handicrafts.	6, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110 057.	
16.	Handmade/Woollen carpets, rugs, duries, druggets and Namdhas including handmade silk carpets.	Carpet Export Promotion Council.	F-22/4, Shama Market, Noida, Distt. Ghaziabad (U.P.)	Kaleen Bhawan, (1st Floor), Maryad patti, Bhadohi, Distt. Varanasi (U.P.) **Working Office** B-2/21, Shopping Complex, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.
17.	Cashew Kernels	Cashew Export Promotion Council.	World Trade Center Mahatma Gandhi Road, Ernakulam-6.	
18.	Tobacco and Tobacco Products	Tobacco Board.	Guntur, Andhra Pradesh.	
19.	Woollen textiles, hosiery, knitwear, mixed fabrics and Machine made Woollen Carpets, Rugs & Druggets, Flax yarn and Flax Products.	Wool & Woollen Export Promotion Council.	714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110 001.	1. Churchgate Chamber, 7th Floor, 5, New Marine Lines, Bombay-400 020. 3. 714/3, Gurdev Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana.
20.	Coir	Coir Board	Box No. 1752, Ernakulam (Kerala).	
21.	Cotton textiles	Cotton Textiles Export Promotion Council.	Engineering Centre, 5th Floor 9, Mathew Road, Bombay-400 004.	
22.	Readymade garments excluding woolen knitwear and garments of leather, silk, jute and hemp.	Apparels Export Promotion Council.	Sahyog Building 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi-110 019.	Textile Centre, 1st Floor, Poona Street, P.D. Mallow Road, Bombay-400009.
23.	All natural silk fabrics, made-ups, garments and machine-made carpets.	The Indian Silk Export Promotion council.	62, Mital Chamber, Nariman Point, Bomaby-400 021.	
24.	Gem and Jewellery	Gem and Jewellery Export Promotion Council.	D/15, Commerce Centre, 4th Floor, Tardeo Roa, Bombay-400 034.	1. Rajasthan Chamber Bhawan Mirza small Road, Jaipur-302 003. 2. High Tower, Nugambuakuam High Road, Jaganathan Street, Madras-400034. 3. Nirmal Tower, 10th Floor 26, Barakhamba Road, New Delhi-110 001.
25.	Cinematographic film (exposed) Feature Film, Documentaries, Advertising Films, News Films and T. V. Films.	National Film Development Corporation.	Bombay	
26.	Natural Fibre products (other than Coir products).	(i) Jute Commissioner, Calcutta, for the exporters situated at West Bengal, Bihar, Orissa, Sikkim and Assam.	Calcutta	
		(ii) Jute Manufactures Development Council, New Delhi, for exporters situated at Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Union Territories of Delhi and Chandigarh.	New Delhi	

APPENDIX XV-A (contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(iii) Jute Manufactures Development Council, Hyderabad, for exporters situated at Andhra Pradesh, Maharashtra and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.	Hyderabad	
		(iv) Jute Manufactures Development Council, Madras for exporters situated at Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Union Territory of Pondicherry.	Madras	
27.	Non-Cellulosic Products	The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council.	Resham Bhawan, 78, Veer Nariman Road, Bombay-400 020.	1. Block No. 3/E, Resham Bhawan, Lal Darwaja, Surat. 2. 33, Hukam Singh Road, Amritsar.
28.	Cellulosic Products . . .	The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council.	Resham Bhawan, 78, Veer Nariman Road, Bombay-400 020.	1. Block No. 3/E, Resham Bhawan, Lal Darwaja, Surat. 2. 33, Hukam Singh Road, Amritsar.
29.	Blended products from mixtures of cotton/cellulosic fibre or yarn, Nylon/Polyester fibre or yarn.	The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council.	Resham Bhawan 78, Veer Nariman Road, Bombay-400 020.	1. Block No. 3/E, Resham Bhawan. Lal Darwaja, Surat. 2. 33, Hukam Singh Road, Amritsar.
30.	Vanaspati	Director of Vanaspati	Directorate of Vanaspati, Vegetable oils and Fats, Ministry of Food & Civil Supplies, New Delhi.	
31.	Khadi i. e. any cloth woven on Handlooms in India from Cotton Silk Woollen yarn Handspun in India or from a mixture of any two or all of such Yarns (including Readymade garments and other articles made of Khadi.	Khadi and Village Industries Commission.	Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Bombay-400 056.	
32.	Phototype set Films and Micro Films.	Chemicals and Allied, Products Export Promotion Council.	14/1-B, Ezra Street, 2nd Floor, Calcutta-1.	
33.	Lac in all its forms . . .	Shellac Export Promotion Council.	Calcutta	
34.	Acrylic Knitwear . . .	Wool and Woollen Export Promotion Council	714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi.	1. Churchgate Chamber, 7th Floor, New Marine Lines, Bombay-400020. 2. 714/3, Gurdev Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana.
			OR	
		The Synthetic & Rayon Textile Export Promotion Council.	Resham Bhawan, 78, Veer Nariman Road, Bombay-400020.	1. Block No. 3/E, Resham Bhawan, Lal Darwaja, Surat. 2. 33, Hukam Singh Road, Amritsar.
35.	Tea	Tea Board	14, Biplabi Trailokya, Maharaj Sarani, (Brabourne Road), Calcutta-700001.	
36.	Coffee	Coffee Board	No. 1, Dr. Ambedkar Veedhi, Bangalore-560001.	

APPENDIX XV-A (*contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.	Cardamom	Spices Board	K. C. Avenue, St. Vincent Cross Road, Post Box No. 1909, Ernakulam, Cochin-682018.	
38.	Overseas Construction & Civil Engineering Projects.	Overseas Construction Council of India.	Commerce Centre, 7th Floor, J. Dadaji Road, Tardeo, Bombay-400034.	
39.	Handloom Products, covered by Sl. No. 19,21 & 29 above and Jute Cotton Blended Handloom Fabrics.	Handloom Export Promotion Council	Rasheed Mansion, 622, Anna Salai, Post Box No. 461, Madras-600006.	XVI/784-785, D.B Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.
40.	Items for which no Registering Authority is prescribed.	Export Promotion Officers	Bombay, Madras and Calcutta (For Western, Southern and Eastern Zones, respectively); and Joint CCI & E (CLA), New Delhi (For Nothern Zone).	
41.	Exporters of all items (excluding Gem and Jewellery items) from the following States/Union Territories : (i) Andaman & Nicobar Islands, (ii) Arunachal Pradesh (iii) Lakshadweep; (iv) Manipur (v) Mizoram (vi) Nagaland (vii) Tripura (viii) Jammu & Kashmir (ix) Goa (x) Meghalaya (xi) Daman & Diu.	The State Director of Industries or any other officer nominated in this behalf by the State/Union Territories Government concerned.		
42.	Export Houses/Trading Houses/ Star Trading Houses.	The Federation of Indian Export Organisations (FIEO).	PHD House, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi	
43.	Exporters of more than one export product group whose total fob value of exports is upto Rs. 10 lakhs.	(i) The concerned Export Promotion Council/Commodity Board related to main line of export business; and		
		(ii) Export Promotion Officers	Bombay, Madras and Calcutta (For Western, Southern and Eastern Zones respectively) and Jt. CCI & E (CLA), New Delhi. (For the Northern Zone).	
44.	Exporters of more than one export product group, whose total fob value of export is more than Rs. 10 lakhs.	(i) The concerned Export Promotion Council/Commodity Board related to main line of export business; and		
		(ii) The Federation of Indian Export Organisations (FIEO).	PHD House, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi.	
45.	Units situated in Free Trade Zones/ Export Processing Zones.	Development Commissioner of the concerned Zone.		
46.	Public Sector Undertakings, State Owned or Controlled Corporations Statutory Bodies set up by Government and Government Department	Concerned Export Promotion Council/Commodity Board.		
		OR		
		The Federation of Indian Export Organisations.	PHL use, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi.	

NOTE : (i) The registration of the Public Sector Undertakings etc. with FIEO will be valid for only those products which are indicated in RCMC.

APPENDIX XV-B

ANNEXE-I

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION

(Other than for registration of Civil Engineering and construction firms)

To

____

____

____

(Concerned Export Promotion Council)

Dear Sir.

Subject :—Registration under the Import Policy for Registered Exporters.

Kindly register us under the above policy as manufacturer exporters/merchant exporters of Product Group/ commodities mentioned against S. No. 7 below.

1. (a) Name and address (with telegraphic address and telephone No.) of the registered office, head office and branches.

   (b) Whether proprietory/Partnership concern or Private/Public Limited Company or Cooperative Marketing Society etc. (Names of Proprietor/ Partners/Directors/Managing Directors should be furnished with their permanent address).

   (c) Names of the associate firm for whom the applicants act as agent in export business.

2. (i) Name and address of the applicant's banker.

   (ii) Attach banker's certificate certifying financial position.

3. (i) Date of establishment of business/factory in India.

   (ii) Date of commencement of export business.

4. Whether licensed under the Industries (Development and Regulation) Act, registered with DGTD/State Director of Industries or any other sponsoring authority. If so, indicate number and date of licence/ registration certificate.

5. Details of past exports during the last three years, if any (products for which registration is sought and other products not covered by the scheme should be indicated).

Year	Description	Value	Major Countries to which exported
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			

6. Where there is no export, attach a statement of internal sales turnover (as in table under S. No. 5 above) for last three financial years of the items desired to be exported, duly attested by the Chartered Accountant should be submitted.

7. Export products in respect of which registration is sought (mention here Serial Nos. of the products given in Import Policy).

8. If merchant exporter, please indicate the arrangements made with manufacturers whose products are to be exported.

9. If registered with any other Export Promotion Council/Commodity Board, give name of the registering authority and registration number and also the export product for which registered.

10. We hereby solemnly declare the above stated information to be true and correct and undertake without any reservation to :

    (i) Abide by the terms of the registration certificate granted to us on all our exports.

    (ii) Use the import licences for the purpose for which they are issued and undertake to abide by the terms and conditions under which they are issued.

    (iii) Agree to abide by any code of conduct that may be prescribed by the Registering Authority.

    (iv) Agree to abide by export floor price condition that may be stipulated by the Registering Authority, and

    (v) Furnish without fail quarterly returns of exports including nil returns to the Registering Authority by 15th day of the month following the quarter.

11. We further understand that our registration is liable to be cancelled in the event of breach of any of the undertaking mentioned above.

Yours faithfully

Name in Block Letters ....

Designation ....

Full Address :

(i) Official ....

(ii) Residential ....

Place ....

Date ....

ANNEXE-II

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION FIRMS

To

The Regional Officer,
Overseas Construction Council of India,
Commerce Centre,
7th floor, J. Dadaji Road, Tardeo,
Bombay-400034.

Dear Sir,

Subject : Registration under the Import Policy for Registered Exporters.

APPENDIX XV-B—(*Contd.*)

Kindly register us under the above Policy as Civil Engineers/Construction firm. Out line of specialisation includes :

1. Name and address (with telegraphic address and telephone No.) of registered office, head office and branches.
2. The year of starting business.
3. Whether Proprietory/Partnership concern or Private/Public Limited Company or Co-operative Marketing Society, etc.
4. Name of Proprietor/Partners/Directors/Managing Directors together with their permanent residential address . . . . . .
5. Names of associate firms for whom the applicants act as agent in export business. . . . . .
6. Capital structure of the firm (authorised, issued, subscribed and paid up capital). . . . . .
7. Name and address of applicant's bankers (a certificate from the applicants bankers certifying the financial position should be attached).
8. Value of Civil Engineering/Construction work done during the last 5 years (details of work value etc. to be shown separately for each year. Break up of work done within and outside India to be shown separately). . . . . . .
9. Broad details of the major construction jobs carried out during the last 5 years to be shown separately for (a) Barrages and dams, (b) Power Houses (Thermal & Hydel), (c) Industrial structures other than (b) above, (d) Roads and bridges, (e) Tunnels; (f) Docks & Harbours; (g) Sewerage & Water Supply Systems; (h) Multi-storey buildings and townships; (i) structural steel fabrication and erection jobs.

Year	Name of Work	Value of the work	Name & address of the client for whom work was executed
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

10. Whether the firm is also registered as manufacturing unit for any engg. product. If so, number and date of Licensing/Registration Certificate with the sponsoring authority DG.T.D. D.I., Text. Comr., etc. to be indicated).

11. Details of Technical & Managerial personnel employed by the company (A statement giving details in the following proforma to be attached).

Sl. No.	Name of the Officer	Age	Qualification	Experience
1	2	3	4	5
1.				
2.				

12. List of Plant and Machinery owned by the firm (A statement giving the particulars of the machinery, date of its purchase and present book value to be submitted). . . .
13. Details of Commitment/projection for handling export jobs for the succeeding three years . . .

Year	Nature of Jobs to be undertaken	Value
1	2	3
1.		
2.		

14. Details of membership of recognised trade bodies/Industrial Association.

We hereby solemnly declare the above stated information to be true and correct and undertake without any reservation to :

(a) abide by the terms of the registration certificate granted to us on all our exports ;

(b) use the import licences for the purpose for which they are issued and under the terms and conditions under which they are issued ;

(c) agree to abide by any code of conduct that may be prescribed by the registering authority ;

(d) agree to abide by any export floor price condition that may be stipulated by the registering authority;

(e) furnish without fail quarterly returns of exports including nil returns to the registering authority by the 15th day of the month following the quarter.

We further understand that our registration is liable to be cancelled in the event of breach of any of the undertakings mentioned above.

Yours faithfully

Full Name in Block Letters ......

Designation ....

Official Address ....

Residential Address ....

....

....

....

....

Place ....

Date ....

APPENDIX XV-C

FORM OF REGISTRATION-CUM-MEMBERSHIP CERTIFICATE

PART I

(To be filled in by the applicant)

1. Name of Applicant.
2. Whether Head Office/Registered Office/Branch Office.
3. If Head Office, give names of Branches and Registered Office with address.
4. Address of applicant :
   (i) Postal address.
   (ii) Telegraphic address.
   (iii) Address of factory, if any.
5. Whether merchant exporter or manufacturer exporter.
6. Description of export products for which registration is sought :
   (i) Product(s) manufactured, if any.
   (ii) Product(s) exported.
7. Year of establishment.
8. Name of the Partners/Directors/Managing Directors/ Proprietor.

I/We hereby declare that the above information is correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We also undertake to abide by the conditions subject to which registration/membership is granted.

Name in Block Letters ....

Designation ....

Full Residental Address ....

Place ....

Date ....

PART II

1. Registration No./Factory No. allotted by the Sponsoring Authority.
2. Description of goods manufactured.
3. Date of receipt of complete application.

(To be filled in by the Registering Authority in the case of DGTD units and sponsoring authority in the case of other Units.)

Signature of Registering Authority/
Sponsoring Authority/

Name in Block Letters ....

Designation ....

Seal ....

Place ....

Date ....

PART III

(To be signed by the concerned Registering Authority)

This is to certify that the above firm is registered under the Import Policy for Registered Exporters as per following particulars :—

(i) Description of goods for which registered........

(ii) Date of receipt of complete application for registration ....

(iii) Registration Number ....

(iv) Manufacturer Exporter or Merchant Exporter*....

This certificate issued subject to the condition laid down in the relevant scheme of Registration.

Signature of Registering Authority ....

Name in Block Letters ....

Designation ....

Seal ....

Valid/renewed

upto ....

Date ....

*State clearly whichever is applicable

Space for endorsement of any amendments in this certificate

APPENDIX XV—D

ANNEXE I

BANK CERTIFICATE OF EXPORT

(For Export on Out-Right Sale basis)

FORM NO. I

IE Code : ————————

To

....(Name and address of Licensing Authority)

We,...(Name and address of the Exporters)

hereby declare that we have forwarded a documentary export bill to...

(Name and address of the bank i.e., Branch and City) for collection/negotiation/purchase as per particulars given hereunder :-

Invoice		Export Promotion copy of shipping bill duly authenticated by Customs		Description of Goods as given in the customs authenticated shipping bill	REP Code	CCS Code	Bill of Lading/ PP receipt/ Airways bill		Destination of goods	
No.	Date	No.	Date				No.	Date	Country Name	Country Code
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Bill Amount cif/c & f/ f.o.b. (in Foreign currency)	Rate adopted for conversion of the cif/ c&f/ f.o.b.	Bill Amount cif/c & f/ f.o.b. equivalent in Indian Rupees (Converted at the rates shown in Col. 13) Rupees	Freight Amount in Indian Rs. as per Bill of Lading/ freight memo	Insurance Amount in Indian Rupees as per insurance Company's bill/receipt	Commission/ discount paid/ payable in Indian Rupees	F.O.B. value in Indian Rs. Col. 14 minus total of Cols. 15, 16 & 17)	GRI/ PP. Form No.	Advance Licence No. (if applicable)
12	13	14	15	16	17	18	19	20

The further declare that :

(i) the aforesaid particulars are correct and they relate to outright sales. (Copies of invoices relevant to these exports are attached);

(ii) the export has been made by the Head Office/Branch Office of the limited Company/Registered Exporter.

(iii) (a) application for export assistance will be made by the branch office to the above licensing authority under whose jurisdiction it falls ;

OR

(b) application of export assistance will be made by the Head office of the limited company/Registered office to the above licensing authority under whose jurisdiction it falls.

(————————)
SIGNATURE OF THE EXPORTER

*Foreign currency as indicated in the invoice of c.i.f., f.o.b. (In respect of invoices made out in Indian Rupees, columns 12 & 13 need not be filled in).

**Strike out the alternative not applicable.

APPENDIX XV—D (*contd.*)

ANNEXE—I (*concld.*)

Bill purchase/negotiated in respect of outright sale : At the authorised dealer's On Demand Buying rate prevalent on the date of purchase/negotiation.

Bill sent for collection (out right sale) : At the authorised dealer's On Demand Buying rate prevalent on the date they sent the documents for collection.

BANK'S CERTIFICATE

Authorised Foreign Exchange Dealer

Code allotted to the bank by RBI ....

Ref. No. ....

Date ....

Place ....

1. This is to certify that we have negotiated/purchased/sent for collection on the above mentioned documentary export bill drawn by M/s...for the amount mentioned in Col. 12 above and... verified the rate of conversion mentioned in col. 13. We have also verified the f.o.b. value mentioned in Col. 18 above with reference to following documents :

(i) Bill of Lading/P.P. receipt/Airways Bill.

(ii) Insurance policy/Cover/Insurance Receipt.

(iii) We have also verified that the date of the connected Mate Receipt as indicate at in the relevant shipping bills............. ....(date to be given).

*(iv) We have also verified that the date of export as per para 305(b) of the Hand Book of Procedures, 1990—93 is.......... ....

2. This is also certified that we have verified the amount of the Commission paid/payable, as declared above, by the exporter i.e. Rs...(in figures and words) with G.R. Forms and found to be correct.

*Applicable only in respect of exports by air.

....

....

(Signature of the Bankers)

Full address of the Bankers........................

....

....

Branch and City...............................

Official Stamp.

APPENDIX XV—D (*contd.*)

ANNEXE —II

BANK CERTIFICATE OF EXPORT

(For products other than Gem and Jewellery on Consignment basis)

FORM NO. II

IE Code : ....

To

....

(Name and address of the Licensing Authority)

We..(Name and address of the exporters) hereby declare that we had effected the export on consignment basis and have received the proceeds in full against the exports as per particulars given below :

Provisional invoice		Invoice			E.P. Copy of shipping bill duly authenticated by customs		Description of goods as given in the customs authenticated Shipping bill	REP Code	CCS Code	Bill of Lading/ PP. receipt/ Airways bill		Description of goods Country		Bill Amount cif/c & f/ f.o.b. (in foreign currency)*
No.	Date	No.	Date	Value in Foreign currency	No.	Date				No.	Date	Name	Code	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Rate adopted for conversion of cif/c & f/ f. o. b. @	Bill Amount cif/c & f/ f. o. b. equivalent in Indian Rupees (Converted at the rates shown in col. 16) Rs. @	Freight Amount in Indian Rs. as per Bill of Lading/ freight memo	Insurance Amount in Indian Rs. as per insurance company's bill/receipt	Commission/ discount (paid/ payable in Indian Rupees)	F.O.B. value in Indian Rs. (Col. 17 minus total of Cols. 18, 19 & 20)	Date of Realisation of sale proceeds	GRI/ PP. Form No.	Advance Licence No. (if applicable)
16	17	18	19	20	21	22	23	24

We further declare that :

(i) the aforesaid particulars are correct and they relate to consignment sales (Copies of invoice relevant to these exports are attached) ;

[(ii) the export has been made by the Head Office/branch office of the limited company/registered exporters ; and

(a) application for export assistance will be made by the branch office to the above licensing authority under whose jurisdiction it falls.

OR

(b) application for export assistance will be made by the Head Office of the limited company/egisterred office to the above licensing authority under whose jurisdiction it falls.**

....

SIGNATURE OF THE EXPORTER

*Foreign currency as indicated in the Invoice c.i.f., c. & f., f.o.b. (In respect of invoice made out in Indian Rupees, column 15, 16 need not be filled in).

**Strike out the alternative not applicable.

@The authorised dealer,s T/T Buying/on Demand Buying Rate, as the case may be, prevalent on the date of realisation.

APPENDIX XV—D (*contd.*)

ANNEXE—II (*concld.*)

BANK'S CERTIFICATE

Authorised Foreign Exchange Dealer

Code allotted to the bank by RBI ....

Ref. No. ....

Date. ....

Place ....

1. We confirm that...(amount shown in Col. 15 or column 17 in respect of invoice made out in Indian Rupees) has been received by us in an approved manner in respect of the above consignment.......... ....on...... ....(date).* We have verified the f.o.b. value as shown in Col. 21 with reference to the following :

(i) Bill of Lading/P.P. receipt/Airways Bills.

(ii) Insurance Policy/Cover/Insurance Receipt.

(iii) We have also verified that the date of the connected Mate Receipts as indicated in the relevant shipping bill is........ ....(date to be given).

**(iv) We have also verified that the date of export as per para 305(b) of the Hand Book of Procedures, 1990-93 is............

2. This is also certified that we have verified the amount of the Commission paid/payable, as declared above, by the exporter i.e., Rs...(in figures and words) with G.R. Forms and found to be correct.

*Date of advice of the collecting/remitting Bank abroad.

**Applicable only in respect of exports by air.

....

....

(Signature of the Bankers)

Full address of the Bankers ....

....

(Branch and City)...................

Official Stamp

APPENDIX XV—D (*Contd.*)

ANNEXE—III

BANK CERTIFICATE OF PAYMENTS

(For export of Gem & Jewellery on Consignment basis and for sale of goods at international exhibitions/fairs abroad)

I.E. Code ....

This is to certify that the following bills covering exports of...to foreign countries drawn by M/s..have been negotiated and proceeds as given below received by us as per Exchange Control Regulations in the approved manner. We also certify that payments thereof have not been received in non-convertible Rupee Account or under any special Bilateral Trade Agreement.

Sl. No.	Invoice No.	Invoice Date	Date of Exports	Description of goods exported	REP Code	Bill of Lading/ Postal Receipts and/ or Airways Bill No.	Bill of Lading/ Postal Receipts and/ or Airways Bill Date	F.O.B. value of goods as declared by the exporter	Country/Countries to which exports have been made Name(s)	Country/Countries to which exports have been made Code(s)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Date on which payment was received by the Bank*	Date on which the proceeds of foreign exchange were actually credited to the exporters accounts	In case of part payment of the Bill the lot No. of the Invoice against which payments have been received	Amount received in India (in Rupees)	GRI/PP Form No.	GRI/PP Form Date
12	13	14	15	16	17

This is certified that the amount of commission paid/payable as given in the G.R. Form is Rs.............................
....(in figures and words).

Authorised Foreign Exchange Dealer

Code allotted to the Bank by RBI ....

Ref. No. ....

Date. ....

Place. ....

....

(Signature of the Manager)

Authorised Officer of the Bank

Official Stamp

Notes :— (1) The Bank Certificate should bear the Official Stamp of the Bank.

(2) This Certificate will be issued only after the full proceeds of the bill have been realised. However, in the case of receipt of part payment of a bill, against lots covered by it, the certificate may be issued

*Date of advice of payment of the collecting/remitting Bank abroad.

APPENDIX XV-D (*Contd.*)

ANNEXE—IV

BANK CERTIFICATE OF PAYMENT AGAINST EXPORT OF ELIGIBLE GOODS AFTER SALE TO FOREIGN TOURISTS

IE Code ————————

This is to certify that the payment against the following bills covering CIF/C & F/F.O.B. value of goods sold by M/s.......... ....to the foreign tourists has been received by us as per Exchange Control Regulations in the approved manner. We also certify that payment thereof has not been received in Non-convertible Rupee account under any Bilateral Trade Agreement.

Sl. No.	Invoice No.	Invoice Date	Date of Exports	Description of goods exported	REP Code	Bill of Lading/Postal Receipts and/or Airways Bill No.	Bill of Lading/Postal Receipts and/or Airways Bill Date	Freiht Charges paid
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Insurance Charges Paid	F.O.B. Value of goods	Date of Deposit of currency, bank draft or cheque as the case may be in the bank	Amount received in India (in Rs.)	*Date of Realisation of payment	GRI/PP Form No.	GRI/PP Form Date.
10	11	12	13	14	15	16

Authorised Foreign Exchange Dealer

Code allotted to the bank by RBI ....

Ref. No. ....

Date ....

Place ....

....

Signature of the Manager

Authorised Officer of the Bank

Official Stamp

Note :— The Bank Certificate should bear the Official stamp of the Bank.

*This applies only in the case of personal cheques, drawn by the foreign tourists on Foreign Bank.

APPENDIX XV—D (*Contd.*)

ANNEXE—V

PROVISIONAL BANK CERTIFICATE OF EXPORT

(For Export to the EEPC Warehouse at Rotterdam)

I. E. Code........................

To ....(Name and Address of Licencing Authority
We...(Name and address of the Exporters) hereby declare that we have forwarded a documentary export bill to..
....
(Name and address of the Bank i.e., Branch and city) for negotiation as per particulars given hereunder :—

Invoice		Export Promotion copy of shipping bill duly authenticated by customs		Description of goods as given in the customs authenticated shipping Bill	REP Code	CCS Code	Bill of Lading/ PP receipt/Airway Bill	
No.	Date	No.	Date				No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Destination of Goods		Bill Amount c.i.f./c & f/f. o. b. (In Foreign currency as given in GR-I Form	Rate adopted for conversion of the cif/c & f/f.o.b. as given in GR-I Form	Bill Amount c.i.f./c & f/f. o. b. equivalent in Indian rupees (converted at the rates shown in Col. 13) Rupees	Freight Amount in Indian Rupees as per Bill of lading/freight memo
Country Name	Country Code				
10	11	12*	13	14	15

Insurance amount in Indian rupees as per Insurance Company's Bill/Receipt	Commission/discount paid/payable in Indian rupees	F.O.B. value in Indian Rs. (Col. 14 minus total of Col. 15, 16 & 17).	GRI/PP Form No.	Advance licence/pass book licence date (If applicable)
16	17	18	19	20

We further declare that :—

(i) the aforesaid particulars are correct and they relate to the scheme for export to EEPC warehouse at Rotterdam (copies of invoices relevant to these exports are attached);

(ii) the export has been made by the Head Office/Branch Office of the limited company/Registered exporter;

**(iii) (a) application for export assistance will be made by the branch office of the above licensing authority under whose jurisdiction it falls;

OR

(b) application for export assistance will be made by the registered office of the limited company and head office in the case of others to the above licensing authority under whose jurisdiction it falls.

....
SIGNATURE OF THE EXPORTER

*Foreign currency as indicated in the invoice of c.i.f.; f.o.b. (in respect of invoices made out in Indian rupees, Columns 12 and 13 need not be filled in)

**Strike out the alternative not applicable.

APPENDIX XV—D (*Concld.*)

ANNEXE—V (*Concld*)

BANK'S CERTIFICATE

Authorised Foreign Exchange Dealer

Code allotted to the bank by RBI,.....................

Ref. No...

Date...

Place...

1. This is to certify that we have negotiated the above mentioned documentary export bill drawn by M/s ....for the amount mentioned in Col. 12 above and .... verified the rate of conversion mentioned in Col. 13. We have also verified the f.o.b. value mentioned in Col. 18 above with reference to the following documents :

(i) Bill of lading/P. P. receipt/Airway bill.

(ii) Insurance policy/cover/Insurance Receipt.

(iii) We have also verified that the date of the connected Mate receipt as indicated in the relevant shipping bill is............. (date to be given).

*(iv) We have also verified that the date of export as per para 305(b) of the Hand-Book of Procedures, 1990-93 is......... ....

2. This is also certified that we have verified the amount of the commission paid/payable, as declared above, by the exporter i.e. Rs.. .... (in figures and words) with G. R. Forms and found to be correct.

*Applicable only in respect of exports by air.

....
(Signature of the Bankers)

Full Address of
the Bankers..................................
....

Branch and City.............................
Official Stamp

APPENDIX XV—E

THE STATEMENT OF EXPORTS UNDER EQUITY PARTICIPATION

To...(Name and address of the Licencing Authority) ....(Name and address of the Exporter) hereby declare that we have made exports under equity participation during... (Licencing period) as per particulars given as under :—

Invoice No. & date	Description of Goods	Bill of Lading/PP receipt/Air-ways Bill No. and date	Destination of Goods	Bill amount c.i.f./c & f/ f. o. b.	Freight amount	Insurance amount	F.O.B. Equivalent	G.R.I./PP Form No. and date
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2								
3.								
4.								

I/We hereby declare that the above statements and financial information are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed, that all the register(s)* and records prescribed have been maintained and that the financial information has been drawn up from and is in agreement with the register(s) and records so maintained.

I further certify that I am authorised to verify and sign this statement

I/We fully understand that any information furnished in the above statements if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

Signature ....
Name of the Exporter ....
Full Official Address ....

Place ....

Full Residential Address ....

Date ....

*If any of the documents/registers have not been maintained, these may be specified below:—

1.
2.
3
4.

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT/COST ACCOUNTANT/COMPANY SECRETARY

I/We hereby confirm that I/We have examined the prescribed Registers and also the relevant records of M/s ....for the period from..........................to................ ..../for the period/year ended....................................and hereby certify that :

(i) M/s...have effected the exports covered by the statement above under equity participation during the financial year(s).

(ii) The following documents and records have been furnished by the applicant and have been examined and verified by me/us namely :—

Export Order/Contract, Shipping Bills, Delivery Vouchers, Bills of Lading (and/or Airways Bills/P.P. Receipts), Custom/Bank attested invoices, Bank certificates, evidence of payments received in Foreign exchange in their own name and connected books of account.

(iii) the relevant register has been authenticated under my/our seal/signatures.

(iv) the financial information given in the above statement is in agreement with the relevant register and records, the same has been incorporated in the books of accounts maintained by the exporters and is also true and correct.

(v) It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respects, no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.

(vi) Neither I nor any of my partners is a partner, director, or an employee of the above named entity or its associate concerns.

(vii) I/We fully understand that any statement made in this certificate if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

(Signature and Stamp/Seal of the Signatory) ....
(Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary)
Name of the Signatory.................................
Full Address......................................
Membership No.......................................

Place.................................
Date................................

**If any of the documents or records mentioned in item(i) of the certificate have not been maintained/furnished/examined or verified that may be specified below.

APPENDIX XV—F

APPLICATION FOR IMPORT OF GOODS AGAINST EXPORTS MADE BY REGISTERED EXPORTERS

.E. Code and
year of issue

1. Name and address of the applicant :
2. R C M C No. & Date (Photocopy enclosed) :
3. S P S Enrolment No, if any :
4. Export period :
5. Product Group :
6. C. I. F. Value of licence applied for :
7. Details of application fee paid :
8. Details of exports made (as per Statement attached) :
9. If the exports are against Advance Licence/Pass Book/Special Imprest Licencc/Imprest Licence/Advance Release Order, Licence No. & date, value and licensing office file number to be given.

APPENDIX XV—F (*Contd.*)

11" × 14"

Application Form for import of goods against exports made by Registered Exporters

(FOR OFFICE USE)

Date of Application ....

File No. ....

*IE CODE : .... 2. RBI CODE : .... 3. (a) Enrolment No. (if any) : .... (b) Valid upto : ....

4. Name and Postal Address : ....

5. Export Period (from).................. (to).................. 6. Product Group Code : .... Name : ....

7. Details of Exports Made :

7(a)	Shipping Bill No./ Postal Receipt No.	Date of Shipping Bill/Postal Receipt	CCS Code in case of CCS benefits to be claimed later on	File No. of Old Case (For Supplementary Claims)	Description of Product Exported					Total FOB (Rs.)	REP Licence claimed (Rs.)	Quantity: Unit Code**	Quantity: No of Units
7(b)	Sl. No. in shipping Bill/Postal Receipt	Date of Export	REP Code	File No. (For documents already submitted for other benefits)	GR/PP No.	ITC Code (Harmonised)	Country Code	REP rate	New/Old rate ***	F.O.B. entitlement (Rs.)	REP Licence already claimed (Rs.)	REP Issued (For Office Use)	Licence (Rs.) (For Office Use)
7(a)													
7(b)													
7(a)													
7(b)													
7(a)													
7(b)													
7(a)													
7(b)													
7(a)													
7(b)													
7(a)													
7(b)													
7(a)													
7(b)													

*Should be used after it is issued by the Office of CCI & E/Port Offices.

**UNIT CODES: NUMBER—01, PAIR—02, DOZEN—03, GROSS—04, HUNDRED IN NOS.—05, THOUSAND IN NOS.—06, GRAMS—11, KILOGRAM—12, METRIC TON—13, CARAT—14, INCH—21, FOOT—22, YARD—23, METER—24, SQ. IN—31, SQ. FOOT—32, SQ. YARD—33, SQ. METER—34, CUBIC INCH—41, CUBIC FOOT—42, CUBIC YARD—43, CUBIC METER—44, LITRE—51, SPOOLS—61, PACKS—62, SET 63.

***Write "New" in case the licence is to be issued as per revised rates and items, otherwise write "Old" (Applicable to those products exported within one year/90 days or 30 days as the case may be, from the date of change in the rate or the items of Import Replacement).

All dates should be given as dd-mm-yy where dd denotes date, mm denotes month and yy denotes year.

APPENDIX XV-F—(*Concld.*)

UNDERTAKING/DECLARATION

I/We hereby solemnly undertake/declare :

(i) I/We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true to the best of my/our knowledge and nothing has been concealed or held therefrom;

(ii) I/We undertake that the value of the Import Licence granted on the basis of this application shall be liable to be set off against future Import Licences due to me/us or to my/our nominees without any prejudice to any other action that may be taken in this behalf, in case any part of the information contained in this application is found incorrect, false or misleading;

(iii) that no other application for import licence has been made or will be made in the future against exports covered by this application except advance licence(s) etc. mentioned against Sl. 9;

(iv) the consignment(s)/parcel(s) have not been returned. If at any time, the exported goods are returned by the consignee, or if the sale proceeds in respect of the goods, are not realised through an authorised channel within six months from the date of export or such extended period as the Reserve Bank of India may permit,necessary intimation shall be sent to the licensing authority, within one month thereof, and the value of import licences issued against this application shall be liable to be set off against future import licences due to me/us, without prejudice to any other action that may be taken on this behalf. If any amount is paid to the foreign buyer at any time on account of any penalty or damage pertaining to the exports covered by this application, the intimation thereof shall be sent to the licensing authority within one month thereof;

(v) If, as a result of a scrutiny by the licensing authority any excess licensing is found to have been done to me/us against this application, the same shall be liable for being adjusted against future licences due to me/us under any category without any prejudice to any other action that may be taken on this behalf;

(vi) I/We hereby undertake that any licence granted on the basis of this application shall be liable to cancellation or being made ineffective without any prejudice to any other action that may be taken on this behalf, if any information furnished in this application is found to be wrong or incorrect or misleading;

(vii) I/We hereby declare that the prices charged for journals/periodicals/books (other than text book and hard bound book) exported were not less than the listed foreign prices minus a discount of not more than 40%. In case no foreign price was listed, the journals/periodicals/books (other than text books and hard bound books) were exported at a price not less than the listed Indian prices converted into foreign currency at the official exchange rate minus the usual trade discount not exceeding 40%. In the case of text books and hard bound books the trade discount upto 50% is allowed;

(viii) I/We hereby declare that the figures on the basis of which this application for replenishment is made do not include exports of books/journals/periodicals intended for internal use only and prohibited from being exported;

(ix) I/We declare that the exports have been made at a price not less than the minimum floor price fixed by the registering authority;

(x) I/We have not under-invoiced or over-invoiced our exports;

(xi) I further certify that I am authorised to verify and sign this statement on behalf of the applicant;

I/We fully understand that any information furnished in the above statement, if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

Signature of the applicant ——————

Name in block Letters ——————

Designation ——————

Full Official Address ——————

——————

——————

Full Residential Address ——————

——————

——————

Place ——————

Date ——————

APPENDIX XV-G

APPLICATION FOR GRANT OF EXPORT PERFORMANCE CERTIFICATE UNDER IMPORT & EXPORT POLICY

1. Name and address of the unit . . . .
2. Address of the factory of the applicant . . . . .
3. Number and date of Industrial Licence or Registration Certificate issued by the sponsoring authority or SSI Registration Certificate issued by State Director of Industries . . .
4. Number and date of E.P. Registration Certificate if any, issued to the applicant as Manufacturer-Exporter, by the Export Promotion Council or other E.P. Registering Authority concerned
5. End-product(s) manufactured . . . .
6. Licenced Capacity of the Unit . . . . . .
7. Gross value of output (including all direct and indirect costs of production, including depreciation, interest, duties and taxes leviable, profits and overheads etc.) in respect of products manufactured during the preceding three financial years . .
8. Total f.o.b. value of admissible exports mentioned at Serial No. 5 above manufactured by the applicant unit and exported during the preceding three financial years to be given separately as under. . . . .
   (a) Exported in the applicant unit's own name
   (b) Exported through an Export House/Trading House/ State Trading House and . . . .
   (c) Exported through a merchant exporter and others . .
9. Percentage of f.o.b. value of exports against Sl. No. 8 above, to the gross value of output at Sl. No. 7 above and for each of these three years . . . . . .

I/We hereby declare that the above statements and financial information are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed.

That all the *registers and records prescribed have been maintained and that the financial information has been drawn up from and is in agreement with register(s) and records so maintained.

I/We hereby declare that :—

(1) The goods which were exported as detailed in Sl. No. 8 above only were actually manufactured by me/us and I/We are in possession of satisfactory documentary evidence in respect of this which I/we undertake to produce to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi and/or to the licencing authority concerned immediately on demand failing which I/we shall be liable to any action that may be taken against me/us in this behalf.

(2) I further certify that I am authorised to verify and sign this statement on behalf of the applicant.

(3) I/we fully understand that any information furnished in the above statement, if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

Signature....................
Name of the Exporter ....
Full official address ....
Full residential address........

Place :

Date :

*If any of the records registers have not been maintained, these may be specified below :

1.
2.
3.
4.

APPENDIX X-G (*concld.*)

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT/COST ACCOUNTANT/COMPANY SECRETARY

I/We hereby confirm that I/we have examined the prescribed Registers and also the relevant records of M/s...for the period from..to../for the period/year ending...and hereby certify that ;

(i) M/s...
(full address)

have manufactured the above mentioned products which are not included in Appendix 12 of the Imports Export-Policy, 1990-93 (Volume-I) for the preceding three years as per particulars given for grant of Export Performance Certificate."

(ii) The following documents and records have been furnished by the applicant and has been examined and verified by me/us namely ;—

Export order/Contract, shipping bills, delivery vouchers, Bills of lading (and/or Airway Bills/PP Receipts) Customs/Bank attested Invoices, Bank Certificates and Books of accounts relating to gross value of output produced including connected documents showing the direct and indirect cost of production, statement of accounts or evidence showing the profits, over-heads, depreciation, interest, duties and taxes paid or leviable.*

(iii) The relevant registers have been authenticated under my/our seal/signatures,

(iv) The financial information given in the above statement is in agreement with the relevant registers and records, the same has been incorporated in the books of accounts maintained by the exporter, and is also true and correct.

(v) It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respects, no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.

(vi) Neither I, nor any of my partners is a partner director, or employee of the above-named entity or its associated concern

(vii) I/We fully understand that any statement made in this certificate is proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

Signature and Stamp/Seal of the Signatory

(Chartered Accountant/Cost Accountant/ Company Secretary)

Name of the Signatory.................

Full Address. ....
....
....

Membership No......................

Date ;

*If any of the documents or records mentioned in items (ii) of the certificate have not been maintained/furnished, examined or verified, they may please be specified below :

1.
2.
3.
4.

NOTE :—(1) All the pages of the statement should be got certified and stamped by a Chartered Accountant/Cost Accountant/ Company Secretary who is not a partner, a Director or an employee of the concerned exporting units or its associates.

(2) The following exports will be taken into account for this purpose ;—

(i) All exports except export products covered by Appendix 12 of the Import & Export Policy, 1990-93 (Vol. I).

(ii) Exports to Nepal and Bhutan in free foreign exchange.

(3) The total f.o. b. value of exports in Sl. No. 8 shall also not include the value of deemed exports supplied made against the indigenous Release Orders as per para 200 of the Import Export Policy, 1990—93 and that of the products manufactured by unit in FTZ/EPZ and 100% EOUS.

APPENDIX XV—H

FORM OF ADVANCE/INDIGENOUS RELEASE ORDER

Name of the indigenous Producer ....

Office of Issue ....

Government of India

Ministry of Commerce

Office of the ....

No. .... Date ....

To

M/s. ——————————

(Name and address of the applicant)

Subject : Supply of ....

by Indigenous producer namely

M/s. ....

(Name and address)

against Advance/Special Imprest/REP/Actual User Licence No. ....

M/s. ....

(Name and address)

Gentlemen,

With reference to your application/letter dated .... on the above subject, I write to say that you may approach M/s. .... for obtaining the supply of the Indigenously produced goods against the Advance/Special Imprest/REP/Actual User licence, referred to above, as per details below :

Sl. No.	Description of goods with technical specification	Quantity in figures	Quantity in words	Value in figures	Value in words
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

2. This Advance/Indigenous release order should be produced in original to above mentioned indigenous producer for supply of goods as per above details.

3. This release order will be valid upto ....

4. The material received by the holder of this release order shall be subject to the same conditions as applicable to the Advance/Special Imprest/REP/Actual User licence against which this Advance/Indigenous release order has been issued

5. The limiting factors will be value or both quantity and value in cases where both have been indicated.

Yours' faithfully

Controller of Imports and Exports.

for Dy./Jt. CCI&E

Security Seal ....

Advance/Indigenous Release Order No. ————

Note : Licensing authority concerned should ensure that technical specifications quantity and value shown in above mentioned details of goods conform to the limits as stipulated in the Adanvce Licences/Special Imprest licences/REP licences/Actual User Licences.

Endt. No. .... Dated ....

(i) Jt./Dy./Asstt. Chief Controller of Imports & Exports .... (Name and address of the licensing authority of indigenous producer).

(ii) M/s. .... (name and address of the indigenous producer) for necessary action.

Controller of Imports & Exports

for Dy./Jt. CCI&E

Details of materials supplier under above Advance/Indigenous Release order.

Sl. No.	Description of goods with technical specifications	Qantity Supplied in figures	Qantity Supplied in words	Value of Goods supplied in figures	Value of Goods supplied in words
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

We confirm having supplied the goods as per details above

Signature ....?........

(Name and address of indigenous producer)

We confirm having received the goods as per details above.

Signature ....

(Name and address of the Advance/Indigenous Realease Order holder)

APPENDIX XV—I

CATEGORY OF THE EXPORT PRODUCT/MODE OF EXPORT AND THE RELATED DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ALONGWITH APPLICATION FOR GRANT OF IMPORT REPLENISHMENT LICENCES

Sl. No.	Category of Export Product/Mode of Exports	Documents to be submitted alongwith the application
1	2	3
(1)	Exports of products other than those detailed in paragraph 301(6).	(i) Bank Certificate (in original) of exports. (ii) Bank attested copy of the invoice. (iii) E.P. Copy of the Shipping Bill.
(2)	Exports by V.P.P. of products other than gem and jewellery and cinematographic films (exposed).	(i) invoices given description of goods, weight of the individual items and their total weight actually exported, duly attested by the customs ; (ii) Relevant postal receipts, or photostat copy thereof or a certificate of posting issued by the Post Officer; (iii) Post Master's certificate of payments or the intimation slip given by the Postal Department to the Indian recipient of the Proceeds of the exports made by V.P.P; and (iv) Other procedural requirements as indicated against Sl. No. (14) below .
(3)	Exports of Books & Newspapers by post made by Registered Exporters who have been allowed by the Reserve Bank of India to effect their exports without observing P.P. formalities or have been allowed to sent the documents direct to the consignee without routing the through the normal banking channel.	(i) Postal receipt or a certificate of posting issued by the Post Office or any other evidence in cases where the original Postal receipt has been forwarded to the importer. In the case of export by ordinary post, if the exporters are not able to produce certificate of posting, a Chartered accountant's certificate giving complete details of postal charges, dates of exports and particulars of exports in lieu of the certificate of posting issued by the Post Office, should be submitted. (ii) A chartered Accountant's certificate giving the details of the exports, freight etc. (iii) Invoice certified by a Chartered Accountant. (iv) In cases where the applicant is not able to produce documents at (i) to (iii) above, and the payment against the exported material has been received by him in advance, the licencing authority may accept the following documents ;— (a) a certificate of Chartered Accountant giving in respect of each publication exported, its name, value of exports made and the aggregate amount of postal charges incurred on the despatches in question; (b) a bank certificate in support of the receipt of payment in foreign exchange to cover the exports referred to in (a) above; and (c) a declaration of the applicant that he has not and will not claim separately REP licence on the basis of the foreign exchange realisation to which the bank certificate in (b) above pertains.

APPENDIX XV—I (*contd.*)

1	2	3
(4)	Export of books, journals and periodicals by post made by Registered Exporters who have not been exempted by the Reserve Bank of India from P.P. formalities.	(i) Original Postal receipt or photostat copy thereof or a certificate of posting issued by the Post Office. In the case of exports by ordinary post, if the exporters are not able to produce certificate of posting, a Chartered Accountant's certificate giving complete details of postal charges, dates of export and particulars of exports, should be submitted; (ii) Invoice certified by a Chartered Accountant indicating the P.P. Form Nos. (iii) Bank certificate indicating the receipt of payment in foreign exchange as well as relevant P.P. Form No. (Exports below Rs. 50/- made by ordinary post without P.P. Form will not be eligible for replenishment under this procedure).
(5)	Exports of Books & Newspapers by sea/air made by Registered Exporters who have been allowed by the Reserve Bank of India to effect their exports without observing G.R. Form formalities or have been allowed to send the documents direct to consignee without routing the same through normal banking channels.	(i) Invoice certified by a Chartered Accountant. (ii) Bill of lading/Airways Bill. (iii) A statement duly certified by the exporter's banker/Chartered Accountant regarding realisation of export proceeds set off against the relevant G.R. forms in a chronological order. However in case where the exporters have obtained a General Permit from the Reserve Bank of India waiving the G.R. formalities, it is not necessary for them to produce a Certificate indicating the G.R. Form Nos. and instead, they may quote the General Permit No. issued by the Reserve Bank of India in the statement issued by the Chartered Accountant/exporters banker. (iv) E.P. Copy of the Shipping Bill.
(6)	Export by registered post of products other than gem and jewellery and cinematographic films (exposed).	(i) Bank certificate (in original) of exports issued by the exporter's Bank. (ii) Invoice giving description of goods, weight of the individual items and their total weight actually exported, duly attested by Customs. (iii) Postal receipt or in cases where postal receipt has been forwarded to the consignee, a certificate issued by the exporter's Bank or Postal Appraising Department indicating clearly the postal receipt No., date and amount and certifying that the relevant postal receipt has been forwarded to the consignee. (iv) Other procedural requirements as indicated at Sl. No. (14) below.
(7)	(1) Export of goods sold at international exhibitions abroad organised by the Trade Fair Authority	Certificate from the Trade Fair Authority, indicating the full description of goods, the f.o.b. value, the name of the Indian Exporters, date of sale and certifying that the payment against the sales in question, has been repatriated to India and surrenendered to the Indian Exchange Control. The time limit for submission of an application will be reckoned from the date of sale.

APPENDIX XV—I (*contd.*)

1	2	3
	(2) Export of goods sold at international exhibitions abroad organised by the Export Promotion Councils.	(i) Certificate from the Export Promotion Council, indicating full description of goods, the f.o.b. value, the name of the Indian Exporter, date of sale and certifying that the payment against sales in question, has been repatriated to India and surrendered to the Indian Exchange Control. (ii) Bank Certificate indicating the receipt of payment in foreign exchange. The proforma of the Bank certificate given in Appendix XV-D (Annexe-III) may be used with suitable modifications. The time limit for submission of an application will be reckoned from the date of payment as shown in the Bank Certificate. (iii) Where an applicant is unable to produce bank certificate as the documents were not negotiated through the bank, the licensing authority may accept the document in (i) above if it is satisfied on the basis of other evidence that the payment for the goods in question, has been received through authorised channels.
	(3) Export of goods sold at international fairs/exhibitions abroad by Indian manufacturers/exporters where their direct participation has been approved by Trade Fair Authority.	(i) Certificate from Trade Fair Authority Indicating full description of goods, the fob. value, the name of the Indian exporters, date of sale. (ii) Bank certificate indicating the receipt of payment in foreign exchange. The Proforma of the bank certificate given in Appendix XV-D (Annexe-III) may be used with suitable modifications. The time limit for submission of an application will be reckoned from the date of payment as shown in the bank certificate.
	(8) Export of news films and TV films by accredited news cameramen who have been allowed exemption by the RBI from observing GR/PP formalities.	(i) A list of news films/TV films exported giving the relevant airways bill numbers, with attested copies of airways bills. (ii) Bank certificates showing the receipt of foreign exchange. (iii) A declaration of the applicant that he has not and shall not claim separately REP licence on the basis of the foreign exchange realisation to which the bank certificate at (ii) above pertains. (iv) E. P. Copy of the Shipping Bill.
	(9) Export of woollen carpets for which payments are received locally (either in full or in part), from foreign tourists in the form of (a) foreign currency travellers cheques, (b) crossed foreign bank drafts, and (c) personal cheques drawn on foreign banks	(i) Bank certificate (in original) of payment issued by the exporter's bank in the proforma given in Appendix XV-D (Annexe - IV). (ii) Bank attested invoice. (iii) In the case of postal exports, original postal receipt. (iv) E. P. Copy of the Shipping Bill. (v) A copy of the money changer's licence issued to the seller by the Reserve Bank of India.
	(10) In the case of sale of ocean freight containers.	(i) Order receipt from the foreign buyers. (ii) Invoice duly attested by the bank giving the particulars of goods sold and their value (iii) Evidence of goods having been received by the foreign buyer or his accredited agent in India. (iv) Bank certificate (in original in) the form given in Appendix XV-D (Annexe - II Form II). In the absence of Shipping Bill the f.o.b. realisation may be verified by the bank on the basis of the invoice.

APPENDIX XV-I (*contd.*)

(1)	(2)	(3)
(11)	Export of Machinery and equipment against Indian equity & participation in joint ventures abroad.	(i) Copy of the invoice : The invoice should contain a remark, viz. "Exports towards meeting equity participation in a joint venture namely M/s................ (Name of the joint venture, place and country) as approved in Ministry of Commerce letter No......... ....dated.................... (ii) Chartered Accountant's Certificate in original certifying the c.i.f./c. & f./f.o.b. value of exports, freight and insurance charges, if any incurred, GR Form No. etc. as given in Appendix XV-E. (iii) A copy of Govt./R.B.I's sanction permitting the value of exports to be used as equity participation. (iv) E. P. Copy of the Shipping Bill.
(12)	Foreign exchange earned by undertaking construction work abroad.	(i) Bank certificate (in original) showing the amount of construction charges. (ii) No. and date of the Reserve Bank of India's letter, if any, approving the construc'ion agreement. (iii) The amount of foreign exchange released by the Reserve Bank of India for travel etc. abroad by engineer/others together with the No. and date of the permit issued by the R.B.I. (iv) E. P. Copy of the Shipping Bill. (v) Passage money paid in India for booking of passage of the personnel. The particulars at (ii) to (iv) above should be certified by a Chartered Accountant.
(13)	Sale of goods displayed in an Export Promotion Council's Show Room abroad.	Documents to be furnished by the applicant in such cases will be the same as indicated in Sl. No. 7 above with the modification that there should be a certificate from the concerned E. P. C. instead of from Director, TFAI. The time limit for submission of an application will be reckoned from the date of sale.
(14)	Exports by V. P. P. or Registered Post of products other than Gem & Jewellery and Cinematographic films (exposed) covered by Sl. Nos. (2) and (6) above.	
	(i) In case f.o.b. value of export is less than Rs. 10,000/-	(i) Bank attested invoice.
	(ii) In case f.o.b. value of export is Rs. 10,000/- or more.	(ii) Customs attested invoice. *Note* : (1)(a) If the value of export parcels is Rs. 10,000/- (f.o.b.) or more, the exporters will have to prefer two copies of the invoices and the original copy of PP form alongwith the post parcel. The Customs authorities in the foreign post office, or Air Port sorting Offices, after scrutiny of the contents of the parcels, their quantity and value will attest the original PP Form and only one copy of the invoices. The original PP Form duly attested will be forwarded by the Customs directly to the RBI. The invoices will be returned by the Customs to the Postal Department for onward delivery to the concerned exporter. For this purpose, wherever Postal Appraising Department is not located in the same premises, self-addressed stamped envelope with sufficient postage affixed on it to cover charges of registration and transmission back to the sender will be attached alongwith the VPP/Registered Post Parcels. The attested copy of the invoice alongwith other prescribed documents will be submitted to the licensing authority for claiming export incentives.

APPENDIX XV-I (*contd.*)

(1)	(2)	(3)
		(b) Exporters, in their own interest, are advised to book the export parcels from the principal foreign post offices, namely—Bombay, Delhi, Madras, Calcutta, Ahmedabad, Jaipur, Bangalore, Cochin and Srinagar. In case the export parcels are booked at post offices situated at places other than those indicated herein above, it would be at the exporter's own risk and if the documents are lost/misplaced, by whomsoever, export incentives will not be allowed under any circumstances. (c) In case the f.o.b. value of export parcels is less than Rs. 10,000/-, the export incentives may be allowed on the basis of bank attested invoices, instead of customs attested invoices. The other conditions shall remain unchanged.
(15)	Gem and Jewellery (other than Gold/silver and Gold/Silver studded jewellery).	(i) Bank Certificate (in original) of Exports. (ii) Bank attested invoice; (iii) Customs attested invoice. (iv) E. P. Copy of the Shipping Bill/Original Post Parcel Receipt. (v) In the case of exports on consignment basis the bank certificate in receipt of foreign exchange should be furnished in the form appearing in Annexe-III in Appendix XV-D of this book.
(16)	Exports of Cinematographic films (exposed), TV Films, news films and still news photos.	(i) Bank Certificate showing realisation of foreign exchange and indicating the particulars of the goods exported in the form appearing in Appendix XV-D (Annexe-III) (Where an exporter obtains advance licence, the Bank Certificate in the prescribed form should be produced alongwith the evidence for discharge of export obligation). (ii) Invoice duly attested by the Bank. (iii) E. P. Copy of the Shipping Bill.

APPENDIX XV-J

APPLICATION FORM FOR IMPORT OF CAPITAL GOODS AGAINST REP LICENCES

1. Name of the Applicant . . . . ____________________

2. I.E.C. . . . . ____________________

3. Correspondence Address. . . . . ____________________

____

Pin Code____________________

4. Address of the Unit . . . . ____________________

____

____

Pin Code____________________

5. Nomenclature of Products Manufactured . . . . .

6. Details of the REP Licences possessed by the applicant against his own exports :

Sl. No.	Number of the REP Licence	Date of issue of REP Licence	Value in Rs.

7. Details of the items to be imported :

Sl. No.	Item Name	Item Code	Quantity	Value (C. I. F.)

APPENDIX XV—J (*Concld.*)

8. PARTICULARS OF LICENCE APPLIED FOR :

(i) Sector Type . . . . ——————————Code [|]

(ii) Category of Importer . . . . ——————————Code [|]

(iii) Category of Licence . . . . . . ——————————Code [|]

(iv) Type of Settlement . . . . . . ——————————Code [|]

(v) Type of Resources . . . . ——————————Code [|]

(vi) Currency Area . . . . [1] General [2] Specific

(vii) Category of Import & Commodity . . . . ——————————Code [|]

(viii) Citizenship Status . . . . [1] Indian [2] Non-resident/Indian

9. DECLARATIONS :

(1) I/We hereby declare that the machinery to be imported does not appear in Appendix I Part 'A', Appendix-2, Part 'B' and Appendix-8 of Import & Export policy 1990-93 (Vol. I) and that the machinery in question applied for shall not result in exceeding the licenced/allowed production capacity.

(2) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief, I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statements furnished is liable to cancellation in addition to any other penalty that the Government may impose having regard to the circumstances of the case, if it is found that any statements of facts therein are incorrect or false.

Signature ....

Name ....
(In Block Letters)

Designation............................

Full Official Address.......................

....

....

Residential Address.....................

....

Place.........................

Date...............................

DOCUMENTS TO BE ENCLOSED :

1. A certified copy of the Industrial Licence or registration of the industrial unit concerned issued by the sponsoring authority.
2. Certified/Photostat copy of registration cum-membership certificate issued by the registering authority.
3. A statement giving the details of REP licences i.e. their number, date and value or the particulars of pending REP application against which licence have yet to issue, against which the machinery in question is sought to be imported.
4. Complete description of the machinery to be imported.

APPENDIX XV-K

CERTIFICATE OF THE BANK FOR REALISATION OF EXPORT PROCEEDS

This is to certify that M/s..are maintaining an account with us and are negotiating overseas exports documents through us. It is further confirmed :

(a) that there is no outstanding realisation on their export bills negotiated through us beyond a period of six months from the date of relevant exports.

(b) that exports proceeds on the following overseas export bills negotiated through us remain un-realised beyond the period of six months from the date of relevant exports.

Sl. No.	GRI Form No. & Date	S/B No./PP No. & Date	Ref. No./Date of Bank Certificate issued earlier	Amount	Whether RBI permission for extension in realisation of export proceeds obtained. If so, period upto which extended
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

The above information is based upon the records maintained by us and also the information furnished by the firm.

Signature..............................

Name....................................

Designation............................

Seal of the Bank.

Place............................

Date..................................

Notes. Delete whichever is not applicable.

APPENDIX XV-L

INDEMNITY-CUM-GUARANTEE BOND FORM OF REALISATION OF FOREIGN EXCHANGE FOR EXPORT OF CUT AND POLISHED DIAMONDS

(To be executed by the importer and guarantor bank which should be a scheduled bank, on a non-judicial stamp paper of minimum value of Rs. 15/- or any amount as may be prescribed by the Stamp Collector of the respective State.)

To

The President of India
Through

The Chief Controller of Imports & Exports (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E and Ministry of Commerce. [Full address, Pin Code (hereinafter referred to as Government)].

This DEED Executed on .... day of .... of month .... by .... (full expanded name of the importer/importer firm with complete address, as per instructions given below) (hereinafter referred to as 'an exporter' which expression shall be deemed to include the heirs, successors, administrators, official liquidator and permitted assigns) party of first part and; .... (full expanded description of the Guarantor Bank with complete address of the office or Branch from which the Guarantee Bond is being executed) (hereinafter referred to as 'Guarantor' which expression shall be deemed to include the successors, official Liquidator and administrator) party of the second part.

The above-named parties (Importer and the Bank) are jointly and severely bound to pay on demand a sum of Rs. .... to the President of India acting through the Chief Controller of Imports and Exports and/or Ministry of Commerce, Govt. of India

WHEREAS the above-named importer has applied for a REP licence of the value of Rs. .... and is desirous of importing rough diamonds under the Scheme in that behalf contained an Import Policy and has agreed to furnish an Indemnity-cum-Guarantee Bond to the Govt. for the fulfilment of all obligations of the importer pertaining to due and timely realisation of the value of the export.

AND WHEREAS in consideration of the Govt. granting licence to the importer to import in terms of the said Scheme, the Guarantor has undertaken to pay the guaranteed amount on demand by the Govt.

AND WHEREAS the Importer has agreed :

(a) Before grant of licence/permission to furnish a Bank Guarantee for an amount equal to———% of the CIF value of the export in foreign exchange within six months from the date of export. The said Bank guarantee will be liable to be forefeited in full or to an amount equivalent to the shortage in realisation of export-proceeds.

(b) To furnish statement, from the Nationalised Banks/Scheduled Banks through which the documents of exports have been negotiated, of realisation of the value in foreign exchange within one month of the expiry of the stipulated period of realisation which is six months from the date of exports, to the concerned Jt. CCI&E/DCCI&E and shall furnish particulars of information and other details as may be required.

(c) In the event of Importers default in effecting realisation or submitting information or complying with the obligation under the Scheme, the importer would be liable to the Govt. under the provisions of Imports and Exports (Control) Act 1947 and Imports (Control) Order 1955 and other provisions/rules formulated by the Govt. relating to the said import.

(d) Abide by all the penal provisions of the Imports and Exports Policy/Handbook of Procedures as also under the Imports and Exports (Control) Act 1947 and rules framed thereunder to be invoked against the importer in case of default as may be decided by the Govt. which shall be final and binding

(e) The importer further authorises the Government to deduct the value of the import replenishment licence now granted from his future entitlement on export of cut and polished diamonds upto the extent of Rs. ———— which is equivalent to the value of the import replenishment licence to be issued now based upon this Indemnity-cum-Guarantee Bond, in the event of not submitting the documents evidencing realisation of export proceeds.

(f) That this Indemnity-cum-Guarantee Bond is executed by the above-named Importer and the Guarantor Bank for the purpose of an act involving public interest.

Now THE CONDITIONS of the above bond are also as follows :

(i) The Importer shall faithfully comply with all the obligations under the Scheme notified by the Govt. and conditions specified in the Import Licence and other stipulations specified hereinabove.

(ii) The Guarantor Bank do hereby express and irrevocably undertake and guarantee that if the importer fails to realise the remittance of the value in foreign exchange within the stipulated period, or furnish statement regarding remittances within the specified period or furnish information as may be required or fails to furnish any information required under the terms and conditions of the licence and the rules framed under the Imports and Exports (Control) Act 1947 and Imports (Control) Order as amended and the rules framed thereunder or if there is any failure of any kind whatsoever on the part of the importer under the terms specified in the licence/scheme, etc. whereby the said amount to be demanded by the Govt. in whole or in part for any reason whatsoever on the written demand of the Govt., the Guarantor Bank shall forthwith without demur and without reference to the importer, pay to the Govt. or to any officer authorised by the Govt. in this behalf any sum demanded by the Govt. from the importer upto a maximum of Rs.

(iii) The demand by the Govt. on the Guarantor shall be final, binding and conclusive with regard to Government's entitlement to the amount and the Guarantor Bank shall effect payment notwithstanding any right the Govt. may have directly against the importer or notwithstanding any dispute raised by the importer in any form.

(iv) The Guarantor Bank shall not be discharged or released from this undertaking by any arrangement variation between the Govt. or importer or any indulgence to the importer by the Govt. with or without the consent or knowledge or any

alteration in the obligations of the importer or any forebearance whether as to payment, time performance or otherwise.

(v) That in the event of importer failing to fulfil the obligations undertaken by it as aforesaid, the importer shall on demand from JCCI&E/DCCI&E or the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi pay or deposit the amount of this guarantee forthwith. The decision of the Govt. to demand shall be final and binding on the importer and bank.

(vi) That the payment of the amount demanded by the Govt. under this Indemnity-cum-Guarantee Bond from the Guarantor Bank will not affect the liability of the importer or any other action including the initiation of legal proceedings for confiscation of the imported material and refusal of further licences and all other liabilities and penalties and the consequences under the provision of Imports and Exports (Control) Act, 1947, Imports (Control) Order of 1955 as amended that may be decided by the Govt. under the Import Trade Control Regulations.

(vii) That the abovenamed Indemnity-cum-Guarantee Bond shall be void after all the obligations of the Importer or the Guarantor Bank herein are fulfilled to the full and final satisfaction of the Govt. as specified above and when such satisfaction is communicated to the Guarantor Bank by the Govt.

(viii) That the Indemnity-cum-Guarantee Bond and the obligations of the Importer and the Guarantor Bank thereunder shall remain in full force for a period of one year from the date of its execution and if all the obligations of the importer are not fully discharged to the full and final satisfaction of the Govt. in the said period the Guarantor Bank and the importer agree and undertake to renew and revive the period of validity of this Indemnity-cum-Guarantee bond for a further period as may be required by the Govt.

IN WITNESS WHEREOF, the abovenamed parties hereto have duly executed this bond on this——— day of—— ————, 199 , signed, sealed and delivered by the abovenamed importer and Guarantor Bank in the presence of :

Witnesses*

1 ———— 1 ———— (full and expanded description of the importer/importer firm).

(To be authenticated/affirmed by 1st class Magistrate/Notary Public).

2. ————

1. ———— 1. ———— (full and expanded description of the Guarantor Bank) ———— for and on behalf of the nationalised/scheduled bank by the authorised officer of the Bank with the seal of the Bank.

2. ————

*Witnesses should also give their occupation and full address.

NOTE

For the Importer and the Bank

1. If the importer is a sole proprietary firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed by the sole proprietor of the said sole proprietary firm along with his permanent complete address.
2. If the importer is a partnership firm, the Indemnity-cum-Guarantee bond is to be executed in the name of the partnership firm through all the partners or managing partners as may be specified in the partnership deed.
3. If the importer is a limited company, the Indemnity-cum-Guarantee bond should be executed by the Executive Director or Managing director of the Limited Company with the seal of the Company.

APPENDIX XVI—A

FORMS OF CERTIFICATES TO BE SUBMITTED WITH APPLICATION IN RESPECT OF SUPPLIES MADE IN INDIA AGAINST IBRD/IDA/ADB/BILATERAL/ MULTILATERAL AIDED PROJECTS AND U.N. ORGANISATIONS ETC. AGAINST PAYMENT MADE IN FREE FOREIGN EXCHANGE AND TO ONGC/GAIL/OIL

FORM I-A

CERTIFICATE OF PAYMENT TO BE ISSUED BY THE PROJECT AUTHORITY FOR SUPPLIES MADE TO PROJECTS FINANCED BY IBRD/IDA/ADB/ BILATERAL/MULTILATERAL AGENCIES.

Certified that the goods of quantity and value as described below and in invoice No. .... dated .... have been supplied to us on .... (indicate the date of supply) against purchase order No.. .... dated .... and we have paid to the suppliers namely, M/s. .... the sum of Rs. .... (in words) .... on the .... (indicate the date of payment) being .... per cent of the value of the equipment supplied as per terms of the contract. It is further certified that the supplies have been made in terms of the contract secured against international competitive bidding in the .... project being undertaken by us and which is fully financed by the assistance from IBRD/IDA/ADB/Bilateral/Multilateral aid and the supplies have been accepted by us at site at the price stated in the invoice.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Name of the project ....

Station ....
Date ....

Description, Quantity and value of goods supplied.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Name of the projected ....

Station ....
Date ....

Note : This certificate should be signed by the Chief Executive Incharge of the Project concerned or by a senior officer specially authorised by him for this purpose.

APPENDIX XVI—A (*Contd.*)

FORM 1-B

(i) CERTIFICATE OF PAYMENT TO BE ISSUED BY THE PROJECT AUTHORITY FOR SUPPLIES MADE BY THE SUB-CONTRACTORS WHOSE NAME APPEARS IN THE MAIN CONTRACT TO PROJECTS FINANCED BY IBRD/IDA/ADB/BILATERAL/MULTILATERAL AGENCIES.

(ii) CERTIFICATE OF PAYMENT TO BE ISSUED BY ONGC/GAIL/OIL FOR SUPPLIES MADE BY SUB-CONTRACTOR WHOSE NAME APPEARS IN THE MAIN CONTRACT.

Certified that M/s. .... is an Indian sub-contractor to M/s. .... (Main Contractor). The contract of the main contractor has been accepted by us vide No. .... dated........ The name of the sub-contractor has been included in the main contract itself and the description, quantity and value of goods which has now been supplied to us has already been indicated in the main contract. These supplies conforms to the specifications laid down in the main contract.

2. It is also certified that the goods/equipment of quantity and value as described below and invoice No........ dated .... have been supplied to us by the above mentioned sub-contractor on .... (indicate the date of supply) against purchase order No. .... dated .... and we have paid to the sub-contractor, namely, M/s. .... the sum of Rs. .... (in words) .... on the .... (indicate the date of payment) being ...... percent of the value of the goods/equipment supplied as per terms of the contract. It is further certified that the supplies have been in terms of the contract dated .... entered into with the suppliers and the supplies have been accepted by us at the price stated in the invoice. We are satisfied that the supplies have been made at international prices. OR It is further certified that the supplies have been made in terms of the contract secured against international competitive bidding in the .... project being undertaken by us and which is fully financed by the assistance from IBRD/IDA/ADB/Bilateral/Multitateral aid and the supplies have been accepted by us at site at the price stated in the invoice.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Name of the project..................

Station ....
Date ....

Description, Quantity and value of goods supplied.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Name of the project..................

Station ....
Date ....

Note (1) below FORM I-E is equally applicable in this case.

FORM 1-C

CERTIFICATE OF PAYMENT TO BE ISSUED BY THE MAIN CONTRACTOR/PROJECT AUTHORITY FOR SUPPLIES MADE BY SUB-CONTRACTORS [(i) WHOSE NAME APPEAR IN THE MAIN CONTRACT BUT THE PAYMENT IS MADE BY THE MAIN CONTRACTOR TO THE SUB-CONTRACTOR IN FREE FOREIGN EXCHANGE OR (ii) WHOSE NAME DOES NOT APPEAR IN THE MAIN CONTRACT] TO PROJECTS FINANCED BY IBRD/IDA/ADB/BILATERAL/MULTILATERAL AGENCIES.

CERTIFICATE TO BE ISSUED BY THE MAIN CONTRACTOR TO THE SUB-CONTRACTOR

Certified that contract No. .... dated .... in respect of .... project (name of the project) has been awarded to us. The project authority is............ (name of the project authority) and the project is financed by IBRD/IDA/ADB/Bilateral/Multilateral agencies. M/s. .... is our sub-contractor vide order/sub-contract No. .... dated .... The goods of quantity and value as described below and in the invoice No. .... dated........ have been supplied to us/project authority on .... agianst purchase order No. .... dated .... and we have paid to the sub-contractor, namely, M/s....... .... the sum of .... in free foreign exchange on the .... (indicate the date of payment) through .... Bank (indicate the name of the authorised Bank) being .... percent of the value of the goods/equipment supplied as per the terms of the contract.

Description, Quantity and value of goods supplied.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Name and address
of the main contractor ....
Name of the project ....

Station....................
Date......................

CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE PROJECT AUTHORITY

Certified that the goods, whose description, quantity and value have been indicated above, are required for the execution of the .... project (indicate the name of the project) and have been supplied to us by/through the main contractor. The contract for the said project has been awarded to M/s. .... (main contractor).

Signature ....
Name ....
Designation ....
Name of the project ....

Station....................
Date......................

Note : This certificate should be signed by the Chief Executive Incharge of the Project concerned or by a senior officer specially authorised by him for this purpose.

FORM I-D

CERTIFICATE OF PAYMENT TO BE ISSUED BY BANKERS IN RESPECT OF SUPPLIES MADE BY SUB-CONTRACTORS [(i) WHOSE NAME APPEAR IN THE MAIN CONTRACT BUT THE PAYMENT IS MADE BY THE MAIN CONTRACTORS TO THE SUB-CONTRACTOR IN FREE FOREIGN EXCHANGE OR (ii) WHOSE NAME DOES NOT APPEAR IN THE MAIN CONTRACT] TO PROJECTS FINANCED BY IBRD/IDA/ADB/BILATERAL/MULTILATERAL AGENCIES.

Certified that the goods of quantity and value as described below have been supplied to .... (name of the project authority) and suppliers viz. M/s. .... have been paid a sum of Rs. .... (in words ....) agianst the aforesaid supplies. It is further certified that the payment has been made by M/s. ....(name of the main contractor) in free foreign exchange by Cheque/Pay Order/Demand Draft No. ....dated........ for .... (give the name of the foreign

APPENDIX XVI-A—(Contd.)

currency and the O.D. buying rate adopted for conversion of foreign currency into Rupees is ....

Signature ....
Name ....
Designation ....
Seal of the Bank ....

Station....................
Date......................

Description, Quantity and value of goods supplied.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Seal of the Bank ....

Station....................
Date......................

FORM I-E

CERTIFICATE OF PAYMENT TO BE ISSUED BY ONGC/GAIL/OIL

Certified that the goods/equipment of quantity and value as described below and in invoice No. .... dated...... have been supplied to us by .... (name of supplier) on .... (indicate the date of supply) against Purchase Order No. .... dated .... and we have paid to the suppliers the sum of Rs. ....(in words) .... on .... (indicate the date of payment) being .... per cent of the value of the goods/equipment supplied as per terms of the contract. It is further certified that the supplies have been made in terms of the contract dated .... entered into with the suppliers and the supplies have been accepted by us at the price stated in the invoice. We are satisfied that the supplies have been made at International Prices.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Seal ....

Station....................
Date......................

Description, Quantity and value of goods supplied.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Name of the project ....

Station....................
Date......................

Note : (1) This certificate may be issued by the Chief Executive of the Project concerned or by a Senior Officer nominated by him whose name, designation and specimen signature are circulated to the Port Licensing authorities concerned. The responsibility for sending timely advice of changes in the names of officials will solely rest with the Project authorities concerned. For any payment of cash assistance or replenishment licences granted agianst certificates incorrectly or otherwise issued by such an officer, the project authorities will be held fully and solely responsible.

FORM I-F

CERTIFICATE OF PAYMENT TO BE ISSUED BY ONGC/GAIL/OIL FOR SUPPLIES MADE BY SUB-CONTRACTOR [(i) WHOSE NAME APPEAR IN THE MAIN CONTRACT BUT THE PAYMENT IS MADE BY THE MAIN CONTRACTOR TO THE SUB-CONTRACTOR IN FREE FOREIGN EXCHANGE OR (ii) WHOSE NAME DOES NOT APPEAR IN THE MAIN CONTRACT].

Certificate to be issued by the main contractor to the sub-contractor.

Certified that Contract No. ....dated.......... in respect of .... project (name of the project) has been awarded to us. The project authority is .... (name of the project authority). M/s. ....is our sub-contractor vide order/Sub-contract No. .... dated .... The goods of quantity and value as described below and invoice No. ....dated .... have been supplied to us/project authority on .... against purchase order No. .... dated .... and we have paid to the suppliers, namely M/s. .... the sum of ....in free foreign exchange on .... (indicate date of payment) through .... Bank (indicate the name of the authorised Bank) being..... percent of the goods/equipment supplied as per the term of the contract.

Description, quantity and value of goods supplied.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Name and address of
the main contractor ....
Name of the project ....

Station ....
Date ....

CERTIFICATE TO BE ISSUED BY ONGC/GAIL/OIL

Certified that the goods, whose description, quantity and value have been indicated above, are required for the execution of the ....project (indicate the name of the project) and have been supplied to us by/through the main contractor. The contract for the aforesaid project has been awarded to M/s ....(Main contractor). We are satisfied that the supplies have been made at international prices.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Name of the project ....

Station ....
Date ....

Note : Note (1) below FORM I-E is equally applicable in this case.

FORM I-G

CERTIFICATE OF PAYMENT TO BE ISSUED BY BANKERS IN RESPECT OF SUPPLIES MADE BY SUB-CONTRACTORS [(i) WHOSE NAME APPEARS IN THE MAIN CONTRACT BUT THE PAYMENT IS MADE BY THE MAIN CONTRACTOR TO THE SUB-CONTRACTOR IN FREE FOREIGN EXCHANGE OR (ii) WHOSE NAME DOES NOT APPEAR IN THE CONTRACT] TO ONGC/GAIL/OIL.

Certified that the goods of quantity and value as described below have been supplied to ....(name of the project authority) and the suppliers viz. M/s. .... have been paid a sum of Rs. ....(in words.......... ....) against the aforesaid supplies. It is further certified that the payment has been made by M/s. .... (name of the main contractor) in free foreign exchange by

APPENDIX XVI-A—(Concld.)

Cheque/Pay Order/Demand Draft No. ....
Dated .... for ....(give the name of the foreign currency) and the O.D. buying rate adopted for conversion of foreign currency into rupees is............

Signature ....
Name ....
Designation ....
Seal of the Bank...................

Station ....
Date ....

Description, quantity and value of goods supplied.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Seal of the Bank

Station ....
Date ....

FORM II

Undertaking to be given by the applicant

We, M/s. ....undertake in respect of our application dated ....against———— (description of goods) supplied to ———————— (name of buyer), that :—

(1) if at any future date we are required to refund any amount to the buyer, namely ———————————— on account of non-satisfactory performance of the equipment during the guarantee period or on account of replacement of defective parts as per contractual agreement we shall send an intimation to the licensing authority giving full particulars within one month of the date of such refund.

(2) We shall refund to the licensing authority proportionate amount in respect of the amount refunded to the Project authority by us.

Signature ....
Name ....
(in Block letters)
Designation ....

Station ....
Date ....

FORM III

DECLARATION

(A) We hereby declare that :—

(a) particulars stated in the application dated........ are correct;

(b) the goods as mentioned in application have been supplied to ....in terms of the contracts secured by us;

(c) the payments against these supplies have been received in free foreign exchange; and

(d) supplies have been made at international prices.

Signature ....
Name ....
(in Block letters)
Designation ....
Name of the applicant firm.........

Station ....
Date ....

(B) We hereby certify that :—

(a) Particulars stated in the application dated .... are correct;

(b) the goods as mentioned in application have been supplied to ....in terms of the contract dated ....secured by us;

(c) The payment against these supplies have been received; and

(d) Supplies have been made in terms of the contract awarded to us by the ONGC/GAIL/OIL vide their letter No. .... dated ....

Signature ....
Name ....
(in Block letters)
Designation ....
Name of the applicant firm.........

Station ....
Date ....

FORM IV-A

Certificate to be issued by UN Organisation or multinational agencies concerned.

Certified that goods of description, quantity and value as given below and in the application dated————have been supplied to us by M/s.———————— for use in our aid programmes in India and we have paid the supplier, in full, in free foreign exchange. We further certify that these supplies will not be used for our own purposes but will be used only for the aid programmes in India undertaken by us. We are satisfied that the supplies have been made at international prices. The goods were supplied on ———————— (date of supply) and the payment was made on ———————— (date of payment).

Signature ....
Name ....
Designation ....

Description, quantity and value of goods supplied.

Signature ....
Name ....
Designation ....

Station ....
Date ....

FORM IV-B

Certificate to be issued by buyer agency against supplies procured in India under international competitive bidding and paid for in free foreign exchange

Certified that goods of the description, quantity and value as given below and as given in the application dated——— have been supplied to us by M/s.———————— against international competitive bidding and we have paid the supplier, in full, in free foreign exchange. The goods were supplied on ———————— (date of supply) and the payment was made on————————(date of payment).

Signature ....
Name ....
Designation ....

Station ....
Date ....

Description, quantity and value of goods supplied.

Signature ....
Name of the applicant firm.........
Designation ....

Station ....
Date ....

APPENDIX XII (*contd.*)

FORM-V

Certificate of payment to be issued by Bankers in respect of supplies made to U.N. Organisation etc.

Certified that the goods of quantity and value as described below have been supplied to (name of the U.N. Organisation etc.) —————————— and the supplier viz. —————————— have been paid a sum of Rs. ....(in words ——————————) in full against the aforesaid supplies. It is further certified that the payment has been made by —————————— (name of the U.N. Organisation etc.) in free foreign exchange i.e. (indicate the foreign currency amounts and the O.D. Buying rate adopted for conversion of foreign currency into rupees).

Signature ....
Name ....
Designation ....
Seal of the Bank..................

Station ....
Date ....

Description, quantity and value of goods supplied.

Signature ....
Name ....
Designation ....
Seal of the Bank..................

Date ....
Station ....

APPENDIX XVI—B

VOUCHER OF SALE TO FOREIGN TOURISTS/ FOREIGN DIPLOMATIC/TRADE REPRESENTATIVES IN EMBASSIES/HIGH COMMISSIONS

S. No..........

(i) Name and nationality of the tourist/foreign diplomatic/trade representative in Embassies/High Commissions to whom the sale is made . .

(ii) His/Her Passport Number

(iii) Description of the items sold (specifying materials of which they are made) . . .

(iv) Sale value in foreign exchange and the rupee equivalent . . .

(v) Details of the foreign currency and foreign traveller's cheques given by the tourist etc. .

Signature of the Tourists	Signature of Dealer/Importer	Registration Number

Note:—Please read condition on the reverse.

(1) Copy to be delivered to the foreign tourist etc. (White)

(2) Copy to be sent along with Import licence application (Yellow)

(3) Copy to be retained by the Exporter (Pink)

(4) Copy to be stitched on the passport in case of Gem & Jewellery (Green)

Note:—(1) Gem & Jewellery articles purchased under the voucher are totally prohibited from being sold, gifted or otherwise disposed of within the territory of India to any person.

APPENDIX XVI-C

BANK CERTIFICATE FOR GOODS SOLD TO FOREIGN TOURISTS/DIPLOMATIC PERSONNEL/ TRADE REPRESENTATIVES IN EMBASSIES/HIGH COMMISSIONS IN INDIA

IE Code : ——————

This is to certify that the payments against the following bills made by M/s———————————————to the foreign tourists/Diplomatic Personnel/trade representatives in Embassies/High Commissions have been received by us as per Exchange Control Regulations in the approved manner. We also certify that the payment thereof has not been received in Non-convertible Rupee Account under any Bilateral Trade Agreement.

Sl. No.	Sale Voucher Cash Memo No.	Sale Voucher Cash Memo Date	Description of goods sold to Foreign Tourists	REP Code	FOB Value of Goods	Date of Deposit of Foreign Currency Traveller Cheque/ Credit Card/Bank Draft or Cheque, as the case may be, in the bank	Rupee Equivalent of the Foreign Exchange Realised	*Date of Realisation of payment
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Authorised Foreign Exchange Dealer

Code allotted to the bank by RBI ....

Ref. No. ....

Date ....

Place ....

(Signature of the Manager)

Authorised Officer of the Bank

Official Seal

*This applies only in case of personal cheques drawn on foreign bank(s).

APPENDIX XVI-D

STATEMENT SHOWING PARTICULARS OF SALES TO THE FOREIGN TOURISTS/DIPLOMATIC PERSONNEL TRADE REPRESENTATIVES IN EMBASSIES/HIGH COMMISSIONS NAME AND ADDRESS OF THE FIRM

Statement showing particulars of sales to the foreign tourists/diplomatic personnel/trade representatives in embassies/ High Commissions effected during the period..against which import licence is being claimed.

S. No.	Products sold to tourists (indicate product Group and the S. No. to which the product sold belongs)	No. and date of sale voucher/ cash memo/order	Description of products sold	F.O.B. value in rupees of the items sold for which replenishment is claimed	Rupees equivalent of the foreign exchanges realised in respect of the items on which replenishment is claimed here (figure from B/C)	F.O.B. value on which entitlement is being claimed (This should be lesser of the two values shown in Cols. 5 & 6)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2.							
3							
4.							

N.B.:— 1. Value in column 7 should be totalled.

2. This statement of particulars should be signed by the applicant signing the application form.

APPENDIX XVI-E

Documents for submission alongwith applications for grant of import replenishment licences:—

Category of Deemed Exports (1)	Documents to be submitted (2)
(a) Supplies made against Duty Free Licences issued under Duty Exemption Scheme.	(i) Bank attested invoice (ii) Original Copy of the Advance Release Order evidencing fact of supplies. (iii) A photocopy of the valid Registration cum Membership certificate issued by the concerned Export Promotion Council/Commodity Board. (iv) Certified copy of registration Certificate of the supplier. (v) Certified copy of the excise gate-pass, (In case refund of excise is claimed)
(b) Supplies made in India to IBRD/IDA/ADB aided projects under the procedure of international competitive bidding and project financed by multilateral/bilateral external agencies either under International competitive bidding or under limited tender and ONGC/GAIL/OIL at international prices	(i) A certificate of payment issued by the project authority/Bank in the relevant Form I in Appendix XVI-A. (ii) Sale invoice duly authenticated by the project authority; (iii) Undertaking by the applicant in the Form-II in Appendix XVI-A, (iv) A declaration by the applicant in the relevant form III given in Appendix XVI-A.
(c) Supplies made against free foreign exchange to U.N. Organisations or under the aid programme and other multinational agencies at international prices and other supplies made in India against competitive bidding.	(i) Invoice duly authenticated by the buyer agency. (ii) undertaking by the applicant in Form II given in Appendix XVI-A. (iii) A declaration by the applicant in relevant Form III given in Appendix XVI-A. (iv) Certificate of buyer agency in the relevant Form IV given in Appendix XVI-A. (v) Bank certificate in respect of payment received in Form V given in Appendix XVI-A.
(d) 1. Supplies of material made to foreign shipping companies as ship-stores and other material (excluding freight containers).	(i) Bank Certificate (In original) regarding receipt of foreign exchange or Indian Rupees obtained from exchange of foreign currency. (ii) Bank attested invoice.
2. Supplies made in India of ship-stores to foreign going (i) Indian shipping company vessels, (ii) Air India, and (iii) Indian Airlines.	(iii) One copy of the shipping/airway bill duly authenticated by the Customs in respet of the supplies made to shipping companies/Air India/Indian Airlines. (iv) Customs 'Allow Order' in lieu of the Customs authenticated shipping/airway bill wherever not available. (v) In cases where the applicant is not able to produce the documents at (i) and (ii) above the licensing authority may accept, in lieu thereof, a certificate from the Shipping Company/Air India/Indian Airlines or their agent, duly counter-signed by Chartered Accountant that (a) the amount of the bill (full particulars of which should be indicated) has been paid out of the freight earnings/foreign exchange allocation of such Company/Airlines and (b) the expenditure has been or will be shown in the monthly statement of disbursements required to be submitted to the Reserve Bank of India.
Supplies of fitment items (of Capital Goods nature) to Indian shipyards for installation in ocean going vessels;	(i) Bank certificate, certifying the receipt of payment against supplies of fitment items from Indian shipyards building ocean going ships. (ii) Bank attested supply invoice.
(f) Supplies of indigenously manufactured consumer durable including vehicles, to the foreign diplomatic personnel/trade representatives in Embassies/High Commission.	(i) Certified true copies of sale voucher/cash memos, giving details of (a) name and nationality of the foreign diplomatic personnel/trade representatives, (b) His/her Passport number (c) details of traveller's cheques/crossed foreign bank draft/personal cheques drawn on foreign banks, (d)

APPENDIX XVI-E (*Concld.*)

(1)	(2)
	description of the articles sold, (e) value of each articles and (f) a letter from the concerned Embassy/High Commission certifying that the person concerned is working with them. (ii) Bank certificate as per the proforma indicated in Appendix XVI-C, indicating the number and date of the relevant sale voucher/cash memo, and showing receipt and surrender to the Indian Exchange Control; copy of the relevant foreign currency traveller's cheques/crossed foreign bank draft/personal cheques drawn on foreign banks (In the case of personal cheques on foreign banks, the bank should also certify that the proceeds of the cheques have been realised in foreign exchange as per the Exchange Control Regulations) and (iii) A statement of the sales giving detail of sale voucher/cash memo, its number and date, description of the articles sold, the value in rupees of foreign exchange surrendered, the date of surrendering of travellers cheques/foreign bank drafts/personal cheques and date of realisation of foreign exchange in the case of personal cheques, as per specimen proforma at Appendix XVI-D.
(g) Sale of goods sold at duty free shops to passengers against free foreign exchange.	(i) A certificate of the India Tourism Development Corporation (ITDC) indicating the number and date of cash memo, name (and models if any) of the item sold, quantity of the item sold and the amount of foreign exchange realised. NOTE:—The statement should be prepared itemwise and should be signed by the Manager, Duty Free Shop and Countersigned by the Controller (Shops) and at the end of the statement the following certificate should be given:— "The particulars stated in the statement are true and correct and the amount of the foreign currency shown in the statement has been actually realised and deposited at the State Bank Counter at—— Airport."
	(Cash memos need not be sent with the application)
(h) Sale to Foreign Tourists of items other than Gem and Jewellery.	(i) Certified true copies of sale voucher/cash memos, giving details of (a) name and nationality of the tourist, (b) Passport number of the tourist, (c) details of traveller's cheques/crossed foreign bank draft/personal cheques drawn on foreign banks, (d) detailed description of the articles sold, specifying material of which they are made and (e) value of each article. (ii) Bank certificates as per the proforma indicated in Appendix XVI-C, indicating the number and date of the relevant sale voucher/cash memo, and showing receipt and surrender to the Indian Exchange Control; copy of the relevant foreign currencies traveller's cheques/crossed foreign bank draft/personal cheques drawn on foreign banks (In the case of personal cheques on foreign banks, the bank should also certify that the proceeds of the cheques have been realised in foreign exchange as per the Exchange Control Regulations); and (iii) A statement of the sales giving details of sale voucher/cash memo, its number and date, description of the articles sold specifying the material of which they are made, the value in rupees of foreign exchange surrendered, the date of surrendering of traveller's cheques/foreign banks drafts/personal cheques and date of realisation of foreign exchange in the case of personal cheques, as per specimen proforma at Appendix XVI-D.
(i) Sale to foreign tourists of Gem & Jewellery Items.	(i) Triplicate copies of sale vouchers, giving full description of the items sold, their value in Indian rupees, particulars of foreign tourist, his/her passport number, mode of payment and amount of foreign currency traveller's cheques. (ii) Bank certificate, in original, evidencing receipt of foreign exchange from sales to foreign tourists against travellers' cheques.

APPENDIX—XVII

FORM OF APPLICATION FOR GRANT OF REP LICENCES AGAINST EXPORT OF SERVICES MADE BY REGISTERED EXPORTERS

I & E CODE and year of Issue

1. Name & Address of the applicant . . . . . .
2. RCMC No. & Date . . . .
   (Photocopy enclosed)
3. Export Period . . . .
4. Name of Directors/Partners/Proprietor/Karta, as the case may be . . . .
5. Capital Investment on fixed assets :—
   (a) Machinery/Equipment . . . . Imported : Indigenous :
   (b) Land & Building . . . .
6. CIF value of Licence applied for . . . .
7. Details of application fee paid . . . .
8. (i) Details of service export made during April 19 /March 19

Sl No	Description of Service exported	Purchase order/ Contract (Give brief detail with name/address of overseas client)	Shipping Bill/PP No. & Date	Inv. No. & Dt.	Country of Export	Foreign Exchange Earned			
						Currency & Amount	Rupee equiva-lent	GRI/PP No.	FIRC No. Date

(ii) (a) Total amount of foreign exchange earned . . . Rs.
   (b) Total amount of commission or discount paid or payable (at a later date) to the foreign agent(s) by the exporter . . . . Rs.
   (c) Passage money paid in India for consultant/experts other personals for travel abroad . . . . Rs.
   (d) Other expenses abroad in foreign exchange with the approval of R.B.I. . . . . Rs.
   (e) Net Foregn Exchange Earned . . . . . . Rs.

9. Entitlement for REP Licence . . . . Rs.

10. List of Documents attached :
   (i) Copy of Purchase Order/Contract :
   (ii) Invoice attested by a bank ;
   (iii) Foreign Exchange Inward Remittance (FIRC) issued by the bank;
   (iv) C.A. Certificate indicating the Number and Date of RBI approval, and amount of foreign exchange released for expenses abroad, passage money paid in India for the Consultant/experts/other personnel for travel abroad and net foreign exchange earned;
   (v) RBI approval of the agreement signed with the overseas client (RBI) may take cognizance of the order/contract received through FAX or TELEX but this should invariably be followed by a regular signed order/contract between the parties within 15 days of receipt of FAX/TELEX; and
   (vi) Copy of the RCMC issued by the concerned EPC.

Undertaking/Declaration

I/We hereby solemnly undertake/declare :—

(i) I/We hereby declare that the particulars and the statement made in this application are true to the best of my/our knowledge and nothing has been concealed or held therefrom;

(ii) I/We undertake that the value of the Import Licence granted on the basis of this application shall be liable to be set off against future import licences due to me/us or to my/our nominees without any prejudice to any other action that may be taken in this behalf, in case any part of the information contained in this application is found incorrect, false or misleading;

(iii) that no other application for import licence has been made or will be made in the future against exports covered by this application;

(iv) If any amount is paid to the foreign buyer at any time on account of any penalty or damage pertaining to the exports covered by this application, the intimation thereof shall be sent to the Licensing Authority within one month thereof and the value of the import licence issued against this application shall be liable to be set off against future import licence due to me/us without prejudice to any other action that may be taken in this behalf;

(v) If as a result of a scrutiny by the licensing authority any excess licensing is found to have been done to me/us against this application the same shall be liable for being adjusted against future licences due to me/us under any category without any prejudice to any other action that may be taken in this behalf;

(vi) I/We hereby undertake that any licence granted on the basis of this application shall be liable to cancellation or being made ineffective without prejudice to any other action that may be taken on this behalf, if any information furnished in this application is found to be wrong or incorrect or misleading;

(vii) I/We have not under invoiced or over invoiced our expotrs:

(viii) I, further certify that I am authorised to verify and sign this statement on behalf of the applicant;

I/We fully understand that any information furnished in the above statement, if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

Signature of the applicant :

Place : Name in Block letters :

Designation :

Date : Full Official Address :

Full Residential Address :

APPENDIX XVIII—A

FORM OF APPLICATION FOR GRANT OF EXPORT/TRADING/STAR TRADING HOUSE CERTIFICATE

1. Import/Export Code No.	2. Name of firm
3. Application for	Address :
4. Nature of Concern	
5. Status of the Exporter	
6. Date of Establishment	
7. Regn. No./IL. No.	CITY :
Date :	PIN :
8. FIEO RCMC No. Issue Date : Expiry Dt.	9. Bankers :
10. Name(s) of the Directors/Partner(s)/Proprietor(s) or Karta as the case may be.	11. Head Office Branches in India Associated Cos. Branches Abroad

12. No. & Date of Export House/Trading House Certificates held earlier & their validity period

S. No.	Certificate No.	From	To

13. Statement of Export/Net Realisation of Foreign Exchange

(Separate statements to be submitted for each licensing year)

APPENDIX XVIII—A (*Contd.*)

(A) Statement of Exports :

Licensing Year—————

Category of Exports	Description of items exported	S. No. of the exported products in Appendix 17 of the Import Policy	Name & Address of the manufacturer of the goods exported	Country to which exported	FOB value of exports
1	2	3	4	5	6
(1) Non-SSI.					
(2) SSI/Cottage Sector.					
(3) Invisible earnings.					

(B) Statement of Net Realisation of Foreign Exchange

Licensing Year —————

Category of exports	Total FOB value in statement at (A) above	Total CIF Value of Advance, Impress including Diamond/DTC Imprest and Import-Export Pass Books (excluding special Imprest Import-Export Pass Books), if any, issued (utilised value based on all remittances made on or before the last day of the relevant licensing year, in the case of DTC Imprest Licences) as well as REP licences issued or eligibility therefor during the licensing year.	Value of licences issued during the last quarter of the licensing year to be excluded from the total cif value of the licences issued during the said year, as per the option given in Note 2 below Para 218(2)(a) of the Import Policy.	Value of the licences issued during the last quarter of the immediately preceding licensing year to be included in the total cif value of the licences issued during the current licensing year, as per the option given in Note 2 below Para 218(2)(a) of the Import Policy.	Net realisation of foreign exchange (Col. 2 minus Col. 3) (excluding Col. 4 but including Col. 5)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
(1) Non-SSI.						
(2) SSI/Cottage Sector.						
(3) Invisible earnings.						

*14 **Statement of Direct Exports made and details of Licences issued/eligibility thereof**

Part-I

Licensing year ....

Period Exports	Item exported	FOB value of exports	Sl. No. in App. 17	Rep. rate as per App. 17	Value of eligibility of REP licences as per Col. 5	Rep. Licences issued No. & Date CIF value	Balance value of eligibility, if any (Col. 6—Col. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Part-II

Category of licence	No. and Date	CIF value	Item of Exports	Value of E.O. imposed	FOB value of Exports made	Excess Exports, if any	Value of REP eligibility on excess exports	Quantum of value addition in Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(i) Part (a)								
(ii) Part (b)								

APPENDIX XVIII-A (*Contd.*)

REP rates as per App. 17	Total value of Special REP issued/eligibility	Total of Col. 3 in Part I+Col. 6 in Part II	Total c.i.f. value of licences issued/eligibility (7+8 of Part I Plus 3+8+11 of Part II)
10	11	12	13

Direct exports against which REP licences are issued/eligibility if not issued, should be indicated in Part I.

Details of exports made against advance, Import & Export Pass Book, DTC imprest and otherimprest licences should be indicated in Part II of the statement.

3. In Col. 1 Part II, give details of licences category-wise, viz. Advance, Import & Export Pass Book, Imprest & DTC.
4. Details of exports made against licences (other than REP. issued in current year) should be shown at Part II (a). Details of exports made against E.O. imposed in earlier year and fulfilled in current year should be shown at Part II (b).
5. FOB value should be exclusive of commission.
6. Ensure that the total of f.o.b. value of exports and c.i.f. value of licences issued/eligibility tallies with the values mentioned in the statement of net realisation.
7. This statement should be certified by CA.

I/We hereby declare that the above statements and financial information are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed; that all* the registers and records prescribed have been maintained and that the financial information has been drawn up from and is in agreement with register(s) and records so maintained.

I/We further declare that :

(i) The f.o.b. value of exports/Net realisation of foreign exchange on the basis of which Export/Trading House/Star Trading House Certificate has been claimed in this statement are our direct exports. The Export order/Contract, the bank certificate, shipping bills and the invoices were in our name only (if the invoice also mentions the name of the manufacturer of goods exported, this may be indicated).

(ii) In the case of exports made by us as associates of STC/MMTC, the conditions laid down in Chapter XVIII of the Hand Book of Procedures 1990—93 are fulfilled. All the REP benefits on these exports have been taken by us or will be taken by us for which the STC/MMTC has given a disclaimer and they shall not compute these exports as theirs for claiming an Export/Trading House/Star Trading House Certificate. Also our name appears with or without the name of the STC/MMTC in the documents, viz. .... A certificate to this effect obtained from the STC/MMTC is enclosed.

(iii) The f.o.b. value shown in the statement is exclusive of commission paid or payable.

(iv) The f.o.b. value of exports pertains to the goods which have not been returned by the consignee abroad.

(v) The sale proceeds in respect of the exports whose f.o.b. value/Net realisation of foreign exchange has been claimed, have been realised and in respect of the exports made in the last year of the Base period, in respect of which sale proceeds have not yet been realised, extension of time limit for realisation of sale proceeds has been granted by RBI.

I/We hereby declare that the f.o.b. value/Net realisation of foreign exchange of products shown above as manufactured by small scale units comprises items manufactured only by SSI units.

I/We also hereby declare that the f.o.b. value/net realisation of foreign exchange of products shown above does not include the f.o.b. value/Net realisation of foreign exchange of the products manufactured and exported from the Free Trade Zone/Export Processing Zone, 100% Export-Oriented Units and deemed exports as defined in Chapters XXII, XXIII, and XVI as well as from indigenous supplies made in terms of para 200 of Chapter XV of the Import Policy.

I further certify that I am authorised to verify and sign this statement on behalf of the applicant.

I/We fully understand that any information furnished in the above statement, if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

Signature ....

Name of the Exporter ....

Full official address ....

Full residential address ....

Place :

Date :

*If any of the documents/records have not been maintained, they may be specified below :—

1.

2.

Note (1) This application has to be signed by the partner/proprietor/Managing Director/Director of the company. In case it is to be signed by an authorised signatory, a copy of the power of Attorney should be furnished.

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT/COST ACCOUNTANT/COMPANY SECRETARY

I/We hereby confirm that I/We have examined the prescribed Registers and also the relevant records of M/s.———————— for the period from ———————— to ———————— for the period/year ending ———————— and hereby certify that :

(i) M/s. .... (full name and address of the applicant) have realised net foreign exchange for each of the three financial years specified in the statement in Sl. No. 13 of the application.

(ii) The sale proceeds in respect of exports included in this Statement in Sl. No. 13 have been realised and in respect of the exports made in the last year of the Base period for which sale proceeds have not yet been realised, the time limit for realisation of sale proceeds has been extended by the RBI.

APPNNDIX XVIII-A—*Concld.*

(iii) The statement in Sl. No. 14 has been verified and has been found correct.

(iv) The following documents and records have been furnished by the applicant and have been examined and verified by me/us namely :—

Export order/Contract, shipping bills, Bill of Lading (and/or Airways Bills/PP Receipts), Customs/Bank attested Invoices, Bank Certificates showing realisation of sale proceeds, evidence of payments received in foreign exchange in their own name and connected books of accounts. Advance/Imprest (including Diamond/DTC Imprest) licences, Import-Export Pass Books (excluding special Imprest Import-Export Pass Book), if any issued and REP licences issued or eligibility therefor during relevant years and eligibilities as per relevant Import-Export Policy.**

(v) The relevant register has been authenticated under my/our seal/signature.

(vi) The f.o.b. value/net realisation of Foreign Exchange of the Products (included in the Statement) does not include the f.o.b. value/net realisation of foreign exchange of the products manufactured and exported from the FTZ/EPZ, 100% EOUs and from deemed exports as defined in Chapters XXII, XXIII and XVI and from indigenous supplies made in terms of para 200 of Chapter XV of the Import Policy.

(vii) The f.o.b. value of products manufactured by SSI/Cottage Sector units and net realisation of foreign exchange thereof as shown in the statement of Exports/Net realisation of foreign exchange is correct.

(viii) The financial information given in the above statement is in agreement with the relevant register and records; the same has been incorporated in the books of accounts maintained by the exporter: and is also true and correct;

(ix) It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respects no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld;

(x) Neither I, nor any of my partners is a partner, director, or an employee of the above-named entity or its associated concerns;

(xi) I/We fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

(Signature and stamp/Seal of the Signatory)

(Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary)

Name of the Signatory ....

Full Address ....

....

Place :

Membership No. ....

Date :

**If any of the documents or records mentioned in item (iv) of the certificate have not been maintained/furnished, examined or verified, they may please be specified below :

1.

2.

3.

4.

Note :—

(1) 'Direct Exports' referred to in para (i) of the applicant's declaration as well as in that of the Chartered Accountant's Certificate above, will also include exports, if any mentioned in para 347 of Chapter XIX of the Hand Book of Procedures, 1990—93.

(2) In respect of Col. 3 under Sl. No. 13 (B) detailed breakup of (a) Licence No., date and its value, where licences have already been granted, and (b) Period of export, description of the export product, f.o.b. value of exports, rate of import replenishment and the value of import entitlement should be furnished.

APPENDIX XVIII-B

FORM OF APPLICATION FOR ADDITIONAL/SPECIAL ADDITIONAL LICENCE

1. Name and address of the applicant . . . . . .

2. Nature of Concern, whether Ltd. Co. Proprietorship, Partnership or Hindu undivided family concern . . . . . .

3. Names of Directors, Partners, Proprietor or Karta, as the case may be . . . .

4. Details of Head Office, Branches or Associated companies (Name and address) . . . .

(a) In India . . . .

(b) Abroad . . . .

5. No. and date of Registration Certificate issued by FIEO (copy of Registration Certificate to be furnished) . . . .

6. No. and date of Export House/Trading House/Star Trading House certificate and the date upto which is it valid . .

APPENDIX XVIII-B (*Concld.*)

7. Statement of Exports of the Products qualifying for eligibility

Year (Preceding two financial years separately)	Description of item exported	Sl. No. of the item exported in App. 17 of the import policy	FOB value of exports	Total c.i.f. value of advance, Imprest, (including Diamond/ DTC imprest) and Import-Export Pass Books (excluding Speical Imprest Import-Export Pass Books) if any, issued, as well as REP licences issued or eligibility therefor, categorywise during the preceding two years.	Net realisation of foreign exchange (value in Col. 5 to be deducted from the value in Col. 4)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

8. Licensing Period for which Additional/Special Additional licence applied for
9. Value of the licence applied for (C.I.F.) . . . .
10. Full details of enclosures attached to the application . .

UNDERTAKING/DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements and financial information are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed, that all* the registers and records prescribed have been maintained and that the financial information has been drawn up from and is in agreement with register(s) and records so maintained.

I/We hereby declare that the f.o.b. value/Net realization of foreign exchange of products shown above does not include the f.o.b. value/Net realisation of foreign exchange of the products manufactured and exported from the free Trade Zone/Export Processing Zones and 100% Export Oriented Units in Chapter XXII and XXIII of the Import Policy.

I/We further certify that the sale proceeds of products shown above have been realised. I further certify that I am authorised to verify and sign this statement on behalf of the applicant.

I/We fully understand that any information furnished in the above statement, if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

Signature ....

Name of the

Exporter ....

Full official

address ....

Full residential

address ....

Place :

Date :

*If any of the records have not been maintained, they may be specified below :

1.

2.

3.

4.

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT/ COST ACCOUNTANT/COMPANY SECRETARY

I/We hereby confirm that I/We have examined the prescribed Registers and also the relevant records of M/s..... .... for the period from .... to .... for the period/year ended .... and hereby certify that :

(i) M/s. ....
(full name and address of the applicant)

have realised net foreign exchange for the financial years specified in the statement in Sl. No. 7 of the application after calculating the total f.o.b. value of admissible exports, as defined in Chapter XVIII of the Import & Export Policy 1990—93 for the licencing years and reducing therefrom the total c.i.f. value of Advance/Imprest (including Diamond/ DTC Imprest) and Import entitlement against exports effected in Import-Export Pass Books (excluding Special Imprest Import and Export Pass Books), if any, issued and REP licences or entitlements therefor during the relevant financial years as per the relevant Import & Export Policy and the sale proceeds in respect of these exports have already been realised by them.

(ii) the following documents and records have been furnished by the applicant and have been examined and verified by me/us namely :—

Export order/Contract, shipping bills, Bill of Lading (and/or Airways Bills/PP Receipt), Customs/ Bank attested Invoices, Bank Certificates showing realisation of sale proceeds, evidence of payments received in foreign exchange in their own names and connected books of accounts, Advance/Imprest licence (including Diamond/DTC Imprest)/Import-Export Pass Books (excluding Special Imprest Import Export Pass Books), if any, issued, and REP licences issued or eligibility therefor during the relevant years as per the relevant Import & Export policy.

(ii) The f.o.b. value/Net realisation of foreign exchange of the products included in the statement, does not include the f.o.b. value/Net realisation of foreign exchange of the products manufactured and exported from the FTZs/EPZs and 100% EOUs, as defined in Chapters XXII and XXIII of the Policy.

(iv) the relevant register has been authenticated under my/our seal/signatures.

(v) the financial information given in the above statement is in agreement with the relevant register and records; the same has been incorporated in the books of accounts maintained by the exporter and is also true and correct.

(vi) it has been ensured that the information furnished is true and correct in all respects; no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.

APPENDIX XVIII-B—*Concld.*

(vii) neither I nor any of my partners is a partner, director, or an employee of the above-named entity or its associated concerns.

(viii) I/We fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

(Signature and stamp/Seal of the Signatory)

(Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary)
Name of the Signatory........

Full Address..............

....

Place :

Membership No. ....

Date :

If any of the documents or records mentioned in item (ii) of the certificate have not been maintained/furnished, examined or verified, they may please be specified below.

1.
2.
3.
4.

Note :—

(i) FOB value of admissible exports shall be of products, as defined in Chapter XVIII of the Import Policy, during the preceding two licensing years for which sale proceeds have been realised.

(ii) Furnish No. and Date of the licensing authority and c.i.f. value of all categories of Advance. Imprest (including Diamond/DTC Imprest) and Import-Export Pass Books (excluding Special Imprest Import-Export Pass Books) if any issued, and REP licences issued or eligibility therefor during the preceding two licensing years.

General Instructions : Before filling in the application read the instructions.

Col. 3. Put No. 1 for Export House and No. 2 for Trading House.

Col. 4. Fill in relevant No.
(1. Public Limited, 2. Private Limited Col., 3. Partnership, 4. Proprietorship, 5. Hindu Undivided Family Concern)

Col. 5. Fill in relevant No.
(1. Manufacturer Exporter (SSI), 2. Manufacturer Exporter Large scale, 3. Merchant Exporter)

Col. 11. Give complete address also.

Enclosures :

1. Photocopy of RCMC issued by FIEO.
2. Photocopy of SSI/DGTD Registration Certificate or Industrial Licence.

APPENDIX XVIII-C

QUARTERLY STATEMENT SHOWING THE ACCOUNT OF IMPORT AND DISPOSAL OF MATERIALS IMPORTED BY HOUSES/TRADING HOUSES/STAR TRADING HOUSES

M/s.............................. Importer Code No ....

Statement for the quarters ending March/June/September/December

Description of goods imported	Seven digit code Nos. of ITC—Revision 2	CIF value of opening balance in stock	CIF value of goods imported against non-transferable Additional licences	Total of Columns 2 & 3	Licence No. and Date against which goods in Col. 4 were Imported	CIF value of the goods disposed of during the quarter under report: To Actual Users with their names and addresses and the description of goods manufactured by them	CIF value of the goods disposed of during the quarter under report: For expect production of Export Houses/Trading Houses/Star Trading Houses own a/c. in the manufacturing establishments owned by them and the description of goods manufactured	Balance stock at the end of quarter	Remarks
		Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Place :
Date :

Signature

Name of the Export House/
Trading House/Star Trading House

APPENDIX XIX-A

FORM OF APPLICATION FOR LICENCES UNDER THE DUTY EXEMPTION SCHEME

NOTE : Read the General Instructions at the end of application before filling the Application

Ref. No. Date :

PART—I

1. IE Code Number : [ ]
2. Name :
   Address :
3. Application for : [ ]
4. Status of Exporter : [ ]
5. Nature of Concern : [ ]
6. Export/Trading/Star Trading House No. : Issue Date : Expiry Date :
7. RCMC Number : Issue Date : Expiry Date :
8. Details of Manufacturer/Supporting manufacturer:
   Type of Units : [ ] Reg. Number : Date :
9. Manufacturer/Supporting manufacturer Central Excise Licence Details. Central Excise No. : Issue Date : Expiry Date :
10. Total FOB Value :
11. Total CIF Value :
12. Percentage of Value Addition :
13. Application fee :
14. Bank Recp. No. & Date :
15. Bank of Issue :
16. Port of Registration :
17. Status of Norms : [ ]
18. If the Norms fixed by ALC/RALC give file Numbers concerned.
    [AL/RALC] : Licencing Auth. :
19. Type of Order : [ ]
20. Mode of Payment : [ ]
21. Export/Supply Order No. : Date :
22. FOB Value of Export/Supply Order :
23. Value, if any, of Exports/Supplies already made against the same order :
24. Net Export/Supply Order Value :
25. Amount of Commission, if any.
26. Name of the foreign buyer/Project Authority.
27. Country/Destination of Exports/Suppliers
28. Delivery period of Exports/Supplies :
29. If Exports/Supplies are to be effected on behalf of STC, MMTC or an E/T/ST House give Number, Name and Address of E/T/ST House E/T/ST House Number : Date :
    Name and Address :

(To be filled by office)

File Number :

Licence Number :

Name & Designation

Signature of the Applicant with Seal.

30. Name and Address of Supporting Manf. if any.
31. Factory Address. (Supp. manf. factory Address in case of other than manufacturer exporter.)

APPENDIX XIX-A (*contd.*)

32. Name of Directors/Proprietors/Partners or Karta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

33. Past Export/Supply Performance of preceding three financial years. (Certified by the Chartered Accountant).

Sl. No.	Year	FOB Value
1.		
2.		
3.		

34. If the Application is based on Export Production Programme, give following details in terms of para 238 of I-E policy.

(i) Export Performance during preceding three years.

Sl. No.	Year	FOB Value
1.		
2.		
3.		

35. If Application is against Supply Order give following details (Applicable for Spl. Imp. Licence)

(i) Credit under which Project is financed :

(ii) Method by which the order is procured :

(iii) In which sub-para of para 206 of I-E Policy the supplies are covered.

Intenational prices/ International competitive bidding/Limited tender.

(ii) Details of Licences issued during the preceding one-year for the export Product(s) applied for now, if yes, give following details.

Sl. No.	Licence No. & Date	CIF Value	FOB Value	% of E.O. Fulfilled

36. Explain the Process of manufacturing activity involved with the help of a flow chart in manufacturing the resultant Product(s) against this application. (Please give in separate sheet in the same size i.e. 18·4×29·7 cm).

(To be filled by the office)

37. Particulars of Licence Applied for :

(i) Sector Type . . . . Name . . . . . . Code : [ ][ ]

(ii) Category of Importer . . . . Name . . . . . . Code : [ ][ ]

(iii) Type of licence applied for . . . . Name . . . . . . Code : [ ][ ]

(iv) Type of Settlement . . . . Name . . . . . . Code : [ ][ ]

(v) Type of Resources . . . . Name . . . . . . Code : [ ][ ]

(vi) Currency Area . . . . [1] General [2] Specific

(vii) Category of Import Commodity . . . . . Name . . . . . . Code : [ ][ ]

(viii) Citizenship Status . . . . [1] Indian [2] Non-resident Indian

(ix) Customs Port of Registration . . . . . . Name . . . . . . Code : [ ][ ]

APPENDIX XIX-A (*contd.*)

PART—II

(A) Details of the products to be exported (Resultant Products).

Sl. No.	Resultant Product		Technical Character istics/Quality	Total Quantity	Unit of Measurement		Total FOB Value	FOB Value per Unit Quantity	Rep. Rate
	Resultant Product Name	Code			Name	Code			

(B) Details of Items sought to be imported Duty free (Arranged Item-wise)

Sl. No.	Import Item		Technical Characteristics/ Quality	Total quantity	Unit of Measurement		Total CIF Value	Total Duty From which Exemption Asked for	Rate of Duties	Proposed Country of Imports
	Import Item Name	Code			Name	Code				

(C) Arranged and shown separately for each kind of Export Product.

Sl. No.	Resultant Product		Required Item		Quantity Required for Unit of Resultant Product	Purpose of Requirement	Wastage Claimed (%)	Recoverable Wastage/By Products		
	Resultant Product Name	Sl. No. in Part-IIA	Name	Sl.No. in Part-IIB				Name	Quantity	Value

APPENDIX XIX-A (*contd.*)

(D) Details of other materials to be used in the export product and sought to be imported/procured from sources other than the licence for which the present application made.

Sl. No.	Resultant Product		Input Item		Technical Characteristics/ Quality	Imported Items		Indigenously Manf.		Unit of Measurement	
	Resultant Product Name	Sl. No. in Part-IIA	Name	Code		Quantity	Value	Quantity	Value	Name	Code

(E) Details of Outstanding Licences Under Duty Exemption Scheme.

Licence Details						Percentage of E.O. Fulfilled		Expiry Date of E.O. Period	Present Status	Reasons for Non Fulfilment of Export Obligation
Sl. No.	Type of Licence	Licence No. & Date	E/S Order or E.P.P.	CIF Value	FOB Value	Qty. Wise	Value Wise			

APPENDIX XIX—A (*contd.*)

I/We hereby declare that if this licence is granted, the goods will be utilised only for consumption as raw-material/components or accessories in our factory/factory of the manufacturer nominated for the purpose and that no portion thereof will be sold or permitted to be used by any other party.

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or being made ineffective in addition to any penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

I/We hereby declare that the order/contract has been secured against international competitive bidding for the supply of the products mentioned in the application. A certificate of the Project authority is enclosed (Applicable to Special Imprest Licensing only).

Signature.. ....

Name in Block letters ....

Designation.......... ...

Full Residential Address ....

Place ....

Date ....

(To be filled in by the Chartered Engineer)

I have examined the applicant company's import requirement of raw material components and consumables both as regards their technical description/specification and the quantity against each item of import, having due regard to proper technical norms of consumption and after technical scrutiny of relevant designs nad drawings and hereby certify that they are correct in all these respects and are actually required for the execution of the export contracts for........

....

....

2. The list of items covers ....pages and contains .... items for a total value of Rs. ....

Signature...... ....

Name ....

Designation ....

Address ....

Name and Address of the Institution under which Chartered ....

....

....

Reference No. and date of Corporate Membership

Place ....

Date ....

GENERAL INSTRUCTIONS

1. Applicants are advised to read the licensing instructions for the current period as mentioned in the Hand Book of procedures and Import Policy before filling up the application form.
2. Application should be typed or filled in CAPITAL LETTERS.
3. All columns of the application should be legible and complete in all respects.
4. ORIGINAL SET OF APPLICATION WITH ORIGINAL BANK DRAFT SHOULD ALWAYS BE SUBMITTED TO CONCERNED LICENSING AUTHORITY ONLY WHETHER THE CASE IS TO BE CLEARED BY RALC/ALC.
5. All Values mentioned in the application must be in INDIAN RUPEES ONLY.
6. For Item Codes please refer the I.E Policy. If Item Codes not found in the policy write 'N.A.' specifically in corresponding Column.
7. For Unit of Measurement use following names and codes.

   NUMBER-01, PAIR-02, DOZEN-03, GROSS-04, HUNDRED IN NOS.-05, THOUSAND IN NOS.-06, GRAM-11, KILOGRAM-12, METRIC TONNE-13, CARAT-14, INCH-21, FOOT-22, YARD-23, METRE-24, Sq. INCH-31, Sq. FOOT-32, Sq. YARD-33, Sq. METRE-34, CUBIC INCH-41, CUBIC FOOT-42, CUBIC YARD-43, CUBIC METRE-44, LITRE-51, SPOOLS-61, PACKS-62, SET-63.

8. Use following Codes and Names :

   For Sl. No. 3 : 1-Advance Licence, 2-Advance Intermediate Licence, 3-Special Imprest Licence, 4-Advance Customs Clearance Permit, 5-Advance Release Order, 6-Special Imprest Release Order.

   For Sl. No. 4 : 1-Trading House, 2-Export House, 3- Merchant Exporter, 4-Manufacturer Exporter, 23-Merchant Export House, 24-Manufacturer Export House.

   For Sl. No. 5 : 1-Government Co., 2-Public Ltd. Co., 3-Private Ltd. Co., 4-Proprietory Firm, 5- Partnership Firm, 6-HUF, 7-Others.

   For Sl. 7 : RCMC Number of concerned Export Promotion Council/Board for the export products in question to be given.

   For Sl. No. 8 : 1-DGTD, 2-SSI, 3-OTHERS.

   For Sl. No. 12 : Value addition should be calculated with reference to the net f.o.b. value which is exclusive of commission if any.

   For Sl. No. 17 : 1-No Norms fixed, 2-As per Norms in Appendix 13-C, 3-As per Norms already approved by HQ. ALC, 4-As per Norms already approved by RALC, 5-As per Norms already approved by HQ ALC in individual case in terms of para 346 of the Handbook.

   For Sl. No. 19 : 1-Export Order, 2-Production Programme, 3-Supply Order.

   For Sl. No. 20 : 1-Advance Payment, 2-Irrevocable Letter of Credit, 3-L/C, 4-Payment against Document, 5-against acceptance of document.

9. The application should be signed by the Director/Partner/Proprietor/Karta or by any person duly authorised by them by way of Resolution of Power of Attorney.
10. In case the space provided against any column is insufficient, the relevant information may be given in separate sheet of 18.4 × 29.7 cm.
11. The Chartered Engineer signing the certificate should not be an employee of the applicant. In the case of Public Sector and Government Undertakings the certificate can be signed by a Chartered Engineer who is an Employee of the Company.
12. In the case of chemical industry, the certificate can be signed jointly by the Chief Chemist/Chemical Engineer of the applicant unit and a Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary.
13. In the case of textile industry, the certificate can be given jointly by the Chief Technical Officer incharge of production of the applicant unit and a Chartered Accountant or Cost Accountant or Company secretary.

APPENDIX XIX—A (*contd.*)

LIST OF ENCLOSURES (Furnish only certified copies)

1. Registration-cum-Membership Certificate.
2. Bank Receipt/Demand Draft.
3. Export House/Trading House/Star Trading House certificate.
4. Export Order/LC/Project Authority Certificate.
5. Manufacturing Process with Flow chart certified by the CE.
6. Registration Certificate issued by the Sponsoring Authority.
7. Central Excise Licence or Exemption Certificate.
8. Statement showing quantity, f.o.b. value and description of Export product exported during the preceding three licensing years duly certified by the Chartered Accountant.
9. Board Resolution or power of attorney (in case the application is signed by a person other than Director/Partner/Proprietor/Karta).

APPENDIX XIX—B

PROJECT AUTHORITY CERTIFICATE

Certified that M/s. ——————————
have been awarded a contract for supply of goods of value, quantity and description mentioned below for total value of Rs. ——————————
(in words) ——————————
against purchase order No. ——————————
dated ——————.

It is further certified :—

(1) That Supplies have to be made in India to United Nations Organisation or under the aided programmes of United Nations and other multi national agencies, at international prices and paid for in free foreign exchange.

(2) That the supplies under the contract are to be made to IBRD/IDA/ADB aided projects in India under the procedure of international competitive bidding and the import contents of the order is Rs. ——————.

(3) That the supplies —————— to be made under the contract are financed by IFAD/Yen-credit channelised through OECF/Germany (FRG) assistance through KFW/US Aid/Saudi Fund for development/Kuwait Fund for Arab Economic Development/ Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development/OPEC Fund, under international competitive bidding/under limited tender under the procedure governing such multilateral/bilateral assistance and allowing tender to parties from both India and abroad. The import content of the order is Rs. ——————.

(4) That the supplies under the contract are to be made to unit in the Export Processing Zone/Free Trade Zone/100% EOU and the contract is according to the policy laid down in Chapter XXII/Chapter XXIII of the Import Export Policy 1990—93.

(5) That the supplies under the contract to be made to ONGC/OIL/GAIL are at international prices. It is further certified that the import content is of the order of Rs. ——————
and the requisite foreign exchange involved has been released and debited to the foreign exchange budget allocation of ONGC/OIL/GAIL.

2. It is further certified that the contract No. ——————
dated —————— in respect of ——————
(name on the project) has been awarded to M/s. ——————
——————as the Indian/Foreign main contractor and M/s. —————— as the sub-contractor, whose name is also included in the main contract/not included in the main contract. The description, quantity and value of the goods as described below to be supplied to us directly by the sub-contractor for a total value of Rs.——————
—————— (in words) and is in accordance with Para 208(1)/208(2) of the Policy. It is further certified that the payment in respect of the goods to be supplied by the sub-contractor will be made directly by us in Indian rupees/by the main contract or in free foreign exchange. The import content involved in the supply is Rs. ——————

PARTICULARS OF SUPPLIES TO BE MADE

Description of item of supply	Quantity	Value of goods to be supplie

Station

Date

Signature

Name and designation

Name of the project

Seal

Note :—

(1) Delete whichever is not applicable.

(2) This certificate is to be signed by the Chief Executive of the project concerned or by a senior officer specifically authorised by him for this purpose whose name, designation are circulated to the Port Licensing Authority concerned. The responsibility for sending timely advice or changes in the names of the nominated officers will solely rest with the project authority concerned. This condition will however not be applicable to supply to United Nations Organisations or under the aided programmes of U.N.O. and other multinational agencies, EPZ/FTZ/100% EOU.

APPENDIX XIX—C

JURISDICTION OF THE ADVANCE LICENSING COMMITTEES

Committee	Where Located	Jurisdiction
1. Headquarters Advance Licensing Committee	Office of the CCI&E, New Delhi.	All States/Union Territories.
2. Regional Advance Licensing Committee, Bombay.	Office of the Jt. CCI&E, Bombay.	Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Union Territories of Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli.
3. Regional Advance Licensing Committee, Madras	Office of the Jt. CCI&E, Madras.	Tamil Nadu, Kerala, Union Territories of Pondicherry, Karaikal, Mahe and Yaman and Lakshadweep.
4. Regional Advance Licensing Committee, Calcutta	Office of the Jt. CCI&E, Calcutta.	West Bengal, Bihar, Orissa, Assam, Meghalaya, Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands.
5. Regional Advance Licensing Committee, New Delhi	Office of the Jt. CCI&E, (CLA), New Delhi.	Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Rajasthan and Union Territories of Chandigarh and Delhi.
6. Regional Advance Licensing Committee, Bangalore.	Office of the Jt. CCI&E, Bangalore.	Karnataka, Andhra Pradesh.

APPENDIX XIX—D

OFFICE OF THE JT. CCI & E/DY CCI&E/ASSTT CCI&E/CONTROLLER OF I&E

CERTIFICATE OF EXPORTS IN TERMS OF PARA 344(2) OF THE HAND BOOK OF PROCEDURES, 1990-93

Certified that M/s.——————————————have effected the under mentioned exports to GCA & the same have been admitted by this office for the purpose of CCS/REP licence.

Sl. No.	Date of Export	Shipping Bill No. & Date	Invoice No. and Date	Bank Certificate No. & Date	Product Exported	Country of Export	F.O.B. value of Exports	GRI/PP No. and Date
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Notes :—This Certificate should be issued in "Original" only once and no such Certificate should be issued thereafter.

Ref. No.——————————

Dated :——————————

( )
Asstt. Chief/Controller of
Imports & Exports
for Jt./Dy. Chief Controller of Imports & Exports

Issued to :
M/s ——————————

——————————

——————————

APPENDIX XIX—E

INDEMNITY-CUM-GUARANTEE BOND FORM OF EXPORT OBLIGATIONS TO BE EXECUTED UNDER DUTY EXEMPTION SCHEME

(To be executed by the importer and guarantor bank which should be a scheduled bank on a non-judicial stamp paper of minimum value of Rs. 15/- or any amounts as may be prescribed by the Stamp Collector of the respective State)

To

The President of India ....

Through

The Chief Controller of Imports & Exports (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E).

Ministry of Commerce. (Full address) ....

This DEED executed on ————day ———— of month ....
.....................,full expanded name of the importer/importer-firm with residential address, as per the instructions given below) hereinafter referred to as 'Importer' (which expression shall be deemed to include the heirs, successors, administrators, official liquidator, and permitted assigns) party of first part and

..................(full expanded description of the Guarantor Bank with complete address of the office or Branch from which the Guarantee Bond is being executed) (hereinafter referred to as 'Guarantor' which expression shall be deemed to include the successors, official Liquidator and administrators) party of the second part.

The above named parties are jointly and severally held and firmly bound to the President of India acting through the Chief Controller of Imports & Exports, Ministry of Commerce (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E) (hereinafter called the 'Government') for the sum of Rs. .... (in figure and words) (value equivalent to 100% of the customs duty or 50% of the c.i.f. value of the licence whichever is higher) to be paid to the Government on written demand of the Government.

1. WHEREAS the above named Importer has applied for a duty free licence under the Duty Exemption Scheme notified by the Government of India.

2. WHEREAS the Government has permitted the Importer to import the specified items and has agreed to issue the Advance/Special Imprest licence/Advance Release Order No. ———————— Dated ————————for a value of Rs. ———————————— (both in figures and words) for the Import of items on the terms and conditions specified in the aforesaid Scheme and has also issued a Duty Exemption Entitlement Certificate No. ——————— dated ——————————issued under notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. ——————dated the —————— (as amended) hereinafter referred to as "exempt materials".

In the case of Advance Intermediate Licence.

3. Whereas the importer has agreed to use the exempt material for the manufacturing of intermediate product the description which is given in the Duty Exemption Entitlement Certificate and equivalent to the value of Rs. .... and supply the same to the ultimate exporter.

4. AND WHEREAS the Importer has agreed to furnish an Indemnity-cum-Guarantee bond in consideration of the Government agreeing to issue the Advance/Special Imprest import licence/Advance Release Order with an export obligation of Rs. ————————————as above. The importer has also agreed to earn foreign exchange equivalent to the amount of export obligation mentioned hereinabove.
(to be omitted in the case of Advance Intermediate Licence)

5. WHEREAS the Guarantor has agreed and undertaken to pay the guaranteed amount on demand by the Government in consideration of the Government agreeing to the issue of the above licence.

6. AND WHEREAS the Importer has agreed that:

(a) within ——————————months from the date of

(i) 30 days after the import of the first consignment; or

(ii) supply of the material by the canalising agency; whichever is earlier.

OR

such further time as may be granted to export the goods corresponding to the resultant product to supply the intermediate products to be substituted as "to ultimate exporter for utilisation in the manufacture of the resultant product" in the case of Advance Intermediate Licence as specified in the Duty Exemption Certificate referred to above (hereinafter referred to as "the resultant product") and required under the aforesaid notification to a place outside India (except to any place in Nepal if not paid in free foreign exchange or Bhutan) in accordance with the terms and conditions of the aforesaid licence and Duty Exemption Entitlement Certificate and fulfil all other terms and conditions:

(i) mentioned in the aforesaid notification, and

(ii) subject to which clearance of goods was allowed by the Collector of Customs.

(b) That the import licence issued to the importer shall be non-transferable.

(c) Before clearance of the first consignment of import is allowed, the importer shall furnish a Bank Guarantee for an amount equal to Rs. .... (to be calculated as per para 348 of the Hand Book), whichever is higher. The said bank guarantee will be liable to be forefeited in full or equivalent to the shortfall if the importer does not fulfil the export obligation as stipulated.

(d) The said importer shall deliver or cause to be delivered to the JCCI&E Deputy Chief Controller of Imports & Exports within one month from the date of expiry of the aforesaid period of fulfilment of export obligation, the said Duty Exemption Entitlement Certificate with all parts duly filled in, endorsed and signed and other prescribed documents, as required.

(e) That the importer further agrees and undertakes that in the event of the importer's default in meeting the export obligation set out in the conditions as specified under the Duty Exemption Certificate, the importer would be liable to the Government instituting legal actions against them for confiscation of the imported material and other rights available to the Government under the provisions of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order, 1955 and other provisions/rules formulated by the Government relating to the said import. The importer further agrees that the confiscation proceedings may be initiated by the Government at any time before or after the completion of export obligation period.

(f) That the importer is liable to action taken for recovery of Customs or other duties, penalty and interest etc. thereon under provisions of the Customs Act, 1962.

(g) That the importer further agrees and undertakes to abide by all the penal provisions of the Import & Export Policy/Hand Book of Procedures as also

APPENDIX XIX-E—*Concld.*

under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Rules framed thereunder to be invoked against them in case of default as may be decided by the Government, which decision shall be final and binding on the importers and the Guarantor.

NOW, THE CONDITIONS OF THE ABOVE BOND ARE AS FOLLOWS :—

(i) That the Importer shall faithfully comply with all the obligations under the Duty Exemption Scheme and the terms and conditions specified in the import licence and other stipulations including the stipulations specified in the Duty Exemption Certificate.

(ii) That the Guarantor Bank, do hereby expressly and irrevocably undertake and guarantee that if the Importer fails to fulfil the whole or part of the obligations under the Duty Exemption Scheme including the conditions stipulated in the Duty Exemption Entitlement Certificate or if the Importer is not able to furnish any information required under the Duty Exemption Scheme or under the terms and conditions of the licence/Duty Exemption Entitlement Certificate and the Rules framed under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order as amended or the rules framed thereunder or if there is any other failure of any kind whatsoever on the part of the Importer under the terms specified in the licence/scheme etc. whereby the said amount be demanded by the Government in whole or in part for any of the aforesaid reasons and on the written demand of the Government, we the Guarantor Bank, shall, forthwith without any demur or without reference to the Importer, pay to the Government or to any officer authorised by the Government in this behalf such sum demanded by the Government from the Importer and also indemnify to Guarantee the payment upto maximum of Rs. ....

(iii) That notwithstanding any right, Government may have directly against the Importer, or notwithstanding any dispute raised by the Importer in any form, the Government's written demand shall state necessary details to the Guarantor Bank that the payment is demanded from the Guarantor Bank, under the terms and conditions of the aforesaid licence/Duty Exemption Scheme including the terms specified hereinabove and such above demand by the Government shall be final and binding upon the Guarantor Bank.

(iv) That the Guarantor Bank, shall not be discharged or released from this undertaking and the Guarantee by any arrangement, variations between the Government and the Importer, any indulgence to the Importer by the Government with or without the consent or knowledge or any alteration in the obligations of the importer, or any forbearance whether as to a payment, time, performance or otherwise.

(v) That this Guarantee by the Guarantor Bank shall remain valid and in full force until all the obligations under the aforesaid licence/Duty Exemption Entitlement Certificate including the terms as specified above are duly accomplished to the full satisfaction of the Government and till the said satisfaction is reported by the Government to the Guarantor Bank.

(vi) That the above named Indemnity Bond by the Importer and the Guarantee by the Guarantor Bank shall be continuing Indemnity-cum-Guarantee and shall not be discharged by any change in the constitution of the Importer or of the Guarantor Bank. It is further indemnified by this Indemnity-cum-Guarantee Bond by the Importer and Guarantor Bank that the payment by the Guarantor Bank to the Government under this Indemnity-cum-Guarantee Bond shall be made forthwith on the receipt of the written demand of the Government or any officer authorised by the Government in this behalf.

(vii) That this Indemnity-cum-Guarantee Bond is executed by the above named Importer and the Guarantor Bank for the purposes of the act involving public interest.

(viii) That the payment of the amount demanded by the Government under this Indemnity-cum-Guarantee Bond from the Guarantor Bank will not affect the liability of the Importer to any other action including, the initiation of legal proceedings for confiscation of the imported material and refusal of further licences and all other liabilities and penalties and the consequences under the provisions of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, Imports (Control) Order of 1955 as amended that may be decided by the Government under the Import Trade Control Regulations and provisions of customs Act, 1962.

(ix) That the above named indemnity-cum-Guarantee Bond shall be void after all the obligations of the Importer or the Guarantor Bank herein are fulfilled to the full and final satisfaction of the Government as specified above and when such satisfaction is communicated to the Guarantor Bank by the Government.

(x) Notwithstanding the above, the Guarantee by the Guarantor Bank hereunder shall remain inforce till ....(for a period of 3 years from the date of execution of the bond) and if no claim is made by the Government within the said date, the Guarantor Bank will be discharged of all the liabilities of payment under this guarantee. It is further agreed that in the event of all the obligations of this importer being not duly discharged to the full and final satisfaction of the Government by the aforesaid date, the Guarantor Bank and the importer shall either renew and revive the validity of this guarantee for a further period as may be required by the Government or the Guarantor Bank shall pay at any time prior to the expiry of the Indemnity-cum-Guarantee Bond without any demur, the amount as may be demanded by the Government.

IN WITNESS WHEREOF the above named parties hereto have duly executed this bond on this ———— day of ———— 199—, signed, sealed and delivered by the above named Importer and the Guarantor Bank in the presence of :

1. Witnesses*

1. ————

1. ———— (full and expanded description of the importer/Importer firm.)

2. ————

(To be authenticated/affirmed by 1st Class Magistrate/Notary Public).

1. ————

2. ————

2. ———— (Full and expanded description of the Guarantor Bank)———— for and on behalf of the nationalised/scheduled Bank by the authorised officer of the Bank with the Seal of the bank.

*Witnesses should also give their occupation and full address.

NOTE

For the Importer and the Bank

1. If the importer is a sole proprietary firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed by the sole proprietor of the said sole proprietary firm along with his permanent residential address.

2. If the importer is a partnership firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed in the name of the partnership firm through the partners to be specified in the partnership deed.

3. If the importer is a limited company, the Indemnity-cum-Guarantee bond is to the signed by the person duly authorised for the purpose by a resolution of the Board of Directors of the company and two witnesses with their designation and address and common seal of the company.

APPENDIX XIX—F

FORM OF LEGAL UNDERTAKING TO BE EXECUTED UNDER DUTY EXEMPTION SCHEME

(To be executed by the importer on a non-judicial stamp paper of minimum value of Rs. 15/- or any amount as may be prescribed by the Stamp Collector of the respective State Government).

To

The President of India

Through

The Chief Controller of Imports and Exports (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E).

Ministry of Commerce ....

This DEED Executed on ———— day ———— of ———————— month ———————— (full expanded name of the importer/importer-firm with complete address, as per the instructions given below) hereinafter referred to as 'Importer (which expression shall be deemed to include the heirs, successors, administrators, and permitted assign).

The above named party is held and firmly bound to the President of India acting through the Chief Controller of Imports & Exports, Ministry of Commerce (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E (hereinafter called the 'Government') for the sum of Rs. .... (in figures and words) to be paid to the Government on written demand of the Government.

1. WHEREAS. the above named Importer has applied for a duty free licence under the Duty Exemption Scheme notified by the Government of India.

2. WHEREAS the Government has permitted the Importer to import the specified items (hereinafter referred to as "Exempt material") and has agreed to issue the Advance/Special Imprest Licence/Advance Release Order .... Dated .... for a value of Rs. .... (both in figures and words) for the import of the items on the terms and conditions specified in the aforesaid Scheme and has also issued a Duty Exemption Entitlement Certificate No. ———————— dated ———————— issued under notification of Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) No. ———— dated the ———— as amended upto date.

3. AND WHEREAS. the Importer has agreed to furnish a legal undertaking in consideration of the Government's agreeing to issue the Advance/Special Imprest Import Licence/Advance Release Order with an export obligation of Rs.—— The importer has also agreed, and has undertaken to earn foreign exchange equivalent to the amount of export obligation mentioned hereinabove. as also in compliance with the provisions of the aforesaid Scheme.

4. AND WHEREAS the Importer has agreed that :

(a) within ———— months from the date of

(i) 30 days after the import of the first consignment; or

(ii) supply of the material by the canalising agency; whichever is earlier

OR

such further time as may be granted to export the goods corresponding to the resultant product as specified in the Duty Exemption Entitlement Certificate referred to above (hereinafter referred to as "the resultant product") and required under the aforesaid notification to a place outside India (except to any place in Nepal and Bhutan if not paid in free foreign exchange) in accordance with the terms and conditions of the aforesaid licence and Duty Exemption Entitlement Certificate and fulfil all other terms and conditions :—

(i) mentioned in the aforesaid notification, and

(ii) subject to which clearance of goods was allowed by the Collector of Customs.

(b) That the import licence issued to be importer shall be non-transferable.

(c) Before clearance of the first consignment of import is allowed, the importer shall furnish a Legal undertaking for an amount equal to ———— of the CIF value of the licence/release order or for an amount equal to the ———————— of the Customs duties payable, whichever is higher. The said Legal Undertaking will be liable to be forfeited in full or equivalent to the shortfall if the importer does not meet their export obligation as stipulated.

(d) The said importer shall deliver or cause to be delivered to the Joint Chief Controller of Imports & Exports/Deputy Chief Controller of Imports & Exports within one month from the date of expiry of the aforesaid period of fulfilment of export obligation, the said Duty Exemption Entitlement Certificate with all parts duly filled in, endorsed and signed and other prescribed documents, as required.

(e) That the importer further agrees and undertakes that in the event of the importer's default in meeting the export obligation set out in the conditions as specified under the Duty Exemption Entitlement Certificate, the importer would be liable to the Government instituting legal actions against them for confiscation of the imported material and other rights available to the Government under the provisions of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order. 1955 and other provisions/rules formulated by the Government relating to the said import. The Importer further agree that the confiscation proceedings may be initiated by the Government at any time before or after the completion of export obligation period.

(f) That the importer is liable to action taken for recovery of customs or other duties, penalties and interest etc. thereon under the provisions of the Customs Act, 1962.

(g) That the importer further agrees and undertakes to abide by all the penal provisions of the Import & Export Policy/Hand Book of Procedures as also under the Import & Export (Control) Act, 1947 and Rules framed there under to be invoked against them in case of default as may be decided by the Government, which decision shall be final.

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE BOND ARE AS FOLLOWS :—

(i) That the Importer shall faithfully comply with all the obligations under the Duty Exemption Scheme and the terms and conditions specified in the import licence and other stipulations including the stipulations specified in the Duty Exemption Entitlement Certificate.

(ii) That the Importer do hereby expressly and irrevocably undertake and guarantee that if the Importer fails to fulfil the whole or part of the obligations under the Duty Exemption Entitlement Certificate or if the importer is not able to furnish any information required under the Duty Exemption Scheme or under the terms and conditions of the licence/Duty Exemption Entitlement Certificate and the rules framed under the Imports & Exports (Con-

APPENDIX XIX-F—*Concld.*

trol) Act, 1947 and Imports (Control) Order, 1955 as amended or the rules framed thereunder or if there is any other failure of any kind whatsoever on the part of the Importer under the terms specified in the licence, Scheme etc. whereby the said amount be demanded by the Government in whole or in part for any reason whatsoever, on the written demand of the Government, we the importer shall forthwith without any demur or without reference to any other authority pay to the Government or to any officer authorised by the Government in this behalf any sum demanded by the Government from the Importer and also indemnity to Guarantee the payment upto maximum of Rs. . . . .

(iii) Notwithstanding any dispute raised by the importer in any form, the Government's written demand shall state necessary details to the importer that the payment is demanded from the importer, under the terms and conditions of the aforesaid licence/Duty Exemption Scheme including the terms specified hereinabove and such above demand by the Government shall be final and binding upon the importer.

(iv) That in the event of the Importer not being able to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid, the said Importer shall on the instructions of the concerned Jt./Dy. Chief Controller of Imports & Exports or the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi hand over to any agency as the Government (including CCI&E) may nominate the exempt material left unutilised with the Importer for disposal in any manner and the amount so recovered by such sale shall be deposited with the Government towards the fulfilment of the export obligation after deducting the normal commission and other expenses incurred by the said agency. The decision of such Agency as to the said price would be final and binding on the Importer.

(v) The Importer further undertakes to pay in addition simultaneously a sum equivalent to the value of import licence referred to above or to the extent of goods imported against the said licence whichever is higher by way of liquidated damages to the Government and the decision of JCCI&E/DCCI&E shall be final and binding on the Importer.

(vi) That the above named Legal Undertaking by the Importer shall be continuing and shall not be discharged by any change in the constitution of the Importer. It is further indemnified by the Importer that the payment by the Importer to the Government under this Legal Undertaking shall be made forthwith on the receipt of the written demand of the Government or any officer authorised by the Government in this behalf.

(vii) That this Legal Undertaking is executed by the above named Importer for the purpose of the act involving public interest.

(viii) That the payment of the amount demanded by the Government in the above named Legal Undertaking from the Importer will not affect the liability of the Importer to any other action including the initiation of legal proceedings for confiscation of the imported material and refusal of further licences and all other liabilities and penalties and the consequences under the provisions of the Imports & Exports (Control) Act of 1947, Imports (Control) Order of 1955 as amended that may be decided by the Government under the Import Trade Control Regulations and provisions of Customs Act, 1962.

(ix) That the above named Legal Undertaking shall be void after all the obligations of the Importer are fulfilled to the full and final satisfaction of the Government as specified above and when such satisfaction is communicated to the importer.

(x) That the Legal Undertaking and the obligations of the Importer thereunder shall remain in full force till all the obligations of the importer are not fully discharged to the full and final satisfaction of the Government.

IN WITNESS WHEREOF the above named parties hereto have duly executed this Legal Undertaking on this———— day of ———— 199 , signed, sealed and delivered by the above named Importer in the presence of :

Witnesses*

1. ————

(————————full and expanded description of the importer/Importer firm).

2. ————

(To be authenticated/attested by 1st Class Magistrate/Notary Public).

*Witnesses should also give their occupation and full address.

NOTE

1. If the importer is a sole proprietary firm, legal undertaking is to be executed by the sole proprietor of the said sole proprietary firm along with his permanent complete address.

2. If the importer is a partnership firm, the legal undertaking is to be executed in the name of the partnership firm through the partners or managing partners as may be specified in the partnership deed.

3. If the importer/exporter is a limited company, the legal undertaking is to be signed by the person duly authorised for the purpose by a resolution of the Board of Directors of the Company under common seal of the Company along with two witnesses with their designation and addresses.

APPENDIX XIX—G

FORM OF APPLICATION FOR ENHANCEMENT OF CIF VALUE/EXTENSION IN EXPORT OBLIGATION PERIOD

Ref No. Date :

1 I.E. Code Number Type of licence

Licence No. Date : Name :

DEEC No. : Date : Address :

If the application was cleared by ALC/RALC give the relevent file number.

(ALC/RALC) Lic Auth.

Date of clearance of first consignment of import material :

Date of Expiry of EO period . . . . :

Percentage of imports made Quantitywise ——% Value wise ——%

Percentage of exports made wrt actual imports made . . . Quantitywise ——% Value wise ——%

APPENDIX XIX—G (*Concld.*)

PART I

Period of extension granted :

Date upto which extension required :

Detailed Justification for seeking extension in Export Obligation period :

Details of exports made in fulfilment of Export Obligation :

Item of export	Total qty to be exported	Actual qty. exported	Total FOB value to be imported	FOB value of export made
1	2	3	4	5

Whether any action has been taken for non-fulfilment of export obligation by way of Showcause notice, Forfeiture Order or defaulter or Debarment Order or any other action, If so, give details :

PART—II

Original CIF Value	Proposed CIF Value
Original FOB value	Proposed FOB value
Original Value Addition (%)	Proposed Value addition (%)

Details of remaining imports to be made :

Item of import	S. No. in Part C of DEEC Book	Unit Code	Qty to be imported	CIF Value available
1	2	3	4	5

Rate of Currency/cost Input		Total revised value required for import		Freight	Total of Col. 8 to 10
At the time of Application	Present	On account of : Fluctuation	Cost of input		
6	7	8	9	10	11

Total :

Signature :

Name :

Designation With Seal

Note : 1. The application should be accompanied with a copy of the DEEC Book & Licence.

2. The application should be signed by Director/Partner/Proprietor/Karta or a person authorised by them by way of Resolution or power of attorney.

3. Part I—Applicable for extension in E.O. period.
Part II—Applicable for enhancement of C.I.F. value
(The relevant part should be filled up)

4. Value addition should be calculated with reference to net f.o.b. value i.e. exclusive of commission, if any.

APPENDIX XIX-H

LIST OF SENSITIVE ITEMS

1. Polyester Staple Fibre/Spun and Filament yarn/ Fabrics.
2. Nylon Fibre/Filament yarn/Fabrics.
3. Acrylic Fibre/Filament yarn/Fabrics.
4. Synthetic waste.
5. Raw Silk/Silk yarn/Silk Fabrics.
6. Stainless Steel Sheets/Strips.
7. White Card Board and Ivory Board.
8. Copper/Brass/Brass Scrap.
9. G.P. Sheets.
10. Cassettes (Video and Audio).
11. PVC leather cloth.
12. Zip fasteners/Snap fasteners.
13. Palm oil, Palm kernel oil, Palm Stearine and coconut oil.
14. Polyester Waste/Synthetic Waste/Nylon Waste/Synthetic fibre.

APPENDIX XIX—I

STATEMENT OF EXPORTS

Sl. No.	Date of Exports	Particulars of goods exported	Classification of the export product	Quantity	FOB value realised in Rupees	Countries to which exported	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

Total Rs.

I/We hereby certify that the information given in this statement is correct.

Signature of the licence holder............

Name of Signatory.................. ..

Full address ....

R.C.M.C. No... ... .

Date ....

APPENDIX-XX

Proforma of abstract of the Export Contracts

1. Name & address of the Registered Exporter.

2. Registration Number and date of issue by the Export Promotion Authority/Export Promotion Council/Commodity Board. Whether it is a physical export or deemed export.

3. Name and address of the foreign buyer with whom contract has been executed. (In the case of deemed exports indicate the name and address of the project authority).

4. Whether the contract is for (a) Turkey project or (b) civil construction contract or (c) of those capital goods having long manufacturing schedule or (d) of overseas consultancy services contracts involving long gestation period; as per chapter XX of the import policy.

5. Whether the applicant is the main contractor or sub-contractor.

6. In case the applicant is the Indian sub-contractor, whether

   (a) the name of the Indian sub-contractor appears in the tender nad in the main contract.

   (b) The description, quantity and value of goods/services to be provided by the Indian sub-contractor is given in the said documents.

   (c) the payment is received by the Indian sub-contractor in free foreign exchange directly from the foreign buyer.

   (d) the payment is received directly from the concerned project authority in Indian Rupees or from the foreign contractor in the foreign exchange. (This is applicable in the case of deemed exports only).

7. Whether the contract contains any clause regarding renegotiation of the contract at any stage. If so, details thereof.

8. Whether the contract contains any clause which provides for variations in quantity of goods originally contracted for export/supply or which provides for renegotiations on the quantity of goods to be exported/supplied. If so give details.

9. If it is a case of deemed exports, also indicate, (i) whether the contract is for supplies of IBRD/IDA/ADB aided projects or supplies made to projects financed by other multilateral or bilateral external assistance or to ONGC/GAIL/OIL (ii) whether the contract has been concluded by inviting global tender or limited tender.

10. For supplies to ONGC/GAIL/OIL, whether these are proposed to be made at international prices.

11. Description of products to be exported/supplied.

12. Value of products to be exported/supplied.

13. Details of delivery period.

14. Terms of payment.

15. Date of contract.

NOTE :—The above information in respect of each sub-contractor will be shown separately.

Signature and stamp of the Constituted Attorney of the Registered Exporter.

APPENDIX XXI-A

FORM OF APPLICATION FOR GRANT OF DIAMOND/DTC IMPREST LICENCE

PART I

1. Name and address of the Applicant .
2. Name of Industry :
   (i) Address & Location of Factory . . . .
   (ii) End-products manufactured therein . .
3. Nature of the concern, whether public company or Private Ltd. Company or Partnership concern
4. Name of directors, partners, proprietors of Karta of the Hindu Undivided Family as the case may be
5. Are you a manufacturer exporter/merchant exporter/ Export House/Trading House/Star Trading House.
6. Product-Group for which registered with Sl. No./Sub Sl. No. in Appendix 17,

   Part-II
7. No. & date of Registration Certificate issued by the Export Promotion Council/ Commodity Board/FIEO and date upto which it is valid (attach photostat/ Certified copy of the certificate)
8. If Export House/Trading House/Star Trading House indicate No. & date of Export House/Trading House/Star Trading House Certificate and the date upto which it is valid (Attach photostat /certified copy of certificate) .
9. If manufacturer exporter, give Registration No. allotted by :
   (i) DGTD in the case of firms borne on the list of DGTD . . .
   (ii) State Director of Industries in the case of SSI units . . .
   (iii) Any other authority competent to register a unit as a manufacturer . . .
10. If exports are to be effected on behalf of an Export/ Trading House/Star Trading House as per policy laid down in Chapter XXI of the Import & Export Policy 1990-93 (Vol.1), the name and address of the Export/Trading House/Star Trading House concerned. (Photostat copy of the Export/ Trading House/Star Trading House certificate certified by the Export/Trading House/Star Trading House to be attached)
11. Bank Receipt/Demand Draft No. & date towards payment of application fee (Bank receipt/demand draft to be attached to original) . .
12. (i) CIF value of licence applied for . . .
    (ii) Description of the materials sought to be imported (give complete description, quantity, CIF value of each item desired to be imported)

PART II

1. Is the application against a specific export order? If yes, indicate . . . .
   (i) Items of export covered by the export order(s) (Attach copy of export order(s) . . .
   (ii) FOB value . . .
   (iii) Name and address of foreign buyer and the country of export
   (iv) Delivery period of export product(s) covered by the export order(s)
   (v) Whether any exports against the export order(s). In question have already been made, if so indicate FOB value there of . . .
   (vi) Indicate mode of payment (In case of irrevocable letter of Credit, attach a photostat copy)
   (vii) Amount of commission or discount paid or payable to the foreign agent on export covered by the application . .
2. If the product(s) to be exported and i[illegible] to be imported in terms of quantity/ CIF value fully conform to the Import Policy for registered exporters indicate:
   (i) Serial No. & Sub-Serial No. of Appendix 17 Part II
   (ii) Rate of Import replenishment . . . .

APPENDIX XXI-A (*concld.*)

PART III

1. If the import licence applied for is not against a specific export order, indicate:

(a) Descripition, quantity & FOB value of products to be exported.

(b) If the products to be exported and items to be imported in terms of quantity/C.I.F. value fully conforms to Appendix 17 Part II of the import policy attach statement giving descripition of Products exported and FOB value of exports, productwise, during the preceding three financial years .

PART IV

1. Past Performance:—

(i) Particulars of previous exports. Attach statement giving the following particulars :—

(a) Description of product exported during the preceding three financial years . . .

(b) F. O. B. value of exports (productwise) in respect of (i) above . . . .

(c) Classification of the product exported covered by Appendix 17 of Import Policy 1988—91 and the rate of import replenishment

(d) Quantity of the product to be exported for which the licence is required

(e) Unit value of the latest exports of the same product exported by the applicant (the date of export also).

(ii) Was any Imprest/Diamond imprest/D.T.C. Imprest licence(s) issued in the past

(iii) If so, whether the export obligation against the licence is still outstanding.

(iv) If the export obligation either in part or in full remains to be completed, please give the particulars of the sale as under:

(a) Licence number and date . . . .

(b) Name of the licence issuing authority .

(c) Licence-wise value of the export obligation fixed . .

(d) Time limit allowed for fulfilling the export obligation

(e) Value of the export obligation already fulfilled against each licence . .

(f) Reasons for not fulfilling the export obligation .

(v) Total C.I.F. value of unutilised Imprest/Diamond Imprest/D.T.C. Imprest licences against which imports have not been made . . .

(vi) Total c.i.f. value of Diamond/DTC Imprest licences for which import applications are pending with the licensing authorities

2. A list of documents enclosed.

PART V

DECLARATION

1. I/We hereby declare that if this licence is granted, the goods will be utilised only for consumption as raw materials.

2. I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or being made ineffective in addition to any penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Signature..................

Name in Block Letter ....

Designation ....

Full Residential Address ....

Place ....

Date ....

APPENDIX XXI-B

INDEMNITY-CUM-GUARANTEE BOND FORM OF EXPORT OBLIGATIONS TO BE EXECUTED UNDER THE DIAMOND IMPREST LICENSING SCHEME/DTC IMPREST LICENSING SCHEME

(To be executed by the importer and guarantor bank which should be a scheduled bank, on a non-judicial stamp paper of minimum value of Rs. 15/- or any amount as may be prescribed by the Stamp Collector of the respective State.)

To,

The President of India

Through

The Chief Controller of Imports & Exports (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E).

Ministry of Commerce, (Full Address) Pin Code.

This DEED Executed on ————day———— of month ————————. By ———————— ————————(full expanded name of the importer/importer-firm with complete address, as per the instructions given below) (hereinafter referred to as 'Importer' which expression shall be deemed to include the heirs, successors, administrators, official liquidator and permitted assigns) party of first part and; ....(full expanded description of the Guarantor Bank with complete address of the office or Branch from which the Guarantee Bond is being executed) (hereinafter referred to as 'Guarantor' which expression shall be deemed to include the successors, official Liquidator and administrators) party of the second part.

The above named parties are jointly and severally held and firmly bound to the President of India acting through the Chief Controller of Imports and Exports, Ministry of Commerce (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E) (hereinafter called the 'Government') for the sum of Rs. ———————— (in figures and words) to be paid to the Government on written demand of the Government.

WHEREAS the above named Importer has applied for a Diamond Imprest licence/DTC Imprest Licence under the Diamond Imprest Licensing Scheme/DTC Imprest Licensing Scheme notified by the Government of India.

WHEREAS the Government has permitted the Importer to import the Uncut and Unset Diamonds (for short, referred to as "Rough Diamonds") and has agreed to issue the Diamond/DTC Imprest licence No. ————dated———— for a value of Rs. ————————(both in flugures and words) for the import of the said item on the terms and conditions specified in the aforesaid scheme.

AND WHEREAS the Importer has agreed to furnish an Indemnity-cum-Guarantee Bond in consideration of the 'Government' agreeing to issue the Diamond/DTC Imprest licence with an export obligation of Rs. ————. The importer has also agreed to earn foreign exchange equivalent to the amount of export obligation mentioned hereinbelow.

WHEREAS the Guarantor has agreed and undertaken to pay the guaranteed amount on demand by the Government in consideration of the Government agreeing to the issue of the above licence.

AND WHEREAS the importer has agreed to perform the export obligation and realise the foreign exchange to the extent of Rs. ————.

*AND WHEREAS the importer has agreed that:

*(a) within six months from the date of 30 days after the import of the first consignment they will earn foreign exchange sufficient to earn entitlement according to the remittances/Customs assessed value, whichever, is higher, by exporting cut and polished diamonds to GCA Countries (except to any place in Nepal if not paid in free foreign exchange or to Bhutan) and realise net foreign exchange in accordance with the terms and conditions of the aforesaid licence, Diamond Imprest Licensing Scheme and fulfil all other terms and conditions subject to which clearance of goods was allowed by the Collector of Customs. Net foreign exchange earned for this purpose is defined as foreign exchange inflows as a result of exporting cut and polished diamonds in proportion to customs or remittance value, whichever is higher.

*(b) That the said diamond imprest licence issued to the importer shall be non-transferable.

*(c) Before clearance of the first consignment of import is allowed, the importer shall furnish a Bank Guarantee for an amount equal to ———— of the CIF value of the licence. The said bank guarantee will be liable to be forfeited in full or equivalent to the shortfall if the importer does not meet their export obligation as stipulated.

*(d) That the Importer undertakes that they will be bound to send a statement of remittances within one month of expiry of the said period of the export obligation to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports and in regard to exports made, namely the particulars of the goods exported, their quantity and FOB value, the country to which it is exported, etc. All these data will be certified by a duly authorised Chartered Accountant, as approved by the Department of Company Affairs.

*(e) The said importer shall deliver or cause to be delivered to the Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports within one month from the date of expiry of the aforesaid period of fulfilment of export obligation, export evidence such as certificates from the nationalised or Scheduled Bank in original showing realisation of foreign exchange against exports made of cut and polished diamonds in fulfilment of the export obligations and such other documents as may be demanded by the Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports, in support of the foreign exchange earned in fulfilment of the terms and conditions of this Indemnity-cum-guarantee Bond.

**AND WHEREAS the Importer has agreed to perform the export obligation and realise foreign exchange to the extent of Rs. ———————— (FOB) during the validity of the import licence or based on each sight calculated duly endorsed on the above said licence and calculated over a period of 18 months, whichever is higher. Each sight endorsed on the licence will carry an export obligation which the importer will have to fulfil within a period of four months from the date of such endorsement by exporting cut and polished diamonds on the conditions given below:—

**(a) (i) THAT the Importer will earn foreign exchange sufficient to earn entitlement according to the remittances of each sight/Customs assessed value whichever is higher by exporting cut and polished diamonds to GCA Countries within a period of 4

APPENDIX XXI-B (*Contd.*)

months of each importation as aforesaid and realise net foreign exchange. Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation and exports to Nepal, if made otherwise than against payment in free foreign exchange will not qualify for redemption of export obligation Net foreign exchange earned for this purpose is defined as foreign exchange inflows as a result of exporting cut and polished diamods in proportion to Customs or remittance value of each sight whichever is higher.

(ii) THAT the aforesaid export obligation will start from the date of importation of each consignment.

**(b) That the said DTC Imprest Licence issued to the importer shall be non-transferable.

**(c) Before clearance of each consignment of import is allowed, the importer shall furnish a bank guarantee for an amount equal to————of the cif value of each sight endorsed on the licence. The said bank guarantee will be liable to be forfeited in full or equivalent to the shortfall if the importer does not meet their obligation as stipulated.

**(d) THAT the Importer undertakes that they will be bound to send a statement of remittances separately for each sight endorsed by the fifth month of the said sight to the concerned joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports in regard to exports made, namely the particulars of goods exported, their quantity and (f.o.b.) value, the country to which it is exported, etc. All these data will be certified by a duty authorised Chartered Accountant, as approved by Department of Company Affairs.

**(e) THAT the said Importer shall deliver or caused to be delivered to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports within one month from the date of expiry of the aforesaid 4 months export evidence such as certificates from Nationalised or Scheduled Bank in original showing realisation of foreign exchange against export made of cut and polished diamonds in fulfilment of the export obligations and such other documents as may be demanded by the Jt./Dy. Chief Controller of Imports and Exports as evidence, in support of the foreign exchange earned in fulfilment of the terms and conditions of this Indemnity-cum-Guarantee Bond.

(f) That the importer further agrees and undertakes that in the event of the importer's default in meeting the export obligation or realisation of foreign exchange in full as set out in the conditions as specified under the Diamond/DTC Imprest Licensing Scheme the importer would be liable to the Government instituting legal action against them for confiscation of the imported material and other rights available to the Government under the provisions of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order, 1955 and other provisions/rules formulated by the Government relating to the said import. The importer further agrees that the confiscation proceedings may be initiated by the Government at any time before or after the completion of export obligation period.

(g) That the importer further agrees and undertakes to abide by all the penal provisions of the Import & Export Policy/Hand Book of Procedures as also under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Rules framed thereunder to be invoked against them in case of default as may be decided by the Government, which decision shall be final and binding on the importer.

NOW, THE CONDITIONS OF THE ABOVE BOND ARE AS FOLLOWS :—

(i) That the Importer shall faithfully comply with all the obligations under the Scheme notified by the Government and conditions specified in the import licence and other stipulations specified hereinabove.

(ii) That the Guarantor Bank, do hereby expressly and irrevocably undertake and guarantee that if the Importer fails to fulfil the whole or part of the obligations under the Diamond/DTC Imprest Licensing Scheme including the conditions stipulated on the licence or if the importer is not able to furnish any information required under the terms and conditions of the licence and the Rules framed under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order as amended or the rules framed thereunder or if there is any other failure of any kind whatsoever on the part of the Importer under the terms specified in the licence/scheme etc. whereby the said amount be demanded by the Government in whole or in part for any reason whatsoever, on the written demand of the Government, we the Guarantor Bank, shall forthwith without any demur and without reference to the Importer, pay to the Government or to any officer authorised by the Government in this behalf any sum demanded by the Government from the Importer and also indemnify to Guarantee the payment upto maximum of Rs.

(iii) That notwithstanding any right, Government may have directly against the Importer or notwithstanding any dispute raised by the Importer in any form, the Government's written demand shall state necessary details to the Guarantor Bank that the payment is demanded from the Guarantor Bank, under the terms and conditions of the aforesaid licence including the terms specified herein-above and such above demand by the Government shall be final and binding upon the Guarantor Bank.

(iv) That the Guarantor Bank, shall not be discharged or released from this undertaking and the Guarantee by any arrangement, variations between the Government and the Importer, any indulgence to the Importer by the Government with or without the consent or knowledge or any alteration in the obligations of the Importer, or any forbearance whether as to a payment, time, performance or otherwise.

(v) That this Guarantee by the Guarantor Bank shall remain valid and in full force until all the obligations under the aforesaid licence including the terms as specified above are duly accomplished to the full satisfaction of the Government and till the said satisfaction is reported by the Government to the Guarantor Bank.

(vi) That the above named Indemnity Bond by the Importer and the Guarantee by the Guarantor Bank shall be continuing Indemnity-cum-Guarantee Bond and shall not be discharged by any change in the constitution of the Importer or of the Guarantor Bank. It is further indemnified by this Indemnity-cum-Guarantee Bond by the importer and Guarantor Bank that the payment by the Guarantor Bank to the Government under this Indemnity-cum-Guarantee Bond shall be made forthwith on the receipt of the written demand of the Government or any officer authorised by the Government in this behalf.

(vii) That in the event of the Importer not being able to fulfil the export obligation undertaken by it or realise the foreign exchange as aforesaid, the said Importer shall on the instructions of the concerned Joint/Deputy Chief Controller of

APPENDIX XXI-B (*Concld.*)

Imports & Exports or the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi hand over to any agency as the Government (including CCI&E) may nominate the Imported material left unutilised with the Importer for disposal in any manner and the amount so recovered by such sale shall be deposited with the Government towards the fulfilment of the export obligation after deducting the normal commission and other expenses incurred by the said agency. The decision of such Agency as to the said price would be final and binding on importer.

(viii) The Importer further undertakes to pay in addition simultaneously a sum equivalent to the value of import licence referred to above or to the extent of goods imported against the said licence whichever is higher by way of liquidated damages to the Government and the decision of JCCI&E/DCCI&E shall be final and binding on the Importer.

(ix) That this Indemnity-cum-Guarantee Bond is executed by the above named importer and the Guarantor Bank for the purpose of an act involving public interest.

(x) That the payment of the amount demanded by the Government under this Indemnity-cum-Guarantee Bond from the Guarantor Bank will not affect the liability of the Importer to any other action including the initiation of legal proceedings for confiscation of the imported material and refusal of further licences and all other liabilities and penalties and the consequences under the provisions of the imports and Exports (Control) Act, 1947 Imports (Control) Order of 1955 as amended that may be decided by the Government under the Import Trade Control Regulations.

(xi) That the above named Indemnity-cum-Guarantee Bond shall be void after all the obligations of the Importer or the Guarantor Bank herein are fulfilled to the full and final satisfaction of the Government as speciled above nad when such satisfaction is Communicated to the Guarantor Bank by the Government.

(xii) That the Indemnity-cum-Guarantee Bond and the obligations of the Importer and the Guarantor Bank thereunder shall remain in full force for a period of 3 years and if all the obligation of the Importer are not duly discharged to the full and final satisfaction of the Government in the said period, the Guarantor Bank and the Import agree and undertake to renew and revive the period of validity of this Indemnity-cum-Guarantee Bond for a further period as may be required by the Government.

IN WITNESS WHEREOF the above named parties hereto have duly executed this bond on this ———— day of ————199—. Signed, sealed and delivered by the above named Importer and the Guarantor Bank in the presence of :

Witnesses*

1. ————— 1. ———— (full and expanded descripition of the importer/importer firm).

(To be authenticated/affirmed by 1st class Magistrate/Notary Public.)

2. —————

1. ————— 2. ———— (full and expanded description of the Guarantor Bank) ———— for and on behalf of the nationalised/schedule Bank by the authorised officer of the Bank with the Seal of the Bank.

2. —————

NOTE

For the Importer and the Bank.

1. If the importer is a sole proprietory firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed by the sole proprietor of the said sole proprietory firm along with his permanent complete address.
2. If the importer is a partnership firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed in the name of the partnership firm through all the partners or managing partners as may be specified in the partnership deed.
3. If the importer is a limited company, the Indemnity-cum-Guarantee Bond should be executed by the Executive Director or Managing Director of the Limited Company with the seal of the Company.
4. *Relates to Diamond Imprest Licences.
**Relates to DTC Imprest licences.
(Delete whichever is not applicable).

*Witness should also give their occupation and full address.

APPENDIX XXI-C

FORM OF LEGAL UNDERTAKING FOR DIAMOND IMPREST LICENCES/DTC IMPREST LICENCES

(To be executed by the importer on a non-judicial stamp paper of minimum value of Rs. 15/- or any amount as may be prescribed by Stamp Collector in the respective State where the undertaking is being executed.)

To,

The President of India,

Through

The Chief Controller of Imports & Exports (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E).

Ministry of Commerce .... (Full Address), Pin Code ....

This DEED Executed on ———— day ———— of month————————.

1. .... (full expanded name of the importer/importer firm with residential address, as per the instructions given below) (hereinafter referred to as 'Importer' which expression shall be deemed to include the heirs, successors, administrators and permitted assigns) and
2. The above named are held and firmly bound to the President of India acting through the Chief Controller of Imports and Exports, Ministry of Commerce (which expression shall be deemed to in-

APPENDIX XXI-C (*Contd.*)

clude the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DDCI&E) (hereinafter called the 'Government') for the sum of Rs. ........C.I.F. value of import licence (in figures and words) to be paid to the Government on written demand of the Government.

WHEREAS the above named Importer has applied for a licence for Import of rough diamonds under the Import and Export Policy, 1990—93.

WHEREAS the Government has permitted the Importer to import the said diamonds and has agreed to issue the import licence and has also granted licence No. ———— Date ———— for a value of Rs. ———— (in figures and words) for the import of rough diamonds on the terms and conditions specified in the said Import & Export Policy.

AND WHEREAS the Importer has agreed to furnish a Legal Agreement in consideration of the Government issuing import licence as above.

*AND WHEREAS the Importer has agreed to perform the export obligation and realise the foreign exchange to the extent of Rs. ———— (FOB) within the validity of the import licence or six months from 30 days from the date of import of the first consignment, whichever is earlier, by exporting cut and polished diamonds on the conditions given below :—

*(a) THAT the Importer undertake to earn foreign exchange sufficient to earn entitlement according to the remittances/Customs assessed value, whichever is higher by exporting cut and polished diamond to GCA Countries within a period of six months as aforesaid and realise net foreign exchange. Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation and exports to Nepal, if made otherwise than against payment in free foreign exchange will not qualify for redemption of export obligation. Net foreign exchange earned for this purpose is defined as foreign exchange inflows as a result of exporting cut and polished diamonds in proportion to Customs or remittance value whichever is higher.

*(b) THAT the aforesaid export obligation will start from six months from 30 days from the date of importation of first consignment.

*(c) THAT the Importer undertakes that they will be bound to send a statement of remittances within one month of the expiry of the said period of the export obligation to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports and in regard to exports made, namely the particulars of goods exported, their quantity and FOB value, the country to which it is exported, etc. All these data will be certified by a duly authorised Chartered Accountant, as approved by the Department of Company Affiars.

*(d) THAT the Importer further undertakes to submit to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports within one month of the expiry of the aforesaid 6 months, export evidence such as certificates from Nationalised or Scheduled Bank in original showing realisation of foreign exchange against exports made of cut and polished diamonds in fulfilment of the export obligations and such other documents as may be demanded by the Jt./Dy. Chief Controller of Imports & Exports as evidance, in support of the foreign exchange earned in fulfilment of the terms and conditions of this agreement.

OR

**AND WHEREAS the Importer has agreed to perform the export obligation and realise the foreign exchange to the extent of Rs. ———— (FOB) within the validity of the import licence or six months from 30 days from the date of import of the first consignment, whichever is earlier, by exporting cut and polished diamonds on the conditions given below :—

**(a) THAT the Importer undertakes to earn foreign exchange sufficient to earn entitlement according to the remittances/Customs assessed value, whichever is higher by exporting cut and polished diamonds to GCA Countries within a period of six months as aforesaid and realise net foreign exchange. Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation and exports to Nepal, if made otherwise than against payment in free foreign exchange will not qualify for redemption of export obligation. Net foreign exchange earned for this purpose is defined as foreign exchange inflows as a result of exporting cut and polished diamonds in proportion to Customs or remittance value whichever is higher.

**(b) THAT the aforesaid export obligation will start from six months from 30 days from the date of importation of first consignment.

**(c) THAT the Importer undertakes that they will be bound to send a statement of remittances within one month of the expiry of the said period of the export obligation to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports and in regard to exports made, namely the particulars of goods exported their quantity and FOB value, the country to which it is exported, etc. All these data will be certified by a duly authorised Chartered Accountant, as approved by Department of Company Affairs.

**(d) THAT the Importer further undertakes to submit to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports within one month of the expiry of the aforesaid 6 months, export evidence such as certificate from Nationalised or Scheduled Bank in original showing realisation of foreign exchange against exports made of cut and polished diamonds in fulfilment of the export obligations and such other documents as may be demanded by the Jt./Dy. Chief Controller of Imports & Exports as evidence in support of the foreign exchange earned in fulfilment of the terms and conditions of this agreement.

(e) THAT the Importer further agrees and undertakes that in the event of the importer's default in meeting the minimum export obligation set out in the conditions as specified above and in the import licence or realise the foreign exchange, the Importter would be liable to the Government instituting legal actions against them for confiscation of the imported material and other rights available to the Government under the provisions of Imports & Exports (Control)Act, 1947 and Imports (Control) Order, 1955 and Exports (Control) Order, 1988 and other provisions/rules formulated by the Government relating to the said import of rough diamonds.

(f) THAT the importer further agrees and undertakes to abide by all the penal provisions of the Import & Export Policy to be invoked against them as may be decided by the Government, which decision shall be final.

NOW, the conditions of the above Legal Agreement are as follows :—

(i) THAT the Importer undertakes to faithfully comply with all the obligations under the Scheme notified by the Government and conditions specified in the import licence and other stipulations specified above.

(ii) THAT in the event of the importer not able to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid the said importer shall on the instruction of the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports or the Chief Controller of Imports &

APPENDIX XXI-C (*Concld.*)

Exports, New Delhi, hand over to the State Trading Corporation/Minerals & Metals Trading Corporation or such other agency as the Government (including CCI&E) may nominate (hereinafter referred to as the Agency) the imported material for export by the Agency at such prices as S.T.C. or any other Government Agency may be able to obtain abroad and the amount so recovered by such sale will be deposited with the Government towards the fulfilment of the export obligation after deducting the normal commission and other expenses incurred by the said Agency. The decision of such Agency as to the said price would be final and binding on the importer.

(iii) The Importer further undertakes to pay in addition simultaneously a sum equivalent to the value of import licence referred to above or to the extent of the goods imported against the said licence whichever is higher by way of liquidated damages to the Government and the decision of the Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports shall be final and binding on the Importer.

(iv) THAT notwithstanding any right Government may have directly against the Importer or notwithstanding any dispute raised by the Importer in any form, the Government's written demand shall state necessary details to the importer that the payment is demanded from the said importer under the terms and conditions of the aforesaid licence and under the Diamond Imprest Licensing Scheme referred to above including the terms specified herein-above and such above demand by the Government shall be final and binding upon the Importer;

(v) THAT this undertaking shall remain valid and in full force until all the obligations under the aforesaid licence and Diamond/DTC Imprest Licensing Scheme including the terms as specified above, are duly accomplished to the full satisfaction of the Government which shall be final, and till, the Government is fully satisfied, about the accomplishment of all the promises undertaken by the Importer under the said Scheme. It is further agreed by the above named Importer that these obligations are required to be discharged to the full and final satisfaction of the Government and till the said satisfaction is reported by the Government to the Importer.

(vi) THAT the above named undertaking by the Importer shall be continuing and shall not be discharged by any change in the constitution of the Importer. It is further indemnified by the importer that the payment to the Government under this undertaking shall be made within 7 days from the receipt of the written demand of the Government or any officer authorised by the Government.

(vii) THAT this undertaking is executed by the above named Importer for the purpose of ACT involving public interest.

(viii) THAT the payment of the amount guaranteed to the Government by this undertaking will not affect the liability of the Importer to any other action including the initiation of legal proceedings for confiscation of the imported material and refusal of further licences and all other liabilities and penalties and the consequences under the provisions of the Imports & Exports (Control) Act of 1947, Imports (Control) Order of 1955 and Exports (Control) Order of 1988 that may be decided by the Government under the Import Trade Control Regulations.

(ix) THAT this undertaking and the obligations of the Importer shall remain in full force till all the obligations of the Importer are not duly discharged to the full and final satisfaction of the Government.

IN WITNESS WHEREOF the above named importer hereto have duly executed these presents on this——————— day of ——————,—— signed, sealed and delivered by the above named Importer in the presence of :

Witnesses

1. (full and expanded description of the importer/importer firm)
2. (To be authenticated/affirmed by 1st Class Magistrate/Notary Public)

Accepted by me on behalf of the President of India.

( )

Controller of Imports & Exports
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports

NOTE

1. If the importer is a sole proprietary firm, this undertaking is to be executed by the sole proprietor of the said sole proprietary firm along with his parentage and residential address.

2. If the importer is partnership firm, this undertaking is to be executed in the name of the partnership firm through the partners to be specified or the managing partner, if so specified in the partnership deed.

3. If the importer is a limited Company, this undertaking should be executed by the Executive Director or Managing Director of the limited company with the seal of the Company.

*Relates to Diamond Imprest Licences

**Relates to DTC Imprest Licences.
(Delete whichever is not applicable)

APPENDIX XXI-D

(IN DUPLICATE)

FORM OF APPLICATION FOR ISSUE OF BULK LICENCE FOR ROUGH DIAMONDS

1. Name and address of the applicant ....
2. Nature of the concern, whether Public or Private Limited Company or partnership or proprietorship or Hindu Undivided Family. ....
3. Name of Directors, partners, proprietor or Karta, as the case may be. ....
4. In the case of conversion of the proprietorship/partnership firm into a Private Limited Company. ....
   (i) the name of the earlier firm,
   (ii) the percentage share of the proprietor/partner of the old firm in the new company.
5. (i) Whether a Registered Manufacturer Exporter, Merchant Exporter or Export/Trading House/Star Trading House ? (Indicate whichever is applicable). ....
   (ii) Number and date of valid registration certificate and Photostat/Certified copy thereof. ....
   (iii) If Export/Trading/Star Trading House the No. and date of Export House/Trading House/Star Trading House certificate and the date upto which it is valid, (Attach a Photostat/Certified copy thereof). ....
6. The total f.o.b. value of export of cut and polished diamonds during the preceeding 3 licensing years. ....
7. Particulars of the bulk licence, if any, already obtained. ....
8. In case answer to (7) above is in affirmative, indicate No. and value of REP/Diamond Imprest licence serviced (separate figures for REP licence and Diamond Imprest licences may be indicated). ....
9. The c.i.f. value of the licence applied for. ....
10. Bank Receipt/Demand Draft No. and date (Bank receipt/Demand Draft to be attached to in original) towards payment of application fee.

Signature..................

Name in Block letters ....

Designation ....

Full Official Address ....

....

....

....

....

Full Residential Address..............

....

....

Place :

Date :

UNDERTAKING/DECLARATION

I/We hereby solemnly, undertake/declare :

(i) That no other application for bulk licence for rough diamonds has been made or will be made against exports covered by this application.

(ii) That (a) the total f.o.b. value of exports indicated above are our direct exports; and (b) it does not include re-export of rough diamonds.

(iii) That we shall service the REP/Diamond Imprest Licences for a value which is at least equivalent to the value of the bulk licence, within a period of 12 months from the date of issue of the bulk licence failing which the imported rough diamonds shall be re-exported and the bulk licence surrendered to the concerned licensing authority. In case the imported rough diamonds are not re-exported, the value of the unserviced imported "roughs" will be adjusted by surrender of valid REP licences for diamonds upto twice the value of the unserviced imported roughs.

(iv) That the particulars and statements made in this application are true to the best of my/our knowledge and nothing has been concealed or with held therefrom.

(v) That any licence granted on the basis of this application shall be liable to cancellation or being made ineffective without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, if any information furnished in this application is found to be wrong or incorrect or misleading.

(vi) That the exports have not been under-invoiced or over-invoiced.

(vii) That I am authorised to verify and sign this statement on behalf of the applicant.

(viii) I/We fully understand that any information furnished in the above statement, if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

Signature..................

Name in Block letters ....

Designation ....

Full Official Address ....

....

Full Residential Address........

....

....

....

Place :

Date :

List of enclosures

APPENDIX XXI—E

CERTIFICATE TO BE FURNISHED FOR CLAIMING REPLENISHMENT OF GOLD/SILVER AGAINST EXPORT OF GOLD/SILVER ORNAMENTS AND ARTICLES AT EXHIBITIONS

Dated ————————

This is to certify that the following are the details of goods actually sold against invoice No.——————————dated——————————in the exhibition and the foreign exchange repatriated in to India and surrendered to the Indian Exchange Control in accordance with the Import & Export Policy, 1990—93.

1. Name of the Indian exporter
2. Exhibition held on (i) Date: From : To :
   (ii) Place:
3. Organised by whom :
4. Details of Bank Guarantee, if any.
5. Price of gold/ silver as per export invoice.

						Particulars of Studdings									
Sl. No.	Pieces	Description	Gsoss Wt. Gms.	Net Wt. Gms.	Value of Gold/Silver as per rate of hook-ing for re-plehishment	Description/ Type of stud-dings/Dia-monds/precious/ semi-precious/ synthetic stones/pearls.	Pieces	Wt. in Cts.	Value of studdings in Rs.	Actual sale Price & date of sale	Making Charges	Value i.e. at rate of gold/silver as at 6	Selling price in foreign currency	F.O.B. value re-patriated	Value addi-tion achieved with respect to value as at 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Signature:

Name:

Designation:

Date:

Seal:

NOTE:—(a) Certificate should be filed separately for Gold and Silver Ornaments and Articles, etc.

APPENDIX XXI-F

FORM OF LEGAL AGREEMENT FOR UNITS SET UP UNDER THE SCHEME FOR SETTING UP SPECIAL EXPORT ORIENTED COMPLEXES FOR MANUFACTURE OF GOLD AND/OR SILVER JEWELLERY AND ARTICLES

An agreement made this ———— day of ———— between M/s. ———————— a unit set up under the scheme for setting up special export oriented complexes for manufacture of gold and/or silver jewellery and articles as a 100% export oriented unit as defined in the Ministry of Commerce (Department of Commerce) of the Government of India Resolution No. 8(15)/78/EP dated 31st December, 1980 having its registered office at ———————— (hereinafter referred to as "the Unit" which expression shall include its successors and assigns) of the one part and the President of India (hereinafter referred to as "Government" which expression shall include his successors in office and assigns) of the other part.

WHEREAS the Government have communicated vide ———— dated ———— to the Unit the terms and conditions for setting up the 100% export oriented unit in the Special Export Oriented Complex at———— (hereinafter called "Export Complex") for the manufacture of gold jewellery and the unit has duly accepted the said terms and conditions vide their letter No. ———— Dated ———— and the said Scheme published by the Department of Commerce of the Government of India as aforesaid (hereinafter collectively referred to as "the Schemes".

AND WHEREAS the Unit has been granted an import licence No. ———— dated ———— for a c.i.f. value of Rs. ———— for import of plant, machinery and equipment and import licence No. ————, dated ———— for a c.i.f. value of Rs. ———— for the import of raw materials, components and consumables.

AND WHEREAS the Unit has been issued gold and/or silver for a value of Rs. ———— and quantity of ———— Kgs. through the State Bank of India or any other agency designed by the Ministry of Commerce.

AND WHEREAS the unit has directly imported gold (excluding gold of 0.999 fineness) and/or silver for a value of Rs. ———— and quantity of ———— Kgs.

AND WHEREAS the Unit has been allowed to import the capital goods, raw materials and components etc., free of import duty.

AND WHEREAS the Unit has been allowed to purchase indigenous capital goods, components and raw materials for a value of Rs. ———— without payment of Central excise duty.

AND WHEREAS it is a strict condition of the licence/release order granted to the Unit, stipulated by the Government that the Unit must earn foreign exchange by exporting 100% of the production of the gold and/or silver jewellery for a period of ———— years beginning from the first day after completion of the gestation period allowed by the Government (hereinafter referred to as the "appointed date").

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS :

1. The Unit shall operate in bond in the Export Complex at ———— and to export 100% of its production strictly in compliance of the said Scheme, (as may be modified from time to time by the Government) to qualify for the benefits under the said Scheme. The Unit shall have no right to function in the said Export Complex ———— if it is debonded for any reason.

2. The Unit shall earn foreign exchange by exporting 100% of its production ———————— for a period of ————years commencing from the appointed date as aforesaid. This export obligation shall be in addition to and over the above any other export obligation that might have been or may be imposed on the Unit on any other ground.

Explanation : For the purpose of this Agreement :—

(i) Exports effected against payment in foreign exchange only will qualify for redemption of export obligation;

(ii) Exports to a foreign country but against rupee payment or rupee arrangements shall not be regarded as exports which qualify for redemption of export obligation; (such countries include Nepal, Bhutan);

(iii) Exports strictly as above of the gold and/or silver jewelleries and articles manufactured by the Unit and no other product will qualify for redemption or export obligation.

3. The Unit shall intimate the date of commencement of production for 100% export within one month of such date to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports.

4. The Unit shall within a period of three months, beginning from the first day of the financial year after the commencement of export production submit to the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports certificates, in original and such other documents as may be demanded by the said authority giving details of the following imports/exports effected, supply of gold and/or silver, made by the State Bank of India or any other agency designated by the Ministry of Commerce and purchases made from the Domestic Tariff Area by the Unit during the period :

(a) Quantity, specifications and c.i.f. value of (i) capital goods, plant machinery and equipment and (ii) raw materials, components and consumables.

(b) Quantity, specifications and value of indigenously produced (i) plant, machinery and equipment and (ii) raw materials, components and consumables.

(c) Quantity and value of gold and/or silver supplied by the State Bank of India or any other agency designated by the Ministry of Commerce.

(d) Quantity, value and description of gold/silver and gold/silver findings etc. imported directly by the Unit.

(e) Quantity, specifications and value of exports of ————————. The Unit shall submit similar certificates and such other documents to the said authority every year for a period of———— years, within three months from the end of each financial year.

5. In the event the Unit is not able to fulfil the Export obligation undertaken by it as aforesaid, the Unit shall, on the instructions of the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports pay to the Government the amount of customs duty that would be leviable at the relevant time on the items of plant, machinery and equipment and raw materials, components and consumables allowed for import by the Unit in terms of the licence granted to them and also the amount of excise duty leviable on the indigenous plant, machinery and equipment and raw materials, components and consumables purchased by the Unit during the period. The Unit, shall, in addition pay simultaneously to the Government liquidated damages, the amount of which will be decided by the Government taking into account the circumstances of the case. The amount of liquidated damages shall be determined by the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports or the Chief Controller of Imports and Exports and the instructions of the said authority shall be final and binding on

the unit. While determining the extent of liquidated damages the said authority will, if it is considered necessary, give an opportunity to the Unit to present its arguments.

6. The Unit will under no circumstances be allowed to dispose of the export product in the domestic market unless specifically allowed by Government. The Unit assures and undertakes that nothing of its manufacture (including products in the process of manufacture or partially manufactured or rejects) shall be sold or otherwise disposed of in the domestic tariff area.

7. In the event of the Unit failing to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid, except when the fulfilment of such obligation is prevented or delayed because of any law, order, proclamation, regulations or ordinance of the Government, the Government shall be free to issue any directions to the Unit regarding the manner of disposal of the export or exportable goods and the Unit shall be bound to comply with the same. This will be without prejudice to any other action which may be taken against the unit under the provisions of the Imports and Exports (Control) Act 1947 and the Order issued thereunder.

8. Any customs duties/excise duties due to Government under this Agreement shall also, without prejudice to any other mode of recovery, be recoverable in accordance with the provisions of Section 142 of the Customs Act 1962 and/or from any other payment due to the Unit from the Government.

9. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding and the Unit hereby undertakes to comply unconditionally with such an order.

10. Any stamp duties payable on this document or any documents executed thereunder shall be borne by the Unit.

11. Nothing in this Agreement shall—

(i) debar the Government from modifying the said Scheme from time to time and/or from implementing any such modified Scheme, as if it is in force as at the date of this Agreement.

(ii) release the Unit from complying with the provisions as, and to the extent applicable to the Unit/otherwise.

In Witness Whereas the Common Seal of ———— has been hereunto affix and for and ———————— has set and subscribed his hands hereunto.

Common seal of the within named Unit has been affixed hereunto in the presence

of (i) Shri ———————— (i) ———————— Signature :—
(Residential address)

Director and (ii) Shri ———————— (ii) ———————— (Residential address)

Director who have been duly authorised for the purpose by a resolution of the Board of Directors.

————————————

of the Company passed at the meeting held on ———— and who have signed in the presence of ————————

1. ———————— (name, designation and address)

2. ———————— (name, designation and address)

Signed for and on behalf of the President of India in the presence of

1. ———————— (name, designation and address)

2. ———————— (name, designation and address)

EXEMPTION MATERIALS

1. Plant, Machinery and equipment imported
No.
Description of material
CIF value

2. Raw materials, components and consumables imported
No.
Description technical Characteristics
CIF value

3. Plant, Machinery and equipment and raw materials components and consumables indigenously produced and purchased without payment of central excise duties.
No.
Description technical Characteristics
Value

4. Resultant Products to be exported
No.
Description
Quality technical Characteristics
Qty.
FOB Value

APPENDIX XXII

APPLICATION FOR CLAIMING IMPORT REPLENISHMENT AGAINST SUPPLIES FROM D.T.A. TO UNITS IN FREE TRADE ZONES/EXPORT PROCESSING ZONES

1. Name of applicant :

2. Full postal address :

3. Details of the supplies :
(description, quantity and value)

4. Serial No. of the goods in the Import Policy for Registered Exporters :

5. Period during which supply was made :

6. Import Replenishment claimed :

7. (a) No. & date of registration certificate :
(Copy of registration certificate to be furnished).

(b) Whether applicant is registered as manufacturer exporter or merchant exporter :

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

UNDERTAKINGS/DECLARATIONS

I/We hereby solemnly undertake/declare :—

(i) Particulars stated above are correct.

(ii) The goods as mentioned in this application have been supplied to .... in terms of the contracts secured by us.

(iii) The supplies have been made at export prices.

(iv) That no other application for import licence has been made or will be made in future against exports covered by this application.

(v) The consignment(s)/parcel(s) have not been returned. If at any time the exported goods are returned by the consignee necessary intimation shall be sent to the Development Commissioner of the Zone within one month thereof, who will in turn, inform the licensing authority, to set off the value of import replenishment licence issued against future import licences due to me/us or to my/our nominees without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

(vi) If as a result of a scrutiny by the licensing authority at any time, any excess licensing/payment is found to have been done/made to me/us against this application, the same shall be liable for being adjusted against future licences/payments due to me/us or to my/our nominees under any category without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

(vii) I/We hereby undertake that any licence granted on the basis of this application shall be liable to cancellation without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, if any information furnished in this application is found to be wrong or incorrect or misleading.

(viii) I/We have not under-invoiced or over-invoiced our exports.

Signature.... ....

Name in Block letters ....

Designation ....

Full Residential Address ....

Name of applicant firm ....

APPENDIX XXIII-A

APPLICATION FORM FOR LETTER OF INTENT/PERMISSION UNDER 100% EXPORT ORIENTED UNIT SCHEME

(To be submitted with 14 spare copies and a Demand Draft in favour of Pay & Accounts Officer, Department of Industrial Development New Delhi. The application fee shall be Rs. 1000/- for Letter of Permission and Rs. 2500/- for Letter of Intent/Industrial Licence).

Note : This form is to be used for application for a licence or permission for the establishment of 100% Export Oriented Industrial Undertakings.

1. Name & Address of the applicant . . . . . .
2. (i) Name and address of the Industrial undertaking .
   (ii) Names of Proprietor, Partners or Board of Directors and their addresses, with full details of their occupation .
3. Whether the undertaking is registered under the MRTP Act, 1969, if so, please indicate . . . .
   (i) Sub-Section of Section 20 with reference to which registered [i.e. Section 20(i) or (b)] . . . . .
   (ii) Registration No. & Date . . . .
   (iii) Whether an application has been made to the Deptt. of Company Affairs for permission under Section 21 or 22 of the MRTP Act, 1969? If so, please give brief particulars. If not, please state reasons for not submitting the application . . . .
   (iv) If not registered under MRTP Act, please give the number & date of show-cause notice, if any, issued to you by the Deptt. of Company Affairs. Also indicate whether you have made any representation in this regard to that Deptt. and, if so, when ? . . . . . .
   (v) Whether the applicant firm/undertaking is a dominant undertaking in terms of the MRTP Act. If so, please indicate . . . .
   (a) Items of production in respect of which the undertaking falls in the category of 'dominant, undertaking.
   (b) Annual production figure in respect of such items for the preceding four calendar years.
4. Capital structure :

A. In the case of companies registered under the Indian Companies Act, 1956.

1. *Existing* — *Existing*

Authorised Capital . . . .

Subscribed Capital . . . .

Paid-up Capital . . . .

(a) *Foreign holdings*

(i) Direct participation . . . . . .

(ii) Indirect participation . . . . . .

(iii) Total (i) & (ii) . . . .

APPENDIX XXIII-A (*Contd.*)

(b) *Indian holding* . . . .

(i) Borrowing . . . .

(ii) Debt equity ratio in the company . . . .

B. In the case of companies other than those registered under the Indian Companies Act, 1918.

(i) Capital investment by the owner excluding borrowing .

(ii) Shares of each of the partners . . . . .

(iii) Borrowing . . . .

5. (a) Whether the proposed investment is for a new undertaking (NU) or for the manufacture of new article (NA) or for the Substantial expansion (SE) for production for export in the existing undertaking . . . .

(b) If the investment is proposed to be undertaken by a new undertaking, indicate proprietors, partners or Board of Directors with full details of their addresses & occupation

(c) Details of capital structure viz. capital to be realised by members; share participation by the State or Central Govt. and by others . . . .

6. Finance pattern for the proposed investment containing details of :

(i) Capital to be raised by the applicant & his supporters .

(ii) Assistance if any, proposed to be sought from financing institutions with break-up of loans, underwriting, participation in equity capital, etc. . . . . . .

(iii) And from other sources . . . .

7. (a) Proposed location of the factory . . . . .

Tehsil . . . .

District . . . .

State . . . .

(b) Whether the Tehsil/District is a notified backward area eligible for investment subsidy from the Government. .

(c) (i) Whether the proposed location falls within the standard urban area limit as determined in the census of India 1981 of a city having a population of more than 1 million . . . .

(ii) Within the Municipal limit of a city of population of more than 0.5 million as determined in the Census of India, 1981 . . . .

8. (a) Items of manufacture and capacities for which licence is sought : . . . .

Sr. No.	Year	Item of manufacture	Schedulled Industry to which it relates	Whether the applicant holds a licence for the manufacture of the item. If yes, the present licensed capacity	Proposed annual installed capacity on the basis of maximum utilisation of plant and machinery	FOB value of exports
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1st 2nd 3rd 4th 5th					

(b) Ex-factory value of . . . .

(i) Annual production of items presently manufactured .

(ii) Annual production of items proposed for manufacture for export . . . .

9. Estimated requirement of capital goods, raw materials, components, conumables and spares . . . . . .

APPENDIX XXIII-A (Contd.)

(A) Requirement of Capital goods :

IMPORTED				INDIGENOUS			
Items of CG to be procured	Capacity	Qty.	C.I.F. Value (Rs. in lakhs)	Items of CG to be procured	Capacity	Qty.	Value (Rs. in lakhs)
(If necessary, list may be attached)				(If necessary, list may be attached)			
1st Yr.							
2nd Yr.							

Note : In case of second hand CG imports year of manufacture and its residual life may be mentioned.

(B) Requirement of Raw Materials :

IMPORTED				INDIGENOUS			
Year	Name of the Raw material(s)	Qty.	C.I.F. Value (Rs. in lakhs)	Year	Name of Raw material(s)	Qty.	Value (Rs. in lakhs)
1st Yr.				1st Yr.			
2nd Yr.				2nd Yr.			
3rd Yr.				3rd Yr.			
4th Yr.				4th Yr.			
5th Yr.			TOTAL	5th Yr.		TOTAL	

(C) Requirement of Components

IMPORTED				INDIGENOUS			
Year	Name of the component	Qty.	C.I.F. Value (Rs. in lakhs)	Year	Name of the component	Qty.	Value (Rs. in lakhs)
1st Yr.				1st Yr.			
2nd Yr.				2nd Yr.			
3rd Yr.				3rd Yr.			
4th Yr.				4th Yr.			
5th Yr.				5th Yr.			
			TOTAL			TOTAL	

(D) Requirement of consumables :

IMPORTED				INDIGENOUS			
Year	Name of the Consumable(s)	Qty.	C.I.F. Value (Rs. in lakhs)	Year	Name of the Cosumable(s)	Qty.	Value (Rs. in lakhs)
1st Yr.				1st Yr.			
2nd Yr.				2nd Yr.			
3rd Yr.				3rd Yr.			
4th Yr.				4th Yr.			
5th Yr.				5th Yr.			
		TOTAL				TOTAL	

(E) Requiremet of Spare(s) :

IMPORTED				INDIGENOUS			
Year	Name of the Spare(s)	Qty.	C.I.F. Value (Rs.in lakhs)	Year	Name of the Spare(s)	Qty.	C.I.F. Value (Rs. in lakhs)
1st Yr.				1st Yr.			
2nd Yr.				2nd Yr.			
3rd Yr.				3rd Yr.			
4th Yr.				4th Yr.			
5th Yr.				5th Yr.			
		TOTAL				TOTAL	

APPENDIX XXIII-A (*Contd.*)

10. Indicate requirements of fixed assets in the following forms—

Fixed Asset	Existing	Proposed
(a) Land		
(b) Building		
(c) Machinery		
(i) Indigenous		
(ii) Imported		

11. Is any foreign collaboration (whether financial, technical, marketing or consultancy envisaged) ?
If so, give the following details ;
(i) Name & address(s) of the foreign collaborators . .
(ii) Nature of foreign collaboration . . . . .
(iii) Terms and conditions of the foreign collaboration . .
(iv) Proposed duration of agreement for which royalty payment will be restricted . . . .

12. Is the manufacture based on the technology developed by any laboratories established by CSIR or approved in this behalf by Deptt. of Science & Technology or sponsored research undertaking by such laboratories on behalf of industries /undertakings? If the answer is 'Yes' submit the necessary certificate from Deptt. of Science & Technology. . . . .

13. Whether you have been engaged in the business of exports or manufacture for export and if so indicate the items of export along with their FOB value during the last 3 years . .

14. (a) What would be the minimum percentage of value addition which you will achieve on the authorised Production of the undertaking. (Domestically procured raw-material, components & consumables, shall be treated as imports for computing value added). The formula for calculation of value addition percentage is

$$\frac{A—(B1+B2)100}{A}$$

where A—Projected FOB value of exports in the first five years of production; and

B—(1) All foreign exchange outgo on import of raw materials, components, consumables, capital goods, spares, etc., payment of royalty etc. to foreign collaborators, payment of commission on exports, interest on external borrowing including deferred payments and any other outflow of foreign exchange etc. and .

PLUS

(2) Value of requirement for the first five years production (to achieve the export target of 'A') of raw materials, components, and consumables imported from the domestic tariff area.

(b) what would be the percentage of net foreign exchange earning in relation to total FOB value of exports in 5 years i.e. $\frac{A—B(1)}{A} \times 100$

15. Foreign exchange earnings in the first five years . . .	1st year,	2nd year,	3rd year,	4th year and	5th year	Total
(a) Foreign exchange earnings based on FOB value of exports of entire production						
(b) Foreign exchange outgo on						
(i) Import of machinery and equipment . . .						
(ii) Import of raw materials and components . .						
(iii) Import of spares and consumables . . .						
(iv) Indigenous raw materials, components & consumables						
(v) Repatriation of dividends and profits to foreign collaborators						
(vi) Royalty						

APPENDIX XXIII-A (*Contd.*)

(vii) Lump-sum know how fee . . . . .
(viii) Design and drawing fee . . . . .
(ix) Payment to foreign technicians . . . .
(x) Payment on training of Indian technicians abroad .
(xi) Commission on export etc. . . . . .
(xii) Amount of interest to be paid on external commercial borrowings/deferred payment credit (specify details) . . . .
(xiii) Any other payments (specify details) . . .

(c) Foreign Exchange earnings in five years . . . .

16. *Water Supply*

(i) Is adequate water (furnish quantity) available for the requirements of the factory and township and staff quarters? . . . .

(ii) Will it be drawn from public sources . . . .

	Connected load in KW	Maximum demand in KW
17. *Power Supply*		
(a) Total requirement of power for the proposed project .		
(b) Break-up of the above requirement of power to be met from		
(i) Own generating station		
(ii) From public supply		
(c) In case of own station the particulars of plant in operation		
(d) In case the proposal is power intensive; please give yearwise requirements of power in terms of Qty. and value for 5 years. Indicate source of procurement . . .		

18. *Transport*:

Indicate requirement of rail transport for movement of raw materials and finished products in the proforma attached. .

19. *Fuel*

Details of fuel requirement indicate requirements of coal/fuel in the proforma attached . . . .

20. Staff & labour proposed to be employed in the implementation of the Project;

Particular		Existing	Proposed	Total
(a) Managerial				
(b) Supervisory				
(i) Technical.				
(ii) Non-technical				
(c) Clerical				
(d) Labour	Skilled			
	Semi-skilled			
	Unskilled			
(e) Other categories, if any				
Total				

21. Whether any of the required components are proposed to be sub-contracted to small scale & ancillary units and if so, the details thereof? Details should indicate, if the small scale/ancillary unit(s) is a subsidiary or controlled or managed by the applicant/undertaking and components that will be sub-contracted the percentage in relation to the total expected value of production . . . .

22. Whether there will be generation of any bye products? If so, please give details including nature of product, value etc. Also indicate if it will be exported or is proposed to be disposed of domestically . . . .

23. What will be the likely percentage of scrap/waste of the raw material/components during the processing of finished product? In such case give full details of its percentage, quantity and value and how it is proposed to be disposed of . . .

24. What will be the likely percentage of rejects or sub-standard goods of the finished products? In such case, give details of its percentage, quantity and value and how it is proposed to be disposed of? . . . .

APPENDIX XXIII-A (*Contd.*)

25. Brief description of the process involved in the manufacture and factors favourable for their adoption . . . .

26. Steps proposed to ensure safe disposal for the discharge of effluents & gases in air, water & soil including installation of anti-pollution measures according to the standars prevailing in concerned State . . . .

27. Estimated time required for Commencement of Production from the date of issue of Letter of Intent/Permission . .

28. Whether the applicant has been issued any industrial licence or letter of intent so far under 100% EOU Scheme/Export Processing Zone Scheme/under normal industrial licensing scheme for domestic tariff area. If so full particulars of each letter of intent/Industrial licence/permission letter issued to him with seference number, date of issue, items of manufacture, and progress of implementation of each such letter of intent/industrial licence/ permission letter. Whether the applicant party has submitted any other application(s) for letter(s) of intent/permission is/are pending. If so, the details there of, including the items of maufacture proposed capacity, location investment . . . .

29. Mention details of the Industrial undertakings under the control of the applicant or with the management of which the applicant has been associated which had remained closed for a consecutive period of not less than 90 days during 3 years preceding the date of application. Reasons for closure, staps taken by the management for the revival & the present state of that industrial undertaking may also be indicated . .

30. (a) State the factors which you consider favourable in respect of your applications. These factors should bring out the technical competence, experience and resources (Managerial, technical & financial) of the applicant/undertaking for implementing the scheme as also the preliminary studies on techno-economic aspects, viability market survey and forecast etc. made. The direct and indirect employment that will be generated etc. In the case of substantial expansion the considerations which favour the grant of substantial expansion, including the economics of scale, should be brought out. The financial resources either of the applicant or the undertaking and the pattern of financing the proposed investment would also be highlighted . .

(b) A copy of the Project Report may also be attached. Details of Marketing Arrangements proposed may be indicated . . . .

(c) Countries of exports . . . .

31. (a) Indicate whether the applicant or the undertaking or any of the partner/Director of the undertaking who is a partner/Director of another company or its associate concerns, have been penalised/warned for violation of ITC Regulations or Customs regulations . . . .

(b) If answer to part (a) is in affirmative, then give details .

32. (a) Indicate whether the applicant or the undertaking or any of the partner/Director who is also a partner/Director of another company or its associate concerns, have been debarred or placed in abeyance from getting any Licence/ Letter of Intent/Permission letter . . . . .

(b) Indicate whether the applicant, undertaking or any of the partner/Director who is also a partner/Director of another company or its associate concerns, have been issued notice by the Govt. of India, debarring from getting any Licence/Letter of Intent /Permission Letter .

(c) If reply to part (a) and/or (b) is affirmative, than give details . . . .

APPENDIX XXIII-A (*Contd.*)

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any Letter of Intent/Permission Letter granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or being made ineffective in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

(Signature with full name)

Place :

Designation............................

Relationship............................

Date :

Full address............................

....

Seal/Stamp for the Company...........

Note : The application should be signed by the applicant himself or by a person duly/legally authorised by the applicant to do so.

EXPLANATORY NOTE :

1. Indirect beneficial participation means wherein the list of shareholders there are companies which themselves have non-resident shareholding. Particulars of major share holding of 5% and above of the equity capital alone may be taken for this purpose.
2. Please refer to Schedule VI to the Ministry of Industry, notification of 6th February, 1973 as amended from time to time.

(Proforma referred to in Item No. 18 in the form—100% Export)

Statement showing the rail transport requirement of M/s——————————————for the movement of raw materials and finished goods for the manufacture of——————————————

Exact Location of Undertaking and railway station which will serve it	Commodity required to be manufactured	Quantities of finished products in tonnes required to be moved by rail year by year during the next few yrs.		The direction wise break up of traffic as stated in col. 3	Name of each raw material
		Annual movement (tonnes)	Daily average (tonnes)	on a daily basis indicating important stations/areas to which the despatches are to take place	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(A)					
(B)					
(C)					

Source of supply of each raw material indicating stations and areas, etc.	Quantity of each raw material		Brief indication of special facilities, if any required at the despatching and receiving station including spl. type of Wagons	Any other information relevant to railway transport requirement
	Annual movement (Tonnes)	Daily movement (Tonnes)		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(A)				
(B)				
(C)				

APPENDIX XXIII-A (*Contd.*)

(Proforma referred to in Item No. 19 in Form—100 % Export)

Statement showing the requirements of Coal/Coke of M/s————————

Exact location of the Undertaking and the Railway Station which will serve it	Grade, class, etc. of coal/coke required		Quantity of Coal/Coke required per month		Source of supply indicating station and areas	Date of commencing	Type of turning equipment used
	Coal	Coke	Coal	Coke			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

APPENDIX XXIII-B

FORM OF LEGAL AGREEMENT FOR 100% EXPORT ORIENTED UNITS

An Agreement made this ———— day of ———— 19— between M/s. ———— a 100% export oriented unit as defined in Ministry of Commerce (Deptt. of Commerce) Resolution No. 8(15)/78/EP dated 31st December, 1980 having its registered office at ———— (hereinafter referred to as "the Unit" which expression shall include its successors and assigns) of the one part and the President of India (hereinafter referred to as "Government" which expression shall include his successors in office and assigns) of the other part.

WHEREAS the Government has communicated *vide* ———— dated ———— to the Unit the terms and conditions for setting up the 100% export oriented unit for the manufacture of ———— and the unit has duly accepted the said terms and conditions vide their letter No. ———— dated ————.

AND WHEREAS the Unit has been granted an import licence No. ———— dated ———— for a c.i.f. value of Rs. ———— for import of plant, machinery and equipment and import licence No. ———— dated ———— for a c.i.f. value of Rs. ———— for the import of raw materials, components and consumables.

AND WHEREAS the Unit has been allowed to import the capital goods, raw materials and components etc. free of import duty.

AND WHEREAS the unit has been allowed to purchase indigenous capital goods, components and raw materials for a value of Rs. ———— without payment of Central excise duty.

AND WHEREAS as a condition of the licence granted to the Unit, the Government has stipulated that the Unit must earn foreign exchange by exporting 100% of the production of the export product, namely, ———— for a period of ———— years beginning from the first day after completion of the gestation period allowed by the Government (hereinafter referred to as the prescribed date) after allowing rejects upto ———— percentage.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS.

1. The Unit shall earn foreign exchange by exporting 100% of their production of ———— for a period of ———— years, counting from the prescribed date after allowing rejects upto ———— percentage of production as aforesaid. Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation as also exports to Nepal if made otherwise than against payment in free foreign exchange. This export obligation shall be in addition to and over and above any other export obligation that might have been or may be imposed on the Unit on any other ground.

2. The Unit shall intimate the date of commencement of production for 100% export within one month of such date to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports.

3. The Unit shall within a period of three months beginning from the first day of the financial year after the commencement of export production, submit to the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports certificates in original and such other documents as may be demanded by the said authority giving detials of the following imports/exports effected and purchases made from the Domestic Tariff Area by the Unit during the period :—

(a) Quantity, specifications and c.i.f. value of (i) capital goods, plant machinery and equipment and (ii) raw materials, components and consumables.

(b) Quantity, specifications and value of indigenously produced (i) plant machinery and equipment and (ii) raw materials, components and consumables.

(c) Quantity, specifications and for value of exports of the Unit shall submit similar certificates and such other documents to the said authority every year for a period of ———— years, within three months from the end of each financial year.

4. In the event the Unit is not able to fu[illegible] the Export Obligation undertaken by it and afore[illegible] the Unit shall, on the instructions of the conc[illegible]int/Deputy Chief Controller of Imports and E[illegible] the Chief Controller of Imports and Exports pay [illegible] Government the amount of customs duty that would be [illegible]eviable at the relevant time on the items of plant, machiner[illegible] and equipment and raw materials; components and con[illegible]ables allowed for import by the Unit in terms of [illegible]e granted to them and also the amo[illegible]iable on the indigenous plant, machi[illegible] raw materials, components [illegible] the unit during the period. The [illegible] simultaneously to the Gov[illegible]e amount of which will [illegible]king into account the [illegible]mount of liquidated [illegible] Joint/Deputy Chief [illegible] the Chief Controller

APPENDIX XXIII-B (*Concld.*)

of Imports and Exports and the instructions of the said authority shall be final and binding on the unit. While determining the extent of liquidated damages the said authority will, if it is considered necessary, give an opportunity to the Unit to present its arguments.

5. The Unit will under no circumstances be allowed to dispose of the export product in the domestic market unless specifically allowed by Government.

6. In the event of the Unit failing to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid except when the fulfilment of such obligation is prevented or delayed because of any law, order, proclamation, regulation or ordinance of the Government, the Government shall be free to issue any directions to the Unit regarding the manner of disposal of the export goods and the Unit shall be bound to comply with the same. This will be without prejudice to any other action which may be taken against the unit under the provisions of the Imports and Exports (Control) Regulations or any other rules.

7. Any customs duties/excise duties and interest at 18% from the date of import/supply to the date on which payment is made due to Government under the Agreement shall also, without prejudice to any other mode of recovery be recoverable in accordance with the provisions of Section 142 of the Customs Act, 1962/section 11 of the Central Excise and Salt Act, 1944, and rules made thereunder and/or from any other payment due to the Unit from the Government.

8. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding and the Unit thereby undertakes to comply unconditionally with such an order.

9. Any stamp duties payable on this document or any document executed thereunder shall be borne by the Unit.

In Witness whereof the Common Seal of ———————— has been hereinto affix and for and ———————— has set and subscribed his hands hereinto Common seal of the within named unit has been affixed hereinto in the presence.

Signature ————————
(Residential address)

of (i) Shri ———————— (i) ————————
(ii) ————————
(Residential address)

Director and (ii) Shri ———————— Director who have been duly authorised for the purpose by a resolution of the Board of Directors.

————————————————

of the Company passed at the meeting held on ———————— and who have signed in the presence of————————

1. ———————— (name, designation and address)

2. ———————— (name, designation and address)

Signed for and on behalf of the President of India Shri ———————— in the presence of

1. ———————— (name, designation and address)

2. ———————— (name, designation and address)

EXEMPTION MATERIALS

1. *Plant, Machinery and equipment imported*

No.
Description of material
CIF value

2. *Raw materials, components and consumables imported*

No.
Description
Technical Characteristics
CIF value

3. *Plant, Machinery and equipment and raw material, Components and consumable indigenously produced and purchased without payment of central excise duties*

No.
Description
Technical Characteristics
Value

4. *Resultant Products to be exported*

No.
Description
Quality
Technical Characteristics
Qty
FOR Value

APPENDIX XXIII—C

APPLICATION FOR ISSUE/RENEWAL OF GREEN CARD UNDER 100% EXPORT ORIENTED UNIT SCHEME

1. Name and address of the approved 100% Export Oriented Unit.

2. No. and date of Letter of Intent/Permission Letter issued (copy to be enclosed).

3. Item of manufacture and capacity.

4. Date upto which Letter of Intent/Permission Letter valid [illegible] of extension letter, if any, to be enclosed).

5. Has the name of [illegible] approved 100% EOU been changed. If so, en[illegible]ed a copy of letter from the Administrative Ministry/Department.

6. Reference number [illegible] date and name of the licensing authority with wh[illegible] Agreement as an 100% EOU has been e[illegible] copy of acceptance letter to [illegible]

7. Whether the requ[illegible] Card"? If so, details there[illegible] be attached).

8. Details of the [illegible] Intent/Permis[illegible]

9. Whether the Unit has been regularly sending quarterly progress performance report(s) in the prescribed form to the Ministry of Commerce and Export Commissioner? If so, the details of the last report sent alongwith its copy may be enclosed.

I/We hereby declare that the above statements/documents are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed.

I/We also certify that I/We am/are authorised to verify and sign this statement on behalf of the applicant.

I/We fully understand that any information furnished in the above statement, if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted and also cancellation of the Green Card.

Place :
Date :

Signature
Name of the applicant
Full official address
Ful address of the factory